PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES

1965

(FEBRUARY- MARCH- APRIL SESSION)

VOL. I Nos. 1-8

(PART I)

Dated :-

23rd February, 1965

24th February, 1965

25th February, 1965

26th February, 1965

27th February, 1965

2nd March, 1965.

3rd March, 1965. (Morning Sitting)

3rd March, 1965 (Afternoon Sitting)

....

Punjab Vidhan Sabha Debates

23rd February, 1965

Vol. I—No. 1

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 23rd February, 1965

Price Rs. 2.10 Paise.

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I, NO. 1, DATED THE 23RD FEBRUARY, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
कमीशन	कम ` शन	(1)9	5
कानफ्रेंस	कानफेस	(1)10	3
गवर्नमेंट	गर्वमैंट	(1)24	22
among	an ong	(1)42	9

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 23rd February, 1965

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, *Chandigarh, at* 9 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker* (*Shri Harbans Lal*) *in the Chair.*

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, क्या आज Question Hour नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : नहीं । बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को सुन लें। Everything is clear in it (No. Please hear the report of the Business Advisory Committee. Everything is clear in it.)

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker : I have to report to the House the time-table fixed by the Business Advisory Committee in regard to the different items of business. The Committee at its meeting held on the 22nd February, 1965, has made the following recommendations—

The Committee, after some discussion, recommended that the business in the House be transacted as follows on the days mentioned against each :—

Tuesday, the 23rd February, 1965 ...	(i) There will be no Question Hour. (ii) Obituary references to the deaths of the late— (1) Sardar Partap Singh Kairon ex-Chief Minister, Punjab ; (2) Shri H.C. Dasappa, Union Minister for Industry and Supplies ; (3) Chaudhri Baru Ram, ex-M.L.A (4) Shri M.R. Sachdev, Lt. Governor of Goa, Daman and Diu, and adjournment of the House thereafter.
Wednesday, the 24th February, 1965..	(i) Presentation of the Supplementary Estimates (Second Instalment), 1964-65. (ii) Discussion on Governor's Address. (*As already notified*)
Thursday, the 25th February, 1965 ..	Non-official Business.
Friday, the 26th February, 1965 (1.30 P.M. to 6.00 P.M.)	Discussion and Voting of Supplementary Estimates (Second Instalment), 1964-65.

[Mr. Speaker]

Saturday, the 27th February, 1965 (9.00 A.M. to 1.30 P.M.)	Discussion on Governor's Address
Sunday, the 28th February, 1965 ..	Holiday. 2
Monday, the 1st March, 1965 ..	Off day.
Tuesday, the 2nd March, 1965 (2.00 P.M. to 6.30 P.M.)	Discussion on Governor's Address.
Wednessday, the 3rd March, 1965—	
(i) First sitting (9.00 A.M.) ..	(i) Question Hour. (ii) Presentation of Budget Estimates, 1965-66 at 10.00 A.M.
(ii) Second sitting (1.00 P.M. to 4.30 P.M.)	(i) There will be no Question Hour. (ii) Discussion on Governor's Address.
Thursday, the 4th March,1965— (i) First sitting (9.00 A.M. to 1.30 P.M.)	(i) Question Hour. (ii) Appropriation Bill on the Supplementary Estimates (Second Instalment), 1964-65.
(ii) Second sitting (3.00 P.M. to 6.30 P.M.)	(i) There will be no Question Hour. (ii) Non-official Business.

Consideration of the further programme will be taken up later.

2. List of Questions meant for 23rd February, 1965 will be taken up on the 27th February, 1965.

The Committee then adjourned to meet again on Tuesday the 23rd February, 1965 immediately after the adjournment of the House on that day.

Chief Minister (Shri Ram Krishan) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Business Advisory Committee.

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, पहली बात तो यह है कि अगर आज यह रिपोर्ट पेश होनी थी तो फिर क्वैस्चन आवर भी होना चाहिए था ; अगर क्वैस्चन आवर आफ किया गया था तो यह रिपोर्ट भी यहां आज पेश नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो अब किया गया है ठीक नहीं किया गया है ।

दूसरी बात यह है कि आज बजट सैशन के शुरू में ही जो बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी की पहली मीटिंग हुई है उस की रिपोर्ट में यह फैसला सुना दिया गया है कि दो दो सिटिंगज़ इस सभा की होंगी। यह निहायत ही गलत बात है। पिछले सैशन के खत्म होने के बाद 50/60 मैम्बरान ने चीफ मिनिस्टर साहिब और चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेट्री साहिब को लिख कर दिया था कि बजट सैशन को जल्दी शुरू किया जाए ताकि बाद में भगदड़ न मचे। कई स्टेटस मे तो इस महीने

के पहले हफता में बजट सैशन शुरू हो चुका है लेकिन यहां पर अब चौथे हफ्ते में शुरू हो रहा है। इस के बाद फिर सरकार कहेगी कि 31 मार्च नजदीक आ रही है इस लिए बजट जल्दी पास करना है। अगर सरकार ने इसी तरह करना है कि सैशन भी लेट शुरु करना है, दो दो सिटिंगज रखनी हैं और सारी बिजनैस को रश थरू करना है तो यह बहुत अनुचित बात है। जहां तक डब्ल सिटिंग्ज़ रखने का सवाल है हम इस की पुरजोर अलफाज में मुखालिफत करते हैं और मांग करते हैं कि दो दो सिटिंग्ज़ की बजाए एक एक सिटिंग ही हो।

बाबू बचन सिंह (लुध्याना उत्तर) : स्पीकर साहिब, हम समझते थे कि बदले हुए हालात में नई मिनिस्ट्री एक अच्छे ढंग से काम करेगी और अच्छी ट्रैडीशनज़ कायम करने की कोशिश करेगी लेकिन हमें इस सैशन के शुरू में ही बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि निहायत ही गलत ढंग और तर्ज़ से चलने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के बारे में हमेशा से ही यह कहा जाता रहा था कि "it is the Punjab" और जब यह कहा जाता था तो इस का यह मतलब लिया जाता था कि यहां पंजाब में कोई कायदा कानून नहीं चलता, पुलिस राज चलता है और जमहूरियत नहीं चलती है। अब आप देखें कि बजट सैशन के शुरू में ही जब यह भाग दौड़ मच गई है तो हम किस तरह से बहस कर सकते हैं और काम एटमसफियर में काम चल सकता है। मुझे अफसोस है उन मैम्बर साहिबान पर जिन्होंने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इस फैसला को कबूल किया कि दो दो सिटिंग्ज एक दिन में की जाएं। यह निहायत गलत बात है और इस से ज्यादा गलत बात और कोई नहीं हो सकती। अगर सैशन के आखरी दिनों में कोई खास हालात पैदा हो जाएं और कोई एमरजैंसी आ जाए तो दो सिटिंग्ज़ रखना समझ में आ सकता है लेकिन अब सैशन के आगाज में ही हमें कहा जा रहा है कि एक दिन में दो दो सिटिंगज होंगी। आखिर इस का क्या मतलब है? यही कि यह मिनिस्ट्री ज्यादा देर तक असैम्बली को बिठाए रखना नहीं चाहती। अगर यह कहा जाए कि बजट 31 मार्च तक पास होना जरूरी है तो उस के लिए आखरी दिनों में डबल सिटिंग्ज के बारे में सोचा जा सकता है या कहीं डिस्कशन को करटेल करने की बात की जा सकती थी लेकिन आगाज में ही हमारे पीछे लठ ले कर पड़ गए हैं कि डब्ल सिटिंग्ज करेंगे। यह इस बात की निशानी है कि हमारी मिनिस्ट्री जो डैमोक्रेसी का दावा करती फिरती है वह गलत है। कभी कहते हैं कि हम डैमोक्रेटिक सोशलिज्म लाएंगे लेकिन यह लोगों को कैसे डैमोक्रेटिक सोशलिज्म देंगे जब कि खुद असैम्बली के हकूक पर छापा मारा जा रहा है। हम इस फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं।

Mr. Speaker : The hon. Chief Minister is going to reply to the Debate on the motion that this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Business Advisory Committee.

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब, मुझे अफसोस है कि पहले जिस दिन हमारे साबिक नेता सरदार प्रताप सिंह कैरों के अफसोसनाक........

बाबू बचन सिंह : आन ऐ प्वाइंट आफ आर्डर, सर। यहां पर तो बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट पर बात हो रही है लेकिन यह दूसरी बात कर रहे हैं। इस की इस से क्या रैलेवैंसी है? (शोर)

मुख्य मन्त्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस दिन जब ट्रिब्यूट पे करने के लिए इकटठे हुए थे (शोर)

चौधरी देवी लाल : आन ऐ प्वायंट आफ आर्डर, सर। यहां पर इस रिपोर्ट के ऊपर क्रिटीसिजम चल रहा है। बेहतर होगा अगर आप बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी के मैम्बरान को सारी चीज़ ऐकसप्लेन करने के लिए टाइम दें कि किन हालात में ऐसा किया गया है।

Mr. Speaker : The hon. Chief Minister is replying to the Debate on the motion in regard to the adoption of the Report of the Business Advisory Committee.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ऐ प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर साहिब ने हमारे प्वायंटस का जवाब दिए बगैर ओबिचुयरी रैफरेंस टेक अप कर लिए हैं। अगर सैंटीमैंटल अपील करके ही बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट पास करानी हो तो अलग बात है। मैं समझता हूं कि यह गलत बात है। हम हाउस की किसी भी दिन दो सिटिंग कभी भी बर्दाशत नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि आपोजीशन यह बात बर्दाशत नहीं करेगी।

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था और मैं हाऊस में इस बात को दोबारा ज़ोरदार श्ब्दों में दोहराना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, यह सरकार इस सदन की पार्लियामैंटरी रिवायात को पूरी तरह बरकरार रखना चाहती है। यह सरकार इस सूबे के अन्दर डैमोक्रेसी को मजबूत करना चाहती है। बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी में जो रिपोर्ट तैयार की गई वह यूनैनिमसली तैयार की गई। यह भी रिवायत है कि बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट पहली फुरसत में हाऊस में पेश होनी चाहिए। इस लिए यह रिपोर्ट आज पेश की गई है। मैं आशा रखता हूं कि हाउस सारी पार्लियामैंटरी रिवायतों को मद्देनजर रखते हुए और डैमोक्रेसी को मज़बूत बनाने के लिए इस रिपोर्ट को मंज़ूर करेगा।

स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा इस हाउस को बताना चाहता हूं कि यह सरकार असैम्बली के इजलास को फेस करने से किसी तरह से कतराती नहीं है। (तालियां) (प्रशंसा) अगर हाउस चाहे तो हम असैम्बली का इजलास मई या जून तक ले जाने के लिए तैयार हैं। हम हाउस में हर एक चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हैं। (तालियां) इस प्रोग्राम को तबदील करने के दो कारण हैं। पहली चीज़, आज का दिन स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों को श्रद्धांजलि देने के लिए निश्चित किया गया है। सरदार प्रताप सिंह कैरों की अचानक ही हत्या कर दी। इस लिए प्रोग्राम में चेंज करनी पड़ी है। दूसरी बात यह है कि शिवरात्री के लिए छुट्टी की है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य इस के लिए खुद अखबारों में और अन्य स्थान पर छुट्टी देने की आवाज उठाते हैं। उस के मुताबिक हाउस को एडजर्न करने का

फैसला बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में किया गया है। दो दिन ही दो सिटिंगज का सम्बन्ध है। स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार किसी बात को हाउस में फेस करने से हिचकिचाती नहीं है और हर एक चीज को फेस करने के लिए तैयार है। पंजाब में डैमोक्रेसी को मजबूत करना चाहती है। (तालियां) हम ऐसी चीज करना चाहते हैं जिस से राष्ट्र की जड़े मजबूत हों और सारी पार्लियामेंट्री रिवायात को बरकरार रखना चाहते हैं। मैं आशा रखता हूं कि हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को यूनेनीमसली मंजूर करेगा।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ऐ प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मामला तो बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट का है लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिब राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए बातें करने लग पड़े हैं। क्या यह बहस के साथ सम्बन्ध रखती है ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਾਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਟਿੰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मुझे बहुत अफसोस है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने हाउस में गलत आर्गूमेंटस दी हैं। यह कहा गया है कि रिपोर्ट में हाउस को शिवरात्री के कारण एडजर्न करने की सिफारिश की गई है। उस के लिए तो सरकार ने शनिवार ले लिया है। इस लिए उन की यह आर्गूमेंट किस तरह से फिट बैठती है ?

श्री अध्यक्ष : जब भी बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस में पेश हो तो क्वैस्चन यह है कि उस पर कम से कम डिसकशन या डिसकशन नहीं होनी चाहिए।

(**कुछ आवाजें** : ऐसा कोई कानून नहीं है।)

रूलज आफ प्रोसीजर ऐंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 37 के मुताबिक बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर आधा घंटा बहस हो सकती है। उस रिपोर्ट पर एक माननीय सदस्य पांच मिनट बोल सकता है। इस कमेटी में तमाम ग्रुपस के नुमायंदे

[श्री अध्यक्ष]
शामिल होते हैं। इस लिए ख्याल यह किया जाता है कि इस रिपोर्ट पर कम से कम डिस्कशन या डिस्कशन नहीं होनी चाहिए।

(The convention is that discussion on the report of the Business Advisory Committee is limited or it is not discussed when it is presented in the House

The report of the Business Advisory Committee can however be discussed for half an hour under Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Bussiness of the Assembly. An hon. Member can speak for 5 minutes on that report. I may point out that representatives from all groups in the House are included in this Committee. So it is felt that either the minimum possible discussion should take place on the report or there should be no discussion on it at all.)

चौधरी देवी लाल : आन ऐ प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मैं भी बिजनैस एडवाइज़री कमेटी का मेम्बर हूं। इस नाते से मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं भी अपने विचार हाउस में रखूं और हाउस को जो गलत फहमी हो गई है उस को दूर करने की कोशिश करूं। कमेटी में हमें मुश्किलें आईं, उन को मद्देनजर रखते हुए हम नें ठीक फैसला किया है। हमारे सामने शनिवार का सवाल आया था और उस के साथ यह भी बात सामने आई थी कि रशियन डैलीगेशन हाउस की प्रोसीडिंगज को वाच करना चाहता है। इस लिए मुनासिब समझा कि शनिवार को सेशन किया जाए। दूसरे फिनांस मिनिस्टर साहिब का भी मैसेज आया था। शिवरात्री की भी छुट्टी होनी चाहिए। हम ने यही मुनासिब समझा कि दो दिन की छुट्टी होनी चाहिए। यह फैसला बहुत सोच समझकर किया गया था। अगर हमारे किसी भी दोस्त को कोई गलतफहमी हो गई है तो हम उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेंगे और उसे डिटेलज में एक्सप्लेन भी कर देंगे। टाइम तो बहुत कम है और पांच मिनट में सब कुछ बताया नहीं जा सकता है इस लिए हम अपने साथियों को बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। हम ने सारे हालात को देख कर ही यह रिपोर्ट तैयार की है और मैं चाहता हूं कि हाउस इस रिपोर्ट को मंजूर करे।

कामरेड राम प्यारा: आन ऐ प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, हमें हाउस के प्रोग्राम को चेंज करने में कोई इतराज नहीं है। हम ने पहले ही हाउस के प्रोग्राम को सामने रखते हुए कोर्टस की डेटस फिक्स कराई हैं ताकि हम हाउस की बहस में हिस्सा ले सकें। कोर्टस नें तो अपनी मर्ज़ी से चलना है और उन्होंने हाउस के बदले हुए प्रोग्राम को कंसिडर नहीं करना होता है। मैं ने इसी लिए अपनी पेशियां शनिवार को रखवाई हुई हैं। मैं चाहता हूं कि हाउस की कार्यवाही शनिवार को न रखी जाए ताकि हम अपना केस कोर्टस में प्लीड कर सकें।

Mr. Speaker : Your personal difficulties will be removed.

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, हमारी भी पर्सनल डिफीकल्टीज़ हैं। उन का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। हम भी अपने केसिज़ की डेट्स कोर्टस में शनिवार को फिक्स करवाई हुई हैं ताकि वहां पर जाकर अपने केसिज़ को प्लीड कर सकें। मैं चाहता हूं कि हाउस की सिटिंग शनिवार को न की जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Report of the Business Advisory Committee.

(*After ascertaining the votes of the Members present by voices, Mr. Speaker gave an opinion. The opinion was challenged. The bells were sounded. The Question was put again and carried by a voice vote.*)

The motion was declared carried.

(GOVERNOR'S ADDRESS
(*Copy laid on the Table of the House*)

Mr. Speaker : In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have to report that the Governor had addressed Members of both the Houses of the State Legislature assembled together on the 22nd February, 1965, under Article 176 (1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

दोस्तो,

अपना ओहदा संभालने के बाद इस राज्य के विधान मण्डल के सामने भाषण देने का यह मेरा पहला मौका है। विधानमण्डल के दोनों सदनों के एक साथ इकट्ठा होने के इस मौके पर मैं आप सब को और खासकर उनको जो पिछले ज़िमनी चुनावों में कामयाब होकर आए हैं, मुबारिकबाद देता हूं। मैं यह चाहता हूं कि आपकी कार्रवाई हर तरह से सफल रहे।

आपको मालूम है कि पिछले साल मई में हिन्दुस्तान किस बड़ी मुसीबत से दो चार हो चुका है। आज पंडित जवाहर लाल जी इस दुनिया में नहीं हैं, जिस के सुख और चैन की तलाश में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी। उन का इस दुनियां से उस वक्त उठ जाना, जिस वक्त उन की हम को बड़ी जरूरत थी हमारी बहुत बड़ी महरूमी है। उनकी ज़ात से हमारा नाम दुनियां में ऊंचा हुआ और रोशन हुआ और उन का नामेनामी दुनिया अपनी तारीख़ में हमेशा सुनहरी लफज़ों में महफूज़ रखेगी।

2. राज्य में सरकारी सरगर्मियों और आगे अपनाई जाने वाली नीतियों का ज़िक्र करने से पहले, मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य के पिछले मुख्य मन्त्री, सरदार प्रताप सिंह कैरों और उनकी कार में तीन साथियों के हाल ही के अफ़सोसनाक कतल पर मुझे और मेरी सरकार को गहरा सदमा तथा दुःख हुआ है। सरदार प्रताप सिंह कैरों ने देश और इस राज्य की कई सालों तक जो सेवा की, उससे हम सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।

हमें इस वहशियाना कतल से गहरा दुःख हुआ है। मेरी सरकार और मैं इस खौफ़नाक जुर्म करने वाले कमीने अपराधियों को पकड़ने और सजा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे ।

देश की रक्षा

3. जैसा कि आप सब जानते हैं कि चीन की तरफ से गंभीर खतरा अभी तक बना हुआ है, इसलिए हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार रहना है और हम अपनी कोशिशों में किसी प्रकार की ढील नहीं कर सकते और न ही ऐसी ढील करनी चाहिए। हमारे राज्य के लोगों का हौसला बुलन्द है और मुझे यकीन है कि किसी भी हर जरूरी कुर्बानी के लिए यह काबिलेतारीफ़ हौसला ऐसा ही कायम रहेगा जैसा कि अब है। अपने देश की रक्षा के इस पवित्र काम के रास्ते में हम कभी भी कोई रुकावट नहीं आने देंगे। इसलिए, जैसा आप जानते ही हैं कि सरकार को कुछ देर पहले उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी जिन्होंने ऐसी ताकतों के साथ गठजोड़ कर लिया था जो हमारे देश की अखंडता, हमारे लोगों की एकता और उनके हौसले पस्त करने की कोशिश में थे। इस के साथ ही हमें अपने फ़ौजियों की कुर्बानियों का पूरा पूरा एहसास रहा है और हम उनकी और अपने साबका फौजियों की भलाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।

राजनीतिक पीड़ित या देश की आजादी की खातिर तकलीफ और नुकसान उठाने वाले लोग

4. आप सहमत होंगे कि इसी तरह उन राजनीतिक पीड़ितों की भलाई की तरफ भी हमें लगातार ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इसमें नुकसान उठाया। हमारी सरकार उन्हें इसके लिए पैसे की जरूरी इमदाद और उनके बच्चों को तालीमी सहूलियतें देती रही है और देती रहेगी।

एग्जेक्टिव से ज्युडीशियरी की अलहदगी

5. सरकार ने राज्य के शासन में ज्यूडीशियरी को एग्ज़ेक्टिव से अलग करने का निश्चय किया था। यह बड़ी तसल्ली और खुशी की बात है कि यह तारीखी काम २ अक्तूबर, 1964 को महात्मा गान्धी की सालगिरह के इतिहासिक दिन के मौके पर शुरू किया गया। इस तरह पंजाब ज्यूडीशियरी और एग्ज़ेक्टिव कार्रवाई अलहदगी एक्ट, 1964, के लागू होने से एक नया युग शुरू हुआ है। जाबता फ़ौजदारी के तहत सिर्फ़ पुलिस से सम्बन्ध रखने वाले काम--जैसे गैरकानूनी भीड़ों पर काबू पाना या नामी अपराधियों के खिलाफ़ रोकथाम के लिए कार्रवाई करना, अब एग्ज़ेक्टिव मजिस्ट्रेटों के पास रह गए हैं, जबकि ताजीरात-हिन्द और दूसरे कानूनों के तहत जुर्मों के सम्बन्ध में सारे ज्यूडीशियल (न्यायिक) मुकदमों का काम मुकम्मल तौर पर ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ही करेंगे। पंजाब का यह एक्ट दूसरे राज्यों के इसी तरह के एक्टों के मुकाबले में कई पहलुओं से बेहतर है, और मुझे यकीन है कि इससे राज्य में जमहूरी जीवन-ढंग को फलने-फूलने और इंसाफ को मज़बूत बनाने में भारी मदद मिलेगी। मेरी सरकार ने भारत के विधान की दफा पचास की हिदायत को अमली जामा पहनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ताकि किसी

डर और लिहाज और सीधे या ग़ैर-सीधे सरकारी रसूख या दबाव के शक के बग़ैर सिर्फ इंसान और इंसान के बीच ही नहीं, बल्कि सरकार और शहरियों के बीच भी, इंसाफ किया जा सके। आप यह मानेंगे कि कानून की हकूमत कायम करने और इंसाफ देने के बारे में जन-साधारण का इंसाफ में विश्वास मज़बूत बनाने के लिए यह एक बड़ा कदम है।

पंजाब शासन सुधार कमीशन

6. राज्य सरकार ने पंजाब शासन सुधार कमीशन मुकर्रर करके एक और अहम कदम उठाया है। यह कमीशन पंजाब की सरकारी एजेंसियों और महकमों के कामकाज के तरीकों और बन्दोबस्त की जांच-पड़ताल के बाद रिपोर्ट देगा और उस में ऐसी तबदीलियों की सिफारिश करेगा जिनसे काबलियत और किफ़ायत बढ़ेगी और सरकारी कामकाज को बेहतर ढंग से निपटाया जा सकेगा। इस कमीशन के मुकर्रर किए जाने से यह बात साफ़ ज़ाहिर हो जाती है कि मेरी सरकार लोगों की भलाइ के लिए काम काज में देरी को दूर करने, काबलियत को बढ़ाने और सरकारी प्रबन्धक ढांचे को तेज़ करने के लिए कितनी ख्वाहशमन्द है।

दास कमीशन रिपोर्ट

7. मैं दास कमीशन रिपोर्ट के नतीजे के तौर पर की गई कार्रवाई के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुख्य मन्त्री ने इसके बारे में पिछले 24 सितम्बर को विधान सभा में एक बयान दिया था। उसके बाद इस काम केलिए खास तौर पर लगाए गए अफ़सर श्री कृष्णास्वामी ने दास कमीशन रिपोर्ट से सम्बंधित मामलों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसकी सिफ़ारिशों के आधार पर कुछेक अफ़सरों को फ़र्द-जुर्म दी गई और कुछेक की जवाब-तलबी भी की गई। सरकार ने अफ़सरों के जवाबों पर विचार कर लिया है और आगे की जरूरी कार्रवाई की जा चुकी है। इनमें से कुछ मामले मुनासिब महकमाना जांच-पड़ताल केलिए एक आला आई. सी. एस. अफ़सर को सौंप दिए गए हैं, जिसे केन्द्रीय सरकार से लिया गया है। कुछ दूसरे मामलों में, सरकार की नाराज़गी की सूचना सम्बन्धित अफ़सरों को दे दी गई है। एक स्पैशल कमेटी भी बनाई गई है जो इस बात की पड़ताल करेगी कि जिन मामलों के बारे में दास कमीशन ने खिलाफ़ राय दी थी या जिनका दास कमीशन रिपोर्ट के नतीजों और विचारों के सम्बन्ध में श्री कृष्णास्वामी की बाद की जांच-पड़ताल के दौरान पता चला, वे कानून के मुताबिक कहां तक जायज़ और मुनासिब थे। जिन कर्मचारियों के जवाब तसल्लीबख्श पाए गए, उनके खिलाफ़ इलज़ाम छोड़ दिए गए हैं।

जैसा कि मुख्य मन्त्री ने इस सदन में 24 सितम्बर, 1964 को पहले एलान किया था कि सरकार, जहां जरूरी होगा, मुनासिब कार्रवाई करने में कोई झिझक नहीं करेगी। सरकार का इससे ज़यादा सख्त कार्रवाई करने या ऐसी कार्रवाई करने का कोई विचार नहीं, जिससे बदले की भावना ज़ाहिर हो।

चौकसी कमीशन

8. मेरी सरकार ने राज्य में लोक जीवन और शासन से भ्रष्टाचार को खत्म करने के आदर्श को सामने रखा हुआ है। इसलिये केन्द्र की सरकार की तरह ही यहां भी

एक चौकसी कमीशन कायम किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कमीशन के पूरी तरह काम शुरू करते ही हमारे शासन और लोक जीवन में इसकी पूरी सराहना की जायेगी।

डिप्टी कमीशनरों और पुलिस सुपरिन्टैंडेंटों की कानफेंस

9. मैं मुफ़ाद-आमा (लोक-हित) के कुछेक बहुत ही अहम मामलों का भी मुख्तसर तौर पर ज़िक्र करना चाहूंगा, जिनपर दिसम्बर, 1964 के पहले हफ़्ते में हुई डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस सुपरिन्टैंडेंटों की कानफ्रेंस में ख़ास तौर पर विचार किया गया था। मंत्रि-मण्डल के मन्त्री और सेक्रेटेरियट के सभी अहम अफ़सर इसमें शामिल हुए। इस कानफ्रेंस में की गई सिफ़ारिशों के आधार पर, ज़िलों में मौजूदा तालमेल कमेटियों को फिर से तरतीब देकर इन्हें 'लोक-सम्पर्क' और शिकायत कमेटियां' कहा जायगा। अब ये कमेटियां और ज्यादा नुमाइंदा हैसियत रखती हुई बड़े पैमाने पर काम करेंगी। राज्य के सदर मुकाम पर शिकायतों से सम्बन्ध रखने वाला एक डायरेक्टर मुकर्रर किया जाएगा और इसी तरह हर जिले के सदर मुकाम पर शिकायत-अफ़सर काम करेंगे। नए प्रबन्ध में लोगों की शिकायतें जल्दी से जल्दी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।

खेती-बाड़ी की पैदावार बढ़ाने के लिये ज़िला अफ़सरों को भी खास तौर पर ज़रूरी ड्यूटियां सौंपी गई हैं क्योंकि देश की भलाई को ध्यान में रखते हुए इस पर ज्यादा से ज्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए।

राज्यों के बीच सम्बन्ध

10. हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू व काश्मीर के पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे बहुत दोस्ती के सम्बन्ध रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी सरकार की इस तयशुदा नीति के साथ सहमत होंगे कि राज्यों के बीच सभी मसलों को आपसी बातचीत से हल किया जाए। इसी नीति के अनुसार हमने नारर्दन ज़ोनल कौंसिल (उत्तरी क्षेत्रीय परिषद) की आठवीं मीटिंग में हुए इस अहम फैसले को मान लिया कि राज्य की प्रबन्धक सेवाओं के कर्मचारियों को माल और पुलिस के महकमों के कामों और हिसाब-किताब रखने की ट्रेनिंग देने के लिए तीन ज़ोनल इदारे कायम किए जाएं। इसलिए जहां तक इस राज्य का सम्बन्ध है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, फिलौर में ऐसी ही एक सांझी संस्था क़ायम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हमने पड़ोसी राज्यों के साथ जैसे अच्छे सम्बन्ध कायम किए हैं, वैसे ही हमने राज्य में खेती-बाड़ी, तिजारत और सनअत का काम करने वाले लोगों से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए भी कदम उठाए हैं। इसलिए जनवरी के पिछले महीने में व्यापारियों की एक खास कानफ्रैंस बुलाई गई ताकि बिक्री-टैक्स की चोरी की रोकथाम और व्यापारियों की आम तकलीफ़ों के दूर करने केलिए उपाय सोचे जा सकें। इस बारे में तालमेल बनाए रखने के लिए एक सांझी कमेटी बनाई गई। सरकारी सतह पर काश्तकारों की भी इसी तरह की एक कानफ्रैंस बुलाई गई।

खुराक और कीमतें

11. पिछले साल के दौरान हमारे राज्य को दो बड़े नाज़ुक मसलों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक था बढ़ती हुई क़ीमतों का और दूसरा बाढ़ों का। क़ीमतों की बढ़ती

तो भारत **भर में** हुई है, जिसको रोकने के लिए, फिर भी, मेरी सरकार ने इस राज्य में हर मुमकिन कोशिश की। हमने अपनी तंगी के बावजूद संकट वाले दूसरे राज्यों की मदद करना अपना फर्ज समझा। इसलिए भारत सरकार के कहने पर देश के बड़े लाभ के लिए हमारी सरकार कमी वाले दूसरे राज्यों को बीज के मक़सद के लिए 60,000 टन गेहूं भेजने के लिए मान गई। जब दिसम्बर, 1964 में हलात ऐसी थी कि राज्य लाभ के लिए चने, मक्की, जवार और बाजरे की बरामद बन्द करना जरूरी थी तो इन अनाजों के बाहिर भेजने पर फौरन पाबन्दी लगा दी गई।

अब सस्ते अनाज की लगभग 6,000 दुकानें राज्य के देहाती और शहरी इलाक़ों में गेहूं का आटा बेच रही हैं। जहां कहीं भी ऐसी और दुकानों की ज़रूरत है, वहां इन्हें खोला जा रहा है। सस्ते अनाज की ये दुकानें ग़रीब तबके की मदद करने के साथ-साथ कीमतों को बढ़ने से भी रोकती हैं। बड़े बड़े शहरों में कंज़्यूमर कोआपरेटिव (उपभोक्ता सहकारी) स्टोर खोले गए हैं और इन स्टोरों की 153 परचून दुकानें भी चल रही हैं। आम ज़रूरत की चीज़ों और सूती कपड़े की बिक्री के लिए भी सस्ती दुकानें चालू की गई हैं। राज्य में 300 से ज़्यादा कर्मचारियों वाले बहुत से सनअती इदारों ने अपने कर्मचारियों के फ़ायदे के लिए सस्ते भाव वाली दुकानें खोली हैं। चण्डीगढ़, नंगल तथा शिमला में सस्ते भाव वाली सरकारी दुकानें आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं।

लोगों की खास इमदाद के लिए हमारी सरकार ने विदेशी गेहूं के लगातार आते रहने की पूरी कोशिश की। राज्य को सितम्बर, 64 में मिलने वाली विदेशी गेहूं की मिक़दार 6,000 टन से बढ़ा कर दिसम्बर, 1964 में 28,000 टन कर दी गई थी। और इस साल जनवरी में इसे बढ़ाकर 35,000 टन करवा दिया गया। उम्मीद है कि इस राज्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी गेहूं लगातार आती रहेगी। हमने लोगों को जायज़ कीमतों पर आटा मुहैय्या करने के लिए, देसी गेहूं के सरकारी स्टाक में से भी गेहूं दिया है।

इन सभी क़दमों से हमारे राज्य में कीमतों के गिरने में मदद मिली है। चावल तथा चीनी की सप्लाई की हालत अब तसल्लीबख्श है। दानेदार चीनी की सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश से खंडसारी मंगवाई गई, ताकि इसे लोगों और दुकानों को बांटा जा सके। हमारा आगे से के लिए 1.5 लाख टन गेहूं तथा 20,000 टन चावल का रिज़र्व स्टाक जमा करने का इरादा है, ताकि साल भर सप्लाई जारी रखी जा सके।

कर्मचारियों को सहूलियतें

12. आमतौर पर सभी कर्मचारियों पर और खास कर कम आमदनी वाले कर्मचारियों पर, महंगाई का भारी असर पड़ा है। आप इस बात को मानेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की काबलियत व ईमानदारी का आधार बहुत हद तक उनके हौसले पर होता है। इसलिए, सरकार के वास्ते यह बहुत ही चिन्ता का मामला था, और वह सरकारी कार्मचारियों को कुछ सहूलियतें देने के सवाल पर गौर कर रही थी। इस के नतीजे के तौर पर हमारे नपे-तुले साधनों के बावजूद भी उन्हें रियायतें दी गई हैं,

जिनपर लगभग 5 50 करोड़ रुपए का खर्च होगा। चौथे दर्जे के सभी कर्मचारियों की तंख्वाह बढ़ा दी गई है। अब सारे देश में, इस राज्य के मेहतर को दूसरे राज्यों के मेहतरों से ज्यादा तंख्वाह मिलती है। दूसरी सहूलियतों में महंगाई भत्ता बढ़ाना, महंगाई भत्ते को तंख्वाह में मिलाना, सफ़र भत्ता और रोज़ाना भत्ता बढ़ाना, 25,000 से ज्यादा आबदी वाले शहरों में, सभी दर्जों के उन सरकारी कर्मचारियों को मकान-किराया-भत्ता देना शामिल है जिनके पास सरकारी मकान नहीं है। इसके साथ साथ परिवार-पेंशन-स्कीम के तहत और सहूलियतें दी गई हैं। भारत सरकार में दी गई रियायत की ही तरह, अगर सरकारी कर्मचारी की कम से कम पांच साल लगातार नौकरी करने के बाद, मौत हो जाय तो उसके परिवार को हर महीने कम से कम 25 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए पेंशन दी जाएगी। पांच सौ रुपए तक माहवार तंख्वाह लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को वाजिब दामों पर गेहूं की खरीद में मदद देने के लिए ब्याज के बगैर कर्ज़े दिए जाएंगे। इस कर्ज़े की ज्यादा से ज्यादा रक़म 200 रुपए होगी और इसे आसानी से वापिस की जा सकने वाली क़िस्तों में वसूल किया जाएगा।

आपसी सलाह मशवरे केलिए प्रबन्धक ढांचा

13. यह एक बड़ी ग़ैर-मुनासिब बात है कि सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आन्दोलन के ढंग अपनाएं। इसलिए राज्य सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है कि सरकार और इसके कर्मचारियों के बीच मालिक और मुलाज़िम के तौर पर आपसी सलाह-मशवरे के लिए ठीक ढंग का प्रबन्धक ढांचा कायम किया जाए।

खेती-बाड़ी की पैदावार

14. खेती-बाड़ी की पैदावार बढ़ाना ही कीमतों को बढ़ने से रोकने केलिए एक कारगर तरीका है। इसलिए, खेती-बाड़ी की तरक्की की तरफ मेरी सरकार खास तौर पर ध्यान दे रही है। चालू साल के दौरान खेती-बाड़ी में काफ़ी तरक्की हुई है। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल ही में कीड़ेमार दवाइयां, पोटास-खाद और गेहूं गाहने की मशीनों की बिक्री पर रियायतें दी हैं। सरकार ने बढ़िया किस्म के बीज खरीदने के लिए थोड़ी मियाद वाले कर्ज़े देने का प्रबन्ध किया है। पिछले साल बांटे गये बीजों के मुकाबले में इस साल तीन गुना अधिक बीज बांटे गए। इस साल खाद, बढ़िया औज़ार, पौधों के बचाव के सामान, और कीड़ेमार दवाइयां मुहैय्या करने के प्रोग्राम को भी काफी बढ़ावा दिया गया। डीज़ल इंजनों से चलाए जाने वाले ट्यूबवैल और पम्पिंग-सेट लगाने केलिए भी मदद दी जा रही है। खेती-बाड़ी के कामों केलिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्यूब-वैलों और पम्पिंग-सैटों की बिजली पर ड्यूटी हटा दी गई। अब पहले से 80,000 एकड़ ज्यादा रक़बे में सिंचाई की जाने लगी है।

पिछले साल कपास, तिलहन और चावल के पैकेज-प्रोग्राम (सघन कार्यक्रम) शुरू किए गए थे। अब इन्हें राज्य के दूसरे मुनासिब इलाकों पर भी लागू कर दिया गया है। 58 ब्लाकों (खंडों) के अन्दर 10 लाख एकड़ के रक़बे में भी गेहूं का पैकेज-प्रोग्राम

शुरू कर दिया गया है। हमारी नीति यह है कि जहां तक हो सके, इन पैकेज-प्रोग्रामों को दूसरे इलाकों में भी शुरू किया जाए।

हमने फ़ैसला किया है कि भूमि विकास व बीज कार्पोरेशन क़ायम की जाए। इसका मक़सद उस बंजर ज़मीन को खेती के काबिल बनाना है, जिसमें खेती की जा सकती है। इसका मक़सद यह भी है कि बीज-फ़ार्म खोले जाएं। यह भी विचार है कि ज़रायती-सनअत-कार्पोरेशन क़ायम की जाए जिस से किसानों को खेती-बाड़ी के औज़ार मिलते रहें।

विकास, पंचायत, खेती-बाड़ी और सहकारिता के महकमों में ज्यादा सम्पर्क और ताल-मेल पैदा करने के लिए अब ज़रायती पैदावार व देहाती विकास कमिश्नर को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वह ज़रायती पैदावार को बढ़ाने के लिए राज्य के प्रबन्धक ढाचे का चार्ज संभाले और काम की रफ्तार तेज़ करे। काफी सोच-विचार के बाद यह फैसला किया गया है कि हर ज़िले के लिए, फिर ज़िले के हरेक ब्लाक के लिए, फिर ब्लाक के हरेक ग्रामसेवक के सर्कल के लिए और अन्त में हरेक ग्राम सेवक के हल्के मे नॉन पैकेज-ब्लाक वाले इलाकों के कम से कम ५० किसान परिवारों और पैकेज-ब्लाक वाले इलाके के 80 परिवारों के लिए फ़सलवार योजनाएं तैयार की जाएं इसका मक़सद यह है कि किसानों को अपनी-अपनी ज़मीनों के बारे में फ़सल की योजना बनाने के लाभ का एहसास कराया जाए। मुझे आशा है कि इस तरह के उठाए गए कदमों और बीज, खाद और कीड़ेमार दवाई वग़ैरा के ज्यादा इस्तेमाल से खेती-बाड़ी की पैदावार का निशाना पूरा हो जाएगा।

राज्य में ज़रूरी अनाजों की पैदावार की लागत का तफ़सीलवार अंदाजा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के सदर श्री उज्जलसिंह हैं। यह कमेटी ऐसी पालिसी भी तय करेगी जिससे काश्तकारों को वाजिब कीमतें मिलती रहें। मुझे उम्मीद है कि इस कमेटी की सिफ़ारिशें बहुत जल्द मिल जाएंगी और इस से हम सब को काफ़ी मदद मिलने की आशा है।

बाग़बानी

15. बाग़बानी और सब्ज़ियां उगाने को, माली मदद और तकनीकी रहनुमाई से बढ़ावा दिया जा रहा है। बाग़बानी की तरक्की के प्रोग्राम की पहाड़ी इलाकों में खास अहमियत है, क्योंकि इस इलाके में फलों की काफी पैदावार हो सकती है। इस तरफ हम खास ध्यान दे रहे हैं। इसलिए फलों की पैदावार उगाने का काम नई घाटियों में भी शुरू किया जा रहा है।

ज़मीन को बर्बाद होने से बचाना

16. ज़मीन को बर्बाद होने से बचाना एक और अहम काम है जिसे हमारी सरकार ने शुरू कर रखा है। 1963-64 के दौरान 20,000 एकड़ ज़मीन को बर्बाद होने से बचाया गया था। उम्मीद की जाती है कि चालू साल मे 40,000 एकड़ ज़मीन को बर्बाद होने से बचाया जाएगा।

पशु-पालन

17. पशु-धन की तरक्की के लिए, ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के वास्ते और गऊशालाओं को दूध केन्द्रों और नसल-सुधार केन्द्रों में बदलने के लिए खास इमदाद के तौर पर रकमें दी जा रही हैं। हिसार के मवेशी-फर्म को बहुमुखी पशु-पालन व जरायती फार्म बनाने का विचार है, जहां इस दोहरे मतलब वाले हरियाणा।थरपारकर सांडों की नसल तैयार करने के इलावा अनाज और चारे के बढ़िया किस्म के बीज भी पैदा किए जाएंगे। राज्य में पशुओं, सूअरों और भेड़ों के विकास के लिए, खास विकास प्रोग्राम के तहत कई स्कीमों पर विचार किया जा रहा है, जो "क्रैश" प्रोग्राम के तौर पर मशहूर हैं। जिला अमृतसर, रोहतक और लुधियाना के इलाकों के पशुओं की तरक्की पर जोर देने के लिए तीन विकास ब्लाक कायम किए जाने हैं।

जंगलात

18. जंगलात के महकमे ने पहाड़ी और रेतीले इलाकों में जंगलों के विकास और ज़मीन को बर्बादी से बचाने के लिए अपना काम जारी रखा। इसके इलावा यह महकमा, सड़कों, नहरों और रेलवे पटरियों के साथ साथ 2,000 मीलों में दरख्त लगाएगा। यह महकमा 162 मीलों में ऐसे दरख्त भी लगाएगा जो बाढ़ रोकने का काम देंगे। तेजी से बढ़ने वाले दरख्तों, खासकर सफेदे और पोपलर के दरख्त लगाने पर ज़ोर दिया जाएगा इसके इलावा जिन इलाकों से भाखड़ा और पौंग बांध में पानी बहकर आता है, उनमें ज़मीन को बर्बाद होने से बचाने के लिए जोरदार कोशिश की जा रही है।

पहाड़ी इलाकों का विकास

19. हमारी सरकार ने पहाड़ी इलाकों की तरक्की की तरफ खास ध्यान दिया और जरायती पैदावार, बढ़िया बाग़बानी, सड़कें बनाने, पशुओं की नसल सुधारने और जंगलात के आधार पर चलने वाली सनअतों कायम करने के प्रोग्राम शुरू किए। मशीनों से लकड़ी काटने का काम कुल्लू के जंगलों में पहली बार शुरू किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटी जा सके और इस से सनअतो को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। हम अख़बारी काग़ज़ का कारखाना भी लगाना चाहते हैं। दो हज़ार एकड़ ज़मीन पर हर मौसम में फल देने वाले पौधे लगाए गए हैं। ज़िला कांगड़ा में उठान-सिंचाई की तरफ खास ध्यान दिया गया है। इसके नतीजे के तौर पर भड़ोली और नादौन में उठान-सिंचाई योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और ऐसी ही पांच योजनाएं चलाई जा रही हैं।

लाहौल और स्पिती की तरक्की

20. योजना के निशानो के अनुसार, लाहौल और स्पिती के सरहद्दी इलाको की तरक्की का प्रोग्राम विधिपूर्वक मुकम्मल किया जा चुका है। इन इलाकों में सड़कें और एक गांव से दूसरे गांव तक जाने वाले रास्ते बनाकर और नालों पर पुर बांधकर पहुंचने की कठिनाई बहुत हद तक दूर हो गई है और आने-जाने के साधनों में भी सुधार हुआ है। इस तरह इन दूर-दराज़ के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन पंजाब के बाकी इलाकों के लोगों के जीवन के साथ पूरी तरह घुल-मिल गया है जिसके नतीजे के तौर पर तरक्की की रफ्तार तेज हो गई है।

हरियाणा की तरक्की

21. जहां तक हरियाणा के इलाके का सम्बन्ध है, मेरी सरकार का एक स्पैशल कमेटी बनाने का इरादा है जो इस इलाके की जल्दी से जल्दी हर पहलू से समूची तरक्की केलिए सुझाव देगी।

सिंचाई और बिजली

22. पिछले साल के दौरान हमारी सरकार ने सिंचाई के साधनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की तरफ खास ध्यान दिया है। आरज़ी रजबाहों को ज्यादा लम्बे अर्से केलिए चालू रहने दिया गया, जिससे चावल की फ़सल को काफ़ी लाभ पहुंचा। मेरी सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो इस बात का सुझाव देगी कि हमारी फ़सलों की क़िस्म को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के साधनों का किस तरह बेहतर इस्तेमाल किया जाए। पश्चिमी-जमना-नहर और गुड़गांव नहर बनाने के काम में भी कुछ तरक्की हुई है। बरवाला शाखा के बनाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। इन प्रॉजेक्टों के तहत आने वाले इलाकों को बहुत लाभ पहुंचेगा। हम देहाती इलाक़ों में ट्यूब-वैलों और पम्पिंग सैटों को बिजली देने की ज़रूरत को पूरी तरह से महसूस करते हैं ताकि ज़रायती पैदावार बढ़ाने के प्रोग्राम को कामयाब बनाया जा सके। चूंकि बदकिस्मती से कनैक्शन देने में देरी होने के कारण जितनी सिंचाई हो सकती थी, उतनी नहीं हो रही, इसलिए मुश्किलों के बावजूद इस साल के दौरान 5,000 से ज्यादा ट्यूब-वैलों को बिजली दी जाएगी। इन ट्यूब-वैलों और पम्पिंग सैटों में खपत होने वाली बिजली पर से ड्यूटी हटा दी गई है और सरकारी ट्यूब-वैलों से सींचे जाने वाले इलाकों से सिंचाई का खर्च आबियाने के मुताबिक लिया जा रहा है। देहातों को बिजली देने की योजनाओं को और जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

बहुत से इलाकों में आने वाली बाढ़ों और सेम की रोक-थाम केलिये ज़ोरदार कोशिशें जारी रखी गईं। चालू साल के आखिर तक इस मद्द पर 29 करोड़ रुपए खर्च होने का अन्दाजा है जबकि पहले-पहल तीसरी योजना में इस केलिए 15 करोड़ रुपए रखे गए थे। अगर हमें अपने राज्य और इसके ज़रायती साधनों को क़ायम रखना है तो पंजाब में सेम की रोक-थाम बहुत ज़रूरी है। इस केलिए हमें केन्द्रीय सरकार से पूरी मदद मांगनी पड़ी है और आशा है कि हमें यह सहायता ज़रूर मिल जायेगी।

हमारे इंजीनियरों ने प्रोग्राम के मुताबिक राजस्थान नहर की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया है और पहली जुलाई, 1964 से नहर चालू हो गई है। कौमी तरक्की के काम में यह नहर हमेशा राज्यों के आपसी सहयोग की एक जिन्दा मिसाल बनी रहेगी। भाखड़ा के बड़े बांध के मुकम्मल होने से 63 लाख एकड़ फुट पानी जमा किया जा सकेगा, और 31 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो सकेगी और सस्ती पन-बिजली पैदा की जा सकेगी। इसके बाद अब सरकार ब्यास दरिया के पानी को इस्तेमाल करने केलिए ज़ोरदार कोशिश कर रही है। पौंग के मुकाम पर 380 फुट ऊंचे बांध पर जल-भंडार बनाया जाएगा जिससे बारहमासी नहरों में 30,000 घन फुट फ़ी सेकेंड पानी

छोड़ा जा सकेगा। इससे 55 लाख एकड़ ज़मीन ज़रखेज़ हो जाएगी जिस में ज़रूरी अनाज की और दूसरी तिजारती फ़सलों की पैदावार की जा सकेगी। हमारी यह ख्वाहिश है और हमें पूरा यकीन है कि हमारी यह कड़ी मेहनत और कुरबानी जल्द ही फल लाएगी।

बाढ़ और अकाल के सम्बन्ध में सहायता

23. इस राज्य में बाढ़ें लगभग हर साल आती हैं और बदकिस्मती से हर साल इन से फसलों और मकानों को बहुत नुकसान होता है। पिछले साल की बाढ़ें आम सालों की बाढों के मुकाबले में वक्त से पहले ही जुलाई और अगस्त के महीनों में आ गई। इन से कुल मिल कर 15 जिलों को बहुत नुकसान पहुंचा। रोहतक, गुड़गांव, संगरूर, फिरोजपुर, हिसार, करनाल और अमृतसर के जिलों में तो बहुत ही ज्यादा तबाही हुई। जिला रोहतक में पहले भी लगातार कई सालों से बाढ़ें आती रही हैं, और इस बार भी इस ज़िले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। शायद आप को याद होगा कि पहले अकाल सहायता कोड के मुताबिक लोगों को बड़ी मामूली सहायता मिल पाती थी। अब वक्त और जरूरतें बदल गई हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेंदारियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने हर जगह बाढ़-पीड़ितों की फ़ौरी और पूरी मदद की। बाढ़ से नुकसान उठाने वाले इलाकों में खुराक, मकान, चारा और जिन्दगी की दूसरी जरूरतों का प्रबंध करने के लिए 1,31,49,300 रुपए मंजूर किए गए, जिस में डाकटरी इलाज और पशुओं के इलाज के लिए सहायता भी शामिल है। इन इलाकों में तकावी कर्ज़ों के लिए 95,60,000 रूपए मंजूर किए गए। इस के इलावा मदद के तौर पर मालिये और आबियाने में माफ़ी दी गई। सरकारी रकमों की वसूली को मुलतवी कर दिया गया और बिजली खर्चों की माफी भी दी गई। गांव की आबादियों से पानी निकालने के लिए लिए पम्पिंग सैट दिए गए और बाढ़ से घिरे गांवों को किश्तियां मुफ़त सप्लाई की गईं। ऐसे गावों में खुराक और डाकटरी मदद का प्रबंध करने के लिए गुड़गांव और रोहतक जिलों में बड़े कैम्प कायम किए गए। बाढ़-पीड़ित इलाकों के जरूरतमन्द गांवों में पीने का पानी मुहैयया करने के लिये नलके लगाए गए। इन इलाकों में 'केअर' (पंजाब) ने दस लाख पौंड खुराक (कार्नमील) और तीन लाख पौंड दूध पाउडर मुफ़त बांटने के लिए मुहैय्या किया। बाढ़-सहायता की शकल में लिंक-नालियों के निर्माण के लिए 75 लाख रुपए की रकम रखी गई। बाढ़-पीड़ित इलाकों में मकान बनाने के लिए कर्जों की शकल में एक करोड़ रूपए की रकम रखी गई। रोहतक और गुड़गांव जिलों के बाद की बाढ़ों से बचाने के लिए कुछ अहम फैसले किए गए हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों ने आपस में फैसला किया है कि दोनों राज्यों में उजीना नाले के बहाव को जरूरत के मुताबिक ठीक कर लेने पर राजस्थान सरकार उस नाले में से पहले फ़ैसला किए गए 299 घन-फुट फ़ी सेकंड पानी की बजाए 600 घन फुट फ़ी सेकंड पानी के निकास की इजाजत देगी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में नाले बनाने का काम अब और तेज़ कर दिया जाएगा। नजफ़गढ़ नाले में पानी के निकास को 900 घन-फुट फ़ी सेकंड से बढाकर 3,000 घन फुट फ़ी सेकंड कर दिया जाएगा। पहले धासा बांध से 450 घन फुट पानी फ़ी

सेकंड छोड़ा जा सकता था, अब फी सेकंड 3,000 घन फुट तक पानी छोड़े जा सकने के लिए काम शुरू कर दिया गया है।

बाढ़ों से इस तबाही के इलावा, बारिश की कमी के कारण इस साल के शुरू में हिसार, गुडगांव, रोहतक और महेंद्रगढ़ के जिलों में सूखा पड़ने की हालत पैदा हो गई। सूखे से नुकसान उठाने वाले लोगों को मदद पहुंचाने के लिए 37,06,000 रुपए की रकम मंजूर की गई।

अगरचे सरकार ऐसे संकटों से हुए हर एक नागरिक के सारे नुकसान को तो पूरा नहीं कर सकती, फिर भी राज्य सरकार से जो कुछ भी बन पड़ा, इस ने अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए पूरी लगन के साथ किया। भारत सरकार के प्रधान मंत्री, केन्द्रीय ख़जाना मंत्री, केन्द्रीय खुराक और खेती मन्त्री, केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री ने इस राज्य में बाढ़ों और सेम से पैदा होने वाली हालत का जायजा लेने के लिए हमारे राज्य का दौरा किया। मेरी सरकार इस दिलचस्पी और हमदर्दी के लिए उनकी शुक्रगुज़ार है और उन से इस बारे में ठोस मदद हासिल करने की उम्मीद रखती है।

24. यह काफी तसल्ली की बात है कि जायज रक़बे की तशखीस का काम, जो कि हमारे ज़मीन-सुधार-प्रोग्राम का एक अहम क़दम है, सारे राज्य में लगभग पूरा हो चुका है। ज़ायद करार दिए गए रक़बे में से 1,33,284 स्टैण्डर्ड एकड़ रक़बा 70,414 योग्य मुज़ारों को अलाट किया गया है और 64,284 स्टैण्डर्ड एकड़ रक़बा उन आदमियों ने खरीद लिया जिन के पास ज़मीन बिल्कुल नहीं थी या बहुत थोड़ी थी। इस के इलावा 20,229 मुजारों को 1,32,855 साधारण एकड़ ज़मीन की मलकियत के हक मिल गए। पूर्वी पंजाब ज़मीन इस्तेमाल एक्ट, 1949 के मुताबिक 1,16,917 एकड़ ज़मीन 8,123 हरिजनों, 1,511 ग़ैर-हरिजनों, 8 हरिजन कोआपरेटिव सोसाइटियों और 36 ग़ैर-हरिजन कोआपरेटिव सुसाइटियों को पट्टे पर दी गई। योजना के मुताबिक 1965-66 के आखिर तक चकबन्दी का काम पूरा हो जाएगा।

ज़ैलदारों और इनामदारों की प्रथा को, जिसपर अकसर एतराज किया जाता था, अब उसे और आनरेरी (अवैतनिक) सब-रजिस्ट्रारों की प्रथा को भी खत्म कर दिया गया है। सिर्फ ज़ैलदारों और इनामदारों की प्रथा खत्म करने से सरकारी खजाने को 5,35,400 रुपये की सालाना बचत हुई है। ज़ैलदारों की तरह, 'नेगी' की प्रथा भी सिर्फ कुल्लू जिले में थी। अब उसे भी खत्म कर दिया गया है।

योजनाबन्दी

25. हमें योजनाबन्दी की तरफ भी अब खास ध्यान देना है क्योंकि हमारे सारे विकास प्रोग्राम का आधार इसी पर ही है। ये प्रोग्राम हमारे आर्थिक ढांचे के लिये बहुत अहम हैं। इस लिये इन में लोगों की बुनियादी जरूरतों की तरफ खास ध्यान देना चाहिये। शुरू में 1964-65 की सालाना योजना के लिये 55.50 करोड़ रूपये की

रकम खर्च की जानी थी लेकिन इस साल के दौरान यह रक़म बढ़ाकर 61.29 करोड़ रूपये कर दी गई क्योंकि बाढ़ की रोकथाम, ज़रायती प्रोग्राम और डाक्टरी तालीम के लिये और ज्यादा धन जुटाना ज़रूरी हो गया था। 1961—64 तक के दौरान 119.24 करोड़ रुपये खर्च होने का अंदाज़ा था, लेकिन यह असली खर्च बढ़ कर 122.62 करोड़ रुपये हो गया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि ब्यास प्राजैक्ट पर धन जुटाने के तरीके में तरमीम कर दी गई और इसके नतीजे के तौर पर पंजाब की देनदारी बढ़ गई। जहां तक 1965-66 की सालान योजना का सम्बन्ध है, योजना कमिशन के मश्वरे से यह फ़ैसला किया गया था कि इस पर 60.11 करोड़ रुपये का खर्च किया जाये। इससे राज्य की तीसरी योजना पर कुल खर्च 231.39 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की जगह 244.02 करोड़ रुपये हो जायेगा और राज्य को अपने साधनों से 100 करोड़ रुपये की जगह 113.02 करोड़ रुपये देने होंगे। भारत सरकार ने भी चालू साल के दौरान खेती बाड़ी की तरक्की के खास प्रोग्रामों के लिये 1.36 करोड़ रुपये और ज्यादा इमदाद के तौर पर दिये हैं।

राज्य की चौथी योजना तैयार करने का काम जारी रखा गया। इस के लिये फ़िल-हाल 500 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जुटाये जाने वाले साधनों और केन्द्रीय सरकार की तरफ से मिलने वाली इमदाद का पूरा पता चलने पर, इस अनुमान में तरमीम कर ली जायेगी। राज्य की चौथी योजना के अहम मकसद ये होंगे कि ज़रायती पैदावार को तेज़ी से बढ़ाया जाये। सनअती विकास की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए राज्य के आर्थिक ढांचे का विस्तार किया जाये और लोगों की सामाजिक-आर्थिक हालत को बेहतर बनाया जाये। योजनाओं के प्रोग्रामों के सम्बन्ध में एक जांच यूनिट कायम किया गया है, जो इस बात का जायजा लेगा कि इनका लोगों के रहन-सहन, खप्त और रोज़गार पर क्या असर पड़ा है और विभिन्न वर्गों को कहां तक लाभ पहुंचा है। यह इस बात का भी जायजा लेगा कि इनसे आम लोगों की सामाजिक और आर्थिक हालत कहां तक सुधरी है। इससे राज्य सरकार को चौथी पंच-साला-योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। चौथी योजना की स्कीमों को अमल में लाने के लिये जो कार्रवाई पहले की जानी चाहिये, उसका ठीक तरह जायज़ा ले लिया गया है। इस मकसद केलिये 1965-66 में 1.15 करोड़ रुपये की और रक़म रखी जा रही है।

पुलिस

26. जहां तक देश में शान्ति बनाये रखने का सम्बन्ध है, राज्य में अमन-अमान कायम रहा और जुर्म की हालत अच्छी तरह से काबू में रही। यह बड़ी खुशी की बात है कि गुरूद्वारा तथा पंचायत समितियों के सभी चुनाव शान्ति से हुए। घिनौने जुर्म भी आगे से कम हुए हैं। यह बात इससे ज़ाहिर होती है कि साल 1964 के दौरान कतल की 536, डकैती की 2 और राहज़नी की 53 वारदातें हुई जबकि पिछले साल कतल की 539, डकैती की 5 और राहज़नी की 57 वारदातें हुई थीं। इसकी

औसत पिछले पांच सालों से तरतीबवार 545.2, 4.4 और 60 रही है । आम जनता का सहयोग हासिल करने और उनकी शिकायतों का जल्दी से जल्दी और तसल्लीबख्श ढंग से निपटारा करने के सम्बन्ध में पुलिस ने खास तौर पर जोर दिया। पुलिस में भ्रष्ट और नापसंद कर्मचारियों के खिलाफ मुहिम जारी रखी गई। इन बातो का नतीजा यह हुआ कि पुलिस अब पहले से लोक सेवा का और अच्छा साधन बन गई है । पुलिस के लिए यह एक बड़े फखर की बात है कि 1964 में टोकियो (जापान) में होने वाली ओलिम्पिक खेलों में हाकी के लिये भारत की तरफ से जो आदमी चुने गये, उनमें से छः आदमी पुलिस के थे। इस बार भारत की टीम ने हाकी के लिए सोने का तमगा जीतकर अपने खोए हुए वकार को फिर से बहाल कर दिया।

पंजाब की हथियारबन्द पुलिस हमेशा की तरह पंजाब-पाकिस्तान सरहद पर बड़ी चौकस रही । इसका नतीजा यह हुआ है कि सरहदी इलाक़ों में रहने वाले उन लोगों का हौसला बढ गया है, जो ऐन सरहद तक अपने खेतों में काश्त करते हैं।

ग़ैर-फ़ायदेमन्द खर्चों को खत्म करने और राज्य की कई स्कीमों में महकमों के अन्दर ही अदल-बदल करके बचत करने के विचार से पंजाब होम-गार्ड के ढांचे का जायज़ा लिया गया और यह फैसला किया गया कि होम-गार्ड के दूसरे यूनिट यानी मौजूदा ग्राम-रक्षा-दल को खत्म कर दिया जाये और होम-गार्ड का एक ही यूनिट रहने दिया जाये जाए इससे चालू माली साल के दौरान लगभग 22,75,430 रुपए की बचत हुई है।

ट्रांसपोर्ट परिवाहिन

27. ट्रांस्पोर्ट के हमारे प्रोग्राम के मुताबिक दिसम्बर, 1964 में 46 नई बसें खरीदी गईं और टूट फूट के कारण पहली बसों की जगह जनवरी, 1965 में 100 बसें और लाई गईं। इस तरह अब पंजाब रोडवेज़ की बसों की कुल तादाद 1,140 हो गई है। मुसाफिरों की सहूलियत के लिये नई किस्म के 11 छोटे बस-स्टाप बनाए गए हैं, जहां पर लाइन में खड़े होने वालों के लिए शेड होंगे। अमृतसर, करनाल और रोहतक में बसों के लिए तीन बड़े अड्डे बनाये जा रहे हैं, जहां ज़रूरी सहूलियतें मुहैय्या की जायेंगी। शिमला, नंगल, पठानकोट और मोगा में बस-स्टैन्ड बनाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। पंजाब रोडवेज़ की कार्य-प्रणाली को सुधारने के लिए पुरानी गाड़ियों की पूरी मुरम्मत की जा रही है, नाकारा गाड़ियों को बदला जा रहा है और नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इस मक़सद के लिए 200 से ज्यादा बसें या तो हासिल की जा चुकी हैं या हासिल की जा रही हैं।

सनअतें

28. सनअतों के सम्बन्ध में हमारे राज्य में सिर्फ दो केन्द्रीय प्राजैक्ट अलाट किये गए हैं। इन पर लगभग 30 करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी। तीन पांच साला योजनाओं के दौरान केन्द्रीय प्रोजैक्टों के लिये 2,130 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगनी थी। यह रकम इस पूंजी का 1.4 फी सदी है । चूंकि हमारा हिस्सा बिल्कुल ही थोड़ा है, इसलिए मेरी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि वह इस राज्य में बिजली की बड़ी मशीनरी बाल बेरिंग और भारी कम्प्रैसर और पम्पों के तीन प्राजैक्ट क़ायम करें ।

22 मिलों को 2,57,272 तकलियों के लिए अब तक लाइसैन्स जारी किये जा चुके हैं। इन में से पांच नई सूत कताई मिलें चालू कर दी गई हैं। चीनी के भी तीन सहकारी कारखानों में चालू साल के दौरान काम शुरू हो चुका है। फौलादी ट्यूबों के एक कारखाने के इलावा, एक ऑटोमोटिक (अपने आप चलने वाला) गियर प्लांट, शीशे का सामान बनाने का एक कारखाना, और फौलाद ढलाई के तीन कारखाने भी लगाये जा रहे हैं। पब्लिक सैक्टर में डली लोहे का प्राजैक्ट कायम करने के लिए एक मुफ़स्सिल और सिलसिलेवार प्रोग्राम बनाया गया है। इस पर कुल 4.5 करोड़ रूपये खर्च होंगे। प्राजैक्ट कायम करने के संबंध में शुरू का काम काफ़ी हद तक पुरा हो चुका है। एक मशहूर ब्रिटिश फर्म से मिलकर लैन्डरोवर गाड़ियां बनाने के वास्ते लाइसेंस लेने के लिए भी हमने लिखा हुआ है।

देहाती और घरेलू दस्तकारियों की तरक्की के लिए कई कारगर स्कीमें तैयार की गई हैं ताकि देहाती और पहाड़ी इलाके के लोगों को मुनासिब रोज़गार मिल सके। राज्य में हथ करघे वालों को सूती धागा सप्लाई करने के लिए उकलाना में कताई का एक सहकारी कारखाना लगाया जा रहा है। मरे हुए पशुओं का ठीक ढंग से इस्तेमाल करने के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रोग्राम बनाया गया है। मुर्गी-पालन को तरक्की देने के लिए पंजाब मुर्गी-पालन कार्पोरेशन क़ायम की गई है, जो पचास लाख रुपये तक खर्च कर सकेगी।

एक सनअती-विकास-कार्पोरेशन कायम करने का विचार है ताकि नये सनअती इदारों को इस बात की गारंटी मिल सके कि सरकार इनकी हिस्सा-पूंजी में शमूलियत करती रहेगी। कार्पोरेशन सरकारी प्राजैक्टों की देखभाल भी करेगी।

जहां तक माल को राज्य से बाहर भेजने का सम्बन्ध है, मेरी सरकार का इरादा है कि इसे बढ़ावा देने के लिए आला अख्तियारों वाला एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाए ताकि बरामद की ओर ज्यादा तरक्की के लिए नीतियां तय की जा सकें। अमृतसर, लुधियाना, जालन्धर, जगाधरी, बटाला, पानीपत और फरीदाबाद में बरामद करने वालों के लिए स्थानीय चैम्बर कायम किये जा रहे हैं। इन चैम्बरों से स्टेट बरामद चैम्बर बनाया जाएगा। जो भारत सरकार की तरफ से बनाये गए इण्डियन बरामद फैडरेशन के साथ संबद्ध होगा। हरी चाय की पैदावार की तरफ खास तौर से ध्यान दिया जायेगा ताकि उसे अफरीकी मुल्कों को भेजकर मुनाफा हासिल किया जा सके।

पिछले साल के दौरान मेरी सरकार ने कारखानादारों और सनअत से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे माहिरों की एक खास कानफ्रेंस बुलाई। इस कानफ्रेंस से सरकार और सनअती इदारों के बीच आपसी मेल-जोल और ताल-मेल पैदा करने में मदद मिली है।

सनअती ट्रेनिंग

29. सनअती ट्रेनिंग के महकमे ने सनअती ट्रेनिग इदारों में 6,608 ज्यादा सीटों का प्रबन्ध किया। इन्स्ट्रूमैन्ट टैक्नॉलोजी और इलैक्ट्रॉनिक टैक्नालोजी के दो नये कोर्स औरतों के सरकारी पॉलिटैक्निक, चण्डीगड़ में शुरू किये जायेंगे।

कोआपरेशन (सहकारिता)

30. कोऑप्रेटिव तहरीक की और ज्यादा तरक्की हुई है। इन सोसाइटियों के 3 लाख नये मैम्बर बने हैं। इस साल के दौरान एक और प्राइमरी लैण्ड मॉरगेज बैंक खोला गया। मेरी सरकार का ज़रायती पैदावार के कैश-प्रोग्राम के तहत देहाती कोआप्रेटिव गोदाम बनाने का इरादा है। कंज्यूमर स्टोरों (उप-भोक्ता स्टोरों) का ज़िक्र पहले भी किया जा चुका है। उनकी बहुत तेजी से तरक्की हुई है। अगले साल के दौरान ऐसे और कंज़्यूमर स्टोर खोलने पर विचार किया जा रहा है।

तालीम

31. मुफत और लाज़मी प्राइमरी तालीम की स्कीम को 1965-66 के दौरान भी अमल में लाया जायेगा। इस स्कीम के तहत 10,11 साल की उमर के बच्चे भी आ जायेंगे। यह बड़ी खुशी की बात है कि इस राज्य के विद्यार्थियों के अन्दर डिसिप्लिन की भावना किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है।

अध्यापकों और दफतरी अमले को मुस्तकिल करने के काम की तरफ खास ध्यान दिया गया और 40,000 हज़ार से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों को खाली आसामियों पर पक्का कर दिया गया। अध्यापकों की हालत को बेहतर बनाने और उन्हें ज्यादा सहूलियतें देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए। 540 बी० ए० बी० एड० अध्यापकों में से 528 अध्यापक, मास्टरों के ग्रेड के काबिल पाये गये और उन्हें यह ग्रेड दे दिया गया। ज्यादा से ज्यादा अध्यापिकाओं को अपने घरों के पास या उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जगहों पर तैनात किया गया। इससे वे अपने आप को ज्यादा महफूज़ समझने लगी हैं। खराब नतीजों की वजह से अध्यापिकों को सजा देने का जो फार्मूला 1962 में शुरू किया गया था, फिलहाल इस पर अमल करना रोक दिया गया है। सरकारी व गैर-सरकारी आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर की गई है, जो इसके बारे में किसी और मुनासिब तरीके का सुझाव देगी।

राज्य की तरफ से गैर-मामूली काबलियत वाले अध्यापकों को दिए जाने वाले इनामो की गिनती 5 से बढ़ा कर 20 कर दी गई है ताकि वे अपने फर्ज़ को निभाने में फखर महसूस कर सकें।

हमीरपुर, ज़िला कांगड़ा में अगले साल से एक सरकारी कालेज खोलने का विचार है, पर यह तभी खुल सकेगा, अगर अगले दो सालों के अन्दर कालेज की अपनी इमारत बनने तक आरजी जगह का प्रबंध हो जाये। ऐसे बच्चों के लिए भी चण्डीगढ़ में एक स्कूल खोला गया है, जिनका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता। पढ़ाई में होशियार ग़रीब विद्यार्थियों के दिये जाने वाले वज़ीफों की तादाद भी बढ़ा दी गई है।

हम दूसरे राज्यों की तरह सैकण्डरी तालीम का एक बोर्ड कायम करने पर भी विचार कर रहे हैं। एक आला अखितयारों वाली कमेटी मुकर्रर की गई है, जो ऐसे बोर्ड के बनाये जाने के लिए सभी ज़रूरी बातों की तफसील तैयार करेगी। इस तरह मेरी सरकार ने अलग अलग मरहलों पर, तालीम के तरीकों, कोर्सों और मियार को

सुधारने और अध्यापकों की हालत को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अध्यापकों की काबलियत और तालीम के मियार के बारे में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इन कमियों को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं।

तकनीकी तालीम

32. चालू साल के दौरान तकनीकी तालीम बढ़ाने और फैलाने की कोशिश जारी रही। पोस्ट-ग्रैजुएट पढ़ाई के सम्बन्ध में स्ट्रक्चरल इंजीनियरी, ऐटोडायनैमिक मशीन के दो नए कोर्स शुरू किए गए। चण्डीगढ़, लुधियाना और पटियाला में सिविल, मकैनिकल, और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी की पढ़ाई के पार्ट-टाइम डिप्लोमा कोर्स शुरू हो गये हैं। इससे इंजीनियरी इदारों और कारखानों के कम तन्खाह पाने वाले कर्मचारियों को अपनी तकनीकी काबलियत बढ़ाने का पहली बार मौका मिलेगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने पंजाब इंजीनियरी कालेज को चौथी पांच साला योजना में इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नालोजी बनाना मान लिया है। एक और बड़ी अहम बात यह है कि भारत की वाई०एम०सी०ए० की नेशनल कौंसिल ने फरीदाबाद में जर्मन माडल का एक इंजीनियरी इंस्टीट्यूट क़ायम करना मान लिया है।

यह महकमा हायर सैकण्डरी स्कूलों की मदद से, मौजूदा पालिटैक्निकों में ऐसे पायलट जूनियर टैक्निकल स्कूल खोलना चाहता है जिनके सिलेबस पहले के पॉलिटैक्निकों के सिलेबस से बेहतर होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस तजरुबे से हायर सैकण्डरी तालीम फायदेमन्द बन जाएगी और इन में तालीम पाकर निकलने वाले लोगों को रोज़गार मिल सकेगा, और इसके बाद वे कारखानों में और काम सीखने के योग्य हो जायेंगे। हमारी यह नीति है कि तकनीकी तालीम की सहूलियतों को इतना बढ़ाया जाए कि ज़रूरत पड़ने पर ऐसे तकनीकी सिखलाई वाले लोग काफी तादाद में मिल सकें।

डाक्टरी इलाज और सेहत

33. लोगों की भलाई का अदर्श सामने रखने वाली किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह लोगों को पीने के लिए साफ पानी मुहैय्या करे। इसलिए मेरी सरकार को इस बात का पूरा ध्यान है कि जहां तक हो सके पहाड़ी इलाकों में (खासकर ज़िला कांगड़ा) और इस राज्य के रेतीले इलाक़ों में जल्दी से जल्दी पीने के साफ़ पानी का प्रबन्ध किया जाए। इस संबंध में हरियाणा के लोगों की ज़रूरतों की तरफ भी खास ध्यान दिया जा रहा है।

इस राज्य में डाक्टरी इलाज और सेहत के बारे में सहलितें देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 1963-64 में डाक्टरी इलाज और सेहत के महकमे के लिए 572 लाख रुपये की रक़म रखी गयी थी। अब 1964-65 में यह रकम बढ़ाकर 616 लाख रूपये कर दी गई है। इस महकमे को नये सिरे से तरतीब देकर सेहत और डाक्टरी विंगों को ज़िला चीफ़ मैडिकल अफ़सरों के मातहत कर दिया गया है। चीफ़ मैडिकल अफ़सरों और डिप्टी चीफ़ मैडीकल अफसरों को दी गई प्राइवेट प्रैक्टिस करने की रियायत अब वापिस ले ली गई है ताकि वे डाक्टरी सहायता और सेहत के मामलों की तरह पूरी

तरह से ध्यान दे सकें। प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के बदले उन्हें खास भत्ता दे दिया गया है।

राज्य के पहाड़ी इलाकों के लिए 11 और आयुर्वैदिक दवाखाने भी मंजूर किये गए हैं। चार आयुर्वैदिक सर्कल हस्पताल भी खोले जा रहे हैं। अब औसतन हर पांच मुरब्बा मील के अन्दर डाक्टरी इलाज का एक सेंटर है।

बढ़ती हुई आबादी के मसले को सुलझाने के लिए फ़ैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की तरफ खास ध्यान दिया जायेगा। इस बारे में जो कुछ भी किया जाना है, उसके रास्ते में माली मुश्किलों के कारण कोई रुकावट नहीं आने दी जायेगी। इस साल एक स्टेट फ़ैमिली-प्लानिंग-अफ़सर मुकर्रर किया गया है। बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए चालू साल के दौरान 40,000 आदमियों के ऑपरेशन करने का एक 'क्रैश-प्रोग्राम' शुरू किया गया। इसके अलावा, फ़ैमिली-प्लानिंग के मुताबिक सेहत के बारे में जानकारी बढ़ाने का प्रोग्राम एक बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है।

इमारतें और सड़कें

34. सड़कें बनाने का काम जारी रहा। उम्मीद की जाती है कि राज्य में चालू साल के दौरान मौजूदा सड़कों के अलावा तकरीबन 325 मील लम्बी नई सड़कें बन जाएंगी। ग्रैंड ट्रंक रोड पर सतलुज और ब्यास नदियों और दिल्ली-हिसार-सुलेमान की सड़क पर लिसाड़ा नाले के लिए बनाए जाने वाले पुलों के काम में तसल्लीबख्श तरक्की हुई है। ये दोनों बड़े प्राजैक्ट हैं। सरकार ने राज्य के सूखा पड़ने और बाढ़ वाले इलाकों में रोज़गार मुहैय्या करने के लिए सड़क बनाने के खास प्रोग्राम को शुरू कर रखा है। पहाड़ी इलाकों की तरफ पहले ही खास ध्यान दिया जाता रहा है। इन इलाकों में साल 1965-66 के दौरान और सड़कें बनाइ जायेंगी जिनपर तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपये की रक़म खर्च होगी।

लोक निर्माण महकमा और खज़ानों के कलर्कों को ट्रेनिंग

35. पंजाब लोक निर्माण महकमे की शाखाओं के सब-डिवीजनल क्लर्कों और हिसाब-किताब रखने वाले क्लर्कों और खज़ाने में काम करने वाले क्लर्कों को ट्रेनिंग देने के लिए राज्य सरकार ने अप्रैल, 1964 में चण्डीगढ़ में एक एकाउन्ट्स-ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (लेखा प्रशिक्षण संस्थान) कायम किया। यह उत्तरी भारत में अपनी किस्म का पहला इन्स्टीट्यूट है और इसका प्रिंसिपल इण्डियन आडिट एकाउंट्स सर्विस से लिया गया है। इसने लोक-निर्माण महकमे और खज़ानों के 550 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दी है। भारत सरकार ने इस इन्स्टीट्यूट को राष्ट्र-मण्डल अफरीकी सहायता की एक खास योजना के तहत तनज़ानिया और यूगांडा (अफरीका) सरकार के कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक मुनासिब इदारा करार दिया है। इसके मुताबिक युगांडा के चार सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तनज़ानिया के 15 सरकारी कर्मचारी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।

राजधानी प्राजेक्ट

36. पिछले कुछ सालों की तरह चालू साल में भी राजधानी प्रॉजैक्टों को दिए जाने वाले धन में कमी कर दी गई। इसके नतीजे के तौर पर राजधानी की तरक्की की रफ़तार कुछ धीमी पड़ गई। फिर भी तामीर के जिस काम को हाथ में लिया गया था, उस पर इस का असर नहीं होने दिया गया। चंडीगढ़ में सड़कों, नालियों के पानी के निकास, मल निकास और पानी की सप्लाई के काम का पहला दौर लगभग पूरा हो चुका है। यह उम्मीद की जाती है कि तीसरी पांच-साला योजना के आखिरी साल में राजधानी प्रॉजैक्ट उन कामों को पूरा करने के लिये और कोशिशें करेगी, जिन्हें तीसरी योजना में शामिल किया गया था।

शहरी व देहाती प्लानिंग

37. शहरी व देहाती प्लानिंग महकमे ने इस बात के लिये पूरी कोशिश की है कि अनुसूची में आई सड़कों के साथ साथ और उन शहरी इलाकों में, जो आबादी के काबिल न हों, नक्शे के बगैर और इजाजत के बिना कोई तामीर न की जाए। बढ़िया नक्शों के मुताबिक शहरी बस्तियों के कायम करने के प्रोग्राम को ठीक तरह से चलाने के लिये 1964 में पंजाब शहरी बस्ती (विकास व कंट्रोल) एक्ट बनाया गया। मकान बनाने की कई तरह की स्कीमों को लागू करने के लिये चालू माली साल में कर्जों और इमदाद के तौर पर 233 लाख रुपए की रकम दी गई है। इस रकम में पिछले साल की बाढ़ों से पीड़ित लोगों को मकान बनाने के लिये खास तौर पर रखा गया एक करोड़ रुपए का कर्ज़ा भी शामिल है। मकान बनाने के प्रोग्राम को खास तौर पर बढ़ावा देने के लिये यह फैसला किया गया है कि एक ऐसा हाउसिंग बोर्ड बनाया जाये जिसे कानूनी हैसियत हासिल हो। इसके बारे में इस साल के दौरान पहले की जरूरी कार्रवाई की जायेगी ताकि यह बोर्ड चौथी पांच-साला योजना के शुरू में काम करने लग जाये।

लोकल गवर्नमैंट स्थानीय सरकार

38. हमारी सरकार ने फैसला किया है कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इस बात का जायजा लेगी कि पूर्वी पंजाब किराया कंट्रोल एक्ट, 1949 को किस तरह अमल में लाया जा रहा है, और यह कमेटी बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक हालत को ध्यान में रखते हुए, उस में तरमीम पेश करेगी। 25,000 या इससे ज्यादा आबादी वाले कस्बों में इम्परूवमैंट ट्रस्ट क़ायम करने की पालिसी के मुताबिक सरकार ने यह फैसला किया है कि शिमला और हिसार में भी ऐसे ट्रस्ट कायम किये जाएं। सरकार इम्परूवमैंट ट्रस्ट, अमृतसर के वास्ते उस की तरक्की की स्कीमों को पूरा करने के लिये 30 लाख रुपए का कर्ज़ा हासिल करने में सफल हो गई है। सरकार ने जीवन बीमा कार्पोरेशन से एक करोड़ रुपए का और कर्ज़ा मांगा है ताकि दूसरे ट्रस्टों के पास तरक्की की अपनी स्कीमों को पूरा करने के लिये काफ़ी धन हो जाए। 1964 में 93 म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव कराए गए। इस साल (1965) में अमृतसर समेत बाकी की 69 म्यूनिसिपल कमेटियों के चुनाव करवाने का विचार है।

लोक सम्पर्क और यात्रा महकमा

39. लोक-सम्पर्क और यात्रा महकमा सरकार के तरक्की के कामों और दूसरी पालिसियों के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए सराहनीय काम करता रहा है। पंजाब लोक-सम्पर्क महकमें का पूरी तरह जायज़ा लेने के बाद यह फैसला किया गया है कि महकमे की देहाती-प्रचार-शाखा को तरतीब दी जाए और सदर मुकाम के प्रबन्ध-ढांचे को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि महकमा अपनी ज़िम्मेदारियों को और भी अच्छी तरह से निभा सके। नए भारत की तामीर करने में श्री जवाहर लाल नेहरू के काम को लोगों के सामने रखने के लिए कई नुमायशें की गईं। हमने बम्बई में हुई "हमारा विरसा" नाम की नुमायश में भी हिस्सा लिया और हमने डिफेंस के सिलसिले में "हम और हिमालय" नाम की एक बड़ी नुमायश का भी प्रबन्ध किया। पंजाब में सैलानियों के लिए ज्यादा दिलचस्पी के साधन होने के कारण उन की तादाद में काफ़ी इज़ाफा हुआ है।

फिरोज़शाह की लड़ाई के शहीदों की और बहादुर योद्धा शामसिंह अटारी वाले की याद में ज़िला फिरोज़पुर में फिरोज़शाह के स्थान पर एक यादगार बनाई जाएगी। स्कीम यह बनाई गई है कि पानी के एक तालाब में 112 फुट ऊंची शहीदी पौड़ी बनाई जाए और इस पर घुड़सवार शाम सिंह अटारी वाले का कांसे का बुत बनाया जाए। हुसैनीवाला के स्थान पर शहीद भगतसिंह और उस के साथियों की याद में एक यादगार बनाने का भी विचार है।

समाज कल्याण

40. समाजकल्याण महकमे ने जिसमानी और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का अपना प्रोग्राम जारी रखा। इंदिरा-हॉलीडे होम स्कीम के मुताबिक एक और तफ़रीह-घर मुकम्मल होने वाला है। बूढ़े और नाकारा लोगों के लिये रिवाड़ी और जालन्धर में भी दो और आश्रम खोले गए हैं। विचार यह है कि अपाहजों को काम देने के लिए एक ऐसा वर्कशाप खोला जाए जिसमें उनकी रिहायश का भी प्रबन्ध हो। पूर्वी पंजाब बालक एक्ट के मुताबिक मंज़ूरशुदा स्कूल खोलने की स्कीमों का तफ़सीलवार जायज़ा लिया जा रहा है। बुढ़ापा पेंशन-स्कीम, 1964 के शुरू में चालू की गई। इस के मुताबिक अब तक लगभग 3,000 आदमियों को पेंशन दी जा चुकी है। जिन लोगों को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है, उन को इस बारे में पहल दी गई है। बाढ़ के कारण नुकसान उठाने वाले देहातों में 17 कल्याण केन्द्र खोल दिए गए हैं ताकि औरतों के मुनासिब रोज़गार मिल सके और किसी काम-धन्धे की सिखलाई दी जा सके जिससे वे इज्ज़त से अपनी रोटी कमा सकें।

हरिजनों और पिछड़ी जातियों के लोगों की भलाई

41. हरिजनों, विमुक्त जातियों और दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों की माली हालत बेहतर बनाने और समाज में उनका दर्जा ऊंचा करने के प्रोग्राम की तरफ खास ध्यान दिया जाता रहा है। आरज़ी टैक्सेशन एक्ट, 1962 से 3.86 करोड़ रुपए की आमदन हुई। यह रक़म ऐसे फंड का आधार बनेगी जिसे 'हरिजन कल्याण फंड' कहा जायगा। बाद में, चौथी पांच-साला योजना के दौरान राज्य की आमदन में से इस फंड में 1.14

करोड़ रुपए की रकम डाली जाएगी। इस से कुल रकम पांच करोड़ रुपये हो जाएगी। इस फंड में से हरिजनों को कर्जे दिए जाएंगे ताकि उन्हें फिर-बसाओ महकमे की तरफ़ से नीलाम की जाने वाली निकासी ज़मीनें खरीदने के लिये सहायता मिल सके। इस के लिये चालू माली साल के दौरान 2.03 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जाएगी। हम यह विचार कर रहें हैं कि हरिजनों, विमुक्त जातियों और दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों की भलाई के लिये अब तक किए गए काम का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी इस बारे में भी सुझाव देगी कि कई स्कीमों को पूरी तरह चलाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएं। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि महकमे को नए सिरे से तरतीब दी जाए ताकि इन स्कीमों को अच्छी तरह चलाया जा सके।

मज़दूर भलाई

42. कीमतों के ग़ैरमामूली तौर पर बढ़ने और मज़दूरों की उजरतों के उन के मुताबिक न बढ़ने से 1964 के आखिरी छः महीनों में मज़दूरों में कुछ बेचैनी पाई गई। फिर भी, बीच-बचाओ कराने वाले प्रबन्धक ढांचे ने मालिकों और मज़दूरों के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना का माहौल बनाए रखने के लिये पूरी कोशिश की।

उपसंहार

43. इससे पहले मैंने अपनी सरकार के काम-काज और नीतियों पर मोटे तौर पर रोशनी डाली है। पहले बताए गए महकमों के अलावा जिन दूसरे महकमों का ख़ास तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया, उन में भी साल के दौरान लगातार तरक्की होती रही है। मैं आप का शुक्रगुज़ार हूं कि मेरे इस भाषण को आपने ध्यान से सुना। जमहूरी समाजवाद के असूलों को सामने रखते हुए मेरी सरकार ने ऐसे सामाजिक और आर्थिक निज़ाम की बुनियाद रखने के लिये पूरी पूरी कोशिश की है, जिसमें इस राज्य के लोगों की खुराक, तालीम और सेहत की अहम ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इस निज़ाम को लाने के लिये हम कई ऐसे काम कर रहे हैं जिनके मुताबिक हमारी कई तरह की कार्रवाइयां और सरगर्मियां जारी हैं। इन सब का मकसद एक समाजवादी ढांचा कायम करना है जिसमें इस राज्य के सभी लोग शरीक हों और जिस पर हम सब फ़ख्र कर सकें। इस कोशिश में रहनुमाई करने, प्रेरणा और उत्साह देने की सब से पहली ज़िम्मेदारी आप लोगों की है। मैं इस बड़े काम में आपकी जल्द से जल्द कामयाबी के लिये शुभ कामना करता हूं, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि एकता और मज़बूत इरादे, लगन जोश के साथ काम करते हुए हम ज़रूर बर ज़रूर इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे।

जय हिन्द

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Mr. Speaker : I have to inform the House that Sardar Partap Singh Kairon, a Member of this Sabha, representing Sarhali constituency of Amritsar District has died on the 6th February, 1965.

OBITUARY REFERENCES

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, बतौर लीडर ग्राफ दी हाउस के मेरे जिमे ग्राज यह ग्रफसोसनाक फर्ज है कि मैं उस महान् व्यक्ति सरदार प्रताप सिंह कैरों, जिन्होंने 33 साल तक पंजाब राज्य की मुख्तलिफ तरीकों से सेवा ग्रौर खिदमत की थी, जिन्होंने पूरे ग्राठ साल तक इस हाउस के बतौर लीडर ग्रौर चीफ मिनिस्टर के पंजाब के राज्य प्रबन्ध को चलाया था, उन की ग्रफसोस नाक मृत्यु के सम्बन्ध में ग्रपनी तरफ से ग्रौर इस हाउस की तरफ से ट्रिब्यूट पेश करूं। ग्रौर उन के परिवार को इस हाउस की तरफ से इज़हारे ग्रफसोस ग्रौर हमदर्दी ग्रापकी मार्फत पहुंचाऊं। इस फर्ज़ को मुझे ग्राज ग्रदा करना है। इन के साथ साथ चार ग्रौर साथी जो कि पिछले पांच छ: महीनों में इस हम से जुदा हुए हैं, मेरा इशारा है श्री दसण्पा साहिब, जो कि यूनियन गवर्नमैंट के रेलवे मिनिस्टर थे, चौधरी बारू राम जी जो कि पंजाब ग्रसैम्बली के मैम्बर रहे हैं, श्री एम. ग्रार. सचदेव जो कि पंजाब गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं ग्रौर गवा के लैफटीनैंट गवर्नर थे ग्रौर पंजाब ग्रौर हिन्दोस्तान की ग्राज़ादी के जरनैल श्री ग्रात्मा सिंह शेखुपुरा की मृत्यु के बारे में भी इज़हारे ग्रफसोस करता हूं।

जैसा कि ग्रापको ग्रौर सारे हाउस को मालूम है कि सरदार प्रताप सिंप कैरों ने पिछले 33 साल के ग्रन्दर ग्रपने देश की सेवा की है। ग्रापको मालूम है कि किस तरह से उन्होंने यके बाद दीगरे मुसीबतें झेल कर हिन्दुस्तान की ग्राजादी की लड़ाई में ग्रपना ग्रहम पार्ट ग्रदा किया था। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। ग्रगर मैं यह कहूं कि सरदार प्रताप सिंह कैरों इस माडर्न पंजाब के बिल्डर थे, उन्हों ने पंजाब को स्टेबल गवर्नमैंट दी थी, वे एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे तो यह बिल्कुल बजा होगा। वे मैन ग्राफ मासिज़ थे ग्रौर उन्हों ने पंजाब के ग्रन्दर रूरल कांशसनैस पैदा की थी। उन्होंने न केवल पंजाब के लोगों को ही बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोगों को डिफैन्स माइंडिड बनाने की कोशिश की थी। वे मैन ग्राफ ग्रायरन विल थे। वे मैन ग्राफ स्टर्लिंग क्वालिटीज़ थे ग्रौर उनकी इस तरह की क्वालिटीज़ थीं जिन को देख कर हम उनके सारे के सारे ग्रबगुणों को नज़रग्रंदाज़ कर जाते हैं। हर एक ग्रादमी के ग्रन्दर कुछ न कुछ खामियां होती हैं ग्रौर कमज़ोरियां भी होती हैं ग्रौर सिफात भी होती हैं 'टू एर इज़ ह्यूमेन'। किसी इनसान की मृत्यु के बाद में उसकी क्वालिटीज़ ग्रौर गुणों की तरफ ज्यादा तवज्जोह देनी चाहिये बजाये इसके कि उसकी खामियों को देखें। दुनिया के ग्रन्दर ऐसा कोई इनसान नहीं है जिस में कोई खामी या कमज़ोरी न हो। जिस में कोई खामी या कमजोरी न हो वह तो देवता हो जाता है, वह इनसान नहीं रहता। जब मैं सरदार प्रताप सिंह कैरों का ज़िक्र करता हूं तो उसकी बहुत ज्यादा सिफात को देखते हुए उसकी खामियों को नज़र ग्रंदाज़ करना पड़ता है। हर एक भाई ग्रौर बहिन ने उस को ट्रिब्यूट ग्रदा किए हैं। मुझे भी उसको श्रद्धांजली ग्रदा करके ग्रपना फर्ज़ ग्रदा करना है। वे एक ग्रेट पैट्रिग्राट थे। जैसे कि मैंने ग्रर्ज़ किया है कि वे एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे ग्रौर मैन ग्राफ स्ट्रांग विल थे। पंजाब की नैशनल फोर्स के सिम्बल थे। मेरा उन से पिछले 25 साल

[मुख्य मन्त्री]

से सम्बन्ध है रहा है । सरदार प्रताप सिंह उस ज़माने में पैदा हुए जबकि हिन्दुस्तान में बाल लाल पाल ने आजादी लहर चलाई थी। बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लहर हिन्दुस्तान में चलाई थी। जब वे पैदा हुए तो कौन जानता था कि यह बच्चा जवान होकर अपनी जवानी को देश की खातिर लुटा देगा और अपनी जान की बाज़ी लगा कर भी देश की सेवा करेगा। आज जिस तरीके से उन की ब्रूटल असैसिनेशन हुई है, ट्रैजिक डैथ हुई है उसको हिन्दुस्तान के कोने कोने में कन्डैम किया गया है। हर भाई और बहन ने इस कुकर्म को कंडैम किया है। जिस तरह से उन्हों ने पंजाब राज्य को चलाया था उसके लिए हर भाई और बहिन ने खिराजे तहसीन अदा करते हुए इस मर्डर की कन्डैमनेशन की है । उन के अंदर इतनी खूबियां थीं कि वह लोगों के दिल के अंदर घर कर गई थीं । वह एक बहुत पापूलर इनसान था और पापूलर एडमिनिस्ट्रेटर था। जिन हालात के मातहत उस को चीफ मिनिस्टरी से अलग होना पड़ा आज उन को दोहराने की ज़रूरत नहीं है । जिस प्रकार उन्हों ने पंजाब असैम्बली की आठ साल तक बतौर लीडर आफ दी हाउस के रहनुमाई की थी और जिस प्रकार हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद पंजाब की पार्टीशन के बाद बतौर डिवैल्पमैन्ट मिनिस्टर के उन्हों ने पंजाब के लोगों की सेवा की और उनको फायदा पहुंचाया, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह सब बातें किसी प्रकार के बयान की मोहताज नहीं हैं।

स्पीकर साहिब, सरदार कैरों 1901 में पैदा हुए । उस पुराने जमाने में अपनी इबतदाई तालीम कैरों गांव में प्राप्त करके खालसा कालेज, अमृतसर से उन्होंने एफ. ए. पास की और बाद में अमरीका तशरीफ ले गए । वहां पर मिशीगन यूनिवर्सिटी से उन्हों ने पालिटिक्स में एम० ए० की डिग्री हासिल की। उन्हों ने अमरीका में तालिब इल्मी के जमाने में ही इतिहास बनाने की कोशिश की। जैसे कि कहा जाता है 'होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात'। उस ज़माने में अमरीका के अन्दर हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने गदर पार्टी की बुनियाद रखी थी। सरदार प्रताप सिंह ने उन लोगों से सबक सीखा। उस समय सरदार प्रताप सिंह जी उन लोगों से मिले। उन्हों ने यह भी स्टडी किया कि किस तरह से अमरीका को आजादी मिली थी। उस वक्त के मिशीगन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने सरदार प्रताप सिंह को कहा था: 'ऐसा मालूम होता है कि जिस तरह की आप की सरगर्मियां हैं, जब आप हिन्दुस्तान के अन्दर जाएंगे तो जिस तरह से वहां पर आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, इस बात में किसी तरह से भी कोई शको शुबा नहीं कि हिन्दुस्तान पहुंचते ही आपकी जगह जेल में होगी'। सरदार प्रताप सिंह एक तरफ अमरीका में एक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी के अन्दर दिन और रात मेहनत से काम किया करते थे, उधर अपनी पढ़ाई किया करते थे और साथ ही हर समय अपने देश की बाबत सोचा करते थे ।

अमरीका से वापिस आने के बाद उन्होंने पंजाब में 'न्यू ईरा' अखबार को ऐडिट किया। उस वक्त मेरी सरदार प्रताप सिंह जी के साथ इतनी वाकफियत नहीं थी लेकिन मेरी मुलाकात उन के साथ पहले पहल सन् 1933 के अन्दर मुलतान जेल में

हुई। उस वक्त की बाबत मैं आप को और, स्पीकर साहिब, आप के द्वारा हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गान्धी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान के अन्दर सिविल डिस-ओबीडीएंस मूवमैन्ट चली थी। उस जमाने में यानी सन् 1932 में देहली में कांग्रेस के झंडे तले एक अनलाफुल जलसा हुआ था। इस समय कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया उसकी बाबत सारे देश के अन्दर कांग्रेस के तमाम कारकुनों को यह हिदायत दी गई थी कि उस रैजोल्यूशन को जगह जगह पर दुहराया जाये ताकि अंग्रेजों के साथ अमली तौर पर टक्कर ली जाये। उस वक्त यानी सन् 1932 में अमृतसर के अन्दर पंजाब प्राविंशियल पोलिटिकल कान्फ्रेन्स का एक अनलाफुल जलसा हुआ। उस जलसे की सदारत करने के लिये मुनशी हरी राम जी ने मुलतान से आना था। लेकिन उन को वहां पर गिरफतार कर लिया गया। फिर लाला बोध राज जी आगे आए, उन को भी गिरफतार कर लिया गया। इसी तरह से श्री पुरुषोत्तम लाल जी को भी गिरफतार कर लिया गया। उस वक्त इस इनसान के हौसले की आप दाद दें कि सरदार प्रताप सिंह एक होटल में से निकले और सब के देखते देखते उस कान्फ्रैन्स को प्रीज़ाइड किया जिस के लिए क्रिमिनल ला एमैन्डमैन्ट ऐक्ट के अधीन उनको पांच साल के लिये जेल की सज़ा हुई। यह एक निहायत आला दर्जे की कुर्बानी थी जो कि सरदार प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर देश के लिए की।

स्पीकर साहिब, इतना ही नहीं,। जिस वक्त महात्मा गान्धी ने 1933 में सिविल डिसओबीडीएंस मूवमैन्ट को वापिस लिया और हिन्दुस्तान के अन्दर प्रोविंशियल अटानोमी कायम हुई तो उस वक्त जो चुनाव हुए थे, पंजाब के अन्दर जो पहले चुनाव हुए थे सन् 1936-37 के अन्दर, उस वक्त सरदार प्रताप सिंह पहली बार पंजाब असैम्बली के मैम्बर चुने गए थे। गो इस बात को नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता कि जब सरदार प्रताप सिंह अमरीका से वापिस आए थे तो उन्हों ने अकाली पार्टी को कायम किया था। अकाली पार्टी उन दिनों, स्पीकर साहिब, एक एन्टी इम्पीरियलिस्ट ताकत थी। उस वक्त उन्हों ने देश की आजादी के लिये पूरी तरह से काम किया था। सन् 1937 से लेकर सन् 1962 तक वह पांच बार पंजाब असैम्बली के मैम्बर चुने गए। सिर्फ पांच बार असैम्बली का मैम्बर बनने का ही सवाल नहीं है, स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत हाऊस को याद दिलाना चाहता हूं कि उसके बाद यके बाद दीगरे मुखतलिफ तरह से उन्होंने पंजाब की जी जान से सेवा कीं। पंजाब की पार्टीशन के बाद जब यहां पर सबसे पहली डाक्टर गोपी चन्द भार्गव की वज़ारत बनी तो उसके अन्दर सरदार प्रताप सिंह डिवैल्पमैन्ट मिनिस्टर बने। उसके बाद जब उन्हों ने पंजाब के मुख्य मन्त्री का पद सम्भाला तो जिस तनदेही से उन्हों ने सूबे को तरक्की के रास्ते में आगे ले जाने के लिए कोशिश की वह किसी से छिपी हुई नहीं है। वह आठ साल तक मतवातर पंजाब के मुख्य मन्त्री रहे। इस लम्बे अर्से में, इस में कोई शक नहीं कि लोगों के उन के साथ इखतलाफात भी हो सकते हैं और थे और बहुत से लोग उनके हक में भी थे। इस में भी कोई सन्देह वाली बात नहीं है कि वह मैन आफ लाईक्स ऐंड डिसलाईक्स थे। लेकिन ऐसा होते हुए भी उन के अन्दर अनेक सिफात थीं और कई क्वालिटीज़ थीं जिन

[मुख्य मंत्री]

की वजह से उन्होंने पंजाब पर अपने व्यक्तित्व की एक छाप डाली। सिर्फ पंजाब पर ही नहीं सारे हिंदुस्तान पर उन का अपना एक दबदबा था, एक रौब था और अपने व्यक्तित्व की उन्होंने एक छाप छोड़ी जिसे सारा हिन्दुस्तान पूरी तरह से आने वालों वक्तों में याद रखेगा।

तो, स्पीकर साहिब, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरदार प्रताप सिंह कैरों अपने ज़माने के एक महान व्यक्ति थे। किस तरह की समस्याओं का उन्होंने यके बाद दीगरे अपने तरीके से समाधान किया? उनके समय के अन्दर कई तरह के आन्धी और तूफान आये, स्यासी तूफान उठे लेकिन उस मर्दे मैदान ने, उस लौह पुरुष ने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी तहम्मल मिज़ाजी के साथ उन सारी परिस्थितियों का मुकाबिला किया और उस पंजाब की किश्ती को जिसे स्टारमी पंजाब कहा जाता था, जिसे प्राब्लम पंजाब कहा जाता था, बड़ी सूझ बूझ के साथ धकेल कर किनारे पर लगाया। यही वजह है कि आज जब कि हम उन को ट्रिब्यूट पे करते हैं तो हम उन्हें एक मिलिटेंट फोर्स के तौर पर याद करते हैं।

सरदार प्रताप सिंह ने न सिर्फ 1932 में ही देश की जंगे आजादी में हिस्सा लिया बल्कि उस के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह में, और उसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमैन्ट चली उसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तरह से पूरे तीस साल के अर्सा में बहुत समय तक बतौर डैटेन्यू जेल में रहे। वह पंजाब प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के जनरल सैक्रेटरी रहे, पंजाब प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के प्रैज़ीडैन्ट रहे। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी के मैम्बर के तौर पर काम किया और कई पहलुओं में हिंदुस्तान की खिदमत में अपने जीवन को लगाया।

स्पीकर साहिब, मुझे सरदार प्रताप सिंह के साथ क्विट इंडिया मूवमैन्ट के दौरान जेल में रहने का मौका मिला। मुझे उनके साथ कांग्रेस के अन्दर, उनके एक अदना सेवक के रूप में एक कुलीग के रूप में काम करने के कई मौके मिले हैं। पंजाब राज्य में भी मैंने उनके साथ काम किया है। कई बार कई मामलात पर इखतालाफात भी हुआ करते थे लेकिन हम एक दूसरे की राये की कदर करते थे क्योंकि डैमोक्रेसी के अन्दर विचारों में इखतलाफात का होना कोई बड़ी बात नहीं है बल्कि ज़रूरी है। लेकिन असल बात तो यह है कि किस हद तक हम एक दूसरे की राये की कदर करते है ताकि डैमोक्रेसी पूरी तरह से फलती और फूलती रहे। उस लिहाज़ से, मैं समझता हूं कि इस व्यक्ति के अन्दर, इस इनसान के अन्दर इस तरह की क्वालिटीज थीं जिन की हम पूरी तरह से सराहना करते हैं।

स्पीकर साहिब, जैसा कि मैं ने शुरू-शुरू में अर्ज़ किया, सरदार प्रताप सिंह ने पंजाब के अन्दर एक रूरल कानश्यसनैस पैदा कर दी। उन के दिल में पंजाब के किसान के लिए बेहद प्यार था। वह दिन रात यही सोचा करते थे कि पंजाब के किसान को किस तरह से ऊपर उठाया जा सके, पंजाब के गरीब मज़दूर को किस तरह से जिन्दगी में खुशहाल बनाया जाए, किस तरह से पंजाब में रहने वाले गरीब हरिजनों को, पिछड़ी हुई जातियों को,

पिछड़े हुए इलाकों को ऊपर उठाया जाये और उनकी हालत को सुधारा जाये। वह दिन रात इन बातों पर सोचा करते थे।

उस व्यक्ति की सब से बड़ी सिफत यह थी कि वह प्रशासन के अन्दर रैड टैपिज़म और डिले का जानी दुश्मन था। उन्होंने पंजाब के अन्दर रैड टैपिज्म और डिले को दूर करने के लिए पूरी कोशिश की। आज सरदार प्रताप सिंह हमारे दरम्यान मौजूद नहीं हैं लेकिन हम इस बात को नजर अन्दाज़ नहीं कर सकते कि उन्होंने पंजाब में नई जान फूंक दी जिसे हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, हर आदमी कहीं न कहीं कोई गलती कर जाता है। कोई ऐसा आदमी नहीं जो अपने जीवन में कोई गलती न करता हो। दुनिया के हजारों जरनैलों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उन्होंने भी बड़ी बड़ी गलतियां कीं। कोई जरनैल या नेता ऐसा नहीं होगा जिस ने कोई न कोई गलती न की हो लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गलतियां भी कई बार नेकनीयती से होती है। कई बार जो फैसले होते हैं उन पर भी ऐडवर्स कमैन्टस होते हैं। सरदार प्रताप सिंह ने उस ज़माने में ऐडमिनिस्ट्रेशन में आकर पंजाब की सेवा की जब कि यहां पर पार्टीशन हुआ था। उस वक्त पार्टीशन की वजह से अपरूटिड पापुलेशन को, अपरूटिड ह्यूमैनिटी को दुबारा ठीक प्रकार से बसाने का मसला कोई आसान मसला नहीं था। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बतौर रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर के उन्होंने उस वक्त पूरी तरह से यह काम अपने जिम्मे लिया और शानदार तरीके से उसे निभाया। उन्होंने पंजाब के अन्दर बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला किया। इस दौरान यहां पर उन के कई बड़े बड़े मुखालिफ भी पैदा हो गए लेकिन आज वह भी उन की इन कामयाबियों की पूरी तरह से सराहना करते हैं।

आज वह सरदार प्रताप सिंह इस हाउस में नहीं है। 6 फरवरी, 1965 को दिन दिहाड़े जिस तरीके से उन का बूटल कत्ल हुआ वह हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बात है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और मैं इस बात को जानता हूं कि यह पंजाब के ऊपर एक बड़ा भारी स्लर है और हमारी ख्वाहिश होगी, ख्वाहिश ही नहीं बल्कि कोशिश होगी कि इस स्लर को धोएं और कातलों को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत इस हाउस को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पंजाब राज्य का सम्बन्ध है, हम पूरी तरह से दिन और रात इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी मशीनरी इस बात के लिए लगा रखी है कि वह पता करें कि वह कौन ज़ालिम कातिल थे जिन्होंने सरदार प्रताप सिंह की जिन्दगी को इस तरह से हम से छीन लिया। मैं इस समय पूरे वसूक के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय तक जितने भी लिंक हो सकते थे हमारी पंजाब की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने उन तमाम लिंकस के बारे में पूरी तरह से छान बीन की है और हम आशा रखते हैं कि हम, हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में जल्दी

[मुख्य मंत्री]

से जल्दी किसी न किसी नतीजे पर पहुंच सकेगी। हम आशा रखते हैं कि सारे सुराग को निकालने में हम कामयाब हो पाएंगे।

स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस के अन्दर किसी किसम का दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं रखेंगे क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है और हमारा फर्ज है। इस के साथ ही साथ मैं सरदार प्रताप सिंह कैरों को ट्रीब्यूट पे करता हूं और साथ ही इस सदन के मेम्बर साहिबान को और पंजाब राज्य की जनता से कहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने में सोशल कानशसनेस और ड्यूटी की कानश्स-नेस पैदा करें। हमें अपने में सिविक सेंस की कानशसनेस पैदा करने की जरूरत है और मैं आशा करता हूं कि पंजाब के लोग पंजाब सरकार की इस काम में मदद करेंगे।

इस के इलावा, स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब के इस महान् व्यक्ति सरदार प्रताप सिंह कैरों को पंजाब का हर इण्ड-स्ट्रियलिस्ट, हर छोटा बड़ा जमीनदार, हर वर्कर इन दी फैक्टरी, यानी तमाम के तमाम पंजाब के रहने वाले लोग उस महान् व्यक्ति को आज के दिन ट्रीब्यूट पे करेंगे क्योंकि उस महान् व्यक्ति ने पंजाब में इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को तरक्की देनें के लिए कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं रखा था। पंजाब के सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं उस ने किस तरह से यहां पर सायंस को और टैक्नीकल एजुकेशन को फैलाया है और एग्रीकल्चर को मार्डन तौर पर चलाने के लिए और सायंस को तरक्की देने के लिए उस ने बेशुमार योजनाएं चलाई थीं। फिर जब चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी और इस की शान पर हमला करने की कोशिश की थी तो सारे पंजाब को लोगों की तरफ से सरदार प्रताप सिंह ने चीन को ललकार दी थी और सही मानों में उस ने पंजाब के लोगों का सर सारे हिन्दुस्तान के लोगों में ऊंचा किया था और जिस तरह से उस की अगवाई में पंजाब के लोगों ने देश की रक्षा के लिए पैसा दिया था और फौजों के लिए मैन पावर दी थी और इस के लिए पंजाब के लोगों को कानश्स कराया यह किस से छिपी हुई बात है और यह तमाम ऐसी सिफात हैं जिन को कोई भी इनसान भुला नहीं सकता। इस लिए मैं पूरे तौर पर महसूस करता हूं और कह सकता हूं कि सरदार प्रताप सिंह कैरों एक आला दर्जे के पैट्रीयाट थे, बिल्डर आफ दी नेशन थे, एक ऊंचे पाए के थिंकर थे, एक आला दर्जे के नेशलिस्ट थे और एक जर्नलिस्ट थे। यह उन की ऐसी खूबियां हैं जिन को भुलाया नहीं जा सकता। स्पीकर साहिब, पंजाब को तरक्की की राह पर आगे ले जाने के लिए उन्होंने जो योजनाएं शुरू की थी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन को हम जारी रखेंगे, चाहे वह योजनाएं जिन का सम्बन्ध पंजाब की जनता को ऊपर उठाने के लिए एग्रीकल्चर से है चाहे इण्डस्ट्री से है, जो उन के द्वारा ,शुरू की गई थीं उन को जारी रखना हमारा फर्ज बनता है और हम वह जारी रखेंगे।

इस के साथ ही साथ मैं अपने एक महान् नेता श्री एच० सी० देशप्पा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो हम से जुदा हो गए हैं और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश की आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले वह एक बहुत पुराने नेता थे जिन्होंने हिन्दोस्तान की रियास्तों के अन्दर प्रजा मण्डल की तहरीक चला कर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वह इतने पुराने नेता थे कि उन्होंने रियास्त मैसूर के अन्दर सब से पहले कांग्रेस कायम की थी और 1939 में वह वहां की कांग्रेस के प्रधान बने थे। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी के आश्रम पर अपना सारा कुछ लगा दिया था और बैरिस्ट्री पास करने के बाद अपना जीवन देश की सेवा में लगा दिया था। वह मैसूर लैजिस्लेटिव असैम्बली के मेम्बर रहे हैं और उस राज्य में मिनिस्टर रहे थे। फिर वह लोक सभा के मेम्बर बने। वहां एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन रह कर अपने काम के लिए वहां बहुत नाम पाया और बतौर चेयरमैन एस्टीमेट कमेटी उन्हों ने जो ट्रेडीशनज कायम की थीं और रवायतें कायम की थीं वह हिन्दुस्तान के अन्दर सारी असैम्बलियों में और पार्लियामैंट के अन्दर हमेशा के लिए एग्जाम्पल बनी रहेंगी। उन की काबलियत और लियाकत का अन्दाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया में पहले मिनिस्टर इनचार्ज रेलवे, फिर मिनिस्टर आफ इरीगेशन और पावर और उस के बाद वह मिनिस्टर फार इण्डस्ट्री एण्ड सप्लाइज़ रहे और बहुत अच्छी कामयाबी के साथ इन्होंने काम किया। 29 अक्तूबर, 1964 को जब उन की अचानक मौत हुई तो वह बतौर मिनिस्टर फार इण्डस्ट्री एण्ड सप्लाई काम कर रहे थे। उन की काबलियत और देश सेवा के बारे में आप वाइस प्रेज़िडेंट डाक्टर ज़ाकर हुसैन के ट्रिब्यूट से जो उन्होंने दिया था, अन्दाज़ा लगा सकते हैं।

The Vice-President, Dr. Zakir Hussain said that in the death of Mr. Dasappa India had lost "a distinguished leader, an able administrator and a veteran parliamentarian." He further said "the noble and inspiring services rendered by Mr. Dasappa during the freedom struggle and the constructive role played by him in actively helping the Government to formulate and implement several welfare projects will be cherished for ever."

इसी तरह से हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहिब ने उन की मौत पर जो खराजे तहसीन पेश किया है उस से भी आप उन की देश के प्रति खिदमात का अन्दाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने एक ही फिकरा में उन की खिदमात को सराहना की है।

"One of our ablest members of the Parliament."

Mr. Satyanarain Sinha, Union Minister for Parliamentary Affairs, said Mr. Dasappa was a "balanced politician and the country has become poorer by his death."

स्पीकर साहिब, श्री देशप्पा ने हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में और देश आज़ाद होने के बाद इस की रिकन्स्ट्रक्शन में एक बड़ा इम्पार्टेंट पार्ट प्ले किया है इस लिए हमारा यह फर्ज है कि हम अपने उस बड़े नेता का खराजे-तहसीन अदा करें।

[मुख्य मंत्री]

इस के इलावा हमारे एक्स एम० एल० ए० चौधरी बारू राम जी हम से जुदा हो गए हैं। वह जनसंघ की टिकट पर यहां चुन कर आए थे और उन्होंने पंजाब की सोशिल सरविस के क्षेत्र में और इस असैम्बली के अन्दर बड़ी कन्ट्रीव्यूशन की है। वह मई 1918 में पैदा हुए थे। लाहौर डी० ए० वी० कालिज से उन्होंने बी. ए. पास की थी और उस के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की ला० फेकल्टी से एल० एल० बी० पास की थी। उस के बाद उन्होंने अपने हल्के में रूरल अपलिफट के लिए और सोशिल ईविलज को दूर करने के लिए बहुत काम किया। वह जाट हाई स्कूल कैथल की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर थे और रूरल लोगों की बेहतरी के लिए दिन रात काम करते रहे थे। वह आर्य समाजी थे और बड़े प्रोग्रेसिव व्यूज रखते थे और खास तौर पर उन्होंने विडो रिमैरेज के काम में बड़ा हिस्सा लिया। स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत उन को ट्रिब्यूट पे करता हूं।

इस के इलावा, स्पीकर साहिब, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि श्री एम० आर० सचदेव जो गोवा के लेफटीनेंट गवर्नर थे वह भी हम से जुदा हो चुके हैं। वह एक बड़े ऊंचे पैराए के एडमिनिस्ट्रेटर थे। वह पुराने आई० सी० एसों० में से एक थे और हिन्दुस्तान के अच्छे एडमिनिस्ट्रेटरों में उन का शुमार किया जाता था। वह 12 अक्तूबर, 1903 को पैदा हुए थे और 1928 में आई० सी० एस० के काडर में सरविस जवाइन की थी। उन्होंने बतौर कन्ट्रोलर आफ स्पलाईज बम्बई में काम किया था, फिर बतौर सेक्रेट्री टू गवर्नमेंट पंजाब काम किया था। फिर बतौर पार्टीशन कमिशनर के और चीफ सेक्रेट्री पंजाब गवर्नमेंट के और उस के बाद डाइरेकटर जनरल सप्लाइज़ एण्ड डिस्पोज़ल और सेक्रेट्री टू दी मिनिस्टरी आफ वर्कस हाउसिंग एण्ड स्पलाइज के काम किया। उस के बाद वह बतौर सेक्रेट्री इरीगेशन एण्ड पावर गवर्नमेंट आफ इन्डिया 1963 में रिटायर हुए थे। उन की लियाकत का और दिल से काम करने का अन्दाज़ा गोवा के चीफ मिनिस्टर श्री बण्डोकर के ट्रिब्यूट से लगाया जा सकता है।

The Chief Minister of Goa said "to me his death has come as a personal loss, for to me he was like an elder brother."

सिर्फ यही नहीं बल्कि वह एक बहुत ही डिनेमेक परसनैलिटी थे, एक जलता हुआ शुअला थ। उन्होंने पंजाब राज्य गोवा और सारे देश की बड़ी खिदमत की है। गोवा की जिस तरीके से रीकन्स्ट्रकशन हो रही है और जो कुछ वहां पर अच्छा काम हो रहा है उस का सेहरा सचदेव साहिब को ही था। वहां पर सरकार ने और लीडर आफ दी आपोजीशन ने भी उन की खिदमत को वहुत सराहा था। उन्होंने कहा था

"In the passing away of Mr. Sachdev, Goa has lost a friend—a very good friend indeed".

इस के इलावा डा० राधा कृष्ण ने और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने भी उन को ट्रिब्यूट पे किया था। पंजाब में उन्होंने चीफ सेक्रेट्री के तौर पर अपने काम से एक गहरी छाप छोड़ी थी, अपनी लियाकत और इन्टेग्रिटी से जो पंजाब को ऊपर उठाने की कोशिश की थी उसे हम सभी कभी नहीं भुला सकते।

स्पीकर साहिब, इस के बाद मुझे सरदार आत्मा सिंह आफ शेखुपुरा का ज़िक्र करना है। यह हिन्दुस्तान की आज़ादी के एक बहुत पुराने जनरैल थे और वह कौन सी तहरीक थी भारत की आज़ादी के हक में जिस में उन्होंने बढ़चढ़ कर हिस्सा न लिया हो। उन्होंने इन सब में बहुत इम्पार्टेंट पार्ट प्ले किया था। मार्शल ला के दिनों से ले कर आज़ादी तक की सारी तहरीकों में वह शामिल रहे। वह शेखुपुरा म्युनिसपैलिटी के प्रधान चुने जाते रहे। उस वक्त की विदेशी हुकूमत ने बार बार कोशिश की कि उन को इस ओहदे से हटाया जाए, बार बार इस मतलब के प्रस्ताव पास करवाए गए मगर वह शेर भी डटा रहा और हाईकोर्ट में चैलेंज करके कामयाबी हासिल करता रहा। वह बड़े अमीर थे और बड़े शाह दिल भी थे। उन्होंने लाखों की दौलत छोड़ी थी। पार्टीशन के वक्त मुझे याद है कि डा. गोपी चन्द भार्गव, लाला जगत नारायण, सेठ सुदर्शन, डा. लहना सिंह और मैं उन के पास गए थे तो उन से माइग्रेशन के सम्बन्ध में बात हुई थी। तब उन्होंने एक बात कही थी कि शेखुपुरा के जिन लोगों-हिन्दु, मुस्लिम और सिक्खों के लिये मैं दिन रात काम करता रहा उन के बिना मैं नहीं जा सकता। हम जानते हैं कि पार्टीशन के वक्त जिस बेरहमी से उन के परिवार का कत्लेआम हुआ और शेखुपुरा में कत्लेआम हुआ वह घलूघारे की याद ताज़ा कराता था। पार्टीशन के बाद उन्होंने जालन्धर में रिहायश अख्तियार की थी। उन से कई बार मिलने का मौका मिला करता था तो पुराने ज़माने की बातें सुनाया करते थे। आज यह शेर भी हम से जुदा हो गया है।

हिन्दुस्तान की आज़ादी हासिल करने के लिये जिन साथियों ने खून दिया था आज वह हम से एक एक कर के जुदा हो रहे हैं। यह वह लोग थे जिन्होंने एक एक सांस हिन्दुस्तान की आज़ादी हासिल करने के लिये लगाया, भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये जान की बाज़ी लगाई थी। आज यह हमारा फर्ज़ बनता है कि हम इन सब की याद को ताज़ा करें और उन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करें। इन अल्फाज़ के साथ में यह प्रस्ताव हाउस के सामने पेश करता हूं :

I beg to move —

That the Punjab Vidhan Sabha expresses its deep anguish and profound grief on the assassination of the former Leader of this House and Chief Minister, Sardar Partap Singh Kairon and while condemning the dastardly act of the cowardly assassins places on record its heartfelt sorrow on his demise, and

That this House expresses its deep condolences on the sad demise of Shri H. C. Dassapa, Union Minister, Shri Baru Ram, former Member of this House, Shri M.R. Sachdev, Lt.-Governor of Goa and formerly Chief Secretary of this State and Sardar Atma Singh Sheikhupura, a veteran fighter for freedom all his life, and

That as a mark of respect to their memory this House may stand adjourned for the day.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : On a Point of Order, Sir. (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਇਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਿਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਰੇ ਹਨ—ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਕਪੂਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੀ. ਏ. ਸਾਹਿਬ ਤੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਡਰਾਇਵਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

मुख्य मन्त्री : हां जायेगा ।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab Vidhan Sabha expresses its deep anguish and profound grief on the assassination of the former Leader of this House and Chief Minister, Sardar Partap Singh Kairon and while condemning the dastardly act of the cowardly assassins places on record its heartfelt sorrow on his demise and the cold-blooded murder of Shri Baldev Kapur and two other companions of Sardar Partap Singh Kairon, and

That this House expresses its deep condolences on the sad demise of Shri H.C. Dassapa, Union Minister, Shri Baru Ram, former Member of this House, Shri M.R. Sachdev, Lt.-Governor of Goa and formerly Chief Secretary of this State and Sardar Atma Singh Sheikhupura, a veteran fighter for freedom all his life, and

That as a mark of respect to their memory this House may stand adjourned for the day.

Sardar Gurnam Singh (Raikot) : Mr. Speaker, Sir, on this solemn occasion on behalf of the Opposition, I join the Leader of the House in this mourning and in extending our sympathies to the bereaved families. Sir, neither praise nor blame of the moment is necessarily the judgement of the future, nor all *Nil Nise Banum*, good words said in obituary speeches, lack objectivity. It is thus that the best and the truest tribute that I can pay to the memory of the late Sardar Partap Singh Kairon, is that he was a son of the moment, as described by Maulana Rumi of Iran. Maulana Rumi exhorts the spiritual, aspirant to be the 'Son of the Moment', *Ibn-ul-waqt*, to make current states of his soul his sole concern for reaching the final goal. It was this road that the late Sardar Kairon took, a road that meanders through nudulating land of politics and that lures the travellers to vistas of the Never-never land of lasting glory and pow r.

This explains all the excitement he has caused, in life as in death. Ever since more than thirty years ago, when he returned to his native land from abroad, he made his political transitions from Godless near communism to steadfast-formal Sikhism, and from Gandhian nationalism to secular socialism, with an ease of a duck taking to water, till he became the most powerful man in the Punjab, exciting passionate loyalties and fierce hatreds. Such are the ways of the world that while he masterfully rode on the crest of the wave that took him by ebb to disgrace, the hand of the assassin has raised him in death to the lime-lights of acclaim wherein alone he was in his true elements.

The Guru truly says —

ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਔਰ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਭਈ ।

(The man proposes one way, and it is disposed of in quite another.) The late Sardar Kairon was all the time, confident within himself that he had the circumstances in his control, and those who lent him all out support from Delhi believed that he was their efficient instrument for silencing the victims of their game of political chess-board to cover up breach of faith

with them and his enemies sought his political destruction to consolidate the gains which they think accrue to them by writing off these opponents.

Who has been the more successful, the politician at Delhi, the communalist in the Punjab, or the late Sardar himself, only the future can tell.

ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਗਿ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ

ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਇ।

(Nanak declares : It is the true motivating intenstion that shapes the final outcome, for everyone competes in the game to win the laurels, but the winner is he whom God so chooses).

Sir, we grieve at the passing away of a dynamic, exciting person from the political stage of our State, while we are horrified by the deed of the murderer, the implications of which are far reaching. I join in extending our heartfelt condolences to the bereaved family of the deceased.

We also, today, mourn the death of our other distinguished countrymen, namely, late Shri H.C. Dasappa, Minister for Industry and Supplies, late Mr. Baru Ram, once a Member of this Honourable House, Sardar Atma Singh and late Shri M. R. Sachdev, Lt. Governor of Goa. Their passing away from the public life of our country has left it poorer. We join the Honourable Leader of the House in extending our sympathies and condolences to the bereaved families.

10.00 a.m.

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, जहां तक सरदार प्रताप सिंह कैरों के कत्ल हो जाने का ताल्लुक है मैं पहले भी इस की मुज़म्मत कर चुका हूं और आज जो चीफ मिनिस्टर ने रेज़ूलेशन इस हाउस में पेश किया है इस से सहमत होता हूं। यह कत्ल लाकानूनी वा इन्तकाम की इन्तहा है। जब इस तरह के वाक्यात होते हैं तो थोड़ा सा इंसान को सोचना पड़ता है कि पहले क्या हो चुका है और आगे हमने क्या करना है। मैं समझता हूं कि इस सरकार की कानूनी और इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि कातलों को ट्रेस करे ताकि पता चले कि कत्ल करने वाले कौन थे और किसकी मदद से यह हरकत की गई, ताकि फिर यह वाक्यात न हों, क्योंकि ऐसा होता है कि A politician looks to the next vote whereas a statesman looks to the next generation.

अगर हम पोलीटीकल नुक्तानिगाह से देखें तो हमारा नज़रिया और होगा और दो चार साल आगे तक जाएगा और अगर हम स्टेटसमैन के नुक्तानिगाह से देखें तो इस का आने वाली जैनरेशन पर क्या असर पड़ता है इसको देखना होगा, इस बात का क्या इमेज और इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन पर पड़ेगा। इसान बुराई का और अच्छाई का पुतला है और Sins of a man die with him.

सरदार प्रताप सिंह एक मज़बूत परसनैलेटी का आदमी था। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1936 में जब यह अकाली टिकट पर बाबा गुरुदित्त सिंह कामा गाटा मारू के मुकाबले में जीत कर आए थे। गुरुदित सिंह की मदद के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू पंजाब में आए थे और उन्हें और पंजाब के लोगों को इस बात का अहसास हुआ था कि पंजाब में एक मज़बूत शखसियत आगे आई है। उसी दिन से

[कामरेड राम प्यारा]

पंजाब के लोगों के दिलों पर इनकी छाप पड़नी शुरू हो गई । पंडित जी पर भी इस शख्सियत का बहुत असर हुआ और आखिरी वक्त तक इस शख्सियत की छाप उनके दिल पर रही ।

पंजाब ने बज़ाते खुद बहुत तरक्की की है । इस ने पंजाब से बाहर दूसरे मुल्कों में अपनी जगह पैदा की है । लुध्याना की होज़री ने जापान का मुकाबला किया है । और पंजाब के स्पोर्ट गुड्ज़ ने सारी दुनिया में नाम पैदा किया है । लेकिन पंजाब की ऐक्युमूलेटिव प्राग्रेस का क्रेडिट सरदार प्रताप सिंह कैरों की शख्सियत को दिया जाता है । यह उसकी हिम्मत थी और इस बात का आधार प्रापेगण्डा पर था । और बहुत सारी अचीवमेंट्स थीं जिनके लिए लोगों के दिलों पर इस शखसियत की छाप थी । अगर पंडित जवाहर लाल कलकत्ता जाते थे तो सरदार प्रताप सिंह का चर्चा करते थे, पटना गए तो वहां पर चर्चा किया, मद्रास गए तो वहां पर श्री प्रताप सिंह जी का ज़िक्र किया । पंडित जी के मन पर सरदार कैरों की शखसियत की छाप थी । अगर यह न होती तो आज हालात मुख्तलिफ होते । हमें इन सारी बातों को सामने रख कर देखना है कि इस का इमेज लोगों पर क्या होता है ।

इस के साथ ही दूसरी तरफ भी है कि उनके वक्त कितनी फेवरेटिज़म और नैपोटिज़म थी, सर्विसिज़ में एक टैरर था और कितने ही कत्ल अनट्रेस रह गए थे । इनका क्या इमेज बनेगा । वह ठीक है कि he was a man of decision. He was a man of action. He was a man of boldness.

अगर हम चाहते हैं कि आने वाली नसलों के सामने एक अच्छा नक्शा रखें तो यह ज़रूरी है कि उनके बैड प्वायंट्स को छोड़ दें और गुड प्वायंट्स को सामने रखें ।

मैं सरदार प्रताप सिंह जी की तारीफ करता हूं कि किस दलेरी से उन्होंने हाई कमांड के कहने पर अस्तीफा दे दिया जबकि दास कमीशन ने उनके खिलाफ वरडिक्ट दिया था । यह उनकी वफादारी का एक सबूत था कि मजारेटी के साथ होते भी उन्होंने अस्तीफा पेश कर दिया । यह तो हिसटोरियन का काम है कि वह किस तरह के कामैन्ट्स करें कि जब दास कमीशन ने वरडिक्ट खिलाफ दिया तो इन्होंने अस्तीफा दे दिया । इस से पहली मिसाल हिस्टरी में वारन हेसटिन्गज़ की थी कि जिस वक्त उन्हें इम्पीच किया गया तो मजारेटी उनके साथ थी और यह दूसरी मिसाल है कि मजारेटी इनके साथ थी और इन्होंने अपना अस्तीफा दे दिया । इनका मन डोला नहीं । इन्हें चीफ मिनिस्टरशिप के पद से हटाया गया । फिर उनके लड़के मुकद्दमें में गिरफ्तार हुए । मेरे केस में दो दफा 307/120 बी के तहत इन्हें मेरठ की अदालत में पेश होना पड़ा, चाहे इनकी हाज़री नहीं लगी । इस तरह की सब बातों के होते भी इनका हौसला पस्त नहीं हुआ । लेकिन हम आज बुरे फैक्टर्ज़ को भूल कर और बातों का भी ज़िक्र करने लग जाते हैं । वह वक्त भी था कि एक तरफ तो सैंटर ने कहा कि अस्तीफा दे दो और दूसरी तरफ पंजाब कांग्रस लैजिसलेचर पार्टी ने इनके ऐक्शन को डिसअपरूव किया जिस में श्री भगवत दयाल, पंडित मोहन लाल, चौधरी अमर सिंह और श्री हंस राज शर्मा भी शामिल थे । और

आज किसी बात को इन्तहा तक ले जाना हिपोक्रेसी बन जाता है। यह ठीक है कि जितना जिसका ड्यू हो देना चाहिये। इस तरह double personality one to profess and the other to practise तो हिपोक्रेसी की इन्तहा है। एक तरफ तो इन्होंने उनकी बुराई की और दूसरी तरफ मेमोरियल बनाने की तजवीज़ कर दी। मेमोरियल बनाए जाने चाहिएं उनके जो शहीद हुए, सारी उमर बगैर दाग़ के रहे, उन के जो हमारे नेशनल लीडर्ज़ थे जिन्होंने कुरबानियां कीं। हमें हर बात का रियेलिस्टिक व्यू लेना चाहिये। शहीद की और जगह है दाग़दार की और जगह है। जहां तक उन्होंने पंजाब की डिवैलपमेंट की उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिये। लेकिन जहां तक इस स्टेट को करप्ट किया, खराब किया इस को सामने रख कर एहतिआत रखनी होगी कि आने वाली नसलों पर इस का क्या असर होने वाला है। हम एक ट्रांज़ीशनल पीरियड से गुज़र रहे हैं इस लिए सारी बात को सोचना होगा।

जहां तक कैरों साहिब के कत्ल का ताल्लुक है इसको हरेक कन्डैम करता है। और अगर सरकार नाराज़ न हो तो यह कहूं कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इस बात की पूरी पड़ताल कराए क्योंकि यह कत्ल मोस्ट प्लान्ड था और सरकार की तरफ से जो इन्कवायरी हो रही है वह मोस्ट अनप्लान्ड है। इस में ओवरलैपिंग है। जहां तक गवर्नमेंट की नीयत का ताल्लुक है मैं समझता हूं यह बिल्कुल साफ है। लेकिन मेरी इतलाह के मुताबिक इनवैसटीगेशन जो हो रही है इस में हर अफसर अपना तजरुबा बताता है, जिस का नतीजा यह होता है कि किसी एक कंक्रीट प्वायंट पर हम पहुंच नहीं पाते। जिस तरह कैरों साहिब के कत्ल की स्कीम वैल पलैंड थी उसी तरह हमें भी कात्लों की तलाश के लिये पलैंड स्कीम तैयार करनी चाहिये, जिस से हमें यह ज़ाहर हो कि किस मकसद के तहत ऐसा हुआ। इस बात पर मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और इस बात की ज़िम्मेवारी मैं गवर्नमेंट पर डालता हूं।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਬੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ। 1957 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਈਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਅਠ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਲਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ

[ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ]

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ । ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁ-ਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਰਜ ਬਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਰਹੀ । ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਰਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਇਕ ਬੇਹਤਰ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਐਡ-ਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਤਰੀਕਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੋਂ ਉਤੇ ਜਾਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਮਨਿਸ-ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਖੜਾਏ । ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ । ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿਚ ਪਵਾਂ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਾਮਿਆਬ ਹੋਣਗੇ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਕ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜੇਹਾ ਅਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ,

ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ । ਉਹ ਅਨਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਦੇ ਠੀਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਭਵਿਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਮੈਂਟ ਮਿਲਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਜਣਗੇ । ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਐਚ. ਸੀ. ਦਸਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਕਮਈ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਉਘੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਸਨ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ੋਕਮਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਖਿਦਾਮਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਸ੍ਰੀ ਬਾਰੂ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਰਹੇ । ਆਪ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ । ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇਨਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਡਰਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਐਚ. ਸੀ. ਦਾਸੱਪਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਾਰੂ ਰਾਮ, ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਐਮ. ਆਰ. ਸੱਚਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ।

(I fully associate myself with the sentiments expressed in this House for Sardar Partap Singh Kairon in regard to his characteristic way of rendering service to the country. Before 1957, when the merger of Pepsu with Punjab had not yet been effected, I drew inspiration from Sardar Partap Singh as a fighter for freedom. Even afterwards whenever I had had the occasion of being close to him or of working with him in one capacity or the other I always drew inspiration from him. Even today when I look at Sardar Partap Singh's contribution towards the welfare and advancement of the people of Punjab I bow my head and heart to honour him for his high qualities. After 1957 whenever I have had an accasion to work with him or when I cast a glance

[Mr. Speaker]

on this period of eight years of my association with him I do not remember even a single moment of any weakness or anxiety of mind in him. I quite recollect that period when there was a spate of agitations in Punjab and the things had taken such a critical turn that no weak administrator could control the situation but he showed no signs of weakness and stuck to his guns. I also remember the days when China committed aggression on India. There was widespread panic among the people but the roar of Sardar Partap Singh continued unabated. I would not be exaggerating if I say that it partly was due to his roar that the morale of the people remained high throughout India. He was undoubtedly one of the best administrators. We draw incentive for good administration from his good work in every department whereever he worked. In all spheres of developmental activities he used to give his decision and he did not tolerate anyone standing in the way of developmental work. I am fully confident that the way chosen by him for developmental activities was absolutely faultless even beyond the domain of bureaucracy. I think that the ways adopted by him in every department of the State can be found useful in any sphere of administration. The good qualities possessed by him were so national in spirit that my head bows before them. In a way he was a nationalist to the core. He wanted to see the Punjab onthe way to progress ; he wanted to see it advanced high and great. Any body could differ with him but whatever opinion he formed he followed it with determination and made every effort to give effect to it. He never wavered while trying to achieve his object. He was a true patriot. Throughout his life he drew incentive from nature for every step he took. I am sure he would find a special place of honour in the history of India particularly in the history of the Punjab. There can be different opinions about the manner in which he was assassinated. It would not be proper for me to enter into this controversy. The way in which the investigation is in progress, as the Chief Minister has assured that the Central Government and the Punjab Government are carrying on the investigation in collaboration with each other, it is sure to bear fruit. The murder of Sardar Partap Singh is not murder of an ordinary nature. In my view this kind of murder of a political leader in broad day light is not an ordinary matter. I think this is policy to weaken the democracy. There is something serious going on behind it. It has become clear from the murder of Sardar Partap Singh that there exists in Punjab an element which is inimical to society, to democracy and to our constitutional fundamental rights. That element wants to weaken these things. Democracy can only be successful if we put up a fight against all such things and anti-social element is brought to book, otherwise democracy can be in danger. In case the anti social elements are not brought under control the future of democracy will have no future at all. I am confident that the Punjab Government, particularly the Central Government in collaboration with each other will go deep into this case and arrive at a conclusion so that in future nobody has the audacity to commit such things.

I also associate myself with the sentiments expresed by the Sabha on the sad demise of Shri H. C. Dasappa. He, too, was a prominent and a wise leader of our country. In the beginning he lived in

Sewagram with Mahatma Gandhi. His whole life was full of sacrifitces. Besides, associating myself with the condolence resolution relating to Shri Sachdeva I would say that the services rendered by him to country, specially to the Punjabis cannot be forgotten. Shri Baru Ram has also been a Member of this House. He has been comuig to this Asembly. We are deeply grieved at his passing away. Lastly, I express my condolence on the death of Shri Atma Singh Sheikhupura also. His name reminds of the martial law days when he fought like a brave general in our battle for freedom. He will always be remembered in history.

I pay my homage to late Sardar Partap Singh, Shri Baldev Kapur, the first Joint Director of Industries, and two others who, I think, were also killed along with them with a view to thwart the efforts to trace the murderers.

With these words I once again pay my homage to late Sardar Partap Sin gh Kairon, Shri H. C. Dasappa, Shri Baroo Ram, ex-M.L.A., Shri M. R. Sachdev, Shri Atma Singh Sheikhupura who have left us and in thei memory the House will now observe two minutes silence and will thur s pass the resolution. A copy of this will be sent to the families of the deceased persons.)

(The Houe stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the departed souls.)

(The Sabha then adjourned till 9.00 *A.M. on Wednesday the* 24*th February,* 1965.)

8834PVS.—368—29-5-65—C.P. & S., Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

24th February, 1965

Vol. I—No. 2

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 24th February, 1965

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I, NO. 2, DATED THE 24TH FEBRUARY, 1965.

Read	For	Page	Line
ਕੋਈ	ਕਈ	(2)4	21
ਲਗਾ ਕਿ	ਲਕ	(2)4	22
हदायत	हिदायद	(2)4	30
d parture	parture	(2)10	8 from below
inte rupt	interruption	(2)11	2 from below
ਦੁਖ	ਦਖ	(2)13	3
ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ	ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਮਾਸਟਰ	(2)14	3
Major	Mojor	(2)14	18
लीगल	लीगलाइज	(2)14	28
ਮੰਤਰੀ	ਮਤਰੀ	(2)15	last but one
Chief	Chie	(2)38	1
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	(2)50	1
ਦਫਾ	ਦਫ-	(2)50	9
hon.	non.	(2)50	5 from below
strict	st rick	(2)50	3
merciless	merciles	(2)52	28
adopted	adopte	(2)53	15
that	there	(2)53	16
extension	extention	(2)55	23
Revenue	Reveneue	(2)56	21
ਡੇਲਿਬਰੇਸ਼ਨ	ਡੇਲੀਦਰੇਸ਼ਨਜ	(2)58	4 from below
ਪੜੇ	ਪੜ੍ਹ	(2)63	9
requirement	requiremen	(2)63	11
In	Itn	(2)63	12
ब्रोड	ब्रैड	(2)65	15 from below
पंडित चिरंजी लाल शर्मा	डित चिरंज लाल शमा	(2)68	6

Read	*For*	*Page*	*Line*
within	withiin	(2)68	11 from below
language	langmage	(2)69	5
ਸਾਰੇ ਪਲੰਦੇ	ਬਾਰੇ ਪਲਦੇ	(2)69	13 and 14 from below
दिनों	दिदों	(2)69	last but one
Pandit	Pa dit	(2)82	2
ਖੰਭੇ	ਖਭੇ	(2)88	last but one
ਤਵੱਜੋ	ਤਤੱਜੋ	(2)91	20
minutes	minuts	(2)91	last but one
नतीजा	नतीज	(2)94	13
के	क	(2)94	8 from below
कान्फीडेंस	का फीडेंस	(2)97	7
लोग	लाग	(2)98	10
माननीय	माननाय	(2)98	13
आपोज़ीशन	आप ज़ेशन	(2)98	10 from below
नुक्ताचीनी	नुक्ताचाना	(2)98	7 from below
बैठे	बैठ	(2)99	10
को	का	(2)99	12
अन्दाज़ा	अन ाज़ा	(2)99	18
आखिर	अ खिर	(2)99	10 from below
इन्वैस्टीगेटिंग	इन्वैस्ट गेटिंग	(2)99	8 from below
होती	हाती	(2)99	last but one
मर्डर्ज़	मरडंज	(2)101	13
	मरडेर्ज़	(2)101	14
लेकिन	लेकिम	(2)105	last
Delete 'का' between 'इस' and 'बात'		(2)106	20
उनके	उन्के	(2)107	4
Irr	Irri	Appendix	11 from below
2262	*262	Appendix	10 from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 24th February, 1965

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector Chandigarh at, 9. a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Charges against Communist Detenus

***6883. Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number of the Left Communists arrested in the State district-wise ;

(b) the details of the charges against them, if any ;

(c) whether any documents relating to the said charges have been seized by the State Government ; if so, the same be laid on the Table of the House ;

(d) if the Government is not prepared to lay the documents on the Table of the House, the reason therefor ?

Sardar Harinder Singh Major (Revenue Minister) : (a) (i) Fifty-three.

(ii) List is laid on the Table.

(b) They have been detailed for anti-national and pro-China activities, which are prejudicial to the Defence of India and Civil Defence.

(c & d) It is not in the public interest to disclose this information.

Statement showing the number of the Left Communists arrested in the State, districtwise

Serial No.	Name and particulars
	HISSAR
1	Rachhpal Singh, son of Haveli Ram Bhatia, of Bhiwani
2	Chhattar Singh, son of Ganesh Lal, village Kultajpur, district Narnaul, now at Hansi
	ROHTAK
3	Mange Ram Vats, son of Hazari Lal, Brahmin of village Mandauti, police station Sahlawas,
4	Raghbir Singh Jhakkar, son of Prit Singh, of Jharhi, police station Salhawas
5	Uune Singh Keshav, Editor of Lal Lehar, son of Bhura Singh

[Revenue Minister]

Serial No.	Name of particulars
	GURGAON
6	Gian Singh, Pleader of Palwal, son of Sukh Singh
	KARNAL
7	Dharam Singh, son of Bulaka Singh, resident of Jundla, police station Sadar Karnal
	AMBALA
8	Ishar Singh, son of Prabhu Dayal Singh Sodhi, village Dayalpur, police station Banur, district Patiala, now Railway Station, Ambala
9	Prof. K. R. Palta of Chandigarh, son of Shadi Lal, Central College, Sector 22, Chandigarh
10	Gurbakhash Singh Dakota, son of Waryam Singh, of Santa Majra, police station Kharar
11	Mehar Singh Khanpuri, son of Tulsa Singh, Ramdasia, village Khanpur, police station Kharar
	HOSHIARPUR
12	Dr. Bhag Singh, ex-M.L.A., son of Sunder Singh, of Makhasuspur, police station Mahilpur
13	Chanan Singh Dhut, son of Basant Singh Dhut, of Dhut Kalan, police station Hariana
14	Ram Kishan Bharolian, ex-M.L.A., son of Munshi Ram, of Bharolian, police station Una
15	Bhag Singh Sajjan, son of Nihala, of Sajjon, police station Sadar Hoshiarpur
	JULLUNDUR
16	Gandharab Sen, son of Bhagwan Dass, resident of Nurmahal
17	Harkishan Singh Surjeet, son of Harnam Singh, of Bundala
18	Kishori Lal Rattan, son of Raghbir Datt Sharma
19	Gurcharan Singh Randhawa, son of Panna Singh, of Randhawa of police station Phillaur, now at Bhatinda
20	Gurbux Singh Atta, son of Partap Singh, of village Atta, police station Phillaur
21	Dhanpat Rai Nahar, son of Mehnga Ram, of Shankar
22	Kesar Singh of Surspur, son of Mala Singh, police station Banga
	LUDHIANA
23	Satwant Singh, son of Niranjan Singh, of Ludhiana, now at Sangrur
24	Rachhpal Singh, son of Bishan Singh, of Burj Hari Singh, police station Raikot
25	Bhajan Singh, son of Ram Singh, resident of Jassar, police station Sadar Ludhiana, now Canal Colony, Ferozepore Road, Ludhiana

Serial No.	Name and particulars
	FEROZEPORE
26	Chanan Singh Brar, son of Zora Singh of Phide, now Barawali, Muktsar
27	Daya Singh Prem, son of Kulu , village Kandwala Hazar-Khan, police station Sadar Fazilka, now at Akalgarh, police station Fazilka
	AMRITSAR
28	Dalip Singh Tapiala, son of Janmeja Singh of Tapiala
29	Fauza Singh Bhuller, son of Arur Singh *alias* Ram Singh *alias* Rur Singh, Jat of Bhullar, police station Lopoke
30	Hazura Singh, son of Harbans Singh, resident of Deo, police station Sadar Tarn Taran
31	Hazara Singh Jassar son of Lachhman Singh, resident of Jassar, police station Ramdass
32	Kartar Singh Gujapir, son of Narain Singh, resident of Gujapir, police station Ajnala
33	Makhan Singh Tarsikka, M.L.A., son of Gujjar Singh, police station Jandiala
34	Darshan Singh Jhabal, son of Bawa Singh, of Jhabal Kalan
	GURDASPUR
35	Amarmeet Singh, son of Chaman Singh of village Diwanwali, now at Pathankot
36	Bishan Singh, son of Sawan Singh, of Bianpur, police station Dinanagar
37	Sulakhan Singh, son of Partap Singh of Batala
	PATIALA
38	Prem Chand Bhardwaj, son of Rai Sita Ram of Derra Bassi
39	Bhim Singh, Advocate, son of Dalip Singh, Rajpura
	SANGRUR
40	Harnam Singh Chamak, son of Acchara Singh, of Lohat Badi
41	Hardit Singh Bhattal, M.L.A., son of Ram Singh of Bhattal
42	Vidya Dev Longowal, son of Kanshi Ram of Longowal
43	Ghuman Singh Ugrahan son of Pala Singh, of district Sangrur
44	Janak Singh Bhattal, son of Hari Singh of Bhattal, police station Dhansula
45	Ganda Singh, son of Harnam Singh Kalia, of Sangrur
	BHATINDA
46	Gajjan Singh Tandiana, son of Bishan Singh of Tandiana, police station Sardulgarh
47	Karnail Singh Phide, son of Sarwan Singh, of Phide Kalan

[Revenue Minister]

Serial No.	Name of particulars
48	Ram Singh Haranu, son of Sawan Singh, of Harinau, police station Kotkapura
49	Gurnam Singh Sibbian, son of Dal Singh of Sibbian, police station Sadar Bhatinda
50	Balbir Singh of Chak Attar Singhwala, son of Jhanda Singh, police station and district Bhatinda
	MAHENDARGARH
51	Dharam Singh Kasni, son of Sohan Singh, of Kasni, police station Dadri
52	Devki Nandan, son of Ram Sarup, Brahmin of Salauha, police station Narnaul
53	Satya Mandan, son of Rao Madho Singh, of Mandi, now Mohalla Nalapur, Narnaul

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਕਹਿ ਕੇ **ਐਰੇਸਟ** ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

(ਨੋ ਰਿਪਲਾਈ)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 53 ਆਦਮੀ ਲੈਫਟ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ: ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਦਮੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ?

Minister: They have been detained for anti-national and pro-china activities.

डाक्टर बलदेव प्रकाश: क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो लैफट घड़े के कम्योनिस्ट पकड़े गए हैं उनके पास से चीन के पक्ष की कोई डाकूमैंटस भी पकड़े गए हैं ?

Minister: I require notice for it.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री: क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो लैफट कम्योनिस्ट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है वह सैंट्रल सरकार की हिदायद पर लिया गया है या पंजाब सरकार ने खुद उनके पास से कोई डाकूमैंटस पकड़े हैं जिनकी बिना पर उन को पकड़ा गया है ?

Minister: I require notice for it.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 53 ਆਦਮੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਜੋ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਥੱਲੇ ਐਰੈਸਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅਲਜ਼ਾਮਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਣ ਵਿਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ?

Minister : I have already said that it is not in public interest to disclose this information.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜੋ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸਿੱਕਾ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭੱਠਲ ਘਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਫਾਦੇ ਆਮਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਾਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

Chaudhri Darshan Singh : On a point of Order, Sir. . . .

Mr. Speaker : No point of Order on a question.

Chaudhri Darshan Singh : Point of Order on a reply, Sir.

The hon. Minister has informed the House that all the 53 arrested Communists belong to the Left Wing. I ask my friend, Comrade Joga, that he, because he belongs to the Right Wing, should be happy that persons belonging to the left wing have been arrested.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰੁਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

Dr. Baldev Parkash : Sir, reply to the question put by Sardar Kulbir Singh has not been given.

Mr. Speaker : If the Government does not wish to answer it, I cannot force it to answer the question.

श्री मंगल सैन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह बात उनके नोटिस में आई है कि राइट विंग वालों ने लैफट विंग वालों पर यह अलज़ाम लगाया था कि लैफट विंग वाले चीन के समर्थक हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘਰੋਗੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤੇ ਕੀ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

पंडित श्रोम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो दो मैम्बर साहिबान और दूसरे आदमी डिटेन किये गये हैं उनकी तरफ से उनको कोई शिकायत मिली है कि उन को बैटर क्लास नहीं दी जा रही है ?

Education and Local Government Minister : No such representation has been received by the Government from those detenus and the Government is giving maximum consideration to the status of the two M.L.As.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

Education and Local Government Minister : The Government has long before decided that the M.L.A. detenus have to be treated as better. class prisoners and better class treatment is being accorded to the two M.L.As. who have been arrested.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜੋ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਪੇਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਖੇਗੀ ? ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This supplementary does not arise out of this question.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Education and Local Government Minister : They will not be detained for more than a second when they are not required.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਟੇਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

Minister : There is a policy of the Government that if the family of the detenue find any dificulty in regard to interviews, the Government will very sympathetically consider of their being transferred to their district.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਾਵਿਆ ਨਿਗਾਹ ਹੈ।

(Interruptions by Chaudhri Rizaq Ram Minister for Public Works and Welfare)

Sardar Lachhman Singh Gill : Be silent please. It is a very important question. ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਟੇਨੂਜ਼ ਦੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਦੱਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਲੋਕ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡੇਟੇਨਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡੇਟਿਨੂ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਗੁਡ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛਡ ਦੇਵੇਗੀ ? ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਵੇਗੀ ? (ਹਾਸਾ)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਡੇਟੇਨੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਛਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੁਰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਜੁਰਮ ਇਕੋ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਂਟੀ ਐਕਟੇਵਿਟੀਜ਼ ਸਨ।

श्री मंगल सैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, अभी अभी एक आनरेबल मैम्बर ने हाउस में कहा है कि मैं ने कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का की शादी में बाप का रोल प्ले किया था और मैं उस के कंडकट के बारे में एशोरैंस देने के लिए भी तैयार हूं। क्या सरकार इस बिना पर उसे छोड़ने के लिए तैयार है ? क्या कोई आनरेबल मैम्बर इस तरह की एशोरेंस दे कर इस सदन में बाप का रोल प्ले कर सकता है ? (हंसी)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार 53 डिटेन्यूज़ के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी ग्रिफतार करने के लिए तैयार है जिन को एक्टेविटोज़ अंडर ग्राऊंड भी देश के हित के विरुद्ध है ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : सरकार को जब तक किसी भी व्यक्ति की ऐंटी-नैशनल ऐक्टेविटीज़ का पूरा यकीन न हो जाए उस वक्त तक उस आदमी की आज़ादी को महरूम करने के लिए तैयार नहीं है और न ही करना चाहती है ।

श्री जगन्नाथ : क्या मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि क्या वह अपनी स्टेट के बीहाफ पर जवाब दे रहे हैं या सैंट्रल सरकार के बीहाफ पर जवाब दे रहे हैं ?

(नो रिप्लाई)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 53 ਡੈਟੇਨੂਜ਼ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ?

Mr. Speaker: This supplementry does not arise out of this question.

STARRED QUESTION No. *6804

Revenue Minister : Sir, extension has been applied for this question

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਿਪਲ ਹੈ । ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

बाबू अजीत कुमार : स्पीकर साहिब, इस सवाल का जवाब सरकार के पास सैक्रेटेरियेट में मौजूद है । सरकार इस का जवाब क्यों नहीं देना चाहती ?

Mr. Speaker : Shri Ajit Kumar, Government is not ready with the answer.

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । इस सवाल में तो पूछा गया है कि इस सत्याग्रह में कितने ग्रिफतार किए गए हैं लेकिन सरकार ने एकस्टैंशन मांग ली है । इस से साफ ज़ाहिर होता है कि यह सरकार बहुत इनएफीशैंट है ।

Mr. Speaker : I will request the Government to give answer to this Question within two/three days.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਛਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

Education and Local Government Minister : I would respectfully draw the attention of the Chair as to how this question arises. It is not at all inconvenient question for the Government. Government has nothing to hide in it. Unfortunately the district authorities have not been able to collect all the information. We will supply the information as soon as it is collected. At least, I have discussed this with my colleagues that we should not

have asked for postponement of this Question. We will, Sir, try to give reply to this Question very soon.

Mr. Speaker : The hon. Minister for Education has himself stated that the reply to this question was very simple.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਉ।

Mr. Speaker : If I have allowed the hon. Minister to reply, the hon. Member should not stand in the way. I did not object to his (hon. Minister's) giving the reply.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, यह तो बड़ा मामूली सा जवाब था, यह क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अगर आप मेरी आबज़र्वेशन वेट कर लेते तो अच्छा होता।

(It would have been better if the hon. Member had waited for my observations.)

श्री बलरामजी दास टंडन : जनाब, यह इतलाह तो हैडक्वार्टर्ज़ पर ही मिल सकती थी।

Minister : I have already said that the Government case is very weak on this question. The Government should have replied to the Question. I assure the House that the Government do not want to hide anything from the House. The information could have been collected. I assure the House that Government will be very particular to give the replies in future.

Mr. Speaker : I think, nothing is left now.

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of Order, Sir. A circular letter has been issued by the Vidhan Sabha Secretariat saying that all Questions addressed to the Chief Minister and included in the List of Starred Questions for the 24th February, 1965, stand postponed to a date which will be intimated later. I would like to know whether this postponement is being made because of the absence of the Chief Minister from Chandigarh or the replies are not ready.

Mr. Speaker : The replies are ready. The Chief Minister had to attend the Chief Ministers' Conference at Delhi. He was very anxious to reply the Questions himself. I thought that it was desirable that the Questions standing in his name be postponed.

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a further point of Order, Sir. The hon. Home and Development Minister is also not present in the House to day and his Questions are being replied to by other Ministers. There is a joint responsibility of the Council of Ministers and the postponement of Questions standing in the name of the hon. Chief Minister tells heavily upon us.

Mr. Speaker : The Chief Minister was anxious to reply the questions himself.

Pandit Chiranji Lal Sharma : On still another point of Order, Sir. Is the hon. Speaker guided by the Chief Minister or by the wishes of the hon. Members of the House ?

Mr. Speaker : The hon. Member should please take his seat. I have already acceded to the request of the Chief Minister. There should be no Point of Order against my decision.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : The observations of the hon. Member are not in good taste. It is not desirable to say this.

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर ने रिक्वैस्ट की और आप ने क़बूल कर ली। क्या उनका मतलब यह था कि कोई वज़ीर इतना काबिल नहीं है जो कि उन के महकमे के बारे में जवाब दे सके ?

Mr. Speaker : The hon. Member should please take his seat.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪਾਂਸੀ-ਬਿਲੀਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਹਿਣੀ ਹੈ......

Mr. Speaker : Let us not go by presumptions.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ? ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : The decision will depend on the reasonability of the request.

Minister : If you, Sir, permit me, I will make the position clear There is a good deal of weight in what the hon. Members Sardar Lachhm an Singh Gill and Pandit Chiranji Lal Sharma have said. It is a very unfortunate parture.......

Voices : We are not hearing anything.

आवाज़ें : स्पीकर साहिब, सुना नहीं जा रहा।

मन्त्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि जो कुछ गिल साहिब, शर्मा साहिब और दूसरे दोस्तों ने कहा है उस में काफी वज़न है। यह बदकिस्मती है कि यह डीपार्चर करना पड़ा...

एक आवाज़ : आप पर उनको कान्फीडैन्स नहीं रहा।

मन्त्री : यह बात नहीं है। जिस वक्त ऐसी बात हुई many of us will not be here बात यह है कि ....

He rather wanted to pay maximum attention to the feelings and wishes of the hon. Members of the House. That is why he asked for postponement of the Questions standing in his name. He wanted to share the feelings of the hon. Members of the House. I would, however, request him not to do this in future.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1963 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦ੍ਰ ਹੋਰੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲੀਟੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

Chaudhri Hardwari Lal : On a point of Order, Sir. It is a very legitimate expectation of the House that the Ministers should be present in the House during the course of the Session. Much too in the past, the Ministers have been absent. It is quite correct that the Ministers may choose to remain away to Delhi for days on end. You may, therefore, convey to the Chief Minister and other Ministers that the House expects them to stay at Chandigarh during the Session days. They should also be present in the House to hear the hon. Members.

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of Order, Sir. I would like to have your Ruling on my point of Order. I would like to know whether the same principle will apply......

Mr. Speaker : I have followed the point of the hon. Member.....

Pandit Chiranji Lal Sharma : It is a question of principle and it has to be observed in this House.

Mr. Speaker : There is no need of raising the same point of order time and again.

Pandit Chiranji Lal Sharma : I would like to know whether this principle will also apply to other Ministers when they will be away and they will request that the questions standing in their names be postponed ?

Mr. Speaker : I shall give my ruling.

Comrade Shamsher Singh Josh : Mr. Speaker, my submission is that generally the questions are postponed when the replies are not ready. In this case, the replies of the questions standing in the name of the hon. Chief Minister for to-day have been placed on the table of the House. I would like to point out that the Chief Minister has often declared

[* * * *]

I hope that this thing will not be repeated in future.

Minister : Mr. Speaker, Sir, I would request that the hon. Member be requested to withdraw his remarks against the hon. Chief Minister. I have already admitted that this is an unfortunate departure and we will try to reply the questions in future.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ; ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ?......... ਜਿਥੇ ਵੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿਉ......

Mr. Speaker : Please don't interruption.

**Note*—Expunged as ordered by the Chairs.

मन्त्री : मैं ने कहा है कि आइंदा न सिर्फ आप की फीलिंग्ज़ का अहसास रखने की कोशिश ही करेंगे बल्कि आप को यकीन दिलाता हूं, as I have already stated that this is a bad departure and I will earnestly request the Chief Minister in this connection.

Mr. Speaker : Please withdraw your remarks about the Chief Minister in relation to the Prime Minister.

Comrade Shamsher Singh Josh : No, Sir, the Chief Minister issued a press statement [* * * * *] I have just quoted him.

Mr. Speaker : Please withdraw your remarks.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਹੁਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅਪਣੇ ਉਹ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ [* * * * *] ਜਨਾਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਨ [* * * * *] ਜਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ [* * * *] ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Mr. Speaker : So far as the question regarding the postponement of the questions due to the absence of the Chief Minister or other Ministers is concerned this time the postponement was allowed because there was an important meeting of the Chief Ministers at Delhi which was to tackle an important all-India issue. Therefore, this request was allowed. I thought that it was in the interests of the House itself as the Chief Minister himself was anxious to reply to the questions. I do feel that it is an extraordinary situation. The Honourable Minister, Shri Prabodh Chandra, has given the assurance that in future there will be no postponement of questions on account of the absence of any Minister. I shall also expect that during this Session, unless there are very extraordinary circumstances the Ministers would not try to be absent from the House.

So far as the observation made by Comrade Shamsher Singh Josh is concerned I do feel that the words used by him are not in good taste and should be withdrawn by him. If he does not do so I shall have to expunge the same.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਜੇਕਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਉਤੇ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : I cannot allow the honourable Member to make such observations. He should please withdraw them .

**Note*—Expunged as ordered by the Chair.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਅਗੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰ-ਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਖ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ—ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : It is not a question of the prestige of the Chief Minister. It is a question of the prestige of the House which is involved.

(*Interruptions*)

Sardar Gurnam Singh : May I know, Sir, whether the Chief Minister can be quoted or not quoted. He made a statement to this effect in the press.

Mr. Speaker : If the words used are unparliamentary, those should not be quoted.

Sardar Gurnam Singh : It is a metaphorical. He said **** He has just quoted him.

Comrade Shamsher Singh Josh : I regard it as my right to quote the Chief Minister, as he himself said these words outside the House.

Mr. Speaker : These remarks are expunged.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : If the words are unparliamentary, they should not be quoted.

Sardar Gurnam Singh : You have made a general statement. I want to know whether the word 'driver' used in the sense as done by the Chief Minister is unparliamentary ?

Mr. Speaker : Anybody can use any observations or comments outside the House, but no unparliamentary words should be used inside the House.

Sardar Gurnam Singh : That is exactly my submission. I want to know from the Honourable Speaker whether the word 'driver' as used by the Honourable Chief Minister is unparliamentary ?

Mr. Speaker : Sardar Gurnam Singh Ji, while expunging the remarks, I came to the conclusion that the honourable Member used these words in contemptuous terms.

Voices from the Opposition : No, No.

श्री जगन्नाथ : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। चीफ मिनिस्टर साहिब ने तो ग्रपने ग्राप को [* * * * * * *] बताया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका कंडक्टर इस हाऊस में से ही कोई है या बाहर से ? (हंसी)

**Note*—Expunged as ordered by the Chair.

Mr. Speaker : This is very much regrettable. The honourable Member is trying to act in a most irresponsible manner.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਜਨਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰੀਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕੰਟੈਮਪਚੁਅਸਲੀ ਕਹੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚੋਂ [* * * *] ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ।

Reinstatement of Shri D.S. Grewal, I.P.S.

***6918. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether Shri D.S. Grewal, I.P.S., has been reinstated, if so, since when, and the place where he has been posted at present ;

(b) the total amount of pay and allowances paid to the said officer for the period he remained under suspension ?

Sardar Harindar Singh Mojor (Revenue Minister) : (a) Yes, with effect from 27th November, 1964. The question of posting of Shri D.S. Grewal is under consideration of the Government.

(b) The total amount payable to Shri Grewal is being worked out by the Accountant-General, Punjab.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਉ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या माल मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि श्री ग्रेवाल की पोस्टिंग कब तक हो जायेगी ?

Minister : As early as possible.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो पे उनको बगैर किसी पोस्ट पर लगाये दी जा रही है, वह लीगलाइज है ?

Minister : He got full pay and allowances.

श्री बलरामजी दास टंडन : वह अलग बात है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब से वह रीइन्स्टेट हुए हैं यानी 27 नवम्बर, 1964 से लेकर अब तक या जब तक उनकी रैग्युलर पोस्टिंग नहीं होती जो पे उनको दी जा रही है वह लीगलाईज़ है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने पोज़ीशन वर्क आऊट की है ?

Minister : If the honourable member wants a categorical assurance from me, I will require a separate notice for it.

**Note.*—Expunged as ordered by the chair.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, इस सवाल का नोटिस कोई डेढ़ महीना पहिले आपके द्वारा सरकार के पास पहुंच गया था। इस में मैं ने साफ तौर पर यह बात पूछी हुई है कि रीइन्स्टेटमैंट के बाद श्री डी० एस० ग्रेवाल की पोस्टिंग कहां की गई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि 27 नवम्बर, 1964 को उनकी रीइन्स्टेटमैंट हो गई थी। लेकिन अभी तक किसी जगह पर उनकी पोस्टिंग नहीं की गई। जहां तक उनके एरियर्ज़ का सवाल है वह अलग बात है। वह तो सरकार की तरफ से वर्क आऊट हो रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल साफ है कि जब से उनकी रीइन्स्टेटमैंट हुई है तब से लेकर अब तक बगैर किसी जगह पर पोस्ट किए उनको जो तन्खाह वगैरा दी जा रही है वह लीगल है या क्या है? इस सम्बन्ध में लीगल पोज़ीशन क्या है?

Mr. Speaker : So far as the facts are concerned, the reply is there. As regards its legal aspect, it is a matter of opinion.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know from the Revenue Minister as to whether the reinstatement of the officer has been duly gazetted ? If so, on what basis ?

Minister : I think the answer is already covered in the reply which I have given that he has been reinstated with effect from 27th November, 1964. It is automatically understood that it must have been gazetted.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਿਚ ਆਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਮ ਲਏ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know the reasons for this inordinate delay in the posting of the said officer ?

ਮਤਰੀ : ਇਹ ਡੀਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਬੈਸਟ ਯੂਟੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि श्री ग्रेवाल को रीइनस्टेट करने के बाद कौनसी ड्यूटी ी गई है और वह किस जगह पर ड्यूटी पर ताएनात है ?

Minister : This very question is under the consideration of the Government.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਏਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗਲ ਵੱਲ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । (The hon. Member has tried to kill two birds with one stone through this point of order. He has not only put a supplementary but has also simultaneously raised a point of order.)

चौधरी देवी लाल : अभी अभी मिनिस्टर साहब ने बताया है कि अभी श्री ग्रेवाल की पोस्टिंग नहीं हुई हालांकि उनको 27 नवम्बर, 1964 से रीइनस्टेट कर दिया गया हुआ है। और इसी तरह से कौंसिल के चेयरमैन की जगह सात महीने से खाली पड़ी हुई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमैन्ट की इस बारे में पालिसी क्या है कि रीइनस्टेट करने के बाद किसी अफसर को कितनी देर बाद पोस्ट किया जाता है ?

Finance Minister: I may state for the information of the hon. member that the Chairman, Punjab Legislative Council, is not to be appointed but is to be elected by the Members of that House.

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि मिस्टर ग्रेवाल को जब इन्होंने 27 नवम्बर, 1964 से रीइनस्टेट किया हुआ है तो उसको किसी जगह पर पोस्ट न करने के वजूहात क्या हैं ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ਤਾਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि मिस्टर ग्रेवाल इन तीन महीनों की तन्खाह जिन में उस ने कोई काम नहीं किया, कहां से अदा करेंगे ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਆਪ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ।

(Some Hon. Members rose to ask supplementaries)

Mr. Speaker : The hon. Members should be happy that Sardar Kapoor Singh Jee, as Finance Minister has taken notice of their questions.

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : मुझे अफसोस है कि मिस्टर ग्रेवाल की पोस्टिंग के बारे में इतने लम्बे अर्सा तक फैसला नहीं किया जा सका कि उसको कहां पर लगाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि मिस्टर ग्रेवाल की रोइनस्टेटमैंट का केस दूसरे आप रीइनस्टेटमैन्ट के केसिज़ से अलग नौइयत का था क्योंकि इस में कुछ पोलिटीकल इशूज़ इनवालव्ड हैं। खैर, मैं हाउस को यकीन दिलाता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ का फैसला कर देंगे और इस बारे में हाऊस को इतलाह देंगे। For the delay we are sorry.

Sardar Gurnam Singh : Is it true that the delay in his posting is due to certain lack of skilful drive in the Cabinet ?

Minister : There is no question of not being skilful. It is the public money that is being paid to the Officer and the Government is very willing and anxious to take as much work as they can, out of the Officer and I have already taken the House into confidence that as soon as the hon. Chief Minister comes I will consult him and let the House know about the latest position.

श्री मंगल सैन : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो उन्होंने सवाल के जवाब में कहा है कि क्योंकि इस केस में कुछ पुलिटीकल इशूज़ इनावलव्ड है इसलिए केन्द्र से बातचीत चल रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसे पुलिटीकल इशूज़ इस केस से बावस्ता हैं ?

(Interruption by Sardar Lachhman Singh Gill).

मन्त्री : हाऊस भली भान्ति जानता है कि श्री ग्रेवाल का जो केस है वह आम अफसरों की रीइनस्टेटमैन्ट के केसों की तरह का नहीं है as certain very fundamental issues were involved in it. मैं महसूस करता हूं कि उस की पोस्टिंग करने में वाकई देर हो गई है और इस अर्सा में उसे किसी न किसी जगह पर लगा दिया जाना चाहिये था। हाऊस के इस नज़रिए को हम सामने रखकर कोशिश करेंगे कि जल्दी उसकी पोस्टिंग का फैसला कर दिया जाये। जहां वह लगाया जा सकता हो लगा देंगे और हाऊस को इतलाह दे देंगे।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਮੇਂ ਕੁਛ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਈਸ਼ੂਜ਼ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹੈ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਰੀਇਨਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ।

Minister : So far as the reinstatement of the Officer is concerned, no political issue was involved. But in regard to the question of his posting, Government have to keep political considerations in view. Supposing he had been posted in Amritsar and certain unfortunate thing had happened, Government would have been blamed. Therefore, the Government have to keep all these things in view while posting an Officer at some place.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਲਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੋ ਜਗਾਹ ਤੇ ਲਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਲਗੇ ।

Minister : There is absolutely no difference among the Cabinet Members. The Home Minister and the Chief Minister are the final authority to decide the place of the posting of the Officer concerned.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ?

Mr. Speaker : It is a suggestion for action. Moreover, it is not a proper supplementary.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰੀਇੰਸਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਡੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ ਇਨਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

Minister's visit to Harbalabh Sangeet Mela, Jullundur

***6838. Comrade Gurbaksh Singh Dhaliwal :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the names of the Ministers who visited Jullundur during the Harbalabh Sangeet Mela held there this year and the amount donated by each of them out of their discretionary funds ;

(b) the main purpose of the said donation and the name of the Society to which it has been donated ?

Sardar Harinder Singh Major (Revenue Minister) :

		Rs
(a) 1.	Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab ..	5,000
2.	Shri Darbara Singh, Home and Development Minister, Punjab ..	4,900
3.	Shri Prabodh Chander, Education and Local Government Minister, Punjab ..	2,100

(b) The grants were given to Shri Baba Harballabh Sangeet Maha Sabha, Devi Talab, Jullundur City. The main purpose of the grants were to give financial aid to this Cultural Society to enable it to meet its expenses.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਉਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਲਈ ਅਲਹਿਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ । (The hon. Member may please give a separate notice for this).

श्रीमती ओम प्रभा जैन : क्या एक ही सोसाइटी को एक ही परपज़ के लिए जुदा २ मिनिस्टर पैसे दे सकते हैं ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : हां, दे सकते हैं । उन्होंने कोई खिलाफ कानून बात नहीं की ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Education Minister as to whether these discretionary grants were given by the three Ministers the same day and at the same time ?

Minister : They were not given the same day and at the same time.

श्री मंगल सैन : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया वहां पर मेले के सम्बन्ध में दिया गया है क्या गवर्नमैन्ट ने इस बात का प्रबन्ध किया है कि उस रुपए का सदुपयोग हो ?

मन्त्री : जो भी रुपया दिया जाता है वह सोसाइटी को डायरैक्ट नहीं दिया जाता बल्कि उस ज़िला के डिप्टी कमिश्नर की मार्फत दिया जाता है और यह उस डिप्टी कमिश्नर की ज़िम्मेदारी है कि वह देखे कि रुपया उसी काम में लाया जाता है जिस के लिए वह दिया गया है।

चौधरी देवी लाल : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह फंड डिस्क्रीशनरी फंड है या डिस्क्रिमीनेटरी फंड है ? क्या वजह है कि इस फंड का एक पैसा भी हरियाणा के इलाका में नहीं दिया जाता ?

मन्त्री : चौधरी साहिब को गलत फहमी हुई है । यह डिस्क्रीशनरी फंड ही है डिस्क्रिमीनेटरी फंड नहीं है । यह बात हकीकत से परे है कि इस में से हरियाणा के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया । मैं उन को यकीन दिलाता हूं कि मैं पिछले सात महीने में कोई बीस जगह गया हूं और मैं ने दोनों ही इलाकों में पैसा दिया है । छ: सात जगह पर हरियाणा में गया हूं और जहां भी गया हूं मैं ने हर जगह पर हरियाणा में पैसा दिया है जिस भी फंक्शन में मैं शामिल हुआ हूं । श्री मंगल सैन जी ताईद करेंगे कि अभी कोई पंद्रह ही दिन हुए हैं जब मैं ने एक जगह पर पैसा दिया है ।

Chaudhri Hardwari Lal : The Minister has said that it is the responsibility of the Deputy Commissioners to satisfy themselves that the amounts given by the Ministers out of the discretionary fund are properly utilised. Does the Government secure any reports from the Deputy Commissioners in this connection ?

Chaudhri Hardwari Lal : I wanted to know whether the Government secures any reports from the Deputy Commissioners in that connection ?

Minister : If there are any complaints that the amount was not spent for the purpose for which it was given, it is the function and the duty of the Deputy Commissioner to keep in touch with the Government and I may tell my friend that so far no complaints have been received about the mis-use of the money given out of the discretionary fund.

श्रीमती शन्नो देवी : स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा वज़ीर साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि इस में शक नहीं है कि यह डिस्क्रीशनरी फंड है मगर इस को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। बारह हजार रुपया तो जालन्धर में दे दिया मगर जब यमुनानगर यह साहिबान जाते हैं तो सिर्फ पांच हजार दिया। इस लिए दरखास्त है कि इस का इस्तेमाल जरा ध्यान से किया करें। (विघ्न)।
मेरा सप्लीमैन्ट्री नहीं है, मैं ने तो सिर्फ अपनी सरकार का ध्यान ही इस तरफ दिलाया है।

श्री जगन्नाथ : इन वज़ीर साहिबान ने खुश होकर इस संगीत मेले में इतना जो पैसा दे दिया तो क्या इस मेले में बम्बे से ऐक्ट्रैसिज़ भी आई हुई थीं ?

मन्त्री : इस मेले में जितने भी कलाकारों ने हिस्सा लिया वह सब कलासीकल और लोकल म्यूज़िक के माहर थे। ऐक्ट्रैसिज़ उस मेले में नहीं आईं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰੂਲਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਮਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਕਨਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਬਾਰ ਉਠਿਆ ਹਾਂ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੁਛ ਸਕਣ ਪੁਛਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। (My effort is that the maximum number of Members may be accommodated so that they feel encouraged.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : I am so sorry that the hon. Member has that feeling.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦ ਕੈਬਨਟ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਗੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ । (ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਠੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । (ਹਾਸਾ) (I was watching whether or not Comrade Shamsher Singh Josh had risen to catch my eye because he had alleged that I was victimising him.) (*Laughter*)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि अगर संगीत मेले का काज इतना ही डिज़र्विंग काज था तो बाकी के चार वज़ीर वहां पर पैसे देने क्यों नहीं गए ?

मन्त्री : उनको वहां जाने का मौका ही नहीं मिला वरना वह भी दे आते । (हंसी) ।

श्री मंगल सेन : हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब रसीले आदमी हैं, उन्हें ऐसी चीज़ों का शौक है इस लिये उन्हें भी वहां जाकर ग्रांट देनी चाहिये थी ।

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੋ ਤੇ ਬੁਲਾਉਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ।

कामरेड राम प्यारा : सप्लीमैंट्री सर ।

Mr. Speaker : The question hour is over now.

कामरेड राम प्यारा : कल इजाज़त दे दें ।

Mr. Speaker : No please.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Complaint against Sarpanch of Majri Fatehsingh, District Patiala

***6805. Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether any complaint dated 30th September, 1964, regarding embezzlement of Rs 3,300 and some other amounts by Shri Jangir Singh, Sarpanch of village Majri Fateh Singh, tehsil Samana, district Patiala, has been received by the authorities;

(b) if the answer to part (a) above be in affirmative, whether any enquiry into the said allegations has been held, if so, the result thereof and the action taken thereon ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. A complaint dated 16th October, 1964 and not 30th September, 1964 was received.

(b) Yes. An enquiry was conducted but no case for action against the Sarpanch was proved.

Rectified and Methylated Spirit

***6840. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that there are huge stocks of rectified and methylated spirit lying with the Modi Distillery and that the scarcity in these commodities is man-made ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the steps being taken or proposed to be taken to overcome this crisis ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Part I—Yes.

Part II—There is no scarcity.

(b) Does not arise.

Allotment of inferior evacuee lands to Harijans and others

***6790. Chaudhri Ran Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government have issued any instructions to the effect that inferior evacuee lands in the State should be allotted to the Harijans and others ; if so, the details thereof ;

(b) the area so allotted, villagewise, in district Karnal ;

(c) the area lying unallotted as yet, villagewise, in the said district together with the reasons for which it has not yet been allotted ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes. A statement giving the requisite information is laid on the table of the House at Annexure 'A'.

(b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House at Annexure 'B'.

(c) (i) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House at Annexure 'C'.

(ii) The allotment work was started tehsilwise. This work was taken up first in Kaithal and Panipat Tehsils and has been finished there. The allotment work in Thanesar and Karnal Tehsils is now in progress.

ANNEXURE 'A'

In accordance with the instructions issued by Government, 50 per cent of the inferior evacuee land other than that situated within ten miles of Indo-Pakistan border in the three districts of Gurdaspur, Amritsar and Ferozepur and about 700 acres earmarked for the establishment of a colony for Graduates in Agriculture in the Karnal District, is to be allotted to the Harijans, and the rest to the members of backward classes, Indian Christians, Ex-servicemen. Preference in the allotment is given to the persons of the village where the land is available for allotment. The main terms and conditions for the allotment are as under :—

(a) The land is leased out at the rate of 12½ acres per family for 10 years in the first instance by the Allotment Committee.

(b) The lessee is not required to pay any lease money, land revenue or other cesses in the first five years, but the lease money for the Banjar land is, however, required to be recovered at the rate of rupee one per acre per year. If canal irrigation has been extended, then Abiana is leviable. After expiry of that period, the lessee is, of course, required to pay the land revenue and other cesses.

(c) After a period of five years, the lessee has the option to purchase the land at the rate of Rs 40 per acre of Banjar land and Rs 25 per acre of Ghair-mumkin land. The lease money recovery from him is deductable from the sale price and the net amount due is payable either in lump sum or in four equal annual instalments.

(d) If the lessee does not want to purchase the land, he is required to deliver vacant possession of the land leased to him and is not entitled to any compensation for improvements made thereon.

(e) The lessee is required to bring under cultivation or proper use 1/4th of the land in the first three years of the lease, and the remaining 3/4th in the next two years.

(f) The cultivated area or the area put to proper use, should not be reduced to less than one-half in any case after the first year.

ANNEXURE 'B'

Statement showing the area of inferior evacuee land allotted so far, villagewise, in Karnal District

Serial No.	Name of village	Area allotted in acres		
		A.	K.	M.
1	Hartari	21	6	0
2	Azizullahpur	7	2	0
3	Sithana	26	6	0
4	Wazirpur Tatiana	27	0	0
5	Chhalondi	10	3	19
6	Maisi	4	4	9
7	Gangheri	3	3	3
8	Rurki	5	2	10
9	Machhrauli	12	0	2
10	Jathlana	2	0	0
11	Unheri	13	7	0
12	Palewala	1	0	0
13	Ajrana Khurd	62	7	10
14	Pabri	137	0	0
15	Fatehgarh Atari	8	7	12
16	Malikpur	12	0	2
17	Jhakoli	1	5	3
18	Pundri	0	2	3
19	Teontha	3	7	12
20	Sakra	18	5	7
21	Baraut	3	2	3

[Revenue Minister]

Serial No.	Name of village		Area allotted in acres		
			A.	K.	M.
22	Theh Banera	..	5	0	0
23	Bahri	..	15	7	05
24	Mohammad Khera	..	0	7	5
25	Kheri Sher Kan	..	1	5	6
26	Dhanauli	..	3	2	8
27	Rodh	..	2	3	6
28	Thal	..	3	0	0
29	Tharota	..	5	5	1
30	Bhagana	..	25	0	17
31	Kheri Sharaf Ali	..	10	3	3
32	Mardan Heri	..	17	7	11
33	Assandh	..	4	0	0
34	Padla	..	1	2	17
35	Udnaicha	..	1	6	6
36	Mand Kalian	..	38	7	0
37	Kasaur	..	52	5	3
38	Agond	..	20	2	12
39	Mast Garh	..	135	2	2
40	Taranwali	..	13	2	1
41	Khamba Hera	..	88	5	15
42	Bhuna	..	5	1	5
43	Sair	..	47	0	10
44	Kheri Ghulam Ali	..	95	5	2
45	Parbhat	..	3	0	7
46	Umedpur	..	12	7	3
47	Landar Keman	..	8	1	16
48	Landana Chaku	..	50	4	15
49	Kharak	..	68	2	0
50	Theh Kharak	..	142	2	0
51	Urlana	..	58	0	15

Serial No.	Name of village		Area allotted in acres		
			A.	K.	M.
52	Pasawal	..	26	3	16
53	Kalsa	..	4	3	4
54	Kheri Shish Giran	..	2	0	12
55	Mohanpur	..	2	2	18
56	Kakrala Inayat	...	68	0	6
57	Karah	..	3	6	18
58	Bhonsla	..	7	5	11
59	Zulmat	..	8	7	0
60	Sewan	..	29	6	18
61	Nissing	..	97	1	4
62	Jundla	..	23	7	0
63	Pabana Hussanpur	..	1	7	11
64	Bastali	..	1	0	0
65	Bansa	..	50	7	14
66	Baras	..	173	1	9
67	Kachhwa	..	197	0	11
68	Budhanpur	..	5	6	0
69	Tatarpur	..	16	6	3
70	Chaunara	..	0	1	11
71	Malakpur	..	43	5	16
72	Pundri	..	1	0	1
73	Faridpur	..	3	7	17
74	Garhi Khajur	..	19	2	1
75	Palheri	..	6	1	8
76	Dadlana	..	45	1	5
77	Kutana	..	10	6	7
78	Begumpur	..	0	6	14
79	Rer Kalan	..	520	6	11
80	Munk	..	1,017	0	0

[Revenue Minister]

Serial No.	Name of village		Area allotted in acres		
			A.	K.	M.
81	Upli	..	14	6	11
82	Badshapur	..	12	4	0
83	Bir Badalwa	..	0	3	7
84	Pastana	..	23	0	18
85	Sawant	..	33	6	12
86	Bahaula	..	60	5	9
87	Shamgarh	..	38	4	13
88	Sultanpur	..	1	4	0
89	Bir Barauli	..	49	2	0
90	Saddarpur	..	75	0	0
91	Lalupur	..	7	2	0
92	Ramba	..	9	1	8
93	Pipalwali	..	4	4	16
94	Nagla	..	3	0	0
95	Salarpur	..	2	7	15
96	Mughal Majra	..	10	1	16
97	Kharajpur	..	8	0	0
98	Kunda Kalan	..	146	6	0
99	Rasulpur	..	0	3	7
100	Gudha	..	5	5	18
101	Kalri Jagir	..	56	3	16
102	Sayyed Chhapra	..	108	3	0
103	Zabti Chhapra	..	59	6	0
104	Haibatpur	..	1	2	10
105	Biana	..	57	1	10
106	Kunjpura	..	159	3	4

ANNEXURE 'C'

Statement showing the area of unallotted inferior evacuee land, villagewise, in Karnal District

Serial No.	Name of the Village		Area lying unallotted (in acres)		
			A.	K.	M.
1	Tagra	..	3	1	16
2	Rai	..	13	1	14
3	Nagli	..	69	7	0
4	Gumthala	..	623	3	3
5	Sandhala	..	34	5	0
6	Khanda Kheri	..	1	4	8
7	Roherian	..	0	0	2
8	Rajaund	..	0	1	5
9	Guhna	..	0	0	4
10	Kheri Rao Wali	..	0	1	8
11	Pharal	..	1	7	18
12	Dehna	..	0	5	15
13	Achhanpur	..	0	3	9
14	Azimgarh	..	7	5	14
15	Malikpur	..	0	7	2
16	Kheri Mardan	..	2	7	16
17	Himun Mazra	..	10	7	2
18	Phaprala	..	6	1	9
19	Nagal	..	14	0	4
20	Bhorak	..	18	2	16
21	Adhoya	..	0	0	2
22	Bhor Sayyedan	..	2	5	12
23	Balbehra	..	1	0	0
24	Gumthala Gerhu	..	4	0	12
25	Mohri	..	3[illegible]	4	19
26	Sambhli	..	33	6	16
27	Barsat	..	190	0	0

[Revenue Minister]

Serial No.	Name of the village		Area lying unallotted (in acres)		
			A	K	M
28	Khojgipur	..	27	7	7
29	Garh Sharnai	..	13	2	13
30	Babarpur	..	0	2	1
31	Kapron	..	90	2	0
32	Naraina	..	11	7	9
33	Bir Naraina	..	3	0	0
34	Rajgarh	..	1	0	8
35	Kirmich	..	0	5	8
36	Amargarh	..	1	0	18
37	Kalweheri	..	0	2	9
38	Churni	..	0	2	4
39	Shergarh	..	0	4	6
40	Mazban	..	4	6	0
41	Bir Rai Takhana	..	1	1	1
42	Tussang	..	46	5	15
43	Dabkauli	..	1	3	10
44	Naurta	..	7	0	0
45	Garhi Sadan	..	14	3	7
46	Dabu Kheri	..	0	2	15
47	Garhpur Khalsa	..	0	6	3
48	Makhala	..	0	4	0
49	Rasulpur	..	2	0	6
50	Aibla	..	0	3	15
51	Ghisarpari	..	9	1	11
52	Karnal	..	34	0	0
53	Gondar	..	194	5	3
54	Dachaur	..	641	0	17

Representations from Harijans of Village Tanda Ram Sahai, district Hoshiarpur

***6810. Principal Rala Ram** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government have received any representation from the Harijans of village Tanda Ram Sahai, tehsil Dasuya, district Hoshiarpur, during the period from 25th September, 1964 to-date regarding victimization of persons belonging to the scheduled castes in regard to auction of culturable land by the Sale Commissioner/Authorities concerned of the Rehabilitation Department, Jullundur ; if so, when and a copy of the representation be laid on the table of the House ;

(b) the action, if any, taken or proposed to be taken on the abovementioned representation ;

(c) the steps, if any taken or proposed to be taken to prevent such victimization in future ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) A copy of representation received on 30th September, 1964 from Shri Dhanna Singh, Ad-Dharmi, auction purchaser, regarding auction of this land, is as follows.

(b) and (c) The property had been sold by public auction. The sale was challenged by some persons, in accordance with the Rules governing the disposal of surplus rural evacuee properties. Resale of land was accordingly ordered. Shri Dhanna Singh filed an appeal which was decided judicially by a competent Court. The case neither involves any victimization nor calls for any action.

To

Comrade Ram Kishan,
Chief Minister, Punjab,
Chandigarh.

Subject.—Victimization of Scheduled Caste in Village Tanda Ram Sahai, Tehsil Dasuya, District Hoshiarpur, in regard to auction of a culturable land by the Sale Commissioner, Jullundur.

Sir,

With due respect, I beg to bring the following facts to your kind notice for intervention in the matter :—

(1) that I am a permanent resident of village Tanda Ram-Sahai, tehsil Dasuya and District Hoshiarpur and belong to a Scheduled caste family.

(2) that on 21st July, 1964 an announcement was made on behalf of Sale Commissioner, Jullundur that a piece of land measuring 18 kanals situated in my village had to be auctioned publicly on 12th August, 1964 in Sub-Tehsil Mukerian.

(3) that the auction for the said piece of land started in the morning of 12th August, 1964 at Sub-Tehsil Mukerian by a Tehsildar of the Sales Commissioner's Office, Jullundur.

(4) that the piece of land remained opened for auction till evening and a number of bidders came forward and offered their bids. At least two hundred men were present there.

(5) that my bid for the said piece of land was Rs 1,600 and being the highest was accepted with the fall of hammer and I paid a sum of Rs 400 as earnest money then and there.

[Revenue Minister]

(6) that the said piece of land has not been transferred to me so far.

(7) that Sarvhsri Milkha Singh, Lachman Singh, Ishar Singh, Hari Singh all non-scheduled castes challenged me that they will not permit me to take that land under any circumstances. The reason being that they do not want that a member of scheduled caste family should purchase the land in question.

(8) that they have now challenged the said auction on some false pretexts.

In view of the position explained above, I beg to approach you to kindly intervene in the matter so that the petitioner may not be victimised on this ground only that he belongs to scheduled caste family.

Yours faithfully,

(Sd/) Dhanna Singh Ad-Dharmi,
Member Panchayat,
Village and post office Tanda Ram-Sahai,
tehsil Dasuya, District Hoshiarpur.

Dated : September, 1964.

Shifting of Employment Exchange from Talwara

***7000. Principal Rala Ram :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the reasons for shifting the office of the Employment Exchange from Talwara Township to a small village named Mangowal ;

(b) whether he is aware of the fact that as a result of shifting of the said office all candidates, oustees or non-oustees, seeking employment under the Beas Dam Project, which has its Headquarter at Talwara Township will experience great difficulties and inconvenience, if so, the action, if any, proposed to be taken to remove the same ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The larger number of the oustees live in the proximity of Mangwal.

(b) As a Sub-Office has been opened at Talwara the oustees and others residing in Talwara Township will experience no such difficulties.

Ejectment notices served on Scheduled Castes allottees of Agricultural Land in Faridkot

***6839. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether any ejectment notices have been served by the Punjab Welfare Department on the Scheduled Castes allottees of agricultural land in Faridkot ; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Rizaq Ram : Yes, as the beneficiaries failed to pay their share of the cost of the land purchased.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Employees retrenched in the Public Relations Department

2244. Shri Amar Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the total number and names of employees holding Class I, II, III, or IV posts, separately, district-wise, who were retrenched in the Public Relations Department recently together with the names of those among them belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes, category-wise and district-wise ?

Shri Ram Kishan : A statement containing the requisite information is as follows :—

STATEMENT

Name of Class III Employees retrenched

All are Class III Servants excepting workers who are paid out of contingencies

District	Serial No.	Name	Designation	Whether Scheduled Caste/Backward Class
Hissar ..	1	Shri Yadvindra Singh ..	Supervisor	
	2	Shri Sukhwant Singh ..	Do	
	3	Shrimati Raj Josh ..	Do	
	4	Shri Pat Ram Verma ..	Organiser	Backward Class
	5	Shrimati Jai Devi ..	R.P.W.	
	6	Shri Krishan Datt ..	Do	
	7	Shri Jassa Ram ..	Do	Scheduled Caste
	8	Shri Phool Singh ..	Do	Scheduled Caste
	9	Shri Des Raj ..	Do	
	10	Shri Mangal Sain ..	Do	
	11	Shri Sundar Dass ..	Do	
	12	Shri Ram Lal ..	Do	
	13	Shri Girdhari Lal ..	Do	
Rohtak ..	1	Shri Dyal Chand ..	Supervisor	
	2	Shri B.R. Wadhera ..	Do	
	3	Shrimati Gulab Kaur ..	Do	
	4	Shri Devinder Singh ..	Organiser	
	5	Shri Chander Bhan ..	R.P.W.	Scheduled Caste
	6	Shri Ram Singh ..	Do	Scheduled Caste
	7	Shri Sobha Ram ..	Do	Scheduled Caste
	8	Shri Siri Ram ..	Do	Scheduled Caste
	9	Shri Daya Kishan ..	Do	
	10	Shri Yad Ram ..	Do	Scheduled Caste
	11	Shri Ram Narain ..	Do	
	12	Shri Mange Ram ..	Do	

[Chief Minister]

District	Serial No.	Name	Designation	Whether Scheduled Caste/Backward Class
Rohtak .. concld.	13	Shri Munshi Ram ..	R.P.W.	Backward Class
	14	Shri Partap Singh ..	Do	Scheduled Caste
Gurgaon ..	1	Shri Mohinder Singh ..	Supervisor	
	2	Shri Om Parkash ..	Do	
	3	Shri Hari Ram Arya ..	Do	
	4	Shri Govind Ram ..	Organiser	Scheduled Caste
	5	Shri Jagdish Sharma ..	Do	
	6	Shrimati Tara Devi ..	Do	
	7	Shri Dharam Paul Singh ..	R.P.W.	
	8	Shri Krishan Chander ..	Do	
	9	Shri Ram Chander ..	Do	
	10	Shri Kundan Lal ..	Do	
	11	Shri Abdul Majid ..	Do	
Karnal ..	1	Shri Hira Nand Swami ..	Supervisor	
	2	Shrimati Daya Kumari ..	Do	
	3	Shri Krishan Murari ..	Organiser	
	4	Shri Sohan Singh Parwana ..	Do	
	5	Shri Randhir Singh ..	R.P.W.	
	6	Shri Babu Ram ..	Do	
	7	Shri Chater Singh ..	Do	Scheduled Caste
	8	Shri Pali Ram ..	Do	
	9	Shri Uttam Chand ..	Do	
	10	Shri Nishan Singh ..	Do	
	11	Shri Siri Dutt Senehi ..	Do	
	12	Shri Parma Nand ..	Do	
	13	Shri Ram Kishan ..	Do	
Ambala ..	1	Shri Ravinder Singh ..	Supervisor	
	2	Shri Arjan Singh ..	Organiser	
	3	Shrimati Krishna Devi ..	Do	

District	Serial No.	Name	Designation	Whether Scheduled Caste/Backward Class
Ambala concld. ..	4	Shrimati Abnash Kaur ..	Organiser	
	5	Shri Imam Din ..	R.P.W.	
	6	Shrimati Asa Malik ..	Do	
	7	Shri Kirori Shah ..	Do	
	8	Shrimati Kunti Devi ..	Do	
	9	Shri Asa Singh ..	Do	
	10	Shri Mehtab Singh ..	Do	
	11	Shri Qammar-ud-din	Do	
	12	Shri Sohan Singh ..	Do	
	13	Shri Gian Singh ..	Do	
Simla ..	1	Shri Yash Ram Bhardwaj ...	R.P.W.	
	2	Shrimati Satya Devi ..	Do	
Kangra ..	1	Shri S.D. Qammar ..	Supervisor	
	2	Shri Shiv Dev Singh ..	Organiser	
	3	Shri C.R. Prem ..	Do	
	4	Shri Amar Singh ..	Do	
	5	Shri Gurdip Singh ...	Do	
	6	Shrimati Skuntla Klair ..	Do	
	7	Shrimati Janki Devi ..	Do	
	8	Shri Vijay Sharma ..	R.P.W.	
	9	Shri Gopal Singh ..	Do	
	10	Shri Chander Seikher ..	Do	
	11	Shri Bharat Singh ..	Do	
	12	Shri Chuni Lal ..	Do	
	13	Shri Lachhi Ram Verma ..	Do	
	14	Shri Amar Chand Goswami	Do	
	15	Shri Jagdish Singh ..	Do	
	16	Shri Khimi Ram ..	Do	
	17	Shri Tulsi Ram ..	Do	
	18	Shri Lachi Ram Sharma ..	Do	

District	Serial No.	Name	Designation	Whether Scheduled Caste/Backward Class
Kangra concld.	19	Shri Durga Dass ..	R.P.W.	
	20	Shri Lachman Singh ..	Do	Scheduled Caste
Hoshiarpur ..	1	Shri Kans Raj Gohar ..	Supervisor	
	2	Shri Kushi Ram Shukla ..	Organiser	
	3	Shri Sukhdev Mitter ..	Do	
	4	Shri Baldev Singh ..	R.P.W.	
	5	Shri Arjan Dass ..	Do	
	6	Shri Hazara Singh ..	Do	Scheduled Caste
	7	Shri Gandhi Ram ..	Do	Scheduled Caste
	8	Shri Karam Singh ..	Do	
	9	Shri Chint Ram ..	Do	
	10	Shri Charan Dass ..	Do	Scheduled Caste
	11	Shri Jiwan Singh Teh ..	Do	
	12	Shri Parmeshwari Dass ..	Do	
	13	Shri Faqir Chand ..	Do	
Jullundur ..	1	Shri Ram Nath Azad ..	Supervisor	
	2	Shri Sant Kumar Juneja ..	Do	
	3	Shri Om Parkash ..	Organiser	
	4	Shrimati Shanti Devi ..	Do	
	5	Shri Jawand Singh ..	R.P.W.	
	6	Shrimti Hardep Kaur ..	Organiser	
	7	Shri Kartar Singh ..	R.P.W.	
	8	Shri Darshan Singh ..	Do	
	9	Shri Chanan Ram ..	Do	Scheduled Caste
	10	Shri Joginder Singh ..	Do	
	11	Shri Jangli Dass ..	Do	
	12	Shrimati Jasbir Kaur ..	Do	
	13	Shri Gurcharn Singh ..	Do	
	14	Shri Gian Chand ..	Do	Scheduled Caste

District	Serial No.	Name		Designation	Whether Scheduled Caste/Backward Class
Jullunder concld	15	Shri Raminder Singh	..	R.P.W.	Backward Class
	16	Shri Bhim Sain	..	Do	
	17	Shri Daulat Ram	..	Do	
Ferozepore ..	1	Shri Harbhajan Singh	..	Supervisor	
	2	Shri Swaran Singh	..	Do	
	3	Shri Amar Singh Nasad	..	Do	
	4	Shri Narinder Kumar Beri		Organiser	
	5	Shri Vijay Kumar	..	Do	
	6	Shri Bhola Singh	..	R.P.W.	
	7	Shri Ram Chand	..	Do	
	8	Shri Mohinder Singh	..	Do	
	9	Shri Gurbachan Singh	..	Do	
	10	Shri Devid Gazi	..	Do	
	11	Shri Sardara Singh	..	Do	
	12	Shrimati Avtar Kaur	..	Do	
	13	Shri Wassan Singh	..	Do	Backward Class
Ludhiana ..	1	Shrimati Joginder Kaur	..	Supervisor	
	2	Shri Karnail Singh	..	Organiser	
	3	Shri Ram Singh	..	Do	
	4	Shri Bal Kishan Moudgil	..	Do	
	5	Shri Randhir Singh	..	Worker	
	6	Shri Naginder Singh	..	Do	
	7	Shri Inder Singh	..	Do	
	8	Shri Mohinder Singh	..	Do	Scheduled Caste
	9	Shri Ajaib Singh	..	Do	
	10	Shrimati Sharan Kaur	..	Do	
	11	Shri Kulkh Raj Sharma	..	Do	
	12	Shri Hazara Singh	..	Do	Scheduled Caste
	13	Shri Kehar Singh	..	Do	

District	Serial No.	Name		Designation	Whether Scheduled Caste/Backward Class
Amritsar	1	Shri Gian Chand	..	Supervisor	
	2	Shri Chatter Singh	..	Do	
	3	Shri Puran Singh	..	Do	
	4	Shri Parshotam Dass	..	Do	
	5	Shrimati Gurdarshan Kaur		Do	
	6	Shrimati Gurmit Kaur	..	Do	
	7	Shri Swarn Singh	..	Organiser	
	8	Shrimati Abnash Kaur	..	Do	Backward Class
	9	Shrimati Sukesh Kapoor	..	Do	
	10	Shri Wasan Singh	..	R.P.W.	Scheduled Caste
	11	Shri Gurnam Singh	..	Do	
	12	Shri Jagir Singh	..	Do	
	13	Shri Karnail Singh	..	Do	
	14	Shri Barkat Ram	..	Do	
	15	Shri Shingara Singh	..	Do	
	16	Shri Dharam Singh	..	Do	
	17	Shri Ajit Singh	..	Do	
	18	Shri Arjan Singh	..	Do	
	19	Shri Kesho Dass Parwana	..	Do	Scheduled Caste
	20	Shri Kaka Singh	..	Do	
	21	Shri Kehar Singh	..	Do	
	22	Shri Anoop Singh	..	Do	
	23	Shri Banta Singh	..	Do	Scheduled Caste
	24	Shri Puran Singh	..	Do	
	25	Shrimati Gurdas Kaur	..	Do	
	26	Shri Sucha Singh Safri	..	Do	Scheduled Caste
	27	Shri Atma Singh	..	Do	
	28	Shri Kartar Singh	..	Do	
	29	Shri Chet Singh	..	Do	Scheduled Caste
	30	Shri Vir Singh	..	Do	

District	Serial No.	Name	Designation	Whether Scheduled Caste/Backward Class
Gurdaspur ..	1	Shri Sat Paul ..	Supervisor	
	2	Shri Parlok Singh ..	Do	
	3	Shrimati Sarla Prashar ..	Do	
	4	Shrimati Swadesh Seikhri ..	Organiser	
	5	Shrimati Indra Mohini ..	Do	
	6	Shrimati Lal Devi ..	R.P.W.	Backward Class
	7	Shri Devi Sharn Sharma ..	Do	
	8	Shri Arjan Singh ..	Do	Scheduled Caste
	9	Shri Ram Murti ..	Do	
	10	Shri Gulzar Singh ..	Do	
	11	Shri Baldev Raj ..	Do	
	12	Shri Jagat Ram ..	Do	Scheduled Caste
	13	Shri Piara Singh ..	Do	
	14	Shri Chhaju Ram ..	Do	
	15	Shri Phagu Ram ..	Do	
Patiala ..	1	Shri Harpal Singh Bedi ..	Supervisor	
	2	Shri Gurcharan Singh ..	Organiser	
	3	Shri Janak Singh ..	Worker	Scheduled Caste
	4	Shri Dalip Singh ..	Do	Scheduled Caste
	5	Shri Pala Singh Pal ..	Do	Scheduled Caste
	6	Shri Babu Ram ..	Do	
	7	Shrimati Partap Kaur ..	Do	
	8	Shrimati Kartar Kaur ..	Do	
Kapurthala	1	Shri Mohinder Singh ..	Supervisor	
	2	Shri Pritam Kharbanda ..	Organiser	
	3	Shri Piara Singh ..	Worker	
	4	Shri Bhagat Ram ..	Do	Scheduled Caste
	5	Shrimati Vidya Vati ..	Do	
	6	Shrimati Prem Kumari Sondhi	Do	
	7	Shri Inder Singh ..	Do	Backward Class
	8	Shri Harbans Singh ..	Do	

[Chief Minister]

District	Serial No.	Name	Designation	Whether Scheduled Caste/Backward Class
Sangrur ..	1	Shri Hari Singh ..	Supervisor	
	2	Shri Tulsi Ram ..	Organiser	Scheduled Caste
	3	Shrimati Kusam Lata Bedi ..	Do	
	4	Shri Bhagat Ram ..	Worker	Scheduled Caste
	5	Shrimati Padama Bindal ..	Do	
	6	Shri Virsa Singh ..	Do	
	7	Shri Munshi Ram ..	Do	
	8	Shri Rameshwar Sharma ..	Do	
	9	Shri Chet Ram ..	Do	
	10	Shri Gurbax Singh ..	Do	
	11	Shri Banarsi Dass ..	Do	
	12	Shri Ram Sarup ..	Do	
Narnaul ..	1	Shri R.D. Joshi ..	Organiser	
	2	Shri Udmi Ram ..	Worker	Scheduled Caste
	3	Shrimati Shanti Devi ..	Do	
Bhatinda ..	1	Shrimati Gurdial Kaur ..	Supervisor	
	2	Shri Natha Singh ..	Organiser	
	3	Shri Raj Singh ..	Worker	Scheduled Caste
	4	Shri Bhag Singh ..	Do	
	5	Shrimati Surjit Kaur ..	Do	
	6	Shri Darshan Singh ..	Do	Scheduled Caste

Enquiry against the Principal, Government College, Muktsar

2245. Sardar Ajaib Singh Sandhu : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether any enquiry was held during 1964, against the Principal, Government College, Muktsar ; if so, when and by whom ;

(b) the details of the allegations levelled against him and the action so far taken in this regard ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No enquiry against the Principal, Government College, Muktsar, was held during 1964. However, a fact-finding enquiry to assess the affairs of the college as a whole was, held in March, 1964, jointly by the Deputy Director (General Administration) and the Deputy Director (Planning).

(b) The question does not arise.

Employees recruited for the Punjab Roadways

2248. Shri Amar Singh : Will the Chief Minister be pleased to state the names and addresses of employees recruited for the Punjab Roadways between January, 1963, to-date ?

Shri Ram Kishan : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained. Information will be supplied in respect of any particular case, if sought.

Construction of lined water-course between Rajthal and Hansi

2249. Shri Amar Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a lined water-course between Rajthal and Hansi of Hissar Major and Petwar distributary in the Hissar District ; if so, the approximate date by which it is likely to be implemented ?

Chaudhri Rizaq Ram : No.

Increase in the Pay-scales of Sweepers

2250. Shri Amar Singh : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to increase the pay-scales of Sweepers in the State ; if so, the approximate date by which it is likely to be implemented ?

Sardar Kapoor Singh : No Sir. At present there is no proposal under the consideration of Government regarding revision of Pay-scale of Sweepers in the State. The total minimum emoluments of sweepers have, however, been raised from Rs 90 per mensem to Rs 97.50 per mensem with effect from 1st January, 1965.

Upgrading of Jhundla Middle School, District Karnal

2255. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Education and Local Government with reference to the reply to Unstarred Question No. 1596 printed in the list of Unstarred Questions for 15th September, 1964 be pleased to state—

(a) whether the Government/Education Department has completed the consideration of the matter regarding upgrading of Jhundla Middle School, District Karnal, if so, with what results ;

(b) whether he received any other communication from any legislator of Karnal District, regarding the upgrading of the Schools/ Jhundla Middle School, during the month of December, 1964, if so, a copy of the same together with a copy of the reply, if any, sent thereto by him be laid on the Table of the House ?

Shri Prabodh Chandra : (a) The matter is still under consideration.

(b) Yes. A copy of the representation along with a copy of the reply sent is as follows.

[Local Government and Education Minister]

To

Shri Prabodh Chandra Ji,
Education and Health Minister, Punjab,
Chandigarh.

Subject.—Upgrading of Jundla School in Karnal (my) Constituency.

Dear Friend,

I would like to draw your kind attention toward my letter dated 23rd/24th July, 1964 and further Assembly Question No. 1596 of September, 1964 Session on the subject noted above in which you were good enough to say that the school of Jundla is receiving the attention of the Government. As the time now is ripe and so am availing an opportunity to remind you. I am very particular that I may not be deprived of a legitimate right as was deprived by Shri Kairon. According to the best of my imformation there were definite orders of the Education Minister (Sh. A. N. Vidyalankar) for the upgrading of Jundla Middle School but same were cancelled by Shri Kairon.

After that date I think the people of Jundla have further added something to the building and the population of the village is not less than eight thousand; it is on the Pacca Road and surrounded by a number of villages.

May I request you for the same ?

Hoping to be favoured with a line in reply and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
Ram Piara M. L. A.
Karnal.

No. 10038-STP-ELGM-64
Education & Local Government Minister
Dated the 5th/14th December, 1964.

My dear Ram Piara Ji,

I have received yours dated the 2nd December, 1964, on my return from tour of District Rohtak, today. I will take appropriate action when the question of upgrading of schools is initiated.

Yours sincerely,

(Sd/—Prabodh Chandra.)

Comrade Ram Piara, M.L.A.
Karnal,

Schools selected for introducing Agricultural Classes

2256. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the number and names of schools in the State district-wise where classes are being run to train students in agriculture ;

(b) whether any land for agricultural purpose is attached to each of the said schools, if so, the total area of land attached to each such school ;

(c) whether any agricultural implements were provided by the Government to the said schools during the period from January, 1960, to-date, if so, the total cost thereof school-wise ?

Shri Prabodh Chandra : (a) and (b) The requisite information is as follows.

(c) The schools are given lump sum grant every year and the purchase of implements etc., is made out of that grant by the School authorities according to their requirements.

Serial No.	Name of District	Name of School	Area
1	2	3	4
1	Hoshiarpur ..	(1) Government H.S.S., Tanda Urmar ..	50 Kanals
		(2) Government H.S.S., Garhshanker ..	11 Kanals
		(3) Govt. M.S., Nanda Chaur ..	10 Kanals
		(4) Govt. M.S., Kharar Achharwal ..	36 M.
		(5) Govt. M.S., Budhipind ..	126 M.
		(6) Govt. M.S., Cholta ..	3 K. 11 M.
		(7) Covt. M.S., Badla ..	8 A.
		(8) Govt. M.M.S., Rajpur Bhayan ..	4 K. 4 M.
		(9) Govt. H.S., Paddi Sura Singh ..	2 A.
		(10) Govt. H.S., Barian Kalan ..	3 K. 2 M.
		(11) Govt. J.B.T.S., Dholbaha ..	2 K.
2	Kangra ..	(1) Govt. H.S.S., Hamirpur ..	1 K. 12 M.
		(2) Govt. H.S.S., Bhunter ..	1.5 M.
		(3) Govt. B.T.S., Hamirpur ..	1 K. 15 M.
3	Bhatinda ..	(1) Govt. H.S., Bhagta ..	..
4	Ambala ..	(1) Govt. B.T.S., Naraingarh ..	19 Acres
		(2) Govt. H.S., Sabapur ..	2.5 A.
5	Hissar ..	(1) Govt. B.T. & H.S., Pabra ..	30 A.
		(2) Govt. H.S., Ladwa ..	6 K.
		(3) Govt. H.S., Dhanana ..	11 Acres
		(4) Govt. H.S., Thurana ..	2 K.
		(5) Govt. M.S., Bhaddopal ..	..
		(6) Govt. M.S., Jamawari ..	9 A.
6	Rohtak ..	(1) Govt. H.S. S., Bahader Garh ..	2 A.
		(2) Govt. H.S.S., Badli ..	2 A.
		(3) Govt. H.S., Phatgaon ..	2 K.
		(4) Govt. H.S., Jakhauli ..	66 K. 11 M.
		(5) Govt. H.S., Bahur Akatpur ...	2½ A.
		(6) Govt. H.S., Kharkauda ..	25 Bighas
		(7) Govt. H.S., Kharak Kalan ..	10 A. :
		(8) Govt. H.S., Farmana	..
		(9) Govt. H.S., Kundal ..	½ A.
		(10) Govt. H.S., Kalinga ..	8 K. 18 M.
7	Gurgaon ..	(1) Govt. H.S.S., Bahin ...	6 K. 4 M.
		(2) Govt. H.S.S., Kund ...	48.24 A.
		(3) Govt. H.S.S., Aurangabad ...	5 M.
		(4) Govt. H.S.S., Tauro ...	30 K.
		(5) Govt. H.S.S., Palwal ...	8¾ A.
		(6) Govt. H.S., Dharuher ..	10 A.
		(7) Govt. H.S., Sarhaul ...	4 K.
		(8) Govt. H.S., Fatehpur Bilach ...	30 K. 11 M.
		(9) Govt. H.S., Nagina ...	8 A.
		(10) Govt. H.S., Kushak ...	4½ A.
		(11) Govt. H.S., Puna Hena ...	7 K.
		(12) Govt. M.S., Khambi ...	8 K.
		(13) Govt. M.S., Masani ...	1½ A.
		(14) Govt. H.S., Gurgaon ...	16 A.
8	Gurdaspur ...	(1) Govt. H.S., Chuman Kalan ..	15 A.
		(2) Govt. H.S., Kala Afgan ...	4 K.
		(3) Govt. H.S., Ghoman ...	10 A.
		(4) Govt. M.S., Jaura Chhitran ...	4 K.
		(5) Govt. M.S., Narot Mehra ...	1 K. 5 M.
		(6) Govt. M.S., Gurdas Nangal ...	8 K. 4. M.
		(7) Govt. H.S., Dera Baba Nanak ...	32 K.

[Local Government and Education Minister]

Serial No.	Name of District		Name of School		Area
9	Ferozepur	..	(1) Govt. H. S., Patto Hira Singh		35 K.2M.
			(2) Govt. H. S., Mehtabgarh		80K. 4M
			(3) Govt. H. S. S., Guru Teg Bahadurgarh		7 A.
			(4) Govt. H. S., Daroli Bhai		6 K.
			(5) Govt. H. S., Butter		58K.4M.
			(6) Govt. H. S., Parao Mehues	..	40K. 3M
			(7) Govt. H. S., Fazilka	..	44K. 12M
			(8) Govt. H. S., Bagha Purana		6K.4M.
			(9) Govt. H. S., Sarawan		4 A.
			(10) Govt. H. S., Badni Kalan		5 A.
			(11) Govt. M. S., Barwali		3 K. 16M
			(12) Govt. M. S., Talwandi Jallekhan		..
			(13) Govt. M. S., Masitan		..
10	Jullundur	..	(1) Govt. H. S. S., Jullundur	..	52 K
			(2) Govt. H. S., Adampur		12K. 8M
			(3) Govt. H. S., Samrai Jandali		51K. 8M.
			(4) Govt. H. S., Shanker		36K. 8M
			(5) Govt. M. S., Jadla		4K. 6M.
			(6) Govt. M. S., Malsian		49K. 9M.
			(7) Govt. M. S., Apra	..	12K. 18M
			(8) Govt. M. S., Parjin Kalan	..	..
			(9) Govt. M. S., Talwan		6 A
11	Karnal	..	(1) Govt. H. S. S., Kunjpura	..	5 A.
			(2) Govt. H. S. S., Ghraunda	..	½ A.
			(3) Govt. H. S., Sewali		¼ A.
			(4) Govt. H. S., Ladwa		1½ K.
			(5) Govt. H. S., Jaurasi	..	11 A.
			(6) Govt. H. S., Rajaund	..	1K. 8M.
			(7) Govt. H. S., Habri		4½K.
			(8) Govt. M. S., Ramba		5A.
			(9) Govt. M. S., Radaur	..	3K. 6M
12	Amritsar	..	(1) Govt. H. S. B. T. S., Patti	..	37 K.
			(2) Govt. H. S., Butala	..	10A.3M
			(3) Govt. H. S. B. T. S., Sarhali		1 A.
			(4) Govt. H. S., Gaggo Mahal		35 K.
			(5) Govt. H. S., Naushera Purana	..	3 K
			(6) Govt. M. S., Raya	..	5K. 6M.
			(7) Govt. M. S., Akalgarh Dhpian	..	31K. 5M
13	Ludhiana	..	(1) Govt. H. S. B. T. S., Jagraon	...	29K. 2M
			(2) Govt. H. S. B. T. S., Guru Sar Sadhar		..
			(3) Govt. H. S., Kotala	..	7 A
			(4) Govt. H. S., Sidwan Bet		4A. 6K.10M
			(5) Govt. H. S., Mallah	..	5 A.
			(6) Govt. H. S., Dakha	..	4A. 2K
			(7) Govt. H. S., Sowadi	..	27½K
			(8) Govt. H. S. Halwara		6A.7K15M
			(9) Govt. H. S. ,Machiwara		6K.
			(10) Govt. M. S., Baddowal		22K
			(11) Govt. M. S., Mangat		7K. 12M
			121 Govt. M. S., Ragha	...	4K
			(13) Govt. M. S., Lehri Mahabhat	..	..
			(14) Govt. M. S. Israna	..	..
14	Kulu		(1) Govt. H. S., Katrain		15 M.
15	Sangrur	..	..		..
16	Kapurthala	..	..		...
17	Simla	..	..		---
18	Patiala	..	..		—

Sugar and Maida Quotas sanctioned in Gurgaon District

2259. Rao Nihal Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of firms and individuals whose quota of sugar and maida in Gurgaon District was sanctioned direct from the headquarters during the period from 1st January, 1963 to 31st December, 1964 ;

(b) whether the said quotas are allotted by the individual officers or by the headquarters or by any Committee ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to appoint Advisory Committees for the allotment of the said quotas ; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

Shri Ram Kishan : (a) and (b) No sugar or maida quota was sanctioned direct from Headquarters in the name of any firm or individual in Gurgaon District during the period from 1st January, 1963 to 31st December, 1964. However, increase in sugar quota of the following two establishments was allowed from Headquarters by the former Director, Food and Supplies on the recommendation of the District Food and Supplies Officer, Gurgaon:—

(1) M/s Kaka Bakery, Rewari ;
(2) M/s Escort Limited, Faridabad.
(c) No.

Brick kiln Licences in district Karnal

2260. Comrade Ram Piara : Will the Chief Minister with reference to the reply to Starred Question No. 6245 printed in the list of Starred Questions for 22nd September, 1964, be pleased to state—

(a) the conditions laid down by the Department which a person should fulfil to become entitled to get a licence under the category "Considered suitable by the Licensing Authority" ;

(b) the total number of wagons of coal given to the three parties mentioned in the reply to the said question upto date with the quantity of coal, if any, lying unused with each of them separately ?

Shri Ram Kishan : (a) No conditions were laid down by the Department.

(b)

Serial No.	Name of the party		No. of coal wagons allotted to-date	Unconsumed stocks
1	Shri Iqbal Singh	..	39	Nil
2	Shri Surat Singh	..	38	Nil
3	Shri Pritam Singh	..	23	Nil

Electrification of villages in Bhiwani Tehsil

2263. Shri Sagar Ram Gupta : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the number and names of villages so far electrified in Bhiwani Tehsil ;

[Shri Sagar Ram Gupta]

(b) the number and names of villages in the said tehsil, schemes for the electrification of which stand sanctioned together with the date of sanction in each case ;

(c) the time by which the villages mentioned in part (b) above are likely to be electrified and the reasons for their not having been electrified so far ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) List attached (Annexure A).

(b) The following schemes stand sanctioned in Bhiwani Tehsil.—

(i) Sub-Project Estimate for electrification of villages in Bhiwani Khera, Meham and surrounding areas —

Names of villages covered under this scheme.—Palhuwas, Khosra (Prem Nagar), Tigrana, Kuluwas, Gujrani, Ghushkani Mithatal, Chang, Bamla, Rewari, Sirsa, Sisarkhas and Sai.

(15 villages) for which schemes were sanctioned on 25th June, 1958.

II. Sub-Project Estimate for the electrification of villages Bhiwani to Tosham and surrounding rural areas.

Names of villages.—Deosar, Bapura, Dinaud, Kuhar, Bajnia,Lohani, Biran, Rewasu, Danj Khurd, Dang Kalan, Sagban, Tosham (12 Nos. villages) for which scheme was sanctioned on 20th March, 1958.

III. Sub-Project estimate for electrification of villages Manesar, Khaprinas and surrounding rural area.--Kura loas, Kural, Dhale Dhani, Pokhar Khas, Chanderbas, Nigana, Khurd, Nigana Kalan, Dhani Mahu Dulheri, Alampur, Thalour, Khar Kheri Soban, Jhanwari, Indiwali, Khaperwas, Singarpur, Dharan, Deorala, Dharwanwas, Khairiabas, Kairu, Manesarbas sanctioned in December, 1963.

(c) All these estimates have been sanctioned on 10 years basis and are expected to be operated within this period provided funds become available. The work on the above schemes has not been completed for want of funds.

ANNEXURE 'A'

Places electrified in Bhiwani Tehsil of District Hissar upto 12/1964 are as under :—

(1) Dhigwan Jattan
(2) Bogunwali.
(3) Tosham
(4) Biran
(5) Bapura
(6) Dang Kalan
(7) Dang Khurd
(8) Rewari
(9) Chang
(10) Phartia Bhima
(11) Budheri

Wheat Trade

2264. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether a State level Committee was set up by the Government last year to advise in regard to the pattern of wheat trade in

pursuance of the assurance held out by the Government in March, 1964, if not, why ;

(b) if the said Committee was set up, the advice tendered by it to the Government in the matter and how far it has been implemented ;

(c) the reasons why the State Government did not purchase wheat in the post-harvest period to meet internal consumption requirements ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) Requisite information is as follows.

(c) With the promulgation of the Inter-zonal Wheat and Wheat Products (Movement Control) Order, 1964, with effect from 23rd March, 1964, movement of wheat out of the zone No. 1 comprising the States of Punjab, Delhi and Himachal Pradesh was banned. In view of this ban, it was considered that requirements of wheat within the Zone will be met with the available quantities of indigenous wheat and imported wheat which Government of India said they will supply during the lean months. The original decision to make purchases for the State Reserve was therefore changed on reconsideration.

Advice tendered by the Committee set up to suggest pattern of wheat trade during 1964-65

The Government of Punjab should approach the Government of India for a ban to be placed on exports of wheat out of the Northern Zone.

(2) The Government policy should be to keep the prices of wheat from falling below Rs 15 per maund at harvest time against the floor prices of Rs 14 per maund announced by the Government of India. It was felt that the price of Rs 15 would help towards larger arrivals in the early part of the season. It was felt also that under present conditions and an all round rise in prices, the cultivator should be paid a better price for his wheat.

(3) The trade should form Syndicates of stockists in each mandi for holding wheat stocks, and, as far as possible, should discourage stocking by individual traders.

(4) There should be no limit on the number of Syndicates operating in a mandi, but no syndicates should have less than five foodgrain licensees as members.

(5) There should be no quantitative limit on the stocks of wheat which may be held by a Syndicate.

(6) Purchases of wheat by the Syndicates should be confined to dara (F.a.q.) wheat only.

(7) The State Government should advise the Syndicates of the rates at which they should make purchases under the scheme. Under this practice, the stocks when taken over by Government should be paid for at the actual purchase price of the Syndicates subject to a maximum prices which Government may lay down for these purchases in advance. Alternatively, Government should indicate to the Syndicates, in advance of the purchase season, the basic rates which it would pay for the stocks, if and when it takes over any of such stocks.

(8) The charges payable to the Syndicates from month to month over the basic price should be as follows :—

(i) Mandi charges and shortages	As per statement at Annexure 'A'
(ii) Godown rent ..	Rs five per 100 Quintals
(iii) Interest ..	Nine per cent

[Chief Minister]

(iv) Margin of profit .. Seven annas per maund up to September,
Eight annas per maund for the months of October and to January
And nine annas per maund for February to April

The four items above have been incorporated in the statement of Carrying Charges payable from month to month at Annexure 'B. The prices payable each month assuring to Basic Price of Rs 15 per maund., have been shown at Annexure 'C' For working out interest and mandi charges (as are based on the prices of wheat) the basic price of wheat has been taken into account at Rs 15 per maund. In case Government decide to fix any other basic price, the charges (and therefore this enclosure) will require revision on the basis of the prices fixed.

(9) The State Government should make efforts to secure maximum credit facilities for the Syndicates from Commercial Banks on pledged stocks. The Syndicates should, moreover, be permitted to pledge their stocks with banks in the names of individual members in cases where this secures them better credit facilities.

Deliveries of stocks from the Syndicates should be taken on the basis of specifications given in the Punjab Government (Department of Food and Supplies) Pamphlet entitled 'Conditions of Wheat Contracts'.

(10) The quality allowance should be somewhat liberalised in respect of the penal provisions in the rates of allwances chargeable.

(11) The State Government should provide facilities for dusting, fumigation etc., of the wheat stocks held by the Syndicates, through its own staff. The syndicates will pay to Government the expenses of such fumigation at rates which should be fixed taking into account the minimum actual cost of the Department on the performance of such operations.

(12) The price payable for the gunny bags should be the fortnightly rate of gunny bags fixed by the Department of Food and Supplies, Punjab. The Syndicates should use new bags at the time of purchases. The Department should be prepared to accept deliveries in such used bags. Where the bags are unacceptable as such, they should be accepted with allowances as laid down in condition 7 of Form F.P.C. 2 of the Pamphlet entitled 'Conditions of Wheat Contracts'.

(13) The Syndicates should make purchases for storage in accordance with the normal trade practices.

(14) It was the view of the Committee that with a view to encourage stocking of wheat by the Syndicates, the Government should give a guarantee to the Syndicates that it would lift all the stocks built by the Syndicates at the prices indicated above. In the absence of such a guarantee, the Syndicates should be at liberty to dispose of their stocks at market prices, whenever, they may wish to do so.

(15) In respect of stocks held by any Syndicate, the Director, Food and Supplies, Punjab, may require such Syndicates to deliver ex-godown or at the despatching railway stations within 15 days from the date of delivery is demanded, the total quantity or any portion if the stocks held, to Government or to any other specified party. The prices to be paid to the Syndicates in such cases will be the prices indicated above. The Syndicates shall carry out the directions issued by the Director in all such cases. In case of Government ordering delivery, this price will necessarily be paid, even when the market price may be lower.

(16) In case of any exports out of the State being allowed to the trade at market prices, the first preference in the issue of such export permits should be given to the Syndicates to the extent of stocks held by them. In case the exports have to be made to the Governments or nominess of other States, the Syndicates should be paid the prices (including incidentals) as payable by the Punjab Government for these stocks.

(17) Government should hold its own provincial reserve of wheat of a size it considers necessary. The Committee suggest a Government reserve of 50,000 tonnes.

(18) With a view to helping the flour milling industry in the State, the Government should press the Government of India to allow export of products of imported wheat out of the Northern Zone.

(19) State-wise propaganda should be conducted to remove the consumer prejudice against imported wheat atta.

(20) The State Government should advance loans to its employees in the months of May and June to enable them to make purchases of wheat for their requirements for the year.

How far the above advice was implemented

(i) The ban on the export of wheat out of the Northern Zone was imposed by Government of India with effect from 23rd March, 1964.

(ii) State Government announced floor prices of wheat at Rs 15 per maund in case of fair average ordinary and Rs 16 per maund in case of fair average superior quality. The wheat prices were not allowed to fall below the above mentioned floor prices and the State Government purchased 3,631 tonnes of wheat under the Price Support Scheme.

(iii) Other recommendations of the Committee were not implemented as the State Government decided on the advice of the Government of India not to purchase wheat through the Syndicates.

ANNEXURE 'A'

Statement showing Mandi Charges and shortages as approved by the main Committee

(i) Dami	..	At Rs 1,50 per 100 rupees
(ii) Market fee	..	At Rs 0.40 per 100 rupees
(iii) Filling and sewing	..	At Rs 6.00 per 100 bags
(iv) Sutli	..	At Rs 3.00 per 100 bags
(v) Cartage from mandi to godowns including loading unloading and stacking in the godowns		Rs 18.00 per 100 bags
(vi) Dara Making (at the time of delivery)		Rs 0.15 per bag
(vii) Emergency risk insurance		Payable, if compulsorily levied by Government

N ote.—(i) Deliveries shall be ex-stockist's godown and there shall be no extra charges for removing stocks out of godowns and weighment thereof at t e ime of delivery.

(ii) Additional cartage and other charges shall be payable if deliveries are taken f.o.r. station of despatch. These shall be at the rates approved by Government in mandi proforma for each mandi.

Schedule of shortages as approved by the main committee :—

Month of delivery of stocks		*Shortage permitted*
Upto August	..	Nil
September	...	0.5 per cent
October and November	..	1.0 per cent
December and January	..	1.5 per cent
February and onwards	...	2.0 per cent

[Chief Minister]

ANNEXURE 'B'

Chart showing the carrying charges payable to the Syndicates for delivery of wheat stocks from month to month based on the purchase price of 40·20 per quintal or Rs 15.00 per maund—

(a) Price per quintal
(b) Price per maund.

Month of shortage		Month of delivery											
		May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
May	(a)	2.35	2.72	3.09	3.46	4.03	4.77	5.14	5.71	6.08	6.81	7.18	7.55
	(b)	0.88	1.02	1.15	1.29	1.50	1.78	1.92	2.13	2.27	2.54	2.68	2.82
June	(a)	..	2.35	2.72	3.09	3.65	4.40	4.70	5.34	5.71	6.44	6.81	7.18
	(b)	..	0.88	1.02	1.15	1.36	1.64	1.78	1.99	2.13	2.40	2.54	2.68
July	(a)	...	...	2.35	2.72	3.29	4.03	4.40	4.97	5.34	6.07	6.44	5.81
	(b)	..	...	0.88	1.02	1.23	1.50	1.64	1.85	1.99	2.27	2.40	2.54

ANNEXURE 'C'

Chart showing the prices payable to the Syndicates for delivery of wheat stocks from month to month on the basis of their purchase price of Rs 40.20 per quintal or Rs 15.00 per maund.—

(a) Price per quintal.
(b) Price per maund.

Month of shortage		Month of delivery											
		May	June	July	August	September	October	November	December	January	Feberuary	March	April
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
May	(a)	42.55	42.92	43.29	43.66	44.23	44.97	45.34	45.91	46.28	47.01	47.38	47.75
	(b)	15..88	16.02	16.15	16.29	16.50	16.78	16.92	17.13	17.27	17.54	17.68	17.82
June	(a)	..	42.55	42.92	43.29	43.86	44.60	44.97	45.54	45.91	46.64	47.01	47.38
	(b)	..	15.88	16.02	16.15	16.36	16.64	16.78	16.99	17.13	17.40	17.54	17.68
July	(a)	..	...	42.55	42.92	43.49	44.23	44.60	45.17	45.54	46.27	46.64	47.01
	(b)	...	..	15.88	16.02	16.23	16.50	16.64	16.85	16.99	17.27	17.40	17.54

QUESTIONS OF PREVILEGE

ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ, ਸਰ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੁਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਫਾ 144 ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਫਾ 144 ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਡੀਮਾਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ ੧੪੪ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲਿਜ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ । ਦਫਾ 144 ਲਗਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਲਿਜ ਬ੍ਰੀਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ।

Mr. Speaker : No privilege is involved in it.

There are two Privilege Motions by Shri Ajit Kumar. The first is—

"that I, being an M.L.A., applied to the Superintendent of District Jail, to Jullundur see the Republican Party Satyagrahis in the Jail during the agitation of the Republican Party. My request was rejected. This rejection of the written request of an M.L.A., is a Breach of Privilege of a member of this House. Therefore, I request that this matter be referred to the Committee of Privileges of this House".

So far as permission to visit a Jail is concerned it is determined and regulated under the provisions of law. No privilege is involved in it.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਉ । ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਆਰਡੇਨਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker: The hon. Members may please take this seat. I am not allowing this motion.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Mr. Speaker The hon. Member may please take his seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪਾਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker. The hon. Member may please take his seat.

The second Privilege Motion is also by Shri Ajit Kumar. I am not giving my ruling on it. I am trying to ascertain the facts from the Government.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਨੋ ਪਲੀਜ਼ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਡੀਸੀਜ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗਾ । (No please. I shall read it out when I give my ruling on it)

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Now the House will take up the Call Attention Notices.

The first Call Attention Notice is in the names of Comrades, Babu Singh Master, Bhan Singh Bhaura, Gurbaksh Singh and Jangir Singh Joga.

Comrade Babu Singh Master : Sir, I beg—

> " to draw the attention of the Government to the death in police custody of Harijan Dalip Singh of village Akalia, tehsil Mansa, district Bhatinda".

Mr. Speaker : I am admitting this motion. The Government may please make a statement today or later on.

The second Call Attention Notice is also in the names of Comrades Babu Singh Master, Bhan Singh Bhaura, Gurbakhsh Singh and Jangir Singh Joga.

Comrade Babu Singh Master : Sir, I beg—

> "to draw the attention of the Government to the death in police custody of Harijan Mela Ram at Rupar on the 17th February, 1965".

Mr. Speaker : I am admitting this motion. The Government may please make a statement today or later on.

Shri Mohan Lal : I would like to make one observation in this connection. Sir, you are perhaps not aware that the replies to Call Attention Notices which you had admitted in the last session are being received now from the Government. Only today alongwith the agenda papers we have received many replies from the Government to the Call Attention Notices which were admitted in the last Session. So, I would suggest that it should not be left to the Government to give answer or to make a statement as and when it pleases. But a time limit should be fixed. Otherwise there is no fun in apprising the Government of important issues which are raised in this House. There must be some time limit.

Mr. Speaker : I will see that Government makes the statements on the floor of the House during the Session. I expect that they will make these statements within a week.

Shri Mohan Lal : I would like to repeat my request again. 'During the Session' may mean that the Government may make the statements on such important issues in two months. We should certainly like to know the position of the Government on these deaths in police custody within a reasonable time.

Mr. Speaker : I have already stated that I expect the Government to make statements within a week.

Finance Minister : It would be better if two weeks time is fixed for such statements as is in the case of Questions.

Mr. Speaker : I am very strick with regard to the admission of Call Attention Notices. I admit only those Call Attentions which are important and I expect the Government to make statements within a week.

The third Call Attention Notice is in the names of Comrades Babu Singh Master, Bhan Singh Bhaura, Gurbakhsh Singh and Jangir Singh Joga.

Comrade Bhan Singh Bhaura : I beg—

"to draw the attention of the Government to the failure of the police to locate the whereabouts or fate of Professor Pritam Singh of Government College, Faridkot, who has been missing from his house since 4th September, 1964".

Mr. Speaker : I am admitting this motion. The Government may make a statement today or later.

The next two Call Attention Notices (Nos. 4 and 5) are similar to the Call Attention Notice (No. 2) given notice of by Comrade Babu Singh and others.

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, in Call Attentions No. 4 and 5 we have given more details.

Mr. Speaker : The hon. Members may read them .

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, I beg—

"to draw the attention of the Government to a death in police custody of a Harijan tenant of village Prithipur Bal in Police Station , Rupar on the 17th February, 1965. He was called for interrogation on the 16th February, 1965 and beaten to death, petrol was then sprinkled on his half dead body and set on fire. Later admitted to hospital where he expired. Doctor incharge Civil Dispensary , Rupar has conspired to hide this truth with the police authorities . So far the C. I. A. personnel responsible for this merciles repression and consequent death have not been suspended and arrested. Great tension prevails in the area".

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg—

"to draw the attention of the Government towards the death of a 30 year-old youngman Mr. Mela Ram, detained on February 16, at the Rupar Police Station for interrogation in connection with a criminal case and latter admitted to local civil Hospital by the Police on February 17, who died in the Hospital the same night".

Mr. Speaker : These motions given notice of by Comrade Shamsher Singh Josh and Sardar Ajaib Singh Sandhu and the Call Attention No. 2 given notice of by Comrade Babu Singh and others relate to the same matter. I have already admitted Call Attention No. 2, given notice of by Comrade Babu Singh Master and others.

Finance Minister : Mr. Speaker, I would like to make one observation. Generally the Call Attention Notices relate to some matters which are important but I find that these motions relate to individual persons. I think matters relating to individual cases cannot be of urgent public importance.

Mr. Speaker : The hon. Finance Minister, Sardar Kapoor Singh, is more experienced than me. But I may point out that the life of an individual is more important than any other matter (*Cheers from the Opposition Benches*). If the allegation is that a certain person has died in a police custody........

(*Voices of Shame, Shame from the Opposition Benches*) it is for the Government to explain the circumstances under which he died, that is to say, whether he died on account of torture by the police or there were certain other reasons. I think, it will be a matter of urgent public importance.

Disallowed Adjournment Motions and Call Attention Notices

Mr. Speaker : Then there are some Adjournment Motions and Calling Attention Motions given notice of by various hon. Members of the House.

मैं ने काल एटैन्शन नोटिसिज़ ग्रौर एडजर्नमैन्ट मोशन्ज़ के बारे में जो प्रोसीजर ग्रडाप्ट किया है वह यह कि जैसे लोक सभा में होता है कि जो मोशन्ज़ हाऊस में न पढ़ी जायें वह रीजैक्टिड समझी जायें। लेकिन इस से पहले कि वह डिस्पोज़ ग्राफ की जायें उन के मुताल्लिक स्पीकर को कनविन्स करवाया जा सकता है । इस लिये जो मोशन्ज़ रह गई हैं, जिनका यहां ज़िक्र नहीं उनको हाऊस में किसी तरह से भी लाने की कोशिश न करें ग्रौर ग्रगर चाहें तो इन के मुताल्लिक वह मुझे चैम्बर में ग्राकर कनविन्स कराने की कोशिश करें

(The procedure that I have adopte to deal with the Call Attention Notices and Adjournment Motions is there one which is being followed in the Lok Sabha. That is, those motions which are not mentioned in the House may be deemed. to have been rejected but the speaker can be convinced with regard to the admissibility before they are finally disposed of. So the hon. Members need not try to bring in those Motions in the House in any way which appear to have been left out and have not been mentioned by me here. They can meet me in my Chamber with regard to them and can try to convince me.)

(*Interruption by shri Jagan Nath*).

Mr. Speaker : The hon. Member may please meet me in my Chamber and convince me.

श्री मंगल सैन : मैं ने काफी ग्रर्सा पहले कुछ काल एटैन्शन मोशन्ज़ ग्रौर 5-6 एडजर्नमैन्ट मोशन्ज़ भेजी थीं मगर मुझे ग्रफसोस है कि वह सब रिजैक्ट हो गई हैं।

Mr. Speaker : I am sorry, I do not feel convinced. The hon. Member may please convince me in my Chamber.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ..........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਣੇ। This is wrong. (This is wrong. I would request the hon. Member to give me facts in my Chamber)

The hon. Member should not give facts. He may please meet me in my Chamber.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ . . . .

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ। (The hon. Member may see me in my Chamber in this connection.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : On a point of order, Sir. ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. , . . .

Mr. Speaker : I have requested the hon. Members concerned to meet me in my Chamber to convnice me.

Sardar Lachhman Singh Gill : But, Sir, you have disallowed their motions.

Mr. Speaker : If the hon. Members concerned will be able to convince me about their admissibility, I will have no objection in declaring their motions in order. (*Interruption*).

ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦੇਉਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। (I have stated that according to the procedure laid down in this regard the hon. Member may see me in my Chamber and if he is able to convince me I would admit the motions.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ. . . .

Mr. Speaker : The hon. Member may please meet me in my Chamber.

ANNOUNCEMENT BY SPEAKER

Mr. Speaker : The Tribune in its issue dated the 9th December, 1964, published some of the recommendations of the Sub-Committe of the Hindi Regional Committee on the Punjab Municipal Bill, 1963, This was brought to my notice by the Secretary of the House. According to Bye-Law 25 of the Hindi Regional Committee read with rule 141(4) of the Assembly Rules, the proceedings of the Sub-Committee of the Hindi Regional Committee cannot be divulged till the report is presented to the House.

Before taking any further action in the matter, I directed the Secretary to discuss this matter with the representative of 'The Tribune', Chandigarh, who also happens to be the President of the Press Gallery Committee. The representative of the Tribune, Chandigarh, met the Secretary and informed him that the news item was published on the information conveyed to the Tribune authorities, Ambala Cantt, by their Jullundur Correspondent, who was altogether a new man in the line. The representative of the Tribune, however, expressed regret and tendered an apology on behalf of the Tribune for publishing the recommendations of the Hindi Regional Committee by mistake.

In view of the apology tendered on behalf of the Tribune by the Chandigarh representative of the Paper, I have decided to drop the matter.

I have also to inform the House that the Punjab Cattle Preservation Bill, 1964, was referred to the Regional Committees by the Vidhan Sabha at its meeting held on the 18th February, 1964, with a direction to make a report by the 20th October, 1964. The Hindi Regional Committee could not finish its work within the prescribed period.

I was approached by the Chairman, Hindi Regional Committee, to extend the time for submission of the report upto 15th November, 1964. As the House was not in session, I agreed to the said extention. Later, this time was got extended up to the 31st December, 1964, and again upto the 15th February, 1965.

Now I am making a report to the House in the matter accordingly.

I have further to inform the House that the Punjab Municipal Corporations Bill, 1963, and the Punjab Municipal Bill, 1963, were referred to the Regional Committees by the Vidhan Sabha at its meeting held on the 9th September, 1963, with a direction to make their Reports by the 28th February, 1964, which was later extended by the House up to 31st December, 1964, at its meeting held on 21st February, 1964.

Since the Committees had not been able to finish their work within the prescribed period, I was appraoched to extend the time for the submission of Reports up to 31st March, 1965. As the House was not in session, I agreed to the said extention.

Now I am making a report to the House in the matter accordingly.

SECOND REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker : I have to report the time fixed by the Business Advisory Committee in regard to the sittings of the House. The Committee in its 2nd Report has recommended that with effect from the 25th February, 1965, onwards the House shall meet at 9.30 a. m. and adjourn at 2.00 p. m. on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays and if necessary, on Saturdays.

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : Sir, I beg to move—

> That the house agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

> That the House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

Mr. Speaker : The Secretary will now make some announcement.

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its 6th (Autumn) Session, 1964, and which have since been assented to by the Governor.

[Secretary]

Statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its autumn session, 1964, and which have since been assented to by the Governor.

(1) The East Punjab War Awards (Amendment) Bill, 1964.
(2) The Punjab Land Revenue (Amendment) Bill, 1964.
(3) The Punjab Appropriation (No. 3) Bill, 1964 .
(4) The Punjab Appropriation (No. 4) Bill, 1964.
(5) The Punjab Khadi and Village Industries Board (Amendment) Bill, 1964.

SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT) 1964-65

Finance Minister (Sardar Kapoor Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1964-65. The Demands therein have been made on the recommendation of the Governor.

Presentation of the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimatets (Second Instalment) 1964-65

Sardar Balwant Singh (Chairman, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1964-65.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Reveneue Minister (Sardar Harinder Singh Major) : Sir I beg to lay on the Table the Punjab Ordinances Nos. 3 and 4 of 1964 and 1 of 1965.

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh, Major) : Sir, I beg to lay on the Table the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (General) Rules, 1964, as required under section 54(3) of the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963.

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh, Major) : Sir, I beg to lay on the Table notification No. S.O.409/P.A.XI/53/S. 17/64, dated the 16th December, 1964, as required under section 17(2) of the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1953.

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh, Major) : Sir, I beg to lay on the Table the Code of Conduct for Ministers.

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh, Major) : Sir, I beg to lay on the Table the Annual Administration Report of the Punjab State Electricity Board for the year, 1963-64, as required under section 75(1A) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh, Major) : Sir, I beg to lay on the Table the Annual Statement of Accounts for the year, 1959-60 and the Audit Report of the Punjab State Electricity Board, as required under section 69(5) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh, Major) : Sir, I beg to lay on the Table the Annual Statement of Accounts for the year, 1960-61 and the Audit Report of the Punjab State Electricity Board, as required under section 69(5) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh, Major) : Sir, I beg to re-lay on the Table the Punjab Land Improvement Scheme (First Amendment) Rules, 1964, as required under section 30(3) of the Punjab Land Improvement Schemes Act, 1963.

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh, Major) : Sir, I beg to lay on the Table the Audit Report on the working of the Punjab Financial Corporation, 1962-63, as required under section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

PRESENTATION OF THE REPORTS OF THE COMMITTEES ON THE PUNJAB CATTLE PRESERVATION BILL 1964

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ (ਚੇਅਰਮਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ) : ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਟਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ, 1964 ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

पंडित अमर नाथ शर्मा (सभापति, हिंदी प्रादेशिक समिति) : मैं हिंदी प्रादेशिक समिति की रिपोर्ट जो पंजाब पशु-परिरक्षा बिल के सम्बन्ध में है, इस सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

Mr. Speaker : According to the List of Business, some Reports on certain Bills are to be presented to the House. The Minister-in-charge Shri Prabodh Chandra should have been here to present the same.

PRESENTATION OF REPORTS OF JOINT SELECT COMMITTEES

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to present the Report of the Joint Select Committee on the Punjab Homoeopathic Practitioners Bill, 1964.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to present the Report of the Joint Select Committe on the Punjab Unqualified Medical Practitioners Enrolment Bill, 1964.

BILLS

INTRODUCTION AND REFERENCE OF BILLS TO REGIONAL COMMITTEES

THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS (AMENDMENT) BILL, 1965

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh, Major) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That leave be granted to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is —

> That leave be granted to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill.

The leave was granted

Revenue Minister : Sir, I introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill.

Revenue Minister : Sir, I also beg to move—

That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th March, 1965.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th March, 1965.

Mr. Speaker : Question is —

That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Amendment) Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th March, 1965.

The motion was carried

THE PUNJAB COOPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 1965

Revenue Minister : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Cooperative Societies (Amendment) Bill,.

Mr. Speaker : Motion moved —

That leave be granted to introduce the Punjab Cooperative Societies (Amendment) Bill,.

Mr. Speaker : Question is —

That leave be granted to introduce the Punjab Cooperative Societies (Amendment) Bill.

The leave was granted

Revenue Minister : Sir, I introduce the Punjab Cooperative Societies (Amendment) Bill,

Revenue Minister : Sir, I also beg to move —

That the Punjab Cooperative Societies (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th March, 1965.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab Cooperative Societies (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th March, 1965.

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर पश्चिम) : स्पीकर साहिब, यह जो 15 मार्च तक की लिमिट की सिफारिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि गल्त है । उसका कारण यह है कि उन दिनों तो सैशन के काम से ही फुरसत नहीं मिलनी । इसलिये रीजनल कमेटी में भी इस पर ठीक तरह से विचार नहीं हो सकता और यह नियम है कि कोई भी लैजिस्लेशन हरीडली नहीं होना चाहिए । मेरा सुझाव यह है कि बजाये 15 मार्च रखने के., इसकी मियाद जून तक की जानी चाहिए ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਤਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਦੀ, ਨਾਸਿਰਫ ਜ਼ਜਿਜ਼ ਦੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਡੈਲੀਦਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਾਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਾਰ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਕੰਡਾ ਕਢਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਡਾ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਓ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਅਲਗ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।

ਅਸੀਂ ਅਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਿਨਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ—————

Mr. Speaker : Please speak on the motion which is before you.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਬਲਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਫ਼ਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਜਾਣੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲਗਾਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ..... बात यह है कि इन्हें गाने बजाने से ज्यादा दिलचस्पी है। खैर, मैं कह रहा था कि आया लैजिस्लेशन ऐसी डिफैक्टिव होनी चाहिए जैसी कि होती रही है। यहां पर हर सैशन में आप देखें कितनी तरमीमें लाई जाती हैं। आप देखें लैंड कन्सालीडेशन बिल और जिला परिषद् और पंचायत समितीज बिल का जहां तक ताल्लुक है उनकी हर सैशन में तरमीमें आती हैं। लैजिस्लेशन इतनी डिफैक्टिव है कि हम खुद इस बात के जिम्मेदार हैं। हमारे मुल्क और सूबे के लोगों की यह राय है कि हमारे जो लैजिस्लेटर्ज़ सभा में बैठते हैं वह या तो कानून बनाने की लियाकत नहीं रखते और अगर यह बात नहीं तो वह उस पर पूरा ध्यान और टाइम नहीं देते। मैं समझता हूं कि हमारी यह मुशतरका ज़िम्मेदारी है। रूलिंग पार्टी से हमारी किसी तरह भी कम जिम्मेदारी नहीं है। इस लिये मैं कहता हूं कि लैजिस्लेशन ठीक ढंग से होनी चाहिये, इस तरह भागदौड़ से काम नहीं चल सकता। बल्कि मैं तो समझता हूं कि भागदौड़ करने से वक्त उल्टा खराब होता है और बाद में फिर तरमीमें लानी पड़ती हैं। इस लिये जो 15 मार्च तक तारीख रखी है यह हमें मंज़ूर नहीं। इस के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाए ताकि हम ज़्यादा अच्छी तरह सोच विचार करके रिपोर्ट कर सकें। अगर अच्छी लेजिस्लेशन होगी तो उस से हाऊस की शान और इज्ज़त बढ़ेगी।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਅਦ

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਆਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਵਿਘਨ) । ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਤਕ ਤਾਰੀਖ ਰਖੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਅਨ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਈਏ । ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਤਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ to err is human ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨਇੰਟੈਸ਼ਨਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਏਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 15 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ 15 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : Question is :—

That the Punjab Cooperative Societies (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th March, 1965.

The motion was carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 1965 (INTRODUCED)

Finance Minister (Sardar Kapoor Singh) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That leave be granted to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is —

That leave be granted to introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill.

The motion was carried

Minister for Finance and Planning : Sir, I introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill.

THE PUNJAB OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL, 1965 (INTRODUCED)

Minister for Finance and Planning (Sardar Kapoor Singh) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Official Languages (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That leave be granted to introduce the Punjab Official Languages (Amendment) Bill.

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਛਮ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਏਥੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਜ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। (I may tell the hon. Member that the ordinance has been laid on the Table of the House to-day. I think he has not taken the trouble of going through the papers.)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਲੂ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਛਡੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਥੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मेरी इस सम्बन्ध में यह प्रार्थना है......।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूल 128(2) के मुताबिक जब बिल लीव के लिये पेश हो तो उस पर बहस नहीं हो सकती है। (The hon. Member may please resume his seat. I want to bring it to the notice of the hon. Member that according to Rule 128(2) no discussion can be raised on a Bill when it is moved for the leave of the House to introduce it.

Sub-rule (2) of Rule 128 reads —

> "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may put the question without further debate".

श्री मंगल सैन : हम बहस तो नहीं कर रहे। हम तो यह करना चाहते हैं कि इस बिल को लाने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए.....

श्री अध्यक्ष : वह बात आपकी आ चुकी है। (That view has already come)।

चौधरी नेत राम : मेरा एक व्यवस्था प्रश्न है....

Mr. Speaker : Please take your seat.

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरा व्यवस्था प्रश्न यह है कि भारत के विधान.......

Mr Speaker : No discussion please. Resume your seat. I have understood what you want to say.

चौधरी नेत राम : आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। यह कोई नजूम की बात तो नहीं जो आप समझ गए हैं............

Mr Speaker : No please. Take your seat now.

Mr. Speaker : Question is :—

That leave be granted to introduce the Punjab Official Languages (Amendment) Bill.

After acertaining the votes of the Members by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for "Ayes" and those who were for "Noes", respectively to rise in their places and on a count having been taken declared that the motion was carried.

The leave was granted.

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मैं व्यवस्था प्रश्न पर खड़ा हूं....

श्री अध्यक्ष : अगर आप इसी तरह इंट्रप्ट करेंगे तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा। (If the hon. Member will interrupt like this then I will have to name him.)

चौधरी नेत राम : मैं इंट्रप्ट तो नहीं कर रहा ; मैं आप से एक कानूनी बात जानना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : कानूनी तौर पर इस स्टेज पर कोई बहस नहीं हो सकती। (According to the Rules no discussion can be made at this stage.)

चौधरी नेत राम : आप पहले मेरे व्यवस्था प्रश्न का भाव तो सुन लें।

Mr. Speaker : What is that ?

चौधरी नेत राम : (* * * * * * * *)

Mr. Speaker : Please take your seat. What Chaudhri Net Ram said will not form part of the proceedings.

**note* : Expunged as ordered by the Chair.

Finance Minister (Sardar Kapoor Singh) **:** Sir, I introduce the Punjab Official Languages (Amendment) Bill.

POINT OF ORDER

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਇਹ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਜ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨਜ਼ ਪੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛਡ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੂਅਲੀ ਪੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੂਲਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : According to the Constitution the only requiremen is that the Governor should come here and address the Legislature. Itn what manner he addresses is immaterial.

Baboo Ajit Kumar : The portion which he actually read can only be discussed.

Mr. Speaker : It is for me to decide.

The address was properly delivered and was in accordance with the Constitution.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, : ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਨਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਨਰ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਮੈਨਰ ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨਜ਼ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਪੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਫੇ ਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨਜ਼ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਉਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਓ। (The hon. Member may discuss the points he likes. He may please resume his seat.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਪੋਰਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੂਅਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਰੂਲਜ਼ ਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ— — ————— —

Mr. Speaker : Does the hon. Member bind me to go by his observations ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨਜ਼ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੂਅਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS

Shrimati Om Prabha Jain (Kaithal) : Sir, I beg to move:—

"That the members of the Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of the State Legislature assembled together on the 22nd February, 1965".

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, श्रीमती ओम प्रभा जैन ने गवर्नर के अभिभाषण पर अंग्रेजी में मोशन पढ़ कर अपने कान्स्टीच्यूशन की तौहीन की है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। (विघ्न)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहिब, वैसे तो यह पार्लियामैन्टरी रिवायत है कि गवर्नर साहिब के अभिभाषण पर मोशन आफ थैंक्स हाउस में मूव किया जाए। परन्तु मैं यह इमानदारी से महसूस करती हूं कि जिस दौर से हमारा पंजाब पिछले दिनों में गुज़रा है और हमारे सामने जो मुसीबतें आयीं हैं उनके मद्देनजर हमारी सरकार उससे बेहतर एडरैस पेश नहीं कर सकती थी। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में पंजाब में सैलाब आए और उस से पंजाब में कितनी तबाही हुई, कितने लोगों की ज़मीनें खराब हुईं और लाखों एकड़ ज़मीन सेम की भेंट हुई। इन मुसीबतों को यह सरकार काबू करने में सफल हुई। इस के साथ ही साथ चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों का दम तोड़ा और आपोज़ीशन ने इसे एक्सैप्लायट करके कुछ सियासी फायदा उठाना चाहा पर सरकार अपने ध्येय पर कायम रही और सरकार ने चीज़ों की कीमतें कम करने के लिए काफी यत्न किए और कीमतें नीचे भी आईं। सरकार ने फ्लड्ज़ को सिलसिलेवार और साइंटेफिक तरीके से काबू करने की कोशिश की। स्पीकर साहिब, इस एड्रैस में सरकार ने जहां अपनी पिछली कारगुज़ारी का जिक्र किया है वहां अपने पाक इरादों का भी एलान किया है और इस राज्य में तरक्की और समाजवाद लाने के लिए भी कुछ हलफ ब्यानी की है। इस के लिए मैं सरकार को मुबारिकबाद देना चाहती हूं। आप सब जानते ही हैं कि जून, 1964 में सरदार प्रताप सिंह कैरों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। इस में कोई शुभा नहीं है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों एक बड़ी शखसीयत के मालिक थे। वह मज़बूत इरादों के इन्सान थे। वह अपने विचारों में बहुत धनी थे और ख्यालात के बहुत पक्के थे। जहां उनके जाने के बाद सियास्त में एक नयी चहल कदमी शुरू हुई वहां ऐडमिनिस्ट्रेशन के सोचने के ढंग में भी तबदीली आई है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of order, Sir. There is no Minister in the House.

Mr. Speaker : Chief Parliamentary Secretary is there.

श्री मंगल सेन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, हाउस में गवर्नर के अभिभाषण पर बहस चल रही है लेकिन सदन में कोई भी मंत्री मौजूद नहीं है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहिब, उस समय एक नयी तारीख शुरू हुई। उसके जाने के बाद किसी शख्सी ताकत को नहीं अपनाया गया बल्कि collective thinking के ज़रिए ब्राड बेसड लीडरशिप कायम की गई। बजाए किसी इंडीविजुअल को सट्रैंगथन किया जाय इस बात पर जोर दिया गया कि इंस्टीटयूशन, आर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मशीनरी को मज़बूत बनाया जाए।

श्री मंगल सेन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मैं ने एक बहुत ही अहिम प्वायंट पहले उठाया था। मैं समझता हूं कि मैं आप को अच्छी तरह से

समझा नहीं सका या शायद आप मेरे प्वायंट को समझ नहीं सके हों। मैं अर्ज़ कर रहा था कि सदन में गवर्नर के अभिभाषण पर बहस जारी है और कोई मिनिस्टर सदन में मौजूद नहीं है। आप कह रहे हैं कि चीफ पार्लियमैंट्री सैक्रेटरी साहिब गवर्नमैन्ट को रीप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे तो कुक्कड़ की बांग मानी जाती है और कुक्कड़ी की बांग को कोई नहीं मानता है। चीफ पार्लियमैन्टरी सैक्रेटरी रीप्रैज़ैंट नहीं कर सकता।

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रही थी कि कुलैकिटव थिंकिंग पर और ब्रौड बेसिज़ पर यहां पर समाजवाद को लाने को तरजीह दी गई और गवर्नमैन्ट मशीनरी को इतना मज़बूत किया जा रहा है ताकि लोगों को इन्साफ मिल सके। हमारी सरकार सोशल्ज़िम लाना चाहती है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में बहुत सी कमेटियां बनीं, कुछ कमीशन और कुछ एडवाइज़री बोर्ड का एलान किया गया। जहां तक एड-मिनिस्ट्रेटिव रिफार्मेज़ का सम्बन्ध है मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि यह ढांचा बहुत पुराना था। हमारी सरकार ने ज्यूडिशरी को एग्ज़ैक्टिव से सैपेरेट किया ताकि पंजाब के निवासियों को इन्साफ मिल सके। पोलीस अपनी इंवैस्टीगेशन में ज्यादा मेहनत और ज़िम्मेदारी महसूस करें। ऐसा ख्याल था कि वह मैजिस्ट्रेट पर किसी तरीके से दबाव डाल सकती थी क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो executive का head होता है मैजिस्ट्रेटों की रिपोर्ट लिखता हैं। इस बिना पर शायद लोगों को ठीक इनसाफ न मिलता हो यह एक आम ख्याल था लेकिन इस सरकार ने सब से पहले ज्यूडिशरी को एग्ज़ैक्टिव से अलैहदा करने का कदम उठाया है। यह कदम इसी लिए उठाया है ताकि लोगों के दिलों में ज्यूडिशरी के लिए, हाई कोर्ट के लिए और अन्य कोर्टस् के लिए नया विश्वास पैदा हो। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है।

स्पीकर साहिब, दूसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि अंग्रेजों के ज़माने से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे ढंग से चली आ रही थी कि काफी अर्से से उस में ब्रैड बेसिज़ पर और long term basis पर तबदीली लाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और इस के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफामर्ज़ कमीशन बनाया ताकि वह एडमिनिस्ट्रेशन के ढंग में तबदीली लाने के लिए सुझाव दे। यह कमीशन लोगों की आज की ज़रूरत के मुताबिक और डैमोक्रेटिक ढंग से किस तरह सरकारी कर्मचारी काम करें, इस बात पर विचार करेगा और लोगों की तकलीफों का जायज़ा लेता हुआ कुछ basic reforms तजवीज़ करेगा।

हमारी सरकार ने एक विजीलैंस कमीशन बनाया है। पहले यहां पर विजीलैन्स डिपार्टमैन्ट था। लोगों को अकसर शिकायत थी कि Vigilance Department चूंकि वजीरो के मातहत है, उसमें कई बार corruption को pin point नहीं किया जाता। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने एक इंडीपेंडैन्ट कमीशन बना दिया है। वह लोगों की शिकायतों को दूर करने में भरसक प्रयत्न करेगा। और सरकारी दायरे में जो भ्रष्टाचार की बात चलती है, उसके हटाने में मदद देगा।

स्पीकर साहिब, मैं यह बात कहना बहुत ज़रूरी समझती हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए यह बेसिक असूल है कि गवर्नमैन्ट कर्मचारियों को सरकार अपने कंफीडैन्स में

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

हैं। इस के लिये हमारी सरकार ने जितनी दलेरी के साथ पिछले दिनों में कुछ अनाऊंसमेंटस कीं वह बहुत ही सराहनीय हैं। हमारी सरकार ने क्लास थ्री और फोर एम्पलाइज़ की तन्खाहें बढाई, उनके Dearness Allowance के तरीके में तबदीली की, T. A. और Daily Allowance बढाया Housing Allowance दिया। फैमिली पैन्शन स्कीम को liberalise किया और उसके तहत और सहूलतें प्रदान कीं। मैं मानती हूं कि सरकारी कर्मचारियों को पूरा रिलीफ नहीं दिया गया लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती हूं कि इस तरह की सहूलतें देने से सरकारी कर्मचारी अपने काम को और दिलचस्पी से निभाएंगे।

स्पीकर साहिब, हमारी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ को भी आर्गेनाइज़ किया है। मैं आशा रखती हूं कि जो काम इन कमेटीज़ के द्वारा किया जाएगा उससे लोगों को फायदा ही होगा। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूं और मैं फिर अर्ज़ करना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने अपनी पालिसी बयान की है कि किस तरह से यहां सोशलिज़म लाना है।

स्पीकर साहिब, हमारी सरकार एग्रो-इंडस्ट्रीज़ कार्पोरेशन बनाने जा रही है। सरकार का इरादा है कि लोग फार्मिंग मैकेनाइज़्ड ढंग से करें। लोगों को हर प्रकार की फैसिलीटीज़ दी जा रही हैं। हमारी सरकार गांवो में इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहती है। इस के इलावा लैंन्ड डिवैल्पमैन्ट ऐंड सीड्ज़ कार्पोरेशन सैट अप करने जा रही है। इस का मक्सद यह है कि कल्चरेबल वेस्ट लैंन्ड को कल्टीवेट किया जा सके और सीड्ज़ फार्मज़ आर्गेनाइज़ की जाएं।

स्पीकर साहिब, दूसरे महकमों में भी कमेटियां स्थापित की हैं। मिसाल के तौर पर इरीगेशन डिपार्टमैन्ट में चीफ इंजीनियर्ज़ की एक कमेटी बनाई गई है जो इस बात का सुझाव देगी कि हमारी फसलों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के साधनों को किस तरह से पूरा प्रयोग किया जाए ताकि उसका maximum फायदा किसान को पहुंच सके। इसी तरह plan का एक impact देखने के लिए यह इवैल्युएशन यूनिट कायम करना बहुत ज़रूरी था। यह सोचना भी ज़रूरी था कि लोगों के लिविंग स्टैन्डर्ड पर कितना असर पड़ा है और किस तरह से उन का स्टैन्डर्ड ऊंचा किया जा सकता है। (विघ्न)।

हमारी सरकार ने फोर्थ फाइव-ईयर प्लैन को इम्पलीमैन्ट करने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि रखी है। (विघ्न)। ताकि अगले साल के शुरू में ही काम पूरी earnestness के साथ शुरू हो जाए और सकी background बनने में टाईम न लगे।

Sardar Lachhman Singh Gill : On a point of order, Sir. There is no Minister in the House.

Mr. Speaker : Chief Parliamentary Secretary is there.

Sardar Lachhman Singh Gill : Is he a Minister ?

Mr. Speaker : He can represent the Government.

Sardar Lachhman Singh Gill : Chief Parliamentary Secretary is not a member of the Cabinet. He cannot represent the Cabinet.

Mr. Speaker : He can represent the Cabinet.

Babu Ajit Kumar : Under the Constitution he cannot represent the Cabinet.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 176 (A) ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ......

श्री अध्यक्ष : कौनसा रूल है जिस के मातहत मिनिस्टर्ज़ को उस वक्त हाऊस में मौजूद रहना चाहिये जब कि डिस्कशन चल रही हो । (Under what rules the Ministers are bound to be present in the House at the time of the discussion ?)

(Noise)

Voices : There should be somebody on behalf of the Government to take notes.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । स्पीकर साहिब, वैसे तो ट्रेज़री बैंचों पर बैठा हुआ कोई भी आदमी मिनिस्टरों को बहस के बारे में बता सकता है । लेकिन सवाल यह है कि गवर्नर के एड्रेस पर बहस हो रही है । यह बड़ी अहम बहस है क्योंकि इस में वह सब बातें आ जाती हैं जो कि गवर्नमैंट ने पिछले साल की हैं और जो अगले साल करने जा रही है । वे सारे काम यहां पर डिस्कस होंगे......

Mr. Speaker : I agree that some Minister should be there. But the hon. Member Babu Ajit Kumar was talking of the Constitution.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, हाउस की डिगनिटी का सवाल है । इतनी बड़ी बहस हो रही है लेकिन हाउस में सारी कैबनिट ही गायब है । मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाउस को दस मिनट के लिये एडजर्न कर दें और किसी मिनिस्टर को यहां पर बुला लें ।

(शोर)

Mr. Speaker : I would request the Chief Parliamentary Secretary to ask some Minister to be present in the House.

(ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਆਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ ਗਾਣਾ ਬਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । (ਹਾਸਾ)

Capt. Rattan Singh : I would submit that the Chief Parliamentary Secretary cannot constitutionally represent the Council of Ministers. He may, therefore, be asked to request some hon. Minister to be present in the House.

Shri Mohan Lal : Apart from the constitutional aspect, we would like to know whether it is the position of the Government that no Minister should be present in the House when the Chief Parliamentary Secretary is present to hear the sentiments of the hon. Members. The House is sensitive to the fact that the Ministers must be present to hear the hon. Members. It appears that it is the wish of the entire House and the wishes of the House cannot be ignored.

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਿਚ . . . . .

Mr. Speaker : No please, no. *(Interruption)*

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरी अर्ज़ यह है कि हाउस चार पांच महीनों के बाद मीट करता है। पिछले दो दिन बीत चुके हैं और गवर्नर के एड्रैस पर आज पहला दिन डिस्कशन का है। क्या मैं आप की विसातत से यह बात मिनिस्टर साहिबान से पूछ सकता हूं कि आया असैम्बली के सेशन से भी ज्यादा ज़रूरी और कोई काम है जिस की वजह से वे लोग यहां पर हाज़िर नहीं रह सकते और जिस कारण से वे हाउस के एहतराम का पास नहीं करते ?

The hon. Ministers can sit here at least during the course of the Session. They are bound to be present in the House to hear the views of the hon. Members.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, आप या तो किसी मिनिस्टर को यहां पर बुला भेजें, नहीं तो हमें वाक आउट करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा।

सरदार लछमण सिंह गिल : इन को भेजें कि कान से पकड़ कर मिनिस्टर को लाएं। (शोर)

श्रीमती शन्नो देवी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, यह बात मुनासिब हो मालूम होती है कि गवर्नर का एड्रैस डिस्कस हो रहा हो और मिनिस्टर साहिबान मौजूद हों। लोक सभा में भी जब मिनिस्टर साहिबान मौजूद नहीं होते तो स्पीकर साहिब उन का ध्यान इस ओर दिलाते हैं। इस लिये यह ज़रूरी है कि आप भी उन का ध्यान इस ओर दिलाएं। ताकि मिनिस्टर साहिबान यहां पर हाज़िर रहें।

Mr. Speaker : It is but proper that the Ministers must be here in the House. If some of the hon. Ministers do not come to the House withiin 5 minutes, I will be compelled to adjourn the House (Cheers from the Oppostion Benches).

Capt. Rattan Singh : Mr. Speaker, I request that the remarks made by the hon. Member Sardar Lachhman Singh Gill be withdrawn by him.

उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर को कान से पकड़ कर लाओ।

[At this stage the Revenue Minister (Sardar Harinder Singh Major) entered the House]

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਉ। (Addressing Captain Rattan Singh) (The hon. Member Sardar Lachhman Singh Gill does not understand the meaning of the langmage in which he speaks. He may, therefore, be excused.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਵਿਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਰੀਮਾਰਕਸ ਡੀਟਬੇਟ ਵਿਚ ਰਹਿਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲੈਣ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲਗਦੇ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਲਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Does the hon. Member want t' at the whole discussion relating to this point of order should be expunged ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 176 ਦੇ ਪਾਰਟ (a) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

The Governor shall address the Legislative Assembly ....

"shall address" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇ।

The words used in Clause (2) of Article 176 of the Constitution are—
"... for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address."

ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੂਅਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਲਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਉ।

Mr. Speaker : I have already given my ruling.

After the ruling has been given by the Chair, the hon. Member should not be disrespectful to the Speaker. Once a ruling is given, it should be respected. I have also gone through the Constitution. I have the sense to go through the Constitution. It is not necessary that I should agree with the hon. Member Babu Ajit Kumar. According to me, the Governor is to address the Assembly.

I now call upon Shrimati Om Prabha Jain to resume her speech.

Babu Ajit Kumar : Sir, your ruling is quite unconstitutional. Is there any other remedy ?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मैं अर्ज कर रही थी कि पंजाब में जो हालात इन दिनों पैदा हो गए हैं......

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਡੇ ਲਫਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਸ਼ੋਰ) . . . . .

The Constitution is supreme and above all.

Mr. Speaker : Please withdraw your remarks. You have no right to say that what I have observed is unconstitutional.

WALK OUT

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਾਨਸਟੀ-ਚੂਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਬੱਵ (above) ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

(ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ)

Mr. Speaker : The conduct of Babu Ajit Kumar is absolutely, I should say, improper. He has again used the words that I consider myself above the Constitution. I have never adopted that attitude. Nobody, in this country, can be above the Constitution. Certain dignitaries, however, have the right to interpret the Constitution in their own way. May be, that the interpretation given by me is not according to the judgement of the honourable Member. As long as I occupy the Chair, I have the right to interpret the Constitution according to my light. According to me, the address delivered was proper. The Governor came here and he addressed the Legislature.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I would like to make one submission. You have been pleased to give your ruling on the point raised but, Sir, if an honourable Member invites the attention of the Chair to a particular Article of the Constitution contending that some thing against the Constitution is being done, although that may be according to the Constitution, then the honourable Speaker should try to convince the honourable Member that he is wrong. After all, we are all open to conviction.

Mr. Speaker : I am sorry, the honourable Member is not open to conviction. I have tried to convince him.

Shri Mohan Lal : The honourable Member has raised a particular point, but it should have been done in a respectable language. No body has the right to use a language which casts any aspersions. I would, therefore, request the Leader of Opposition to advise the honourable Member to admit his mistake and show a regret to the honourable Speaker. That is more graceful.

DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS (RESUMPTION)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहिब, जैसा कि मैंने शुरू में कहा पंजाब में कई प्रकार की मुसीबतें आई। इस के अलावा हमें यह भी मानने से इनकार नहीं करना चाहिये कि पंजाब की अपनी कुछ खास प्रकार की भी प्राबलम्ज़ हैं। यहां पर बाढ़ों की समस्या इतनी गम्भीर बन चुकी हुई है कि अगर उसे वार लैवल पर टैकल न किया गया तो शायद हमारी बहुत सारी जमीन हमेशा के लिये खराब हो जाएगी। पिछले बजट में कुल दो करोड़ और चौबीस लाख के करीब रुपया रखा गया था तथा पिछले और उन से पिछले सालों में कोई 21 करोड़ रुपया खर्च किया गया था लेकिन अब सरकार ने अपने

खर्च को दूसरी आईटम्ज में से पैसा कट करके बाढ़ों पर तकरीबन सात या साढ़े सात करोड़ रुपया खर्च किया है। इस के अलावा गवर्नमैंट ने अपने कर्मचारियों की तनखाहों में वृद्धि की है, उन के टी. ए. और डी. ए. में इजाफ़ा किया है। इन के लिये भी तीन महीनों में कोई एक करोड़ रुपए का नया खर्च पड़ता है। इस तरह से इन महीनों में सरकार ने कोई पांच छः करोड़ रुपया ज्यादा खर्च किया लेकिन उस के बावजूद कोई नया टैक्स लोगों पर नहीं लगाया। इस के लिये मैं सरकार को मुबारकबाद देती हूं।

यही नहीं कि उन्होंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया बल्कि जो मौजूदा टैक्स थे इस सरकार ने लोगों को उन में भी रिलीफ दिया है। रिलीफ देने के लिये कई कदम उठाए गए। मरला टैक्स एबालिश किया गया। स्टैम्प ड्यूटी जो कि पहिले 13 प्रतिशत थी उस को घटा कर 6 फी सदी कर दिया। इस के अलावा जो टयूब-वैल्ज़ डीज़ल से चलते थे, जहां पर कि बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती थी, उन को सबसिडाइज़ किया है। गांव और देहातों में जो टयूब-वैल्ज़ बिजली से चलते हैं उन की इलैक्ट्रिसिटी डयूटी को कम किया है। इस के साथ ही जो लैंड होल्डर्ज़ पांच एकड़ ज़मीन के मालिक हैं और उन पांच में से तीन एकड़ पर फूडग्रेन्ज़ पैदा करें उन का लैंड रैवेन्यू माफ किया है। आमदनी बढ़ाने के भी बड़े अच्छे साधनों को अपनाया गया है। जहां पर फजूल के खर्चों को बन्द करने के यत्न किये गये हैं वहां पर लिकर शाप्स को अलाट करने की बजाए आक्शन करने का तरीका अपनाया गया है। अब तक जो भी इस दिशा में सरकार ने कदम उठाए हैं वह काबले तारीफ है और अगर भविष्य में भी इसी प्रकार कदम उठाए जाते रहे तो पूरी उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि यह सरकार अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करेगी। तीसरे प्लैन के दौरान सरकार ने कोई चालीस करोड़ रुपये के टैक्स इकट्ठे करने थे और अब तक उन्होंने 48 करोड़ टैक्सों के जरिए इकट्ठा कर लिया। टैक्स इवेयन को चैक करने में कामयाबी रही है। इन सभी बातों के लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं।

स्पीकर साहिब, इन दिनों हमारे सामने सब से बड़ी समस्या अन्न की समस्या है। जिस वक्त देश में सब तरफ अनाज की कीमतें बढ़नी शुरू हुई थीं तो उस वक्त सारे देश में इस बात की आवाज़ उठाई जा रही थी कि फूड ज़ोन्ज़ को तोड़ दिया जाए ताकि सरपलस इलाकों में से डिफिसिट इलाकों में अनाज को ऐक्सपोर्ट किया जा सके उस समय हमारी पंजाब की इस मिनिस्टरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन फूड जोन्ज़ को न तोड़ा जाए। अगर उस वक्त फूड ज़ोन्ज़ को तोड़ दिया जाता और पंजाब के गेहूं को खुले तौर पर यू. पी. और दूसरे डिफिसिट सूबों में ऐक्सपोर्ट किया जाता तो पंजाब में अनाज की कीमतें कभी भी नीचे नहीं आ सकतीं थीं और बावजूद इस बात के कि पंजाब भारत की ग्रेनरी है, यहां पर लोगों को अनाज आसानी से न मिल पाता और मिलता तो बहुत ज्यादा भाव पर मिलता। स्पीकर साहिब, ऐसा होते हुए और बावजूद इस बात के कि हमें भी इन दिनों अन्न संकट का सामना करना पड़ा, हम ने दूसरे डिफिसिट एरियाज़ में फूडग्रेन्ज़ की सप्लाई को जारी रखा और इस प्रकार 60,000 टन गेहूं दूसरे सूबों को भेजा। काफी मात्रा में चावल भी दूसरे सूबों को भेजा गया। इस के अलावा सरकार इस बात का इरादा रखती है कि गेहूं और चावल का बफर स्टाक कायम किया जाए और जब कभी जरूरत पड़े तो

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]

उस में से लोगों को अनाज दिया जा सके। इतना ही नहीं, इम्पोर्टिड व्हीट का कोटा जहां पर 6,000 टन था सरकार की कोशिशों के फलस्वरूप वह अब 35,000 टन के करीब हो गया है। इन सब प्रयत्नों के लिये मैं सरकार को मुबारिकबाद देती हूं।

इस के अलावा इस सरकार ने बहुत सी कमेटियां और कमिशन कायम किए हैं। उन में जो सब से महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई है और जिसका जिक्र इस एड्रैस में भी किया गया है, वह हरियाणा की डिवैलपमैंट के लिये बनाई गई है। इस के लिये सरकार बधाई की मुस्तहक है। यह वहां के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग थी। वह हमेशा इस बात पर जोर दिया करते थे कि हरियाणा के पिछड़े हुए इलाकों की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं देती और वहां के लोगों के साथ इन्साफ नहीं किया जाता। उन को अपनी डिवैलपमैंट का पूरा हिस्सा नहीं मिला। इन सभी बातों की जांच पड़ताल करने के लिये और उस सम्बन्ध में ठोस सुझाव सरकार के सामने रखने के लिये यह स्पैशल कमेटी बनाई गई है। वैसे मैंने जो सरकार की पब्लिकेशंज़ देखी है उन से पता चलता है कि उन इलाकों पर फ्लड से पीड़ित इलाकों में सड़कों पर खर्च करने के लिये 60 लाख रुपया रखा है। इस बात का भी फैसला किया है कि 30 करोड़ रुपये के करीब रोहतक में इंडस्ट्रियल बैलट बनाने के लिये खर्च किया जाएगा। उम्मीद तो यही है कि यह बात सही होगी और मैं आशा करती हूं कि सरकार इस बात को तफसील से बताएगी कि इसकी डिटेल्ज़ क्या है। गुड़गांव और रोहतक के जिलों में बाढ़ पीड़ित इलाकों के लिये 23 करोड़ रुपये के करीब की स्कीमें बनाई हैं। इस के अलावा एरिड जिलों यानी गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ और हिसार वगैरा को पानी पहुंचाने के लिये इरिगेशन चैनलज़ की स्कीमें बनाई गई हैं। लेकिन एक बात मैंने खास तौर पर नोट की है। जहां पर गवर्नर साहिब ने अपने ऐड्रैस में गुड़गांव और रोहतक का जिक्र किया है, वहां करनाल का जिक्र नहीं किया और सरकार ने कोई भी ऐसी स्कीम पेश नहीं की है जिस से करनाल के लोगों को कुछ आवश्वासन मिल सके कि उन के लिये भी फ्लड रिलीफ के सम्बन्ध में कोई काम किए जाएंगे। ठीक है कि वहां पर फ्लड रिलीफ के लिये पिछल साल और उस से पिछले सालों में काफी रुपया खर्च किया गया। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि अगर उस सारे रुपए को इकट्ठा किया जाता तो आशा की जा सकती है कि हम फ्लड्ज़ को रोकन में कामयाब हो सकते थे। अगर ऐसा किया गया होता तो लोगों की इतनी बुरी हालत देखने में न आती जितनी कि अब देखने में आई है। मैं उम्मीद करती हूं कि भविष्य के लिये सरकार पूरी तरह से स्तर्क रहेगी और टाप प्रायर्टी देकर बाढ़ों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अच्छी प्रकार से समाधान करने के लिये कदम उठाएगी।

(उपाध्यक्षा ने कुर्सी ग्रहण की)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, पंजाब के अन्द र ऐग्रीकल्चर तथा इन्डस्ट्रीज़ के सिलसिले म जो तरक्की हुई उसका लोहा सारा हिन्दुस्तान मानता है। हमारे स्वर्गीय नेता, पंडित जवाहर लाल नहरू, इस सम्बन्ध में हमेशा पंजाब की प्रशंसा किया करते थे। जहां तक ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का सवाल है हमारी गवर्नमैंट ने यह टार्गेट बनाया है कि अगले दो वर्षों में खाद्यान्न

के उत्पादन को 18 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। यह भी आश्वासन दिया गया है कि प्रोड्यूसर्ज़ के लिये वाजबी कीमतों पर अनाज का भाव मुकर्रर किया जाएगा। इस सिलसिले में उज्जल सिंह कमेटी भी बनाई गई है। फिर जमींदारों को ठीक समय पर बीज, फर्टेलाईज़र आदि मुहैया करने के लिये सरकार पूरी कोशिश करेगी जहां तक हैवी इन्डस्ट्रीज़ लगाने का सवाल है, हमारे पास कोई नेचुरल रीसोर्सिज़ नहीं हैं कि हम कोई हैवी इन्डस्टरी यहां पर कायम कर सकें। हमारे पास न कोल डिपाज़िट्स हैं और न ही आयरन है। थोड़े बहुत आयरन ओर के जो डिपाज़िट्स ज़िला महिन्दरगढ़ में मिले हैं वहां पर हमारी सरकार एक पिग आयरन प्लांट लगा रही है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमारी स्टेट को सिर्फ दो हैवी इण्डस्टरीज़ दी हैं यानी एक नंगल फर्टेलाइज़र फैक्टरी और दूसरी एच.एम.टी. पिंजौर में। जहां तक नंगल फर्टेलाइज़र फैक्टरी का सम्बन्ध है उस के बारे में मैं अर्ज़ करती हूं कि उस को हमारी सरकार बिजली दे रही है। उस पर यह अपनी इलेक्ट्रिसिटी डयूटी खो रही है जिस से हमारी स्टेट को नुक्सान है। वैसे वहां उस फैक्टरी के लगने से पंजाब के हज़ारों लोगों को एम्पलायएमेंट मिली है। फिर उस फैक्टरी से हमारी स्टेट को फर्टेलाइज़र लिब्रल्ली मिल रहा है। जहां तक एच. एम. टी. का ताल्लुक है जिस पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने करोड़ों रुपये लगाए हैं उस से हमारी स्टेट को बड़ी फायदा हुआ है। उस फैक्टरी के साथ जो दूसरी एनसीलियरी इण्डस्टरीज़ लगेंगी उन में पंजाब के हज़ारों लोगों को एम्पलाएमेंट मिल सकेगी। मैं सरकार से अर्ज़ करूंगी कि उसे गवर्नमेंट आफ इंडिया को कहना चाहिए कि वह यहां कोई और बड़ी इण्डस्टरी लगाए। हमारे पंजाब के अन्दर अकेला एक बटाला ऐसी इण्डस्ट्रियल एस्टेट है जहां पर मशीन टूल्ज़ इतने बनते हैं कि जितने मशीन टूल्ज़ सारे हिन्दुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट किये जा रहे हैं। उन में से आधे सिर्फ बटाला से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इस के अलावा हमारी स्टेट में एक न्यूज़ प्रिंट फैक्टरी प्राइवेट सैक्टर में लगाई जा रही है। यह फैक्टरी ज़िला कांगड़ा में लगाई जाएगी और यह हिन्दुस्तान में दूसरी बिग न्यूज़ प्रिंट की फैक्टरी होगी जहां पर एक हज़ार टन कागज़ रोज़ाना तैयार होगा। मैं आशा करती हूं कि इस फैक्टरी में जल्दी काम हो जाएगा। इस फैक्टरी के लग जाने से हमारे देश को फोरन एक्सचेंज के सेव करने में बहुत मदद मिलेगी क्योंकि इस वक्त बहुत न्यूज़ प्रिंट बाहिर से आ रहा है। इस में शुबा नहीं कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जितना हैवी इण्डस्टरीज़ के लगाने पर खर्च किया है उस का एक या दो फीसदी हिस्सा हमारी स्टेट में खर्च किया गया है। आप ने इस बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। इस लिये मुझे आशा है कि हमारी सरकार गवर्नमेंट आफ इंडिया पर ज़ोर देगी कि वह कोई और हैवी इण्डस्टरी हमारी स्टेट में लगाए जिस से हमारी स्टेट के लोगों का माली सुधार हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा जहां तक टैक्नीकल एजूकेशन का ताल्लुक है हमारी सरकार ने इस बारे में बहुत कुछ किया है। और यही वजह है कि यहां से ज्यादा से ज्यादा ओवरसियर्ज़, ड्राफ्ट मैन और मकैनिक्स तैयार हो रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने अब जो यह फैसला किया है कि चंडीगढ़, लुधियाना और पटियाला के पालीटेक्नीकल स्कूलों में अब लोग पार्ट टाइम शिक्षा सिविल, इलैक्ट्रीकल और मकैनिकल इंजनीयरंग में हासिल कर सकेंगे। इस से यह फायदा होगा कि जो मकैनिक इस

[श्रीमती ओम प्रभा जैन]
वक्त फैक्टरियों में काम कर रहे हैं वह साथ ही साथ यहां शिक्षा हासल कर के फुल फलेज्ड डिप्लोमा-होल्डर बन सकेंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहां चण्डीगढ़ का जो इन्जनियरिंग कालिज है उस को अब इनस्टीच्यूट आफ टैक्नालिजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह इस के लिये बधाई की पात्र हैं और मैं आशा करती हूं कि इण्डस्टरियल ट्रेनिंग को और आगे ले जाने के लिये यह सरकार और भी कदम उठाएगी। बड़ी खुशी की बात है कि नैशनल कौंसल आफ वाई. एम. सी. ए. ने जर्मन माडल पर फरीदाबाद में इंजीनियरिंग इन्सटीचियूट सैट अप करने का इरादा किया है।

जहां इस एड्रेस में इन चीजों का ज़िक्र किया गया है जिन की तरफ मैं ने इशारा किया है वहां मैं महसूस करती हूं कि अभी एक दो चीज़ों की कमी भी है जैसा कि मैं ने फ्लड्ज़ के बारे में बताया है कि इस तरफ अभी और कदम उठाने की ज़रूरत है। एम्पलाएमेंट के सिलसिले में गवर्नमेंट ने एश्योरेंस जरूर दी है लेकिन इस सिलसिला में वह क्या करना चाहती है वह नहीं बताया गया। मैं आशा करती हूं कि बजट में इस सिलसिले में ज़रूर इस बात के बारे में ज़िक्र किया जाएगा।

इतना कह कर मैं हाउस से अपील करती हूं कि हमारा पंजाब राज्य जो कि एक नए दौर में से गुज़र रहा है क्योंकि यहां एक नया तजुरबा किया जा रहा है इस के लिये यह इस सरकार को अपना सहयोग दे ताकि यह मज़बूती के साथ यहां समाजवाद कायम करने के काम में आगे बढ़ सकें। मैं आपोज़ीशन का और खासतौर पर कम्यूनिस्ट पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूं जो उन्होंने अपनी नो कानफीडेंस मोशन वापस ले ली है और इस तरह इस सरकार में अपना विश्वास प्रकट किया है। पिछले बाई इलैक्शन के जरिये भी जनता ने अपना विश्वास सरकार को दिया है। मैं इन के विश्वास का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आने वाले ज़माने में भी यह सरकार उन के विश्वास का पात्र बनी रहेगी। हमारी चौथी फाईव-इयर प्लान का आऊट ले पांच सौ करोड़ रुपए का है जिस के द्वारा यह सरकार छोटे तबकों की तरक्की करने जा रही है और पिछड़े हुए इलाकों की तरक्की के लिये स्कीमें इम्पलीमेंट करने जा रही है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा इन शब्दों के साथ मैं अपना धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करती हूं और आशा करती हूं कि सदन इस को पास कर देगा।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायट आफ आर्डर मैडम। इस प्रस्ताव को मुव करने के लिए और इस की ताईद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दो मेंबर यानी श्री मती ओम प्रभा जैन और सरदार बलवंत सिंह खड़े हुए हैं उनके कद इतने छोटे हैं कि उनका पता भी नहीं चलता कि वह खड़े होकर बोल रहे हैं या बैठ कर बोल रहे हैं। क्या इस पार्टी के सब मेम्बर ऐसे ही हैं?

Deputy Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਜੋ ਪਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ

ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਪਰਸੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ਬਾਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ..

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

उपाध्यक्षा : मैं मैम्बर साहिबान को याद दिलाना चाहती हूं कि उन्हें यहां संजीदगी के साथ बैठना चाहिए। जैसा वह बोलते हैं बोलने दिया जाए और बीच में इन्ट्रप्टन किया जाए और वक्त जाया न किया जाए सरदार बलवंत सिंह जी आप को गवर्नर साहब को मुबारक बाद देने के लिए कहा गया है (I want to remind the hon. member that they should carry out the proceedings of the House seriously. They should allow the hon. members speaking and not waste time by interrupting him. I would request Sardar Balwant Singh to speak on Governer's Address and should not be irrelevant.)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਦਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਪਾਸ ਜੋ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਪਾਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : आनरेबल मैम्बर को मालूम होना चाहिए कि मौजूदा ऐक्ट के तहत किसी एक्ज़ैक्टिव मैजिस्ट्रेट को किसी सिवल केस को सुनने का मजाज़ हासल नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲ ਜਿੰਨੇ ਰੈਵੇਨਿਯੂ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਧਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। (ਵਿਘਨ) ਡਿਪਟੀ

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਢਾਂਚਾ ਇਕ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕਾਨਾਮੀ ਦੇ ਫਿਟ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ 5½ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਲ ਇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਕੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਯੋਰੋ ਨੇ ਰੀਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਨੇ 1949 ਨੂੰ ਬੇਸ ਈਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਕਨਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ :

ਬੰਬਈ	...	173
ਮਦਰਾਸ	...	174
ਉੜੀਸਾ	...	180
ਪੰਜਾਬ	...	130

ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਖਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। (The hon. Member forgets that Punjab is the granary of India.)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਅੱਗਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਲਭਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਗਵਾਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਨ ਕੁਝ ਫਿਗਰਜ਼ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ 96 ਰੁ. ਫੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 105 ਰੁ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 149 ਰੁ. ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਭਾ ਸਿਰਫ 61 ਰੁ. ਫੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸੀ। ਇਹ ਭਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਯੂਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇਗਾ।

Deputy Speaker: Please wind up.

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਯੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਿਯੂਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਭਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਇੰਟੀ ਫਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਕਰੱਰੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ- ਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਫਲੱਡਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ 27 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਯੂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਬਿਆਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਸ ਵਿਚ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਲੱਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਆਲੋ- ਜਿਸਟਸ ਨੇ ਦਸਿੱਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਪਰ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਖੋਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਖੋਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਿਉਲੋਜੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੁਈ ਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਉਚੀ ਉਠ ਸਕੇ।

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, (ਵਿਘਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭੇੜੀਏ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ....(ਵਿਘਨ) It is relevant.

Deputy Speaker: That is for me to decide. ਆਪ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। (That is for me to decide. The hon. Member should speak with responsibility and stop provoking others.)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥੰਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker: you should confine to the motion of thanks. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। (You should confine to the Motion of Thanks. If you were to raise all the points what will the party leader refer to?)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਸਟਿਸ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ।

उपाध्यक्षा: मेजर हरिन्दर सिंह, क्या आज कोई विप नहीं है ? आनरेबल मेम्बर ने दुसरी बातों का जिकर शुरू कर दिया है इस से हाऊस का समय नष्ट हो जाएगा। The honourable Member should kindly wind up within two minutes. (*Addressing Major Harinder Singh* : Has no whip been issued to day ? The hon. Member has started referring to irrelevant matters and the time of the House will thus be wasted. The hon. Member should kindly wind up within two Minutes).

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੀਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ਛਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । यह तो चीफ मिनिस्टर की रिसपान्सेबिलेटी है कि वह हर एक की बातों का जवाब दें । किसी इन्डीविजुअल मेम्बर को सारी बातों का ज़िक्र कर के अपने आप को उलझा नहीं लेना चाहिए । इस तरह से हाऊस का वक्त ज़ाया होता है ।

(This is no point of order. This is the responsibility of the hon. Chief Minister to reply to all the points raised by the hon. Members. It is not desireable for an hon. Member to refer to all the matters and thereby implicating himself. The time of the house is wasted in this manner.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए पवायंट आफ आर्डर मैडम ; क्या कोई मेम्बर मिनिस्टर को "साडे मिनिस्टर" कह सकता है ? क्या वह पंजाब के और पंजाब के लोगों के मिनिस्टर नहीं हैं और केवल इन मेम्बर साहिब के हैं ? मैं आप की इस बात पर रूलिंग चाहता हूं ।

उपाध्यक्षा : मिनिस्टर्ज़ सारी स्टेट के है सारे सूबे के हैं । (The hon. Ministers are for the whole of the State, the whole of the people of the province.)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੋਇੰਗ ਟ੍ਰਿਬਯੂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਤਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲੱਰ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ੋਭੇ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੇ ਕੀ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਚ। ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਚ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸੁਝਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਉਲੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Deputy Speaker : Motion moved—

"That the Members of the Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of the State Legislature assembled together on the 22nd February, 1965.

The notices of the following amendments to the Motion of Thanks have been received from the various hon. Members. These amendments and those which will be received hereafter will be deemed to have been read and moved and may be discussed alongwith the main motion.

1. **Shri Babu Dayal Sharma** : That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made by the Governor for reviving of the Salt Industries of Farukh Nagar area, which has been finished by the foreign ruler for their interest. The completion of metalled road of Hodal, Palwal, Nuh, Taoru, Pataudi and Patauda Road as yet.

2. **Baboo Bachan Singh** : That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(1) as to enforcement and implementation of prohibition in the State ;

(2) about the extension of co-operative farming in the State ;

(3) to nationalise the passenger bus service in the State ; and

(4) to fix ceiling on urban property.,,

3. **Comrade Gurbaksh Singh** :
4. **Comrade Babu Singh** :
5. **Comrade Shamsher Singh Josh** :
6. **Comrade Bhan Singh Bhaura** :
7. **Comrade Jangir Singh Joga** :

That in the motion, the following be added at the end, namely :—

"but regret that no mention has been made—

(1) regarding the appointment of Pay Commission as desired and demanded by the Government Employees since long ;

(2) about the illegal and continued arrest of the Left Communist Party Members, including two members of this House ;

(3) for providing relief to be provided to the School Teachers who recently observed mass hunger-strikes and to the canal patwaris ;

(4) to tackle the problem of floods and water logging in the State ;

(5) to concede the demands of the Republican Party put during its Satyagrah ;

(6) to provide relief to industrial workers and to link their daily wages with the cost of living ; and

(7) to adopt *in toto* State Trading in foodgrains and other essential commodities.,

8. **Shri Roop Lal Mehta** : That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(1) regarding attack and firing in dead dark night on village Gurbari (Palwal) by U. P. Police and villager of Kani Kheri of Bulland Shahr district resulting capturing in all U.P. Police Arms Horse police constable as well ;

(2) regarding construction of Zehar Nala Bandh, a stream of Jamuna River dividing 14 villages of Gurgaon District likely to be diverted to U.P. side ;

(3) regarding medical facilities to backward area of Gurgaon District neither upgrading of Civil Hospital, Palwal, is considered ;

(4) regarding rural industrial State of Palwal and to check the un-employment of the backward area of Gurgaon District ;

(5) to provide roads in Gurgaon District as important villages are missing from the mind of Government to link with national highways such as Palwal to Chanda, Mohana to Sikri, Gatpuri to Jindapur ;

(6) to provide upgrading of rural middle schools of Bhagola and Dhatir, the backward part of the State ;

(7) the nationalise the private Bus Service which are causing harassment to its employees ; and

(8) to fix ceiling to the Urban property so that socialism problem may be effective.,,

9. **Shri Ramdhari Gaur** : That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made of opening a new Degree College at Gohana in district Rohtak which is backward and flood affected Tehsil while there is a mention of opening a new College in Kangra District.,,

10. **Pandit Mohan Lal Datta** : That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret—

(1) that no mention has been made of the tenancy problem in the State. No security or relief has been given to the tenants by existing land legislation ; There has been no implementation of laws relating to security to tenants ;

(2) that no mention has been made about rural electrification and minor irrigation schemes in tehsil Una ;

[Pa.dit Mohan Lal Datta]

(3) that no mention has been made of tackling the floods in the choes and Swan Nadi in tehsil Una ; and

(4) that no mention has been made of Technical and College Education in tehsil Una ; and

(5) that no mention has been made of anti-waterlogging measures in tehsil Una. ,,

11. **Giani Kartar Singh :** That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(a) of moving the Central Government and State Government for making due preparations for celebrating the 500th birthday of Shri Guru Nanak Dev Ji as was done in case of Lord Budha ;

(b) to restore and pay the arrears of pensions of those political sufferers who were arrested in the Punjabi Suba Agitations of 1955 and 1960-61 ;

(c) about the steps taken to implement the assurances of late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru regarding Punjabi Language ;

(d) about the steps taken by the Government against the failure of several local bodies, market committees and various District Offices to switch over to Punjabi for their official work in the Punjabi Region ;

(e) about the implementation of Sachar Formula and Pepsu Formula in regard to Punjabi language in the Punjabi Region and no assurance has been given to stop its violation ;

(f) to secure all those concessions which are provided in the case of Hindu Harijans for those Harijans who have embraced Budhism ;

(g) for securing adequate funds for the welfare of Harijans and other backward Classes in proportion to their needs in the Fourth Five-Year Plan;

(h) about the steps for checking the growth of population indiscriminately nor promise has been made for securing adequate funds for family planning according to the dimensions of the problem ;

(i) that no mention has been made for securing decent treatment towards rural people in Government offices ; and

(j) to publish the report of "Betterment Levy Committee "appointed by the Government some time back and of steps to suspend the collection of Betterment Levy in the meantime as has been done in the matter of Marla Tax."

12. **Shrimati Dr. Parkash Kaur :** That in the motion, the following be added t the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(a) regarding rural industrial Estate of Ajnala and to check the un-employment of the backward area of Amritsar District ;

(b) to provide roads in Ajnala Tehsil in Amritsar District as important villages as Khatral Kalan, Jagdev Kalan, Loharka Kalan, Loharka Khurd and Malu Nangal, are missing from the mind of the Government ;

(c) to provide upgrading of rural middle schools of village Bopa Rai and Dial Bharang ;

(d) to fix ceiling to the urban property so that socialism problem may be effective ;

(e) for securing adequate funds for the welfare of Harijans and other backward classes in proportion to their needs in the Fourth Five-Year Plan ; and

(f) the steps for checking the growth of population indiscriminately no promise has been made for securing adequate funds for family planning according to the dimensions of the problem."

13. **Shri Rup Singh Phul :** That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made to—

(1) establish a Sainik School in district Kangra ;

(2) adopt speedy means for the road development in the Hill area so that communication and transport facilities be given to these areas ;

(3) develop the herbal wealth of hills by establishing Ayurvedic College-cum-Pharmacy in district Kangra ;

(4) establish medical, engineering and agricultural colleges in district Kangra ;

(5) establish a stadium in district Kangra ;

(6) construct high level bridges over the Beas at Sujanpur Tira and Nadaun ;

(7) give special attention to the upgrading of various categories of schools in the hilly areas in view of the educational backwardness prevailing there ;

(8) establish the cement and newsprint factories in the district of Kangra at an early date ;

(9) for the settlement of oustees of Bhakra and Pong Dam ;

(10) stop the ejectment of tenants in the State ;

(11) give propriety rights to the classified tenants of Kangra District ;

(12) issue orders for the forest settlement of Kulu and Kangra Districts ;

(13) set apart a substantial amount for the purpose of land for the Harijans of Kangra District where there is no surplus or evacuee land ;

(14) energise village in Hamirpur Sub-Division at top priority level on account of the meritorious military services of this martial area ;

(15) make industrial development of the hilly areas on top priority basis in order to do away with the un-employment and poverty prevailing there."

14. **Principal Rala Ram :** That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made —

(1) about the steps taken by the Government to check adulteration of foodstuffs, etc. ;

(2) about the steps taken by the Government to improve standard of education in the State ; and

(3) about the steps taken by the Government to control the Cho menace in Hoshiarpur District."

श्री बाबू दयाल शर्मा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर मैडम । मेरी गुजारिश है कि जो मैम्बर अमेन्डमेन्ट दें क्या उन की कोई आर्डर आफ प्रायर्टी है कि नहीं। और अगर है तो मेरी अमैण्डमेंट का नोटिस सब से पहले का है इस लिये मुझे सब से पहले बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : चेयर पार्शल नहीं हो सकती। हाउस की कारवाई को चलाना हमारे ध्यान में है । मुझे आपकी गाइडेन्स की ज़रूरत नहीं । This is no point of order Please take your seat. (The Chair cannot be partial. I know how to conduct the business in the House and I need no guidance from the hon. Member. This is no point of order. Please take your seat.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਜਗਰਾਉਂ) : ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੀ। ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖਿਦਮਾਤ ਹਨ। (ਵਿਘਨ)।

श्री बाबू दयाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आडर मैडम। क्या कोई मेम्बर गवरनर साहिब के परसन के मुतालिक बोल सकता है ?

उपाध्यक्षा : जब तक चेयर इजाज़त न दे कोई वायंट आफ आर्डर रेज़ नहीं किया जा सकता ; आप तो पुराने पार्लिमेन्टेरियन हैं। Will he please resume his seat ? (No point of order can be raised without the permission of the Chair. The hon. Member is an old parliamentaries. Will he please resume his seat?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । (ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਕੀ ਕੋਈ ਸਟਰੇਂਜਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਓਹ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।

Deputy Sperker This is bad. He is a new comer. He is a member of the Legislative Council.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਧਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਵਿਚੋਂ 85 ਆਦਮੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਨੇ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦਾ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਸੰਨ 1962 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕ ਬੋਸੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਥੇ ਕਈ ਵੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟ-ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੇਰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਇਕ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵਸਣ ਵਾਲੀ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਈਨ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਉ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। (ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈਵਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ) (ਹਾਸਾ) ਏਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਆਇਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀਂ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਡਿਸਕਰੀਮੀ-ਨੇਟਰੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਐਸਾ ਮਦੱਰਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ । ਫੇਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਉ, ਇਹ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 11 ਕਮਰੇ ਹੋਣ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਡਿਸਕਰੀਮੀਨੇਟਰੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ਼ੋਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਿਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਢੁਡੀਕੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਗਏ । ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਏਥੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਹਾਤੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਮਹਿਜ਼ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਉਥੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਨਾਉਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆਂ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਰਖਤਾਂ ਨੀਚੇ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਏਥੇ ਟੀਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਨ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਡਸਿਪਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਥੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਸਿਪਲਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 75,000 ਟੀਚਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀ. ਵੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ, ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀ ਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਖੇ ਜਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਵਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

12-00 noon

ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਤੱਕੋ ਤਾਂ ਮਲੂਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 5 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 10, 10 ਮੀਲ ਤੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂਈਂ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਜਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੋਂ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ.........

Deputy Speaker . Be relevant please.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੂਚੜ ਖਾਨਿਆਂ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾੜੀ ਹਨ।

ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ ਹਾਸਪਿਟਲ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਥੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਉਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕਰੇ ਔਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਰਾਇਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਾ ਘਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ, ਜੋ ਵੀ ਆਰਮਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਲਾਈਸੰਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਰਵਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਕਿਰੀਏਟ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 15 ਜਾਂ 20 ਮਕਾਨ ਤਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਅਫੀਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਉਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਫੀਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ 7—8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਫੀਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀ ਇਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਇਲੈਕਟਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਝੀਲ ਦੇ ਉਤੇ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੰਭੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਲਗਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ। ਔਰ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ

ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬਾਰ, ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਰਨਾ ਇਕ ਲਾਵਾ ਉਠੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚੈਕ ਰੱਖੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਚਾਬੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਬੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਫੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੜ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਰਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।
(I would request the hon. Member to leave this topic.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕ ਐਪਲੀ-ਕੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜੇ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ

[ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ]

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਕਤਰੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਏਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਿੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, : ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਨਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜ਼ਰਾਇਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਸਤਾਨੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡਰ ਮਹੀਨਾ ਪਿਛੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਟਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ 13, 14, ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਸਤੇ

ਭਾਉ ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ 30, 32 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 22 ਰੁਪਏ ਮਣ ਤੋਂ ਘਟ ਘਰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ 17, 18 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਭਾਉ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ 22 ਰੁਪਏ ਮਣ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਮਣ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੰਦ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਰਮੀਮ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1961 ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1960-61 ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਤੱਜੋ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰੂੰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 1955-56 ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ 35 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਚੁਕੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਓ। (The hon. Member has spoken for 35 minuts. He may, therefore, please resume his seat now.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਓ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਹੀਂ 3 ਮਿੰਟ। (No please only 3 minutes more)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਟ ਪਰਾਇਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਮੂਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਲੂਕ ਮੌਜਦਾ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਮਜ਼ੱਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਲੂਕ ਪਿਛਲੇ 5, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੋਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਦਦਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਜਾਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ।

ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਰੇਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੁਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਵੱਕੁਹ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੱਥਾ-ਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਸਨ ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ

ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀਜਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨ ਉਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘੋੜੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਜ਼ੱਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਭ ਹਿਟਲਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਵਿਘਨ)। ਵੱਡਾ ਹਿਟਲਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਿਟਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹਿਟਲਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਐਸਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁਹੱਯਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਏਥੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਹੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਤ ਚੀਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। (ਵਿਘਨ) ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਨਰਥ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਤ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा गवर्नर साहिब, ने अपने ऐड्रेस के शुरू में ही बड़ी दरदभरी आवाज़ और दुख के साथ सरदार प्रताप सिंह कैरों के कत्ल का ज़िकर किया है। ऐसा करना ज़रूरी और मुनासिब भी था। आज़ादी के बाद और महात्मा गांधी के कत्ल के बाद देश में यह निहायत बुरा और शर्मनाक वाक्या हुआ है। ऐसा महसूस किया जाता है कि यह एक कलंक का टीका है जो हमेशा के लिये पंजाब के

[श्री मोहन लाल]

माथे पर लगा रहेगा। सरदार प्रताप सिंह के कत्ल ने हमारी डैमोक्रेसी की दीवारों को हिला दिया है और देश के हर एक कोने से दुख और अफसोस की आवाज़ उठी और देश के हर बड़े बड़े लीडर ने जहां उन को खराजेतहसीन पेश किया वहां बहुत खदशात भी ज़ाहर किये। देश के एक बड़े लीडर ने यह बात भी कही कि यह ऐसी राजनीति हिन्दुस्तान को कहां ले जाएगी। किसी ने यह कहा कि यह सरदार प्रताप सिंह का कत्ल नहीं हुआ बल्कि डैमोक्रेसी का कत्ल हुआ है। किसी ने कहा कि देश में डैमोक्रेसी को खतरा हो गया है किसी ने कहा कि यह कैसा हौलनाक रुहजान हमारी राजनीति में चल पड़ा है जो बड़ा खतरनाक है और पता नहीं हमें यह कहां ले जाएगा और यह कैसी खतरनाक रविश हमारे पालिटिक्स में चल पड़ी है! ज्यूं ज्यूं दिन गुज़रते गए तशवीश बढ़ती ही गई और लोगों का दुख बढ़ता ही गया। आज पूरे 18 दिन कत्ल हुए हो गए हैं लेकिन कोई सुराग अभी तक उसका नहीं मिला है। तफतीश में एक नहीं दरजनों थ्योरीज़ चलीं लेकिन आज तक हमारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन किसी नतीज पर नहीं पहुंच सकी हैं। ऐसे हालात में कुदरती बात है कि बहुत से शकूक पैदा हो जाते हैं लोगों के दिलों में। जिन हालात मे यह कत्ल हुआ और इतने अर्से के बाद भी जिस का आज तक कोई सुराग नहीं मिला यह काफी तशवीशनाक बात है। आप मैम्बर साहिबान सब जानते हैं जिन हालात में कत्ल हुआ है लेकिन फिर भी मैं मजमूई तौर पर, मगर मुख्तसर तौर पर वह हालात आप के सामने रखता हूं।

दिल्ली से 20-22 मील के फासले पर यह कत्ल हुआ। यह कत्ल जी. टी. रोड पर हुआ। जहां पर दो तीन मिनट के बाद कोई न कोई कार, बस या ट्रक गुजरता है। इतनी बड़ी सड़क पर दोपहर के वक्त और एक गांव के बिल्कुल करीब जहां पर काफी आबादी है जिस गांव में और सड़क पर काफी संख्या में मज़दूर उस वक्त काम कर रहे थे तो ऐसे मौके पर इतना बड़ा खौफनाक हादसा हुआ। बड़े दुख की बात तो यह है कि जो कत्ल करने वाले थे, वह कई घंटों पहले से ही वहां पर मौजूद थे। वह लोगों से मिले। उन्होंने किसी जगह पर रस पिया और किसी जगह संगतरे बांटे और काफी घंटों तक वह यहां फिरते रहे। दुर्घटना के स्थान से 2 मील के फासले पर पोलीस स्टेशन है। वहां पर पी. ए. पी. की बटालियन है। बहुत लोग वहां से गुज़रे। सब कुछ हुआ लेकिन किसी ने भी उन के बारे में नोटिस नहीं लिया। यह कितनी खौफनाक बात है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों की कार को सड़क पर रोक कर उन के दरवाज़े को खोला गया और कितनी बड़ी बेरहमी से चार जानों को तलफ किया गया। इतना बड़ा कत्ल करने के बाद कातल किस तरह आराम से चले गए। हमारे सामने यह बात आती है कि वह 18, 20 मील चले और रात के साढ़े दस बजे तक कई लोगों ने उन को देखा जहां जहां से वह कातिल गुज़रे। जो रिपोर्ट्स आती हैं उन से पता चलता है कि किसी जगह पर उन्होंने चाय पी, किसी जगह पर उन्होंने गुड़ खाया और किसी जगह पर मुंगफली के छिलके भी पोलीस को मिले। वह कई लोगों को मिले। एक स्त्री की रिपोर्ट आती है कि उन्होंने कुछ बोझ उस के सर पर उठवाया। एक स्कूल के बच्चे से उन्होंने बात की। कई जगहों पर लोगों ने उन को देखा। रिपोर्ट यह भी आई कि बहुत थोड़े ही फासले पर पुलिस के साथ मुठभेड़ होती हुई बची। एक जगह पर तो

सिर्फ एक खेत का ही फासला रह गया था। दूसरी जगह से रिपोर्ट आती है कि अगर पुलिस गांव में अपनी कारगुज़ारी करने के लिय मशगूल न होती वहां पर नम्बरदारों और सरपंचों को अपनी हाज़िरी दिखाने के लिये न जाती तो कातल पकड़े जाते। हैरानगी होती है कि उस दुर्घटना की जगह से पोलीस स्टेशन दो मील के फासले पर है। और लोग और एक्सटैंशन ट्रेनिंग सेंटर के लोग भी 20, 25 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं लेकिन पुलिस वहां मौके पर जल्दी नहीं पहुंची। शायद मैम्बर साहिबान को पता ही होगा और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि सरकार के दो बड़े कर्मचारी कत्ल के कुछ देर बाद अपनी कार में दिल्ली से आ रहे थे। वह पुलिस स्टेशन में गए। उन का पुलिस के कर्मचारियों से कुछ झगड़ा भी हुआ। उन्होंने पुलिस के कर्मचारियों को वहां पर जाने के लिए मजबूर किया। इन हालात में सरकार को हाउस तथा लोगों को कंफीडैंस में लेना होगा। ऐसी भी इतलाह मिली है कि पुलिस ने कुछ लोगों के कहने के बावजूद भी रिपोर्ट लिखने में टालमटोल की। काफी देर तक इस बारे में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पुलिस कर्मचारी पुलिस स्टेशन से हादसे के मौके पर जाने के लिये तैयार नहीं थे। जब सरकार के दो बड़े अफसर वहां पर गए उन्होंने पुलिस को समझाया और मजबूर किया, उस के बाद पुलिस मौके पर जाती है। इस बिना पर लोगों को पूछने का हक है कि सरकार ने पुलिस वहां पर किस काम के लिये रखी हुई थी। अगर वह उस वक्त वहां पर इस्तेमाल नहीं हो सकती थी तो हम क्या सोचेंगे। अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उन को स्वयं ढूढ नहीं सकती थी तो देहली से हैलीकोपटर मंगवाया जा सकता था। वे लोग 10 घंटे तक लगातार बिना खौफ के और आराम तलबी से कई जगहों से गुज़रे। कहीं पर टांगे वाले से झगड़ा किया। तो इस बिना पर हमें यह पूछने का हक हो जाता है कि आप की पुलिस की अकल और दिमाग कहां गई हुई थी। अगर पी. ए. पी. और पुलिस उन कातलों को पकड़ने के लिये घेरा डालती तो आज हमें इस सरकार की नुक्ताचीनी करने का मौका न मिलता और हम नुक्ताचीनी करते भी नहीं। इतनी बड़ी सड़क पर और इतने ज्यादा आदमियों के होते हुए वहां पर कत्ल हो जाएं और कातिल आराम से वहां से निकल जाएं तो ऐसे हालात में सरकार का फर्ज़ हो जाता है कि वह अपनी पोज़ीशन वाज़ेह तौर पर लोगों के सामने रखे। यह मानी हुई बात है और पुलिस भी इस बात से इन्कार नहीं करेगी कि यह मर्डर एक बहुत बड़ी साज़िश का नतीजा है। बयान किया जाता है कि यह साज़िश देहली से बनी, लगातार 4, 5 दिन जितनी भी देर सरदार प्रताप सिंह कैरों दिल्ली में रहे उन की मूवमेंट को वह वाच करते रहे। कातिलों को पता था कि सरदार प्रताप सिंह कैरों किस वक्त चलेंगे और कहां से चलेंगे और किस स्थान पर वह किस वक्त पहुंचेंगे। सारी बात का इन आदमियों को इल्म था। बताया जाता है कि एक कार उन के आगे जा रही थी और शायद एक कार उन के पीछे भी हो [*Mr Speaker in the Chair*] इस के साथ एक जीप भी बताई जाती थी। इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि इस साज़िश में काफी लोग हो सकते हैं। अगर सरकार इस साज़िश को पकड़ नहीं सकती है तो इस का असर लोगों के दिलों पर क्या पड़ेगा? लोगों के नुमायंदे यहां हाउस में बैठे हुए हैं। उन के दिलों में किस तरह के विचार आते होंगे? मैं समझता हूं कि पुलीटीकल आदमियों की ज़िन्दगी महफूज नहीं है। सरकार यह बात जानती है कि एडमिनिस्ट्रेशन

[श्री मोहन लाल]
चलाने वालों को काफी मुश्किलातें आती हैं। कई लोग तो उन से नाराज़ भी हो जाते हैं। यह एक स्वभाविक बात है। मैं समझता हूं कि सरकार को डैमोक्रेटिक ढंग से चलाने के लिये नाराज़गी मोल लेनी ही पड़ती है। इन हालात में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वालों की ज़िन्दगी क्या महफूज हो सकती है? कुछ दिन हुए जैसा कि सब को मालूम ही है हमारे एक साथी ने एक शिकायत की थी कि उन की कार के पीछे किसी ने जीप छोड़ी थी। वह सरदार गुरबन्ता सिंह हैं। मैं इस लिये कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने उन की बात को मज़ाक में डाल दिया था। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सीरियस बात है। इन हालात के मुताबिक हमें सोचना होगा। स्पीकर साहिब मैं आप के द्वारा सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि कत्ल करने वालों की ऐसी हिम्मत क्यों हुई।

वह सरदार प्रताप सिंह जिस के नाम को सुन कर बदमाश से बदमाश कांपता था और जिस के सामने आंख उठाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी उसे उन लोगों को रोज़े रोशन में आबादी के करीब जहां पर इतने लोग हों इतनी हिम्मत कैसे पड़ी कि आराम तलबी से बैठ कर सरदार प्रताप सिंह की कार को रोकने की साज़िश और स्कीम बनाएं और उन को इस ढंग से कत्ल करें। उन को कैसे यह जुरअत हुई? इस की तह में कोई चीज़ है। ऐसा आज लोग समझते हैं कि इस साज़िश में बड़े बड़े लोग हैं उन का हाथ है और जब तक यह साज़िश निकल नहीं आती लोगों का यह शक बना रहेगा। मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या वह एटमासफियर, वह वायुमंडल, वह हवा जो सरदार प्रताप सिंह के खिलाफ बना दी गई थी उन के खिलाफ विशियस से विशियस प्रापेगंडा उन को ज़लील करने के लिये किया गया था क्या वह एटमासफियर इस बात के लिये जिम्मेदार नहीं है......

आवाज़ें : तीनों को पकड़ लो, नन्दा, शास्त्री और कामराज तीनों को पकड़ लो।

श्री मोहन लाल : मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब कत्ल की रिपोर्ट की गई तो एस.एच.ओ. सरपंच की रिपोर्ट लिखने में झिझकता था। हम ने यह बात बड़े ज़िम्मेदार लोगों से सुनी है कि वह झिझकता था कि मैं क्या जानूं कि सरकार इस कत्ल के सिलसिले में क्या करना चाहती है। अगर एक सब इंस्पेक्टर को भी ऐसा खदशा और अंदेशा हो सकता है कि इस कत्ल के सिलसिले में सरकार क्या करना चाहती है तो उन लोगों के दिल में जिन्होंने सरदार प्रताप सिंह को कत्ल किया, यह ख्याल क्यों नहीं आ सकता कि सरदार प्रताप सिंह के कत्ल का कोई मोल नहीं पड़ेगा? जैसे कि मैं ने पहले भी कहा और अब भी कहता हूं कि सरदार प्रताप सिंह को ज़लील करने के लिये सरकार के ज़िम्मेदार आदमियों की तरफ से इस हद तक यत्न किया गया, मेरी राए में वे लोग उन के कत्ल के सिलसिले में इखलाकी जिमेदारी से नहीं बच सकते। उन्होंने कहा कि सरदार प्रताप सिंह का नाम किताबों से निकाल दो, न सिर्फ ऐसा हुकम ही हुआ बल्कि इस को मुश्तहिर भी किया गया और इस का क्रेडिट भी लिया गया, उस की तस्वीरें निकाल दी जाएं, उन पर स्याही लगा दी जाए। जिस फट्टे पर उस की तस्वीर है वह फट्टा निकाल दिया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि सरदार प्रताप सिंह के घर की तलाशी हुई क्योंकि यह

शक था हमारी पुलिस को कि उन के घर में स्मगल्ड सोना है। यह बात मुझे अफसोस से कहनी पड़ेगी कि इस बात से हमें तशवीश पैदा हुई और आप जानते हैं कि 50 लैजिस्लेटर्ज़ ने चीफ मिनिस्टर साहिब के पास एक रिप्रेज़ेंटेशन भेजा कि इस बात की जांच पड़ताल की जाए और ज़िम्मेदारी ठहराई जाए कि बिना वजह ऐसा क्यों हुआ। अब भी मेरे पास वह चिट्ठी है जो कि चीफ मिनिस्टर साहिब को लिखी गई थी और उस की इक्नालिजमैंट मेरे पास मौजूद है। 50 लैजिस्लेटर्ज़ ने जो चिट्ठी लिखी थी उस में यह भी लिखा था कि आप रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करें और हम उम्मीद करते हैं कि हमें भी कान्फीडेंस में लिया जाएगा कि आप ने इस सिलसिले में क्या जांच पड़ताल की है। इन्कवायरी करें और जिम्मेदारी ठहराएं और इस बारे में हमें इत्तलाह दें। 23 अक्तूबर की इक्नालिजमेंट मेरे पास मौजूद है जिस में उन्होंने लिखा था कि matter is being looked into. आज मैं उन से पूछना चाहता हूं कि इस हाउस में पच्चास मैम्बरों की तरफ से गए हुए रिप्रेज़ेंटेशनज़ का क्या यही हशर होता है? हमारी सरकार अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की और एफीशैंसी लाने की ख्वाहिश रखती है। मैं आप के सामने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन और एफीशैंसी की यह मिसाल रख रहा हूं कि आज तक हमें पता तक नहीं कि कोई इन्कवायरी हुई कि नहीं हुई, किसी आदमी पर इस बात की जिम्मेदारी फिक्स की गई है या कि नहीं की गई, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है या कि नहीं लिया गया। आज तक हमें इस बारे में कोई इत्तलाह नहीं दी गई। जहां तक हमारी इन्फर्मेशन है कोई एक्शन किसी ने नहीं लिया। जहां एक आदमी इतनी बड़ी हैसियत रखता हो, कन्ट्रोवर्शल ह वह अलग बात है, उसके साथ यह व्यवहार हो जहां पर पच्चास लैजिस्लेटर्ज़ की मांग को हकारत की निगाह से ठुकराया जाता हो वहां पर लोगों के दिल में और फिर उन लोगों के दिल में जो कि सरदार प्रताप सिंह के खिलाफ जज़बा रखते हों, क्या ऐसी बात नहीं आ सकती कि सरदार प्रताप सिंह आज बहुत ही हकीर आदमी बन गया है, अगर उस को रोज़े रोशन में कत्ल भी कर दिया जाए तो कौन पूछेगा? मुझे बड़े अफसोस से आप के नोटिस में यह बात लानी पड़ती है कि अभी अभी दुर्गापुर में जो कांग्रेस का सैशन हुआ वहां पर पंजाब का पैविलियन बनाया गया था। उस पैविलियन में एक डीफैंस कार्नर बनाया गया था, वहां पर कुछ लोगों की तस्वीरें लगाई गई थीं लेकिन उस में सरदार प्रताप सिंह की कोई तसवीर नहीं थी। वह सरदार प्रताप सिंह, जिन्होंने एमर्जैंसी के वक्त इतना काम किया, आप जानते हैं कि वह अपनी सेहत को भी खतरे में डाल कर दौड़े फिरे, नीफा और लद्दाख में गए, वहां पर सोल्जर्ज़ को मिले, अफसरान को मिले और उनके हौसले बढ़ाए, यह बात सुन कर हर आदमी को अफसोस होगा कि उस पेविलियन में जो डीफैंस कार्नर हमारी सरकार की तरफ से बनाया गया था सरदार प्रताप सिंह की कोई तस्वीर नहीं थी। उन लोगों की तस्वीरें तो वहां थीं जो कि दो साल बाद लद्दाख गए, लेकिन सरदार प्रताप सिंह की कोई तस्वीर नहीं लटकाई गई थी।

आवाजें : पंडित जी, उन का नाम क्यों नही लेते?

श्री मोहन लाल : बड़े बड़े आदमी यह बात मानते हैं, मानें भी क्यों न, यह एक हकीकत है कि चीन के हमले के वक्त जिस आदमी ने सारे हिन्दुस्तान को लीड दी डीफैंस एफर्ट में वह सरदार प्रताप सिंह था। (विघ्न) जिस समय उन की भोग की रस्म थी तो चौधरी देवी लाल वहां पर हाज़र थे। उन को मालूम है कि एक सज्जन ने तो यहां तक कहा कि अगर चीन के हमले के वक्त सरदार प्रताप सिंह डीफैंस मिनिस्टर होते तो शायद हमारे देश के यह हालात न होते। एक जिम्मेदार व्यक्ति ने यह अल्फाज कहे थे। तो आज आप को सुनकर अफसोस होगा, हरेक को अफसोस होगा कि क्या हम इस हद तक पहुंच गए कि ऐसे डिफैंस पैविलियन में सरदार प्रताप सिंह की तस्वीर भी न लटकाई जाए? स्पीकर साहिब, हमने वहां पर उन लोगों से पूछा कि क्यों ऐसा है? पंजाब सरकार के पैविलियन पर जो लोग तैनात थे हमने उनसे पूछा कि आज यहां पर सरदार प्रताप सिंह की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई देती। जवाब मिला "हुक्म है ऊपर से। इन्सट्रक्शनज़ हैं"। तो आप अन्दाज़ा लगाए कि ऐसे व्यक्ति को ज़लील करने की कोशिश किस हद तक पहुंच गई थी।

कुछ माननीय सदस्य : यह भी तो बताइए कि वहां पर किस किस की तस्वीरें लगी हुई थीं।

श्री मोहन लाल : आप सब जानते हैं। वैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो दो साल बाद वहां लद्दाख गए उन की तस्वीरें वहां पर दिखाई गई। वह कौन थे, इस को आप सब जानते हैं। खैर, छोड़िए, मैं इन बातों में ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तो मैं यह कह रहा था कि जहां तक पंजाब के इतने बड़े पालिटीशन के कत्ल का सवाल है, इसमें इखलाकी जिम्मेदारी सरकार के कुछ जिम्मेदार आदमियों की बनती है या नहीं हमें सन्जीदगी से इस बात को सोचना होगा।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਉਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ? *(interruption)*

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਇਹ ਗੌਰਮੇਂਟ ਹੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਕਿਧਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ?

श्री मोहन लाल : सात महीने तक लगातार डी-कैरोनाईज़ेशन की एक मुहिम सरकार के जिम्मेदार आदमियों की तरफ से जारी रही। मैं आपोज़ीशन वाले दोस्तों पर इस सम्बन्ध में कोई गिला नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट पार्टी की आलोचना करना, बुरा भला कहना इन का हक है। उन का हक है सरकारी बैंचों पर बैठने वालों की नुक्ताचीनी करना और उन को गिराना, पुलिटिकल लैवल पर गिराना। यह उन का हक है। उन के साथ कोई गिला किसी किस्म का नहीं हो सकता। मेरा गिला तो इस तरफ सरकारी बैंचों पर बैठने वालों से है। जो सरकार की जिम्मेदार पुज़ीशनों पर जो बैठे हुए हैं.....

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਸਭ * * * ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। (ਵਿਘਨ)

श्री मोहन लाल : मैं दुहरा कर कहता हूं, स्पीकर साहिब, कि अगर हमने अपनी डैमोक्रेसी को मज़बूत रखना है, अगर हमने डैमोक्रेसी को इन खतरों से बचाना है तो

**Expunged as ordered by the Chair.*

इस कत्ल के लिये इखलाकी तौर पर जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उन की इस जिम्मेदारी का हमें निर्णय करना ही होगा।

हमारी सरकार, पंजाब की सरकार, इस कत्ल का सुराग लगाने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। इस पर बहुत सी थ्यूरीज़, पता नहीं कितनी थ्यूरीज़ इन्होंने बनाईं। उन पर तफतीश करनी शुरू की। हर रोज इस सिलसिले में हमें विश्वास दिलाया गया, आश्वासन दिये गए। कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जब कि किसी न किसी क्वार्टर से हमें यह विश्वास न दिलाया गया हो कि इस का पता निकालेंगे, एक दिन में पकड़े जायेंगे, दो दिन में पकड़े जायेंगे। एक थ्यूरी चलती है कि इधर गये, दूसरी थ्यूरी दूसरे दिन यह चलती है कि उधर गए थे और तीसरे दिन यह कहा जाता है कि तीसरी तरफ गये थे. वहां पर बैठे थे। फलां कार इस्तेमाल की थी, उस कार का सुराग निकाल लिया है, अब जगह का भी सुराग निकाल लेंगे और कातिल पकड़े जायेंगे, एक दो दिन में पकड़े जाएंगे, हम आप को विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं। इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि लोगों को इस प्रकार की एश्योरेंसिज का अब कोई विश्वास नहीं रहा। (आपोजीशन की तरफ से प्रशंसा की आवाजें) मैं इस सिलसिले में यह भी अर्ज करना मुनासिब समझता हूं कि 6 फरवरी को सरदार प्रताप सिंह कैरों का कत्ल होता है और उस के दूसरे दिन यानी 7 तारीख को सरकार का एक जिम्मेदार मनिस्टर, जिसका होम डिपार्टमेंट के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, जिसका इस इन्वैस्टीगेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सैक्रेटेरियेट की कुर्सी पर बैठा हुआ एक स्टेटमैंट देता है कि यह पुलिटिकल कत्ल नहीं है। अन्दाजा लगाइए कि उसके अगले ही दिन कुछ सरकारी, कुछ जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बयानात निकलते हैं कि यह जो कत्ल हुआ है इसमें स्यासी हाथ नहीं है, यह स्यासी कत्ल नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

श्री मोहन लाल : तो जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों की तरफ से ऐसे बयानात आए। मैं पूछना चाहता हूं कि उन के पास क्या बेसिज था ऐसा स्टेटमेंट्स देने का? उनके इस प्रकार के स्टेटमेंट देने का आखिर क्या वजह थी? जब सरकार के इतने जिम्मेदार व्यक्ति जिन का इस इन्वैस्टीगेशन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं, कत्ल के दूसरे ही दिन इस प्रकार की स्टेटमैंट देते हैं और उस के बाद पुलिस के और जिम्मेदार इन्वैस्टीगेटिंग अफसर, सरकारी कर्मचारी, ऐसे बयान देते हैं कि यह पुलिटिकल कत्ल नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह तफतीश को इन्फ्लुएंस करने के लिये ही यह बातें नहीं कही गई थीं? क्या तफतीश का रुख बदलने के लिये यह काफी नहीं था? उसके दो दिन बाद यहां पर तीन, चार आनरेबल लैजिस्लेटर्ज स्टेटमैंट देते हैं कि पुलिटिकल मोटिव कैन नाट बी रूल्ड आउट, इस में पुलिटिकल मोटिव भी हो सकता है तो उस वक्त यह एतराज उठाया जाता है कि उन की यह स्टेटमेंट तफतीश पर असर अन्दाज होती है। लैजिस्लेटर्ज की तरफ से यह स्टेटमैंट नहीं आनी चाहिए थी, यह कहा गया। हैरानगी की बात है कि सरकार का एक

[श्री मोहन लाल]

जिम्मेदार मिनिस्टर, सरकार के ज़िम्मेदार कर्मचारी तफतीश का रुख बदलने के लिये कहें कि यह पुलिटिकल मर्डर नहीं है तो कोई बात नहीं। मगर जब दूसरे सिर्फ यह बात कहें कि इस में पालिटिक्स और पालिटिकल मर्डर की थ्यूरी को रूल आउट नहीं किया जा सकता तो उस पर एतराज किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जब मिनिस्टर या ज़िम्मेदार सरकारी अफसरों ने वह स्टेटमैंटस दी थीं तो क्या उस वक्त उन से पूछा गया था, या उन को ऐसा करने से मना किया गया था? क्या उन पर किसी तरह का एतराज किया गया किसी की तरफ से? इसलिए, स्पीकर साहिब, मैं आप के जरिए यह बात वाजिया तौर पर कह देना चाहता हूं कि आज पंजाब की जनता को हमारी पंजाब की सरकार की तरफ से इस कत्ल के बारे में जो तफतीश हो रही है, उस पर कोई विश्वास नहीं है। (आपोजीशन की तरफ से प्रशंसा की आवाजें) यह आवाज जनता में उठ रही है और मैं भी उस आवाज में अपनी आवाज को शामिल करता हूं और सरकार से यह मांग करता हूं कि आप इस तफतीश को छोड़ कर इसे सैंट्रल एजंसी के हवाले कर दो (आपोजीशन की तरफ से प्रशंसा की आवाजें) मैं इस बात को भी जानता हूं कि इस किस्म की इतलाआत अब भी मिलती हैं कि इस सिलसिले में जो थ्यूरीज हमारी सरकार की तरफ से चलीं, वह थ्यूरीज सैंट्रल इन्वैस्टीगेशन एजंसी ने कबूल नहीं की। जरा सोचने की बात है कि हमारी सरकार

1.00 p.m.

जितनी इनवैस्टीगेशन की थ्यूरीज चलाती है। उन में से कई थ्यूरीज़ ऐसी हैं जिन को सैंट्रल इंवैस्टीगेटिंग एजेंसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार की इनवैस्टीगेशन एजंसी कैसे चलती है। इस लिए मैं अर्ज करूंगा अपनी सरकार से कि यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है आप पर; आप पर यह एक बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है जिस को यह उठा नहीं सकी और इस के लिए आप के लिए यही बेहतर होगा कि इस अपनी इनवैस्टीगेशन एजेंसी को छोड़ कर यह सैंट्रल एजेंसी के हवाले कर दें ताकि लोगों को विश्वास हो और इस केस की इनवैस्टीगेशन ठीक लाइनों पर हो। स्पीकर साहिब, इस वक्त मैं इस सिलसिले में और भी कई बातें करना चाहता था, लेकिन मेरे सामने जैसा कि मैं समझता हूं कि सिर्फ मेरे सामने ही नहीं, सारे पंजाब के सामने और सारे हिन्दुस्तान के सामने और जहां तक इस लेजिस्लेचर का सम्बन्ध है खास तौर पर इस के सामने सब से बड़ा सवाल यह है। बाकी हमारी स्कीमें तो चलती रहेंगी और उन की इम्पलीमैंटेशन भी होती रहेगी और उन में कमियां भी रहेंगी और उन से तरक्की भी होती रहेगी लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं अब फिर दौहरा कर कहता हूं कि अब सवाल यह है कि अगर सरकार लोगों के सामने सुबकदोष होना चाहती है और पब्लिक लाइफ में कानफीडेंस लाना चाहती है तो इसे यह कत्ल और इस कत्ल के पीछे जो साजिश है और उस साजिश के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन को नंगा करना होगा।

स्पीकर साहिब, इस वक्त मैं और किसी प्वायंट का जिक्र नहीं करना चाहता

और सिर्फ यह ही बात आप के सामने पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस वक्त यही एक सवाल हमारे सामने है। हम तसल्ली चाहते हैं अपनी सरकार से और तसल्ली जिस जरिए से बन सकती है वह मैंने अर्ज कर दिया है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (गनौर) : स्पीकर साहिब, गवर्नर एड्रैस पर ट्रेयरी बैंचिज़ की तरफ से मूवर आफ दी रेजोल्यूशन श्रीमती बहन ओम प्रभा जैन ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है और सरदार बलवंत सिंह ने उस की ताईद की है और इस पर अपने ख्यालात का इज़हार किया है और उस के बाद आपोजीशन से हमारे साथी सरदार लछमन सिंह ने काफी बातें आप की विसातत से हाउस के सामने रखीं हैं। उस के बाद अभी पंडित मोहन लाल जी ने स्टेट के ला एण्ड आर्डर के बारे में विद स्पेशल रेफरेंस टू दी मर्डर आफ सरदार प्रताप सिंह कैरों अपने ख्यालात आप के सामने रखे—कोई आध घंटा तक रखे हैं। स्पीकर साहिब, जहां तक स्टटे में ला एण्ड आर्डर की सिचूएशन का ताल्लुक है इस बारे में इस एड्रेस में कुछ फैकट्स एण्ड फिग्रर्ज़ कौलेक्ट कर के दी गई हैं जिन में बताया गया है कि पिछले साल में यहां इतने मरर्डज़ हुए थे और इस साल पहले से दो या तीन मरर्डर्ज़ कम हुए हैं। इसी तरह से डैकुआयटीज के बारे में बताया गया है कि पिछले साल यह इतनी हुई थी और इस साल पिछले साल की निसबत इतनी कम हुई है। लेकिन जहां तक ला एण्ड आर्डर का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस बारे में जो कुछ पंडित मोहन लाल जी ने जो अभी कहा है वह ठीक है। जी. टी. रोड पर नेशनल हाईवे पर रसोई गांव के पास, जहां दस गज़ के फासले पर स्कूल है और 15 गज़ के फासले पर सैंकड़ों घरों की आबादी है और वहां एन मौके पर हज़ारों मजदूर काम कर रहे थे और दिन के 12 बजे थे जब सरदार प्रताप सिंह कैरों का कत्ल किया गया था और यह कत्ल भी ऐसे ज़ालमाना ढंग से किया गया है जो कि हकूमत के नाम पर बदनामी का धब्बा है और यह एक ऐसा धब्बा है जो मिटाने से मिट नहीं सकता। चार आदमी कत्ल होते हैं और चार ही आदमी कातल हैं और सब से अफसोसनाक बात यह है — मैं भी जाए वकूआ पर पहुंच गया था और पंजाब की हकूमत के बड़े बड़े अफसरान यानी डी. आई. जी. वगैरा भी वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर मैंने जो तमाशा देखा, मैं इसे तमाशा ही कहूंगा, वह यह है कि इन हालात में वहां पर कत्ल हुआ और आज 17 रोज़ हो चुके हैं यानी इतना लम्बा अर्सा बीत चुका है लेकिन अभी तक मर्डर ट्रेस नहीं हो सका; ऐलान रोज़ होते हैं कि जरूर ट्रेस होगा, जरूर ट्रेस होगा लेकिन कुछ पता नहीं, मायूसी कुम्मद। फिर 12 बजे से रात के साढ़े दस बजे तक वह चार कातल पैदल चल कर 20 मील का फासला तै करते हैं, जैसा कि तफतीश बताती है—खेत की एक तरफ कातल जाते हैं और उस की दूसरी तरफ से पुलिस जाती है। यह हालत हुई है वहां पर। स्पीकर साहिब, सरदार प्रताप सिंह कत्ल हो गए और मैं समझता हूं कि वह इस तरह के ज़ालमाना कत्ल से इम्मार्टल हो गए हैं लेकिन इस से हमारी पंजाब की जनता के अन्दर डीमारलाइज़ेशन आ गई है और वह समझने लग गए हैं कि पंजाब के अन्दर अब किसी शहरी की, यहां के किसी सिटीज़न की जिन्दगी सेफ नहीं है। खास

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

तौर पर उन आदमियों की, जिन का पालिटिक्स से दूर का भी वास्ता है। स्पीकर साहिब, सरदार प्रताप सिंह कैरों कोई मामूली आदमी नहीं थे। मैं यह मानने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाता हालांकि हम इन्हीं बैंचों से जब वह यहां चीफ मिनिस्टर थे और पंडित मोहन लाल भी मिनिस्टरी में ही थे इस हकूमत की नुकताचीनी करते रहे हैं। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि सरदार प्रताप सिंह कैरों एक बहुत बड़े आदमी थे और यहां के साबका चीफ मिनिस्टर थे, उन जैसे आदमी का दिन दिहाड़े कत्ल हो जाना और उन के कातलों का ट्रेस न होना, साफ जाहिर करता है कि यहां ला एण्ड आर्डर की हालत अच्छी नहीं है और उन के कातलों को ट्रेस करने के लिए कोई कनक्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए। जो कनक्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए वह मैं अर्ज करता हूं। सोनीपत के पास राए पुलिस स्टेशन है। वहां पर जब इस कत्ल की इतलाह पहुंची तो वहां के थानेदार डेढ़ घण्टा तक जुम्बश में नहीं आए और आज तक उस से यह नहीं पूछा गया कि वह यह इतलाह पा कर इतनी देर क्यों मौका पर नहीं पहुंचा और राए में क्या कर रहा था। अब वहां इतने पुलिस अफसरान तम्बू डाले बैठे क्या कर रहे हैं? क्या राए की जमीन उन चार कातलों को अपने अन्दर छिपाए बैठी है जो यह वहां पर अपना डेरा डाले बैठे हैं और आज तक उस थानेदार के खिलाफ इन से कोई ऐकशन नहीं लिया गया। अगर मैं इन की जगह होता तो उस थानेदार को फौरन सस्पेण्ड करता। उसका यह जवाब है कि उस के पास सिर्फ एक सिपाही था। मैं पूछता हूं कि क्या वह गांवों वालों की आन को उभार कर उन की मदद नहीं ले सकता था और उन को साथ लेकर और जितने भी उस के पास सिपाही थे ले कर उन कातलों को नहीं पकड़ा जा सकता था? लेकिन हालत यह है कि उस पुलिस अफसर के खिलाफ आज तक कोई ऐकशन नहीं लिया गया है जिस ने रिपोर्ट भी दर्ज करने से इनकार किया था। वहां अब पुलिस क्या कर रही है? इस बारे में मैं अर्ज करता हूं कि वह लोगों की जेबों पर डाके डालने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। परसों रात की बात यह है कि वहां दो गांव बेरी बाकी पुरा और खीरा पुर की सरहद का झगड़ा हो गया था और वहां का थानेदार अपने साथ बहुत सारे सिपाही ले कर बेरी बाकी पुरा के कई आदमियों को पकड़ कर ले आया है। मैं पूछता हूं कि क्या यह सारी पुलिस वहां इस काम के लिए ही तैनात है कि उस को इन मामलों में इस्तेमाल किया जाए। यहां डायरी तो दी जाती होगी कि वह सरदार प्रताप सिंह के कत्ल की तफतीश कर रहे हैं लेकिन असलियत यह है कि वह वहां पर लोगों को तंग कर रहे हैं। स्पीकर साहिब, मैं ला एण्ड आर्डर के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। अगर हकूमत अपना सिर बुलन्द रखना चाहती है तो उन मुलजमों को कचहरी के कटहरे में पेश करे वरना अगर इस में जरा भी गैरत है तो जो इस ने यहां पर झील बनाई है उस में डूब मरे। जो साजिश है चाहे पुलीटीकल है या कुछ और मैं नहीं जानता उस को नंगा करे। मैं एक जिम्मेदार शहरी के नाते इस बात की मांग करता हूं

कि सरदार प्रताप सिंह कैरों के काल्लों को नंगा किया जाए, इस के पीछे जो मुनज्ज़म साजिश है उसको नंगा किया जाए। (विघ्न) नहीं, मुझे इस का कुछ नहीं पता। आप को शायद मालूम हो।

अब मैं एड्रैस की तरफ आता हूं। मुझे इस बात का गिला है कि इस सरकार के पास इस 32-33 सफे के एड्रैस में इस देश के महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू जिन का स्वर्गवास पिछले बजट सैशन के बाद हुआ सिवाए इन चार लाइनों के जो कि बाद में एक कागज के टुकड़े पर इस में डाल दी गई और कोई जगह नहीं थी। (विघ्न)। अगर पढ़ा भी जाता तो भी इस सरकार की लापरवाही की एक जिन्दा मिसाल है और उस बड़े नेता की बेइज्जती है।

मैंने इस एड्रैस को बड़े गौर से पढ़ा है और एक दो बार नहीं, तीन बार पढ़ा है। मुझे यह बात निहायत दुख से कहनी पड़ती है कि मैं जिस इलाके को रिप्रेजेंट करता हूं जिसे कि हरियाणा कहते हैं उस के मुताल्लिक सिर्फ चार लाइनें हैं। एक तो यह हैं सफा 12 पर। वह यह है:

> "So far as the Hariana area is concerned, my Government propose to set up a Special Committee for suggesting measures for the quick and integrated development of this area in all respect". और दूसरा है :

> "....The needs of the people in the Hariana area are also receiving very special consideration in this context."

जहां तक इस हरियाणा की डिवैलपमेंट का ताल्लुक है इस के मुतालिक एक कमेटी मुकर्रर करने के लिए ऐलान दो तीन रोज़ हुए हैं किया जा चुका है। जाहिर है कि यह एड्रैस कुछ रोज पहले छप चुका होगा वरना इस में यह कहते कि यह कमेटी मुकर्रर कर दी गई है। जहां तक कमेटियों की तकरीरों का ताल्लुक है मैं समझता हूं it is nothing but a big fraud that is being played on we people. It is nothing but a farce. It is nothing but an eye wash. इस हकूमत को कुर्सी सम्भाले सात महीने हो चुके हैं। मैं ने एक सवाल भी किया था जो कि आज आना था। मैं ने पूछा था कि बताया जाए कि इस हुकूमत के कायम होने के बाद कितनी कमेटियां और कमिशन मुकर्रर किये हैं। मैं समझता हूं कि ज्यादा कमेटियों और कमिशनों का बनाया जाना इस गवर्नमेंट की नाअहलियत का जिन्दा सबूत है। यह हकूमत खुद कोई फैसला नहीं कर सकती। It is a Government of Committees and Commissions. मैं समझता हूं कि सरकार ने यह कमेटी मुकर्रर करके यह एडमिट कर लिया है कि हरियाणा बैकवर्ड है। स्पीकर साहिब दो तीन अक्तूबर को हरियाणा के इलाके के 42 लैजिस्लेटर्ज का एक डैपुटेशन जिस में दोनों तरफ से ही लैजिस्लेटर्ज जो चंडीगढ़ में थे शामिल थे चीफ़ मिनिस्टर साहिब से मिला था। उस में चौधरी हरद्वारी लाल, चौधरी चांद राम, चौधरी सिरी चन्द और मुझ को स्पोकसमैन बनाया गया। हम ने इन से दो मांगें

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

की थीं। एक तो यह कि हमारे इलाके के जो फ्लड के मसले हैं उन का हल किया जाए और दूसरे हरियाणा को जो शिकायात हैं उन के बारे में एक फैक्ट फाइंडिंग कमिशन मुकर्रर किया जाए। अब इन्होंने यह कमेटी मुकर्रर कर दी है नाम रखा है डिवैलपमेंट कमेटी। माफ करें नाम तो धर दिया फूल कुमार और खुशबू नहीं कोंदरे की भी। इस कमेटी में हैं पंडित श्री राम शर्मा—उनका मुझे एहतराम है—चौधरी शेर सिंह, चौधरी हरद्वारी लाल, चौधरी चांद राम और चौधरी घमन्डी लाल। यह पांचों साहिबान तहसील झज्जर के हैं। मैं भी तहसील झज्जर का हूं मगर यह हरियाणा कमेटी तो न हुई झज्जर कमेटी हुई। (तालियां)। मैं समझता हूं it is a Government of indecision with no initiative, with no dash. स्पीकर साहिब, जहां तक हरियाणा की बेकवर्डनैस का ताल्लुक है किसी कमेटी को इस बारे में पता लगाने की क्या जरूरत थी, सारे फैक्टस और फिगर्ज आप के सामने हैं। इस सदन के सामने हैं। तमाम डिपार्टमैंट्स से फिगर्ज आती हैं और मैं इस बारे में 15 मिनट में फैसला कर सकता हूं। मैं पूछता हूं कि जहां तक इस हकूमत का ताल्लुक है चीफ मिनिस्टर साहिब के पास इस बात का क्या जवाब है कि उस सारे रिजन से सिर्फ एक वजीर चौधरी रिजक राम ही हैं। न स्पीकर, न डिप्टी स्पीकर, न चेयरमैन, न डिप्टी चेयरमैन, न चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी और न कोई पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी। क्या जवाब है इस का इन के पास? ऐसी बातें करके हमारी रगे गैरत को उभारा जाता है, ललकारा जाता है, ऐसी कमेटियां मुकर्रर कर के। एक विजीलैंस कमिशन मुकर्रर किया गया है। हम ने एक हाई पावर्ड कमिशन की मांग की थी। कहते हैं कि हम हरियाणा की डिवैलपमैंट कर रहे हैं। (विघ्न) यह मजाक की बात नहीं है कुछ साहिबान आयरोनीकली बात करते है, मगर यह मजाक की बात नहीं है। हमारे लिये यह धर्म युद्ध है, हक की लड़ाई है, इनसाफ की लड़ाई है बेइनसाफी के खिलाफ। हम इस बेइनसाफी को बरदाशत नहीं कर सकते। इतने लम्बे चौड़े ऐड्रैस में हमें तीन लाइनें मिलती हैं।

फिर रैवेन्यूज की बात है। जब तो नेफा और लद्दाख की सरहद पर सिर कटाने का सवाल होता है, देश की रक्षा का सवाल होता है हकूमत कहती है कि हरियाणा वालो अपने जवानों को बर्फ में गलाने के लिए भेजो मगर जब इस ऐड्रैस को पेश करने का सवाल होता है तो उन के लिये मुश्किल से तीन लाइनें मिलती हैं। हम ऐसी बातें नहीं बरदाशत कर सकते।

फिर स्पीकर साहिब, जहां तक इन्डस्ट्री का ताल्लुक है सरकार पानीपत में एक पेपर मिल ऐस्टेबलिश करने जा रही थी। पिछली गवर्नमेंट ने इस का फैसला किया था, स्कीम छप चुकी थी, पायातकमील तक पहुंच चुकी थी और किसी कलकत्ता की फर्म से कन्ट्रैक्ट हो चुका था मगर इस के बावजूद इस मौजूदा सरकार ने हमारे जजबात को रौंदते हुए किसी थापर वगैरह कम्पनी से साजिश करके उस को नंगल में

ट्रांस्फर कर दिया। (आपोजीशन की तरफ से शेम, शेम) मैं मांग करता हूं कि (विघ्न) यह किसी दोस्ती या दुश्मनी का ताल्लुक नहीं है, मैं वाक्यात आप के सामने रख रहा हूं। और इस हकूमत को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यह हकूमत इसी तरह से हम से मजाक करती चली गई तो हम हकूमत के खिलाफ इसी सदन में बगावत बलन्द कर देंगे।

(आपोजीशन की तरफ से तालियां)।

स्पीकर साहिब, मैं मांग करता हूं कि अगर इस हकूमत को ज़रा होश हो, इन में कोई अकल हो और इन का दिमाग टिकाने हो तो पानीपत में पेपर मिल लगाने का फैसला करें जैसे कि पहले इस बात का फैसला किया गया था। रोहतक के अन्दर अरबन इन्डसट्रियल एस्टेट कायम करने का जो फैसला सरकार ने किया था वह अब विदड्रा कर लिया गया है। इस के बारे में 6 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें डिस्ट्रिक्ट इन्डसट्री आफीसर ने बताया कि इस स्कीम को सरकार ने विदड्रा कर लिया है। इसी तरह गनौर के अन्दर 14 करोड़ का सीमलैस ट्यूब्ज़ का कारखाना लगाने का फैसला किया गया था। इसके लिए 197 एकड़ ज़मीन भी एक्वायर कर ली गई और दफा 4 और 6 के अनुसार कारवाई भी कर ली गई लेकिन आगे कुछ नहीं किया गया। इसी तरह गोहाना का इलाका बैकवर्ड है और फलड हिट है लेकिन इस की कोई तरक्की नहीं की गई। इस इलाके को अभी तक सब-डिवीजन नहीं बनाया। फिर कहते हैं कि हमने हरियाना डिवेलपमेंट कमेटी बना दी है। कमेटी तो इस हाउस के सब मेम्बर हैं जिन्होंने हरियाना के बारे में आवाज़ उठाई। इस सदन के इतिहास में यह एक मिसाल है कि असैम्बली और कौंसल के तमाम मेम्बरों ने हरियाना के बारे में आवाज उठाई। अगर इस में कोई झूठ हो तो सब का मुंह बंद कर दो। हमारे एरिया का क्या हाल है। इस को कहीं भी कोई रिप्रिज़ेन्टेशन नहीं दी गई। सर्विसिज में कोई रिप्रिज़ेंटेशन नहीं है। सरकार की तरफ से बजट पास कर दिया जाता है लेकिन इस को इमप्लीमेन्ट करना अफसरान का काम है जहां कि एक भी हमारे इलाके का नहीं। यहां पर सैक्रेटेरियट की दस मन्जला इमारत में और 17 सैक्टर की बिलडिन्ग में ऊपर से नीचे तक आप जा कर देख लें हरियाणा के किसी अफसर की नेम प्लेट नज़र नहीं आएगी। इस लिए मैं यह कहता हूं कि हरियाणा डिवैलपमेंट कमेटी एक फ्राड है, एक फार्स है। इस लिए मैं अर्ज करता हूं कि हमारे इलाके को सर्विसिज में रिप्रिजेन्टेशन देनी चाहिए, वजारत में नुमाइन्दगी देनी चाहिए। उज्जल सिंह कमेटी और हरियाना डिवेलपमेंट कमेटी से क्या बन जाएगा। यहां पर तो बात बात पर कमेटियां बनाई जाती हैं। टैक्सों को बढ़ाना है तो कमेटी, टैक्सों को कम करना है तो कमेटी। कीमतों पर देख रेख करने के लिए कमेटी बना दी। इस के साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन रिर्फामज़ कमेटी बना दी गई है और जब तक यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी यह पावर इन के हाथ में नहीं रहेगी। कमेटी बनाते वक्त यह कहा जाता है कि इस की रिपोर्ट चार महीने में आ जाए लेकिम कौन 4 महीनों में रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

आती है चार साल में। क्यों? इस लिए कि कमेटी के मेम्बरों को टी. ए. मिलता है, डी. ए. मिलता है, तनखाह मिलती है।

फिर, स्पीकर साहिब, आप देखें कि एक सिलैक्शन कमेटी बनाई हुई है हालांकि सैंट्रल सर्विसिज़ रूलज़ बने हुए हैं। इस कमेटी को वसीह इखत्यार दिए हुए हैं। इस में दो फिनांशल कमिशनर हैं। सन 1958 से 1963 तक 75 आदमियों को पी. सी. एस. से आई. ए. एस. बना दिया गया। वह सैंटर ने नहीं बनाए, वह कैबिनट के नहीं बनाए और न ही चीफ मिनिस्टर ने बनाए थे बल्कि सिलैक्शन कमेटी ने बनाए। कितनी हाई पावर्ड कमेटी है। फिर इन नामों को यू. पी. एस. सी. ने अप्रूव किया, गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने अप्रूव किया। पर पता नहीं इन्हें क्या सूझी कि एक डिमोशन कमेटी बना दी। आप ने स्टेटसमैन अखबार में पढ़ा होगा कि पंजाब सरकार 75 आई. ए. एस. अफसरों को रिवर्ट कर रही है और फिर पी. सी. एस. बना रही है। इस से पी. सी. एस. अफसरों के दिल में हार्ट बरनिंग है। फिर, स्पीकर साहिब, आम तौर पर कमेटियों को डायरैक्टिव दिया जाता है। सरकारी मुलाजमों के लिए डायरैक्टिव है कि 'नो गवर्नमेंट सरवेन्ट कैन ऐप्रोच दी पालेटिशन'। तो इस हालत में वह क्या करेंगे। यह 55 अफसर डिप्टी सैक्टरी और दूसरी जगहों पर लगाए गए थे तो इनकी लेंग्थ आफ सर्विस को सामने रखा गया, उनके अच्छे काम को सामने रखा गया और उन के मैरिट की बिना पर उन्हें प्रोमोट किया गया। आज वह पिछले पांच-छः साल से आई. ए. एस. चले आ रहे हैं तो इस बात में क्या सैन्स है और क्या जस्टीफिकेशन है कि अब उन्हें रिवर्ट किया जा रहा है। और फिर इस का बात का फैसला दो अफसर ही इस कमेटी में बैठ कर दें तो कितनी बुरी बात है। आई. ए. एस. अफसर सरकार का एक अहम पुरज़ा होते हैं, हकूमत का एक जुज़ हैं जिन से हकूमत चलती है। अब जब कि उनका काम अच्छा हो और सिनसिएरेटी से काम कर रहे हों तो विदाऊट राइम और रिज़न डिमोट कर देना ठीक नहीं। इस कमेटी का यह हाल है कि सी. एम. ने एक चिट्ठी इस कमेटी को लिखी कि "Please send a list of at least 10 persons to be promoted as I. A. S." The wishes of the Chief Minister are thrown in the waste paper basket. रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आप को तो पता ही नहीं, आप कहते हैं कि 10 आदमी बढ़ा दो और हम तो 55 आदमियों को रिवर्ट कर रहे हैं। इस हालत में वह अफसर क्या नहीं करेंगे। पालेटिशियंज़ के पास जाएंगे, एम. एल. एज़. का दामन पकड़ेंगे। और जब कोई चारा न देखा तो रिट कर देंगे और हाई कोर्ट से डिगरी ले जाएंगे क्यों कि कोई रूल नहीं कि आप इन्हें डिमोट कर दें। इस के कारण आज सैक्टेरिएट में बहुत बेचैनी है। मुझे उस दिन सैक्रेटेरिएट में जाने का इत्तिफाक हुआ तो वहां पर कहने लगे कि हम तो इस हकूमत से एक्सपैक्ट करते थे कि यह कोई अक्ल की बात करेंगे सरदार प्रताप सिंह कैरों के

डिसलाज होने के बाद। क्योंकि कैरों साहिब स्वर्गवास हो गए हैं इस लिए मैं उस संबंध में कोई हाशियाराई नहां करना चाहता। लेकिन सर्विसिज़ का यह ख्याल था कि नई हकूमत लोगों को अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देगी, ईमानदारी की एडमिनिस्ट्रेशन देगी लेकिन मैं उन्के की चोट से कह सकता हूं कि कोई भी बदलने की चीज इस हकूमत ने नहीं की। थिन्गज़ आर गोइन्ग फराम बैड टू वर्स। ब्योरोक्रेसी का राज आ गया है। अफसर लोग खुले आम कहते हैं कि सच पूछें तो हमारा राज अब आया है। वह कह देते हैं कि इबकी नहीं छोड़ूंगा, जब तक दिल्ली में जाकर सलाह लोगे तुम्हारा कुन्डा कर दूंगा। अगर ब्यूरोक्रेसी को देखना है तो इन सात महीनों की कारवाई को आप देख लें। मैं एक मिनिस्टर को इस सम्बन्ध में कोट करता हूं; उसका नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि यह शोभा नहीं देता एक बात जो जाइज थी उसके बारे में कहने लगे कि मुझे अफसोस है कि अफसर नहीं मानता अफसर हमें गांठते ही नहीं; मैं ने तो आर्डर जारी कर दिए थे लेकिन नीचे से अफसर ने परवाह तक नहीं की; अब आप आए हैं तो मैं उस से ऊपर के अफसर को लिख रहा हूं। अगर मैं इन की जगह होता तो तीन मिनट तक भी इस कुर्सी पर नहीं रह सकता था। इस तरह की सरकार आप अंदाजा लगाएं किस तरह से चल सकती है। और ज्यादा कहना मुनासिब नहीं होगा लेकिन हालत यही है। अफसरों का राज है और ब्यूरोक्रेसी का बोल बाला है। जहां पर मिनिस्टरों का यह हाल हो वहां पर हमें हकीर होना पड़ता है। आखिर हम लोगों के जजबात की तरजुमानी यहां पर करने आते हैं, लाखों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन यह लोग हमें एंठते हैं। लोगों को मजबूर हो कर चन्डीगढ़ में आना पड़ता है। हम उन लोगों के बीहाफ पर अफसरान के पास जाएं और वह परवाह न करें तो यह एक मजाक सा बन कर रह जाता है। इस एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने की जरूरत है।

अब कुछ जिक्र इलैक्ट्रीसिटी के बारे में करूंगा। मैं स्पीकर साहिब, आप के सामने सरकार की तरफ से तैयार किए हुए फैक्टस एन्ड फिगर्ज रखना चाहता हूं। इन्होंने

1959-60 में 448

1960-61 में 413

1961-62 में 825 और

1962-63 में 815

बिजली के कनैक्शन देहात में दिए और अब इस हकूमत ने 1964-65 में केवल 125 देहात को बिजली दी है। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक तरक्की की गई है। अफसोस होता है कि जब इस महकमे के मिनिस्टर मेरे मोहत्रम दोस्त चौधरी रिज़क राम जी हों और फिर यह हाल हो। पहले वजीर

[पंडित चिरंजी लाल शर्मा]

साहिब ने कहा था कि जिन जिन गांव में से 11 के. वी. लाइन गुज़रेगी वहां पर बिजली दे दी जाएगी लेकिन इस बात को आज तक अमली जामा नहीं पहनाया गया।

(The hon. Member was still in possession of the House when it adjourned.)

1.30 P.M.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a. m. on Thursday, the 25th February, 1965.)

3688 PVS—320—29-6-65—C.P.& S., Pb., Chandigarh

APPENDIX

TO

P.V.S. DEBATES VOL I—NO. 2 DATED THE
24TH FEBRUARY, 1965.

The answer to Assembly Question No. *2246* appearing in the list of Unstarred Question on the 24th February, 1965, in the name of Sardar Ajaib Singh Sandhu, is not ready. The information is being obtained from the Revenue Department. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-
Public Works and Welfare Minister.

To

The Speaker,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O, No. 71-AQ-IW(2)-65/Cell., dated 22nd February, 1965.

The answer to the Assembly Question No. 2257 appearing in the list of Unstarred Question on the 24th February, 1965, in the name of Comrade Ram Piara, M. L. A. is not ready.

2. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-
Public Works and Welfare Minister.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O. No. 1424-Irri.-Estt-II(4)65., dated the February, 1965 .

The answer to the Assembly Question No. *262 appearing in the list of Unstarred Assembly Questions on the 24th February, 1965, in the name of Shri Sagar Ram Gupta, M. L. A. is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-
Chief Minister, Punjab.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O. No. 2537-SD(I)-65., dated the 22nd February, 1965.

3688 P.V.S.—366—30-6-65—C., P. and S., Pb, Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

25th February, 1965

Vol. I—No. 3

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 25th February, 1965

Price: Rs. 4 50 Paise.

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 3 DATED THE 25TH FEBRUARY, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Question	Questi n	title	11
हूं कि	कि हूं	(3)4	16
प्वायंट	प्वायेंट	(3)5	6 from below
ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ	ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸੰਘ ਮਾਸਟਰ	(3)15	8 from below
आइटम्ज़	असेटमज़	(3)15	last but one
पढ़	पड़	(3)16	19
चंगी तरां	चगी त ां	(3)21	14
चौधरी देवी लाल	चाधरी देवी लाल	(3)22	23
डीलें	डील	(3)23	21
अथारिटेटिवली	अथारिटेटिव ी	(3)25	2
साहिब	साहबि	(3)25	5
चाहते	चहाते	(3)25	18
इनफर्मेशन	इनफमशन	(3)25	7 from below
अर्बन	अ न	(3)26	5
Dean Paul H. Appleby	lean Paul H. Appleby	(3)31	2
concerned	oncerned	(3)43	14
ਸੂਬਿਆਂ	ਮਬਿਆਂ	(3)44	23
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ	ਹਿਦੁਸਤਾਨ	(3)45	2
ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼	ਰਿਪਰੇਟਜ਼ਿੰਟਵਜ਼	(3)45	13
केरल	करेल	(3)46	18
Delete the word 'पक' between the words 'तो' and 'ख़ाह'		(3)52	22

Read	For	Page	Line
of Chairmen	out Chairman	(3)56	8
जाएगा	जएगा	(3)56	11 from below
वोटिंग	वाटिंग	(3)57	4
में	म	(3)59	16
मामले	मामल	(3)60	5 from below
प्रैज़ीडैन्ट	प्रज़ीडेंट	(3)62	14 from below
पिछली	पिछले	(3)65	19
हो	ो	(3)66	12 from below
वहिस	बाहिम	(3)68	3
हो	है	(3)68	4
नाम न लेकर	नाम लेकर	(3)71	last
इन्डायरैक्ट	डायरैक्ट	(3)73	3
ਦੇਣ	ਹੋਣ	(3)73	5 from below
वोट	बोद	(3)75	14
हम	रम	(3)75	20
ਪੰਜਾਬ	ਪੰਜਬ	(3)80	12 from below
ਸਾਡੇ	ਸਾਡੀ	(3)81	3 from below
[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ]	[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]	(3)82	1
ਵ੍ਰਿਪਸ	ਵ੍ਰਿਪਸ਼	(3)82	2
ਆਉਂਦੇ ਹਨ	ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ	(3)82	4
उपाध्यक्षा	उपाध्यक्ष	(3)83	23
बनाने	बना	(3)84	9 from below
बागडोर	बाजरे	(3)84	2 from below
pleased to	pleased	Appendix	6
so far	so	Appendix	11

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 25th February, 1965

The Sabha met in the Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 9.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Principals, Professors and Lecturers in Government Academic Colleges in the State

*7030. **Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state the number of Principals, Professors and Lecturers, males and females, separately, in the Government Academic Colleges in the State at present together with the number of those among them belonging to the Scheduled Castes ?

Shri Prabodh Chandra : A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

Statement showing details of various Officers category-wise in Government Academic Colleges in the State

Serial No.	Category of Officers	No. of Officers		No. of Scheduled Castes Officers	
		Male	Female	Male	Female
1	2	3	4	5	6
1	Principals ...	28	10	Nil	Nil
2	Professors, P.E.S.I. ...	5	1	...	...
3	P.U.E.S.I. Professors ...	13	4	...	...
4	Senior Lecturers ...	148	33	2	...
5	Lecturers ...	773	304	9	...

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि शैडयूल्ड कास्ट्स आफिसर्ज़ की इतनी कम रिप्रैज़ेंटेशन क्यों है ?

मन्त्री : जहां तक पंजाब सरकार का ताल्लुक है हमारी तरफ से तो यह आर्डर्ज हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की रिप्रैज़ेंटेशन पूरी की जाये और इस पर सख्ती से अमल किया जाये। मगर देखते हैं कि बावजूद पूरी कोशिश के भी यह कमी पूरी नहीं हो पाती।

श्री रूप सिंह फूल : जो 10 प्रतिशत प्रोमोशन्ज़ दी जाती हैं आया वह उन को दी जाती हैं या नहीं ?

मन्त्री : रूल्ज़ को कोई उलंघना नहीं की जाती, हर चीज़ रूल्ज़ के मुताबिक की जाती है ।

श्री चांद राम : जैसा कि मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के कैंडीडेट्स इतनी कोशिश के बावजूद भी पूरे नहीं हो पाते । क्या वह जांच करके बताएंगे कि आखिर इस में डिफीकल्टी क्या है ?

मन्त्री : इस की वजह यही है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स में अभी तालीम की कमी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जायेगी ।

चौधरी अमर सिंह : जैसे वज़ीर साहिब ने बताया है कि रूल्ज़ की उलंघना नहीं की जाती, मैं पूछना चाहता हूं कि एक्स-केडर पोस्ट्स में आया रिज़र्वेशन का क्या ख्याल रूल्ज़ के मुताबिक किया गया है ?

Minister : The information supplied to the Assembly Question is based on the officers/officials actually in position and not on the strength. The number of officers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is no doubt low but the order of the Government regarding reservation of posts in appointment/direct recruitment are being observed rigidly.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਲਈ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ?

Minister : At present the reservation in the services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is 20 per cent for direct recruits and 9 per cent for posts to be filled by promotion.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ 9 ਫੀ ਸਦੀ ਔਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਨੂੰ 1 ਫੀ ਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ?

Minister : Rules are being observed rigidly. There has been no departure from the Government instructions.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਰੀਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ.........

ਮੰਤ੍ਰੀ: ਭੌਰਾ ਜੀ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, Government is not prepared to take this risk because the quality of education is already low.

श्री चांद राम : क्या वज़ीर साहिब के सामने शैड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट है? मैं पूछना चाहता हूं कि आया जिस डिपार्टमैंट में शैड्यूल्ड कास्ट्स कैंडीडेट्स अवेलेबल नहीं हैं क्या उन को पूरा करने के लिये सरकार स्पैशल मेज़र्ज़ एडाप्ट करेगी या नहीं ....

मन्त्री : इस के लिये मुझे नोटिस दरकार है ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿਘ : ਜੇ ਇਹ ਵੇਕੰਸੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਟੀਚਰਜ਼ ਤੇ ਪਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਮਿਲ ਸਕਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Shri Rup Singh Phul : May I know whether any concrete steps have been taken by the Government to make up the deficiency?

मन्त्री : पिछले 4-5 साल के सटैटिस्टिक्स देखने से पता लगेगा कि जैसे जैसे तालीम की कमी पूरी होती जा रही है हम इस तादाद में आगे बढ़ रहे हैं और यह कमी 3-4 साल के अन्दर पूरी हो जायेगी।

Mid-term transfers of certain officers of the Education Department

***7316. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the mid-term transfers of the under-noted officers were ordered some weeks ago :—

(i) Mr. A. S. Shante, from Circle Education Officer, Nabha, as Principal, Government College, Nabha ;

(ii) Principal, Government Sports College, Jullundur ;

(iii) S. Mohan Singh, Principal, Government College, Nabha, as Principal, Sports College, Jullundur ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the reasons for each of the said transfers ;

(c) whether the above mentioned mid-term transfers, had been approved by the Chief Minister, and if not, the reasons therefor ;

(d) whether any of the above mentioned transfers were cancelled within a fortnight or so of the issue of transfer orders; if so, under whose orders ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) On administrative grounds.

(c) The matter being immediate, the transfers were ordered and *ex post facto* approval was sought from the Chief Secretary/Chief Minister.

(d) Yes ; under orders of Government.

चौधरी देवी लाल : वज़ीर साहिब ने जवाब में बताया कि उन को एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्ज़ की बिना पर ट्रांस्फर किया गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आखिर वह ऐड-मिनिस्ट्रेटिव रीज़न्ज़ क्या हैं ?

मन्त्री : ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्ज़ एक टर्म है जिस में सभी कुछ आ जाता है।

Chaudhri Hardwari Lal : Will the Education Minister kindly state whether the disclosure of administrative reasons which the Minister has said led to these transfers will in any way offend against the much abused public interest ?

Minister : I would hesitate to use the words against public interest or public security. वह ट्रांस्फर इस लिये कैंसल कर दी गईं क्योंकि वह मुनासिब नहीं समझी गईं थीं।

Comrade Shamsher Singh Josh : The Education Minister has informed us that these transfers were made on administrative grounds. May I know why no reason has been given for cancelling these transfers ?

मन्त्री : जितनी भी मिडटर्म ट्रांसफर्ज़ होती हैं उन के मुतालिक चीफ मिनिस्टर से सलाह लेनी ज़रूरी होती है। जैसे नीचे से डिपार्टमैंट ने कहा मैंने रिकमैंड कर दी थी मगर जब बाद में चीफ मिनिस्टर साहिब से डिसकस की गईं तो पता चला कि यह ट्रांस्फर्ज़ नहीं होनी चाहियें थीं, इस लिये कैंसल कर दी गईं।

चौधरी देवी लाल : जब आप को पता है कि मिड टरम ट्रांस्फर्ज़ चीफ मिनिस्टर की कन्सलटेशन से की जाती हैं तो क्या आप बताएंगे कि वह आप ने क्यों कीं ?

मन्त्री : चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस में कोई दखल नहीं दिया। यह तो वैसे ही डिसकस किया था। इस के मुतालिक कुछ चिट्ठियां आई थीं उन पर गौर करने के बाद यह कैंसल करने का फैसला किया था।

Shri Mohan Lal : I would like to know whether the administrative reasons which had caused the Government to order these transfers disappeared within a few days when order for cancelling these transfers was passed or did the administrative reasons continue even at the time when the order of cancellation was passed ?

मन्त्री : मैंने कहा है कि हमें ख्याल तो है मगर जब ट्रांस्फर्ज़ कैन्सल ही हो गई हैं, मैं समझता कि हूं इस पर ज्यादा सप्लीमैंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर आप अलाऊ कर रहे हैं इस लिये मुझे भी कुछ न कुछ जवाब में कहना होगा। असल में ट्रांसफर के मुआमले में मैं बहुत कम दखल देता हूं। मगर जब यह बात चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में आई तो फिर गौर करने पर यह आर्डर कैंसल कर दिये गये। डिसकशन की तब ज़रूरत थी अगर वह मसला हल न किया जाता।

Mr. Speaker : Comrade Babu Singh Master. It will be the last supplementary question .

Chaudhri Harwari Lal : It is an extremely important question. I request the hon. Speaker not to restrict the number of supplementary questions to be asked on this question .

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਡਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ? ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

मंत्री : सब कुछ चीफ मनिस्टर साहिब से पूछ कर किया गया था। लेकिन उसके बाद लोग मिले और प्रिंसिपल भी मिले उन्हों ने इस बात पर ज़ोर दिया और कनविंस कराया कि इस वक्त बच्चों की तालीम का हर्ज होगा। इसलिये वह ट्रांसफर आर्डज़ कैंसल कर दिए गए। Subject to the approval of the Chief Minister as the case is.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Minister for Education and Local Government be pleased to state if it is not a fact that these transfers were cancelled because of some interference from the Centre ?

Minister : There is absolutely no truth in it .

Chaudhri Hardwari Lal : We have been trying to get the information as to the reasons which led to the transfers but the hon. Minister is not prepared to disclose the reasons. I shall put it in a different form and I hope the hon. Minister shall find it possible to answer the question . I want to know if these officers were regarded as inadequate generally for their jobs or they had done any thing in particular which necessitated their transfers ?

मन्त्री : ऐसी कोई बात नहीं कि वह इनऐडीक्वेट थे। और न ही उन्हें कोई सजा देने की बात है। इस में कोई सचाई नहीं है जो इस तरह का चार्ज लगाया जाता है।

Sardar Gurdial Singh Dhillon: May I know from the hon. Minister for Education and Local Government whether these transfers were due on there were some special reasons for these ?

Minister: They were not due for transfer in the strict sense of the word 'due'. यह मिडटर्म ट्रांस्फर ड्यू नहीं थे। लेकिन गवर्नमैंट को यह हक है कि मिनिस्टर जब उचित समझे तो ट्रांस्फर कर सके, इस लिये उस वक्त ट्रांस्फर आर्डर्ज़ किए गए। मगर बाद में यह अनुभव किया गया कि बच्चों की पढ़ाई में तकलीफ होगी तो ट्रांस्फर आर्डर्ज़ कैंसल कर दिए गए। (विघ्न)

(At this stage some hon. Members rose to put supplementary questions)

(Interruptions and Noise in the House)

Mr. Speaker : Next Question please.

(Noise in the House)

Chaudhri Hardwari Lal. : Sir, the Question Hour will lose all its importance if we are not allowed to put supplementary questions. As a matter of fact, we have to demand half-an-hour discussion on this question if more supplementary questions are not allowed.

चौधरी देवी लाल : मैंने जो प्रश्न किया है, उसका जवाब इन्होंने, स्पीकर साहिब अभी तक नहीं दिया। मैंने यह पूछा है कि—

"Whether any of the above mentioned mid-term transfers were cancelled within a fortnight or so of the issue of transfer orders, if so, under whose orders ?"

इसका जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब ट्रांस्फर आर्डर्ज़ किए गए तो क्या वे किसी लैफ्टिनैंट के कहने से नहीं किए गए ? चीफ मिनिस्टर का आर्डर यह है कि मिड टर्म ट्रांस्फर आर्डर मेरी बगैर मंज़ूरी के न किए जाएं लेकिन ऐसा फिर भी हुआ तो इस की क्या वजह है ?

मन्त्री : यह ठीक है कि ट्रांस्फर के वक्त ऐप्रूवल ले लेनी चाहिये लेकिन यह जो ट्रांस्फर आर्डर्ज़ किए गए थे वह भी तो subject to the approval of the Chief Minister ही किए गए थे।

श्री चांद राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि एक सवाल पहले था और एक सवाल यह है। दोनों में ही Constitutional provisions implement करने के लिए सवाल किए जा रहे हैं। एक सवाल में स्पीकर साहिब कितने सप्लीमैंट्रीज हो सकते हैं ?

Mr. Speaker : It all depends on the nature of the questions and the anxiety of the hon. Members.

श्री मोहन लाल : स्पीकर साहब, उस वक्त जो ट्रांस्फर हुए थे वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न्ज़ पर हुए थे, जिस के आधार पर यह समझा जा सकता है कि वह ग्राऊंड्ज़ के समय पर ऐग्ज़िस्ट करते थे। लेकिन अब गवर्नमैंट ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीज़ंज़ बतलाने के लिए तैयार नहीं है। मैं जानना चहाता हूं कि अब जब ट्रांस्फर आर्डर कैंसिल हो गए तो क्या 15 दिन के अन्दर ही वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीज़ंज़ गायब हो गए ?

मन्त्री : पहले जो प्रोपोज़ल आई थी तब मैंने ऐप्रव कर दिया था। लेकिन बाद में ऐप्लीकेशंज़ आई और कई मुअज़िज़ दोस्त बीच में आए और उन्होंने फिर से गौर करने के लिए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बच्चों की पढ़ाई खराब होगी और बहुत सी हार्डशिप्स सामने आएंगी। तो यही मुनासिब समझा गया कि इतने बड़े-बड़े साथी जब कह रहे हैं तो ट्रांस्फर आर्डर कैंसिल कर दिए जाने चाहियें। इस लिए कैंसिल कर दिए गए।

चौधरी देवी लाल : मेरा सप्लीमेंट्री क्वैस्चन यह है कि यह मैटर आफ पालिसी है। इस किस्म की ट्रांस्फर बहुत ज्यादा होती रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पहले भी कोई ऐसा सरक्युलर साबिका चीफ मिनिस्टर ने जारी किए थे कि नीचे से तो ट्रांस्फर होती रहें और ऊपर से कैंसिल होती रहें ?

मन्त्री : साबिका चीफ मिनिस्टर ने यह किया था for reasons best known to him कि मिड टर्म ट्रांस्फर करने के लिये उनकी इजाज़त लेनी चाहिये। बात यह थी कि वह पावर सैंट्रलाइज़ करना चाहते थे और उनकी यह पालिसी थी। But the present Chief Minister was not very particular to centralise all the powers in his hands. He was, as a matter of fact, anxious to give as much powers as his colleagues could enjoy in their respective Departments . That is why the transfers were cancelled .

Mr. Speaker : Next question please .

(At this stage, some hon. Members rose to put supplementary questions)

(Noise and interruptions in the House)

Voices: Supplementary Question, Sir.

Mr. Speaker : If that is the desire, I will allow half an hour discussion on this question .

चौधरी देवी लाल : उन्होने जो जवाब दिया है, उसकी बिना पर मैं पूछना चाहता हूं ....

Mr. Speaker : No more supplementaries on it. If the hon. Members want to raise discussion for half-an-hour on this question, I will allow it.

AYURVEDIC DISPENSARIES IN THE STATE

***7232. Dr. Baldev Parkash :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the working hours fixed for the Ayurvedic Dispensaries in the State ;

(b) whether Sunday is a closed day for the said dispensaries, if not, the reasons for the same ;

(c) the manner in which medicines are supplied to the said dispensaries by the Government ;

(d) the percentage of expenses contributed by the Block Samitis for running the said dispensaries ?

Shri Prabodh Chandra : (a) A statement indicating the working hours of the Ayurvedic Dispensaries is laid on the Table of the House.

(b) No Sir. The dispensaries are kept open for 3½ hours in the forenoon for the convenience of the patients.

(c) The medicines are supplied partly from the Government Ayurvedic Pharmacy, Patiala, where they are prepared and partly through purchases from the market.

(d) Nothing is contributed by the Block Samities towards the expenses of the said dispensaries .

STATEMENT INDICATING THE WORKING HOURS OF THE AYURVEDIC DISPENSARIES

Summer (from 1st May to 30th September)

(a) Morning from 7-30 A.M. to 12 noon.

(b) Evening from 5 P.M. to 7P.M.

winter (from 1st October to 30th April)

(a) Morning from 8-30A. M. to 1 P.M.

(b) Evening from 3 P.M to 5 P.M.

On Sundays and Gazetted Holidays

(a) In Summer from 7-30 A.M. to 11 A.M.

(b) In Winter from 9A.M. to 12 30 P.M.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या हैल्थ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि एलोपैथिक डिसपेंसरीज़ इतवार को खुली रहती हैं? अगर यह खुलती हैं तो फिर आयुर्वेदिक डिसपेंसरीज़ क्यों बन्द रहती हैं ?

Minister : I am not sure about it. I will get the reply and supply the same to the honourable Member later.

श्री ज्ञान चन्द : क्या यह ठीक है कि पिछले साल में जिला शिमला की 90 प्रति शत आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज़ को दवाईयां नहीं दी गई ?

मन्त्री : मैं चैक अप करने के बाद जवाब दे सकता हूं। वैसे यह आम शिकायत है कि दवाईयां बहुत कम मिलती हैं। यह शिकायत एलोपैथिक डिस्पैंसरीज़ की भी है। लेकिन इस की वजह यह है कि हमारे पास फंडज़ बहुत कम हैं। जब फंड्ज़ ज्यादा होते जाएंगे तो दवाईयां ज्यादा मुहैय्या की जाएंगी।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸੰਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ-ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਹਕੀਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the honourable Minister whether the Government could consider the desirability of closing these Ayurvedic Dispensaries so long as funds are not available ?

मन्त्री : सरकार की यह बिल्कुल खाहिश नहीं है कि जो डिस्पैंसरीज़ खुली हुई हैं उन को बंद किया जाए। हमारी कोशिश है कि उन को पुरी दवाईयां मिल सकें ताकि उन की पूरी यूटिलिटी हो सके।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਫੰਡਜ਼ ਅਵੇਲਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: ਹਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਉ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਚਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Price Index

*6949. **Dr. Baldev Parkash :** Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state—

(a) the method adopted by the Government in calculating the price index in the State ;

(b) the details of the commodities taken into consideration while calculating the price index ;

(c) the details of the price index in the State from 1947 to-date, year-wise ?

Chaudhri Rizaq Ram (Public Works Minister) **:** There are various price indices compiled by the State and Central Government. Details of the indices prepared by the Economic and Statistical Organisation, Punjab, the methodology employed and commodities taken into account, are given in the statement placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The Economic and Statistical Organisation, Punjab, compiles the following Index Numbers :

(i) Consumer Price Index Numbers of Working Class.

(ii) Index Number of wholesale prices of 21 Agricultural Commodities.

(iii) Index Number of wholesale prices of 50 commodities (Agricultural and Industrial) in Punjab.

(i) *Consumer Price Index Numbers of working Class*

The indices are compiled to gauge the changes in the cost of a given schedule of goods and services consumed by an average working class house hold. At present these indices for 11 industrial towns in Punjab, namely, Bhiwani, Rewari, Panipat, Ambala Cantt., Palampur, Nangal Township, Jullundur, City, Dhariwal, Patiala, Surajpur and Phagwara. The indices for the first eight towns have a uniform base period, viz., April, 1950 to March, 1951 whereas those for the other three towns Patiala, Surajpur and Phagwara have 1952-53, 1955-56 and 1955-56 respectively as the base period.

For constructing these Index Numbers, the retail prices of 123 commodities and services (Annexure I) are collected from all the towns except Patiala (where quotations are obtained for 43 commodities only). These prices are collected every fort night from selected shops from where most of the workers make their purchases. These comprise 54 articles of food and vegetables, 8 of fuel and lighting, 19 of clothing and footwear, 12 of household effects, 19 of the miscellaneous group, and 11 of services group.

(ii) *Index Number of wholesale Prices of* 21 *Agricultural Commodities*

The object of this index is to gauge the changes in prices of agricultural commodities from the point of view of the agricultural producers. For the purpose of this index number 21 important agricultural commodities (Annexure II) have been selected which together form about 87 per cent of the annual value of the total agricultural production.

In all 120 price quotations are collected from 35 markets on every Friday. The selection of markets has been made on the basis of relative importance of the areas from the production point of view, and within a particular area the market with the largest amount of arrivals of that commodity over a series of years has been selected.

(*iii*) *Unweighted Index Number of wholesale Prices of* 50 *Commodities*

The object of the compilation of this index number is to measure the purchasing power of money in general at any given time in comparision with the level of the same in the base year 1949. This index number covers 50 Commodities (Annexure III), the prices of which are collected from 25 important centres of Punjab. The prices of the commodities are collected on weekly basis i.e. on every Friday of the week. The secretaries of the market committees have been made responsible for reporting the prices of agricultural commodities. The two exceptions are Dharamsala and Palampur where there are no market committees. The prices from these centres are reported by the District Statistical Officer, Dharamsala and the Tehsildar, Palampur, respectively. The prices of non-agricultural commodities are reported by Tehsildars and District Statistical Officers in the State.

The Current prices of these commodities are expressed as price relatives of the corresponding Prices during the base period October—December, 1949. The price relatives of the commodities so obtained are added and the simple arithmetic average is taken to work-out the general index number.

(b) Detailes of the various indices available in the State from 1947 to-date are given below :—

(i) Consumer Price Index Numbers of Working Class.

The Economic and Statistical Organisation started compilation of these indices only from 1956-57, and the indices for the years 1956-57 to 1963-64 are as under :—

Centre	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
Bhiwani ...	105	107	119	122	123	126	128	139
Rewari ..	104	107	119	123	125	130	132	138
Panipat ..	97	99	109	111	113	118	120	130
Ambala Cantt	100	103	110	112	114	123	124	130
Palampur ..	107	111	120	124	121	123	130	141
Nangal	101	103	109	114	116	118	121	130
Jullundur City	102	105	111	115	117	120	123	130
Dhariwal ...	104	107	112	116	119	124	126	131

[Minister for Public works and Welfare]

Centre	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
Patiala, 1952-53,	107	109	118	122	125	131	134	145
Surajpur 1955-56,	112	114	118	123	128	130	128	139
Phagwara, 1955-56	..	116	123	129	127	131	136	143

(ii) Index Numbers of Wholesale Price of 21 Agricultural commodities (Weighted) :—

The compilation of these indices was started in 1958 and the figures for the year prior to 1958 are not available. The year-wise indices since 1958 onward are given below :—

Year	*General Index*
1958	.. 110
1959	.. 122
1960	.. 112
1961	.. 111
1962	.. 115
1963	.. 122
1964	.. 166

(iii) Index Numbers of Wholesale Prices of 50 commodities (unweighted).

The general price index nubmbers since 1950 onwards are available and are given below :—

year	*General Index*
1950	.. 107.2
1951	.. 114.0
1952	.. 97.5
1953	.. 97.3
1954	.. 94.3
1955	.. 83.6
1956	.. 95.4
1957	.. 100.5
1958	.. 104.2
1959	.. 111.8
1960	.. 114.7
1961	.. 116.2
1962	.. 122.6
1963	.. 126.8
1964	.. 149.0

ANNEXURE I.

List of commodities for the construction of Consumer Price Index number for the working class in Punjab.

Group I Food Articles.—

1.1. *Cereals.—*

1. Wheat
2. Gram
3. Rice
4. Wheat Atta (Average Quality)
5. Maize Atta
6. Bajra Atta
7. Beason

1.2. *Pulses—*

8. Moong Dal
9. Mash Dal
10. Arhar Dal
11. Gram Dal
12. Massar Dal

1.3. *Articels others—*

13. Sugar
14. Gur
15. Shakkar
16. Mustrard Oil
17. Ghee
18. Vanaspati
19. Tea (Dust)
20. Tea (ready made at Stall)
21. Salt
22. Turmeric
23. Chillies
24. Condiments and Spices
25. Milk
26. Curd
27. Sweet Meats Barfi
28. Sweet Meats Ladoo of Bundi
29. Sweet Jalebi
30. Mutton

1.4. *Fruit and Vegetables.—*

31. Bananas
32. Oranges
33. Pears
34. Mangoes (Desi)
35. Mangoes (Saharanpuri)
36. Melon
37. Ber
38. Guavas
39. Loquat
40. Dates
41. Cauliflower
42. Carrot
43. Spinach
44. Raddish
45. Turnips
46. Peas
49. Lady Finger
50. Brinjal
51. Gourd
52. Bitter Gourd
53. Bottle Gourd
54. Sarson Sag

Group 2. Fuel and Lighting

55. Firewood
56. Char Coal
57. Cinder Coal
58. Soft Coke
59. Kerosene Oil
60. Match Box
61. Electric Energy
62. Cow dung cakes

Group 3. *Clothing and Footwear—*
3.1. *Clothes.—*

63. Shirting Cloth
64. Coating (Cotton)
65. Dhoti (Gents)
66. Dhoti (Ladies)
67. Long Cloth
68. Markin
69. Khadi
70. Pugree Cloth (Muslin)
71. Drill
72. Linean
73. Chheent
74. Silk
75. Woolen Cloth for Coat
76. Bed Sheet

3.2 *FootWears*

77 Chappal
78. Shoes (Gents)
79. Shoes (Ladies)
80. Shoes (Fleet)
81. Jooti

Group 5.1. *Miscellaneous—*

82. Toilet Soap (Perfect).
83. Toilet Soap (Life Buoy)
84 Washing Soap
85. Hair Oil
86. Shaving Blades

Group 5.2. *Stationery*

87. Exercise Book
88. Pencil
89. Holders
90. Nibs

Group 5.3.—*Medicine.—*

91. Malaria Mixture
92. Annacin or Aspro

Group 5.4. *Intoxicants.—*

93. Cigarettes (Star Brand)
94. Cigrettes (Red Lamp)
95. Bidi (No. 22)
96. Tabacoo
97. Country Liquor Desi (Plain)
98. Country Liquor Spiced
99. Opium
100. Pan Supari

5.5 *Services.—*

101. Barber (Shave Inferior)
102. Barbar (Hair Cut Inferior)
103. Dhobi
104. Amusement
105. Tailoring
106. Education
107. Postage (postcard)
108. Postage (Money Order Fee).
109. Transport (Buss Fare)
110. Transport (Railway Fare)
111. Transport (Cycle puncture)

Group 6. *Household Effects—*

6.1. *Utensils—*

112. Glass
113. Garvi
114. Thali
115. Kauli
116. Patila
117. Karahi
118. Cot.
119. Dari
120. Khes
121. Razai
122 Lamp (Hurricane)
123. —do—(Electric Bulb)

ANNEXURE II

List of 21 agricultural commodities (weighted Index numer of whole sale prices)

I. Cereals—

1. Wheat
2. Barley
3. Rice
4. Maize
5. Bajra
6. Jawar

II Pulses—

7. Gram
8. Moong
9. Mash
10. Massar

III. Oil seeds—

11. Sesamum
12. Groundnut
13. Toria
14. Sarson
15. Linseed

IV. Fires.—

16. Kapas (Desi)
17. Kapas (Amrican)

V. Gur

18. Gur

VI.—Others Crops—

19. Potatoes
20. Tobaco
21. Tea

ANNEXURE III

List of 50 commdoities (unweighted index number of wholesale prices.)

Serial No.	Articles
1	Wheat
2	Gram
3	Barlay
4	Jowar
5	Bajra
6	Maize
7	Gram Dal
8	Wheat Atta (Mill-made)
9	Potatoes
10	Mong unsplit
11	Mash unsplit
12	Massar
13	Chillies

Serial No.	Article
14	Gur
15	Shakkar
16	Tobacco
17	Ghee (Desi)
18	Groundnut
19	Salt
20	Eggs
21	Goat Meat
22	Vanaspati
23	Rice
24	Turmeric
25	Sugar
26	Tea
27	Dhania
28	Milk

Serial No.	Articles	Serial No.	Articles
29	Sarson	40	Cotton (L.S.S. ginned)
30	Sarson Oil	41	Wool Bikaneri (white-washed)
31	Cotton Seed (Desi)	42	Timber
32	Sarson Cake	43	Gunny Bags
33	Cow Hides	44	Bricks
34	Buffalow (Hides)	45	Paper
35	Sheep-skins	46	Cement
36	Firewood	47	Kerosene Oil
37	Char-coal	48	Washing Soap
38	Soft Coke	49	Gold
39	Cotton (Desi)	50	Silver

Chaudhri Hardwari Lal : I could not hear the honourable Minister. Please get the sound arrnangements corrected ; otherwise adjourn the House.

Capt. Rattan Singh : Nothing is audible, Sir.

Mr. Speaker : The honorurable Minister may please repeat the answer.

(The reply was again read out by the Minister).

Chaudhri Hardwari Lal : Once again, Sir, I have not heard it.

Mr. Speaker : But, I have heard it.

Chaudhri Hardwari Lal : The sound is not at all clear, otherwise supplementaries could be put. It is better to leave and close the shop.

Mr. Speaker : The honourable Member should not use such strong language.

Chaudhri Hardwari Lal : I want an assurance, Sir, that the sound arrangements will improve.

Mr. Speaker : Perhaps, you have not heard, while others have heard it.

Chaudhri Hardwari Lal : The opinion of the House is divided.

श्री अध्यक्ष : चौधरी हरद्वारी लाल के साथ और उन के पीछे जो मेम्बर बैठे हैं क्या उन को सुनाई देता है कि नहीं । (May I know whether the members sitting by and behind Chaudhri Hardwari Lal are hearing the voice clearly ?)

Voice from many Members : Clear नहीं है जी ।

Mr. Speaker : I have directed the techanician to check up the sound system.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : On a point of order, Sir, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਆਗਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : It was an idiomatic expression. There seems to be nothing objectionable in it.

श्री बलराम जी दास टंडन : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि कौन २ सी चीजें होती हैं जिन से सरकार प्राइस इंडेक्स का पता करती है ?

मन्त्री : यह सारी डिटेलज एनेग्जर में दी हुई हैं।

श्री बलराम जी दास टंडन : मेरे पास 1947 से लेकर आज तक का प्राईस इंडेक्स है। क्या वजीर साहिब बताएंगे कि 1964 के मुकाबले में 1965 में इस इंडेक्स में कितनां फरक पड़ा है?

मन्त्री : यह सब कुछ स्टेटमेंट में है।

Comrade Shamsher Singh Josh : May I know from the honourable Minister whether the Government have received any complaints from Labour Organisations of the State against the prevalent character of price index prepared by the Statistical Organisation ?

Minister : Yes, some complaints were received.

श्री बलराम जी दास टंडन : उन कम्प्लेंट्स पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

मुख्य मन्त्री : प्राइस इंडेक्स के तरीका कार के अन्दर तबदीली लाने के लिए लेबर आरगेंनाइजेशन के साथ मीटिंग हुई थी।

गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस तरीकाकार को बदल कर एक ऐसा तरीकाकार बनाया जाएगा जिस तरह कि बम्बई और दूसरी स्टेट गवर्नमेंटस ने अख्तियार किया है। इस तरह मैं आशा रखता हूं प्राइस इंडेक्स ठीक रखने में सहूलियत मिल जाएगी।

10.00 a.m.

श्री बलराम जी दास टंडन : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जिस तरह पंजाब सरकार प्राइस इंडेक्स को मेनटेन करती है और जिस तरह सैंट्रल एजेंसी और दुसरे स्टेट गवर्नमेंटस मेनटेन करती हैं उस तरीकाकार में कोई अन्तर है ?

मुख्य मन्त्री : थोड़ा बहुत फर्क है। इसी लिए अर्ज किया है कि उस तरीकाकार को बदलने की जरूरत है और उस पर हम पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰੌਡੂਲੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਸਟਾਰਟਿਡ ਫ਼ੈਕਟਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?

मुख्य मंत्री : सारी रिपोर्टस गलत नहीं हैं इस लिए किसी पर जिम्मेदारी फिक्स करने का सवाल पैदा नहीं होता।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यह जो अभी मुझे लिस्ट दी गई है, जिसे मैं अभी तक पूरी तरह देख भी नहीं सका हूं, इस में 123 असेटमज़ हैं, जिनके बेसिज़ पर प्राइस इंडेक्स बनाया जाता है। इन 123 आइटमज़ में से मैडीसन के सिर्फ दो आइटम

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]
मलेरिया मिक्सचर और अनासीन रखे गए हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि प्राइस इंडेक्स के लिए सिर्फ दो दवाईयां ही इनको मिली हैं; और दवाईयां भी हैं इन को तो कोई पूछता नहीं। मलेरिया मिक्सचर तो आजकल कोई लेता ही नहीं। बाकी जरूरी दवाईयों को सरकार ने शामिल करना क्यों जरूरी नहीं समझा और क्या सरकार इस लिस्ट में तबदीली करने का विचार रखती है ?

मुख्य मन्त्री : तमाम वह जरूरी अशिया, जो पब्लिक से संबंध रखती हैं इंडेक्स कायम करते वक्त उन को ख्याल में रखा जाएगा।

लोक कार्य मन्त्री : हम इस सारी चीज का रिवाइज कर रहे हैं और ट्राइ-पार्टाइट कानफ्रेंस में जो फैसला हुआ था उसे इम्पलीमेंट कर रहे हैं।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

मन्त्री : हम ने जो इन्डैक्स बनाया था वह बम्बई के पैट्रन पर बनाया था। बम्बई वालों ने अब उसे रिवाइज़ किया है। हम ने भी कमेटी बिठाई है जो इस को दूबारा एगज़ामिन कर रही है। उस में सारी बातों को जो शिकायतें आई हैं या रिप्रेज़ैंटेशन आई उन को ध्यान में रख कर इस फारमूला को रिवाइज़ किया जाएगा।

श्री बलराम जी दास टंडन : स्पीकर साहिब, यह सात पेज की लिस्ट अभी ही चन्द मिन्ट पहले यहां दी गई है इस लिए हम इसे पड़ भी नहीं सके हैं। मेरी अर्ज़ है कि इस पर सवालात कल तक के लिए पोस्टपोन कर दिए जाएं।

Mr. Speaker: Alright more supplementaries will be put to-morrow.

मुख्य मन्त्री : मैं आप की मार्फत सारे हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जिन जिन चीजों को इस लिस्ट में शामिल करना ज़रूरी समझें वह हमारे नोटिस में लाएं हम शामिल कर लेंगे।

Starred Question No. 7090

Mr. Speaker : Next question No. 7090 please.

Minister for Revenue : Sir, extension has been applied for.

Mr. Speaker : It is not proper to ask for extension. I would, therefore, request the hon. Chief Minister to look into it that Government does not ask for extension in time to answer the questions.

मुख्य मन्त्री : मैने सारे महकमाजात को हिदायत जारी की है कि जब तक कोई खास वजह न हो जवाब देना किसी तरह भी एवायड न किया जाए।

श्री जगन नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं यह कहना चाहता हूं जो सवाल भी हरिजनों के बारे में आता है चीफ मिनिस्टर साहिब भी और दुसरे मिनिस्टर भी उस का जवाब देना एवायड करते हैं। यह बात अच्छी नहीं है और हम इसे टालरेट नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपकी तो यह बात ही बन गई है कि in season and out of season you say that you will not tolerate this and that सिर्फ इस बिना पर कि शैड्यूल्ड कास्टस का सवाल है आप एस्पर्शन कास्ट करते जाएं that cannot be allowed. (It has become a habit with the hon. Member to say in season and out of season that he would not tolerate this and that. He cannot be allowed to caste aspersions on the plea that a particular question concerned the scheduled castes.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਗਰੀਬ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ....

Mr. Speaker : Questions cannot be distinguished on the basis of Communities.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੱਲ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤਅਲੁਕ ਰਖਦਾ ਸੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਂਨਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਐਕਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : Perhaps the hon. Mcmber wants that the questions relating to the scheduled castes should be postponed in accordance with the percentage fixed for them in the services. *(Laughter)*

It is for me to see to the importance of a question and the anxiety of the Members to get information.

चौधरी नेत राम : मेरा व्यवस्था प्रश्न है कि क्या मैं यह समझूं कि पछड़ी हुई जातियों को उनकी फीसदी के मुताबिक उनको सरकार ने पूरे हकूक नहीं दे रखे हैं और इसी लिए जवाब नहीं दिए जा रहे हैं ? (शोर)।

Mr. Speaker: Order, Order. Please take your seat.

Tenants Ejected in Tehsil Thanesar, District Karnal

***7121. Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to lay on the Table of the House a complete list with total number of tenants ejected by the landowners in tehsil Thanesar, district Karnal, during the period from 1st Janauary, 1964 to 31st December, 1964 ?

Sardar Harinder Singh Major : A statement is laid on the Table of the House.

[Revenue Minister]

List of Tenants Ejected under Orders from the Court of S.D.O. (C)-cum-Assistant Collector, 1st Grade, Thanesar (Karnal District) during the period 1st January, 1964 to 31st December, 1964.

Serial No.	Name of person ejected	No. of tenants
1	2	3
1	Hukam Singh, son of Walia, resident of Bapdi ..	1
2	Jai Ram son of Kundan, resident of Budha ..	1
3	Dharam Pal, son of Singh Ram and Sispaul, son of Ram Parshad, resident of village Kharindwa ..	2
4	Bhag Singh, son of Harnam Singh, resident of Mirzapur ..	1
5	Tara Chand, son of Pokhar Mal, resident of village Mirzapu ..	1
6	Jai Singh, son of Kanhayya, resident of village Mirzapur ..	1
7	Kishan Chand, Ram Kishan, Gopa, Ram, sons of Kura Ram, resident of Village Dhanaura Ja.tan ..	3
8	Kapoora, son of Neki, resident of Village Godha ..	1
9	Lal Chand son of Ganga Ram, Mengha Ram son of Tahla Ram, residents of Jhansa ..	2
10	Sadhu Ram, son of Chetu, Nagal ..	1
11	Kishan Chand, Ram Kishan, Gopala Ram, sons of Kura Ram, residents Dhanaura Jattan ..	3
12	Sundar, son of Ballu, resident of village Mohri ..	1
13	Nettu, son of Sadda Ram, resident of village Ghisarpuri ..	1
14	Shadi, son of Devi Chand, resident of Radaur ..	1
15	Chota, son of Sadhu, resident of Radaur ..	1
16	Dewala Ram, son of Annu Rami resident of Gumthala Rao ..	1
17	Ruldu, son of Ganni, resident of Fatehgarh Jharauli ..	1
18	Duni Chand son of Bansi, resident of Bhallar ..	1
19	Nanha, son of Nandu, resident of Bhallar ..	1
20	Joyti, son of Nihala, resident of Bhallar ..	1
21	Kirpa, son of Jhandu, resident of Bhallar ..	1
22	Ram Kishan, Punnu, sons of Budhu, residents of Sangipur ..	2
23	Sadhu, son of Budhu, resident of Sangipur ..	1
24	Kartara, son of Budhu, resident of Kathalaheri ..	1
25	Dattu, son of Budha, resident of Sangipur ..	1

Serial No.	Name of person ejected	No. of tenants
1	2	3
26	Charta, son of Inder, resident of village Barram ..	1
27	Ram Pal, son of Jar Singh, resident of Bibipur ..	1
28	Chanda Singh, son of Thakur Singh, resident of Bagain ..	1
29	Amar Nath, son of Ganpat, resident of Gumthala Rao ..	1
30	Jagir Singh, son of Inder Singh, resident of Daulatpur ..	1
31	Manohra and Sadhu, sons of Kuraria, residents of Mathana ..	2
32	Sarwan, son of Waryama, resident of Thol ..	1
33	Molu, son of Mangal, resident of Dabkhera ..	1
34	Harphool, Siriniwas, Harishan sons of Nanda, residents of Mahmoodpur	3
35	Sohana Singh, son of Hukam Singh, resident of Jhansa	1
36	Shankar, son of Albela, resident of Rajheri ..	1
37	Parsa, son of Antu, resident of Daulatpur ..	1
38	Jagan Nath, Dhanpal, Parmanand, sons of Devidayal, residents of Chhappri ..	3
39	Simru, son of Punnu, resident of Daulatpur ..	1
40	Basakhi, son of Kanihya and Mam Chand, son of Baru, residents of Daulatpur ..	2
41	Jhandu, son of Sughar, resident of Daulatpur ..	1
42	Nanha, son of Kurra, resident of Daulatpur ..	1
43	Jyoti, son of Rama, resident of Daulatpur ..	1
44	Bishna, son of Rama, resident of Daulatpur ..	1
45	Kishna, son of Ratia, resident of Daulatpur ..	1
46	Chajju, son of Chootu, resident of Daulatpur ..	1
47	Sawan, son of Santu, resident of Daulatpur ..	1
48	Badama, son of Phaggu, resident of Daulatpur ..	1
49	Mattru, son of Bholla, resident of Daulatpur ..	1
50	Sakru, son of Sawan, resident of Daulatpur ..	1
51	Jaggan Nath, Dhanpat, Parmanand, sons of Devi Dayal, resident of village Chappri ..	3
52	Hirda, son of Sultan, resident of village Potli ..	1
53	Kanti Parshad, son of Ram Dhan, resident of village Umeri ..	1
54	Kewal, son of Saudagar, resident of Village Bakana ..	1

Serial No.	Name of person ejected	No. of tenants
1	2	3
55	Hari Ram son of Rulia Ram, resident of Umeri ..	1
56	Amar Singh, Gurbakash Singh, Jagir Singh and Sewa Singh, sons of Harbans Singh, residents of Pipli Majra ..	4
57	Budhu, son of Udmi, resident of Potli	1
58	Sunder Singh, son of Bahadur Singh, resident of Village Sandhala	1
59	Balwant Singh, son of Mangal Singh, resident of village Sandhala	1
60	Vir Singh, son of Mangal Singh, redsident of village Sandhala ..	1
61	Gian Chand, son of Roshan Lal, resident of village Sandhala ..	1
62	Lal Singh, son of Mangal Singh, resident of village Sandhala ...	1
63	Mangal Singh, son of Bahadur Singh, resident of village Sandhala ...	1
64	Balbir Singh, Darshan Singh, sons of Nihal Singh, residents of village Sandhala ...	2
65	Gainda Ram, son of Lal Chand, resident of Katalheri ..	1
66	Narain Singh son of Kharak Singh, resident of Katalheri ..	1
67	Kartar Singh, son of Ganga Ram, resident of Katalheri ..	1
68	Joginder Singh, son of Gulzar Singh, resident of village Mugal Majra ...	1
69	Kishan Singh, son of Gulzar Singh, resident of village Mugal Majra	1
70	Bishan Singh, son of Gulzar Singh, resident of village Mugal Majra ..	1
71	Harnam Singh, resident of village Mugal Majra ...	1
72	Hakam Singh, son of Nihal Singh, resident of Sandhala ...	1
73	Chanda Singh, son of Thakur Singh, resident of village Bachain ...	1
74	Kartar Singh ,son of Labh Singh, resident of village Ajrana ...	1
75	Hakam Rai, son of Mala Ram, resident of village Jhansa ..	1
76	Khanayya, Sohna, Deva, sons of Bahadur Chand, resident of village Jhansa	3
77	Baljit, son of Neki, resident of village Gudha ...	1
78	Mehar Chand, son of Ranjit, resident of village Gudha ..	1
79	Jai Singh, son of Jhang Singh, resident of village Gudha ...	1
	Grant total of tenants ejected ..	100

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Revenue Minister the number of the tenants that have been ejected by force against the provisions of law.

Minister : No tenant has been ejected against the provision of Law.

पंडित श्रोम प्रकाश श्रग्निहोत्री : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जिन 100 के करीब मुजारों को बेदखल किया गया है उन को दूसरी जगह ज़मीन श्रलाट कर दी गई है ?

Minister : If these tenants are eligible for the allotment of land they will certainly be considered.

चौधरी रन सिंह : इन मुजारों में से जो श्रकेली तहसील थानेसर में सैंकड़ों की तादाद में बेदखल किए गए हैं कितने ऐंसे रहते हैं जिनको श्रभी सरप्लस ज़मीन पर बिठाना बाकी है ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ in 82 cases, 100 tenants were ejected in the court of the Sub-Divisional Officer (Civil) -cum Assistant Collector, 1st Grade, Thanesar (Karnal) during the year 1964, 46 tenants were ejected in 38 cases on acount of tenants of small landowners or on the reserved area of big land-owners. In the remaining 44 cases, 54 tenants were ejected on account of non-payment of rent. These ejectments were effected in accordance with the provisions of Section 9 of the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, All the orders passed are appealable and are subject to review and revision.

Out of 82 cases, appeals were, however, filed in 33 cases. Out of these 33 cases, appeals in 30 cases have been dismissed and the remaining 3 cases have been remanded.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि यह सच है कि बहुत से टैनेंटस को घरों से इजेंकट कर दिया गया है ?

Minister : I require separate notice to answer this question.

श्री श्रमर सिंह : क्या माल मंत्री कृपया बताएंगे कि कितने ऐसे टैनेंटस हैं जिन को बटाई न मिलने की वजह से इजैकट किया गया श्रौर उन में कितने हरिजन टैनेंटस हैं ?

मन्त्री: इस सवाल में जो इन्फार्मेशन मांगी गई थी, वह हाउस में दे दी गई है। यह नई किस्म का सवाल है इस लिए इस के लिए सेपेरेट नोटिस चाहिए।

चौधरी चान्द राम : जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया है कि 54 टैनेंटस को नान पेमेंट की बिना पर बेदखल किया गया क्या सरकार ऐक्ट में ऐसे लूपहोल्ज को प्लग करने के लिए तैयार है जिस से 20, 30 साल के टैनेंटस बेदखल होने से बच सकें ? I want some assurance/reply in this connection from the Government.

मन्त्री : अगर आनरेबल मेम्बर के पास कोई जानकारी हो और उस के बारे में हमारे नोटिस में लाएं ; वह हमें सुजैशन दें तो सरकार उन पर विचार करने के लिए नहीं झिझके गी ।

Claims filed by Shri Prabodh Chandra and his family members in lieu of property left in Pakistan

***7314. Chaudhri Devi Lal** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the details of the claims received by the Rehabilitation Department of the State Government from Shri Prabodh Chandra, now Education Minister, Punjab, or from the members of his family, direct or through the Government of India, with regard to immovable property left behind by any of them at the time of partition in 1947 ?

(b) the details of properties allotted or compensation paid with regard to the above claims to Shri Prabodh Chandra or any other member of his family as also the property allotted to any of them, outside these claims ?

Sardar Harinder Singh, Major : (a) and (b) The State Government is not concerned with the payment of compensation in lieu of the urban properties abandoned in Pakistan. As regards rural lands, the details of the claims and of the land allotted can be supplied if full particulars of the claimants and the land abandoned in Pakistan are furnished.

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, मैं ने बहुत ही क्लीयर और स्पेसेफिकली सवाल पूछा है कि श्री प्रबोध चन्द्र ने रीहैबीलीटेशन डिपार्टमेंट को क्या क्लेमज दिए थे । यह बात तो पंजाब गवर्नमेंट से तालुक रखती है । इस लिए सरकार को यह इंफर्मेशन देनी चाहिए ।

Minister : I may state for the information of the hon. Member that at the time of partition of the country, Government of India invited claims in respect of urban evacuee properties abandoned by the displaced persons in Pakistan. Compensation against such claims was paid by the Government of India, after verification. State Government is not concerned with the payment of compensation against such properties.

State Government invited claims in respect of the rural lands, abandoned by the displaced persons in Pakistan . Lands were allotted to them in rural areas on the basis of their entitlement.

Unless full particnlars, viz., name, parentage of the displaced person together with the names of the villages/tehsil/district in which he abandoned such lands are supplied, it is not possible to locate his claim.

चौधरी देवी लाल : उन का नाम बताने की क्या जरूरत है । वह तो मिनिस्ट्री में एजूकेशन मिनिस्टर लगे हुए हैं । मैं ने तो सीधा सा सवाल पूछा है कि श्री प्रबोध चन्द्र के क्या क्लेम्ज़ थे । मैं समझता हूं कि सरकार इस का जवाब देने में टालमटोल कर रही है । सरकार को जवाब देते वक्त टाल मटोल नहीं करनी चाहिए ।

मुख्य मन्त्री: स्पीकर साहिब ; जो लोग पाकिस्तान में इवैक्युईप्रापर्टी छोड़ आए हैं उस के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने एक अलेहदा डिपार्टमेंट खोला हुआ है । उस के

बारे में माल मंत्री जी नें ग्रानरेबल मेम्बर को डिटेलज में इन्फार्मेशन दी है। अगर ग्रानरेबल मेम्बर साहिब के पास कोई जानकारी हो ग्रौर हम उस बारे में कुछ छुपा रहे हैं तो वह उस के मुताबिक सवाल कर सकता है। ग्रर्बन इवैक्यूई प्रापर्टी के बारे में जानकारी केंद्रीय सरकार से प्राप्त की जा सकती है ग्रौर रूरल इवैक्यूई प्रापर्टी के बारे में पंजाब सरकार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केन्द्रीय सरकार ने इस सिलसिले में रीहैबीलीटेशन के साथ सेटलमेंट कमिशनर ग्रौर रिजनल सैटलमेंट कमिशनर के ग्राफिसिज खोले हुए हैं। इस के बारे में वह काम करते हैं। वहां से सारी इन्फार्मेशन मिल सकती है। (विघ्न)......(शोर)।

श्री मोहन लाल : जहां तक इस सवाल का सम्बन्ध है मैं कह नहीं सकता कि सरकार इस बारे में कोई इंफार्मेशन हाउस से छुपाना चाहती है या नहीं। इस वक्त मिनिस्टर साहिब भी हाउस में मौजूद नहीं हैं। शायद वह जानबूझ कर चले गए हों, मैं यह भी नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक इस मिनिस्टर साहिब का सम्बन्ध है, सरकार हाउस में इन्फार्मेशन जानबूझ कर नहीं देना चाहती है। जहां तक इस मिनिस्टर का सम्बन्ध है, स्पीकर साहिब, ग्राप जानते हैं कि मैं ने पिछले सैशन में ग्रादर्श फांउडरी के बारे में सवाल किया था ग्रौर छः महीने तक कोई जवाब नहीं ग्राया। स्पीकर साहिब, मैं नें ग्राप को पर्सनल लैटर्ज लिखे ग्रौर 3, 4 रीमाइंडर्ज दिए। ग्राप को पर्सनली रीक्वेसट की लेकिन कुछ जवाब नहीं मिला। क्या कारण है इस सिलसिले में जवाब न देने का? इस बारे में हाउस को भी पता लगना चाहिए।

Mr. Speaker : This is not a supplimentary question.

श्री मोहन लाल : यह ठीक है कि इस का इस से सम्बन्ध नहीं है। लेकिन यह बहुत ही इम्पार्टेंट इशु है। सरकार इन्फार्मेशन देने में डील करना चाहती है। ग्राप ने भी खुद टेक ग्रप किया। यहां तक प्रोसीजर का सम्बन्ध है, यह तो मुझे पता नहीं कि क्या एडाप्ट किया जाएगा लेकिन इतना जरुर कहना चाहता हूं कि सरकार उस का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।

Mr. Speaker : Please take your seat.

मुख्य मन्त्री : पंडित मोहन लाल ने जो कुछ हाउस में कहा है वह इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। स्पीकर साहिब, मैं ग्राप की मार्फत सारे हाउस को ग्रौर विशेषकर पंडित मोहन लाल को बताना चाहता हूं कि उन्होंने ग्रादर्श फांउडरी या फैक्टरी के बारे में जो जिक्र किया है, उस के बारे में हमने सवाल इडमिट किया है। जिस दिन वह सवाल ग्राएगा, उस दिन बाकायदा हाउस को जवाब दिया जाएगा।

(श्री मोहन लाल द्वारा विघ्न)।

This question was asked when the hon. Member was himself the Home Minister and they did not give any reply. I have admitted this question and will reply it on the floor of the House.

दूसरी बात ग्राप के द्वारा हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पंडित मोहन लाल ने हाउस में इल्जाम लगाया है कि गवर्नमेंट जानबूझ कर इन्फार्मेशन नहीं देना चाहती है, वह स्पेसफिकली सरकार के विरूद्ध इल्जाम लगाए ग्रौर उस के मुताबिक यह सरकार हर एक चीज को फेस करने के लिए तैयार है। (तालियां) लेकिन हाउस में गलत

[मुख्य मन्त्री]

प्रकार की इन्फार्मेशन देने से काम नहीं चलेगा। मैं दोबारा अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार है और कभी भी झिझकेगी नहीं। (तालियां)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या मुख्य मन्त्री इस को हाउस समझ रहे हैं या पब्लिक स्टेज समझ रहे हैं ?

Sardar Gurnam Singh : May I ask from the Chief Minister if it would not be in the interest of the Government and in the interest of the Minister concerned himself to divulge the information not taking shelter behind technicalities ? Is the Education Minister prepared to furnish this information to the House leaving aside the technicalities ? Further may I know if this case is not covered by the code of conduct laid on the Table by the Ministry ?

श्री अध्यक्ष : जो जवाब अभी कामरेड साहिब ने दिया है उस में अनइन्टेनशनली उन से मिस्टेक हुई है। अगर कोई सवाल एडमिट किया जाता है तो वह गवर्नमेंट नहीं करती बल्कि स्पीकर करता है। उस का जवाब गवर्नमेंट ने देना होता है। उन्होंने अभी अभी कहा कि उन्होंने एक सवाल एडमिट किया है इस लिये मैंने यह बात क्लियर की है कि सवाल स्पीकर एडमिट करता है। पंडित जी वाला सवाल मैंने पिछले सैशन में एडमिट किया था, बाद में कई रीमाईंडर्ज़ भी गवर्नमेंट को भेजे गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक जवाब नहीं दिया। बहुत से सवाल ऐसे हैं जिन का कि गवर्नमेंट बहुत देर से जवाब नहीं दे रही। (I will request the Chief Minister to please look into this state of affairs While replying to the supplementary question put by Pt. Mohan Lal the Chief Minister has said some thing unintentionally which is not in keeping with the rules of procedure He has just stated that the Government had admitted a question I may clear the position that it is the Speaker who is empowered to admit or not to admit a question and Government is only to answer it. The question referred to by Pandit Mohan Lal was admitted by me during the last Session. In this connection several reminders were also sent to the Government but no reply has yet been received from the Government. There are serveral other questions too replies to which are not being supplied by the Government. I will request the Chief Minister to please look into this state of affairs.)

Shri Mohan Lal : Sir, the Chief Minister has made certain specific points here and I would request you to kindly explain to the House as to how many times did I write to you in the last six months and how many times you as Speaker of the Vidhan Sabha Secretariat sent reminders to the Government and all these reminders were ignored.

Mr. Speaker : I have already observed that I have sent many reminders to Government and Government has not replied to them. Now I will take up the matter with the Chief Minister.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर। मैं गवर्नमैंट से एक स्पैसिफिक बात पूछना चाहता हूं कि पंडित मोहन लाल जी ने यह बात अथारिटेटिव ी कही है कि सरकार इत्तलाह नहीं देती। पिछले सात साल से हम भी देख रहे हैं कि जब वे खुद मिनिस्टर थे तो सरकार इनफर्मेशन नहीं दिया करती थी, चाहे कितने रीमाईंडर्ज़ उस को भेजे जाएं। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछना चहता हूं कि क्या उन की कैबिनेट भी पिछली सरकार की पालिसी ही अपनाना चहती है ?

Mr. Speaker : The Chief Minister has already given an assurance that he will see that things improve.

Sardar Gurnam Singh : I had put a supplementary question and I think it was not ruled out.

Mr. Speaker : That supplementary has not been over-ruled. But the points of order have been given preference. That supplementary still stands.

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, सीट नम्बर 13 बहुत गर्म सीट है, मैंने भी वहां पर बैठ कर देखा है। पंडित जी को वहां से उठा दो, यह स्यासी गलतियों पर गलतियां करते चले जाएंगे। (हंसी)

पंडित भगवत दयाल : स्पीकर साहिब, यह सीट गर्म नहीं है बल्कि सरदार गुरदयाल सिंह जी किसी बात की रीहर्सल करना चहाते हैं।

Mr. Speaker : Sardar Gurnam Singh, please repeat your supplementary question.

Sardar Gurnam Singh : May I know from the Chief Minister if it is not in the interest of the Government and in the interest of the Education Minister himself to supply the information asked for in that question. Apart from that as I feel, Sir, is it not true that this question itself relates. to the Code of Conduct laid down on the Table of the House by the Ministry. Further I wish it would have been better if the Education Minister was present here. We could ask more questions.

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, हम ने कोड आफ कानडक्ट पंजाब कैबिनेट से मंजूर करवाया है। उस के मुताबिक जो भी इनफर्मेशन हम दे सकते हैं उस को देने से हम गुरेज़ नहीं करेंगे।

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, मुख्य मन्त्री साहिब ने यह जवाब दिया है कि रूरल प्रापर्टी के बारे में तो पंजाब गवर्नमैंट जवाब दे सकती है लेकिन अर्बन के बारे में नहीं। खैर, मैंने उस के बारे में भी इनफमशन मांगी है। हकीकत तो यह है कि इनफर्मेशन इसी सवाल में ही नहीं छिपाई जा रही बल्कि जहां पर 45 लैजिसलैटर्ज़ ने लिख कर दिया है, सरदार प्रताप सिंह कैरों के मर्डर के बारे में investigation की डीमांड की जा रही है, उस का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। 42 मैंबरों ने लिख कर दिया है कि हरयाणा के सिलसिले में झज्जर कमेटी...... (शोर) उस का भी यही जवाब दिया जाता है कि matter is being looked into मेरी अर्ज़ है कि इस पर आधे घंटे की बहस की इजाजत मिलनी चाहिये कि हर बात पर गवर्नमैंट इनफर्मेशन को क्यों छिपाती है।

Chaudhri Hardwari Lal : I would like to know from the Hon. Minister if the Rehabilitation Department of the State Government has been maintaining any details whatsoever regarding the urban evacuee property allotted to different individuals ?

मुख्य मन्त्री : जहां तक अर्बन प्रापर्टी का ताल्लुक है स्टेट गवर्नमैंट के पास कोई इत्तलाह नहीं है। गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास यह इनफर्मेशन है।

Chaudhri Hardwari Lal : I do not know if the Chief Minister is adequately informed on the subject ....

Mr. Speaker : No please.

Chaudhri Hardwari Lal : I do not know if he is adequately informed. In fact if you begin to curtail our certain expressions—yesterday also I was going to point out as Sardar Gurnam Singh pointed out that certain expressions ....(*noise*).

Mr. Speaker : No, please. The hon. Member may please put the supplementary question.

Chaudhri Hardwari Lal : Any way, I want to know if the Government of India sends any information to the Rehabilitation Department of the State Government regarding the allotments made with regard to evacuee property.

Revenue Minister : I require a separate notice for this.

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि देश के विभाजन से पहले श्री प्रबोध चन्द्र की जायदाद कितनी थी और विभाजन के बाद उनकी जायदाद कितनी हो गई। क्या पंजाब में उनकी जायदाद में कोई कमी हुई या ज्यादती हुई, अगर हुई तो कितनी हुई? पंजाब के इलावा उनकी यू. पी. के जिला सहारनपुर में भी जायदाद है ....

Mr. Speaker : No please.

मुख्य मन्त्री : जैसे कि मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी अर्ज किया है जहां तक अर्बन इवैकुई प्रापर्टी का ताल्लुक है उस का सम्बन्ध गवर्नमैंट आफ इंडिया से है। स्टेट गवर्नमैंट का उस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई सम्बन्ध नहीं है। उस के लिये गवर्नमैंट आफ इंडिया ने अपने सैटलमेंट अफसर मुकर्रर किये हुए हैं। उन के खिलाफ अपील रीजनल सेटलमैंट अफसर के पास हो सकती है। उस के बाद अपील सैटलमेंट कमिश्नर के पास भी हो सकती है। उन का ज्यूडिशियल महकमा है। आप को और हाउस को मालूम होगा कि 1955 से पहले गवर्नमैंट आफ इंडिया ने अपना कस्टोडियन डीपार्टमैंट मुकर्रर किया हुआ था और वही सारी की सारी अलाटमेंट करता था। उस के बाद उन्होंने दूसरा अदारा कायम किया। इस लिये पंजाब गवर्नमैंट के पास इस बारे में कोई इनफर्मेशन नहीं आती और न ही अवेलेबल है।

Mr. Speaker : Question Hour is over. More supplementaries on this question will be allowed tomorrow.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Assistants posted in Accountant-General's Office, Simla for reconcilation work

***7071. Shri Gian Chand** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the number of Assistants of the Irrigation Branch stationed/ posted in the office of the Accountant-General, Punjab, at Simla for reconcilation work ;

(b) whether any of the said Assistants has been on the post for more than three years at Simla ; if so, the reasons therefor ;

(c) whether any preference is given to persons belonging to hilly areas while selecting officials for being posted in Simla for the work mentioned in part (a) above ;

(d) whether any representation has been received from the officials belonging to Hilly Areas for transfer to Simla, if so, action taken thereon ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Three.

(b) Yes. In public interest.

(c) No.

(d) Yes. It will be considered during the ensuing transfer season.

Supply of Electric power to Delhi Electric Supply Undertaking

***7056. Chaudhri Darshan Singh:** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the details of the agreement between the Delhi Electric Supply Undertaking and the State Government regarding the supply of electricity to Delhi and the quantum of electricity in K.W.s being supplied to them at present;

(b) whether any electricity duty is being charged on the power referred to in part (a) above;

(c) if the reply to part(b) above be in the negative, the reasons therefor and if in the affirmative the amount of electricity duty due from the said under taking up to date?

Chaudhri Rizaq Ram: (a) (i) The statement giving the salient points of the agreement is laid on the table of the House.

(ii) 60,000 KWs.

(b) It is being levied but not being paid.

(c) Rs 82,41,037.00 up to December, 1964. Question regarding payment of duty is under consideration.

Statement

(a) The salient points of the agreement reached between the Delhi Electric Supply Undertaking and the Punjab State Electricity Board regarding supply of the Electricity to Delhi are as under:—

(i) **Maximum and contract Demand**—A load of 60,000 KW shall be allowed after the Delhi Grid Sub station is changed over from 132 to 220 K.V. Accordingly the full load was released to Delhi in the month of October, 1962.

[Public Works and Welfare Minister]

(ii) **Duration of agreement**—The agreement shall remain in force upto 18th April, 1965, i.e. for ten years from the commencement of supply (19thApril, 1955) and be deemed to have been renewed from time to time and shall continue in force for a further period of ten years each unless and until each party shall within the first seven years of the first on any subsequent period of ten years have served upon the other party three years notice in writing of its intention to determine the agreement at the expiry of period of ten years than current.

(iii) **Charges for supply**.—The charges for the energy supply to the consumer shall be in accordance with the following two part tariff :—

(a) **Demand charges.**—Rs 5.00 per KVA of maximum demand per month plus

Energy charges

2.81 paise per unit for the first 5,00,000 Kwh/month

2.66 paise per unit for the next 15,00,000 Kwh/month

2.50 paise per unit for all in excess 20,00,000 Kwh/month

subject to over all maximum charge (Demand plus energy charges) of 5.00 paise per unit without prejudice to the minimum payment worked out on the basis of the demand charges in the following manner:—

(1) The actual maximum demand during the month, or

(2) 20 per cent of the highest maximum demand during the proceeding II months. or

(3) 50 per cent of the contract demand which ever is the highest.

(IV) **Revision of rates**—The rates shall be subject to review two years after the commencement of commercial operation of the first Bhakra Power House and at the end of every subsequent period of five years thereafter.

(V) **Arbitration**—If any question or difference what so ever rises between the party to any cause contained in the agreement, rights, duties, or liability of either party, than unless the procedure for settling such a question or difference is laid down by the Act or the Electricity Supply Act, 1948, in every such case the matter in difference shall be referred to the arbitration of a sole arbitrator to be mutually agreed upon by the parties and the provisions of the Arbitration Act 1940 shall apply.

Male Social Workers

***7034. Shri Hira Lal:** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of male social workers working in the State at present;

(b) the qualifications, if any, prescribed for the posts referred to in part (a) above;

(c) the total number of male social workers at present working in Gurgaon District together with their qualifications and the dates of their postings in each case?

Chaudhri Rizaq Ram: A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) 96.

(b) Matriculate knowing Hindi and Punjabi and able to teach cleanliness/games/ good behaviour/gardening and impart education to adults.

(c) Information is as under:—

Total No. of Male Social Workers at present in Gurgaon District	Qualifications	Date of posting
(1) Shri Ram Kanwar	.. As indicated under (b) above	24-2-64
(2) Shri Ishwar Singh	.. Ditto	21-10-64
(3) Shri Ram Kanwar	.. Ditto	24-2-64
(4) Shri Chandan Singh	.. Ditto	2-7-64
(5) Shri Puran Chand	.. Ditto	12-1-65
(6) Shri Bhikh Chand	.. Ditto	14-1-65

Tehsil Welfare Officers

***7032. Shri Hira Lal:** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of Tehsil Welfare Officers working at present in the State;

(b) the total number of Officers referred to in part (a) above who are:

(i) Matriculates;

(ii) Under Matric but Middle pass;

(iii) below the Middle standard;

(c) the academic qualifications of the Tehsil Welfare Officers posted in Gurgaon District, in each case, alongwith their names and the period for which they have been in Gurgaon District?

Chaudhri Rizaq Ram: A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) Seventy-two.

(b) (i) Sixty-five.

(ii) Seven.

(iii) Nil

(c) —

Serial No	Name of Tehsil Welfare Officer	Qualification	Date since when working in Gugaon District
1	Ram Nath	.. Matric	6-4-1959
2	Kitab Singh	.. Do	7-4-1964
3	Hari Singh	.. Do	1-5-1964
4	Ram Phal	.. Do	2-6-1964
5	Hakam Singh	.. F.A. and Giani	17-11-1964
6	Gulzar Singh	.. Matric	20-11-1964

Administrative Economy Committee

***7036. Comrade Didar Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that an Administrative Economy Committee was appointed recently;

(b) whether it is also a fact that a Resources and Retrenchment Committee was set up some years ago which submitted its report to the Government;

(c) if the replies to parts (a) and (b) be in the affirmative, the reasons for the appointment of the Committee referred to in part (a) and non implementation of the recommendations contained in the report of the Committee mentioned in part (b)?

Sardar Kapur Singh (Finance Minister) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The economy in expenditure is a continuous process and, therefore a fresh look at expenditure, undertaken during a period of say 4 to 5 years, is necessary for making a realistic assessment and suggest the scope for any, economy which may be effected. The Resources and Retrenchment Committee was appointed in 1957 and submitted its report in 1959. It considered both the aspects of resources and economy whereas the Committee recently appointed will specifically deal with the question of suggesting the sphere of economy in the matter of expenditure of the Government.

As regards the implementation of the recommendations of the Resources and Retrenchment Committee, it is stated that the details of the action taken there on are contained in the publication entitled "Summary of the Recommendations of the Resources and Retrenchment Committee, Punjab, 1958-59 and the decisions of the Government thereon". This was laid on the Table of the House in the Punjab Vidhan Sabha along with the report of the Committee in September, 1961.

Appleby's Report and Administrative Reforms Commission

***7194. Shri Om Parkash Agnihotri:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the action so far taken on the Appleby's Report on Administration made a few years ago;

(b) whether the recommendations made in the said Report have been accepted , if so, whether they are being implemented;

(c) the circumstances which led to the appointment of an Administrative Reforms Commission by the State Government after Appleby's report;

(d) whether the terms of reference of Dr. Appleby did not cover the terms of reference to the Commission referred to in part (c) above;

(e) the approximate expenditure likely to be incurred by the said Commission by way of tours, T.A./D.A. fees of its Members, etc;

(f) the number and designation of posts with their scales of pay created for the Commission?

Shri Ram Kishan : A Statement giving the desired information is laid on the Table of House.

Statement

(a) and (b) The Report on Public Administration in India was submitted by lean Paul H. Appleby to the Government of India and it was for them to take suitable action on his recommendations.

(c) A proper examination of the structure and procedures of the departments and agencies of the Government of Punjab had never been undertaken. The Administrative Reforms Commission was, therefore, set up for this purpose and to recommend measures to promote efficiency, economy and improved service in the despatch of public business.

(d) No; the Report submitted by Dean Appleby concerned the Central Government and not the State administration.

(e) The approximate expenditure likely to be incurred by the Commission by way of Travelling Allowance Daily Allowance and remuneration of its members cannot be anticipated at this stage.

(f) The number and designations of posts and their scales are as follows:

Designation of the post	Number	Scale of the post
Secretary, Administrative Reforms Commission	One	Senior scale of I.A.S. Rs 900—1,800 plus a special pay of Rs 150 per mensem
Deputy Secretary, Administrative Reforms Commission	One	Senior scale of I.A.S. Rs 900—1,800 plus a special pay of Rs 100
Private Secretary to the Chairman, A.R.C.	One	Rs 350—25—500—30—800. (He draws a deputation allowance equal to 20 per cent of his grade pay)
P.A. to the Chairman	One	Rs 150—10—200/10—300 with a special pay of Rs 30 per mensem
P.A. to the Secretary Administrative Reforms Commission	One	Rs 150—10—200/10—300 with a special pay of Rs 30 per mensem
Stenographer to Deputy Secretary ..	One	Rs 150—10—200/10—300
Reporters ..	Three	Rs 250—10—300/15—450
Superintendent ..	One	Rs 350—25—500/30—650
Assistants ..	Six	Rs 150—10—200/10—300
Clerks ..	Five	Rs 60—4—80/5—120/5—175
Steno-typist ..	One	Rs 60—4—80/5—120/5—175 plus Rs 15 as special pay.
Daftri ..	One	Rs 35—1—45
Jamadars ..	Two	Rs 35—1—45
Peons ..	Four	Rs 30—½—35

Note :—Starred Question No. 7122 alongwith its answer as printed in the Appendix to this Debate.

Setting up permanent conciliation machinery to mediate between Government and its employees

***6979. Thakur Mehar Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a permanent conciliation machinery to settle disputes between the Government and its employees in the State; if so, the details and functions of the proposed machinery and the time by which it is likely to be set up?

Shri Ram Kishan: The Government has under consideration a proposal to devise suitable machinery for joint consultation between the Government and its employees. The details relating to the establishment of such machinery and its working, are being worked out. It is difficult to indicate the period within which it is likely to be set up.

Recognition of Subordinate Services Federation

***7247. Shri Om Parkash Agnihotri:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Subordinate Services Federation has been recognised by the Government; if not, the reasons therefor?

Shri Ram Kishan: No, as it did not conform to the instructions of the Government regarding grant of recognition to the Association of employees

---

Residential Accommodation for Government Employees at Chandigarh

***6993. Shri Om Parkash Agnihotri:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Government servants living in shared accommodation, at Chandigarh, at present;

(b) whether it is a fact that Goveenment servants, who shifted to Chandigarh, in 1958 and subsequently are being allotted full houses while those who came to Chandigarh, in 1957, continue to live in shared accommodation, if so, the steps being taken or proposed to be taken by the Government to remove this anomaly?

Shri Ram Kishan: (a) 7,758

(b) *Part A.* Yes, but only in exceptional cases involving compassionate circumstances, e.g. Medical grounds, abnormal size of the family etc.

Part B. Since the present policy is in the larger interests of the Government employees at Chandigarh, Government do not consider its discontinuance to be a feasible proposition.

Quota of steel issued to individuals/firms in Hissar district during 1964

***7089. Chaudhri Net Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state the names of firms and individuals belonging to district Hissar to whom the quota of steel was issued during the year 1964 together with the quantity thereof issued in each case.

Shri Ram Kishan: A statement showing the requisite information is enclosed.

Statement showing the list of parties of District Hissar who have been issued Steel during the period October 1963 to March, 1964

Serial No.	Name and Address of Quota-holders	Quantity issued
1	2	3
	Messers—	M.Tons
1	Hissar Iron and Mechanical Works, G.T. Road Hissar ...	3.064
2	Narsing Dass, Ram Nath Railway Road, Hissar ...	1.532
3	Dewan Chand Karam-Chand, Gandhi Chowk, Hissar ...	3.064
4	Udesh Trunk House, Gandhi Chowk, Hissar ...	1.532
5	Jagan Nath & Bros., Arya Bazar, Hissar ..	1.532
6	Raj Trunk House, Arya Bazar, Hissar ...	1.532
7	Hari Chand and Co., Arya Bazar, Hissar ...	1.532
8	Karam Chand-Jagan Nath, Railway Road, Hissar ...	1.532
9	Paul Traders, New Mandi Road, Hissar ...	1.532
10	Jainti Parshad-Chander Bhan, Railway Road, Hissar ...	1.532
11	Ram Chand-Om Parkash Mangaliwali, Delhi Gate, Hissar ...	1.532
12	Reformatory School (Special Jail), Hissar ...	1.532
13	Chotu Ram-Vir Bhan, Hansi ...	1.532
14	Kanhaya Lal-Joginder Lal, Trunk Manufacturer, Hansi ...	1.532
15	Haryana Farm Machinery Production-cum-Sale Coop. Industrial Society Ltd., Hansi ...	3.064
16	Bharat Trunk and Thand Ball Factory, Sadar Bazar, Hansi ...	3.064
17	Rup Chand-Harbans Lal, Village Ssisai, Tehsil Hansi ...	1.532
18	Kumar Trunk House, Fatehabad ...	1.532
19	Fetehabad Trunk House, Fatehabad ...	1.532
20	Shiba Mal-Ramji Das, Mandi Dabwali ...	1.532
21	Telu Ram-Ramji Dass, Mandi Dabwali ...	1.532
22	S.L.Monga and Bros, Mandi Dabwali ...	3.064
23	Sohan Lal-Payare Lal, Mandi Dabwali ...	1.532
24	Mohan Lal-Hem Raj, Mandi Dabwali ...	1.532
25	Babu Ram-Prem Kumar, Mandi Dabwali ...	1.532
26	Kesho Ram-Roshan Lal, Sirsa ...	1.532

[Chief Minister]

Serial No.	Name and address of Quota-holders	Quantity issued
1	2	3
	Messers—	
27	Sajjan Kumar Dharam Paul, Sirsa	.. 1.532
28	Hardayal & Sons, Sirsa.	.. 1.532
29	Chuni Lal-Perma Nand, Barwala	.. 1.532
30	Natha Singh-Randhir Singn, Barwala	.. 1.532
31	Bhatia Trunk House, Narnaund, tehsil Hansi	.. 1.532
32	Mistry Charan Dass and Co., Railway Road, Tohana	.. 1.532
33	Kalra Trunk Factory, Tohana	.. 1.532
34	Ram Sarup-Nand Kishore, Railway Road, Tohana	.. 1.532
35	The Executive Officer, Panchayat Samiti, Tohana	.. 1.532
36	Hardayal Mal-Brij Gopal, Uklana Mandi	.. 1.532
37	B.K. Engineering Works, Bhiwani (Hissar)	.. 2.064
38	Choudhri Trunk Factory, Bhiwani (Hissar)	.. 3.064
39	Gaddi Trunk Factory, Bhiwani (Hissar)	.. 1.532
40	Nathu Ram-Sadhu Ram, Halu Bazar, Bhiwani	.. 3.064
41	Bharat Trunk House, Bhiwani	.. 1.532
42	Chawala Trunk Factory, Bhiwani	.. 1.532
43	Aggarwal Trunk Factory, Bhiwani	.. 1.532
44	Janta Trunk Factory, Bhiwani	.. 1.532
45	Gram Udyog Trunk and Sandok Factory, Bhiwani	.. 1.532
46	Chandgi Ram, Tara Chand Bhiwani	.. 3.074
47	Kesho Ram-Devki Nandan, Bhiwani	.. 1.532
48	Shankar Iron and Steel Works, Bhiwani	.. 3.064
49	Kesho Ram-Nand Kishore, Loharu, tehsil Bhiwani	.. 1.532
50	Block Development and Panchayat Officer, Hansi-II (Hissar)	.. 1.532
51	Block Development and Panchayat Officer, Barwala (Hissar)	.. 1.532
52	Block Development and Panchayat Officer, Hissar-II	.. 1.548

Route/Truck Permit on Pathankot-Srinagar Route

*7315. **Chaudhri Devi Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Punjab Government is consulted or has been consulted in the past by Jammu and Kashmir Government in the matter of granting route permits of truck permits from Pathankot to Srinagar ;

(b) whether Shri Prabodh Chandra, now Education Minister, Punjab, or Shri Pawan Kumar (deceased), son of Shri Prabodh Chandra or any other member of Shri Prabodh Chandra's family was ever granted a route permit or a truck permit from Pathankot to Srinagar ?

Shri Ram Kishan : (a) and (b) No.

Foodgrains imported into and exported from the State

***7057. Chaudhri Darshan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the quantity of foodgrains imported into the State, month-wise, after 1st July 1964 ;

(b) the quantity of foodgrains exported to other States, month-wise during the year, 1964 ?

Shri Ram Kishan : A statement containing the required information is laid on the table of the House.

Foodgrains imported into and exported from the State

(a) The quantity of foodgrains imported into the State, month-wise, after 1st July, 1964.

IMPORTED WHEAT

		Tonnes
July, 1964	..	10,718
August, 1964	..	10,264
September, 1964	..	10,642
October, 1964	..	11,386
November, 1964	..	9,822
December, 1964	..	20,080
January, 1965	..	34,404
Total	..	107,316

OTHER FOODGRAINS

Information not available.

(b) The quantity of food grains exported to other States, month-wise during the year, 1964 :

WHEAT AND WHEAT PRODUCTS

		Tonnes
January, 1964	..	11,323
February, 1964	..	1,812
March, 1964	..	2,723
April, 1964	..	21,608
May, 1964	..	1,737
June, 1964	..	28,337
July, 1964	..	14,362
August, 1964	..	43,287
September, 1964	..	19,889
October, 1964	..	15,151
November, 1964	..	23,187
December, 1964	..	27,549
Total	..	210,965

RICE

January, 1964	..	17,791
February, 1964	..	13,310
March, 1964	..	13,616
April, 1964	..	5,788

[Chief Minister]

		Tonnes
May, 1964	..	3,087
June, 1964	..	2,668
July, 1964	..	4,894
August, 1964	..	8,128
September, 1964	..	20,882
October, 1964	..	14,425
November, 1964	..	78,736
December, 1964	..	44,368
Total	..	2,27,693

Information regarding export of rice out of the State but within the Zone is not available.

GRAM

January to September, 1964	..	Information not available
		Tonnes
October, 1964	..	610
November, 1964	..	525
December, 1964	..	100
Total	..	1,235

OTHER FOODGRAINS

Information not available.

Enquiry held into the circulation of anonymous letter against the Chief Minister

***6866. Dr. Baldev Parkash :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the enquiry being conducted by the Police in connection with the circulation of anonymous letter against the Chief Minister has since been completed ; if so, a copy of the enquiry report be laid on the Table of the House ;

(b) the action, if any, taken against the culprits ?

Sardar Darbara Singh : (a) No.

(b) Does not arise, in view of (a) above.

Strictures passed against S.H.O., Sadar, and Head Constable of Police Station, Karnal

***6871. Sardar Piara Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state, whether it has come to the notice of Government that while delivering Judgement in case No. 136/2 on 4th November, 1964, Shri G. S. Aggarwal, P.C.S., Judicial Magistrate, 1st Class, Karnal passed strictures against the S.H.O., Sadar, Police Station Karnal and the Head Constable of the same Police Station, if so, the nature of the strictures so passed and the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government in the matter ?

Sardar Darbara Singh : Yes. The Judicial Magistrate, 1st Class , Karnal suspected that the S.H.O. or the Head Constable were party in the illegal gratification which passed certain hands. He had a doubt in the *bona fides* of these police Officers.

2. The matter has been ordered to be investigated by a Police Officer and Shri Guriqbal Singh, D.S.P., Karnal has been detailed for holding this enquiry. The enquiry is still pending with him.

Persons arrested for contravening the provisions of the Essential Commodities Act, 1955

***7192. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number and names of traders arrested and punished under the Essential Commodities Act, 1955, after the enforcement of the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964, providing for summary trials under the said amending Act ,

(b) the number of Judicial Magistrates who have been empowered to hold summary trials under the said amending Act ?

Sardar Darbara Singh : The requisite information is given below :—

(a) In all 31 persons were arrested and two punished under the Essential Commodities Act, 1955, after the enforcement of the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964 providing for summary trial. The names are given in the following list.

(b) One Chief Judicial Magistrate each in all Districts in the State except Lahaul and Spiti and Kulu District has been vested with powers to try cases summarily. Besides one Judicial Magistrate at Chandigarh has also been empowered. Total number of such Magistrates in the State is 19.

Name of persons arrested in cases under the Essential Commodities (Amendment) Act, 1964

(1) Raj Kumar, son of Chhida Mal Vaish of Palwal, owner of Krishna Khandsari Industry, Palwal.

(2) Antu.

(3) Ram Kishan.

(4) Amar Singh.

(5) Ram Chand

(6) Lehna.

(7) Hira.

(8) Amrik Singh.

(9) Suraj Mal.

(10) Amir Hussain.

(11) Manohar Lal.

(12) Khilari.

(13) Pirthi.

(14) Umra.

(15) Nahir.

(16) Raja.

(17) Bashira, Karnal District—Punished.

(18) Sukhvir.

[Home and Development Minister]

(19) Wazir Chand.

(20) Riaz Ahmed.

(21) Narha.

(22) Om Parkash, Firm M/s Basheshar Nath and Co.

(23) Chet Ram Munim of Sudhir Kumar and Co., Ram Bazar, Simla.

(24) Puran Chand, son of Bishasher Dass.

(25) Ram Dass, Depot-holder of Dakha.

(26) Thabu Ram, Shop-keeper, police station Raikot.

(27) Tej Lall, son of Krishan Kumar, Shop-keeper of Jagraon.

(28) Prem Kumar, son of Bhim Sen of Ludhiana.

(29) Sadhu Singh, son of Jwala Singh, resident of Thandewala, police station Gajsinghpur, police Station Ganga Nagar—Punished.

(30) Lachhman Dass, son of Brij Lal of Mansa Mandi.

(31) Lachhmi Narain, son of Karori Lal, resident of Mansa Mandi.

Amount sanctioned for Pilot Project in Amb Block, tehsil Una, district Hoshiarpur

*6978. **Thakur Mehar Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the amount so far sanctioned for the Pilot Project including Fisheries in Amb Block, tehsil Una, district Hoshiarpur ;

(b) the amount distributed among the Panchayats in the Block mentioned in part (a) above under the said Project ;

(c) the current valuation of the works executed in each of the said Panchayats under the said Project ?

Sardar Darbara Singh : (a) Rs 2,82,336.

(b) Rs 2,36,166.

(c) Rs 2,10,520.

Community Development Blocks in Jullundur District

*7055. **Chaudhri Darshan Singh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number of Community Development Blocks in the Jullundur District tehsilwise ;

(b) the number of Panchayats in each block of the said district and the number of Panches in each such block ;

(c) the area in square miles, in each block together with the population thereof ;

(d) the amount so far given as grant for the development of each of the said blocks in all the three stages.

Sardar Darbara Singh : The information is laid on the table of the House.

(a) The number of Community Development Blocks in Jullundur District, tehsil-wise is as under :—

	Name of tehsil		*Number of Blocks*
1.	Phillaur	..	3
2.	Nawanshahr	..	3
3.	Jullundur	..	4
4.	Nakodar	..	2

(b) The number of Panchayats in each block of the said district and the number of Panches in each block is given below :—

	Name of Block		No. of Panchayats	No. of Panches
1.	Phillaur	..	74	484
2.	Nurmahal	..	54	350
3.	Goraya	..	43	302
4.	Nawanshahr	..	75	469
5.	Mukandpur	..	59	378
6.	Banga	..	73	477
7.	Jullundur	..	69	395
8.	Bhogpur	..	63	389
9.	Maqsoodpur	..	87	556
10.	Adampur	..	40	269
11.	Nakodar	..	94	596
12.	Shahkot	..	108	672

(c) The area in square miles, in each block together with the population thereof is as under :—

	Name of Block		Area in square miles	Population 1961 Census
1.	Phillaur	..	104	74,791
2.	Nurmahal	..	443.964	66,998
3.	Goraya	..	73.74	71,574

[Home and Development Minister]

Name of Block		Area in Square miles	Population 1961 Census
4. Nawanshahr	...	123.00	70,998
5. Mukandpur	...	83.59	59,348
6. Banga	...	168	78,490
7. Jullundur	...	86.45	89,517
8. Bhogpur	...	145	52,977
9. Maqsoodpur	...	351.72	69,658
10. Adampur	...	154	62,537
11. Nakodar	...	188	79,297
12. Shahkot	...	380	63,426

(d) The amount so far given as grant for the development of each of the said Blocks in all the three stages is given below :—

Name of Block		Amount so far given as grant for the development of each of the Block in all the three stages
		Rs
1. Phillaur	...	5,55,378.00
2. Nurmahal	...	8,27,170.00
3. Goraya	...	2,70,502.00
4. Nawanshahr	...	12,69,877.00
5. Mukandpur	...	49,838.00
6. Banga	...	2,84,660.00
7. Jullundur	...	65,024.00
8. Bhogpur	...	1,35,850.00
9. Maqsoodpur	...	1,24,780.00
10. Adampur	...	68,423.00
11. Nakodar	...	2,88,410.00
12. Shahkot	...	1,48,169.00

Note:—Started Question No. 7035 alongwith its answer is printed in the Appendix to this Dabate,

Complaint against the Horticulture Officer, Chandigarh

*7037. **Comrade Didar Singh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether any complaint against the misbehaviour of the Horticulture Officer, Sector 24, Chandigarh, has been received from a member of the Vidhan Sabha, if so, the contents of the complaint and the action taken or proposed to be taken by the Government in this connection ?

Shri Ram Kishan (Chief Minister) : A complaint from Shri Jangir Singh Joga, M.L.A. regarding immediate action against Shri Kulwant Singh, S.D.O., Horticulture, was received on 16th January, 1965. A copy of the complaint is laid on the table of the House. The complaint was got investigated through the Chief Engineer, Capital Project. Chandigarh. None of the allegations having been established, the complaint has been filed.

Copy of complaint dated 14th January, 1965 made by Shri Jangir Singh Joga, M.L.A., Leader of the Communist Party, Punjab Assembly, Chandigarh, to the Minister for Horticulture, Punjab Government, Chandigarh

Subject.—Regarding immediate action against one S. Kulwant Singh, S.D.O. (Horticulture.)

With due deference, I have the honour to bring to your notice the following things in connection with S. Kulwant Singh, S.D.O. (Horticulture) at Chandigarh. Our Parliamentary Office has received many complaints against him and some of them very serious. The said Officer does not enjoy good reputation. It is alleged that he indulges in corrupt practices. Much of the work is done by the casual and seasonal labour in Nursery. The labour is not properly paid and many times, it is shown on record that they have been paid while actually no payment is made to them. Recently this atrocious situation resulted in the death of one labourer and the trade Union, Chandigarh openly charged S. Kulwant Singh with being responsible for the " Man-Slaughter " of this labourer. An enquiry was also conducted about this incident but nothing came out, because, it was just a routine enquiry.

I demand that a high level probe be undertaken about this guilty officer and he should be sent off from this place, because, the institution of such an enquiry otherwise he will be able to use his official position to wriggle from his criminal act.

His behaviour with the pucca labour or gardeners under him is most objectionable. He abuses and humiliates them and there is a general rumour intentionally spread or encouraged by him from the good old days of Kairon Regime and S. Kulwant Singh is well connected. He is " Kairon's man" can be a good qualification even under the present regime also or why such an officer is continuing to hang on in the capital city of Punjab.

Lastly whenever any customer happens to go to the Nursery or any casual visitor goes there just to have a look at the different plant and flower, he is invariably insulted if and when S. Kulwant Singh happens to be there. Why have you come here ? Why are you here ? See the gate. I am an S.D.O. etc. etc. This is usual non-sense that he hurls at every body. There is a general complaint by the visitors about his behaviour.

In view of the facts catalogued above, I do hope that a strict action would be taken against the man immediately so that such a mistake is no more at least in the capital city of Punjab.

Besides I have a suggestion to make and it is that the Nursery in Sector 24 and Sector 23 or a part of it should be thrown open to the public at large as there are no such amenities of parks etc. to the people in this area.

I do hope for an immediate action.

UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

Government Tubewells and Operators working thereon

2261. Sardar Piara Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total No. of Government Tubewells in the State at present together with the total number of operators workig thereon;
(b) the grade of pay of the operators referred to in part (a) above;
(c) whether the Government have received any representation from the tubewells operators wherein it has been stated that their salary is too low, if so, the action proposed to be taken threon?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) There are 1,236 tubewells which provide direct irrigation, 252 tubewells which augment the supplies of Western Jumna Canal and 63 Antiwaterlogging tubewells in Tarn Taran area.

There is one operator on each tubewell which provides direct irrigation, one operator for a group of five tubewells which augment the supplies of Western Jumna Canal and one operator for a set of three tubewells which are used for anti-waterlogging purpose.

(b) Rs 25—1—45 plus usual Dearness Allowance for those operators who were in regular service of erstwhile Pepsu State, Rs 39½—1—59½ plus usual Dearness Allowance for operators employed on work charge basis, if they are under Matric and Rs 50 fixed plus Rs 30 as Dearness Allowance for work-charged operators, who are Matriculates.

(c) Yes, the matter is under consideration of the Government.

QUESTION OF PRIVILEGE

Comrade Shamsher Singh Josh. : Sir, I have to raise a point of privilege Yesterday, the Honourable Education Minister, while replying to Question No. 6838, gave a wrong and misleading reply to this House. It was asked in that Question whether the Chief Minister, the Home Minister and the Education Minister granted any discretionary grants to the Harbalabh Sangeet Mela, at Jullundur. While replying a supplementary, the Honourable Education Minister was asked whether more than one Minister could give discretionary grant to any institution at one and the same place. He replied that more than one Minister could give that grant, and thre is no infringement of Rules therein. He was further asked whether any grant out of the discretionary fund could be given for any cultural purposes. He replied that it would be given. In this case, it was a cultural society to which this grant was given. My information is that according to the decision of the Cabinet and Rules framed by the Development Department, these grants are given out of the Development Fund, and that the Auditor General has several times pointed out in the past that more than one Minister cannot grant such discretionary grants at one and the same time to one institution. And, where such funds are given by a Minister to an institution which had already received such a grant from some other Minister, the latter was informed by the Development Department that he could not do so and in all such cases such grants then were not given. Rules of the Development Department also do not allow grant of funds out of discretionary funds at the disposal of Ministers for non-development purposes.

In view of this, the Honourable Minister has given a wrong and misleading reply to the House. Hence, I raise this matter of privilege.

मुख्य मन्त्री . स्पीकर साहिब, जहां तक हरबल्लभ संगीत मेले को ग्रांट देने का सम्बन्ध है, वह कल्चरल एफेयर मिनिस्टरी की ग्रांट में से मेरी तरफ से ग्रा. दी गई है।

Mr. Speaker : Mr. Josh, it will be better if you write to me about the alleged wrong or mis-statement made by the Honourable Minister. I will then write to the Government and try to take appropriate action in the matter.

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, I have sent you abundant material regarding the mis-statements made by the Honourable Education Minister. He seems to be in the habit of making misleading statements.

Mr. Speaker : Do not make sweeping remarks, please.

Chaudhri Hardwari Lal : You are already seized of the matter, Sir.

Mr. Speaker : Yes, I am taking action. I will sent you the reply. In future, I am going to adopt a definite procedure in this respect. Either the Member oncerned should bring in a motion of censure against the conduct of the Minister concerned as required under the Rules, or he should write to me about any allegations of a wrong or mis-statement made by the Minister on the floor of the House, as Chaudhri Hardwari Lal has done. In the latter case, I will write to the Government about the allegations made against the Minister for the reply of the Minister. Thereafter, both the statement of the Honourable Minister and that of the Honourable Member will be placed on the Table of the House. They will become the property of the House to be utilised as liked by it.

Shri Mohan Lal : That is the correct procedure. But, in this particular case, the honourable Member has raised a Question of Privilege which has come on record. According to the statement made by the honourable Member, you could, Sir, make an enquiry from the Government.

Mr. Speaker : All right, I shall make an enquiry on the basis of the statement made by the honourable Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Home and Development (Sardar Darbara Singh) : Sir, I beg to lay on the Table the First Annual Report and Accounts for the year 1963-64 of the Punjab Export Corporation Limited, as required under section 619A(3) of the Companies Act, 1956.

RFSOLUTION
REGARDING ABOLITION OF THE PUNJAB LEGISLATIVE COUNCIL

Mr. Speaker : The House will now take up the Resolution.

Sardar Gurcharan Singh (Moga) : Sir, I beg to move—

That this Assembly resolves that the Punjab Legislative Council be abolished forthwith

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਅਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਜਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜ ਦੀ ਡੀਬੇਟ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਉ ਉਹ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਲੈਂਗੂਏਜ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(In this connection I would like to make a submission

[Mr. Speaker]

to the hon. Members who are going to participate in today's discussion. Since the resolution concerns the Upper House of the State Legislature, the comments offered whatever they be, should be in a dignified language.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਗਨੀਫਾਈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 16 ਸੂਬੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 11 ਸੂਬੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਚੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਸਨ ? ਉਹ ਸਨ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ, ਬੰਗਾਲ, ਯੂ. ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ। ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਚੈਂਬਰ ਸਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰਾਵਿੰਸ, ਸਿਧ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਾਵਿੰਸ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਖੂਬੀ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਥੇ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ 16 ਸੂਬੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਆਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗਜਰਾਤ, ਕਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਮੂੰ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਜਮੂੰ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ।

ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਉਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 16 ਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ?

ਇਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 148 ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ. ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਫਾ 1305 ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

> "Second Chamber not only not representative of people as such, but even if and where it has been made in such a way as to represent some aspects of the country other than popular vote."

He further says:

> "More as a dilatory engine rather than a help in reflecting popular opinion on crucial questions of legislation."

ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰੀਮਾਰਕਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਬਜਾਏ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਗੇ; ਪਾਪੂਲਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਾਰਡ ਸਨ।

ਉਹ ਫਿਊਡਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਰਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਲਾ ਧਰ ਚਾਲੀਹਾ ਨੇ ਕੰਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਸੀ—

"Most vexed question of Political Science is the problem of a Second Chamber. In 19th Century Second Chambers were necessary but in modern days ..."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਦੋ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਕਲ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਡੇਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਂਟੇਜ਼ਿੰਟਵਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ. ਕੇ. ਹਨੂਮੰਤਈਆ ਨੇ ਹੇਸਟੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ 1311 ਪੇਜ ਤੇ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ—

"Party system of Government works —Every major decision is taken in the party."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਦੋ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡੇਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਥੇ ਡੇਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਵਿਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਪ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਹੇਸਟੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ ਤੇ ਚੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕੋਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੇਸਟੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਣੂਕਾ ਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ—

"Where there is a Government in the Province and a President at the Centre, who is empowered to send back the carelessly enacted Bills for revision, what is the fun of second chamber ."

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]
ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 1949 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਕ ਹਾਊਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਸਟੀ ਲੈਜਿਸਲੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰੀਟਾਇਰਡ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇਥੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦਾ 6 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰੇਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਾਊਸ ਰਖੇ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਸਟੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਐਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਕ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਇਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਾਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਡੋਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਦਾਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਹੀਂ।

Mr. Speaker. Motion moved—

This Assembly resolves that the Punjab Legislative Council be abolished forthwith.

क्योंकि यह रेज़ोल्यूशन चार मैम्बरों की तरफ से है, इस लिये इस पर वह पहले बोलेंगे। उस के बाद तरमीम आ जाएगी। (Since this resolution

has been sponsored by four Members, they will be given precedence to speak on it. Thereafter, the amendment will be moved)

श्री जगन्नाथ (तोशाम) : स्पीकर साहब, सरदार गुरचरन सिंह ने जो रैज़ोलियूशन सदन के सामने रखा है मैं उस से पूरी तरह सहमत हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि एक ही सूबा में दो हाउसों की कोई ज़रूरत नहीं है यानी एक लोग्रर हाउस जब है तो अप्पर हाउस की कोई ज़रूरत नहीं रहती। हम देखते हैं एक बिल पहले विधान सभा में पेश होता है, उस पर दो दिन बहस होती रहती है और उस के बाद यहां से पास हो कर अप्पर हाउस में जाता है और वहां पर यानी विधान परिषद् में उस पर फिर दो दिन बहस होती है और वगैर किसी किस्म की तब्दीली किये या तरमीम किये उसे वहां भी पास कर दिया जाता है।

[*Deputy Speaker in the Chair*]

मैं ने पिछले तीन सालों में ऐसा कोई बिल नहीं देखा जो यहां पर तो पास हुआ हो और विधान परिषद् ने उसे पास किये बगैर वापस कर दिया हो। यही देखने में आया है कि जो बिल यहां पास किया जाता है उसे उसी तरह से बगैर किसी किस्म की उस में तरमीम किये के वहां से भी वह पास कर दिया जाता है। हम ने तो यहां तक देखा है कि आज एक चीज़ पर यहां बहस होती है तो कल को वहां भी उसी चीज़ पर बहस होती है और अगर मोशन यहां पेश की जाती है तो उस से अगले दिन वही चीज़ वहां पेश कर दी जाती है और कोई भी चीज़ वहां से तब्दीली किये वापस नहीं आती। इस लिए मैं समझता हूं कि यहां दूसरे हाउस की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो दो हाउसिज़ के हक में बोलते हैं वह कहते हैं कि इस से चैक एण्ड बेट की थ्यूरी काम करती है लेकिन मैं समझता हूं कि यहां, हिन्दुस्तान में यह थ्यूरी भी काम नहीं करती क्योंकि यहां दोनों हाउसों में एक ही पार्टी मेजारेटी में है और जो वह लोग्रर हाउस में पास करती है वही चीज़ वह अपर हाउस में भी पास करा लेती है। इस लिये मैं अपर हाउस को सिवाए राजनीतिक चोर बाज़ारी के अड्डा के और कुछ नहीं समझता क्योंकि यह तो हारे हुए लोगों को चोर दरवाज़े से फिर यहां पर लाने का ही ढंग बनाया हुआ है इस के सिवा और कुछ नहीं।

उपाध्यक्षा : आप जब बोल रहे हों तो कम से कम यह सोचा करो कि आप असैम्बली के मैम्बर हैं, अपनी ज़बान को ज़रा शुस्ता बना लो। (The hon. Member should realise his responsibility as such while speaking and use a refind language.)

श्री जगन्नाथ : बहुत अच्छा जी। मैं कह रहा था कि उन आदमियों को यहां पर बैकडोर से भेजा जाता है जो रीजैक्टिड होते हैं और डीजैक्टिड होते हैं। उन को उस जगह पर बैठाने की सरकार की पालिसी है। आप तो जानती हैं कि महात्मा गांधी इस फेवर में नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, डा० अम्बेदकर, जिन को फादर आफ दी कन्स्टीट्यूशन कहा जाता है और जो इस के ड्राफ्ट करने वाले बाडी के चेयरमैन थे, भी इस के हक में नहीं थे। मगर उन्होंने तो अपने लोगों के लिए जगह ढूंढनी थी इस लिये इस को बनाया है। मगर यह एक ऐसी चीज़ है जिसे कि खत्म किया जाना चाहिये, यह इफैक्टिव नहीं साबित हुई।

[श्री जगन्नाथ]

वहां पर ऐसे ही लोग बैठाए जाते हैं। सरदार गुरचरन सिंह ने तो इस को सफेद हाथी का नाम दिया, मैं तो इन को अन्धे हाथी कहता हूं। जो किसी चीज़ में कोई हेर फेर न कर सकता हो वह अन्धा ही तो होगा।

उपाध्यक्षा : अगर कह दें कि देखते नहीं तो यह अन्धे हाथी कहने से ज्यादा अच्छा होगा। (It would be better if the hon. Member says that they do not see instead of saying blind elephants.)

श्री जगन्नाथ : यह किसी चीज़ में भी कोई हेर फेर नहीं करत। फिर इन की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। अगर कोई आदमी इन के पास किसी काम के लिये जाता है तो यह उसे कहते हैं कि अपने एम. एल. ए. के पास जाओ। तो फिर इन का क्या काम है? यही नहीं, बल्कि कुछ तो इन में से यहां के है ही नहीं। दो तीन ऐसे हैं जो कि दिल्ली से यहां पर ला कर बैठा दिये हैं। उन का पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। वह कुछ लोगों के दबाव पर या सैंटर को खुश करने के लिये यहां पर बैठाये हुए हैं.......

एक आवाज़ : वह हाउस का श्रृंगार हैं। (हंसी)

श्री जगन्नाथ : होंगे, मगर उन का स्टेट को कोई फायदा नहीं है और जिस चीज़ से स्टेट को फायदा न हो वह चाहे श्रृंगार ही क्यों न हो, उस को खत्म करना चाहिए जिस से लोगों को कोई फायदा न हो।

फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह हाउस बिल्कुल अनडैमोक्रेटिक है। आप देखें यहां पर इस हाउस में जितने मैम्बर आए हुए हैं वह डायरेक्ट इलैक्शन से आए हुए हैं मगर उन में से एक भी डायरैक्ट इलैक्शन से नहीं आया हुआ, सभी इनडायरैक्ट इलैक्शन से आए हैं। इन लोगों को सब न प्यार और प्रेम से वोट दे कर भेजा है मगर उन सब को थोपा गया है। यहां पर सरदार बलवन्त सिंह जैसे लोगों को पब्लिक ने मुहब्बत से भेजा है मगर उन सब को वहां पर भेजे जाने का एक ही कारण है और वह यह कि वह (* * * *) हां से हां मिलाने वाले हैं या फिर पैसे वाले आदमी हैं। यह पैसे वाले लोग कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को इलैक्शन के वक्त पैसा देते हैं और वादा ले लेते हैं कि अगर इलैक्शन में हार भी गए तो भी इन को ऊपर भेज दिया जायगा। ऐसे चापलूस लोग जो (* * *) होते हैं उन को तो एम. एल. सी. बना दिया जाता है और जो (* * *) होते हैं उन को राज्य सभा का मैम्बर बना दिया जाता है। यह इन की थ्यूरी है। (विघ्न) मैं कहता हूं कि इस कंगाल देश में इस हाउस की क्या ज़रूरत है? यह तो हम पर अननैसेसरी बर्डन है। इस के मुताल्लिक कई थ्यूरीज़ हैं। रूसो कुछ कहता है तो मौन्टैस्क्यू कुछ कहता है। वह बैलेंस एंड चैक्स की बात करता है। ऐबे सीज़ इस के बारे में कहता है:

> "If the upper house agrees with the lower it is superfluous; if it disagrees, it ough to be abolished."

---

*Note.— Expunged as ordered by the Chair.

यानी अगर वह हाउस इस हाउस के साथ सहमत है तो उस को कोई फायदा नहीं है और अगर वह ऐग्री नहीं करता तो फिर उस को खत्म किया जाना चाहिए ।

एक चीज और कही है :—

" a legislative body divided into two branches is like a carriage drawn by one horse in front and one behind pulling in opposite directions."

यानी इस गाड़ी के आगे भी एक घोड़ा बन्धा है और पीछे भी । दोनों अपनी तरफ खींचते हैं । तब काम कैसे ठीक चल सकता है ? मगर होता यह है कि वह कोई ऐसी चीज उस के खिलाफ नहीं कहते जो कि विधान सभा ने की हो, यानी कभी यह नहीं कहते कि हम यह नहीं मानते । इस लिये उन की जरूरत ही नहीं ।

इस के बाद, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो रैजोल्यूशन आज आया है, ऐसा ही रैजोल्यूशन पहले 27 नवम्बर, 1952 को भी पेश हुआ था । उस वक्त कामरेड राम किशन जी ने बोलते हुए कहा था कि अभी इन छ: महीनों में कोई चीज़ नहीं आई है कि इस हाउस को खत्म कर दिया जाए । अगर इस को स्टेट पर बर्डन महसूस किया गया तो इस को खत्म भी किया जा सकता है । यह आर्गूमैंट इन्होंने पेश की थी । अब इस को देखते हुए 17 साल हो चुके हैं । इस का कोई फायदा नहीं हैं । इस को तो ऐबोलिश ही करना चाहिए ।

ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि इस में कुछ लोगों को बैकडोर से लाया जाता रहा है । डाक्टर भार्गव की वहां पर ज़मानत ज़ब्त हो गई मगर उन को इस तरह से बैकडोर से लाकर फिनांस मिनिस्टर बना दिया । क्या यह इन मैम्बरान का हक मारने वाली बात नहीं थी ? क्या इन में से कोई फिनांस मिनिस्टर बनने के काबिल आदमी नहीं मिला था ? मैं कहता हूं कि अपर हाउस एक अननैसेसरी बर्डन है । इसे खत्म करना चाहिए । शुक्रिया

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने जो अमैंडमैंट दी है वह एक सुकम को पूरा करने के लिये दी है । वह यह है कि कानून के मुताबिक असैम्बली सैकन्ड चैम्बर को खत्म करने के लिये, प्रस्ताव पास नहीं कर सकती है । हमारा तो यह अधिकार है कि हम सैंट्रल गवर्नमैंट के पास सिफारिश करें कि यह सैकन्ड चैम्बर इस राज्य के लिये गैर जरूरी है और इस को उड़ा देना चाहिए । तो यह जो मेरी अमैंडमैंट है यह रैजोल्यूशन के साथ पढ़ी जावे ।

श्रीमती जी, हमारा देश एक बहुत ही गरीब देश है और इस के सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिन को हल करने के लिये बहुत पैसे की जरूरत है । इस लिये हमें देखना चाहिए कि एक पाई भी गैर जरूरी कामों पर खर्च न हो । मैं अर्ज करता हूं कि इस स्टेट में सैकन्ड चैम्बर गैर जरूरी है और इस पर खर्च एक फजूलखर्ची है । लाखों रुपया वैस्ट जाता है और उस से जनता का कोई भला नहीं होता । इस से किसी किस्म की इक्तसादी समस्या भी हल नहीं होती । यह हमारा सब का तजुरबा है कि जो काम इस हाउस में होता है उस का डुप्लीकेशन सैकन्ड चैम्बर में होता है । जो काम हम करते हैं उसी की चर्चा वहां पर होती है । एक आरगूमैन्ट यह दिया जाता है कि लोअर हाउस में अगर किसी काम में गल्ती रह जाए तो ऊपर का चैम्बर उसे दरुस्त कर सकता है, उसमें इसलाह कर सकता है । लेकिन हमारा तजुरबा यह बताता है कि अपर

11.00 a.m.

[पंडित मोहन लाल दत्त]

हाउस इस मकसद के लिये नहीं बनाया गया था। क्योंकि न तो हमारे किए काम को वह रद कर सकते हैं और न ही उस में कोई तरमीम दे सकते हैं। हां, इतना जरूर है कि डीले कर सकते हैं।

इस के इलावा एक आरगूमेन्ट अपर हाउस के हक्क में यह दिया जाता है कि वहां पर हर बात पर गहरा गौरोखज़ होता है। लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि आगे ही जहां तक लैजिस्लेशन का सम्बन्ध है एक लांग ड्रान प्रासिस है। हर बिल पर इस असैम्बली में गौर होता है, डिपार्टमैंट में गौरोखोज़ होता है। फिर यहां पर रिजनल कमेटियां बनी हुई हैं, वहां पर गौर होता है और इनके आगे सब-कमेटियां हैं, उन में भी ग़ौरोखोज़ होता है। फिर दुबारा इस असैम्बली में आता है और इसमें ग़ौर होता है। इस के बाद ही कोई बिल पास किया जाता है। इन हालात में साफ ज़ाहिर है कि सैकन्ड चैम्बर इज़ ए ग्रुप आफ पैरेसाइट्स। स्यासतदानों के लिए तफरीह का एक अखाड़ा है। इस हाउस में दिमागी अयाशी होती है जहां कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा काम हो। मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पर क्या काम होता है। देश में हमारी कई समस्याएं हैं। गरीब जनता की क्या आवाज़ है इनकी प्रवाह न करके अपर हाउस को कायम रखा जा रहा है। अगर हम अपर हाउस की बैकग्राऊंड को देखें तो पता चलता है कि कैपिटि-लिस्ट कन्ट्रीज़ में और इम्पीरियलिस्ट कन्ट्रीज़ में प्रिविलिज्ड क्लासों को रिप्रिज़ैंटेशन देने के लिए सैकन्ड चैम्बर कायम किया था। इस तरह से अपर हाउस की शुरुआत हुई और इस का आगाज़ हुआ। हमारे देश में एक बिमारी आ गई है कि हम मग़रबी देशों की तकलीद करते हैं। यह नहीं देखते कि हमारे रिसोरसिज़ क्या हैं और किस चीज़ की सूटे-बिलिटी है। अन्धा धुन्ध मग़रबी देशों की तकलीद करते हैं।

इस के साथ ही यह भी देखने वाली बात है कि सैकन्ड चैम्बर का बनाया जाना हमारी अपनी स्टेट की मर्ज़ी पर है। फिर पता नहीं कि इसकी मनजूरी किस ने की है। यह लोक राज है और हर बात का फैसला लोगों की राए से होना चाहिए। फिर इस बात की मन्जूरी तो लोगों ने नहीं दी। लोग तो इस असैम्बली से भी नालां हैं। एक राज दरबार फिर दूसरा राज दरबार। यह फैट गवर्नमैन्ट है। अपर हाउस बिल्कुल गैर ज़रूरी है और प्रैज़ैन्ट टाइम में नहीं चल सकता। इस के होने से स्पीडी काम नहीं हो सकता। इस अपर हाउस का हमारी स्टेट पर नाजाइज़ बोझ है।

जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ और सन 1952 में पहली असैम्बली बनी तो उस वकत जनता के सही नुमाइन्दे इस के मैम्बर थे। उन्होंने ने रेजोल्यूशन दिया था कि अपर हाउस को हटा दिया जाए। उस वक्त श्री भीम सेन सच्चर चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने रेजोल्यूशन के जवाब में कहा था कि अपर हाउस तो हमारा एक तजुरबा है। हमें इस को आजमाना चाहिए कि यह मुफीद है या नहीं। आप उस वक्त की डिबेट्स का मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। मैं हाउस का इस बात में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा था कि यह एक तरीका बनाया है काम करने का, अगर मुफीद न हुआ तो इसे बन्द कर देंगे। सन 1952 से आज तक हम ने देखा है कि यह तजुरबा लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ, महज़ बर्डन साबित हुआ है। हमारा यह ख्याल था कि नई वज़ारत आई है और इसका नया

जाविया निगाह होगा। हम आशा रखते हैं कि यह सही काम में जुर्रत से काम करेंगे। मैं इस के सम्बन्ध में एक बड़े कन्स्टीच्यूशनिस्ट के विचारों का हवाला देना चाहता हूं। इस ने आईन के मरत्तब करने में बहुत हिस्सा लिया है। यह सरकार के इस काम में एडवाइज़र भी थे। इसका नाम है सर बैनगिल राउ। इन्होंने इन्डियाज़ कन्स्टीच्यूशिन इन मेकिन्ग के सैकन्ड चैप्टर में पेज 280-281 पर लिखा है :

"However we find that almost all the important States of the modern world have Second Chambers and only very few, e.g.. Turkey and Bulgaria, have dispensed with them. It must, however, be pointed out that though Second Chamber are regarded as an essential element of Federal constitutions, they are the exception rather than the rule in the constituent units of a Federation."

यह कि सैकन्ड चैम्बर फैडरल गवर्नमैंट में तो हो सकता है मगर कान्स्टीच्यून्ट यूनिट्स में, जैसा कि हमारी स्टेट्स हैं, नहीं बाहर की एडवांस कन्ट्रीज़ में भी सैकन्ड चैम्बर नहीं हैं। तरक्की याफता मुलकों में भी स्टेट्स में सैकन्ड चैम्बर नहीं हैं। उन की राए यह है :

"In the U.S.S.R. and the Union of South America the legislatures of the constituent units are all unicameral ."

लेकिन यहां पर यह दौरे वस्ती मिडल एज़िज की यादगार को आज बीसवीं सदी में भी कायम कर रहे हैं और अन्धा धुन्ध इस बात की तकलीद कर रहे हैं। यह बात तो हमारी समझ में नहीं आती। हम जब मांग करते हैं कि गरीब के लिये कोई प्राजैक्ट त्यार करो, छोटे मुलाज़मों की तनखाहों को बढ़ाओ क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, तो जवाब दिया जाता है कि पैसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के पैरासाइट्स पर लाखों रुपया फजूल खर्च किया जा रहा है। एक पुरानी ट्रेडीशन को पीटे जा रहे हैं। इस बात के सम्बन्ध में कान्सटीचूएन्ट असैम्बली में भी माननीय सदस्यों ने इसी तरह की राए प्रकट की है। जो विचार उन्होंने वहां पर रखे मैं आप के द्वारा हाउस में रखना चाहता हूं। पार्लियामेंट में सैकन्ड चैम्बर के बारे में श्री के. टी. शाह ने जो विचार प्रकट किये थे मैं भी उन विचारों के साथ सहमत हूं। उनकी दलायल वज़नदार थीं जो झुठलाई नहीं जा सकतीं। उन्होंने फरमाया था :

" Apart from the classic example of the House of Lords, which is a hereditary non-elected body, even where the Second Chambers are elected, they deflect the legislative machinery for one thing; they involve considerable outlay from the public exchequer on account of the salaries and allowances of Members and incidental charges . They only aid party bosses to distribute more patronage, and only help in obstructing or delaying the necessary legislation which the people have given their votes for.

Those who like to defend the Second Chamber are, more often than not, champions of vested interests which find a place in these bodies and as such find occasion rather to defend their own special sectarian or class interests than to help the popular cause.

On the question of Second Chambers, threfore, Sir, I think it is a clear division of political opinion whether or not is the will of the people alone which should prevail or some separate interest or special interests be also allowed a say. It must also be admitted that in the course of centuries in the course of history wherever there have been two chambers, means have been devised to make the popular will eventually prevail."

[पंडित मोहन लाल दत्त]

इन बातों को अगर हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि यह तो सारी किसी सैकन्ड चैम्बर की ज़रूरत ही महसूस नहीं करती बल्कि इन सब ने तो इन को बिल्कुल इनइफैकटिव बना दिया है । इस में रिप्रैज़ैंटेशन जो है वह क्या है ? Representation is the will of the people. और इस बात को लेजिस्लेटिव असैम्बली पूरा करती है । हाउस आफ लार्डज़ आखिर करता क्या है ? वह सिवाय काग़ज़ ले करने के और कोई ठोस काम नहीं करता । मैं कहूंगा कि समझदार आदमियों की जैसे उस हाउस के मुताबिक राये है बिल्कुल इनइफैकिटव अदारा है । यह हमारी डैमक्रेसी में कोई रोल प्ले नहीं करते, यह कोई लोगों की रहनुमाई या उनकी डिवैल्पमैन्ट बिल्कुल नहीं करते । लोगों की रहनुमाई करने की बजाये, उनका कल्याण करने की जगह यह एक डीफैक्टिव रोल प्ले करते हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि यह कैसे अपने आप को अवाम के लीडर समझते हैं । जो अवाम के लीडर हैं वह बखूबी समझते हैं कि वह हाउस न उनका कुछ बिगाड़ सकता है और न उनका कुछ बना ही सकता है । इस लिये मैं आज दरखास्त करूंगा कि यह जो गल्त प्रावीजन है, यह जो सरासर गलत नज़र आ रही है, इस ग़लती को हमें जल्द अज़ जल्द दूर करने की कोशिश करनी चाहिए । इस से हमारे सूबे का भला होगा । इस के इलावा जो गंदी सियास्त को फरोग़ मिलता है वह भी खत्म होता है । अवाम ने हमारे कंधों पर बड़ा भारी बोझ रखा हुआ है । हमें उसका अहसास होना चाहिये और यह जो पावर पालिटिक्स की जड़ है, यह रोज़ की लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए । एक बात मैं और अर्ज़ करनी चाहता हूं । वह यह कि आज यह दो सदन लोगों पर कितना भार है, लैजिस्लेचर का चैम्बर अलग, कौंसिल का चैंबर अलग, कौंसिल में अलग सब-कमेटियां और असैम्बली में उसी काम के लिये अलग सब-कमेटियां । मैं समझता हूं कि यह तो पक खाह मखाह का बोझ है और इस से कोई ठोस काम होता नज़र नहीं आता । इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी हमारी बात को मानते हुए यह खाह मखाह की फज़ूल खर्ची को खत्म करें । वह यह न ख्याल करें कि अपोज़ीशन की तरफ से जो भी सुझाव आये, चाहे वह सही हों या ग़ल्त, यह एक ग़ल्त रवायत है कि इस को मानना ही नहीं है । मैं मुख्य मन्त्री जी से उम्मीद करता हूं कि वह इन रवायात से ऊपर उठ कर आपोज़ीशन की इस नेक और लोक भलाई की बात को कबूल करेंगे । इन अल्फाज़ के साथ मैं इस रैजोल्यूशन की हमायत करता हूं ।

[At this stage Deputy Speaker called upon Shrimati Om Prabha Jain]

चौधरी इंदर सिंह मलिक : यह रैजोल्यूशन चूंकि कामरेड हरदित्त सिंह भट्ठल, सरदार गुरचरन सिंह, श्री जगन नाथ और बाबू बचन सिंह जी की तरफ से मूव किया गया है इस लिये इन में पहले बाबू बचन सिंह जी को बोलने की अजाज़त होनी चाहिए ।

बाबू बचन सिंह (लुधियाना उत्तर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं लेडी मैम्बर के अगेंस्ट इंसिस्ट नहीं करना चाहता अगर अजाजत हो तो पहले मैं कुछ अर्ज करूं । *(Allowed by the Chair)* डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सवाल यह है कि हकूमत को किस बेहतर से बेहतर तरीका से चलाया जाये । या यह कहें कि अगर बैस्ट लैजिस्लेशन हो तो

कैसे हो। इस के लिये पंजाब के सामने एक बहुत भारी प्राब्लम रहा है और यह प्राब्लम भी उस वक्त रहा है जब कि दोनों रिजन के दरम्यान कुछ आपस में झगड़ा था। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इसका साल्यूशन यह निकाला कि हिंदी रिजन और पंजाबी रिजन बना दिये। इस के लिये दो कमेटियां इसी असैम्बली में से—एक हिंदी रिजनल कमेटी और दूसरी पंजाबी रिजनल कमेटी—बनाई गई और उनको बाकायदा इखत्यारात दिये गये। इन की भी आगे सब-कमेटियां बनीं जिन की रिपोर्ट पर लैजिस्लेचर लेवल पर गौर होता है। इस तरह से हम अपनी यह कमेटियां चला रहे हैं। इस के साथ साथ जहां यह रिजनल कमेटियां चला रहे हैं हमारा यह हाउस भी चल रहा है। यह डुप्लीकेशन ही नहीं बल्कि ट्रिप्लीकेशन का काम हो रहा है। आप देखें कि इसमें कितना वक्त लगता है। कितनी हमारी इस पर एनर्जी वेस्ट होती है आप अंदाजा लगायें। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी इस किस्म की दलीलें दी जाती हैं कि यह तो पुराने ज़माने से चल रहा है, यह तो अमरीका में चल रहा है। मैं कहता हूं इस तरह फ्रांस और इंग्लैन्ड वगैरा की मिसालें देनी बिल्कुल गल्त बात है। वह यूनिटरी किस्म की फियूडल गवर्नमैंटस हैं। वहां और बात है मगर यहां पर लोक सभा और राज्य सभा कायम रखना एक गल्त बात होगी। क्योंकि राज्य सभा में जो मैम्बर भेजे जाते हैं वह स्टेटस के रिप्रेज़ैन्टेटिवज़ होते हैं।

इसी तरह अमेरिका में फैड्रल गवर्नमैन्ट बनी तो ऐसा ही एक तजुर्बा किया गया कि हाउस आफ रिप्रज़ैन्टेटिव्ज़ में आबादी के मुताबिक रिप्रेज़ैंटेशन होनी चाहिए। और इसी आधार पर न्यूयार्क जैसी स्टेट्स को यहां $1\frac{1}{2}$ करोड़ या दो करोड़ की आबादी है, एलास्का, जिसकी 5 या 10 लाख के करीब आबादी है और हवाई का ज़जीरा जो बहुत थोड़ी आबादी वाला है, इन सबको एक जैसी रिप्रेज़ैंटेशन प्राप्त है। इसलिए जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है वहां पर स्टेट्स की रिप्रेज़ैंटेशन भी आबादी की बिना पर है।

लेकिन मैं सूबों की 2 चैम्बर्ज़ की बात करना चाहता हूं और इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर श्री रामकृष्ण जी ने 1952 में क्या कहा था। उन्होंने कहा था," कि जिस वक्त दो चैम्बर्स का सवाल आया तो उस में श्री अम्बेदकर ने और सरदार पटेल ने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया था 2 चैम्बरज़ हर सूबे में होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जिस सूबे की मर्ज़ी है दो चैम्बर्ज़ रख ले और जिसकी मर्ज़ी हो एक रख ले। यह तो तजरुबा बतायेगा कि यह कामयाब होते हैं या नहीं। उनकी स्पीच को मैं कोट करता हूं ......

> ".....I can show you the speeches of Dr. Ambedkar and Sardar Patel in which they had declared that they did not insist on second chambers but left it to the representatives of each province to decide the question among themselves. The Punjab decided in favour of the second chamber....."

तो उस वक्त के जो रिप्रेज़ैंटेटिव्ज़ थे पंजाब के, उन्होंने सैकंड चैम्बर बनाने की आज्ञा दी, लेकिन उसमें यह था कि :

> ".....But the drafting Committee also declared that it was an experiment and that if after some time any province wanted to abolish the second chamber it could do so ."

तो ड्राफ्टिंग कमेटी की यह बात बिल्कुल क्लियर थी कि कोई सूबा इसको ऐबालिश करना चाहे तो कर सकता है।

[बाबू बचन सिंह]

जहां तक चीफ मिनिस्टर के विचारों का सवाल है, मुझे खुशी है इस बात की कि यह स्टेट के अन्दर डैमोक्रेसी सही मायनों में कायम करने के लिए सोचते हैं। मैं इनकी जुर्रत की दाद देता हूं कि पिछली मिनिस्ट्री ने जो 3 हजार के करीब ज़ैलदार और इनामदार बनाने का काम किया था, जो ग़ल्त था, उसको इन्होंने दुरुस्त किया। जो पहली मिनिस्ट्री डिक्टेटर कायम करना चाहती थी, वह इन्होंने नहीं होने दिये और स्टेट के खजाने का रुपया जो तनखाहों के रूप में खर्च होता वह इन्होंने बचा लिया। उस फैसले के लिए पंजाब इनका ऋणी है।

इसके इलावा इन्होंने एक काम और किया कि जो आनरेरी मजिस्ट्रेट्स थे जो एक तरह के एजेंट्स थे, उनको भी कान से पकड़ कर निकाल दिया। और यह ऐलान किया कि हम आनरेरी मजिस्ट्रेट्स कायम नहीं करेंगे। जब यह ट्रू डैमाक्रेसी लाना चाहते हैं, तो इनको यह ख्याल करना चाहिए कि आज बीसवीं सदी के दूसरे हिस्से में जो बाईकैमरल सिस्टम है वह बिल्कुल इनकंसिस्टैंट है, इल्लाजिकल है और इसे कोई फायदा नहीं बल्कि सरासर नुकसान है। मुझे खुशी है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ट्रू डैमोक्रेसी और ट्रू सोशलिज़म लाना चाहते हैं लेकिन वह बातों से तो नहीं आएगी। वह आएगी अमल से। आप गौर फरमायें, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि हमारे पंजाब में जब सन् 1935 का ऐक्ट बना....

चौधरी इंदर सिंह मलिक : कोरम पूरा नहीं है।

(कोरम की घंटी बजी और कोरम पूरा हुआ)।

बाबू बचन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि सन् 1935 के ऐक्ट में जब यह सवाल पैदा हुआ कि पंजाब में सैकन्ड चैम्बर बनाया जाए या न बनाया जाए तो उस वक्त काऊंसिल में जो हमारे नुमाइंदे थे और जिन्हें कांग्रेस रिऐक्शनरी कहा करती थी, वह यूनियनिस्ट थे। सर सिकन्दर हयात, और सुन्दर सिंह मजीठिया व सर छोटू राम टाइप के आदमी उस में थे। उन्होंने कहा कि हम ग़रीब देश के रहने वाले हैं, हमारे ऊपर रहम करो, हमें सैकंड चैम्बर नहीं चाहिए। सर मनोहर लाल ने साफ इन्कार किया था कि हमें सैकंड चैम्बर नहीं चाहिए। और उस वक्त सैकंड चैम्बर नहीं बना। जरा गौर कीजिए, हमारे जैसे दो सूबे हैं एक राजस्थान और दूसरा गुजरात का सूबा है—तो गुजरात ने यह फैसला दिया था कि हम सैकंड चैम्बर नहीं चाहते, राजस्थान ने कहा कि हम सैकंड चैम्बर नहीं चाहते। लेकिन उजड़ा हुआ पंजाब, तबाहशुदा पंजाब, बदहाल पंजाब जिस में 20 प्रतिशत रिफियूजीज़ की आबादी है और सेम का मारा हुआ है, जिस में $1\frac{1}{2}$ अर्ब से ज्यादा फ्लड्ज़ ने नुकसान किया है, उस पंजाब का चीफ मिनिस्टर अगर यह कहे कि इस सूबे में सैकंड चैम्बर कायम रहे तो मुझे उस पर दुःख होगा और कुछ नहीं क्योंकि मैं तवक्को रखता हूं अपने चीफ मिनिस्टर से और उस की कैबिनेट से कि यह प्राग्रेसिव साबत होंगे और यह लोगों के जजबात का खयाल करेंगे। मैं इस मिनिस्टरी से इतनी तवक्को रखता हूं कि यह इस बात का ध्यान करेंगे कि ऐसे इकदामात उठाए जाएं जिस से हम ट्रू सोशलिज़्म और ट्रू डैमोक्रेसी लाने में आगे कदम बढ़ाएं। अब मैं आप को मिसाल देता

हूं उस वक्त जब कि पंजाब इकट्ठा था। 1935 के एक्ट के तहत उस वक्त किन लोगों को असेम्बली में रिप्रेजैंटेशन दी गई थी क्योंकि काऊंसल तो है ही नहीं थी। जनरल कंस्टीचूएंसीज़ के लिए तो कम्यूनल रिप्रैजेंटेशन थी कि इतने हिन्दू, इतने सिख और इतने मुसलमान या ऐंगलो इंडियन्ज़ होंगे लेकिन जो स्पैशल कंस्टीचूएंसीज़ थीं उन में सब से ज्यादा रिप्रैजेंटेशन लैंड लार्डज़ को दी गई थी ताकि असैम्बली डिबेट्स में उन का नुकसान न हो जाए। तुमनदारों को जिसके माने किलेदार होता है जो कि सिर्फ डेरा गाज़ीपुर में थे और जो हाऊस आफ लार्डज़ के मैम्बरों की तरह बैठते थे उन की पांच सीटें थीं। फिर एक सीट कामर्स वालों को, एक यूनिवर्सिटी को, तीन सीटें लेबर को और चार सीटें औरतों की थीं। जब मैंने इस चीज़ का अनैलिसिज़ किया तो मुझे ऐसा ही दिखाई दिया जैसा कि इंग्लैंड में था। 1935 में पंजाब में वैसा ही इन्तज़ाम था जैसा कि उस वक्त इंग्लैंड में हुआ करता था। राजा को जब ज़रूरत होती थी तो वह कहता था बुलाओ लार्ड्ज़ को, बुलाओ पाद्रियों को, बुलाओ टाऊन्ज़मैन को। वह उन की सलाह लिया करते थे। उन दिनों में भी और आज भी हाऊस आफ कामन्ज़ वाले मेंबर जब हाउस आफ लार्ड्ज़ में जाते हैं तो उन की बहुत बेअदबी होती है। मैं इंग्लैंड की मिसाल इस लिए दे रहा हूं कि हमारे सामने कोई इंग्लैंड की मिसाल न रखे। जहां तक "स्पीकर" लफज़ का ताल्लुक है यह बहुत बेइज़ती का लफज़ है। हकीक़त यह है कि जब क्वीन या किंग ने एड्रैस करना होता है तो वह हाउस आफ कामन्ज़ में नहीं आते, वह हाउस आफ लार्ड्ज़ में जाते हैं। उस वक्त जो हाऊस आफ कामन्ज़ के 600 मेम्बर होते हैं वह डम होते हैं। उनके बिहाफ पर उनके सिर्फ एक रिप्रैज़ैंटेटिव को बात करने की अजाज़त होती है और उस का नाम है "स्पीकर" इस लिए स्पीकर किसी प्रैज़ीडेंट या चेयरमैन का नाम नहीं है। महात्मा गांधी ने राऊंड टेबल कांफ्रेंस में जाकर, जब वह इंडिया के रिप्रैज़ेंटेटिव बन कर गए थे, जो कुछ कहा था वह मैं अर्ज़ करता हूं। उन्होंने कहा था —

India did not need—He used the words 'do not'—services of a second chamber.

महात्मा जी ने तो फैड्रल गवर्नमैंट में भी सैकंड चैम्बर की ज़रूरत नहीं समझी थी। खैर, मैं फैड्रल गवर्नमैंट के सैकंड चैम्बर को इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहता, न उस के हक में न उस के खिलाफ। मैं तो सूबे की गवर्नमैंट को डिस्कस करता हूं, इस में कौन सी दलीलें हैं, कौन सी वजूहात हैं जिन के बेसिज़ पर दूसरे चैम्बर की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में तो हो सकता था जिस तरह लैंड लार्ड्ज़ और तुमनदारों को हक दिया था, उन को रिप्रैजेंटेशन दी जाती थी लेकिन आज के ज़माने में जब सोशलिज़्म लाने की बातें करते हैं तो सैकंड चैम्बर बना कर हम प्रोग्रैस को रिटार्ड करने वालों को क्यों रिप्रैज़ेंटेटिव्ज़ बनाएं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप मेरे गवाह होंगे कि इस असैम्बली ने कितने भद्दे से भद्दे कानून बनाए हैं। मैं सिर्फ Consolidation of Land Holding Act की मिसाल देता हूं। इस में जितनी अमैंडमैंट्स आई है अगर किसी और आज़ाद या प्राग्रैसिव मुल्क में इतनी अमैंडमैंट्स आएं तो वहां की लैजिस्लेचर के लिये सब से ज्यादा शर्म की बात होती है। खैर, मैं समझता हूं इनसान का काम है उस से गलतियां होती हैं।

[बाबू बचन सिंह]

मगर एक बात मुझे बताएं हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब कि कभी Consolidation of Land Holdings Act पर कोई तरमीम अपर हाउस ने की है। जब उन का यह फंकशन ही नहीं है, जब उन का काम सिवाए अयाशी के, मौज मेले के, या सिवाए इस के कि वह यहां इकट्ठे हों और वज़ीरों का फेवर्ज़ जिन के लिए राज दरबार हमेशा मशहूर हुआ करते हैं, हासिल करने में ही लगे रहें तो फिर ऐसे सैकंड चैम्बर की क्या ज़रूरत है ?

(Pandit Chiranji Lal Sharma, a member of the Panel out Chairman in the Chair)

मैं एक लैजिस्लेशन की बात नहीं करता, आप पंचायत समितीज़ और जिला परिषद् एक्ट को ले लें, इस में भी अपर हाऊस वालों ने कभी ऐसी तजवीज़ नहीं की जिस पर हम को इखतलाफ हो। अगर उन का काम हां में हां मिलाने का ही है तो उस के लिये एक और बड़ा अच्छा तरीका है। हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब को वह बात अच्छी लगे तो वह भी पुराने दरबारों की तरह कर लिया करें। ज्वायंट पंजाब में एक फिनांस मिनिस्टर बने थे। वह लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में गए और वहां उन्होंने सब दरबारियों को बुला कर बड़ा दरबार सजाया। उसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब को भी अगर शौक है तो उसी तरह दरबारियों की एक मीटिंग रख लिया करें। उस से उन की शान भी बन जाया करेगी और सूबे पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूं कि वह कहेंगे कि इस की बहुत ज़रूरत है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस की कम्पोज़ीशन बताता हूं। इस में 18 मेंबर तो हम भेजते हैं। देखो यह कैसा मज़ाक है। अगर हम यहां बैठ कर विचार नहीं कर सकते तो वहां क्या खाक विचार करेंगे। मैम्बर तो वही हैं जो यहां पर बहस करते हैं। वही मैम्बर हैं जो इस असैम्बली में बहस करते हैं और वही मैम्बर यानी उन के नुमाइंदे वहां जाकर बहस करते हैं। आखिर यह मजाक नहीं तो और क्या है ? फिर आप देखें 17 मेम्बर म्यूनिसिपल कमेटियों, समितियों और ज़िला परिषदों के वहां जाते हैं। आप बारे बारे जाएं इस सरकार के कि इसने इन लोकल बाडीज में बी. डी. ओज. और एस. डी. एमज. को वोट का हक दिया है। मैं कहता हूं कि इस सरकार को इस बात पर शर्म से डूब मरना चाहिए कि इस डैमोक्रेसी के ज़माने में इस ने नौकरशाही को वोटिंग का हक दिया कि बी. डी. ओज. और एस. डी. एमज. हमारे लिए फैसला करें कि कौन कौन्सल में जाएगा और कौन नहीं जएगा। इसी बात पर आप फखर से कहते हैं कि हम बहुत बड़े डैमोक्रेट हैं ? मैं कहता हूं कि लोकल बाडीज़ के यह 17 नुमाइंदे दर असल लोकल बाडीज़ के नुमाइंदे नहीं हैं बल्कि यह तो बी.डी. ओज और एस. डी. एमज़. के थम इम्प्रैशन्ज होते हैं। वह पुरानी सरकार जिस का सफाया होने पर मुझे न कोई दुख है और न मैं उस के लिए कोई आंसू बहाना चाहता हूं उसकी यह बदनियती थी कि उस ने इन सरकारी नौकरों को वोटिंग का हक दिया। अब आप यह भी गौर फरमायें कि यह लोकल बाडीज़ के नुमाइंदे किस तरह के होते हैं। हमारे लुधियाना शहर की आबादी सैंसिज़ के मुताबिक कोई 2 लाख 64 हजार के करीब है और हमारे साथ ही एक कसबा रायेकोट है जिस की आबादी 10/11 हज़ार है। लेकिन आप गौर फरमायें कि हमारी लुधियाना शहर की 2 लाख 64 हज़ार आबादी के 41 मेम्बर कमेटी के हैं और उधर राएकोट की थर्ड

कलास और पता नहीं फोर्थ कलास कमेटी के यहां की आबादी 10/11 हजार है 13 मेम्बर्ज हैं। अब आप देखें कि कौन सी किस्म का तनासब है कि 2 लाख 64 हज़ार आबादी के 41 मेम्बर्ज जाएं लेकिन 10/11 हज़ार की आबादी के 13 मेम्बर्ज जाएं। इसी तरह आप देखें कि डब्ल वोटिंग का हक दिया गया है। इस से ज़्यादा और क्या बुराई हो सकती है कि एक आदमी को कई कई वोटों का हक दिया गया है। एक दफा समिति के लिए वोट करे, फिर अगर वह टीचर है तो टीचर हलके के लिए भी वोट करे, अगर ग्रैजुएट है तो उस का भी वोट डाले और फिर कमेटी में भी वोट करे। अब और बात देखें कि इन 35 सीटों के बाद चार सीटें टीचर्ज़ और चार सीटें ग्रैजुएटस को दी हैं। मैं कहता हूं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि जो बड़े बड़े जमींदार और सरमायेदार हैं उन के लिए भी सीटें रख दें। मैं पूछता हूं कि अगर टीचर्ज़ को वोट का और अपने नुमायंदे भेजने का हक है तो फिर पुलिस वालों और महकमों के मुलाज़मीन को क्यों नहीं है? 30 हजार के करीब टीचर्ज को अगर हक है तो बाकी $2\frac{1}{2}$ लाख मुलाजमीन को क्यों नहीं है? आपने खुद यह तरीका अपना कर सरकारी कर्मचारियों को इस बात का हक दिया है कि वह लेजिस्लेशन में हिस्सा ले सकें। एक तरफ तो उन को आप यह हक देते हैं कि वह पालेटिक्स में हिस्सा लें लेकिन दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि यह सरकारी मुलाजिम पालेटिक्स में क्यों हिस्सा लेते हैं। मैं कहता हूं कि टीचर्ज़ का नुमाइंदा कौंसल में आता है तो यह तो नहीं कि वह सिर्फ टीचर्ज़ की बात ही करेगा और बाकी दिन मुंह में घुंघनियां डाल कर बैठा रहेगा। जो मेम्बर चुन कर आता है वह सिर्फ टीचर्ज का ही नहीं रह जाता बल्कि वह सारे पंजाब का होता है। और उसे हक है कि वह पालेटिक्स में हिस्सा ले। आप खुद उन को पालेटिक्स में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करते हैं। फिर आपने ग्रैजुएट्स को चार नुमाइंदे भेजने का हक दिया है। मैं पूछता हूं कि अगर कोई आदमी एफ़. ए. हो तो उस में कौनसी कमी रूनुमा हो जाती है और ग्रैजुएट हो कर उसे कौन से सुरखाब के पर लग जाते हैं? अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो इन चीफ मिनिस्टर साहिब को भी यहां नहीं बैठना चाहिए था क्योंकि वह ग्रैजुएट नहीं हैं। बहुत से मेम्बर भी ऐसे हैं जो ग्रैजुएट नहीं तो फिर उन को भी असैम्बली से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं पूछता हूं कि ग्रैजु-एट को कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो वह अपने चार नुमाइंदे अलैहदा तौर पर भेजें और बाकी न भेजें। इसी लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीकाकार को बन्द करो और डैमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट को अपनाओ। डैमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट यही है कि आदमी को एक वोट का ही हक हो और यह नहीं कि वह एक से ज़्यादा वोटिंग करे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिसका आजकल बहुत चर्चा है कि इस सरकार ने दिहातियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं भी इस बात से मुतफिक हूं। मेरा इस सरकार से मतलब कांग्रेस सरकार से है। राम किशन सरकार से नहीं है, इस के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। वह कैसे? वह मैं अर्ज करता हूं। एक तरफ तो यह सरकार कहती है कि इन

[बाबू बचन सिंह]

पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कोई लैजिस्लेटर और एम. पी. मेम्बर नहीं बन सकता और हम ने भी कहा कि ठीक है, नहीं बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप ने यह पाबंदी कमेटियों पर नहीं लगाई। मैं कहता हूं कि अगर इन कांग्रेस मैम्बरान में जुर्रत है तो इस बात की शहादत दें कि समितियों के मैम्बरान को अगवा किया गया शराब के दौर चलाए गए और अगली बात मैं नहीं कहता और यह बात असैम्बली के मुताबिक भी उड़ी है कि उनको औरतें भी सप्लाई की गई। (*shame, shame*) यह किस लिए हुआ? इस लिए नहीं कि समिति का मेम्बर बनने का बहुत शौक है बल्कि इस लिए कि समिति का मेम्बर बनने पर वह पंजाब पालेटिक्स में एक नुमाइंयां हैसियत रखता है। जो आज मैजारिटी में हैं वह कोशिश करते हैं कि हमारे ही मैम्बर आंयदा भी कौंसल में जाएं और कौंसल की सीटें काबू करने के लिए यह दौड़ धूप होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोकल बाडीज़ को पालेटिक्स में नहीं घसीटना चाहिए। यह तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटस के तौर पर ही चलने चाहिएं। इन का काम तो अपनी अपनी हदूद का सफाई, रोशनी, सेहत वगैरा बातों का इन्तजाम करने का ही होना चाहिए और यहीं इन के काम करने का सही मकसद है। लेकिन क्या वह इस तरीका से अपने इन फरायज़ को अदा कर सकती हैं जिस तरीका से कि आप इन बाडीज़ को चला रहे हैं? कभी नहीं। आज पंजाब में जरायम बढ़ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि गवर्नर साहिब के ऐड्रैस में हमेशा यह आंकड़े तोड़ मरोड़ कर दिए जाते हैं और सही तसवीर नहीं दी जाती। आज जितनी पंजाब में ला ऐंड आर्डर की हालत खराब है उतनी कभी नहीं हुई थी। आज पुलिस अफसर बड़े से बड़े जुर्म की रिपोर्ट लिखने की जुर्रत नहीं करते हैं।

Chaudhri Darshan Singh : The hon. Member is referring to law and order. I would submit that law and order has nothing to do with this Resolution.

Mr. Chairman : This is just a passing remark.

Chaudhri Darshan Singh : His entire speech is a passing remark.

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਇਹ ਵੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੈ (ਸ਼ੋਰ)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਥਾਂ ਇਕ ਦਫਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚੋਂ ਦਾਣੇ ਚੱਬ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਦੇ (ਹਾਸਾ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

चेयरमैन साहिब, मैं समझता हूं कि आनरेबल मेम्बर सोये पड़े थे इस लिए वह इंट्रप्ट करने लगे थे। मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त पंजाब में ला एंड आर्डर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आज के अखबार में आया है कि जिस गांव में सरदार प्रताप सिंह कैरों को कत्ल किया गया और उस के साथ तीन और आदमी भी कत्ल कर दिए गए थे, उस गांव का सरपंच श्री हर किशन लाल मौत का शिकार हो

गया। कोई कहता है कि उसे भी मार दिया गया है और कई लोग कहते हैं कि वह अपनी मौत मरा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि असलीयत क्या है । मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय जो सिस्टम चल रहा है, आया उस सिस्टम से कीड़े पैदा तो नहीं हो रहे हैं, बुराई तो नहीं पैदा हो रही है। क्या इस सिस्टम से नेकी पैदा हो रही है या नहीं। मैं समझता हूं कि इस वक्त अपर हाउस यूजलैस ही नहीं बल्कि बुराई पैदा करने का कारण बना हुआ है। इस का नतीजा ठीक नहीं निकल रहा है। इस सरकार को सरदार प्रताप सिंह कैरों जैसी आदत नहीं अपनानी चाहिए। वह तो हमेशा कहा करते थे कि जो कुछ कह दिया, बस हो कर रहेगा । वह काम करने से नहीं हटेगा ।

(इस समय डिप्टी स्पीकर ने कुर्सी सम्भाली)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि डैमोक्रेसी आफ कम्प्रोमाइज और डैमोक्रेसी आफ कानशेंस का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। जिस डैमोक्रैसी में आपोजीशन और रूलिंग पार्टी आपस में मिलकर डैमोक्रेसी को कामयाब करने के लिए काम नहीं करते हैं तो वह डैमोक्रैसी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती है । जिस वक्त यौरप में अपर चैम्बर्ज बने थे तो उन को बनाने का क्या कारण था। दुनिया में सब जगह उस वक्त अमीर और गरीब की लड़ाई जारी हो चुकी थी और इंगलैंड म तो खास कर लड़ाई आरम्भ हो चुकी थी। फ्रांस में इंकलाब आया था जिस के कारण वहां पर ज्यूडिशरी और ऐग्जैक्टिव सेपेरेट हुई थी। हमारे मुख्य मंत्री ने उन का हवाला दिया था। उसी तरह से यहां पर ज्यूडिशरी और एग्ज़ैक्टिव को अलैहदा किया लेकिन वह यह नहीं जानते कि उस वक्त इंकलाब आने से पापूलर लोग ही अपर हाउस में लिए गए थे। वहां पर वैस्टिड इंट्रेस्ट को कोई जगह नहीं मिली थी। और यहां पर अपर हाउस में वेस्टिड इंट्रेस्ट नहीं होना चाहिए। उस वक्त के हालात और आज के हालात मे बहुत फर्क आ चुका है। यहां पर कैबिनट का सिस्टम चालू हो गया है। हमारी सरकार ने कानून बना दिया है और यह कानून बहुत ही जरूरी है कि एक आदमी की दो स्त्रियां नहीं हो सकती हैं और एक स्त्री के दो आदमी नहीं हो सकते हैं। इस वक्त पंजाब में दो चेम्बर हैं। इस में असैम्बली बड़ा मियां है और कौंसल छोटा मियां है । यह बड़े और छोटे मिएं को खुश करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि दोनों को खुश नहीं कर सकेंगे। (सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों द्वारा विघ्न) मैं अर्ज कर रहा था कि आज के ज़माने में सैंट्रल रिसपांसिबिलीटीज़ कैबिनट की हैं। कैबिनट में सब से ज़्यादा जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर की है। कैबिनट लैजिस्लेटर्ज़ को जवाब देह है और लैजिस्लेटर्ज़ पब्लिक को जवाब देह हैं क्योंकि पब्लिक ने चुन कर यहां पर नुमायंदे भेजे हैं। इस हाउस में हर किस्म के नुमायंदे हैं। यहां पर स्वतंत्र पार्टी के नुमायंदे, जन संघ के नुमायंदे, अकाली दल के नुमायंदे, कम्युनिस्ट पार्टी के नुमायंदे, सोशलिस्ट पार्टी के नुमायंदे, लैंड लार्ड्ज के नुमायंदे, कैपीटलिस्ट के नुमायंदे हैं तो अपर हाउस को रखने को क्या जरूरत है ? यहां टीचर्ज, ग्रैजूएटस के नुमायंदे, डाक्टरों को रीप्रीजेंट करने के लिए

[बाबू बचन सिंह]

मेम्बर्ज और अन्नपढ़ भी मेम्बर्ज मौजूद है। ऐसा होते हुए कौंसल की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि दुनियां में नर या सपूत पुरानी लकीर के फकीर नहीं होते हैं। वह अपना नया रास्ता इख्तियार करते हैं। जो कपूत होते हैं वह पिछली लकीर पर ही चलना पसंद करते हैं। वह अपने पूवर्जो के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। मुझे एक बात याद आ गई है। मैं हाउस में बयान कर देना चाहता हूं कि किसी लड़की की शादी थी। उस घर वाले ने कुछ बिल्लियां पाल रखी थीं। उस नें सोचा कि यह बिल्लियां सब कुछ खराब कर देंगी। लड़की की माता ने उन को रखने के लिए टोकरा मंगवाया और उस के नीचे सब बिल्लियां रख दीं। उस टोकरे को खूब सजा कर रख दिया और शादी होने के बाद टोकरा उठा दिया। उस की नूंह आई। उस की लड़की की शादी होने लगी तो उस ने भी टोकरा मंगवाया। उस से पूछा गया कि यह टोकरा क्यों मंगवाया गया तो कहने लगी कि मेरी सास ने भी टोकरा मंगवाया था इस लिए मैं ने टोकरा मंगवाया है। चाहे उस टोकरे के साथ उस वक्त सम्बन्ध नहीं था। मुझे याद है कि कामरेड राम किशन ने बड़े जोर से कौंसल बनाने के लिए कहा था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि इंगलैंड में दो चेम्बर्ज़ हैं, फ्रांस में भी दो चेम्बर्ज़ हैं लेकिन उन्होंने उस वक्त यह नहीं कहा था कि 19 वीं सदी में कोई बिजली नहीं थी, कोई रेल नहीं थी. कोई तार को नहीं जानता था, कोई सिनेमा को नहीं जानता था और कोई हवाई जहाज़ को नहीं जानता था; इसी तरह से कोई भी एटम बम्ब को नहीं जानता था। अब यह चीजें इजाद हो चुकी हैं। इसी बिना पर 20वीं सदी में पालेटिकस में भी तबदीली आनी बहुत जरूरी है। पुराने पालेटिकस को रखने से कोई फायदा नहीं होगा। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस वक्त की निस्बत सूबे का कुर्रा हवाई कुछ महीनों तक बहुत अच्छा रहा लेकिन आजकल उस में बहुत गवार आ गया है। आजकल लोगों को बहुत शिकायतें हैं और लोगों में मायूसी छाई जा रहीं है। इस वक्त सरकार को चाहिए कि लोगों के जख्मों पर मरहम का ऐसा फाहा लगाया जाए जिस से लोगों को फायदा हो सके। हमारा पंजाब बहुत गरीब सूबा है। पंजाब गरीबी की वजह से तबाह हो चुका है। पंजाब के ऊपर जो ज्यादा बोझ पड़ा है, उस को कम करना चाहिए।

12.00 noon

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने सूबे में दो बातें आम देखी हैं। आज कल मेरे पास जो कोई लिफाफा आता है तो मेरा जी चाहता है कि उसे उठा कर दूर फैंक दूं। वह इस लिए कि वह कोई दस दफा इस्तेमाल हो चुका होता है और उस पर चेपी पर चेपी लगाई होती है। यहां पर इकानिमी होती है लिफाफों में, स्टेशनरी के मामल में। पिछले दिनों मेरे पास एक पुलिस अफसर ने कहा कि बाबू जी आप पुलिस वालों पर इतनी नुकताचीनी करते हैं लेकिन हमारे पास रोजनामचा नहीं है। हमारे पास कागज नहीं होते इस लिए हम मजबूर हो कर जो आदमी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आता है उस से कागज़ मंगवाते हैं। लुधियाना में एक माल अफसर होता था, वह अब रीटायर हो गया है, मैं ने यह बात उस से की तो वह कहने लगा कि आप यह क्या

बात करते हैं, हमारे पास इन्तकाल का रिजिस्टर नहीं है। ऐसी बातों में हमारी सरकार बहुत किफायतशुआरी करती है। जब किसी को नौकरी से बाहर निकालने का मौका आता है तो कुछ भंगी निकालते हैं, कुछ चौकीदार निकालते हैं और कुछ चपड़ासी निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे गरीब मुलाजिमों पर कुल्हाड़ा चलता है। जहां पर लिफाफों पर चेपियां लगाई जाती हैं। और स्टेशनरी में इतनी बचत की जाती है वहां पर लाखों रुपयों के खर्च वाले सफेद हाथी बांधने का क्या मतलब है सिवाए इस के कि वे लोग मिनिस्टरी के अपने परवरदा होते हैं। जैसे कि बर्नाड शा ने कहा था कि दुनिया में डैमोक्रेसी का यह कायदा है कि टेम्पटेशन दी जाती है जिस तरह से गधे को कैरट दिखा कर आगे आगे बढ़ने के लिए कहा जाए। इसी तरह से उन अपने लोगों को टैम्पटेशन दी जाती है कि बच्चू हम तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं, तुम्हें थपकी देते हैं, अगर इस बार नहीं आ सके तो अगली बार आ जाओगे, अगली बार नहीं तो उससे अगली बार आ जाओगे। मैं कहता हूं कि हमे इन चीजों से ऊपर उठना है। यह रेवोल्यूशनरी एज है। इस रेवोल्यूशनरी एज में आप ने देखा होगा कि पंजाब में कितनी तबदीली आ गई है। जिन लोगों के नाक में से बिच्छू गिरते थे उन की हालत मैं ने देखी है। वे लोग हाथ उठा उठा कर कहते हैं कि हाय रब्बा मैं मर गया। जिन के नाक से बिच्छू गिरते थे उन की स्पीच मैंने यहां पर सुनी और उन की हालत देखी। इस लिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप गरीबों का ख्याल नहीं करेंगे और गैर-जरूरी फालतू अखराजात को बंद नहीं करेंगे और लोगों की जरूरतों के मुताबिक नहीं चल सकेंगे तो अच्छा नहीं होगा। सैंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले ही बहुत सफेद हाथी हैं। उन से कहिये कि यह सफेद हाथी भी ले लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो पंजाब के दुखी लोगों के दिलों पर फाहा रखेंगे और उन की बधाई के मुस्तहक होंगे। अगर आप सूबे की हालत को बेहतर बनाने के लिए अपर हाउस को अबालिश करने की सिफारिश करेंगे तो लोग आप को स्पोर्ट करेंगे और आप को बधाई देंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन अलफाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन (कैथल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो रेजोल्यूशन हाउस के सामने पेश है उसे देख कर मुझे ताज्जुब हुआ कि असैम्बली ने इसे एडमिट कैसे किया। इस की वर्डिंग है : "This Assembly resolves that the Punjab Legislative Council be abolished forthwith." रीज़ाल्वज़ का मतलब होता है कि फैसला करती है.................

आवाज : उस में तरमीम हो चुकी है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : तरमीम बाद में आई है। जिस समय यह रेजोल्यूशन असेम्बली आफिस में गया में समझती हूं कि उस समय कानून के मुताबिक और संविधान के मुताबिक इस प्रस्ताव को हाउस में आने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। (विघ्न) जैसे यह एडमिट किया गया है उस के बारे में मुझे कुछ कहने का हक है। यह जो अपर हाउस बनाया गया है यह संविधान के तहत बनाया गया है। इस बात में पंजाब असेम्बली को कोई पावर नहीं है कि इस तरह का एक रेजोल्यूशन पास कर के अपर हाउस को अबालिश कर सके।

उपाध्यक्षा : यह रेज़ोल्यूशन स्पीकर साहिब ने एडमिट किया है इस लिए आप उन पर कोई रीफलेकशन न करें। आप रेज़ोल्यूशन पर बोलें। (I would like to draw the attention of the hon. Lady Member to the fact that this resolution has been admitted by the hon. Speaker, she should not, therefore, make any reflection on him. She may express her views about the resolution.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई रेज़ोल्यूशन स्पीकर साहिब के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है तो उस पर कोई मेम्बर एतराज कर सकता है। मैं इस पर आप की रूलिंग चाहता हूं।

उपाध्यक्षा : मैं पहले ही लेडी मेम्बर का ध्यान इस ओर दिला चुकी हूं। आप बैठिए। (I have already drawn the attention of the hon. Lady Member to this fact. He should please resume his seat.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : बहुत अच्छा जी, मैं इस तरह से न कह कर दूसरे तरीके से कहती हूं कि अगर यह रेज़ोल्यूशन पास भी हो जाए तो अल्टरावार्ज़ होगा क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। यह असेम्बली कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि कायदे और कानून के खिलाफ हो। हम जानते हैं कि असेम्बली और कौंसिल संविधान के तहत बनाए गए हैं इस लिये इस हाउस को बिल्कुल इस तरह का अख्तियार नहीं है कि कौंसिल को अबालिश कर सके। हां, यह बात मैं मान सकती हूं कि असेम्बली सिफारिश कर सकती है लेकिन जहां तक अबालिश करने का सम्बन्ध है . . . . (विघ्न) यह बात मैंने इस लिये शुरू की है क्योंकि मुझे ज़ाती इल्म है कि एक इसी तरह का रेज़ोल्यूशन हिन्दी रिजिनल कमेटी को भी अबालिश करने के लिये लाने की कोशिश की गई। लेकिन यह कहा गया कि चूंकि यह बात प्रज़ीडेंट की ताकत में है इस लिये वह बात मंजूर नहीं की गई। (विघ्न) जो केस है वह गलत है। बाबू जी ने कुछ बातें ऐसी कहीं कि जिन में कुछ वज़न मालूम होता है लेकिन जिन मैंबर साहिबान ने रेज़ोल्यूशन मूव किया या सैंकड किया, उन्होंने कुछ मोटिव इम्प्यूट किये। मैं उन का जवाब तो नहीं देना चाहती लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती हूं कि यह बात जो उन्होंने कही है कि हारे हुए और पब्लिक से ठुकराए हुए आदमी जो कि असेम्बली में नहीं चुने गए वे कोशिश करते हैं कि उन को कौंसिल में ले लिया जाए, यह बात गलत है। ऐसी बात आपोज़ीशन में तो ठीक होगी लेकिन ट्रेज़री बैंचों की तरफ यह बात ठीक नहीं है। क्योंकि कांग्रेस हाई कमांड ने फैसला किया था कि जो लोग असेम्बली में चुनाव हार जाएं उन को कौंसिल में नोमीनेट नहीं किया जाएगा। यह बात ठीक है कि उन को लोकल बाडीज़ के इलैक्शन के ज़रिए लिया गया है। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आप ऐसी बात न करें जिस से कन्ट्रोवर्सी पैदा हो जाए। (The hon. Lady Member should not state such things which may lead to controversy).

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन : मैं लोकल बाडीज़ के बारे में कह रही थी। (विघ्न) यह अपर हाउस इंगलैंड की कापी कर के नहीं बनाया गया, बल्कि इस को कायम करने की ज़रूरत समझी गई। आपोज़ीशन वालों की तरफ से कई बार एतराज़ उठाया गया है कि यहां पर हरिडली लैजिस्लेशन पास होती है। अगर वे मानते हैं कि यहां पर लैजिस्लेशन हरिडली पास होती है तो फिर वे यह बात भी समझें कि अपर हाउस में उस में रिवीज़न करने का मौका मिलता है। वहां पर हर बात की प्रास एंड कान्ज़ को देखा जाता है और छान बीन की जाती है। अगर अपर हाउस द्वारा किए गए काम की असैस्मैंट की जाए तो मालूम होगा कि बहुत से कानूनों में, जो कि यहां से पास करके वहां भेजे गए, उन्होंने बहुत ही इफैक्टिव तौर पर तब्दीलियां कीं। मुझे यह कहने में कोई गुरेज़ नहीं कि जो लोग पब्लिक में से नहीं आना चाहते थे, उन में कई ऐसे शानदार आदमी हैं जिन्होंने लैजिस्लेटिव कौंसिल में पहुंच कर लैजिस्लेचर की शान को बढ़ाया है। ऐसे आदमियों का लैजिस्लेचर में आना निहायत ज़रूरी होता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे अपर हाउस में तीन प्रकार के इलैक्टिड मैम्बर्ज़ को रिप्रिजैंटेशन दिया जाता है। उन की डायरैक्ट इलैक्शन तो नहीं है लेकिन इनडायरैक्ट इलैक्शन लोकल बाडीज़ की तरफ से, टीचर्ज़ की तरफ से और ग्रेजुएट्स की तरफ से होती है। मैं समझती हूं कि इस बात की बहुत ज़रूरत थी कि ये तीनों बाडीज़ अपर हाउस में अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजें। कई बार बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड आदमी होते हैं जो आम चुनावों में लड़कर विधान सभा में नहीं आना चाहते। ऐसे व्यक्तियों का लैजिस्लेटिव बाडीज़ में होना निहायत ज़रूरी होता है। श्री जग नाथ जी की तरफ से डाक्टर गोपी चन्द भार्गव जी की बाबत कहा गया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ है कि उन जैसी बुजुर्ग शखसियत का, जिन्होंने पंजाब की इस कदर सेवा की हो, इस तरह के शब्दों में ज़िक्र किया जाए। यह कहना कि उन को अपर हाउस में क्यों लिया गया ठीक नहीं था। मैं समझती हूं कि उन के वहां पर होने में हमारी लैजिस्लेचर की बड़ी शान थी। यह हमारे सूबे की शान थी उन जैसे तजरुबाकार, लायक और ऐसे व्यक्ति को अपर हाउस में लिया गया जिन का ऐड-मिनिस्ट्रेशन में बहुत तजरुबा था (विघ्न) खैर, मैं इस मौके पर इन बातों की तफसील में नहीं जाना चाहती लेकिन इतना ज़रूर कहूंगी कि टीचर्ज़ के, ग्रेजुएट्स के जो प्रतिनिधि इस हाउस में आए हैं उन की सुजैशंज़ से हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी गवर्नमेंट को काम करने में बहुत मदद मिली है।

मैं इस बात को ज़रूर मानती हूं कि जो असेम्बली की तरफ से या गवर्नर साहिब की तरफ से नामीनेशंज़ होती हैं उन में जिस नुक्तानिगाह को सामने रखा जाना चाहिये था वह नहीं रखा गया। जब लैजिस्लेटिव कौंसिल बनी थी तो उस वक्त यह निश्चय किया गया था कि इस के अन्दर ऐसे लोगों को नामीनेट किया जाया करेगा जो प्लैनिंग में, ऐडमिनिस्ट्रेशन, में, आर्टस और साईंस में माहिर होंगे, अच्छे इकानोमिस्ट होंगे ताकि लैजिस्लेचर के मयार को ऊंचा किया जाए। मैं नहीं कह सकती कि किन हालात की वजह से ऐसे आदमियों को यहां पर रिप्रिजैंटेशन नहीं मिली है। लेकिन मैं समझती हूं कि आगे आने वाले ज़माने में हम यह बात देखेंगे कि जो मुख्तलिफ सबजैक्ट्स में ऐक्सपर्टस यहां पर आना डिज़र्व करते हैं और

[श्रीमती श्रोम प्रभा जैन]

जो लोग महज़ इलैक्शन लड़कर असेम्बली में नहीं आना चाहते उन्हें ज़रूर इस में रिप्रिज़ैंटेशन मिलेगी और इस प्रकार हम अपर हाउस को एक परफैक्ट हाउस बना सकेंगे। जहां तक इस की उपयोगिता का सम्बन्ध है, मैं समझती हूं कि जिन विचारों को सामने रखकर इसे कायम किया गया था अगर उन को सही तौर पर निगाह में रखा जाए तो कोई वजह नहीं कि यह और भी ज़्यादा कन्ट्रीब्यूशन हमारी लैजिस्लेचर में न कर सके, ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में नुमायां हिस्सा न डाल सके और इसकी कमज़ोरियों को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब न हो सके।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस 'रैजोल्यूशन पर बोलने के लिए खास तौर पर इसलिए खड़ी हुई हूं कि जहां तक खर्च में इकानोमी करने का सवाल है, पंजाब राज्य की व्यवस्था को चलाने का सम्बन्ध है उसके लिये अपने सुझाव आप को दे सकूं। हमारे यहां दो रिजनल कमेटियां हैं। एक हिन्दी रिजनल कमेटी और दूसरी पंजाबी रिजनल कमेटी। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर हमें इस बात के लिये मौका नहीं मिलता कि उन को खत्म किए जाने के लिये कोई रैजोल्यूशन मूव कर सकें वरना मैं समझती हूं कि इन को तोड़कर बहुत ज्यादा इकानोमी की जा सकती है। इन दोनों रिजनल कमेटियों और फिर आगे उन की सब-कमेटियों की मीटिंग्ज़ आदि पर हमारे पंजाब का लाखों रुपया हर साल खर्च होता है। आप देखें कि चाहे वह रिजनल कमेटीज़ हों या उन की सब-कमेटीज़, आखिर उन की क्या कन्ट्रीब्यूशन अब तक हुई है? आप को पता है कि कई बार कमेटीज़ की मीटिंग्ज़ को इस लिए ऐडजर्न करना पड़ा क्योंकि वहां पर कोरम ही पूरा नहीं था। कितने अफसोस की बात है कि जिम्मेदारी का जो काम हमें सौंपा जाता है वह हम नहीं करते हैं। मैं समझती हूं कि जिस मकसद के लिये यह रैजोल्यूशन पेश किया गया है वह बहुत हद तक अपने आप पूरा हो जाएगा अगर रिजनल कमेटीज़ को खत्म करने के लिये हम केन्द्रीय सरकार से और प्रेज़ीडैंट साहिब से मांग करें। आखिर इन रिजनल कमेटियों में कोई नई बात तो है ही नहीं। वही मेंबर साहिबान वहां पर होते हैं जो कि इस हाउस के मेंबर हैं। वहां पर किसी दूसरी तरह से तो बातों पर विचार नहीं किया जाता। वही नुक्तानिगाह पेश किया जाता है जो कि वही मेंबर यहां पर करते हैं या कर सकते हैं। आखिर अपर हाउस में मेंबर तो दूसरे होते हैं। वह दूसरी तरह से, मुख्तलिफ तौर पर सोचते हैं। अपना अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। जो बातें यहां पर कही जाती हैं वही रिजनल कमेटीज़ में रिपीट होती हैं। बजाय डुपलीकेशन आफ वर्क के और कोई फायदा नहीं है।

उपाध्यक्षा : अगर आप रिजनल कमेटीज़ को नहीं रखना चाहतीं तो अपनी तरफ से कोई रैजोल्यूशन ले आएं। (In case the hon. Lady Member is not in favour of the Regional Committees being retained then she may bring in a Resolution.)

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन : वह टैक्निकल ग्राउंड्ज़ की वजह से ऐडमिट नहीं होता।

उपाध्यक्षा : आप भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगी ऐडमिट कराने की। (You send a notice of it. I shall make efforts to have it admitted.)

श्रीमती श्रोम प्रभा जैन : उस पर यह एतराज किया जाता है कि ये कमेटियां प्रेज़ीडैंट के आर्डर के तहत बनाई गई हैं इसलिये ऐसा रैजोल्यूशन ऐडमिट नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य : आप ऐसा रैज़ोल्यूशन ले आइए। आखिर हम यहां से रिकमैंडेशन तो प्रैज़ीडैंट को भी कर सकते हैं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : इन शब्दों के साथ मैं आनरेबल मेंबर साहिबान से निवेदन करूंगी कि हमें अपर हाउस का विरोध नहीं करना चाहिये। हां, जहां तक इस की कम्पोज़ीशन का तरीका है उस में कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली ला सकें और अपर हाउस के अन्दर ऐसे योग्य व्यक्तियों को ला सकें जो प्रदेश के लिये खास तौर पर कन्ट्रीब्यूशन करने वाले हों तो मैं समझती हूं कि कौंसिल का काम बहुत आगे बढ़ सकता है। इस लिये हमें इसी दिशा में कोशिश करनी चाहिये बजाए इस के कि इसे एबालिश करने की किसी प्रकार की सिफारिश करें। आप का धन्यावाद।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों (तरन तारन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस प्रस्ताव पर बोलते वक्त काफी मुश्किलात का ही सामना करना पड़ेगा, खास तौर पर उस वक्त जब कि दोनों तरफ ही वजूहात हों.....इसको रखने के लिए भी और इसको हटाने के लिए भी। मैंने लैजिस्लेटिव कौंसिल के बारे में भी और रिजनल कमेटियों के बारे में भी अपने ख्यालात का इज़हार कई मौकों पर किया हुआ है लेकिन ज्यूं ज्यूं हालात बदलते जाते हैं, कुछ आयनी तौर पर आपस में काफी ऐसी बातें हो रही हैं जिन की वजह बयान की नहीं जा सकती और काफी टकराव मालूम देता है।

अपर हाउस दुनियां के मुल्कों में मौजूद भी हैं और हटाए भी गए। जो अपर हाउस का ख्याल था वह ब्रिटिश पार्लियामैंट से शुरू हुआ। लेकिन उस के पीछे जो खास बैकग्राउंड पिछले थी, उन के जो हालात थे वह हिन्दुस्तान के हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जहां तक उसके मुफीद साबित होने का सवाल है, वह दोनों ही हालातों में ठीक है, मुश्तरका हैं और एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। अपर हाउस होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, एक एकेडैमिक डिस्कशन भी इस मामला पर हो सकता है। यह एकेडैमिक डिस्कशन काफी देर से चलती जा रही है। सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि जहां जहां भी डैमाक्रेसी काम करती है वहां वहां इस सिलसिले में ऐकेडैमिक डिस्कशन चलती है।

लेकिन जहां तक अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर इस के रखने का सवाल है वहां हमें ऐकेडैमिक डिस्कशन के अलावा सही तौर पर अपने हालात को भी सोचते हुए देखना पड़ेगा। अपर हाउस जो हमारे यहां बना है उस का दुनियां के दूसरे मुल्कों में जो हाउसिज़ बने हुए हैं उन के साथ मुकाबिला करके देखें तो पता चलता है कि कहीं से कुछ लिया हुआ है, कहीं कुछ लिया है और मिल मिला कर हिन्दुस्तान के हालात के मुताबिक इसे यहां पर जोड़ने की कोशिश की गई। अगर हमने इसे रखना ही है और किसी तरह से यह फैसला करना है कि अपर हाउस होना ही चाहिये तो जिन हालात में वह बना, उसके बनाने वालों के दिल में जो जो बातें थीं, अपर हाउस को बनाने के पीछे जो स्पिरिट थी, कम अज़ कम उस स्पिरिट को तो कायम रखना ही चाहिये। अपर हाउस सब से पहिले इंग्लैंड में बना। इंग्लैंड के जो पुराने नोबल्ज़ थे उन के खिलाफ स्ट्रगल हुआ कामन्ज़ से और आहिस्ता आहिस्ता ज्यूं ज्यूं वक्त गुज़रता गया कामन्ज़ ने उन की जगह ले ली। बड़े बड़े नोबल्ज़ और पुराने खानदान के लोग वहां पर होते थे। लेकिन यहां पर हम ने अपर हाउस को कुछ एक इन्ट्रैस्ट्स के साथ जोड़ लिया कि इस में फलां फलां इन्ट्रैस्ट्स के लोग होने

[सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों]

चाहिएं। अपर हाउस के मैरिट्स और डीमेरिट्स की बड़ी बात यह है कि यह इस लिए बनाया जाता है कि कहीं लोअर हाउस में छोटी उमर के लोग न आ जाएं जैसा कि श्री जगन्नाथ आए हुए हैं या कई दफा जोश में या गरमी में कई फैसले जल्दी में किए जाते हैं या कई दफा वक्त की कमी की वजह से जैसा कि आप ने, डिप्टी स्पीकर साहिबा, देखा है कि यहां इस हाउस में जब कोई बिल पास होता है तो उस में हम कौमा या फुल स्टाप देना भूल जाते रहे हैं जो कि बाद में अपर हाउस से अमेंडमेंट्स के ज़रिए डाले गए या कई दफा किसी टैक्नीकल प्वायंट या जाबता की बिना पर यहां कोई चीज़ नहीं हो सकती तो वह वहां जा कर कर ली जाती है। इस लिए यह ज़रूरी है उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए अपर हाउस हो। (श्री जगन्नाथ की तरफ से विघ्न) शायद श्री जगन्नाथ अब ला पढ़ रहे हैं और हो सकता है वहां इन को यह सिखाया गया हो और उन के सामने वहां कालिज में यह सवाल आ सकता है और बहस हो सकती है कि अपर हाउस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि अगर वहां भी असैम्बली के नुक्ता निगाह से उस सवाल पर कहेंगे तो फेल हो जाएंगे क्योंकि वहां तो एकेडेमिक सवाल होगा और एकेडेमिक नज़रिया से अपर हाउस का होना ज़रूरी है और जो हमारा अपर हाउस है इस को बनाने वालों ने इसी नुक्ता निगाह से सोचा था और यह आहिस्ता आहिस्ता हिन्दुस्तान के बाकी सूबों में चला गया है और चल रहा है और इस से काफी फायदा भी है क्योंकि इस से कुछ बदसूरती भी दूर हो जाती है और इस से कई अच्छे चेहरे भी आ कर इस के अन्दर बैठते हैं और पुराने बुज़ुरग भी आ बैठते हैं। (हंसी) मैं समझता हूं कि हमारा जो अपर हाउस है इस का रिवाइज़िंग हाउस कहना चाहिए। बाबू जी ने कहा है कि टीचर्ज़ को पालिटिक्स में डालना एक गलत बात है। इस चीज़ में मैं उन से सहमत हूं लेकिन दुनियां में ऐसा कई जगहों पर चल रहा है और वहां यह समझा जाता है कि जो एजुकेटिड तब्का है या जो लिटरेरी लोग हैं और इन्टेलैक्चुअलज़ हैं उन को अगर लेजिसलेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो कोई हरज वाली बात नहीं। अगर कोई इकनामिक मसले पर लेजिसलेशन पास करनी हो या किसी सोशल मसले पर कोई कानून बनाना हो तो उन की राए फायदेमंद हो सकती है। मैंने आस्ट्रेलिया में देखा है कि वहां टीचर्ज़ एम. पीज़. हैं और वह गवर्नर या दूसरी और ज़िम्मेवारी की ऐसी पोस्टें होल्ड कर सकते हैं। यह सवाल एकेडेमिकली सोचने का है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सब से ज़्यादा हैरान इस बात से हूं कि यहां अपर हाउस की शक्ल भी बिगाड़ कर रख दी गई है, जिस की वजह से आपोज़ीशन की तरफ से इस की मुखालिफत की जा रही है और हमारी तरफ से भी काफी कुछ कहा जा रहा है। यह ख्याल आपोज़ीशन का भी है और हमारा भी है क्योंकि अपर हाउस का जो रीवाईज़िंग करैक्टर था, और जिसकी वजह से लोअर हाउस की जल्दबाजी से या लापरवाही से नाकिस लैजिलेशन होता था वह दूर किया जाय और अपर हाउस उसे ठीक करे। जो अपर हाउस का तजरुबे का करैक्टर था उस को मिनिस्टरीज़ और पोलीटीकल मुफाद के साथ जोड़ दिया है, क्योंकि फेल हुए हुए आदमियों को इस में बैक डोर से लाने का जो तरीका बना लिया गया है, इस

से वह कैरेक्टर खतम हो गया है और इस की वह शक्ल बिगाड़ दी गई है जो नहीं होनी चाहिये थी। अगर कोई मिनिस्टर इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि वह लोगों में पापुलर नहीं है तो उस को इस हाउस के ज़रिए लाने की कोशिश की जाती है। यहां भी हिन्दुस्तान के कई दूसरे सूबों में भी यह बात देखी गई है। कई जगह पर कई आदमी दो दो दफा इलेकशन में फेल हो गए हैं लेकिन उन को फिर भी बैक डोर से लाने की कोशिश की जाती रही है। इस तरह से कई आदमियों के साथ फेवरटिज़म की जाती है और कईयों की खासतौर पर सरप्रस्ती की गई है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूं लेकिन एकेडैमिक तौर पर इस के हक में हूं। अगर इस में टीचर्ज़ को चुन कर भेजा जाता है तो यह ठीक हो सकता है, या ग्रेजुएट्स में से चुन कर इस में भेजा जाता है तो इस बात की भी समझ आ सकती है और अगर इस में यहां इस हाउस के मैंबरों के ज़रिए चुन कर उस हाउस में कुछ मेंबर भेजे जाते हैं तो वह भी किसी हद तक ठीक बात है क्योंकि आखिर वह भी चुनाव के ज़रिये ही जाते हैं लेकिन इस में जो 6 आदमियों की नामीनेशन रखी हुई है यह पिछले सात आठ सालों में बिल्कुल एक ढोंग बना कर रख दिया गया है क्योंकि हमारे विधान में जो इस चीज़ के पीछे स्पिरिट थी यानी चाहिए तो यह था कि इस के ज़रिये आने तो चाहिये थे मैन आफ लैटर्ज़, आने चाहिये थे आर्टिस्ट्स आने चाहिये थे, रिटायर्ड तजुरुबेकार आदमी, आने चाहिये थे, कलाकार और लिटरेरी टेस्ट के आदमी इकानोमिस्ट और एकेडिमीशनज़ या साइंसदान, लेकिन उस स्पिरिट को बिल्कुल इगनोर किया गया है। हां, सिर्फ पहली दफा इस बात का ख्याल रखा गया था। सच्चर साहिब के वक्त एक सरदार ठाकुर सिंह, जो माने हुए आर्टिस्ट हैं, को नामीनेट किया गया था, फिर पंजाबी के बड़े मशहूर लिखारी भाई वीर सिंह को नामीनेट किया गया था जिस की लिखी हुई किताबों की सारा पंजाब इज्ज़त और कदर करता है। इसी तरह से राज्य सभा में किया जाता है और आप सब को पता है कि पृथ्वीराज, जो मशहूर कलाकार और मिसिज़ अरुंडेल हैं, को नामीनेट किया गया था, और कई दूसरे साइंसदानों को और साऊथ के तजरुबेकार लोगों को नामीनेट वहां पर किया जाता रहा है। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां तो पिछले सात आठ सालों में ऐसे वैसे आदमियों को अपर हाउस में नामज़द कर के जो इस के पीछे भावना थी उस को भी कुचल के रख दिया गया है। आप देखें कि किस तरह से यह सब होता रहा है। अगर किसी देवी जी ने किसी तरह से सिफारिश करवा ली तो अपर हाउस में ले आये।

उपाध्यक्षा : आप बीबियों की बात न करें, आप कलाकारों की बात करें। (The hon. Member should not discuss the ladies. He should better discuss artists.)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : डिप्टी स्पीकर साहिबा, बीबियां सब से बड़ी कलाकार होती हैं। मैं सारी बीबियों के बारे में नहीं कह रहा, फिर आप तो मेरी माता हैं और मैं आप की बड़ी इज्ज़त करता हूं। मैं तो चीफ मिनिस्टर साहिब से यह कहना चाहता हूं जो अब के चीफ मिनिस्टर हैं कि जो अपर हाउस के लिए नामज़दगी होनी हो वह उसी स्पिरिट से हो जिस भावना से हमारे विधान में इस की प्रोवीज़न की गई है। इस में साइंटिस्ट्स को नामज़द कर के लाना चाहिए, जो लिटरेरी आदमी हैं उन की एकेडैमिक खूबियों को देख कर उन्हें इस में लाना चाहिये, इसी तरह से आर्टिस्ट्स को और प्रसिद्ध समाज सेवक को लाना चाहिए और अगर ऐसे वैसे ही आदमी लाने हैं, जैसा कि पिछले सात आठ सालों में लाया जाता रहा है, तो यह गल्त चीज होगी।

[सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों]

बाबू बचन सिंह जी अपनी स्पीच में कुछ इधर उधर की बातों को ले आए थे और वह ला एंड आर्डर को भी इस बाहिस में ले आए । मैं उन से पूछता हूं कि उन्हें क्या खतरा हो सकता है, खतरा तो मुझ जैसे को हो सकता है जो मरहूम चीफ मिनिस्टर की जगह पर बैठा है बात यह है कि इस चीज़ का ला एंड आर्डर से ताल्लुक नहीं है, यह तो कांस्टीटयूशनल और पोलीटीकल मसला है और मैं समझता हूं कि इस लिहाज़ से अपर हाउस ठीक है, लेकिन मैं देखता हूं कि इस का काफी खर्च है क्योंकि 1964-65 के बजट के मुताबिक वोटिड हैड के नीचे इस के लिए 5 लाख के करीब रकम रखी गई हुई थी और चार्जड के नीचे 40 हज़ार तो इस तरह से यह टोटल कोई पांच लाख और 40 हज़ार हो जाता है और अगर अपर हाउस के मैंबरों से इतनी ही उम्मीद की जानी है कि वह कहीं कौमा या फुल स्टाप डाल दें तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ज्यादा है और अगर वह अपने तजुरुबे की बिना पर और अपनी काबलियत से हमें नई चीजें और नए कानूनी सुधार लाने के काबल हों तब तो उन पर यह खर्च किया ही जाना चाहिए । वह इस काबल ज़रूर होने चाहिएं कि विधान सभा से इख्तलाफ कर के कोई नई चीज़ विधान सभा के पास भेज सकें जो ज्यादा उपयोगी हो । यहां क्या होता है कि आखिरी दिन वहां पर बिल चले जाते हैं, प्रस्ताव चले जाते हैं और वहां से कौमा और फुलस्टाप लग कर या दूसरी कन्सीक्वैंशल चेंजिज़ हो कर वापिस आ जाते हैं । यह ठीक नहीं । उसका पूरा फायदा उठाया जाना चाहिये । वह हाउस सही मायनों में अपर हाउस बनना चाहिए । यह नहीं कि वह एक हारे हुए और बाहर फैंके हुए पालिटीशन्ज़ का अखाड़ा बन जाए ।

फिर यहां पर रिजनल कमेटियों का ज़िक्र किया गया । आप साहिबान, जिन्होंने कि कन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी है, जानते होंगे या जो ऐकेडैमिक तौर पर इस में दिलचस्पी लेते रहे हों, जानते होंगे कि यह जो थर्ड चैम्बर बनाए गए हैं यह कैसे रहें हैं । पहले असैम्बली फिर रिजनल कमेटियां और फिर अपर हाउस । मैं समझता हूं कि अगर कभी इन्होंने अपनी मर्ज़ी की तो यहां पर बिल आने और पास होने ही बन्द हो जाएंगे । यह शुक्र की बात है कि बजट और फिनांस इन के पास नहीं है । अगर यह भी इन के पास हों, जैसा कि मुतालबा किया जाता है, तब तो काम ही ठप्प हो जाए । यह सारा ढांचा ही एक ऐनामली है । ऐसा तजरूबा कुछ देर के लिये हन्गारी में किया गया मगर नाकाम रहा । फिर कहा जाता है कि यह तो यू. के. जैसी स्काटिश ग्रांट कौंसल की तरह की कमेटियां हैं मगर उन से मुकाबला ठीक नहीं । वहां पर Scottish Grant Council British पार्लियामैंट का हिस्सा है लेकिन अलग पुलिस, अलग चीफ सैक्रेटरी वगैरह हैं । एग्रीकलचर, फिशरी, लोकल बाडीज यह सब स्काटलैण्ड से अलहदा एडबबरा में हैं । इसी तरह नर्दर्न आयरलैंड का भी अलहदा प्रीमीयर वगैरह है । यहां पर क्या अलैहदगी है ? इन के ऊपर वही गवर्नर है । अगर दोनों डिसऐग्री करें तो बिना गवर्नर के सर्टीफाई करने के कोई बिल पास नहीं हो सकता । आप ने देखा कि ज़िला परिषदों के बिल के बारे में क्या हुआ था । मैं कहता हूं कि अपर हाउस और रिजनल कमेटियों वगैरह का ढांचा एक पंजाब के साथ मजाक है । कभी बिल उधर जाता है कभी इधर आता है बस इसी तरह से चक्कर पड़ते रहते हैं । रिजनल कमेटियों के बारे ओम प्रभा जी ने बात उठाने की कोशिश की मगर वह उठ नहीं सकी । मैं समझता हूं कि अपर हाउस और रिजनल कमेटियों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है । चीफ मिनिस्टर साहिब, अगर हम ने किसी

तरह से आल इंडिया पैटर्न के मुताबिक अपर हाउस को रखना है तो आप को इस का रिजनल कमेटियों के साथ ऐडजस्टमैंट करना चाहिये। रिजनल कमेटियों का इस तरह से डायरैक्ट क्लैश है ; या वह रहे या फिर वह रहें। अगर रिजनल कमेटियों को रखना है तो यह सारी चीज़ इस तरीके से की जानी चाहिए कि इन का आपस में क्लैश न हो। अपर हाउस बारे तो यह होना चाहिए कि इस में काबलियत और तजरूबे की ही बिना पर लोग आएं, ऐसे नुमायंदे आएं कि जिन को सही तौर पर ऐलडर्ज़ कहा जा सके, सायंस के माहर, आर्ट के माहर या इकनौमिक्स के माहर ही नौमीनेट किए जाएं, तब तो सही नुमायंदगी होगी वरना अगर वहां पर शक्लें ही दिखानी हैं तब यह नहीं रह सकेगा।

शिक्षा तथा स्थानय शासन मंत्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : आन ए प्वायंट आफ परसनल ऐक्सप्लेनेशन। आज जब मैं अपर हाउस में सवालों का जवाब देने गया हुआ था तो यहां पर मेरे बारे में एक सवाल आया था कि मैंने कितने क्लेम किये और मुझे क्या कुछ दिया गया है। उस वक्त कुछ दोस्तों ने शक ज़ाहिर किए कि गवर्नमैंट इस बारे में कुछ छुपाना चाहती है। इस लिये मैं तमाम साहिबान की इत्तलाह के लिये बताना चाहता हूं कि मैंने न पंजाब में, न दिल्ली में और न ही हिन्दोस्तान के किसी और कोने में एक फूटी कोड़ी के लिये भी क्लेम दिया और न ही मुझे कुछ मिला, चाहे मैं ने वहां पर कुछ छोड़ा था या नहीं छोड़ा था। मैंने कोई क्लेम नहीं दिया और न ही एक पाई भी वसूल की है। कुछ लोगों ने मुझ पर गंदगी उछालने की कोशिश की है इस लिये मैं सब की इत्तलाह के लिये कहना चाहता हूं। It is a part of the systematic campaign of vilification. अगर कोई मैंबर या कोई भाई यह ज़ाहर कर दे कि मैंने एक दमड़ी भी क्लेम के तौर पर ली है तो I will immediately quit the public life and this House.

चौधरी देवी लाल (फतेहाबाद) मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपर हाउस को डिजाल्व करने के बारे रैजोल्यूशन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ था मगर चूंकि अब श्री प्रबोध चन्द्र जी ने परसनल ऐक्सप्लेनेशन दिया है इस बारे अर्ज़ है कि यह तो गवर्नमैंट को देना चाहिये था हम ने तो उन से जवाब मांगा था। अब सवाल यह रह जाता है .....

उपाध्यक्षा : उस वक्त आप ने या किसी और साहिब ने कहा था कि अच्छा होगा अगर ऐजुकेशन मिनिस्टर साहिब इस बारे में कुछ कहते तो अब उन्होंने कह दिया है।

(At that time the hon. Member himself or somebody else had said that it would have been better if the Education Minister himself had cleared this point which he has done now.)

चौधरी देवी लाल : यह उन को ऐज़ मिनिस्टर कहना चाहिये था, यह तो उन्होंने परसनल ऐक्सपलेनेशन के पर कहा है। (विघ्न)

[चौधरी देवी लाल]

तो खैर, सरदार गुरचरन सिंह ने अपर हाउस को खत्म करने के लिये यह रैज़ोल्यूशन पेश किया है। इस बारे में बहन ओम प्रभा जी ने एक टैक्नीकल बात उठाई मगर उन को मालूम होना चाहिये कि इस बारे में एक अमैंडमैंट भी आ चुकी है कि यह हाउस इस बारे में सैंटर से सिफारिश करे। अब सवाल यह है कि यह अपर हाउस तो और जगह भी हैं पंजाब के अलावा। यह क्यों खत्म होने चाहिये ? मैं इस हाउस के इस लिये खिलाफ नहीं हूं कि इस पर 5 लाख 42 हज़ार रुपये से ऊपर खर्च होता है और वह ज़ाया जाता है या एक अरब और कुछ लाख रूपया ज़ाया जाता है। मैं इस वजह से इस रैज़ोल्यूशन के हक में नहीं हूं बल्कि इस लिये कि यह एक गलत चीज़ है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी कौमी जिन्दगी पर तीन बदनुमा धब्बे हैं, एक कम्यनलिज्म, दूसरा ब्लैक मनी और तीसरा हाई प्राइसिज़। मैं समझता हूं कि यह तीनों लानतें यहां पर इनडायरैक्ट इलैक्शन्ज़ की वजह से पैदा हुई हैं। अगर किसी ने डायरैक्ट इलैक्शन लड़नी हो तो उस में कम्युनिलिज़म नहीं आ सकता, ब्लैक मनी रखने वाला भी उस में नहीं जीत सकता और हाई प्राइसिज़ लेने वाला व्यापारी भी उस में कामयाब नहीं हो सकता। आप ज़रा उस हाउस में आए हुए मैंबरों को देखें; उन में आप को जनता ने जिन को डायरैक्ट इलैक्शन में पिछाड़ के रखा है वह आदमी मिलेंगे। मैं कुछ एक मिसालें देना चाहता हूं। श्री हंस राज शर्मा, जो पहले चीफ पार्लिया-मैंट्री सैक्रेटरी हैं, वह हैं जो जैनरल इलैक्शन में दस हज़ार वोटों से हारे थे। चौधरी अमर सिंह जो कि इलैक्शन कमेटी के मैंबर, ज़िला कांग्रेस कमेटी के प्रैज़ीडैंट थे और मरहूम चीफ मिनिस्टर के खासुलखास आदमी थे, हजारहा वोटों से हारे थे, मगर वह भी आज ब्लैक मार्किट और ब्लैक मनी के जोर से वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसी तरह और बड़े बड़े सरमायादार हैं, हां में हां मिलाने वाले हैं जिन की मैं मिसालें देना चाहता हूं ....

उपाध्यक्षा : चौधरी चांद राम भी तो हैं जो कि वहां पर वाइस चेयरमैन थे।
(Chaudhri Chand Ram is also one of them who was the Vice Chairman there.)

चौधरी देवी लाल : जी हां, मैं तो चन्द एक मिसाले दे रहा हूं, सब की ज़िक्र करने के लिये तो टाइम ही नहीं है। जहां तक लोक्ल बाडीज़ का ताल्लुक है वहां से कौन आया है ? राय साहिब कुन्दन लाल जो कि पंजाब के सब से बड़े लैंडलार्ड हैं और जो कि चीफ मिनिस्टर साहिब की बदौलत आज सिरसा में एक टैक्सटाइल मिल लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से बड़े दावे किये जाते हैं कि हरियाणा की तरक्की की जा रही है मगर मालूम हुआ है कि 80 लाख रूपया खज़ाने से लगेगा और सिर्फ 20 लाख वह खर्च करेंगे। सस्ती लेबर उन को मिलेगी सिरसा से, सस्ती कपास उन को वहां से मिलेगी और फायदा जायगा फिरोज़पुर। ऐसे आदमियों को लाया जाता है। जैनरल इलैक्शन में वह अबोहर से जनसंघ के टिकट पर हारे थे मगर आज वह अपर हाउस में अपने ब्लैक मनी के ज़ोर से बैठे हुए हैं। इसी तरह से लाला प्रेमसुख दास जी हैं जो कि वैद राम दयाल जी से हारे थे मगर लोक्ल बाडीज़ के नाम पर और ब्लैक मनी के बूते वह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। यह फिर ऐसे आदमी होते हैं जिन का और तो कुछ नहीं होता सिर्फ किसी बुरे वक्त पर खुशनूदी हासिल कर लेते हैं जैसे कि सरदार दसौंधा सिंह। पिछली दफा जब मैं इलैक्शन कमेटी का मैंबर था तो

हमारे मरहूम चीफ मिनिस्टर साहिब नहीं चाहते थे कि मेजर हरिन्दर सिंह, राव वीरेन्द्र सिंह या महाराज निहाल सिंह वगैरहा यहां पर आएं। मगर मैंने इस तरीके से केस को पुट किया कि वह न नहीं कर सके। मैंने कहा कि मेजर हरिन्दर सिंह तो आप के ही आदमी हैं, राव वीरेन्द्र सिंह को आप रोक नहीं सकते और श्री ए. सी. बाली के पास ट्रिब्यून का डंडा है, उन को आप कैसे रोकेंगे ? तो कहने लगे कि फिर आने दो। तो बाद में बोले कि "तूं जाण वी दे कि केहड़ी पार्टी है, टांगा पार्टी होवे जां कोई होर। कुज इहो जहे वी बंदे मैनूं चाहीदे ने, मेरी हां विच हां मिला सकण"। तो उस वक्त यह तरीका था बाहर से आदमियों को इम्पोर्ट करने का। (विघ्न) मैं तो किसी नाम की मुखालफित नहीं कर रहा बल्कि इस किस्म की मिसालें देना चाहता हूं कि किस आधार पर अपर हाऊस में लोगों को लिया जाता है।

चौधरी दरशन सिंह : आन ए पवाइंट आफ आर्डर, मैडम। मोहतरम चौधरी साहिब ने डिसकशन के दौरान अपर हाऊस के पर्टिकूलर मैंबरों को नेम किया है; क्या वह ऐसा कर सकते हैं ? I would like to know whether any hon. Member can name anybody and discuss him when he is not present in this House. We can discuss the Upper House as a whole but we cannot discuss individual persons sitting in the Upper House who cannot defend themselves.

उपाध्यक्षा : अच्छा हो अगर किसी मेम्बर का नाम न लिया जाए।
(It would be better if the hon. members of the Upper House are not mentioned by name.)

चौधरी देवी लाल : अपर हाउस के मेंबरों के नाम का यह ज़िक्र करते हैं लेकिन हम तो यह कहते हैं कि अपर हाउस सारे को ही खत्म करना चाहिये। (विघ्न)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। क्या कोई मेंबर किसी मेम्बर का नाम ले कर यह कह सकता है कि इसे चोर दरवाज़े से अपर हाउस में लाया गया है ? मैं इस बात पर आप की रूलिंग चाहता हूं ?

उपाध्यक्षा : मैंने पहले ही रूलिंग दिया है कि किसी मेंबर का नाम न लिया जाए। (I have already ruled that no hon. Member of the Upper House should be mentioned by name.)

चौधरी देवी लाल : मोहतरमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो अपर हाऊस को आधार के ब्यान कर रहा हूं इस लिये नाम लेना पड़ता है। मैं तो यह बता रहा था कि तीन बड़ी लानतें हैं—ब्लैक मनी, कम्यूनलिज़्म और हाई प्राईसिज़। तो यह लानतें किस ढंग से यहां पर आ रही हैं ? अगर नाम न लूं और मिसालें न दूं तो कैसे साबित करूं। खैर, अगर आप कहें तो मैं नाम नहीं लूंगा।

मैं तो अर्ज़ कर रहा था कि इस किस्म के मेम्बर हैं जिन्हें अपर हाउस में नामीनेट किया जाता है। जिनका न पंजाब से वास्ता न पंजाब की समाजी जिन्दगी से वास्ता और न पब्लिक लाइफ से ताल्लुक है; जैसे कि बहन सुमित्रा देवी और श्रीमती ज्ञान कौर हैं। (विघ्न) मैं यह बता रहा हूं कि डायरेक्ट इलैक्शन न कराने का क्या नतीजा निकलता है।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चौधरी साहिब से रिक्वैस्ट करूंगा कि वह किसी मेंबर का नाम ले कर मिसालें दें तो अच्छा रहेगा।

चौधरी देवी लाल : मैं ने नाम इस लिए लिये थे कि लोगों को पता लग सके कि अपर हाउस को रखना पब्लिक इन्ट्रेस्ट के खिलाफ है। मैंने तो तरीका बताया था कि किस तरह से अपने रिश्तेदारों को अन्दर लाने की कोशिश की जाती है। जहां पर डायरेक्ट इलैक्शन होते हैं वहां पर सही नुमाइन्दे आते हैं और जहां पर डायरेक्ट इलैक्शन न हों वहां पर सही नुमाइन्दे नहीं आ सकते ; ब्लैक मार्किटियर और चापलूस ही आते हैं। और फिर जितने ज्यादा चापलूस चीफ मिनिस्टर के गिरद हो जाएं उतना ही उसका दिमाग बिगाड़ देते हैं।

यह बात हमारी स्टेट तक ही बस नहीं, राज्य सभा में भी इन्डायरेक्ट इलैक्शन के कारण जिस किस्म का एलीमेंट आ गया है आपके सामने है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मौजूदा कांग्रेस का राज है और इन्होंने अंग्रेज़ को निकाल कर देश को आज़ाद करवाया तो, यह कहा करते थे कि हम राम राज लाना चाहते हैं, प्रजा का राज लाना चाहते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इन्होंने देश की बहुत भारी डिस्सरविस की है कि इस तरह से इन्डायरैक्ट इलैक्शन रख दिए हैं। इन्होंने नेशनल कैरेक्टर को इन्तहा तक गिरा दिया है। मैं इस की चंद मिसालें देता हूं। जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया और इसके साथ मुकाबले का वक्त आया तो बामडीला में 10 हज़ार की फौज ने हथ्यार डाल दिए। कितने शर्म की बात है। हमारा नेशनल कैरेक्टर इस कदर गिर गया है कि हम में बालडनैंस नहीं रही। यह वही नौजवान हैं जो किराया पर जर्मनी के खिलाफ लड़े और नाम पैदा किया और आज यह हालात है कि 100 की टुकड़ी नहीं कि जो घिर गई हो और कोई ख्याल न करे। एक दस हज़ार का बिग्रेड घिर जाए और हथ्यार डाल दें तो क्या हो? इन्होंने नेशनल कैरेक्टर को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप कहते हैं कि नाम न लूं।

मैं चंद मिसालें और देना चाहता हूं। हमारे यहां के जा इन से पहले गवर्नर थे उनको किस ढंग से यहां पर गवर्नर बना कर भेज दिया। क्योंकि वहां केरल में और कोई चीफ मिनिस्टर बनाना था। इसी तरह प्लानिंग कमिशन के डिप्टी चेयरमैन किस तरह से चेयरमैन बनाए गए? (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आप किसी गवर्नर या प्लानिंग कमीशन का नाम न लें, सिर्फ कौंसिल के बारे में ही अपने विचार दें। (The hon. Member need not mention any Governor or a member of the Planning Commission by name. He should confine himself to the discussion on the Punjab Legislative Council.)

चौधरी देवी लाल : मैं तो सिर्फ यह बता रहा था कि रूलिंग पार्टी इस तरीके से खरीदो फरोख्त करती है और भारी टेम्पटेशन दे कर हमारे चरित्र को बिगाड़ दिया गया है। आज अगर पाकिस्तान और चीन से हमारी लड़ाई शुरू हो जाए और मुझे आफर किया जाए कि तुझे सारे सूबे का सिपासालार बनाते हैं तो शायद मेरे दिल में भी इस तरह की मैल आ जाए। इस तरह हैवी कीमत दे कर लोगों को खरीद लिया जाता है। आप राज्य सभा की हालत देखें जिस में 8 तो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और 28 एक्स मिनिस्टर हैं। मैं उन का नाम नहीं लेता। सब से बड़ा डिफैक्ट जो राज्य सभा और अपर हाउस में है

वह आप के सामने है। इन्डायरैक्ट इलैक्शन का यह नतीजा है। हमें देश को जगाना चाहिये और अगर हम सही मायनों में चाहते हैं कि देश बरबादी से बचे और इस का नेशनल कैरेक्टर ऊंचा हो तो हमें डायरैक्ट इलैक्शन को खत्म करना पड़ेगा।

यहा सारी खामियां इन्डायरैक्टर इलैक्शन में हैं, जिन का कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। यह सब दोस्तों को मालूम ही है कि किस तरह ब्लाक समितियों के जो इलैक्शन हुये हैं इन में लोग आये हैं। एक एक मेम्बर ने छः छः हजार रुपये तक का खर्च किया। एक नहीं, मैं इस की बीसियों मिसालें दे सकता हूं। फिरोजपुर जिला के एक शख्स खड़े हुए। गांव का कोई आदमी साथ नहीं था। अपनी इलाकाई जबान से कहने लगे "थोडी वोट शोट रखीं, मैं तां मेम्बर बण के आ रिहा हां" उस ने 1,700 को वोटें खरीद की और मेम्बर ब्लाक समिति बन गया। मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि किस तरह हम लोगों को रिशवतें लेनी और देनी आ गई हैं और किस तरह से यहां पर मेम्बर बनाये जाते हैं। मेरे यह बात अच्छी तरह से नोटिस में आई है कि एक मेम्बर ने 10,000 रुपये दिए और मेम्बर बन. गया, एक ने 7,000 खर्च किये और मेम्बर बन गया। इस तरह से एक ने 5,000 खर्च करके मेम्बरी हासिल की। मैं नहीं चाहता कि उन अशखास का इस हाउस में नाम लिया जाये। (एक माननीय सदस्य) नाम तो लें : नाम के लिये मुझे रोक दिया गया है। आप यह सुन कर हैरान रह जायेंगे कि इन में से एक मिनिस्टर भी है ......।

मुख्य मन्त्री : On a point of order. Madam. Deputy Speaker साहिबा, चौधरी देवी लाल जी ने एक मिनिस्टर के मुतल्लिक कहा है कि उस ने इतने हजार रुपये दिये फिर मेम्बर बने मैं इस को चैलेंज करता हूं आप मुझे उस का लिख कर नाम दें।

उपाध्यक्षा : जो बात कामरेड जी ने कही है वह मुनासिब है। अगर आप के पास कोई ऐसी इनफर्मेशन हो तो आप लिख कर इन को बता दें। (The hon. Chief Minister has well Challenged. If the hon. Member has got any such information, he should give it in writing to the Chiet Minister.)

चौधरी देवी लाल : मैं यह बात लीडर आफ दी हाउस को बताना चाहता हूं कि मिनिस्टर कोई खुदा नहीं होता। हम भी मिनिस्टरों से कम नहीं है। हमारे अन्दर भी भूख है। मैं यह कह रहा था कि किस तरह से इस देश को खराब किया गया।

उपाध्यक्षा : पहले यह तो आप बतायें कि वह कौन है। (The hon. Member may please first let the House know as to who is that Minister.)

चौधरी देवी लाल : आप ने नाम लेना मना कर दिया है वरना मैं नाम भी ले देता। आप के कहने के मुताबिक मैं सारी बात उन के नोटिस में ला दूंगा।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : On a point of order, Madam ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

चौधरी देवी लाल : मेरा कहने का मतलब यह था, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि जितनी भी इलैक्शनें होती हैं इन में वोट्स फरोख्त होती है। राज्य सभा और असैम्बलियों की बात जुदा रही, जितने भी ब्लाक समितियों के मेम्बर बने हैं उन म बहुत

[चौधरी देवी लाल]
से ऐसे हैं जो रिश्वत दे कर आये। आप अंदाजा लगायें जब ऐसे आदमी अपर हाउस में अपने नुमायंदे चुन कर भेजेंगे तो क्या इन के स्वर में कोई फर्क आयेगा। हर जगह हर इलैक्शन में यही हाल है। मैं आप के सामने (* * * * * * * *)

Deputy Speaker : The matter regarding reference of Pakistan may please be expunged.

चौधरी देवी लाल : मैं फजूल खर्ची की बात कर रहा था। मैं अर्ज करूं कि जब 34 मिनिस्टरों में से कुछ के अस्तीफे मंजूर हुये तो उस वक्त 8 लाख का एक स्पेशल फंड था। वह सारे का सारा डिप्टी मिनिस्टरों की जेबों में गया—किसी को उस में से 800 रुपये मिलता था, किसी को 500 रुपये इस शकल में जाता था और खत्म हो गया। मैं कहता हूं जो कुछ भी मौजूदा सरकार में होता है वह सब रिशवत पर चल रहा है। अब आप इस तरह के आदमी तरह तरह की इलैक्शनों से लाकर इस लिए हाउसिज बना रहे हैं कि वह आयें और हमारी रहनुमाई करें। आज मुलक में इतनी हाई प्राईसिज हैं आप को चाहिये कि बढ़े हुए खर्चों को कम करें। इस लिये मैं इतना ही कहूंगा कि हम को चाहिए कि हम इस हाउस की तरफ से यह बात रिकमैंड करें कि हमें अपर हाउस की जरूरत नहीं है। इन इल्फाज के साथ मैं इस रेज़ोल्यूशन की हमायत करता हूं।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो रेज़ोल्यूशन हाउस के सामने आया है, इस में यह सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय सरकार विधान के अन्दर ऐसी तरमीम करे जिस से कि पंजाब का अपर हाउस ऐबालिश हो जाए। मैं उस को समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपर हाउस बनाते वक्त कुछ लक्ष्य हमारे सामने थे। 1.00 p.m. उनमें से एक बात यह भी थी कि कुछ ऐसे सूझबूझ वाले मैच्योर्ड व्यक्ति अपर हाउस के अन्दर आ जाएंगे जो कि लोअर हाउस से पास किए गए बिलों पर गंभीरता से विचार करके ऐसी चीजें दे सकेंगे जिन से कि विधान मण्डल के कामों के अन्दर आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन पिछले दस सालों का इतिहास देखने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि जो लक्ष्य अपर हाउस बनाने का था वह बिलकुल फेल रहा क्योंकि लोअर हाउस से गए बिलों पर उस ने कोई ऐसी अमेंडमेंट आज तक नहीं की कि जिस से यह समझा जा सकता कि इस के रहने की कोई जस्टीफिकेशन है।

ढिल्लों साहिब ने कहा कि हम कई दफा हेस्टली लेजिस्लेशन पास कर देते हैं और कहीं पर कौमा या फुलस्टाप छोड़ जाते हैं, तो उस को दुरुस्त करने के लिए अपर हाउस का रहना लाजिमी है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि क्या कौमा, फुलस्टाप की दुरुस्ती के लिए सैक्रेटेरिएट या एल. आर. का दफतर काफी नहीं हैं जो कौमा, फुलस्टाप की गल्तियां दुरुस्त कर सकें। यह बिल्कुल बोदी दलील है कि सिर्फ कौमा फुलस्टाप को दुरुस्त करने के लिए ही यह (* * *) रखना है।

एक बात और उन्होंने कही कि चूंकि इलैक्शन से सूझबूझ वाले आदमी आ ही नहीं सकते इस लिए अपर हाउस की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यह एक स्तर है जो

Note—Expunged as ordered by the Chair.

इस हाउस के इलैक्टिड मेम्बरों पर आयद होती है। क्या यहां पर बैठे हुए सभी मेंम्बर इमेच्योर हैं, बेवकूफ हैं, या उन के अन्दर सूझ बूझ ही नहीं है? अगर नहीं हैं तो सूझ बूझ वाले आदमी क्यों यहां पर नहीं जाते। इस का कारण इलैक्शन नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की गलत रवायत हैं जो कांग्रेस वालों ने डाली है। क्योंकि जब इलैक्शन होता है, तो वह थैलियों के मुंह खोल देते हैं और अनाप-शनाप रुपया खर्च करते है जिस में हर प्रकार का करप्शन शामिल होता है। लोंगो को खरीदा जाता है, परमिट दिए जाते हैं, कोटे दिये जाते हैं। शराब पिलाई जाती है, जश्न होते हैं जो एक आदमी भले ही वह विद्वान हो, सूझ बूझ वाला हो, इमानदार हो,अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वह इलैक्शन नहीं लड़ सकता। अभी बाइ-इलैक्शन में देखा गया कि किस तरह से ट्रकस इस्तेमाल किए गए, सड़कें बनाई गई, बनाने के वायदे किए गए, और शराब पिलाई गई। हर प्रकार की करप्शन जो भी संभव हो सकती थी, वह की गई तब जाके कांग्रेस जीती। जींद के अन्दर तो यहां तक हुआ कि एक फिकटीशश सड़क की चूने की लाईनिंग लगाई गई ताकि लोग यह समझे कि यह पार्टी चूंकि सड़क बना रही है इस लिए वोट इसी को देना है। इलैक्शन खत्म होने के साथ ही वह मिटा दी गई। इस तरह का तरीका कोई भी आदमी जो करप्ट नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि इसका नतीजा क्या होगा इसका नतीजा यह होगा कि यहां वही आदमी आ जाऐगा जो गुडा गर्दी को पनपने देगा और करप्शन करने में ऐक्सपर्ट होगा। इस चीज को अपर हाउस की ऐग्जिस्टेंस नहीं बचा सकती। अगर इस बात से बचना है तो कांग्रेस पार्टी को इस बात की कसम खानी चाहिए कि इलैक्शन के अन्दर रम एक बोतल भी शराब की नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस का काम तो यह है कि इनका श्रीगनेश भी बोतल से होता है और जीत भी बोतल से मनाई जाती है।

Deputy Speaker : Dont include all the persons please.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं ठीक कह रहा हूं। जनरल इलैक्शन के लिए कांग्रेस ने 18 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था। क्या आप समझते हैं कि यहां पर और लोक सभा में जितने मैम्बर बैठे हैं वे सब सिर्फ 7000 रु० खर्च करके बैठे हैं? नहीं। कांग्रेसवालों ने खुद बेईमानी की है, और हमें भी बेईमान बनाया है। फिर यह कहते हैं कि इलैक्शन पर 7000 रुपया ही खर्च करने की इजाजत है। आजकल कोई भी आदमी 7000 रु० में इलैक्शन नहीं लड़ सकता।

फिर यह कहते हैं कि जो नौमीनेट किये जाते हैं वह कलाकार होते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उनकी कलाकारी इस बात में होती है कि किसने कितनी झोली चुकी है। उनकी कला का यह मियार है। मैं कामरेड साहब से कहना चाहता हूं कि वह अगले इलैक्शन में मिसाल कायम करें कि कोई भी आदमी चुनाव में 7000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। और टिकट उन्हीं आदमियों को मिलेगा जो ठीक आदमी होंगे। तभी मैच्योर आदमी इलैक्शन में आ पायेंगे। और अगर फिर भी कोई मैच्योर आदमी इलैक्शन में नहीं आना चाहता और जनता के जीवन के साथ सम्पर्क निर्माण नहीं करना चाहता,

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

उनके साथ बैठना पसन्द नहीं करता, मिलना पसन्द नहीं करता, लेकिन फिर भी यह चाहता है कि जनता के भाग्य निर्माण की दिशाओं में असैम्बली में बैठ कर वह भाग ले तो ऐसे मच्योर आदमी की देश को बिलकुल ज़रूरत नहीं है। यह मैं ऐसे मैच्योर और कट आफ रहने वाले आदमियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वह यह सोचें कि अगर मैं किसी तरह पढ़ गया या मुझे कुछ तहजीब आ गई, इस का यह मतलब नहीं है कि हम लोगों से मिल नहीं सकते। इस का मतलब यह होगा कि हम अपने को सुपीरियर समझते हैं और इस देश के अंग में से अपने आप को काट कर अलग रखना चाहते हैं। ऐसे आदमी अपने को क्लासिज़ में से समझते हैं। ऐसे आदमियों को यहां हरगिज़ नहीं लाना चाहिए। अगर फिर भी हम उन की यहां लाने की आवश्यकता समझते हैं तो हम डैमाक्रैसी की जड़ों को काटते हैं। इसका मतलब यही होगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं और करनी चाहता हूं। यह सभी बातें करते हुए जिस ढंग से हम इस को चला रहे हैं वह इतना शर्मनाक है कि उस से न चलाना अच्छा है। यह कहते हैं कि मैच्युरिटी आएगी, उस के लिए वह अपनी राए देंगे। लेकिन बजट पर उन को वोट देने तक का भी हक नहीं है। एसैम्बली में सब से बड़ी बात अगर हम करते हैं तो वह बजट का पास करना होता है। उस वक्त हम एक एक पैसे पर झगड़ते हैं, कहते हैं कि यह पैसा यहां पर नहीं वहां पर खर्च होना चाहिए। फलां टैक्स लगना चाहिए फलां नहीं लगना चाहिए, डिवीज़न होती है, वोटिंग होती है मगर अपर हाउस के मैम्बर सिर्फ उस पर बहस ही कर सकते हैं। वह एक नए पैसे की कट मोशन पर भी वोट नहीं दे सकते। क्या यह दिमागी अयाशी है? अगर उन को वोट देने का अधिकार नहीं दिया तो यह क्या मखौल है? अब छः महीने हो गए हैं वहां पर चेयरमैन ही नहीं बनाया गया। इस से साफ ज़ाहिर होता है कि यह सीरियसली कुछ करना नहीं चाहते। इन का केवल एक ही असूल है जो कि बाबू बचन सिंह जी काफी डिटेल में बयान कर चुके हैं। जिन को हम ने हराया है, जिन पर लोगों को विश्वास नहीं है उन को रीहैबिलीटेट करने के लिये यह अपर हाउस बना रखा है। मैं कहता हूं कि सरकार को ऐसे इन्स्टीटयूशन्ज़ नहीं रखने चाहिए। अगर आप ने किसी आदमी को फायदा पहुंचाना है तो उस को वैसे पैन्शन दे दीजिए। ऐसे इन्स्टीट्यूशन के द्वारा यहां आप कुरप्शन को क्यों लाते हैं। जब अपर हाउस के इलैक्शन होते हैं तो एक एक सीट के लिये दो दो सौ कैंडीडेट्स आ जाते हैं। कुछ सरमाए दार तो 50/50 हज़ार रुपया खर्च कर के भी सीट लेना चाहते हैं। इस लिये यह एक ऐसा इन्स्टीटयूशन है जो कुरप्शन को उत्साह देता है। आप चाहें किसी असूल से किसी दृष्टिकोण से ले लो, चाहे व्यवहार को, चाहे आदर्श को ले लो, यह बात माननी पड़ेगी कि अपर हाउस की कोई ज़रूरत नहीं है। कंस्टीटयूशन में अमैंडमैंट करने में क्या मुशकिल पेश आती है जब कि अब तक इस में 19 अमैंडमैंट्स पहले हो चुकी है। अगर एक सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए हमें 20 वीं दफा विधान को अमैंड करने की सिफारिश करनी पड़ती है तो मैं कहूंगा कि जो साहिबान यहां बैठे हुए हैं वह यूनैनीमसली इस रैजोल्यूशन को पास करके सिफारिश करें। उस से सूबे का भला हो सकता है।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੜਾ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ । ਆਪੋ-ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਖਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ । ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਆਗਰਾ, ਮਥਰਾ ਤੇ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ । ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ 1962 ਦੇ ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਜਾਇਆ ਗਿਆ । ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੀ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੁਕ ਹੋਣ ਉਹ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਖਲੀਲ ਖਾਂ ਫ਼ਾਖ਼ਤਾ ਉੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ । ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜੇ ਉਸ ਨੇ 1949 ਦੀ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡੀਬੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਤਾ ਅਜ ਇਥੇ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦੇ । ਅਜ ਤੋਂ ਸਵਾ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਅਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਏਥੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਡਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

They are elders in experience. They are elders in knowledge. They are elders in intelligence. They are elders in age. They are elders in all respects.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣ । ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ 8 ਮੈਂਬਰ ਗਵਰਨਰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਡੀਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ:

It is most undemocratic in the age of democracy.

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਤੀਜੇ ਇਹ ਕਿ it is a burden on public exchequer.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਵ ਅਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਈਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਜਾਂ 2/3 ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀ-ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬਾ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 1949 ਦੀਆਂ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਅਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਪੁਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰੈਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਕੀ ਤੇ ਬਲਗੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸ ਦੇਣ ਜਿਥੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਛਡੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ, ਜਿਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਉਥੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਕੇ ਹਰ ਖਤਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ) ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਚ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਥੇ 1911 ਵਿਚ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਕਰਟੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਉਥੇ ਵੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ

ਉਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਉਥੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਪੁਛਿਆ।

> "There is a tradition " he writes, " that Thomas Jefferson some two years later, upon his return from France, was protesting to Washington against the establishment of two houses in the legislature. The incident occurred at the break-fast table, and Washington asked ' why did you pour that coffee into your saucer ?' To cool it, ' replied Jefferson .' Even so, said Washington, ' We pour legislation into the senatorial saucer to cool it."

Deputy Speaker : Pl.ase w.nd up now.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਚੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵੀ 1779 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਜ ਤਕ ਦੋ ਚੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਜੈਸੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕੰਸਿਲੀਏਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ............

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦਸੋ ਕਿ ਇਥੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਿਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। (The hon. Member should not make references of other countries. He may express his views as to whether there should be a second chamber. here or not and what is its necessity.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਰਰੇਲੇਵੇਂਟ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਅਨ-ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਅਨ-ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 18 ਮੈਂਬਰ ਉਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਚੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਟੇਲੈਂਟਿਡ ਆਦਮੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਬਲ ਟੇਲੈਂਟਿਡ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ 17 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ ਸਾਰੇ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਟੀਚਰਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗਰੈਜੂਏਟਸ ਦੇ ਜੋ ਚਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਨਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਲ ਨਹੀਂ। 8 ਮੈਂਬਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ।

It has been laid down that men of art, scientists and men of literature will be nominated by the Governor.

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ 5, 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਭੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ; ਦੀ ਗਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡੀਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ 10, 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਭੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਡੀਲੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾਂ ਭਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 154 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 80 ਜਾਂ 100 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ? (ਵਿਘਨ)

ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ 80 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। (ਵਿਘਨ)

ਮੈਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਅਲਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਨੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਲਾਊਂਸ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸ ਚੈਕਰ ਉਤੇ ਬੋਝ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ?

In the end I would say that the Upper House consists of men of ability and it represents Teachers and Graduates. I would, request Sardar Gurcharan Singh to either withdraw the Resolution or he knows the fate that it is going to meet.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ (ਧੂਰੀ. ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਾਫੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰ

ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1964 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੀ ਮਿਹਰ ਚੰਦ ਅਹੂਜਾ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 1949 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਚੈਂਬਰ ਕਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ KT.Shah, Hanumanthaya and Challihia ਭੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਥੋਈਆ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ. ਟੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ..................

"where democracy is in working order as an effective machinery of Government the only use of Second Chamber is to delay or to obstruct legislation-popular will eventually to prevail."

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸ੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਥੋਈਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ 2 ਹਾਊਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

"Both Houses in majority—that decision will go through both the Houses."

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਜੋ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ....

"......when there is a Governor in the province and a President at the Centre, who is empowered to send back the carelessly enacted bills for revision what is the fun of Second Chamber ?"

She further said —

"......We should get rid of as speedily as possible, not at the initiative of the votes of both Houses in the provinces but according to the desire of the Lower House Alone ."

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈਸਟਿਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਲਿਹਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਅਗਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵ੍ਹਿਪਸ਼ ਇਸੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ? ਚੌਧਰੀ ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । ਟੀਚਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਈਡਿਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਕ ਭੀ ਚੰਡੀ-ਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਅਫਸਰਜ਼ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯੂਨਿਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਨੌਲ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਗਾਗਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਥੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਬੁਲਾਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਊਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 51 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज नान आफिशियल डे पर जो प्रस्ताव सरदार गुरचरन सिंह जी ने हाउस में पेश किया है उस का मकसद यही है कि जनता के साथ सीधा सम्पर्क रखने वाली बाडी कायम की जाए क्योंकि जनता के द्वारा न चुने जाने वाले अदारे सही तौर पर जनता की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। उन को जनतन्त्रीय अदारे नहीं कहा जा सकता। जनता की सही तौर पर नुमाइंदगी वही अदारा कर सकता है जो कि जनता के द्वारा चुना गया हो। इस तरह का प्रस्ताव विधान सभा को पास कर के केन्द्रीय सरकार को भेजना चाहिये ताकि लोगों पर इस बात

का अच्छा असर पड़े। देश के अन्दर जितने भी सूबों में अपर हाउस बने हुए हैं उन सब में यह अबालिश होने चाहियें। राज्य सभा, विधान परिषद या जो ज़िला परिषद हैं या ब्लाक समितियां या पंचायत समितियां हैं यह सब इसी प्रकार के अदारे हैं और इन को बन्द करना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जिस अदारे के लिये जनता सही चुनाव या सीधा चुनाव नहीं करती वह जनता की रहनुमाई नहीं कर सकता। जिन लोगों को जनता पसंद नहीं करती, जिन को जनता ठुकरा देती है और अपना वोट नहीं देती उन को इस योग्य नहीं समझती उन्हीं लोगों को इन परिषदों में ला कर बैठा दिया जाता है। वे लोग कहते हैं कि देखो तुम ने हमें नहीं चुना लेकिन हम इस के बावजूद भी आ गए। यहां पर एक गांव की मिसाल दी गई है कि वहां के लोगों ने एक आदमी का साथ नहीं दिया लेकिन वह अपने पैसे के बल बूते पर दूसरे गांव से वोट ले कर नहीं बल्कि खरीद कर समिति का मैम्बर बन गया। यह गैर आइनी तरीका है। इस को बंद करने के लिये सर्व समिति से सदन को इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए। इस के खिलाफ कई सज्जनों ने अपने अपने ढंग से तर्क दिये। अगर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी केवल अंग्रेजी से जानकारी रखने को ही योग्यता समझते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर यह विधान सभा के चुनाव भी बन्द कर दिये जाने चाहियें। इस देश के अंदर अंग्रेज़ी पढ़े लिखे बहुत से वकील हैं, उन को ही सारे अदारे सौंप देने चाहियें। वे लोग कानून को भी जानते हैं मुकदमों के अंदर हेरा फेरी करना भी उन को बहुत ज्यादा आता है। आप ऐसे ही लोगों को काबिल समझते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को काबिल नहीं समझता। मैं तो उन लोगों को काबिल समझता हूं जो कि इमानदार हों। हमारे देश के अंदर चालाक तबका सब अदारों पर काबिज़ हैं, वे इमानदार नहीं। वे लोग कहां पर ब्लैक करते हैं, कहीं पर रिश्वत चल रही है, कहीं पर स्मगलिंग हो रही है और इस प्रकार गरीबों को तबाह किया जा रहा है। कहीं पर मुज़ारों को उजाड़ा जा रहा है.......

उपाध्यक्ष : आप कोई बात अपर हाउस के बारे में भी कहें। (The hon Member should also say something about the Upper House)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपर हाउस के बारे में ही कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यहां पर कितनी बार ज़मीन के बारे में कायदे और कानून पास कर के विधान परिषद को भेजे गए लेकिन फिर भी उन में आये दिन अदला बदली होती रही। अगर उन में काबलियत होती तो एक ही बार क्यों नहीं उन्होंने अच्छी तरह से छान बीन कर के सही कानून पास किया और अपनी छाप लगाई? उस में बार बार संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात गलत है कहा जाता है कि वे लोग काबलियत के भंडार वहां पर बैठे हैं। अगर इमानदारी से उन को चुना जाता तो उन में हरिजन भी होते और उन में स्त्रियां भी आतीं, बहनें भी आतीं। उन में हरिजन नहीं हैं केवल ऊंची जाती के लोग हैं। यहां पर बहनों का जिक्र किया गया तो आप ने कहा कि बहनों का जिक्र न करो। क्या पंजाब में काबिल स्त्रियां नहीं हैं? क्या हरिजनों की स्त्रियां काबिल नहीं हैं? क्या पंजाब में खानाबदोशों की स्त्रियां काबिल नहीं हैं? अगर इमानदार लोग अपर हाउस में हों तो वे लोग इमानदारी से काम करें और उस का फायदा जनता को

[चौधरी नेत राम]

पहुंच सके। वहां पर तो चंद लोगों के चुने हुए नुमायंदे हैं जिन को जनता ने धुतकारा हुआ है, जिन को जनता ने ठोकर मार दी कांग्रेस के लोगों को, उन को वहां पर बैठा दिया गया है, यहां पर डाक्टर गोपी चन्द की मिसाल दी गई............(विघ्न).... वह चुनाव में खड़े हुए और अपनी ज़मानत उन्होंने ज़बत करवा ली (विघ्न)।

उपाध्यक्षा: मेम्बर साहिब को किसी का नाम नहीं लेना चाहिए।
(The hon. Member should not mention anybody by name.)

चौधरी नेत राम: मैं यह कह रहा हूं कि ऐसे आदमी को जिस की ज़मानत भी जब्त हो गई मिनिस्टर बना कर फिर जनता के सिर पर ठूंस दिया। (विघ्न) जब तक इमानदार आदमी आगे नहीं आएंगे उस वक्त तक गरीब जनता का दुख दूर नहीं हो सकता। हमारे देश में स्पेसीफीकेशन के मुताबिक काम नहीं होता। एक चालाक इंजीनीयर कहता है कि फलां जगह पर कच्चा कंकर भर दो तो दूसरा कहता है कि नहीं, पक्का भर दो; तीसरा चालाक आदमी कहता है कि कच्चा और पक्का दोनों मिला दो ताकि पता ही न लगे। क्या आप इसी बात को काबलियत कहते हैं? क्या आप के नुकता निगाह में जो आदमी सब से ज्यादा चालाक हो वही सब से ज्यादा काबिल होता है? मैं तो कहता हूं कि हमारे देश में मिलावट करने वाले या इस तरह की बेइमानी करने वाले को सब से ज्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि लोग मिलावट करने से बाज़ आएं। खाने वाली चीज़ों में मिलावट होने से बहुत से लोग उन को खा कर न सिर्फ बीमार ही हो जाते हैं बल्कि मर भी जाते हैं। लेकिन यहां पर काबिल उन लोगों को समझा जाता है जो चालाकी से परमिट हासिल करने वाले हों, चलाकी से कोटे हासिल करने वाले हों, चालाकी से लाइसेंस हासिल करने वाले हों। ऐसे चालाक लोग आज यहां कौंसिल के मेम्बर बन जाते हैं। उन के सिवाए यहां पर और कोई नहीं।

पीछे हमारे यहां सरदार प्रताप सिंह कैरों मुख्य मंत्री हुआ करते थे। उन दिनों उन्होंने कई कमेटियां बनाई। कई एडवाइजरी कमेटियां बनाई। सलाहकार कमेटियां बनाई। बिजिनेस कमेटी और दूसरी कमेटियां नियुक्त कीं। उसी तरह से आज भी नई नई किस्म की कमेटियां बनाई जा रही हैं और उन्हीं कुरप्ट लोगों को उन कमेटियों का चेयरमैन बनाया जाता है। हरियाणा के लिए विकास योजना बनाने के लिए, उस इलाके की तरक्की की बाबत सोचने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। उस में भी वही लोग लिए गए हैं जिनकी जनता ने जमानत जब्त करवाई है, जिन को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। उस के अन्दर न तो कोई स्त्री ही है और न कोई हरिजन, जिन में काबलियत है, जिन में इमानदारी है। लेकिन यहां पर भी चालाकी और बेईमानी को ही काबिलयत का मयार रखा गया है। मैं पूछता हूं कि जब आप ने चालाक और बेईमान आदमियों को ही हर जगह पर लाना है तो क्यों नहीं हकूमत की सारी बाजरे इस किस्म के लापढ़े हुए, चालाक और बेईमान लोगों के हाथ में देते (विघ्न)।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आखिर चीन के हमले के वक्त नीफा और लादाख में जो हमारी बुरी हालत हुई वह क्यों हुई ? (घंटी) वह इस लिए कि सिपाहियों में से लफटीनैंट, कैप्टन, जरनैल, कर्नल आदि नहीं बनते बल्कि सीधे लाकर इन औहदों पर बैठाए जाते हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे छोकरों को, जिन को किसी चीज़ का कुछ पता नहीं होता वहां पर लगा दिया जाता है। इस का नतीजा यह हुआ कि जंग के वक्त अंग्रेजी पढ़े लिखे काबिलियत का मियार रखने वाले वह लोग वहां से भाग कर देहली में आ गए और सिपाहियों को वहां पर निहत्था छोड़ दिया गया। यही हालत यहां पर हमारे प्रशासन में है। (घंटी)।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब, अब आप वाइंड अप करें। आप घंटी को भी नहीं सुनते। (The hon Member should please wind up now. He does not care for the bell even).

चौधरी नेत राम : बस, थोड़ा वक्त और लूंगा और जब आप हुकम करेंगी मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्षा : आप अब कृपया समाप्त कर दें। (Please wind up now)

चौधरी नेत राम : बस थोड़ा सा समय और लूंगा। दो चार मिनट। तो मैं यह कह रहा था कि आज जो हर एक अदारे के अन्दर गलतियां होती हैं वह इस लिए होती हैं क्योंकि इमानदार आदमियों को और सही आदमियों को आगे नहीं लाया जाता। सिर्फ चालाक और बेइमान आदमियों के हाथ में ताकत सौंप दी जाती है। अगर पटवारी से कानूनगो, गिरदावर, नायब, तहसीदार तहसीलदार, माल अफसर, डिप्टी कमिशनर और कमिशनर बनें तो सब काम ठीक तरह से हो। मगर यहां पर अंग्रेजी पढ़े लिखे लड़कों को इन में लगा दिया जाता है। इस तरह से सब खराबियां होती हैं। यही हालत यहां पर अपर हाउस में है। यही वजह है कि जनता के साथ सही व्यवहार नहीं होता। इन हालात में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत बढ़िया है। इस रैज़ोल्यूशन का मकसद बहुत शानदार और सुन्दर है कि यह जो कुरप्शन का अड्डा बना हुआ है इस को खत्म कर दिया जाए। जैसे एक कांग्रेसी महोदय ने बोलते हुए कहा कि राज्यसभा में ऐसे आदमियों को भेजा गया, मैं समझता हूं कि अपर हाउस के अन्दर भी इस तरह के आदमियों की कोई जरूरत नहीं। अपर हाउस की कोई जरुरत नहीं। (घंटी)।

उपाध्यक्षा : कृपया अब बैठ जाइए और बाद में अपने आपोजीशन के साथियों से पूछना कि क्या आप वाकई रैजोल्यूशन पर बोले हैं या किस चीज पर। (The hon. Member may please resume his seat now and ask from his colleagues of the opposition afterwards as to whether he spoke on the Resolution or on something else.)

प्रिंसिपल रला राम (मुकेरियां) : उपाध्यक्षा महोदया, यह बहस बहुत पुरानी है और तकरीबन हर देश के अन्दर समय समय पर उठती रही है कि आया सैकंड

[प्रिंसिपल रला राम]

चैम्बर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका कान्स्टीच्यूशनल पहलू भी है और दूसरा पहलू यह है कि यह संस्था हमारे राज्य में कामयाब रही है या नहीं रही और यह कि इस की जरुरत है या नहीं।

जहां तक अपर हाउस का ताल्लुक है यह उन्नीसवीं सदी में इंग्लिस्तान में और दूसरे देशों में बड़े जोर पर रहा। कुछ ऐसा समय आया जब कि इंग्लिस्तान में हाउस आफ कामन्ज़ और हाउस आफ लार्ड्ज़ में कुछ कुशीदगी पैदा हो गई। उस समय मिस्टर गलैडस्टोन, जो कि उन्नीसवीं सदी का सब से बड़ा प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, ने कहा था :

> "if the House of Lords says ditto to what the House of Common says, then it is unnecessary and if it comes into clash with the House of Commons then it is undesirable."

ये दोनों बातें उन्होंने कहीं और किसी अंश में इन के अन्दर सच्चाई भी है। वह यह जानते थे और हम भी समझते हैं कि किसी भी देश के अन्दर एक हाउस ऐसा होता है और होना चाहिए कि जिस की आवाज सुप्रीम हो और अगर दूसरा हाउस उसके साथ कन्फलिक्ट मे आता है तो जो हाउस रिप्रिजैंटेटिव है, लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी आवाज प्रिवेल करनी चाहिए। इस असूल पर चलते हुए, हमने देखा है कि इंग्लिस्तान के अन्दर हाउस आफ लार्ड्ज की जो ताकतें हैं उसको हटाया नहीं जा सका लेकिन उन ताकतों को कम कर दिया गया। इस बात को बाद में गलैडस्टोन ने भी और दूसरे इंग्लैंड के बड़े बड़े स्टेट्समैन ने भी स्वीकार किया कि देश की राज्य बन्तर के अन्दर दूसरे हाउस को भी जरूरत है।

जब हम स्वतन्त्र हुए तो हमारे सामने दूसरे देशों की कई मिसालें थीं। कुदरती तौर पर हमें उन से सबक सीखना चाहिए था और मैं, उपाध्यक्षा महोदया, आप के द्वारा हाउस में यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे विधान के बनाने वाले थे उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी जल्दबाजी से काम नहीं लिया बल्कि बड़ी सोच विचार के बाद, दूसरे देशों में जो पुलिटिकल और लैजिस्लेटिव स्ट्रकचर है उसको देखने के बाद ही उन्होंने यह फैसला किया कि हमारे देश में मैजारिटी आफ दी स्टेट्स में दूसरा चेम्बर होना ही चाहिए और इन स्टेट्स में पंजाब भी एक राज्य है जिस में अपर हाउस बनाने का निश्चय किया गया था।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि यह फायदामन्द हो सका है या नहीं, मैं आप के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि अब यह बात तकरीबन कान्ट्रोवर्सी या बहस से दूर जा चुकी है कि सैकंड चेम्बर फायदामन्द साबित होता है या नहीं। दुनिया में जितने बड़े बड़े प्रजातन्त्र देश हैं, जहां पर जम्हूरियत है, अगर हम उन को देखें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि दूसरा चेम्बर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इट हैज कम टू स्टे। यह ठहरेगा और ठहरना चाहिए क्योंकि दुनिया में और तजरुबे ने इस बात को जाहिर कर दिया है कि सैकंड चेम्बर काफी यूज़फुल, काफी उपयोगी साबित होता है और उस के द्वारा पुलिटिकल स्ट्रकचर के अन्दर, देश के अन्दर राजनैतिक और दूसरे क्षेत्रों में फायदा पहुंचता है। इस लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस वक्त यह ऐकेडैमिक डिबेट भी नहीं रही कि सैकेंड चेम्बर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।

यह कानसैन्सस ग्राफ उपीनियन है कि सैकंड चेम्बर बहुत लाभदायक है और इस को रिटेन किए रहना देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए एक बहुत उपयोगी बात सिद्ध हो सकती है। इस लिए हमारे देश के अन्दर हमारे विधान को बनाने वालों ने, मैं समझता हूं, बड़ी अकलमन्दी के साथ काम लिया जो पंजाब के अन्दर सैकंड चेम्बर स्थापित किया। मैं महसूस करता हूं कि इस चेम्बर को जारी रहना चाहिए। जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले कुछ सदस्यों ने बताया, यह चेम्बर इस लिए भी उपयोगी है कि किसी भी देश के अन्दर हेस्टी लैजिस्लेशन के रास्ते में रुकावट बनता है, उसे सही करने वाली एक एजंसी बन सकता है। यह ठीक है कि हमारे राज्य में अभी तक कोई ऐसी एमरजैंसी, कोई ऐसा संकट, कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि यह सैकंड चेम्बर ऐज ए कुरैक्टिव एजंसी इसके सामने आ सके। यह इतफाक की बात है कि ऐसी कोई घटना या स्थिति पैदा नहीं हुई............

(The hon. Member was still in possession of the House.)

उपाध्यक्षा : सदन शुक्रवार, 26 फरवरी, 1965 डेढ बजे बाद दुपहर तक स्थगित होता है। (The House stands adjourned till 1.30 p.m. on Friday, the 26th February, 1965.)

The Sabha then adjourned till 1.30 p.m. on Friday, the 26th February, 1965

2 p.m.

3885 पी वी एस–368–4-6-65—सी पी ऐंड ऐस चन्डीगढ़

APPENDIX

TO

P. V. S. DEBATE VOLUME I—NO. 3 DATED THE 25TH FEBRUARY, 1965.

Complaint against S.D.M. Thanesar, District Karnal

*7122, **Sardar Piara Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether Government received in December, 1964 or January, 1965 any complaints from any M.L.A. of Karnal against the S.D.M. Thanesar, if so, their number and the action taken so in the matter.

(b) whether Goverement has also received any complaint from any Advocate of the said District against the S.D.M., if so, the action taken thereon ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes. Three complaints were received. One has been filed and the other two are being looked into by the Commissioner, Ambala Division.

(b) Yes. Two complaints filed and the 3rd is being examined by the Deputy Commissioner, Karnal.

Sugarcane Crop in Ballabhgarh Tehsil

*7035. **Comrade Didar Singh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether it is a fact that about 75 per cent of the sugarcane crop in the Ballabhgarh tehsil has been badly affected by red-rot disease, if so, the extent of loss caused thereby and the steps taken so far to control the disease ?

Sardar Darbara Singh :

First Part : No.

Second Part : The damage to sugarcane crop by red-rot disease varies from 15 to 25 per cent in an area of 3300 acres.

Third Part : Preventive and control measures have been explained to the cultivators and disease free cane seed is being supplied to replace the existing cane.

3885 PVS—368—8-6-65 C.,P. and S. Pb. Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha Debates

26th February, 1965

Vol. I-No. 4

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 26th February, 1965

(Concld.)

Price: Rs. 4 25 aise.

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I—NO. 4,
DATED THE 26TH FEBRUARY, 1965

Read	*For*	*Page*	*Line*
प्राइम	प्रयास	(4)2	14
required	requ red	(4)3	12
चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक	चौधरी ुख्तयार सिंह मलिक	(4)3	26
चौधरी नेत राम	चौधरी `त राम	(4)5	22
in	n	(4)6	5 from below
Chaudhri Chuhar Singh, M.L.A.	Chaudhri Chuchar Singh, M.L.A.	(4)11	12-13
Sardar Jaswant Singh Guru, M.L.A.	Shri Jaswant Singh Sodhi, M.L.A.	(4)11	17-18
pertaining	pertai ing	(4)18	8
Tourism	Touris	(4)22	Last but one
forum	foum	(4)25	9 from below
Shri Kanhiya Lal Poswal	Shri Kayana Lal Poswal	(4)25	4 from below
growth is	grow this	(4)29	4
constituted	contituted	(4)29	37
Add the word 'से' between the words 'में' and 'कुल'		(4)32	34
matter	ma ter	(4)33	22
सरदार गुरनाम सिंह	सरदार गुरमान सिंह	(4)34	2
दरयापत	दरयाफ्ते	(4)34	4
Committees,	Committee,	(4)35	22
Add the words 'for the' after the word 'payment'		(4)43	24
Justice	Jus ice	(4)43	33
defray	deray	(4)44	5
ਸਾਡੀ	ਸਾਡੇ	(4)47	25

Read	*For*	*Page*	*Line*
ग्रौर	हौर	(4)55	9
बिल्डिंग्ज़	बिल्ड़ज़	(4)55	17
कोटे	क टे	(4)59	7
ग्रलामिंग	ग्रलामिंग	(4)63	10
बेहतर	बेहत	(4)66	5 from below
this	th s	(4)67	21
हूं	हं	(4)70	3 from below
चौधरी जगन्नाथ	चौधरी जगननाथ	(4)72	Heading
बात	बाप	(4)74	12 from below
applied	a li d	(4)74	7 from below
ਮੈਂਬਰ	ਮੰਬਰ	(4)80	25
ਦਿੰਦਾ	ਦਿਦਾ	(4)80	6 from below
criticism	critcism	(4)83	13
Dharamkot	Dh ramkot	Appendix	8

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 26th February, 1965

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, Chandigarh at 1.30 p.m. of the Clock Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

***Supplementaries to Starred Question No. 6949**

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या फाइनांस मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह जो प्राइस इण्डेक्स के बारे में सवाल का जवाब मेज़ पर रखा गया है उस में क्या हाऊस रेंट को भी शुमार कर लिया गया है ? यानी जहां दूसरी कमाडिटीज़ की प्राइस का ख्याल रखा गया है वहां क्या हाउस रेंट को भी इण्डेक्स देखते हुए ख्याल में रखा गया है ?

वित्त मन्त्री : इस वक्त तो इस को इस में शुमार नहीं किया गया। असल में सवाल से यह ठीक पता नहीं चलता था कि आया आप कनज्यूमर्ज़ गुडज़ के प्राईस इण्डेक्स के बारे में पूछना चाहते हैं या एग्रीकल्चरल गुड्ज़ का प्राईस इण्डेक्स चाहते हैं या जेनरल प्राईस इण्डेक्स के बारे में पूछना चाहते थे। मेरा ख्याल है कि आप ने जनरल प्राइस इण्डेक्स में उन गुड्ज़ फार दी वर्किंग क्लासिज़ के बारे में पूछा था और उस का जवाब दे दिया गया है। इस लिए हाउस रेंट के बारे में इस में नहीं देखा गया।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वित्त मन्त्री जी बताएंगे कि क्या हाउस रेंट जेनरल प्राईस इण्डेक्स का हिस्सा नहीं समझा जाता ?

मन्त्री : जेनरल प्राइस इण्डेक्स का मतलब है कि जेनरल यूज़ की कमाडिटीज़ की प्राइसिज़ क्या हैं। मेरे ख्याल में हाउस रेंट इसमें नहीं आता।

लोक कार्य मन्त्री : आप ने जेनरल प्राइस इण्डेक्स आफ दी कमाडिटीज़ के बारे में पूछा था वह बता दिया गया है और हाउस रेंट का सवाल इस में से एराईज़ भी नहीं होता।

कामरेड शमशेर सिंह जोश : कल चीफ मिनिस्टर साहब ने इस सवाल के जवाब में बताया था कि लेबर आर्गनाइज़ेशन की तरफ से जो यह एतराज़ किया गया था कि प्राइस इण्डेक्स ग़लत तैयार किया गया है, उस के बारे में वह बम्बई की तरह पड़ताल करवा लेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह ठीक कब तक प्राइस इण्डेक्स निकलवा देंगे ?

मुख्य मन्त्री : मैंने कल यह नहीं कहा था, मैंने तो यह कहा था कि हम प्राइस इण्डेक्स निकालने का जो हमारा मैथेड है उस को बदल देंगे और बम्बई के मेथेड को अपनाएंगे। इस बारे में मैंने कल भी हाउस को यकीन दिलाया था और अब फिर यकीन दिलाता हूं कि हम इस बारे में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे।

---

*Starred Question No. 6949 along with its answer appears in P.V.S. Debates, Vol I, No. 3 dated the 25th February, 1965

श्री बलराम जी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब बतलाएंगे कि जो जेनरल प्राइस इण्डेक्स सरकार ने तैयार किया है और उस के लिए जो शहर इस ने चुने हैं, जिन के नाम इस सवाल के जवाब में दी गई लिस्ट में दिए गए हैं, वह शहर किस बेसिज़ पर चुने गए हैं ?

लोक कार्य मन्त्री : इस के लिए इस बात को ध्यान में रखा गया है कि उन शहरों को इस मतलब के लिये लिया जाए जहां लेबर ज्यादा हो और वर्किंग क्लासिज़ ज्यादा हों ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वज़ीर साहब ने अभी बताया है कि जेनरल प्राइस इण्डेक्स को तैयार करने के लिए उन शहरों को लिया जाता है जहां लेबर और वर्किंग क्लासिज़ ज्यादा हों । तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस की क्या वजह है कि अमृतसर और लुधियाना जैसे दो शहरों को इस मतलब के लिए नहीं चुना गया जहां पंजाब के बाकी सब शहरों से ज्यादा लेबर और वर्किंग क्लासिज़ मौजूद हैं ?

वित्त मन्त्री : अमृतसर, लुधियाना और जगाधरी पंजाब में तीन ऐसे शहर हैं जहां पर बाकी शहरों की निसबत बहुत ज्यादा लेबर काम करती है लेकिन इसी वजह से वहां का प्रयास इण्डेक्स सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी वर्क आऊट करती है और स्टेट सरकार की एजेंसी नहीं करती ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्राइस इण्डेक्स वर्क आऊट करने की एजेंसी और पंजाब गवर्नमेंट की एजेंसी के काम करने के तरीके में कोई फर्क है ?

मन्त्री : फर्क हो सकता है लेकिन उन के तरीके के बारे में हमें पता नहीं । अगर आप कहेंगे तो उन के तरीके का पता किया जा सकता है ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि सवाल के जवाब में जो डेली यूज़ के आर्टीक्लज़ दिए गए हैं एक परिवार की लागत निकालने के लिए कितनी मिकदार काऊंट की गई है ?

मन्त्री : यह हम परिवार के हिसाब से लेते हैं । इस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जितनी मिकदार किसी चीज़ की एक फेमेली के लिए एक साल ज़रूरी समझते हैं उतनी ही मिकदार बाकी हर साल के लिये गिनी जाती है, वह बदलती नहीं । इस वजह से उसकी प्राइस इण्डेक्स में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेसिक मिकदार वही ली जाती है । प्राइस इण्डेक्स को वर्क आऊट करने के लिए हरेक चीज़ को देखा जाता है ।

श्री सागर राम गुप्ता : पी. डबल्यू. डी. मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि प्राइस इण्डेक्स को रिवाईज़ करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के कौन कौन से मेम्बर्ज़ हैं ?

मुख्य मन्त्री : मैंने अर्ज़ किया था कि कमेटी बनाई नहीं गई लेकिन बनाने का विचार है ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि सरकार जब प्राईस इण्डेक्स फिक्स करती है तो ऐसा करते हुए वह कितने मेंबर्ज़ की फेमिली को सामने रखती है ?

लोक कार्य मन्त्री : यह डिटेल्ज़ की बात है इस लिए इस के लिए अलग नोटिस चाहिए ।

श्री बलरामजी दास टंडन : सवाल के जवाब में प्राइस इण्डेक्स 31 मार्च, 1964 तक का दिया गया है हालांकि अप-टू-डेट पूछा गया था इस की वजह क्या है ?

वित्त मन्त्री : आज तक के लिए जो प्राइस इण्डेक्स था उस के बारे में हम अच्छी तरह से पूरी तसल्ली के साथ नहीं बता सकते थे। जितने समय तक के बारे में ठीक ठीक बतलाया जा सकता था वह बतला दिया गया है। बाकी का नहीं बतलाया गया क्योंकि हम हाउस को गल्त इनफर्मेशन नहीं देना चाहते ।

SUPPLEMENTARY TO STARRED QUESTION No. *7314.

Mr. Speaker : Yesterday, Shri Prabodh Chandra made a categorical statement in regard to this Question. So, I do not think any thing more is now requ red.

Chaudhri Hardwari Lal : In the context of that statement, I would like to know whether what Shri Prabodh Chandra said yesterday, applies to the members of his family also ?

Mr. Speaker : When he says that he did not file any claim, that should suffice.

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, part (b) of the Question is about the details of properties allotted or compensations paid with regard to the above claims to Shri Prabodh Chandra or any other member of his family as also the property allotted to any of them, outside these claims. So, I should like to know if his statement covered the members of his family or this part of the question was not touched by him. I was not here when he made the statement. He made the statement after the Question Hour was over.

Chief Parliamentary Secretary : Members of the family are covered

चौधरी मुख्तयार सिंह मलिक : बात यह है कि उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए यह कहा था कि उन्होंने क्लेम नहीं किया है, अलाटमेंट बारे कुछ नहीं कहा था ।

श्री अध्यक्ष : अलाटमेंट भी तभी होगी जब वह क्लेम करेंगे। नैक्स्ट क्वैस्चन प्लीज। (Allotment follows filing of their claims. Next question please.)

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, प्लीज़। स्पीकर साहिब, आप ने यह फैसला किया हुआ है कि जिस दिन सवाल पूछे जाएंगे उस दिन उसी दिन की लिस्ट ली जायगी और जो रह जाएंगे उन को डीम्ड टू हैव बिन आनसर्ड समझा जायगा। तो आज किस वजह से पिछली लिस्ट ली गई है ? वट विल बी दी फियूचर पालिसी ?

---

*Starred Question No. 7314 alongwith its reply appears in P.V.S. Debates Vol I, No. 3, dated the 25th February, 1965.

श्री अध्यक्ष : यह सवाल क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिब के कहने पर पोस्टपोन किये गए थे इसलिये टेक अप किये गए हैं। आज की लिस्ट भी आयगी। (These questions have been taken because these were postponed on the request of the Chief Minister. List for today will also be taken up.)

कामरेड राम प्यारा : कब आयगी ?

Mr. Speaker: After this and the questions postponed on 24th February, 1965

कामरेड राम प्यारा : उस दिन वह लिस्ट खत्म नहीं हो सकी तो वह सवालात 'वर टू बी डीम्ड टू हैव बिन अनसर्ड'।

Mr. Speaker: Comrade Ram Piara ji, I posponed these questions and, therefore, these are being taken up.

Expenditure incurred in connection with the inaugural ceremonies performed by Chief Minister

***6821. Comrade Babu Singh Master, :** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount of T. A. and D.A. claimed by him and his personal staff in connection with the inaugural ceremonies performed by him since he took over as Chief Minister ?

Shri Ram Kishan : Rs 894.00 in connection with the combined tours for "inaugural ceremonies" and "disposal of official work".

Starred Question No. *6847

Mr. Speaker : Next Question. Chaudhri Hardwari Lal.

Chaudhri Hardwari Lal : Mr. Speaker, I shall certainly like to put the question but the information that this question is being taken up today reached me only a few minutes back. How shall I put the supplementaries

Mr. Speaker : Then this question is postponed.

Follow up action on Das Commission Report

***6795. Comrade Babu Singh Master :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Officers of State Government who were charge-sheeted in connection with follow-up action on the Das Commission findings ;

(b) the number of the officers who have been exonerated;

(c) the total amount spent, if any, on these enquiries ?

Sh. Ram Kishan : (a) Twenty

(b) Ten

(c) It is regretted that the time and labour involved in collecting and compiling this information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Charge-sheets served on Officers adversely commented upon in Das Commission Report

***6917. Shri Balramji Das Tandon** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of the officers of the Government along with their designations who have been indicated in the Das Commission Report and further commented upon by Shri Krishanaswami ;

(b) the details of the charge-sheets served on each of the said officers ;

(c) the details of the replies given by each of the said officers and the action, if any, taken by the Government thereon?

Shri Ram Kishan : (a) The Das Commission Report is a published document. It is regretted that the names of the officers, where not mentioned in this Report, cannot be divulged in the public interest........

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मेरा एक व्यवस्था प्रश्न है ।

Mr. Speaker : Please take your seat

चौधरी नेत राम : मैं व्यवस्था, प्रश्न , जिसे आप प्वायंट आफ आर्डर कहते हैं, करने का हक रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब आने दें । (Let the hon. Chief Minister give the answer first.)

चौधरी नेत राम : जब मैंबर ने सवाल का नम्बर हिन्दी में बताया तो मुख्य मन्त्री अंग्रेज़ी में क्यों जवाब दे रहे हैं ? (विघ्न) यह बात किसी कीमत पर बरदाश्त नहीं की जायगी यह तो हीन भावना पैदा करने वाली बात है ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

Shri Ram Kishan : (a) The Das Commission Report is a published document. It is regretted that the names of the officers, where not mentioned in this Report, cannot be divulged, in the public interest, beyond that what has been stated in the Statement made by the Chief Minister in the Vidhan Sabha on the 24th September, 1964. Mr. Krishnaswamy's Report is being treated as secret. It is regretted that its contents cannot be disclosed.

(b) It is regretted that the details of these charge-sheets cannot be divulged.

(c) *First Part.*—It is regretted that the details of these replies cannot be divulged.

Second Part.—On the basis of Mr. Krishnaswamy's Report, 20 officers (some in more than one case) where charge-sheeted in 24 cases. Charges have been dropped in 13 cases. The cases against two officers have been entrusted to the Inquiry Officer. They have to face enquiry in respect of these cases . In one case the displeasure of Government has been conveyed to an officer with a copy in his personal file. The remaining cases are under consideration.

श्री बलराम जी दास टंडन : क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अफसर दास कमिशन की रिपोर्ट में नहीं आए हैं मगर जिन को गवर्नमेंट ने चार्जशीट

[श्री बलरामजी दास टंडन]

किया है, और उस लिस्ट के अलावा, जो कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने पिछले सैशन में यहां पर बताई थी, उन अफसरों के नाम क्या हैं जो इस में इनवाल्व्ड हैं ?

मुख्य मन्त्री : उन के नाम हाउस के अन्दर बताना पब्लिक इन्टरैस्ट के मनाफी है।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वह उस में इन्वाल्व्ड लैजिस्लेटर्ज़ या ऐक्स मिनिस्टरों के नाम बताएंगे ?

मुख्य मन्त्री : यह नाम बताना पब्लिक इन्टरैस्ट के मनाफी है मगर अपनी टर्मज़ आफ रैफैंस के मुताबिक जिन नान-आफिशल्ज़ के खिलाफ ऐक्शन सजैस्ट किया था वह तमाम के तमाम कागज़ात होम सैक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेज दिये गए हैं और सारी बात अन्डर कन्सिड्रेशन है।

Chaudhri Hardwari Lal : The Chief Minister would, perhaps, recall that the first instalment of Shri Krishnaswamy's Report was suitably publicised through the statement which the Chief Minister himself made on the floor of the House during the last session. It would not be enough now to say, after having published the first instalment of the Report of Shri Krishnaswamy that the disclosure of the names mentioned in the second instalment of the Report will be against the public interest. Would he kindly indicate the reasons why he is not prepared to mention the names of the officers mentioned in the second instalment of the Report of Shri Krishnaswamy.

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, चौधरी साहिब ने जो बात कही है वह कुछ हद तक ठीक है। हाउस के अन्दर उन के नाम लिये गए थे। वजह यह थी कि उन दिनों प्रैस के अन्दर कई नाम आ रहे थे इस लिये यह मुनासिब समझा गया कि सही सूचना हाउस के सामने रख दी जाए। मगर आम तौर पर अफसरों के नाम हाउस के अन्दर डिसक्लोज़ करना मुनासिब नहीं मालूम देता।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या वह बताएंगे कि नान-आफिश्यल्ज़ के नाम बताने से कौन सा पब्लिक इन्टरैस्ट इन्जर होता है ?

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਜਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ ? ਕਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ?

मुख्य मन्त्री : जो मुनासब कार्यवाही है वह की गई है या की जा रही है

Chaudhri Hardwari Lal : I do see the difficulty of the Chief Minister in disclosing names. I myself feel that it was the mistake of the Government to have mentioned the names n the first instalment. But will he kindly indicate the action which he has initiated against the officers in question ?

मुख्य मन्त्री : जिन अफसरों को चार्जशीट किया गया है या ऐक्संप्लेनेशन काल किया गया है उन के बारे में डिटेल्ज़ दे दी हैं और जिन के बारे में अभी "वन वे आर दी अदर" फैसला नहीं हुआ है उन के केसिज़ अन्डर कन्सिड्रेशन हैं।

Mr. Speaker : Shri Jagan Nath.

Chaudhri Hardwari Lal : Sorry, Sir, the Chief Minister has missed my point.

Mr. Speaker : The hon. Member can put his supplementary later.

Chaudhri Hardwari Lal : That will be wasting the time of the House. My point was. . . . .

Mr. Speaker : Now I have called upon Shri Jagan Nath.

श्री जगन नाथ : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि दास रिपोर्ट में तो बाबू बृश भान जी पर भी स्ट्रिक्चर थे तो क्यों कृष्णा स्वामी नें उन्हें क्लीन चिट दे दी है ?

चौधरी नेत राम : स्पलीमेंट्री सर ।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर। चौधरी नेत राम जी को एतराज़ था कि हिन्दी में जवाब दिया जाए लेकिन ग्रभी खुद उन्होंने स्पलीमेंट्री कहा है तो यह किस भाषा का लफ्ज़ है ? (हंसी)

चौधरी नेत राम : नहीं जी, मैंने तो ग्रनुपूरक प्रश्न कहा है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that some Officers who were not indicted in the Das Commission Report have been charge-sheeted by the State Government ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं इस हाउस के मैंबरों की इतलाह के लिए कहना चाहता हूं कि दास कमिशन की रिपोर्ट को पंजाब गवर्नमेंट की दरखास्त पर श्री कृष्णास्वामी ग्राइ. ए. एस. ने एग्ज़ामिन किया था ग्रौर जिन जिन ग्रफसरान के बारे में उन्होंने ग्रपनी रिपोर्ट दी है उनको पंजाब गवर्नमेंट ने चार्जशीट किया । इस के इलावा पंजाब गवर्नमेंट के किसी ग्रफसर के खिलाफ डायरैक्टली या इनडायरैक्टली ग्राऊट ग्राफ दी वे जा कर कोई कार्रवाई करने का न इरादा था, न है ग्रौर न होगा ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of Order, Sir. I put a very simple question to the hon. Chief Minister. I wanted to know whether it a fact. . . .

Mr. Speaker : The hon. Member is putting a Supplementary Question and not raising a point of Order.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, my point of order arises out of the reply given by the Chief Minister.

Mr. Speaker : Then the hon. Member is putting a Supplementary Question.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, I may be permitted to ask Supplementary Question.

Mr. Speaker : The hon. Member will be permitted to put his Suplementary Question.

चौधरी नेत राम : क्या ग्रादर्णीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दास रिपोर्ट में कौन सी ऐसी बात है जो जनता के हित ग्रौर दिलचस्पी का पहलू हो ? (हंसी) कौन ऐसी बात है ?

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ

[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ]

ਸੀ । ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੀ ਹੈ ।

(ਨੋ ਰਿਪਲਾਈ)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਲਾਂਗ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

मुख्य मन्त्री : अगर आप के पास कोई ऐसा केस हो तो मेरे नोटिस में लाएं । आप इस के लिए अलहदा नोटिस दें तो जवाब दे दूंगा ।

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, my Supplementary question related not to the officers whose names have been mentioned in the first instalment of the Report of Mr. Krishnaswamy and whose names have been disclosed by the hon. Chief Minister, but to the Officers whose names have been mentioned in the Second Instalment of the said Report. I wanted to know what action has been initiated by the Government against the Officers whose names have been mentioned in the Second Instalment of the Report.

मुख्य मन्त्री : ऐक्शन लिया गया था । किसी को चार्ज शीट किया गया, किसी को अक्सप्लेनेशन ली गई और मुनासिब कारवाई की गई ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸਟਿਜ ਨੂੰ ਧਕਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਗਰੇਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਐਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : कंपैन्सेट करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : क्या मुख्य मन्त्री फरमायेंगे कि कुछ ऐसे अफसर भी हैं जिनका ज़िक्र दास कमीशन ने नहीं किया और न ही उन के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर थे और उन को भी चार्जशीट किया गया ? अगर ऐसा हो तो क्या श्री कृष्णास्वामी को दास कमीशन से भी ऊपर अथारेटी थी ?

मुख्य मन्त्री : कृष्णास्वामी ने दास कमीशन की रिपोर्ट पर जो भी रिपोर्ट की उसको पंजाब सरकार ने इन टोटो विदऊट ऐनी चेंज आफ कमा मान लिया है। और जो मैंने इस हाउस में 24 सितंबर , 1964 को इस सम्बन्ध में अपना स्टेटमेंट देते हुए मैम्बरों को विश्वास दिलाया था उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है ?।

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a point of Order, Sir. You were pleased to allow me to put my Supplementary Question. My question wa simple. I wanted to know whether any officer not mentioned in the Das Commission Report has been charge-sheeted by the State Government ?

Mr. Speaker : Shri Balramji Das Tandon.

श्री बलराम जी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि पिछले सेशन में उन्होंने यह वाइदा किया था कि एक लिस्ट तो मैंने दे दी है, बाकी की लिस्ट जब तैयार होगी, जिस में नान आफीशियल भी शामिल हैं, बाद में मेंबरों को मुहैय्या की जाएगी, मैं कोई बात इस हाऊस के मैम्बरों से छुपाना नहीं चाहता । इस अशोरेंस के देने के बाद क्या वजह है कि यहां पर आज यह कह दिया गया है कि इस तरह नान-आफीशल्ज़ के नाम लेना पब्लिक इन्ट्रैस्ट में नहीं है। क्या यह ठीक नहीं कि नान-आफीशियल्ज़ की लिस्ट कांग्रेस हाई कमाण्ड को भेजी गई है ?

मुख्य मंत्री : मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि जो अशोरेंस इस हाउस में मैं ने दी थी उस पर पूरी तरह से कायम हूं । जैसा कि मैं ने पहले ही बताया है कृष्णास्वामी की रिपोर्ट में जो टर्मज़ आफ रैफरेंस थीं और, जिन के नाम इस रिपोर्ट में आए हैं, जिन में फारमर मिनिस्टर भी शामिल हैं, होम मिनिस्टरी को भेज दिए हैं और उन के जवाब का इन्तज़ार है। जो जवाब आएगा, मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो कृष्णा-स्वामी ने अपनी फाइंडिंग्ज़ दी थीं वह गवर्नमेंट ने मान ली थीं, और भी जो जवाब आएगा और जिस तरह कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में डिटेल्ड स्टेटमेंट दूंगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਅਫੀਸ਼ਲਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰ-ਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

मुख्य मन्त्री : जहां तक आफसिर्ज़ के खिलाफ कार्रवाई करने का सम्बन्ध है स्टेट गवर्नमेंट फाइनल अथारेटी है लेकिन इन में कुछ ऐसे आफीसर्ज़ भी हैं जो आई. सी. एस. या आई. पी. एस. काडर के हैं, जिन के बारे में गवर्नमेंट आफ इण्डिया को रेफर करना ज़रूरी था। जहां तक नान-आफीश्लज़ का संबंध है टर्मज़ आफ रैफरेंस के मुताबिक उनका केस होम मिनिस्टरी को जाना ज़रूरी था ।

कामरेड राम प्यारा : जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी बताया कि कृष्णा-

2.00 p.m.

स्वामी की रिपोर्ट in toto study करके नोटिस दिया गया है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन आफीसर्ज़ को ऐग्ज़ानरेट किया गया वह सैंट्रल सरकार ने किया या पंजाब सरकार ने किया ?

मुख्य मन्त्री : ऐसे आफीसर्ज जिन के जवाबात तसल्लीबख्श थे स्टेट गवर्नमेंट ने उन को एग्ज़ानरेट किया है ।

श्री बलराम जी दास टंडन : मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर ने राज्य सभा के अन्दर यह बात कही थी कि दास कमीशन की रिपोर्ट के मुताल्लिक जो आफिश्यलज़ हैं उन के मुताल्लिक कोई फैसला करना पंजाब सरकार का काम है, मगर बावजूद उन के कहने के अब राये लेने का क्या मतलब ?

मुख्य मन्त्री : उन्होंने आफिश्यल्ज़ के मुताल्लिक कहा था, नान-आफिश्यल्ज़ के मुताल्लिक नहीं ।

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, according to the Chief Minister and also other information supplied by Government, a very large number of officers, who had been charge-sheeted as a result of Shri Krishnaswamy's Report, have been exonerated. Government have also shown regrets that they were asked to explain their conduct. It amounts to a lot of ridicule. Was it due to the fact that the Report of Shri Krishnaswamy was based merely on subjective impressions or on adequate appreciation of the material supplied to him by the Government and not on any incriminatory facts, because out of 32 officers 20 have already been exonerated ?

मुख्य मन्त्री : कृष्णास्वामी बड़े एबल और लायक इंटेग्रिटी के आफीसर हैं, उन पर किसी तरह से कोई ऐसपर्शन करना कोई अच्छी बात नहीं है। जो उन्होंने फाइंडिंग दी है मैंने हाऊस को यकीन दिलाया है कि वह बगैर किसी ला लपेट के ही हैं। उन्हें अफसरों को चार्ज शीट किया। इस के साथ ही मैं ने हाऊस को यकीन दिलाया था कि किसी भी आफीसर के खिलाफ कोई फैसला विन्डिक्टिव या इलविल से नहीं किया जायेगा। हर आफीसर के मुताल्लिक उस को पूरी तरह से ऐग्ज़ामिन करने के बाद, जिन के जवाबात सैटिस्फैक्टरी समझे गये उन को एग्ज़ानरेट किया गया। इन पर किसी तरह का कोई भी इल्ज़ाम साबत नहीं हो सकता।

Chaudhri Hardwari Lal : Mr. Speaker, It is an extremely important question. Let us have half an hour discussion on this.

Mr. Speaker : Fifteen minutes have already been taken on this Question. Any how, if a request for it is made, I will consider over it. But do not make any commitment.

Committees and Commissions constituted by Government

*6785. **Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Committees and Commissions constituted by the Government during the period from July 1, 1964 to December, 31st, 1964 ;

(b) the names of members of the said Committees and Commissions and the purposes for which they were formed ;

(c) the terms of reference of such Committees and Commissions and their tenure ?

Shri Ram Kishan. The available information is as follows. The remaining information will be supplied as soon as it is collected?

A statement showing the names of the Committees/Commissions constituted/re-constituted by Government, during the period from July 1, 1964 to December 31, 1964 :—

Serial No.	Name of Committees/ Commission constituted by Government during the period from July1, 1964 to December 31, 1964	Name of the members of the Committee/Commission mentioned in column (2)	Purpose(s) for which Committees/Commission was formed	Terms of reference(s) of Committee/Commission	Tenure of Committee/ Commission
1	2	3	4	5	6
1	State Advisory Committee for the Jails Department	(1) Shri Narain Singh Shahbazpuri, M.L.A. (2) Chaudhri Chuchar Singh, M.L.A. (3) Shri Dev Raj Anand, M.L.A. (4) General Mohan Singh, M.P. (5) Pandit Amar Nath, M.P. (6) Shri Jaswant Singh Sodhi, M.L.A. (7) Shri Pritam Singh Sahoke, M.L.A.	To advise Government on matters relating to Jails Department	The function of this Committee is to advise the Minister-in-charge Jails on General Policy matters and on specific programmes pertaining to Jails Department	Tenure of the Committee is two years. But Government by its express desire may reconstitute the Committee earlier also
2	Committe on Cost of Production of Foodgrains constituted vide Planning Departments' notification No. 9(1)-P.E.-64/23268, dated 25th September, 1964	**Chairman** Shri Ujjal Singh, Ex-Finance Minister **Members (Non-official)** (1) Shri Gurnam Singh, M.L.A. (2) Shri Yash Pal, M.L.A. (3) Sh. Bal Krishan, M.L.A. (4) Dr. A.S. Kahlon, Punjab Agr. University	To prepare detailed estimates of the Cost of production of the major foodgrains such as wheat rice, gram, bajra and maize in order to assist in formulating a policy whereby economic prices can be assured to the cultivators	As in column 4	The report was to be submitted within three months. It will now take a little longer

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
		(3) Shri Bal Krishan, M.L.A. (4) Dr. A. S. Kahlon, Punjab Agriculture University (*b*) *Official* (5) Shri R. S. Randhawa, Commissioner, Agriculture Production and Rural Development (6) Dr. E. N. Uppal, Agricultural Advisor to Government, Punjab (7) Shri M. S. Pannun, Statistician, Department of Agriculture (8) Shri Gurdit Singh, Economic and Statistical Advisor			
3	The State Advisory Committee for the Planning Department was constituted,—*vide* Planning Department's notification No. 4350-8(6)-Pg-64/19336, dated 22nd August, 1964	The Committee has following members:— (i) Chairman Finance and Planning Minister (ii) Members *Non-Official* (1) Shri Raghbir Singh, M.P. (2) Shri Darshan Singh, M.L.A. (3) Shri Chand Ram, M.L.A. (4) Shri Ralla Ram, M.L.A. (5) Shri Kabul Singh, Chairman, Block Samiti, Garhshankar (*b*) *Officials* Financial Commissioner, Planning and Secretary to Government, Punjab	The functions of the Committee are to Advise the Minister-in-Charge on matters of general policy and on special programmes relating to the Planning Department	As in column 4	The term of appointment of non-official members will be until such time as the present Vidhan Sabha/Parliament of India is dissolved or until the member resigns from the Punjab Vidhan Sabha/Parliament of India or upto the 15th August, 1966 whichever is earlier.

1	2	3	4	5	6
4	National Savings State Advisory Board, Punjab	(1) Shri Ram Kishan, C.M., Chairman (2) Sardar Kapoor Singh, Finance Minister, Vice-Chairman (3) Smt. Mohinder Kaur, M. P., Her Highness Maharani of Patiala (4) Smt. Om Prabha Jain, M.L.A., Karnal (5) Ch. Amar Singh, M. L. C., Hoshiarpur (6) Smt. Sita Devi, M. L. C., Jullundur (7) Shri K. L. Poswal, M. L. A., Gurgaon (8) Bakshi Partap Singh, M. L. A., Kangra (9) Shri Maharaj Singh, Chairman, Zila Parishad, Ambala (10) Ch. Suraj Mal, Advocate, Hissar (11) Shri Harbans Singh, Ludhiana (12) Smt. Rajinder Kaur Grewal, Ludhiana (13) Shri Ram Kishen, Ex-M. P., Narnaul (14) Miss Parkash Kalia, Ferozepore (15) Diwan Raj Kumar, Kapurthala	The Board will continue to discharge the following functions:— (i) To co-ordinate and guide the activities of the Savings Committees formed in the districts (ii) to assist and advise Government on measures necessary to spread the National Savings Movement in the State and on the ways and means of popularising the Small Savings Scheme and (iii) to advise the Government on specific organisational and publicity matters relating to National Savings Movement	One year	One year from 1st September, 1964 to 31st August, 1965

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
		(16) Smt. Sneh Lata, Ex-M.L.C. (17) Dr. Khushdeva Singh, Patiala (18) Ch. Manphul Singh, Rohtak (19) Mrs. Virendra, Jullundur (20) Mrs. Sukhdev, Gurdaspur (21) Smt. Pushpa Wati Gujral, Jullundur (22) Shri Rajinder Singh, Sangrur (23) Shri Daulat Ram, Amritsar (24) Chief Secretary to Government, Punjab (25) Secretary, Finance Department (26) The Postmaster General, Punjab (27) The Regional Director, National Savings (Government of India) Punjab, Jullundur (28) The Director, Small Savings Punjab			
5.	*Ad-hoc* Committee	(1) Dr. Ganda Singh .. (2) Dr. V.N. Dutta .. (3) Dr. S.N. Rao (4) Dr. P.N. Chopra	To give editorial advice and vet approve the book ' Punjab's place in the History of India'	As indicated in column 4	10 months
6.	Punjab Advisory Board of Education	1. Chief Minister—Chairman 2. Education and Local Government Minister—Dy. Chairman 3. Air Vice Marshal, Harjinder Singh—Member 4. Secretary to Government, Punjab, Education Department—Member	(i) To review the objectives of Education from time to time, and to recommend to Government changes and alterations therein which it considers necessary (a) For ensuring the full and harmonious development of every child entrusted to the		No tenure has been fixed

5. Secretary to Government, Punjab, Industries Department Member
6. Secretary to Government, Punjab, P.W. D./B & R—Member
7. Secretary to Government, Punjab, Health Department—Member
8. Secretary to Government, Punjab Agriculture Department—Member
9. Director of Public Instruction, Punjab—Member
10. Joint Director, Public Instruction, Punjab (Schools)—Convenor
11. Joint Director, Public Instruction, Punjab (Colleges)—Member
12. Director of Industries, Punjab—Member
13. Director of Industrial Training, and Technical Education, Punjab—Member
14. Director of Medical Education and Research, Punjab—Member
15. Vice-Chancellor, Punjab University—Member
16. Vice-Chancellor, Kurukshetra University—Member
17. Vice-Chancellor, Punjabi University—Member
18. Vice-Chancellor, Agriculture University—Member
19. Shri Ram Singh, Principal, Lyallpur Khalsa College, Jullundur—Member
20. Shri V.R. Taneja, Principal, Government Post-Graduate Basic Training College, Chandigarh—Member
21. Miss A. Chopra, Headmistress Government Junior Basic

educational system,and (b) for enabling him/her to attain certain levels of competence in various fields required for the type of training or employment or further studies he/she may seek to enter later on

(ii) To examine the curriculum for each stage of education and all questions relating thereto, and to advise Government regarding curriculum for each stage best suited for the fulfilment of the objectives in view

(iii) To make recommendations to Government which may ensure the maximum possible Co-ordination and co-operation at all levels between the general education and other types of technical and professional education

(iv) To advice Government generally on any aspect of the plan or particular plan scheme(s) relating to education

(v) To advise Government in regard to the policy and programme for Social Education calculated to remove adult illiteracy

(vi) To advise Government on all matters which they refer to it

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
		Training School for Girls, Gurgaon—Member 22. Shri Pyare Lal Beri, Headmaster, S.D.A.S. Higher Secondary School, Jullundur—Member 23. Chaudhri Dalel Singh, Headmaster, G.R.Z. High School, Sonepat—Member 24. Shri H.R. Bhatia, Principal, Thaper Institute of Engineering and Technology, Patiala—Member 25. Principal, Central Poly Technical, Chandigarh—Member 26. Shri Chanchal Dass, Principal, Industrial Training Institute, Jullundur—Member 27. Shri (Dr.) Amarjit Singh, Principal, Government Medical College, (Patiala)—Member 28. Dr. Gurcharan Singh, Dean College of Agriculture, Ludhiana —Member 29. Shri Yash, M.L.A.—Member 30. Shrimati Om Prabha Jain, M.L.A. —Member 31. Shri Ralla Ram, M. L. A. —Member 32. Shri Prem Chand, M.L.C. —Member 33. Shri C.L. Kapur (Retired D.P.I.) —Member			
7.	Technical Expert Committee for Public Health and Civil Services improvement	1. Chief Administrator, C.P.—Chairman 2. Shri Durga Das Khanna, M.L.C.—Member	To deal with the problems relating to sanitation at Chandigarh	(i) To study the sanitation, Public Health and other Civil Services at present provided at Chandigarh	Not fixed

		3. Shri S.L. Chopra, M.L.C. —Member 4. Shri Brish Bhan, M.L.A.— —Member 5. Shri Naranjan Singh Talib, M.L.A.—Member 6. The Director, Health Services, Punjab—Member 7. The Superintending Engineer, Public Health, Chandigarh—Member 8. Estate Officer, Capital Project —Member 9. Senior Town Planner, Capital Project—Member 10. Financial Adviser, Capital Project—Member 11. A representative of the Station Commander Army Station, Hygine Section—Member 12. Director, Animal Husbandry Punjab—Member 13. Milk Commissioner, Chandigarh —Member 14. Chief Medical Officer, Chandigarh—Member 15. Medical Officer of Health, Chandigarh —Secretary	(ii) To list out deficiencies and problems that exist at present and suggest remedies to provide for model sanitation, public health and other civil services in Chandigarh (iii) To suggest necessary mechanisation services to reduce manual labour in these services (v) Rationalisation of staff norms and equipment norms to be adopted for Chandigarh Capital so that improvement brought about is of lasting nature	
8.	The State Advisory Committee for Finance Department was constituted *vide* F.D. notification No. 3639-B&C 64/6553, dated 18th July, 1964	1. Giani Gurmukh Singh Musafir, M. P. 2. Shri Milkhi Ram Rattan, M.L.C. 3. Shri Chandi Ram Verma, M.L.A. 4. Shri Gurdial Singh, Dhillon M.L.A. 5. Shri Sagar Ram Gupta, M.L.A. 6. Shri Rala Ram, M.L.A.	The function of the Committee are to advice the Finance Minister on general policy matters and specific programmes :	The tenure of the Committee is two years

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
		7. Shri Hari Ram Chaudhri, M.L.A.			
9.	Advisory Board for the revision of District Gazetteer	1. Chief Minister, Punjab, Chairman 2. Revenue Minister, Punjab —Member 3. Financial Commissioner, Revenue, Punjab, —Member 4. Commissioners, Ambala, Jullundur and Patiala Divisions – Members 5. Vice-Chancellor, Punjab University —Member 6. Dr. M.S. Randhawa, I.C.S, Director General, Intensive Agriculture Areas of Special Secretary, Minister of Food and Agriculture, New Delhi —Member 7. Dr. Budha Prakash, Director, Institute of Indic, Studies Kurukshetra University, Kurukshetra —Member 8. Shri Vidya Sagar Suri,Director of Archives and Curator State Museum, Punjab, Patiala —Member 9. Editor, Indian Gazetteers, Government of India, New Delhi or his nominee – Member 10. Rao Birendra Singh, M.L.C. Rampura, Rewari, District Gurgaon – Member 11. State Editor, Gazetters Unit, Punjab —Member Secretary.	Revision of District Gazetteers	The functions of the Board shall be to advise the Gazetteers Organisation of the State in the matter pertai ing to the composition of the Gazetteers the method of collecting the relevant material for the Gazetteers, their final drafting and editing, selection and fixing of payment to the contributors.	The tenure of the Committee is two years. But Government by its express desire may reconstitute the Committee earlier also.

Co-opted Members

12. Dr. Raj Kumar, Head of the Department of English, Punjab University, Chandigarh
13. Dr. S.B. Rangnekar, Head of the Department of Economics, Punjab University, Chandigarh
14. Dr. Ganpati Parshad Sharma, Head of the Department of Zoology, Punjab University, Chandigarh
15. Dr. P.N. Mehra, Head of the Department of Botany, Punjab University, Chandigarh
16. Dr. Gurdev Singh Gosal, Head of the Department of Geography, Punjab University, Chandigarh
17. Dr. P.R.J. Naidu, Head of the Department of Geology, Punjab University, Chandigarh
18. Dr. Vishwa Nath, Kothi No.7, Street-L, Sector 8-C, Chandigarh
19. Dr. Ganda Singh, Lower Mall, Patiala
20. Shri Feroze Chand, C/o Director of Archives, Punjab, State Archives, Patiala
21. Shri R.L. Anand, Superintendent, Census Operations, Punjab Chandigarh
22. Superintendent, Geological Survey, Punjab Circle, Brokhurst, Simla
23. Registrar, Punjab High Court, Chandigarh
24. All Heads of Departments in the Punjab

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
10.	State Tourist Development Board	**Chairman** (1) The Financial Commissioner, Planning and Secretary to Government, Punjab **Vice-Chairman** (2) The Development Commissioner Hill Areas, Punjab **Official Members** (3) The Commissioner, Ambala Division, Ambala (4) The Commissioner, Jullundur Division, Jullundur (5) The Commissioner, Patiala Division, Patiala (6) The Secretary to Government, Punjab, Medical and Health Cultural Affairs and Tourism Departments. (7) The Secretary to Government, Punjab, P.W.D., B. and R./P.H. Branches (8) The Secretary to Government, Punjab, Town and Country Planning (9) The Joint Secretary (JAD) to Himachal Pradesh Government (10) Mons. P. Jeaneret, Chief Architect and Town Planning Adviser (11) The Director, Government of India Tourist Office (12) The Provincial Transport Controller, Punjab (13) The Chief Engineer, Punjab,	To advise the State Government on the development of Tourism in the State	Tourism	Up to 29th September 1966

		P.W.D., B. and R. (14) The Chief Engineer, Punjab. P.W.D., Public Health (15) The Chief Conservator of Forests, Punjab (16) The Director, Public Relations, Tourism, and Cultural Affairs, Punjab. (17) The Director, Public Relations and Tourism, Himachal Pradesh Government (18) The Director, Hospitality Organisation, Punjab (19) The General Manager, Mandi Kulu Road Transport Corporation **Non-official Members** (20) Shri Gurmukh Singh Mussaffir, M.P. (21) Shri Hari Ram, M.L.A. (22) Shri Gian Chand, M.L.A. (23) Shri Brish Bhan, M.L.A. (24) Shri Hardwari Lal, M.L.A. (25) Shri K.L. Poswal, M.L.A. (26) Shri Maharaj Krishan Mahajan, Glacier Cottage, Pathankot (27) Maj. Genl. J.C. Katoch, Shaktiniket, Palampur (28) Secretary, Automobile Association of India, Punjab Branch, Chandigarh			
11.	Local Tourism Advisory Committee, Amritsar	**Chairman** (1) The Deputy Commissioner, Amritsar	To advise the local administration on the development of tourist traffic in Amritsar	Tourism	31st December, 1965

1	2	3	4	5	6
		Secretary			
		(2) The District Public Relations Officer			
		Members			
		(3) The Assistant Transport Officer, Northern Railway			
		(4) Kashmir Trade Agent.			
		(5) Hony. Secretary, Textile Manufacturers Association			
		(6) General Manager, Punjab Roadways			
		(7) Senior Superintendent of Police			
		(8) President, Hoteliers Association			
		(9) President, District Congress Committee			
		(10) President, Darbar Sahib Committee.			
		(11) Secretary Jallianwala Bagh Memorial Trust			
		(12) President, Municipal Committee			
		(13) Shri Shiv Dayal Kapur, Amritsar			
		(14) Secretary, Durgiana Temple Committee			
		(15) Seth Radha Krishan, Amritsar			
		(16) Shri G.R. Sethi, Journalist, Amritsar			
12.	Local Tourism Advisory Committee,	**Chairman**	To advise the local Administration on the Development of	Tourist	31st December, 19[illegible]

	Pathankot	(1) S.D.O. (Civil), Pathankot (2) Tourist Officer (Secretary) **Members** (3) S.D.O., P.W.D., B, and R., Branch (4) Trade Agent, Jammu and Kashmir (5) Tourist Officer, Jammu and Kashmir Government (6) Station Master, Pathankot (7) Shri M.K. Mahajan, Glacier Cottage, Pathankot (8) President, Municipal Committee (9) Shri Madan Lal Proprietor Standard Hotel, Pathankot (10) Shri P.C. Puri, New Metro Hotel, Pathankot (11) Shri Tehl Singh, Assiatic Transport Services Limited (12) Principal, S.M.R.S.D. College	**Tourist Traffic in Pathankot**		
13.	**Local Tourism Advisory Committee, Simla**	**Chairman** (1) Deputy Commissioner (2) District Public Relations Officer (Secretary) **Members** (3) General Assistant to Deputy Commissioner (4) Director Public Relations and Tourism (HP) Government. (5) Executive Officer, Cantonment Board, Kasauli (6) S.D.O. (Civil), Kandaghat (7) Sh imati Laja Verma, M.L.C. (8) President, Municipal Committee	**To advise the local administration on the development of tourist traffic in Simla**	Tourism	**31st December, 1965**

1	2	3	4	5	6
		(9) President, Simla Congress Committee (10) Chairman, Zila Parishad (11) Sarpanch, Gram Panchayat, Chail (12) Prof. Abdulmajid Khan, Sanjauli (13) Shri S.M. Kaul, Press Correspondent (14) Shri B.L. Vohra, Secretary Simla Hotels and Restaurants Association (15) Shri Basheshar Dayal of Indian Book Depot (16) Prop. Himalaya Transport Company			
14.	**Local Advisory Committee, Dharamsala**	**Chairman** (1) The Deputy Commissioner, **Secretary** (2) District Public Relations Officer **Members** (3) Shri Hem Raj, M.P. (4) Shri Amar Nath Sharma, M.L.A. (5) Smt. Sarla Devi, M.L.A. (6) Shri Hari Ram, M.L.A. (7) Shri Mehr Singh, M.L.A. (8) Shri Ram Chander (Com.) M.L.A. (9) Bakshi Partap Singh, M.L.A. (10) Shri Roop Singh Phul, M.L.A.	To advise the local administration on the development of tourist traffic in Kangra valley	Tourism	31st December, 1965

		(11) Shri N.N. Naroji, McLeod Ganj (12) Shri G.S. Mann, Prop. Dharamsala Tea Estate (13) Shri Punjab Singh, Chairman, Panchayat Samiti, Indora (14) Mr. P. Samuel, Principal, St. Paul Higher Secondary School, Palampur (15) President, Municipal Committee, Dharamsala (16) President, Municipal Committee, Palampur (17) Dr. Salag Ram of Kangra (18) Shri Ranjit Singh of Halti (19) Capt. Harnam Singh of village Barwara. Tehsil Dehra (20) Shri Mela Ram, Sever of Jawalamukhi (21) President, Bar Association, Dharamsala (22) Shri M.L. Puri, Advocate, Dharamsala (23) President, Municipal Committee, Nurpur.		
15.	State Advisory Committee for Revenue Department (excluding Forests, Excise and Taxation and Consolidation of Holdings)	**Official Members** (1) Revenue Minister (Chairman) (2) Financial Commissioner, Revenue (Member) (3) Additional Secretary, Revenue (Secretary) **Non-Official Members** (1) Shri Gurnam Singh, M.L.A. (2) Shri Darshan Singh, M.L.A. (3) Shri Gurmeet Singh, M.L.A. (4) Shri Kayana Lal Poswal, M.L.A. (5) Shri Tirlochan Singh Rayasti, M.L.A.	This Committee has been reconstituted on 22nd December, 1964. The functions of the Committee are to advise the Revenue Minister on general policy matters and specific programmes relating to Revenue Department. Its meeting will afford a foum for ventilating public grievances relating to the Department	Two years

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	5
		(6) Shri Gurdial Singh Dhillon, M.L.A. (7) Shri Amar Singh Dosanj			
16.	District Committee, Ferozepore for deciding the cases of exemption from surplus area	(1) Collector, Ferozepore (Chairman) (2) District Agriculture Officer (official Member) (3) Shri Gurmeet Singh, M.L.A. Non-official-Member)	These committees have been re-constituted on 28th September, 1964, 1st July 1964 and 13th September, 1964 respectively under rule 9 of the Punjab Security of Land Tenures Rules, 1956	No specific period has been prescribed. These Committees cease to function as soon as the work is completed in the District	
17.	District Committee Hissar for deciding the cases exemption from surplus area	(1) Collector, Hissar(Chairman) (2) District Agriculture Officer (official Member) (3) Shri Sita Ram Bagla, M.L.A. (Non-Official Member)	The functions of these Committees are to decide the applications of landowners who claim exemptions on the ground that their surplus area is under a tea estate or forms a part of a well-run farm under the provisions of rules 9 and 10 of the Punjab Security of Land Tenures Rules, 1956		
18.	District Committee, Amritsar for deciding the cases of exemption from surplus area	(1) Collector, Amritsar (Chairman) (2) District Agriculture Officer (Official Member) (3) Shri Narain Singh Shahbaz-puri, M.L.A. (Non-Official-Member)			
19.	Pepsu Land Commission	(1) Justice Tek Chand (Chairman) (2) Shri Harbhagwan Singh, Advocate (Member) (3) Shri Damodar Dass, Additional Secretary, Revenue (Member)	This Commission has been re-constituted on 6th November, 1964 under section 32-P of the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955. The functions of the Commission are as under :—	Three years	

No.	Committee	Members	Functions	Tenure	Period
			(i) To determine fair rents for the purpose of section 32-G of Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955 (ii) To determine the market value of any building, structure, tube-well or crop under sub-section (4) of section 32-G of the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955 (iii) To advise the State Government with regard to exemption of lands from the ceiling in accordance with the provisions of section 32-K of the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955		
20.	Land Acquisition Committee	(1) Financial Commissioner, Revenue and Secretary to Government, Punjab, Revenue Department (2) Secretary to Government, Punjab, Industries Department. (3) Secretary to Government, Punjab Agriculture Department (4) Director, Town and Country Planning Department (5) Chief Engineer, Punjab, P.W.D./Public Health (6) Shri Gurdial Singh Dhillon, M.L.A. (7) Shri Taib Hussain, M.L.A. and (8) President Punjab and Delhi Chamber of Commerce, New Delhi	To advise Government (in the acquiring Departments) in cases of acquisition of Land for companies under part VII of the Land Acquisition Act, 1894 in terms of the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963	The Committee itself is more or less of a permanent nature. However, the tenure of the members of the Committee at Nos. 4, 5, 6, 7 and 8 is one year in the first instance.	
21.	State Advisory Committee for Consolidation of Holdings Department	**Official** (1) Revenue Minister, Punjab, Chairman	To advise R.M. Punjab on general Policy matters and Specific programmes affecting	All matters relating to Consolidation of Holdings	2 years

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
		(2) Secretary to Government, Punjab, Consolidation Department (F.C.R.) Member (3) Deputy Secretary, Consolidation Secretary, Member **Non-Official** (1) Shri Jasdev Singh Sandhu, M.L.A. (2) Shri Gurmeet Singh M.L.A. (3) Shri Narain Singh, Shabazpuri, M.L.A. (4) Shri Prem Singh Lalpura M.L.C. (5) Shri Chiranji Lal Sharma, M.L.A. (6) Shri Surat Singh, Ex-Vice Chairman, District Board, Gurdaspur (7) Shri Trilochan Singh Rayasti, M.L.A.	Consolidation Department		
22.	The Non-Agricultural Land Taxation Committee	**Non-offical Members** (1) Shri Gurdial Singh Dhillon, M.L.A. (2) Shri Ram Saran Chand Mittal, M.L.A. (3) Dr. Baldev Parkash, M.L.A. (4) Shri Rup Lal Mehta, M.L.A. (5) Principal Rala Ram, M.L.A. (6) Shri Yash M.L.A. (7) Pandit Chiranji Lal Sharma, M.L.A. (8) Shri Gurdarshan Singh, M.L.A. (9) Shri Amar Singh, M.L.A. (10) Shri Dina Nath Aggarwal, M.L.A.	To go through the whole question of Special Assessment of land used for non-agricultural purposes (commonly known as Marla Tax)	The Committee among other things shall consider the advisability and possibility of amalgamating the Special assessment, levy (Marla Tax) with other taxes, on property. They will also consider the manner in which safeguard can be devised so as to ensure maximum return from lands appreciating quickly in value and maximum	The Committe shall report to Government on these points and any other point (s) that may be referred them separately before the Budget session, 1965 of the Punjab Legislature

No.	Committee	Members	Functions		Tenure
		(11) Shri Ajmer Singh, M.L.A. (12) Shri Kanwar Lal Sharma, M.L.C. (13) Master Hari Singh, M.L.C. **Official Members** (1) Financial Commissioner, Revenue or his representative (2) Finance Secretary to Government, Punjab (3) Secretary, Local Government and Town and Country Planning (4) Director, Town and Country Planning (5) Excise and Taxation Commissioner, Punjab		protection to which unproductive lands where the rate of grow this nomal or nil	
23.	Advisory Committee for the R.B. Sir Gujjarmal Kesradevi T.B. Sanatorium and Kotoomal Kesradevi T.B. Infirmary, Amritsar	(1) R.B. Sir Gujjarmal, Amritsar (2) R.B. Parkash Chand Mehra, Amritsar (3) The President of the M.C., Amritsar (4) Dr. Ram Parkash Malhotra, Prof. of Medicine, Medical College, Amritsar (5) L. Manohar Lal Duggal, President M.C., Jandiala Guru (6) L. Kishori Lal Kakar, Amritsar (7) Shri Baldev Parkash, M.L.A., Amritsar (8) Col. Buta Singh, Amritsar (9) The President Indian Medical Association, Amritsar Branch (10) Shri Amin Chand, Khanna, Amritsar (11) Lady Gujjarmal, Amritsar (12) Dr. J.L. Bhatia, Professor of Tuberculosis-cum-Deputy Medical Superintendent R.B. Sir Gujjar Mal Kesradevi T.B. Sanatorium and Kotoomal Kesradevi T.V. Infirmary, Amritsar	To hold meetings, discuss problems connected with tuberculosis and to advise how best to solve them. The Committee shall assist the sanatorium authorities in any manner they can be of use and recommend to the Government any steps that can further the best interests of the T.B. patients	As in Column 4	The tenure of the reconstituted Committee according to Health Department Notification No. 8328-ASOI-HB II-64/40446, dated 10th November 1964 is for one year from the date of publication of the Notification in the Punjab Government Gazette, provided that after the expiry of this period the Advisory Committee and each of its members will continue to function till a new Advisory Committee is contituted

[Chief Minister]

1	2	3	4	5	6
24.	Special Selection Committee	(1) Mrs. Serla Grewal, S.M.C.T. Chairman. (2) Shri K.S. Narang, F.S., Member. (3) Dr. D. Bhtia, D.H.S., Member. (4) Dr. Tulsi Dass, D.R.M.E., Member Secretary. (5) Dr. K.L. Wig, Director for All-India of Medical Science, Member. (6) Dr. Y. Sachdeva, Principal, Medical College, Amritsar, Member. (7) Dr. Amarjit Singh, Principal, Medical College, Patiala, Member. (8) Dr. Inderjit Dewa, Principal, Medical College, Rohtak, Member.	For making recruitment to the post of Medical and Para Medical Personnel at the Medical Colleges, of the State and attached Hospitals	As in column 4	3 months from 30th October, 1964 to 29th January, 1965
25.	Punjab Administrative Reforms Commission	(1) Shri K. Hanumanthiya, M.P., Chairman (2) Shri Justice Tek Chand, Member (3) Shri Gurnam Singh, M.L.A., Member (4) Shri Brish Bhan, M.L.A., Member 5) Shri Gobind Sahay, Member (6) Shri P.N. Thakar, I.C.S., Member (7) Shri A.L. Fletcher, I.C.S., Member (8) Dr. J.N. Khosla, Member (9) Shri Bharat Ram, Member (10) Dr. A.C. Joshi, Member (11) General P.S. Gyani, Member	To enquire into and repor t on the organisation and methods of operation of the department and agencies of the Government of Punjab and to recommend the changes therein which they consider would best promote efficiency, economy and improved service in the despatch of public business	(1) To examine the adequacy and effectiveness of the administrative machinery as at present organised and operating in the State ; (2) To recommend reorganisation and reforms in the existing administrative structures, methods and procedure of work and co-ordinating devices : (3) To suggest measures— (a) to facilitate speedy action and avoid	The Commission shall submit its report within a period of nine months from the date on which it first met

(12) Shri Sant Parkash Singh, Member (13) Shri H.R. Bhatia, Member (14) Shri A.D. Ahuja, I.A.S., Secretary	delays ; (b) for implementation of programmes ; (c) to provide effective co-ordination, and improve the functioning of the Government Departments and agencies ; and (d) to enlarge the competence of Government employees, ralse their moral integrity ; (4) To explore ways and means for— (i) the satisfaction of the Citizens's legitimate claims on adminstration and the redress of their grievances ; (ii) improved co-ordination between Government departments and voluntary organisations

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state the criteria for appointment of Members of the Punjab Administrative Reforms Commission which he kept in view while forming the Commission ?

मुख्य मन्त्री : जिन आदमियों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज का किसी तरह का तजरूबा था उन को लिया गया है, यही कराईटेरिया रखा गया ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know from the Chief Minister if nobody with the requisite qualifications or experience was available for appointment as a Member of this Commission, from the Hindi Region ?

मुख्य मन्त्री : इस का किसी रिजन के साथ कोई संबंध नहीं है, इस के लिए सारे प्राविंस का सवाल था ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know from the honourable Chief Minister as to what was the reason for appointing Members of this Commission from outside the State, ignoring persons from this State ?

मुख्य मन्त्री : यह कोई ऐसी बात नहीं है । इस तरह का कमीशन हिन्दुस्तान के और सूबों में भी बना है । इस में बैस्ट से बैस्ट आफीसर्ज़ को जिन से फायदा उठाया जा सके, लिया गया है ताकि ऐडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से रीफार्मज़ की जा सकें ।

Comrade Shamsher Singh Josh : May I know, Sir, whether the Government are aware of the fact that almost no representation has been given to the legislators from the Opposition in these Committees formed by the Government ?

मुख्य मन्त्री : इस में सरदार गुरनाम सिंह एम० एल० ए० लिए गए हैं । हम ने बैस्ट टेलैंट्स के लोगों को लेने की कोशिश की है ।

श्री जगन्नाथ : मैं पूछना चाहता हूं कि आया इन्हें बैस्ट टेलैंट का आदमी जैसे इन्होंने कहा है सरदार गुरनाम सिंह के इलावा आपोज़ीशन में और कोई नज़र नहीं आया ?

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम: क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीफार्मज़ कमीशन ने काम भी शुरू कर दिया है ? इन की अब तक कितनी मीटिंग हुई है ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know, Sir, from the honourable Chief Minister whether nobody, with the requisite experience or capabilities, was available from the Hindi Region of the State for appointment to this Commission ?

मुख्य मन्त्री : सारी चीज़ पर सोच कर काम किया गया है । इस में जस्टिस टेक चन्द जैसे व्यक्ति लिये गये हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज़ कमीशन के मेंबर रहे हैं ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यह जो सब-कमेटीज़ बनाई हैं, इन में कुल कितने मैंबर और आपोज़ीशन के कितने मैंबर लिए गए हैं ?

मुख्य मन्त्री : रिपोर्ट आप के सामने है, आप देख लें । मैंने बैस्ट से बैस्ट आदमी लेने की कोशिश की है ।

Comrade Ram Piara : May I know, Sir, whether the best talent has been given priority or integrity point of view has also been considered ?

श्री अध्यक्ष : आप का सवाल आ गया है मगर सरकार जवाब नहीं देना चाहती।
(The supplementary question of the hon. Member is there but the Government do not want to reply it.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state if this Commission was appointed by the Chief Minister himself or by the whole Cabinet ?

Chief Minister: I consulted the cabinet when the formation of this Commission was announced

चौधरी रणबीर सिंह : इस आयोग में दो ऐक्स चीफ मिनिस्टर हैं। आप ने हमारी स्टेट का एक्स चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं इस आयोग का सभापति बनाया ?

चौधरी नेत राम : आया दास रिपोर्ट में किसी दाग़दार मैंबर को Administrative Reforms Committee में भी लिया गया है या कि नहीं?

श्री जगन्नाथ : मैं और चौधरी नेत राम दो बार स्पलीमैंट्री कर चुके हैं मगर कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिर क्या बात है ; इस लिये कि वह अंडर मैट्रिक हैं ? और मैं तो कम से कम बी. ए. हूं। (हंसी)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300—350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 40—50 ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ?

श्री बलराम जी दास टंडन : स्पीकर साहिब, इस बात का जवाब तो आना चाहिए कि विज़डम की तकसीम भगवान ने किस तरह करके भेजी है।

Mr. Speaker : No please. It is a matter of opinion.

श्री बलराम जी दास टंडन : नहीं, जनाब, मैं जानना चाहता हूं कि यह तकसीम किस तरह से की गई।

Mr. Speaker : Please take your seat.

Chaudhri Hardwari Lal : I am sure the Chief Minister agrees that the Hindi region at least as regards the scheduled matters are concerned has a peculiar problem. Some of the Committees mentioned in the answer to the question relate to Planning, Revenue, Consolidation, Cost of production, and Finance. Does he not feel that the failure of the Government to give adequate representation to the Hindi Region on these Advisory Committees, which relate to those problems, will prejudice the interests of that region ?

Chaudhri Hardwari Lal : May I understand that the Chief Minister is not prepared to answer my question ?

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ........

Mr. Speaker : This is no point of order. Please take your seat.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, इन सभी कमेटियों में ग्रापोज़ीशन का कोई भी ग्रादमी नहीं रखा गया है सिर्फ सरदार गुरमान सिंह को लिया गया है। ग्रौर इन कमेटियों को रीकांस्टीचूट करते वक्त पंडित मोहन लाल दत्त को भी निकाल दिया गया है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से यह दरयाफ्त करना चाहता हूं कि क्या वह इस बात के लिये तैयार हैं कि इन कमेटियों को फिर से रीकांस्टीच्यूट किया जाए ग्रौर ग्रापोज़ीशन को ठीक से नुमाइंदगी दी जाए।

मुख्य मन्त्री : ग्रगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज़ कमीशन को देखा जाए तो पता चलेगा कि ग्रोवरव्हैलमिंग मजौरिटी उन मैंबरों की है जिनका कांग्रेस पार्टी या ग्रापोज़ीशन पार्टी से सम्बन्ध नहीं है। उस कमेटी में बैस्ट टैलेंट चुना गया है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, क्वैस्चन बड़ा स्पैसिफिक है, जो कमेटियां बनाई गई है उन में एम. एल. ए. रखे गए है लेकिन ग्रापोज़ीशन का कोई व्यक्ति, सिवाय सरदार गुरनाम सिंह के, नहीं रखा गया ग्रौर चीफ मिनिस्टर साहिब जवाब देते हैं कि बैस्ट टेलैंट रखा गया है।

मुख्य मन्त्री : मैंने बताया है कि वह डिफरैंट कमेटीज़ हैं। एक कमेटी ऐसी है जैसे कि प्लैनिंग कमेटी है, उस में सारे के सारे ग्राफीसर्ज़ हैं ग्रौर एक कमेटी ऐसी है जिस में एम० एल० एज़० हैं ग्रौर नान-ग्राफिशियल्ज़ हैं। इन में कुछ कमेटियां ऐसी हैं जो पिछले रिजीम की बनी हुई थीं, जिन को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया।

Dr. Baldev Parkash : He is evading reply. (*interruption*)

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, जहां तक इन मौजूदा कमेटीज़ का सिलसिला है, मेरी तरफ से जितनी कमेटीज़ बनाई गई हैं, उन में ग्रापोज़ीशन को एकामोडेट किया गया है।

(ग्रापोज़ीशन की तरफ से—बिल्कुल ग़लत है)

पिछली कुछ कमेटीज़ हैं, जिनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ग्रब नए साल के ग्रन्दर कुछ नई कमेटीज़ बनेंगी, उनके ग्रन्दर मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं—मैं जहां जहां फिर होगा ग्रापोज़ीशन को या कांग्रेस पार्टी को ग्रकामोडेट करने की कोशिश करूंगा।

Dr. Baldev Parkash : Sir, the question is very specific, whether he is prepared to accommodate members of the Opposition in these Committees or not ?

श्री ग्रध्यक्ष : जहां तक क्वैस्चन का फार्म है, वह फैक्टस की बात है, Whether it is to your liking or not. ग्राप ने सवाल किया ग्रौर उन्होंने जवाब दिया। You may draw any inference. (So far as the form of question is concerned, this is concerned with facts, whether it is to your liking or not. You have asked a question and he has given a reply. You may now draw any inference.)

Walk Out

Dr. Baldev Parkash : Sir, against this attitude of the Chief Minister we stage a walk out.

(*At this stage the Members of the Opposition staged a walk out.*)

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS (RESUMPTION)

Supplementries to Starred Question No. *6785 (concld.)

Chaudhari Hardwari Lal : Should I put a supplementary ?

Mr. Speaker : Yes, please.

Chaudhari Hardwari Lal : But they are making a noise.

Mr. Speaker : The hon. Member may please put his supplementary.

Chaudhri Hardwari Lal: I naturally experience very acute embarrassment in having to contradict the Chief Minister.

Mr. Speaker : The hon. Member may put his supplementary.

Chaudhari Hardwari Lal : This is a necessary introduction.

Mr. Speaker : No introduction please.

Chaudhari Hardwari Lal : The Chief Minister has said that the Advisory Committee on Planning is purely an official Committee. Sir, this Committee has some officers and 5 non-officials of whom only one is from the Hindi Region. This means discrimination. In fact, this and all the other Committees have one member from the Hindi Region if the total membership is five and two members from the Hindi Region where the total membership is more than five. What I want to know is if this kind of under-representation on Advisory Committee, attached to the various departments of the Government which are meant to evolve policies of those departments , does not prejudice the interests of that Region ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैंने प्लैनिंग कमेटी का ज़िक्र किया था लेकिन प्लैनिंग की ऐडवाइज़री का ज़िक्र नहीं किया था। मैं फिर से यह बात दुहराता हूं कि जो भी कमेटी इस रिजीम में मैंने बनाई उस में अपोज़ीशन को एकामोडेट करने की कोशिश की है, चाहे वह ट्रांस्पोर्ट के सम्बन्ध में, चाहे ऐडमिनिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में, गर्ज़ यह कि जितनी कमेटीज़ मेरी तरफ से बनाई गई हैं, उन में मैंने पूरी तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश की है।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह ऐश्योरेंस दिलाई कि वह आइंदा अकामोडेट करेंगे। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या उन को वाकफियत है कि जितनी डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं, उन में वही पार्टीज़ ऐसोशिएट होती हैं, जिनकी पार्टी इन पावर हो। आपने ऐश्योरेंस दे दी है लेकिन इस से पहले पता कर लेना था।

Chaudhari Hardwari Lal : The hon. Chief Minister has just now drawn distinction between the Committees appointed by him and the Committees appointed by other Ministers.

Mr. Speaker : Not by other Ministers but by the previous Government.

Chaudhari Hardwari Lal : Sir, are we to understand that he does not exercise any control over the Departments under the charge of other hon. Ministers.

मुख्य मन्त्री : हरेक मिनिस्टर को अपने महकमे के मुताल्लिक कमेटीज़ बनाने का पूरा पूरा हक है। मैं उस के अन्दर दखल नहीं दे सकता। लेकिन अगर किसी कमेटी के

[मुख्य मंत्री]

मुताल्लिक किसी को शिकायत है कि उन को मुनासिब रिप्रैजैंटेशन नहीं मिली तो उस के लिए हम तहकीकात कर सकते हैं।

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, will the hon. Chief Minister as Head of the Government be prepared to consider any grievances which we may send to him ? Incidentally, I may mention that I have been writing to him again and again about the under-representation of the Hindi Region on these Committees.

Chief Minister : I have been replying to each and every letter of the hon. Member. Not only this, but I have been considering sympathetically all his demands and requests.

श्री अमर सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जुलाई से दिसम्बर तक जो कमेटियां बनी हैं उन में हरिजन्ज़ की रिप्रैजैंटेशन का क्यों नहीं ख्याल किया गया ?

मुख्य मन्त्री : अगर आप किसी खास कमेटी का ज़िक्र करेंगे तो मैं चैक अप करके बता दूंगा।

Mr. Speaker : Question No. 6848 stands in the name of Comrade Bhan Singh Bhaura. He is not present in the House. Next question — (Question No. 6911) stands in the name of Chaudhri Hardwari Lal.

Chaudhri Hardwari Lal : Sir I have got the information just now. I did not know that these questions will come up for answer to-day.

Mr. Speaker : The hon. Member should have known this. A circular in this connection, was issued yesterday.

Chaudhri Hardwari Lal : The notice has come to us just now.

Mr. Speaker : I would like to know whether the hon. Member did not get the agenda papers yesterday ?

Chaudhri Hardwari Lal : I have got the agenda just now.

Mr. Speaker : I am told that the Agenda papers were sent to all the hon. Members yesterday evening.

Chaudhri Hardwari Lal : I am sorry, Sir, I did not get the Agenda papers.

Mr. Speaker : It is better if the hon. Member will put his question now.

Chaudhri Hardwari Lal : I shall put the question but the fact is that I have not seen the answer. It will rob all its significance. It is a very important question because it relates to the code of conduct of Ministers. I should first see the answer.

Mr. Speaker : The question is about the Administrative Reforms Commission.

Chaudhri Hardwari Lal : All right, Sir, question No. 6911.

Administrative Reforms Commission

***6911. Chaudhri Hardwari Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the cash remuneration, if any, to be paid to the different members of the Administrative Reforms Commission recently appointed by Punjab Government ;

(b) the details of facilities other than cash remuneration, to be given to the different members of the said Commission in the shape of transport, residential accommodation, etc., etc.

(c) the details of the officers and staff sanctioned for the office the Chairman and the members of the said Commission separately;
(d) the number of meetings held by the said Commission so far ?

Shri Ram Kishan : (a), (b), (c) and (d). A statement giving the desired information is laid on the table of the house.

STATEMENT

(a) The Chair man has declined to accept and remuneration and members who are M. Ps/M. L. As/M.L.Cs. as also official members of the Commission will not be paid any rumuneration. Other non-official members are, however, to be paid Rs 100 each for each day of the meeting of the Commission, those members of the Commission who are retired officials will each be paid Rs 100 for each day of the meeting but this will be subject to a maximum of the last pay drawn reduced by the amount of gross pension

(b) The Chairman Administrative Reforms Commission is to be treated as a State Guest during his stay at Chandigarh .

2. Non-official members can be treated as State Guests for attending to the work of the Commission at places in Punjab outside the place of their permanent residence. Any such member who is not treated as a State Guest and other members will be allowed T. A./D. A. at the following rates—

(i) M. L. As	.. 1½ 1st class railway fare and daily Allowance at Rs. 25 per day
(ii) M. Ps	.. As admisssible to M. L. As. but their 1½ first class fare would be reduced by one fare in view of the fact that they are provided with first class railway passes.
(iii) Members, who were/are in Government service	On the basis of their pay last drawn under the Punjab T. A. Rules.
(iv) Members who are neither M.L.As./M.Ps. nor were in the Government employment	As admissible to M. L. As.

3. A staff car has been placed at the disposal of the Chairman for the work relating to the Commission.

(c) Datails of the staff sanctioned are as follows.—

1. For Office.—

1.	Secretary, Administrative Reforms Commission	.. One
2.	Deputy Decretary	.. One
3.	P. A. to Secretary	.. One
4.	Steno to Deputy Secretary	.. One
5.	Superintendent	.. One
6.	Assistants	.. Six
7.	Reporters	.. Three
8.	Clerks	.. Five
9.	Daftri	.. One
10.	Jamadar	.. One
11.	Peons	.. Three

[Chief Minister]

II. For Chairman:—

1.	Private Secretary	.. One
2.	Personnal Assistant	.. One
3.	Steno-typist	.. One
4.	Jamadar	.. One
5.	Peon	.. One

III. For Members of the Commission:—

No staff sanctioned.

In addition, two Work Study Units under the Administrative Reforms Department are also assisting the Commission.

(d) Thirteen meetings have been held up to 22nd February, 1965.

Retirement age of Government employees in the State

***6819. 1. Sardar Trilochan Singh Riasti**
2. Sardar Jasdev Singh Sandhu : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether Government received any communication from the Government of India during the last year for reducing the retirement age of Punjab Government employees from 58 years to 55 years; if so, when and the contents thereof ;

(b) whether Government has also recently received any respresentation from some Legislators for reducing the retirement age of Government employees in the State; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(c) the action, if any, taken or proposed to be taken on the communication/representation mentioned in parts (a) and (b) above ;

(d) if the reply to parts (a) and (b) above be in the negative, whether Government intend to reduce the age of retirement from 58 to 55 years, if so, from what date ?

Shri Ram Kishan : No.

(b) No.

(c) Question does not arise.

(d) No.

Appointment of Magistrates

***7224. Sardar Trilochan Singh Riasti** : Will the Chief Minister be pleased to state whether Government is considering any proposal to appoint 150 Magistrates; if so, the qualifications fixed for making such appointments?

Shri Ram Kishan : No.

2. Question does not arise.

Increase in Salary/Dearness Allowance of Class III and IV Government Employees in the State

***6809. Principal Rala Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to enhance/increase by 25 per cent salaries/dearness allowances of Class III

and IV Government employees drawing pay up to Rs 300 per mensem in the State; if so, the time by which it is likely to be finalised ?

Sardar Kapur Singh (Finance Minister) : There is no proposal under the consideration of Government to increase by 25 percent the salaries of Class III and IV Government employees drawing pay up to Rs 300 per mensem. Government have, however, granted an additional Dearness Allowance to Class II/IV Government employees drawing pay up to Rs 300 per mensem as under :—

1. Enhancement of Dearness Allowance of Class III Government Employees

Additional Dearness Allowance has been allowed from 1st January, 1965, to Class III employees (excluding Police Personnel whose pay-scales were revised recently on the recommendations of Police Commissioner) at Rs 15 per mensem for those who are drawing a pay between Rs 101 and Rs 300 and Rs 10 per mensem for those getting a pay of Rs 100 or less.

2. Enhancement of Dearness Allowance of Class IV Government Employees

With a view to ameliorate the lot of Class IV Government employees their emoluments were raised with effect from 1st July, 1964 to Rs 75 per mensem while those of Sweepers were raised to Rs 90 per mesnsem These have been further raised to Rs 82.50 per mensem and Rs 97.50 per mensem, respectively with effect from 1st January, 1965.

Settinng up Industrial Eatate at Jaitu, District Bhatinda

***7155. Sardar Trilochan Singh Riasti** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether any Industrial Estate was sanctioned for Jaitu, district Bhatinda ;

(b) whether the decision for setting up the said state has been cancelled ; if so, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) Yes, It was allotted to Sandhwan because of the latter's better location. Even the allocation of a Rural Industrial Estate to village Sandhawan has subsequently been cancelled. The claim of Jaitu for the establishment of a Rural Industrial Estate will be considered when the question of establishment of any new Rural Industrial Estate in Bhatinda District is taken up.

(*At this stage, some hon. Members of the Opposition came to the Hall*).

Mr. Speaker : Question Hour is over now.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Defective Buses in the Punjab Roadways Depots

***6850. Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of buses owned by the Punjab Roadways at the Jullundur, Amritsar, Pathankot and Chandigarh Depots, respectively, at present ;

[Comrade Bhan Singh Bhaura]

(b) the number of buses in each of the said depots which are defective;

(c) whether it is a fact that the workers of these Roadways have recently refused to ply defective buses; if so, the steps, if any taken to replace the defective buses, if no steps have been taken, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) The number of buses owned (up to January, 1965) by :—

Punjab Roadways, Jullundur	..	197
Punjab Roadways, Amritsar	..	228
Punjab Roadways, Pathankot	..	144
Punjab Roadways, Chandigarh	..	137

(b) The number of buses in each of the said Depots which are defective :—

Punjab Roadways, Jullundur	..	Nil
Punjab Roadways, Pathankot	..	35
Punjab Roadways, Amritsar	..	Nil
Punjab Roadways, Chandigarh	..	Nil

(c) No. The Department is, however, fully seized of the condition of fleet operating and has taken adequate steps to retrieve the vehicles in bad repairs and to replace the unserviceable vehicles by new ones.

Cement distributed in Karnal District

*6791. **Chaudhri Ran Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the cement distributed, village-wise in Karnal District during the period from March to December, 1964.

Shri Ram Krishan : The time, labour and expense involved in furnish ing the required information will not be commensurate with any possible benefit sought to be derived.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Diversion of water of Beas River into River Sutlej.

2267. **Shri Partap Singh Bakshi:** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the water of the Beas River is being diverted into River Sutlej; if so, at which place;

(b) whether the said water will pass through a canal ;

(c) whether the canal proposed to be constructed would pass through the Sawan Nadi in villages Dangeh, Mawa Kahlan Nangal, Ghinari, etc., in tehsil Una, district Hoshiarpur;

(d) the time by which the said canal is likely to be completed?

Chaudhri Rizaq Ram (a) : Yes, Diversion will be made at Pandoh on River Beas in the district of Mandi, Himahcal Pradesh.

(b) The water will be conducted through an eight mile long tunnel and then through a canal 7.2 mile long which will tail into another tunnel 8.5 miles long into the river Sutlej at Slapper .

(c) No.

(d) The water conductor system will be completed by the year 1972 .

Government Girls Higher Secondary School, Maur Mandi

2268. Sardar Trilochan Singh Riasti. :Will the Minister for Education and Local Government be pleased to State —

(a) whether Government is aware of the fact that in the Government Girls Higher Secondary School, Maur Mandi, district Bhatinda, there are only a few teachers who are substantive permanent and the staff employed on temporary basis does not take interest in teaching work ;

(b) whether it is a fact that young male teachers are appointed in the said school against the posts of lady teachers even for the Primary classes ;

(c) whether it is also a fact that no permanent Headmistress joined the said school up to December, 1964, resulting in indiscipline throughout the year amongst the teachers and the students and non-completion of courses of the University classes ;

(d) whether the District Education Officer/Government received any complaints in connection with (a), (b) or (c) above, if so, the details of the action taken by the said Officer/Government thereon ?

Shri Prabodh Chandra :(1) The position is that out of a strength of 25 members of the staff, 20 are working on regular basis and only 5 are temporary. So there is no basis for inference that most of them take no interest in teaching work.

(b) There are 6 men teachers and out of them two work in the Primary classes.

(c) No. The permanent Headmistress joined on 25th March, 1964.

(d) No complaint regarding (b) above was received. A complaint regarding (a) and (c) above was received by the District Education Officer, Bhatinda, in July, 1964 and eight trained teachers/mistresses were provided to the school on regular basis. When the permanent Headmistress of this school remained on leave for short periods during 1964, the senior-most mistress was appointed to officiate as Headmistress, so that work should not suffer.

POINT OF ORDER

Comrade Ram Piara : On a point of order. What will happen, Sir, to the list of questions fixed for today ?

Mr. Speaker : This will be treated as unstarred.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਸ-ਸਟਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟੈਨਸ਼ਨਲੀ ਅਨਸਟਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਈ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਿਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ । ਇਕ ਸਵਾਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਨੈਪਕੋ ਕੰਪਨੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ

[ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ]

ਲੋਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੈਰੋਂ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ 1963 ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker: I have considered your request. This list will be taken up on some other date. It will not be treated as unstarred. You will receive intimation about it .

Chaudhri Inder Singh Malik : The exact date, when this list will be taken up, may kindly be stated.

Mr. Speaker : The date will be notified later.

CALL ATTENTION NOTICE

Comrade Babu Singh Master: Sir, I beg to draw the attention of the Government to the fact that the Punjab Public Works Department refused to recognise the degree of B.Sc. (Engineering) awarded by Punjabi University at least as far as recruitment to the Punjab Service of Engineers, Class II(P.W.D., B. & R.), is concerned.This decision of the Public Works Department has been incorporated in the Rules of Service published by the Department in the *Government Gazette* to the effect. This refusal of the said Department is sheer disapproval of the Punjabi University and its existense. Hence needs immediate and proper action to avoid further consequences.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg): There is some misunderstanding. This news has already been contradicted in the press. For the imformation of the honourable Member, I may state that for recruitment to the Punjab Service of Engineers, Class II, according to the Government's policy decision in regard to the degrees/diploms awarded by Universities in India, which are incorporated by an Act of the Central or of a Part A or Part B State Legislature In India, no formal orders recognising such degrees/displomas need be issued by the State Government .

ਪੰਡਤ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਦੱਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਨਸਰੰਡ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੇ। (In this connection, I have stated in the House that about the admissibility that motion which is not taken up in the House, the Member concerned, may please meet me in my Chamber and convince me.)

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਕ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ.........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ। (This ruling applies to the hon. Members mtion also.)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg): Sir I beg to lay on the Table the additions (two notifications) made by the Governor in the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955, as required under clause (5) of article 320 of the Constitutions.

Supplementary Estimates (Second Instalment), 1964-65

Mr. Speaker : The House will now take up the consideration of Supplementary Estimates (Second Instalment). I would like to know the sense of the House whether these demands should be discussed and voted one by one or they should be discussed together ?

Voices : All the demands may be discussed together.

Mr. Speaker : Allright, all the demands will be deemed to have been read and moved. The honourable Members, however, while speaking may indicate the number of the demand on which they are raising discussion, to enable the Government to reply to the Debate. I have received a notice of one Cut Motion which will also be deemed to have been read and moved and can be discussed alongwith the demands.

Demand No. 1 — That a supplementary sum not exceeding Rs 41,360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 12—Sales Tax.

Demand No. 2 — That a supplementary sum not exceeding Rs 83,160 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment year ending the 31st March, 1965 in respect of 18-Parliament, State and Union Territory Legislatures.

Demand No. 3 — That a supplementary sum not exceeding Rs 23,72,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment, for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 19-General Administration.

Demand No. 4 — That a supplementary sum not exceeding Rs 7,43,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 21/Administration of Justice.

Demand No. 5 — That a supplementary sum not exceeding Rs 1,33,75,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 28-Education.

Demand No. 6 — That a supplementary sum not exceeding Rs 10,41,560 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in resepct of 31 Agriculture .

Demand No. 7 — That a supplementary sum not exceeding Rs 13,01,340 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 43/Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial).

44—Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

Demand No. 8 — That a supplementary sum not exceeding Rs 16,51,640 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of charges on irrigation establishment.

Demand No. 9 — That a supplementary sum not exceeding Rs 61,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 50-Public Works.

Demand No. 10 — That a supplementary sum not exceeding Rs 78,73,430 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 57-Road and Water Transport Schemes.

Demand No. 11 — That a supplementary sum not exceeding Rs 95,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 64-Famine Relief,

[Mr. Speaker]

Demand No. 12 — That a Supplementary sum not exceeding Rs 7,23,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 70—Forest.

Demand No. 13 — That a supplementary sum not exceeding Rs 3,54,56, 000 be granted to the Governor to deray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 71—Miscellaneous.

Demand No. 14 — That a supplementary sum not exceeding Rs 89,30,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 99—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commerical).

Demand No. 15 — That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 103—Capital Outlay on Public Works.

Demand No. 16 — That a supplementary sum not exceeding Rs 1,62,650 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 120—Payment of Commuted Value of Pensions.

Demand No. 17 — That a supplementary sum not exceeding Rs 2,85,34,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 124—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

Demand No. 18 — That a supplementary sum not exceeding Rs 6,28,89,910 be granted to the Governor to defray the charges that will come in ccurse of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respct of loans to local funds—private parties, etc.

Demand No. 19 — That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the changes that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 42—Multipurpose River Schemes

Demand No. 20 — That supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 98—Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

DEMAND *No*. 13

(71—Miscellaneous)

Shri Ajit Kumar : That the demand be reduced by Re 1/—.

Finance Minister (Sardar Kapur Singh) **:** Mr Speaker, Sir, I would like to know the time at which the guillotine will be applied ?

Mr. Speaker: At 5.15 p. m. please.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲਸਿੰਘਵਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਗ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣ ਦਾ ਇੰਜਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਣਾ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਘਟੀ ਸੀ । ਇਕ ਦਫਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗ ਬੁਝਾਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬਰੀਗੇਡ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ.........

Finance Minister: As there will be general discussion on all the Demands together, I would expect the honourable Members to express their views within the limits of these Demands.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਰ ਕਹਿਕੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਹਿਲਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀ (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰ-ਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Before any honourable member begins to speak he should please first indicate the number of the demands on which he intends to speak.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਤੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ 17 ਰਾਹੀਂ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹੋ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬਰੀਗੇਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੜ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਖ ਕੇ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੋਗੇ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤਜਾਰਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੜਾ ਕਣਕ ਦੀ 45 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੰਗੀ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਕਣਕ ਦੀ 53 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂ-ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੇਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 21, 22 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ ਘਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 45 ਜਾਂ 53 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਰਖੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਭੀ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਭਾਉ ਉਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 22, 23 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 25, 26 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਫਲੱਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੱਡਜ਼ ਦੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੇਮ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਖੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਰਟਾਈਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸੇਮ ਜ਼ਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਂਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੇਮ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਜਾਂ ਫਲੱਡਜ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕੋ ਬਾਰ ਚੋਖੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ । 1955 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੱਡਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਫ ਭੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । 5, 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਚ ਫਲੱਡਜ਼ ਆਏ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਲੱਡਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਉਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ

ਵੇਲੇ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਚ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਉਤੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫਲਡਿਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡਜ਼ ਫਲਡਿਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੋਗਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਿਡ ਹੈ । 18 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੜੇ ਭੀ ਪਏ ਸਨ । ਉਥੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲ ਸਕਣ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਇੰਜਣ ਲਾਉਣ ਲਈ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤੋਖਿਤਾਬਤ ਭੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਟਿਊਬ ਵੈਲਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਉਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਭੀ ਚੁਪ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 1964, ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ, 1964 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਲਾਏ ਸਨ, 25 ਫੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਿਕਰੀਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਇਕ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਡਿਕਰੀਟਲ ਅਮਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿਚ ਹੈ । ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਦ ਵਿਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਤ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਫਾ 80 ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਭੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ਿਅਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਬੇਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਟਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਫਾਲਟਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ **M/s Ambala Bus Syndicate (Private) Ltd.** ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਕਾਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਯਾ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਵਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਰੀਮੈਂਬਰੈਂਸਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮਤ ਭੇਦ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਬਲਿਕਮੈਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਠੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਬਸ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾ ਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਲ० ਆਰ० ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਐਲ० ਆਰ० ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 500 ਰੁਪਿਆ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਐਲ० ਆਰ० ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 800 ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿਉ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਡ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਐਲ० ਆਰ० ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਐਲ० ਆਰ० ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 500 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 500 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝਟ ਡਿਟੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਸਟਰ

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇ. ਬੀ. ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਵੀਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 95 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਲਰਕ 175 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਮਾਲੂਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਹਨ । ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਟੀਚਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁਕ ਸਕੇਗਾ ? ਇਕ ਦੋ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਟੀਚਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

[*Deputy Speaker in the Chair*]

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲੱਡਜ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਬੋਟ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਡਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰ ਬੋਟ ਸ਼ੈਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਟ੍ਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਉਥੋਂ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਖਰਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹ-ਤਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੀਲੀਫ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰੀਲੀਫ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੀਲ ਵਿਚ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਅਗਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁੜਗਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਿਆ ਮਨ-ਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1961 ਤਕ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । 1961 ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1961 ਦੇ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਹੋ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1961 ਤਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 60,000 ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੁਤਫ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਅਜੇ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਨੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਠੀਕ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਲੋਕ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 60,000 ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਉ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਉ। ਕਲ੍ਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਥੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। 50,000 ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨੇਰ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਲੈ ਲਉ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੱਟਾ ਲਟਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪੋ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਕ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਲਉ—ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਲਉ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਲਉ, ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 200 ਗਰਾਮ ਵੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫੀ ਜੀ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

3.00 p.m.

ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਖੰਡ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹੀ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਜਾਂ 250 ਗਰਾਮ ਜੀ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਤੂ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੋਗਸ ਕਾਰਡਾਂ ਉਤੇ ਬੋਗਸ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਖੰਡ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਪੇਂਡੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠੀ ਗਲ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ......................

श्रीमती ओम प्रभा जैन : श्रान ए प्वायंट श्राफ श्रार्डर, मैडम। इन सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स पर श्रौर भी बहुत से मेम्बर बोलने वाले हैं। श्रागे तो श्राप ऐसे मौकों पर टाइम लिमिट मुकर्रर कर दिया करती थीं क्या श्राज कोई टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं करेंगी ? (विघ्न)

उपाध्यक्षा : सब से पहिले तो श्राप के लिए करना कड़ेगा श्रौर फिर दूसरों के लिए करना कड़ेगा। (हंसी) कामरेड गुरबख्श सिंह जी, श्रब श्राप वाइंड श्रप करें श्रौर इस तरह श्रौरत वाली कहानी में न पड़ें। (First of all, I shall have to fix the time limit for the hon. lady Member and, then for other Members (*Laughter*). The hon. Member, Comrade Gurbakhash Singh, may please wind up now and avoid mentioning the story of a woman.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਉਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਲ੍ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਕ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕੋ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਦੋ ਦੋ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੰਡ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। (ਘੰਟੀ) ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰ ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਤਕਰਾ ਰਖਿਆ ਹਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਹਾਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਲਿਖਕੇ ਮਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਏ. ਜੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਇਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਜ ਤੋਂ 9/10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 16 ਕਮਰੇ ਅਪਣੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ 14 ਕਮਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਖੇ ਸਨ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਪਨੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੋਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। 68,000 ਰੁਪਿਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰਲੀਆਂ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ? ਆਰਜ਼ੀ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਵਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। (ਘੰਟੀ) ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਕਦਮ ਚਕੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਫੌਰੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2,000 ਤਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਥੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਟੈਕਲ ਕਰੇ। ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਉਥੇ ਫੌਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫੌਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

(At this stage, the Deputy Speaker Called upon Shri Amar Singh to speak)

श्री बलरामदास जी टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बड़ी अजीब बात है कि जो आदमी आप की आई कैच नहीं करता आप उसी को बोलने के लिये कह रही हैं ।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : और जो बोलने के लिए खड़े होते हैं उन की तरफ आप का ध्यान नहीं जाता । (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आप मेहरबानी करके तशरीफ रखिए । मैंने उन को काल अपान कर लिया है । (Please resume your seat. I have already called upon the hon. member.)

श्री बलराम जी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जो मेंबर साहिब चांस लेना नहीं चाहते, बोलने के लिये तैयार नहीं हैं क्या उन बैठे हुओं को भी आप बुलाना शुरू कर देंगी ?

श्री अमर सिंह : यह बात गलत है कि मैं बोलने के लिए तैयार नहीं, मैंने चिट भी भेजी हुई है और मैं आप की आई कैच करने के लिए खड़ा भी हुआ था (विघ्न)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਤੁਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ [* * * *] ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(इस समय बहुत से माननीय सदस्य अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए)

उपाध्यक्षा : क्या आप मुझे भी कुछ कहने देंगे या नहीं ? अगर आप ने इसी तरह से करना है तो मैं उधर जा बैठती हूं और आप इधर आ जाइए। (Will the hon. Members not allow me to speak ? If they continue to behave in this manner, then let me have my seat in the House and they may occupy this Chair).

श्री जगन्न नाथ : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह टाईम भी आ जाएगा।

श्री अमर सिंह (नारनौंद ऐस. सी.) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो आज सन् 1964-65 के लिए सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेंट्स हाउस में ज़ेरे बहस हैं, उन को देखकर बड़ी हैरानी होती है कि इसमें जो एक 13,01,340 रुपये की रकम इरीगेशन के सिलसिले में मांगी गई है उस में से हांसी सब-डिविज़न के लिए सिर्फ 4,550 रुपए की रकम निकाली गई हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हांसी तहसील बहुत सालों तक काटन प्रोडियूसिंग तहसील पुकारी जाती थी और हांसी काटन मार्किट के नाम से मशहूर रही है और साल 1956-57 में 5,50,597 मन कपास हांसी मण्डी में आई थी लेकिन 1956-57 के बाद उस इलाके को सेम ने घेर लिया है और उस तहसील का सारा इलाका वाटरलाग्ड हो गया है। उस सेम को दूर करने के लिये 1958-59 में एक एंटी-वाटर लागिंग स्कीम पर 14 लाख 87 हज़ार रुपए खर्च करने का फैसला किया गया था लेकिन, स्पीकर साहिब, आप सुन कर हैरान होंगे कि उस स्कीम के तहत राज थल से हांसी तक हिसार मेजर और पटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ साथ 75 मील लम्बी ड्रेन जो खोदी गई थी हालांकि उस ड्रेन की गहराई कुल डेड़ दो फुट है लेकिन उस ड्रेन में चार चार पांच पांच फुट लम्बा घास खड़ा हुआ है। उस ड्रेन की कभी सफाई नहीं की गई और न ही उस को और गहरा किया जा रहा है हालांकि मैं इस तरफ कई दफा सरकार का ध्यान दिला चुका हूं। इस ड्रेन में पानी रुक जाता है और उस की वजह से हर साल 34 गांव तबाह हो जाते हैं, लाखों रुपए की फसलें तबाह हो जाती हैं और लाखों रुपए सरकार को किसानों को ग्रांटें और तकावियां देने में खर्च करने पड़ते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने पिछले सैशन में सरकार के सामने इस बारे में एक तजवीज़ रखी थी जो अब फिर रखता हूं और वह तजवीज़ यह है कि राजथल से हांसी तक हिसार मेजर और पठवार डिस्ट्रीब्यूटरी को पक्का कर दिया जाए। इस से उस

*Note.—Expunged as ordered by the Chair.

[श्री अमर सिंह]
इलाके में से सेम दूर हो सकती है और उस को फिर से खुशहाल बनाया जा सकता है। यदि इस तरह कर दिया जाए तो वह इलाका फिर से काटन ग्रोइंग इलाके के नाम से पुकारा जाने लगेगा । अगर सरकार हांसी को फिर से काटन की मार्किट बनाना चाहती है तो उसे लाज़मी तौर पर यह करना होगा। इस काम के लिये इन स्पलीमैंट्री डिमांड्ज़ में 4,550 रुपए की जो रकम रखी गई है, मैं समझता हूं कि यह थोड़ी है। इस सिलसिले में मैं अपने इरीगेशन मिनिस्टर साहब से भी कई बार मिला हूं और अब फिर आप की मारफत, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अर्ज़ करता हूं कि इस रकम से वह काम होने वाला नहीं क्योंकि उस इलाके में से सेम को दूर करने के लिये यह निहायत ज़रूरी है कि राजथल से ले कर हांसी तक हिसार मेजर और पटवाड़ डिस्ट्रीब्यूटरी नाम की दोनों नहरों को पक्का कर दिया जाए। अगर यह कर दिया गया तो सरकार को उन 6 पम्पिंग सेट्स पर जो इस काम के लिए दोनों नहरों पर वहां लगा रखे हुए हैं हर साल 63 हज़ार रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा जो अब इसे उन की मेन्टीनेंस पर करना पड़ रहा है। इस से इस का यह 63 हज़ार रुपया का सालाना खर्च बच जाएगा; दूसरा जो लाखों रुपए इसे फ्लड्ज़ से तबाह हुए लोगों को तकावियां और ग्रांटें देने पड़ते हैं वह बच जायेंगे और इस के साथ ही लोगों की लाखों रुपए की जो आए साल फसलें तबाह होती हैं वह बच जायेंगी। इस ड्रेन और इन नहरों के बनने से पहले वहां जो पानी बारिश का होता था वह जिधर उस का नेचुरल फलो होता था उधर बह जाता था लेकिन अब वह वहां इकट्ठा हो जाता है और 35 गांवों को तबाह करता है ।

दूसरा प्वायंट जो मैं हाउस में रखना चाहता हूं वह एजूकेशन के बारे में है, क्योंकि एजूकेशन के बगैर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनसान कुछ भी नहीं है। इस में 1,33,75,120 रुपए स्पलीमेंटट्री इस्टीमेटस में मांगे जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, विद्या ही रोशनी है और इस के बगैर इनसान अधूरा रहता है लेकिन मुझे यह दुख से कहना पड़ता है कि हमारे बैकवर्ड इलाके के लोगों से स्कूलों को अपग्रेड करने के लिये सरकार वहां, सायंस के कमरे और दूसरे बहुत सारे कमरे बनाने के लिये कहा जाता है और इस के साथ ही स्टाफ पर और फर्नीचर आदि पर खर्च करने के लिये कई हज़ार रुपए देने की शरत लगाई जाती है। लेकिन ऐसा करने पर भी स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया जाता । मैं आप की मारफत हाउस से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरी कानस्टीचूएंसी में तहसील हांसी में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर वहां के लोगों ने अपना और अपने बच्चों का पेट काट काट कर रुपए इकट्ठे कर के एक एक लाख रुपए से स्कूलों की बिल्डिंग्ज़ बनवाई है और सरकार के पास हज़ारों रुपए फर्नीचर और स्टाफ का खर्च पूरा करने के लिये जमा करा दिया हुआ है लेकिन इस के बावजूद वहां के स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है । मिसाल के तौर पर एक खरक पुनिया गांव हैं, वहां के लोगों ने अपने स्कूल की बिल्डिंग पर डेढ़ दो लाख रुपए के करीब चन्दा इकट्ठा कर के खर्च कर के जहां 14 कमरे बनवा दिये हैं और वह पहले साल का टीचर्ज़ का खर्च और फर्नीचर आदि का खर्च भी देने का तैयार हैं लेकिन फिर भी यह सरकार उस बैकवर्ड इलाके के उस स्कूल को अपग्रेड करने के लिये तैयार

नहीं हुई । इसी तरह से जमाड़ी गांव है जो वाटरलाग्ड एरिया में वाकिया है और चारों तरफ से सेम के पानी से घिरा हुआ है। हालांकि वहां सेम की वजह से कुछ पैदावार नहीं होती और वहां के लोगों की हालत बड़ी खस्ता है लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने अपना और अपने बच्चों का पेट काट काट कर लाखों रुपए इकट्ठे कर के वहां स्कूल की बिल्डिंग बनाई है और सरकार के पास रुपए जमा करने के लिये भी तैयार है लेकिन अभी तक वहां के मिडल स्कूल को हाई स्कूल नहीं बनाया जा रहा हालांकि वहां जब मिनिस्टर साहब गए थे तो जल्सा भी किया गया था। मैं इस बारे में इस लिये कह रहा हूं क्योंकि पिछला साल तो इसी तरह निकल गया, इस लिये मुझे डर है कि कहीं यह साल भी उसी तरह से न निकल जाए और उस स्कूल को अपग्रेड न किया जाए क्योंकि अब वक्त अपग्रेड करने का आ गया है ।

ऐसे ही, डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक पुठी गांव है जिस के आठ आठ दस दस मील के फासले से कम पर कोई हाई स्कूल नहीं है। वहां तीन बार तो मिनिस्टर साहब उस स्कूल की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रख आए हैं लेकिन अभी तक उस स्कूल को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। मुझे यह कहने में दुख होता है कि प्रान्त की दूसरी तरफ यानी जालंधर, अमृतसर की तरफ तो सरकार अपने पास से खर्च कर के स्कूलों को अपग्रेड करती रही है और कर रही है और नए स्कूल खोलती है लेकिन हमारी तरफ जहां लोग अपने पास से खर्च कर के बिल्डिंज़ बना देते हैं और एक साल तक का हर किस्म का खर्च यानी स्टाफ का खर्च और फर्नीचर आदि का खर्च करने को तैयार हैं वहां फिर भी सरकार उन के स्कूलों को अपग्रेड नहीं कर रही ।

फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हांसी तहसील की लगभग तीन चार लाख की आबादी है, वहां जहां हाई स्कूलों की कमी है वहां एक भी कालेज नहीं है। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल जी नेहरू की मृत्यु के बाद वहां उन के नाम पर कालेज खोलने के लिए एक दानी वीर ने साढ़े बारह एकड़ ज़मीन दी है जिस की कीमत वहां की मार्किट की क़ीमत को देख कर अन्दाज़ा लगाया जाए तो दो या तीन लाख रुपए से कम नहीं बनती। लेकिन इस के बावजूद भी सरकार वहां कालेज खोलने के लिए तैयार नहीं हुई है हालांकि यह कालिज स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल की याद में खोला जाना है ।

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मेडम, में पूछना चाहता हूं कि जो स्पीच माननीय मैम्बर कर रहे हैं क्या यह स्पलीमेंट्री डीमांड पर कर रहे हैं या जनरल बजट पर कर रहे हैं या गवर्नर एड्रेस पर कर रहे हैं। इन डिमांड्ज़ में कहां इस कालेज का ज़िक्र है जिस का यह ज़िक्र कर रहे हैं ।

उपाध्यक्षा : बाबू जी, इन्हें बोललेने दें। हर कोई अपनी समझ के मुताबिक ही बोलता है । (I would ask Baboo Bachan Singh to let the hon. member speak. Every body speaks according to his ability.)

बाबू बचन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह गलत बात कर रहे हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स पर किसी सपेसेफिक डिमांड पर ही बोला जा सकता है।

श्री अमर सिंह : बाबू जी, मैं डिमांड नं० 5 पर बोल रहा हूं। जब मैं लुधियाना और जालंधर की बात करता हूं तो आप नाराज़ होने लग गए हैं।

Deputy Speaker: Ord.r please.

चौधरी अमर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के ज़रिए मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार अपने पास से खर्च कर के स्कूल खोल रही है और दूसरी तरफ लोग अपने पास से पैसे इकट्ठे कर के बिल्डिंग बनाते हैं और पहले खर्च करने के लिये तैयार है, वहां यह उन के स्कूलों को अपग्रेड नहीं कर रही है। इस लिये वह अब इस बात का ख्याल रखें कि जहां जरूरत है वहां पर बैकवर्डनैस को दूर करने या वाटर लौगिंग के दूर करने या ड्रेन बनाने के लिये उचित कार्यवाही की जाए। यही मेरी सरकार से आप के ज़रिये दरखास्त है।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂਬੇਟ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 13 ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਟਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰੀਜਨ ਅਪਲਿਫਟ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੈਕੁਈ ਲੈਂਡ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 205 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 405 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਡ ਦੇਵੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਲੋਨ ਹਰੀਜਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ 8—10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਰ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰੀਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ ? ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾਫਾ ਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬੋਲੀ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ

ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸੋ ਉਪਰ ਤੇ ਤੁੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਹਰੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਰੀਜਨ 5—7 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਸ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਚੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ 5—7 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨ ਫੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ । ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਦਾ ।

ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੀਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿਚ ਸੇਲ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੀਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਢੌਂਗ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 45 ਜਾਂ 48 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 78 ਰੁ० ਕਵਿੰਟਲ ਸੀਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੁਟੇ ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਏ. ਓ. ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਸਟੋਰਿੰਗ ਤੇ ਇਤਨੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਵਿੰਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੁਗਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ । ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨੋ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ' ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਸੀਡ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ । ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ; ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 15—20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 15—20 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਆਈਟਮ ਹੈ 'ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਟੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' । ਇਸ ਮਦ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਨਿਊ ਸਕੀਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ

[ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਨਵਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਹ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬਾਡੀਜ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹੀ ਅਸੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ग्राज सरकार इस हाउस से 548 करोड़ 67 लाख ग्रौर कुछ रकम सैकण्ड इन्सटालमेंट में स्पलीमैन्टरी एसटिमेट्स की शक्ल में पास करवाना चाहती है । इसके बारे में जो दो चार बातें मैंने महसूस की हैं उन का ज़िक्र यहां पर करना चाहता हूं।

पहली बात तो इस में यह हैं कि ग्रलग ग्रलग महकमों की जो डिटेल्ड ग्राइटम्ज़ हैं उन में से बहुत सी रकमें डिक्रीटल ग्रमाऊंट हैं। मैं यह महसूस करता हूं कि डिक्रीटल ग्रमाऊंट के बढ़ जाने के क्या कारण हैं। इस सरकार का जो लीगल डिपार्डटमेंट है वह इनएफिशेएंट है। जब दफा 80 के ग्रधीन नोटिस ग्राते हैं ग्रौर एडवाइस के लिये केस ग्राते हैं तो या तो वक्त पर एडवाइस नहीं दी जाती ग्रौर ग्रगर दी जाती है तो गलत दी जाती है। वरना इतना ज्यादा डिक्रीटल ग्रमाऊंट हो जाने का सवाल ही नहीं उठता। इस लिये मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह ग्रपने लीगल रिमम्ब्रेंसर के ग्राफिस को रिग्रारगेनाइज़ करें ग्रौर इसे इस कदर एफीशिन्ट बनाए कि इस तरह के केसों में सही एडवाइस दी जा सके । इस के साथ ही साथ इस महकमे को पोलिटिक्ल काम से ज्यादा ग्रोवर बर्डन न करें ग्रौर उन्हें ग्रपना काम सही ढंग से करने को कहें।

दूसरी बात जो मैं ने इन स्पलीमेंटरी एसटिमेट्स में महसूस की है वह 95 लाख की रकम है जो फैमिन रीलीफ के लिए मांगी गई है। इस डिमांड के नीचे टैस्ट रीलीफ वर्कस शुरू किए गए हैं ग्रौर उन कामों में जिस रकम का खसारा था वह ग्रब मांगी जा रही है। मैं ने इस डिमांड का ग्रच्छी तरह से मुताले किया है ग्रौर देखा है कि इस डिमांड को फ्लड ग्रौर फैमिन ग्रफेकटिड इलाके को रिलीफ देने का बहाना बनाया जा रहा है ग्रौर इस तरह से उस इलाके के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। ग्रसल बात यह है कि कुछ इलाकों में सड़कों के बनाए जाने की स्कीम मन्जूरशुदा है । ग्रौर ग्रब कुछ सड़कें कहतज़दा इलाकों में बनाई जा रही हैं, जैसे कि मेरा इलाका भिवानी की तहसील है। इस में कुछ सड़कों का काम हुग्रा है। ग्राधी बन गई हैं, किसी पर पत्थर डाल दिये गये हैं तो तारकोल नहीं हुग्रा ग्रौर ग्रगर मिट्टी डाल दी है तो रोड़ी नहीं डाली गई। मैं यह

समझता हूं कि दोचार सालों में आंधी और तूफान से जो कि मेरे इलाके में बहुत आते हैं य; आधी बनाई सड़कें भी खत्म हो जाएंगी अगर सरकार इन्हें मुकम्मल न करेगी । अब इस तरह से जो सड़कें बनाई जा रही हैं इनके बारे में मेरी इतलाह है कि जो रिलीफ वर्क्स की सड़कें हैं वह हमारा जो प्लान की सड़कों का कोटा है उस में से काट ली जाएंगी, क्योंकि हर ज़िले में सड़कों को बनाने का एक कोटा प्लान में पहले से ही मन्ज़ूर है। और अब यह बताया गया है कि रीलीफ की सड़कें उस कोटा से अलग नहीं हैं। इस तरह से यह जो सड़कें इस रीलीफ वर्क्स के नीचे बनाई जा रही हैं इन को उस क.टे से काट लिया जाएगा। वैसे भी ज़िला में सड़कें तो बननी थीं। यह तो फ्लड व फैमिन रीलीफ का बहाना दिया जा रहा है कि हम भिवानी में और दूसरे फ्लड अफैकटिड इलाकों में सड़कें बना रहे हैं। इसका तो उल्टा असर होगा कि जिन सड़कों की वैसे भी ज़िला में ज़रूरत थी और जिन के बारे में पहले से ही 20 साला प्लान मन्जूर हो चुका है उन को नहीं बनाया जाएगा। इस लिए मैं यह कहूंगा कि फ्लड व कहत के मारे इलाके की यदि आप मदद करना चाहते हैं तो जो पहले ही सड़कें बनाए जाने की तजवीज़ें हैं उनको न काटा जाए। यह जो रीलीफ की सड़कें हैं उन सड़कों से एक्सट्रा हों, तब ही यह माना जा सकेगा कि आप कहत ज़दा इलाकों को राहत देना चाहते हैं।

तीसरी .बात जो मैं इस हाऊस के सामने रखना चाहता हूं वह कैपिटल आऊटले आन पब्लिक वर्कस की डिमांड के बारे में है। सफा 47 पर एक नयी सड़क की कन्सट्रक्शन के बारे में 5,000 रुपए की रकम का खर्च किया जाना है। यह है 'कन्सट्रक्शन आफ ए लिंक रोड फराम पायल टू इसरू इन लुधियाना डिस्ट्रक्ट इन ल्यू आफ जोहरां टू हथूर खास।' इस सड़क पर इस साल 5,000 रुपये खर्च करने की डिमांड है। इस सड़क की अहमियत के बारे में लिखा है -

> "The construction of a road from Payal to Isru in Ludhiana District is a genuine requirement of the area and it has been decided by Government that this work may be taken in hand immediately........."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि मैं ने पहले ही बताया है कि सड़कों के बारे में 20 साला प्लान पहले से ही मन्ज़ूर हो चुका है और मुख्तलिफ ज़िलों के लिये कोटा मुकर्रर है। इस लिये इस तरह से किसी नई सड़क को शुरू करना ठीक नहीं था । इलाके की जैनविन डिमांड का ज़िक्र किया गया है। अब पता नहीं कि जैनविननैस को मापने के लिए सरकार ने कौनसी यार्ड स्टिक बना रखी है। (विघ्न)

उपाध्यक्षा : जो सड़क बन रही है उसको बनने दो और अपने इलाके के लिए कहो। (Let this road which is under construction be constructed. The hon. Member may refer to the roads of his own constituency.)

श्री सागर राम गुप्ता : शायद मेरी इस बात पर कोई मिसअन्डरस्टैंडिंग न हो। जो सड़क इस तरह से बन जाएगी वह हमारे कोटे से कट जाएगी। जो सड़कें हमारी या और जिलों में बननी थीं वह नहीं बन सकेंगी। और सड़कें, जिनको 20 साला प्लान में शामिल कर दिया गया है और जिसकी मन्जूरी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दे दी है उनकी

[श्री सागर राम गुप्ता]
माइलेज कम हो जाएगी और इस तरह करने से दूसरे इलाकों को नुकसान होता है। फिर पता नहीं कि इस इलाके की जैनविननैस क्या थी। (विघ्न) तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस तरह से पिक एन्ड चूज़ की पालिसी को अडाप्ट नहीं करना चाहिए। इसी सम्बन्ध में यह बात भी रैलेवेन्ट है कि यह सड़क सड़कों के 20 साला प्लान में शामिल नहीं थी और इसी के लिए इस रकम को सप्लीमेन्ट्री एस्टिमेट्स में पास करना जायज़ नहीं होगा। इन डिमांड्ज़ में एक डीमांड 12 लाख रुपए की और है जो कोआपरेटिव शूगर मिल्ज़ के मुताल्लिक है। पंजाब सरकार इन को-आपरेटिव शूगर मिल्ज़ को बदस्तूर एक बीमार बच्चे की तरह फीड करती चली आ रही है। हो सकता है कि कोई फिनांशल इम्प्लीकेशन्ज़ की वजह से यह डीमांड मांगी गई हो लेकिन मुझे मज़दूरों के मुताल्लिक इतना इलम है कि जो इन कोआप्रेटिव मिल्ज़ में काम करते हैं उन को कोई बोनस नहीं मिलता, तनखाहें बड़ी कम मिलती हैं, जो फैसिलिटीज़ दीगर मजदूरों को मिलती हैं वह इन को-आपरेटिव शूगर मिल्ज़ के मज़दूरों को नहीं मिलतीं। अगर इन के मुकाबले में प्राईवेट मिल्ज़ को देखें तो वह इन से कई गुना बेहतर तरीके पर चल रही हैं। कारण यह है कि यहां मिसमैनेजमैंट है। जो आई. ए. ऐस. आफिसर्ज़ लगाये जाते हैं, वह आराम से बैठे रहते हैं, न उनको यह मालूम है कि लेबर को कैसे हैंडल किया जाता है, न उन को यह मालूम है कि केन ग्रोअर्ज़ को कैसे हैंडल करना है। मैं सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि आप चल कर देखें इन मिल्ज़ में लेबर की हालत ठीक नहीं है। इस तरफ फौरी ध्यान देना ज़रूरी है और अगर ज़रूरत समझी जाये तो इस मुआमला की छानबीन के लिए एक एडवाईज़री कमेटी मुकर्रर की जाये।

इस के इलावा जो डीमांडें मांगी गई हैं इन में लेबर का कहीं कोई ज़िकर नहीं, जैसे कि यह सरकार समझती हो कि इन का लेबर से कोई वास्ता ही नहीं। जो यह पैसों की डीमांड है यह किसी वजह से शार्ट फाल होने पर मांगी गयी है मगर लेबर की कोई डिमांड नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के द्वारा अर्ज़ करूंगा कि इस सरकार को लेबर का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं। अगर मुल्क में पैदावार बढ़ानी है तो मैं कहूंगा कि सरकार को अपनी तवज्जो मजदूरों की तरफ देनी चाहिए।

बाबू अजीत कुमार : यह एक सरकुलर है जो यहां के सैक्रीटेरियेट की तरफ से इशू हुआ है। अगर कहें तो मैं इसे पढ़ दूं। पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है इस में। यह एक मज़ाक है जो मैम्बरान के साथ खेला गया है.....

उपाध्यक्षा : आप यह कागज़ मेरे पास भेज दें। (Please send this paper to me.)

(It was shown to the Deputy Speaker)

श्री बलराम जी दास टंडन (अमृतसर शहर पश्चिम) : जहां तक डिप्टी स्पीकर साहिबा इन डिमांड्ज़ का ताल्लुक है, सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स का मुझे इस के मुताल्लिक यह कहना है कि इस के ज़रिए पंजाब सरकार ने 55 करोड़ रुपये की डीमांड की है। जो बजट सरकार ने बनाया वह सारा 1 अरब और 12 करोड़ रुपये का था। मुझे

हैरानी होती है कि सरकार किस ढंग से काम करती है। तकरीबन कुल बजट का आधा रुपया सरकार सप्लीमेंट्री एस्टीमेंट्स की शकल में हम से पास करवाना चाहती है। महज़ 1½ दिन दिया गया है इस पर बहस करने के लिये जब कि बजट पास कराने के लिये एक महीना होता है। यह तरीका बिल्कुल ग़लत है। फाईनैंस डीपार्टमेंट को देखना चाहिये कि जो रकम मज़बूरन खर्च करनी पड़ रही हो उस की मांग करे। यह एक बहुत ही नामुनासिब बात है।

अब मैं आप की सेवा में डीमांड वाईज़ अर्ज़ करता हूं। सब से पहले आप डीमांड नं० 17 को लें इस में सरकार ने 14 करोड़ रुपये की मांग की है। सरकार यह रकम इस लिये मांग रही है कि हम लोगों को सस्ते रेट पर अनाज सप्लाई करें। आज देखा जाये आटा 30–32 रु० मन के हिसाब से लोगों को मिल रहा है बावजूद चीफ मिनिस्टर साहिब के ऐलान किये जाने के कि हम लोगों को सस्ते रेट पर अनाज और आटा देंगे, कीमतें बढ़ने नहीं दी जायेंगी ? हम सैंटर से इमदाद हासल करेंगे, मगर आज पंजाब का कोई शहर या गांव एसा नहीं है जहां पर फेयर प्राईस शाप्स हैं मगर वहां पर 4 महीनों से आटे की कोई सप्लाई नहीं हुई। ऐलान होते हैं कि दिल्ली की सरकार ने इतने टन गल्ला रीलीज़ कर दिया है पंजाब सरकार के लिये, यह बैठे चिट्ठियां लिखते रहते हैं, मगर इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वह जाकर वैगन्ज़ की जल्द अज़ जल्द मूवमैंट करवायें। मिनिस्टर जगह जगह जाकर उदघाटन कर सकते हैं मगर यह काम नहीं कर सकते कि वैगन्ज़ की मूवमेंट मौका पर जाकर करवायें। जब आटा की सप्लाई होती है तो डिपुओं पर जा कर देखें कैसे कड़कड़ाती धूप में औरतें घंटों डिपूओं के आगे खड़ी रहती हैं मगर उन की डीमांड पूरी नहीं होती। बच्चे घरों में दूध के लिए तड़पते हैं और उधर आटे से जवाब मिल जाता है। मैं कहूंगा कि यह सरकार आटा या गंदम मुहैय्या करने में बिल्कुल नाकामयाब रही है। करोड़ों रुपया जो इस काम के लिये महकमा के ऊपर खर्च किया वह बिल्कुल ज़ाया गया है। आज यह हमारे सामने इस डिमांड के ज़रिये और रुपये की मांग कर रहे हैं। कितने अफसोस का मुकाम है। हम इन से आयंदा भले की क्या मांग कर सकते हैं। यह ठीक है कि कुछ हद तक कीमतें बढ़ीं मगर सरकार ने उन को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। आज जिस काम के लिये फिर मांग की जा रही है इस में यह सरकार बिल्कुल अनफिट साबित हुई है।

दूसरी मांग इन्होंने रखी है लोन्ज़ के मुताल्लिक। यह पेज 56 पर है डीमांड नं० 18। यह लोन्ज़ के लिये हैं। इस में एक नहीं 3-4 हैड्ज़ ऐसे हैं जो मुखतलिफ नामों पर लोन्ज़ की शकल में यह सरकार मांग कर रही है। इस के इलावा 12 लाख रुपया यह सरकार कोआप्रेटिव शूगर मिल्ज़ के लिए दे रही है। मैं हैरान हूं कि आखिर यह मिल्ज़ काम कैसे चला रही हैं। जहां तक प्राईवेट शूगर मिल्ज़ का ताल्लुक है वह लाखों रुपया का मुनाफा निकाल रही हैं। इन मिल्ज़ के लिये जो सरकार की देख रेख में चलती हैं शायद ही कोई साल जाता होगा जबकि पंजाब सरकार सहायता की शकल में कुछ न कुछ देती हो। मैं मिनिस्टर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर 'What is wrong with it' वहां पर जहां कि एक आदमी की देख रेख में काम होता है लाखों रुपये का मुनाफा

[श्री बलरामजी दास टंडन]

होता है बावजूद टैक्स देने के मगर इन को मुनाफा की बजाये हर साल सहायता देनी पड़ती है । मैं समझता हूं कि यह सहायता देने का कोई तरीका नहीं है इस बात की तहकीकात होनी चाहिये । मैं नहीं समझता कि सहायता करने का यह सही तरीका है । सही तरीका तब होगा जब हम सिस्टम को ठीक करेंगे ।

अगर एक मांगने वाला है उस की सही मायनों में सहायता यह नहीं होती कि उस पर तरस खाकर दान या भीख दे दी जाए और जब मांगे तभी दे दी जाए बल्कि उसे काम दे दिया जाए तो उस की तकलीफ दूर हो सकती है और सहायता करने का यही सही तरीका है । ग्रांट्स की या लोन्ज़ की शक्ल में सहायता करना मुनासिब नहीं है । सरकार को चाहिए कि जहां भी गड़बड़ है उस को दूर कर के सिस्टम को क्रिस्टलाइज़ करे जब रोज़ देखने में यह आता है कि जो शूगर मिल्ज़ प्राइवेट एंटरप्राइज़ के द्वारा चलाए जाते हैं उन में बराबर फायदा होता है फिर क्या वजह है कि जो मिलें सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उनमें घाटा है ।

अब मैं लो ग्रुप हाऊसिंग स्कीम के तहत दिये जाने वाले लोन्ज़ का ज़िक्र करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि यह स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन लोगों को इस से लाभ इस लिए नहीं होता कि फंड्ज़ शुरू में ही खत्म हो जाते हैं और साल भर लोग दरखास्तें देते रहते हैं मगर उन्हें अपने मकान दुरुस्त करने या बनाने के लिये रुपया नहीं मिलता । इस लिये इस सिलसिले में मेरा गवर्नमेंट को यह सुझाव है कि वह इस स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा रुपया रखे ।

पेज 7 पर डिमांड नम्बर 4 जो है उस के दो हैड्ज़ हैं । एक का सम्बन्ध है दिल्ली के अन्दर बैठने वाले सरकिट बैंच से जिस के बारे में यह बताया गया है कि सन् 1952 से लेकर 1963 तक किराये का एरियर $1\frac{1}{2}$ लाख रुपया तक हो गया है और वह इस गवर्नमेंट को देना है । मैं हैरान हूं कि जब दिल्ली में रेंट रिस्ट्रक्शन कंट्रोल ऐक्ट मौजूद है फिर क्यों इन को इतना रुपया देने के लिये मजबूरी हो रही है ? इस का सरासर मतलब यह है कि गवर्नमेंट रुपए को वेस्ट होने से बचा नहीं पाती है ।

इसी तरह दूसरी जो महत्त्वपूर्ण बात है वह यह है कि हाईकोर्ट के अन्दर या सुप्रीम कोर्ट के अन्दर इंसाफ की दृष्टि से सरकार ने प्राईवेट लीगल प्रैक्टिशनर्ज को बहुत पैसे दिए । जब कि यह सब को पता है कि वह लोग इतने नाअहल और अनुभव शून्य हैं कि उन को जितना कंडैम किया जाए उतना कम है । उनका काम सिर्फ यह है कि वे यहां से जो काम एलाटमेंट करने वाले हैं उन की खुशनूदी हासिल कर लेते हैं और सरकार से रुपया ऐंठ लेते हैं और वह एक-एक रिट में तीन बार एपियर होने पर 3 हज़ार रुपया ले लेते हैं । यह मैं कहता हूं डिप्टी स्पीकर साहिबा हमारे रुपए का वेस्टेज है । इधर एक ओर तो हम गरीबों पर टैक्स लगाते हैं और रुपया इकट्ठा करते हैं, दूसरी ओर हम बेदर्दी से ऐसे नाअहल वकीलों को रुपया दे देते हैं जो ला का क ख ग भी नहीं जानते और जिन की प्रैक्टिस 1 साल की भी नहीं होती । मैं सरकार को इस बात की सलाह देता

हूं कि इस वैस्टेज को जितनी जल्दी हो सके रोका जाए और इन को पे करने की बजाए 4 ऐसे आदमी रख लें जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अन्दर फुलटाईम या लाइयर्ज़ हों ? तो कम से कम हमारी जो डिक्रीज़ की वजह से वैस्टेज होती है उस के लिये तो ठीक से तैयार हो कर प्लीड कर सकें । मैं मिनिस्टर कंसर्न्ड से ऐश्योरेंस चाहता हूं कि वह इस वैस्टेज को रोकने का प्रबन्ध करें और एडवोकेट-जनरल के अन्दर 4 आदमी अपनी तरफ से फुलटाईम रखें ।

डिप्टी स्पीकर साहबा, एक बात ड्रेनेज के बारे में है। पेज 40 पर डिमांड नम्बर 14 है जो ड्रेनेज के बारे में है। इस मद पर हर साल करोड़ों रुपया खर्च होता है और अब तक 22 करोड़ के करीब रुपया ड्रेनेज पर खर्च हुआ है । मैं हैरान हूं कि जब फ्लड्ज़ आते हैं तो इन को बड़ी फिक्र होती है और बड़ी अलामिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है लेकिन जब फ्लड्ज़ निकल जाते हैं तो सब कुछ सबसाइड हो जाता है— जैसे ही वह सारे का सारा मामला सबसाइड होता है वैसे ही हमारा ड्रेनेज का और ऐंटी फ्लड मेयर्ज़ का काम रुक जाता है। उस का नतीजा यह होता है कि अगले साल फिर तबाही आ जाती है। अब दो चार महीने के बाद फिर जब बरसात आएगी तो फिर हरियाणे में गरीब जनता का नुकसान होगा और यह करोड़ों रुपए के सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स, सितम्बर के सैशन में लाएंगे और कहेंगे कि यह रुपया हम ने फेमिन रिलीफ के लिये देना है। अब पिछली बार जब फ्लड आए थे उन को पांच छः महीने हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि ड्रेन नं० 8 जो तबाही करती है उस के लिये कोई सैटिस्फेक्ट्री हल दिल्ली और राज्यस्थान सरकार के साथ बैठ कर क्यों नहीं निकाला गया । जहां जहां पानी का बहाव है उस को ठीक करने के लिये कोई काम शुरू हुआ है क्या ? मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि सरकार इस के बारे में कोई प्लैनिंग बना कर नहीं चलती। वैसे तो यहां पर फर्स्ट फाइव ईयर प्लैन बना, सैकंड बना, थर्ड बना और अब चौथा पांच साला प्लान शुरू होने वाला है। लेकिन जहां तक इस काम का ताल्लुक है यह इतना इल प्लैंड और मिसमैनेज है कि उतना शायद कोई और काम नहीं होता होगा। मैं मिनिस्टर साहिब से गुज़ारिश करूंगा कि मैं ने जो बातें यहां पर कहीं हैं उन पर विचार करके आगे के लिये वह कोशिश करें कि मिसमैनेजमेंट न हो, सारे हालात ठीक हो जाएं और पंजाब की जनता का जो खून और पसीने का पैसा है वह सही ढंग से खर्च हो।

श्रीमती चन्द्रावती (दादरी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे जो आप ने बोलने का समय दिया है उस के लिये मैं आप का शुक्रिया अदा करती हूं। यह जो सप्लीमेंट्री डिमांड्ज़ हमारे सामने हैं उन के बारे में मैं अपने विचार हाउस के सामने रखना चाहती हूं। यह जो 48 करोड़ के लगभग डिमांड्ज़ हैं इन में से विशेषकर जो एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस की डिमांड नं० 4 है उस पर मैं बोलना चाहती हूं। हमारे देश में हमेशा से ही जो न्यायाधीश रहे हैं उन के प्रति सभी की इज्ज़त की भावना रही है। लेकिन आज उन में कुछ त्रुटियां आ गई हैं जिन के बारे में मैं आप के द्वारा अपने विचार प्रकट करूंगी।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो हमारी जनता है उन का न्यायालय के साथ गहरा सम्बन्ध है। लेकिन आज की न्यायालय को न्यायालय न कह कर फैसले करने वाली जगह कहूं तो

[श्रीमती चन्द्रावती]
उचित होगा। क्योंकि जनरली जस्टिस डिले होता है और बहुत महंगा है: जो आज का गरीब कामन मैन है उस को मौजूदा तरीके से इन्साफ नहीं मिलता । आज न्याय वह आदमी ले सकता है जिस की जेबें पैसे से भरी हुई हों। आप के द्वारा मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि इस सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स हैं। यह जो पुराने साम्राज्यवादी साम्राज्यशाही के बचे खुचे कण हैं उन को अगर न ठीक किया गया तो हमारे देश में जो लोगों की न्याय प्रति निराशा है वह और भी बढ़ जाएगी। आज गांवों में कहावत बनी हुई है कि अदालत में झूठ बोलना चाहिए और पंचायत में सच बोलना चाहिए । अब आप बताएं कि कोर्ट्स के बारे में जब लोगों की ऐसी राए हो तो फिर इन्साफ कैसे मिल सकता है। मैं बतौर वकील के जानती हूं कि किस तरह से रीडर रिश्वत मांगते हैं। जो चपड़ासी हैं वह भी रिश्वत मांगते हैं। यहां तक ही नहीं, बखशीश के नाम पर हाई कोर्ट तक के चपड़ासी रिश्वत मांगते हैं। मैं जानती हूं कि जो नकल विभाग है वहां से अगर किसी ने एक नकल लेनी हो तो उस का कम से कम 100 रुपया खर्च आ जाता है और कई कई दिन फिरना पड़ता है। आज कोर्टस में दोषियों को पूरी और ठीक सज़ा नहीं मिलती, इस के कारण क्राईमज़ और भी ज़्यादा हो रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस के प्रसंग में मैं यह कहना भी उचित समझती हूं कि हमारी सरकार ग्रो मोर फूड का दावा करती है लेकिन वह कैसे होगी जबकि किसान को सारा साल कोर्ट्स में ही रहना पड़ता है। अगर इस प्रैज़ैंट सिस्टम को ठीक न किया गया तो जो हम समाजवाद का काम करना चाहते हैं उस में हमें सफलता नहीं मिल सकेगी। आज तो कागज को देख कर न्याय होता है। मुझे याद है कि अगर फैक्ट्स के बेसिज़ पर उच्च न्यायालय में अपील की जाए तो उस को कच्ची पेशी में ही उड़ा दिया जाता है। मैं उच्च न्यायालय की बहुत इज्जत करती हूं लेकिन जिन वजूहात से लोगों को तंगी है वह मैं ज़रूर सरकार के नोटिस में लाना चाहती हूं।

Deputy Speaker : Please try to be relevant.

श्रीमती चन्द्रावती : मैं रैलेवैंट ही बोल रही हूं। तो मैं आप से यह बता रही थी कि जो न्याय देने का ढंग है यह ठीक नहीं है। इस में तबदीली लाने की जरूरत है। एक तो इंग्लिश भाषा वैसे ही इलास्टिक है, इसी लिए वकील लोग जैसे चाहें वैसे ही ला को इंटर्प्रेट कर लेते हैं। मैं चाहती हूं कि सरकार को इन के ऊपर भी पाबन्दी लगानी चाहिए। यह जो लाइयर्ज़ की जमात खड़ी हो गई है यह एक तरह से समाज के लिये अच्छा काम नहीं करती है। इस क्लास को भी खत्म करना चाहिए। यह क्लास तभी खत्म हो सकती है अगर सरकार गरीब लोगों को न्याय देने के लिए कोई खातरखाह इन्तज़ाम करे और न्यायालयों के काम करने के ढंग को बदले। आज करप्शन इतनी हो रही है जिस का हद हिसाब नहीं। किसान का सारा समय न्यायालय में ही चला जाता है और उस को न्यायालय में लाने वाला उस का सब से बड़ा हाकम पटवारी है। उस के सामने कोई अपील नहीं चलती, फिनांशल कमिश्नर भी उस के किए कुछ नहीं कर सकता वह किसी लैंड लार्ड की ज़मीन किसी मुज़ारे के नाम लिख सकता है और मुज़ारे की ज़मीन

किसी और के नाम लिख सकता है। वह आदमी बहुत छोटा है लेकिन उस के पास अधिकार बहुत बड़ा है जिस की वजह से किसान को परेशानियां उठानी पड़ती हैं और वह खेती की तरफ

4.00 p.m.

ध्यान नहीं दे सकता। इसी वजह से यह सारे के सारे झगड़े शुरू होते हैं। इसी लिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह जो महकमा माल है इस में तहसीलदार तक की जितनी फजूल पोस्टें हैं वह खत्म कर देनी चाहिएं। इस तरह से खर्च की भी बचत होगी और लोगों के काम भी सही और जल्दी होंगे। फिर अगर हम सही मायनों में किसान की और उस के ज़रिये देश की तरक्की करना चाहते हैं, पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो अर्बन प्रापर्टी की तरह ही किसानों की ज़मीन का इन्तज़ाम करना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे देश में फी मुरब्बा मील के हिसाब से आबादी ज्यादा है इसी लिए ही यह पैदावार नहीं बढ़ती। मैं कहना चाहती हूं कि इसी हिसाब से अगर आप योरुप में देखें तो वहां हमारे से कितनी ही ज्यादा फी मुरब्बा मील के हिसाब से आबादी है। मैं बताना चाहती हूं कि दरअसल वजह यह है कि हमारा किसान आज कर्ज़े से लदा हुआ है और कर्ज़ा भी सरकार का है जो डंडे से लिया जाता है। पिछले दिनों जब हमारे हां अकाल पड़ा तो लोगों को तकावी दिए गए लेकिन आज उन को कहा जा रहा है कि उन तकावी कर्ज़ों को वापस करो। मैं पूछती हूं कि अब इतनी जल्दी उन गरीबों के पास कहां से धन आ गया जो आपकी तकावी वापस करें। वह बिचारे अब तंग आ कर साहूकारों से कर्ज़े ले कर सरकार के खज़ाने में जमां कराने पर मजबूर हैं, नहीं तो उनको जेल में भेजा जाता है और उन की ज़मीनें नीलाम की जाती हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसान की पैदावार बढ़ायेंगे, उन को सहूलतें दे कर उन में उत्साह पैदा करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ यह हाल किया जा रहा है। क्या यही उत्साह आप उन गरीबों को पैदावार बढ़ाने के लिए देना चाहते हैं ? इस तरह कैसे पैदावार बढ़ सकती है और कैसे देश तरक्की कर सकता है ? मैं ने उस वक्त भी कहा था कि किसानों को कर्ज़े मत दो, अगर उनकी मदद करनी है तो उनको सबसिडी दो, लेकिन कोई नहीं देखता कि गरीब किसान कर्ज़े अदा नहीं कर सकते हैं (घंटी) तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अब आखिर में यही बात सरकार से कहना चाहती हूं कि अगर हम ने सूबे की भलाई करनी है तो एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस को ठीक करना चाहिए। फिर किसान का और देश की तरक्की का चोली दामन का साथ है। जब तक हम किसान की दिक्कतें रफा नहीं कर सकेंगे देश की सही मायनों में तरक्की नहीं होगी मैं फिर कहती हूं कि किसान जितनी मेहनत अनाज पैदा करने में करता है उसे उतनी कीमत नहीं मिलती क्योंकि उस गरीब की आवाज़ नहीं है, उसके पास न प्रैस है और न प्लैटफार्म है कि जहां वह अपनी आवाज़ उठा सके। मैं कहती हूं कि अगर किसान कमज़ोर हो जाएगा तो देश भी कमज़ोर हो जाएगा। आज इतना इनफ्लेशन भी इसी लिए आया है कि हम ने गरीब किसान और मज़दूर को निग्लेक्ट करके जो अनर्थ किया है उसका फल अगर आज हम नहीं भुगतेंगे तो और कौन भुगतेगा ? (घंटी) मैं यही निवेदन करके बैठ जाती हूं कि गरीब किसान और मज़दूर की तकलीफों को रफा किए बगैर देश तरक्की नहीं कर सकेगा। ऐसा करने में हम जितना समय खोएंगे उतना ही नुकसानदेह साबित होगा। जयहिन्द।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक (सफीदों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज यहां पर 48½ करोड़ रुपए के करीब की सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ हाउस में पेश की गई हैं जिनको यह सरकार हम से पास करवाना चाहती है। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस से ज्यादा डिफेक्टिंग बजटिंग और कौनसी हो सकती है जो 50 करोड़ रुपए की डिमांड्ज़ सप्लीमैंट्री बजट के तौर पर पेश की गई हैं जब कि 100 करोड़ का हमारा मेन बजट बनता है। यह सारा पैसा मेन बजट में लिया जा सकता था। इस से इस फिनांस डिपार्टमैंट की नाअहलियत साफ तौर पर नज़र आती है। फिर आप देखें कि हर साल लाखों रुपए की सप्लीमैंट्री डीमांड्ज़ डिक्रीटल अमाऊंट की आती हैं। इस का मतलब यह है कि हमारा ला डिपार्टमैंट निहायत ही नाअहिल है जो सरकार को सही राए न दे कर एक तो लोगों को सरकारी मुलाज़मों को उन के दफा 80 के नोटिस इग्नोर कर के तंग करता है और फिर सरकार पर डिग्रियां करवा कर गरीब लोगों की कमाई को लुटाता है। इस ला डिपार्टमैंट की नाअहलियत की वजह से ही हर साल लाखों रुपया की रकम सरकार को डीक्रीटल अमाऊंट के तौर पर देनी पड़ती है। आप देखें गुरदेव सिंह तहसीलदार को 8,160 रुपए डिग्री के देने पड़े। फिर बलबीर सिंह, नायब तहसीलदार, को इस सरकार ने 1951 से लेकर 1964 तक सस्पैंड रखा और 13 साल तक उस का फैसला न कर सके। उस ने नोटिस दिए इन्होंने इग्नौर किये और फिर उसने तंग आ कर दावा किया तो इन पर 20,320 रुपए की डिग्री हुई जो इनको देनी पड़ी। इसी तरह एक बिचारी टीचर सवर्ण कान्ता को इन्होंने तंग किया। उसे छुट्टी दी गई लेकिन छुट्टियों की तन्खाह उसे नहीं दी गई। उस ने तंग आकर दफा 80 का नोटिस दिया लेकिन इन्होंने वह भी इग्नोर कर दिया। आखिर उसे तंग कर के उस से दावा करवाया और अपने ऊपर डिग्री करवाई, फिर जा कर डिग्री के पैसे दिए। इसी तरह एक भगत राम ऐस. डी. ओ. हैं। उन को 1954 से लेकर 1963 तक सस्पैंड रखा गया और कोई फैसला नहीं किया। आखिर उस ने तंग आ कर दावा किया और डिग्री हासिल की। अब आप देखें कि इस से और ज़्यादा नाअहलियत ला डिपार्टमैंट की क्या हो सकती है जो पहले तो दफा 80 के नोटिस इग्नोर करता है और बाद में लोगों को तंग करके डिग्रियां करवाता है। फिर एक और डीमांड है एक लाख 20 हज़ार रुपये की जो यह प्राइवेट लीगल प्रैक्टीशनर्ज़ को अदा करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि जब आप के पास ला डिपार्टमैंट है, डिस्टरिक्ट अटारनीज़ हैं पी. ऐस. आइज़ हैं और एडवोकेट-जनरल हैं तो इतने वकीलों के होते हुए आप इतनी बड़ी रकम प्राइवेट लीगल प्रैक्टीशनर्ज़ को क्यों दे रहे हैं? मैं कहता हूं कि यह एक सकैंडल है। इस तरीके से यह अपने चहेतों और खुशामदियों को पैसे देते हैं। यह नाजायज है। इस से बेहतर तो जैसे टंडन साहिब ने भी कहा था यह है कि आप अपने मुस्तकिल वकील रख लें जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप के केस लड़ें और आइन्दा यह हेरा फेरी न चले।

ऐजूकेशन के बारे में भी काफी रुपया मांगा जा रहा है। मेरे हल्का सफीदों में कई गांवों में बहुत पुराने प्राइमरी स्कूल बने हुए हैं। उन की एक 2 लाख की इमारतें

मौजूद हैं और कई कई हज़ार रुपया उन्होंने उन की अपग्रेडिंग के ऐक्सपेंसिज़ के लिये भी दाखल किया हुआ है लेकिन फिर भी उन को अपग्रेड नहीं किया गया है। शहरों में तो बगैर इमारतों के भी अपग्रेड कर देते हैं लेकिन दिहात में इमारतें होने पर भी अपग्रेड नहीं करते हालांकि इमारतों के साथ २ वह साइंस का सामान खरीदने के लिये और दूसरा सालाना खर्च देने के लिये भी तैय्यार हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

अब मैं सड़कों के बारे भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। बड़ी हैरानी की बात है कि जो सड़क तीसरे प्लान में रखी गई थी उसे छोड़ कर उस की बजाए एक दूसरी सड़क जो तीसरे प्लान में शामिल भी नहीं की गई थी उसे बनाया जा रहा है। जोहरू से दथूर खास की सड़क तीसरे प्लान में बनाने के लिये रखी गई थी लेकिन अब उसे छोड़ कर पायल से ईसरू तक वाली सड़क बनाने के लिये पैसे मांग रहे हैं। यह बुरी बात है और इस बारे में एस्टीमेट्स कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है —

"This Committee does not appreciate the tendency on the part of the Department to include roads which have not been provided in the Third Five-Year Plan. Inclusion of new roads in such a discretionary manner affects the fulfilment of the Third Five-Year Plan targets. Such inclusion should also be avoided particularly when we are expecting a fairly large spill-over of about Rs 12 crores, from the Third Plan to the Fourth Plan for the Road Building Schemes. Fixation of priorities within a plan period is quite understandable but to bring in a new project, in the absence on emergent requirements, is not conceivable."

This is what the Estimates Committee have said in this connection.

ड्रेनेज के बारे में भी काफी रकम मांगी गई है। इसी तरह फेमिन रीलीफ और वाटरलौगिंग के बारे भी पैसे मांगे गए हैं। लेकिन जहां ज़रूरत होती है वहां पैसे खर्च नहीं किए जाते। संगरूर, करनाल और रोहतक के ज़िले हर साल फ्लड्ज़ से तबाह होते हैं। सफीदों ब्लाक के गांव तो हर साल बुरी तरह तबाह होते हैं क्योंकि वहां करनाल की तरफ से पानी आता है और वहां बरबादी करता है। फिर आगे जा कर रोहतक ज़िला के गांवों को बरबाद करता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने पहले भी कई बार इरीगेशन तथा लोक कल्याण मन्त्री को प्रार्थना की थी और मैं उन को लेकर वहां पर गया था और वहां के हालात का जायजा कराया था। सफीदों से भंभेवा तक और सुन्दर ब्रांच और भूटाना ब्रांच के नीचे से साईफन के ज़रिए पानी निकाल कर ईसापुर खेड़ी ड्रेन से मिला कर नम्बर 8 ड्रेन में सारा पानी डाला जाए। इस साल ड्रेन नम्बर 8 खाली चलती रही। सफीदों से भंभेवा के देहातों का पानी और गोहाना तहसील के देहातों का पानी आसानी से ड्रेन नम्बर 8 ले सकती है। अगर इस तरह से पानी डाला जाए तो आयंदा इस इलाके में फ्लड्ज़ तबाही नहीं ला सकेंगे। इस नई ड्रेन से काफी लाभ हो जाएगा। लोग भी सुख का सांस ले सकेंगे। इस लिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस स्कीम को जल्दी अमली जामा पहनाया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सफीदों के अंटा, टीटो, कर सिघु वगैरा देहात का इलाका वाटरलौगिंग से बरबाद हो गया है। इस इलाके में 7,8 हज़ार बीघे ज़मीन रेह व सेम के

[चौधरी इन्दर सिंह मलिक]

कारण बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। इस जमीन को रीक्लेम करने के लिये सरकार ने स्कीम भी मंजूर कर ली हुई है लेकिन अभी तक उस को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस स्कीम को जल्दी ही लागू किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिमांड नम्बर 5 में 25,000 रुपया टीचरों की बहबूदी के लिए रखा गया है। यह रुपया उन टीचरों को दिया जाएगा जिन की माली हालत बीमारी के कारण या अन्य किसी कारण से गिर गई हो। इस तरह से यह रुपया 5 करोड़ किया जाएगा। यह रुपया टीचरों को उन के बच्चों की शादी पर भी कर्ज़े के रूप में दिया जाएगा। सरकार ने टीचरों की मुसीबतों को सामने रखते हुए बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत थोड़ा रुपया इस डिमांड में रखा गया है। सरकार को इस के लिए और रुपया मंजूर करना चाहिए था। मैं सरकार की इस स्कीम की सराहना करता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सरकारी सीड्ज़ फार्म के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं। सरकारी सीडज फार्म्ज घाटे में चल रहे हैं। वहां पर अच्छे बीज पैदा नहीं किए जाते हैं बल्कि इन फार्म्ज़ से, देहात वाले किसान अच्छे बीज पैदा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार हर एक देहात में सीड्ज़ फार्म खोले। अगर वहां पर सरकार अपने सीड्ज़ फार्म नहीं खोल सकती तो सरकार को चाहिए कि प्राइवेट फार्म्ज़ के खोलने में लोगों की पूरी सहायता करें। लोगों को सरकारी सीड्ज़ फार्म्ज से वक्त पर बीज भी सप्लाई नहीं किया जाता। इस से इन फार्म्ज़ का लोगों को कोई फायदा नहीं है। इस लिये मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इन सीड्ज़ फार्म्ज़ में इम्प्रूवमैंट लाने में शीघ्र ही कदम उठाए। (घंटी) 1947 से आज तक भंभेत्रा गांव का 8 हजार बीघे का रक्बा पानी के नीचे आ चुका है। सरकार ने वहां पर पानी के निकास का कोई इन्तजाम नहीं किया है। वहां की भूमि बिल्कुल खराब हो चुकी है। लोगों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। इस लिये सरकार उन की हालत सुधारने के लिये शीघ्र पग उठाए ताकि वह इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अन्त में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सफीदों से जागसी रोड थर्ड फाईव ईयर प्लेन में शामिल की गई है। यह सड़क हाट गांव से होती हुई निकाली जाए ताकि वहां के लोगों को इस सड़क का फायदा हो सके। क्योंकि हाट गांव से यह सड़क ले जाने से बहुत देहात को फायदा होगा और सफीदों मंडी भी तरक्की करेगी।

मैं इन अल्फाज़ के साथ आप का शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी सीट लेता हूं।

Chaudhri Khurshed Ahmed (Nuh) : Madam, Deputy Speaker, quite a substantial sum is to be voted by the House through the Supplementary Estimates (Second Instalment), 1964-65. The chief feature of the various Demands had been commented upon by most of my hon. Friends. Madam, Deputy Speaker, I would like to draw the attention of the House to a few items. The Plan items are disturbed and the Plan targets are not achieved by the Departments with the intention of accommodating unnecessary things. An example has been quoted by the Speaker earlier about the

planning of a road which suddenly dawned upon some Minister who is more influential than any one else. He invented it as the most genuine demand of the area and managed to get the road sanctioned. Lakhs of rupees would be sanctioned later. What have the Departments been doing in the past ? Some of the items included in the First Five-Year Plan were relegated to the Second Five-Year Plan, from the Second Five-Year Plan to the Third Five-Year Plan and are likely to be relegated from the Third Five-Year Plan to the Fourth Five-Year Plan. As an example, I will quote the case of a road from Hodel to Pataudi in Gurgaon District. This road was provided in the First Five-Year Plan. It was relegated to the Second Five-Year Plan. Nothing was spent on it. It was included in the Second Five-Year Plan and again in the Third Five-Year Plan. In the Third Plan, the work on this road was taken up and the construction of the road actually started just before the National Emergency was declared. Due to National Emergency, the road was again dropped and afterwards when we approached the Department, we were told that it was one of the most difficult roads and it was not going to be taken up. Madam, Deputy Speaker, my submission is that planning of roads is the genuine need of the backward areas of the State. Planning is done after carefull, consideration. There is no use if the roads included in the Plan are ignored in favour of certain other roads. If it is done, then our planning, whether of the Budget, Supplementary Estimates or whatsoever, becomes defective.

Madam, Deputy Speaker, through you, I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to certain Demands which have been put forth and especially the Demand on Education. A sum of Rs 18,80,000 has been provided for the promotion of education amongst educationally backward classes during the year 1964-65. Here are some Classes which have been termed as Backward Classes. But there are certain areas where every class whosoever it may be from a Brahaman to a Harijan is backward. I don't think the Education Department has any consideration for those areas or they have taken up any scheme for the promotion of education in such areas. I would, therefore, propose that instead of catering to the needs of backward classes only, the Education Department should make it a point to provide extra-money for the upgrading of schools in the backward areas of Gurgaon, Mahendragarh and a few other places in the State. These places are at present completely neglected in regard to the upgrading of Primary Schools to Middle Schools and the Middle Schools to Higher Secondary Schools. There are cases, in this connection, which are pending in the Education Department for years. The papers in regard to the upgrading of schools are complete but the schools have not actually been upgraded so far. I can quote the example of cases which are pending for years in the Education Department. The papers of schools like Ujjina, Kunthala, Alipur Ghamganj and some other schools of Nuh and Gurgaon Tahsils are with the Department for years together but nothing has been done in regard to them. The Education Department, Madam, Deputy Speaker, should take special steps to provide as much money as they can for the upgrading of the schools in those areas.

Then, Madam, Deputy Speaker, what is there with regard to the Universities ? One of the Universities has been set up on a regional basis. That University is known as Kurukshetra University. The people of Hariana right from the petty shop-keepers to farmers contributed a substantial sum of nearly 85 lakhs of rupees to establish this university.

[Chaudhri Khurshed Ahmed]

But, what has happened in the administration of that University is a sorry account for the whole of the Haryana people. Vice-Chancellor, for the first time, was appointed from that Region and I understand that there was a definite undertstanding with the Government that a Vice-Chancellor from that Region would always be appointed for this University. What has actually happened is that the Vice-Chancellor at the moment was imported from the other Region of the State. About the competency of that man, about the running of the administration of that University, about so many other things in the University, there have been constant complaints with the Government. But, still I find that Rs. ten lakhs have been given to that University. These ten lakhs, I would request, should be withheld till an enquiry has been held into the allegations, pending against the Vice-chancellor, because as there is a definite allegation of the squandering of funds in that University. There are serious complaints of nepotism, favouritism and corruption in matters of appointments to responsible posts in the University. Such cases have been brought to the notice of the Education Department and the Government, but nothing has been done so far.

I would now like to refer to the Demands for Drainages. These drainage schemes are undertaken every year, accelerated during the floods, but forgotten after the floods . This vicious process continues year after year. It is said every time that next year there will be no floods in the Punjab. But, later on what happens is that as soon as floods are over, no proper action is taken to execute any planned work on drainages. We are now in the month of February. It is in the months of July and August that floods start. In the month of February, we have not done anything. In March, we will not undertake anything. We will take up things in April and May and in June and July we will be caught by floods. Such faulty execution of construction programme without any regard to the seasonal changes, has revealed year after year enormous waste of money and material. Such faulty execution of schemes should be avoided.

I would request that all the Departments of the Government should strictly stick to the Plan items and if there is any change to be made, it should be with a definite purpose. And, I find that where it is with a definite purpose, where it is really needed, it is not done. As I have already submitted, some roads have been provided for certain flood affected areas. The mileage covered along these roads is to be deducted from mileage provided in the plan. If this thing happens then the net result would be that the areas in which any minister is interested shall have more of roads than the other areas if their needs are much genuine when compared to the areas in which ministers are interested as they hail them. Thank you, Madam.

श्री जगनाथ (तोशाम एस. सी.) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, डीमांड नम्बर 15 के मातहत तीन लाख चौरासी हजार छः सौ दस रुपया कैपिटल ग्राउटले ग्रान पब्लिक वर्क्स के सम्बन्ध में हमारी सरकार सड़कों ग्रौर बिल्डिगों के लिये मांग रही है कुछ समझ में नहीं ग्राती कि हमारी सरकार किस ढंग से रुपया मंजूर करवाती है ग्रौर किस ढंग से वह खर्च करती है, वह फंड कौनसे हैं जो कि गवर्नमैंट देना तो चाहती है लेकिन इस के ग्रन्दर मैंनटेन नहीं करती। जहां तक सड़कों का सम्बन्ध है मैं एक चीज़ कलीयर कर देना चाहता हूं कि जब भी कोई मिनिस्टर जनता के सामने जाता है या किसी बाई-इलैकशन के वक्त जाता है तो वह सड़कें ग्रपनी कार मैं डाल कर ले जाता है। पब्लिक मीटिंग में जा कर एलान करते हैं कि लोगो ध्यान लगा कर सुन लो ग्रगर कांग्रेस को वोट दोगे तो

सरकार इस गांव से ले कर उस गांव तक सड़क पक्की बनवा देगी । हम ने जींद बाई-इलैकशन के 15, 20 दिनों में कामरेड राम किशन को, सरदार दरबारा सिंह और चौधरी रिज़क राम को देखा है। वे लोगों को कहते रहे हैं कि हम तुम्हारे लिये सड़कें लाए हैं। जिन गांव का नाम न तो बीस साला प्लान में है और न ही अस्सी साला प्लान में है इन्होंने इतनी चालाकी की कि बाई इलैकशन के दिनों में उन गांव में सरवे करवा दी और चूना डलवा दिया और कहीं कहीं पर तो कस्सी से काम भी शुरू करवा दिया। फिर उन लोगों से कहा कि कांग्रेस वाले सड़कें बनवा रहे हैं उन को वोट दो। जब हम ने उन लोगों से जा कर कहा कि हमें वोट दो तो वे कहने लगे कि साहिब हम तो कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस वाले सड़कें बनवा रहे हैं। मैं ने यह बात एस्टीमेट्स कमेटी में पूछी कि यहां पर डीमांड तो और तरीके से की जाती है लेकिन जब मिनिस्टर लोग बाई-इलैक्शन के वक्त जा कर कहते हैं कि हमें वोट दे दो हम तुम्हें सड़क बनवा देंगे वह पैसा कहां से आता है ? तो एक चीफ इंजीनियर हैं पटियाला के मैं उन का नाम तो नहीं लेना चाहता, वह कहने लगे कि यह सब धोका है, फ्राड है, कोई सड़क इस तरह से नहीं बन सकती। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस तरह से जिम्मेदार गवर्नमैंट पब्लिक को धोका दे तो इस से ज्यादा ज़लालत और क्या हो सकती है ? सरदार प्रताप सिंह कैरों भी लोगों से मांग करते थे लेकिन उन का तरीका और होता था। वह भी कहते थे कि आओ मैं तुम को ज़ैलदार बना दूंगा, ज़िला परिषद का प्रैज़ीडैंट बना दूंगा या मैम्बर बना दूंगा तो वह एक को निकाल देते थे तो दूसरे को बना देते थे। एक को भेजा तो दूसरे को बुला लिया। लेकिन कामरेड राम किशन तो उन से भी बढ़ गए हैं। जब बाई-इलैक्शन होने होते हैं तो कहते हैं कि हम सड़क बनवा देंगे और काम भी शुरू करवा देते हैं लेकिन जब बाई इलैक्शन हो चुकते हैं तो काम भी बन्द हो जाता है। इस तरह से ठग्गी से लोगों से वोट हासिल किये जाते हैं। मैं पूछता हूं क्या इस तरह से जनता से झूठ बोलते हुए और धोका देते हुए शर्म नहीं आती ? जब हम पूछते हैं तो कहते हैं कि साहिब हम ने तो टोपी उतार कर झूठ बोला था यानी टोपी पहन कर झूठ नहीं बोलते, टोपी उतार कर झूठ बोलते हैं। (हंसी) लोगों से झूठे दावे करते हैं। इतनी बईमान गवर्नमैंट तो अंग्रेज़ों की गवर्नमैंट भी नहीं थी....... (विघ्न)

Deputy Speaker :Order please.

चौधरी जगन्नाथ : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बात मैं नहीं कहता, मैं तो लोगों के मन की बात को दोहराता हूं (विघ्न) मैं तो बरनाला और जींद के लोगों की कही हुई बात को दोहराता हूं। (विघ्न) यह ठीक है कि इन की मैजारिटी है और मैजारिटी के बेसिज़ पर जायज़ या नाजायज़ बात हाउस से पास करवा लेंगे। लेकिन इस प्रकार लोगों से धोका धड़ी करना बुद्धिमत्ता नहीं है बल्कि हद दरजे की ज़लालत है। (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, डीमांड नम्बर 13 में इन्होंने 386 लाख रुपया इन्होंने हरिजनों की अपलिफ़ट के लिये ट्रांसफर करने के लिये मांगा है। This amount of Rs. 386 lakhs is now to be transferred to the fund for village reconstruction and Harijan Uplift in

[चौधरी जगन नाथ]

the Deposit Section, यह पता नहीं है कि इस से हरिजनों का कितना उद्धार होगा और कितनी विलेज रीकन्स्ट्रकशन होगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहूंगा कि सरदार प्रताप सिंह कैरों बड़ मजबूत और बहादुर चीफ मनिस्टर था और उसके अब न होने के कारण मैं तो कम अज कम इस हाउस को कुछ सूना सूना महसूस करता हूं चाहे वह भी पंजाब के अन्दर हरिजनों को पूरी तरह से ऐक्सप्लायट ही किया करता था। आखिर वह हरिजनों का दम तो भरता था। कभी एक ढंग से उन के फायदे की कोई बात कह दी, कभी दूसरे ढंग से दूसरी बात कह दी कि हम हरिजनों को जमीन देंगे, सेब खिलाएंगें, लीचियां खिलाएंगे। चाहे किसी ढंग से ऐक्सप्लायट किया करता था मगर हरिजनों का जिक्र तो किया करता था। लेकिन जब से राम कृष्णा जी आए हैं उन्होंने हरिजनों को बिल्कुल ही इगनोर ही कर दिया है। पता नहीं शायद इन्सानियत के नाते भी वह हरिजनों का नाम लेना अपनी बेइज्जती समझते हैं। कभी उन्होंने हरिजनों की बाबत नहीं कहा। (घंटी) तो मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा यह अर्ज कर रहा था कि यह हरिजनों का किस ढंग से सुधार करना चाहते हैं। आप को एक मिसाल देता हूं। कुछ इवैक्वी प्रापर्टी की जमीन चाहे जिस ढंग से भी इन्होंने गवर्नमैंट आफ इण्डिया से ली है किस भाव पर ली है और किस भाव पर बेचना चाहते हैं, यह बात अलग है। लेकिन इन्होंने यह कहा है कि इस जमीन को खरीदने के लिए हरिजनो को पांच पांच हजार रुपया देंगे। जमीन नीलामी में जाएगी। पांच हजार तक तो गवर्नमैंट उनको कर्जा दे देगी और ऊपर जितनी रकम जाए वह अपने पास से देंगे। हरिजन भाई यह समझता है कि चलो हमारे घर से तो लगता नहीं, पांच हजार तक तो बोली दे दो। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा जिस असली बात पर मैं आ रहा हूं वह है इस रकम की वापस वसूली की। उन भाइयों को पता नहीं कि छः महीने के बाद ही गवर्नमैंट की तरफ से पांच सौ रुपए की किश्त का नोटिस आ जाएगा। उस वक्त वह यह रुपया कैसे वापिस करेंगे? हरिजनों की अब जो हालत है वह आप से छुपी हुई नहीं है। उस वक्त उन की क्या हालत होगी? आज भी आप देखें कि गांव में गरीब मजदूरों और हरिजनों के साथ किस कदर बुरा व्यवहार किया जाता है। जब कोई तहसीलदार या गिरदावर तीन रुपए की वसूली के लिए भी वहां उन के पास जाता है तो वह रुपए भी उन के पास नहीं होते। वह दे ही नहीं सकते इस लिए आप अन्दाजा लगाएं कि जब पांच सौ रुपए की किश्त देने का सवाल पैदा होगा तो वह क्या करेंगे? डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह उन को एक तरह से ऐक्सप्लायट ही किया जा रहा है। होगा क्या? उस वक्त हरिजन भाई किसी बनिए के पास जाएंगे और वह उन को पैसा भी इस शर्त पर देगा कि पहिले उस जमीन को उस के नाम बै करा दो। इतना ही नहीं, उस पर वह सूद भी एक रुपए पर एक आना माहवार लेगा। आम तौर पर पंजाब के अन्दर गांव में रुपए का लेदे इसी तरह से होता है। इसलिए मैं गवर्नमैंट से कहूंगा कि वह इस रुपए को उन्हें ग्रांट के रूप में दे।

वैसे यह कन्साशन भी हिन्दी रिजन में बहुत कम है। जो कर्जा दिया जाएगा, वह ज्यादातर जालन्धर, लुधयाना, फिरोजपुर में ही दिया जाना है। मामूली सा हिसाब

के इलाके में है । जो रुपया टैम्परेरी टैक्सेशन ऐक्ट के तहत वसूल किया गया था वह सारे पंजाब में से लिया गया था और वह सारे पंजाब के लोगों के लिए यानि सारे पंजाब के हरिजन भाईयों के लिए इकट्ठा किया गया था लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इस के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी । इसी लिए मैं यह कहता हूं कि इस गवर्नमैंट की नीतियों पर, इस गवर्नमैंट की बेईमानियों पर पंजाब के हर एक आदमी को शर्म महसूस होती है । यह बयान किशन जी और उन के दूसरे साथी पंजाब के लोगों को सरासर धोखा दे रहे हैं ।

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बही खाते का, बजट का सैशन चल रहा है । इस में 1964-65 के लिए अनुपूरक अनुमानों की दूसरी किश्त भी रखी गई है । मैं हैरान हूं कि एक ही बजट सैशन में दो बजट कैसे आ गए ? इस से तो ऐसा भी ख्याल होता है कि शायद एक ही बजट सैशन में तीन तीन बजट आने शुरू हो जाएं । क्यों ? पहले तो विलायत पास, अमरीका पास और दूसरे मुल्कों से पास शुदा मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों यहां पर इस हाउस के लीडर थे और उन के वित मंत्री डाक्टर गोपी चन्द भार्गव एक बजट सैशन में एक ही बजट रखा करते थे और उस के बाद सप्लीमेंटरी बजट, वक्तन फवक्तन जब ज़रूरत महसूस हुआ करती थी तो आ जाया करता था । लेकिन यह मैट्रिक पास कैबिनेट, इतनी लायक और तरक्की पसन्द हो गई है कि एक ही बजट सैशन में तीन तीन बजट लाने लग पड़ी ।

उपाध्यक्षा : आर्डर पलीज़ । आप को कैसे मालूम हुआ कि यह मैट्रिक पास कैबिनेट है ? Order please. (How does the hon. Member know that it is a Matric pass Cabinet ?)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हैरान हूं कि अगर इसी तरह से एक ही सैशन में दो बजट आ गए तो तीसरा भी आएगा क्योंकि कामरेड साहिब की सरकार समितियां, कमेटियां, यूनिटें, जैसी कि इन की आदत है, कायम करती जाएगी और गरीब लोगों पर टैक्स लगाती जाएगी । डिप्टी स्पीकर साहिबा हैरानी होती है कि जिन कांग्रेसीयों को सरदार प्रताप सिंह कैरों ने एक कोने लगा दिया था कमीनी कामरेड सरकार आज उन को आगे लाने के लिए ऐसे प्रयत्न कर रही है और उन का पेट भरने के लिए लोगों का खून चूसने वाले बजट ला रही है ।

उपाध्यक्षा : आप असेम्बली के मेम्बर हैं । कैसी बातें करते हैं ?.. लफ़ज़ "कमीनी कामरेड सरकार" वापिस लीजिए और अच्छी भाषा इस्तेमाल कीजिए । (You are a member of the Vidhan Sabha. What are you talking? Please withdraw the words 'Kamini Comrade Sarkar' and use dignified language.)

चौधरी नेत राम : बहुत अच्छा जी, मैं "कमीनी कामरेड सरकार" के शब्द वापिस लेता हूं और इस की जगह पर हीन भावना वाली सरकार कह देता हूं : (हंसी) मैं हैरान हूं कि करोड़ों रुपये को अनुपूरक डिमांड यहां पर पेश की गई है और

[चौधरी नेत राम]

पैसा इट्ठा करने के लिए पंजाब के किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे मुलाज़मों पर टैक्सों का और बोझ डाला जाएगा और उन का खून चूसने की कोशिश की जाएगी। उन गरीब मज़दूरों, पटवारियों, सिपाहियों, छोटे मुलाजमों से टैक्स वसूल किया जाएगा जो कि मंहगाई में हाहाकार कर रहे हैं और प्रदर्शनों के द्वारा रिलीफ की मांग कर रहे हैं। जगह जगह पर ऐजीटेशनें हो रही हैं मगर उन को तो दबाने की सरकार धमकियां देती है। उधर इतने करोड़ रुपये की डिमांड हमारे सामने पेश की जा रही है। आखिर इस का क्या मतलब है? क्या यह रुपया इस लिए इकट्ठा कर रहे हो कि इसे बड़े बड़े आदमियों को देना है। क्या पंजाब के अन्दर बड़े बड़े सांढ पालने के लिए यह टैक्स लगाए जा रहे हैं? डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप अंदाजा लगाइए कि छोटे मुलाजमों का क्या हाल है। आप अन्दाजा लगाइए कि गरीब चपड़ासी को कैसे गुजर होती है। आप अपने ही विधान सभा के कर्मचारियों को देख लें जो कि मेम्बर साहिबान के लिए उधर होस्टलों में दिन में अठारह घंटे ड्यूटी देते हैं। सुबा: छ: बजे उठकर मेम्बर साहिबान को बैड टी देते हैं, उस के बाद आप के लिए नाशता या ब्रेकफास्ट लाते हैं, फिर लंच यानी दुपहर की रोटी का इन्तज़ाम करते हैं, फिर शाम की चाय, रात का खाना जिसे आप डिनर कहते हैं वह पेश करते हैं। इस के अलावा उन को हुक्म है कि वहां रात को दस बजे तक काम करें और मेम्बर साहिबान की सहूलतों का पूरा पूरा ख्याल रखें। वह बेचारे रात को मुश्किल से ग्यारह बजे सोते हैं। और उन को मिलता क्या है? मुश्किल से उन को साठ रुपए माहवार मिलता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कामरेड सरकार से पूछता हूं कि क्या कामरेड साहिब आप साठ रुपया महीना में अपने घर का गुज़ारा कर सकते हैं? क्या आप इतने रुपयों में अपने परिवार का गुज़ारा कर सकते हैं?

उपाध्यक्षा: चौधरी नेत राम जी, आप किस डिमांड पर बोल रहे हैं? आखिर आप बोल किस पर रहें हैं? (Which Demand the hon. Member is referring to? After all what is he speaking at?)

चौधरी नेत राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो असल बाप बोल रहा हूं। असल डिमांड पर तो मैं ही बोल रहा हूं।

चीफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी: डिप्टी स्पीकर साहिबा, वक्त थोड़ा है, गिलोटीन सवा पांच की बजाय पांच पच्चीस पर लगा दीजिएगा।

Deputy Speaker: Is it the sense of the House that the guillotine be applied at 5.30 instead of 5.15 p.m.

Voices: Yes, Yes.

Deputy Speaker: Very well. The guillotine shall be applied at 5-30 p. m.

चीफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी: तो ठीक है, साढे पांच बजे ही ठीक है।

चौधरी नेत राम: तो, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह निवेदन कर रहा था कि छोटे मुलाजमों को इतनी कम तन्खाह मिलती है कि उस में वह अपने परिवार

का गुजारा भी नहीं कर सकते। मुझे एक अखबार में छोटे मुलाजमों की तन्खाह और उन के घर के हिसाब किताब का खर्च पढ़ने का मौका मिला। उस में एडीटोरियल नोट के अंदर बहुत अच्छी प्रकार से सारा हिसाब किताब दिया हुआ था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक गरीब कर्मचारी की रोजाना जरुरतों में से अगर नमक, मिर्च मसाला, आटा, मकान का किराया वगैरा को ही लिया जाए तो उस के लिए आजकल की बढ़ती हुई मंहगाई के जमाने में कम अज़ कम 200 रुपए माहवार की जरुरत है। 200 रुपए महीने से कम में कोई परिवार अपना गुजारा चला ही नहीं सकता। कपड़े का खर्च, बच्चों की पढ़ाई वगैरा अलग है। आप हिसाब लगवा कर देख लें। तो मैं कामरेड साहिब से यह कहूंगा कि आप ने तो कामरेड शब्द पर, कामरेड नाम पर धब्बा लगा दिया है कि एक कामरेड चीफ मिनिस्टर है। मैं कहता हूं कि कामरेड तो वह होता है जो गिरे हुओं को अपने साथ लेकर चले, मजदूरों को साथ लेकर चले, गरीबों, पीड़ितों और मजलूमों को साथ लेकर आगे बढ़े।

लेकिन इस कामरेड सरकार की तरफ से छोटे मुलाजमों को बार बार धमकियां दी जाती हैं और उन को क्रश कर देने की धमकियां दी जाती हैं।

तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस नाअहल सरकार की तरफ से सारी ड्रेनज़ बार बार खोदी जाती हैं। जब एक ड्रेन खोदी जा रही हो और रास्ते में कोई सड़क आ जाए तो सड़कों का महकमा उस में से उन्हें खोदने की इज़ाजत नहीं देता और नतीजा यह होता है कि वह ड्रेन बीच में ही पड़ी रह जाती है। इसी तरह से अगर उस ड्रेन के रास्ते में कोई नहर आ जाती है तो नहर का महकमा वहां साइफन लगाने की इज़ाजत नहीं देता और इस तरह से भी वह ड्रेन अधूरी पड़ी रह जाती है और उस पर जितना पैसा खर्च हो चुका होता है वह ज़ाया जाता है। और इस रूपए के लिए यह सरकार गरीब लोगों से खाहमखाह टैक्स वसूल करती है। फिर डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह टैक्स खानाबदोशों से और गरीब किसानों से और मजदूरों से वसूल किए जाते हैं....।

उपाध्यक्षा : आप खानाबदोशों और किसानों की बातें कह रहें हैं। उन का ज़िक्र न करें। (The hon. Member is referring to Nomads and farmers. He should avoid reference to them)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा और न ही करना जानता हूं। मैं तो गरीब किसानों, और गरीब मज़दूरों की बातें कर रहा हूं जिन पर यह सरकार टैक्स लगा कर रुपया वसूल करती है और उस रुपए को ज़ाया कर देती है।

उपाध्यक्षा : अब आप समाप्त करें। (Now please wind up)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप आपोजीशन को जितना टाइम बनता है वह चौधरी नेत राम को ही बोलने के लिए दे दें। यह आल इन्डिया पार्टी के वाहद नुमायंदे हैं।

उपाध्यक्षा : मैं मैम्बर साहिबान से दरखास्त करना चाहती हूं कि अभी गिलोटीन का टाइम होने वाला है और यहां फौरन कंट्री का एक डेलीगेशन आने वाला है इस लिए कोई, अच्छी स्पीच की जाए। इस तरह से शोर अच्छा नहीं लगता। (I would like to inform the hon. Members that the time for the application of Guillotine is approaching fast and a foreign delegation is also expected to be here shortly. Therefore, I would like that some good speeches be made. Noise like this does not appear well).

सरदार गुरचरण सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। आप ने फर्माया है कि क्योंकि यहां फारेन कंट्री के गैस्ट आ रहे हैं इस लिए कोई अच्छी स्पीच होनी चाहिए। चौधरी नेत राम जी आपोजीशन के एक बड़े सयाने और सुलझे हुए मेम्बर हैं और बड़ी अच्छी स्पीच कर रहे हैं। आप ने उन पर रिफलेकशन की है और उन की हतक की है। मैं आप की इस पर रूलिंग चाहता हूं।

उपाध्यक्षा : सरदार गुरचरण सिंह जी, क्या आप उन के सामने यही नमूना पेश करना चाहते हैं जो इस वक्त कितना शोर मचा रहा है ? आर्डर प्लीज़। (Addressing Sardar Gurcharan Singh) (Does the hon. Members want to persist in this noise as a specimen of the proceedings? Order please).

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस मौजूदा हकूमत को देख कर मुझे अपने साबका प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल की एक बात याद आ गई है। कहा जाता है कि वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे लेकिन आप ने देखा होगा कि किन के बच्चों को वह प्यार करते थे। वह गरीब आदमियों के बच्चों को प्यार नहीं करते थे, न वह गरीब किसानों के बच्चों को न ही गरीब मजदूरों के बच्चों को प्यार करते थे लेकिन उन को तो सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे ही प्यारे लगते थे और खास कर उन बच्चों को वह प्यार करते थे जिन की गालें सेब की तरह लाल होती थीं। इसी तरह से यह सरकार गरीब किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं और न ही गरीब मज़दूरों की बात सुनने को तैयार है जो देश की असल मानों में दौलत पैदा करते हैं। यह किन की बात सुनती है ? यह उन की बात सुनती है जो अमीर हों और बड़े २ सरमाएदार हों और जो बलैक मार्किट करते हैं और इन के साथ लूट खसूट का माल बांटते हैं और यह गरीब लोगों की बात सुनने में अपनी बेइज्ज़ती समझते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस अंधेर राज्य के अन्दर आने सेर भाजी और आने सेर खाजे वाली बात है। यहां इस तरह से टैक्स लगाए जाते हैं कि जो गरीब हैं उन पर तो यह सरकार टैक्स लगाती है और जो सरमाएदार हैं और जिन्होंने बलैक मार्किट कर के दोलत इकट्ठी कर रखी है, जो इन के साथ लूट खसूट का माल बांटते हैं उन पर यह सरकार टैक्स नहीं लगाती।

उपाध्यक्षा : अब आप खत्म करें । (Now please wind up)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अभी बैठ जाऊंगा । इस में मेरा कसूर नहीं, कसूर तो इन का है जो गरीब किसानों और गरीब मुलाजमों की बात सुनना नहीं चाहते और मुझे उन की बात करनी होती है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप देखें कि इस सरकार की तरफ से इस सेशन में दो बजट पेश किए जा रहे हैं, एक तो सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स के बहाने से और दूसरा सही बजट के बहाने से और इन दोनों बजटों में गरीब हरिजनों के लिए, गरीब किसानों, के लिए और गरीब मज़दूरों के लिए जो असल मानों में दौलत कमाने वाले हैं, उन के सुधार के लिए अगर कुछ रुपया रखा जाए तब तो ठीक है लेकिन उन के भले के लिए कुछ न रखा गया तो इस से इन का भी भला नहीं होने वाला। अगर यह इसी तरह से गरीब लोगों पर टैक्स लगाते रहे तो इस का नतीजा भी अच्छा नहीं होगा ।

Sardar Ajmer Singh (Samrala) : Madam, Deputy Speaker, I have to make observations in regard to a few aspects of the Supplementary Estimates, under discussion. First of all, I will make my submission with respect to Demand No. 17 at page 53 of the Supplementary Estimates. This Demand relates to the Major Head '124—Capital Outlay on Scheme of Government Trading'. During the current year, there has been a lot of upsetting of the minds, agitations and so many things with regard to production of foodgrains in the State, their distribution, etc. Our State has purchased foodgrains in the form of wheat, rice and paddy at different rates. I have to bring to the notice of the House through you, Madam, Deputy Speaker, and to the notice of those who are incharge of the Government that there has been a sort of scandle in the purchase of rice and paddy. The rates were fixed on the 24th October, 1964. The season for the procurement of rice and paddy had started much earlier, i.e., it started in the month of September and everybody was expecting that the rates were going to be fixed. The traders know that the rates that were going to be fixed would be higher than those at which they were effecting the purchases from the producers in the month of September. They purchased rice and paddy worth crores of rupees at that time and what happened later on ? The Government announced that a certain portion of rice and paddy will be purchased from the stocks of the traders at such and such rates which was higher than the rate at which the traders had purchased the commodity from the producers in the month of September. I am saying these things from my personal knowledge. The stocks which the traders had stocked in the villages in collusion with certain persons in the villages were ultimately sold to the Government at much higher rates. In that way, they have pocketed at least one crore and something which, in fact, should have gone to the producers. Government have also suffered a loss. I submit that an enquiry be made into this affair and found out whether what I say is correct or not. If that is found to be correct, Government should take steps to recover that huge amount which will then go to the Exchequer of the State. That amount should not be allowed to remain with the traders. So, that is my submission, Madam, Deputy Speaker, in this respect.

5.00 pm.

[Sardar Ajmer Singh]

The second thing which I wanted to find out by my hurried reading of these Supplementary Estimates, is whether any steps have been taken in the State to form a State Foodgrains Corporation. But, I find that no steps have been taken so far in this direction. The Central Government, by means of an Act, have laid down that the States would form their Fo od-grains Corporations which would operate in the States. And, if we fail to do so, the jurisdiction of the Central Foodgrains Corporation would extend to our State. All the personnel, which they would employ, would operate here with the result that, firstly, our people would be deprived of employment opportunities ; Secondly, the method of their procurement, etc., may not be quite suitable to us. The matter is under discussion, cor-respondence and our State Government is probably thinking of giving this work to the Co-operative Societies which, I am sure, will not be able to undertake this job. This involves tremendous work. They will not be able to make purchases. They will not be able to store foodgrains. What I want to submit, Madam, Deputy Speaker, is that our Government should not delay this matter. They should form the Corporation in time, so that they are able to function ; they are able to make purchases in time and arrange for necessary godowns. So, my submission before this House through you, Madam, Deputy Speaker, is that our Government has failed in its duty. But, there is still time to make necessary arrangements in this respect which, I think, they should do for the benefit of the State. So, this matter should not be allowed to go by default. I am quite clear in my mind that if the Central Government Corporation starts operating in this State, there will be many difficulties. In fact, we will repent afterwards. If once they begin to operate, we will not be able to stop them.

Madam, Deputy Speaker, there is another apprehension in my mind. I think that our producers do feel that they are not treated fairly in the matter of purchasing their produce from them. A sort of temporary atmosphere is created. Now, this country is one. The trader, the producer and the consumer of this country should be treated at par. There should be a ques-tion of Demand and Supply. If my State produces much more, it should be put in an advantageous position while selling its produce to any other part of the country. I am quite conscious of the fact that here the poor people are to be fed on foodgrains which should be given to them at reason-able prices. Let them have their requirements through fair price shops which the Government will open for them. But, why should the remaining foodgrains not be allowed to be sold in the open market throughout the country at whatever rates the producer is able to fetch for them. If that is allowed, our State will earn lakhs of rupees. The people here will spend this money on their own projects and on so many other things. So, my submission is that the Zonal System has worked against the interests of the producers of this State. Necessary incentive for him is not there. I put it like this. If a producer of U.P. spends the same amount of money on production of a quintal of foodgrains as a Punjabi producer does, why should not our Punjabi producer be able to get the price for his own produce as a man in the U.P. does ? Restriction is put on whatever is produced in U.P. They do not allow sugar to come here freely. On the other hand, we have to send foodgrains to every part of the country so as to please the Central Government. You may please sent it. I do not grudge it, but please give us the right price for it. This type of restriction on the economy of the country is something unnatural. So, there should be full control on the production and distribution of every kind of necessarity of life. If

you apply controls only on what a farmer produces, that will not be fair. Let the farmer have his requirements of fertilizers, water connection, electricity, etc., in full at reasonable rates. People have sunk tube-wells. They have spent a lot on them, but they are not given electric connections. They are told that the material is not available. So lakhs of rupees have gone waste. Crores of rupees have gone. Either the Ministers should make statements after consulting the electricity people or the latter should not do so. Or they should allow us to deal with the electricity people directly, i.e., we should pay the money to the electricity people and get the connections. Madam, six months back I applied for an electric connection. The pole is just at a distance of about 200 yards from my well. I had put the electric motor four months back. I am running after the Executive Engineer, the Sub-Divisional Officer, etc., and they say that the estimate has not been prepared and connection will be given after it has been prepared/sanctioned. So, the connection has not been given to me so far.

(*Interruptions by Chaudhri Devi Lal and some other hon. Members*)

Sardar Ajmer Singh : Chaudhri Devi Lal and all these members also say that they do not get the connections. This is a fact. If the Government want that there should be more and more of production, this aspect should be looked into. All the proclamations and announcements of the Government should be brought into practice. These should not be allowed to remain mere speeches and pronouncements. I do not know whether the officers are purposely doing it or what is the matter ?

Now I come to demand No. 11. Under the sub-head "A.(2)—Gratuitous Relief" it is stated—

> "....A sum of Rs 25,00,000 will be taken from the Post War Reconstruction Fund for flood relief of ex servicemen and families of Service men in the flood affected areas".

I have been very much heart to find that money meant for some other purpose is being spent for providing gratuitous relief to the ex-Servicemen and families of Service-men in the flood affected areas. I have a very serious objection to it and the manner in which the ex-military people have been dealt with. The Government should have given the gratuitous relief out of the general fund of the State. Instead of doing this, the Government have taken Rs 25 lacs from the Post-War Reconstruction Fund for flood relief of ex-Servicemen and families of Service men in the flood affected area. Madam, how harsh, partial and painful it is to see that the people who have served the country for the whole of their life, some of them must have been injured, some of them must have put the best part of their life in the service of the country, have not been given anything out of the general fund of the State. But still the Government by giving them relief out of the Post-War Reconstruction Fund, which is meant for other purpose, wants to take credit for it.

With these words, Madam, I finish. Thank you very much.

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਜਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਸੁਝਾਵ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਤਾਂ ਇਕ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਰਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੇ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ..........

ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ : ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਏਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਉਧਰ ਦੇ ਦਿਤੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ—

> "Supplementary Demands as included in this volume amount to Rs 48.67 lakhs (Net). Out of this, a sum of Rs 37,14 lakhs exhibited as Floating Loan under the Major Head "Public Debt (Discharged)" pertains to the payment of ways and means advances received from the Reserve Bank of India during the course of the year. These are merely in the nature of banking transactions for which appropriation is required in accordance with the accounting procedure laid down by the Accountant-General, Punjab. Excluding this item the Supplementary Demands aggregate Rs 11,53 lakhs."

ਏਧਰੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਓਧਰ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਉ ਕਿ 48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੈਂਟ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੰਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਉਥੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬੈਨੀ-ਫਿਸ਼ੈਂਟ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਾਇਸਿਜ਼ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧਣ ਲਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਜਨ ਸਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੌਰਮਿਟ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਯੀਲਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭਾ 30 ਜਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਕਣਕ 60 ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਉ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਚੈਕ ਰਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।

ਇਕ ਗਲ ਇਥੇ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ ਲਗਵਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਗਵਰਮੈਂਟ ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮੋਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮੋਮ ਏਰੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗਲ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ।

ਇਕ ਗਲ ਇਥੇ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

[ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ]

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਵਾਟਰ ਲਾਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗਲ ਇਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਇਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਫਾ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਲਏ ਨੂੰ ਅਜ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਾਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ ਇਥੇ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਮਗਰ ਇਹ ਨਾਕਸ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਨਸਰਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਤਜਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਗੱਲ ਇਥੇ ਸੀਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਡ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡ ਦੀ ਫੇਅਰ ਡਿਸਟਰੀ-ਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਡ ਨੋ ਪਰਾਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਬੇਚਿਆ ਜਾਵੇ।

(ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੀਡ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਉ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ ਹੈ)। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਹੈਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਉ ਖਰੀਦੋ ਉਸ ਭਾਉ ਦੇ ਦਿਉ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।

ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਗਵਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਿਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ, ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ।

Extension of time

उपाध्यक्षा : आप को यह कैसे ख्याल हो गया कि मैं बेखबर हूं। क्योंकि फाईनैंस मिनिस्टर साहिब को जवाब देने के लिए बड़ा कम वक्त मिला है इस लिये मैं हाउस से यह चाहूंगी कि हाउस की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए। (How does the hon. Member think that I am not aware of this matter. As sufficient time has not been made available to the hon. Finance Minister for reply to the critcism of the Members, I would request the House to agree to the extension of the time for application of guillotine by another 15 minutes)

(The sitting was extended for further 15 minutes with the consent of the House.)

श्री मोहन लाल : रूलज़ के मुताबिक गिलोटीन का टाइम कवैस्च्न नहीं हो सकता।

उपाध्यक्षा : कायदे और कानून के बारे में आपको चेयर से ज़्यादा मालूम नहीं हो सकता।

(The hon Member does not know better than the Chair with regard to rules and procedure.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਉ ਇਸ ਤੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15 ਮਿਨਟ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। (I have taken the sense of the House. The hon. Finance Minister will get 15 minutes more to speak)

SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT), 1964-65 (RESUMPTION OF DISCUSSION) (*concld.*)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਰੀਮੇਂਬਰੈਂਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਾਂਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਡਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੌਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ੍ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤ੍ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਨੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ।
(The hon. Finance Minister may please give a direct reply of the point.)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਯੂਨੀ-ਵਰਸਿੱਟੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਉ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

उपाध्यक्षा : हाउस के सामने 20 डिमांडज़ हैं, अगर सदन की इजाज़त हो तो सारी ही डिमांडज़ एक साथ पुट कर दी जाएं। (There are 20 demands before the House. If the House agrees all the demands be put together.)

(सदन ने स्वीकृति दे दी)।
(The House agreed.)

Deputy Speaker : Question is :

That the demand be reduced by Re 1.

The motion was lost

Deputy Speaker: As agreed to by the House, I now put all the 20 demands, to the vote of the House together.

Question is:—

That a Supplementary sum not exceeding Rs 41,360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 12—Sales Tax.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 83,160 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 18—PARLIAMENT, STATE AND UNION TERRITORY LEGISLATURES.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 23,72,470 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 19—GENERAL ADMINISTRATION.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 7,43,390 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 21—ADMINISTRATION OF JUSTICE.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,33,75,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965 in respect of 28—EDUCATION.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10,41,560 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 31—AGRICULTURE.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 13,01,340 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 43—IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL).
44—IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (NON-COMMERCIAL).

That a Supplementary sum not exceeding Rs 16,51,640 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of CHARGES ON IRRIGATION ESTABLISHMENT.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 61,500 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 50—PUBLIC WORKS.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 78,73,430 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 57—ROAD AND WATER TRANSPORT SCHEMES.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 95,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 64—FAMINE RELIEF.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 7,23,270 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 70—FOREST.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 3,54,56,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 71—MISCELLANEOUS.

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 89,30,750 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 99—CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION, NAVIGATION, EMBANKMENT AND DRAINAGE WORKS (COMMERCIAL).

[Deputy Speaker]

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 103—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 1,62,650 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 120—PAYMENT OF COMMUTED VALUE OF PENSIONS.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 2,85,34,740 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 124—CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF GOVERNMENT TRADING.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 6,28,89,910 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1964, in respect of LOANS TO LOCAL FUNDS—PRIVATE PARTIES, ETC.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of 42—MULTI-PURPOSE RIVER SCHEMES.

That a Supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending the 31st March, 1965, in respect of the 98—CAPITAL OUTLAY ON MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES.

5-40 p.m. *The motion was carried*

Deputy Speaker: The House will meet tomorrow at 9-30 a. m.

(*The Sabha then adjourned till* 9.30 *a.m. on Saturday the* 27*th February*, 1965)

3945 PVS—000—9-6-65—C, P. & S., Pb., Chandigarh.

APPENDIX

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. 1, NO. 4, DATED THE 26TH FEBRUARY, 1965

Special Certificate Received by Teachers working in various Primary/Middle Schools in Dharamkot Block, district Ferozepore

*7264. **Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the names of those teachers working in the various primary and middle schools in Dharamkot Block, District Ferozepore with their school addresses who received special certificate from the Department but have not been given promotions so far and the reasons therefor in each case ;

(b) the time by which the promotion to the said teachers are likely to be given ; and

(c) the conditions, in addition to sepcial certificates that are required to be fulfilled for getting a promotion?

Shri Prabodh Chandra : (a) A statement giving the requiste information is laid on the Table of the House.

(b) when they become eligible.

(c) promotion to a higher grade is given on the basis of seniority-cum-merit provided :

(i) a J.B.T. Teacher has at least 5 years service in Rs. 60—120 grade.

(ii) a Classical and Vernacular Teacher has at least 3 years service in Rs. 60—120 grade, and subsequently the same period of service in Rs. 120—175 grade.

(a) **STATEMENT**

The following Teachers working in the Dharamkot Block of Ferozepore District were awarded Special Certificates by the Department. They have not been given promotion because they are not eligible.

(a) Serial No.	Name with place of posting
	Sarvshri—
1.	Sukhdarshan Singh, Teacher, Government Primary School, Nasirewala.

(a) Serial No.	Name with place of posting
2.	Mohan Lal, Teacher, Government Primary School, Amir Shahwala.
3.	Harbhajan Singh, Teacher, Government Primary School, Daya Kalan.
4.	Jarnail Singh, Teacher, Bakarwala.
5.	Mohinder Singh, Teacher, Government Primary School, Aminwala.
6.	Sadhu Ram, Teacher, Government Primary School, Aminwala.
7.	Ram Chand, Teacher, Government Primary School, Aminwala.
8.	Jagir Singh, Teacher, Government Primary School, Jafferwala.
9.	Mukhtiar Singh, Teacher, Government Primary, School, Kot Sad Khan
10.	Sukhwant Kaur, Teacher, Government Middle School, Makhu.
11.	Ujmal Singh, Teacher, Government Middle School, Makhu.
12.	Sham Lal, Teacher, Government Middle School, Karyal.
13.	Gurdev Singh, Teacher, Government Middle School, Karyal.
14.	Kanwar Sukhdev Singh, Teacher, Government Middle School, Jallalabad (East).
15.	Jaswant Singh, Teacher, Government Middle School Talwandi Mallian.
16.	Karnail Singh, Teacher, Government Middle School, Fetehgarh Panjtoor.

The answer to the Starred Vidhan Sabha Question No. 7550 appearing in the list of the questions for the 26th February, 1965, in the name of Shri Ram Saran Chand Mital, M.L.A. is not ready. This information is sent to the Speaker, Punjab Vidhan Sabha, who is requested to extend the time for answering this question, under proviso (ii) to rule 41 of the Rules of. Procedure and Conduct of Business in the Punjab Vidhan Sabha. The question may kindly be included in the list of questions for any date after the 13th March, 1965.

Sd/— Chief Minister, Punjab.

To

The Speaker,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O. No. 127—(AQ)—ICB—65, dated the 25th February, 1965.

3948 PVS—268—9-6-65—C., P. and S., Chandigarh.

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

27th February, 1965

Vol. I, No. 5

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Saturday, the 27th February, 1965.

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price Rs: 21.50

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. I, No. 5, dated the 27th February, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
कानूनी	कानी	(5) 4	22
बात	बाता	(5) 11	4
45	25	(5) 27	Heading
if any	if	(5) 28 (5) 30	4 3
regards	regrds	(5) 33	15
therefor	therefore	(5) 37;40;6;2; 45	12
an	an a	(5) 39	Last but one
then	they	(5) 39	Last
fixd	xed	(5) 41	10
that	hat	(5) 43	last
Scheduled Caste	Scheduled	(5) 45	20
September	Septembes	(5) 45	31
selection	selectipn	(5) 55	25
been	bcen	(5) 55	26
employees	employes	(5) 56	6 from below
their	thrir	(5) 64	Last but one
treatment	trestmeat	(5) 72	5
Bureau	Burean	(5) 123	3 from below
Health	Halth	(5) 124	2

Read	*For*	*Page*	*Line*
Dalhousie	Dalhousi	(5) 132	13 from below
for	fr	(5) 137	12
Delete the word 'by' after the word 'received'		(5) 137	4 from below
LEvy	EVY	(5) 140	7 —do—
Putlighar	Putlighat	(5) 144	S. No. 35
Partap	artap	(5) 145	S. No. 99
Municipal	PMunicipal	(5) 145	S. No. 100
Mazdoor	Ma door	(5) 146	S. No. 11
Gurdaspur	Gurdspur	(5) 147	S. No. 33
February	Febbuary	(5) 162	Heading
Hissar	Hlssar	(5) 162	S. No. 94
persons	perons	(5) 163	17
address	addrcss	(5) 169	2
Hansi	Hansl	(5) 169	S. No. 169
Shrimati	Shrimatl	(5) 170	S. No. 10
Singh	Slngh	(5) 171	S. No. 14
District	Cistrict	(5) 172	11
Sirsa	Slrsa	(5) 172	13
electrified	electrifibed	(5) 172	26
Likely	L ely	(5) 172	3 from below
received	reccived	(5) 173	4
investigation	investigat on	(5) 174	13
cancelled	concelled	(5) 174	28
under	linder	(5) 174	Last

Read	*For*	*Page*	*Line*
raised	reaised	(5)175	6 from below
reminded	remainded	(5)177	6
contention	contengtion	(5)177	25 from below
immediately	immediat y	(5)177	22 from below
waste	waster	(5)177	4 from below
Regarding	Rearding	(5)178	32
Hence	Hance	(5)178	5 from below
behaviour	behabiour	(5)179	2
School	scbool	(5)180	18
ROADWAYS	RODWAYS	(5)182	2
Chaudhri Ran Singh	Dhaudhri Ran Singh	(5)182	8 from below
Woolen	Woollcn	(5)188	14
Committee	Cammittee	(5)188	24
follows	follwso	(5)189	16
under	unader	(5)191	15
expedited	expendited	(5)200	5 frow below
complainant	complaintant	(5)253	11
2221	*2221	(5)258	12 from below
following	followin	(5)263	19
मुख्य मंत्री	मख्य मंत्री	(5)263	23
Chief Minister	Members	(5)274	26
for	foF	(5)279	9
attacked	attecked	(5)283	27
हूं	हुं	(5)287	1
	हू	(5)287	27
	हैं	(5)290	15

Read	*For*	*Page*	*Line*
चाहिए	चहिए	(5)291 (5)292	12 3 from below
इसी	इ ी	(5)291	18
दुर्घटना	दुघटना	(5)291	26
थानेदार	थेनेदार	(5)291	30
बात	ब त	(5)294	15
में	म	(5)294 (5)315	18 12,13
उन्होंने	उन्हें न	(5)294	3 from below
डाल	ड ल	(5)295	5 -do-
कर के	के कर	(5)295	4 -do-
utter	ulter	(5)297	11 -do-
ਤਕ ਹੈਲਥ	ਤਕ ਂਹੈਲਥ	(5)309	8
वाज़ेह	बाजेह	(5)314	5
पासबां	पासवां	(5)314	15
मार्शल	माशटल	(5)316	17
बाशिंदगान	वाशिंदगान	(5)318	20
श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम	श्री सुरेन्द नाथ खोसला	(5)319	10
एड्रैस	एड्रेस	(5)319	12
Delete the word 'the' before the word 'other'		(5)321	29
received	rcceived	XI	2
Gianewala	Gianonwala	XII	20
Makhar	Makhor	XIII	9
to	te	XIII	11

Read	*For*	*Page*	*Line*
misappropriate	miss-appropriate	XIII	27
Tchana	Thana	XIII	4 from below
pleased to state	pleased to to state	XX	2 –3
M/s	M/s M/s	XXI	S. No. 52
(g), (h)	(g) h	XXV	Last
claimants	cliamants	XXX	15 from below
Welfare	Walfare	XXXI	4
uptil	uptill	XXXIII	18
Sharma	Shaama	XLIX	S. No. 127, Col. 2
Man Singh, Pritam Singh	Words not clearly printed	LVIII	S. No. 256, Col. 2
LIX	LVIX	LIX	Page No.

Note,—Unstarred Question No. 2331 along with its reply, printed at page XXXVIII of Appendix to this debate may be treated to have been included in the P.V.S. debate Vol. I, No. 12, dated the 8th March, 1965.

PUNJAB VIDHAN SABHA

Satnrday, the 27th February, 1965

The Sabha met in the Assembly Chamber Sector 1 Chandigarh at 9. 30 a. m. of the clock Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

T. A. Claimed by Ministers

***6811. Sardar Gurcharan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the amount claimed by each Minister as T. A. to-date since the present Ministry took over charge ;

(b) the number of days spent by each Minister in Chandigarh during the period mentioned in part (a) above ?

Shri Ram Kishan :

(a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

S. No.	Name of the Minister	Information regarding part (a) of the Question	Information regarding part (b) of the Question
		Rs P.	
1.	Shri Ram Kishan Chief Minister ..	2,783.87	95 days
2.	Shri Darbara Singh Home and Development Minister ...	1,459.25	80¾ days
3.	Shri Prabodh Chandra, Education and Local Government Minister ...	2,777.05	87½ days
4.	Shri Kapoor Singh, Finance and Planning Minister ..	1,676.55	70 days complete For 81 days he was present in the fore-noon or after-noon
5.	Shri Harinder Singh, Revenue Minister ...	Nil	109 days
6.	Shri Rizaq Ram, Public Works and Welfare Minister ..	2,634.80	99 da ,
7.	Shri Sunder Singh, Deputy, Minister Welfare ..	5,534.00	68 days

Note :—The information regarding the Chief Minister is up to 9th Feburary, 1965 whereas in respect of other Minister is upto 31st December 1964.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ?

मुख्य मन्त्री : देहली और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मेरे दौरे हुए हैं।

श्री मंगल सैन : यह स्टेटमेंट जो दी गई है उसे देख कर पता लगता है कि चौधरी सुन्दर सिंह जो आधे वज़ीर हैं उन्होंने पांच हजार से भी अधिक टी. ए. लिया और सरदार दरबारा सिंह जो होम मिनिस्टर है उन्होंने डेढ़ हजार के करीब टी. ए. लिया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस की क्या वजह है ?

शिक्षा तथा लोक कार्य मंत्री : वह हरिजन वैलफेयर मिनिस्टर हैं इसलिये उनको काम ज्यादा करना पड़ता है। (हंसी)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ?

मुख्य मन्त्री : पंजाब के हित के लिए जरूरी कामों के लिए जब जब भी मुझे देहली जाना पड़ा मैं जाता रहा हूँ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state if he ever thought of having surprise raids/checks on the courts or offices while going to or coming back from Delhi ?

Mr. Speaker: How does it arise from the main question ? Moreover, it is a suggestion for action.

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ; ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਮੇਜਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟੀ. ਏ. ਨਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ?

(No reply)

पण्डित मोहन लाल दत्त : मुख्य मन्त्री साहिब के दौरे अक्सर देहली और मैदानी इलाकों में ही रहे हैं लेकिन तहसील ऊना के पहाड़ी इलाके में लोग उनके दर्शनों से महरूम रहे हैं, इसकी क्या वजह है ?

मुख्य मन्त्री : मैं पहाड़ी इलाके में भी जाता रहा हूँ और तहसील ऊना की जो ज़रूरी प्राब्लम्ज थीं उनकी तरफ मैं ने मुनासिब तवज्जो दी है।

Chaudhri Hardwari Lal : I should like to know from the Chief Minister if the days shown to have been spent by the different Ministers at Chandigarh, except, of course, the Finance Minister, are by any chance incorrect-incorrect in the sense that part of the days or nights spent in Chandigarh have not been counted because in the case of the Finance Minister the information has been given differently ?

मुख्य मन्त्री : आनरेबल मैम्बर अलहदा नोटिस दें तो मैं एक एक दिन चैक करके इन्फर्मेशन दे दूंगा।

डाक्टर मंगल सैन : मुख्य मंत्री साहिब ने कहा था कि मैं देहली में ज़रूरी कामों के लिये जाता रहा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि जो उन के साथी उन्हें तंग करते हैं उनकी शिकायत लगाने के लिये भी वह कामराज के पास जाते रहे हैं ?

मुख्य मन्त्री : मैं जब भी कांग्रेस के काम या किसी प्राईवेट काम देहली गया हूँ न गवर्नमेंट की कार इस्तेमाल की है और न ही टी. ए., डी.ए. लिया है ।

Chaudhri Darshan Singh : Is it a fact that he will never claim T. A. during his Ministership ?

(*No reply*)

Chaudhri Hardwari Lal : Does the Chief Minister realise that the frequent absence of the Ministers from Chandigarh has involved the public into great inconvenience as also has inordinately delayed the disposal of numerous matters needing the attention of the Ministers ?

मुख्य मन्त्री : अगर आनरेबल मैम्बर के पास इस किस्म की कोई शिकायात है तो उसको चैक अप किया जा सकता है ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 70 ਦਿਨ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹੇ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਸੀ ?

मुख्य मन्त्री : इसके लिये नोटिस चाहिए ।

Mr. Speaker : Next Question *6773 by Comrade Shamsher Singh Josh is postponed.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ?

Mr. Speaker : Question is never partly postponed.

Chaudhri Hardwari Lal : Would you kindly consider the desirability of the Code of conduct being circulated among the Members ?

Mr. Speaker : That has been laid on the Table and circulated among the Members.

FOLLOW-UP ACTION ON THE DAS COMMISSION REPORT

*6797. **Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the Ex-Ministers and other public men who have been found guilty according to the findings of Shri Krishnaswamy with regard to the follow-up action on the Das Commission Report ;

(b) the names of persons out of those mentioned in part (a) above against whom action has been taken by the Government so far together with the details of the action taken in each case ?

Shri Ram Kishan : (a) Mr. Krishnaswamy's Report is being treated as secret. It is regretted that its contents cannot be divulged.

(b) No action has so far been taken against any Ex-Ministers and other public men, except that copies of relevant extracts from Mr. Krishnaswamy's Report have been sent to the Prime Minister and Home Minister, Government of India, New Delhi.

Shri Mangal Sen : Supplementary Question, Sir.

Mr. Speaker : The next three or four questions are also on the same subject. Would it not be better if those are also replied and the supplementaries on these questions are put together ?

श्री मंगल सैन : कृष्णास्वामी की रिपोर्ट तो आपने सीक्रेट बना दी है और उसका कुछ पोर्शन आपने प्राईम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को भेज दिया है और आपने बताया है कि ऐक्स-मिनिस्टर्ज़ के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया । मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट देहली भेजी है उसके कंटेन्ट्स क्या हैं और आप कब तक ऐक्शन लेने वाले हैं ?

मुख्य मन्त्री : मैंने कल भी कहा था कि वह रिपोर्ट सीक्रेट है उसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता । टर्म्ज़ आफ रेफ्रेंस के मुताबिक श्री कृष्णा स्वामी ने फाईंडिंग्ज दी थीं । वह होम मिनिस्ट्री को भेज दी गई हैं और उनका ऐग्ज़ामिनेशन हो रहा है ।

श्री मंगल सैन : आपने फरमाया है कि एक और सब-कमेटी बनाई गई है जो इसके कानूनी पहलू को अग्ज़ामिन करेगी । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कानूनी पहलू पर राए मिलने के बाद ऐक्शन लिया जाएगा या उस कानूनी पहलू को अग्ज़ामिन करने के लिये कोई सब-कमेटी बनाई जाएगी ?

मुख्य मन्त्री : होम मिनिस्ट्री की तरफ से जैसा भी जवाब आएगा उसकी लाइट में कार्यवाही की जायेगी ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀਕਰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਲਕੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਵਲਜ ਕਰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਇਨਟਰੈਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫਾਲੋਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : I agree with the Hon. Chief Minister that it is a secret document and its contents cannot be divulged. It would have been better if the first instalment of the Report would not have been placed before the House because subsequent to that some of the officers against whom charge-sheets were issued have been exonerated. So, unless final action is not taken it is better that the proceedings should not be divulged.

मुख्य मन्त्री : 24 सितंबर को कृष्णास्वामी रिपोर्ट हाउस की टेबल पर नहीं रखी गई थी बल्कि उन्होंने जो फ़ाइंडिंग्ज़ और रिकमैंडेशन्ज़ दी थी और उन पर सरकार ने जो ऐक्शन लिया था या लेने वाली थी उसके बारे में यहां स्टेटमेंट दी गई थी।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਜੋ ਅਫਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ? ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ?

मुख्य मन्त्री : मैंने कल भी यहां अर्ज़ किया था और आज भी यह अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं मौज़ूं वक्त पर इस बारे में एक डिटेल्ड स्टेटमेंट हाउस में दूंगा कि क्या क्या कार्यवाही की गई है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ: ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜ਼ੂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿਉਗੇ ?

मुख्य मन्त्री : हां, इसी सैशन के दौरान में।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि कृष्णास्वामी रिपोर्ट की कापी जो सैंट्रल गवर्नमेंट को भेजी गई है उसकी एक कापी कांग्रेस प्रधान श्री कामराज को भी भेजी गई है ?

मुख्य मन्त्री : मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि वह सिर्फ प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर को ही भेजी गई है, और किसी को नहीं।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀਅ-ਲਿਸਟਸ ਬਾਰੇ ਕਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਕੁਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । that lenient view should be taken against the non-officials. May I know from the Chief Minister whether lenient view means conveyance of displeasure of the Government.

मुख्य मन्त्री : मेमोरियलिस्टस के बारे में श्री कृष्णा स्वामी ने जो फाईंडिंग्ज़ दी हैं और रिकुमैंडेशन्ज़ की हैं उन्हें होम मिनिस्टरी को भेज दिया गया है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਮੰਨਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : कृष्णा स्वामी रिपोर्ट में जो फाईंडिंग्ज़ दी गई हैं और रिकुमैंडेशन्ज़ की गई हैं उन पर कार्यवाही करने की आखरी अथारिटी सरकार के पास है कि किस अफसर के खिलाफ क्या और कैसे ऐक्शन लेना है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਨਆਫੀਸ਼ਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਫੀਸ਼ਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।

मुख्य मन्त्री : नान-आफीशलज़ के बारे में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और फिर कर देता हूँ कि जहां तक साबिका मिनिस्टरों का संबंध है उन के केसिज़ होम मिनिस्टरी को भेज दिये गए हैं। वहां से हमें जो भी इत्तलाह आएगी उसके मुताबिक मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

(ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਫਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ? ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਅਮਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਾਉਸ ਐਡਜਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

शिक्षा तथा लोक कार्य मन्त्री : आज वैसे आफ डे होता है, इस लिए मुरम्मत वगैरा हो रही होगी ।

(ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ)

RECOMMENDATIONS MADE BY SHRI KRISHNASWAMI.

***6774. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Shri Krishnaswami has submitted any report(s) to the Government regarding the follow-up action on the Das Commission's Report; if so, when;

(b) a copy of the report (s) submitted by Shri Krishnaswami along with the details of the action taken thereon be laid on the Table of the House;

(c) whether Shri Krishnaswami suggested in his Report(s) any action against Shri Partap Singh Kairon, Ex-Chief Minister, if so, the details of the action so far taken in this respect, if not, taken the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan: (a) First Part. Yes.

Second Part .. Shri Krishnaswamy submitted the last instalment of his Report on the 11th November, 1964.

(b) First Part .. Shri Krishnaswamy's Report is being treated as secret. It is regretted that a copy of the same cannot be placed on the Table of the House.

Second Part .. The position about the action taken on Mr. Krishnaswamy's Report is indicated in the statement laid on the Table of the House.

(c) First Part .. As Shri Krishnaswamy's Report is being treated as secret, it is regretted that its contents cannot be divulged.

Second Part .. The Hon'ble Member will not, perhaps, now be interested in this part of the question in view of the tragic death of Sardar Partap Singh Kairon.

STATEMENT

The position about the action taken on Mr. Krishnaswamy's Report is as below :—

Officials.

On the basis of Mr. Krishnaswamy's Report, 32 Punjab Government officers (some in more than one case) were charge-sheeted or required to explain their position. Their explanations were considered by Government as and when received. The charges were dropped where the explanations had been found to be satisfactory. The displeasure of Government has been conveyed to officers, in some cases. Two cases have already been or some more are proposed to be entrusted to the Inquiry Officer for departmental inquiry. In all, 24 charge-sheets and 21 communications asking the officers to explain their position were issued. Twenty one cases have been dropped. In 8 cases letters of advice and/or the displeasure of Government have been conveyed with a copy on the personal file of the officer concerned. In one case letter of advice has been issued without a copy on the personal file. The Government of India have been addressed with regard to action against one officer who is working under them.

(ii) **Municipal Employees.**

The local Government Department have been addressed for appropriate action against a former President of a Municipal committee and two municipal employees.

(iii) **Former Minister and non-officials.**

As regards non-officials the position is as follows :—

(a) *Non-officials (Memorialists)*.—The Das Commission had passed remarks against some of them. Mr. Krishnaswamy examined their cases and came to the conclusion that notwithstanding the pronouncement of the Das Commission in some of these cases, there may not be a case of prosecution particularly from the procedural point of view. He, therefore, recommended that a lenient view be taken. The matter is under consideration of Government.

(b) *Non-officials (Ex-Ministers, etc.)*.—Relevant extracts from Mr. Krishnaswamy's Report have been sent to the Prime Minister and Home Minister, India, New Delhi.

(c) *Non-officials (other than Memorialists and Ex-Ministers)*. Their cases are under examination. The Departments concerned, however, have

[**Chief Minister**]

already taken the following action against them. :—

(1) The Sales Tax Assessment cases of Messrs National Motors, Limited, Amritsar for the years 1960-61 and 1961-62 were reviewed. The amounts of penalty imposed by the Assessing Authority in these years were considered very much inadequate and were considerably enhanced by the competent judicial authority.

(2) Some searches were made by the Police during the investigation of some cases concerning the National Motors, Capital Construction Company and Messrs Cinerama.

Government have also appointed a Special Committee, consisting of a Retired High Court Judge and two other members, to go into the legality and validity of certain transactions mentioned in the Das Commission Report.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਓਰਿਜਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਲਈ ਕਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਕਰਿਟ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is no Point of Order, please.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਫਾਲੋ ਅਪ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਕਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਕਰਿਟ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜ ਵੀ ਤੇ ਕਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। (A large number of questions have been asked yesterday and to-day and the same reply is being given).

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

Mr. Speaker: The reply of the Government is that it is not in the public interest to divulge it.

Chaudhri Hardwari Lal: A special committee headed by a retired High Court Judge has been appointed to ascertain the legality and validity of certain transactions in the Das Commission Report. Will the hon. Chief Minister be pleased to state if these very transactions were examined earlier by Shri Krishnaswamy or by Shri Bagchi ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मिस्टर कृष्णास्वामी ने दास रिपोर्ट को फौलो-अप करने के बारे में गौर किया था। हमारा उसके अन्दर किसी तरह भी डायरैक्टली या इनडायरैक्टली कोई दखल नहीं था। जो भी उन्होंने अपनी फाइंडिंग्ज़ दी हैं उसको मुख्य रखते हुए सरकार ने पूरी तरह से गौर किया। जहां पर जरूरत महसूस हुई वहां पर लीगल राए भी ली गई। सरकार ने उन तमाम केसिज में जिन आफिसरों को

चार्जशीट्स किया गया या आफिसर्ज के एक्सप्लेनेशन्ज़ काल अपौन किए गए थे, उन के हर पहलू पर गौर करने के बाद कदम उठाया है। जिन आफिसर्ज के खिलाफ मज़ीद डिपार्टमैंटल ऐक्शन लेना या फरदर इन्वैस्टीगेशन या इन्क्वायरी जरूरी थी, वह केसिज श्री बागची के सुपुर्द किए गए हैं। सरकार इन के काम में किसी तरह भी मदाखलत नहीं करेगी।

Mr. Speaker: Sardar Lachhman Singh Gill.

Chaudhri Hardwari Lal : Supplementary Question, Sir.

Mr. Speaker : I have called upon Sardar Lachhman Singh Gill.

Sardar Lachhman Singh Gill : I give way in favour of the hon. Member Chaudhri Hardwari Lal.

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, you will agree that what the hon. Chief Minister has said is no answer to the specific question put by me. I shall repeat my question.

Sir, a special committee headed by a retired High Court Judge has been appointed. The object for setting up this Committee is to ascertain the legality and validity of certain transactions mentioned in the Das Commission Report. I only want to know if these very transactions were earlier subjected to examination by Shri Krishnaswamy or by Shri Bagchi ? I am not alleging that the Government has been interfering. I only want to know for my information whether these transactions were examined earlier because I shall also like to know later..........

Shri Jagan Noth : On a point of Order, Sir........

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, a point of order should not be allowed to be raised when a Member is putting his supplementary question.

Voices : No. No.

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, किसी को अंग्रेजी न आती हो और कोई मैम्बर अच्छी अंग्रेजी बोलता हो, इस हालत में क्या वह आनरेबल मैंबर चीफ मिनिस्टर को सप्लीमेंटरी सवाल अंग्रेजी में पूछ सकता है ?

Mr. Speaker : Please........The hon. Member should behave in a more responsible manner.

Sardar Lachhman Singh Gill : The hon. Member Chaudhri Hardwari Lal should please speak in simple English.

Chaudhri Hardwari Lal : Shri Krishnaswamy was appointed in the first instance. Later, Shri Bagchi was appointed. Now a special committee has been appointed. I would like to know whether what has been done by Mr. Krishnaswamy and Mr. Bagchi is being repeated by the Special Committee. I hope I am clear now.

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, जब मैंने 24 सितंबर 1964 को इस सदन में स्टेटमेंट दिया था, उसमें बताया था कि श्री बागची जोकि आई. सी. एस. और काबिल एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको ऐसे केसिज भेजे जायेंगे जिन में मज़ीद इन्वैस्टीगेशन

[मुख्य मंत्री]

या डिपार्टमेंटल ऐक्शन लेना दरकार हो। जहां तक श्रीवास्तवा कमेटी बनाने का ताल्लुक है, मैंने अपनी इसी रिपोर्ट में इशारा किया था। जो ट्रांजेक्शन के केसिज होंगे वह इस कमेटी को रैफर किये जायेंगे। इस कमेटी के हैड एक अलाहबाद के रिटायर्ड जज, श्री श्री वास्तव मुकर्रर किए गए हैं। उनके साथ गवर्नमैंट आफ इंडिया की ला मिनिस्ट्री का एक बहुत अच्छा तथा काबिल अफसर मुकर्रर किया गया है। तीसरा इस कमेटी में होम सैक्रेटरी पंजाब का रखा गया है। इस कमेटी ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है और जल्दी ही काम शुरु कर लेगी। यह कमेटी ट्रांजेक्शनज़ केसिज़ के तमाम पहलुओं पर गौर करेगी।

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, I do not want to embarrass the hon. Chief Minister further.

Mr. Speaker : I think, a clear reply has come.

Chaudhri Hardwari Lal : How is the reply clear, Sir ?

Mr. Speaker : Transactions cases have been referred to the special committee.

Chaudhri Hardwari Lal : Sir, the House is entitled to know how the follow-up action is being handled and the questions that we are putting are directed only to elicit information on that point. My question was simple. Is the work entrusted to the special committee the same as was earlier done by Mr. Krishnaswamy or Mr. Bagchi ?

Mr. Speaker : It has been made clear in the reply of the hon. Chief Minister. It is a different work. It is regarding transactions according to the reply given by the hon. Chief Minister.

श्री मंगल सैन : चीफ मिनिस्टर साहिब ने मेरे सप्लीमेंटरी सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि उन्होंने कृष्णास्वामी की रिपोर्ट होम मिनिस्टर और प्रधान मंत्री को भेजी है। क्या मुख्य मंत्री साहिब बतायेंगे कि दास रिपोर्ट के बारे में जो जो स्टेटमेंट दी है, वह श्री कामराज से मशिवरा करने के बाद ही दी ?

Mr. Speaker: The Chief Minister has already replied to this supplementary question.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, यह बात अखबारों में भी छपी थी कि सरदार प्रताप सिंह कैरों के त्यागपत्र के बारे में.........

Mr. Speaker: We should not base our question on the Press reports.

श्री मंगल सैन : क्या प्रैस वाले गलत रिपोर्ट छाप सकते है ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, आपको मालूम ही है कि जिस रिपोर्ट का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वह सबस्टैंटिव मोशन के आधार पर थी। उस में ऐक्शन फौलो अप करने का सम्बन्ध नहीं था। मैं आप द्वारा हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जहां तक दास रिपोर्ट के फौलो अप करने का सम्बन्ध है, सब

सिलसिले में कृष्णास्वामी से डायरैक्टली या इनडायरैक्टली कोई मश्विरा नहीं हुआ इस सम्बन्ध में 24 सितम्बर, 1964 को स्टेटमेंट दिया और अब दिया जा रहा है। सरकार ने कृष्णास्वामी की रिपोर्ट पर हर पहलू पर पूरी तरह से गौर किया। मैंने कल भी इस बाता को क्लीयर किया था कि फौलो अप के सिलसिले में एक डिटेल्ड स्टेटमेंट हाउस में दूंगा जिससे सारी पोज़ीशन क्लीयर हो जायेगी।

FOLLOW-UP ACTION ON DAS COMMISSION REPORT

*6796. **Comrade Shamsher Singh Josh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any disciplinary proceedings were initiated by the Punjab Government against thirty five Government Officials and three employees of Local Bodies on the basis of the Krishnaswami report regarding the follow-up action on the Das Commission Report, if so, the date when these proceedings were started and with what result;

(b) the number of officers charge-sheeted on the recommendation of Shri Krishnaswami who have now been exonerated and the reasons therefor;

(c) the action taken against each of such Officers who have not been exonerated;

(d) whether any action legal or otherwise has been taken against any non-officials who were found guilty by the Das Commission and later by Shri Krishnaswami; if so, what?

Shri Ram Kishan: The desired information is given in a statement laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a), (b) and (c) On the basis of Mr. Krishnaswamy's Report, 32 Punjab Government Officers (some in more than one case) were charge-sheeted or required to explain their position. The Government of India were addressed for the purpose with regard to one Officer working under them. As regards Municipal personnel, a former President of a Municipal Committee was directed to explain his position. In regard to two municipal employees, the Municipality concerned was advised to take appropriate action against them.

These proceedings were started in the second fortnight of September, 1964, on the receipt of the first instalment of Mr. Krishnaswamy's Report.

On the basis of Mr. Krishnaswamy's Report, 20 Officers (some in more than one case) were charge sheeted in 24 cases. Charges have been dropped in 13 cases, because the explanations of the officers were considered satisfactory.

15 officers (some in more than one case) were required to explain their position in 21 cases. 8 cases have been dropped ; because the explanations of the officers have been considered satisfactory.

In 8 cases, letters of advice and/or displeasure of Government have been conveyed to officers with a copy on the personal file of the officers concerned.

The cases against two officers have already been entrusted to the Inquiry Officer. They have to face enquiry in respect of three cases.

(Chief Minister)

The remaining cases are under consideration.

As regards the Municipal personnel, the explanation of the "President" has been considered and the matter dropped. The explanations of the two municipal employees are under the consideration of the Committee concerned.

(d) As regards non-officials the position is as follows—

(i) **Non-officials (Memoriailsts).**—The Das Commission had passed remarks against some of them. Mr. Krishnaswamy examined their cases and came to the conclusion that notwithstanding the pronouncement of the Das Commission in some of these cases, there may not be a case of prosecution partcularly from the procedural point of view. He, therefore, recommended that a lenient view be taken. The matter is under consideration of Government.

(ii) **Non-Officials (Ex-Ministers etc.).**—Relevant extracts from Mr. Krishnaswamy's Report have been sent to the Prime Minister and Home Minister, India, New Delhi.

(iii) **Non-Officials (other than Memorialists and Ex-Ministers)**—Their cases are under examination. The Departments concerned, however, have already taken the following action against them :—

(1) The Sales Tax Assessment cases of Messrs National Motors, Limited, Amritsar for the years 1960-61 and 1961-62 were reviewed. The amounts of penalty imposed by the Assessing Authority in these years were considered very much inadequate and were considerably enhanced by the competent judicial authority.

(2) Some searches were made by the Police during the investigation of some cases concerning the National Motors, Capital Construction Company, and Messrs. Cinerama.

Government have also appointed a Special Committee, consisting of a Retired High Court Judge and two other members, to go into the legality and validity of certain transactions mentioned in the Das Commission Report.

Comrade Shamsher Singh Josh: We have been told that a Special

10.00 A.M.

Committee has been appointed to go into the validity or invalidity of certain transactions mentioned in the Das Commission Report. I want to know whether the Report of this Committee will be made public or will it also be treated as a secret document?

Chief Minister: It will also be a secret document.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ; ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰਿਟ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

मुख्य मन्त्री : यह रिपोर्ट सीक्रेट रहेगी, जहां तक फालो अप एक्शन का सम्बन्ध है वह हाउस के सामने पेश कर दिया जाएगा ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਵਿਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

मुख्य मन्त्री : वह एक पब्लिक इन्क्वायरी थी ।

चौधरी नेत राम : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन गैर सरकारी आदमियों को दास कमिशन रीपोर्ट में दोषी ठहराया गया है, उदाहरण के तौर पर हिसार नगरपालिका के प्रधान जिन के खिलाफ दास कमिश्न रीपोर्ट में दोष लगाया गया है, उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

मुख्य मन्त्री : जहां तक कृष्णा स्वामी की रिपोर्ट में लोकल बाडीज़ के मुलाज़मीन या म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान का सम्बन्ध है वह सारे केस गवर्नमेंट के हवाले किये गए हैं। जहां कहीं किसी चुने गए प्रैज़ीडैंट के खिलाफ उनका नाम गज़ट करते वक्त एतराज़ किये गए वह केस हमने एडवोकेट जैनरल और एल. आर. को भेज दिये थे। लेकिन उन दोनों की यह मुतफिका राय थी कि जो लोग इलैक्ट हो चुके हैं उनका नाम आप गज़ट होने से नहीं रोक सकते। इसलिये उनका नाम गज़ट कर दिया गया।

सरदार लछमण सिंह गिल : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि कृष्णास्वामी और बागची की रीपोर्ट के बाद भी गवर्नमेंट जरूरी समझती है कि कोई और कमेटी मुकर्रर की जाए?

मुख्य मन्त्री : कोई जरूरत नहीं महसूस की जा रही।

Chaudhri Hardwari Lal: According to the material placed on the Table of the House, some searches were made by the Police during the investigation of some cases concerning the National Motors, Capital Construction Company, etc. I want to know if Mr. Kairon's home was also raided as a part of these investigations?

मुख्य मन्त्री: इसके लिये सैपरेट नोटिस की ज़रूरत है। पहले जो रिकुमैंडेशन्ज़ थीं वह मैंने हाउस में बता दी थीं। मुझे अफसोस है कि इस मामले को दोबारा यहां पर लाया जा रहा है। स्पीकर साहिब, मैं आपकी मार्फत अर्ज़ करूँगा कि अगर इस मामले को यहां पर न लाया जाए तो बेहतर होगा।

चौधरी देवी लाल: स्पीकर साहिब, मेरा सप्लीमेंटरी यह है कि आया दास कमिशन रीपोर्ट के मुताबिक जिन 358 नान ऑफिशियल्ज़ के खिलाफ झूठे एफिडेविट देने का इल्ज़ाम है उन के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है?

मुख्य मन्त्री : कृष्णास्वामी ने भी अपनी रीपोर्ट में इस मसले को टच किया था। इस मामले के हर पहलू पर गौर हो रहा है।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : मुख्य मन्त्री साहिब ने फरमया है कि कृष्णा स्वामी की रीपोर्ट नान ऑफिशियल्ज़ के बारे में होम मिनिस्टरी को भेज दी है क्या वह कृपा करके बतायेंगे कि वह किस तारीख को भेजी गई है और क्या उन को कोई रीमाईंडर्ज भी भेजे गए हैं?

मुख्य मन्त्री: उनको कई रीमांईडर्ज़ भेजे गए हैं और वहां पर पूरी तरह से गौर हो रहा है।

Chaudhri Darshan Singh; It has been stated that the penalty imposed by the Assessing Authority in the Sales Tax cases against the National Motors, Limited, was considered very inadequate and considerably enhanced by the competent judicial authority. May I know from the hon. Chief Minister whether in view of the offer of Shri Kairon's sons to surrender all their property acquired by them during their father's regime, is the Government still considering to proceed against their concerns?

मुख्य मंत्री: यह सारा मामला अंडर कंसिडरेशन है।

चौधरी देवी लाल : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि जिन लोगों ने झूठे एफिडेविट्स दिये थे उन के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में गौर हो रहा है। उनमें बहुत से जिला परिषद् के प्रेज़ीडेंट थे, म्युनिसिपल कमेटियों के प्रेज़ीडेंट थे और बहुत से लैजिस्लेटर्ज़ भी थे क्या किसी के खिलाफ एक्शन लिया भी गया है या कि नहीं; अगर नहीं तो कितनी मियाद तक उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ?

मुख्य मन्त्री : जब होम मिनिस्टरी से नान ऑफिशियल्ज़ के बारे में रीपोर्ट आ जाएगी तो मुनासिब गौर किया जाएगा ।

चौधरी देवी लाल : उन्होंने फरमाया है कि मुनासिब गौर किया जाएगा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कल जो उनकी मीटिंग हुई है उसके पेशे उनको गौर करने का वक्त भी मिलेगा या नहीं ?

Mr. Speaker : No please.

AMOUNT SPENT BY GOVERNMENT ON THE DEFENCE OF FORMER CHIEF MINISTER

*6798. **Shri Mangal Sein**: Will the Chief Minister be pleased to state whether the amount spent by the State Government on the defence of Shri Partap Singh Kairon, Ex-Chief Minister, before the Das Commission is proposed to be realised from him; if so, the steps, if any, taken in this direction?

Shri Ram Kishan : No Sir.

श्री अध्यक्ष : श्री मंगल सेन जी, इस को छोड़ ही दें तो अच्छा है। (It would be better if the hon. Member leaves this topic.)

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, मैं बड़े अच्छे ढंग से बात करूँगा । मैं पूछना चाहता हूँ कि सरदार प्रताप सिंह कैरों ने अपने अहद में जनता के खज़ाने को बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किया.......

Mr. Speaker : Please put a definite supplementary question.

श्री मंगल सेन : अच्छा जी मुख्य मन्त्री साहिब ने डैफिनिट तौर पर यह बात कही थी कि एक लाख 27 हज़ार रुपया खर्च हुआ है, यह रकम रियालाईज़ की जाएगी ....

Mr. Speaker : This has not come in the House. It was under consideration.

श्री मंगल सेन : आप प्रोसीडिंग्ज़ मंगवा कर देख लें ....मुख्य मन्त्री साहिब मान जायेंगे, वे बड़े अच्छे आदमी हैं.........

Mr. Speaker : Government did not make any commitment regarding the recovery.

श्री मंगल सेन : जो मुख्य मन्त्री के प्रैडीसैसर थे उन्होंने इस हाउस में खड़े होकर बताया था कि दास कमिशन की इन्क्वायरी में अगर यह बात साबित हो गई तो जो भी खर्चा सरदार प्रताप सिंह कैरों के सम्बन्ध में हुआ होगा वह उनके जिम्मे पड़ेगा, उनसे रियलाईज़ किया जाएगा। जब यह कमिटमैंट की गई थी तो अब तक वह रुपया रियलाईज़ क्यों नहीं हुआ ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब मैंने यह बात बिल्कुल नहीं कही। मैंने कहा था कि सारी चीज़ को ऐग्ज़ामिन किया जाएगा। चुनांचि मैंने इस केस को होम मिनिस्टरी के पास भेजा था और गवर्नमैंट आफ इंडिया की ला मिनिस्टरी में भी उनसे कहा था कि इसी पूरी तरह से हर पहलू पर ऐग्ज़ामिन किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट के ला डिपार्टमेंट ने भी जो इस सम्बन्ध में रिपोर्ट की थी उस को भी वहां भेज दिया गया था। उस के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद, छानबीन करने के बाद वहां से हमें यह रिपोर्ट आई है कि यह अखराजात रियलाईज़ नहीं किये जा सकते और यह कि यह अखराजात एक तरह से जायज़ थे।

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, इनसे पहिले जो मंत्रिमण्डल था उसके जो गृह मन्त्री थे और जोकि अब भी इस हाउस के सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि जो भी उनके जिम्मे रुपया लगेगा वह उन से ज़रूर वसूल किया जाएगा। जब ला मिनिस्टरी से छानबीन करके, गौरोखोज़ करके, कंसिडर करके यह फैसला किया गया था तो अब जो इत्तलाह हउास को दी गई है उसके पेशे नजर में यह पूछना चाहता हूं कि क्या दास कमिश्न में निन्दित दूसरे लोगो के सम्बन्ध में भी इसी तरह के फैसले किए जायेंगे। क्या आप उन सब को भी माफ कर देने वाले हैं ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं दुबारा इस बात को दुहराता हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात यहां पर नहीं की थी। अगर कोई स्पैसिफिक बात हो तो माननीय मैंम्बर वह मेरे नोटिस में ले आएं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੌਰ ਜੇ ਰੀਏਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

Mr. Speaker: This is a hypothetical question.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

Mr. Speaker: This supplementary is not allowed.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

मुख्य मन्त्री: न तो कोइ पुलिटिक्ल प्रैशर इस सिलसिले में हुआ है और न ही पंजाब के ला डिपार्टमैंट नें ईस बारे में कोई ऐसी राए दी थी कि यह रुपया उन से वसूल किया जा सकता है ।

ACTION TAKEN ON THE DAS COMMISSION REPORT

***6799. Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of officials and non-officials separately who have so far been awarded punishment on the basis of the Das Commission Report together with the nature of punishment awarded in each case?

Shri Ram Kishan: None please. However, on the basis of Mr. Krishnaswami's Report, 32 Punjab Government officers (some in more than one case) were charge-sheeted or required to explain their position. Their explanations were considered by Government. In all, 24 charge-sheets against 20 officers and 21 communications asking 15 officers to explain their position were issued. 21 cases have been dropped, as the explanations of the officers concerned were found to be satisfactory. In 8 cases letters of advice and/or the displeasure of Government have been conveyed with a copy placed on the personal files of the officers concerned. In one case letter of advice has been issued without a copy on the personal file. Cases of two officers have already been entrusted to the Enquiry Officers and one more case is likely to be sent to him shortly. That case has also been sent. The Government of India have been addressed with regard to action against one officer who is working under them.

As regards non-officials (other than Memorialists and ex-Ministers), their cases are under examination. The Departments concerned, however, have already taken the following action against them.

(1) The Sales Tax Assessment cases of Messrs National Motors, Limited, Amritsar, for the years 1960-61 and 1961-62 were reviewed. The amounts of penalty imposed by the Assessing Authority in these years were considered very much inadequate and were considerably enhanced by the competent judicial authority.

(2) Some searches were made by the police during the investigation of some cases concerning the National Motors, Capital Construction Company, and Messrs Cinerama.

Government have also appointed a Special Committee, consisting of a Retired High Court Judge and two other members to go into the legality and validity of certain transactions mentioned in the Das Commission Report.

श्री मंगल सेन : मुख्य मन्त्री जी ने बताया है कि इस सम्बन्ध में सेल्ज़ टैक्स असेस करने वाली अथारिटी ने जो अंडर असैस किया था उस भूल की सुधार कर दी गई है और टैक्स की रकम को बढ़ा दिया है । मैं मुख्य मन्त्री साहिब से यह जानना चाहता हूँ कि उस आफिशियल या अधिकारी के खिलाफ, जिसने रियायत की थी, क्या ऐक्शन लिया गया है ?

मुख्य मंत्री : उसने अपने प्वायंट आफ व्यू से जो मुनासिब समझा होगा वह लगा दिया । उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने अपील की और उसमें वह असैसमैंट ऐनहान्स हो गई । इसके सिवाय और कोई बात नहीं है।

श्री मंगल सेन : नार्मल प्रोसीजर में तो यह बात समझ में आ सकती है जोकि मुख्य मन्त्री साहिब ने फरमाई लेकिन यहां पर एक खास आदमी को फेवर करने के लिये लगातार कई वर्ष तक यह अंडर असैसमेंट हुई । दास कमिशन की रिपोर्ट में यह बात प्रमाणित हुई है और उन्होंने उसमें अफसर की नीयत की बाबत साफ जिक्र किया है। इसलिये क्या मुख्य मन्त्री साहिब फरमायेंगे कि उसके बाद भी गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई ऐक्शन लेने के लिये क्यों तैयार नहीं है ?

मुख्य मन्त्री : खाह मखाह किसी अफसर की नियत पर शक नहीं करते । और न ही मुझे जूडीशल मामलात के अन्दर कोई दखल देने का हक है । अगर आनरेबल मैम्बर साहिब के पास कोई स्पेसिफिक केस हो या कोई स्पैसिफिक इत्तलाह हो तो वह उसे मेरे नोटिस के में लाएं । उसके मुताबिक जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

श्री मंगल सेन : मुख्य मन्त्री साहिब ने अपने जवाब में बताया है कि.......

श्री अध्यक्ष : आप उनके जवाब को रिपीट न करें । अपनी तरफ से जो सवाल पूछना चाहते हैं वही कहिए । (Please do not repeat his reply. Please put the supplementary which you want to ask.)

श्री मंगल सेन : मैं उसी पर आ रहा हूँ क्योंकि उसे बताये बगैर सवाल नहीं बन सकता । तो मैं यह कह रहा था कि मुख्य मन्त्री साहिब ने कहा है कि उसकी लीगल वैलिडिटी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिये एक सब कमेटी बनाई गई है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सबको माफ करने के लिये ही सब कमेटियां बनाई जा रही हैं या कि किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन भी लिया जाएगा ?

मुख्य मन्त्री : मुनासिब ऐक्शन लेने के सम्बन्ध में ही इस तरह की सब कमेटियां बनाई जाती हैं ।

ESTABLISHMENT OF PAPER MILL AT PANIPAT, DISTRICT KARNAL

*6754. **Shri Fateh Chand Vij**: Will the Chief Minister, with reference to the reply to starred question No. 5977 included in the list of questions for 17th September, 1964 be pleased to state the latest position in regard to the establishment of a Paper Mill at Panipat ?

Shri Ram Kishan. There has been no further appreciable progress in the implementation of the Project.

श्री फतेह चंद विज : स्पीकर साहिब, तीन साल से टालने की कोशिश की जा रही है और हर सैशन में इसी तरह का जवाब दिया जाता है । जहां तक मेरी इत्तलाह है इस स्कीम को बिल्कुल ड्राप कर दिया गया है लेकिन यहां पर यह जवाब दिया जा रहा है कि यह अंडर कांसिडरेशन है ।

श्री अध्यक्ष : आप इन्फर्मेशन न दें । सप्लीमेंटरी सवाल पूछें । (Please do not give information. Put a supplementary.)

श्री फतेह चंद विज : क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आया यह स्कीम ड्राप कर दी गई है और यहां पर सिर्फ टालने की ही कोशिश की जा रही है ?

मुख्य मन्त्री : यह टालने की बात नहीं है। स्पीकर साहिब, मैं आपकी मार्फत आनरेबल मेम्बर साहिब को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैसर्ज़ बेदी एंड कम्पनी, जिनको इसके लिये लाईसेंस दिया गया था, अभी तक अपना कैपिटल फलोट नहीं कर पाये हैं और रीसेंट इत्तलाह यह है कि उन्होंने थापरज़ के साथ अपने आपको ज्वायन कर लिया है और उसके मुताबिक वह आज भी इस बात पर गौर कर रहे हैं कि पानीपत के अन्दर मिल लगाएं । गवर्नमेंट आज भी इस बात को कंसिडर करने के लिये तैयार है । लेकिन अगर पार्टी खुद तैयार न हो तो गवर्नमेंट किसी को मजबूर नहीं कर सकती ।

श्री फतेह चंद विज : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें कि गवर्नमेंट कब तक उनकी तरफ से इन्तजार करती रहेगी ? क्या उनकी बजाय किसी दूसरी पार्टी की दरखास्त पर गवर्नमेंट गौर करने को तैयार है ?

मुख्य मंत्री : कोई भी पार्टी आगे आ जाए । गवर्नमेंट उसके ऊपर कंसिडर करने को तैयार है ।

श्रीमती शन्नो देवी : स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत चीफ मिनिस्टर साहब को यह इत्तलाह देना चाहती हूँ कि मैं अभी अभी साउथ का दौरा करके आई हूँ और मुझे बंगलोर से उस कम्पनी वालों से बात करने का मौका मिला था और उन्होंने मुझे बताया कि वह यहां गन्ने से पेपर तैयार करने के लिए मिल लगाने को तैयार हैं अगर उन्हें छिलके के साथ साथ लकड़ी का पलप मुहैया किया जाए क्योंकि अकेले गन्ने के छिलके से अच्छा पेपर तैयार नहीं हो सकता ।

मुख्य मन्त्री : जहां तक गन्ने के छिलके का ताल्लुक है वह जितना भी वहां दस्तयाब हो सकता है या और कोई चीज दस्तयाब हो सकती है उसके लिये सरकार मदद देने के लिये हर वक्त तैयार है। अगर आप गवर्नमेंट की तमाम वह कारिसपाण्डेंस पढ़ें जो मैसर्ज़ वेदी एण्ड कम्पनी के साथ हुई है तो उससे आपको पता चलेगा कि वह कम्पनी अभी तक अपना कैपीटल भी फलोट नहीं कर पाई है। इसके बावजूद गवर्नमेंट ऐश्योरेंस देती है कि कोई भी पार्टी वहां पेपर मिल लगाने के लिये तैयार हो तो गवर्नमेंट उसे हर तरह की फैसिलीटीज़ देने के लिये तैयार है। जो भी कार्यवाही यह कर सकेगी वह यह जरूर करेगी ।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Will the Chief Minister kindly state if it is not a fact that the Government have taken a decision to shift this proposed paper mill from Panipat to Nangal or to some other place in the Panjabi Region?

मुख्य मन्त्री : वह एक डिफरैंट पेपर मिल है। वह एक न्यूज़ परिंट फैक्टरी होगी।

श्रीमती शन्नो देवी : स्पीकर साहब, शायद चीफ मिनिस्टर साहब, मेरी बात को ठीक तरह से समझ नहीं सके। उन्होंने मुझे बताया कि सरकार गन्ने का छिलका तो देती है लेकिन उस से पेपर नहीं बनता जब तक उसके साथ एक खास किस्म की लकड़ी का पल्प न हो और सरकार वह पल्प देने को तैयार नहीं हो रही।

मुख्य मन्त्री : जहां तक पल्प का सम्बन्ध है इस चीज को हमें अगज़ामिन करना होगा कि यह कहां से आता है। यह या तो कुल्लू और कांगड़े के पहाड़ों के जंगलो से आता है या यह जिला होश्यारपुर में जो बगड़ घास होता है उससे तैयार होता है और उस पलप से पहले जमना नगर में जो पेपर मिल लगी हुई है कागज तैयार हो रहा है और उसी रा मैटीरियल के सहारे एक न्यूज़ प्रिंट फैक्टरी नंगल के ऊपर जिला कांगड़ा में लगाई जा रही है। इसलिये यह देखना होगा कि आया हमारे पास इस फैक्टरी को देने के लिए पल्प फालतू हो सकता है कि नहीं हो सकता। नंगल के ऊपर जो न्यूज़ प्रिंट फैक्टरी लगाई जाने वाली है वह एक खास किस्म का कागज तैयार करेगी जिसकी हिन्दुस्तान में बहुत कमी है और जो हमें फारेन से इम्पोर्ट करना पड़ता है। उसके लग जाने से हमें फारेन एक्सचेंज में बहुत बचत होगी। यह इन्ट्रनेशनल इम्पार्टेंस का मसला है इसलिये जरूरी है कि हम उस फैक्टरी को पानीपत की फैक्टरी से अहमीयत दें ।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Will the Chief Minister kindly state if the Government had taken a decision to set up a paper mill at Panipat without taking all these factors into consideration previously?

मुख्य मंत्री : गवर्नमेंट आज भी देने के लिये तैयार है। जिस पार्टी ने पहले इसके लिए लाइसेंस लिया था वह पार्टी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रही है इस लिये इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट के ऊपर कोई हरफ नहीं आता ।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Will the Chief Minister kindly state that in case the party that entered into some sort of contract with the Government to start this mill at Panipat refuses to do so, the Government will consider the desirability of starting this paper mill at Panipat of its own accord?

मुख्य मंत्री : गवर्नमेंट अभी पब्लिक सैक्टर में ऐसी कोई पेपर मिल लगाने का इरादा नहीं रखती ।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि क्या गवर्नमेंट पानीपत में एक पेपर मिल लगाने के हक में है कि नहीं है ?

मुख्य मंत्री : पंजाब गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि पंजाब के कोने कोने में इन्डस्ट्री तरक्की करे और यह इसके लिये बार बार कह रही है कि कोई पार्टी इस सिलसिले में मैदान में आये, पंजाब गवर्नमेंट इसके अन्दर हर तरह से मदद करने के लिए तैयार होगी और है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Supplementary, Sir.

Mr. Speaker: Next question.

Pandit Chiranji Lal Sharma: A very pertinent question, Sir.

Mr. Speaker: Next question please.

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। यह सवाल बड़ा जरूरी है और हरयाणे की इकानोमी के साथ इसका सम्बन्ध है इसलिये इस पर और सप्लीमेंटरी पूछने की इजाज़त होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : चीफ मिनिस्टर साहिब ने कैटेगोरीकल स्टेटमेंट दे दी है कि वह पंजाब के हर कोने में इण्डस्ट्री को मदद देने के लिये तैयार हैं। इस चीज़ को देख कर और सप्लीमेंटरी करने का सवाल पैदा ही नहीं होता । और अब तो मैंने अगले सवाल के लिये काल भी कर लिया है। कामरेड जी, आप अपने जवाब को पूरा और क्लीयर कर दें । (Keeping in view the categorical statement made by the hon. Chief Minister that Government is prepared to extend all possible facilities to industries in every corner of the State there does not seem to be any need for more supplementraies. Further, I have already called the next question. Anyhow, I would request the Chief Minister to further clarify his remarks.)

मुख्य मंत्री : अगर कोई पार्टी वहां पेपर मिल लगाने के लिये तैयार है तो गवर्नमेंट उसको कंसिडर करके हर वक्त हर तरह की फैसिलिटीज़ देने के लिये तैयार है।

PERMITS FOR STAGE CARRIAGES ALLOTTED TO CERTAIN TRANSPORT COMPANIES IN FEROZEPUR DISTRICT.

***6781. Sardar Gurcharan Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the criteria adopted by the Government in allotting fresh permits for stage carriages on the new routes in the State since the 50 : 50 scheme came into force;

(b) the number of routes for which permits were allotted to the New Samundri Transport Company, Ferozepur, the Malwa Bus Service Private Ltd. Moga, the Sewak Bus Service (P) Ltd. Moga, and the Moga Transport Co. (P) Ltd. Moga during the last three years together with the details of the routes in each case;

(c) whether it is a fact that the Sewak Bus Service (P) Ltd. Moga, has been granted a permit for the route from Moga to Nihal-Singh Wala, if so, whether it is in accordance with the Government Scheme?

Shri Ram Kishan: A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Fresh stage carriage permits in implementation of 50:50 scheme are granted by State Transport Commissioner, Punjab, in favour of State Transport Undertakings and Private Operators. In making allotment to the private operators, the views of the Punjab Motor Union are considered;

(b) Sr. No.	Name of Company	No. of Route Permits allotted	Name of Route	No. of permits	No. of daily R. Ts
i.	New Samundri Transport Co. (P) Ltd. Ferozepore	3	1. Ferozepore-Hissar ..	2	1
			2. Mukatsar-Guruhar sahai ..	1	1
			3. Ferozepore-Mukatsar *via* Sadiq ..	1	2
ii.	Malwa Bus Service (P) Ltd., Moga	5	1. Ferozepore-Ambala, *via* Zira ..	1	½
			2. Amritsar-Hissar, *Via* Malout ..	1	½
			3. Moga-Barnala ..	1	1
			4. Ferozepore-Amritsar *Via* Talwandi ..	2	2
			5. Ferozepore-Amritsar, *Via* Lohgarh ..	4	4
iii.	Sewak Bus and Transport Co. (P) Ltd., Moga	5	1. Ludhiana-Abohar, *Via* Mukatsar	1	½
			2. Ludhiana-Moga ..	1	1
			3. Moga-Jagraon ..	1	1
			4. Amritsar-Moga ..	1	1
			5. Moga-Nihalsingh Wala	1	1
iv.	Moga Transport Co. (P) Ltd., Moga		The permits of this company were not renewed for about 2½ years, on account of irregularities. No permit was allotted to this Company.		

(c) Since the Moga Transport Company, who are primarily concerned with the route from Moga to Nihalsingh Wala was defunct, a temporary stage carriag permit was granted in favour of the Sewak Bus and Transport Co. (P) Ltd., Moga, against 50 per cent share of the private operators on the recommendations of Punjab Motor Union in accordance with 50:50 scheme. As regards the issue of a regular stage carriage permit on this route revised recommendations of the Punjab Motor Union are awaited as the Moga Transport Company have now resumed their services.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸਰ ।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री ने यह कहा है कि कोई पार्टी आ जाए ।

Mr. Speaker: No please. No supplementary on the previous question.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 50:50 ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਹਿਸਾਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਔਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਇਆ ਸਾਦੀਕ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 766 ਮੀਲ ਦਾ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ 1364 ਮੀਲ ਦਾ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 518 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਸਕੈਟਰਡ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ 660 ਮੀਲ ਕਨਸਾਲੀਡੇਟਿਡ ਰੂਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Chief Minister: Sir, it is a suggestion and not a supplementary question.

Sardar Lachhman Singh Gill: Supplementary, Sir.

Mr. Speaker: Question Hour is now over. More supplementaries on this question can be asked at the next sitting.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45.

TRANSPORT FACILITIES FOR RESIDENTS OF PAYAL

*6786. **Lieut. Bhag Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date when Sub-tehsil Payal of Patiala district was transferred to Ludhiana District;

(b) the details of the transport facilities provided to the residents of Payal to go to Ludhiana Courts/Offices after the transfer of Sub-tehsil Payal to Ludhiana district and since when these facilities have been provided?

Shri Ram Kishan: (a) 12th November, 1963;

(b) Two direct services have been introduced on Ludhiana-Payal Dhamot route. One service was allowed on 22nd April, 1964 and the second on 6th January, 1965.

SUPPLY OF SUGAR QUOTA TO SWEETMEAT SELLERS ETC. AT DERA BABA NANAK, DISTRICT GURDASPUR.

*6814. **Sardar Makhan Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether all the sweetmeat sellers of Dera Baba Nanak, District Gurdaspur, are getting their quota of sugar;

(b) whether he is aware of the fact that the Tuck shop of the Government Higher Secondary School, Dera Baba Nanak, where the number of students and the staff is about two thousand has not been given its quota of sugar for the last four months, if so, the reasons therefor?

Shri Ram Kishan (a) Yes.

(b) No.

F. I. R. LODGED AT POLICE STATION, SECTOR 17, CHANDIGARH

***6755. Sardar Ajaib Singh Sandhu**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any F. I. R. was lodged on 13th August, 1964 at the Police Station, Sector 17 Chandigarh by Shri J. P. Mehan, Manager, Modella Woollens Ltd., Industrial Area Chandigarh, under section 408 I.P.C; if so, the details thereof;

(b) the names of the persons alongwith their designations who were arrested in connection with the said case, the dates on which they were arrested and bailed out separately;

(c) the details of the investigations so far made;

(d) the dates on which the challans were put up in the courts; if no challans have been put up so far, the reasons therefor?

Sardar Darbara Singh : The required information is laid on the Table of the House:—

(a) Whether any FIR was lodged on 13th August, 1964 at the P. S. Sector 17, Chandigarh by Shri J.P. Mehan, Manager, Modella Woollens Ltd., Industrial Area Chandigarh under section 408 IPC, if so, the details thereof;

Yes. Case FIR No. 469 dated 13th August, 1964 under section 408 IPC, P.S. Chandigarh was registered on the written complaint of Shri J. P. Mehan, Manager Modella Woollens Ltd., Chandigarh, regarding loss of 5 bales of Hussein Cloth worth Rs. 5,187.05 received and mis-appropriated by Shri Devinder-Mohan.

(b) the names of the persons alongwith their designations who were arrested in connection with the said case the dates on which they were arrested and bailed out separately;

Name and designation of persons arrested	Date of arrest	Date of release on bail
Shri Devinder Mohan, Superintendent, of Modella Woollens Ltd. Chandigarh.	21-8-1964	1-9-1964
Shri Gurbachan Singh, Store-keeper ..	22-8-1964	1-9-1964
Shri Gurbachan Singh, son of Gian Singh, Oriental Furniture, Sector 18, Chandigarh	21-8-1964	1-9-1964
Shri Chatar Sen, son of Malken Singh, Cosmtic Ltd., Chandigarh	22-8-1964	23-8-1964
Shri Joginder Nath , son of Bool Chand of Sector 27-C, Chandigarh.	22-8-1964	23-8-1964

(c) the details of the investigations so far made;

Out of the 5 bales of Hussein-Cloth, 4 bales and 13 bundles have been recovered. The investigation of the case has been finalised and challan will be put in court shortly.

(d) the dates on which the challans were put up in the courts; if no challans have been put up so far, the reasons therefor?	The investigation of the case has been finalised. The challan has not been put in court so far because certain points raised and mentioned by the prosecuting Agency are being looked into by the Investigation Officer. The challan will be put in court after scrutiny by P.I. and P.P.

SEPARATION OF PROSECUTING AGENCY FROM THE POLICE DEPARTMENT

***6762. Chaudhri Khurshed Ahmad** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government for separating the prosecuting agency from the Police Department;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the details of the proposal in so far as these relate to the absorption of the existing prosecuting Inspectors and Prosecuting Sub-Inspectors in the proposed Prosecuting Agency and their pay scales and conditions of service in that Agency ;

(c) the approximate date by which the said proposal is likely to be implemented ;

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons for not effecting the separation ?

Sardar Darbara Singh (a) Yes ;

(b) it is not in the public interest to disclose the details of the proposal at this stage ;

(c) It is not possible to indicate the approximate date by which the proposal will be implemented ; and

(d) In view of the reply given to part (a) above, this question does not arise.

ELECTION OF DIRECTORS OF GURGAON GENERAL CO-OPERATIVE BANK LTD., GURGAON.

***6763. Chaudhri Khurshed Ahmad** : Will the Minister for Hom and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Elections of the Directors of the Gurgaon Central Co-operative Bank Ltd., Gurgaon scheduled to be held in the last week of December, 1964, have been postponed, if so, the reasons therefor ;

(b) whether Government has received any representation from any person or group of persons in this connection ; if so, a copy of the same be placed on the Table of the House ;

(c) the steps, if any, taken or intended to be taken by Government to expedite the elections referred to in part (a) above ;

(d) the time limit, if any, fixed for holding the said elections ?

Sardar Darbara Singh :

(a), (b) & (c), (d) } Information is laid on the Table of the House.

(a) Yes. The reasons are as under:—

(i) A representation was received by the Deputy Registrar, Co-operative Societies, Rohtak on 19th December, 1964 that the Gurgaon Central Co-operative Bank had decided to hold elections of its Board of Directors in the last week of December, 1964, without dividing its area of operation into such number of zones as there were members to be elected on the Board of Directors of the Bank and that it was conducting the Tehsil-wise election and that every Tehsil was allotted three representatives. The meaning of the Zonal electio in the spirit of sub rule 3 (2) appendix 'C' of the Punjab Co-operative Societies Ruls, 1963, according to him, should be zones for election of every Directors to the Board of Directors of the Bank. He observed that the holding of election in every Tehsil for three Directors without demarcating their zones was against the spirit of that Rule.

(ii) The Deputy Registrar, Co-operative Societies, Rohtak, felt that there was a conflict between Rules of elections of Board of Directors of the Central Co-operative Bank as framed and communicated by the Registrar, Co-operative Societies, Punjab, *vis-a-vis* the Rules of election as provided in the Rule 23 appendix 'C' of the Punjab Co-operative Societies Rules, 1963.

(iii) Besides the departmental Co-operative field staff including Assistant Registrars were awfully busy in sponsoring applications of various types of societies for securing financial assistance under the various schemes for submission thereof to the Registrar, Co-operative Societies, Punjab, the staff was also busy on account of recovery campaign launched to minimise the overdues of the same Central Co-operative Bank which had piled up high, as the Kharif harvest had recently been gathered.

(b) The Deputy Registrar, Co-operative Societies, Rohtak, received a copy of the representation addressed by the Managing Director of the Gurgaon Central Co-operative Bank Limited Gurgaon to the Home and Development Minister on 19th December, 1964. A copy of the representation is enclosed, as desired.

(c) The Deputy Registrar, Co-operative Societies, Rohtak had sought some clarification from the office of the Registrar, Co-operative Societies, Punjab, in connection with the Zone-wise holding of elections and the same is under examination of the Department.

(d) According to the order of the Deputy Registrar, Co-operative Societies Rohtak, communicated to the Gurgaon Central Co-operative Bank Limited Gurgaon the election was postponed upto the end of April, 1965.

To

Sardar Darbara Singh,
Home Minister, Punjab Government,
Chandigarh.

Subject.—Election of the Directors Central Co-operative Bank, Gurgaon.

Respected Sardar ji,

I have to inform you that the Gurgaon Central Co-operative Bank Limited Gurgaon is holding the election of its board of Directors in the last week of December, 1964 but it has not divided its area of operation into such number of zones as there are members to be elected. It is conducting tehsil -wise elections and every tehsil has been allotted three representatives. It is not known as to why its tehsil has not been further sub-divided into three zones when it has to send three representatives as a matter of its rights and its division into such number of zones have also been provided in the rules. I may also bring to your kind notice that it has been done in the case of marketing societies election.

[Home and Development]

Under the existing circumstances there is every likihood that any one prominent party may capture all the three seats all the tehsil and thus may deprive certain area of its due representation as envisaged and desired by the rules . The election under the above mentioned circumstances cannot be said to be just and fair, hence it is requested that the coming election be postponed and got conducted after dividing the area of operation into such number of zones as there are members to be elected.

Yours sincerely,
Sd/-
Chaudhri HARKISHAN M.L.A.
and Managing Director, C.B. Gurgaon.

Copy to.—

1. The Registrar, Co-operative Societies, Punjab, Chandigarh;
2. The Deputy Registrar, Co-operative Societies, Rohtak;
3. The Assistant Registrar, Co-operative Societies, Gurgaon and Palwal;

for favourable consideration and necessary action.

Sd/-
HAR KISHAN M.L.A.

EMBEZZLEMENT IN GURGAON DISTRICT WHOLE SALE CO-OPERATIVE SOCIETY GURGAON

*6764. **Chaudhri Khurshed Ahmed** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any case of embezzlement in the Gurgaon District Whole-sale Cooperative Society, Gurgaon has come to the notice of the Government ; if so, the number of persons involved in this case and the amount alleged to have been embezzled ;

(b) whether any enquiry is being held in to the case referred to in part (a) above ; if so, by whom, together with the stage of the enquiry at present and the time by which it is likely to be completed ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. Three employees of the society are alleged to have embezzled Rs. 30,071.24.

(b) No specific enquiry was instituted. The embezzlements were detected as a result of normal visits by Inspecting Officers and Audit Parties.

SCHOLARSHIPS/STIPENDS FOR SCHEDULED CASTES AND BACKWARD BLASSES STUDENTS STUDYING IN GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL, SECTOR 23, CHANDIGARH.

*6758. **Sardar Tara Singh Lyalpuri** and **Babu Ajit Kumar** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the number and names of students belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes studying in the IX. X & XIth Classes, separately,in the Government Higher Secondary School, Sector 23, Chandigarh, during the year 1964-65 ;

(b) the number and names students referred to in part (a) above who applied for the grant of stipends/scholarships under the Harijan Welfare Scheme for the said period ;

(c) the dates when the applications for the said students were forwarded to the Director of Public Instruction's office by the school authorities for the grant of stipends/scholarships ;

(d) the date/dates when the Director of Public Instruction's office issued the orders for the grant of stipends/scholarships to the students mentioned in part (b) above ;

(e) the date/dates when the Headmaster of the Government Higher Secondary School, Sector 23,Chandigarh paid the amount of stipends/Scholarships to the eligible students; if the said stipends, etc. have not been paid so far, the reasons therefor and the action if any, proposed to be taken against those responsible for delay on making the payment of the amount ?

Shri Prabodh Chandra : (a) to (e) The Statement containing the required information is laid on the Table of the House.

[Education and Local Government Minister]

Statement Showing Stipends paid to Scheduled Castes/Backward Classes Students studying in Government Higher Secondary School, Sector 23, Chandigarh during 1964-65

No. of Scheduled Castes/Socially Backward Classes' students in IX, X and XI Classes who have applied for stipends a(i) and b (i)		Names of Scheduled Castes/Socially Backward Classes students in IX, X, and XI Classes who have applied for stipends. a (ii) and (ii)	Dates when the stipends applications were forwarded to D.P.I.'s office by School authorities (c)		Date/Dates when the D.P.I's office issued the order for the grant of stipends (1)	Date/Dates when the Headmaster Government Higher Secondary School, Sector-23, Chandigarh paid the amount of stipends to eligible students. (e) (i)	The action, if proposed to be taken against those responsible for delay in making the payment of stipend amounts e (ii)
		IX CLASS	No. of stipend applications	Date of submission			
IX	38	1. Mangat Ram ..	84	30-10-1964	30-11-1964	(1) 59 students paid on 27th January, 1965	The Circle Education Officer, Ambala has been directed to fix responsibility for the delay caused in the disbursement of stipends to Harijan students in Government Higher Secondary School, Sector 23, Chandigarh and to suggest action against the defaulting officials
X	26	2. Gurcharan Dass ..	15	22-12-1964	16-1-1965	(2) 15 students paid on 30th January, 1965	
XI	40	3. Nirmal Singh ..	5	20-1-1965	27-1-1965	(3) 3 students paid on 1st February, 1965	
		4. Bhim Sain ..				(4) 1 student paid on 2nd February, 1965 ..	
Total	104	5. Ram Chander ..	Total 104			(5) 3 students paid on 3rd February, 1965	
		6. Kanhiya Lal ..				(6) 19 students paid on 8th February, 1965	
		7. Viswa Mitter ..				(7) 4 students paid on 13th February, 1965	
		8. Lakhbir Singh ..				Total : 104 students	
		9. Ram Paul ..					
		10. Sardara Singh ..					
		11. Kuldip Singh ..					
		12. Jaspal Singh ..					
		13. Manohar Singh ..					
		14. Pritpal Singh ..					
		15. Sat Pal ..					
		16. Nachhatar Singh ..					
		17. Ashok Kumar					
		18. Des Raj					

19. Krishan Kumar
20. Raminder Pal Singh
21. Kamlesh Kumar
22. Varinder Singh
23. Bhajan Singh
24. Krishan Lal
25. Amarjit Pal Singh
26. Balbir Singh
27. Bhupinder Singh
28. Shamsher Chand
29. Kishore Chand
30. Gurpalinder Singh
31. Har Phul Chander
32. Hardev Singh
33. Rampal Singh
34. Pritam Singh
35. Gurmukh Singh
36. Girdhara Singh
37. Lal Chand
38. Jai Parkash

X CLASS

39. Shyam Lal
40. Ram Parkash
41. Harbhajan Singh
42. Vishnu Dev
43. Mangal Singh
44. Ramesh Kumar
45. Charanjit Singh
46. Sunder Lal
47. Prem Chand
48. Ranjit Singh
49. Mohinder Paul
50. Piara Singh
51. Kamal Dev
52. Gulzara Singh
53. Sohan Lal
54. Babu Lal
55. Om Parkash
56. Kaka Singh
57. Puran Singh

[Education and Local Government Minister]

No. of Scheduled Castes/Socially Backward Classes students in IX, X and XI Classes who have applied for stipends a (i) and b (i)	Names of Scheduled Castes/Socially Backward Classes students in IX, X, and XI Classes who have applied for stipends a (ii) and (ii)	Dates when the stipends applications were forwarded to D.P.I' S. office by School authorities (c)	Date/Dates when the D.P.I.'s office issued the orders for the grant of stipends (d)	Date/Dates when the Headmaster Government Higher Secondary School Sector-23, Chandigarh paid the amount of stipends to eligible students e (i)	The action, if proposed to be taken against those responsible for delay in making the payment of stipend amounts e (ii)
Q	58. Tarlochan Lal				
	59. Ganga Ram				
	60. Sitembar Singh				
	61. Lal Chand				
	62. Malkiat Singh				
	63. Mohan Singh				
	64. Gurdas Singh				
	XI CLASS				
	65. Ajmer Singh				
	66. Chander Singh				
	67. Shri Krishan				
	68. Om Parkash				
	69. Vijay Kumar				
	70. Madan Lal				
	71. Malhar Singh				
	72. Harkishan Singh				
	73. Sat Pal Singh				
	74. Gurnam Singh				
	75. Gurcharan Singh				
	76. Parminder Singh				
	77. Gurjit Singh				
	78. Banarsi Dass				
	79. Shiv Ram				
	80. Parkash Chand				
	81. Sukhdev Singh				

82. Shadi Ram
83. Manohar Lal
84. Rattan Chand
85. Karnail Singh
86. Gobinder Singh
87. Om Parkash
88. Janak Raj
89. Bal Kishan
90. Bachan Singh
91. Gurmit Singh
92. Dharam Singh
93. Mewa Singh
94. Karnail Chand
95. Ajaib Singh
96. Harjit Lal
97. Amar Singh
98. Gurdev Singh
99. Prem Singh
100. Gurdarshan Singh
101. Rajinder Kumar
102. Lehmbar Ram
103. Pal Singh

SWEEPER EMPLOYED IN GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL, SANIPUR, DISTRICT PATIALA

*6800. **Lieut. Bhag Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Sweeper employed by Government Primary School, Sanipur, tehsil Sirhind, district Patiala, is being paid rupee one only as monthly pay since the attainmen of Independence ;

(b) whether it is also a fact that the matter referred to above came before the District Co-ordination Committee, if so, when and with what result ;

(c) the total number of other such employees at present in the State Education Department ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes.

(b) Yes, on 28th October, 1964. The matter regarding enhancement of wages of all part-time Class IV servants at the rates fixed by the respective Deputy Commissioners is under consideration.

(c) 1,603.

*6750. **Sardar Kulbir Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the date when the election of the President of Municipal Committee, Muktsar, district Ferozepur, was held last and the date when the name of the person elected as such was notified in the official Gazette ;

(b) whether there was any delay in the notification of the result of the said election in the Gazette, if so, the reasons therefor; and the name of the person, if any, responsible therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) The election of the President of Municipal Committee, Muktsar was held last on 18th October, 1964 and the name of the person elected as President of the Committee was published in the Official Gazette on 18th December 1964.

(b) An analysis of the time taken by the authorities concerned with the issue of the notification, regarding the result of election, has revealed that although there was no avoidable delay yet there was a scope for expeditious disposal of the case. The authorities have already been directed to ensure that cases pertaining to the election of Presidents of Municipal Committees are invariably processed on priority basis.

DRINKING WATER SUPPLY SCHEMES IN CERTAIN BLOCKS OF HOSHIARPUR DISTRICT

*6760. **Pandit Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the total number with details of the drinking Water supply Schemes investigated by the Health Department in the Gagret and Amb Blocks of Hoshiarpur District.

(b) the details of such schemes which have been sanctioned or sent up for sanction of the Sanitary Board;

(c) the approximate date of starting work on each of such schemes.

Shri Prabodh Chandra : A reply is placed on the Table of the House.

(a) Thirteen schemes with estimated cost of Rs 38.06 lakhs (list enclosed) have been investigated by the Public Health Engineering Organisation.

(b) The following schemes were approved by the Sanitary Board during the year 1964-65:—

	Rs. in Lakha
(1) Providing Extension of intake of Durehra Water-supply Scheme ..	0.51
(2) Providing potable Water-supply Scheme for the villages Badhera, Kangar, Dhumpur, Sahinsowal, Samnal and Haroli, etc., tehsil Una ..	8.05
Total ..	8.56

(c) It depends upon the availability of funds to start a scheme. Out of the limited provision of Rs. 13.67 lakhs provided during 1964-65 for Rural Water-supply Scheme of whole State, a sum of Rs, 42,266 has been allocated for scheme No. 1 and It is likely to be started within this year. As regrds scheme No. 2 and other schemes, the question of allocating proportionate amount from the provision in 1965-66 and 4th Plan period would be considered after taking into account the various factors and priorities to be allotted to various areas/villages where the conditions are more difficult, viz.at places where the drinking water available at present is not fit for human consumption or is to be brought from a long d istance.

ANNEXURE I

Showing the schemes prepared/investigated by the Public Health Engineering Department of Amb and Gagret Blocks of Hoshiarpur District under the National Water-supply and Sanitation Programme (Rural)

Serial No.	Name of Scheme	Amount
		Rs
	(a) Schemes Investigated	
	(I) Amb Block	
1.	Providing Water-supply Scheme for village Ladali, Panjoya Khurd, Panjoya Kalan Block (Amb, district Hoshiarpur) ..	1,66,920
2.	Providing piped Water-supply Scheme for village Baturi Block, tehsil Una, district Hoshiarpur ..	55,029
3.	Providing piped Water-supply Scheme for village Kharoti, Block Amb, tehsil Una ..	95,386
4.	Providing piped Water-supply Scheme for village Salangri, Nangal, Laun and Kuriala, Block Amb, tehsil Una ..	2,36,307
5.	Providing piped Water-supply Scheme for village Nehri Khalsa and Nehri Naranga, Block Amb, tehsil Una ..	49,774
6.	Providing piped Water-supply Scheme for village Paloh, Block Amb, tehsil Una ..	59,768
7.	Providing piped Water-supply Scheme for village Sidhulahan, Block Amb, tehsil Una ..	64,454
	Total ..	7,27,638

[**Education and Local Government Minister**]

(b) **Schemes prepared and forwarded to Panchayat Department for acceptance of the Panchayats concerned and onward transmission to the Sanitary Board, Punjab**

Amb Block

8.	Providing Water-supply Scheme for village Meri (Dehra Baba Bharbhag Singh) ..	8,50,068
	Gagret Block	
9.	Providing Water-supply Scheme to villages Pandgoha, Bassi, Ispur, Badsali and Saloh in Tehsil Una ..	9,69,902
10.	Providing Water-supply Scheme in villages Mawa Kaholan, Bhadar Kali etc. ..	51,306
11.	Providing Water-supply Scheme in villages Khad, Tehsil Una ..	1,29,578
12.	Providing Water-supply Scheme in villages Gagret and Ambota and Singhani etc. (Gagret and Ambota Blocks) ..	5,35,792
13.	Providing Water-supply Scheme in village Deoli, Ghanari, Nangal, Jarialian and Ambota etc. ..	5,42,192
	Total ..	30,78,838
	GRAND TOTAL ..	38,06,476

CASE INSTITUTED AGAINST THE EDITOR, "JAI JANTA" WEEKLY

***6749. Sardar Kulbir Singh** : Will the Minister for Education an Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Excise Sub-Inspector, Malout, district Ferozepur, instituted a case through the Government under section 500/501, I. P. C., against the Editor, "Jai Janta" Weekly ;

(b) whether the Government has examined the Judgement of the Sessions Judge, Ferozepur, delivered in the said case and taken any action against the persons found guilty in the light of the said judgement, if not, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra: (a) No. The case was instituted by Government.

(b) The matter is receiving due attention of the Government.

RESETTLEMENT OF TENANTS AT WILL OF UNA TEHSIL OF HOSHIARPUR DISTRICT

***6761. Pandit Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether the Government is considering any proposal to resettl the large number of tenants-at-will of Una Tehsil in other districts, for want of availability of sufficient surplus land in Una Tehsil, if so, the names of the places, if any, where the land has been earmarked for the purpose ;

(b) the approximate number of tenants whom the Government propose to resettle outside Una Tehsil ;

(c) the area and quality of land proposed to be given to each such tenant ;

(d) the details of the facilities proposed to be given to such tenants for resettlement ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) No.

(b), (c) & (d) } Questions do not arise.

MINOR IRRIGATION SCHEMES IN CERTAIN BLOCKS OF HOSHIARPUR DISTRICT

*6759. **Pandit Mohan Lal Datta** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number with details of the Minor Irrigation Schemes investigated in the Gagret and Amb Blocks of the Hoshiarpur District ;

(b) the details of such schemes which have been completed ;

(c) the details of such schemes which have received the sanction of the Government and the approximate date by which these are expected to be started and completed ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) 8 schemes in Gagret Block and 11 schemes in Amb Block are under investigation for providing irrigation facilities. The details of the schemes are given in a statement laid on the Table of the House.

(b) Nil.

(c) Nil.

A statement giving information in respect of part (a) of the Question.

I. *Gagret Block*—

1. There are three tanks or gravity flow irrigation schemes being investigated which would cost approximate Rs 50,000.

2. There are two numbers lift irrigation schemes Viz Badher and Saleh lift schemes under investigation which would cost approximately Rs 90,000.

3. **Mawa Sindian Khud Scheme.**—The site is located on Gagret Una Katcha Road on right side of Swan Nadi about 4 miles from Gagret. It may be possible to irrigate an area of 800 acres belonging to villages Mawa Sindidian, Kulhora and Tatera by construction of a bund, at an approximate cost of Rs. 1.20 lacs.

[Public Works and Welfare Minister]

4. **Check Dams to prevent erosion and to convert water for irrigation.**—Bund to be constructed on one of the two khads in North on the village Halutation in mountanious region of the Shivalik Hills in village khad. This is likely to irrigate approximately 250 acres of land. The minimum/Maximum discharge of water in the khad have been estimated as 300 and 1,200 cs., respectively. Approximate cost is to be Rs 38,000.

5. **Ganu Marwari Khad Scheme** :—The scheme is under investigation.

II.—Amb Block.

1. **Kalruhi Lift Irrigation Scheme** .—Village Kalruhi is 1½ mile from Amb on Amb-Mubarakpur Road, Water is available and lands being high and therefore, irrigation through lift irrigation may be possible.The lift involved is 61 feet. The approximate cost of irrigating 1000 acres is likely to be Rs 2,35,000. The Project estimate is under examination.

2. **Kawan Chan Khad Scheme.**—Village Kawan Chan is situated at a distance of about 8 miles from Amb. It may be possible to lift water to a height of 150 feet from bed of the Khad to irrigate 200 acres of land at a cost of Rs. 60,000. The scheme is still under investigation.

3. Taba Nangal Khad Scheme 4. Garni Khad Scheme 5. Behr Loharan Khad Scheme 6. Behr Loharan Tank Scheme 7. Satileta Khad Scheme 8. Jhambher Khad Scheme 9. Churru Lift Irrigation Scheme 10. Sanjhot Khad Scheme 11. Behr Jaswan Khad Scheme	These schemes are also under investigation for providing irrigation in the nearby areas.

There are 4 schemes being investigated to sink Tube-wells at various stratas at a cost of Rs 3,29,000.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN KARNAL DISTRICT

***6753. Shri Fateh Chand Vij**: Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) the names of villages tehsil-wise, in Karnal District which have been sanctioned for electrification during the year 1964-65.

(b) the names of villages out of those referred to in part (a) which have been electrified so far or are being electrified in the said year separately ?

Chaudhri Rizaq Ram: (a) No programme for rural electrification was prepared for the year 1964-65 due to shortage of funds.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The following thirteen villages have, however, been electrified during the year 1964-65 in District Karnal :—

(1) Peoti (2) Dikodla (3) Hathwala (4) Beholi (5) Atta (6) Jaurasi Khas (7) Jatual (8) Chajpur Kalan (9) Shahpur (10) Bajwaja (11) Kharkali (12) Sheikhupura (13) Dadupur.

ELECTRIFICATION WORK IN BLOCK NIHAL SINGHWALA, DISTRICT FEROZEPORE

***6782. Sardar Gurcharan Singh**: Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether it is a fact that the work of electrification which was started in Block Nihal Singh Wala, district Ferozepore has now been stopped, if so, the reasons therefore ; and the time by which the electrification work is expected to be started again in the said block ?

Chaudhri Rizaq Ram : Yes. The work has been suspended at present due to paucity of funds for erection of 33 K. V. Sub-station at Patto Hira Singh. The work of electrification will again be started as soon as the funds become available to the Board for Rural Electrification.

METALLING OF ROADS IN KARNAL DISTRICT

***6752. Shri Fateh Chand Vij** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the details of the roads in district Karnal which were sanctioned to be metalled in the Third Five-Year Plan ;

(b) the names of the roads referred to in part (a) above which have been metalled or on which metalling work has started;

(c) the names of the roads in the said district which are proposed to be metalled during the remaining period of the said plan ?

Chaudhri Rizaq Ram:

(a)
(b) } A statement is laid on the Table of the House.
(c)

DETAILS OF 3RD 5-YEAR PLAN ROADS IN KARNAL DISTRICT

Serial No.	Name of Road	Provision in III Plan		Whether completed or work in progress	Remarks
		Length in miles	Cost in lacs of Rupees		
1	2	3	4	5	
1.	Panipat-Assandh-Kaithal-Patiala Road ..	2.61	1.44	Work in progress.	
2.	Ambala-Pehowa-Kaithal-Narwana Road	2.68	1.50	Completed	
3.	Rajaond-Pundri-Pehowa-Patiala Road ..	19.78	9.22	In progress	
4.	Bye-pass at Radaur ..	..	2.00	Completed	
5.	Jhansa to Ambala-Hissar Road ..	4.20	3.55	Almost completed	

[Public Works and Welfare Minister]

1	2	3	4	5
6.	Pehowa-Guhla Road ..	12.12	4.70	Completed
7.	Karsa-Dhand Road ..	..	0.28	Do
8.	Ramba-Indri-Ladwa Road ..	..	0.07	Do
9.	Ramba to Karnal-Indri Road ..	1.20	0.10	In progress
10.	Kutail to G.T. Road ..	1.37	0.61	Completed
11.	Link to Madlauda Mandi ..	0.60	0.38	In progress
12.	Butana to G.T. Road ..	..	0.10	Completed
13.	Ganaur-Shahpur Road ..	6.00	4.30	Work in progress
14.	Panipat Sanauli Road ..	13.00	9.39	Do
15.	Village Ghauri Pur-Kalyan to G. T. Road	0.80	0.42	Only survey work to be completed during this plan. Actual construction to be started during IV Plan
16.	Village Brass to Karnal-Kaithal Road ..	1.75	0.69	
17.	Village Biwani to Patti Kalyan on G.T. Road ..	1.50	0.73	
18.	Kabuli Bagh Mosque approach at Panipat ..	1.00	0.50	
19.	Village Kaimla to Gharaunda ..	2.00	1.00	
20.	Village Indri to Metalled Road (Karnal-Ladwa Road) ..	0.10	0.10	
21.	Link Road from Pipli -Pehowa Road to Thanesar-Jhansa Road at Thanesar ..	1.50	0.78	
22.	Link Road from Karnal-Kaithal Road to G.T. Road ..	0.60	0.30	
23.	Village Mandhal to village Kheri Sharaf Alion Kaithal-Assandh Road ..	2.50	1.00	Only survey etc. to be done during this plan. Actual construction to be done in IV Plan
24.	Village Bansa to Karnal Assandh Road	2.25	1.17	
25.	Village Barsami-Dhanaura Road ..	3.00	1.56	
26.	Village Thol to Jat High School, Thol ..	0.50	0.26	Subject to the villagers contributing their share
27.	Panipat to Babial	4.50	2.34	
28.	Village Biyana to Indri-Ladwa Road ..	4.00	2.08	
29.	Gohana-Safidon Road (Section Jagsi to Safidon in Karnal District) ..	7 75	5.80	Only survey etc. to be done during this plan. Actual construction to be done in IV Plan
30.	Kaithal-Kananri Road ..	10.00	8.00	
31.	Karnal-Kachhwa-Sambli-Kaul Road ..	25.00	20.00	Subject to the villagers contributing their share

1	2	3	4	5
32.	Salwan-Munak Road (*via* Bala Goli) ..	7.00	4.34	Work in progress
33.	Assandh-Salwan Road	.. ..	0.24	Completed
34.	Jind-Assandh Road	.. ..	0.34	Do
	Total	139.31	89.29	

REPRESENTATION FROM LEGISLATORS REGARDING DISCRIMINATION AGAINST SCHEDULED CASTES EMPLOYEES

***6770. Comrade Makhan Singh Tarsikka**: Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister or the Government has received any representation (under Registered cover) from some Legislators during the period from 28th December, 1964 to date regarding discrimination against the Scheduled Castes Government Employees in the State in cases of promotions and appointments; if so, when and a copy of the representation be laid on the Table of the House;

(b) the details of the action, if any, taken or proposed to be taken on the said representation ?

Chaudhri Rizaq Ram (a) Yes, on 31st December, 1964. A copy each of the two representations is attached.

(b) The posting of Scheduled Caste officials in extremely small leave vacancies, say up to a month, and ensuring in every cadre at least 10% seats to be occupied straighway by Scheduled Caste candidates are not considered to be feasible by Government on administrative grounds and in the interest of efficiency in administration in view of the constitutional provision, respectively. However, the question of lowering qualifying standard for Scheduled Caste candidates in matter of initial recruitment is yet under consideration of Government.

Copy of representation dated the 28th December, 1964, from Shri Jagan Nath, M.L.A., etc. to Com. Ram Kishan, Chief Minister, Punjab, Chandigarh, copy to H.D.M. etc.

Subject.—Discrimination with Scheduled Castes Government employees in promotion cases and appointments.

WE hope that you are aware of the difficulties and problems of the Harijans in the Punjab State but no concrete steps have been taken to solve the difficulties and problems of Harijans in any manner. Your ministry has also not paid any attention to the Welfare of the Harijans in the State, particularly in Government services. There appears that nothing has been done for the welfare of Scheduled Castes Government employees in the State except that the previous practice and *statusquo* position is going on. That is to say that you and your ministry have done nothing at all. There are a few questions, would you like to consider them and do the needful :—

(a) whether it is a fact that Scheduled Castes Government employees are not being given a chance of promotion for less than a month, whether or not you and your ministry is ready to issue the amended and latest executive instructions to all the authorities concerned in the State for giving the chance of promotion to Scheduled Castes employees, even for less than a month, because this will be an a encouragement to the Scheduled Caste Government employees. In case you may have to amend any rules/instructions they you

[Public Works and Welfare Minister]

must do so, would you like to amend those or not, if not the reasons therefore whether you don't want to give such encouragement to Scheduled Castes Government employees in the State.

(b) whether it is also a fact that at present promotion of Scheduled Castes Government employees are not promoted according to the total strength of posts in each cadre, and you may kindly recollect that when you were only a M.L.A., and you had pleaded/suggested/insisted the then Government in power in the Punjab Assembly on 9th March, 1964 that 10 per cent reservation in promotion cases for the Scheduled Government employees should be made according to the total strength of posts of each cadre in the Government services, while giving a reference to the judgement of the Supreme Court of India and as well as to the article 16 (4) of the Constitution of India. In which it has clearly been stated/mentioned that Government should take such effective steps by which inadequate representation of Scheduled Castes in Government services/posts be made adequate in a short space of time, otherwise it is not useful way for the Scheduled Castes Government employees.

In this connection we sent the suggestion to you duly signed by 4/5 Harijans Lagislators in a Regd. letter before the last September Assembly Session, 1964, as well as our Harijan M.L.A.s had put a starred question No. 6038 printed in the lists of Starred uestions for 14th September, 1964, (1st day of the September Session) but your Government have avoided to reply particularly to our suggestion by way of a general reply.

On the other side you had made a statement to the Press on December 2, 1964 (printed in the Tribune dated 3rd December, 1964) you said as below:

"IF WE CANNOT PROTECT THE MINORITIES WE HAVE NO RIGHT TO STAY IN OFFICE"".

But we say that nothing has been done solidly by you or by your Government since you have taken the office (from the 1st week of July, 1964 todate).

Even in the Lok Sabha the same matter had been raised while discussing the report of Commissioner for Scheduled Castes/Tribes for the year 1962-63 on 14th December, 1964, the Members of Parliament have stated in the Lok Sabha that report reveals that justice has been denied with the Scheduled Castes/Tribes peoples in the Services. Scheduled Castes Government employees are being ill treated in the Government services. Reservations etc. are only for sake of propaganda and eye washing for the Harijan peoples, as no improvement have come or done by this way, in promotion cases for the Scheduled Government employees in the State.

In the end, we will request to you and as well as to your Government that (i) reservation in promotion cases for Government employees may please be made according to total strength of posts, immediately (ii) and also immediate instructions for giving a chance to Scheduled Castes Government employees even for less than month because it will be encouragement to the scheduled castes government employees (iii) and also relaxation should be given in appointments to Scheduled Castes candidates, which are generally selection made by S.S.S. Board made by Government departments in the State. We hope that you and your Government will do the needful now as we have requested/ suggested above for which we shall feel grateful to you for your this act of kindness.

A reply in a few words from side will highly be appreciated.

With regards.

Copy of letter dated the 28th December, 1964 from Shri Jagan Nath, M.L.A., etc. to Ch. Sundar Singh, Deputy Minister, Welfare, Punjab, Chandigarh.

WE are enclosing herewith a matter which relates to the discrimination with Scheduled Castes Government employees in promotion cases and in appointments in the State.

We are fully hopeful that you would be pleased to get this examined and decide the request favourably and as well as sympathetically.

A reply in a few words will highly be appreciated.

With regards.

Press Statement

"Discrimination with Scheduled Castes Government employees in promotion cases and in appointments in the State ."

We say that Scheduled Castes Government employees are being treated discriminately in promotion cases in higher posts as well as in appointments. No due representations, xed for Scheduled Castes in promotion cases and in appointments cases, are being given. Appointing authroities and Heads of Departments do not feel or want that Harijans Government employees may get higher posts in promotion cases, because they have no pains for Scheduled Castes persons and as they are well established, the don't care for Harijan's interests.

Even in the Lok Sabha this matter has been raised on 14th December, 1964 by the Members of Parliament while discussing the report of Scheduled Castes/Scheduled Tribes for 1962-63. They have stated that the report revealed how the Scheduled Castes and Tribes people had been denied justice in the services, education and other places.

Therefore we the following M.L.A.s demand from the C.M., H.D.M., P.W.W.M. that a Commission should be appointed which should be headed by a Judge of High Court of Punjab, who may—

(i) enquire from each of the department in the State, the number of total posts in each cadre, the appointments made by each department in each cadre, in view of the 19 per cent reservation in appointments for the Scheduled Castes persons and to give some relaxation in appointments for Scheduled Castes candidates made by S.S.S. Board and Government.

(ii) to enquire whether due reservation fixed for 10 per cent in promotion cases, according to total strength of posts is being given to the Scheduled Castes Government employees or not;

(iii) to enquire whether Scheduled Castes Government employees are being given a chance of promotion for less than a month or not, whether Government have issued any such instructions to all Heads of Departments in the State for such purposes or not ?

We represent and demand this because C.M. has made a Press statement on 2nd December, 1964 printed in the Tribune, dated 3rd December, 1964, reproduced as below:—

"If we cannot protect the minorities we have no right to stay in office."

We hope that Government will appoint a Commission and will see and consider to our suggestions all sympathetically, otherwise we will raise this matter during the coming Session.

REPRESENTATION FROM LEGISLATORS REGARDING PROMOTION OF SCHEDULED CASTE EMPLOYEES

*6771. **Comrade Makhan Singh Tarsikka**: Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether Government have received any representation from some Legislators during the period from 28th January, 1964 todate regarding the issue of instructions to all Heads of Departments in the State for giving chances to the Scheduled

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

Castes Government employees in the State to officiate in higher posts even if the officiating period is less than a month; if so, when and a copy of the representation be laid on the Table of the House ;

(b) the details of the action, if any, taken or proposed to be taken on the said representation ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes, on 31st December, 1964. A copy each of the two representations is added.

(b) Posting of Scheduled Castes candidates or for that matter of any other official in extremely small leave vacancies is not practicable on administrative grounds and in the interest of efficiency of administration.

Copy of representation dated the 28th December, 1964, from Shri Jagan Nath, M.L.A., etc. to Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab, Chandigarh, copy to H.D.M. etc.

Subject.—Discrimination with Schedule Castes Government employees in promotion cases and appointments.

WE hope that you are aware of the difficulties and problems of the Harijans in the Punjab State but no concrete steps have been taken to solve the difficulties and problems of Harijans in any manner. Your ministry has also not paid any attention to the welfare of the Harijans in the State, particularly in Government services. There appears that nothing has been done for the welfare of Scheduled Castes Government employees in the State except that the previous practice and *statusquo* position is going on. That is to say that you and your ministry have done nothing at all there are a few questions, would you like to consider them and do the needful :—

(a) whether it is a fact that Scheduled Castes Government employees are not being given a chance of promotion for less than a month, whether or not you and your ministry is ready to issue the amended and latest executive instructions to all the authorities concerned in the State for giving the change of promotion to Scheduled Castes employees, even for less than a month. because this will be an encouragement to the Scheduled Castes Government. employees. In case you may have to amend any rules/instructions there you must do so, would you like to amend those or not, if not the reasons therefore, whether you don't want to give such encourage ment to Scheduled Castes Government employees in the State;

(b) whether it is also a fact that present promotion of Scheduled Castes Government employees are not promoted according to the total strength of posts in each cadre, and you may kindly recollect that when you were only a M.L.A., and you had pleaded/suggested-insisted the then Government in power in the Punjab Assembly on 9th March, 1964 that 10 per cent reservation in promotion cases for the Scheduled Government employees should be made according to the total strength of posts of each cadre in the Government services, while giving a reference to the judgement of the Supreme Court of India and as well as to the Article 16 (4) of the Constitution of India. In which it has clearly been stated/mentioned that Government should take such effective steps by which inadequate representation of Scheduled Castes in Government services/posts be made adequate in a short space of time, otherwise it is not useful way for the Scheduled Castes Government employees.

In this connection we sent the suggestion to you duly signed by 4/5 Harijans legislators in a Regd. letter before the last September Assembly Session, 1964, as well as four Harijan M.L.A.s had put a starred question No. 6038 printed in the lists of Starred Questions for 14th September, 1964 (1st day of the September Session) but your Government have avoided to reply particularly to our suggestion by way of a general reply.

On the other side you had made a statement to the Press on December 2, 1964 (prined in the Tribune dated 3rd December, 1964) you siad as below:—

"IF WE CANNOT PROTECT THE MINORITIES WE HAVE NO RIGHT TO STAY IN OFFICE."

But we say that nothing has been done solidly by you or by your Government since you have taken the office (from the 1st week of July, 1964 to date).

Even in the Lok Sabha the same matter had been raised while discussing the report of Commissioner for Scheduled Castes/Tribes for the year 1962-63 on 14th December, 1964, the Members of Parliament have stated in the Lok Sabha that report reveals that justice had been denied with the Scheduled Castes/Tribes peoples in the Services. Scheduled Castes Government enployees are being ill-treated in the Government services. Reservations etc. are only for sake of pro-paganda and eye washing for the Harijan peoples,as no improvement have come or done by this way, in promotion cases for the Scheduled Government employees in the State.

In the end, we will request to you and as well as to your Government that (i) reservation in promotion cases for Government employees may please be made according to total strength of posts, immediately (ii) and also immediate instructions for giving a chance to Scheduled Castes Government employees even for less than month because it will be encouragement to the scheduled castes government employees (iii) and also relaxation should be given in appointments to Scheduled Castes candidates, which are generally selection made by S.S.S. Board made by Government departments in the State. We hope that you and your Government will do the needful now, as we have requested/suggested above for which we shall feel grateful to you for your this act of kindness.

A reply in a few words from side will highly be appreciated.

With regards.

Copy of letter dated the 28th December, 1964 from Shri Jagan Nath, M.L.A., etc. to Ch. Sundar Singh, Deputy Minister, Welfare, Punjab, Chandigarh.

We are enclosing herewith a matter which relates to the discrimination with Scheduled Castes Government employees in promotion cases and in appointments in the State.

We are fully hopeful that you would be pleased to get this examined and decide the request favourably and as well as sympathetically.

A reply in a few words will highly be appreciated.

With regards,

Press Statement.

"Discrimination with Scheduled Castes Government employees in promotion cases and in appointments in the State."

We say that Scheduled Castes Government employees are being treated discriminately in promotion cases in higher posts as well as in appointments No. due representations, fixed for Scheduled Castes in promotion cases and in appointment cases, are being given Appointing authorities and Heads of Departments do not feel or want that Harijas Government employees may get higher posts in promotion cases, because they have no pains for Scheduled Castes persons and as they are well established, they don't care for Harijans's interests.

Even in the Lok Sabha this matter has been raised on 14th December, 1964, by the Members of Parliament while discussing the report of Scheduled Castes/Scheduled Tribes for 1962-63. They have stated that the report revealed how the Scheduled Castes and Tribes people had been denied justice in the services, education and other places.

Therefore we the following M.L.A.s demand from the C.M., H.D.M., P.W.W.M. hat a Commission should be appointed which should be headed by a Judge of High

[Public Works and Welfare Minister]

Court of Punjab, who may —

(i) enquire from each of the department in the State, the number of total posts in each cadre, the appointments made by each department in each cadre, in view of the 19 per cent resevation in appointments for the Scheduled Castes persons and to give some relaxation in appointments for Scheduled Castes candidates made by S.S.S. Board and Government;

(ii) to enquire whether due reservation fixed for 10 per cent in promotion cases, according to total strength of posts is being given to the Scheduled Castes Government employees or not;

(iii) to enquire whether Scheduled Castes Government employees are being given a chance of promotion for less than a month of not, whether Government have issued any such instructions to all Heads of Departments in the State for such purposes or not ?

We represent and demand this because C.M. has made a Press Statement on 2nd December, 1964 printed in the Tribune, dated 3rd December, 1964, reproduced as below:—

"If we cannot protect the minorities we have no right to stay in office."

We hope that Government will appoint a Commission and will see and consider to our suggestions all sympathetically, otherwise we will raise this matter during the coming Session.

REPRESENTATION FROM LEGISLATORS REGARDING RESERVATION OF 10 PER CENT POSTS CADRE-WISE IN GOVERNMENT DEPARTMENTS FOR PERSONS BELONGING TO SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES

*6772. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether Government have received any representation from some Legislators during the period from 28th December, 1964 todate for the reservation of 10% posts, cadrewise, in Government Departments for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotion cases, if so, when and a copy of the representation be laid on the Table of the House;

(b) the details of the action, if any, taken or proposed to be taken on the said representation ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes on 31st December, 1964. A copy each of the two representations is attached.

(b) The ensuring of at least 10 percent seats in every cadre to be occupied straightway by Scheduled Castes/Tribes is not considered feasible by Government in the interest of efficiency of administration and in view of the constitutional provisions.

Copy of representation dated the 28th December, 1964, from Shri Jagan Nath, M.L.A., etc. to Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab, Chandigarh, copy to H.D.M. etc.

Subject.—Discrimination with Schedule Castes Government employees in promotion cases and appointments.

WE hope that you are aware of the difficulties and problems of the Harijans in the Punjab State but no concrete steps have been taken to solve the difficuties and problems of Harijans in any manner. Your ministry has also not paid any attention to the welfare of the Harijans in the State, particularly in Government services. There appears that

nothing has been done for the welfare of Scheduled Castes Government employees in the State except that the previous practice and *statusquo* position is going on. That is to say that you and your ministry have done nothing at all. There are a few questions, would you like to consider them and do the needful :—

(a) whether it is a fact that Scheduled Castes Government employees are not being given a chance of promotion for less than a month, whether or not you and your ministry is ready to issue the amended and latest executive instructions to all the authorities concerned in the State for giving the chance of promotion to Scheduled Castes employees, even for less than a month. because this will be an encouragement to the Scheduled Castes Government. employees. In case you may have to amend any rules/instructions then you must do so, would you like to amend those or not, if not the reasons therefore, whether you don't want to give such encouragement to Scheduled Castes Government employees in the State;

(b) whether it is also a fact at present Scheduled Castes Government employees are not promoted according tothe total strength of posts in each cadre, and you may kindly recollect that when you were only a M.L.A., and you had pleaded/suggested/insisted the then Government in power in the Punjab Assembly on 9th March, 1964 that 10 per cent reservation in promotion cases for the Scheduled Government employees should be made according to the total strength of posts of each cadre in the Government services, while giving a reference to the judgement of the Supreme Court of India and as well as to the Article 16 (4) of the Constitution of India. In which it has clearly been stated/mentioned that Government should take such effective steps by which inadequate representation of Scheduled Castes in Government services/posts be made adequate in a short space of time, otherwise it is not useful way for the Scheduled Castes Government employees.

In this connection we sent the suggestion to you duly signed by 4/5 Harijans legislators in a Regd. letter before the last September Assembly Session, 1964, as well as four Harijan M.L.A.s had put a starred question No. 6038 printed in the list of Starred Questions for 14th Septembes, 1964 (1st day of the September Session) but your Government have avoided to reply particularly to our suggestion by way of a general reply.

On the other side you had made a statement to the Press on December 2, 1964 (printed in the Tribune, dated 3rd December, 1964) you said as below:—

"IF WE CANNOT PROTECT THE MINORITIES WE HAVE NO RIGHT TO STAY IN OFFICE".

But we say that nothing has been done solidly by you or by your Government since you have taken the office (from the 1st week of July, 1964 to date).

Even in the Lok Sabha the same matter had been raised while discussing the report of Commissioner for Scheduled Castes/Tribes for the year 1962-63 on 14th December, 1964, the Members of Parliament have stated in the Lok Sabha that report reveals that justice had been denied with the Scheduled Castes/Tribes peoples in the Services. Scheduled Castes Government employees are being ill treated in the Government services. Reservations etc. are only for sake of pro-paganda and eye-washing for the Harijan peoples, as no improvement have come or done by this way, in promotion cases for the Scheduled Government employees in the State.

In the end, we will request to you and as well as to your Government that (i) reservation in promotion cases for Government employees may please be made according to total strength of posts, immediately (ii) and also immediate instructions for giving a chance to Scheduled Castes Government employees even for less than month because it will be encouragement to the scheduled castes government employees (iii) and also relaxation should be given in appointments to Scheduled Castes candidates, which are generally selection made by S.S.S. Board made by Government departments in the State. We hope that you and your Government will do the needful now, as we have requested/suggested above for which we shall feel grateful to you for your this act of kindness.

A reply in a few words from side will highly be appreciated.

With regards,

[Public Works and Welfare Minister]

Copy of letter dated the 28th December, 1964 from Shri Jagan Nath, M.L.A., etc. to Ch. Sunder Singh, Deputy Minister Welfare, Punjab, Chandigarh.

We are enclosing herewith a matter which relates to the discrimination with Scheduled Castes Government employees in promotion cases and in appointments in the State.

We are fully hopeful that you would be pleased to get this examined and decide the request favourably and as well as sympathetically.

A reply in a few words will highly be appreciated.

With regards.

Press Statement.

"Discrimination with Scheduled Castes Government employees in promotion cases and in appointments in the State."

We say that Scheduled Castes Government employees are being treated discriminately in promotion cases in higher posts as well as in appointments No due representations fixed for Scheduled Castes in promotion cases and in appointment cases, are being given. Appointing authorities and Heads of Departments do not feel or want that Harijas Government employees may get higher posts in promotion cases, because they have no pains for Scheduled Castes persons and as they are well established, they don't care for harijans's interests.

Even in the Lok Sabha this matter has been raised on 14th December, 1964 by the Members of Parliament while discussing the report of Scheduled Castes/Scheduled Tribes for 1962-63. They have stated that the report revealed how the Scheduled Castes and Tribes people had been denied justice in the services, education and other places.

Therefore we the following M.L.A.s demand from the C.M., H.D.M., P.W.W.M. that a Commission should be appointed which should be headed by a Judge of High Court of Punjab, who may —

(i) enquire from each of the department in the State, the number of total posts in each cadre, the appointments made by each department in each cadre, in view of the 19 per cent resevation in appointments for the Scheduled Castes persons and to give some relaxation in appointments for Scheduled Castes candidates made by S.S.S. Board and Government;

(ii) to enquire whether due reservation fixed for 10 per cent in promotion cases, according to total strength of posts is being given to the Scheduled Castes Government employees or not;

(iii) to enquire whether Scheduled Castes Government employees are being given a chance of promotion for less than a month of not, whether Government have issued any such instructions to all Heads of Departments in the State for such purposes or not ?

We represent and demand this because C.M. has made a Press Statement on 2nd December, 1964 printed in the Tribune dated 3rd December, 1964, reproduced as below:—

"If we cannot protect the minorities we have no right to stay in office."

We hope that Government will appoint a Commission and will see and consider to our suggestions all sympathetically, otherwise we will raise this matter during the coming Session.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SARASWATI DRAIN

2037. Chaudhri Ranbir Singh, : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state :—

(a) the quantum of flood waters discharge by Saraswati Drain and Sirhind Choe during the years 1963 and 1964 floods and their peak discharges ;

(b) the quantum of flood water discharged by the main drains of the State during the years 1961, 1962, 1963 and 1964 and their peak discharges ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The flood waters discharge passed through Saraswati Drain and Sirhind Choe during the years 1963 and 1964 floods and their peak discharges are as under :—

	Quantum of flood waters discharges in acre ft.		*Peak discharge in cusecs*	
	1963	1964	1963	1964
(i) Saraswati Drain	48,738	350,868	2,750	7,616
(ii) Sirhind Choe ..	13,392	209,764	600	2,500

(b) The quantum of flood waters discharge passed through all the main drains of the State during the years 1961, 1962 and 1963 is not available. The quantum of flood waters discharge passed through 15 main drains for which the data is available for the year 1964 floods is 21.42 lacs acre ft. and their peak discharge varied from 333 cs. to 7616 cusecs.

M.L.Cs. AS MEMBERS OF ZILA PARISHAD

2039. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the name of members of the Punjab Legislative Council representing the district of Rohtak who are entitled to be associated as members of Zila Parishad as *ex-officio* fulfilling the conditions of sub-section 3 (d) of section 86 of the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1961 ;

(b) the members of the Punjab Council associated as members of Zila Parishad, Rohtak ;

(c) whether Sarvshri Siri Chand, Sher Singh and Sultan Singh representing Rohtak District are associated as members of Zila Parishad Rohtak or not, if not, why not ?

Sardar Darbara Singh: (a) Sarvshri S. L. Chopra, Babu Siri Chand, Chander Bhan Gupta and Major Amir Singh.

(b) As in (a) above.

(c) Sarvshri Siri Chand, Sultan Singh and Sher Singh, M.L.C.s are not associate members of Zila Parishad Rohtak because they do not represent territorial constituency.

MEDICINES FOR GOVERNMENT AYURVEDIC DISPENSARIES

2071. Chaudhri Ranbir Singh: Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the number of Government Ayurvedic Dispensaries in the State at present ;

(b) the amount alloted for the supply of medicines for such dispensaries during the last three financial years and in the current financial year ;

(c) the procedure followed in purchasing the Ayurvedic medicines together with the terms and conditions on which these are generally purchased ;

(d) the names and addresses of the main suppliers of such medicines during 1963-64 and the current financial year ?

Shri Prabodh Chandra: (a) 375.

(b) The amount alloted for the supply of Medicines to such Ayurvedic Dispensaries during the financial year is as under :—

1961-62	*1962-63*	*1963-64*	*1964-65*
Rs	Rs	Rs	Rs
3,06,575	3,14,575	3,27,575	3,38,575

(c) All Ayurvedic raw drugs or medicines required in the Pharmacy are generally purchased through the Controller of Stores, Punjab, Chandigarh. The samples of raw drugs are selected and sent to the Controller of Stores who invite quotations and approve the rate contract and the purchases are effected against these approved rates. In the case of prepared medicines, the indications according to the books are prescribed and then the rates are invited. The terms and conditions of these purchases are fixed by the Controller of Stores, Punjab according to the quotations of the firms.

(d) During the year 1963-64, the following firms were the main suppliers of raw drugs :—

1. M/s K.T. Jainsons, Sadar Bazar, Patiala.

2. M/s Surrinder and Company, Dharampura Bazar, Patiala.

3. M/s Kashmir Ayurvedic Works, Street No. 2, G. T. Road, Putli Ghar, Amritsar.
4. M/s Jiwan Ram-Munna Lal, Narnaul.
5. M/s Pushkarna Ayurvedic Pharmacy, Bazar Gandawala, Amritsar.
6. M/s Bhion ka Dwakhana, Katra Hari Singh, Amritsar.
7. M/s Lakhpat Rai-Sompat Rai Sadh, 14 Mullick Street, Calcutta.
8. M/s Jatindra Paul Jain, Chhata Nanumal, Patiala.
9. M/s Nar Singh Das-Radhe Shayam, Khari Baoli, Delhi-6.
10. M/s Medical Ram Nath, Ferozepore City.
11. M/s Amar Pharmacy, Hall Bazar, Ludhiana.
12. M/s Rai Kot Pharmacy, Ludhiana.

The names and addresses of the main suppliers during the current financial year can be supplied after the purchases have been made for which arrangements are being made.

AYURVEDIC MEDICINES MANUFACTURED BY THE GOVERNMENT AYURVEDIC PHARMACY, PATIALA

2072. Chaudhri Ranbir Singh: Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the present capacity of the Government Ayurvedic Pharmacy, Patiala to manufacture the Ayurvedic medicines ;

(b) the details of the manufacturing plants of the said Pharmacy;

(c) whether the capacity of the said Pharmacy is being fully utilised, if not, what steps Government proposes to take to fully utilise the same ?

Shri Prabodh Chandra : (a) The Pharmacy has an estimated capacity of producing medicines worth about Rs 3 lakhs.

(b) A statement is as follows.

(c) No, Sir. The matter is being looked into to overhaul/reorganise/streamline the Pharmacy administration.

STATEMENT

Manufacturing Plants in the Government Ayurvedic Pharmacy, Patiala

1.	Edge Runner ..	2
2.	Ball Mill ..	7
3.	Disintegrators ..	3
4.	Tablet Machine ..	1

[Education and Local Government Minister]

5.	Polishing Machine	..	2
6.	Chhattu Machine	..	4
7.	Guggal Chhattu Machine	..	1
8.	Kharal	..	5
9.	Powder Mixing Machine	..	1
10.	Granulator	..	1
11.	Powder filling Machine	..	1
12.	Ashave lifting pumps	..	2
13.	Ashav filling Machine	..	1
14.	Electric Distillation apparatus	..	1
15.	Hand Pill Making Machine	..	1
16.	Suppository Mould Machine	..	1
17.	Hand Tablet Making Machine	..	2
18.	Shaking Machine	..	1

FINANCIAL ASSISTANCE FOR AYURVEDIC COLLEGES/CHARITABLE DISPENSARIES IN THE STATE

2073. **Chaudhri Ranbir Singh**: Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the financial assistance given to the Ayurvedic Colleges and other charitable Ayurvedic dispensaries in the State during the year 1963-64;

(b) the extent of financial help proposed to be given to such colleges and dispensaries during the year 1964-65;

(c) the criteria followed in giving financial help to such Colleges and dispensaries;

(d) the schemes for which financial assistance referred to in part (a) was given together with the schemes for which the assistance referred to in part (b) is proposed to be given in each case districtwise ?

Shri Prabodh Chandra:

(a) (i) Ayurvedic Colleges .. Rs 3,600

(ii) Charitable Ayurvedic Dispensaries etc. .. Rs 1,400

(b) Rs 5,000.

(c) The grants are given on *adhoc* basis on the recommendations of the Deputy Commissioners. Director, Health Services, Punjab. The criteria followed in giving the grants is :—

(i) the usefulness and capacity of the institution to serve the public;

(ii) its financial resources; and

(iii) the availability of medical facilities in a particular area.

(d) Financial assistance was sanctioned for the following institutions :—

		Rs
(i)	Shri Mast Nath Ayurvedic College, Asthal Bohar..	2,400.00
(ii)	Daya Nand Ayurvedic College, Jullundur ..	1,200·00
(iii)	Shri 108 Muni Nemi Sagar Jain Aushadhalya, Hansi, district Hissar ..	100·00
(iv)	Daya Nand Free Ayurvedic Dispensary, Arya Samaj Chowk, Patiala ..	200·00
(v)	Janta Aushadhalya, Gatauli (Sangrur) ..	100·00
(vi)	Vaid Sundar Singh of Jispa (Lahaul and Spiti) ..	500·00
(vii)	Vaid Tashi Gunpo of village Lossar (Lahaul and Spiti) ..	500·00

The question of giving grants during 1964-65 is under consideration.

FINANCIAL ASSISTANCE GIVEN TO SHRI MAST NATH DHARAMARTH CHIKITSALAYA AND EYE HOSPITAL, ASTHAL BOHAR DISTRICT ROHTAK

2074. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether any financial assistance under any scheme was sanctioned during the last three financial years to Shri Mast Nath Dharamarth Chikitsalaya and Eye Hospital, Asthal Bohar, district Rohtak, if so, the details thereof;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to give any help to the said Chikitsalya/Hospital during the current financial year, if not, why ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No Sir. A grant of Rs 2,400 a year was, however, given to Shri Mast Nath Ayurvedic College, Asthal Bohar, during the last three years.

(b) No. The grants to Ayurvedic institutions are given on the recommendations of the Deputy Commissioners concerned and there is no such recommendation so far from the Deputy Commissioner, Rohtak, for any grant to this Chikitsalaya/ Hospital during the current year.

DRAINING OUT WATER FROM CERTAIN VILLAGES IN ROHTAK DISTRICT

2076. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the steps taken to drain out the flood waters of local depressions of Ghillaur, Jasia, Makrauli, Bahmanwas, Banwasa, Chopra, Dhanana, and Kathura, in Rohtak District during 1963 floods and the steps so far taken or proposed to be taken in this regard to drain out water of 1964 floods from the depressions mentioned above ?

Chaudhri Rizaq Ram : Steps taken to drain out flood water of local depressions during the year are as under :—

Name of village	1963	1964
1. Ghillaur 2. Jasia 3. Makrauli 4. Bahmanwas	Dewatering was done by linking depressions	The same is being done now
5. Chapra 6. Banwasa 7. Kathura	A temporary drain was constructed to drain out flood water and some pumping was also done	The villagers did not want the opening out of the temporary drain as was done last year. A regular drain for dewatering has been sanctioned and work will be taken in hand early.
8. Dhanana	Dewatering was done by means of pumps	The same is being done this year.

RELIEF TO SUGARCANE-GROWERS IN ZIRA SUB-DIVISION

2078. Sardar Jagjit Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the Government proposes to provide any relief to the Sugarcane-growers of Zira Sub-Division, who are obliged to switch over to canegrowing due to water-logged condition of the area, if so, details thereof ?

Sardar Darbara Singh : *Part* (*a*) No.

Part (*b*).—Does not arise.

EXTENSION OF THE GOVERNMENT HOSPITAL AT ZIRA, DISTRICT FEROZEPORE

2079. **Sardar Jagjit Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to extend the Local Government Hospital at Zira, district Ferozepore if so, when it is likely to be implemented ?

Shri Prabodh Chandra : No.

OPENING OF TECHNICAL TRAINING CENTRE AT ZIRA, DISTRICT FEROZEPUR

2080. **Sardar Jagjit Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether Government proposes to open a Technical Training Centre at Zira, district Ferozepur; if so, the time by which it is likely to be opened ?

Shri Ram Kishan : No.

SURPLUS AREA IN DISTRICT FEROZEPUR

2081. **Sardar Kulbir Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area so far declared surplus in district Ferozepur, Tehsil-wise;

(b) the total number of tenants in the said district eligible for the allotment of the surplus land.

(c) the total surplus area so far allotted to the tenants in the said district;

(d) whether any surplus area in the said district is being allotted to the tenants hailing from other districts; if so, to what extent?

Sardar Harinder Singh Major :

(a)

Serial No.	Name of the Tehsil		Area declared surplus (in Standard Acres)
1.	Ferozepur	..	8,076—0
2.	Moga	..	5,240—0
3.	Mukatsar	..	28,609—4
4.	Zira	..	2,571—0
5.	Fazilka	..	38,922—10
		..	83,418-14

[Revenue Minister]

(b) 4,562
(c) 10,682—10½ Standard Acres.
(d) No.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN THE STATE

2082. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of villages electrified in the State as at present together with the number of such villages in district Ferozepur;

(b) the criteria, if any, fixed for determining priority for the electrification of villages;

(c) the minimum target, if any, fixed for the electrification of villages in the State;

(d) the causes of delay, if any, in the electrification of villages;

(e) the details of the facilities provided to the consumers in the rural areas for agriculture and Industry separately;

(f) the total number of tube-wells in the State on the waiting list where power has been sanctioned but has not been supplied so far particularly in district Ferozepur, along with the reasons therefor ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) 5114 places in the State and 285 in district Ferozepur have been electrified up to October, 1964.

(b) The critera to be followed for determining priority of villages for further electrifiction is at present under consideration.

(c) The plan target for the Third Five-Year Plan in the Punjab State is 1,600 villages.

(d) The plan target had been achieved in the first two years of the III Plan.

(e) The rates for agricultural supply, fall have been kept extremely low as compared to the actual cost of supply.

Electricity Duty on agricultural connections has also been abolished.

As far as the Industrial consumers in rural areas are concerned, the rates as applicable to the agriculture loads are applicable up to a load of 10 H. P.

(f) The requisite information in respect of the whole State is not readily available. However, information in respect of Ferozepur District is as under :—

Information in respect of Ferozepur District is as under :—

(i)	No. of tube-well applications for which all formalities completed up to 31st October, 1964	=	163 Nos.
(ii)	No. of tube-wells applications for which demand notices have been issued up to 31st October, 1964.	=	383 Nos.
	Total		546 Nos,

NATIONALISED TEXT BOOKS

2083. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the total number of books nationalised so far in the State;

(b) whether it is a fact that nationalised text-books are not generally available to the students in time, if so, the reasons therefor;

(c) the measures, if any, adopted or being adoped to remove the permanent shortage of text-books;

(d) whether it is a fact that the textbooks are full of printing mistakes and these are not corrected even in the revised editions, if so, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra : (a) 121.

(b) No. Most of the nationalised books are generally available to the students in time.

(c) Careful planning has minimised the chances of shortage.

(d) No. Whenever mistakes are detected, these are rectified in subsequent editions.

SELECTION OF SITE FOR COAL DEPOTS ALLOTTED IN RUPAR TOWN

2084. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any persons were allotted coal depots in Rupar Town of Ambala District in the month of November or December, 1964, if so, their names;

(b) whether any decision regarding the selectipn of sites for the said depots has been taken by the District Food and Supplies authorities of Ambala District, if so, when, and if not taken the reason for the delay ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes, the following depots were allotted:—

1. Shri Ishar Singh Azad;
2. Shri Babu Ram, Goldsmith;
3. Shri Amar Singh, s/o Shri Sohail Singh.

(b) The sites selected by Nos. (1) and (2) above were approved on 5th January, 1965 and 11th January, 1965, respectively. The site selected by the third party being in close proximity to an existing coal depot has been disapproved. No other site has been suggested by this party so far.

WHEAT IMPORTED INTO AND EXPORTED FROM THE STATE

2085 Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total quantity of American Wheat imported into the State during each of the years 1963, 1964 and 1965;

[Comrade Shamsher Singh Josh]

(b) the total quantity of indigenous wheat exported from the state during the said period, year-wise;

(c) the total wheat stocks with the Government and with the registered dealers of the State as at present ?

Shri Ram Kishan : A statement containing the required information is as follows.

STATEMENT

Wheat Imported into and Exported from the State

(a) The total quantity of American Wheat Imported into the State during:—

		Tonnes
1963	..	1,72,477
1964	..	3,93,305
1965	..	34,404

(b) The total quantity of indigenous wheat exported from the State during:—

		Tonnes
1963	..	4,02,778
1964	..	2,10,965
1965	..	Nil

(c) The total wheat stocks as on 31st January, 1965

		Tonnes
With Government—		
Country Wheat	..	28,170
Imported Wheat	..	1,095
With registered dealers—		
Country Wheat	..	20,605
With Mills—		
Imported Wheat	..	5,689

POSTS OF MECHANICS IN PUNJAB ROADWAYS JULLUNDUR

2086. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister with reference to the reply to Starred question No. 6079 included in the list of questions for 16th September, 1964, be pleased to state—

(a) whether any posts of Mechanics fell vacant after 16th September, 1964 in the Punjab Roadways, Jullundur, if so, their number and the dates when these were filled up;

(b) the number and names of persons who have been promoted as Mechanics against the said vacant post and the number and names of those belonging to the Scheduled Castes amongst them;

(c) if the posts mentioned in part (a) above have not been filled up so far, the time by which these are likely to be filled up and the number of employes belonging to the Scheduled Castes likely to be appointed against these posts ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes, two. Not filled so far.

(b) Does not arise.

(c) By the 1st April, 1965. The claims of Scheduled Caste candidate(s) will be duly considered.

APPOINTMENTS MADE IN PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR

2088. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of persons appointed, category-wise in Punjab Roadways, Amritsar, during the period from January, 1962, to date, together with the number and names of those belonging to the Scheduled Castes amongst them, with their permanent addresses;

(b) whether due representation has been given to persons belonging to the Scheduled Castes in the said appointments, if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a) The time and labour involved in collecting the requisite information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained. However, information on any particular case can be furnished, if so desired.

(b) Although every endeavour has been made to give to the Scheduled Castes/Backward Classes 21% representation yet due to non-availability of suitable candidates, the optimum figure has not been reached.

STAFF IN PUNJAB ROADWAYS, AMRITSAR

2089. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of posts of workshop staff, operational staff, Inspectorate staff, and clerical staff at present in the Punjab Roadways, Amritsar;

(b) the names of the Inspectorate and workshop staff and the names of those belonging to Scheduled Castes amongst them;

(c) the number of posts in each of the cadres referred to in part (a) above reserved for the members of the Scheduled Castes;

(d) whether due representation has been given to the Scheduled Castes in the said cadres, if not, the steps, if any, proposed to be taken to give the representation now?

Shri Ram Kishan : (a) 1105

(b) Statements are as follow.

(c) and (d) Although every endeavour has been made to give 21% representation to the Scheduled Castes/Backward Classes, yet due to non-availability of suitable candidates, the optimum figure has not been reached.

[Chief Minister]

STATEMENT I

List of Inspectors

Serial No.	Name		Remarks
1.	Shri Harbans Singh 'Pannu'		
2.	Shri Prithipal Singh		
3.	Shri Natha Ram		
4.	Shri Narinder Nath		
5.	Shri Mohan Lal		
6.	Shri Jagan Nath		
7.	Shri Puran Singh		
8.	Shri Guran Davaya		
9.	Shri Jagjit Singh		
10.	Shri Ajit Singh	..	Scheduled Caste.
11.	Shri Sardul Singh		
12.	Shri Gurdial Singh		
13.	Shri Babu Ram		
14.	Shri Krishan Singh		
15.	Shri Karnail Singh		
16.	Shri Tarlok Chand		
17.	Shri Kundan Lal		
18.	Shri Padam Kumar		
19.	Shri Radha Mohan		
20.	Shri Manohar Lal		
21.	Shri Rashbir Singh		
22.	Shri Swaran Singh		
23.	Shri Sarup Singh		
24.	Shri Pritam Singh		
25.	Shri Shamsher Bahadur		
26.	Shri Gulzar Singh		
27.	Shri Krishan Kumar		
28.	Shri Piara Singh		
29.	Shri Raghbubir Singh		
30.	Shri Taswir Singh		
31.	Shri Gurcharan Singh		
32.	Shri Surjan Singh	..	Backward Class
33.	Shri Harbans Lal		
34.	Shri Surjit Singh		
35.	Shri Jugal Kishore		
36.	Shri Kartar Singh	..	Scheduled Caste
37.	Shri Ram Murti		
38.	Shri Sagli Ram		
39.	Vacant		
40.	Vacant		

STATEMENT II

List of Workshop Staff

Serial No.	Name		Designation		Remarks
1.	Shri Joginder Singh	..	Service Station Incharge		
2.	Shri Gurcharan Singh	..	Ditto		
3.	Vacant				
4.	Shri Pala Ram	..	Head Mechanic		
5.	Shri Harkishan Chand	..	Ditto		
6.	Shri Kartar Singh	..	Ditto		
7.	Shri Madho Singh	..	Ditto		
8.	Shri Dalip Singh	..	Head Electrician	..	Backward Class
9.	Shri Mohan Singh	..	Borer		

Serial No.	Name	Designation	Remarks
10.	Shri Gurdip Singh	.. Mechanist	
11.	Shri Gurdial Singh	.. Instrument Mechanic	
12.	Shri Joginder Singh	.. Callibrator Mechanic	.. Backward Class
13.	Shri Joginder Singh	.. Vulcanizor	
14.	Shri Jagiri Ram	Mechanic	
15.	Shri Harkishan Singh	.. Do	
16.	Shri Ajit Singh	.. Do	
17.	Shri Kartar Singh	.. Do	
18.	Shri Avtar Singh	.. Do	
19.	Shri Bhagwan Singh	.. Do	.. Backward Class
20.	Shri Pritam Singh	.. Do	Ditto
21.	Shri Suchet Singh	.. Do	
22.	Shri Amarjit Singh	.. Do	
23.	Shri Garib Dass	.. Do	
24.	Shri Ram Lal	.. Do	
25.	Shri Om Parkash	.. Do	
26.	Shri Amarjit Singh	.. Do	
27.	Shri Mohan Lal	.. Do	
28.	Shri Gobind Ram	.. Do	
29.	Shri Harbans Singh	.. Do	
30.	Shri Gian Singh	.. Do	
31.	Shri Kewal Krishan	.. Do	
32.	Shri Harbhajan Singh	.. Do	
33.	Shri Manohar Lal	.. Do	
34.	Shri Shamir Singh	.. Do	
35.	Shri Ajit Singh	.. Do	
36.	Shri Om Parkash	.. Do	
37.	Shri Jagir Singh	.. Do	
38.	Shri Harbans Singh	.. Do	
39.	Shri Kirpal Singh	.. Do	
40.	Shri Harbhajan Singh	.. Do	
41.	Shri Dhiraj Singh	.. Do	
42.	Shri Iqbal Singh	.. Do	
43.	Shri Gulzar Singh	.. Do	
44.	Shri Amar Nath	.. Do	
45.	Shri Raghunandan Singh	Do	
46.	Shri Gopal Singh	.. Do	
47.	Shri Surjit Singh	.. Do	
48.	Shri Karnail Singh	.. Do	.. Backward Class
49.	Shri Banarsi Dass	.. Do	
50.	Shri Charan Singh	.. Do	
51.	Shri Nidhan Singh	.. Fitter	
52.	Shri Arur Singh	.. Do	
53.	Shri Hardip Singh	.. Do	
54.	Shri Vishnu Kumar	.. Do	
55.	Shri Tejinder Lal	.. Do	
56.	Shri Balwant Rai	.. Do	.. Scheduled Caste
57.	Shri Dilbag Singh	.. Do	
58.	Shri Karam Singh	.. Do	
59.	Shri Dilbagh Singh	.. Do	
60.	Shri Natha Singh	.. Do	
61.	Shri Mohinder Singh	.. Do	
62.	Shri Mohinder Singh	.. Do	
63.	Shri Salwant Singh	.. Do	
64.	Shri Des Raj	.. Do	
65.	Shri Sat Pal Singh	.. Do	
66.	Shri Mukhtar Singh	.. Do	.. Backward Class
67.	Shri Gurmit Singh	.. Do	
68.	Shri Balwant Singh	.. Do	
69.	Shri Makhan Singh	.. Do	.. Scheduled Caste
70.	Shri Balbir Singh	.. Do	
71.	Shri Kewal Krishan	.. Do	
72.	Shri Amrit Lal	.. Do	
73.	Shri Manmohan	.. Do	

[Chief Minister]

Serial No.	Name	Designation	Remarks
74.	Shri Jagtar Singh	.. Fitter	
75.	Shri Didar Singh	.. Do	
76.	Shri Ram Lal	.. Do	
77.	Shri Brahm Dass	.. Do	
78.	Shri Ashok Kumar	.. Do	
79.	Shri Gurdial Singh	.. Do	
80.	Shri Janak Raj	.. Do	
81.	Shri Dupinder Singh	.. Do	
82.	Shri Lew Wilson	.. Do	
83.	Shri Gurdip Singh	.. Do	
84.	Shri Jagdish Chander	.. Do	
85.	Shri Raghubir Chand	.. Do	
86.	Shri Gurdial Singh	.. Do	
87.	Shri Subash	.. Do	
88.	Shri Surinder Kumar	.. Do	
89.	Shri Des Raj	.. Electrician	.. Backward Class
90.	Shri Sulakhan Singh	.. Do	Ditto
91.	Shri Narinder Singh	.. Do	
92.	Shri Dhani Ram	.. Do	
93.	Shri Surinder Singh	.. Do	
94.	Shri Ram Murti	.. Do	.. Backward Class
95.	Shri Avtar Singh	.. Do	
96.	Shri Siri Ram	.. Do	
97.	Shri Bakhtawar Singh	.. Do	.. Scheduled Caste
98.	Shri Jaswinder Singh	.. Do	
99.	Shri Mahonar Lal	.. Do	
100.	Shri Baldev Raj	.. Blacksmith	.. Backward Class
101.	Shri Sardul Singh	.. Do	
102.	Shri Gurcharan Singh	.. Do	
103.	Shri Ajit Singh	.. Do	.. Backward Class
104.	Shri Bahadur Singh	.. Do	Ditto
105.	Shri Balwant Singh	.. Do	
106.	Shri Kundan Singh	.. Do	
107.	Shri Jarnail Singh	.. Do	
108.	Shri Jagir Singh	.. Do	
109.	Shri Pritam Singh	.. Do	
110.	Vacant		
111.	Shri Kartar Singh	.. Carpenter	.. Backward Class
112.	Shri Swaran Singh	.. Do	.. Ditto
113.	Shri Atam Singh	.. Do	.. Ditto
114.	Shri Arjan Singh	.. Do	.. Ditto
115.	Shri Baxish Singh	.. Do	.. Ditto
116.	Shri Jaswant Singh	.. Do	.. Ditto
117.	Shri Harbhajan Singh	.. Do	.. Ditto
118.	Shri Sohan Singh	.. Do	.. Ditto
119.	Shri Harbans Singh	.. Do	.. Ditto
120.	Shri Gurbachan Singh	.. Do	.. Ditto
121.	Shri Kirpal Singh	.. Do	.. Ditto
122.	Shri Joginder Singh	.. Do	.. Ditto
123.	Shri Sohan Singh	.. Do	.. Ditto
124.	Shri Kartar Singh	.. Do	.. Ditto
125.	Shri Sham Singh	.. Do	.. Ditto
126.	Shri Kartar Singh	.. Tyreman	
127.	Shri Sita Ram	.. Do	.. Backward Class
128.	Shri Shangara Singh	.. Do	.. Scheduled Caste
129.	Shri Sardul Singh	.. Do	
130.	Shri Joginder Singh	.. Do	
131.	Shri Darshan Singh	.. Do	.. Scheduled Caste
132.	Shri Gopal Dass	.. Upholster	
133.	Shri Ajit Kumar	.. Do	
134.	Shri Gulzar Singh	.. Do	.. Backward Class
135.	Shri Jaswant Singh	.. Do	.. Ditto
136.	Shri Jagdish Kumar	.. Do	

Serial No.	Name		Designation	Remarks
137.	Shri Joginder Singh	..	Welder	
138.	Shri Shamjit Singh	..	Do	
139.	Shri Harjinder Lal	..	Do	
140.	Shri Harnam Singh	..	Do	
141.	Shri Rajinder Singh	..	Do	
142.	Shri Ram Chand	..	Painter	
143.	Shri Kartar Singh	..	Do	
144.	Shri Hans Raj	..	Do	
145.	Shri Dev Raj	..	Do	.. Backward Class
146.	Shri Sat Paul	..	Do	
147.	Shri Manohar Lal	..	Do	
148.	Shri Avtar Singh	..	Do	
149.	Shri Jai Karan	..	Do	
150.	Shri Puran Chand	..	Radiator Repairer	
151.	Shri Raj Kumar	..	Ditto	
152.	Shri Mangal Dass	..	Ditto	
153.	Shri Dharam Singh	..	Tin-Smith	Backward Class
154.	Shri Ravinder Lal	..	Ditto	.. Ditto
155.	Shri Kishan Kumar	..	Turner	Ditto
156.	Shri Ajit Singh	..	Do	
157.	Shri Rattan Chand	..	Battery Attendant	
158.	Shri Prithipal Singh	..	Ditto	
159.	Shri Pritam Singh	..	Assistant Fitter	
160.	Shri Nazir	..	Ditto	
161.	Shri Kundan Singh	...	Ditto	.. Scheduled Caste
162.	Shri Kasturi Lal	..	Dttio	
163.	Shri Sukhdev Raj	..	Ditto	
164.	Shri Bhan Singh	..	Ditto	
165.	Shri Ram Lal	..	Ditto	.. Scheduled Caste
166.	Shri Gurbachan Singh	..	Ditto	
167.	Shri Baldev Raj	..	Ditto	
168.	Shri Chanchal Singh	..	Ditto	
169.	Shri Kashmir Singh	..	Ditto	
170.	Shri Surinder Kumar	..	Ditto	
171.	Shri Jagit Singh	..	Ditto	
172.	Shri Brinderjit Singh	..	Ditto	
173.	Shri Mohinderjit Singh	..	Ditto	
174.	Shri Narain Singh	..	Ditto	
175.	Shri Inderjit	..	Ditto	
176.	Shri Maluk Chand	..	Assistant Fitter	.. Scheduled Caste
177.	Shri Robert Prem Dass	..	Ditto	
178.	Shri Kashmir Singh	..	Ditto	
179.	Shr Kewal Singh	..	Ditto	
180.	Shri Khushi Ram	..	Ditto	
181.	Shri Tirlochan Singh	..	Ditto	
182.	Shri Harbhajan Singh	..	Ditto	.. Backward Class
183.	Shri Harbans Singh	..	Ditto	
184.	Shri Kishan	..	Ditto	
185.	Shri Balwant Singh	..	Ditto	
186.	Shri Sudarshan Singh	..	Ditto	.. Backward Class
187.	Shri Sukhinantha Singh	..	Ditto	
188.	Shri Jagtar Singh	..	Ditto	.. Backward Class
189.	Shri Daljit Singh	..	Ditto	
190.	Shri Tarlok Singh	..	Assistant Electrician	
191.	Shri Anup Singh	..	Ditto	
192.	Shri Sat Paul	..	Ditto	
193.	Shri Rajinder Paul	..	Ditto	
194.	Shri Rattan Chand	..	Ditto	
195.	Shri Yog Raj	..	Ditto	.. Backward Class
196.	Shri Harbans Singh	..	Ditto	
197.	Shri Tilak Raj	..	Ditto	
198.	Shri Dalip Singh	..	Ditto	

Serial	Name	Designation	Remarks
199.	Shri Sudesh Kumar	.. Assistant Electrician	
200.	Shri Shiv Charan	.. Ditto	
201.	Shri Ajit Singh	.. Assistant Tyreman	.. Scheduled Caste
202.	Shri Kishan Lal	.. Ditto	
203.	Shri Mahan Bir	.. Ditto	
204.	Shri Jasbir Singh	.. Ditto	
205.	Shri Harbhajan Singh	.. Ditto	.. Backward Class
206.	Shri Kala Ram	.. Assistant Carpenter	.. Scheduled Caste
207.	Shri Uttam Singh	.. Ditto	
208.	Shri Jaswant Singh	.. Ditto	.. Backward Class
209.	Shri Darshan Singh	.. Ditto	.. Scheduled Caste
210.	Shri Manual	.. Ditto	
211.	Shri Rikhi Ram	.. Assistant Welder	
212.	Shri Baldev Singh	.. Ditto	
213.	Shri Balbir Singh	.. Assistant Blacksmith	
214.	Shri Gurcharan Singh	.. Ditto	
215.	Shri Tirlochan Singh	.. Ditto	
216.	Shri Ram Lal	.. Assistant Painter	
217.	Shri Balbir Singh		.. Backward Class
218.	Shri Balwant Singh	.. Ditto	
219.	Vacant		
220.	Shri Mohan Singh	.. Assistant/R/Repairer	
221.	Shri Prem Parkash	.. Ditto	
222.	Shri Gurdial Singh	.. Assistant Upholster	
223.	Shri Mela Ram	.. Helper	
224.	Shri Samru Ram	.. Do	.. Scheduled Caste
225.	Shri Swaran Singh	.. Do	
226.	Shri Sarup Singh	.. Do	
227.	Shri Mohinder Singh	.. Do	
228.	Shri Bhagwant Singh	.. Do	
229.	Shri Amrik Singh	.. Do	.. Scheduled Caste
230.	Shri Manohar Lal	.. Do	
231.	Shri Kahan Lal	.. Do	
232.	Shri Raj Kumar	.. Do	
233.	Shri Amrik Singh	.. Do	.. Backward Class
234.	Shri Beli Ram	.. Store Boy	
235.	Shri Sudesh Kumar	.. Ditto	
236.	Shri Karnail Singh	.. Ditto	
237.	Shri Mukhtiar Singh	.. Ditto	
238.	Shri Om Raj	.. Ditto	
239.	Shri Tejinder Singh	.. Ditto	
240.	Shri Joginder Paul	.. Ditto	
241.	Vacant		
242.	Shri Mukhtar Singh	.. Cl. 17 (Cl. means Cleaner)	
243.	Shri Gurdial Singh	.. Cl. 22	.. Scheduled Caste
244.	Shri Gulzari Lal	.. Cl. 56	Ditto
245.	Shri Hamir Singh	.. Cl. 16	
246.	Shri Jaswant Singh	.. Cl. 44	.. Backward Class
247.	Shri Om Parkash	.. Cl. 2	
248.	Shri Sat Paul	.. Cl. 40	
249.	Shri Kewal Krishan	.. Cl. 43	
250.	Shri Joginder Singh	.. Cl. 49	
251.	Shri Sudesh Kumar	.. Cl. 5	
252.	Shri Darshan Singh	.. Cl. 39	
253.	Shri Gian Chand	.. Cl. 19	
254.	Shri Amrik Singh	.. Cl. 9	
255.	Shri Kulbir Singh	.. Cl. 28	
256.	Shri Tara Chand	.. Cl. 58	
257.	Shri Kuldip Singh	.. Cl. 11	
258.	Shri Piara Lal	.. Cl. 8	
259.	Shri Sardul Singh	.. Cl. 29	
260.	Shri Avtar Singh	.. Cl. 4	

Serial No.	Name		Remarks
261.	Shri Ajit Singh	.. Cl. 35	
262.	Shri Gurmit Singh	.. Cl. 21	
263.	Shri Gurdip Singh	.. Cl. 3	
264.	Shri Balwinder Singh	.. Cl. 14	
265.	Shri Jaswant Rai	.. Cl. 13	
266.	Shri Balwinderjit Singh	.. Cl. 38	
267.	Shri Sham Singh	.. Cl. 33	
268.	Shri Bishamber Dass	.. Cl. 53	
269.	Shri Dev Raj	.. Cl. 37	
270.	Shri Amrik Singh	.. Cl. 15	
271.	Shri Naresh Chander	.. Cl. 34	
272.	Shri Sudesh Kumar	.. Cl. 55	
273.	Shri Satish Chander	.. Cl. 45	
274.	Shri Harbhajan Singh	.. Cl. 25	
275.	Shri Harijinder Singh	.. Cl. 17	
276.	Shri Dawinder Singh	.. Cl. 10	
277.	Shri Sat Paul	.. Cl. 46	
278.	Shri Inder Jit	.. Cl. 20	
279.	Shri Nazir	.. Cl. 62	
280.	Shri Harbhajan Singh	.. Cl. 32	
281.	Shri Jaswant Singh	.. Cl. 6	
282.	Shri Jugal Kishore	.. Cl. 54	
283.	Shri Kuldip Singh	.. Cl. 12	
284.	Shri Kasturi Lal	.. Cl. 26	
285.	Shri Jagir Singh	.. Cl. 59	
286.	Shri Babu Lal	.. Cl. 27	
287.	Shri Jagdish Chander	.. Cl. 36	
288.	Shri Meli Lal Singh	.. Cl. 60	
289.	Shri Baldev Singh	.. Cl. 57	
290.	Shri Kundan Lal	.. Cl. 1	
291.	Shri Raj Paul	.. Cl. 50	
292.	Shri Ram Singh	.. Cl. 61	
293.	Shri Surinder Mohan	.. Cl. 64	
294.	Shri Ram Sarup	.. Cl. 65	
295.	Shri Balbir Singh	.. Cl. 66	
296.	Shri Hari Chand	.. Cl. 18	
297.	Shri Sudarshan Kumar	.. Cl. 41	
298.	Shri Pran Nath	.. Cl. 48	
299.	Shri Avtar Singh	.. Cl. 31	
300.	Shri Avadh Raj	.. Cl. 42	
301.	Shri Hazara Singh	.. Cl. 67	
302.	Shri Darshan Lal	.. Cl. 23	
303.	Shri Hari Pal	.. Cl. 52	
304.	Shri Chanchal Singh	.. Cl. 63	
305.	Shri Atma Singh	.. Cl. 51	
306.	Shri Gurbhej Singh	.. Cl. 36 A	
307.	Shri Hari Chand	.. Cl. 17-A	
308.	Vacant		

OLD AGE PENSION

2090. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state with reference to the reply to unstarred question No. 1895 included in the list of unstarred questions for 24th September, 1964 :—

(a) (i) the names and addresses of 733 applicants of Amritsar District who applied for the Old age pension; (ii) the names and addresses of 495 applicants whose applications were processed at State Level up to 30th June, 1964; and (iii) the names and addresses of 161 applicants who have been sanctioned/granted old age pension up to 30th June, 1964;

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

(b) the time by which the remaining applications are likely to be processed at State level and the time by which pension is likely to be sanctioned to them?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) (i) (ii) & (iii) It is felt that time and labour involved will not be commensurate with the results achieved.

(b) The remaining applications received upto 30th June, 1964 have since been processed, and the persons whose applications are complete in all respects and those who are eligible for pension, will be granted pension in April, 1965.

NURDI-ATTARI ROAD IN TEHSIL TARN TARAN, DISTRICT AMRITSAR

2091. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether Government intend to make the road from Nurdi to Attari via Lallu Ghman and Mannan Villages, in tehsil Tarn Taran, district Amritsar, pacca, if so; the time by which it is likely to be done, if not; the reasons therefor;

(b) the estimated cost for making the said road pacca?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No; there is no such proposal at present. The road is not very important and the funds available are limited.

(b) Rs. 18 lacs approximately.

ELECTRIFICATION OF VILLAGE KALSIAN KALAN, DISTRICT AMRITSAR

2092. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare with reference to the reply to Starred Question No. 6188 included in the list of questions for 23rd September, 1964, be pleased to state whether village Kalsian Kalan in tehsil Patti, district Amritsar has been included in the next Annual Rural Electrification Programme.

Chaudhr Rizaq Ram : No please.

SURPLUS LAND WITH LANDLORDS OVER AND ABOVE THE FIXED CEILING

2093. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue be pleased to State—

(a) whether the Government has appointed any Special Collector to seize any surplus land held by people over and above the ceiling of 30 acres, if so, when;

(b) whether it is a fact that some Jagirdars and landlords in Amritsar District have formed Co-operative Societies of family members in order to evade the seizure of land, if so, the number and names of such landlords along with thrir permanent addresses be placed on the Table of the House;

(c) whether the Special Collector has examined/checked the genuineness of the Societies; if so, when; and the details of his findings;

(d) whether the Special Collector has submitted the report of the work done by him in Amritsar District to the Government, if so, when, if not, the time by which it is likely to be submitted?

Sardar Harinder Singh Major : (a) The post of Special Collector was created in the year 1958. He has been entrusted with the work of deciding the surplus area cases of landowners having land in more than one district

(b) No.

(c) Question does not arise.

(d) Upto the end of December, 1964, 164 cases of Amritsar District have been decided by the Special Collector, declaring an area of 8190 Standard Acres as surplus. He sends progress report to Government every month.

RESERVATION OF EVACUEE LAND FOR HARIJANS

2094. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue to state—

(a) whether Government have issued any executive instructions to all the authorities concerned in the State to the effect that the evacuee land be reserved for Harijans only, if so, when; and a copy of the instructions be laid on the Table of the House;

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, whether there is any proposal under the consideration of the Government to issue such instructions, if so, when?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes; on 3rd October, 1964. A copy of the instructions is as follow.

(b) Does not arise.

FROM

The Deputy Secretary to Government, Punjab,
Rehabilitation Department, Jullundur

To

1. All the Tehsildars (Sales) in the State.
2. Tehsildars (Mahal) Simla District.

No. 2 (106) S/64/50108-34/Dated, Jullundur, the 3rd October, 1964

Subject.—Auction of surplus rural evacuee agricultural lands.

Memorandum.

1. Continuation this Department Memo. No. 2 (106) GI/S/Vol. III/33777- 805 dated the 27th June, 1964, on the above subject.

2. With the exception of the categories of lands mentioned in the above letter and the lands required for allotment to unsatisfied claimants, or for sale to occupants, all the surplus rural evauee lands should be disposed of by auctions restricted to members of Scheduled Castes only.

[Revenue Minister]

3. A sum of Rs 27 lacs was sanctioned by Government for advancing loan to the Harijans, who purchase the lands at these auctions. The amount was placed at the disposal of the Deputy Commissioners,—*vide* Revenue Department letter No. 4544-TL (I)-64/2984, dated the 6th August, 1964, a copy of which was forwarded to you. Whereever amounts are available out of this allocation, auctions amongst Harijans may be resumed immediately.

4. A further sum of Rs 1,73,00,000 has been sanctioned for these loans and its allocation as well as procedure with regard to its disbursement will be sent to you shortly. Meanwhile, the procedure prescribed in this Department letter No. 2 (6) S/12818-92, dated 2nd March, 1964, and Revenue Department letter No. TL (I)-64/990, dated 4th March, 1964 should be followed.

5. At the time of auction it should be announced that no purchaser at these auctions shall be entitled to re-sell, transfer or mortgage the purchased land till final repayment of the loan with interest, or till the expiry of 10 years from the date of purchase, whichever is later, and in the event of default of this condition, the land shall be liable to be resumed and the amount paid by the purchaser will be forfeited to Government. This condition should also be incorporated in the Memorandum of offer, as well as the sale certificates, to be issued to the purchasers.

Sd/-
BAL MUKAND,
Deputy Secretary to Government, Punjab,
Rehabilitation Department, Jullundur.

Endst. No. 2 (106) GI/S/Vol. III/50135/Dated, Jullundur, the 3rd October, 1964.

A copy is forwarded for information and necessary action to the Deputy Secretary to Government, Punjab, Revenue Department, Chandigarh. It is requested that additional funds to the extent of Rs 1,73,00,000 may please be placed at the disposal of the Deputy Commissioners in the Punjab for disbursement as taccavi loans to members of Scheduled Castes to enable them to purchase the evacuee lands, at an early date under intimation to this Department.

Sd/-
BAL MUKAND,
Deputy Secretary to Government, Punjab,
Rehabilitation Department, Jullundur.

Endst. No. 2 (106) G.I./S/Vol. III/50136-226/Dated, Jullundur the 3rd October, 1964

A COPY is forwarded to all the Deputy Commissioners and Tehsildars (Mahal) in the State for information and necessary action.

Sd/-
BAL MUKAND,
Deputy Secretary to Government, Punjab,
Rehabilitation Department, Jullundur.

Endst No. 2 (106) GI/S/Vol. III/50227-39/Dated, Jullundur, the 3rd October, 1964.

A COPY is forwarded to the.—

1. Settlement Officers (Sales), I and II and Additional Settlement Officer (Sales), Nilokheri.
2. Under-Secretary (Rehabilitation), Chandigarh.
3. Land Claims Officer, Jullundur.
4. Officer-on-Special Duty (Accounts).
5. Superintendent (General).
6. Senior Auditors.
7. Camp Assistant.
8. Reader to Deputy Secretary (Rehabilitation)
9. Reader to Chief Settlement Commissioner.

Sd/-
BAL MUKAND,
Deputy Secretary to Government, Punjab
Rehabilitation Department, Jullundur.,

Endst. No. 2 (106) GI/S/Vol. III/50240-41/Dated, Jullundur, the 3rd October, 1964

A COPY is forwarded to.—

1. Private Secretary to Revenue Minister for the information of R.M.
2. Private Secretary to Financial Commissiner (Taxation), Punjab, for the information of F.C.T.

Sd/-
BAL MUKAND,
Deputy Secretary to Government, Punjab,
Rehabilitation Department, Jullundur.

Endst. No. 2 (106) GI/S/Vol. III/50242-44/Dated, Jullundur, the 3rd October, 1964

A COPY is forwarded for information to the:—

1. Secretary to Government, Punjab, Scheduled Castes and Backward Classes Department, Chandigarh.
2. Director, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, Punjab Chandigarh.
3. Assistant Director, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Sector 21-D Chandigarh.

Sd/-.
BAL MUKAND,
Deputy Secretary to Government, Punjab,
Rehabilitation Department, Jullundur

SALE OF CUSTODIAN LAND TO HARIJANS IN THE STATE

2095. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister met any deputation of Harijans or received any representation from any Harijan, during the period from December, 1964, to-date, for waiving the condition of furnishing surety of Rs 5,000 at the time of sale of Custodian land to Harijans in the State, if so, when; and a copy of the representation be laid on the table of the House :

(b) the action, if any, taken or proposed to be taken on the said representation?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes; on 26th December, 1964, a deputation of the All India Sharomani Baba Jiwan Singh Mazbi Dal, Ferozepur met the Chief Minister, Punjab. A copy of the representation submitted by them is as Follows.

(b) Government have allowed Harijan bidders to furnish Harijan sureties as collateral securities to the satisfaction of the sanctioning authority.

Deputation of All India Shiromani Baba Jiwan Singh, Mazhabi Dal, Ferozepur City.

To

Shri Ram Kishan Comrade,
Hon'ble Chief Minister, Punjab,
Chandigarh.

Subject.—Difficulties to get Custodian land from Government by Scheduled Castes Harijan persons in Punjab.

Sir,

The humble petitioners begs to submit the under given few lines for your favourable immediate consideration:—

1. That when the reserved land for Schedule caste and Harijans is sold and auctioned in the village, at the time the officer demands one Surety, which is

[Revenue Minister]

to give and mortgage his entire property worth Rs 5,000 where as your honour can just imagine that a poor Schedule Caste who has already got no means of earnings can not provide such a heavy amount surety, and many a times it happens that no body gives his surety and he cannot get the land.

2. That this restrictions of providing surety be abolished and should not be taken by a poor harijan. And in case it is most necessary only to fulfil the figure then this surety be taken by an subsequent Harijan of the same category. And the best, which is usually done by the Government, in their own Schemes that this land be mortgaged till the full amount is paid by the purchaser, i.e., hire purchase system, but this should not include the interest. Because this amount is to be considered as Welfare Trust.

3. That according to the Government orders and scheme the price per Acre is reserved at the rate of Rs 450 per acre, but at the time of auction this amount increases much more than that and the whole amount increasing to Rs 5,000 is recoverable at the time of auction. The petitioners submit that when the Government has fixed the price per Acre for the welfare of Schedule Caste persons, then what is the purpose of auctioning the land why should not that be allotted accordingly. Hence this condition of paying the balance exceeding Rs 5,000 should be abolished and the land should be allotted according to Government provisions.

4. That at the time of auction the Officer present announces that this amount of Rs 5,000 is recoverable within ten years, your honour can just imagine that in the crisis of prices, can a cultivator spare Rs 500, should not it be better that this Rs 5,000 should be recovered according to Government provisions within 30 years in equal instalments, without charging any interest on this amount.

5. That at the time of Registration, it is enquired from the purchaser whether he is to pay any Tacavi or loan to the Government and in case he is to pay anything to the Government his registration is denied and that amount due is demanded from him and in case he does not pay he cannot get the land registered. This condition be also waived.

Keeping in view the above difficulties, the humble petitioners beg to submit that all the difficulties should be avoided keeping in view the Harijans and Schedule Castes Welfare.

It is further prayed that the Schedule Castes Persons also be provided the same facilities in Urban areas in Cities.

Sd/-.
BAHAL SINGH GILL,
Secretary,
House No. 52, Galli No. 5,
Basti Bhathian,
Ferozepore City.

Yours faithfully,
Sd/-
MASTER TARA SINGH TIKKA,
President.

AUCTION OF EVACUEE SURPLUS LAND IN THE STATE

2096. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government that the auction of the evacuee surplus land in the State should be limited to the Harijans alone and the successful bidders allowed to pay the price of lands in instalments spread over 10 years, if so, the details thereof; and the time by which it is likely to be finalized.

Sardar Harinder Singh Major : The State Government decided on 7th September, 1964 that barring a few categories excluded earlier, all available surplus rural evacuee lands (not in occupation of any person) should be disposed of by public auction, restricted to Harijans. The price was to be recovered in lumpsum. To enable Harijans to purchase such lands, Government has advanced a sum of Rs 2 crores as loans. Harijans are advanced loans equal to the price of the land subject to a maximum Rs 5,000 recoverable in 20 half yearly instalments.

GRATUITY FOR OPERATIONAL/TECHNICAL STAFF OF PUNJAB ROADWAYS

2099. Ch. Chuhar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the clerical staff of the Punjab Roadways are entitled to get gratuity after retirement.

(b) whether it is also a fact that the Operational and Technical staff (Drivers, Conductors, Fitters and Mechanics), are not being given the benefit of gratuity after retirement, if so; the reasons therefore;

(c) whether Government have received any representations from the Roadways Union or employees or from any one else regarding the grant of benefit of gratuity to the staff mentioned in part (b) above, if so, when; and a copy each of those representations be laid on the Table of the House;

(d) the action, if any, taken or proposed to be taken on the representations mentioned in part (c) above ?

Shri Ram Kishan : (a) Gratuity is admissible to those who stand confirmed under the Civil Services Rules. Those who are subscribing to the Contributory Provident Fund are not entitled to the gratuity.

(b) Yes. Because they derive benefit out of the Contributory Provident Fund.

(c) No.

(d) Does not arise.

PENDING APPLICATIONS FOR TUBEWELL CONNECTIONS IN TEHSIL PANIPAT, DISTRICT KARNAL

2100. Shri Fateh Chand Vij : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of applications for tubewells connections lying pending in tehsil Panipat, district Karnal, together with their details, villagewise.

(b) the number of applications out of those referred to in part (a) above which have been pending for the last six months or more together with their details, villagewise?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) 308 Nos. (Village-wise detail attached)

(b) 128 Nos. (Village wise detail attached).

List of pending Applications for Tubewell connections in Panipat Tehsil, district Karnal (Village -wise)

Serial No.	Name of Village		Total No. of Tubewell applications	Pending applications more than six months
1.	Chamrara	..	8	1
2.	Khotpura	..	3	..
3.	Mandi	..	5	2
4.	Binjol	..	9	3
5.	Nimbri	..	3	..
6.	Madgauda	..	5	3
7.	Jamal pur	..	7	..
8.	Ujah	..	2	..
9.	Dhar	..	5	3
10.	Kalher	..	5	3
11.	Sewah Kheri	..	3	2

[Public Works and Welfare Minister]

Serial	Name of Village		Total No. of Tuebwell applications	Pending applications more than six months
12.	Kaimla	..	7	4
13.	Gangbar	..	2	..
14.	Urga Kheri	..	10	7
15.	Mohali	..	2	2
16.	Raja Kher	..	4	..
17.	Puthar	..	1	..
18.	Faridpur	..	7	7
19.	Babarpur	..	4	..
20.	Bursham	..	12	11
21.	Behrama	..	1	..
22.	Azizula Pur	...	5	3
23.	Broti	..	5	2
24.	Jhajjek pur	..	4	2
25.	Noorwala	..	2	..
26.	Jondhankalan	..	1	..
27.	Bhalsi	..	2	7
28.	Beholi	..	7	3
29.	Didwari	..	5	..
30.	Garhi Khjoor	..	2	..
31.	Dhingar Majra	..	4	..
32.	Shap pur	..	2	4
33.	Barst	..	10	2
34.	Noorpur Mungla	..	4	..
35.	Nangal Kheri	..	2	2
36.	Dodapur	..	3	6
37.	Panipat S/A	..	8	6
38.	Sewah	..	8	1
39.	Diwana	..	2	1
40.	Khalila	..	2	..
41.	Pasina	..	10	8
42.	Didawa	..	1	6
43.	Garhsarai	..	8	1
44.	Marsang Pura	..	1	
45.	Jattal	..	10	6
46.	Bandh	..	1	7
47.	Naultha	..	1	1
48.	Ishrana	..	1	1
49.	Poundry	..	1	1
50.	Pnory	..	1	11
51.	Simla Gujran	..	5	5
	Smalkha Sub-Division			
52.	Kathwala	..	1	1
53.	Mamodha	..	3	3
54.	Joti Pur	..	11	..
55.	Atta	..	3	..
56.	Krans	..	11	5
57.	Pasina	..	5	..
58.	Kewal Garhi	..	2	..
59.	Bhopra	..	7	...
60.	Sher Nalpura	..	4	..
61.	Patti Kalyana	..	4	..
62.	Machrauli	..	8	1
63.	Jurasi	..	2	...
64.	Dehra	..	9	...
65.	Pauti	..	1	..
66.	Garhi Channu	..	3	...
67.	Naraina	..	2	..
68.	Manana	..	1	..

Serial No.	Name of Village		Total No. of Tubewell applications	Pending applications more than six months
069.	Dikadla	..	4	..
7.	Gaulra	..	4	..
	Total for Smalkha	..	85	10,,
	Total for Panipat Tehsil	..	308	128

Sd/-.
Executive Engineer, Panipat Division,
Panipat

CONSTRUCTION OF A PORTION OF RANGILPUR PURKHALI ROAD IN RUPAR AREA

2103. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Public Works and Wefare be pleased to state—

(a) Whether any amount was sanctioned by Government in 1962 for the construction of a pucca road from Rangilpur to Mianpur which is a portion of kacha road from Rangilpur to Purkhali in Rupar area;

(b) if the reply to para (a) be in the affirmative, whether the above mantioned portion of the road has been made pucca, if no, the reasons therefor:

(c) whether it is intended to make the said portion pucca in the near future or the amount referred to in part (a) has since lapsed ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes. Rs. 5,000 in March, 1962.

(b) No. Only about Rs. 4,382 where spent in March, 1962; the work was later on abondened due to National Emergency caused by Chinese aggression. The question of its construction has again been revised.

(c) Yes. The road will be made pucca. The amount sanctioned has not lapsed.

UPGRADING OF SCHOOL IN AMBALA DISTRICT

2104. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state the names of Government Primary Schools and Government Middle Schools in Ambala District which are proposed to be upgraded to Middle and Higher Secondary Standards, respectively, in the year 1965 ?

Shri Prabodh Chandra : The proposal to upgrade Government Primary Schools to the Middle Standard and Government Middle Schools to High Standard (and not Higher Secondry Standard) in 1965-66 is yet under the consideration of Government. There is no such proposal for 1964-65.

REPRESENTATION FROM COMMUNIST DETENUS

2106. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Home and Developmest be pleased to state where Government has received from any of the 'Left Communists' recently detained by the Government any representation against their detention or relating to their trestment in jails; if so, a copy of the representation be laid on the Table of the House.

Sardar Darbara Singh : Yes. Representations from nearly all the Left Communists against their detention were received. These were considered on merits and rejected. 12 Left Communist detenus submitted a joint representation against their detention and for better treatment in Jails. This has also been considered on merits and rejected. All detenus have been classified for treatment in the Jails according to the rules on the subject.

It is not in public interest to place copies of representations on the Table of the House.

HARIJANS WELFARE SCHEMES IN TEHSIL TARN TARAN, DISTRICT AMRITSAR

2107. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare with reference to the reply to Starred Question No. No. 5969 included in the list of questions for 16th Septembe, 1964 be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to give interest free loans out of a sum of Rs. 3,500 earmarked for the purpose to the applicants of Tarn Taran tehsil who have applied for such loans during the year 1964-65 and whose names have been mentioned in reply to Starred Question No. 5973 included in the list of questions for 22nd September 1964, if so, when and the details there of;

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No.

(b) The applicants belonged to Tarn Taran. Tarn Taran being out of Ajnala Block, these applications were not considered for the grant of loan.

UPGRADING OF SCHOOLS

2108. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether any Primary or Middle Schools in the State are proposed to be upgraded to middle, High and Higher Secondary Standard during 1964-65; if so, the names of such schools and the reasons for their upgrading in each case ?

Shri Prabodh Chandra : No.

COMPLAINT AGAINST ASSISTANT EXCISE AND TAXATION OFFICER, AMBALA

2109. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state—

(a) whether he and the Excise and Taxation Commissioner Punjab have received any representation from Shri D. P. Mohindra,

on behalf of the Business Community of Jagadhri; complaining against the attitude of Shri Duni Chand, Assistant Excise and Taxation Officer, Ambala, on 2nd January, 1965, if so; the details thereof; and the action taken or proposed to be taken thereon ;

(b) whether Government have also received some complaints from other businessmen of Jagadhri in this connection, if so, the action taken or proposed to be taken in the matter ?

Sardar Kapoor Singh : (a) Yes. The complaint is regarding 'humiliating and insulting tone' of the officer. The matter is being enquired into.

(b) Yes. These are also being enquired into.

WATERLOGGED AREA IN THE STATE

2110. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total waterlogged area in the State, districtwise, at present;

(b) the measures being adopted to combat the waterlogging menace and the success so far achieved in this connection;

(c) the total amount allocated for the purpose stated in part (b) above;

(d) whether Government have received any assistance from the Union Government for the purposes, if so, the details thereof ?

(e) the steps taken to check rising watertable in the State ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) District wise figures of water logging are not being maintained by Irrigation Department. However, Canal tractwise waterlogging figures are being maintained and total waterlogged area within 5 feet of the grouud level based on October, 1963, observations is about 26 lacs acres.

(b) Remedial antiwaterlogging measures are :—

(i) Constructing flood protection embankments along rivers to prevent spilling.

(ii) Adequate Drainage system;

(iii) Lining of Irrigation Channels;

(iv) Installing of Shallow antiwaterlogging tubwells;

(v) Construction of seepage drains with pumping schemes where necessary;

(vi) Deep Discharge tubewells.

(vii) Underground draings etc. etc.

[Public Works and Welfare Minister]

Different treatments have to be given to different areas according to the conditions prevalent at site by adopting the above mentioned measures individually or collectively in different combinations. These measures are in different stages of campletion and have been helpful in averting the waterlogging menace to a considrable extent.

(c) Total amount allocated for this purpose during the 2nd and 3rd Five Year Plans is of the order of Rs. 28.46 crores.

(d) Yes. During the 2nd and Third Five-Year Plans loan amounting to Rs. 18.95 crores was provided for this purpose.

(e) With the avalable funds, it has been possible to construct embankments alongwith the subsidiary protection works along the rivers in a length of about 320 miles and drains in the pilot stages in a length of about 3,500 miles.

In addition to this, work on antiwaterlogging Pilot Schemes has been initiated in some areas requiring different treatment. After seeing the results of these Antiwaterlogging Schemes the successful methods will be extended to other areas of the State subject to the availability of the funds.

DAMAGE CAUSED TO TRANSFORMER AT BHAKRA

2111. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether any transformer at Bhakra was damaged in December 1964, if so, the reasons therefor; and the extent of loss so caused.

(b) the capacity of the said transformer in K W.;

(c) the names of the factories that were effected in the matter of supply of power as a result of the said damage;

(d) whether any alternative arrangements were made to supply power to the said factories ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No.

(b, C and D) Does not arise.

ENQUIRIES HELD BY VIGILANCE DEPARTMENT

2114. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of officers and officials of the State Government against whom enquiries were held by the Vigilance Department during the years 1963-64 and 1964-65 to-date together with the name of the respective departments to which each one of them belonged;

(b) the number of enquiries referred to in part (a) above which finally resulted in convictions together with the details thereof;

(c) the details of the charges levelled against each one of the Officers and Officials referred to in part (a) above in district Amritsar together with the details of the charges proved against them and the nature of punishment awarded or the action taken in cach case ?

Shri Ram Kishan (a) The Vigilance Department held enquiry against—

(i) 371 Officers/Officials during 1963-64 and
(ii) 161 Officers/Officials during 1964-65 (to-date).

The Department-wise break-up of these. Officers/Officials is given in annexure I.

(b) No.

(c) The time and labour involved in collecting the information in regard to the details of the action taken against each Officers/Officials will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

ANNEXURE I

Statement showing the department-wise details of officers/officials against whom inquiries were held by the vigilance Department during 1963-64 and 1964-65 (to date).

Name of the Department		Number of officers / officials against whom inquiries were held by the Vigilance Department during	
		1963-64	1964-65 (to date)
Animal Husbandry	..	8	3
Agriculture	..	2	2
Consolidation	...	2	...
Development and Panchayat	..	26	11
Education	...	15	4
Punjab Civil Secretariat	..	1	2
Co-operative	..	2	8
Controller of Stores, Punjab	..	5	1
Civil Supplies	..	..	3
Excise and Taxation	..	9	4
Forest	...	3	8
P.W.D., B & R	...	65	32
Irrigation	...	119	42
Punjab State Electricity Board	...	8	2
Industries	..	1	2
Health	...	31	15
Hospitality Organisation	..	4	..
Revenue	..	34	5
Jail	..	1	..
Labour and Printing	...	6	1
Local Bodies	..	2	..
Police	..	3	4
Sports	..	3	2
I.A.S.	..	1	1
P.C.S.	..	20	7
District Attorney	..	..	1
Home Guards	..	..	1
Total	...	**371**	**161**

'BRIDGES TOLL' LEVIED ON BRIDGES

2115. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) The total number of bridges in the State where 'Bridge Toll' is being levied at present;

(b) The total amount of bridge Toll realised from the bridges mentioned in part (a) above;

(c) the amount of the Toll realised from each of the Bridges up-to-date;

(d) the period upto which the collection of this said "Toll" is likely to continue in each case.

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Eight

(b) Rs. 40,94,637.82 np.

(c) Rupar bridge (upto 31-1-65)	4,01,998.00
Sirsa Bridge (upto 31-1-65)	9,02,737.00
Sadhaura Bridge (upto 31-3-64)	79,693.00
Shebi Nadi Bridge (upto 31-1-65)	4,41,538.30
Harike Bridge (upto 31-1-65)	11,67,628.33
Khanauri Bridge (upto 31-1-65)	7,27,116.64
Swan Nadi Bridge (upto 31-1-65)	2,66,596.00
Dera Gopipur Bridge (upto 31-3-64)	1,07,330.55

(d) For an indefinite poriod.

MEDICAL AND RESEARCH INSTITUTE, CHANDIGARH

2116. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the details of the expenditure so far incurred by Government on the Medical and Research institute at Chandigarh;

(b) the number of students studying in the Institute referred to in part (a) above together with the name of the Department in which each is studying;

(c) the names of the persons working on the staff of the said Institute together with their qualifications and their present salary in each case;

(d) whether it is a fact that the accounts of the said Institute have not been audited so far, if so, the reasons for the same, if the accounts have been checked the details of the irregularities, if any, detected by the Auditors ;

Shri Prabodh Chandra : (a), (b) and (c). The information is as follows. (Annexures 'A', 'B' and 'C').

(d) No. The Accounts of the Post-Graduate Institute, Chandigarh have been audited thrice, i. e. in April, 1963; January, 1964; and November, 1964, Last audit report is still awaited and no serious irregularities were detected by the Auditors during the course of their first two audits.

ANNEXURE 'A'

Details of Expenditure are given below

		Rs
1959-60 P. G. I. Main Scheme	..	2,13,056.00
1960-61 P.G.I. Main Scheme	..	11,74,467.00
1961-62 P.G.I. Main Scheme	..	17,41,695.38
1962-63 P.G.I. Main Scheme	..	24,51,278.49
Grant under 29 Medical Non-plan	..	10,35,000.67
1963-64 P.G.I. Main Scheme	..	34,03,704.15
Contingent Expenditure-Rediographers	...	16,576.73
Contingent Laboratory Technicians	..	30,193.05
Contingent Nurses	...	17,825.80
Contingent Dental Hygienists	..	29,992.36
Total	..	34,98,292.09

1964-65 Upto December, 1964

		Rs.
P.G.I. Main Scheme	..	31,60,728.96
Radiographers	..	5,663.85
Dental Hygienists	..	10,670.35
Laboratory Technician	..	..
Nurses	..	73,746.26

ANNEXURE 'B'

Total number of students studying at the Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Chandigarh	.. ..	226
Medical	..	94
Para Medical	..	132

Break up of Students studying in various Departments of this Institute.

Post Graduate Students

1.	Surgery Department	..	20
2.	Medicine Department	..	24
3.	Ophthalmology Department	..	10
4.	Obstt. and Gynaecology Department	..	13
5.	Radiology Department	..	2
6.	Biochemistry Department	..	1
7.	Pathology Department	..	5
8.	E.N.T. Department	..	5
	Total	..	80

[Education and Local Government Minister]

Short course M.D./M.P. for six months.

Radiology Department .. 14

Laboratory Technician Course

Pathology Department .. 10

General Nursing Course

Number of students .. 110

Radiographers Course

Number of students .. 9

Post basic nursing course

Number of students .. 3

ANNEXURE "C"

List of Teaching Staff of the Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Chandigarh

DEPARTMENT OF SURGERY

Serial No.	Name and qualifications	Designation	Salary
			Rs
1.	Dr. S.S. Anand, F.R.C.S. (Eng), F.A.C.S., F.C.C.P., F.A.M.S.	Director. Professor of Surgery and Director of the Institute	3,500
2.	Dr. K.N. Kasayap, M.S. (Pb), F.R.C.S. (Eng.)	Professor of Surgery	2,500
3.	Dr. D.R. Gulati, M.S., Diploma in Neuro-Surgery	Additional Professor of Neuro-Surgery	1,760
4.	Dr. I.C. Pathak, M.S.	Associate Professor of Surgery	1,480
5.	Dr. I.A. Chitamber, M.S., F.A.C.S.	Associate Professor of Cardiotaoracic Surgery	1,420
6.	Dr. V.K. Saini, M.S., F.A.C.S., F.C.C.P., F.A.C.A.	Ditto	1,300
7.	Dr. B.L. Talwar, M. S. (Bom.), F.R.C.S. (Eng).	Assistant Professor of General Surgery	1,250
8.	Dr. H.S. Sachdev, M.S.	Ditto	1,100
9.	Dr. Kuldip Singh, M.S., F.R.C.S.,	Ditto	11,00
10.	Dr. P. N. Kataria, M. Sc., F.R.C.S. (C)	Assistant Professor of Urology	1,100
11.	Dr. D.S. Grewal, F.R.C.S.	Assistant Professor of Orthopaedic Surgery	1,075
12.	Dr. C.P. Sawhney, M. S., Proceeded abroad	Senior Lecturer in Plastic Surgery	..
13.	Dr. M.S. Valiathen, Ch. M., F.R.C.S. (Eng). F.R.C.S. (Ed).	Senior Lecturer in General Surgery	1,020

Serial No.	Name and qualifications	Designation	Salary
14.	Dr. I.P. Sahni, M.S. , F. R. C. S., (Eng), F.R.C.S. (Ed). Proceeded aborad	Senior Lecturer in Urology ..	..
15.	Dr. M.P. Singh, F.R.C.S. (Ed). Proceeded aborad ..	Senior Lecturer in Thorocic Surgery ..	..
16.	Dr. A.C. Chadha, F.R.C.S., (Eng). ..	Senior Lecturer in General Surgery ..	1.020
17.	Dr. B.S. Brara, F.R.C.S. (Eng). ..	Lecturer Surgery ..	900
18.	Dr. J. S. Gujral F.R,C.S. (Eng) ..	Lecturer Thoracic Surgey ..	90 0
19.	Dr. Shivdev Singh, M.S. ..	Lecturer in Paed-Surgery ..	685
20.	Dr. Tulsi Dass, M.S. ..	Lecturer in General-Surgery..	685
21.	Dr. S.P. Jyoti, M.S. ..	Registrar in Surgery ..	685
22.	Dr. D.C. Srivastava, M.S. ..	Registrar in Surgery ..	561
23.	Dr. Y.S. Bhandari, M.S. ..	Registrar in Neuro-Surgery ..	561
	DEPARTMENT OF MEDICINE		
24.	Dr. P.N. Chhuttani, M.B.B.S., D.T.M. and M.D. (Pb.) ..	Director Professor of Medicine and Dean of the Institute ..	3,500
25.	Dr. J.N. Berry., M.B.B.S., M.B.M.R. C.P., D.C.H. (Pb. and Lucknow)	Professor of Medicine ..	2,300
26.	Dr. P.L. Wahi, M.D. (Pb.), F.R.C.P. ..	Associate Profes or ...	1,300
27.	Dr. R.N. Chakarvarti, M.B.B.S., D.T.M. and H.S., D.Ph. D.	Assistant Professor ...	1,100
28.	Dr. P.S. Bidwai, M.D. ..	Ditto ...	1,300
29.	Dr. N. N. Wig., M.D. (Lucknow) D. Pb. (Eng) R.C.P.S. (Eng.), D.P.M.	Ditto ...	1,150
30.	Dr. A.K. Sehgal, M.D. ..	Ditto ...	1,100
31.	Dr. K.S. Chugh, M.D. ..	Senior Lecturer ..	900
32.	Dr. O.N. Bhakoo, M.D.D., C.H. (Paed)	Ditto ..	900
33.	Dr. G.K. Rastogi, M.B.B.S., M.R.C.P. (Lond) M.R.C.P. (Ed).	Ditto ..	900
34.	Dr. K.C. Bhargava M.D. ..	Lecturer ..	900
35.	Dr. Anand Parkash M.D. ..	Do ..	685
36.	Dr. Livtar Singh, M.D. ..	Do ...	765
37.	Dr. M.S. Grewal, Ph. D. ..	Lecturer in Parasitology (Experimental Medicine)	685
38.	Dr. M.S. Thind, M.D. ..	Registrar ..	595
39.	Dr. O.N. Markand M.D. ..	Do ..	625
40.	Dr. R.K. Chandra, M.D. ..	Do ..	561
41.	Dr. R.K. Sareen, M.D. ..	Do ..	594
42.	Dr. J.C. Mongla, M.B.B.S. ..	Research Assistant ...	460
43.	Dr. H.N. Khatri., M.B.B.S., M.R.C.P.	Registrar ...	595

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name and qualifications	Designation	Salary
44.	Dr. A.K. Sarkar, Ph. D. ..	Lecturer ..	660
45.	Dr. K.K. Gupta ..	Registrar (Experimental Medicine) ..	561
46.	Dr. S.K. Dutta, M.D. ..	Ditto ..	495
47.	Dr. (Miss) A. Malik, M.D. ..	Ditto ..	450
	DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY		
48.	Dr. J.S. Gupta, M.B.B.S., D.O.M.S. (Pb.), M.S. (Luck), F.R.C.S. (Eng)	Assistant Professor ..	1,100
49.	Dr. S.D. Paul, M.B.B.S. (Luck), D.O. M.S. (Oph).	Ditto ..	1,100
50.	Dr. I.S. Jain, M.B.B.S. (Luck) D.O., (Lond), F.R.C.S.	Ditto ..	1,100
51.	Dr. G.S. Malhotra, M.S. (Oph) ..	Senior Lecturer ..	1,020
52.	Dr. Sahdev Gupta, M.B.B.S., F.R.C.S. (Edin)	Senior Lecturer ..	900
53.	Dr. V.N. Sehgal, M.B.B.S., M.S. (Oph).	Lecturer ..	685
54.	Dr. D.D. Adlakha, M.B.B.S., (Pb.) D.O. (Ali), M.S. (Ophth.)	Registrar ..	594
55.	Dr. D.V. Batra D.O., M.S.	Do ..	595
	DEPARTMENT OF E.N.T		
56.	Dr. Y.N. Mehra M.B.B.S., S.M. Sc. (Neuro), Cert. Specialist, Diploma American Board of Otoli F.R.C.S.	Assistant Professor ..	1,100
57.	Dr. M.M.L. Arora, R.C.S.F., R.C.S., M.B.B.S., Certified Specialist of Otoler Gugology	Senior Lecturer. October of ..	960
58.	Dr. V.P. Sachdeva, M.B.B.S., D.L.O., R.C.S. Canada, F.R.C.S.	Lecturer ..	805
59.	Dr. B.S. Gill, M.B.B.S. (Pb.), D.L.O., F.R.C.S.	Do ..	805
60.	Dr. B.D. Moudgal, M.S. ..	Do ..	520
60-A.	Dr. S.P. Popli, M.B.B.S., M.S. ..	Registrar ..	520
61.	Dr. J.N. Bhatia M.B.B.S., M.S. ..	Research Assistant ..	595
	DEPARTMENT OF PATHOLOGY		
62.	Dr. B.K. Aikat, M.B.B.S., M.D., D.C.P. Ph. D. (Lond).	Director Professor ..	1,900
63.	Dr. Gurbachan Singh, M.B.B.S., M.D., M.C. Path. (Lond).	Assistant Professor ..	1,150
64.	Dr. B.N. Datta, M.D., ..	Senior Lecturer ..	980

Serial No.	Name and qualifications	Designation	Salary
			Rs
65.	Dr. (Mrs.) M. Makat, M.B.B.S., D. Phil	Senior Lecturer ..	980
66.	Dr. Raminder Gill M.B.B.S.	.. Tutor ..	5 20
67.	Dr. Mrs. Shobha Sehgal, M.B.B.S.	.. Do ..	520
68.	Dr. Pratibha Devi Ahuja, M.B.B.S.	.. Do ..	495
69.	Dr. Mohini Malhotra, M.B.B.S.	.. Do ..	495
	DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY		
70.	Dr. S. C. Aggarwal, M.B.B.S., M. D. Ph. D.	Associate Professor ..	1,500
71.	Dr. K.C. Aggarwal, M.B.B.S., M.D., D. Bact. (Lond.)	Assistant Professor ..	1,100
72.	Dr. H.C. Chopra, M. Sc., (Hons), Ph. D.	Senior Lecturer ..	900
73.	Dr. K.S. Thind., Ph. D. Microbiology	Lecturer ..	960
74.	Dr. (Mrs) P. Talwar, M.B.B.S.	.. Tutor ..	520
75.	Dr. (Mrs) Bimla Paul, M.B.B.S.	.. Do ..	550
	DEPARTMENT OF RADIOLOGY		
76.	Dr. Kundan Lal, M.B.B.S., D.M.R.T.	Associate Professor ..	1,950
77.	Dr. J.S. Sodhi, D.R.M., D.M.R.D.	.. Assistant Professor ..	1,100
78.	Dr. Brij Bala, M.B.B.S., D.M.R.D.	.. Senior Lecturer ...	900
79.	Dr. (Mrs) M. Saini, M.B.B.S., D.M.R.E.	Lecturer ..	73
80.	Dr. (Mrs) Pushpa Wahi, M.B.B.S.	.. Tutor ..	5205
81.	Dr. G.S. Lamba, M.B.B.S.	.. Do	495
82.	Dr. V.P. Sharma, M.B.B.S., D.M.R.E.	Do ..	595
	DEPARTMENT OF ANAESTHESIA		
83.	Dr. S. Mehta, M.B.B.S., F.F.A., R.C.S.	Associate Professor ...	1,420
84.	Dr. Chanan Singh, M.B.B.S., D.A.	.. Assistant Professor ..	1,150
85.	Dr. R.S. Narang, M.B.B.S., D.A., M.S.	Ditto ..	1,350
86.	Dr. B.R. Mittal, M.B.B.S. (Pb), D.A.	.. Lecturer ..	685
87.	Dr. (Mrs) Gursharan Kaur, M.B.B.S., D.A.	Junior Lecturer ..	685
88.	Dr. S.K. Pandit, M.B.B.S. D.A.	.. Lecturer ..	685
89.	Dr. Y.S. Verma, M.B.B.S., D.A.	.. Lecturer ..	685
90.	Dr. Rubmani Pandit, M.B.B.S., D.A.	.. Tutor ..	450
	DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY		
91.	Dr. P. Venkateswarlu, D. Sc., (Biochem) Ph. D. (Physiological) Chemistry.	Additional Professor ..	1,600
92.	Dr. S.P. Mohgia, M.B.B.S., M. Sc.	.. Assistant Professor ..	1,100
93.	Dr. M.K. P. Amma, M.Sc., Ph. D.	.. Lecturer ..	715
94.	Dr. Ravindera Nath, M. Sc. Ph. D.	.. Senior Lecturer ..	900
95.	Dr. Mrs. D.S. Sharma, M.Sc.	.. Lecturer ..	765
96.	Mrs. S.K. Thind, M.Sc.	.. Tutor ..	520
97.	Shri Gopal Saran Gupta, M. Sc.	.. Tutor ..	520
98.	Dr. S.K. Srivastya M. Sc., Ph. D.	.. Do ..	685
	DEPARTMENT OF BIOPHYSICS		
99.	Dr. H.V. Gundu Rao, M. Sc., Ph. D.	.. Assistant Professor ..	1,200
100.	Dr. Satish Chander, M.Sc., Ph. D., F.R.M.S.	Ditto ..	11,00

Serial No.	Name and qualifications	Designation	Salary
	DEPARTMENT OF BIOPHYSICS—concld		Rs
101.	Shri Vidya Bhushan, M.Sc.	.. Lecturer	.. (Pay slip not received)
102.	Shri Rati Ram Sharma, M. Sc.	.. Tutor	.. 520
	DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY		
103.	Dr. S.R. Dhall. M.B.,B.S., M.S.	.. Director Professor	.. 3,000
104.	Dr. A.N. Gupta, D.G.O.M.D.	.. Assistant Professor	... 1,100
105.	Dr. Kamla Dhall. M.D.	.. Lecturer	.. 685
106.	Dr. Gian Indra Dhall, M.R.C.O.G.	.. Do	.. 685
107.	Dr. J.K. Jhans, M.D.	.. Registrar	.. 561
	DEPARTMENT OF BLOOD TRANSFUSION AND CLINICAL LABORATORY		
108.	Dr. J.G. Jolly, M.B.,B.S., M.D. Diploma, L.S.M.F.	Head of the Clinical Laboratory	1,100
109.	Dr. Brij Mohan Sarup, M.B.,B.S.	.. Assistant Clinical Pathalogist	.. 460
110.	Dr. R.C. Mahajan, M.B., B.S.	.. Assistant Bacteriologist	.. 410
111.	Shri Kartar Singh, M. Sc.	.. Assistant Biochemist	.. 410
112.	Dr. K.K. Khurana, M.B., B.S.	.. Assistant Pathologist	.. 350
	DEPARTMENT OF SANITARY ENGINEERING		
113.	Dr. Sudarshan Kumar Malhotra, Ph. D.	.. Assistant Professor	.. 1,075
	DEPARTMENT OF DENTISTRY		
114.	Dr. H.S. Cooner, B.D.S., F.D., S.R.C.S.	Senior Lecturer	.. 1,060
115.	Dr. Amrit Tewari, B.D.S.	.. Tutor	.. 520
116.	Dr. Ashima Valiathan, B.D.S.	.. Do	.. 520
	DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY		
117.	Dr. Ranjit Roy Chaudhary, M.B.,B.S., D. Phil (Oxon)	Professor	.. 2,000
118.	Dr. P.L. Sharma, M.Sc. Ph. D.	.. Assistant Professor	.. 1,100
119.	Dr. V.S. Mathur, M.D.	.. Lecturer	.. 685
120.	Dr. (Miss) Suraj Ohri, M.B.,B.S.	.. Tutor	.. 450
	DEPARTMENT OF EPIDEMIOLOGY		
121.	Dr. Raj Kumar Vohra, M.A., P.S.C.	.. Tutor	.. 520
	DEPARTMENT OF ANATOMY		
122.	Dr. Pushpa Bhargava, M.S.	.. Tutor	.. 520
	CENTRAL REGISTRATION		
123.	Mr. Hari Dass Gupta, M.A.	.. Junior Biostatistician	.. 460

Serial No.	Name and qualifications	Designation	Salary
			Rs
	DEPARTMENT OF LIBRARY		
124.	Mr. Surinder Singh, M.A. Diploma in Library Science	Librarian ...	410
	DEPARTMENT OF PHOTOGRAPHY		
125.	Mr. Gurinder Singh Sekhon, Diploma in Photography	Assistant Cl. Photographer ..	350
	DEPARTMENT OF PHARMACY		
126.	Dr. K.K. Kaistha, Ph. D. (Pharmaceutical) ..	Superintendent, Pharmacy ..	735
127.	Shri Ram Lal Gupta, M. Pharm. ..	Pharmacist ..	410
128.	Shri Ram Muni, B. Sc., B. Pharm. ...	Do ..	354
	HOSPITAL		
129.	Lt. General S.P. Bhatia, M.B., B.S. L.R.C.P., M.R.C.S.	Medical Superintendent ..	1,800
130.	Shri L. C. Sardana, B. Com, A.I.C.W.A. (Associate Member of Institute of Cost and Works Acctts. of India)	Financial Advisor ..	960
131.	Miss J. M. Mc Lellan, Diploma in Nursing-Admn. (Hospital) from Royal College of Nursing	Nursing Superintendent ..	605

Information regarding Name Designation, Qualifications and present pay of the Non-Gazetted Staff attached to the Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Chandigarh.

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs
1.	Shri Dharam Vir ..	Head Assistant ..	B.A. (English) ..	354.37
2.	Shri Des Raj Bali ..	Assistant Superintendent	B.A. ..	331.87
3.	Shri Onkar Nath ..	S.A.S. Accountant ..	B.A., S.A.S. ..	297.81
4.	Shri O.P. Madan ..	Ditto ..	F.A. with Honour in Urdu, S.A.S.	336.87
5.	Shri Dharam Pal ..	Assistant ..	B.A. ...	207.00
6.	Shri Piara Singh ..	Do ..	B.A. ..	207.00
7.	Shri Ram Parkash Bagai ..	Cashier ..	B.A. ..	248.31
8.	Shri Gurcharan Singh Bhatia	Assistant ..	B.A. ...	198.00
9.	Shri Gurdial Singh ..	Do ..	B.A., LL.B. ..	189.00
10.	Shri Gurbachan Singh ..	Do ..	B.A. ..	189.00
11.	Shri Om Parkash Sharda ..	Do ..	B.A. ..	189.00
12.	Shri Faqir Chand ..	Do ..	B.A. ..	189.00
13.	Shri Ram Lal Sharma ..	Do ..	B.A., LL.B. ..	198.00

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salar
14.	Shri Gurcharan Singh ..	Senior-scale Stenographer	B.A. (English) ..	270.31
15.	Shri M.K. Thomas ..	Ditto ..	Matric ..	247.81
16.	Shri Gobind Ram ..	Ditto ..	B.A. ..	231.25
17.	Shri Rajinder Kumar ..	Ditto ..	B.A., LL.B. ..	231.25
18.	Shri Ojinder Singh ..	Ditto ..	B.A. ..	231.25
19.	Shri Jit Singh ..	Ditto ..	Senior Cambridge ..	320.62
20.	Shri Jagdev Singh ..	Ditto ..	B.A. ..	231.25
21.	Shri Sham Sunder Sharma ..	Ditto ..	B.A. ..	231.25
22.	Shri Sundar Lal ..	Stenographer ..	B.A., LL.B. ..	198.00
23.	Shri Krishan Chander ..	Junior-scale Stenographer ..	Matric, F.A., English and Adibfazil	176.25
24.	Shri Hari Chand ..	Ditto ..	Matric, F.A. English, Prabhakar	176.25
25.	Shri Jagjit Singh ..	Ditto ..	Matric ..	176.25
26.	Shri Krishan Lal Sabharwal	Ditto ..	Prabhakar, F.A. English	170.62
27.	Shri Som Nath ..	Junior-scale Stenographer	Matric	170.62
28.	Shri Sham Dass ..	Ditto	Do	170.62
29.	Shri S. K. Khurana ..	Ditto	B.A. ..	155.00
30.	Shri Faquir Chand ..	Ditto	Higher Secondary	155.00
31.	Shri Paramjeet Singh ..	Ditto	Matric	155.00
32.	Shri Harmesh Kumar ..	Steno-typist ..	T.D.C. Part I	131.37
33.	Shri Amrit Lal Sharma ..	Senior Store keeper	B.A. ..	189.00
34.	Shri Raj Krishan ..	Assistant Store keeper	Matric	119.00

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs
35.	Shri Dharam Singh	.. Assistant Storekeeper	Matric ...	119.00
36.	Shri Krishan Kumar	.. Store Clerk	.. Do ...	119.00
37.	Shri Hans Raj	.. Assistant Storekeeper	Do ...	119.00
38.	Shri Raghbir Singh	.. Store Clerk	.. Do ..	119.00
39.	Shri Mukhtiar Singh	.. Accountant	.. Intermediate	173.75
40.	Shri Sarup Singh	.. Clerk	.. Matric, F.A. English, Giani	128.00
41.	Shri Siri Ram Sharma	.. Do	.. Intermediate ..	128.00
42.	Shri Balbir Singh I	.. Do	.. Matric ..	128.00
43.	Shri Subhash Chander	.. Do	.. Do ..	119.00
44.	Shri Kewal Krishan	.. Do	... Do ...	128.00
45.	Shri Balbir Singh II	.. Do	.. Do ..	119.00
46.	Shri Ajmer Singh	.. Do	.. Do ..	119.00
47.	Shri Dev Raj	.. Do	.. Do ..	123.50
48.	Shri Mit Singh	.. Do	.. Do ..	119.00
49.	Shri Jagmohan Singh	.. Do	.. Do ..	119.00
50.	Shri Gurdial Singh Kamboj ..	Do	.. Higher Secondary	119.00
51.	Shri Devi Dayal	.. Do	.. Matric ..	119.00
52.	Shri Kharaiti Lal	.. Do	.. Do ..	110.00
53.	Shri Ram Bilas	.. Do	.. Intermediate ..	114.50
54.	Shri Pritam Chand	.. Do	.. T.D.C. Part II	114.50
55.	Shri Om Parkash Luthra	.. Do	.. Matric	114.00
56.	Shri Jagdish Ram	.. Do	.. Do ...	114.50
57.	Shri Tulsi Ram	.. Do	... Do ..	114.50
58.	Shri Rajinder Lal	.. Do	.. Do ...	119.00
59.	Shri Som Nath	.. Do	.. Do ..	114.50
60.	Shri Roop Lal Kalia	.. Do	.. Higher Secondary	119.00
61.	Shri Manohar Lal Mehta	.. Do	.. Matric ..	114.50
62.	Shri Mohan Lal	.. Do	.. Do ..	114.50

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
63.	Shri Om Parkash Bhatia ..	Clerk	.. Matric with Prabhakar	114.50
64.	Shri Randhir Singh ..	Do	.. Higher Secondary	114.50
65.	Shri Jagdish Lal ..	Do	.. Matric ..	114.50
66.	Shri Sham Lal ..	Do	... Do ..	110.00
67.	Shri Vinod Kumar ...	Do	... Do ..	110.00
68.	Shri Dushyant Kumar ...	Do	... Do ...	110.00
69.	Shri Jagdish Singh ...	Do	... Do ...	110.00
70.	Shri Prem Chand ..	Do	... Prep. ...	114.50
71.	Shri Dina Nath ...	Do	... Matric ...	114.50
72.	Shri Rajnish Gautam ...	Do	... Do ...	110.00
73.	Shri Ramesh Chander ...	Do	... Do ...	110.00
74.	Miss Sharda Rani ...	Do	... Do ...	110.00
75.	Shri Devinder Pal Singh ...	Do	... Higher Secondary	110.00
76.	Shri Walaiti Ram ..	Do	.. Matric ..	123.50
77.	Shri Balbir Singh III ...	Do	... Do ...	123.50
78.	Shri Om Parkash Bhardwaj	Do	... Do ...	110.00
79.	Shri Inder Kumar ..	Do	... Do ...	110.00
80.	Shri Jaswant Singh ..	Do	.. F.A. ..	110.00
81.	Shri Jinender Kumar ...	Do	... Do ..	132.50
82.	Shri Dhani Ram ...	Do	... Matric ...	123.50
83.	Shri Ajaib Singh ..	Do	... F.A. ..	110.00
84.	Shri Satish Kumar ..	Do	.. T.D.C. Part I ..	110.00
85.	Shri Banwari Lal ..	Do	... Pre-University	110.00
86.	Shri Bhim Singh ..	Do	.. Matric ..	110.00
87.	Shri Sham Lal II ..	Do	.. Do ..	110.00
88.	Smt. Pushpa Devi ...	Do	.. Intermediate ...	110.00
89.	Smt. Sushila Devi ..	Do	.. Matric ...	110.00
90.	Shri Bal Krishan ..	Do	.. Pre-University	119.00
91.	Shri Bhagwan Dass ..	Do	.. Matric ...	110.00

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs
92.	Smt. Nirmal Kanta	.. Clerk	.. Matric ..	110.00
93.	Shri Avtar Singh	.. Do	.. Do ..	110.00
94.	Shri Om Parkash Sharma	.. Do	.. F.A. ..	110.00
96.	Shri Tara Singh	.. Computor	.. F.A. English ..	187.50
97.	Shri Kewal Singh	.. Do	.. F.A. ...	138.12
98.	Shri Tarlok Nath	.. Do	.. Do ..	138.12
99.	Shri Raghu Nath	.. Do	.. Matric ..	187.50
100.	Miss Kusum Walia	.. Receptionist (Senior)	B.A. ..	189.00
101.	Shri Krishan Kumar	.. Ditto	.. Do ..	189.00
102.	Shri Hari Krishan	.. Junior-scale Receptionist	.. Matric ...	110.00
103.	Shri Dharam Vir Singh	.. Receptionsist-cum-Cashier	F.A. ..	119.00
104.	Shri Rajinder Singh	.. Time keeper-cum-Accountant	B.A. ...	231.25
105.	Shri Kishore Chand	.. Assistant Cashier	.. Matric Prabhakar (F.A. English)	146.00
106.	Shri Lahori Lal	.. Daroga-cum-Clerk	.. Matric ..	114.50
107.	Shri Tej Singh	.. Receiving and Issuing Clerk	Higher Secondary ..	110.00
108.	Shri Bharpoor Singh Sekhon ..	Organising Secretary	.. B.A., M.S.W. (Agra) ..	268.95
109.	Shri Rasik Bihari Bhatnagar	Library Assistant	.. B.A. diploma in Library Science	270.31
110.	Shri Swaran Singh	.. Ditto	.. B.S.C. diploma Library Science	231.25
111.	Shri Babu Ram	.. Restorer	.. Litrate ..	87.00
112.	Shri Kanshi Ram	.. Do	.. Do	87.00
113.	Shri Chandi Parsad	.. Do	.. A.V. Middle ...	84.75
114.	Shri Vishwa Mitter	... Junior Theatre Master	Matric ...	160.84
115.	Shri Bishambar Singh	.. Driver	.. Litrate ...	113.37
116.	Shri Charan Singh	.. Do	.. Middle ...	123.50
117.	Shri Badan Singh	.. Do	.. Under Middle ..	110.00
118.	Shri Ramji Dass	.. Do	.. Litrate ..	110.00
119.	Shri Hazura Singh	.. Do	.. Do ...	110.00

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs.
120.	Shri Arjan Singh ..	Driver ..	II Class Army Certificate (Roman)	110.00
121.	Shri K. Kapila ..	Senior Technician Cl. Laboratory ..	Matric, diploma in Lab. Techn. course	259.06
122.	Shri Avtar Singh ..	Ditto ..	B. Sc. ..	231.25
123.	Shri Yudhister Pal ..	Ditto ..	Do ..	231.25
124.	Shri Tek Chand Jain ...	Ditto ..	F.Sc., B.A. ..	203.75
125.	Shri Ramesh Chander Markand	Ditto ..	Ditto ..	247.81
126.	Shri Surinder Kumar ..	Ditto ..	Matric, Diploma in Lab. Techn. Course	231.50
127.	Shri Manohar Lal ..	Ditto ..	Ditto	231.25
128.	Shri Avtar Singh Uppal ..	Ditto ..	B.Sc.	231.25
129.	Shri Puran Chand Chadha ..	B. Sc. ..	Do ..	Date regarding their appointment on regular basis is under consideration
130.	Shri Ram Sarup ..	Senior Technician ..	Do	
132.	Shri Ved Parkash ..	Ditto ..	Do ..	203.75
133.	Shri Narinder Sarup ..	Ditto ..	Do ..	203.75
134.	Shri Gurbachan Singh ..	Ditto ..	B.A., F.Sc. ..	203.75
135.	Shri N.C. Goyal ..	Ditto ..	B.Sc. ..	231.75
136.	Shri Prehlad Singh ..	Ditto ..	Do ..	231.75
137.	Shri Brij Mohan Lekhanpal	Ditto ..	Matric/Diploma in Laboratory Tech. Course	203.75
138.	Shri Amar Singh Saini ..	Ditto ...	B.Sc. ...	203.75
139.	Shri Janardan Singh ..	Eye-Technician ...	Matric with Diploma (D.R. Opt.)	143.75
140.	Shri Surinder Parkash ...	Ditto ..	Ditto ..	143.75
141.	Shri Joginder Singh ...	Ditto ...	Ditto ...	143.75
142.	Shri Hari Om Rastogi —	Ditto —	B.A. II Part and D.R. Opt.	138.12
143.	Shri Ajat Shatru Sehgal ..	Ditto ..	Matric and D.R. Opt. ..	138.12

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs
143.A	Shri Ashok Kumar	Eye-Technician	Matric and D. R. Opt.	138.12
144.	Shri Gurmail Singh Sidhu	Technician Radiology	Matric, Diploma Certificate of Radiographer	138.12
145.	Shrimati Mohinder Kaur Gill	Ditto	Ditto	138.12
146.	Shri Sampat Pal	Ditto	Ditto	138.12
147.	Shri Udhya Singh	Ditto	Ditto	204.37
148.	Shri Megh Raj	Ditto	Ditto	132.50
149.	Shri Banarsi Dass	Ditto	Ditto	132.50
150.	Shri Mohider Partap	Ditto	Ditto	132.50
151.	Shri Gian Chand Goyal	Sanitary Inspector	Matric with Diploma in Sanitary Course	132.50
152.	Shri Tejinder Singh	Senior Technician, Radiology	Matric Certificate in Radiography	203.75
153.	Shri Jasbir Singh	Ditto	Ditto	203.75
154.	Shri Raghbir Singh	Ditto	Ditto	203.75
155.	Shri Joginder Singh	Ditto	B.A. (English) Honours in Punjabi, Certificate in Radiographers Course	203.75
156.	Shri Chand Sar	Dental Mechanic	Matric	152.00
157.	Shri J.S. Balla	Foreman	Senior Cambridge	359.37
158.	Shri Uttam Singh	Assistant Mechanic	Middle with experience	155.00
159.	Shri Hans Raj	Ditto	Ditto	155.00
160.	Shri Mehma Singh	Do	Ditto	155.00
161.	Shri Tarlok Singh	Senior Mechanic	Under-Matric with Diploma	320.00
162.	Shri Shiv Ram	Head Tailor	F.A. (English)	231.25
163.	Shri Amrit Lal	Tailor	Matric	155.00
164.	Shri Jagdish Raj	Receptionist (Senior)	B.A.	189.00
165.	Shri Dharm Chand	Tailor	Matric	189.00
166.	Shri Manju Ram	Tailor	Do	155.00
167.	Shri Devi Dayal	Do	Middle	155.00
168.	Shri Satwant Singh	Gas Steward	Matric	353.75

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs
169.	Shri Ram Niwas	Gas Man	Matric	132.00
170.	Shri Jagdish Raj	Dispenser	Matric with Diploma in Dispenser and dressers Course	176.00
171.	Shri Piarya Lal	Do	Ditto	176.00
172.	Shri Amrit Lal	Do	Ditto	176.00
173.	Shri Kushal Singh	Do	Ditto	170.00
174.	Shri Krishan Chand	Do	Ditto	176.00
175.	Shri Jit Ram	Do	Ditto	170.00
176.	Shri Dharshan Singh	Do	Ditto	170.00
177.	Shri Hans Raj Paul	Do	Ditto	170.00
178.	Shri Kamal Parkash Seth	Do	Ditto	170.00
179.	Shri Mohinder Pal Sharma	Do	Ditto	170.00
180.	Shri Agya Paul Kakar	Do	Ditto	170.00
181.	Shri Gurcharan Singh	Do	Ditto	170.00
182.	Shri Vishwa Nath Gupta	Do	Ditto	170.00
183.	Shri Devinder Singh Sethi	Do	Ditto	170.00
184.	Shri Gurcharan Dass	Do	Ditto	155.00
185.	Shri Balvinder Singh	Do	Ditto	155.00
186.	Shri Surjit Singh	Do	Ditto	155.00
187.	Shri Inderjit Lal	Do	Ditto	155.00
188.	Shri Jagmohan Parneja	Do	Ditto	155.00
190.	Shri Magat Rai	Do	Ditto	155.00
191.	Shri Ram Lal	Do	Ditto	170.00
192.	Shri Jaswant Singh Gill	Do	Ditto	170.00
193.	Mrs. Kripal Malik	Medical Social Worker	M. A., Sociology	300.00
194.	Shri Santi Parkash	Junior Tech.	F. Sc. /Certificate/ Diploma in Lab. Tech. Course	149.37
195.	Shri Magar Singh	Ditto	T.D.C. (Part I) Diploma/Certificate	149.37

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs
196.	Shri Bir Singh	.. Junior Technician	.. Matric/Diploma/ Certificate in Lab. Tech. Course	149.37
197.	Shri Dharam Pal	.. Ditto	.. T.D.C. (Part I) Diploma/Certificate in Lab. Tech. Course	149.37
198.	Shri Bhajan Singh	.. Ditto	.. Matric with Diploma/Certificate in Lab. Tech. Course	143.75
199.	Shri Hardiyal Singh	... Ditto	.. Ditto ...	143.75
200.	Shri Harjit Singh	.. Ditto	.. F.Sc. Diploma/ Certificate in Lab. Tech. Course	138.12
201.	Shri Dalvinder Singh	.. Junior Lab. Technician	F. Sc., Diploma/ Certificate Lab. Tech. Course	138.72
202.	Shri Tilk Raj Gautam	.. Ditto	.. Matric, Diploma/ Certificate Lab. Tech. Course	138.72
203.	Shri Gurbachan Singh	.. Ditto	.. F.Sc. Diploma/ Certificate Lab. Tech. Course	138.72
204.	Shri Har Lal Singh	.. Ditto	.. Matric, Diploma/ Certificate Lab. Tech. Course	138.72
205.	Shri Madan Lal	.. Ditto	.. Ditto ..	138.72
206.	Shri Dhanu Ram	.. Ditto	.. Ditto ..	138.72
207.	Shri Mohinder Singh	.. Ditto	.. Ditto ..	138.72
208.	Shri Didar Singh	.. Ditto	.. Ditto ..	138.72
209.	Shri Sat Pal Kataria	.. Ditto	.. Ditto ..	204.37
210.	Shri Joginder Singh	.. Ditto	.. Ditto ..	138.12
211.	Shri Amarjit Singh	.. Ditto	.. Ditto ..	138.12
212.	Shri Charan Singh	.. Ditto	.. Ditto ..	143.75
213.	Shri Ram Rattan	.. Ditto	.. Ditto ..	143.75
214.	Shri Ramesh Chander	.. Ditto	.. Ditto ..	138.12
215.	Shri Banta Parshad	.. Ditto	.. B.A. ..	138.12
216.	Shri Karnail Singh	.. Ditto	.. Matric, Diploma/ Certificate Lab. Tech. Course	138.12
217.	Shri Ram Singh	.. Ditto	.. F. Sc., B.A. ..	132.50

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs
218.	Shri Piara Singh ..	Junior Lab. Technician ..	Matric, Diploma in Lab. Tech. Course	132.50
219.	Shri Gurbax Singh ..	Ditto ..	F. Sc. Diploma in Lab. Tech. Course	132.50
220.	Shri Atma Singh ..	Ditto ..	Matric with Diploma	132.50
221.	Shri Tilak Raj Tuli ..	Ditto ..	F. Sc., Diploma in Lab. Tech. Course	132.50
222.	Shri Gurdip Singh ..	Ditto ..	Matric with Diploma in Lab. Tech. Course	132.50
223.	Shri Om Parkash ..	Ditto ..	Ditto ..	132.50
224.	Shri Kishori Lal ..	Ditto ..	Ditto ..	138.12
225.	Shri Mohan Singh ..	Ditto ..	F. Sc., Diploma in Lab. Tech. Course	138.12
226.	Shri Jai Kishan ...	Ditto ...	Ditto ...	138.12
227.	Shri Harbans Singh ..	[Ditto ..	Matric, Diploma in Lab. Tech. Course	138.12
228.	Shri Narinder Dev Bhatia ..	Ditto ..	Ditto ..	132.50
229.	Shri Harbhjan Singh ..	Ditto ..	Matric without Diploma	132.50
230.	Shri Mohinder Singh ..	Ditto ..	Matric with Diploma in Lab. Tech. Course	132.50
231.	Shri Mohinder Paul Vohra	Ditto ..	Ditto ..	132.50
232.	Shri Sudershan Kumar ..	Ditto ..	Ditto ..	132.50
233.	Shri Krishan Chand Saini ..	Ditto ..	Ditto ..	132.50
234.	Shri S.P. Sabharwal ..	Ditto ..	Ditto ..	132.50
235.	Shri Jagjit Singh ..	Ditto ..	B.Sc., Diploma	132.50
235-A.	Shri Daya Nand Khundya	Ditto ..	Higher Secondary with Diploma in Lab. Tech. Course	132.50
236.	Shri Mohan Singh Kalra ..	Junior Tech. ..	Matric with Diploma in Lab. Tech. Course	132.50

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs
237.	Shri Om Parkash Verma	..Junior Tech.	..Matric wlth Dipaloma in lab. Tech Course	132.50
238.	Shri Om Parkash Nirankari	Ditto	.. Ditto ..	132.50
239.	Shri Sham Lal	.. Overseer	.. Diploma in Horticulture (Matric)	292.81
240.	Shri Gurbax Singh	.. Dark Room Assistant	.. Matric ..	119.00
241.	Shri Jaspal Kohli	.. Ditto	.. Do	119.00
242.	Shri Sat Pal Singh	.. Carpenter	.. Primary ..	132.50
243.	Shri Hans Raj	.. Ditto	.. Do ..	132.50
244.	Shri Harbans Singh	.. Head Constable	.. Middle ..	150.00
245.	Shri Jai Kishan	.. Constable	.. Illiterate	125.00
246.	Shri Jai Singh	.. Do	.. Do ..	125.00
247.	Shri Daleep Singh	.. Do	.. Do ..	125.00
248.	Shri Beghu Ram	.. Do	.. Do ..	125.00
249.	Shri V.P. Kohli	.. Photographer	.. Matric ..	300.00
250.	Shri Wattan Singh	.. Museum Curator,	Matric, Diploma in Lab. Tech. Course	132.50
251.	Shri Gurbachan Singh	.. Junior Lab. Technician	Ditto ..	132.50
252.	Shri Ved Parkash	.. Draftsman	.. B.A., Diploma in Draftsman	231.75
253.	Shri Madan Lal Sardana	.. Assistant Store keeper	Matric ..	150.00
	NURSING STAFF			
1.	N. Raza	.. Nursing Sister	.. Matric, Registered A Grade Staff Nurse and Midwife Training	367.06
2.	Harbans Kaur	.. Ditto	Ditto ..	378.31
3.	H.K. Gill	.. Ditto	.. B.A. English, General Nursing and Midwife	355.82
4.	Bela Singh	.. Ditto	.. Matric, General Nursing and Midwife ..	352.34
5.	Santosh Kohli	.. Ditto	.. Intermediate, S. R. N. and C.M.B. Part I ..	289.08
6.	Usha Sapra	.. Ditto	.. B. Sc. (Hons) Nursing ..	300.03
7.	E. Philip	.. Ditto	.. Matric, State Nursing and Midwife ..	289.33

[Education & Local Govt. Minister]

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
8.	Harjinder Kaur ..	Nursing Sister	Matric, State Nursing and Midwife ..	289.08
9.	Amerjit Arora ..	Ditto	Matric and Gyani, General Nursing and Midwife	289.08
10.	S. Relmen ..	Ditto ..	Matric, State Nursing and Midwife ..	289.08
11.	Cutts ..	Ditto ..	Four years General Nursing Course Registered Nurse, from General Nursing Council (England)	289.08
12.	A. Cornfield ..	Ditto ..	Ditto ...	289.08
13.	W. Grover ..	Ditto ...	Higher Secondary ...	289.08
14.	A. Masih ..	Ditto ..	Matric ...	289.08
15.	Swaran K. Ram ..	Ditto ..	Ditto ...	289.08
16.	S. Walia ..	Ditto ..	Ditto ..	316.32
17.	V. Dhan Singh ..	Nursing Tutor	B.Sc. (Hons) Nursing ..	367.06
18.	S. Abharam ..	Nursing Sister ..	Ditto ..	289.08
19.	N.B. Joshi ..	Nursing Tutor	M.A. (Hons) Nursing ..	437.37
20.	Raj Puri ..	House Keeper	Matric, Fruit Preservation Diploma from Agriculture College, Layalpur ..	165.50
1.	Gurcharan Munj ..	Staff Nurse ..	Matric, Registered A Grade Staff Nurse and Midwifery training ..	245.12
2.	Surinder Sukhi ..	Ditto ..	Matric, A Grade Staff Nurse ..	245.12
3.	D. Mangat Rai ..	Ditto ..	Matric, State Nursing and Midwifery training ..	245.12
4.	Ajmer Kaur ..	Ditto ..	F. Sc. and B. A. Nursing and Midwifery training	239.50
5.	C.J. Fredrick ..	Ditto ..	Matric, A Grade Nurse and Midwifery training	239.50
6.	D.D. Gandhi ..	Ditto ..	Matric State Nursing and Midwifery training ..	245.12
7.	Kuldip Kaur Benwat ..	Ditto ..	Matric and General Nursing ..	245.12
8.	Harmohan Kaur Hora ..	Ditto ..	Matric and State Nursing	245.12
9.	Surinder Kaur Gill ..	Ditto	Ditto ..	245.12

Serial No.	Name	Designation	Qualifications	Salary
				Rs
10.	Prem Sharma ..	Staff Nurse ..	Matric, and State Nursing and Midwifery ..	245.12
11.	Surinder Kaur Gill ..	Ditto ..	Matric, State Nursing ..	245.12
12.	T.C. Philip ..	Ditto ..	Matric, General Nursing and Midwifery ..	245.12
13.	Tajinder Kaur ..	Ditto ..	Matric, Gyani, Intermediate and State Nursing	145.12
14.	Suraj Anand ..	Ditto	Matric and Intermediate State Nursing ..	245.12
15.	Malkiat Kaur ..	Ditto ..	Matric, State Nursing ..	145.12
16.	Saroj Bahal ..	Ditto ..	Matric, State Nursing and Midwifery training ..	245.12
17.	P. Bedi ..	Ditto	Ditto ..	245.12
18.	Shila Poters ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
19.	Daulat S. Mall ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
20.	Jaswant Kaur Vaid ..	Ditto ..	Ditto ..	245.12
21.	S.V.Chacko ..	Ditto ..	S. S. L. C. General Nursing and Midwifery training ..	239.50
22.	Rabinder Bawa ..	Ditto ..	Matric, State Nursing and Midwifery Training ..	239.50
23.	Miss Lios B.K. Mall ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
24.	V. Chorlotte Tinku ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
25.	R. Alexendra ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
26.	R. Dethe ..	Ditto ..	Matric State Nursing and Midwifery Training ..	245.12
27.	Kartar K. Dhillon ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
28.	A. Varkey ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
29.	A. Kurion ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
30.	T. Joseph ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
31.	Versha Mehandroo ..	Ditto ..	Matric, Three Years General Nursing ..	239.50
32.	Davinderjit Bedi ..	Ditto ..	Matric, State Nursing and Midwifery ..	239.50
33.	Daisy Perveen Nazz ..	Ditto ..	Matric, State Nursing ..	239.50
34.	V. Sondhi ..	Ditto ..	Matric, State Nursing and Midwifery ..	239.50
35.	Santosh Vij ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name	Designations	Qualifications	Salary
				Rs.
36.	Bimla Kalra ..	Staff Nurse ..	Matric, State Nursing and Midwifery	239.50
37.	Sudershan Bedi ..	Ditto ..	General Nursing and Miswifery Training ..	239.50
38.	Nirmal Duggal ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
39.	Satinder Mathura ..	Ditto	Intermediate State Nursing ..	239.50
40.	P. Massey ..	Ditto ..	Registered A Grade Nurse ..	239.50
41.	Raj Paul Sondhi ..	Ditto ..	Matric, Registered A Gradeand Midwifery ..	239.50
42.	Raj Anaja ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
43.	S.K. Mehta ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
44.	R.G. Masih ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
45.	M.G. Masih ..	Ditto ..	Ditto	239.50
46.	D. Sehgal ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
47.	P. Bhullar ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
48.	S. Sharma ..	Ditto ..	Registered A Grade and Midwifery Staff Nurse	239.50
49.	S.Pradhan ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
50.	K. Nayar ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
51.	P. Abraham ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
52.	A. Gamman ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
53.	Jaswant Bajaj ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
54.	Raksha Kumari ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
55.	Satwant Kaur ..	Ditto ..	Matric,Registered A Grade Staff Nurse ..	239.50
56.	Gurkirpal Kaur ..	Ditto ..	Intermediate, Gyani Registered A Grade Staff Nurse ..	239.50
57.	Kawaljit Kaur ..	Ditto ..	Matric, Registered A Grade Staff Nurse ..	239.50
58.	S. Peter ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
59.	Doris Sylvester Paul ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
60.	Raj Kumari Chug ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50
61.	Adarsh Bala Dhir ..	Ditto ..	Ditto ..	239.50

List of Class IV Employees Including Sweepers

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Salary	Remarks
				Rs	
1.	Amba Dutt	.. Class IV		83.62	
2.	Anand Pal Singh	.. Ditto		83.62	
3.	Arjan Singh	.. Ditto		82.50	
4.	Anand Singh	.. Ditto		83.06	
5.	Ajit Singh	.. Ditto		67.50	
6.	Amrik Singh	.. Ditto		82,50	
7.	Ajaib Singh	.. Ditto		84.19	
8.	Achhru Mal	.. Ditto		82.50	
9.	Angoor Singh	.. Ditto		82.50	
10.	Amar Chand	.. Ditto		82.50	
11.	Amar Nath	.. Ditto		83.06	
12.	Bhagwan Singh	.. Ditto		83.62	
13.	Bhajan Singh	.. Ditto		83.62	
14.	Bhag Singh	.. Ditto		83.62	
15.	Baldev Singh	.. Ditto		67.73	
16.	Bhagat Ram	.. Ditto		83.06	
17.	Bhagat Ram	.. Ditto		83.06	
18.	Bal Mukand	.. Ditto		83.06	
19.	Bala Dutt	.. Ditto		83.06	
20.	Babu Singh	.. Ditto		83.06	
21.	Balbir Singh	.. Ditto		83.06	
22.	Bhajan Singh II	.. Ditto		82.50	
23.	Badri Nath	.. Ditto		83.06	
24.	Brij Lal	.. Ditto		82.50	
25.	Bachi Ram	.. Ditto		82.50	
26.	Bachi Ram	.. Ditto		83.06	
27.	Bhagwan Dass	.. Ditto		83.06	
28.	Budhai Ram	.. Ditto		82.50	
29.	Baldev Singh	.. Ditto		82.50	
30.	Chol Singh	.. Ditto		82.50	
31.	Chet Ram	.. Ditto		86.44	
32.	Chuhru Ram	.. Ditto		82.50	
33.	Deep Ram	.. Ditto		35.07	
34.	Deep Chand	.. Ditto		84.19	
35.	Dan Singh	.. Ditto		83.62	
36.	Diwan Singh	.. Ditto		83.62	
37.	Darwan Singh	.. Ditto		83.62	
38.	Devi Dayal	.. Ditto		83.06	
39.	Dalip Singh	.. Ditto		83.62	
40.	Dalip	.. Ditto		82.50	
41.	Dhani Ram	.. Ditto		82.50	
42.	Daulat Singh	.. Ditto		83.06	
43.	Dharam Singh	.. Ditto		82.50	
44.	Dharam Pal	.. Ditto		83.06	
45.	Dial Singh	.. Ditto		83.62	
46.	Dial Singh	.. Ditto		82.50	
47.	Des Raj	.. Ditto		83.06	
48.	Gurdev Singh	.. Ditto		82.50	
49.	Gurdev Singh	.. Ditto		83.06	
50.	Gurdev Singh	.. Ditto		83.06	
51.	Gurdial Chand	.. Ditto		82.50	
52.	Gulaba Ram	.. Ditto		83.62	
53.	Guman Singh	.. Ditto		83.62	
54.	Gokal Chand	.. Ditto		82.50	
55.	Ghasita Singh	.. Ditto		82.50	
56.	Gurmal Singh	.. Ditto		82.50	
57.	Garib Dass	.. Ditto		83.62	
58.	Gurmukh Singh	.. Ditto		82.50	
59.	Gurcharan Singh	.. Ditto		82.50	
60.	Gurcharan Singh	.. Ditto		82.50	

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Salary	Remarks
				Rs.	
61.	Gian Singh	..	Class IV	83.06	
62.	Dheru Singh	..	Ditto	82.50	
63.	Gobind Singh	..	Ditto	82.50	
64.	Hari Singh	..	Ditto	85.87	
65.	Hari Chand	..	Ditto	83.06	
66.	Hari Dass	..	Ditto	83.06	
67.	Hari Dutt	..	Ditto	82.50	
68.	Harish Chander	..	Ditto	84.75	
69.	Harcharan Singh	..	Ditto	83.06	
70.	Hazura Singh	..	Ditto	82.50	
71.	Harbant Singh	..	Ditto	84.19	
72.	Hira Lal	..	Ditto	83.06	
73.	Hira Lal	..	Ditto	82.50	
74.	Hakumat Singh	..	Ditto	82.50	
75.	Harbans Singh	..	Ditto	82.50	
76.	Inderjeet Joshi	..	Ditto	83.62	
77.	Inder Singh	..	Ditto	86.44	
78.	Ishwar Singh	..	Ditto	82.50	
79.	Jai Singh	..	Ditto	83.06	
80.	Jai Singh	..	Ditto	82.50	
81.	Jagat Nath	..	Ditto	83.06	
82.	Jagat Ram	..	Ditto	83.62	
83.	Jai Ram	..	Ditto	82.50	
84.	Janak Raj	..	Ditto	83.62	
85.	Jamuna Dass	..	Ditto	83.06	
86.	Jiva Singh	..	Ditto	83.06	
87.	Jarnal Singh	..	Ditto	82.50	
88.	Jaishi Ram	..	Ditto	83.62	
89.	Jagdish	..	Ditto	82.50	
90.	Jai Lal	..	Ditto	82.50	
91.	Karam Singh	..	Ditto	82.50	
92.	Kanwar Ram	..	Ditto	82.50	
93.	Karam Singh	..	Ditto	83.06	
94.	Karam Singh	..	Ditto	82.50	
95.	Kashmira Singh	..	Ditto	82.50	
96.	Karnail Singh	..	Ditto	83.06	
97.	Karnail Singh	..	Ditto	82.50	
98.	Kehar Singh	..	Ditto	83.62	
99.	Kehar Singh	..	Ditto	83.06	
100.	Krishan Datt	..	Ditto	83.62	
101.	Krishan Lal	..	Ditto	82.50	
102.	Krishan Pal	..	Ditto	83.06	
103.	Krishan Singh	..	Ditto	83.06	
104.	Kundan Singh	..	Ditto	83.62	
105.	Kura Singh	..	Ditto	83.06	
106.	Lajja Ram	..	Ditto	82.50	
107.	Mahal Singh	..	Ditto	82.50	
108.	Malkiat Singh	..	Ditto	83.62	
109.	Mewa Singh	..	Ditto	83.62	
110.	Mewa Singh	..	Ditto	83.62	
111.	Mehar Singh	..	Ditto	82.50	
112.	Chander Bhan	..	Ditto	83.62	
113.	Mohinder Singh	..	Ditto	83.06	
114.	Mohinder Singh	..	Ditto	82.50	
115.	Mohan Lal	..	Ditto	83.06	
116.	Mohan Lal	..	Ditto	82.50	
117.	Mai Ditta	..	Ditto	82.50	
118.	Lal Singh	..	Ditto	82.50	
119.	Lal Chand	..	Ditto	81.50	
120.	Narain Singh	..	Ditto	83.06	
121.	Naranjan Singh	..	Ditto	82.50	

Serial No.	Name		Designation	Qualification	Salary	Remarks
122.	Nasib Singh	..	Class IV		82.50	
123.	Nand Lal	..	Ditto		82.50	
124.	Gurmal Singh	..	Ditto		82.50	
125.	Om Parkash	..	Ditto		83.62	
126.	Om Parkash	..	Ditto		82.53	
127.	Paltu	..	Ditto		82.50	
128.	Parkash Ram	..	Ditto		82.50	
129.	Parmod Singh	..	Ditto		83.06	
130.	Partap Singh	..	Ditto		83.06	
131.	Peer Chand	..	Ditto		83.62	
132.	Piara Singh	..	Ditto		88.37	
133.	Piara Lal	..	Ditto		82.50	
134.	Pitamber Lal	..	Ditto		82.50	
135.	Prem Nath	..	Ditto		82.50	
136.	Pritam Singh	..	Ditto		83.06	
137.	Pritam Singh	..	Ditt		82.50	
138.	Pritam Singh	..	Ditto		82.50	
139.	Pritam Chand	..	Ditto		82.50	
140.	Puran Singh	..	Ditto		82.50	
141.	Prithvi Singh	..	Ditto		83.06	
142.	Ram Lal	..	Ditto		83.06	
143.	Ram Parshad	..	Ditto		82.50	
144.	Rameshwar Parshad	..	Ditto		82.50	
145.	Ram Sewak	..	Ditto		82.50	
146.	Ram Kishan	..	Ditto		85.87	
147.	Ram Kishan	..	Ditto		82.50	
148.	Ram Lok	..	Ditto		82.50	
149.	Ram Bharose	..	Ditto		82.50	
150.	Ram Kumar	..	Ditto		82.50	
151.	Ram Ditta	..	Ditto		82.50	
152.	Ram Dial	..	Ditto		83.06	
153.	Ram Karam	..	Ditto		83.06	
154.	Ramji Dass	..	Ditto		82.50	
155.	Ramu	..	Ditto		84.19	
156.	Rachan Singh	..	Ditto		82.50	
157.	Ramesh Kumar	..	Ditto		82.50	
158.	Raunki Ram	..	Ditto		83.62	
159.	Raunak Singh	..	Ditto		83.06	
160.	Rulda Singh	..	Ditto		83.62	
161.	Rulda Singh	..	Ditto		83.06	
162.	Rup Chand	..	Ditto		82.50	
163.	Rana Devinder Singh	..	Ditto		83.06	
164.	Sadhu Ram	..	Ditto		83.62	
165.	Sadhu Ram	..	Ditto		82.50	
166.	Shanker Dass	..	Ditto		83.62	
167.	Shanker Ram	..	Ditto		82.50	
168.	Sali Ram	..	Ditto		83.62	
169.	Satish Kumar	..	Ditto		83.62	
170.	Shadi Ram	..	Ditto		83.06	
171.	Sher Singh	..	Ditto		83.06	
172.	Sher Singh	..	Ditto		82·50	
173.	Shibu Ram	..	Ditto		82.50	
174.	Shiv Ram	..	Ditto		82.50	
175.	Shiv Ram	..	Ditto		83.06	
176.	Sita Ram	..	Ditto		82.50	
177.	Sita Ram	..	Ditto		82.50	
178.	Sham Lal	..	Ditto		83.06	
179.	Siri Ram	..	Ditto		83.62	
180.	Som Nath	..	Ditto		82.50	
181.	Som Nath	..	Ditto		82.50	
182.	Sucha Singh	..	Ditto		82.50	

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Salary	Remarks
				Rs	
183.	Sular Singh ..	Class IV		82.50	
184.	Surjit Singh ..	Ditto		83.06	
185.	Suminder Singh ..	Ditto		82.50	
186.	Sukhdev Singh ..	Ditto		82.50	
187.	Sharif Masih ..	Dit o		82.50	
188.	Tara Singh ..	Ditto		82.50	
189.	Tersham Singh ..	Ditto		82.50	
190.	Tej Ram ..	Ditto		83.06	
191.	Teja Singh ..	Ditto		84.19	
192.	Tek Singh ..	Ditto		83.62	
193.	Ude Singh ..	Ditto		82.50	
194.	Ujjar Singh ..	Ditto		82.50	
195.	Ujjar Singh ..	Ditto		82.50	
196.	Ujjar Singh ..	Ditto		82.50	
197.	Ujjar Singh ..	Ditto		82.50	
198.	Ujjar Singh ..	Ditto		82.50	
199.	Umed Singh ..	Ditto		82.50	
200.	Vidya Dutt ..	Ditto		82.50	
201.	Vithal ..	Ditto		82.50	
202.	Wakila Ram ..	Ditto		83.62	
203.	Asha Rani ..	Ditto		83.62	
204.	Deveki ..	Ditto		83.06	
205.	Ishwari Devi ..	Ditto		83.62	
206.	Kamla Devi	Ditto		82.50	
207.	Kanwaljit Kaur ..	Ditto		82.50	
208.	Krishna Wati ..	Ditto		83.62	
209.	Mohan Kaur ..	Ditto		82.50	
210.	Lila Devi ..	Ditto		83.06	
211.	Lila Wati ..	Ditto		82.50	
212.	Laxmi Devi ..	Ditto		84.19	
213.	Parwati Devi ..	Ditto		83.62	
214.	Ram Piari Devi ..	Ditto		82.50	
215.	Shanti Devi ..	Ditto		83.06	
216.	Shanti Devi ..	Ditto		82.50	
217.	Sukhdev Singh ..	Ditto		83.06	
218.	Vidya Devi ..	Ditto		82.50	
219.	Surjit Kaur ..	Ditto		82.50	
220.	Vidya Wati ..	Ditto		83.06	
221.	Kesar Kaur ..	Ditto		82.50	
222.	Gopi Chand ..	Daftri		88.12	
223.	Baisakhi Ram ..	Ditto		88.12	
224.	Gurdial Chand ..	Ditto		88,12	
225.	P.U. Joy ..	Sp Cook		134.75	
226.	Budh Ram ..	Ditto		134.75	
227.	Akalu ..	Head Cook		147.12	
228.	Shiv Ram ..	Lab. Add.		89.31	
229.	Harcharan Singh ..	Ditto		89.31	
230.	Prem Chand ..	Ditto		88.18	
231.	Amar Chand	Ditto		89.31	
232.	Sher Singh	Ditto		88.18	
233.	Dhana Singh ..	Havaldar		79.69	
234.	Bhawani Prashad ..	Mali		82.50	
235.	Beni Madho ..	Do	..	82.50	
236.	Dwarka Dass ..	Do		82.50	
237.	Dhun Singh ..	Do		82.50	
238.	Jag Rup ..	Do		82.50	
239.	Ram Johar ..	Do		82.50	
240.	Ram Pher ..	Do		82.50	
241.	Sadhu Ram ..	Do		82.50	
242.	Sita Ram ..	Do		82.50	
243.	Rama Swam ..	Bel Dar		82.50	
244.	Ram Naresh ..	Ditto		82.50	

Serial No.	Name		Designation	Qualification	Salary	Remarks
					Rs	
245.	Ganga Parshad	..	Beldar		82.50	
246.	Darkhan	..	Ditto		82.50	
247.	Bakshi Ram	..	Ditto		82.50	
248.	Bishan Dass	..	Ditto		82.50	
249.	Rashila Ram	..	Ditto		83.06	
250.	Amar Singh	..	Ditto		82.50	
251.	Harbhajan Singh	..	Ditto		82.50	
252.	Des Raj	..	Ditto		82.50	
253.	Bhola Nath	..	Dhobi		82.50	
254.	Mishri Lal	..	Do		82.50	
255.	Roshan Lal	..	Do		82.50	
256.	Ram Sarup	..	Do		82.50	
257.	Ram Ranj	..	Do		82.50	
258.	Jhaggru Lal	..	Do		82.50	
259.	Mani Ram	..	Bearer		82.50	
260.	Hira Balabh	..	Do	..	82.50	
261.	Roshan Lal	..	Do		82.50	
262.	Asa Ram	..	Sweeper		98.62	
263.	Asa Ram	..	Do		97.50	
264.	Bhor Singh	..	Do		97.50	
265.	Baljora	..	Do		97.50	
266.	Barkat Ram	..	Do		97.50	
267.	Vishamber	..	Do		98.62	
268.	Vishamber	..	Do		97.50	
269.	Birme	..	Do		97.50	
270.	Bhulan Ram	..	Do		98.62	
271.	Baleshar	..	Do		98.06	
272.	Budha Ram	..	Do		98.06	
273.	Balbir	..	Do		98.06	
274.	Bakshisha	..	Do		98.06	
275.	Bania	..	Do		98.62	
276.	Bishan Singh	..	Do		97.50	
277.	Bant Ram	..	Do		98.62	
278.	Basant	..	Do		97.50	
279.	Banwari Lal	..	Do		98.06	
280.	Banarsi Dass	..	Do		98.06	
281.	Bhola Ram	..	Do		97.50	
282.	Bal Krishan	..	Do		97.50	
283.	Chander	..	Do		98.06	
284.	Chander	..	Do		98.62	
285.	Chander	..	Do		97.50	
286.	Chhimde	..	Do		98.62	
287.	Chhaju Ram	..	Do		97.50	
288.	Chatu Ram	..	Do		97.50	
289.	Chhota Ram	..	Do		98.06	
290.	Chetan	..	Do		98.06	
291.	Chaman Lal	..	Do		98.06	
292.	Dharam Singh	..	Do		98.62	
293.	Dewan Chand	..	Do		98.62	
294.	Durga Dass	..	Do		98.06	
295.	Dhani Ram	..	Do		97.50	
296.	Ghasita Ram	..	Do		98.06	
297.	Ganga Ram	..	Do		98.06	
298.	Bhopa Ram	..	Do		97.50	
299.	Hukam Chand	..	Do		98.06	
300.	Harbhajan	..	Do		97.50	
301.	Hukam Singh	..	Do		98.06	
302.	Jai Bhagwan	..	Do		97.50	
303.	Ghgar Ram	..	Do		97.50	
304.	Jina	..	Do		98.62	
305.	Juman Ram	..	Do	..	98.62	
306.	Jald Singh	..	Do		97.50	

[Education and Local Government Minister]

Serial No.	Name		Designation	Qualification	Salary	Remarks
					Rs.	
307.	Kirpa Ram	..	Sweeper		99.19	
308.	Kanak Singh	..	Do		98.62	
309.	Kashmira	..	Do		98.06	
310.	Kanshi Ram	..	Do		98.06	
311.	Kartara	..	Do		98.06	
312.	Kartara	..	Do		97.50	
313.	Kantu Ram	..	Do		98.06	
314.	Khema	..	Do		98.06	
315.	Kerta Ram	..	Do		98.06	
316.	Kashmir Chand		Do		97.50	
317.	Kaka Ram	..	Do		97.50	
318.	Kashmira	..	Do		97.50	
319.	Kalu Ram	..	Do		97.50	
320.	Lachhman	..	Do		97.50	
321.	Lachhman	..	Do		97.50	
322.	Loki Nath	..	Do		98.62	
323.	Lilu Ram	..	Do		97.50	
324.	Musha	..	Do		98.06	
325.	Madan Lal	..	Do		98.06	
326.	Murli Ram	..	Do		97.50	
327.	Mithan Dass	..	Do		97.50	
328.	Mahabir	..	Do		98.06	
329.	Mehar Singh	..	Do		98.06	
330.	Madan Lal	..	Do		98.06	
331.	Murari Lal	..	Do		97.50	
332.	Mangha Ram	..	Do		97.50	
333.	Nakli Ram	..	Do		97.50	
334.	Nanka	..	Do		97.50	
335.	Naurake Ram	..	Do		97.50	
336.	Om Parkash	..	Do		98.62	
337.	Om Parkash	..	Do		98.06	
338.	Om Parkash	..	Do		97.50	
339.	Piara Lal	..	Do		98.62	
340.	Phoole	..	Do		98.62	
341.	Pritam Dass	..	Do		98.62	
342.	Punjabi Ram	..	Do		97.50	
343.	Ram Nath	..	Do		98.62	
344.	Ram Lal	..	Do		98.06	
345.	Ram Singh	...	Do		98,06	
346.	Ram Kishan	..	Do		98.06	
347.	Ram Sarup	..	Do		97.50	
348.	Ram Chander	..	Do		97.50	
349.	Rehtu	..	Do		98.06	
350.	Rattan	..	Do		98.06	
351.	Raj Paul	..	Do		98.62	
352.	Raghbir	..	Do		98.06	
353.	Rehtu Ram	..	Do		98.06	
354.	Rehtu Ram	.	Do		97.50	
355.	Rulla	..	Do		97.50	
356.	Ratti Ram	..	Do		97.50	
357.	Sukar Singh	..	Do		97.50	
358.	Sarwan Kumar	..	Do		98.06	
359.	Som Nath	..	Do		97.50	
360.	Som Nath	..	Do		97.50	
361.	Shamu	..	Do		97.50	
362.	Surja	..	Do		98.06	
363.	Surja	..	Do		97.50	
364.	Surja Ram	..	Do		97.50	
365.	Suggan Chand	..	Do		98.06	
366.	Sukar Ram	..	Do		97.50	
367.	Sultan	..	Do		97.50	

Serial No.	Name	Designation	Qualification	Salary	Remark
				Rs.	
368.	Sadhu Ram	.. Sweaper		98.62	
369.	Sadhu Ram	.. Do		98.06	
370.	Sant Ram	.. Do		98.06	
371.	Sohan Lal	.. Do		98.06	
372.	Sobha Ram	Do		98.06	
373.	Sama Singh	.. Do		98.62	
374.	Shiv Dayal	.. Do		98.06	
375.	Shiv Charan	.. Do		75.26	
376.	Tika Ram	.. Do		98.06	
377.	Tarvej	.. Do		97.50	
378.	Tida	.. Do		98.06	
379.	Tota Ram	.. Do		97.50	
380.	Ram Phul	.. Do		97.50	
381.	Bengali Ram	.. Do		97.50	
382.	Lal Singh	.. Class IV		82.50	

METALLING OF CERTAIN ROADS IN AMRITSAR DISTRICT

2117. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state :—

(a) the names and the mileage of each of the roads proposed to be metalled during the fourth plan period in the Amritsar District ;

(b) the time by which the under-mentioned roads are proposed to be metalled :—

(i) from Tarsikka Block Head quarters to Tangaran Bus Stop;

(ii) From Tangaran Bus Stop to Aikalgada ;

(iii) Jandiala-Tarn Taran Road to Bundala Village and from Bundala village to Varpal Road.

(iv) Manawala Kalan Talwandi Dogran-Fatehpur Rajpuran Road ?

Chaudhri Rizk Ram : (a) The details have not been finalised so far.

(b) These roads do not find place in any of the State Plans so far. The question of their metalling does not, therefore, arise.

SURPLUS LAND IN AMRITSAR DISTRICT

2118. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Revenue be pleased to state :—

(a) the total area of land found surplus in Amritsar District, (ii) Block-wise, (iii) together with the names and addresses of the persons to whom it has been distributed ;

(b) the criteria kept in view at the time of distribution of the land referred to in part (a) above ;

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

(c) whether any committee was appointed by the Government for the distribution of the surplus land referred to in part (a) above ; (ii) if so, the names of the members of the said Committee ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) (i) 23,375 Standard Acres of land have been declared surplus in Amritsar District upto the end of December, 1964.

(a) (ii) & (iii) The time and labour involved in collecting and compiling the information would not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

(b) The surplus area declared under the Punjab Security of land Tenures Act, 1953, is primarily utilized for the resettlement of the following categories of tenants whose list is prepared wherein the names of tenants are arranged in the same order as the extent of area required for their resettlement with the smallest claimant coming on the top and where more than one tenant have equal claim their names are arranged in alphabetical order :—

(i) persons who were tenants of small landowners or big landowners in the area reserved for self cultivation since 15th April, 1953 ;

(ii) persons owning no land and who are not related to the landowners in the prescribed manner if their tenancies were started after the 15th April, 1953 and before 30th October, 1960.

(c) No. Detailed procedure for the allotment of surplus area is laid down in the Punjab Security of Land Tenures Rules, 1956, which do not provide for the constitution of any Committee for the distribution of surplus land.

DEVELOPMENT OF HINDI AND PUNJABI LANGUAGES IN THE STATE

2119. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state :—

(a) the details of the steps so far taken by the Languages Department, Punjab for the development of Punjabi and Hindi Languages in the Statte ;

(b) the details of the works of other languages translated into the Punjabi language so far by the said Department ;

(c) the names of the writers who have been honoured since establishment of the Languages Department for the development of Punjabi Language together with the names of the writers who have been awarded prizes ;

(d) the names of the Punjabi Language Organizations given assistance so far together with the details of the assistance in each case ?

Shri Prabodh Chandra : (a) The details of the steps so far taken by the Languages Department, Punjab, for the development of Punjabi and Hindi Languages in the State are detailed here below :—

The Department of Languages, Punjab, consisting of three wings, namely, Directorate of Punjabi, Directorate of Hindi and Directorate General, Languges aims at the promotion and enrichment of Punjabi and Hindi Languages and their literature. While the two Directorates are entrusted with the work of development and enrichment of Punjabi and Hindi Languages, the office of the Director General Languages looks to the introduction of Punjabi and Hindi languages in the respective regions at and below the district level to the development of Urdu and to the coinage of Terminology in both the regional languages.

As regards the introduction of Punjabi and Hindi in the adminis tration of the State, the Department has undertaken (a) translation into Punjabi/Hindi of all official material like Acts, Codes' Manuals, Forms, etc. (b) Coinage, adoption and adaptation of technical terms, (c) preparation and compilation of unilingual, bi-lingual and tri-lingual dictionaries of Punjabi, Hindi, Sanskrit and Urdu and various dialectical glossaries of Punjabi and Hindi (d) compilation of Punjabi Encyclopaedia, (e) editing of rare manuscripts and publication of Standard books and (f) conduct of Departmental Examinations in Punjabi and Hindi for Government employees and starting of Punjabi and Hindi stenography and Typewriting classes throughout the State.

Development programme includes honouring of litterateurs of Punjabi and Hindi every year; award of prizes to the best literary works and best published books of the years; bringing out of Punjabi and Hindi literary monthly magazines; holding of writers' seminars, Kavi Sammelans, literary conferences and Book Exhibitions; collecting and editing of manuscripts, translating standard and classical works; organising literary contests like debates dramas and poetic symposia: awarding merit and research scholarships and granting financial aid to the private organisations for literary production.

(b) The following works of other languages have so far been translated into Punjabi Language by the Department :—

1. Bharat-Da-Samvidhan.
2. Sansar Da Sankhep Ithas by H. G. Wells.
3. Chaho So Pao by Orison S. Mordens.
4. Tess by T. Hardy.
5. Arab Te Hind De Samband by M. Syed Sulaman Nadvi.
6. Haji Baba Isphani by Ahmed Kirmadi.
7. Vishav Manukhata Wal by Dr. Tagore.
8. Prachin Lipi Mala by Shri Gauri Shanker Ojha.

[Education and Local Government Minister]

9. Panjab-Men Urdu by Hafiz Mohamad Sheerani.
10. Hindi Sahit Ka Ithas by Acharya R. C. Shukal.
11. Sada Rahin Sahin, (Government of India Publication).
12. Bharti Sabhayachar Da Adhar (Government of India Publication)
13. Maha Bharat Volume I.
14. Gorakh Bani by Dr. Pitamber Barthwal.
15. Sukhandan-i-Paras—M. Mohd. Hussain Azad.
16. Mukadma Shero-Shairi—M. Halli.
17. Sewa Sadan by M. Prem Chand.
18. Sampooran Gandhi Rachnavali, Vol. I.
19. Hindu Mithas Kosh by John Dowson.
20. Bharti Bhasha Vigyan by Dr. Mohiuddin Qadri Zor.
21. Natak Sagar by Noor Elahi and Mohd. Umar.
22. Hindi Sahit Kosh.
23. Samanya Bhasha Vigyan.

(c) (i) The following Punjabi writers/Raj Kavis have been honoured since the establishment of the Language Department.

1. Smt. Amrita Pritam.
2. Sh. Balwant Gargi.
3. Giani Hira Singh Dard.
4. Dr. Gopal Singh Dardi.
5. Sh. Kartar Singh Dugal.
6. Dr. Ganda Singh.
7. Sh. Lal Singh Kamla Akali.

Raj Kavis :

1. Shri Inderjit Singh Tulsi.
2. Smt. Prabhjot Kaur.

(ii) The following writers were awarded prizes for their literary works :—

1. Shri Avtar Singh.
2. Shri Nand Lal Nurpuri.
3. Smt. Dalip Kaur Tiwana.
4. Shri Gurdial Singh Phul.

5. Shri Gurbux Singh, Preet Lari.
6. Shri Duni Chand.
7. Shri Roshan Lal Ahuja.
8. Shri Sohan Singh Sital.
9. Shri Gurnam Singh Teer.
10. Shri Paritosh Gargi.
11. Shri Giani Nahar Singh.
12. Shri Gurcharan Singh.
13. Shri Giani Gurmukh Singh.
14. Shri J. D. Singh.
15. Shri Jaswant Singh Gill.
16. Smt. Phula Rani.
17. Shri Tarlochan Singh.

(d) The following Punjabi Literary Organisations have been given grant-in-aid by the Department so far. The amount has been indicated against each :—

	Name of the Organisation	Amount Granted
		Rs.
1.	Punjabi Sahit Akademi, Ludhiana	12,500
2.	Kendri Punjabi Lekhak Sabha, Jullundur	4,700
3.	Punjabi Sahit Samikhia Board, Jullundur	3,650
4.	Punjabi Sahit Sabha, Barnala	3,150
5.	Punjabi Sahit Sabha, Rampur Doraha	1,400
6.	Punjabi Sahit Sabha, New Delhi	2,800
7.	Punjabi Sahit Sammelan, Patiala	3,900
8.	Sahit Sangam, Patiala	1,900
9.	Akademi of Experimentology, Ludhiana	1,600
10.	Likhari Sabha, Moga	250
11.	Punjabi Sahit Sangam, Chandigarh	500
12.	Bal Sandesh Parkashan, Preet Nagar (Amritsar)	500
13.	Nav Kala Parkashan, Barnala	200
14.	Punjabi Darbar, Ludhiana	500
15.	Punjabi Likhari Sabha, Rampur Doraha	950

[Education and Local Government Minister]

Name of the organisation	Amount granted
16. Khalsa College, Patiala	1,800
17. Punjabi Sahit Sabha, Ambala City	800
18. Panch Nad Sahit, Pratishthan, Ludhiana	650
19. Punjabi Rang Manch, Chandigarh.	650

FINANCIAL ASSISTANCE GIVEN TO THE PUNJABI UNIVERSITY

2120. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state :—

(a) the financial assistance so far provided to the Punjabi University, Patiala year wise by the Punjab Government together with the purpose for which it was given ;

(b) the details of the jurisdiction of the Punjabi University, Patiala at present ?

Shri Prabodh Chandera : (a) The year wise grant given to the Punjabi University so far by the State Government together with the purpose is indicated below :—

Year	Amount of grant	Purpose for which it was paid
	Rs	
1962-63	4,00,000.00 (Plan)	For Maintenance and Development
1963-64	5,00,000·00 (Non-Plan)	For Acquisition of land for the Campus of the Univesity
	9,00,000.00 (do)	For Works
	8,50,000·00 (do)	For Maintenance
1964-65 (upto Jan. 1965)	4,574.00 (do)	For Acquisition of land for the Campus of the Uuiversity.
	10,00,000.00 (do)	For Works
	9,95,425.33 (do)	For Maintenance

(b) The jurisdiction of the Punjabi University stretches over a radius of ten miles from the office of the Punjabi University, Patiala.

CO-OPERATIVE INSPECTORS IN AMRITSAR DISTRICT

2121. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the names of the Co-operative Inspectors posted in Amritsar District Block-wise, at present with the names of the places of their headquarters ;

(b) whether any Co-operative Inspector has been appointed in Tarsikka Block at present, if not, the reasons therefor and the approximate date by which one is likely to be appointed ?

Sardar Darbara Singh :

S. No.	Name of the Inspector, Co-operative Societies with headquarters	Name of Block
1.	Sh. Gurdial Singh, Inspector C/S, Majitha	Majitha
2.	Sh. Sant Singh, Inspector C/S, Chogawan	Chogawan
3.	Sh Sohan Singh, Inspector C/S, Rayya	Rayya
4.	Sh. Kabul Singh, Inspector C/S, Jandiala	Jandiala
5.	Sh. Dalip Singh, Inspector C/S, Verka	Verka (He is also holding additional charge of Tarsikka block)
6.	Sh. K.K. Sharma, Inspector C/S, Ajnala	Ajnala
7.	Sh. Satya Parkash Gill, Inspector C/S, Naushehra Panwan	Naushera Panwan
8.	Sh. Harnam Singh, Inspector C/S. Tarn Taran	Tarn Taran
9.	Sh. Karam Chand, Inspector C/S, Jodhpur at Tarn Taran.	Kassel (Gandiwind)
10.	Sh. Kirpal Singh, Inspector C/S, Khadur Sahib	Khadur Sahib
11	Sh. Sangram Dass, Inspector C/S, Patti	Patti
12.	Sh. Bishan Singh, Inspector C/S, Valtoha	Valtoha
13.	Sh. Sham Singh, Inspector C/S, Bhikhiwind	Bhikhiwind
14.	Sh. Bachan Singh, Inspector C/S, Chola Sahib	Chola Sahib

[Home Minister]

(b) No whole-time Extension Officer (Co-operation) has been provided in Tarsikka Block and the work of this block is being looked after by the Inspector Co-operative Societies Verka. A whole-time Inspector Co-operative Societies will be provided when more posts of Inspectors are sanctioned.

BUSES LEAVING AMRITSAR FOR JANDIALA TOWN

2123. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether the Transport Department has received any representation from the Municipal Committee, Jandiala, during the last six months for reducing the interval of one hour at which the buses leave Amritsar for Jandiala Town, if so, the action taken or proposed to be taken thereon ;

(b) the number of buses of the Panjab Roadways and the private companies which leave Amritsar for Patti, Tarn Taran and Majitha or pass through these towns and intervals between them ?

Shri Ram Kishan : (a) No. However, one representation was received by General Manager, from President of Municipal Committee, Jandiala Guru. In reply it was pointed out that sufficient traffic was not available between Jandiala Guru and Amritsar to warrant a reduction in the one hour interval and that about 90 services emanating from Amritsar touched/passed through Jandiala Guru.

(b) 122 buses of Panjab Roadways and Private Companies. The interval between the above services ranges from 30 to 45 minutes.

INDUSTRIAL ESTATE IN JANDIALA TOWN

2124 Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the year in which the Government decided to establish an Industrial Estate in Jandiala Town, district Amritsar together with the reasons for which it has not been established so far :

(b) the names of places where such Estates were decided to be established in the State during the year in which the decision for establishing the Estate in Jandiala town was taken ;

(c) whether the Industrial Estates referred to in part (b) above have since been established ?

Shri Ram Kishan : (a) Decision to establish an Industrial Estate at Jandiala Guru was taken in may, 1963. This estate has subsequently been allotted to "Rayya" as a private industrial estate is being set up at Jandiala Guru by the Jandiala Guru Industrial Estate Co-operative Society, Jandiala Guru,

(b) Kulu, Alawalpur, Kanowan, Jagraon, Majri, Zira, Kandaghat, Faridkot, Nabha, Loharu, Tohana, Dehgot, Ferozepur Jhirka, Mubarakpur, Mahilpur, Jind, Safidon, Ahmedgarh, Khera, Nadala, Khajurala, Gohana, Pipli and Dadri.

(c) No.

AMRIT KIRPAN FACTORY & KHALSA KIRPAN FACTORY, AMRITSAR

2125. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Premises of the Amrit Kirpan Factory and of the Khalsa Kirpan Factory, Amritsar were raided last year and their accounts books seized for checking purposes, if so, the result thereof ;

(b) the details of the quotas of stainless steel and other raw materials given to each of the said factories during the year 1964-65 stating whether the quotas issued since 1961-62 were utilised by the factories for the purpose for which they were issued ?

Shri Ram Kishan : (a) No.

(b) No quota of stainless steel sheets and other indigenous raw-material was given to these parties during the year 1964-65. It has not been possible to verify the utilisation of imported material given to them in earlier periods as they have been evading the production of relevant records.

JANDIALA ENG. C.I.S. LTD., JANDIALA DISTRICT AMRITSAR

2126. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the date when the Jandiala Eng. C. I. S. Ltd., Jandiala, district Amritsar, was registered together with the names of its members and office holders ;

(b) the total amount of loan and grant given by the Government to the said society, so far, stating the purpose for which these were given and also the purpose for which these were used by the said society ;

(c) whether it is a fact that raids were conducted on the said firm with a wiew to carry out surprise check of the accounts of the said society, if so, copies of the reports of the raids be laid on the Table of the House ;

(d) the details of the business carried on by the said society till the conducting of the raid referred to in part (c) above ?

Shri Ram Kishan : (a) (i) 18th November, 1960.

(ii) Sarvshri Manohar Lal, Kishori Lal, Maya Ram, Banwari Lal, Piare Lal, Nathu Mal, Sat Pal, Madan Gopal, Jagdish Chander, Sukhdev Raj, Krishan Gopal and Kewal Krishan.

(iii) The Society having been brought under winding up operation on 18th October, 1964, there are, at present, no office holders.

(b) No loan or grant has been given to the society by the Government.

(c) Yes. An enquiry was made by the Flying Squad on the complaint of Shri Amar Nath, Engineer against the Society. It is not in public interest to lay a copy of the Enquiry Report on the Table of the House.

(d) The society did not conduct any business except the purchase and sale of machinery and land out of deposits and loan from the Central Co-operative Bank.

CASE REGISTERED UNDER THE ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955

2127. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the number of cases registered under the Essential Commodities Act, 1955 in the State, district-wise, up-to-date and the results thereof in each case ?

Sardar Darbara Singh : A statement giving the requisite information is as follows.

Statement giving district-wise figures of cases registered under the Essential Commodities Act, 1955 with results up to 31st January, 1965.

District		No. of cases registered	No. of cases convicted	No. of cases acquitted.	No. of cases discharged
Hissar	..	301	111	—	82
Rohtak	..	239	155	26	34
Gurgaon	..	374	206	41	—
Karnal	..	333	162	80	—
Ambala	..	186	139	17	—
Simla	..	5	1	—	—
Kangra	..	7	2	2	—
Hoshiarpur	..	10	1	1	—
Jullundur	..	12	2	2	—
Ludhiana	..	21	1	—	1
Ferozepore	..	82	20	23	—
Amritsar	..	22	7	1	2
Gurdaspur	..	42	14	12	—

District		No. of cases registered	No. of cases convicted	No. of cases acquitted	No. of cases discharged
Patiala	..	43	14	9	3
Sangrur	..	32	15	—	12
Bhatinda	..	13	3	4	—
Narnaul	..	330	241	17	39
Kapurthala	..	12	1	3	1
Kyelong	..	—	—	—	—
Kulu	..	8	3	—	—
Total		2,062	1,098	238	174

SHOTS FIRED BY A POLICE PARTY HEADED BY SHRI BUA DASS, A.S.I., OF GHARINDA POLICE STATION

2128. **Comrade Makhan Singh Tarsikka**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a police party headed by Shri Bua Das, A.S.I. of Gharinda Police Station fired shots sometime during the last year on a family of 14 Bazigars consisting of men, women and children belonging to village Gumtala, who were planting seedings of paddy in the fields of the Zamindars, as a result of which a matriculate boy was killed.

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons why the police had to resort to that action ;

(c) whether any judicial inquiry was held in connection with the said incident, if so, the result thereof ;

(d) whether it is a fact that after killing the boy the said police challaned all the family members under section 107/151/109 Cr. P. C., etc., if so, a copy of the FIR which was registered by the police be laid on the Table of the House ;

(e) whether it is a fact that when the said challan against the said family of Bazigars was put up before the Magistrate by the police at Amritsar the Magistrate, taking the challan to be frivolous dismissed the same at once, if so, a copy of the final order of the Magistrate be laid on the Table of the House.

Sardar Darbara Singh : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

(e) Does not arise.

COMPLAINTS FROM P. W. D. (B. & R.) DIVISION, AMRITSAR

2129. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether the P. W. D. (B. & R.) issued any circular to the effect that Beldars and Mates working on the roads, etc., be deputed to work nearer their own villages, if so, whether the instructions contained in this circular are being implemented, if not, the reasons therefor ;

(b) whether the authorities have received any complaints from the P. W. D. (B. & R.) Division, Amritsar, in this connection, if so, the details thereof ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No. However, the Beldars and Mates working on the roads are appointed locally by the Executive Engineers themselves and as such they are usually posted and deputed to work near their own villages/Home Towns.

(b) No.

PAYSCALE OF CANAL PATWARIS

2130. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public works and Welfare be pleased to state—

(a) the monthly salary of a canal patwari in the State at present, together with the pay scales and the details of the various allowances being paid to him;

(b) the date when the pay scales of the Canal Patwaris were fixed for the first time together with the number of times and the manner in which the said pay scales have been revised so far ;

(c) whether keeping in view the present high prices and food crisis the Government has any proposal under its consideration to increase the salaries of the said patwaris;

(d) whether the Government has received from the Provincial Union of the Canal Patwaris any memorandum of their demands recently or during the course of this year, if so, the contents thereof together with the action proposed to be taken by the Government in this connection and a copy of the said memorandum be laid on the Table of the House ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The Canal Patwaris are being paid the following emoluments—

(i) Pay in the scale of Rs. 50-1—60/2-80

(ii) (a) D.A. for pay upto Rs. 50 .. Rs. 30 per month

(b) D. A. for pay above Rs. 50 .. Rs. 40 per month

(iii)	House Rent where Patwar Khana does not exist.	.. Rs. 6 per month
(iv)	Conveyance allowance	.. Rs. 6 per month
(v)	Bonus per crop	.. Rs. 45 per month
(vi)	Adhoc increase in pay (to be invested in National Plan Saving Certificates)	.. Rs. 5 per month
(vii)	Canal Patwari posted on Chakbandi and Land Acquisition work get fixed T. A. of Rs. 6 per month. They, however, do not get House Rent and Bonus.	

(b) Rupees 17 prior to 31st July, 1947.

After this the grade of Canal Patwari was revised five times as detailed:—

(i) Rs. 25—1—35/1—45 from 31st July, 1947 to 31 July, 1949.

(ii) Rs. 30—1—40/1—50 from 1st August, 1949 to 31st March, 1953.

(iii) Rs. 37½—1—47½-1—57½ from 1st April, 1953 to 31st March, 1954.

(iv) Rs. 39½—1—49½-1—59½ from 1st April, 1954 to 30th April, 1957.

(v) Rs. 50—1—60/2—80 from 1st May, 1957 to date.

(c) Yes.

(d) Yes. A copy is as follows. The first and second demands are under consideration. Action to clear the arrears is being taken.

Copy of letter No. 116, dated 22nd July, 1964 from Shri Rattan Singh, General Secretary, Irrigation Booking Clerks Association, Punjab and Delhi, 174, Shiva-Ji Colony, Rohtak to Hon'ble Irrigation and Power Minister, Punjab Chandigarh.

With due respect and humble submission I beg to state that a deputation of Irrigation Booking Clerks Association seek a chance for the interview with your honour for some classical grievances and demand. Will your honour be kind enough to give us a chance on a time and let we people know.

Agenda of the Interview as below :—

1. Increase of pay scale equal to Civil Patwaris.
2. Amalgamation of Bonus in the pay scale.
3. The balance arrears.
4. The correct handling of the departmental letters issued from officers (Head Office or Govt. offices).
5. Miscellaneous.

Awaiting for a sympathetic and favourable reply.

Thanks.

OVERSEERS IN THE JANDIALA AND THE MAJITHA DIVISIONS OF THE UPPER BARI DOAB CANAL

2131. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the names of the Overseers working at present in the Jandiala Division and the Majitha Division of the Upper Bari Doab Canal together with the places of their posting and of their Headquarters;

(b) the date of present postings of the Overseers referred to in part (a) above, separately;

(c) whether Government received any complaints of corruption or drunkenness against any of the said Overseers during the last two years, if so, against whom and the details thereof ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) A statement is as follows.

STATEMENT

The names of the Overseers working at present in the Jandiala Division and the Majitha division of the U. B. D. C. together with the places of their postings and of their headquarters			b) the date of present postings of the Overseers referred to in part (a)	c) whether Government received any complaints of corruption or drunkenness against any of the said overseers during the last two years, if so, against whom and the details thereof.
Name of S. O.	*Place of posting*	*Headquarters*		
JANDIALA DIVISION				
Sarvshri—				
1. Amarjit Singh	Sathiali	Sathiali Canal Rest House	1-4-1964	Nil
2. Prem Kumar	Panjgrain	Panjgrain Canal Rest House	20-11-1964	Nil
3. Joginder Singh	Bhoewal	Bhoewal Canal Rest House	9-4-1963	Nil
4. Jagdev Raj	Jandiala	Jandiala Canal Rest House	18-5-1963	Complaint regarding collection of Turi, etc.
5. Santokh Singh	Rayya	Rayya Canal Rest House	9-4-1963	Nil
6. Revinder Kumar	Khawaspur	Khawaspur Canal Rest House	4-6-1961	Complaint regarding selling of cement
7. Jagjit Singh	Dilawalpur	Dilawalpur Canal Rest House	8-4-1963	Nil
8. Satya Dev	Khara	Khara Canal Rest House	April, 1962	Two complaints of corruption regarding/collection of Turi and misuse of services of the Beldars

[Public Works and Welfare Minister]

The Name of the Overseers working at present in the Jandiala Division and the Majitha division of the U.B.D.C. together with the places of their postings and of their headquarters			(b) the date of present postings of the Overseers referred to in part (a)	(c) whether Government received any complaints of corruption or drunkness against any of the said overseers during the last two years if so, against whom and the details thereof.
Name of S. O.	Place of posting	Headquarters		
9. Charanjit Singh	Naushehra	Naushehra Canal Rest House	1-6-1964	Nil
10. Kewal Krishan	Rasulpur	Rasulpur Canal Rest House	1-6-1964	Nil
11. Manohar Singh	Jaura	Jaura Canal Rest House	7-3-1963	Nil
12. Sudesh Kumar	Minhala	Minhala Canal Rest House	29-5-1964	Nil
13. B. K. S. Bedi	Valtoha	Valtoha Canal Rest House	2-11-1963	Nil
14. Tejinder Singh	Amritsar in Divisional office as Leave Reserve	Amritsar	8-1-1965	Nil
MAJITHA DIVISION				
Sarvshri—				
1. Bhagwan Dass	Amritsar	Amritsar	11-5-1964	Nil
2. Udham Singh	Kathunangal	Kathunangal	19-4-1963	Some labourers have complained that their dues have not been paid to them. They worked at Aliwal Disty,
3. Didar Singh	Doburji	Doburjl	20-10-1961	Nil
4. Kartar Chand	Majitha	Khalra	8-7-1964	Nil

5.	Gurnek Singh	Khalra	Khalra	4-9-1962	A complaint from one Shri Madan Lal was received during April, 1964 alleging that the S. O, was corrupt and was utilising the services of some Belders for his domestic work
6.	B. D. Joshi	Khalra	Khalra	8-7-1964	Nil
7.	Kundan Singh	Ibban	Ibban	19-5-1963	Nil
8.	Bhupinder Paul	Ibban	Ibban	3-10-1963	Nil
9.	Joginder Singh	Chheharta	Chheharta	23-5-1964	Nil
10.	Prem Chand Goel	Kohali	Kohali	26-9-1964	Nil
11.	P. N. Talwar	Pul	Chogawan	27-8-1964	A complaint was received in November, 1964 for making bogus payments, Charges Were not substantiated
12.	B. D. Mohindru	Aliwal	Aliwal	14-5-1963	Nil
13.	Chatiar Singh	Majjupur	Majjupur	6-4-1964	Nil
14.	Baldev Singh	Fatehgarh	Fatehgarh	7-5-1963	Nil
15.	Suraj Parkash	Kunjar	Aliwal	7-7-1964	Nil
16.	Narrinder Parkash	Raniwali	Raniwali	21-3-1964	An anonymous complaint alleging that the Overseer kept one man for his own work, remained absent from duty and sowed paddy crops in the Rest House premises was received
17.	Mela Singh	Amritsar	Deputed for general works	13-1-1965	Nil

CONSTRUCTION OF SHOOTS ON RAJBAHAS IN JANDIALA, MAJITHA AND GURDASPUR DIVISIONS OF UPPER BARI DOAB CANAL

2132. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the names of the Rajbahas on which temporary shoots were constructed in Jandiala, Majitha and Gurdaspur Divisions of the Upper Bari Doab Canal during the years 1963-64 and 1964-65 stating the names of the villages for whose benefit they were constructed along with the area to be irrigated by each of them and the names and addresses of the persons on whose applications these were constructed;

(b) the names of the persons who were provided with the shoots referred to in part (a) above for the reclamation of their lands and the paddy sowing separately; on the recommendations of the Department;

(c) whether any complaints of bribery with regard to the construction of the said temporary shoots were received by the department; if so, the names of the complaints and the persons complained against together with the details of the complaints ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The labour involved in the preparation of requisite statements and the compilation of the information to be incorporated therein is not commensurate with the utility thereof.

(b) Same as per part (a) above.

(c) No.

DIVISION OF THE IRRIGATION DEPARTMENT IN THE STATE

2133. **Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) The total number with names of the Divisions of the Irrigation Department in the State and the names of the villages covered by each one of them;

(b) The total area covered by each of the said divisions alongwith the area irrigated by Canal water ?

Chaudhri Rizaq Ram : Statement showing number and names of Divisions, Total area & Area irrigated in each Division during 1963-64.

Serial No.	Name of Division		Total areas (Gross area)	Area irrigated by canals	Names of villages covered by each Division
1	2		3	4	5
			Acres	Acres	
1.	Karnal	..	5,53,051	146,321	Time and labour involved to collect this information, will not be commensurate with any advantage to be derived
2.	Dadupur	..	9,174	5,427	
3.	Delhi	..	4,06,518	175,671	
4.	Rohtak	..	5,53,956	302,883	
5.	Hariana	..	5,09,936	186,264	
6.	Hissar	..	5,85,590	479,000	
7.	Rupar	..	161,278	44,678	
8.	Ferozepore	..	832,206	466,636	
9.	Abohar	..	927,862	7,73,604	
10.	Bhatinda	..	812,894	555,204	
11.	Bist Doab	..	609,053	110,814	
12.	Gurdaspur	..	90,210	86,092	
13.	Majithia	..	501,780	448,314	
14.	Jandiala	..	490,422	444,612	
15.	Madhopur	..	308,981	174,136	
16.	Eastern	..	412,581	206,796	
17.	Sidhwan	..	577,881	238,324	
18.	Bhakra Main Line	..	186,092	24,480	
19.	Pehowa	..	498,229	186,634	
20.	Narwana	..	682,212	435,829	
21.	Devigarh	..	652,013	141,618	
22.	Lehal	..	70,257	322,546	
23.	Sangrur	..	665,638	389,521	
24.	Nabha	..	468,545	204,723	
25.	Nangal Dam	..	603	61	
26.	Tohana	..	459,881	271,929	
27.	Fatehabad	..	549,667	3,35,238	
28.	Sirsa	..	686,132	274,652	
29.	Rori	..	556,627	212,370	
	Total			7,734,377	

ASSISTANT REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES, AMRITSAR

2134. Comrade Makhan Singh Tarsikka: Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether it is a fact that a telegraphic order was issued to the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Amritsar, in December, 1964, for his transfer from Amritsar, if so, the details of the reasons for transferring the said officer so soon together with the date of his posting at Amritsar ?

Sardar Darbara Singh : Yes, but the said transfer orders were subsequently cancelled. The officer took over as Assistant Registrar, Cooperative Societies, at Amritsar on 4th November, 1964.

POLITICAL SUFFERERS

2135. Chaudhri Net Ram : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number, names and addresses of those political sufferers who are being given pensions by the Government at present;

(b) the names of the political sufferers who have been compensated by the State Government by means other than the grant of pension ?

Shri Ram Kishan : (a) 5,895 political sufferers (including ex-I. N. A. personnel) are getting financial assistance out of National Workers Relief Fund at present. The time and labour involved in compiling the information regarding the names and addresses of the political sufferers will not be commensurate with any possible benefit to be obtained. The lists of political sufferers are, however, available in the Secretariat and can be seen by the Honorable Member.

(b) The time and labour involved in compiling lists of the names of political sufferers who have been compensated by the State Government by means other than the grant of pensions will not be commensurate with any possible benefit to be obtained. If the Hon'ble Member desires to see any particular case or cases in regard to the refund of fines and grant of compensation in lieu of confiscated properties, he can do so in the Punjab Civil Secretariat (Welfare General II Branch).

Concessions other than pensions allowed to the political sufferers are detailed in the statement which is as follows.

Statement Showing concessions other than pensions allowed to the political sufferers

(i) The scheme for the grant of educational facilities to the children and grandchildren by pre-deceased sons of political sufferers is in existence since the year 1961-62. The lists of children of the political sufferers, who got educational facilities during the year 1963-64 are available in the Secretariat (Political Sufferers Branch) and can be seen by the Honourable Member, if he so desires.

(ii) Refund of fine and compensation in lieu of the confiscated properties is allowed to political sufferers on or in their absence to their direct descendants, who suffered imposition of fines and confiscation of proper ties for taking part in National Movements and filed their claims with the Government upto 30th June, 1956, the last date fixed to entertain such claims. The claims when allowed are notified through the Director, Public Relations, Punjab, quarterly or six monthly.

(iii) Grant of relief to ex-Government servants and ex-Government pensioners in the matter of confirmation, promotions counting of previous service for the purpose of pensions/gratuity and benefits in respect of previous service in the case of their re-employment in Government service and grant of pension or gratuity.

Preference for recruitment to Government service provided other things are equal.

(iv) Relaxation of age limit upto and including the age of forty-five years for purposes of entry into Government service allowed upto the 31st December, 1960 only and withdrawn thereafter.

(v) Re-employment of political sufferers and their wives in Government service upto the age of 60 years.

(v) In October, 1962, 2 per cent seat s in educaional technical and professional institutions controlled by Government in the Punjab State were reserved for political suferers and their sons and daughters or sons' sons/daughters, if the sons of political sufferers have/had pre-deceased. Subsequently in July, 1963 this concession was considered to be unconstitutional and was, therefore, made admissible to those persons only who could qualify for it on the basis of their annual income below Rs 1,000.

(2) The Government have also announced, policy to grant symbolic compensation fn the shape of lump-sum amounts to the direct descendants of those persons who lost their immovable property in whole or in part as a result of taking part in any one of the following National Movements, provided applications for the grant of compensation were received before 31st August, 1961 :—

(i) Insurrections attempted during 1849-1957,

(ii) First War of Indian Independence 1857-58,

(iii) Ghaddar Movement, 1911 and

(iv) Kama Gata Maru, 1914.

No compensations has, however, been paid to any claimant in accordance with the above policy.

GOVERNMENT HOSPITALS

2136. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state the names of places in the State where hospitals run by the Government are situated together with the number of beds provided in each of them ?

Shri Prabodh Chandra : The statement is as follows.

LIST OF

GOVERNMENT

HOSPITALS DISPENSARIES
and
PRIMARY HEALTH CENTRES

IN

PUNJAB

(1965)

Issued by

Health Intelligence Burean,
Directorate of Health Services, Punjab,
Chandigarh

(Education and Local Govt. Minister)

List showing District-wise Hospitals, Primary Halth Centres and Dispensaries together with No. of beds run by Punjab State Government as it stood on 1st January, 1965

District	Name of the Institution with place of location		No. of Beds Male	No. of Beds Female
	HOSPITALS			
Hissar ..	1. Civil Hospital, Hissar	..	62	42
	2. Ditto Bhiwani	..	47	16
	3. Ditto Fatehabad	..	10	8
	4. Lady Hailey Women Hospital, Bhiwani	..	..	56
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Jakhal	..	4	4
	2. Ditto Mangali	..	4	4
	3. Ditto Siswal	..	4	4
	4. Ditto Barwala	..	4	4
	5. Ditto Sesai Bhola	..	4	4
	6. Ditto Mirchpur	..	4	4
	7. Ditto Sorkhi	..	4	4
	8. Ditto Khandkheri	..	4	4
	9. Ditto Madho Singhana	..	4	4
	10. Ditto Odhan	..	2	2
	11. Ditto Rania	..	2	2
	12. Ditto Naquipur	..	4	4
	13. Ditto Bhattu Kalan		4	4
	14. Ditto Ratia	..	2	2
	15. Primary Health Unit, Bahuna	..	4	4
	16. Ditto Tosham	..	4	4
	17. Primary Health Centre, Baragaudha	..	2	2
	DISPENSARIES			
	1. School Health Clinic, Hissar	..	..	..
	2. Provincialised Dispensary, Kalanwali	..	2	2
	3. Ditto Uklana	..	2	2
	4. Ditto Balsmand		2	2
	5. Ditto Agroha	..	2	2
	6. Ditto Badopal		2	2
	7. Ditto Pabra	..	2	2
	8. Ditto Siwani	..	2	2
	9. Ditto Kairu	..	2	2
	10. Ditto Chang	..	2	2
	11. Ditto Bahal	..	2	2
	12. Ditto Bhawani Khera	..	2	2
	13. Ditto Bass	..	2	2
	14. Ditto Rori	..	2	2
	15. Ditto Chautala	..	2	2
	16. Ditto Ellanebad	..	2	2
	17. Ditto Darba Kalan	..	2	2
	18. Civil Provincial Dispensary, Loharu	..	4	4
	19. Female Dispensary, Sorkhi	..	Nil	Nil

District	Name of the Institution with place of location		No. of Beds Male	No. of Beds Female
1	2		3	4
	HOSPITALS			
Rohtak	1. Civil Hospital, Rohtak	..	50	24
	2. Ditto Sonepat	..	26	12
	3. Ditto Beri	..	34	36
	4. Women Hospital, Rohtak	..	..	25
	5. Government Medical College, Rohtak	..	194	140
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Gohana	..	16	4
	2. Ditto Madina	..	2	2
	3. Ditto Kathura	..	..	..
	4. Ditto Dhakla	..	2	2
	5. Ditto Kiloi	..	4	4
	6. Ditto Sampla	..	4	4
	7. Ditto Kahnaur		2	2
	8. Ditto Ganaur	..	8	2
	9. Ditto Badali	..	2	2
	10. Ditto Chahhara	..	Nil	Nil
	11. Ditto Nahar	..	2	2
	12. Primary Health Unit, Mandlana	..	5	5
	13. Ditto Dighal	..	6	6
	14. Ditto Kharkhauda	..	8	8
	DISPENSARIES			
	1. School Health Clinic, Rohtak	..	..	..
	2. Provincialised Dispensary, Farmana	..	2	2
	3. Ditto Sanghi	..	2	2
	4. Ditto Mathen Hail	..	2	2
	5. Ditto Machharauli	..	2	2
	6. Ditto Jakhauli	..	2	2
	7. Civil Dispensary, Jhajjar	..	6	4
	8. Ditto Dujana	..	4	4
	9. Ditto Bhalot	..	..	..
	10. Women Dispensary, Beri	..	..	..
	HOSPITALS			
Gurgaon	1. Civil Hospital, Gurgaon	..	30	14
	2. Ditto Rewari	..	24	9
	3. Sir Shadi Lal Maternity Hospital, Rewari	..	..	24
	4. Badshah Khan Hospital, Faridabad	..	65	85
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Balabgarh	..	8	8
	2. Ditto Bawal	..	6	4
	3. Ditto Pataudi	..	4	4
	4. Ditto Nuh	..	6	6
	5. Ditto Mandkaula	..	2	2
	6. Ditto Nagina	..	4	4
	7. Ditto Gangola	..	2	2
	8. Ditto Borakalan	..	4	3
	9. Ditto Dudela	..	2	4
	10. Ditto Khol	..	8	2
	11. Ditto Gurgaura	..	2	2
	12. Ditto Hassanpur	..	4	2
	13. Primary Health Unit, Aurangabad	..	4	4

[Education and Local Govt. Minister]

District	Name of the Institution with place of location		No. of Beds	
			Male	Female
1	2		3	4
	DISPENSARIES			
	1. School Health Clinic, Gurgaon	..	..	..
	2. Provincialised Dispensary, Bhangroula	..	2	2
	3. Ditto Tigaon	..	2	2
	4. Ditto Dhanj	..	2	2
	5. Ditto Biwan	..	2	2
	6. Ditto Ujine	..	2	2
	7. Ditto Dhaniazanabad	..	2	2
	8. Ditto Rasulpur	..	2	2
	9. Ditto Solehra	..	2	2
	10. Ditto Tapa Balachaur	..	2	2
	11. Civil Provincialised Dispensary, Hodel	..	6	2
	12. Ditto Ferozepore Jhirka	..	8	6
	13. Central Informary Dispensary, Rewari	..	6	4
	HOSPITALS			
Karnal ..	1. Civil Hospital, Karnal	..	60	42
	2. Ditto Panipat	..	26	7
	3. Ditto Shahbad	..	15	4
	4. Ditto Kaithal	..	17	14
	5. Maternity Hopital, Radaur	..	..	14
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Nilokheri	..	15	15
	2. Ditto Gharaunda	..	6	2
	3. Ditto Radaur	..	5	3
	4. Ditto Jhansa	..	4	4
	5. Ditto Gulha	..	4	2
	6. Ditto Kaul	..	..	..
	7. Ditto Siwan	..	2	2
	8. Ditto Kutail	..	8	8
	9. Ditto Indri	..	2	2
	10. Ditto Nissing	..	2	2
	11. Ditto Bhapauli	..	2	4
	12. Ditto Ahar		2	2
	13. Ditto Smalkha		6	4
	14. Primary Health Unit Rajaund	..	4	4
	15. Ditto Balah	..	5	5
	DISPENSARIES			
	1. Provincialised Dispensary, Jundla	..	2	2
	2. Ditto Trawari	..	4	2
	3. Ditto Naultha	..	2	2
	4. Ditto Madlada	..	Nil	Nil
	5. Ditto Bhagal	..	2	2
	6. Ditto Chattar	..	1	1
	7. Ditto Taska Miranji	..	2	2
	8. Ditto Babian	..	2	2
	9. Dhatrath	..	2	2
	10. School Health Clinic, Karnal	..	..	..
	11. Mahila Ashram Dispensary, Karnal	..	..	..
	12. Mud Hut Colony Dispensary, Karnal	..	..	..

District	Name of the Institution with place of location		No. of Beds	
			Male	Female
1	2		3	4
	HOSPITALS			
Ambala	1. Civil Hospital, Ambala	..	58	50
	2. Ditto Rupar	..	16	8
	3. Ditto Naraingarh	..	30	8
	4. General Hospital, Chandigarh	..	74	80
	5. Post Graduate Institute Chandigarh	..	233	52
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Kharar	..	10	12
	2. Ditto Nalagarh	..	8	8
	3. Ditto Sadhaura	..	4	4
	4. Ditto Khizrabad	..	2	2
	5. Ditto Mustfabad	..	4	4
	6. Ditto Bilaspur	..	2	2
	7. Ditto Raipur Rani		4	4
	8. Ditto Bharatgarh	..	2	2
	9. Ditto Pinjore	..	3	3
	10. Ditto Chamkaur Sahib	..	2	2
	11. Primary Health Unit, Mulana	..	4	2
	DISPENSARIES			
	1. Provincialised Dispensary, Morinda	..	2	2
	2. Ditto Kurali	..	2	2
	3. Ditto Naggal	..	2	2
	4. Ditto Morni	..	2	2
	5. Ditto Joghon		1	..
	6. Ditto Diggal	..	..	..
	7. Ditto Kot	..	1	1
	8. Women Dispensary, Sadhaura	..	..	4
	9. Relief Camp Dispensary Baldev, Nagar Ambala		2	2
	10. Civil Dispensary, Kalka	..	5	4
	11. Civil Dispensary, Chhachhrauli	..	4	2
	12. Health Centre, Chandigarh	..	..	..
	13. High Court Dispensary, Chandigarh	..	..	..
	14. P.W.D. Dispensary, Chandigarh	..	7	..
	15. School Health Clinic, Chandigarh	..	..	..
	16. Civil Dispensary, Chandigarh	..	..	..
	HOSPITALS			
Simla ..	1. Civil Hospital, Kandaghat	..	8	6
	2. Civil Hospital, Chail	..	7	7
	3. V.D. Hospital, Kandaghat	..	1	1
	4. Lady Reading Hospital, Simla	..	..	104
	5. Hardings Sanatorium, Dharampur	..	52	28

District	Name of the Institution with place of location	No. of Beds Male	No. of Beds Female
1	2	3	4
	PRIMARY HEALTH CENTRES		
Simla ..	1. Primary Health Centre, Syri ..	4	2
	2. Ditto Dharampur ..	4	4
	DISPENSARIES		
	1. V.D. Clinic, Dharampur ..	..	..
	2. Rural Dispensary, Chausa ..	3	..
	HOSPITALS		
Kangra ..	1. Civil Hospital Kangra ..	6	4
	2. Ditto Dharamsala ..	38	..
	3. Ditto Nurpur ..	8	4
	4. Ditto Dera Gopi pur ..	8	4
	5. Women Hospital, Dharamsala ..	..	34
	6. T.B. Hospital, Chatru ..	61	39
	7. T.B. Sanatorium, Tanda ..	120	80
	PRIMARY HEALTH CENTRES		
	1. Primary Health Centre, Palampur ..	14	12
	2. Ditto Chadhiar	2	2
	3. Ditto Hamirpur ..	8	4
	4. Ditto Nadaun ..	4	4
	5. Ditto Boranj ..	2	2
	6. Ditto Bhota ..	2	2
	7. Ditto Barsar ..	8	14
	8. Ditto Gangatha ..	4	4
	9. Ditto Indora ..	10	8
	10. Ditto Hari Pur ..	4	4
	11. Ditto Dada Siba	4	4
	12. Ditto Nagrata Bhogwan ..	4	4
	13. Primary Health Unit, Jawala Mukhi ..	4	4
	14. Ditto Thural ..	4	4
	15. Ditto Shah pur ..	4	4
	DISPENSARIES		
	1. School Health Clinic, Dharamsala ..	..	..
	2. Provinialised Dispensary, Baroh ..	2	2
	3. Ditto Chari ..	2	2
	4. Ditto Paprola ..	2	2
	5. Ditto Kotla ..	2	2
	6. Ditto Tika Nagrota ..	2	2
	7. Ditto Ree ..	2	2
	8. Ditto Khudian ..	2	2
	9. Ditto Dhanota ..	2	2
	10. Ditto Gilori ..	2	2
	11. Ditto Kangoo ..	2	2
	12. Civil Dispensary, Makolodganj ..	..	..
	13. Ditto Pragpur ..	5	5
	14. Women Dispensary, Pirsulahi ..	2	4
	15. Ditto Garli ..	6	20
	16. Rural Dispensary, Rehon ..	..	..

District	Name of the Institution with place of location		No. of Beds	
			Male	Female
1	2		3	4
	HOSPITALS			
Kulu	1. Civil Hospital, Kulu	..	8	8
	2. Leprosy Control Centre, Bhuntar	..	5	5
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Anni	..	2	2
	2. Ditto Banjar	..	6	2
	3. Ditto Nagar	..	2	2
	DISPENSARIES			
	1. V.D. Team, Kulu	..	2	1
	2. Provincialised Dispensary, Jari	..	2	2
	3. Ditto Sanj	..	2	2
	4. Ditto Nirmand	..	2	2
	HOSPITALS			
Lahaul and Spiti ..	1. Civil Hospital, Keylong	..	5	5
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Gondla	..	..	..
	2. Primary Health Centre, Rangrik	..	..	..
	DISPENSARIES			
	1. Rural Dispensary Kaza, Spiti	..	2	
	2. Ditto Sainsha	..	2	22
	3. Ditto Taboo	..	..	..
	4. Ditto Kibber		..	..
	5. Ditto Sagnam	..	..	..
	6. Ditto Jispa	..	..	..
	HOSPITALS			
Hoshiarpur ..	1. Civil Hospital, Hoshiarpur	..	44	18
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Dassuya	..	16	8
	2. Ditto Tanda	..	4	4
	3. Ditto Budhabar	..	2	2
	4. Ditto Jaijon	..	4	4
	5. Ditto Garhshankar	..	16	8
	6. Ditto Anandpur Sahib	..	6	3
	7. Ditto Haripur	..	2	2
	8. Ditto Haroli	..	4	4
	9. Ditto Nurpur Bedi	..	1	1
	10. Ditto Gagret	..	3	3
	11. Ditto Daulatpur	..	4	4
	12. Ditto Saroya	..	2	2
	13. Ditto Paldi	..	10	26
	14. Ditto Balachaur	..	8	4
	15. Ditto Chakowal	..	...	..
	16. Ditto Ambhar	..	..	..

District	Name of the Institution with place of location		No. of Beds Male	Female
1	2		3	4
	DISPENSARIES			
	1. Provincialised Dispensary, Harta Badla	..	2	2
	2. Ditto Janauri	..	2	2
	3. Ditto Nuru Nangal		2	2
	4. Ditto Baddon	..	2	2
	5. Ditto Sahiba	..	2	2
	6. Ditto Garhi Mansowal		2	2
	7. Ditto Santokh garh	..	2	2
	8. Civil Dispensary, Bhunga	..	4	..
	9. Mahila Ashram Hoshiarpur	..	4	6
	10. Rural Dispensary, Behalpur	..	..	..
	HOSPITALS			
Jullundur	1. Civil Hospital, Jullundur	..	140	40
	2. Ditto Nakodar	..	8	12
	3. Ditto Phillaur	..	8	12
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Banga	..	100	50
	2. Ditto Kartarpur	..	6	2
	3. Ditto Adampur	..	8	4
	4. Ditto Kala Bakra	..	8	4
	5. Ditto Muzaffarpur	..	2	2
	6. Ditto Mehatpur	..	8	4
	7. Ditto Jandiala	..	8	2
	8. Ditto Bilga	..	6	6
	9. Ditto Mukandpur		2	2
	10. Primary Health Unit, Shahkot	..	8	6
	DISPENSARIES			
	1. Provincialised Dispensary, Shankar	..	4	4
	2. Ditto Aur	..	5	2
	3. Ditto Talwan		2	2
	4. Civil Dispensary, Nawanshahar	..	4	..
	5. Civil Dispensary, Rahon	..	4	4
	6. Gandhi Vanita Ashram, Jullundur	..	..	8
	HOSPITALS			
Ludhiana	1. Civil Hospital, Ludhiana	..	28	12
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Samrala	..	8	15
	2. Ditto Kumkalan	..	2	2
	3. Ditto Mallaud	..	20	20
	4. Ditto Sahnewal	..	6	6
	5. Ditto Hathur	..	2	2
	6. Ditto Guru Sar Sadhar	..	4	4
	7. Primary Health Unit, Machhiwara	..	4	4
	8. Ditto Sidhwan Bet	..	20	6
	9. Primary Health Centre, Hambran	..	..	..

District	Name of the Institutions with place of location		Name of beds Male	Female
1	2		3	4
	DISPENSARIES			
	1. School Health Clinic, Ludhiana	..	..	..
	2. Provincialised Dispensary, Nurpurbet	..	2	2
	3. Ditto Gujarwal	..	2	2
	4. Ditto Katni Kalan	..	2	2
	5. Ditto Isrue	..	2	2
	6. Ditto Halwara	..	2	2
	HOSPITALS			
Ferozepore	1. Civil Hospital, Ferozepore	..	38	14
	2. Ditto Moga	..	52	16
	3. Ditto Fazilka	..	26	14
	4. Maternity Hospital, Abohar	..	..	12
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Guruharsahai	..	3	3
	2. Ditto Mandot	..	2	2
	3. Ditto Ferozeshah	..	3	3
	4. Ditto Thathu Bhai	..	..	..
	5. Ditto Daruli Bhai	..	4	4
	6. Primary Health Unit, Patto Hira Singh	..	4	4
	7. Ditto Khui Khera	..	4	4
	8. Ditto Chak Sherewala	..	2	2
	9. Ditto Dhudika	..	4	4
	10. Primary Health Centre, Jandwala Bhim Shah		2	1
	11. Ditto Doda	..	4	2
	12. Ditto Kasoana	..	4	2
	13. Ditto Kot Isa Khan	..	8	2
	14. Ditto Sito Guna	..	2	2
	DISPENSARIES			
	1. Maternity Section Malout	..	..	12
	2. Provincialised Dispensary, Malout	..	8	10
	3. Ditto Lambi	..	2	2
	4. Ditto Sarwan	..	2	2
	5. Ditto Kanian Wali		2	2
	6. Ditto Lakhowal	..	2	2
	7. Ditto Mullanwala	..	2	2
	8. Ditto Makhu	..	2	2
	9. Ditto Kakri Kalan	..	2	2
	10. Ditto Mudki	..	2	2
	11. Ditto Sohan garh	..	18	2
	12. Ditto Lambachar	..	..	..
	13. Ditto Panjkosi	..	12	4
	14. Ditto Laduka	..	2	2
	15. Ditto Ram Nagar	..	2	2
	HOSPITALS			
Amritsar	1. Civil Hospital, Ajnala	..	10	8
	2. Rural Hospital, Raja Sansi	..	24	12
	3. V.J. Hospital, Amritsar	..	406	295
	4. Government Mental Hospital, Amritsar	..	392	259
	5. Punjab Government Dental College and Hospital Amritsar	..	..	..
	6. R.B. Sir Gujjarmal Kaseri Devi T. B. Sanatorium, Amritsar	..	100	74

[Educatinn and Local Government Minister]

District	Name of the Institution with place of location		No. OF BEDS Male	Female
1	2		3	4
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Lapoke	..	2	2
	2. Ditto Gharyala	..	4	2
	3. Ditto Fatehabad	..	6	4
	4. Ditto Sursingh	..	4	2
	5. Ditto Rajo Ke	..	2	2
	6. Ditto Chabhal	..	8	4
	7. Ditto Nasuhera Panuwan		4	4
	8. Ditto Mian Windh	..	4	4
	9. Ditto Baba Bakala	..	8	8
	10. Ditto Tarsika	..	2	2
	11. Primary Health Unit, Ram Dass	..	5	5
	12. Ditto Kairon	..	4	4
	13. Ditto Sarhali		4	4
	14. Ditto Thariewal		..	..
	DISPENSARIES			
	1. School Health Clinic, Amritsar	..	..	..
	2. Provincialised Dispensary, Khem Karan	..	2	2
	3. Ditto Subhra	..	2	2
	4. Ditto Algoan	..	2	2
	5. Ditto Moleke	.	2	2
	6. Ditto Sarang Dev	..	2	2
	7. Ditto Bhindi Aulakh		..	..
	8. Ditto Vachoa	..	2	2
	9. Ditto Jasrur	..	2	2
	10. Ditto Kasel	..	6	6
	11. Ditto Jalalabad	..	2	2
	12. Ditto Butala	..	4	2
	13. Ditto Janian	..	4	2
	14. Ditto Chawinda Devi	..	2	2
	15. Ditto Sahal Jhathi	..	2	3
	16. Women Dispensary, Mari Meghe	..	3	3
	HOSPITALS			
Gurdaspur ..	1. Provincial Hospital, Quadian	..	8	8
	2. Civil Hospital, Gurdaspur	..	45	18
	3. Ditto Dalhousi	..	10	10
	4. Ditto Batala	..	34	26
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Fatehgarh Churian	..	6	4
	2. Ditto Mand	..	4	2
	3. Ditto Bham	..	6	2
	4. Ditto Gande Ke Chone	..	5	3
	5. Ditto Kahnuwan	..	6	6
	6. Ditto Ranjit Bag	...	4	4
	7. Ditto Naushehra, Magha Singh	..	4	4
	8. Primary Health Unit, Gharota	..	6	6

District	Name of the Institution with place of location		No. of Beds Male	Female
1	2		3	4
	DISPENSARIES			
	1. Provincialised Dispensary, Behram Pur	..	2	2
	2. Ditto Bhagowal		2	2
	3. Ditto Singhpura	..	6	2
	4. Ditto Dorangla	..	2	2
	5. Ditto Ghanian Ke Bet		..	..
	6. Ditto Ami Chakrangha at Maurar	..	2	2
	7. Civil Dispensary, Dera Baba Nanak	..	8	5
	8. Ditto Aliwal	..	2	..
	9. Ditto Madhopur	..	6	..
	HOSPITALS			
Patiala	1. Lans Dawan Hospital, Nabha	..	28	12
	2. Silver Jubilee Zanana Hospital, Nabha	..	..	32
	3. Civil Hospital, Bassi	..	6	10
	4. Ditto Amloh	..	6	4
	5. Ditto Gobindgarh	..	13	12
	6. A.P. Jain Hospital, Rajpura	..	25	25
	7. Rajindra Hospital, Patiala	..	371	303
	8. Lady Dufferin Hospital, Patiala	...	12	153
	9. T.B. Centre Patiala	..	21	21
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Payal	..	6	2
	2. Ditto Dera Bassi	..	4	2
	3. Ditto Harpalpura	..	4	2
	4. Ditto Bhadson	..	4	2
	5. Ditto Sauja	..	4	4
	6. Ditto Ajnauda	..	4	2
	7. Ditto Gharuan	..	4	2
	8. Ditto Chinarthal Kalan		4	2
	9. Ditto Kauli	..	4	2
	10. Ditto Shutrana	..	..	..
	DISPENSARIES			
	1. Rural Dispensary Tripuri	..	..	..
	2. Rural Dispensary, Ghanaur	..	1	1
	3. Ditto Kalayan	..	..	..
	4. Ditto Kulran	..	..	..
	5. Ditto Lalru	..	1	1
	6. Ditto Fatehgarh Sahib	..	..	..
	7. Ditto Nandpur Kilore	..	1	..
	8. Ditto Tanda Badha	..	1	..
	9. III Touring Dispensary, Patiala	..	..	..
	10. Civil Dispensary, Sanaur	..	..	..
	11. Ditto Banur	..	..	..
	12. Ditto Samana	..	2	2
	13. Ditto Sirhind	..	2	..
	14. Ditto Duraha	..	..	..
	15. T.B. Clinic, Nabha	..	7	8
	16. Kasturba Sewa Ashram Dispensary, Rajpura	..	..	..
	17. City Branch Dispensary, Patiala	..	..	..
	18. Raghomajra Dispensary, Patiala	..	..	..
	19. Model Town Dispensary, Patiala	..	..	..
	20. Handley Female Dispensary, Patiala	..	..	..

[Education and Local Government Minister]

District	Name of the Institution with place of location	No. of Beds	
		Male	Female
1	2	3	4
	HOSPITALS		
Sangrur ..	1. Civil Hospital, Sangrur ..	37	12
	2. Women Hospital, Sangrur ..	..	30
	3. Civil Hospital, Sunam ..	8	2
	4. Ditto Narwana ..	4	2
	5. Ditto Jind ..	16	12
	6. Ditto Barnala ..	10	2
	7. Ditto Malerkotla ..	15	10
	8. Ditto Dhuri ..	3	3
	9. T.B. Hospital Harmitage, Sangrur ..	60	40
	PRIMARY HEALTH CENTRES		
	1. Primary Health Centre Bhiwanigarh ..	4	4
	2. Ditto Longowal ..	4	4
	3. Ditto Kauhrian ..	4	2
	4. Ditto Moonak ..	4	2
	5. Ditto Ujhana ..	..	..
	6. Ditto Kalayat ..	..	..
	7. Ditto Tapa ..	4	4
	8. Ditto Mahal Kalan ..	4	4
	9. Ditto Dhanaula ..	4	2
	10. Ditto Jullana ..	4	4
	11. Ditto Safidon ..	2	2
	12. Ditto Shamlokalan ..	3	5
	13. Ditto Sherpur ..	4	4
	14. Ditto Amargarh ..	5	3
	15. Ditto Gogsian ..	..	..
	DISPENSARIES		
	1. Rural Dispensary Shaina ..	2	..
	2. Ditto Lohat Bedd ..	...	..
	3. Ditto Talewal ..	..	..
	4. Ditto Mastuana ..	4	..
	5. Ditto Kalwa ..	..	..
	6. Ditto Bhuler Heri ..	..	..
	7. Ditto Fatehgarh ..	..	..
	8. Ditto Hari Ke ..	..	..
	9. Ditto Balu ..	..	..
	10. Civil Dispensary Ahmadgarh ..	2	2
	11. Ditto Bhadaur ..	1	1
	12. Ditto Lehragaga ..	1	1
	13. Ditto Uchana ..	..	..
	14. Ditto Hadiaya ..	..	..
	15. T.B. Clinic Sangrur ..	10	8
	HOSPITALS		
Bhatinda ..	1. Civil Hospital, Faridkot ..	32	5
	2. Women Hospital Faridkot ..	..	34
	3. Civil Hospital, Kot Kapura ..	10	10
	4. Civil Hospital, Jaitu ..	4	4
	5. Civil Hospital, Bhatinda ..	42	12
	6. Ditto Mandi Phul ..	3	9
	7. Ditto Mansa ..	10	16
	8. Women Hospital, Bhatinda ..	..	32

District	Name of the Institution with place of location		No. of Beds Male	No. of Beds Female
1	2		3	4
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre, Sangat	..	2	4
	2. Ditto Budhlada	..	6	8
	3. Ditto Gunhana	..	2	2
	4. Ditto Jand Sahib	..	..	..
	5. Ditto Baliawali	..	2	2
	6. Ditto Sardulgarh	..	6	1
	7. Ditto Baje Khana	..	4	4
	8. Ditto Panjgrain Kalan	..	..	..
	9. Ditto Talwandi Sabo	..	3	3
	10. Ditto Bhagta	..	2	4
	11. Ditto Nathana	..	4	2
	DISPENSARIES			
	1. Rural Dispensary Sadiq	..	4	2
	2. Ditto Mehma Swai	..	..	..
	3. Ditto Golawala	..	..	..
	4. Ditto Bhai Rupa	..	1	1
	5. Ditto Bhikhi	..	..	..
	6. Ditto Boha	..	..	..
	7. D.tto Kalrian	..	..	..
	8. Ditto Joga	..	..	..
	9. Civil Dispensary Rama		2	1
	10. Ditto Maur	..	..	..
	11. Ditto Phul	..	3	2
	12. Ditto Barata	..	2	2
	13. Ditto Mehraj	..	8	4
	14. Ditto Bhuchomandi	..	2	1
	HOSPITALS			
Kapurthala ..	1. R.J. Hospital, Kapurthala	..	38	12
	2. V.J. Hospital, Kapurthala	..	..	25
	3. Civil Hospital, Phagwara	..	23	7
	4. Civil Hospital, Sultanpur	..	12	2
	PRIMARY HEALTH CENTRES			
	1. Primary Health Centre Dhilwan	..	4	4
	2. Ditto Panchhat	..	4	2
	3. Ditto Bholoth	..	4	4
	4. Ditto Begowal	..	4	2
	5. Dito Tiba	..	..	..
	6. Ditto Kala Sanghian	..	4	2
	DISPENSARIES			
	1. Rural Dispensary Dhariwal	..	..	..
	2. Ditto Nadala	..	..	..
	3. Ditto Talwandi Chaudhrian	..	..	..
	4. Ditto Bhularai	..	..	..
	5. Ditto Domeli	..	..	..
	6. Town Dispensary, Kapurthala	..	..	..
	7. T.B. Clinic Kapurthala	..	2	1

[Education and Local Government Minister]

District	Name of the Institution with place of location	No. of Beds Male	Female
1	2	3	4
	HOSPITALS		
Mohindergarh	1. Civil Hospital, Narnaul ..	24	6
	2. Ditto Mohindergarh ..	2	2
	3. Ditto Charkhi Dadri ..	24	16
	4. Women Hospital, Narnaul ..	..	12
	5. Women Hospital, Mohindergarh ..	..	2
	PRIMARY HEALTH CENTRES		
	1. Primary Health Centre, Bond Kalan ..	4	4
	2. Ditto Jhoju Kalan ..	4	4
	3. Ditto Sahlog ..	..	..
	4. Ditto Satnali ..	..	2
	5. Ditto Nangal Chaudhrian ..	..	..
	6. Ditto Duchana ..	..	..
	7. Ditto Ateli ..	4	4
	8. Ditto Kaniana ..	4	4
	9. Primary Health Unit, Gopi ..	..	..
	DISPENSARIES		
	1. Rural Dispensary, Achina ..	..	..
	2. Ditto Bala Kalan ..	..	..
	3. Ditto Bhojowa ..	2	..
	4. IV Touring Dispensary, Sehma ..	..	..
	5. T.B. Clinic Narnaul ..	8	8

EXPENDITURE INCURRED ON THE COMMUNITY DEVELOPMENT

2138. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred by the Government on the Community Development Programme during the years 1962-63, and 1963-64, respectively;

(b) the total amount of contribution received from the Public for the Community Development Programme during the period mentioned in part (a) above;

(c) the main heads under which the amount mentioned in (a) and (b) above was expended ?

Sardar Darbara Singh : (a) The requisite information is :—

Year	Total amount of expenditure
(a) (i) 1962-63	2,41,84,764.
(ii) 1963-64	2,63,23,716.

Year	Contribution received from the Public.
(b) (i) 1962-63	1,66,54,000
(ii) 1963-64	1,67,56,700

(c) The main heads under which the amounts mentioned in (a) and (b) above were expended are as under :—

(i) Staff at State and Block Headquarters.

(ii) Schemes of the Animal Husbandry and Agriculture in the Blocks.

(iii) Schemes regarding Irrigation and Reclamation.

(iv) Schemes relating to Health and Rural Sanitation.

(v) Schemes for Education in Rural Areas.

(vi) Schemes for Social Education in Rural Areas.

(vii) Road construction, culverts and Bridges in Rural Areas.

(viii) Development of Rural Arts, Crafts and other Industries.

(ix) Loans under the C. D. and N. E. S. Programme fr Minor Irrigation.

JOINT STOCK COMPANIES

2139. Chaudhri Net Ram : Will the Chief Minister be pleased to state the total number and names of Joint Stock Companies (Private and Public) working in the State as on 1st January, 1965, together with the names of places where their registered offices are located ?

Shri Ram Kishan : Not known as registration of Joint Stock Companies is a central subject.

FERTILIZER PRODUCED IN THE STATE

2141. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total quantity of fertilizers received by the State from the Government of India during the years 1961-62, 1962-63 and 1963-64;

(b) the total quantity of fertilizers distributed in the State during the said period ?

Sardar Darbara Singh : (a) & (b) Statement as follows.

STATEMENT

Information regarding procurement and distribution of fertilizers during the year 1961-62, 1962-63, 1963-64, in the Punjab State.

	YEARS		
	1961-62	1962-63	1963-64
	Tonnes	Tonnes	Tonnes
(a) Total quantity of fertilizers received by by the State from Government of India ..	,972	1,36,098	2,20,096
(b) Total quantity of fertilizers distributed in the State ..	59,404	1,01,960	1,69,084

LAND UNDER IRRIGATION DURING 1963-64

2142. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the total area of Agriculture land irrigated through different means in the state during the year 1963-64 ?

Chaudhri Rizaq Ram : 1,06,86,575 acres.

CONSUMPTION OF ELECTRICITY IN THE STATE

2143. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the annual *per capita* consumption of electricity in the state during the year 1963-64;

(b) the annual *per capita* consumption of electricity during the said period in the districts of Amritsar, Gurdaspur, Jullundur, Hissar, Mohindergarh and Rohtak, respectively?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) 104 Units.

(b)

	Name of District	per capita consumption
1.	Amritsar	.. 75 Units
2.	Gurdaspur	.. 37 Units
3.	Jullundur	.. 51 Units
4.	Hissar	.. 27 Units
5.	Mohindergarh	.. 45 Units
6.	Rohtak	.. 20 Units

LICENCES FOR BRICK KILNS IN HISSAR DISTRICT

2144. Chaudhri Net Ram : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of firms or individuals who were given licences for brick kilns in district Hissar during the years, 1962 to 1964;

(b) the total number of bricks burnt by the kilns mentioned in part (a) above annually ?

Shri Ram Kishan : (a) and (b) A statement containing the requisite information is as follows.

STATEMENT

Serial No.	Name of the party	Total number of bricks burnt during the year 1962-63	1963-64 and upto 31-12-1964
1.	Shri Milkhi Ram, son of Shri Mohan Lal R. D. 513 Rajasthan Canal ..	Cancelled	
2.	Gram Panchayat Village Chandpura ..	..	1,025,000
3.	Shri Pyare Lal, son of Shri Suraj Bhan village Durjanpur ..	1,425.000	1,443,950
4.	Shri Atma Ram, son of Shri Daboo Mal, Tohana ..	..	1,211,300
5.	M/s Ram Sukh Dass, son of Shri Pitha Ram, village Chautala ..	..	1,219,750
6.	The Hissar Textiles Mills, Hissar ..	..	4,446,368
7.	The Technological Institute of Textiles Bhiwani ..	..	1,235,500
8.	Shri Suraj Bhan, son of Shri Mansa Ram, village Gidranwali ..	..	1,560,000
9.	Sarpanch Gram Panchayat, Kekhar ..	..	618,370
10.	Shri Ramji Lal, son of Shri Gordhan village Lehrian ..	..	102,00,75
11.	The Gram Panchayat Bahmanwala ..	Cancelled	
12.	M/s Jagat Singh-Bahadur Singh, village Bajekan	..	2,691,100
13.	Shri Jagdish Parshad, son of Sham Lal village Satrod ..	..	..
14.	Shri Lalit Mohan Bansal, son of Shri Hari Ram Sirsa ..	..	..
15.	Shri Shiv Kumar Vaidya, village Halwas ..	..	736,175
16.	Shri Krishan Lal Metha Shamshbad, Sirsa ..	..	..
17.	Punjab Cloth Mills, Bhiwani ..	..	..
18.	Gram Panchayat Kharak ..	Cancelled	
19.	M/s Rama and Co., Hissar ..	Hissar	..
20.	The National Brick Kiln-Cum-Sale Co-operative Industrial Society Ltd., Hansi ..	..	509,400
21.	Shri Amar Singh, Arith, Tohana ..	..	816,891
22.	Shri Roshan Lal, Dhani Mohabatpur ..	..	557,100
23.	Shri Ram Kishore, son of Shri Amrit Lal, Fatehabad	1,528,550	1,750,500
24.	Shri Rajinder Kumar, Hissar ..	..	1,064,750
25.	Shrimati Sunehri Devi, village Behbalpur ..	..	1,740,425

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the party	Total number of bricks burnt during the year 1962-63	1963-64 and upto 31-12-1964
26.	Shri Rattan Singh, Talwandi Raman	..	1,324,975
27.	Shri Huckam Singh , son of Shri Siri Chand villge Faridpur Majra	..	..
28.	Shri Risal Singh, son of Shri Bhopa Ram, village Kharak Purian	..	..
29.	M/s Balmukand-Lal Chand, Hissar	..	..
30.	Shri Harbans Lal Sethi M. Dabwali	..	..
31.	Shri Bachittar Singh Shamshabad, Sirsa	..	..
32.	Shri Ganga Bishan Chayal, Sirsa	..	..
33.	M/s Gurbakash Singh-Gurdev Singh	..	..
34.	M/s Balkishan Dass-Gulab Chand, village Siswal	..	..
35.	Shri Bhag Mal, son of Nanak Jat, village Kharian	..	..
36.	Shri Manohar Lal, son of Shri Banarsi Dass, village Kalanwali	..	..
37.	M/s Shiv Kumar-Ram Niwas, Uklana	..	..
38.	The Gram Panchayat, Surtia	..	..
39.	Shri Ram Saran Dass, Bansal, Siwani	..	..
40.	Shri Lachhman Dass-Subash Chander, Village Harauli	..	..
41.	M/s Narain Dass and Co. Village Dhingana	..	..
42.	Shri Puran Chand Mittal, village Muklan	—	..
43.	M/s Dewan Chand and Sons, village Dhand	..	..
44.	M/s Duni Chand, son of Shri Budh Ram, village Umra	—	..
45.	M/s Hari Charan Joshi and Co. Village Mithathal	..	..
46.	Shri Ramesh Kumar Maheshwari village Jagmalwali	..	..

AMOUNT OF ABIANA AND BETTERMENT LEVY REALISED BY CANAL DEPARTMENT IN THE STATE

2145. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the total amount realised by the Canals Department in the State under the following heads during the period from 1957 to 1964:—

(i) Betterment Levy; (ii) Abiana ?

[Public Works and Welfare Minister]

Year		Abiana realised	Betterment levy realised
		Rs.	Rs.
1957-58	..	2,93,98,922	—
1958-59	..	2,50,32,730	20,72,442
1959-60	..	2,96,91,696	1,37,25,815
1960-61	..	3,10,37,390	28,35,045
1961-62	..	2,90,86,779	1,18,28,122
1962-63	..	3,72,61,072	1,57,70,431
1963-64	..	4,75,05,449	1,37,71,798

PERSONS REGISTERED WITH EMPLOYMENT EXCHANGES

2146. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of un-employed persons registered with the Employment Exchange Offices in the State as on 1st January, 1964;

(b) the total number of un-employed persons registered with these Exchanges from 1st January, 1964 to 31st December, 1964 ;

(c) the total number of persons provided employment through the said offices during the period from 1st January, 1964, to 31st December, 1964;

(d) the total number of un-employed persons registered with the said offices as on 1st January, 1965 ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) 83,236.

(b) 3,08,952.

(c) 60,909.

(d) 89,329.

POLITICAL PRISONERS IN JAILS

2147. Chaudhri Net Ram : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of political prisoners in the jails of the State as on 18th January, 1965 and the class in which they have been placed ?

Shri Ram Kishan : *First part*: Nil.

Second part : Question does not arise.

REGISTERED LABOUR UNION

2148. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the total number, names and addresses of the registered Labour Unions in the State at present ?

Chaudhri Rizaq Ram : There were 691 registered Labour Unions in the State as on 31st January, 1965. A list giving names of the Unions and their addresses, is as follows.

[Public Works and Welfare Minister]

List of Registered Trade Unions in the State of Punjab as on 31st January, 1965

Serial No.	Name and postal address of the Union

AMBALA DISTRICT

1. Military Farm Employees Union, 3484 Abkari Road, Ambala Cantt.
2. Punjab and Himachal E. M. E. Karamchari Union, Ambala Cantt.
3. M. E. S. Workers Union, Ambala Cantt.
4. M. E. S. Employees Union, Punjab Himachal and J & K, Ambala Cantt.
5. Defence Employees Union, c/o Shri Hira Lal Motor Driver, Near Ordance Cable Factory, Chandigarh.
6. Northern Railway Licensed Porters Union, Hindu Sabh Bhawan, Ambala Cantt.
7. Northern Railway Vendors' Union, Ambala Cantt.
8. Defence Civilian Employees Union, Opposite Police Station, Ambala Cantt.
9. Cantt. Fund Employees Association, Ambala Cantt.
10. Punjab National Bank Employees Union, Shiv Kutir, Punjabi Mahalla, Ambala Cantt.
11. Ambala Division Central Co-operative Bank Employees Union, Ambala City
12. Punjab Government Press Workers Union, c/o Narain Singh Chouhan, Quarter No. 29/23-B/12-D, Block C, Chandigarh.
13. Water Workers Union, Municipal Committee, Ambala City.
14. Municipal Sweepers Union, Jagadhri Road, Yamuna Nagar.
15. Punjab Government Non-Commercial Motor Drivers Union, 12 JA/124 Sector 22-A., Chandigarh
16. High Court Employees Union, Chandigarh.
17. Punjab Work Charge Union, House No. 2 Sector 24-Chandigarh.
18. Class IV Government Employees Union, c/o Cane Commissioner, Chandigarh.
19. Municipal Employees Union, Jagadhri.
20. Punjab P. W. D. Workers Union, Yamuna Nagar.
21. Municipal Employees Union, Kharar.
22. Punjab Chowkidar Workers Union, 13-JE/121, Sector 27-C, Chandigarh.
23. Municipal Subordinate Union, Yamuna Nagar.
24. Municipal Subordinate Services Federation, Ambala City.
25. Punjab Scheduled Caste Welfare Association, Prem Nagar, Ambala City.
26. Khetihar Mazdoor Congress Sharam Shivir Workshop Road, Yamuna Nagar.
27. Brook Bond Employees Association, Ambala.
28. R.B. Banarsi Dass Flour Mills Workers Union, Ambala Cantt.
29. B.D. Flour Mills Clerical Staff Union, Ambala Cantt.
30. Sarswati Sugar Mills Mazdoor Union, Yamuna Nagar.
31. Sugar Mills Labour Union, Yamuna Nagar.
32. Chini Mills-Mazdoor Union, Morinda.
33. Bharat Starch Mills Labour Union, Yamuna Nagar.
34. Bharat Starch and Chemicals Workers Union, Yamuna Nagar.
35. Panipat Woollen Mills Workers Union, Kharar.
36. Panipat Woollen and General Mills Mazdoor Sabha, Kharar.
37. Mill Mazdoor Union Panipat Woollen and General, Mills, c/o Shri Inayat Masih Kuraly Road, Kharar.
38. Ara Mills Mazdoor Union, Sharam Shiver Workshop Road Yamuna Nagar.
39. Shri Gopal Paper Mills Labour Union, Yamuna Nagar.
40. Shri Gopal Karamchari Union, Yamuna Nagar.
41. Tribune Employees Union, Ambala Cantt.
42. Tribune Workers Union, Ambala Cantt.
43. Printing Press Workers Union, Sant Pura Model Town Yamuna Nagar
44. B.M. Plastic Workers Union, Ambala City.
45. Bhupindera Cement Workers Union, Surajpur.
46. Rolling Metal Labour Union, Jagadhri.
47. Jagadhri Metal Mazdoor Sabha Jagadhri.
48. Jagadhri Metal Labour Union, Jagadhri.
49. Jagadhri Metal Workers Union, Jagadhri.
50. Roshan Industries Mazdoor Union, Yamuna Nagar.
51. Thathiar Union, Jagadhri.
52. Sawtantar Thathera Union, Jagadhri.

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
	Ambala District concld
53.	Saraswati Engineering Workers Union Yamuna Nagar.
54.	Engineering Mazdoor Sabha, Yamuna Nagar.
55.	Engineering and Foundry Mazdoor Union, Yamuna Nagar.
56.	Scientific and Engineering Workers Union, Ambala Cantt.
57.	Meters and Instruments Workers Union Quarter No. A/25 Sector-30 Chandigarh
58.	Ambala Scientific Industries Workers Union, Ambala Cantt.
59.	B.D. Ice Factory, Workers Union, G.T. Road, Ambala Cantt.
60.	General Labour Union, Yamuna Nagar.
61.	Capital Workers Union, 704/22B Chandigarh.
62.	Capital and Technical Workers Unioh, Chandigarh.
63.	Punjab and Capital Mainatenance Workers Union, Cheap House No. 96 Sector 15-D, Chandigarh.
64.	New Vish Karma Labour Union, Bazar Railway Road, Jagadhri
65.	Electric Supply Corporation Workers Union, Ambala Cantt.
66.	Jagadhri Electric Supply Co. Workers Union, Jagadhri
67.	Sweepers Union, Ambala City.
68.	Sweepers Union, Jagadhri.
69.	Sweepers Union, Chandigarh.
70.	Sweepers Union, Balmik Mohalla, Rupar.
71.	Ambalala Cycle Dealers Employees Union, Ambala Cantt.
72.	Trade Employees Union, Ambala
73.	District Motor Transport Workers Union, Ambala City.
74.	Motor Transport Workers Union, Rupar.
75.	Ambala Bus Syndicate Employees Union, Rupar.
76.	Ambala District Road Transport Workers Union, Rupar.
77.	District Motor Transport Workers Union, Kalka.
78.	Kalka Simla Motor Transport Workers Union, Kalka.
79.	Rickshaw Workers Union, Ambala Cantt.
80.	Janta Rickshaw Workers Union, House No. 4511, Mohalla Kaziwar, Ambala City
81.	Yamuna Nagar Rehri Union, C/o Sharam Sewak Workshop Road, Yamuna Nagar.
82.	Punjab Working Journalists Union, Chandigarh.
83.	Ambala Talkies Workers Union, 4528, Dall Mandi Street, Ambala Cantt
84.	Hotels Workers Union, Chandigarh.
85.	Iron and Steel Fabricators Association, Pokhar Dass Building, Nicholson Road, Ambala Cantt.
86.	Pursharthi (Iron and Steel) Quota Holders Association, C/o Forward Cottage Industries, 94-Circular Road, Ambala City.
87.	Metal Moulders Association, Jagadhri.
88.	Handmade Utensils Manufacturing Association, Jagadhri.
89.	Brass Moulders Association, Jagadhri.
90.	Industries Association, Sabathu Road, Ambala City.
91.	Barber Union, Yamuna Nagar.
92.	All India Cantt Board Employees Federation, Ambala Cantt.
93.	Punjab University Press Workers Union, Chandigarh.
94.	Municipal Employees Union, Chowk Sabzhi Mandi, Rupar.
95.	Cycle Rickshaw Union, Yamuna Nagar and Jagadhri etc., Subash Novel Store, Yamuna Nagar.
96.	Press Workers Union, House No. 1928, Sector 22-B, Chandigarh.
97.	Cantt Board Workers Union, 3498, Timber Market, Sadar Bazar, Ambala Cantt.
98.	Northern Railway Licenced Porters Union, 3498, Timber Market, Sadar Bazar Ambala Cantt.
99.	E.M.E. Civilian Employees Union, Punjab and Himachal Pradesh, E.M.E. Station c/o Workshop, Ambala Cantt.
100.	Municipal Safai Karamchari Sangh, Sharam Shiver, Workshop Road, Yamuna Nagar.
101.	Scheduled Castes and Backward Classes and Punjab Governmnt Press Worker Welfare Association, 2073/13-JE/24-C, Chandigarh.
102.	P.F.C. Employees Union, Sector 17-B, Chandigarh.

[Public Works and Welfare Minister]

Serial No.	Name and Postal Address of the Union

AMRITSAR DISTRICT

1. Northern Railway Locomotive Workshop Mazdoor Union, Amritsar.
2. Suraksha Safai Mazdoor Union, 23/3, M.E.S. Thamya Road, Amritsar.
3. E.S.I.C. Employees Union, 865/9, Gali Dhobian No. 1, Khazana Gate, Amritsar,
4. Cantt Board Employees Union, Amritsar.
5. Allahabad Bank Employees Union, 1743 Puri Lakkar Mandi, Amritsar.
6. Central Bank of India Employees Association, Amritsar.
7. The Chartered Bank Employees Union, Amritsar.
8. National and Grindlays Bank of India Employees Union, Hall Bazar, Amritsar.
9. Punjab Co-operative Bank Employees Union, Amritsar.
10. Central Bank of India Employees Union, Amritsar.
11. New Bank of India Employees Union, Opposite Town Hall, Amritsar.
12. Punjab Government Class IV Canal Workers Union, Opposite Gali No. Putlighar, Amritsar.
13. Municipal Mazdoor Sabha, Chowk Farid, Amritsar.
14. Punjab Board Teachers Union, Jandiala Guru, Amritsar.
15. Municipal Workers Union, Ekta Bhawan, Chehharta.
16. Municipal Labour Union, Amritsar.
17. Municipal Lower Grade Employees Union, Chapparwali Gali, Sarhali Road, Taran Taran.
18. Punjab P.W.D. Inspectors Association, 2291/1, Katra Jamail Singh, Amritsar.
19. Fire Brigade Employees Union, Lohgarh Gate, Amritsar.
20. Mental Hospital Employees Association, Amritsar.
21. Punjab Medical Employees Association, Gali No. 1, Putlighar, Amritsar.
22. Class IV, Medical and Health Employees Union, Chowk Farid, Amritsar.
23. Chai Mazdoor Sabha, Amritsar.
24. Flour Oil and General Mills, Mazdoor Union, Amritsar.
25. Amritsar Food Products Workers Union, Putlighar, Gali No. 2, House No. 1190,/ XIV/21, Amritsar.
26. Amritsar Sugar Mills Mazdoor Union, Chehharta.
27. Distrillery Mazdoor Union, G.T. Road, Putlighar, Amritsar.
28. Punjab Distilling Industries, Mazdoor Union, Chehharta.
29. Textile Labour Association, G.T. Road, Gali No. 1, Putlighar, Amritsar.
30. Textile Mazdoor Sangh, Gali No. 2, Putlighar, Amritsar.
31. Textile Mazdoor Ekta Union, Amritsar.
32. Kapoor Silk and Weaving Mills, Mazdoor Union, Amritsar.
33. Amritsar Textile Labour Union, Amritsar.
34. Amritsar Textile Karamchari Sabha, House No. 991/12, Gali Chajju Mither, Amritsar.
35. Textile Workers Union, G.T. Road, Putlighat, Amritsar.
36. Amritsar Rayon and Silk Mills Mazdoor Union, Opposite Gali No. I, G. T. Road, Putlighar, Amritsar.
37. Amritsar Textile Clerks Association, Gali No. 2, Building No. 1190-21, Amritsar.
38. Indian Woollen Textile Mazdoor Union, G.T. Road, Chehharta.
39. Embroidery Mazdoor Union, 4 Lakshman Building, Chehharta.
40. Calico Printing Mills, Mazdoor Union, Amritsar.
41. Surgical Dressing Co. Labour Union, Chehharta.
42. Surgical Dressing Labour Union, Opposite Gali No. 1, Putlighar, Amritsar.
43. Surgical Dressing Co. Mazdoor Union, Ekta Bhawan, Chehharta.
44. Harijan Shoe Workers Union, Katra Sher Singh, Amritsar.
45. Amritsar Ara Mills Labour Union, Gali No. 2, Putlighar, Amritsar.
46. Press Workers Uhion, Opposite Gali No. 3, Putlighar, Amritsar.
47. Rubber Workers Union, Near Gurdawara Pipli Sahib, Putlighar, Amritsar.
48. Shambhu Nath and Sons Workers Union, Opposite Gali No. 3, Putlighar, Amritsar.
49. Paint Colour and Chemical Industries Workers Union, Opposite Gali No. 3, Putlighar Amritsar.
50. Chemical Workers Union, Amritsar.
51. Chemical and Medicine Workers Union, Amritsar.
52. Brickkiln Owners and Contractors Employees Union, Amritsar.
53. Glass Workers Union, Putlighar, Amritsar.
54. Iron and Steel Workers Union, Amritsar.

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
	Amritsar District (Concld)
55.	Amritsar Metal and General Mazdoor Union, Amritsar.
56.	Visnawa Karama Thathiar Workers Union, Jandiala Guru (Amritsar)
57.	Universal Screw Factory Mazdoor Sangh, Chehharta.
58.	Universal screw Factory Mazdoor Union, Chehharta.
59.	National Mechanical Labour Union, Opposite Gali No. 1, G.T. Road, Putlighar, Amritsar.
60.	Mechanical Mazdoor Association, Gali No. 2, Putlighar, Amritsar.
61.	Amritsar General, Labour Union, Amritsar.
62.	General Labour Union, Tarn Taran.
63.	Amritsar General Mazdoor Sabha, Chowk Farid, Amritsar.
64.	Karan Chand Thapar and Brother and Allied concerns Employees Union, 70, Queens Road, Amritsar.
65.	Imarti Karkun (Building) Committee, Amritsar.
66.	Shops and Commercial Employees Union, Amritsar.
67.	Amritsar Cycle Merchants Employees Union, Amritsar.
68.	Amritsar Commercial and Trade Employees Union, Amritsar.
69.	Shops Assistants Union, Katra Ahluwalia, Amritsar.
70.	Pathankot-Amritsar Transport Workers Union, Amritsar.
71.	New United Transport Workers Union Opposite Gali No. 1, G.T. Road, Putlighar, Amritsar.
72.	Private Car Drivers Union, Putlighar, Amritsar.
73.	Rickshaw Workers Union, Amritsar.
74.	Rickshaw Mazdoor Sangh Islamabad, Krishan Nagar, new Phatak, Amritsar.
75.	News papers Editors and Journalists Associations, 662/I, Katra Kanhyan, Amritsar.
76.	Ayurvedic Employees Association, Gali No. 1, Putlighar, Amritsar.
77.	Punjab Cine Employees Association, Putlighar, Amritsar.
78.	Club and Hotel Employees Union, Gali No. 1, G.T. Road, Putlighar, Amritsar.
79.	Amritsar Dry Cleaning and Dyeing Workers Union, Amritsar.
80.	Punjab Textile Manufacturers Association, Amritsar.
81.	Amritsar Hand Knitting Wool Processors Association, Amritsar.
82.	Northern India Lace Manufacturers Association, C/o Swadesh Lace Factory, Ram Tirath Road, Amritsar.
83.	Punjab Wrap Knitting Industries Association, Op pal Vila, 18-M. M. Malvia Road Amritsar.
84.	Iron and Steel Manufacturers Association C/o M/s Chaman Lal Sons Bazar Khatian, Amritsar.
85.	Punjab Machinery Manufacturers Association, 1721 i/s Sultanwind Gate, Amritsar.
86.	Amritsar Halwai Union, Amritsar.
87.	Amritsar Sabzi and Fruit Merchants Association, Amritsar.
88.	Amritsar Small Scale Industrialists and Commercial Association, Azad Nagar Putli Ghar Amritsar.
89.	Khokha Owners Association, Chehharta.
90.	Punjab Dry Cleaners and Dyers Association, Amritsar.
91.	Punjab State Barbers Union, Chowk Chabutra, Amritsar.
92.	Amritsar Labour Federation, Amritsar.
93.	Amritsar Trade Union Council, O/S Hall Gate, Amritsar.
94.	Punjab and Himachal Pradesh Motor Transport Workers Federation, Amritsar.
95.	District Amritsar Cycle and Rickshaws Repairers Union, 774/14 Anand Niwas, Opposite N.R. Loco motive Workshop, G.T.Road, Amritsar.
96.	Zila Parishid Employees Union, Sarhali Road, Tarn Taran.
97.	Municipal Employees Union, Chheharta.
98.	The Bank of Baroda, Employees Union (Punjab) 22 Krishan Market, Ist Floor, Katra Ahluwali, Amritsar.
99.	artap Steel Rolling Mill Workers Union, Partap Bazar, Chheharta.
100.	PMunicipal Labour Union, atti.

[Public Works and Welfare Minister]

BHATINDA DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1.	Panchayat Employees Union, Mansa.
2.	Bhatinda Division Transport Workers Union, Bhatinda.
3.	District Motor Transport Workers Union, Kot Kapura.
4.	Faridkot Motor Transport Workers Union, Faridkot.
5.	Bhatinda District Transport Workers Union, Power House Road, Civil Station, Near Bus Stand, Bhatinda.
6.	Punjab Cotton Factories Association, Bhatinda.
7.	Rama Iron and Steel Merchants Association Rama Mandi,
8.	Grain Merchants Association, Hospitals Road, Bhatinda.
9.	Municipal Employees Union, Municipal Committee, Bhatinda.

FEROZEPORE DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1.	Station Masters Group Association, Ferozepore.
2.	Cantt. Board Employees Union, Street No. 2, House No. 59, Ferozepore Cantt.
3.	Station Head quarters Civilian Sweepers Union, Ferozepore Cantt.
4.	Municipal Employees Union, Town Hall, Ferozepore.
5.	Octroi Municipal Employees Union, Muktsar.
6.	Municipal Employees Union, Basti Taran wali, Ferozepore Cantt.
7.	Nagar Palika Mazdoor Union, Talwandi Bhai.
8.	Octroi Employees Union, Civil Line, Moga.
9.	Sutlej Flour Mills Workers Union, Ferozepore.
10.	Food Specialities Employees Union, c/o New Tent House, Partap Singh Road, Moga.
11.	Cotton Mills Ma door Union, Abohar.
12.	Indian Enamel workers Union, Ferozepore City.
13.	Hussainwali Border Labour Union, Ferozepore City.
14.	Sweeper Union, Moga.
15.	Dana Mandi Mazdoor Union, Ahatta Brar, Railway Road, Moga.
16.	Ferozepore Transport Workers Union, Moga.
17.	New Samundri Transport Workers Union, Ferozepore.
18.	District Motor Transport Workers Union, Moga.
19.	East Punjab Contractors Association, Moga.
20.	Abohar Grain Merchants Association, Abohar.
21.	The Cantt Board Safai Karamchari Union, House No. 56, Street No. 8, Ferozepur Cantt.

GURDASPUR DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union.
1	2
1.	Railway Licensed Porters Union, Pathankot.
2.	Suraksha Karamchari Union, C/o INTUC, Congress Bazar, Pathankot.
3.	Military Hospital Civilian Workers Union, c/o INTUC Mazdoor Council, Pathankot.
4.	Municipal Safai Karamchari Union, Pathankot.
5.	Municipal Employees Union, Pathankot.
6.	District Fourth Grade Employees Union, Civil Lines, Gurdaspur.
7.	Municipal Employees Union, Gurdaspur.
8.	Glacier Factory Workers Union, c/o INTUC, Congress Bazar, Pathankot,
9.	Co-operative Sugar Mills Mazdoor Union, Batala.
10.	Dhariwal Mills Mazdoor Union, Dhariwal.

Serial No.	Name and Postal address of the Union
1	2
	GURDASPUR DISTRICT
11.	New Egerton Woollen Mills, Gorkha Guard Union, Dhariwal.
12.	Dhariwal Kharkhana Workers Union, Dhariwal.
13.	Bhartiya Textile Mazdoor Sangh, Gopal Ward No. 3, Dhariwal.
14.	Ara Chakki and General Labour Union, Pathankot.
15.	Timber and Saw Mills Workers Union, Pathankot.
16.	Bajri Labour Union, Pathankot.
17.	Iron and Steel Workers Union, Batala.
18.	Conduit Pipe and Rubber Mazdoor Sangh, Dina Nagar.
19.	Industrial Workers Union, Batala.
20.	General Factory Workers Union, Pathankot.
21.	General Labour Council, G.T. Road, Batala.
22.	Pathankot Dastkari Union, Pathankot.
23.	Trade Employees Union, Pathankot.
24.	Swarnkar Karamchari Union, Pathankot.
25.	Trade Muniem Union, Batala.
26.	Pathankot Khokha Union, c/o INTUC, Mazdoor Council, Congress Bazar, Pathankot.
27.	Gurdaspur Muneem and Workers Union, c/o Walati Ram Aggarwal, Mandi Gurdaspur.
28.	Hills Truck Motor Transport Workers Union, Pathankot.
29.	All Hills Motor Transport Workers Union, Pathankot.
30.	Transport Employees Union, Pathankot.
31.	Pathankot Rickshaw pullers Union, Pathankot.
32.	Batala Utensils Manufacturers Association, G.T. Road, Batala.
33.	Gurdaspur District Municipal Employees Federation, Dhariwal.
34.	Pathankot Municipal Workers Union, Pathankot.
35.	The Khadi Mazdoor Sangh, Sujanpur, tehsil Pathankot, district Gurdaspur.
36.	Lakshmi Commercial Bank Karamchari Sangh, 108/Model Town, Pathankot.
37.	Punjab Shops and Commercial Workers Federation, Kaila Niwas, Khara Khuh, Pathankot.
38.	Press Workers Union, Congress Bazar, Pathankot.
39.	Gupta Conduit Karamchari Union, Dina Nagar.

GURGAON DISTRICT

Serial No.	Name and postal Address of the Union
1	2
1.	Government of India Press Workers Union, Faridabad.
2.	Ordnance Workers Union, Gurgaon.
3.	Faridabad Power House Workers Union, I.E./42, N.I.T., Faridabad.
4.	Faridabad Development Board Clerks Association, Faridabad.
5.	Punjab State P.W.D. Workers Union, Gurgaon.
6.	Municipal Employees Union, 18/121, N.I.T., Faridabad.
7.	Municipal Karamchari Sangh, Mohalla Tejpura, Gokal Gate, Rewari.
8.	Hospital Employees Union, Faridabad.
9.	Health and Medical Employees Union, Faridabad.
10.	Textile Mazdoor Union, 18/164, N.I.A. Market No. 1, Faridabad.
11.	Textile and Embroidery Workers Union, Faridabad.
12.	Bata Shoe Workers Union, Faridabad.
13.	Delhi Pulp Industries Workers Union, Faridabad.
14.	Faridabad Paper and Stationery Workers Union, C/o I.F./25, Faridabad.
15.	Bharat Carbon and Ribbon Manufacturing Co., Clerical Staff Union, Faridabad.
16.	Bharat Carbon and Ribbon Workers Union, Faridabad.
17.	Paramount Rubber Industries Workers Union, Faridabad.
18.	Super Seals Employees Union, 12 Miles Stone, Mathura Road, Faridabad.
19.	Super Seals Mazdoor Union, c/o Shri Daulat Ram, New Building, Mathura Road, Badarpur (Faridabad).
20.	R.C. and H.R. Employees Union, Faridabad.
21.	Bhargawa Glass Workers Union, Faridabad Township.

[Public Works and Welfare Minister]

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
	GURGAON DISTRICT—*concld*
22.	Hindustan Vacuum Glass Workers Union, D/22, N.I.T., Faridabad.
23.	Glass and Ceramics Workers Union, Faridabad.
24.	Atul Glass Industries Workers Union, c/o INTUC No. 2, Faridabad Township.
25.	Bhaska Workers Union, c/o INTUC No. 2, Faridabad Township.
26.	Hitkari Brothers Mazdoor Union, Faridabad.
27.	The Lauls Private Ltd. Workers Union, Faridabad.
28.	Saiwal Thathara Association, Rewari.
29.	Thathara Grah Barton Nirman Sangh, Rewari.
30.	Thathara Association, Bara Bazar, Rewari.
31.	Metal Box Mazdoor Union, Faridabad.
32.	H.A.C. Workers Union, Faridabad.
33.	Ameteep Workers Union, c/o INTUC No. 2, Shanti Bhawan, Faridabad.
34.	Sharce Industries Workers Union, C/o Shri Daulat Ram Building, Ballabgarh.
35.	Engineering Mazdoor Union, House No. 2, N.T. Faridabad.
36.	Dhanda Engineering Workers Union, Faridabad.
37.	Indian Hardware Workers Union, Faridabad.
38.	Faridabad Engineering Workers Union, Faridabad.
39.	Ballabgarh General Enginering Workers Union, Ballabgarh.
40.	Faridabad Free Wheels Mazdoor Union, 57, I.A., Faridabad.
41.	Auto Lamps Workers Union, Faridabad.
42.	Hindustan Electric Workers Union, Faridabad.
43.	Hindustan Electric Mazdoor Union, c/o INTUC No. 2, Shanti Bhawan, Faridabad.
44.	Havells Workers Union, Faridabad.
45.	Escorts Faridabad Workers Union, 18/4, Mathura Road, Faridabad.
46.	K.G.K. Employees Welfare Society, Faridabad.
47.	K.G. Khosla Workers Union, Aurangpur, Faridabad.
48.	General Labour Union, Faridabad.
49.	Faridabad Industrial Workers Union, Faridabad.
50.	Gurgaon District Transport Workers Union, Gurgaon.
51.	Faridabad Goods Carrier Union, Bata Chowk, Faridabad.
52.	District Rickshaw Drivers Union, Palwal.
53.	Rickshaw Workers Union, Railway Road, Gurgaon.
54.	Thathara Grah Udyog Sangh, Rewari.
55.	Beopar Mandal, Market No 1, Faridabad.
56.	Orient Steel Workers Union, C/o INTUC, Market No. 2, Township, Faridabad.
57.	Hindustan Kokoku Wire Workers Union, Arungpur, (Faridabad) c/o INTUC No. 2, Market No. 2, Faridabad.
58.	Globe Steel Workers Union, C/o Shri Sham Lal Bajaj, Ward No. 7, Ballabgarh.
59.	Municipal Subordinate Services Federation, c/o Shri D.S. Gupta, Mohalla Khattar Wara, Faridabad. (Old)
60.	Usha Spinning and Weaving Mills Mazdoor Union, Mathura Road, Faridabad.
61.	Commerce and Industries Organisation, N.I.T., Faridabad.
62.	Motern Industries Workers Union, c/o INTUC, Shanti Bhawan No. 2, N.T. Faridabad.

HISSAR DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union.
1	2
1.	Municipal Sweepers Union, Bhiwani.
2.	Municipal Employees Union, Sirsa.
3.	Municipal Lower Grade Employees Union, Hansi.
4.	Municipal Karamchari Sangh, Bhiwani.
5.	Palika Karamchari Sangh, Sirsa.
6.	Hospital Mazdoor Sangh, Bhiwani.
7.	Gum and Guar Factory Mazdoor Sangh, Lohar Bazar, Bhiwani.
8.	Textile Mazdoor Sangh, Bhiwani.
9.	T.I.T. Staff Union, Bhiwani.
10.	T.I.T. Karamchari Sangh, Bhiwani.

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
	HISSAR DISTRICT—concld
11.	D.C.M. Staff Union, Bhiwani.
12.	Khadi Workers Union, Hansi.
13.	Hissar Textile Mazdoor Sangh, Hissar.
14.	Hissar Textile Mills Workers Union, Hissar
15.	Mazdoor Sabha, Bhiwani.
16.	Kapra Mazdoor Ekta Union, Bhiwani.
17.	Bartan Udyog Sangh, Bhiwani.
18.	Building Workers Union, Mandi Dabwali.
19.	Sunder Canal Pumping Station Workers Union, Lohar Bazar, Bhiwani.
20.	Sweepers Union, Hansi.
21.	Sweepers Union, Hissar.
22.	Sweepers Union, Loharu.
23.	Sweepers Union, Bhiwani.
24.	Harijan Labour Union, Sirsa.
25.	Hissar District Motor Transport Workers Union, Nagori Gate, Hissar.
26.	All Transport Workers Union, Bhiwani.
27.	Tempo Drivers Union, Bhiwani.
28.	Rickshaw Sangh, Jain Chowk, Bhiwani.
29.	Rickshaw Union, Bhiwani.
30.	Cycle-va-RickshawKaramchari Sangh, Lohar Bazar, Bhiwani.
31.	Bhiwani Thela Mazdoor Sangh, Bhiwani.
32.	Kalanwali Iron and Steel Merchants Association, Kalanwali Mandi.
33.	Punjab Municipal Employees Federation, Bhiwani.

HOSHIARPUR DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union.
1	2
1.	Oil and Natural Gas Commission Employees Union, Northern State No. I, Kamalpur (Hoshiarpur)
2.	Nangal Bhakra Mazdoor Sangh, Nangal Township.
3.	Workers Union, Beas Dam, Talwara Township.
4.	Pong Dam Mazdoor Union, Quarter No. 102/T, Sector-I, Talwara Township.
5.	Special Foremen Association, Irrigation Project, Quarter No. 410, Street No. 1, Talwara.
6.	Punjab State Electricity Board Workers Union, Nangal.
7.	Thermal Power House Workers Union, Nangal Township.
8.	Punjab P.W.D. Motor Drivers Union, Nangal.
9.	Stores Employees Association, Punjab Irrigation Branch, Nangal Township.
10.	Municipal Sub-ordinate Employees Union, Dasuya.
11.	Employees Union, Notified Area Committee, Nangal Township.
12.	Baroza Mazdoor and General Labour Union, Hoshiarpur.
13.	P.G.A. Employees Union, Gokal Nagar, Jullundur Road, Hoshiarpur.
14.	Engineering and Mechanical Workers Union, Kumarahn Gali, Committee Bazar, Hoshiarpur
15.	Imarti Mazdoor Union, c/o S. Joginder Singh, Khalsa Hotel, Talwara Township.
16.	Nangal Bhakra National Sweepers Union, Nangal.
17.	Commercial and Trade Employees Union, Hoshiarpur.
18.	District Motor Transport Workers Union, Hoshiarpur.
19.	Hoshiarpur Transport Workers Union, Hoshiarpur.
20.	Rickshaw Drivers Union, Nangal Township.
21	Talwara Merchants Association, Talwara Township.
22.	The Technical Vishva Karama Workers Union of F.C.I., Nangal Unit, Naya Nangal.
23.	Merchants Association, 3-Main Market, Nangal.
24.	The Hoshiarpur Metal Workers Union, Street No. 1, Kamal Pur, Hoshiarpur.
25.	Nangal Bhakra Drivers Union, 30-Shop Market, Pheri Market, Nangal Township.
26.	Rosin Labour Union, Hoshiarpur.

[Public Works and Welfare Minister]

JULLUNDUR DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
1.	Military Farm Employees Association, Jullundur.
2.	Railway Licensed Porters Union, Mandi Fantan Gunj, Jullundur City.
3.	Railway Vendors Union, Pakka Bagh, Jullundur.
4.	Cantt. Fund Employees Association, Jullundur Cantt.
5.	Military Hospital Civilian Karamchari Union, 11/58, Anaj Mandi, Jullundur Cantt.
6.	Northern India Flying Club Workers Union, Jullundur City.
7.	State Bank of Patiala Employees Union, Nakodar.
8.	Punjab State Co-operative Bank Employees Union, Jullundur.
9.	Agriculture Farm Workers Union, Jullundur Cantt.
10.	Punjab Agricultural Inspectors Union, Jullundur.
11.	Punjab Government Mechanical Workers Union, P.W.D., B and R, Opposite Sub-Judge Court, Jullundur.
12.	Municipal Sweepers Union, Jullundur.
13.	Government National Motor Transport Workers Union, Jullundur.
14.	Municipal Employees Mazdoor Union, Nakodar.
15.	Jullundur District Board Class IV Labour Union, Jullundur.
16.	Municipal Labour Union, Pakka Bagh, Jullundur.
17.	Municipal Sub-ordinate Union, Ravi Dass Nagar, Nawanshahr.
18.	Municipal Sub-ordinate Services Federation, Jullunnur.
19.	V.M. Civil Hospital Employees Association, Jullundur.
20.	Oil Flour and General Mills Mazdoor Union, Jullundur.
21.	Madan Flour Mills Workers Union, Jullundur.
22.	Sugar Labour Union, Bhogpur.
23.	All Kartar Bus Workers Union, Jullundur.
24.	Imperial Tobacco Co. of India Private Ltd. Employees Union, 583, Model Town, Jullundur City.
25.	National Tobacco Co. Employees Union, Jullundur.
26.	Government Sector Tailors Union, Jullundur.
27.	Surgical Mazdoor Union, Jullundur.
28.	Shoe Last Labour Union, Pakka Bagh, Jullundur.
29.	National Union of Saw Mills Labour, Mandi Road, Jullundur City.
30.	Jullundur Press Workers Union, Jullundur City.
31.	Press Mazdoor Sangh, F-86, Dhan Mohalla, Jullundur City.
32.	Rubber Industries Employees Union, Pakka Bagh, Jullundur City.
33.	D.A.V. Pharmacy Workers Union, Jullundur.
34.	Punjab Bhatha Mazdoor Union, Jullundur.
35.	Metal Mazdoor Union, Goraya.
36.	District Metal Mazdoor Union, G.T. Road, Jullundur.
37.	Mazdoor Union, Jogindera Electric Co., Bopa Rai.
38.	Automobile Refrigration and Electric Workers Union, c/o INTUC Pakka Bagh, Jullundur.
39.	Courts Labour Union, Bhargo Camp, Jullundur.
40.	Sports Industries Mazdoor Union, Jullundur City.
41.	National Labour Union, Jullundur.
42.	General Labour Union, 113/3, Central Tower, Jullundur City.
43.	Punjab Khadi Workers Union, Opposite Kachahari Munsafi, Jullundur City.
44.	Muneem Union, Mandi Fantenganj, Jullundur.
45.	Muneem Union, Nawanshahr.
46.	Shops and Commercial Employees Union, Jullundur.
47.	Jullundur Sabzi Mandi Muneem Union, Sabzi Mandi, Jullundur.
48.	Usha Sales Employees Union, 368/R, Model Town, Jullundur City.
49.	District Motor Transport Workers Union, Jullundur City.
50.	New Sutlej Transport Workers Union, Jullundur.
51.	Pritam Bus Workers Union, Pakka Bagh, Jullundur.
52.	General Motor Transport Workers Union, Jullundur City.

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
53.	Onkar Bus Workers Union, General Lorry Stand, Jullundur City.
54.	Private Car Drivers Union, Jullundur City.
55.	Rickshaw Drivers Union, Jullundur.
56.	Gadda Mazdoor Union, Near Octroi Post, Kartarpur.
57.	Punjab State Working Journalists Association, Jullundur City.
58.	Punjab News Workers Union, Jullundur.
59.	All-India Pingal Wara Society Workers Union, Mandi Road, Jullundur City.
60.	Jullundur Hotel Employees Union, Jullundur.
61.	Dry Cleaning Workers Union, c/o INTUC Mazdoor Council, Jullundur.
62.	Punjab State Allottees (Coal and Coke) Association, c/o J.K. Engineering Works, Industrial Area, Jullundur.
63.	Jullundur Industries Association, Industrial Town, Jullundur.
64.	Pottery Workers Union, Goraya.
65.	Gulab Devi T.B. Hospital Employees Union, Shiv Niwas, Adda Kapurthala, Jullundur City.
66.	Chowk Sudan Iron & Steel Manufacturing Association, Jullundur.
67.	The Hoshiarpur Doaba Transport Workers Union, Pakka Bagh, Jullundur.
68.	Gur Mandi Retail Dealers Union, Jullundur City.

KANGRA AND KULU DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
1.	Municipal Employees Union, Palampur.
2.	Town Committee Employees Union, Nurpur.
3.	Municipal Employees Union, Kotwali Bazar, Dharamsala.
4.	Kangra Chai Mazdoor Union, Palampur.
5.	Bhagsu Karamchari Union, Kotwali Bazar, Dharamsala.
6.	Union of the Secretaries of Co-operative Societies, Daulatpur.
7.	Private Transport Employees Union, Kulu (District Kulu).
8.	Chai Mazdoor Sangh, Dharamsala.

KAPURTHALA DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union.
1	2
1.	Municipal Sweepers Union, Sarai Road, Phagwara.
2.	Municipal Employees Union, Phagwara.
3.	Municipal Employees Union, Kapurthala.
4.	Flour and Oil Mills Labour Union, Phagwara.
5.	Jagatjit Sugar Mills Mazdoor Union, Phagwara.
6.	Sukhjit Starch Mills Mazdoor Union, Phagwara.
7.	Sukhjit Starch and Chemical Workers Union, Phagwara.
8.	Jagatjit Distillery Mazdoor Union, Hamira.
9.	Jagatjit Kapra Mills, Mazdoor Union, Phagwara.
10.	Jagatjit Cotton Textile Mazdoor Smaj, Phagwara.
11.	Jagatjit Kapra Mills, Trade Union Congress, c/o Thapar Colony, Phagwara.
12.	Metal Mazdoor Union, Phagwara.
13.	Asia Electric Co Mazdoor Union, Phagwara.
14.	Asia Electric Co. Karamchari Sangh, Phagwara.
15.	Muneem Union, Kapurthala.
16.	Trade Employees Union, Phagwara.
17.	District Motor Transport Workers Union, Kapurthala.
18.	General Metal and Engineering Workers Union, Kapurthala c/o Shri G. C. Bhalla, Mandi Road, Jullundur City.

[Public Works and Welfare Minister]

KARNAL DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
1.	N.D.R.I. Employees and Workmen Union, Mazdoor Manzil, Sant Nagar, Karnal.
2.	N.D.R.I. Workers Union, Karnal.
3.	I.A.R.I. Employees and Workmen Union, Karnal.
4.	The Karnal Agricultural Research Sub-Station, Technical Class IV Mazdoor Union, House No. 212, Sadar Bazar, Karnal.
5.	The Association of the Punjab National Bank Employees, 359-Model Town, Panipat.
6.	Punjab Pradesh Bank Workers Federation, Karnal.
7.	Municipal Safai Mazdoor Union, Thanesar.
8.	Municipal Employees Union, Karnal.
9.	District Municipal Subordinate Union, Karnal.
10.	Municipal Karamchari Association, Thanesar.
11.	Muncipal Employees Union, Shahbad.
12.	Government Medical Stores Depot, Employees Union, Sant Nagar, Karnal.
13.	Government Engineering Workshop, Workers Union, Nilokheri.
14.	Sugar-cane Sub-Station Workers Union, Mazdoor Manzil, Sant Nagar, Karnal.
15.	Sugar Mills Karamchari Union, Panipat.
16.	Panipat Sugar Mills Mazdoor Sabha, House No. 24, Ward No. 12, Krishan Pura, Post Office Panipat.
17.	Karnal Distillery Workers Union, Mazdoor Manzil, Sant Nagar, Karnal.
18.	Woollen Workers Union, Panipat.
19.	Woollen Mazdoor Sabha, Panipat.
20.	Karnal Press Workers Union, Mazdoor Manzil, Sant Nagar, Karnal.
21.	Engineering and Foundry Workers Union, Panipat.
22.	KESCO Employees Union, Kaithal.
23.	Sweepers Union, Nilokheri.
24.	Sweepers Union, Thanesar.
25.	District Motor Transport Workers Union, Karnal.
26.	District Karnal Goods Transport Workers Union, Samalkha.
27.	Panipat Rickshaw pullers and Workers Union, Panipat.
28.	District Tonga Rehra Workers Union, House No. G.R. 365, Mohalla Patwan, Karnal.
29.	Government of India Press Workers Union, Nilokheri.
30.	Weavers Union, Nelokheri.

LUDHIANA DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
1.	The Oriental Bank Employees Union, Ludhiana.
2.	Municipal Mechanical Workers Union, Chaura Bazar, Ludhiana.
3.	Municipal Sweepers Union, 53, Salhoatra College, Shahi Mohalla, Ludhiana.
4.	Municipal Employees Union, Khanna.
5.	Municipal Employees Union, Ludhiana.
6.	Municipal Employees Union, Jagraon.
7.	Zila Parishad Baildar Workers Union, c/o Lala Devi Dass, Chaura Bazar, Ludhiana.
8.	Municipal Workers Association, Ludhiana.
9.	Municipal Sub-ordinate Services Union, Jagraon.
10.	Krishna Roller and Flour Mills Workers Union, Ludhiana.
11.	Chakki Mazdoor Union, House No. 666, Field Ganj, Kucha No. 1, Ludhiana.
12.	District Textile Workers Union, Ludhiana.
13.	Ludhiana Textile Mazdoor Union, Ludhiana.
14.	Pearl Woollen Mills Workers Union, G.T. Road, Ludhiana.
15.	Woollen Mills Workers Association, 126 Industrial Area, Ludhiana.
16.	Supreme Karamchari Union, Plot No. 310, Industrial Area-A, Ludhiana.
17.	Hosiery Workers Union, Ludhiana.
18.	Hosiery Workmen Association, Ludhiana.

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
	LUDHIANA DISTRICT—*concld*
19.	Hosiery Mazdoor Union, 525 Brampuri, Ludhiana.
20.	Hosiery Mazdoor Sangh, c/o B.M.S. Office, Chaura Bazar, Ludhiana.
21.	Dyeing and Finishing Workers Union, B-VI, 525, Jassa Mal, Ludhiana.
22.	National Saw Mills Mazdoor Union, Kothi Gajan Singh, Ludhiana.
23.	Press Workers Union, C/o Bhartiya Mazdoor Sangh, Chaura Bazar, Ludhiana.
24.	Ludhiana District Brick Kilns Workers Union, 525 Brampuri, Ludhiana.
25.	Ludhiana Iron and Steel Workers Union, Ludhiana.
26.	District Iron and Steel Workers Union, Ludhiana.
27.	Metal Mazdoor Sangh, c/o B.M. S. Chaura Bazar, Ludhiana.
28.	Cycle Mazdoor Sangh, c/o B.M.S. Chaura Bazar, Ludhiana.
29.	District Engineering Workers Union, Link Road,—Industrial Area,B—, Ludhiana.
30.	Palladar Workers Union, Khanna.
31.	General Labour Union, Khanna.
32.	Dayanand Hospital Sweepers Union, Ludhiana.
33.	Shoe-parts Commercial Employees Union, Khanna.
34.	Trade Employees Union, Jagraon.
35.	Trade Employees Union, Ludhiana.
36.	District Transport Workers Union, Ludhiana.
37.	Ludhiana Transport Workers Union, Saraya Bansi Dhar , Ludhiana.
38.	Road Transport Workers Union, Ludhiana.
39.	National Transport Workers Union, Rama Market, Ludhiana.
40.	City Rickshaw Workers Union, Ludhiana.
41.	Rickshaw Workers Union, Ludhiana.
42.	Shawl Manufacturers Association, Ludhiana.
43.	Home Hosiery Manufacturers Union, Ludhiana.
44.	Northern India Hosiery Manufacturing Corporation, Ludhiana.
45.	Hosiery Industry Welfare Board, Ludhiana.
46.	Bharat Hosiery Manufacturers Association, Ludhiana.
47.	Cottage Hosiery Manufacturers Association, Ludhiana.
48.	Ludhiana Knitting Wool Processers, Merchants Society, Ludhiana.
49.	Ludhiana Hosiery Small Scale Union, c/o Lyal Hosiery Factory, Dal Bazar, Ludhiana.
50.	Hand-Knitting Wool Processers, Welfare Society Sarafan, Ludhiana.
51.	Banyan Manufacturers Association, Ludhiana.
52.	Interlock Cloth and Banyan Manufacturers Association, 850, Wait Ganj, Ludhiana;
53.	Ludhiana Electoplaters Association, Miller Ganj, Gambhir Market, Ludhiana.
54.	Ludhiana Machine Tools Makers Guild, Ludhiana.
55.	Ludhiana Foundry and Engineers Association, G. T. Road, Miller Ganj, Ludhiana,
56.	Ludhiana Cycle Parts Suppliers Association, c/o R.K. Sharma and Co. Miller Ganj, Ludhiana.
57.	Hosiery Industry Federation, Ludhiana.
58.	Northern Zone Railway Union, Ludhiana.
59.	Railway Porters Sangh, Ludhiana.
60.	All India Defence (Civil) Union, Halwara.
61.	Indian Overseas Bank Employees Union, B-VIII No. 508, Mohalla, Ludhiana.
62.	Ludhiana Chakki Owners Association , c/o M/s Surjan Singh and Sons, Gokal Road, Ludhiana.
63.	Ludhiana Khokha Holders Union, Opposite Nowlakha Theatre, Ludhiana.
64.	Pan Biri Cigarette Retailers Federation, c/o Shama Kali Chuna (Chowk), Talab Bazar, Ludhiana.
65.	Rickshaw-pullers Association, B-IV-1001, Chowk Madhopuri, Ludhiana.
66.	Ludhiana Estate Manufacturers Association, A-IV, Ludhiana.
67.	Punjab Animal Husbandry Class IV Employees Union, Doraha.
68.	Hosiery Industrial Co-operative Societies, Federation, Ludhiana.
69.	The Ludhiana Woollen Mills Association, Ludhiana.

[Public Works and Welfare Minister]

MOHINDERGARH DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
1.	Municipal Employees Union, Charkhi Dadri.
2.	Municipal Employees Union, Mohindergarh.
3.	Dalmia Dadri Cement Factory Men's Union, Dadri.
4.	Cement Factory Workers Union, Charkhi Dadri.
5.	Cement Udhyog Karamchari Sangh, Charkhi Dadri.
6.	Sweepers Union, Dadri.
7.	Sweepers Union, Narnaul.
8.	Mehtar Union, Narnaul.
9.	Truck Operators Union, Narnaul.
10.	Mazdoor Ekta Samiti Workshop Dalmia Dadri Cement Factory, Charkhi Dadri.

PATIALA DISTRICT

Serial No.	Name and Address of the Union
1	2
1.	Central Bank of India Employees Union, Patiala.
2.	State Bank of Patiala Employees Welfare Organisation, c/o Shri Tirath Singh Alimawadi, The Mail, Patiala.
3.	Bhupindra State Press Workers Union, Patiala.
4.	P.R.T.C. Workers Union, Patiala.
5.	P.R.T.C. Employees Union, c/o District General Labour Council (INTUC) Lahori Gate Bazar, Patiala.
6.	Municipal Employees Union, Banur.
7.	Municipal Employees Union, Mandi Gobindgarh.
8.	Municipal Employees Union, Patiala.
9.	Municipal Workers Union, c/o INTUC, Patiala.
10.	Milk Food Factory Workers Union, Nabha.
11.	Flour Mills Workers Union, Patiala.
12.	Patiala Press Workers Union, Patiala.
13.	Labour Union, Mandi Gobindgarh.
14.	Hind Wire Workers Union, Patiala.
15.	Sewing Machine Workers Union, Bassi Pathana.
16.	B.T.C. Workers Union, Patiala.
17.	Engineering Workers Union, Patiala.
18.	District General Labour Union, c/o INTUC Branch Office, Patiala.
19.	B.G. Workers Union, Factory Area, Patiala.
20.	The Road Master Workers Union, Industrial Area, Rajpura.
21.	National Institute of Sports Employees Union, Bibrian Road, Patiala.
22.	Industrial Workers Union, Rajpura.
23.	Industrial Workers Union, Sarhind.
24.	Imarti Mazdoor Union, Patiala.
25.	Trade Employees Union, Patiala.
26.	Cigarette and Biri Salesmen's Union, House No. 177-C, Des Raj Building, Patiala.
27.	District Motor Transport Workers Union, Patiala.
28.	Motor Transport Workers Union, Nabha.
29.	Kisan Transport Workers Union, Mandi Shatrana.
30.	Rickshaw Drivers Union, Patiala.
31.	District Rickshaw Drivers Union, Patiala.
32.	Hotel Workers Union, Bibrian Road, Near T.B. Hospital, Patiala.
33.	Doodhi Union, C/o Khem Raj Gulshan, Jindal Book Store, Lahori Gate, Patiala.
34.	Club Karamchari Union, Patiala.

ROHTAK DISTRICT

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2

1. Municipal Employees Sweepers Union, Rohtak.
2. Haryana Co-operative Sugar Mills Workers Union, Rohtak.
3. Vishwakarma Carpenters Workers Union, Rohtak.
4. Ara Machine Workers' Union, Rohtak.
5. Press Workers Union, Rohtak.
6. Aggarwal Glass Workers Union, Sonepat.
7. Loh Udyog Karamchari Sangh, Bahadurgarh.
8. Bahadurgarh Mazdoor Sabha, Bahadurgarh.
9. Atlas Cycle Workers Union, Sonepat.
10. Atlas Mazdoor Union, Sonepat.
11. Atlas Mazdoor Sangh, Sonepat.
12. House-hold and General Mills Workers' Union, Municipal Market, Sonepat.
13. General Industrial Workers Union, Municipal Market, Sonepat.
14. South Punjab Electricity Corporation Employees Union, Subzi Mandi, Rohtak.
15. Sweepers Union, Gohana.
16. Sweepers Union, Maham.
17. Shri Haryana Motor Transport Workers Union, Rohtak.
18. Lahore Pindi Transport Workers Union, Circular Road, Rohtak.
19. Bahadurgarh Public Carrier Union, Bahadurgarh.
20. Rohtak District Transport Mazdoor Sangh, B-VI-314, Kalalan Street, Rohtak.
21. Mohan Spinning Mills Mazdoor Sabha, Quarter No. 85, Government Sugar Colony, Rohtak.
22. Engineering Workers Union, Basant Bhawan, Jajjar Road, Rohtak.
23. Hindustan Try Fords Workers Union, Plot No. 43, Lal Chand Colony, Bahadurgarh.

SANGRUR DISTRICT

1. Municipal Committee Sweepers Union, Dhuri.
2. Municipal Employees Union, Dhuri.
3. Malwa Sugar Mills Workers Union, Dhuri.
4. Sugar Mills Karamchari Union, Pathshala Road, Dhuri.
5. Iron and Steel Rolling Mills Workers Union, c/o Malwa Mills Workers Union, Dhuri.
6. District Engineering Workers Union, Malerkotla.
7. Sangrur Mazdoor Union, Sangrur.
8. Sweepers Union, Sangrur.
9. Khanauri Truck Operators Union, Khanauri Mandi

SIMLA DISTRICT

1. Labour Union Central Potato Research Institute, Simla.
2. Clerks Association Government of India Press, Simla.
3. Government of India Press Workers Union, Simla.
4. Case Room Workers Union Government of India Press, Uma Bhawan Chakar Simla.
5. Himachal Pradesh Administration Press Workers Union, Simla.
6. Punjab Himachal Jammu and Kashmir M.E.S. Workers Union, Simla.
7. Kasauli Cantt. Board Employees Union, Kasauli.
8. Cantt. Board Employees Union, Sabathu Cantt.
9. Central P.W.D. Workers Union, Simla.
10. The Western Command Civilian Employees Union, Simla.
11. C.R.I. Employees Union, Kasauli.
12. National and Grindlays Bank Staff Union, Simla.
13. Municipal (W and D. Department) Workers Union, Simla.
14. Municipal Forest Executive Employees Union, Simla.
15. Municipal Workers Union, Simla.

[Public Works and Welfare Minister]

Serial No.	Name and Postal Address of the Union
1	2
	SIMLA DISTRICT—CONCLD
16.	Simla Hills P.W.D. Workers Union, Simla.
17.	Lady Irvin Sanatorium Workers Union, Jubar.
18.	The Snowdon Hospital Employees Union, Simla.
19.	Ripon Hospital Nurse Boys Union, Simla.
20.	Tailors Workers Union, Simla.
21.	Press Workers Union, Simla.
22.	Electric Supply Workers Union, Central Hotel, Simla.
23.	Sweepers Union, Ghora Sarai, Simla.
24.	Simla Hotel Mazdoor Union, Simla.
25.	Dhobi Union, Simla.
26.	Municipal Employees Safai Mazdoor Union, Office Municipal Committee, Labour Hostel, Lal Pani, Simla-I.
27.	Municipal Sanitary Jamadar Union, Municipal Labour Hostel, Lal Pani, Simla.
28.	Lady Reading Hospital Workers Union, Central Hotel, Simla.
29.	Sabzi Mandi Employees Union, Simla.

GOVERNMENT ADVERTISEMENTS

2149. Chaudhri Net Ram : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the amount paid to the following news papers for the Government advertisements during the period from 1st March, 1964 to 31st December, 1964:— (i) Daily Milap, Jullundur; (ii) Daily Partap, Jullundur; (iii) Daily Hind Samachar, Jullundur; (iv) Daily Vir Partap, Jullundur; Daily Hindi Milap, Jullundur; (vi) Congress Patrika, Jullundur; (vii) Weekly Hariana Sandesh, Hissar; (viii) Weekly Nayaya Path, Hissar; (ix) Weekly Sadai Waqat, Ludhiana; (x) "Socialist" Fortnightly, Jullundur ;

(b) whether it is a fact that some news papers are on the black-list of the Government for purposes of giving advertisements; if so, their names ?

Shri Ram Kishan : (a)

			Rs P.
(i)	The daily 'Milap', Jullundur	..	20,123.20
(ii)	The daily 'Partap', Jullundur	..	8,555.41
(iii)	The daily 'Hind Samachar', Jullundur	..	3,571.52
(iv)	The daily 'Vir Partap', Jullundur	..	7,585.20
(v)	The daily 'Hindi Milap', Jullundur	..	24,783.08
(vi)	The weekly 'Congress Patrika', Jullundur	..	3,023.52
(vii)	The weekly 'Haryana Sandesh', Hissar	..	389.60
(viii)	The weekly 'Nayaya Path', Hissar	..	Nil
(ix)	The weekly 'Sadai Waqat', Ludhiana	..	Nil
(x)	The Fortnightly 'Socialist' Jullundur	..	Nil

(b) No.

SCHEDULED CASTES I. C. S., I. A. S. AND P. C. S. OFFICERS IN THE STATE.

2150. Chaudhri Net Ram : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of persons belonging to the Scheduled Castes in the I. C. S., I. A. S. and P. C. S. cadres in the State at present together with their names and the posts they are holding ?

Shri Ram Kishan : A statement showing the desired information is as follows.

STATEMENT

I.C.S.—Nil.
I.A.S.—9

1. Shri D.K. Dass, D.C., Kapurthala.
2. Shri Joginder Singh, on training at the Administrative Staff College of India, Hyderabad.
3. Shri Sada Nand, S.D.O. (C), Fatehabad.
4. Shri Lakshman Dass Kataria, S.D.O. (C), Patiala.
5. Shri Hari Ram, S.D.O. (C), Ferozepore Jhirka.
6. Shri Maniyan Kutapan, Assistant Commissioner, under Training, Gurgaon.
7. Shri Charan Dass Cheema, Assistant Commissioner under Training, Ambala.
8. Shri Darshan, under training at the National Academy of Administration, Mussoorie.
9. Shri Kirpa Ram Punia under training at the National Academy of Administration Mussoorie.

P.C.S. (Executive Branch) .. 44

1. Shri Milkhi Ram Bhagat, Under-Secretary, Food and Supplies.
2. Shri Ripujit Sen, Administrative Officer-office of the Chief Engineer, Irrigation.
3. Shri Dharam Rattan, Under Secretary, Assessment Unit.
4. Shri Thakar Dass (on leave).
5. Shri Muni Lal Trighatia, Secretary, Subordinate Services Selection Board.
6. Shri Gian Chand (on leave).
7. Shri Anokh Singh, S.D.O. (C), Jind.
8. Shri Har Gopal Trighatia, Inspector, Local Bodies, Patiala Division, Patiala.
9. Shri Pritam Singh, S.D.O. (C), Moga.
10. Shri Gurdyal Singh Fiji, Land Acquisition Officer, Drainage, Amritsar.
11. Shri Malkiat Singh Kailay, Chief Judicial Magistrate, Karnal.
12. Shri Niranjan Singh, Officiating in the I.A.S.
13. Shri Amrik Singh, S.D.O. (C), Nurpur.
14. Shri Hargo Lal Saroj, Chief Judicial Magistrate, Rohtak.
15. Shri Karam Singh Raju, S.D.O. (C), Dera Gopipur.
16. Shri Sher Singh Sindhu Ex-Magistrate. Amritsar.

[Chief Minister]

P. C. S. (Executive Branch)

17. Shri Rattan Singh, Special Magistrate, Jullundur.
18. Shri Randhir Singh, S.D.O. (C), Rajpura.
19. Shri Siri Chand Dhosiwal, S.D.O. (C), Nabha.
20. Shri Piare Lal, S.D.O. (C), Tarn Taran.
21. Shri Sukh Lal Dhani, S.D.O. (C), Rewari.
22. Shri Dalip Singh, Judicial Magistrate, Kaithal.
23. Shri Santokh Singh (on leave).
24. Shri Niranjan Singh Sahota, Ex-Magistrate, Ferozepore.
25. Mrs. B. Singh (on leave).
26. Shri Bachna Ram Azad, Revenue Assistant, Sangrur.
27. Shri Hari Ram, Extra Assistant Commissioner (under Training) R. T. S., Chandigarh.
28. Shri Sant Singh Sadhrao, Judicial Magistrate, Amritsar.
29. Shri B. R. Gill, E. A. C. (U. T.), R.T.S., Chandigarh.
30. Shri Ranjit Singh Kailay, G. A., Rohtak.
31. Shri Jagat Ram, Judicial Magistrate, Ludhiana.
32. Shri Kulwant Singh, Judicial Magistrate, Ferozepore.
33. Shri Pyare Lal, Judicial Magistrate, Ludhiana.
34. Shri Ram Lal, D.D.P.O., Patiala.
35. Shri Ajit Ram Darshi, G. A., Kulu.
36. Shri Gian Singh Man, D.D.P.O., Bhatinda.
37. Shri Kuldev Singh Mahi, D.D.P.O., Sangrur.
38. Shri Manohar Singh, Judicial Magistrate, Jullundur.
39. Shri Charan Dass, Judicial Magistrate, Gidderbaha.
40. Miss Vimla Devi Bhagat, E.A.C. for Civil Defence, Simla.
41. Shri Shamsher Singh Sidhu, E.A.C. (U. T.), Hissar.
42. Shri Gian Singh Sandhu, E.A.C. (U. T.), Hoshiarpur.
43. Shri Manmohan Singh, E.A.C. (U. T)., Amritsar.
44. Shri Sunder Lal, E.A.C. (U. T.), Jullundur.

REGISTERED FACTORIES IN THE STATE

2151. Chaudhri Net Ram : Will the Chief Minister be pleased to state the total number, names and the places of location of the registered factories in the state at present ?

Chaudhri Rizaq Ram : At present there are 5,111 registered factories in the State. The registration record is available with the Chief Inspector of Factories, Punjab. However, preparation of required copies of lists, giving their names and places of location involves a lot of labour and expenditure which would not be in commensurate with its advantage.

LAND WITH GOVERNMENT LIVESTOCK FARM, HISSAR

2152. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total area of agricultural land under cultivation, at present with the Government Livestock Farm, Hissar;

(b) the annual total produce from the land referred to in part (a) above;

(c) the terms and conditions on which the land referred to in part (a) above is given to the tenants for cultivation purposes;

(d) whether there is any area of land with the said farm which is culturable but is not under cultivation; if so, how much ?

Sardar Darbara Singh : (a) 13,806 acres.

(b) (i) 16,986 quintals of Grains) During the year
(ii) 74,508 quintals of Dry Fodder) 1963-64.
(iii) 259,914 quintals of Green Fodder)

(c) (i) *Indirect cultivation.* The land is leased out on yearly basis on 1/3rd Batai system to the landless farmers.

(ii) *Cash Rent.* The land is put to open public auction and is leased out to the highest bidder. It is auctioned for one year only and the lease money is recovered in advance in full.

(d) Yes. 9,592 acres.

LOANS GIVEN UNDER HOUSING SCHEMES IN HISSAR DISTRICT

2153. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the names of persons who were advanced loans under the Low-Income-Group and Middle-Income-Group Housing Schemes during the years 1960-61, 1961-62, 1962-63 and 1963-64 respectively, in Hissar District together with the amount of loan given in each case ?

Chaudhri Rizaq Ram : The lists containing the requisite information are as follow.

LIGH SCHEME, 1960-61

List of persons who have been granted loan under the Ligh Scheme, during the year 1960-61.

		Rs.
1.	Shri Bhima Ram, village Rajanwali Dhani ..	3,000·00
2.	Shri Mani Ram, village Chamar Khera ..	4,000·00
3.	Shri Bhag Singh, village Rawat Khera ..	4,000·00
4.	Shri Hira Lal, Hissar ..	2,500·00

[Public Works and Welfare Minister]

LIGH SCHEME—1960-61

		Rs
5.	Shri Ranjit, village Rupana, Bishnoian ..	2,500.00
6.	Shri Karam Chand, Hissar ..	4,000.00
7.	Shri Chandgi Ram, village Nigana Khurd ..	3,000.00
8.	Shri Hari Singh of Hissar ..	2,500.00
9.	Shri Bushan Dass of Hissar ..	3,000.00
10.	Shri Atbari, village Umra ..	3,000.00
11.	Shri Mannu, village Pabra ..	2,000.00
12.	Shri Nand Ram, village Pabra ..	3,000.00
13.	Shri Diwana Ram, village Pabra ..	1,000.00
14.	Shri Nihal Singh, village Pabra ...	4,000.00
15.	Shri Gauri Shanker, village Hissar ..	4,000.00
16.	Shri Sadhu Ram, Sirsa ..	3,000.00
17.	Shri Bhim Singh, village Obra ..	2,500.00
18.	Shri Pardhan Singh, Sirsa ..	3,000.00
19.	Shri Maman, village Rupawas ..	3,000.00
20.	Shri Ram Kumar, Mandi Adampur ..	4,000.00
21.	Shri Partap, village Obra ..	3,000.00
22.	Shri Kishan Kumar, Dabwali ..	4,000.00
23.	Shri Prem Kumar, village Dhani Sobhawali ..	4,000.00
24.	Shri Khan Chand, village Baliali ..	3,000.00
25.	Shri Gurbux Singh, Sirsa ..	3,000.00
26.	Shri Niranjan Lal, Bhiwani ..	2,500.00
27.	Shri Dhan Singh, D. C.'s Office, Hissar ..	4,000.00
28.	Shri Mahabir Parshad, Sirsa ..	3,000.00
29.	Shri Sada Nand and Kishan Kumar of Bhiwani ..	3,000.00
30.	Shri Sewa Ram of Hissar ..	2,000.00
31.	Shri Jota Ram of Loharu ..	3,500.00
32.	Shri Bhup Singh, Hansi ..	4,000.00
33.	Shri Hira Lal, Fatehabad ..	4,000.00
34.	Shri Baru of Lehrian ..	2,000.00
35.	Shri Naurang Rai, Sirsa ..	4,000.00
36.	Shri Ude Ram, Fatehabad ..	3,000.00
37.	Shri Jagjr Singh, Dabwali ..	4,000.00
38.	Shri Bishambar Nath of Hissar ..	4,000.00
39.	Shri Balwant Singh, Hansi ..	4,000.00
40.	Shri Ram Sarup Brahman, village Daulatpur ..	4,000.00
41.	Shri Dharam Jas, Hissar City ..	4,000.00
42.	Shri Singhara, Sirsa ..	3,000.00

LIGH SCHEME—1960-61—CONTD

			Rs
43.	Shri Ram Chand, Muthraja, Bhiwani	..	4,000·00
44.	Shri Harbans Lal, Hissar	..	4,000·00
45.	Shri Lalji, village Gihrai	..	4,000·00
46.	Shri Balbir Singh, Hissar	..	4,000·00
47.	Shri Babu Ram, village Bhattu	..	2,500·00
48.	Shri Banwari Lal, village Dhanana	..	8,000·00
49.	Shri Mohi Ram of Hansi	..	3,000·00
50.	Shri Ram Singh of Barwala	..	4,000·00
51.	Shri Bhagwan Dass, Sanian	..	4,000·00
52.	Shri Mai Bax, village Lehriana	..	2,000·00
53.	Shri Chattar Pal Singh, village Tigrana	..	4,000·00
54.	Shri Narain Dass, Bhiwani	..	3,000·00
55.	Shri Kundan Lal, Kalanwali	..	2,500·00
56.	Shri Sher Singh, village Palera	..	8,000·00
57.	Shri Mai Lal, village Palera	..	8,000·00
58.	Shri Om Parkash, Cloth Merchant, Dabwali	..	4,000·00
59.	Shri Laxman, village Matarsham	..	4,000·00
60.	Shri Ram Singh, Harijan, village C lanot	..	3,000·00
61.	Shri Udmi Ram, village Bhodo Ho hnak	..	2,000·00
62.	Shri Sadha Harijan, village Lehri n	..	2,000·00
63.	Shri Ram Singh, village Sheikhupura	..	1,500·00
64.	Shri Panna Lal, Hansi	..	3,000·00
65.	Shri Darbar Singh, Motor Stand, Hansi	..	3,000·00
66.	Shri Hira Harijan, villaga Mundhal	..	1,500·00
67.	Shri Chhota Ram, village Badala	..	1,500·00
68.	Shri Budh Ram, Sasai Kaliranwan	..	1,500·00
69.	Shri Ratti Ram, village Moth	..	1,500·00
70.	Shri Neki Ram, village Badala	..	1,500·00
71.	Shri Ganga Datta, village Badala	..	1,500·00
72.	Shri Ram Sarup, village Badala	..	1,500·00
73.	Shri Om Parkash, village Bas Akb rpur	..	1,500·00
74.	Shri Ram Saran Dass, Municipal Commissioner, Hansi	..	3,000·00
75.	Shri Inderjt Singh, Mandi Sanjan, Hansi	..	3,000·00
76.	Shri Dewan Singh, Hansi	..	3,000·00
77.	Shri Bahadar Chand, Hansi	..	3,000·00
78.	Shri Gobind Ram of Hansi	..	3,000·00
79.	Shri Kishan Lal, village Sheikhupura	..	1,500·00
80.	Shri Nathu Ram, village Sheikhupura	..	1,500·00
81.	Shri Mussadi Ram, village Sheikhupura	..	1,500·00

[Public Works and Welfare Minister]

LIGH SCHEME—1960-61—CONCLD.

			Rs
82.	Shri Daryao Singh, Hansi	..	3,000·00
83.	Shri Risal Singh, village Majra	..	1,500·00
84.	Shri Ram Sarup, village Majra	..	1,500·00
85.	Shri Phool Chand, village Majra	..	1,500·00
86.	Shri Hakim Singh, Hansi	..	3,000·00
87.	Shri Kanhia Lal, Hansi	..	3,500·00
88.	Shri Bhagwat Singh, village Madha	..	3,50
89.	Shri Pat Ram, Hansi	..	3,000·0
90.	Shri Ranjit of village Moth Karnail	..	2,500·00
91.	Shri Vir Bhan, village Moth Karnail	..	2,500·00
92.	Shri Devat Ram, Peon, Hissar	..	3,000·00
93.	Shri Ram Singh, D. B., Hissar	..	4,000·00
94.	Hissar District Co-operative House Building Society, Hissar	..	2,65,000·00
	Total	..	5,52,500·00
95.	Shri Devi Dyal, Hissar	..	3,600·00
96.	Shri Ghansham Dass, Hissar	..	900·00
	Grand Total	..	5,57,000·00

List of persons who have been granted loans under the LIGH Scheme during 1961-62

	Sarvshri—		Rs
1.	Moti Ram, Faridpur	..	5,000·00
2.	Mange Ram, village Obra	..	5,000·00
3.	Akhe Ram, village Obra	..	5,000·00
4.	Deerja, village Rishalia Khera	..	2,500·00
5.	Dewan Singh, Prem Nagar, Hissar	..	5,000·00
6.	Lal Singh, village Khankdheri	..	4,000·00
7.	Hari Singh, village Khandkheri	..	5,000·00
8.	Kanshi Ram, village Sanipura	..	6,500·00
9.	Purna, village Risalia Khera	..	2,500·00
10.	Chandu Lal, village Pabra	..	5,000·00
11.	Ram Dhan, village Kheri (Pabra)	..	4,000·00
12.	Nathu Singh, village Sheikupura	..	3,000·00
13.	Ram Kishan, Sirsa	..	4,000·00
14.	Lal Chand, Sirsa	..	4,000·00
15.	Ram Singh, Badala	..	2,500·00
16.	Anand Parkash, Hansi	..	3,000·00

LIGH SCHEME, 1961-62—CONCLD.

Sarvshri		Rs
17. Dharm Pal, Hissar	..	5,000.00
18. Kanshi Ram, Dabwali	..	4,500.00
19. Ami Lal, Barwala	..	4,000.00
20. Siri Chand, village Ladwa	..	2,500.00
21. Bira Mal, Hansi	..	4,000.00
22. Siri Ram, Hissar	..	3,000.00
23. Surjit Singh, Mandi Kalanwali	..	3,000.00
24. Duli Chand Harijan, village Badala	..	2,500.00
25. Jaswant Singh, Sirsa	..	3,000.00
26. Badlu, Narnaund	..	3,000.00
27. Dewan Singh, Ladwa	..	3,000.00
28. Bhagwan Dass, Narnaul	..	4,000.00
29. Kailash Nath of Hansi	..	7,500.00
Total	..	1,15,000.00

List of perons who have been granted loans under the LIGH Scheme during the year 1962-63

Sarvshri—		Rs
1. Babu Ram of Hansi	..	2,000.00
2. Lal Chand, of Hissar	..	4,000.00
3. Chandu Ram of Hansi	..	2,000.00
4. Kishan Chand, Bhiwani	..	2,000.00
5. Bagrith of Hissar	..	2,000.00
6. Walati Ram, Hissar	..	4,000.00
7. Kishan Lal, Hissar	..	2,000.00
8. Sar wan Kumar, Sirsa	..	2,000.00
Bh msain, Hissar	..	3,000.00
10. Bhasker Datta of Hissar	..	2,000.00
11. Bishamber Dass Harijan, Hissar	..	2,000.00
12. Shiv Dayal, N.T. Hissar	..	4,000.00
13. Arjan Dass of Hissar	..	2,000.00
14. Shanker Dass, village Jamalpur	..	2,000.00
15. Lila Kishan, Sirsa	..	4,000.00
16. Bishamber Dass of Hissar	..	2,000.00
17. Gurdev Singh, Mandi Dabwali	..	4,000.00
18. Shrimati Shanti Devi, Teacher, Mandi Dabwali	..	3,000.00
19. Daya Nand Goal, Hissar	..	4,000.00
20. Ram Kanwar of Bhiwani	..	2,000.00

[Public Works and Welfare Minister]

LIGH SCHEME, 1962-63—CONTD.

Sarvshri		Rs
21. Chhaju Ram of Loharu	..	2,000·00
22. Waxir Chand of Hissar	..	2,000·00
23. Murari Lal of Hissar	..	3,000·00
24. Madan Lal, Jakhal Mandi	..	2,500·00
25. Mohan Lal, Peon, Hissar	..	2,000·00
26. Parkash Chander, Hissar	..	3,000·00
27. Sukhdev Singh of Hissar	..	2,000·00
28. Daya Singh, village Balak	..	2,500·00
29. Ji Ram of village Dhingsara	..	2,000·00
30. Soh u Harijan, village Jandli	..	2,500·00
31. Ram Bhagat, villag M anda	..	2,500·00
32. Ranbir Singh, Khanda Kheri	..	2,500·00
33. Pahlad Singh Harijan, village Satrod Kalan	..	2,500·00
34. Baru Harijan, village Sirsa Kalirawan	..	2,500·00
35. Mam Chand, village Naqipur	..	2,250·00
36. Rattan Singh, village Kairu	..	2,500·00
37. Mangal Singh, village Amani	..	2,500·00
38. Khiali Ram, village Jasvia	..	2,500·00
39. Surjit Singh, villag e Ladas	..	2,500·00
40. Basti Ram, Harijan Balsar	..	[illegible],500·00
41. Bhalu Harijan, village Khawa	..	2,000·00
42. Sawan Ram, village Jalupur	..	2,500·00
43. Kheon Singh, village Methari	..	2,500·00
44. Mam Raj of Hissar	..	2,000·00
45. Mam Chand Harijan, village Rawalwas Khurd	..	2,500·00
46. Phul Singh Harijan, village Talu	.	2,500·00
47 Harpat Harijan, village Pabra	..	2,500·00
48. Dharam Paul Singh, village Dinod	..	3,000·00
49. Sita Ram, village Jandwala	..	2,500·00
50. Het Ram, village Chuli Bagria	..	2,500·00
51. Chuni Lal Harijan, village Sohansra	..	2,500·00
52. Deva Ram Harijan, village Gujuwala	..	2,500·00
53. Mai Bakhash Harijan, village Jeora	..	2,500·00
54. Parsa Harijan, village Balasar	..	2,500·00
55. Dhanpat, village Jamal	..	2,500·00
56. Husharya Harijan, village Khawa	..	2,500·00
57. Sudhu Ram Harijan, Bhiwani Khera	..	2,500·00

LIGH SCHEME, 1962-63—CONTD.

Sarvshri			Rs
58. Hira Harijan, village Dhani Nalwar		..	3,500·00
59. Sudhan Harijan, village Masudpur		..	2,000·00
60. Badlu Ram, village Masudpur		..	2,250·00
61. Ved Parkash, Jakhal Mandi		..	5,000·00
62. Kishori Lal	Ditto	..	8,000·00
63. Hardev Singh	Ditto	..	3,000·00
64. Ramji Dass	Ditto	..	3,000·00
65. Mehar Chand	Ditto	..	3,000·00
66. Dharam Chand	Ditto	..	3,000·00
67. Kasturi Lal	Ditto	..	3,000·00
68. Bhan Singh	Ditto	..	3,000·00
69. Balwant Singh	Ditto	..	3,000·00
70. Sarup Chand	Ditto	..	5,000·00
71. Jagan Nath	Ditto	..	3,000·00
72. Maghar Singh	Ditto	..	5,000·00
73. Ranaq Singh	Ditto	..	3,000·00
74. Budhu Ram	Ditto	..	5,000·00
75. Gurmekh Singh	Ditto	..	5,000·00
76. Parkash Chander	Ditto	..	3,000·00
77. Charan Dass	Ditto	..	3,000·00
78. Des Raj	Ditto	..	5,000·00
79. Budh Ram	Ditto	..	3,000·00
80. Amar Nath	Ditto	..	1,000·00
81. Kherati Lal	Ditto	..	4,000·00
82. Prem Nath	Ditto	..	1,000·00
83. Milkhi Ram	Ditto	..	2,500·00
84. Kartar Singh	Ditto	..	3,500·00
85. Chhata Ram	Ditto	..	3,500·00
86. Shiv Charan Dass	Ditto	..	5,000·00
87. Deba Ram	Ditto	..	3,500·00
88. Anand Parkash	Ditto	..	4,000·00
89. Darbara Singh	Ditto	..	4,000·00
90. Bhana Ram	Ditto	..	3,000·00
91. Hari Singh	Ditto	..	3,000·00
92. Moti Ram	Ditto	..	5,000·00
93. Bhan Mal	Ditto	..	5,000·00
94. Milkhi Ram	Ditto	..	2,500·00

[Public Works and Welfare Minister]

LIGH SCHEME, 1962-63—CONCLD.

Sarvshri			Rs
95.	Yadvindra Sharma Jakhal Mandi	..	2,500.00
96.	Jhanda Singh Ditto	..	5,000·00
97.	Devkinandan Ditto	..	2,500·00
98.	Kapur Chand Ditto	..	2,500·00
99.	Sucha Singh Ditto	..	5,000·00
100.	Sadhu Ram Ditto	..	3,500·00
101.	Mansa Ram Ditto	..	2,000·00
102.	Rolla Ram Ditto	..	2,500·00
	Total	..	3,02,000·00

List of loanees who have been advanced loan under the Low Income Group Housing Scheme during the year 1963 64

S. No.	Name of loanee with address		Amount of loan sanctioned
			Rs
1.	Shri Neki, s/o Bhobal Ram, village Parbhuwala	..	6,000·00
2.	Shri Hukam Chand, s/o Siri Chand, village Faridpur	..	6,000·00
3.	Shri Charanji Lal, s/o Ramji Lal, village Bahbalpur	..	4,000·00
4.	Shri Gopi Nath, s/o Amin Lal, Hissar	..	3,000·00
5.	Shri Ram Bhan, s/o Natha Ram, Hissar	..	3,000·00
6.	Shri Badlu Ram, s/o Parsa Ram, village Kirmara	..	3,000·00
7.	Shri Kapur Singh, s/o Ram Nath Singh, of Hissar	..	3,000·00
8.	Smt. Brij Bala, w/o Ram Kumar Jain, Hissar	..	5,000·00
9.	Shri Kala Dhar, s/o Mai Ram, Shastri of Hissar	..	3,000·00
10.	Shri Dev Raj, s/o Hari Chand, Mandi Dabwali	..	3,000·00
11.	Shri Jai Mal Ram, s/o Nazar Ram, Tohana	..	2,500·00
12	Shri Bal Ram, s/o Molu Ram, of Hissar	..	3,000·00
13.	Shri Kheta Ram, s/o Kishna Ram, Kirhan	..	3,000·00
14.	Shri Roop Chand, s/o Sawan Ram, village Sisai Kalirawan	..	3,000·00
15.	Shri Bhan Singh, s/o Bridh Singh, village Talwandi Rukka	..	2,500·00
16.	Shri Khairaj Singh, s/o Lal Chand, village Kalirwan	..	3,000·00
17.	Shri Jita Ram, s/o Neki Ram, village Ladwa	..	3,000·00
18.	Shri Nand Lal, s/o Garsi Ram, village Dhanpuria	..	2,500·00
19.	Shri Baru Ram, s/o Chatru Ram, village Jeora	..	2,000·00
20.	Shri Baru Ram, s/o Munshi Ram, village Saman	..	2,500·
21.	Shri Baru Ram, s/o Ghali Ram, Jat village Kamalwala	..	2,500·00
22.	Shri Pokhar Singh, s/o Sheo Karan Singh, village Tarkanwali	..	3,000·00
23.	Shri Mange Ram, s/o Bakhshi Ram, of Hissar	..	2,500·00

Sl. No.	Name of loanee with address		Amount of loan sanctioned
	LIGH SCHEME, 1963-64—CONTD.		Rs
24.	Shri Phool Chand, s/o Jhandu Ram, village Haripur	..	3,000·00
25.	Shri Biru Ram, s/o Suraj Bhan, of Hissar	..	2,500·00
26.	Shri Om Parkash, s/o Daya Lal, Uklana Mandi	..	3,000·00
27.	Shri Harnam, s/o Mai Sukh of Majra	..	2,000.00
28.	Shri Nand Kumar, s/o Phool Singh, V. Kumwari	..	3,000·00
29.	Shri Rajinder Singh, s/o Budh Singh of Loharu	..	3,000·00
30.	Shri Parma Nand, s/o Nanak Chand, village Sadrod Khas	..	3,000·00
31.	Shri Pirthi Singh, s/o Harphool Singh of Hissar	..	3,000·00
32.	Shrimati Tara Devi, w/o Kurra Ram of Hissar	..	3,000·00
33.	Shri Mul Chand, s/o Sadhu Lal of Hissar	..	3,000·00
34.	Shrimati Bimla Devi, w/o Prem Chand of Fatehbad	..	3,000·00
35.	Shri Tulsi Dass, s/o Hira Nand of Hansi	..	3,000·00
36.	Shri Ram Ditta Mal, s/o Tirath Dass of Hansi	..	3,000·00
37.	Shri Parkash Chand, s/o Bisheshar Lal of Bhiwani	..	3,000·00
38.	Shri Nihal Singh, s/o Wazir Singh, of Sirsa	..	3,000·00
39.	Shri Balia Pahalwan, s/o Lal Singh, village Lehgan	..	3,000·00
40.	Shri Ram Gopal, s/o Kishori Lal of village Rania	..	2,500·00
41.	Shri Atbari Lal, s/o Mehar Chand of Lonari Jattu	..	2,500·00
42.	Shri Phul Singh, s/o Maru Ram, village Thurana	..	2,000·00
43.	Shri Har Chand, s/o Nanak of Loharu	..	2,000·00
44.	Shri Shankar, s/o Teju Ram of Rania	..	2,500.00
45.	Shri Sultan, s/o Sheo Dyal of village Jasania	..	2,500·00
46.	Shri Maghar Singh Isar Singh of Sirsa	..	3,000·00
47.	Shri Chand Ram, s/o Ramji Lal of village Obra	..	3,000·00
48.	Shri Jagdish Chander, s/o Murari Lal of Hissar	..	2,500·00
49.	Shri Jagdish Chander, s/o Kundan Lal of Hissar	..	2,000·00
50.	Shri Hari Chand, s/o Bakshi, village Khedar	..	2,500·00
51.	Shri Chandu Ram, s/o Topan Dass of Hissar	..	2,500·00
52.	Bhiwani Improvement Trust Bhiwani	..	1,00,000·00
	Total	..	2,50,000·00

MIGH SCHEME 1960-61

List of persons who have been granted loans under the MIGH Scheme during the year 1960-61

			Amonnt of loan granted
1.	Shri Ratti Ram, Majra	..	14,000·00
2.	Shri Megh Singh of Hissar	..	9,000·00
3.	Shri Pat Ram, Kuleri	..	12,500·00
4.	Shri Mange Ram of Siwana	..	12,000.00
5.	Shri Sheo Ram, Chamarkhera	..	11,500·00
6.	Shri Shanu Ram Fancy Store, Bhiwani	..	13,000·00

[Public Works and Welfare Minister]

Sl. No.	Servshri		Amount of loan granted
	MIGH SCHEME, 1960-61—CONTD.		Rs
7.	Shri Murari Lal, Bhiwani	..	9,000·00
8.	Shri Chattar Singh, Bhiwani	..	10,000·00
9.	Shri Bakhsis Singh, Hansi	..	15,000·00
10.	Shri Anguri Lal, Bhiwani	..	12,000·00
11.	Shri Hari Singh, Bhiwani	..	12,000·00
12.	Shri Narain Dass of village Barbhuwala	..	10,500·00
13.	Shri Mukra Ram, village Dhingsara	..	12,000·00
14.	Shri Rattan Singh, Hissar	..	16,000·00
15.	Shri Inder Singh, Ganji Bar Bus Service, Hansi	..	9,500·00
16.	Shri Sohan Lal, Hissar	..	10,500·00
17.	Shri Niyamat Singh, Hissar	..	14,500·00
18.	Shri Akhe Ram, Uklana Mandi	..	7,000·00
19.	Shri Kishan Chand, Sirsa	..	12,000·00
20.	Shri Sher Singh, Loharu	..	10,500·00
21.	Shri Babu Ram, Mandi Dabwali	..	10,000·00
22.	Shri Dev Raj, Single, Hissar	..	12,000·00
23.	Shri Barsan Singh, Uklana	..	16,000·00
24.	Shri Brij Balb, Hissar	..	12,000.00
25.	Shri Hari Singh, Prem Nagar, Hissar	..	11,000·00
26.	Shri Basudev Agerwala, Hissar	..	12,000·00
27.	Shri Dewan Singh of village Bhatala.	..	10,000·00
28.	Shri Dhan Dass, Mandi Dabwali	..	16,000·00
29.	Shri Mohan Lal, Mandi Dabwali	..	16,000·00
30.	Shri Jagdish Parshad, Mandi Dabwali	..	12,000·00
31.	Shri Hange Ram, Sirsa	..	12,000·00
32.	Shri Shiv Dev Singh, Sirsa	..	10,000·00
33.	Shri Ram Singh of Thurana	..	14,000·00
34.	Shri Shamsher Singh, Mandi Dabwali	..	11,000·00
35.	Shri Sajjan Singh of Dabwali	..	12,000·00
36.	Shri Rattan Singh of Mundhal	..	16,000·00
37.	Shri Sham Dass of Sirsa	..	7,000·00
38.	Shri Guraya Ram, Sirsa	..	7,000·00
39.	Shri Atma Ram, Pleader, Hissar	..	16,000·00
40.	Shri Dalip Singh, Hansi	..	16,000·00
41.	Shri P. D. Parasher, Bhiwani	..	13,000·00

Sl. No.	Name of loanee with address		Amount of loan sanctioned
	MIGH SCHEME, 1960-61—CONTD.		Rs
42.	Shri Je. Kanwar Singh, A.S.C., Bhiwani	..	12,000·00
43.	Shri Gansham Dass, Uklana	..	10,500·00
44.	Shri Amar Nath Malhotra, Fatehabad	..	11,000·00
45.	Shri Madanjit Singh, Professor, Sirsa	..	12,000·00
46.	Shri Bansi Lal, Pleader, Bhiwani	..	20,000·00
47.	Shri Ajab Singh, village Habuwanl	..	16,000·00
48.	Shri Chiranji Lal, Bhiwani	..	10,000·00
49.	Shri Parshotam Dass, Hansl	..	8,000·00
50.	Shri Joti Parshad Bhargawa, Bhiwani	..	10,000·00
51.	Shri Gopal Ram Kumbar, Bhiwani	..	8,000·00
52.	Shri Gopal Dass Mehta, Bhiwani	..	11,000·00
53.	Shri Raghu Nath Sahai, Hissar	..	10,000·00
54.	Shri Ram Krishan, Mahajan, Bhiwani	..	11,000·00
55.	Shri Phul Chand, Hansi	..	10,000·00
56.	Shri Sarjit Singh, Fatehbad	..	10,000·00
57.	Shri Narain Dass, Fatehbad	..	10,000·00
58.	Shrimati Rukmani Devi, Sirsa	..	10,000·00
59.	Shri Ram Sarup, Hansi	..	10,000·04
60.	Shri Chhota Singh, Jakhal Mandi	..	8,000·00
61.	Shri Inder Singh, Lambardar, Bhiwani	..	10,000·00
62.	Shri Daya Nand, Advocate, Hansi	..	15,000·00
63.	Shri Prem Chand, Bhiwani	..	12,000·00
64.	Shri Girdhari Lal, village Jakhod Khera	..	10,000·00
65.	Shri Net Ram, village Jakhod Khera	..	10,000·00
66.	Shri Narain Singh, Hissar	..	12,000·00
67.	Shri Devat Ram Jain, Hissar	..	12,000·00
68.	Shri Mani Ram, village Mangali	..	9,000·00
69.	Shri Jagir Singh of Amani	..	16,000·00
70.	Shri Lachhman Singh of Tohana	..	8,000·00
71.	Shri Sant Lal, Nai Mandi, Sirsa	..	10,000·00
72.	Shri Hem Raj of Durjanpur	..	9,000·00
73.	Shri Baghrawat Singh of Tigrawan	..	10,000·00
74.	Shri Rattan Singh of Khanda Kheri	..	10,000·00
75.	Shri Rajindra Singh of village Rattain Garh	..	14.000·00
76.	Shri Sham Sunder of Fatehbad	..	12,000·00

[Public Works and Welfare Minister]

Sl. No.	Sarvshri		Amout of loan grannted
	MIGH SCHEME, 1960-61—CONCLD.		Rs
77.	Shri Bishan Singh of Sirsa	..	12,000·00
78.	Shri Het Ram of Dhangara	..	8,000·00
79.	Shri Indraj of village Chamar Khera	..	10,000·00
80.	Shri Gurjathan Singh of Uklana	..	10,000·00
81.	Shri Ganga Bishan of Hansi	..	12,000·00
82.	Shri Ram Parkash of Hansi	..	8,000·00
83.	Shri Sukhdav Singh of village Satroad Khurd	..	8,000·00
84.	Shri Gurdarshan Singh of Sirsa	..	12,000·00
85.	Shri Nathu Ram of village Badala	..	8,000·00
86.	Shri Bhagwant Singh of village Ratia	..	14,000·00
87.	Shri Ude Singh of village Khanda Kheri	..	10,000·00
	Total	..	10,00,000·00

MIGH 1961-62

List of persons who have been granted loan under the MIGH Scheme during 1961-62.

	Sarvshri—		Rs
1.	Jail Singh, village Kharar	..	7,000
2.	Harsarup, village Alipur	..	7,000
3.	Ramsaran of Sirsa	..	10.000
4.	Pirthi Singh of village Sirsana	..	7,000
5.	Shoe Narain, Bhiwani	..	10,000
6.	Jagan Nath, village Mudhal Kalan	..	8,000
7.	Amar Singh, village Nabla	..	16,000
8.	Kishore Lal, Hansi	..	10,000
9.	Hamir Singh, village Nabla	..	10,000
10.	Shrimati Kanta Devi, Sirsa	..	8,000
11.	Shishu of Faridpur	..	7.000
12.	Sat Narain, Bhiwani	..	10,000
13.	Mehta Khela Ram, Bhiwani	..	10,000
14.	Sher Singh, village Madha	..	10,000
15.	Sajjan Singh, village Madha	..	10,000
16.	Divender Singh, Jamalapur	..	8,000
17.	Har Mohinder Singh, Hansi	..	8,000
18.	Amin Lal of village Kishangarh	..	7,000

S. No.	Name of the loanee with address	Amount of loan granted
	Sarvshri	
19.	Balu Ram of Hansi.	9,000
20.	Gurcharan Singh, Uklana.	9,000
21.	Chela Ram, Dabra.	10,000
22.	Chuhar Singh of village Bichhpari.	8,000
23.	Kirpa Ram village Satrod Khas.	7,000
24.	Giani Ram village Kinala.	7,000
25.	Chhelu Ram village Puthi.	7,000
26.	Amar Nath village Gangua.	8,000
27.	Sukha Singh village Chanderkalan	7,000
28.	Bhagat Singh village Uklana.	7,000
29.	Ram Kishan of village Mudhal Khurd.	8,000
30.	Datta Ram village Dhanipaul.	7,000
31.	Verender Singh, village Alkhpura.	6,000
32.	Ram Sarup village Mudhalkhurd.	8,000
33.	Kishan Lal village Kulari.	7,000
34.	Amar Singh village Kurali.	7.000
35.	Sheo Dayal village Tarkanwali.	8,000
36.	Mathura Dass, Sirsa.	8,000
37.	Shive Kumar, Fatehabad.	10,000
38.	Lt. Col. Baldev Singh of Sirsa.	16,000
39.	Maru Ram of village Semani.	8,000
40.	Naurang Rai, village Bidha Khera.	14,000
	Total	3,500,000

MIGH 1962-63 List of persons who have been granted loan under the Migh Scheme during 1962-63.

S. No.	Name	Amount
	Sarvshri	
1.	Din Dayal Hissar.	8,000
2.	Parkash Chand Hansi.	10,000
3.	Prem Singh, village Balsamand.	10,000
4.	Babu Ram Jakhal Mandi.	12,000
5.	Bhagirath Mal of Bhiwani.	10,000
6.	Gulab Roy Bhiwani	10,000
7.	Sushil Chander Sirsa.	14,000
8.	Shrimati Daropti Devi Sirsa.	10,000
9.	Ishwar Chand, Hissar.	8,000
10.	Verender Singh, Hissar.	14,000
11.	Jiwan Dass, Hissar.	10,000
12.	Sajjan Kumar, Loharu.	10,000
13.	Roshan Singh village Gujrani.	8,000
14.	Jaswant Singh, Advocate, Hissar.	16,000
	Total	150,000

Nil

INDUSTRIAL LOANS GRANTED IN HISSAR DISTRICT

2154. Chaudhri Net Ram : Will the Chief Minister be pleased to state the names of persons and firms given industrial loans during the years 1961-62, 1962-63 and 1963-64, respectively, in Hissar District?

Shri Ram Kishan : It is not in bublic interest to disclose the names of the loanees as it adversely affects their business.

BIFURCATION OF DISTRICT HISSAR

2155. Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to bifurcate Hissar Cistrict into two districts of Hissar and Sirsa;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative; the reasons therefor;

(c) the names of villages proposed to be included in the proposed Sirsa District together with the reasons therefor ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes.

(b) For administrative reasons.

(c) It is not possible to furnish the requisite information as the matter is still under consideration.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN GAGRET BLOCK, TEHSIL UNA DISTRICT HOSHIARPUR

2156. Bakshi Partap Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the names of villages in the Gagret Block in tehsil Una district Hoshiarpur, electrifibed during the years 1963 and 1964;

(b) whether there is any proposal under the consideration of the authorities for the electrification of villages Daulatpur, Chalet, Mawa Kaholan, Ambota, Nangal, Deoli and Signai in Gagret Block, if so, the time by which these are likely to be electrified ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Names of villages electrified in Gagret Block:—

(i) *During 1963*—Nill.

(ii) *During 1964*—Ambota.

(b) Villages, namely, Daulatpur, Cholet, Mawa Kaholan, Amboa Nangal, Deoli and Signai in Garget, Block are covered, under sanctioned Gagret, Amb, Ambota L. D. Project. The time by which these are lkely to be electrified, cannot be stated, as the work of electrification of fresh villages has been suspended at present by the Board due to paucity of funds.

COMMUNICATION FROM A LEGISLATOR OF KARNAL DISTRICT

2157. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether he reccived any communication from any Legislator of Karnal Dittrict during the period from 1st December, 1964 to date on the subject of "Ineffective Control and perceptible indifference" alongwith a copy of an open letter addressed by him to the S. P./Karnal styled with the Heading "Superintendent of Police's letter dated 18-11-64", if so, copies of these communications be laid on the Table of the House;

(b) whether the S. P. Karnal received any letter from any Legislator of Karnal District with the heading referred to in part (a) above, if so, the contents of the same together with the action taken thereon;

(c) whether it is a fact that no reply in respect of the said letters/communications has so far been given to the said legislator, if so, the reasons therefor;

(d) whether any officer has been appointed/directed by him to look into the complaints contained in the communications mentioned above, if so, when and his designation and the result of the enquiry?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. A communication was received from Shri Ram Piara, M. L. A., along with a copy of the letter dated 20-11-64. Copies of these communications are as follow.

(b) Yes. S. P/Karnal did receive the communication dated 20th November, 64 which formed part of the letter addressed to me. The contents of the same are given in the communication addressed to me stated at (a) above. Each allegation was looked into and the result of the action taken is mentioned in the following statement.

(c) No reply was sent to the Legislator as the contents of the letter did not warrant any reply but necessary action in respect of each item is being taken.

(d) Different officers were deputed to look into the allegations. The names and designations of officers so deputed are given in the statement mentioned in part (b) above.

[Home and Development Minister]

Statement showing the action taken on each allegation contained in the open letter of Shri Ram Piara, M.L.A., dated 20th November, 1964 along with the names of the officers who conducted the Enquiries.

(i) Shri Chitwant Singh, D.S.P./H was deputed to look into the allegations contained in para No. 1 of the open letter on 24th August, 1964 on the basis of letter dated 22nd July, 1964 received earlier from Comrade Ram Piara by S.P./Karnal on 25th July, 1964 containing the same allegations. The enquiry had been marked to D.S. P./Kaithal in the first instance on 25th July, 1964 but he sent it back on 13th August, 1964 with the report that the village mentioned in the complaint was not within the jurisdiction of his Sub-Division. No substance was found in the allegation contained in the above - mentioned letter of comrade Ram Piara.

(ii) Para 2 of the open letter relates to the investigat on of case FIR No. 1, dated the 7th January, 1963 under section 363, I.P.C., P.S. Gharaunda, which was initially investigated under the supervision of Shri Chitwant Singh, D.S.P./Headquarters and is now being investigated by Shri Gurdev Singh, Reserve Inspector, Karnal. No clue of the missing girl has so far been found.

(iii) In respect of allegations contained in para No. 3 S.P./Karnal looked into the matter at the spot on 23rd November, 1964 after the receipt of letter dated 26th August, 1964 of Comrade Ram Piara and scrutinized the revenue records and thereafter he entrusted the enquiry to Shri Krishan Gopal, District Inspector of Police on 17th December, 1964 on receipt of letter dated 13th December, 1964 from Comrade Ram Piara. The District Inspector has concluded the inquiry and submitted his finding dated 1st February, 1965, according to which no cognizable case was made out.

(iv) As regards allegations contained in para No. 4 of the open letter the matter formed part of case F.I.R. No. 278, dated 14th September, 1964 under section 447/506 I.P.C./Police Station Sadar Karnal and F.I.R. No. 271, dated 8th September, 1964 under section 440, I.P.C.. P.S. Sadar Karnal, both of which were concelled on investigation disclosing no cognizable offence. The matter had also been looked into by Shri Chitwant Singh, D.S.P. who submitted his finding dated 30th September, 1964. Action under - section 107/151 and 145, Cr. P.C. was taken.

(v) As regards allegations contained in para 5 of the open letter, the matter was enquired into by Shri Gurdev Singh, R.I. on 8th November, 1964 under the orders of the Deputy Commissioner, Karnal, who deputed him in this connection on receipt of letter dated 8th November, 1964 from Comrade Ram Piara. The Reserve Inspector Submitted his report dated 10th December, 1964. He did not find any truth in the allegations contained therein.

(vi) As regards the criticism levelled by Comrade Ram Piara, in the Co-ordination meeting held on 6th November, 1964, as mentioned in para 6 of the open letter, the allegations levelled had already been looked into. That relating to Chausana case has been dealt with in para 4 above and the other relating to the murder committed in Dera Rampura Dhakli Amritsar Khurd in 1962, the District Police did not refuse the registration of the case as alleged by Comrade Ram Piara in the meeting.

(vii) Regarding para 7 of the open letter, the matter has been dealt with in para 4 above. There is no substance in the allegation regarding the calling out of Godha Ram cunningly and arresting him in order to humiliate him. No separate enquiry was held into this matter.

(viii) Regarding para 8 of the open letter, enquiry into the allegation was entrusted to Shri Krishan Gopal, District Inspector of Police on 25th October, 1964 . He submitted his findings dated 23rd November, 1964 holding the allegation to have not been proved.

(ix) Regarding para 9 of the open letter the enquiry was entrusted to Shri Prem Kumar, D.S.P./Karnal who held enquiries into the matter and found no substance in it.

(x) Regarding para 10 of the open letter, the facts mentioned herein form part of case F.I.R. No. 238, dated 11th November, 1964 under section 307, I.P.C., Police Station, Sadar Karnal, in which the accused has been challaned. The arrest of the accused could not be affected for 5 days as he had absconded. Necessary legal action was taken to Secure his arrest and the Police machinery was set in motion to apprehend him. It was under this Pressure that he surrendered in court on 16th November 1964.

RAM PIARA COMRADE,
M.L.A.

Phone No. 172.
Model Town,
Karnal, 30th December, 1964.

To

S. DARBARA SINGH JI,
Home Minister, Punjab,
Chandigarh.

Subject.—Ineffective control and perceptable indifference.

DEAR FRIEND,

I am afraid, you may not take this letter ill because I am opening my heart with a painful expression which perhaps may not, be un-palatable. My expression and letter is in good faith and hope you will take it in the same light.

It appears to me that the grip over the administration and particularly on the Police administration and more particularly in Karnal District is becoming loose and loose, and I am afraid, it may not leave bad as well as sad results. The exit of Kairon Regime was pushed through with great sacrifices so as to bring a change for the better.

I have already written you that lawlessness is on rapid increase and any one can see with blind eyes. Many a time I have drawn your attention on verbally as well as through representations to this aspect in Karnal District.

I also apprehended the blessing of the I.G. Police who though exonerated by the C.M./Punjab yet is in hot waters, most probably due to my representations to the Centre. I feel Confident that he will not be absolved by the centre as the charges are serious and confession is there. About Shri Chtwant Singh, D.S.P.. a number of complaints have reached you and full fledged promise came from you about an action against him. The action against Nishan Singh is also moving with a snail's speed. S. Piara Singh, M.L.A. is busy in using and exploiting your name though I know that it is with out your knowledge but C.I.D. and administration should inform you so as to save from bad name. I know that his corrupt practices are not out of your sight and you do not now encourage him. *Bonafide* mistakes can be there and I assert that I am not free from such mistakes. But intentional mistakes with a bad purpose behind those cannot be appreciated and should not be tolerated by the Government and particularly you as you hold the portfolio of Home Affairs.

I am also feeling that acknowledgements from your side in response to my representations/letters/complaints are in decrease, I do not know whether on account of heavy engagements or other-wise.

Both you and Shri Prabodh Chandra are pronouncing that you will not allow little Hitlers to exploit any more and indulge in undesirable activities but they have again started their activities which were temporarily curved and disapproved.

I.G. Police proposed some transfers and he has the cheek to send those to Chief Secretary to be approved by C.M. meaning thereby a byepass of the H.M. I am to congratualate you that when it came to your notice, you took a serious view but I do not know whether you asked the I.G. Police to explain the reasons or not with all the lapses and corrupt practices of Shri Kairon's, he did not allow the officers to behave in this manner. Coming to Karnal events I explained to you that I wrote a lengthy letter to S.P./Karnal on 20th November, 1964. No doubt S.P. Karnal changed his attitude a bit but Karnal District needs drastic remedies for drastic ills. Karnal District due to Grewal case, Kairon case and Ram Piara case is very much notorious and Shri Kairon used to stay in Nilokheri many a times. Even to day Officers like Shri R.S. Randhawa not only visit certain places but are at their beck and call.

Now without commenting on S.P. I am prepared to put my self in test to prove that in certain quarters the circumstances were not so bad in Kairon Regime as today. I agree the direct looting of M/s Nishan Singh Joginder Singh and many others has considerably decreased but the credit to that when it goes to the Government at Chandigarh, also goes to the officers and people whose morale naturally has been reaised by the change of the Ministry.

May I know why there are glaring irregularities and lapses today. Gist has already been conveyed to you and I urged upon you to please ask the S.P. Karnal to send me and to you the reply para-wise of my letter dated 20th November, 1964 which I branded as open letter in response to his letter dated 18th November, 1964.

[Home and Development Minister]

Now again I request you to kindly ask the S.P./Karnal to reply to those points raised in my letter dated 20th November, 1964. The S.P./Karnal has successfully availed forty days and now it should not be very difficult for him to send the reply.

For your satisfaction and convenience I am enclosing here-with copy of my letter dated 20th November, 1964.

When I lodged the complaints in writing, why the S.P. and other officers should feelinconvenient in giving the reply in black and white.

The impression daily growing in the minds of people and common needs a thorough check and that can only be with a firm hand by the Ministers and effective control on some of the officers and undesirables and old exploiters of Kairon Regime. About whom I wrote in my enclosed letter, enquiring to quote one instance out of ten where there interest of M/s Nishan Singh and Joginder Singh was not involved and where Shri Chitwant Singh, D.S.P., did not play his effective role for their help.

I can quote as many examples as you demand to prove that the poor aggrieved is being neglected, ignored and powerful exploiters, undesirables being accommodated.

If these facts laid down by me prove to be fifty correct, can we relish our's as a Welfare State ?

Hoping to be favoured with a line in reply and oblige. In the end again I shall request you to welcome this letter in a mood to have been written in good faith and in the interest of the state and for bringing a good name to the present Government.

Thanking you.

Yours faithfully,
Sd/-.
RAM PIARA, M.L.A.

Note.—I shall very shortly let you know the back-ground for keeping Shri Chitwant Singh, D.S.P., in Karnal, as he was safe guarding the interests of Shri Ranjit Singh, D.I.G., to whom I.G. Police could not say No. due to the Sanitary goods and Car.

Sd/-.
RAM PIARA, M.L.A.

OPEN LETTER

RAM PIARA COMMRADE,
M.L.A.

Phone No. 172
MODEL TOWN,
Karnal, 20th November, 1964

Subject.—Superintendent of Police's letter dated 18th November, 1964 .

DEAR SIR,

Your Confidential letter dated 18th November, 1964 has been received by me to-day, i.e., 19th at 4 P.M. and have noted the contents thereof. You are very correct in concluding that I have started strong language and have started doubting *bona fides*. In order to further support your contention I may draw your attention towards the Ist sentence of my letter dated 16th November, 1964, where in I have observed that "I am writing this letter in an agitated and provoked mood because of the coldness, connivance and serious lapse of the police including you."

Have you given any thought that why I became according to you intemperate and use strong language. You will appreciate my patience which has exhausted after a long time. It is my misfortune that you could not judge earlier though indications had been offered many a time and had you judged those, paid a little heed to that, this stage would not have come. May I know from you the occasions when I expected requested or written for any favour for any of my party man? I am confident that you would not be able to quote even a single instance and if you can, please quote for my guidance so that I may publically (not confidentially) appologise and refrain in future. Do you think that I am anxious to depart from grace, not the least. If you do not mind, I must say that instead of gruding, you should have felt that I am always for the aggrieved. Many a time instead of verbal requests, I prefer requests in writting.

Now for your satisfaction I may quote a few examples:—

1. I addressed a letter to you on 22nd July, 1964 with subject on "Harassment to my witnesses" and received by your office on 22nd July, 1964 I presume that you must have been advised by the Home Minister for looking into as he has communicated to me about this. There is absolutely no response from you. Reluctantly I have remainded the Home Mininster on 9th November, 1964. Complaint by a Legislator like me was decorating the waste paper box of Shri Chitwant Singh.

2. I addressed to you on 20th August, 1964 about the recovery of the abducted girl of Faridpur Barsat. Reminders have been issued. A number of times verbally requested. The issue of grievance was, that Shri Chitwant Singh, D.S.P., made Jaswant Ram accused run away from the Police custody. You could not contradict but you promised that Shri Chitwant Singh will not be allowed to interfere any further. A number of grievances arose and even now I have no hesitation in doubting the *bona fides* of the Police in collaboration with Shri Joginder Singh, Advocate, whose name has figured many a time during our discussions. Number of communications from the H.M. must have been received by you.

3. Then I addressed to you on 26th August, 1964 regarding unlawful and forcible possession of Dera Beriwala (Sadhus land) by S. Nishan Singh and his partners. I can quote a number of instances that Police has taken a strong action in a guilt much less than this forcible possession but in this case the fate has been much bad. When the Sadhus did neither lease out nor sold nor gifted nor gave for cultivation, how the Revenue authorities recorded the Girdawaris. The forcible occupiers did not become the disciples, chelas of the Sadhus. Then what happened ? If you refuse to consider it high handedness, cheating, then what will you consider the forcible possession on pistol point ? Repeated reminders could not get even reply about the Police findings so that if findings were correct I could have left the issue.

4. Leaving many issues, I come to the famous issue of Kunda and Chausana. I had no concern with the arrest of Ch. Ram Sarup, Har Sarup. Police did it on its own accord. I entrusted when Shri. Chitwant Singh, D.S.P., took the arrested Har Sarup in his jeep from Karnal, then went to village Nalvi Roran and picked up Ram Sarup and then reached the place of incident. Does it look dignified that the S.D.P. may carry the arrested in his jeep to the place of incident. I strongly protested but with no result. Then you came to the point of Girdawari. Though even now I do not agree to your contengtion yet I kept quite and stage came when the Police did not follow the principle of same type girdawaris. Vir Bhan and other complainants were locked up. Kartar Singh also lodged a complaint in writing and took a receipt from the Police, was immediat y locked up. One who came to attend the court was locked up. All this was brought to our notice in a provoked mood, verabally at our residence on Sunday. I painfully told you that I was very unhappy and agitated with such incidents. I was so much perturbed that I wanted immediate probe and action which was not only promised but some one was sent to call Shri Chitwant Singh D.S.P. and Shri Chattar Singh, S.H.O. Saddar. After two hours I received a ring from you that they had not turned up so far but after that the position was as of the dead horse. I caught your intentions and stopped seeing you further. You should have judged but you seemed to be unmindful about the high handedness. The crop case of Piare Lal of Sital Garhi P.S. Saddar, is slur upon our claim of taking a just and bold view.

If the cases connected with this para only are dispationately looked into by any Higher authority, reluctantly but surely, he would suspend Shri Chitwant Singh and Shri Chattar Singh and may call their explanation but I presume that you have the patronage of I.G. Police other-wise a number of representations, telegrams, deputations, verbal requests would not have been the decoration of your waster paper box and mental luxury.

5. Then comes the arrest of Bhagwan Dass, Member. Block Samiti, Karnal. I neither defend him nor comment as the case is subjudice but may I know, has he not appeared before Police Officers earlier, has he not sub-

[Home and Development Minister]

mitted his representations earlier, has he not helped the Police in the detection of Sugar of Shri Man Singh Block Samiti Chairman, Karnal, who had to be arrested in the bungling of seven bags of sugar. I know and had been brought to your notice the reluctance and dishonesty of S.H.O. Karnal and Indri and the reluctance of the enquiry officer to accept co-operation of my co-worker and Bhagwan Dass but I want to know from you, why Shri Man Singh was not arrested when Bhagwan Dass was arrested, particularly when he was in the same Bus in which Shri Sucha Singh the other who was arrested was there in the same Bus. The only reason was and is that Shri Man Singh used to serve a few officials and it was brought to your notice by me. Had I not written a very strong letter to Shri R. C. Kapila D.C. on 8th November, 1964, you and your Police would not have arrested Shri Man Singh and his brother Sardara who are already facing smuggling cases of sugar but are getting the patronage of M/S Nishan Singh Joginer Singh. Is it a secret ? It is surprising that still you claim "that you are never swayed by any extraneous influence or consideration."

6. After July, 1963 I attended the meeting of the General Administration on 6th November, 1964. Shri Chitwant Singh, D.S.P. was there but when this was about to start, he slipped away because he saw me, knew my habit and his own lapses.

On my request D.C. called for him to the meeting. In his presence, I badly exposed him and partly your actions, partly because you were not present. Did he not bring to your notice my critic attitude, tone and had exposed the Police actions. He must have. I refuse to believe that he has not brought to your notice the detailed criticism. I presume.. Had the Deputy Commissioner not discussed with you the points mentioned by me in the meeting of 6th. What steps you took to pacify or redress the grievances explained by me. Why do you say now, that I have started using strong language.

7. Rearding... ...Girdwari and the request and representation of the aggrieved and under the orders of the C.M. F.C.R., Tehsildar had been enquiring into and recording the statements of the witnesses. Has the Police not arrested Shri Godha Ram who was called cunningly outside and arrested. It was a conspiracy to deprive him from conducting his/their case and to humiliate him in the presence of so many. Is this mischief still a secret from you ? Was there any clash ? What business Police had there ? Still you claim to be fair minded. I refuse to accept your versions and am justified in doubting the *bona fides*

8. I recollect having handed over to you an application of Saunkra aggrieved people who also appeared before you at your residence on my instance. On my request you marked the enquiry to D.S.P. When asked by me the name of the D.S.P. you said Shri Chitwant Singh. I remarked that he is in league with M/s Nishan Singh -Joginder Singh and the aggressor party is being helped by this firm, then you marked to the Inspector. The aggrived contacted me at my residence after my discharge from the Hospital and said that so far no one has gone for enquiries.

9. Similarly I forwarded you an application of Phul Singh of Bheni Khurd on 2nd November, 1964. This complaint, the grievance was that under orders of Shri Chitwant Singh, D.S.P. on the spot Shri Gurinder Singh, Chairman, zila Parishad took away the accused from the P.S. Butena in his Jeep and taunted Phul Singh. I was told that nothing has happened to that complaint.

A number of more instances can be quoted if I avail a time of two three days but I do not want to gain time in sending a reply to your letter received by me on 19th at 4 P.M. In this letter you could not dare discuses any fact of those letters in which you smelled intemperate and strong language. Hence you were provoking and agitating my mind. A s I refused to be silent spectator of the serious lapses and grave irregularities and high handedness and mostly intentional, therefore, strong language became unavolidable. I do not mind if you interpret it as intemperate. But you must be knowing that drastic ills demand drastic remedies.

10. Now comes the firing incident on G. T. Road. When the story and the behaviour of the Police including you comes in my mind, I feel ashamed of claiming a National Government. I do not know, how do you feel. You must feel proud that Police failed to arrest the accused of section 307. My charge is that he has not been intentionally arrested by the Police and in the eyes of lay man Ram Piara you are no more exception who too proved to be reluctant. Your claim credit for the failure to arrest right from 11th November, 1964 8 P.M. the time of incident and 3-30 P.M. on 16th November, 1964 when the accused appeared in the Sessions Court and was bailed out.

Does the role of the S.H.O. not entitle him for suspension ? Do you not feel shy when both your promises for the arrest of the accused proved to be untrue. Was it a courtesy or sympathy to the deputation of the aggrieved when they met you on 15th at 9/10 P.M. They were standing down ward and you were occupying chair in the varandah. On one side the arrested persons are taken in the jeep by the D.S.P. and you shut your eyes and on the other side you yourself treat the aggrieved as accused.

Again you gave them a sermon to compromise. Is it the duty of the S.P. of the District to be so considerate towards the accused, simply becuase you had not the guts to resist the pressure of telephone from Ambala and else where. You were the officer who in the first instance badly rebuked the S.H.O. for his lapses and only a little after miraclous change came into you, God knows, under what circumstances ?

Mr. Brijinder Singh, be sure, nature will not excuse you. Here again besides other interests, the interest of Shri Joginder Singh was also there.

I could address you on 12th but waited to see the *bona fides*. When I was totally disappointed then I wrote you on the 16th.

Now may I know which of the point is lacking the interest of Shri Chitwant Singh and M/s Nishan Singh Joginder Singh, I am thoroughly convinced that Shri Chitwant Singh is not free from the very closer associations M/s Nishan Singh -Joginder Singh and corruption and you are intentionally conniving at for the reasons best known to you or God. It will take time to reach at other conclusions. I may assure you that I am prepared for the worst and must face the high handedness. What is talked in P.S. Sadar, I know and what was taken when I strongly rang up for the theft of bullocks of a poor Jhenwar of Baghpati. But I am mindful even if you go more strong with the aggressors under the patronage of I. G. Police who too I presume is in hot waters due to me.

Yours faithfully,

Sd/-.
RAM PIARA,
M.L.A.

HIGH/HIGHER SECONDARY SCHOOLS IN MOHINDERGARH DISTRICT

2158. Shri Ram Saran Chand Mittal : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state the names of villages and towns where there are Government High and Higher Secondary Schools in Mohindergarh District Tehsil-wise (i.e. in each of the Tehsils of Narnaul, Mohindergarh and Dadri) and Assembly Constituency-wise (i. e. in each of the Narnaul, Mahendergarh, Dadri and Kanina Assembly Constituencies) ?

Shri Prabodh Chandra : Two lists showing the names of Government High/Higher Secondary Schools in Mohindergarh District both Tehsil-wise and Assembly Constituency-wise are as follow. Constituency-wise list does not contain information in respect of Government High Schools at Krishan Nagar and Bhungarkha. The location of Krishan Nagar and Bhungarkha Constituency-wise is being verified and the requisite information in this respect will be furnished separately at the earliest.

[Education and Local Government Minister]

Names of Government High/Higher Secondary Schools in Mohindergarh District (Tehsilwise)

Mohindergarh Tehsil

No.	School		Place
1.	Government Higher Secondary School,	(boys)	Mohindergarh
2.	Ditto	ditto	Satnali
3.	Ditto	ditto	Madhogarh
3.	Ditto	ditto	Dalanwas
5.	Ditto	ditto	Kanina
6.	Government High School	ditto	Nautana
7.	Ditto	ditto	Dohgra Ahir
8.	Ditto	ditto	Nangal Sarohi
9.	Ditto	ditto	Bhawania
10.	Ditto	(Girls)	Mohindergarh
11.	Ditto	Ditto	Kanina
12.	Ditto	(Boys)	Berla

Narnaul Tehsil

No.	School		Place
1.	Government Higher Secondary School,	(Boys)	Narnaul
1.	Ditto	ditto	Nangal Chaudhary
3.	Ditto	(Girls)	Narnaul
4.	Government High School,	(Girls)	Ateli
5.	Ditto	ditto	Krishan Nagar
6.	Ditto	ditto	Bhungrkha
7.	Ditto	ditto	Kanti
8.	Ditto	ditto	Bachhod

Dadri Tehsil

No.	School		Place
1.	Government Higher Secondary School,	(Boys)	Dadri
2.	Ditto	ditto	Ranila
3.	Ditto	(Girls)	Charkhi Dadri
4.	Ditto	ditto	Jhojhu Kalan
5.	Government High School,	(Girls)	Dhani
6.	Ditto	ditto	Achina
7.	Ditto	(boys)	Dalawas
8.	Ditto	ditto	Chirya
9.	Ditto	ditto	Sanwar
10.	Ditto	ditto	Kitlana
11.	Ditto	ditto	Imlota
12.	Ditto	ditto	Jhojhu Kalan
13.	Ditto	ditto	Baund
14.	Ditto	ditto	Charkhi
15.	Ditto	ditto	Nandgaon

Names of Government High/Higher Secondary Schools Constituency wise in Mohindergarh District.

Mohindergarh Constituency.

No.	School		Place
1.	Government Higher Secondary School,	(Boys)	Mohindergarh
2.	Ditto	ditto	Satnali
3.	Ditto	ditto	Madhogarh
4.	Ditto	ditto	Dalanwas
5.	Govrnment High School,	ditto	Nangal Sarohi
6.	Government Girls High School,	Girls	Mohindergarh
7.	Government High School,	(Boys)	Ateli
8.	Ditto	ditto	Kaunti

Narnaul Constituency.

No.	School		Place
1.	Government Higher Secondary School,	ditto	Narnaul.
2.	Ditto	(Girls)	do
3.	Ditto	(Boys)	Nangal Chaudhary
4.	Ditto	ditto	Bachood

Kanina Constituency.

No.	School		Place
1.	Government Higher Secondary School,	ditto	Kanina
2.	Government High School.	ditto	Nautana
3.	Ditto	ditto	Dongra Ahir
4.	Ditto	ditto	Bhawania
5.	Ditto	ditto	Berla
6.	Government High School,	(Girls)	Kanina
7.	Government Higher Secondary School,	(Girls)	Jhojhu Kalan
8.	Government High Sehool,	(Boys)	Jhojhu Kalan
9.	Ditto	ditto	Chirya

Dadri Constituency.

No.	School		Place
1.	Government Higher Secondary School,	(Boys)	Dadri
2.	Ditto	ditto	Ranila
3.	Ditto	(Girls)	Charkhi Dadri
4.	Government High School.		Dhani
5.	Ditto		Achina
6.	Ditto		Dalawas
7.	Ditto		Sanwar
8.	Ditto		Kitlana
9.	Ditto		Imlota
10.	Ditto		Baund
11.	Ditto		Charkhi
12.	Ditto		Nandgaon

APPOINTMENTS MADE IN THE WORKSHOP CADRE IN THE PUNJAB RODWAYS, AMRITSAR AND JULLUNDUR.

2159. Chaudhri Chuhar Singh : Will the Chief Minister be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 5971. included in the list of Questions for 15 September, 1964

(a) whether any seniority list of the candidates who were declared successful but have not been appointed so for, has been prepared ; if so, a copy of such list showing their names and addresses be laid on the Table of the House; if not prepared, the reason therefor:

(b) the names of persons belonging to the Scheduled Castes among those mentioned in part (a) above;

(c) the time by which the remaining Scheduled Castes persons are likely to be appointed against the posts for which they were declared successful;

(d) whether any new appointment has been made in the workshop after the appointments referred to in part (c) of the said reply; if so, the number, names and addresses of persons appointed and the number and names of Scheduled Castes amongst them;

(e) whether in the new appointments due representation has been given to the Scheduled Caste; if so, the details thereof; if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a) No. Suitable candidates as and when required are obtained through the Employment Exchange.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) Nil.

(e) Does not arise as no appointments were made.

SURPLUS AREA AND ITS ALLOTMENT

2161. Dhaudhri Ran Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area so far declared as surplus in the state;

(b) where some more area remains to be declared surplus in the state; (ii) if so, to what extent;

(c) the area referred to in part (a) above allotted to the tenanats belonging to the Scheduled Castes and to others separately, district wise in the state ?

Sardar Harinder Singh Majar : (a) 3,67,803 Standard Acres (up to the end of December, 1964);

(b) (i) Yes;

(ii) About 3,00 Standard Acres;

(c) A statement is as follows.

Statement showing the surplus area allotted to Harijans and Non Harijans upto 30-11-64.

S. No.	Name of the District		Surplus area allotted to Harijans	Surpls area allotted to non Harijans
1	2		3	4
			(IN STANDARD ACRES)	
1.	Hissar	..	4,207	23,414
2.	Rohtak		1,244	11,777
3.	Gurgaon.		453	7,841
4.	Karnal	..	3,055	15,053
5.	Ambala	..	1,128	1,768
6.	Simla		—	—
7.	Kangra	..	47	153
8.	Hoshiarpur		1,284	1,572
9.	Jullundur	..	2,512	2,079
10.	Ludhiana	..	74	1,104
11.	Ferozepur	..	890	9,915
12.	Amritsar	..	2,916	9,575
13.	Gurdaspur	..	5,951	5,897
14.	Patiala	..	494	2,145
15.	Sangrur	...	598	2.537
16.	Bhatinda	..	1,291	5,675
17.	Mohindergarh	..	95	551
18.	Kapurthala	..	196	470
19.	Nathana Sub Tahsil	..	38	287
	Total	..	26,516	1,06,768

GOVERNMENT PRIMARY, MIDDLE, HIGH AND HIGHER SECONDARY SCHOOLS AND COLLEGES

2162. Shri Ram Saran Chand Mittal : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the number at present of Government Girls Primary, Middle, High and Higher Secondary Schools and Colleges ment exclusively for girls in each district of the State and the number of students studying in them respectively in the following form—

Name of District	No. of Primary Schools	No. of students	No. of Middle Schools	No. of students	No. of High Schools	No. of students	No. of Higher Secdy. Schools	No. of students	No. of Colleges	No. of students

(b) the Number of Government Primary, Middle, High and Higher Secondary Schools and Colleges where there is co-education, district-wise, and the number of girl students and boy-students separately on rolls in them, respectively, in the form given in part (a) above?

Shri Prabodh Chandra : (a) and (b) A statement showing the number of Government Girls Primary, Middle, High and Higher-Secondary Schools and Colleges as on 31st March, 1964 is as follows.

Barring a few Institutions here and there almost all the Primary Schools are Co-educational in character. Co-education is being extended in Middle Schools and in Middle Classes of High/Higher Secondary Schools gradually by taking the local community into confidence. The question of desirability and practicability of introducing Co-education in High and Higher Secondary Schools is under consideration with the Government. Co-education in Boys Colleges is optional, for girls, i.e., Girls are allowed to join the Boy Colleges.

As regards the number of students in each Institution and the number of Institutions where there is Co-education, keeping in view the large number of such Institutions, the time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

Statement showing the number of Government Girls institutions as on 31-3-1964.

Districts		No. of Primary Schools	No. of Middle Schools	No. of High Schools	No. of Higher Secondary Schools	No. of Colleges
1		2	3	4	5	6
Ambala	..	—	20	6	7	1
Gurgaon	..	22	12	4	7	—
Hissar	..	77	20	3	5	—
Karnal	..	—	16	4	5	1
Rohtak	..	97	29	5	5	1
Simla	..	3	3	2	1	—
Amritsar	..	166	25	9	7	1
Ferozepur	..	59	33	11	4	—
Gurdaspur	..	30	20	5	3	—
Hoshiarpur	..	199	25	10	3	—
Julluandur	..	65	25	10	3	—
Kapurthala	..	46	5	2	3	—
Kangrs	..	—	31	9	6	—
Ludhiana	..	120	25	12	3	1
Bhatinda	..	—	10	5	5	—
Mohindergarh	..	84	2	2	3	—
Patiala	..	—	12	6	7	1
Sangrur	..	—	7	9	4	—

PUNJAB COMMODITIES PRICE MARKING AND DISPLAY ORDER

2163. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Chief Minister be pleased to state the extent to which the Punjab Commodities Price Marking and Display Order has been implemented and the extent to which it has checked profiteering?

Shri Ram Kishan : The object in issuing the Punjab Commodities Price Marking and Display Order, 1962, is to have the prices of essential commodities of day to day use exhibited prominently so that consumers should know the price at which they can buy a certain commodity/article from a dealer and also compare it with the price prevailing at other shops in the market. This Order also enjoins that no dealer shall sell to any person any commodity at a price higher than that exhibited by him or refuse to sell that commodity to any person at the price so exhibited/marked.

Apart from the obvious advantages of marking and display of prices, the enforcement of this Order has helped to some extent in checking the rise in prices of various essential commodities in as much as certain commodities which had gone underground or in which there was heavy profiteering, became available to the consumers at reasonable retail prices.

THE PUNJAB PREVENTION OF PROFITEERING AND HOARDING ORDER

2164. Comrade Gurbaksh Singh Dhaliwal : Will the Chief Minister be pleased to state the extent to which the Punjab Prevention of Profiteering and Hoarding Order has been implemented in the State and with what result?

Shri Ram Kishan : The question of fixation of margins of profit under the Order was examined by various Committees set up by the Food and Supplies Department. It was considered that these margins could not be fixed only by this State Government as it was an all-India policy matter. Success of any such Order implies cemplete control of distribution of consumer goods and huge administrative machinery is required to implement this. Cansequently, no action has been taken under this Order by this State Government.

FOODGRAINS DEALERS LICENSING ORDER

2165. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the extent to which the Foodgrains Dealers Licensing Order has helped in preventing hoarding and profiteering in actual practice in the State;

(b) whether the said Order has been circumvented by some traders; if so, in what manner?

Shri Ram Kishan : (a) The Punjab Foodgrains Dealers Licensing Order, 1964 has enabled the State Government to keep vigilance over the activities of the foodgrains licensees as a result of which they were discouraged to (i) stock foodgrains in large quantities and (ii) exploit the market. About 75,500 tonnes wheat was also acquired from the licensees who had kept larger stocks with them.

(b) No.

COMMITTEE SET UP FOR FIXING MARGIN OF PROFIT

2166. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Chief Minister be pleased to state the details of the work so for done by the Committee consisting of the representatives of the traders constituted to fix the margin of profits for various categories of trades, giving the details of recommendations made by it and the extent to which these have been implemented ?

Shri Ram Kishan : A meeting of the Joint State Leval Committee for fixation of margins of profit was held on 6th December, 1963. In this meeting it was emphatically urged by representatives of the trade that the State Government should not take any unilateral action in the fixation of margins of profit of various trades in the State, it being an all-India policy question. They urged that such an action would only result in serious shortages and high prices and lead to further unrest in the State. They pointed out that in the previous war time controls, an attempt was made to fix the margin of profit of various trades but there was no success in those measures except that almost all commodities went underground and prices shot up to unpresedented levels. Despite the views of the representatives of the trade on this Committee, it was decided to go into this question further and 12 Sub-Committees of various trade representatives were formed for the purpose. The recommendations of these Sub-Committees are given below:—

Woolen Textile Manufacturers Sub Committee. This Sub-Committee recommended that the State Government should not fix margins of profit unilaterally for woollen taxtiles unless this was done by all States on an All-India basis.

(2) *Brassware Dealers Sub-Committee.* It was recommended that margins of brassware should not be fixed by this State Government unilaterally unless this was done by all other adjoining States on all India basis.

(3) *Sub-Committee for Foodgrains & Pulses.* The Sub-Committee recommended that it was very difficult to fix margins of profit for these articles as prices varied from mandi to mandi and from day to day and unless these margins were fixed in the adjoining States, Punjab State could not succeed single-handed. The paddy and rice prices have been fixed for the Punjab as well as for the adjoining States. The question of fixation of prices of wheat and other foodgrains is under consideration of the Punjab Government and the Government of India.

(4) *Gur, Shakkar and Khandsari Sub-Committee.* The Sub-Committee noted that there were very large varieties of these commodities and the sources of their supply also varied and the State Government should not fix the margins of profit unless U. P. and other adjoining States followed suit.

(5) *Sub-Committee for Karyana articles.* The Sub-Committee decided that it was impracticable to fix margins of profit of a very large number of Karyana articles as the sources of supply were so varied. The Sub-Committee observed that the State Government could not succeed in it unless all other State Governments followed a similar policy.

[Chief Minister]

(6) *Dry Fruits Sub-Committee.* The Sub-Committee decided that margins of profit could not be fixed because the Delhi Government would not be a party to such an action being taken. It was noticed by the Sub-Committee that Delhi was the most important market in India for dry fruits and unless margins were fixed in that market, it was difficult to regulate margins in Punjab.

(7) *Cycles and Accessories Sub-Committee.* The Sub-Committee decided that margins should not be fixed unless these were fixed by the cycle manufactures all over the countrry. It was felt that if margins were fixed in the Punjab State, the industry in this State would be paralysed.

(8) *Woollcn and Cotton Hosiery Sub-Committee.* The Sub-Committee recommended that margins should not be fixed becuase there were a very large number of articles and the sources of supply were also varied and that the problem could not be tackled on the State level.

(9) *Methylated Spirit Sub-Committee.* It was noted by the Sub-Committee that margins of profit in methylated spirit already stood fixed by the Excise and Taxation Department and that no further action was necessary by the Food and Supplies Department.

(10) *Cotton Textile Sub-Cammittee.* It was decided that the Punjab Government should represent to the Government of India for enforcement of statutory control on prices stamped on cloth under the Voluntary Price Regulation Scheme. The Government of India have since accepted this recommendations and 45 per cent of more popular varieties of cloth have been brought under statutory price and production control now. The margin for wholesale and retail dealers as fixed by the Government of Indi is 18 per cent on ex-factory prices.

(11) *Crockery Goods Sub-Committee.* It was decided by the Sub-Committee that margins of profit for crockery goods could not be fixed unless the problem was tackled on an all-India basis.

(12) *General Merchandise Sub-Committee.* It was noted by the Sub-Committee that as the number of articles under this sub-head was very large, margins of profit could not be fixed on the State leval. It was further noted that it was an all India policy matter and the State Government should not take any unilateral action.

2. In view of the recommendations of the various Sub-Committees, that the question of fixation of margins for various general consumer goods was an all India policy matter and that no isolated decision could be taken by the Punjab Government, the matter was dropped. Regarding foodgrains, the Punjab Government have appointed a Price Fixation Committee with S. Ujjal Singh as its President. The price of paddy and rice have already been fixed in

the Punjab State and also in the adjoining States. The Government of India also have appointed an Agricultural Prices Commission to review the position regarding prices of agricultural commodities from time to time.

WARE-HOUSES

2167 Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of ware-houses so far set up in the State by the State Ware Housing Corporation with their total capacity and the capacity utilised in the last two years separately;

(b) whether it is a fact that the said ware-houses were primarily intended to benefit the producers, if so; to what extent these have been utilied by the producers during the said period?

Sardar Darbara Singh :

(a) (b) The statement is as follwso

STATEMENT

(a) (i) Total nnmber of Ware houses being run by the State Ware Housing Corporation as in February 1965. — 71

(ii) Capacity and its Utilization during the last two years :—

1962-63

Total Capacity	Utilization
42458 M Tonnes	36175 M. Tonnes.

1963-64

Total Capacity	Utilization
42120 M. Tonnes	31498 M. Tonnes.

(b) No. in the Warehousing Corporations. Act 1962 no difference has been made between the producers and other types of dipositors.

Custom deposited by the producers.

1962-63	1963-64
592 M. Tonnes	150 M. Tonnes.

GOVERNMENT TUBEWELLS IN THE STATE

2168 Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the number of Government owned Tubewells at present in State ;

(b) the number of tubewells referred to in para (a) above which are actually working and the total area irrigated by them during the last two years;

[Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal]

(c) the number of tubewells out of those referred to in part (a) above which are unserviceable and the action taken or proposed to be taken in regard to these tubewells;

(d) whether the area irrigated by Goverement tubewells has increased after the reduction in rates;

(e) whether the Government tubewells are still running at a loss; if so, the steps being taken to make them an economical proposition?

Chaudhri Rizaq Ram:

(a) and (b)

	Total No. of tubewells	No. of tubewells working
(i) Direct Irrigation Deep tubewells.	1236 (excluding 18 tubewells under installation in Rewari area.	1226
(ii) Agriculture Reclamation shallow tubewells.	14	4
(iii) Deep tubewells of Jagadhri Project for augmenting the supplies of Western Jumna Canal.	252	252
(iv) Antiwaterlogging shallow tubewells in Tarn Tarn Area.	68	68
Total	1570	1550

Area irrigated by 1236 direct irrigation tubewells

Year	Kharif	Rabi	Total
1963-64	96,906 acres	1,66,464	2,63,370 acres
1964-65	105,414 acres	*58,040	*1,63,454 acres (upto 11/64)

(c) proposal to abandon 10 deep direct irrigation tubewells and 10 Agriculture reclamation tubewell is under examination.

(d) prior to change in mode of assessment from units of electricity consumed to acreage of area irrigated the record of irrigation was not kept and as such the comparison is not possible.

(e) Yes; the matter is under consideration.

AREA OF LAND UNDER IRRIGATION IN HOSHIARPUR DISTRICT

2169. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total area of land under irrigation at present in the Hoshiarpur District and its percentage of the total area under cultivation;

(b) the details of the schemes, if any, of long-term and short-term nature being implemented or proposed to be implemented for extension of irrigation in the said district;

(c) the details of the schemes, if any, being unader taken or proposed to be under taken for construction of small dams to store flood waters for irrigation purposes in the said district?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Total cultivated land in the Hoshiarpur District is 7,02,473 acres. Out of which 93,700 acres is being irrigated by various means of irrigation. The percentage comes to about 13 percent.

(b) The following short-term and long term schemes are being investigated under execution in the plain and hilly area of the District for providing irrigation facilities.—

1. Bhangala Minor for irrigating the new area of 1495 acres from Shah Nehr Canal is under executions.
2. Potta Minor for irrigating the new area of 1555 acres from Shah Nehr Canal is under execution.
3. Gondpur Turraff Bula Tank Irrigation Scheme and Dulehra Tank Irrigation Scheme to improve the existing tanks.
4. Chattara Khad Irrigation Scheme Bund to be put in at junction of Jalewala Choe and Nauneda Choe, where a gorge exists.
5. Sanaoli Tank Irrigation Scheme—By deepening the existing tank.
6. Churru (Lift) Irrigation Scheme—Investigation is to be done to use this water by flow Irrigation in village Churru etc.
7. Kalruhi Lift Irrigation Scheme. The Project Estimate is under sanction to provide irrigation to areas near by Kalruhi village.
8. *Sekhupur Jhangrian Khad Scheme.* Under investigation.

[Public works and Welfare Minister]

9. Taba Nangal Khad scheme and Mawa Sindian Khad scheme The proposal for providing irrigation to the near by area is under investigation.

10. Garni Khad Scheme. Scheme would be investigatied to provide irrigation where possible.

11. Nekhama Scheme Springs, rain and Nandour choe waters are proposed to be used for irrigating 200 acres of land.

12. Dadial scheme. Springs, rain and Takin Khad waters are proposed to be used for irrigating 300 acres of land.

13. Aglaur Scheme. Seapage, rain and Aglaur Khad waters are proposed to be used for irrigating 500 acres of land.

14. Badher and Saleh Lift Schemes under investigation which would cost appr. Rs 90,000.

15. Mawa Sindian Khad scheme. This will irrigate an of 800 acres belonging to villages Mawa Sindian, Kalhera and Tatera at an appr. cost of Rs 1·20 lacs.

16. Ganu Marwari Khad scheme. This scheme is also under investigation.

17. Kawan Chhan Khad scheme. This will irrigate an area of 200 acres at the appr. cost of Rs 60,000.

18. Behr Loharan Khad scheme.
19. Behr Loharan Tank Scheme.
20. Satileta Khad Scheme.
21. Jhambher Khad Scheme.
22. Sanjhot khad Scheme.
23. Behr Jaswan Khad Scheme.

} These scheme are also under investigation for providing irrigation in nearby areas.

24. There are 4 schemes being investigated to sink tubewells at various sites at a cost of Rs 3,29,000.

(c) Certain check Dams to prevent erosin and to convert water for irrigation are under investigation—

"Bund is to be constructed on one of the two khads in North of the village Halutation in the mountaneous region of the Shivalik Hills in village Khad. 250 acres of land are proposed to be irrigated with 300 Min to 1200 Mxa. cusecs of water in the khad. Approximate cost is likely to be Rs 38,000.

EMPLOYEES IN THE PRIVATE SECTOR

2170. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the steps, if any, being taken by Government to prevail upon the employers in the Private Sector to enhance the rate of dearness allowance and grant other relief to their employees in view of the unprecedented rise in the cost of living?

Chaudhri Rizaq Ram : For organised sectors, wherever the workmen raise an industrial dispute for rise in wages, efforts are made to bring about a settlement between the parties through the Conciliation Machinery. In genuine cases, the matter is referred for adjudication where no settlement is arrived at.

In un-organised sector where minimum rates of wages are fixed, efforts are being made to revise the minimum wages in all industries where the rates had been fixed more than three years ago. New industries are also being added in the schedule of employments under the Minimum Wages Act and minimum rates of wages at suitable levels will be fixed in these industries also in due course.

PRIVATE SCHOOL TEACHER BEATEN IN PATIATA

2171. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a teacher of a private school at Patiala was beaten by some persons on 25th January, 1965 ;

(b) whether he is aware of the fact that a deputation of school teachers including seven headmasters waited upon the Superintendent of Police on 27th January and complained about the failure of the police to bring the culprits to book;

(c) the action so far taken in the matter?

Sardar Darbara Singh : Yes.

(b) Yes.

(c) Report of Shri Bal Bhadhar Malhotra was recorded in the Daily Diary and he was advised to seek redress in law court as no cognizable offence was made out. Consequent upon the interview of the deputation, the boys complained against were sent up under section 107/151 Cr. P.C. and a Police posse in uniform was deputed to patrol the area.

IMPORTED WHEAT QUOTA FOR FLOUR MILLS

2172. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the imported wheat quota for Flour Mills in the State was reduced by the Union Government for the month of January, 1965; if so, to what extent, the reasons for the reduction and its impact on the supply position;

(b) whether the State Government took up the question of said reduction with the Union Government ; if so, with what effect ?

Shri Ram Kishan : (a) No.

(b) Does not arise.

AREA OF LAND UNDER IRRIGATION IN FEROZEPORE DISTRICT

2173. **Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) the total area of land at present under irrigation in the Ferozepore District together with the total area under cultivation ;

(b) the details of the schemes, if any, of long terms and short term nature, being implemented or proposed to be implemented for extension of irrigation in the said District ?

Chaudhri Rizaq Ram :

(a) Area under cultivation is about 21.45 lacs acres while the area under irrigation is about 20.43 lacs acres.

(b) A list of the schemes is as follows.

LIST OF LONG AND SHORT TERMS SCHEMES IN FEROZEPORE DISTRICT.

1. **Long terms Schemes**

1. Construction of new Kussa Minor from Manoke Disty.
2. Construction of Chautra Disty. off taking from Sirhind Feeder.
3. Extension of Kotli Minor.
4. Construction of Udekaran Minor.
5. Extension of Killi anwali Sub Minor of Teona Disty. from R.D. 32020 to 37615.
6. Remodelling of existing channels in Abohar Division.
7. Remodelling Sibian Disty.
8. Remodelling Raunta Disty.
9. Remodelling Mari Disty.
10. Remodelling Faridkot Disty.
11. Remodelling Kotkapura Disty.

2. **Short terms Schemes**

A large number of contract and temporary shoots are being given to extend the irrigation in the said District.

DERA BABA NANAK-FATEHGARH CHURIAN ROAD, ETC

2174. **Sardar Makhan Singh** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether Dera Baba Nanak-Fatehpur Churian Road is proposed to be metalled, if so, the date by which it is likely to be done ?

Chaudhri Rizaq Ram : Part I, Yes.

Part II. 9.80 miles have been completed. The remaining length of 2.20 miles has been provided for during the currents plan period and will be completed in early IV Plan, subject to availability of funds.

METALLED ROAD TO CONNECT AREA TRANSFERRED TO INDIA BY PAKISTAN ON 17TH JANUARY, 1961 NEAR RIVER RAVI

2176. **Sardar Makhan Singh** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to convert the Kacha Road constructed by the P.W.D. to connect the area known as Chanya-Ki-Bet and transferred to India by Pakistan on 17th January, 1961 situated on the other side of river Ravi into a matelled raod, if so, the time it is likely to take;

(b) whether a bridge is also proposed to be constructed there on river Ravi, if so, when ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No. Question does not arise.

(b) No. Question does not arise.

ELECTRIFICATION OF GHANYA KE BET AREA

2177. **Sardar Makhan Singh** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether Government is considering any scheme for the electrification of the area known as Ghanya-ki-Bet etc. which was transferred to India by Pakistan on 17th January, 1961, if so, the time by which it is likely to be finalised and completed and electricity supplied ?

Chaudhri Rizaq Ram : Ghanya-ke-Bet area is situated across Ravi River. It is not covered under any sanctioned Electric Supply Project.

COMPLAINT REGARDING THE PURCHASE OF LAND BY THE MARKET COMMITTEE, KARNAL

2179. **Comrade Ram Piara** : Will the Minister for Home and Development with reference to the reply to Starred Question No. 6327 included in the list of Starred Questions for 28th September, 1964 be pleased to state —

(a) the name and designation of the representative of Market Committee, Karnal, who negotiated with M/s Puran Singh & Co., regarding the purchase of the land, which according to part (e) of the said reply was purchased by the Market Committee, Karnal, directly from M/s Puran Singh & Co.;

(b) the rate per Marla or per Kanal paid to the party mentioned in part (a) above in respect of the plot of land, on which, according to part (b) of the said reply, a sum of Rs. 41,600 was spent by the said Market Committee ;

(c) wether at the time of settling the rate referred to in part (b) above, the representative of the Market Committee enquired or kept in view the price paid, according to the registered sale-deeds by other purchasers to the said party during the same period, for plots/lands just adjacent to the said land ;

[Comrade Ram Piara]

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, the reasons why higher price was paid by the said Committee, if in the negative, why no enquiry was made ;

(e) whether any officer was deputed to look into the complaint referred to in part (a) of the said reply ; if so, his designation, the dates when he held the enquiry, the persons contacted by him and a copy of his findings be laid on the Table ?

Sardar Darbara Singh : (a) The names and designation of the representatives, who negotaited with M/s Puran Singh & Co., are as under:—

(1) Shri Nishan Singh, Chairman, Market Committee, Karnal.

(2) Shri Daya Singh, Member, Merket Committee, Karnal.

(3) Shri Amrik Singh, Member, Market Committee, Karnal.

(4) Shri Khushi Ram, Member, Market Committee, Karnal.

(b) The rate per marla was Rs. 400.

(c) Enquiries were made by the representative, but no verification was made from the sale deeds.

(d) No high price appears to have been paid. Verbal enquiries were made by the Sub-Committee.

(e) Yes. The Officer-on-Special Duty conducted the enquiry on 14th February, 1964. He contacted the owners of the adjacent plots and the Teshildar, Karnal. A copy of his report is as follows.

Subject.—Complaint dated 4th March, 1964 from Comrade Ram Piara, M.L.A., Model Town, Karnal, against Shri Nishan Singh, Chairman, Market Committee, Karnal.

As desired I visited Karnal on 14th February, 1964 conducted confidential enquiry in the matter cited as subject.

Market Committee Karnal according to its office record, purchased 5 Kanal 4 Marlas of land from Shri Puran Singh and Company Karnal at the rate of Rs. 400 per marla on 2th November, 1962 for constructing staff quarters. This plot also includes a pacca building measuring (39'X20') for which an additional amount of Rs. 2,500 was paid by the Committee as a cost of the building. There is a dilapidated well and five trees over this plot for which no separate price was paid. Work Sub-Committee of Market Committee Karnal considered the matter for the purchase of this land in their meeting held on 26th October, 1962.

Taking into consideration the rates of the plots situated in the vicinity, they were of the view that the rates are rising day by day and the plot in question being more suitable may be purchased. The Sub-Committee negotiated with Shri Puran Singh and Company regarding the price of land and came to the conclusion that the said company was not willing to charge price less than Rs. 400 per marla.

The matter regarding the price of the plot was approved by the Committee in their general meeting held on 29th October, 1962.

The land was then purchased. I also inspected the sight of the plot. The plot is at a higher level as comparred to the plots adjoining plots. Two separate roads have been provided to this plot from two different sides

Shri Puran Singh and Company sold three residential plots of 40'X50' each measuring adjoining the plot purchased by the market Committee.

Constructions Work on some of these plot has alrady been completed.

Verbal inquiries regarding the price paid for the residential plots were made from the Owners of the plots who stated that they purchased the plots at Rs. 375 per marla in the year 1962.

In order to verify the information given by them efforts were made to collect information regarding price paid by them with the help of Tehsildar who submitted a map and his report (original attached herewith). This report shows that one plot No. 15 in Western side of the plot purchased by the Committee was sold at about 350 per marla and plot No. 46 and 49 were sold at the rate of Rs. 200 and Rs. 150 per merla, respectively. These prices per report of the Tehsildar are shown in the registered deed executed by the parties with Puran Singh and Company.

Verbal inquiries made from the Owners of these plots reveal that lesser price was hown in conveyance deed to avoid stamp and Registration fee at full rate.

In view of the price shown in registration deed it is rather difficult to believe the verbal statement given by Owner of the plots. However, it is reasonable to believe that to avoid payment of stamp and registration fee at full rate they may have shown the price at lesser rate in the deed and paid the balance to the (seller) M/s Puran Singh and Company without showing it in the conveyance deed. Such things are quite common in these days.

The level of price Rs. 350 per marla paid by one plot Owner indicates that the price paid at the rate of Rs. 400 per marla by Market Committee Karnal seems reasonable particularly when the level and situation of plot is to be kept in mind.

Sd/-.
HARI SINGH
Officer-on-Special Duty.

COMMUNICATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN PUNJAB/KARNAL

2180 Comrade Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether he received any communication from any Legislator/ Legislators of Karnal District on the subject of 'Industrial Development and New Industrial Factories in Punjab and Karnal' or 'Industrial Estate in Karnal', if so, a copy each of the communications be laid on the Table of the House.

(b) whether the matters raised in the said communications have been considered ; if so, with what result ;

(c) whether the said communications were replied to by him, if so, a copy each of the replies be laid on the Table of the House?

Shri Ram Kishan : (a) Yes, both copies of the communications are placed on the Table of the House (Annexures I and II).

(b) A final reply to the communication on the subject of 'Industrial Development and New Industrial Factories in Punjab and Karnal' was sent by the Director of Industries to Comrade Ram Piara on the 27th January, 1965. A copy of the aforsaid reply is placed on the table of the House (Annexure III). The second communication is still under consideration.

(c) Interim reply to each of the communications was sent by me. Copies of these replies are placed on the Table of the House (Annexures IV and V).

[Chief Minister]

ANNEXURE I

RAM PIARA COMRADE, M.L.A. — Registered Cover — Model Town, Karnal, 8th December, 1964

To

Comrade Ram Kishan Ji,
Chief Minister, Punjab,
Chandigarh.

Subject.—Industrial development and new Industrial factories in Punjab and Karnal.

DEAR SIR,

You fully know that Shri Kairon left no stone unturned to victimise me and my friends and did his best to ignore my constituency. So much so Pt. Amar Nath Education Minister approved the upgrading of jundla Middle School (of my constituency) but Shri Kairon withheld this approval simply with a will to weaken me so that his corruption and misdeeds are not exposed. But you fully know that he could not succeed rather was condemned by Dass Commission and mainly due to my material.

Now you have taken over as Chief Minister and Industrial Development is bound to be accelerated.

May I expect some thing for Karnal City ? I would emphatically request for setting up at least one plant in Karnal town.

Karnal District so far is mainly an Agricultural District. Agriculture Industry needs lot of tractors. Government intends to start or set up a Factory for the manufacture of tractors and so Karnal would be the suitable centre.

Even before Kairon Regime Karnal town has remained a neglected town and badly needs Government's Patronage. Previously there was a plan to start tractor factory in Karnal on co-operative basis but could not be finalised as the Kaironites wanted the Central Government of twenty lakhs for themselves and not for the District's utility.

I do not insist for tractor factory. You can decide for setting up any factory but there must be atleast one in Karnal. Karnal town was recommended for Co-operative Sugar Mill and it is one of the four which have lastly been recommended but you fully know that in many a case this area of Haryana is ignored and out of the Haryana Karnal is again ignored.

Kurukshetra University is not due to the pressure of Harijan people but due to its Historical back ground with the initiative of late Dr. Rajindra Prasad and Shri Chandu Lal Trivedi the then Governor of Punjab.

Hence I am adamant to demand at least one Industrial concern as a matter of right and I hope that you shall be good enough to consider this request favourably.

Hoping to be favoured with a line in reply and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully.
Sd/-.
RAM PIARA M.L.A.

ANNEXURE II

Copy of letter dated 2nd January, 1965 from Comrade Ram Piara, M.L.A., Karnal to the Chief Minister, Punjab.

Subject—Industrial Estate in Karnal.

During the Kairon Regime, on taking up the issue by me a decision in regard to setting up of an Industrial Estate was finanlised and orders for the acquisition of land for the Industrial Estate had been issued and the same was replied to me in response to my Assembly question in the Vidhan Sabha,

According to me the scheme is in Progress but with very poor speed. I agree that there may be some legal or technical difficulties but these need immediate push up.

The second point which has come to my notice is that the number of sheds has been reduced from Fifty to Twenty. Positively, I do not know either about the initial number or the number at present but I understand that initially the land proposed has not been acquired or purchased but less land has been acquired and naturally it shall accommodate less number of sheds.

May I request you to kindly advise the Department of Industries to speed up the work already taken in hand and reconsider for not decreasing the number or in other words the number from Twenty sheds be increased. I shall be grateful for the early opening of this Industrial estate at Karnal.

Hoping to be favoured with a line in reply from you and other details from the Industries Department.

Thanking you.

ANNEXURE II

No. LMI/1st/Mis/2998/A

From

The Director of Industries,
Punjab.

To

Shri RAM PIARA, M.L.A.,
Model Town, Karnal

Dated Chandigarh the 27th January 1965.

Subject.—Industrial Development and New Industrial Factories in Punjab and Karnal.

DEAR SIR,

Kindly refer to your letter dated 8th December, 1964 addressed to the Chief Minister, Punjab, on the subject noted above.

2. The problem of industrilization of a particular place mostly rests with the enterprise of its own people. Government role is limited to the extension of all sorts of facilities in promoting industrial growth. The initiative for the same is essentially to come from them.

The following units have already been established in the private sector in Karnal District :—

1. M/s Shambu Nath and Sons, Shahabad, Markanda. — Chemicals
2. M/s Panipat Cooperative Sugar Mills Panipat. — Sugar.

Government of India have also issued Industrial Licences to the following parties for the establishment of projects noted against each:—

1. M/s Parry and Co. Ltd. Madras. — D.D.T.
2. M/s Panipat Paper Mills, Panipat — Paper and Pulp.
3. M/s Swastika Spinning Mills, Panipat — Cotton Waste Yarn.

While the location of any new scheme envisaged in public sector technical and economic consideration weights with Government. The claim of Karnal will however be kept in view when any such an occasion arises. You are also requested to use your good offices with those in the private sector who happen to meet you to come up with their proposals of setting up industrial projects in the area for which all possible assistance from Government according to policy could be made available.

Yours faithfully

Sd/-.
Deputy Director (I.P.)
for Director of Industries, Punjab.

(Chief Minister)

ANNEXURE IV

Chandigarh.

December, 1964.

Subject.—Industrial Development and new Industrial factories in Punjab and Karnal.

MY DEAR

I have received your letter of the 8th December 1964 on the subject noted above. I am asking Director of Industries to examine your proposals.

Yours sincerely
(Ram Kishan)

Comrade Ram Piara, M.L.A.,
Model Town,
Karnal.

No. 15554-CMP/64, dated 15th December, 1964.

Copy together with the letter replied to in original is forwarded to D.I. for necessary action.

Sd/-.
C.M.

December 1964

ANNEXURE V

Chandigarh,
January, 1965.

My dear Comrade Ram Piara,

Thank you very much for your letter dated the 4th January, 1965, regarding Industrial Estate in Karnal. I am having the matter expedited.

Yours Sincerely,

Sd/-.

(RAM KISHAN)

COMRADE RAM PIARA, M.L.A.,
Karnal.

No. 686-CMP-65/ dated 18th January, 1965

Copy alongwith the letter received from Comrade Ram Piara, M.L.A., is forwarded to D.I. for having the matter looked into and expendited.

Sd/-.
(RAM KISHAN)
Chief Minister,
January, 1965.

COMPLAINT AGAINST SHRI PRITAM SINGH, MEMBER, NOTIFIED AREA COMMITTEE, NILOKHERI, DISTRICT KARNAL

2181. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) whether he received any representation/ complaint from any person of Nilokheri during the month of September, 1964 requesting for the removal of Shri Pritam Singh, Member, Notified Area Committee ; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) whether he/Government received during the period from Ist September, 1964 to-date any letters/communications from any Legislators of Karnal District regarding the said member of the Notified Area Committee ; if so, a copy of the same be laid on the Table of the House ;

(c) whether any of the representation/letters/communications mentioned in parts (a) and (b) above have been replied to by him, if so, a copy each of the replies be laid on the Table of the House ;

(d) whether the contents of the said letters/communications have been enquired into ; if so, by whom together with the dates when the enquiry was ordered, started and completed and with what results ;

(e) whether any action has been taken on the basis of the enquiry report referred to in part (d) above ; if so, what ; if no action has been taken, the reasons thereof ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes. A copy of the representation is attached herewith as Annexure 'A'.

(b) Yes Copies of the letters are enclosed as Annexure 'B'.

(c) Yes. Copies of the replies sent by Government are enclosed as Annexure 'C'.

(d) Yes. The Deputy Commissioner, Karnal, was asked on 16th October, 1964 to hold the enquiry and to submit his report to Government. After getting the matter enquired into through the Sub-Divisional Officer (Civil) Karnal/ President, Notified Area Committee, Nilokheri, he sent his report to Governmeut on 2nd February, 1965. The Deputy Commissioner, Karnal reported that Shri Pritam Singh had his vote registered in Purani Basti Nilokheri at serial No. 192 of the Voters List of Police Station Butana and was residing in village Nilokheri and held his landed property in the village and not in the Township.

(c) Yes. It has been decided to remove Shri Pritam Singh from the membership of Notified Area Committee, Nilokheri.

ANNEXURE 'A'

A copy of application dated 12th September, 1964 from Shri Ram Saran Dass Kapoor A-78 Nilokheri to the Chief Minister, Punjab.

Subject.—Removal of S. Pritam Singh village Nilokheri from membership of Notified Area Committee—Nilokheri.

[Education and Local Government Minister]

Most respectfully we beg to say that a Notified Area Committee has been constituted for Nilokheri Township in which Shri Pritam Singh of village Nilokheri has been nominated as member. This person has no interest in the township as he is residing in village Nilokheri and his elder brother Shri Inder Singh is the Sarpanch of that village. They have common walls of the residential houses, in their village, and they are residing in that very village.

Under these circumstances, it is requested that Shri Pritam Singh should be removed from the membership of the Notified Area Committee, Nilokheri.

ANNEXURE 'B' (1)

Copy of registered letter dated 14th September, 1964 from Comrade Ram Piara M.L.A. to Shri Prabodh Chander ji, Education and Local Government Minister, Chandigarh.

Subject.—Illegal nomination of Shri Pritam Singh as Member, Notified Area Committee, Nilokheri.

Please find enclosed herewith one representation from Shri Ram Saran Dass and Shri Mohan Lal of Nilokheri.

The contents are clear. Shri Pritam Singh is residing in a village but was nominated in the Town as member of the Notified Area Committee. He has no interest in the Town. Moreover, his nomination is illegal according to the constitution.

This irregularity happened because Shri Pritam Singh was and is a henchman of Shri P.S. Kairon. He was also a witness in the Grewal case. Shri P.S. Kairon had frequently been visiting Nilokheri and consipiring with this family off and on. Hence Shri Kairon nominated him in Nilokheri simply to have full control over the Committee.

This case is of the same type as of Faridabad where the M.C. was at the disposal of Kairon family.

Besides all, I have also been given to understand that Shri Pritam Singh has his vote in the village where he is residing.

Hence this irregularity may please be rectified and he be removed forthwith.

If enquiry is to be held, it may be entrusted to the Examiner, Local Self Government, Ambala.

You can get the facts verified from any one whether Shri Pritam Singh resides in his village or in Town.

In the end, I shall request you to take decision on mertis but it should not be delayed.

Hoping to be favoured with a line in reply.

Copy of letter dated 21st December, 1964 from Comrade Ram Piara, M.L.A., L/309 Model Town, Karnal to Shri Prabodh Chander ji, Education and Local Government Minister, Punjab, Chandigarh.

Subject.—Enquiry regarding the removal of S. Pritam Singh, Member, Notified Area Committee, Nilokheri.

I want to draw your attention towards your letter No. 5841/5 TP/ELM-64 dated the 22/24th September, 1964 in which you were good enough to inform me that you have asked the Department to enquire into the matter immediately into the complaint submitted by Shri Ram Saran Das Kapoor of Nilokheri.

According to the best of my information there has not been any movement though three months have passed. Only a few days back, I enquired from all possible quarters and could not find any trace and it is a surprise to me. Now on one hand I have asked you to kindly order the Department to intimate me the stage and on the other hand have to request to please find out, in which cold storage this complaint has been for so many days.

The enquiry was only to be made, whether S. Pritam Singh is living in the town or in the rural area and if in the Rural area, then he be removed as Ruralite could no longer be a member of the Notified Area Nilokheri. This is an irregularity of Kairon Raj because Shri Kairon stayed with this Sardar Pritam Singh many a times and this very Pritam Singh was a witness in the Grewal case.

It is a surprise to me that an enquiry against any Leiutenant of corrupt Kairon is held up at one stage or the other. Will you issue an immediate order to be complied with immediately and with an immediate acknowledgement to me ?

Thanking you.

Copy of letter dated 1st February, 1965 from Comrade Ram Piara, M.L.A.,/L/309 Model Town, Karnal, to the Secretary to Government, Punjab, Local Government Department, Chandigarh.

Subject.—Enquiry regarding the removal of Sardar Pritam Singh, Member, Notified Area Committee, Nilokheri.

I am in receipt of your letter No. 415-3CI-65/2845, dated the 27th January, 1965 and have noted the contents with great surprise. According to the contents your Department has taken four to five months to verify only this fact that whether Sardar Pritam Singh is residing in the Urban area or Rural area.

It is really pity of the efficiency of the administration. I am confident that this complaint has remained in cold storage for a long time and only after my reminder of 21st December, the complaint has come out from the cold storage. The complaint has been intentionally placed in the cold storage to safe guard the interest of Kairon's Henchman. Had I not remainded, the same would have been transferred from cold storage to waste paper box ? For your information I may add that I kept quiet purposely for a pretty long time so as to judge, whether there is any change even after the exit of Shri Kairon and his exceptonal delay and further the contents of your letter have strengthened my apprehensions. And if all this allegation is baseless and interprets my only prejudice against the henchmen of Kairon then it will be the extreme of inefficiency meaning thereby worse than the 1st charge. I therfore am to forcefully but humbly request that you may kindly find out the seats, stages or steps where this complaint in original "which was acknowledged by the Education and Local Government Minister, —*vide* his letter of September, 1964" has been detained without any action.

Again I am to suggest that the point to be verified is an hour's job whether he is in rural area or in the Urban and if in the rural area how he was nominated and how his nomination can stand ? Because Kairon used to stay with him and because he was a witness in Grewal Case, therefore he was nominated. May I expect a reply at your earliest convenience.

Thanking you.

ANNEXURE 'C' (1)

Copy of D.O. No. 5841/STP/R6M/64, dated the 27th September, 1964, from the Education and Local Government Minister to Comrade Ram Piara, M.L.A., M.L.A.s Hostel, Chandigarh.

I am so grateful to you for your letter of the 14th, enclosing therewith a representation from Shri Ramsaran Dass Kapoor of Nilokheri for the removal of S. Pritam Singh from the Membership of Notified Area Committee, Nilokheri. I have asked the Department to enquire into the matter immediately.

With kind regards.

Copy of letter No. 415-3CI-65/2845, dated the 27th January, 1965, from the Secretary to Government, Punjab, Local Government Department, to Comrade Ram Piara, M.L.A., L/309 Model Town, Karnal.

Subject.—Enquiry regarding the removal of S. Pritam Singh, Member, Notified Area Committee, Nilokheri.

With reference to your letter No. Nil, dated the 21st December, 1964, addressed to the Local Government Minister on the subject noted above, I am directed to inform you that action on your letter received in August, 1964, was initiated as soon as it was received. But it is regretted that the matter has not yet been finalised. Efforts are, however, being made to get it decided soon. The decision, when taken, will be intimated to you.

POWER LOAD FOR SEMI-INDUSTRIAL SITES AT CHANDIGARH

2182. Comrade Gurbaksh Singh (Dhaliwal) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the maximum power load permissible for the Semi-industrial sites in Chandigarh, keeping in view the consideration of safety of the adjoining buildings ;

(b) whether Government have recently received any eomplaints to the effect that excess Power Load has been given for the Semi-industrial sites, if so, the number of such complaints and the action taken or proposed to be taken thereon ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) There is no limit in regard to the quantum of load to be supplied to any site, industrial or otherwise. provided it is technically and financially feasible to grant that load. There are no special rules; for grant of connection at Chandigarh.

(b) One case, where Power Load in excess of that allowed by Capital Project's Authorities was provided, was referred by the Estate Officer to the Executive Engineer, Chandigarh. The Executive Engineer has already informed the Project authorities that it would not be possible to disconnect connections which had already been allowed as by doing so the Punjab State Electricity Board would be breaching the provision of the agreement entered into with the consumer thereby entailing legal complications.

JOGA-RALLA ELECTRICITY PROJECT IN DISTRICT BHATINDA

2183. Comrade Jangir Singh Joga : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the year in which Joga-Ralla Electricity Project in district Bhatinda was approved ;

(b) the date when the estimates for the said project were finally approved ;

(c) the total number of villages so far electrified under the said Project ;

(d) whether the work on the said Project is in progress, is not, the reasons therefor and the time by which the work if proposed to be resumed again and completed ?

Shri Rizaq Ram : (a) The following detailed technical estimates have been sanctioned :

(i) Electrification of Mansa Khurd on 4th November, 1961.

(ii) Electrification of village Bhaini Baga on 1st April, 1963.

(iii) Electrification of village Thuthian Wali on 19th November, 1963.

(c) Two (Mansa Khurd and Bhaini Baga).

(d) No work is under progress due to non-availability of funds. It is not possible to indicate the time by which the work will be resumed as plan allocation for power distribution is inadequate.

TOWN PLANNING SCHEMES FARIDABAD

2184. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the number of residential and Industrial units allotted, category-wise, under the Town Planning Scheme, Faridabad ;

(b) the criteria kept in view while making the said allotment ;

(c) whether wide publicity was given when inviting applications for the said allotment ;

(d) whether Government received any objection from the public regarding the said allotments ; if so, the action taken thereon ;

(e) the total number of plots along with their location, which are yet to be allotted ?

Shri Ram Kishan : (a) Ninety-three Industrial plots have been allotted. No residential plot has as yet been allotted. The details of industrial plots allotted category-wise are as under—

Number of plots upto one acre	..	58
Number of plots from 1.5 to 3 acres	..	25
Number of plots upto 5 acres	..	10

(b) Allotment was made by the Negotiating Committee after interviewing each applicant and examining relevant documents for ensuring that the demand for Industrial plot was genuine, and that the party would put up the factory within the specified period. Preference was also shown to the oustees of the area and ex-Military personnel.

(c) Yes.

(d) No.

(e) Thirty Seven industrial plots and 1,450 residential plots situated in the Urban Estate Faridabad are at present available for allotment.

SCHOOLS AND TEACHERS OF FARIDABAD

2185. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) the list of schools recently handed over to the State Government by the Union Government in Faridabad and the lists of teachers employed therein ;

[Sardar Kulbir Singh]

(b) whether the teachers mentioned above have been taken as fresh employees of the State Government or they have been treated as in continuous service and their previous service has been taken into account ;

(c) the datails of the decisions taken regarding the grades, seniority, gratuity and conditions of service of the teachers referred to in Part (a) above ;

(d) the names of the said teachers who have since been confirmed and also of those who are still to be confirmed together with the reasons for not confirming the latter in each case ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Ten Junior Basic Schools, 10 Senior Basic Schools and 2 Post Basic Schools run by *Hindustani Talimi Sangh* Wardha at Faridabad were taken over by the State Government. Besides, two High/Higher Secondary Schools run by Faridabad Development Board at Faridabad were also taken over.

The lists of teachers employed therein at the time of take over are enclosed.

(b) (i) The Teachers employed in Basic and Post Basic Schools have been taken as fresh entrants into State Government services from the date of taking over these Schools.

(ii) The terms and conditions of service of the teachers employed in two High/Higher Secondary Schools are being finalised in consultation with the Government of India.

(c) (i) Copies of the decisions taken by Government in respect of teachers employed in Basic and Post Basic Schools are enclosed.

(ii) As regards the teachers working in the two High/Higher Secondary Schools, the position is covered by(b) (ii) above.

(d) The teachers inherited from the Basic and Post Basic Schools had to be adjusted in the relevant Government grades. The equation statements for that purpose have been finalised and the question of creation of posts in the equated grades is under the consideration of Government. None of the teachers could, therefore, be confirmed so far.

The question of taking up the confirmation of the teachers of the two High/Higher Secondary Schools did not arise in view of the position explained in (b)-(ii) above.

(Relevant to part (a) of Question 2185).

List of Teachers employed in 22 Schools of Nai Talim Gents as it stood on 30th September, 1957.

1. Shri Tulsi Dass
2. Shri Mul Chand
3. Shri Jetha Nand
4. Shri Mahesh Chand
5. Shri Hans Raj
6. Shri Hem Raj
7. Shri Puran Chand
8. Shri Gurmuch Singh
9. Shri Pritam Lal
10. Shri Raj Sharma
11. Smt. Parvati Taneja
12. Smt. Merni Chawla.
13. Smt. Sushma Bhalla
14. Smt. Mitter More
15. Smt. Krishna Talwar
16. Smt. Ranjit Kaur
17. Shri Nand Lal Narula
18. Shri Aya Ram
19. Shri Murli Dhar
20. Shri Arjan Dass
21. Shri Jeewan Dass
22. Shri Rattan Singh
23. Shri Sunder Lal
24. Shri Khilanda Ram
25. Shri Parma Nand
26. Shri Bhagwan Dass
27. Shri Nand Lal Nagpal
28. Shri Ganesh Dass
29. Shri Jeshtha Nand
30. Smt. Sushila Bhugra
31. Smt. Tara Bhatia
32. Smt. Naini Bhai
33. Smt. Vidya Gulati
34. Smt. Yog Maya
35. Smt. Krishna
36. Smt. Motia Devi
37. Smt. Savitri Devi
38. Smt. Rahd Devi
39. Smt. Shanti Manocha
40. Smt. Savitri Datta
41. Smt. Bimla Devi
42. Smt. Shayam Kumari
43. Smt. Shanti Garkhal
44. Smt. Kaushalya Devi
45. Smt. Shanti Bhutija
46. Smt. Sushila Devi
47. Smt. Chander Kala
48. Shri Kewal Ram
49. Shri Girdhari Lal
50. Shri Sarab Dyal
51. Shri Parsot Lal
52. Shri Harnam Dass
53. Shri Dayal Singh
54. Shri Duni Chand
55. Shri Sant Ram
56. Shri Thakar Dass
57. Shri Gopal Dass
58. Shri Udho Dass
59. Shri Laxmi Chand
60. Shri Rowan Dass
61. Shri Tej Bhan
62. Shri Lal Chand
63. Shri Anant Ram
64. Shri Parma Nand
65. Shri Anant Ram
66. Shri Gopi Chand
67. Shri Tilak Raj
68. Shri Ram Nath
69. Shri Karam Chand
70. Shri Piara Lal
71. Shri Chaman Lal
72. Shri Sewa Ram

[Education and Local Government Minister]

73. Shri Mul Chand
74. Smt. Morni Chabra
75. Smt. Meera Bhai
76. Smt. Pari Bai
77. Shri Parma Nand
78. Smt. Radha Kathuria
79. Smt. Kunti Devi
80. Smt. Chirkanti Bai
81. Smt. Shakuntla Kathuria
82. Smt. Tara Dhigra
83. Smt. Sushila Jhamb
84. Smt. Vidya Kathuria
85. Smt. Pari Nagpal
86. Smt. Lachhmi Ahuja
87. Smt. Loki Bai
88. Smt. Shakuntla Bhatia
89. Smt. Sumitra Sharma
90. Smt. Sita Devi
91. Smt. Hardyal Kaur
92. Smt. Parmeshwari Devi
93. Smt. Morni Gulati
94. Smt. Ram Rakh Bhatia
95. Smt. Yashwant Kaur
96. Smt. Vidya Wati
97. Smt. Parbhati Lal
98. Smt. Santosh Kumari
99. Shri Vishan Dass
100. Shri Jugal Kishore
101. Shri Ram Lal
102. Shri Swadesh Verma
103. Shri Laxmi Chand
104. Shri Ishar Dass
105. Shri Surat Ram
106. Shri Pakhar Dass
107. Shri Karan Singh
108. Shri Ganga Ram
109. Shri Ram Singh
110. Shri Harnam Dass
111. Shri Sewa Ram
112. Shri Tek Chand
113. Shri Wasna Ram
114. Shri Gopal Dass
115. Shri Assa Nand
116. Shri Harnam Dass
117. Shri Jamuna Bhai
118. Shri Khilandi Bhai
119. Shri Kidar Nath
120 Shri Krishan Lal
121. Shri Baldev Raj
122. Shri Hari Ram
123. Shri Ram Gopal Malik
124. Shri Laxman Dass
125. Smt. Sumitra Devi
126. Smt. Vimla Devi
127. Smt. Serla Madan
128. Smt. Raj Kumari
129. Smt. Sushila Bera
130. Smt. Devki Nandan
131. Smt. Kamla Sachdeva
13 . Shri Ram Krishan
133. Shri Om Parkash Verma
134. Smt. Sarla Bhal
135. Smt. Shanti Narula
136. Smt. Krishna Batta
137. Smt. Sarla Arya
138. Smt. Gyan Wadhwa
139. Smt. Krishna Khanna
140. Smt. Raj Bhatia
141. Smt. Mohni Madhan
142. Smt. Shanti Chawla
143. Smt. Maya Sharma
144. Smt. Krishna Kanta
145. Smt. Shanta Chawla
146. Smt. Tara Rattra
147. Shri Dina Nath
148. Shri Tilak Chand
149. Shri Lila Dhar
150. Shri Bhagwan Dass
151. Shri Girdhari Lal
152. Shri Kanahya Lal

153. Shri Nihal Singh
154. Shri Uttam Chand
155. Shri Jaman Lal
156. Shri Mulak Raj
157. Shri Devi Dial
158. Shri Jetha Nand
159. Shri Vishan Dass
160. Shri Shiv Dyal
161. Smt. Sumitra Devi
162. Smt. Vishni Devi
163. Shri Tek Chand
164. Shri Hem Raj
165. Smt. Bansri Bai
166. Smt. Krishna Bhatia
167. Smt. Sumitra Chawla
168. Shri C.R. Verma
169. Shri Narinder Nath
170. Shri Gobind Nath
171. Shri Mohinder Partap Singh
172. Shri Ram Parkash Gupta
173. Shri Bira Lal
174. Shri Janak Madan
175. Shri Inder Sain
176. Shri Bhawani Dass
177. Shri Dewan Chand
178. Shri Manwa Singh
179. Shri Jeet Singh
180. Shri Tilak Raj
181. Shri Shiv Dyal
182. Shri Prem Parkash
183. Shri Om Parkash Bhatia
184. Shri Govardhan Lal
185. Shri Mehar Chand
186. Shri Sohan Lal
187. Shri Janak Raj
188. Shri Gian Chand
189. Smt. Kamla Sekhri
190. Smt. Bimla Bangia
191. Shri Lal Chand Shastri
192. Shri Bishamber Dutt
193. Shri Kanwal Kishore
194. Shri Kishan Chand
195. Shri Ram Chand
196. Shri Jagdish Lal
197. Shri Sobha Raj
198. Shri Chander Dutt
199. Smt. Sudarshan Kumari
200. Shri Abdul Majeed
201. Shri Nanak Chand
202. Smt. Charanjit Kaur
203. Smt. Shyama Sharma
204. Smt. Gurdevi Khurana
205. Smt. Veena Sudama
206. Shri Girdari Lal

List of staff as on 31st March, 1958 of Government Girls Higher Secondary School, Faridabad

1. Mrs. F. C. W. Paw
2. Mrs. Uma Bhatia
3. Miss P. Sethi
4. Mrs. S. Verma
5. Mrs. Sheela Mohini
6. Miss V. Kaul
7. Smt. Inderjit Kaur
8. Miss M. Hem Raj
9. Smt. Hari Devi

(Education and Local Government Minister)

10. Smt. Veera Bai
11. Smt. Kaki Rai
12. Smt. Basant Kaur
13. Smt. Janak Kumari
14. Shri Amir Chand
15. Shri Bhat Ram
16. Shri Lada Ram
17. Shri Ram Lal
18. Smt. Rakhi Bai
19. Smt. Champa Devi

PRIMARY SECTION

20. Shri Raj Daswar
21. Mrs. Krishna Bhatia
22. Mrs Sarla Dewan
23. Miss Shanti Devi
24. Smt. Ram Chambali
25. Smt. Laxmi Devi
26. Smt. Bimla Ram
27. Miss Sushila Kumari
28. Shri Dhan Sunder
29. Shri Behari Lal
30. Shri Sanwara Ram
31. Smt. Kamla Devi
32. Smt. Lachhi Bai
33. One post of D. P. E. vacant.

List of Staff of Government High School, Faridabad as on 31st March, 1958

1. F/L.A.S. Hakim
2. Shri Rattan Lal
3. Shri Ram Saran Datta
4. Shri Kanahya Lal Mehta
5. Shri Brijnandan Lal
6. Shri Laj Pat Rai
7. Shri Brij Mohan
8. Shri Din Dayal Mehta
9. Shri Ram Lal
10. Shri Madan Mohan Khanna

11. Shri Karam Singh
12. Shri Guli Chand
13. Shri Hakam Chand
14. Shri S. V. Kumar
15. Shri Thakar Dass
16. Shri Khushi Ram
17. Shri Vasu Dev Saran
18. Shri Tilak Chand
19. Sh. Charan Dass
20. Shri Roshan Lal
21. Shri Thakar Singh Kanwal
22. Shri Kala Ram Chopra
23. Shri Gosain Krishan Lal
24. Shri Devi Dass
25. Shri Banrar Lal
26. Shri Daru Ram
27. Shri Sidhu Ram
28. Shri Chaksar
29. Shri Ramji Lal
30. One post of D. P. S. vacant

Copy of letter No. 9978-EDII-60/10195, dated 6/7th April, 1961, from the Education Commissioner and Secretary to Government Punjab, Education Department to the Director of Public Instruction, Punjab.

Subject.—Taking over of staff working in Basic and Post Basic Institutions at Rajpura and Faridabad.

U. O. No. 3494-BE-5/205-59-BE, dated 5th August, 1960.

With reference to your communication noted in the margin on the subject cited above, I am directed to convey to you the following decisions of the Government forregulating the terms and conditions of the staff, working in Basic and Post Basic Instutions at Rajpura and Faridabad which stand taken over by Government from the Hindus tani Talimi Sangh of Wardha with effect from the 1st October, 1957:—

(i) The incumbents of the various posts shall be treated as fresh entrants into Government Service with effect from 1st October, 1957 the date on which these institutions were taken over by Government.

(ii) The officials shall be integrated in the corresponding cadre of the old Government staff with effect from 1st October, 1957. They shall be so integrated without disturbing their interse seniority in the parent unit on the equated posts, keeping in view the nature and qualifications and not the gardes allowed in the parent unit.

(iii) All the officials, trained or untrained, since taken over in Government service shall be allowed to continue in service. The untrained teachers should be given adequate opportunities to receive training.

[Education and Local Government Minister]

(iv) In view of decision mentioed at (i) above benefit of past service towards pension, leave and provident fund are not admissible. Only the service rendered since 1st October, 1957 shall be counted towards pension, leave and provident fund in accordance with the normal rules.

2. These decisions have been taken in the light of conclusions arrived at in consultation with the representatives of the Hindustani Talimi Sangh in a meeting held on the 30th September, 1959. The minutes of the meeting were sent to you under Punjab Government endorsement No. 1079-EDII-59, dated the 16th November, 1959.

3. Necessary orders for the adjustment of grades of the officials concerned will issue separately.

Copies of Memo No. 8246-EDII-61/29617 dated 25th November, 1961, from Education Commissioner and Secretary to Government Punjab, Education Department to the Director of Public Instruction, Punjab.

Subject.—Taking over of the staff working in Basic and Post Basic Institutions at Rajpura and Faridabad-Principles for the adjustment of the grades of the staff.

Sanction of the Governor of Punjab is hereby accorded to the adoption of the principles laid down in the Punjab Government letter No. 9978-ED-II-60/10195, dated the 6/7th April, 1961, subject to the following modifications:—

(i) The teachers may be allowed the same scales of pay as are applicable to the corresponding posts in the State Education Department, provided they are properly qualified for the jobs against which they are provided and for which the Scales are prescribed.

(ii) If there are some other posts which do not exist in the Punjab Education Department and with which the officials of the institutions cannot be equated, separate proposals for the grant of Government grades to such persons should be referred to Government for obtaining approval of the Finance Department. The proposal (s) should be framed keeping in view their qualifications/nature of duties *vis-a-vis* similar posts, if any, existing in other departments.

(iv) The untrained teachers should be allowed to draw the pay they were in receipt of before the taking over of these schools or the minimum of the Scale, whichever is higher. This course should continue until the teachers received proper training and are promoted against higher posts, for which they have qualified or obtained a necessary certificate.

2. With regard to the fixation of pay of the aforementioned staff, the following principles should be adopted:—

(i) The pay in the Government Scales shall be fixed on the basis of length of service in equivalent/identical or higher time scale.

(ii) There will be no personal grade for anyone.

RISE IN PRICE OF WHEAT

2186. Sardar Kulbir Singh : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total quantity of imported wheat supplied to the consumers in the State during 1962-63, 1963-64 and 1964-65 upto date along with the price at which it was supplied together with the reasons for the variations in the prices, if any ;

(b) whether the rise in the price of the imported wheat resulted in the increase of price of the indigenous wheat ;

(c) the detailed reasons for the rise in wheat prices in the Punjab during the said period ;

(d) the steps so far taken or proposed to be taken to check the rise in prices of foodgrains ?

Shri Ram Kishan : The requisite information is as follows—

(a) (i) The total quantity of imported wheat supplied to consumers in the State during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65 (year-wise) is given below:—

1962-63	.. 1,04,878—98—057	Quintals
1963-64	.. 16,40,853—75—230	,,
1964-65	.. 3,90,558—95—876	,, (upto 31st December, 1964; except Narnaul Circle).

(ii) The retail price charged from consumers drawing supplies of imported wheat in the form of grain from depots was as under:—

1962-63	.. Rs 39.00 per quintal	The Government of India supplied imported wheat to this State up till 31st December, 1964 at the rate of Rs 37.51 per quintal plus free gunny bag. The price was raised by the Government of India from Rs 37.51 to Rs 48.00 per quintal from 1st January, 1965. The enhancement of price of imported wheat by the Government of India is the main reason for variation in its retail prices. The retailer's margin which was allowed at 30 nP. per quintal besides free gunny bag up till 31st December, 1964 was also raised to 50 nP. plus free gunny bag from 1st January, 1965.
196364	..	..
1964-65 (upto 31-1		..
from 1-1 65 onwards	Rs 49.70 per quintal	

(b) Yes.

(c) The prices of indigenous wheat started rising in October-November, 1964. The following factors were responsible for the increase in the prices of wheat:—

(i) The normal monthly quota of imported wheat of the Roller Flour Mills in Punjab is 40,000 tonnes. The Government of India, however, supplied only 6,000—7,000 tonnes per month during the months of August and September, 1964, and 11,000 tonnes per month during October and November, 1964, thereby resulting in short supplies of atta of imported wheat to fair price shops during this period.

(ii) The unrestricted export of coarse grains from the Punjab uptil 14th December, 1964 (excepting gram whose export from Punjab was totally banned from 21st September, 1964) resulted in increased demand of wheat.

(iii) 52,545 tonnes of country wheat was allowed to be exported to other States to meet their urgent demand for seed purposes.

(d) Steps taken/proposed to be taken by the Government to check the rise in prices of foodgrains are as under:—

(i) The Government of India was apprised of the limited availability of imported wheat with the Punjab Mills until November, 1964 and they, in turn, allowed movement of imported wheat to Punjab Mills on Priority basis from December, 1964. The Punjab Mills received 28,000 tonnes of imported wheat during December, 1964. The Government of India also allotted 25,000 tonnes of imported wheat to the Punjab Mills during January, 1965 besides the allocation of 10,000 tonnes to this State for distribution in the form of grain/atta through fair price shops. This eased the situation a good deal.

(ii) About 15,000 tonnes of country-wheat out of the stock lying in the Provincial reserve was released for distribution to consumers in the form of grain/atta.

(iii) The Punjab Government imposed a total ban on the export of gram during September, 1964, and on the export of maize, jawar and bajra with effect from 15th December, 1964.

[Chief Minister]

(iv) In order to reduce pressure on wheat, restrictions on the quantum of issue of rice to consumers through fair price shops were lifted.

(v) In order to prevent smuggling of foodgrains outside the zone, anti-smuggling measures have been tightened. The number of anti-smuggling barriers has been raised from 28 to 32. The staff on the barriers has been strengthened to ensure round the clock vigil.

(vi) The matter relating to fixation of maximum prices of foodgrains is being considered by the Price Fixation Committee set up by the Punjab Government under the Chairmanship of S. Ujjal Singh.

As a result of the above measures, the position of availability of wheat/atta has considerably improved and prices of country-wheat which shot up from Rs. 40 per quintal in July, 1964 to Rs. 76 per quintal in December, 1964, have come down to about Rs. 62 to 64 per quintal.

GRANT OF SUBSIDY FOR THE PURCHASE OF DIESEL ENGINES

2187. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the details of the steps taken by the Government to implement its decision for the grant of a subsidy equal to 25 percent of the cost of the diesel engines to those farmers, who instal diesel engines in non-electrified villages; if no steps have so far been taken, the reasons for the same ;

(b) whether it is a fact that the Government has decided to give this incentive only to those farmers who get loans for this purpose ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of the Government to grant the said subsidy to those farmers also who purchase diesel engines without getting any loan from the Government, if not, the reasons therefor ?

Sardar Darbara Singh:—(a) Orders for the grant of subsidy to the loanees have been conveyed to the officers concerned for the implementation of the decision with effect from the current financial year. All necessary formalities in this respect are being completed and the scheme has been given wide publicity.

(b) Yes.

(c) Yes; the matter is under consideration.

SMUGGLING OF COMMODITIES, ETC

2188. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the total number of cases of smuggling in foodgrains and in other commodities, detected during the year 1964-65 commodity-wise ;

(b) the total number of persons arrested in the cases referred to in part (a) above ;

(c) the total value of the commodities referred to in part (a) above together with details of the articles, if any, seized while dealing with the said cases ;

(d) the total number of said cases decided so far by the Courts, giving the total amount of fines imposed, if any ;

(e) the causes for delay in the disposal of the remaining cases ;

(f) details of the measures, if any, adopted to check the smuggling of foodgrains, etc.

Sardar Darbara Singh : The requisite information is given below —

(a) 738 cases of smuggling of foodgrains and other commodities in the state were detected during the year 1964-65. The commodity-wise details of these cases are as under :—

Sugar/22, Khandsari/182, Rice/37, Gram/118, Gur and Shakkar/130, Wheat/190, Bajra/25, Maize/25, Barley/1, Paddy/5, Firewood/1, Pig iron/1 and Plastic cloth/1.

(b) 1,542 persons were arrested in cases referred to in part (a) above.

(c) Total value of the commodities referred to in part (a) above is Rs. 5,70,473.00. Other articles seized were camels/334, donkeys/53, trucks/19, bullock carts/37, bullocks/5, tongas/5, horses/58, baghies/10, rickshaws/1, mules/10, jeep/1, cycles/35.

(d) 319 cases were decided by the courts so far and a total fine of Rs. 41,525.00 was imposed.

(e) The causes for delay in the disposal of remaining cases were due to frequent transfers of Magistrates, inadequacy of the strength of the Magistrates to deal with large number of cases. Some of the cases pending trial were transferred to the Chief Judicial Magistrates after promulgation of Essential Commodities (Amendment) Ordinance of November, 1964, who were specially empowered to try such cases. Besides, cases under the Defence of India Rules are triable by a Tribunal consisting of Sessions Judge, Senior Sub-Judge and District Magistrates. The trial of cases sometime has to be postponed when due to some unavoidable circumstances any member of the Tribunal is absent at the time of the hearing of such cases.

[Home and Development Minister]

(f) The following measures have been adopted to check the smuggling of foodgrains, etc. :—

(i) Extensive patrolling along the Punjab-U. P. and Punjab-Rajasthan borders with a view to plug the possible avenue of smuggling.

(ii) Ambushes and Nakabandis are laid along the borders with an element of surprise.

(iii) Mounted Police is also utilised for patrolling the borders.

(iv) Surprise raids are conducted to apprehend the black-marketeers and hoarders.

(v) Barriers/check posts have been established on strategic points on Punjab-U. P. and Punjab-Rajasthan borders.

MID-TERM TRANSFERS OF TEACHERS ETC.

2189. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state :—

(a) the total number and names of the teachers/teachresses masters/mistresses transferred, district-wise, in the mid-term on administrative grounds in the state, stating the reasons for their transfers and the dates of their transfer ?

(b) the total number of those referred to in part (a) above who represented against the said transfer orders and the action, if any, taken thereon.

Shri Prabodh Chandra: (a & b) A statement showing the total number of teaching personnel transferred district-wise in the mid-term on administrative grounds in the State, except Jullundur and Bhatinda districts, information in respect of which will be supplied as soon as the same is received from the field officers, is as follows. It will not be in the public interest to disclose their names and the nature and scope of the administrative grounds on which these mid-term transfers were made. In view of this the question of furnishing the dates of these transfers does not arise. The total number of the teaching personnel who represented against these transfers and the action taken is also indicated in the said statement.

STATEMENT

NUMBER OF TEACHING PERSONNEL TRANSFERRED

Name of District	Masters	Mistresses	Teachers	Lady Teachers	Total	Number of representations received	Action taken on the representations
1	2	3	4	5	6	7	8
Amritsar ..	3	—	20	5	28	—	—
Ferozepur ..	1	—	5	1	7	2	Under consideration.
Gurdaspur ..	—	—	3	—	3	1	Ditto
Hoshiarpur ..	1	—	9	—	10	7	Four considered and filed and 3 are under consideration.
Kapurthala ..	—	—	5	—	5	1	Considered and filed.
Kangra ..	1	—	6	1	8	1	Ditto
Kulu ..	—	—	4	1	5	—	Ditto
Ludhiana ..	Nil	—	9	1	10	—	—
Ambala ..	5	1	3	5	14	1	Teacher was adjusted in another School.
Gurgaon ..	4	—	5	—	9	1	Transfer orders cancelled.
Hissar ..	1	—	7	—	8	1	Considered and filed.
Karnal ..	—	—	5	—	5	—	—
Rohtak ..	26	—	17	2	45	9	One transferred and representations of 8 considered and filed.
Simla ..	2	2	8	4	16	5	Three considered and filed, in one case transfer orders cancelled and the remaining one is under consideration.
Mohindergarh ..	1	—	2	—	3	—	—
Patiala ..	—	—	1	—	1	—	—
Sangrur ..	1	1	1	—	3	—	—
Lahaul and Spiti ..	—	—	—	—	—	—	—

CEMENT DISTRIBUTION IN BLOCK NIHALSINGHWALA DISTRICT FEROZEPORE

2190. Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal: Will the Chief Minister, with reference to the reply to unstarred question No. 1972 printed in the list of unstarred questions for 28th September, 1964, be pleased to state —

(a) the full addresses of the persons mentioned in the statement referred to in part (b) of the said reply ;

(b) whether a proper record of the distribution of the said cement quota by the Block Development Officer, has been maintained if not, the reasons for the same ?

Shri Ram Kishan: (a) A statement containing the required information is as follows.

(b) Yes.

STATEMENT

Statement showing the full address of the persons residing in Nihal Singh Wala Block to whom cement permits were issued.

Serial No.	Name of the persons	Villages
1.	Karnail Singh	.. Raman
2.	Dalip Singh	.. Didurian
3.	Banta Singh	.. N.S. Wala
4.	Headmistress	.. Patto Hira Singh
5.	Mohinder Singh	.. Kussa
6.	Chanan Singh	.. Do
7.	Jita Singh	.. Minian
8.	Kaka Singh	.. Dhulkot
9.	Bhura Singh	.. Baude
10.	Sham Singh	.. Kussa
11.	Kartar Singh	.. Machhike
12.	Bachan Singh	.. Dhulkot
13.	Budh Singh	.. Lopon
14.	Pritam Singh	.. Barewala
15.	Karnail Singh	.. Didare wala
16.	Tota Singh	.. Do
17.	Jagat Singh	.. Minian
18.	Amar Singh	.. Didarewala
19.	Gurdial Singh	.. Dhulkot
20.	Sarwan Singh	.. Do
21.	Sukhdev Singh	.. Rauke Kalan
22.	Sarpanch	.. N.S. Wala
23.	Chanan Ram	.. Ditto
24.	Major Singh	.. Ditto
25.	Rajinder Singh	.. Madheka
26.	Mukhtiar Singh	.. P.H. Singh
27.	Major Singh	.. N.S. Wala
28.	Sunder Singh	.. Ditto
29.	Bhag Singh	.. Dhul kot
30.	Hari Singh	.. Ditto
31.	Santa Singh	.. Ditto
32.	Bhagat Singh	.. Ditto
33.	Jagan Nath	.. N.S. Wala

Serial No.	Name of the persons	Villages
34.	Gurmit Singh	.. Rauke Kalan
35.	Bagher Singh	.. Bir Rauke
36.	Mehar Chand	.. N.S. Wala
37.	Amar Singh	.. Rauke Kalan
38.	Boota Singh	.. Nangal
39.	Sarpanch Panchayat	.. Patto Didar Singh
40.	Karnail Singh	.. Gaziana
41.	Gurdarshan Singh	.. Do
42.	Makand Singh	.. Dhulkot
43.	Hardit Singh	.. Lohara
44.	Sarain Singh	.. Khota
45.	Kehar Singh	.. Takhtu Pura
46.	Prem Singh	.. Bilaspur
47.	Kartar Singh	.. N.S. Wala
48.	Banta Singh	.. Ditto
49.	Puran Singh	.. Rahsin Kalan
50.	Gurdev Singh	.. Ditto
51.	Sukhdev Singh	.. Lohara
52.	Bishan Singh	.. P. H. Singh
53.	Tara Singh	.. Rauke Kalan
54.	Jangir Singh	.. Badhni Khurd
55.	Ujaggar Singh	.. Ditto
56.	Pritam Singh	.. Malliana
57.	Harbans Lal	.. N.S. Wala
58.	Bhag Singh	.. Saitdo Kalan
59.	Chet Ram	.. Nangal
60.	Chanan Singh	.. Do
61.	Jarnail Singh	.. Himat Pura
62.	Major Singh	.. Madheke
63.	Sukhdev Singh	.. Patto Hira Singh
64.	Prem Singh	.. Ditto
65.	Nachattar Singh	.. N.S. Wala
66.	Karam Singh	.. Nangal
67.	Amar Singh	.. Himer Pura
68.	Mohan Singh	.. Pasia Khurd
69.	Chanan Ram	.. Ditto
70.	Jarnail Singh	.. Bhagi Ke
71.	Hamir Singh	.. N.S. Wala
72.	Sadhu Singh	.. Kussa
73.	Nathu Ram	.. Ranin Kalan
74.	Darshan Singh	.. Khai
75.	Avtar Singh	.. Dhulkot
76.	Mukhtiar Singh	.. Ditto
77.	Bakhsish Singh	.. Lohara
78.	Puran Singh	.. N.S. Wala
79.	Bachittar Singh	.. Ditto
80.	Mohinder Singh	.. Bare Wala
81.	Bishan Singh	.. Bare Wala
82.	Sarpanch Panchayat	.. Nagnal
83.	Mohant Singh	.. Do
84.	Avtar Singh	.. Bare-Wala
85.	Dalwara Singh	.. Rajia Khurd
86.	Kulwant Singh	.. Hadhe Kalan
87.	Gurcharan Singh	.. P.H. Singh
88.	Baldev Singh	.. Dhul Kot
89.	Karnail Singh	.. P.H. Singh
90.	Sampuran Singh	.. Gaziana
91.	Pritam Singh	.. Takhtu Pura
92.	X.Y.Z.	.. Lohara
93.	Sadhu Singh	.. Do
94.	Kehar Singh	.. Takhtu
95.	Bhura Singh	.. P.H. Singh
96.	Paryan Kaur	.. Bilas Pura

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the persons	Villages
97.	Ram Singh	.. ———
98.	Sarwan Singh	.. Nangal
99.	Sohan Singh	.. ———
100.	Bachan Singh	.. Nangal
101.	Jarnail Singh	.. Do
102.	Jarnail Singh	.. Do
103.	Maghar Singh	.. Do
104.	Jarnail Singh	.. Do
105.	Saran Singh	.. Do
106.	Gurmel Singh	.. Do
107.	Surjit Singh	.. Do
108.	Gurmail Singh	.. Do
109.	Bachan Singh	.. Do
110.	Joginder Singh	.. Do
111.	Avtar Singh	.. Do
112.	Gurdial Singh	.. Do
113.	Head Master	.. Takhtu Pura
114.	Darwari Dass	.. Lopon
115.	Nand Ram	.. N.S. Wala
116.	Hara Singh	.. Lopon
117.	Magal Singh	.. Lohara
118.	Sohan Singh	.. P.H. Singh
119.	Bachan Singh	.. Nangal
120.	Kehar Singh	.. Khai
121.	Bachan Singh	.. Do
122.	Baldev Singh	.. Dhul Kot
123.	C.O.	.. Budh Kalan Bara
124.	Banta Singh	.. Bhagi Ke
125.	Surjit Kaur	.. Bilas pur
126.	Mukhtiar Singh	.. Ditto
127.	Master Nand Singh	.. P.H. Singh
128.	Gurdial Kaur	.. Patto Hira Singh
129.	Ginder Singh	.. Ditto
130.	Gujjar Singh	.. Ditto
131.	Bhag Singh	.. Ditto
132.	Harnam Singh	.. Madhe Ka
133.	Jagat Singh	.. Do
134.	Gurdev Singh	.. Bilaspur
135.	Banarsi Dass	.. N.S. Wala
136.	Sadhu Ram	.. Madhe Ka
137.	Bakhtawar Singh	.. P.H. Singh
138.	Gurdial Singh	.. Nangal
139.	Dasandha Ram	.. Bilaspur
140.	Bhagwant Singh	.. Madhe Ka
141.	Mura Singh	.. Lohara
142.	Jaswant Singh	.. Takhtu Pura
143.	Sarpanch Panchayat	.. Himat Pura
144.	Sarpanch Panchayat	.. Ditto
145.	Ajmer Singh	.. Patto Hira Singh
146.	Amar Nath	.. N.S. Wala
147.	Dr. Jagan Nath	.. Ditto
148.	Kapoor Singh	.. Dhulkot
149.	Harnek Singh	.. Didare Wala
150.	Hans Raj	.. P.H. Singh
151.	Suraj Parkash	.. Ditto
152.	G.H. School	.. P.H. Singh
153.	Santokh Singh	.. Path Jasmehar Singh Wala
154.	Bachan Ram	.. Sunder Kalan
155.	Pal Singh	.. Didar Wala
156.	Atma Singh	.. Ditto
157.	Narain Singh	.. Kussa

Serial No.	Name of the persons	Villages
	Sarvshri	
158.	Dalip Singh	.. Kussa
159.	Major Singh	.. Do
160.	Mangal Singh	.. Do
161.	Sadhu Singh	.. Bare Wala
162.	Naranjan Singh	.. Kussa
163.	Mukhtiar Singh	.. N.S. Wala
164.	Amar Singh	.. Himat Pura
165.	Sadhu Singh	.. Ditto
166.	Inder Singh	.. Ditto
167.	Inder Singh	.. Ditto
168.	Chankour Singh	.. Ditto
169.	Siri Chand	.. P.H. Singh
170.	Jarmal Singh	.. Himat Pura
171.	Kirpa Singh	.. Ditto
172.	Chankour Singh	.. Ditto
173.	Pritam Singh	.. Ditto
174.	Sant Ram	.. Kussa
175.	Chet Ram	.. Santa Kalan
176.	Pala Singh	.. Ditto
177.	Mohar Chand	.. Ditto
178.	Budh Singh	.. Kussa
179.	Siri Ram	.. Sunder Kalan
180.	Sadhu Ram	.. Ditto
181.	Gurdial Singh	.. Gaziana
182.	Karam Singh	.. Do
183.	Ujaggar Singh	.. Do
184.	Gurbax Singh	.. Do
185.	Gajjarha Singh	.. Do
186.	Atar Singh	.. Do
187.	Tara Singh	.. Do
188.	Gurnam Singh	.. Do
190.	Pritam Singh	.. Kussa
191.	Bachan Singh	.. Do
192.	Lal Singh	.. Dhul Kot
193.	Chanan Singh	.. Ditto
194.	Jagjit Singh Sarpanch	.. N.S. Wala
195.	Lal Singh	.. Ranian
196.	Des Raj	.. N.S. Wala
197.	Tota Ram	.. Ditto
198.	Sant Ram	.. Ditto
199.	Inder Singh	.. Burj Hamira
200.	Kasmira Singh	.. Rauke Kalan
201.	Jai Singh	.. Ditto
202.	Gobind Ram	.. Raman
203.	Bakhtawar Singh	.. Burjhamira
204.	Sajjan Singh	.. Madhe Ka
205.	Jang Singh	.. N.S. Wala
206.	Nand Singh	.. Ditto
207.	Dalip Singh	.. Takhtu Pura
208.	Rattan Singh	.. Ditto
209.	Jagan Nath	.. N.S. Wala
210.	Gurdial Singh	.. Nangal
211.	Sarwan Singh	.. Do
212.	Mukand Singh	.. Do
213.	Kartar Singh	.. Do
214.	Gurdev Singh	.. Do
215.	Bachan Singh	.. Do
216.	Naranjan Singh	.. Do
217.	Bachan Singh	.. Mulliana
218.	Om Parkash	.. N.S. Wala
219.	Balbir Singh	.. Saido Ke
220.	Bihari Lal	.. P.H. Singh
221.	Kishori Lal	.. Ditto
222.	Vas Dev	.. Ditto

Serial No.	Name of the persons	Villages
	Sarvshri	
223.	Karnail Singh	.. Kussa
224.	Jagjit Singh	.. N.S. Wala
225.	Harbans Singh	.. Badhni Kalan
226.	Ajit Singh	.. Takhtu Pura
227.	Dalip Singh	.. Ditto
228.	Gurcharan Singh	.. Raman
229.	Dalip Singh	.. Do
230.	Kartar Singh	.. Saido Ka
231.	Gurdial Singh	.. Takhtu Pura
232.	Pritam Singh	.. Ransi Khurd
233.	Gurdev Singh	.. Takhtu Pura
234.	Maghar Singh	.. Nangal
235.	Avtar Singh	.. Do
236.	Ajmer Singh	.. N.S. Wala
237.	Tehal Singh	.. Nangal
238.	Sant Singh	.. Do
239.	Bhan Singh	.. Do
240.	Kartar Singh	.. Nangal
241.	Azaib Singh	.. Khai
242.	Naranjan Singh	.. Himat Pura
243.	Tara Singh	.. Takhtu Pura
244.	Dalip Singh	.. Ditto
245.	Bhagwan Singh	.. Ditto
246.	Jalour Singh	.. Ditto
247.	Ranjit Singh	.. Ditto
248.	Gian Singh	.. Himat Pura
249.	Bachan Singh	.. Ditto
250.	Amar Singh	.. Ransi Kalan
251.	Pala Singh	.. P.H. Singh
252.	Zora Ram	.. Himat Pura
253.	Bachittar Singh	.. Ransin Kalan
254.	Sukha Singh	.. Ditto
255.	Dara Singh	.. Ditto
256.	Sarwan Singh	.. Dina
257.	Ram Singh	.. Khai
258.	Inder Singh	.. Do
259.	Pal Singh	.. Dhul Kot
260.	Sarpanch	.. Himat Pura
261.	Gram Panchayat	.. Ditto
262.	Maghar Singh	.. Gaziana
263.	Balraj Singh	.. Madhe Ka
264.	Malkiat Singh	.. Ransin Kalan
265.	Madal Din	.. BareWala
266.	Malu Ram	.. N.S. Wala
267.	Gurdev Singh	.. Ransin Kalan
268.	Chand Singh	.. Ditto
269.	Ram Kishan	.. N.S. Wala
270.	Gian Singh	.. Himat Pura
271.	Arjan Singh	.. Ditto
272.	Jarnail Singh	.. Khote
273.	Piara Lal	.. Didare Wala
274.	Nika Singh	.. Khote
275.	Harchand Singh	.. Dina
276.	Roop Singh	.. Patto Hira Singh
277.	Kaka Singh	.. N.S. Wala
278.	Jagir Singh	.. Raman
279.	Bajer Singh	.. Madhe Ka
280.	Bhag Singh	.. Ditto
281.	Inder Singh	.. Raman
282.	Ajit Singh	.. Khote
283.	Nok Singh	.. Do
284.	Nathu Singh	.. Raunta
285.	Bhag Singh	.. Dhul Kot
286.	Jang Singh	.. P.H. Singh

Serial No.	Name of the persons	Villages
	Sarvshri	
287.	Mejar Singh	.. P.H. Singh
288.	Kartar Singh	.. Khai
289.	Ram Singh	.. N.S. Wala
290.	Dalip Singh	.. Nangal
291.	Mohan Singh	.. P.H. Singh
292.	Arjan Singh	.. Raman
293.	Maghar Singh	.. Do
294.	Ram Lal	.. N.S. Wala
295.	Lal Chand	.. Ditto
296.	Harbhagwan Singh	.. Ditto
297.	Tej Ram	.. Ditto
298.	Shivdayala Committee	.. Ditto
299.	Siri Chand	.. Ditto
300.	Sarpanch Panchayat	.. Bilas Pur
301.	Bugga Singh	.. Didare Wala
302.	Najar Singh	.. Rau-ke-Kalan
303.	Head Master G.M.S.	.. Raman
304.	Mukhtiar Singh	.. Badhni Kalan
305.	Hans Raj	.. P.H. Singh
306.	Hari Singh	.. Raman
307.	Dr. Harcharan Dass	.. N.S. Wala
308.	Hans Raj	.. Ditto
309.	Balmukand	.. Ditto
310.	Hukam Chand	.. Ditto
311.	Gurmukh Singh	.. P.H. Singh
312.	Jagan Nath	.. N.S.Wala
313.	Mukand Singh	.. Takhtu Pura
314.	Kour Singh	.. Ditto
315.	Kartar Singh	.. Takhtu Pura
316.	Natha Singh	.. N.S. Wala
317.	Karnail Singh	.. Ditto
318.	Zora Singh	.. Ditto
319.	H.S. Sandhu	.. Burj Hamira
320.	Ajit Singh	.. N.S. Wala
321.	Azaib Singh	.. Burj Hamira
322.	Labh Singh	.. Saido Ke
323.	Mukhtiar Singh	.. Burj Hamira
324.	Harbans Singh	.. N.S. Wala
325.	Pal Singh	.. Ransin Kalan
326.	Joginder Singh	.. Madhe Ke
327.	Behal Singh	.. Ditto
328.	Hari Singh	.. Dhul Kot
329.	Nirmal Singh	.. Nangal
330.	Surjit Singh	.. Do
331.	Megh Singh	.. Do
332.	Puran Singh	.. N.S. Wala
333.	Kala Singh	.. Ditto
334.	Kartar Singh	.. Ditto
335.	Sarpanch Panchayat	.. Patto Hira Singh
336.	Gurdial Singh	.. Nangal
337.	Hukam Singh	.. Badhni
338.	Maghar Singh	.. Raonta
339.	Hardev Singh	.... Badhni
340.	Ujaggar Singh	.. Gaziana
341.	Gurbax Singh	.. Do
342.	Gujgahan Singh	.. Do
343.	S.H.O.	.. N.S. Wala
344.	Kehar Singh	.. Nangal
345.	Bachan Singh	.. Kussa
346.	Jangir Singh	.. Didare Wala
347.	Har Kaur	.. Dhul Kot
348.	Darwara Singh	.. Ditto
349.	Ajmer Singh	.. Baude
350.	Waryam Singh	.. Do

[Chief Minister]

Serial No.	Name of the person	Villages
	Sarvshri	
351.	Surjit Singh	.. Kussa
352.	Bimal Kumar	.. N.S. Wala
353.	Arjan Singh	.. Baude
354.	Karnail Singh	.. P.H. Singh
355.	Mehar Singh	.. Didare Wala
356.	Chanan Singh	.. Ransin Kalan
357.	Naginder Singh	.. Patto Didar
358.	Baldev Singh	.. Bare Wala
359.	Phayan Singh	.. Ditto
360.	Pritam Singh	.. Ditto
361.	Mehar Singh	.. N.S. Wala
362.	Surat Ram	.. Dina
363.	Bant Singh	.. N.S. Wala
364.	Tek Chand	.. Ditto
365.	Hardit Singh	.. Saido Ke
366.	Inder Singh	.. Didare Wala
367.	Surjan Singh	.. Ditto
368.	Bant Singh	.. N.S. Wala
369.	Dalip Singh	.. Bhagi ke
370.	Gian Singh	.. Ransin Kalan
371.	Hakam Singh	.. Ditto
372.	Ranjit Singh	.. Badhni
373.	Maghar Singh	.. Raonta
374.	Tara Singh	.. Lopon
375.	Mukand Singh	.. Himat Pura
376.	Ravinder Nath	.. N.S. Wala
377.	Sarpanch Panchayat	.. Raman
378.	Darbara Singh	.. Lohara
381.	Teja Singh	.. Patho Hira Singh
382.	Mohinder Singh	.. N.S. Wala
383.	Sarpanch Panchayat	.. P..H. Singh
384.	Sadhu Singh	.. Kussa
385.	Jagir Singh	.. Do
386.	Mohinder Singh	.. Bhagi Ka
387.	Maghar Singh	.. Rania
388.	Panchayat Sarpanch	.. Raman
389.	Ditto	.. Badhni Khurd
390.	Ditto	.. Khote
391.		
392.	Ditto	.. Malliana
393.	Ditto	.. Minia
394.	Mejar Singh Brar	.. Patto Hira Singh
395.	Manager Kh. H. S.	.. Raman
396.	Gurdev Singh	.. Birj Duna
397.	Arjan Singh	.. Ditto
398.	Darshan Singh	.. Burj Duna
399.	Bhag Singh	.. Takhtu Pura
400.	Kulwant Singh	.. Ditto
401.	Gram Panchayat	.. Ditto
402.	Goria Mal	.. N.S. Wala
403.	Dalip Singh	.. Khota
404.	Sarpanch G.P.	.. Gaziana
405.	Mehar Singh	.. Mulliana
406.	Ramjit Singh	.. Baude
407.	Bhag Singh	.. Gaziana
408.	Gram Panchayat	.. Raina
409.	Gulzara Singh	.. R.H, Singh
410.	Lal Chand	.. Ditto
411.	Gurlon Singh	.. Gazina
412.	Shamsher Singh	.. Modhe Ka
413.	Gram Panchayat	.. Do
414.	Gen	.. Kishan Garh

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri	
415.	Gara Singh	.. N.S. Wala
416.	Atma Singh	.. Khai
417.	Ujjagar Singh	.. Do
418.	Gurdial Singh	.. Madho Ka
419.	Sham Lal	.. Khota
420.	Bhagat Singh	.. Bir Badhni
421.	S. Harbans Singh	.. Bare Wala
422.	Bhagwan Singh	.. Nangal
423.	Nath Ram	.. N.S. Wala
424.	J.C.B. 618 Hari Singh	.. Ditto
425.	Maghar Singh	.. Rania
426.	Bhagwan Singh	.. Nil
427.	Gurcharan Singh	.. Raman
428.	Jam Bara Singh	.. Do
429.	Gurdev Singh	.. Burj Hamira
430.	Bhagwant Singh	.. Hadhe Ke
431.	Pt. Chet Ram	.. Khai
432.	Gurcharan Singh	.. Badhni Kalan
433.	Bhaj Singh	.. Ditto
434.	Parkach Panchayat	.. Modke Ka
435.	Gurdial Singh Gill	.. Badhni Kalan
436.	Gram Panchayat	.. Khai
437.	Goginder Singh	.. Dina
438.	Sarpanch Panchayat	.. Burj Dunna
439.	Darbara Singh	.. Lopon
440.	Panchayat Garh	.. Nangal
441.	Panchayat Bilas pur	.. Bilaspur
442.	Chand Singh	.. Ransin
443.	Dwrigu Mal	.. Badhni Kalan
444.	Harbay Lal, son of Hafhu Ram	.. Ditto
445.	Faqiryimal Chand	.. Rania
446.	Mehar Chand	.. N.S. Wala
447.	Dharam Pal	.. Rania
448.	Sarpanch Panchayat	.. Badhni Kalan
449.	Sarpanch Panchayat	.. Ditto
450.	Zora Singh	.. Nangal
451.	Sarpanch	.. Rania
452.	Sarpanch	.. P.H. Singh
453.	Gurdev Singh	.. Bilaspur
454.	Ram ji Dass	.. B. Kala
455.	G. Panchayat	.. Saido
456.	Krishan Kumar	.. N.S. Wala
457.	Sudhdeb Singh	.. Saido-Ke
458.	Karnail Singh Sarpanch	.. Burjhari
459.	Nachatar Singh	.. N.S. Wala
460.	Nand Singh	.. Ditto
461.	S. Atma Singh	.. Badhni Kalan
462.	Gulzara Singh	.. Ransi Khurd
463.	Atma Singh	.. N.S. Wala
464.	Gurdev Singh	.. Ditto
465.	Bachhatar Singh	.. Ditto
466.	Baghard Singh	.. Ditto
467.	Ran Singh	.. Bir Rau Ke
468.	Sarpanch Panchayat	.. Ranta
469.	Amarjit Singh	.. Badhni Khurd
470.	Sarpanch Panchayat	.. Saidu Ke
471.	Sukhdev Singh	.. Do
472.	Jamala Singh	.. Do
473.	Hardit Singh	.. Do
474.	Nora Singh	.. Do
475.	Balwant Singh	.. Bilaspur
476.	Chanan Lal	.. Badhni Kalan
477.	Bajrang Singh	.. Ditto
478.	Raja Ram	.. Saihuko

[Chief Minister]

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri—	
479.	Jagir Singh	.. Burj Purana
480.	Maghar Singh	.. Ditto
481.	Ujjagar Singh	.. B. Khurd
482.	Gurdial Singh	.. Lopon
483.	Lachhaman Singh	.. Nangal
484.	Basant Singh	.. Do
485.	Maghar Singh	.. Do
486.	Bit Singh	.. Do
487.	Gurdev Singh	.. Nangal
488.	Chet Singh	.. Do
489.	Ujjagar Singh	.. Do
490.	Karnail Singh	.. Do
491.	Dalip Singh, son of Dhir Singh	.. Do
492.	Dyal Singh, son of Vir Singh	.. Do
493.	Munsha Singh, son of Gurdev Singh	.. Do
494.	Tara Singh, son of Inder Singh	.. Do
495.	Tara Singh, son of Mohar Singh	.. Do
496.	Bachan Singh, son of Chanan Singh	.. Do
497.	Jawahar, son of Ajit Singh	.. Rania
498.	Sarpanch Panchayat	.. Lohara
499.	Chand Singh, son of Sukhmohinder Singh	.. Badhni
500.	Bachan Singh Nambardar	.. Do
501.	Charad Singh	.. Burj Purana
502.	Nikka Singh	.. Do
503.	Puran Singh	.. Badhni Kalan
504.	Amar Singh	.. Bilaspur
505.	Dev Raj, son of Garhi Mal	.. Badhni Kalan
506.	Amar Nath, son of Ghodhi Mal	.. Do
507.	Surjit Singh	.. Badhni Khurd
508.	Kapura Singh	.. Ditto
509.	Tara Singh	.. Ditto
510.	Bhajan Singh	.. Ditto
511.	Banta Singh	.. Ditto
512.	Sarwan Singh	.. Dhul Kot
513.	Batha Singh	.. Ditto
514.	Balwant Singh, son of Lal Singh	.. Ditto
515.	Buta Singh ,son of Santa Singh	.. Ditto
516.	Jagat, son of Lal Singh	.. Ditto
517.	Bhagat Singh, son of Gurdev Singh	.. Ditto
518.	Danan Singh	.. Ditto
519.	Mohan Singh	.. Ditto
520.	Basant Singh	.. Ditto
521.	Bhag Singh, son of Mejar Singh	.. Ditto
522.	Ranjit Singh	.. Ditto
523.	Dalwara Singh	.. Ditto
524.	Bachan Singh	.. Badhni Kalan
525.	Joginder Singh	.. Bavde
526.	Major Singh	.. Do
527.	Sarwan Singh	.. Machhi Ke
528.	Arjan Singh, son of Haryam Singh	.. Ditto
529.	Karnail Singh	.. Badhni
530.	Gurdyal Singh	.. Machhi Ke
531.	Jagir Singh	.. Rania
532.	Gurbachan Singh	.. Dhul Kot
533.	Bhagwan Singh	.. Ditto
534.	Gurnam Singh	.. Ditto
535.	Mohinder Singh	.. Nangal
536.	Chhet Singh	.. Do
537.	Swaran Singh	.. Do
538.	Awtar Singh	.. Do
539.	Jamaher Singh	.. Do
540.	Naranjan Singh	.. Do
541.	Tahal Singh	.. Do

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri—	
542.	Sant Singh	.. Nangal
543.	Jinder Singh	.. Do
544.	Joginder Singh	.. Do
545.	Gurdyal Singh	.. Do
546.	Budh Singh, son of Bishan Singh	.. Badhni
547.	Harjit Singh	.. Do
548.	Ajaib Singh	.. Do
549.	Sarpanch Panchayat	.. Do
550.	Pal Singh, son of Puran Singh	.. Momai
551.	Karnail Singh	.. Do
552.	Amar Singh	.. Lopon
553.	Lab Singh	.. Badhni Kalan
554.	Kehn Singh	.. Ditto
555.	Dalip Singh	.. Ditto
556.	Ajmer Singh	.. Ditto
557.	Mukhtiar Singh	.. Madh ke
558.	Maghar Singh	.. Dhul kot
559.	Balbir Singh	.. Badhni
560.	Piara Singh	.. Kussa
561.	Sukar Singh	.. Do
562.	Jinder Singh	.. Hamitpura
563.	Kura Singh	.. Ditto
564.	Jinder Singh	.. Ditto
565.	Mudhtiar Singh	.. Bir Rao Ke
566.	Baldev Singh	.. Ditto
567.	Babu Singh	.. Ditto
568.	Harnaik Singh	.. Ditto
569.	Vir Singh	.. Ransin Khurd
570.	Rudh Singh	.. Ditto
571.	Joginder Singh	.. Amniti Pura
572.	Chand Singh	.. Ransin Ke
573.	Sarpanch Panchayat	.. Ditto
574.	Surjit Singh	.. Ditto
575.	Kher Singh	.. Ditto
576.	Pritam Singh	.. Ditto
577.	Ajmer Singh	.. Ditto
578.	Karnail Singh	.. Malliana
579.	Bishan Singh	.. Do
580.	Dalip Singh	.. Takhakut pura
581.	Jalover Singh	.. Ditto
582.	Durga Dass	.. Ditto
583.	Balwant Singh	.. Dhul kot
584.	Narain Singh	.. Rohania
585.	Major Singh	.. Badhni Kalan
586.	Gurdev Singh	.. Ditto
587.	Peshora Singh	.. Lohara
588.	Ujjar Singh	.. Do
589.	Teja Singh	.. Nangal
590.	Jagir Singh	.. Lopon
591.	Harnam Singh	.. Do
592.	Maghar Singh	.. Nangal
593.	Partap Singh	.. Do
594.	Surjit Singh	.. Rauke Kalan
595.	Mohan Lal	.. Badhni Kalan
596.	Hukam Lal	.. Ditto
597.	Mangat Rai	.. Ditto
598.	Bachan Singh	.. Ditto
599.	Gyan Singh	.. Ransin Ke
600.	Gurdial Singh	.. Ditto
601.	Jagir Singh	.. Badhni
602.	Manohar Lal	.. Lohara
603.	Hardyal Singh	.. Himat Pura
604.	Kirpa Singh	.. Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri—	
605.	Chamkar Singh	.. Himat Pura
606.	Chamkar Singh	.. Ditto
607.	Gurmal Singh	.. Ditto
608.	Pritam Singh	.. Ditto
609.	Hans Raj	.. Lohara
610.	Baljeag Singh	.. Badhni Kalan
611.	Chanan Singh	.. Ditto
612.	Ajmer Sihgh	.. Ditto
613.	Gurdyal Singh	.. Ditto
614.	Gurbax Singh	.. Bauda
615.	Gobind Rai	.. Ranaia
616.	Inder Singh	.. Do
617.	Bachan Singh	.. Malliana
618.	Basant Singh	.. N.S. Wala
619.	Sukhdev Singh	.. Ditto
620.	Jagit Singh	.. Ditto
621.	Gurdev Singh	.. Takhtu Pura
622.	Gandha Singh	.. Ditto
623.	Kartar Singh	.. Ditto
624.	Bachan Singh	.. Ditto
625.	Thana Singh	.. Ditto
626.	Najar Singh	.. Ditto
627.	Rattan Singh	.. Ditto
628.	Malkiat Singh	.. Malliana
629.	Galar Lal	.. Badhni Kalan
630.	Jankar Singh	.. Ditto
631.	Ramji Dass	.. Ditto
632.	Ramji Dass	.. Ditto
633.	Sarwan Singh	.. Himat Pur
634.	Lachman Singh	.. Ditto
635.	Ajmer Singh	.. Ditto
636.	Bhagwant Singh	.. P.H.Singh
637.	Hernek Singh	.. Takhtu Pura
638.	Maghar Singh	.. Ditto
639.	Bhag Singh	.. Ditto
640.	Banarsi Dass	.. N.S. Wala
641.	Jarnail Singh	.. Rauke Kalan
642.	Naranjan Singh	.. Ditto
643.	Jagat Singh	.. Khote
644.	Bhat Singh	.. Do
645.	Sampuran Singh	.. Buraj Duna
646.	Madan Lal	.. N.S. Wala
647.	Sukhdev Singh	.. Patto Hira Singh
648.	Bachan Singh	.. Ransin Khurd
649.	Gurind r Singh	.. Gaziana
650.	Gurdas han	.. Do
651.	Kartar Singh	.. Do
652.	Gurcharan Singh	.. Do
653.	C.R. Chorsh	.. Budhni Kalan
654.	Ram Lal	.. Ditto
655.	Balbinder Singh	.. N.S. Wala
656.	Nehal Singh, son of Partap Singh	.. Ditto
657.	Zo ra Singh	.. Takhatu Pura
658.	Bikar Singh	.. Maliana
659.	Harbans Lal	.. Badhni Kala
660.	Gulzara Singh	.. Nangal
661.	Hakam Singh	.. Do
662.	Bhag Singh	.. B. Kalan
663.	Jaginder Singh	.. Ditto
664.	Surinder Singh	.. Ditto
665.	Jit Singh	.. Rauke Kalan
666.	Malkiat Singh	.. Ditto
667.	Nirmal Singh	.. Nangal

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri—	
668.	Ajmer Singh	.. Nangal
669.	Suran Singh	.. Do
670.	Surjit Singh	.. Do
671.	Kartar Singh	.. Do
672.	Harbans Lal	.. Do
673.	Gram Panchayat ..	.. Do
674.	Mukand Singh	.. Do
674.	Naranjan Singh	.. Do
675.	Gram Panchayat	.. Do
676.	Surjit Singh	.. Do
677.	Kartar Singh	.. R. Kalan
678.	Harbhagan Singh	.. B. Khurd
679.	Ramji Dass	.. B. Kalan
680.	Rattan Kumar	.. Ditto
681.	Bara Singh	.. Nangal
682.	Mohan Singh	.. Do
683.	Sarpanch Panchayat	.. Rania
684.	Sarpanch Panchayat	.. Do
685.	Baldev Singh	.. R. Kalan
686.	Gram Panchayat	.. Kussa
687.	Puran Kaur	.. B. Kalan
688.	Gurbachan Singh	.. Badhni
689.	Kartar Singh	.. Do
690.	Kartar, son of Sarmat Singh	.. Do
691.	Gurbachan Singh	.. Do
692.	Ujjagar Singh	.. Buraj Duna
693.	Jazir Singh	.. Khai
694.	Karnail Singh	.. Badhni
695.	Malkiat Singh	.. Baude
696.	Jarnail Singh	.. R. Kalan
697.	Niranjan Singh	.. Ditto
698.	Gurmal Singh	.. Bilaspur
699.	Gobind Singh	.. Do
700.	Gurbachan Singh	.. Do
701.	Gurnam Singh	.. Do
702.	Bhag Singh	.. Ranian
703.	Bhag Singh	.. Badhni
704.	Surjit Singh	.. Rauke Kalan
705.	Dailp Singh	.. Badhni
706.	Puran Singh	.. Do
707.	Sarpanch Panchayat	.. Badhni Kalan
708.	Sarpanch Panchayat	.. Ditto
709.	Gurdial Singh	.. Rau ke
710.	Piara Singh	.. Khote
711.	Malkiat Singh	.. Do
712.	Mohinder Singh	.. N.S. Wala
713.	Amar Singh	.. P.H. Singh
714.	Gurcharan Dass	.. B. Kalan
715.	Ghona Singh	.. Rauke Kalan
716.	Balwant Singh	.. B. Kalan
717.	Kehar Singh	.. Ghaziana
718.	Sant Bishan Dass	.. Lopon
719.	Sa nt Bishan Dass	.. Do
720.	Man ohar Chand	.. B. Kalan
721.	Milkha Singh	.. N.S. wala
722.	Vir Chand	.. B. Kalan
723.	Sukhmohinder Singh	.. N.S. Wala
724.	Amar Singh	.. Ditto
725.	Amar Nath	.. Ditto
726.	Naginder Singh	.. Ditto
727.	Balwant Singh	.. Ditto
728.	Gurbachan Singh	.. Dhul kot
729.	Sampuran Singh	.. Saido ke

[Chief Minister]

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri—	
730.	Jarnail Singh	.. Saido ke
731.	Sarpanch Panchayat	.. Bir Badhni
732.	B.R. Chochar	.. B. Kalan
733.	Bikar Singh, son of Bhagat Singh	.. Ditto
734.	Gram Panchayat , Nangal	.. Nangal
735.	Balwant Singh	.. Do
736.	Rup Singh	.. N.S. Wala
737.	Durga Dass	.. B. Kalan
738.	Gram Panchayat	.. Ditto
739.	Malkiat Singh	.. Ditto
740.	Harbans Singh	.. Ditto
741.	Jaimal Singh	.. Ditto
742.	Najar Singh	.. Ditto
743.	Jagir Singh	.. Rania
744.	Jamir Sigh	.. B. Kalan
745.	Bhola Singh	.. Ditto
746.	Dalip Singh	.. N.S. Wala
747.	Azaib Singh	.. B. Kalan
748.	Sampuran Singh	.. Ditto
749.	Bachan Kaur	.. Nangal
750.	Gurdial Singh	.. Do
751.	Karnail Singh	.. Do
752.	Pyara Singh	.. Do
753.	Bishan Chand	.. P.H. Singh
754.	Baru Singh	.. Nangal
755.	Sohan Singh	.. Do
756.	Joginder Singh	.. Dina
757.	Rattan Singh	.. Dhul kot
758.	Nirmal Singh	.. Ditto
759.	Jagir Singh	.. B. Kalan
760.	Sher Singh	.. Nangal
761.	Dalip Singh	.. Bhagi ke
762.	Gurdial Singh	.. Modhe ke
763.	Banta Singh	.. B. Khurd
764.	Gurbax Singh	.. Lohara
765.	Banta Singh	.. Bhaghi ke
766.	Surjan Singh	.. Nangal
767.	Avtar Singh	.. Do
768.	Gurcharan Singh	.. P.H. Singh
769.	Darbara Singh	.. Ditto
*761.	Jagir Singh	.. Ditto
*762.	Bhajan Singh	.. Didar e ke
*763.	Bhajan Singh	.. P.H. Singh
*764.	Subadar Gulzari Singh	.. Khote
*765.	Jagat Singh	.. Ransin Kalan
*766.	Mohan Singh	.. Ditto
*767.	Sukhminder Singh	.. Lahora
*768.	Dalip Singh	.. Khote
*769.	Gram Panchayat	.. Do
770.	Ranjit Singh 334434	.. Do
771.	Mohar Singh	.. Malliana
772.	Jamadar Pishora Singh	.. Lohara
773.	Karnail Singh 2509789	.. P.H. Singh
774.	Hans Raj	.. Ditto
775.	Jalaur Singh, son of Bachan Singh	.. N.S. Wala
776.	Naranjan Singh, son of Pritam Singh	.. Ditto
777.	Rajinder Singh	.. Ditto
778.	Nahar Singh	.. Dina
779.	Jagnandan Singh	.. Do
780.	Bura Singh	.. Do
781.	Sewa Singh	.. Rauka Kalan
782.	Pritam Singh	.. Ditto

* Statement printed as received from Government.

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri—	
783.	Kulwant Singh	.. Takhtu Pura
784.	Kulwant Singh	.. Ditto
785.	Jhandan Singh	.. N.S. Wala
786.	Jagir Singh	.. Raunta
787.	Arjan Singh	.. Khai
788.	H. M. G. 5 Patti	.. H.S. Singh
789.	Sudagar Singh	.. Ransin Kalan
790.	Mool Singh	.. P.H.Singh
791.	Lachman Singh	.. Himat Pur
792.	Mohinder Singh	.. Madhe ke
793.	Ajmer Singh	.. Baude
794.	Bachan Ram	.. Saido ke
795.	Ajmer Singh	.. Ditto
796.	Kartar Singh	.. Baude
797.	Jaswant Kaur	.. Dhul kot
798.	Rajinder Singh	.. N.S. Wala
799.	Sunder Singh	.. Ditto
800.	Malkaiat Singh	.. Dhul Kot
801.	Sadhu Singh	.. P.H. Singh
802.	Mukhtar Singh	.. Ditto
803.	Kehar Singh	.. Nangal
804.	Parkash Singh 6629909	.. Do
805.	Das Ram	.. Saido
806.	Rashpaul Singh	.. P.H. Singh
807.	Kapur Singh	.. Ransin Kalan
808.	Hazura Singh	.. Ditto
809.	Mukand Singh	.. Dhul Kot
810.	Avtar Singh	.. Bare Wala
811.	Phanjan Singh	.. Ditto
812.	Baldev Singh	.. Ditto
813.	Gurdev Singh	.. Ditto
814.	Ajaib Singh	.. Bilaspur
815.	Mohinder Singh	.. Ware Wala
816.	Bhagwan Singh	.. Bilaspur
817.	Gurbachan Singh	.. Do
818.	Khatu Ram	.. Baude
819.	Bhura Singh	.. Do
820.	Gurdial Singh	.. Rauke Kalan
821.	Nachhatar Singh	.. Lohara
822.	Vir Singh	.. Do
823.	Mohinder Singh	.. Do
824.	Pakshi Singh	.. Do
825.	Arjan Singh	.. Rau ke
826.	Gurbakash Singh	.. Lohara
827.	Sohan Singh	.. Do
828.	Ranbir Singh	.. Do
829.	Kartar Singh	.. Do
830.	Ranjit Singh	.. Do
831.	Nand Singh	.. P.H. Singh
832.	Bhura Singh	.. Ditto
833.	Bhaga Ram	.. N.S. Wala
834.	Dalip Singh	.. Ditto
835.	Sarwan Singh	.. Machhi ke
836.	Sher Singh	.. Nangal
837.	Inder Singh	.. Do
838.	Sadhu Singh	... Didare Wala
839.	Kartar Singh	.. Takhtu Pura
840.	Sukha Singh	.. Didare Wala
841.	Ujjagar Singh	.. Badhni Khurd
842.	Ajaib Singh	.. P.H. Singh
843.	Avtar Singh	.. Ditto
844.	Teja Singh	.. Rania
845.	Bakhtaur Singh	.. B. Kalan

[Chief Minister]

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri	
846.	Nachhatar Singh	.. N.S. Wala
847.	Sadugar Singh	.. P.H. Singh
848.	Gurdev Singh	.. Takhtu Pura
849.	Avtar Singh	.. Ditto
850.	Kartar Singh	.. Ditto
851.	Dalip Singh	.. Ditto
852.	Thana Singh	.. Ditto
853.	Naranjan Singh	.. Rauke Kalan
854.	Amar Singh	.. Nangal
855.	Darshan Singh	.. Do
856.	Jagan Nath	.. P.H. Singh
857.	Sardara Singh	.. Rauke Kalan
858.	Kartar Singh	.. Ditto
859.	Gurdial Singh	.. Saidoke
860.	Nachatar Singh	.. Himat Pura
861.	Jarnail Singh	.. Ditto
862.	Ganda Singh	.. Ditto
863.	Sohan Singh	.. Ditto
864.	Partap Singh	.. Takhtu Pura
865.	Ajaib Singh	.. Saidoke
866.	Bishan Singh	.. Kussa
867.	Mangal Singh	.. Saido ke
868.	Baktaur Singh	.. Ditto
869.	Sucha Singh	.. Nangal
870.	Ujagar Singh	.. Do
871.	Joginder Singh	.. Do
872.	Hari Singh	.. Dhul Kot
873.	Hari Singh	.. Rauke Kalan
874.	Jagir Singh	.. Ditto
875.	Johra Singh	.. Mintan
876.	Phagan Singh	.. Rau ke Kalan
877.	Naginder Singh	.. Himmat Pura
878.	Sher Singh	.. Bilaspur
879.	Arjan Singh	.. Takhtu Pura
880.	Buta Singh	.. Ditto
881.	Harjit Singh	.. Rau ke Kalan
882.	Tara Singh	.. Takhtu Pura
883.	Major Singh	.. Himmat Pura
884.	Major Singh	.. Ditto
885.	Chanan Singh	.. Machhi ke
886.	Gurdial Singh	.. Ditto
887.	Dharam Singh	.. Ditto
888.	Kapur Singh	.. Dhul kot
889.	Avtar Singh	.. Ditto
890.	Mohar Singh	.. Kussa
891.	Sarpanch Panchayat	.. Bilaspur
892.	Babu Singh	.. Himmat Pura
893.	Sham Singh	.. Khote
894.	Dharshan Singh	.. Do
895.	Asher Singh	.. Rania
896.	Vir Singh	.. Ransi n Kalan
897.	Kartara Singh	.. Takhtu Pura
898.	Major Sampuran Singh	.. Duna
899.	Dalip Singh	.. Rauke Kalan
900.	Harcharan Singh	.. Khote
901.	Amar Singh	.. Ransin Kalan
902.	Gram Panchayat	.. Saidake
903.	Gurdial Singh	.. Kussa
904.	Dalip Singh Gill	.. Gill
905.	Pritam Singh	.. Ransin Kalan
906.	Ajmer Singh	.. Didarewala
907.	Rajinder Singh	.. Machhike

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri	
908.	Fateh Singh	.. Didare Wala
909.	Taju Singh	.. Ditto
910.	Gurnam Singh	.. Ditto
911.	Gurcharan Singh	.. Lohara
912.	Labh Singh	.. Takhtu Pura
913.	Jarnail Singh Khota	.. Khote
914.	Ujjagar Singh	.. Do
915.	Mukhtar Singh	.. N.S. Wala
916.	Bhan Singh	.. Khote
917.	Ujjagar Singh	.. Baude
918.	Santa Singh	.. Dhul Kot
919.	Bhura Singh	.. Baude
920.	Sadgar Singh	.. Do
921.	Naranjan Singh	.. Ransi Kalan
922.	Mohinder Singh	.. N.S. Wala
923.	Gurdit Singh	.. Khai
924.	Lal Singh	.. P.H. Singh
925.	Chand Singh	.. Ransi Kalan
926.	Harcharan Singh	.. P.H. Singh
927.	Khuda Singh	.. Bir Rauke
928.	Sardar Singh	.. Ditto
929.	Ran Singh	.. Ditto
930.	Bakshish Singh	.. Machhi Ke
931.	Gurcharan Singh, M.L.A.	..
932.	Sukhdev Singh	.. Khote
933.	Dhani Ram	.. Bilaspur
934.	Prem Singh	.. Himat Pura
935.	Kartar Singh	.. Machhi ke
936.	Jamadar Bora Singh	.. Rama
937.	Ajmer Singh	.. Saidoke
938.	Amar Singh	.. Rauke Kalan
939.	Amarjit Singh	.. Takhtu Pura
940.	Sant Singh	.. Lohara
941.	Nahar Singh	.. Do
942.	Bikar Singh	.. Nangal
943.	Rakha Ram	.. N.S. Wala
944.	Harcharan Dass	.. Ditto
945.	Balbir Singh	.. Badhni
946.	Kapur Singh	.. Ransi Kalan
947.	Mohar Singh	.. P.H. Singh
948.	Sarpanch Gram Panchayat	.. Ditto
949.	Jit Singh	.. Dhul Kot
950.	Gurnam Singh	... Ditto
951.	Phala Singh	.. Ditto
952.	Ajaib Singh	.. Ditto
953.	Jograj Singh	.. Ditto
954.	Lal Singh	.. Ditto
955.	Bachan Singh	.. Ditto
956.	Amar Singh	.. Ditto
957.	Sardara Singh	.. Ditto
958.	Kartar Singh	.. Ditto
960.	Jawala Singh	.. Ditto
961.	Pritam Singh	.. Ditto
962.	Gulzara Singh	.. Ditto
963.	Kapur Singh	.. Ditto
964.	Baryam Singh	.. Bhagi ke
965.	Chanan Singh	.. Mode ke
966.	Milkha Singh	.. Ditto
967.	Mehar Chand	.. N.S. Wala
968.	Kehar Singh	.. Madhe ke
969.	Ruldu Singh	.. Ditto
970.	Atma Singh	... Ditto
971.	Sham Singh	.. Ditto
972.	Sher Singh	... Ditto
973.	Hakam Singh	.. Ditto

[Chief Minister]

Serial No.	Names of the Persons	Villages
	Sarvshri	
974.	Mohinder Singh	.. Modhe ke
975.	Tahal Singh	.. Khote
976.	Ajar Singh	.. Dina
977.	Baldev Singh	.. Saido ke
978.	Labh Singh	.. Ditto
979.	Kehar Singh	.. Ditto
980.	Roop Lal	.. N.S. Wala
981.	Sarwan Singh	.. Modhe ke
982.	M.S. Brar	.. Khote
983.	Nand Singh	.. Do
984.	Darbara Singh	.. Do
985.	Naginder Singh	.. Modhe ke
986.	Chand Singh	.. Saido
987.	Chand Singh	.. Do
988.	Tota Ram	.. N.S. Wala
989.	Sant Ram	.. Ditto
990.	Sunder Singh	.. Ditto
991.	Ajit Singh	.. Saido ke
992.	Santokh Singh	.. Machhi ke
993.	Harcharan Dass	.. N.S. Wala
994.	Dalip Singh	.. Bhagi ke
995.	Sarpanch Gram Panchayat	.. Badhni
996.	Hamir Singh	.. Modhe ke
997.	Kulzar Ram	.. Ditto
998.	Balwant Singh	.. *Jamsher Singh
999.	Jagtar Singh	.. N.S. Wala
1000.	Baldev Singh	.. Nangal
1001.	Baktaur Singh	.. N.S. Wala
1002.	Gurdit Singh	.. Khai
1003.	Gulzara Singh	.. N.S. Wala
1004.	Subadar Gurdial Singh	.. Lohara
1005.	Sarpanch	.. Saidoke
1006.	Gurcharan Singh	.. Ransin Khurd
1007.	Tara Singh	.. N.S. Wala
1008.	Kartar Singh	.. Bhagike
1009.	Arjan Singh	.. N.S. Wala
1010.	Nand Singh	.. Ditto
1011.	Gurdev Singh	.. Ditto
1012.	Jang Singh	.. Ditto
1013.	Mohinder Singh	.. Ransi Kalan
1014.	Gian Singh	.. Ditto
1015.	Ram Lal And Co.	.. N.S. Wala
1016.	Nachatar Singh	.. Ditto
1017.	Ajmer Singh	.. Saidoke
1018.	Kartar Singh	.. N.S. Wala
1019.	Jagjit Singh	.. Ditto
1020.	Ramnarain Singh	.. Raunta
1021.	Sukhdev Singh	.. Rauke Kalan
1022.	Ratta Singh	.. Dhul Kot
1023.	Sarpanch Gram Panchayat	.. Ditto
1024.	Paul Singh	.. Ditto
1025.	Moola Ram	.. Ditto
1026.	Pran Sagar	.. Raunta
1027.	Nihal Singh	.. N.S. Wala
1028.	Avtar Singh	.. Nangal
1029.	Gurbax Singh	.. Khai
1030.	Baldev Singh	.. Bare Khurd
1031.	Muni Lal	.. N.S. Wala
1032.	Sarpanch Panchayat	.. Rama
1033.	Gurcharan Singh	.. N.S. Wala
1034.	Sarpanch Panchayat	.. Badhni Kalan
1035.	Jaswant Singh	.. N.S. Wala

*Printed as received from Government.

Serial No.	Names of the persons	Villages
	Sarvshri	
1036.	Nand Singh	.. Rama
1037.	Malkiat Singh	.. N.S. Wala
1038.	Dalip Singh	.. Bhagike
1039.	Gurnam Singh	.. Do
1040.	Mal Singh	.. N.S. Wala
1041.	Gram Panchayat	.. Bilaspur
1042.	Sarpanch Panchayat	.. Bhagi ke
1043.	Gurdit Singh	.. Khai
1044.	Sarpanch Gram Panchayat	.. Lopon
1045.	Gurdial Singh	.. Do
1046.	Lachhman Singh	.. Nangal
1047.	Basant Singh	.. Do
1048.	Maghar Singh	.. Do
1049.	Jit Singh	.. Do
1050.	Ramji Dass	.. Badhni Kalan

CONFERENCE OF FARMERS TO BE HELD ON 9TH FEBRUARY, 1965.

2192. **Comrade Bhan Singh Bhaura**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state :—

(a) the names of the farmers invited to attend the farmers' conference proposed to be held on the 9th February, 1965;

(b) the criteria followed while issuing the invitations for the conference mentioned in para (a) above ?

Sardar Darbara Singh: (a) A list is as follows.

(b) Progressive and experienced farmers, who could bring to light the real problems being faced by the farming community and contribute fruitfully to the discussions were invited to attend the Farmers' Conference in consultation with the District Agricultural Officers and the Block Development and Panchayat Officers.

LIST

Serial No.	Name of the Progressive Farmer	Serial No.	Name of the progressive Farmer
1.	Shri Bakatawar Singh	19.	Shri Gurdial Singh
2.	Harvinod Kurgi	20.	Shr Ram Krishan
3.	Shri Om Parkash	21.	Shri Gurbakhsh Singh
4.	Shri P.S. Brar.	22.	Shri Gurdial Singh
5.	Shri Jagjit Singh	23.	Shri Mohinder Singh Sindhu
6.	Shri Atma Singh	24.	Shri Balwant Singh
7.	Shri Mehla Singh	25.	Shri Jaswant Singh
8.	Shri Avtar Singh Sidhu	26.	Shri Zaildar Ladh Singh
9.	Shri Sukhdev Singh	27.	Shri Guriqbal Singh
10.	Shri Bal Ram	28.	Shri Harchand Singh
11.	Shri Kawar Rajinder Singh Bedi	29.	Shri Chand Singh
12.	Shri Lal Chand	30.	Shri Pakhar Singh
13.	Shri Jaspal Singh	31.	Shri Joginder Singh
14.	Shri Teja Singh	32.	Shri Vawa Singh
15.	Shri Mohinder Singh	33.	Shri Bachattar Singh
16.	Shri Gurdev Singh	34.	Shri Bachan Singh
17.	Shri Gurnam Singh	35.	Shri Narain Singh
18.	Shri Naran Singh	36.	Shri Rajwant Singh Gill

Serial No.	Name of the progressive Farmer	Serial No.	Name of the progressive Farmer
37.	Shri Sukhdip Singh	100.	Shri Joginder Singh Shahpur
38.	Shri Kartar Singh	101.	Shri Bakhtawar Singh
39.	Shri Suba Singh	102.	Shri Ramjogh Singh
40.	Shri Mohinder Singh Sarpanch	103.	Shri Sadhu Singh
41.	Shri Sewak Singh	104.	Shri Amar Singh
42.	Shri Rohee Ram	105.	Shri Gurbanta Singh
43.	Shri Gurbax Singh Sarpanch	106.	Shri Amar Singh
44.	Shri Gurnam Singh Sarpanch	107.	Shri Mehar Singh
45.	Shri Man Singh	108.	Shri Ganda Singh
46.	Shri Sampuran Singh Lambardar	109.	Shri Haminder Singh
47.	Shri Shadi Ram Sarpanch	110.	Shri Nirmal Singh
48.	Shri Gurdev Singh	111.	Shri Jodh Singh
49.	Shri Jagdish Singh	112.	Shri Rattan Singh
50.	Shri Haranja Singh	113.	Shri Balwant Singh
51.	Shri Joginder Singh	114.	Shri Nagina Singh
52.	Shri Nihal Singh	115.	Shri Jarnail Singh
53.	Shri Gurdev Singh	116.	Shri Santokh Singh
54.	Shri Jaswant Singh Bajwa	117.	Shri Dial Singh
55.	Shri Baldev Singh	118.	Shri Gurbachan Singh
56.	Shri Baldev Singh	119.	Shri Bachan Singh
57.	Shri Mohan Sarup Singh	120.	Shri Karam Singh
58.	Shri Lal Singh	120-A.	Shri Harbans Singh
59.	Shri Kehar Singh	121.	Shri Kulwant Singh
60.	Shri Jangir Singh Sarpanch.	122.	Shri Faqir Singh
61.	Shri Wajir Singh	123.	Shri Sadhu Singh
62.	Shri Gurcharn Singh	124.	Shri Nand Singh
63.	Shri Basant Singh	125.	Shri Relu Ram
64.	Shri Sham Singh (Dr.)	126.	Shri Mansha Ram
65.	Shri Pritam Singh (Capt).	127.	Shri Jagat Ram
66.	Giani Arjan Singh	128.	Shrl Jagat Ram
67.	Shri Jagjit Singh	129.	Shri Jiwan Ram
68.	Shri Kehar Singh	130.	Shri Partap Singh
69.	Shri Partap Singh	131.	Shri Chanda Singh
70.	Shri Ranjit Singh	132.	Shi Shiv Ram
71.	Shri Ajab Singh	133.	Shri Sucha Singh
72.	Shri Devinder Singh	134.	Shri P.N. Mehra
73.	Shri Arjan Singh	135.	Shri Risal Singh
74.	Shri Karnail Singh	136.	Shri Gurinder Singh
75.	Shri Milkha Singh, Chairman	137.	Shri Anant Ram
76.	Shri Surjit Singh	138.	Shri Harcharan Singh
77.	Shri Mohinder Singh Chairman	139.	Shri Balwant Singh Cheema
78.	Shri Joginder Singh	140.	Shri Jagjit Singh
79.	Shri Hernak Singh, Chairman	141.	Shri Arjan Dev Mehta
80.	Shri Amar Singh	142.	Shri Niranjan Parkash
81.	Shri Nihal Singh	143.	Shri Hararkash
82.	Shri Harnam Singh	144.	Shri Rana Ranbir Singh
83.	Shri Rattan Singh, M.L.A. (Capt).	145.	Shri Yogender Nath Dewan
84.	Shri Shamsher Singh.	146.	Shri Gurdev Singh
85.	Shri Pal Singh, M.L.A.	147.	Shri Hardial Malik
86.	Shri Avtar Singh Sarpanch	148.	Shri Gehal Singh
87.	Shri Chint Ram	149.	Shri Sardara Singh
88.	Shri Pritam Singh	150.	Shri Manohar Lal
89.	Shri Harish Chaudhri	151.	Shri Nand Lal
90.	Shri Sampuran Singh	152.	Shri Mahabir Singh
91.	Shri Ram Singh	153.	Shri Sham Sunder Tayago
92.	Shri Nirmal Singh	154.	Shri Ranjit Singh
93.	Shri Harbans Singh	155.	Shri Surat Singh
94.	Shri Devinder Singh	156.	Shri Badan Singh
95.	Shri Sadhu Singh	157.	Shri Krishan Chand
96.	Shri Bishan Singh	158.	Shri Lachhman Dass Mehta
97.	Shri Dial Singh	159.	Shri Ram Singh
98.	Shri Atma Singh	160.	Shri Baldev Singh
99.	Shri Rola Singh		

Serial No.	Name of the progressive Farmer	Serial No.	Name of the progressive Farmer
161.	Shri Attar Singh	221.	Shri Balram Singh
162.	Shri Nahar Singh, Vice-President	222.	Shri Surjit Singh
163.	Shri Dev Dutt Gupta	223.	Shri Tarlok Singh
164.	Shri Ganga Lal	224.	Shri Didar Singh
165.	Shri Kewal Singh	225.	Shri Atma Singh, Lambardar
166.	Shri Mohammad Umer President	226.	Shri Hardyal Singh
167.	Shri Ishei Singh	227.	Shri Battan Singh
168.	Shri Hanuman Parshad Mathur	228.	Shri Kashmira Singh
169.	Shri Banwari Lal	229.	Shri Pritam Singh
170.	Shri Pt. Deep Chand	230.	Shri Sohan Singh
171.	Shri Balbir Singh	231.	Shri Sohan Singh
172.	Ch. Hari Kishan M.L.A. (Ex.)	232.	Shri Lachhman Singh
173.	Ch. Dhan Singh	233.	Shri Mukhtar Singh
174.	Shri Partap Singh	234.	Shri Santokh Singh
175.	Capt. Sees Ram Chairman	235.	Shri Surjan Singh
176.	Rao Mohan Singh	236.	Shri Pritam Singh
177.	Shri Attar Singh	237.	Shri Mohinder Singh
178.	Shri Seth Ram Kishan	238.	Shri V.N. Puri
179.	Shri Moti Lal Kaushik	239.	Shri Mohinder Singh
180.	Shri Rajinder Singh	240.	Shri Dewan Ganga Sahai
181.	Shri Bhopinder Narian Bhargava	241.	Shri Gopal Singh
182.	Shri Net Ram	242.	Shri Jagir Singh
183.	Shri Mohan Lakhani	243.	Shri Amar Singh
184.	Shri Ch. Hari Singh	244.	Shri Rup Singh
185.	Shri Rehmat Khan	245.	Shri Gian Singh
186.	Shri Tirlok Singh	246.	Shri Ram Prashad
187.	Shri Balwant Singh	247.	Shri Dalip Singh
188.	Shri Hirde Ram	248.	Dr. Kirpal Singh
189.	Shri Ram Chander	249.	Shri Rajpal Singh
190.	Shri N.R. Gaur	250.	Shri Harvel Singh
191.	Shri Khem Chand	251.	Shri Amar Singh
192.	Shri Hari Singh	252.	Shri Kartar Singh
193.	Shri Prithipal Singh	253.	Shri Jawala Singh
194.	Shri Suraj Singh	254.	Shri Bhalla Ram
195.	Shri Mittar Singh	255.	Shri Maharaj Bir Singh
196.	Shri Surat Singh Chairman	256.	Shri Lal Chand Vice-Chairman
197.	Shri Inder Singh Cheema	257.	Shri Sajan Singh
198.	Shri Harbans Singh	258.	Shri Chiranji Lal
199.	Shri Bakhshish Singh	259.	Shri Thakur Abhe Singh
200.	Shri Balwant Singh	260.	Shri Sukh Darshan Singh
201.	Shri Bishan Singh	261.	Shri Lakhbir Singh, M.A.
202.	Shri Balwant Singh	262.	Shri Bah Bhagwant Singh
203.	Shri Brahm Kumar, Chairman Panchayat	263.	Shri Bhan Singh
		264.	Shri Avtar Singh
204.	Shri Rajinder Singh	265.	Shri Dalip Singh
205.	Shri Ajit Singh	266.	Shri Hazara Singh
206.	Shri Joginder Singh	267.	Shri Balwant Singh
207.	Shri Harjeet Singh	268.	Shri Bhagwant Singh
208.	Giani Charan Singh	269.	Shri Puran Singh
209.	Shri Joginder Singh	270.	Shri Balwant Singh
210.	Shri Darbara Singh	271.	Shri Hari Chand Mehta, Chairman
211.	Shri Sikander Singh Chairman Panchayat, Samiti	272.	Shri Sahib Ram
212.	Shri Gur Iqbal Singh	273.	Shri Iqbal Singh Dhillon
213.	Shri Asa Singh	274.	Shri Joginder Singh
214.	Shri Kapur Singh	275.	Shri Jagjit Singh
215.	Shri Sant Singh Chairman, Panchayat Samiti.	276.	Shri Kartar Singh, Nijjar
		277.	Shri Amar Singh
216.	Shri Basant Singh, Chairman, Panchayat Samiti	278.	Shri Sohan Singh Mudh
		279.	Shri Kishan Singh
217.	Shri Mohinder Singh Mann	280.	Shri Jagdev Singh
218.	Shri Dalip Singh	281.	Shri Shiv Singh
219.	Shri Gurdas Singh	282.	Shri Hazara Singh G.II
220.	Shri Gurbax Singh	283.	Shri Darbara Singh

[Home and Development Minister]

Serial No.	Name of the Progressive Farmer	Serial No.	Name of the Progressive Farmer
284.	Shri N.V. Kapur	347.	Shri Dewan Chand
285.	Shri Surrinder Singh	348.	Shri Raja Chain Singh
286.	Shri Baljeet Singh	349.	Shri Rai Bikram Chand
287.	Shri Kashev Parshad Misra	350.	Shri Rattan Chand Chairman
288.	Shri Darshan Singh	351.	Shri Rai Sumetra Chand Chairman
289.	Shri Lachhman Singh	352.	Shri Bishan Singh Secretary
290.	Shri Amrik Singh	353.	Shri Kehar Singh Bains
291.	Shri Bhagwan Singh	354.	Shri Mehar Singh
292.	Shri Sohan Singh	355.	Shri Shanti Sarup
293.	Shri Hukam Singh	356.	Shri Gurbax Singh Cheema
294.	Shri Moti Singh	357.	Shri Kapal Dev Sud
295.	Shri Hardev Singh	358.	Shri Kabul Singh Chairman
296.	Shri Sher Singh	359.	Shri Ranjit Singh
297.	Shri Kartar Singh	360.	Shri Onkar Singh
298.	Shri Joginder Singh	361.	Shri Kanshi Ram
299.	Shri Surjit Singh	362.	Shri Ghongar Ram
300.	Shri H.S. Balina	363.	Shri Pancham Chand
301.	Shri Mehta Jagat Narayain	364.	Shri Salig Ram
302.	Shri Partap Singh Sarpanch	365.	Shri Parmeshwari Dass
303.	Shri Abhey Ram	366.	Shri Sarup Narain Saliana
304.	Shri Phul Singh	367.	Shri Punjab Singh Pathania
305.	Shri Iswar Singh	368.	Shri Sarla Bhandari Land Lady
306.	Shri Jammel Singh	369.	Shri Harchand Singh, M.L.A.
307.	Shri Sohan Lal	370.	Shri Satwant Singh
308.	Shri Bharat Singh Jaildar	371.	Shri Waryam Singh Gill
309.	Shri Master Tulsi Ram	372.	Shri Harnam Singh
310.	Shri Nen Sukh	373.	Shri Jagjit Singh Mann
311.	Shri Karam Chand	374.	Shri Joginder Singh
312.	Shri Jabbir Singh	375.	Shri Randhir Singh Cheema
313.	Shri Harphul Singh	376.	Shri Nerotam Singh
314.	Shri Ram Saran	377.	Shr Jagdish Chander Singh
315.	Shri Rankit Singh	378.	Shri Sahib Singh
316.	Shri Inder Lal	379.	Shri Amarjit Singh
317.	Shri Bhag Singh	380.	Shri Gurcharan Singh
318.	Shri Hardev Singh	381.	Shri Harbans Singh
319.	Shri Inder Singh Majhail	382.	Shri Kultwant Singh
320.	Shri Kuldip Singh Sandhu	383.	Shri Kartar Singh
321.	Shri Bachan Singh	384.	Shri Amar Singh
322.	Shri Bhag Singh	385.	Shri Avtar Singh
323.	Shri Karnail Singh	386.	Shri Ranjit Singh
324.	Shri Gurnam Singh	387.	Shri Ujagar Singh
325.	Shri Harbans Singh Zaildar	388.	Shri Kunj Lal Thakur
326.	Shri Kirtan Singh	389.	Shri Nokh Ram
327.	Shri Haripal Singh	390.	Shri Hari Singh
328.	Shri Pritam Singh	391.	Shri Amar Nath
329.	Shri Sukhdev Singh	392.	Shri Jit Ram Nanga
330.	Shri Karam Singh Dhillon	393.	Shri Ved Ram
331.	Shri Parshotam Singh	394.	Shri Keshop Ram
332.	Shri Bagh Singh	395.	Shri Beli Singh
333.	Shri Harsewak Singh	396.	Shri Dabhey Ram
334.	Shri Bachittar Singh	397.	Shri Dile Ram
335.	Shri Mangal Singh	398.	Shri Majai Amir Singh
336.	Shri Baghel Singh	399.	Shri Tek Chand
337.	Shri Harchand Singh	400.	Shri Bhagwan Singh
338.	Shri Balkrishan M.L.A. (Dr.)	401.	Shri Amar Singh
339.	Shri Harbans Singh	402.	Shri Paras Ram
340.	Shri Ajit Singh	403.	Shri Amar Singh
341.	Shri Chanan Singh	404.	Shri Randhir Singh Lambardar
342.	Shri Pritam Singh	405.	Shri Ganeshi Lal
343.	Shri Gurdial Singh	406.	Shri Ram Chander
344.	Shri Kartar Singh Dhillon	407.	Shri Sohan Lal
345.	Shri Jagjit Singh	408.	Shri Hardwari Lal Lambardar
346.	Shri Sewa Singh Bhullar Advocate	409.	Shri Mani Ram

Serial No.	Name of the Progressive Farmer	Serial No.	Name of the Progressive Farmer
410.	Shri Hari Singh	436.	Shri Ajit Pal Singh
411.	Shri Siri Chand	437.	Shri Kah Khajan Singh
412.	Shri Raj Kumar	438.	Shri Bhim Singh
413.	Shri Kamuar Singh	439.	Shri Balbir Singh
414.	Shri Shive Narain	440.	Shri Gurdeep Singh
415.	Shri Bhir Singh Rao	441.	Shri Sardara Singh Bhinder
416.	Shri Suraj Bhan	442.	Shri Prithipal Singh
417.	Shri Sardar Singh	443.	Shri Gopal Singh
418.	Shri KhemSingh Lambardar	444.	Shri Master Sohan Singh
419.	Shri Nihalu	445.	Shri Upkar Singh
420.	Shri Jagat Singh	446.	Shri Devinder Singh
421.	Shri Hari Singh	447.	Shri Jaswant Singh
422.	Shri Bane Singh	448.	Shri Rajinder Singh
423.	Shri Thambu Ram	449.	Shri Sant Sarup Singh
424.	Shri Anup Singh	450.	Shri Ajit Singh
425.	Shri Daya Ram	451.	Shri Jatinder Singh
426.	Shri Balbir Singh Bedi	452.	Shri Gurbans Singh
427.	Shri Hans Raj Sarpanch	453.	Shri Achar Singh
428.	Shri Balbir Singh Rathi	454.	Shri Hardeep Singh
429.	Shri Jagmal Singh Sarpanch	455.	Shri Paritam Singh
430.	Shri Suraj Bhan	456.	Shri Raj Mohinder Singh
431.	Shri Raghbir Singh	457.	Shri Harcharan Singh
432.	Shri Ram Sarup	458.	Shri Kanwal Kishore
433.	Shri Sher Singh	459.	Shri Shispal Singh
434.	Shri Dalip Singh	460.	Shri Daljit Singh
435.	Shri Munshi Ram	461.	Shri Ranjit Singh

Summary of the farmers district-wise who attended the said conference.

Serial No.	Name of the District	Number of Progressive Farmers
1.	Ferozepur ..	24
2.	Sangrur ..	34
3.	Ludhiana ..	30
4.	Ambala ..	38
5.	Amritsar ..	23
6.	Karnal ..	30
7.	Gurdaspur ..	26
8.	Gurgaon ..	35
9.	Kapurthala ..	33
10.	Sirsa ..	20
11.	Hissar ..	17
12.	Jullundur	31
13.	Bhatinda ..	20
14.	Hoshiarpur ..	20
15.	Kangra ..	10
16.	Patiala ..	19
17.	Kulu ..	10
18.	Narnaul ..	23
19.	Rohtak ..	20

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN SANGRUR DISTRICT.

2194. Comrade Bhan Singh Bhaura: Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state :—

(a) the names of villages proposed to be electrified in Sangrur District during the currunt year ;

(b) the criteria adopted for electrification of a village ?

Chaudhri Rizaq Ram: (a) The programme for electrification of fresh villages during 1965-66 has not yet been prepared due to paucity of funds.

(b) The matter is under consideration.

GRANT OF PENSION ETC. TO SHRI MAHISHAR NATH KAK, RETIRED BASKET MAKING MASTER.

2196. Pandit Mohan Lal Datta: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that one Shri Mahishar Nath Kak, Basket Making Master in the Industries Department retired from service in 1961 and that inspite of repeated representations by him, he has not been paid any pension, gratuity arrears of pay and T. A.

(b) the reasons for such an inordinate delay, the stage at which the matter is at present and the time within which the case of his pension is expected to be decided and other dues are likely to be paid to him ?

Shri Ram Kishan: (a) Yes

(b) His pension case is linked up with his pay fixation case which is under correspondence with the Audit Office. His pension case will be decided immediately after finalisation of his pay fixation case.

DEMAND BY DETENUS FOR INCREASED DIET AND TOILET ALLOWANCE.

2197. Comrade Hardit Singh Bhathal: Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the year when rules fixing the diet and toilet allowances for detenus/prisoners were framed ;

(b) whether any detenus have demanded an increase in the present rates of the said allowances in view of the rise in prices, if so, the steps proposed to be taken by the Government in this connection ?

Shri Ram Kishan: (a) The rules fixing the diet and toilet allowance of detenus were framed in the year 1950 ;

The rules for the classification of prisoners are embodied in paragraph 576-A, B, C, D and E of the Punjab Jail Manual.

(b) The Communist detenus detained in Sub-Jail, Gurgaon and District Jail, Rohtak, had demanded an increase in these allowances on the last visit of the Inspector General of Prisons, Punjab to those jails on 3rd February, 1965. Their request is under consideration of Government.

REPRESENTATION FROM COMMUNIST DETENUS FOR BETTER CLASS FACILITIES IN JAILS

2198. Comrade Hardit Singh Bhathal: Will the Chief Minister be pleased to state whether any Communist detenus in the State have filed affidavits as to their being political sufferers for purpose of better classification in the jails, if so, the number of those from among them who have been classified as 'B' class detenus on this ground and of those who have not been given better class facilities separately?

Shri Ram Kishan :—(a) Yes. Eleven Communist detenus have filed affidavits of their being political sufferers and all of them have been classified as 'B' class detenus provisionally.

CLASS GIVEN TO CERTAIN DETENUS IN JAILS

2199. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Chief Minister be pleased to state the class in which each of the following detenus have been kept in the Jails at present —

(1) Com. Ghuman Singh of district Sangrur;

(2) Gajjan Singh Tandia of district Bhatinda;

(3) Ram Singh Harinau of district Bhatinda;

(4) Ishar Singh Sodhi of district Ambala; and

(5) Gurbux Singh Dakota of district Ambala; and

(6) Daya Singh Prem of district Ferozepur.

Shri Ram Kishan :—All these detenus have been placed as 'B class detenus in Jails.

DECLARATION OF CERTAIN ROADS AS NATIONAL HIGHWAYS

2200. Shri Fakiria :—Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to take steps to declare the Patiala-Hansi, the Patiala-Hissar (via Tohana) and the Jind-Rohtak Roads, which serve backward areas as National Highways?

Chaudhri Rizaq Ram : Patiala-Tohana-Hissar and Jind-Rohtak Roads have since been recommended by the State Government to the Government of India in the Ministry of Transport and Communications for being upgraded to National Highways. Hansi is already located on a National Highway. The latest information is that the above 2 Roads will not be upgraded to National Highways on account of paucity of funds with the Ministry of Transport.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN TEHSIL NARVANA DISTRICT SANGRUR

2201. Shri Fakiria : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state :—

(a) Whether he is aware of the fact that out of 144 villages in Tehsil Narwana district Sangrur, only 8 villages between Jind and Narwana have been provided with electricity;

(b) Whether he is also aware of the fact that if electricity is provided on four lines, i. e. from Narwana to Danaudha Kalan, Narwana to Kalayat, Narwana to Khanauri and Narwana to Dhamtan Sahib towards Kalwas, the whole of the said area can be electrified , if so, the steps, if any taken in this behalf;

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) The position ragarding electrification is as under :—

(*1*) *Narwana to Dhanaudha Kalan.*

Sub-Project Estimate for electrification of 15 villages including villages Dhanaudha Kalan, Dabhlian and Kanha Khera in Tehsil Narwana is under sanction.

(*2*) *Narwana to Kalyat*

Sub-Project Estimate for electrification of 16 villages including Kalyal Bata and SRA In Tehsil Narwana is under sanction.

(*3*) *Narwana to Khanauri*

Sub-Project Estimate for electrification of 14 villages including Nopewala, Koal, Pakhi Kanhouri and SRA in Tehsil Narwana is under sanction.

3(b) Sub-Project Estimates for electrification of 15 villages including Pipatheh Addana and SRA in West of Pakhi Kanhauri in Tehsil Narwana is under sanction.

(*4*) *Narwana to Dhamta Sahib Towards Kalwas*

The Sub-Project Estimate for electrification of 13 villages including, Ujhana, Balrekh and SRA in Tehsil Narwana is under sanction.

Villages viz. Dhokal, Matha, Bhadran, Shiwala, Kabit were included in the tentative programme of Electrification for 1964-65 but the work for Electrification of villages has been suspended due to paucity of funds.

LAND WITH REHABILITATION DEPARTMENT IN SHE STATE

2203. Shri Fakiria : Will the Minister for Revenue please state the total area of land with the Rehabilitation Department in State together with the area out of it which is lying unallotted so far?

Sardar Harinder Singh Major : At the time of partition Muslim migrants abandoned an area of 24,48,830 SA of rural evacuee land.

On the 1st of February, 1965, the following was available for disposal:

Cultivated.	39,777.	SA.
Banjar.	53,758.	OA.
Ghair Mumkin	90,886.	OA.

PROMOTIONS OF HEAD CONSTABLES (EXECUTIVE ASSISTANT CLERKS) AS A.S.Is IN DIFFERENT RANGES

2204. Chaudhri Ram Rattan : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) Whether it is a fact that all the HCs (Executive Assistant Clerks) in the Police Offices of the Ambala Range have been promoted as A,S.Is against the vacancies which occurred in the Ambala Range;

(b) whether the H.Cs (Executive Assistant, Clerks) in Police Offices of the Jullundur and Border Ranges have also been promoted as A.S.Is against the vacancies that occurred in the said Ranges, if not, the reasons therefor;

(c) the total number of officiating H.Cs (Executive Clerks) in the Jullundur and Border Ranges who are drawing Rs 30 as Special pay:

(d) the date since when each of the H.Cs referred to in part (c) above have been officiating as such;

(e) whether the said officiating H.Cs were confirmed or placed on probation on due dates in accordance with the instructions contained in the Inspector-General of Police, Punjab's Memo No. 12614-74/B, dated 22nd May, 1964, if not, the reasons therefor?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes;

(b) Yes;

(c) 29;

(d) The requisite information is given in the following list.

(e) The case of confirmation of officiating Head Constables (Executive Clerks) of Jullundur and Border Ranges is under consideration of the Deputy Inspector General of Police, Border Range and will be finalised soon. The instructions issued in May, 1964 will be kept in view while dealing with this case.

List of officiating Head Constables (Executive Clerks). of Border and Jullundur Ranges drawing Rs. 30 p. m. as special pay.

Sr. No.	Name and No.		District/Unit of posting	Date since officiating as Head Constable
1.	Kartar Singh 518	..	Amritsar	21-1-1950
2.	Ari Jang 107	..	Do	8-12-1953
3.	Ram Parkash 162	..	Do	10-3-1957
4.	Tilak Raj 1206	..	Do	13-1-1961
5.	Sukhdev Rai 835	...	Do	29-3-1961
6.	Ram Lal 343	..	Do	13-1-1961
7.	Ashwani Kumar 1077	..	Do	6-10-1961
8.	Mulkh Raj 708	..	Ferozepore	8-12-1963
9.	Om Parkash 209	..	Do	12-12-1953
10.	Girdhari Lal 95	..	Do	1-2-1957
11.	Tilak Raj 457	..	Do	14-4-1960
12.	Rattan Lal 1797	..	Do	13-10-1961
13.	Shanti Lal 475	..	Do	14-10-1961
14.	Darshan Singh 681	..	Gurdaspur	20-1-1954
15.	Hardev Lal 582	..	Do	10-5-1956
16.	Sri Ram 406	..	Do	13-6-1957
17.	Gurdev Singh	..	Kangra	11-3-1951
18.	Om Parkash 2	..	Do	1-1-1951
19.	Murari Lal 115	..	Hoshiarpur	17-6-1954
20.	Shiv Singh 348	..	Do	6-4-1956
21.	Sri Ram	..	Ludhiana	6-1-1959
22.	Krishan Lal	..	Do	11-3-1961
23.	Krishan Dev	..	Kapurthala	8-9-1964
24.	Jagdish Chander 71/R	..	Wireless Section	16-3-1963
25.	Mulkh Raj 1/R	..	Wireless Section	16-6-1964
26.	Amar Singh 757	..	R. T. C. Jahan Khelan	21-12-1950
27.	Bahari Lal 33	..	P. T. S. Phillaur	15-8-1959
28.	Puran Chand	..	P. T. S. Phillaur	3-8-1959
29.	Dev Raj	..	Kulu	8-8-1957

TRANSFERS OF MASTERS/MISTRESSES BY CIRCLE EDUCATION OFFICER JULLUNDUR

2206. Shri Surinder Nath Gautam : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) the number of Masters/Mistresses transferred by the Circle Education Officer, Jullundur on longer stay basis at A and B Class stations to district Kangra and Hilly areas of Gurdaspur and Hoshiarpur districts;

(b) whether the total stay of the said masters/mistresses during their service of the Education Department at A and B, class stations has been taken into account while making the said transfers or stay at one A or B class station only has been taken into account;

(c) the period of stay at A or B class station after which Masters have been transferred to district Kangra and the Hilly areas of Gurdaspur and Hoshiarpur district;

(d) whether there are any Masters who have served for more than 8 years at A and B class stations and are still posted in B class stations and in whose case there has been no move to transfer them, if so, the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra : (a) 18

(b) Yes; the total stay at A and B class stations has been taken into account.

(c) More than five years.

(d) Yes. They have not been transferred for the following reasons:—

(i) On extreme compassionate grounds-medical and domestic.

(ii) Some of them are the blood relations of the defence personnel.

(iii) There were a few couple cases also.

NON-IMPLEMENTATION OF AWARDS/SETTLEMENTS IN PATIALA DISTRICT

2208. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state :—

(a) the details of the awards and settlements, which still remain unimplemented in Patiala District alongwith the date on which each such award was given or settlement made and the action taken by the Labour Department and the Collector Patiala in this connection;

(b) whether the recovery proceedings have been stayed by the Labour Commissioner, Punjab, in any cases in the said district; if so, the reasons therefore ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The requisite information in respect of unimplemented agreements/awards of Patiala District is furnished in the following statement.

(b) No recovery proceedings in respect of any case have been stayed by the Labour Commissioner, Punjab.

Statement showing Non-Implemented awards/Settlements in Patiala District Upto 31-12-1964

Serial No.	Name of the Concern	Date of Award/ Settlement	Terms of agreement/ Award	Action taken by Labour Department	Action taken by Collector, Patiala	REMARKS
1.	Calcutta Bus Service, Gobindgarh	Award Dated 16-12-1961 Computation order dated 31st July, 1962	Payment of an amount of Rs 2,000 ..	The recovery certificate was issued on 30th January, 1963 and sent to the Collector, Patiala for effecting recovery	The matter is still pending with Collector	The Labour Officer of this Department stationed at Patiala has reported that the Income Tax Department has got all the buses of the Company attached for realising the arrears of Income Tax which has retarded the recovery pertaining to the worker concerned. Efforts are being made to get the surplus amount available after adjustment of recovery of Income Tax Department realised against the recovery certificate issued by the Labour Department
2.	Hira Bus Service, Amloh ..	Agreement under Section 18 (1) Dated 27th March, 1962	Payment of dues of workers amounting to Rs 6,480 ..	The recovery certificate was issued on 4th April, 1963 to the Collector, Patiala and the same is still pending with him. Besides a prosecution under section 29 of Industrial Disputes Act was also launched and the same is yet to be decided by the Court	Ditto	The agreement was under Section 18 (1) i.e. between 4 Employers and 6 workers Since the transport company was disintegrated by the partners, the Revenue Authorities have not been able to realise the amount so far.

[Public Works and Welfare Minister]

Serial No.	Name of the Concern	Date of Award Settlement	Terms of aggreement/ Award	Action taken by Labour Department	Action taken by Collector Patiala	REMARKS
3.	Samana Roadways, Patiala ..	Award dated 29th February, 1960. Amount got computed on 10th July, 1964	Payment of bonus to 3 workmen ..	The management have informed that payment of bonus as computed by the Labour Court has since been made to two workers. The third worker has not come forward to get the payment as he had taken some advance from the management which they wanted to adjust	..	The union was advised to ask the remaining worker to get his account settled. No final confirmation has yet been received
4.	R.S.Sewing Machine Works, Bassi Pathanan	Payment Award dated 30th December, 1963	Payment of compensation amounting to Rs 1,500 to Shri Tek Chand	The management have filed an appeal in the High Court which is still pending	..	A sum of Rs 1,500 has been deposited by the management with the Labour Department as per direction of High Court. The workman had been asked to receive the amount after furnishing proper surety, but he has not done so far.
5.	Green Bus Service, Patiala ..	Settlement Under Section 12 (3), Dated 31st December, 1964	Payment of bonus to three workers ..	Labour Inspector's confirmation report regarding payment to workers has been called for.	..	No complaint has been received

ROADMASTER WORKERS UNION, RAJPURA

2209 **Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the date when the Roadmaster Workers Union, Rajpura made an application for registration and the date when it was registered?

Chaudhri Rizaq Ram : Roadmaster Workers Union, Rajpura made an application for registration of the Union under the Indian Trade Union Act on 1st May, 1963. It was registered by the Registrar Trade Union Punjab on 17th May, 1963.

APPLICABILITY OF THE PROVISIONS OF THE MINIMUM WAGES ACT, 1948, TO CERTAIN INDUSTRIES

2211. **Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) whether the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, apply to the Hotels, Bars, Restaurants, Brick-Kilns, and Iron and Steel re-rolling Industries in the state;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the steps taken to fix the Minimum Rates of wages in these industries?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes, except Bars not included in Hotels/ Restaurants and Brick-Kiln Industries.

(b) Advisory Committees are being constituted to advise regarding revision/fixation of minimum rates of wages in the employments of Hotels and Restaurants; ferrous Metal rolling and re-rolling Industry.

FACTORIES AT BAHADURGARH (PATIALA)

2212. **Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the labour Inspector, Patiala and the Labour Officer, Patiala, detected in 1964 that certain factories at Bahadurgarh (Patiala) were working on weekly off-days also ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the action taken against each such factory on each occasion ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) Thirteen workers were found working in M/s Escorts Ltd., Bahadurgarh, by the Labour Officer, Patiala, on 26th July, 1964. The management were advised not to take work from their workers on Sunday without the prior permission of the Chief Inspector of Factories, Punjab, failing which legal action would be taken against them under the Penal section of the Factories Act, 1948.

COMPLAINTS RECEIVED BY THE INSPECTOR OF FACTORIES, PATIALA

2213. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the total number of complaints received from the various unions in Patiala District by the Inspector of Factories, Patiala, during 1964, and the action, if any, taken on each such complaint ?

Chaudhri Rizaq Ram : A statement giving the details of the complaints received from the various Unions in Patiala District by the Factory Inspector, Patiala, during 1964 and the action taken on each such complaint is as follows.

STATEMENT

S. No.	Date of complaint	Name of the Complainant	Body of the Complaint	Action taken
1.	16-2-1964	Shri Tejinder Singh General Secretary, Labour Union, Gobindgarh	Complaint against M/s. Pohlo Ram -Hans Raj, Iron and Steel Rolling Mills, Bassi Pathana, regarding issuing Oil and Soap to Workers, Overtime working, issue of leave books and cleanliness of the factory.	The matter was enquired into by the Factory Inspector, Patiala and necessary reply was sent to the complainant by the Chief Inspector of Factories, Punjab, *vide* letter No. 16415 dated 21st May, 1964.
2.	17-2-1964	Ditto	The complaint against M/s Ramji Dass Harbans Lal Sewing Machine, Bassi Pathana, regarding violation of provisions of the Factories Act, roofing of the latrine, arrangement of drinking and washing water and flooring of the armed shop.	The Factory was inspected by the Factory Inspector, Patiala, on 9th March, 1964 and instructions were issued to him for taking action against the management by the Chief Inspector of Factories in accordance with the policy of the department. The Factory was again Inspected by Factory Inspector, Patiala on 11th November, 1964 and Additional Inspector of Factories, Gobindgarh on 2nd December, 1964 and none of the violation pointed out by the complainant were observed by them.

S. No.	Date of Complaint	Name of the Complainant	Body of the Complaint	Action taken
3.	16-2-1964	Shri Tejinder Singh General Secretary Labour Union Gobindgarh.	The complaint was against M/s Patiala Flour Mills, Co. (P) Ltd., Patiala, regarding violation of provisions of Factories Act, weekly rest, overtime working and overtime was not paid at the rate of double the wages.	The matter was enquired in to by the Factory Inspector Patiala and he reported that since the factory alongwith other factories engaged in grinding of wheat of Civil Supply Department, Punjab have been exempted from sections 31, 52, 54 and 56 *vide* Punjab Government Labour Department Notification No. 169-IV-Lab-II-64/467, dated 4th January, 1964. No action could be taken against the management.
4.	16-2-1964	Ditto	The complaint was against taking overtime work from the workers by M/s Goetze India, Ltd., Bahadurgarh.	The Factory Inspector, Patiala conducted an enquiry and could not find the Factory working on weekly holidays or for overtime working.
5.	5-3-1964	Shri Sunehari Lal Secretary P.R.T.C. Union, Patiala	The compaint was against the Pepsu Road Transport Corporation Patiala, regarding provisions of latrine, Urinals, rooms and spittoons, etc.	The Factory Inspector, Patiala inspected the factory on 8th April, 1964 and necessary action in the matter had been taken by the Chief Inspector of Factories, Punjab, in accordance with the policy of the department. A number of defects noted by the Factory Inspector, Patiala at the time of Inspection has been rectified by the management. As regards the remaining defects the matter is under correspondence with the management.

[Public Works and Welfare Minister]

S. No.	Date of Complaint	Name of the Complainant	Body of the Complaint	Action taken
6.	21-6-1964	Shri Tejinder Singh General Secretary, Engineering Workers Union, Patiala	The complaint was against M/s Bee Gee Potteries and Bee Gee Motors Ltd., Patiala, regarding allowing leave to retrenched workers, etc. etc.	The complaint was enquired into by the Factory Inspector, Patiala and as there is no provisions under Factories Act to allow any leave to the retrenched workers and the same was filed by him.
7.	24-6-1964	Ditto	The complaint was regarding coverage of Chemical Industries under the Factories Act, 1948, at Patiala.	The Factory Inspectors Patiala visited the establishment, but less than 10 workers were employed in the factory. Hence no action could be taken under the Factories Act, 1948.
8.	28-8-1964	Ditto	The complaint was against M/s Escorts Ltd., Bahadurgarh, regarding defective system of electric wires i. e. of safety measures.	The Factory Inspector Patiala inspected the factory on 8th September, 1964 and advised the management to place the wire in a proper way.
9	24-9-1964	Shri Tejinder Singh General Secretary, Labour Union, Gobindgarh.	The complaint was regarding non-observance of safety measures by M/s Ganesh Iron and Steel Rolling Mills, Gobindgarh.	The Factory was inspected by Factory Inspector, Patiala, on 6th February, 1965 and the management was advised to provide plates near the Machines.
10.	6-12-1964	President B. T. C. workers Union, Patiala	The complaint was regarding marking attendance of the Tirlochan Singh worker.	The Factory Inspector Patiala enquired into the matter and found that a mutual settlement was arrived at between the parties and the worker had received the payment in full and final settlement and left the services of the Factory. The Union was informed accordingly *vide* his letter No. 2764 dated 10th December, 1964.
11.	25-5-1964	Shri Tejinder Singh General Secretary Trade Union Council, Patiala.	Regarding coverage of M/s Laxmi Welding Bahera Road, Patiala under Factories Act, 1948.	The Factory was visited by the Factory Inspector, Patiala and necessary action is being taken by the Chief Inspector of Factories, Punjab for its registration under the Factories Act, 1948.

FACTORIES REGISTERED IN PATIALA AND SANGRUR DISTRICTS

2214. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to lay on the Table a list of the factories registered in the Patiala and Sangrur Districts during the period from 1st March, 1964 to 31st December, 1964 alongwith the number of workers employed in each such factory ?

Chaudhri Rizaq Ram : A list is as follows.

LIST

S. No.	Name of the Factories	No. of workers
	PATIALA DISTRICT	
1.	M/s Nand Lal-Banarsi Das Rice and Flour Mill, Sirhind.	17
2.	M/s Krishana Oil and Flour Mills, Sirhind.	16
3.	Training-Cum-Production Centre, Kasturba Sewa Ashram, Rajpura.	33
4.	M/s Hindustan Steel Forging Industrial Area, Rajpura.	48
5.	M/s Raj Kumar Seth Interior Decorator, The Mall Patiala.	31
6.	Bharat Commerce and Industries Ltd., Rajpura.	70
7.	M and T workshop Punjab State Electricity Board, Patiala.	30
	SANGRUR DISTRICT	
1.	M/s Raj Kumar-Sujjan Kumar Cotton Ginning Factory Uchana.	15
2.	M/s Krishna Dal and Cotton Ginning Mill, Uchana.	70
3.	M/s Laxmi Oil and Cotton Factory, Dhuri.	7

FACTORIES DE-REGISTERED IN PATIALA AND SANGRUR DISTRICTS

2215. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for public works and welfare be pleased to state the names of the factories deregistered in the Patiala and Sangrur Districts during the period from 1st March, 1964 to 31st December, 1964 ?

Chaudhri Rizaq Ram : The following factories were deregistered in Patiala and Sangrur Districts during the period from 1st March, 1964 to 31st December, 1964 ?

S. No.	Name of the Factory	Name of the District
1.	M/s Amar Nath-Soni Ram, Patiala	Patiala
2.	M/s Jai Lal-Om Parkash Cotton Factory Safidon,	Sangrur
3.	M/s S. A. S. Cotton Factory, Sangrur	Sangrur
4.	M/s Bhana Ram-Kesho Ram Saw Mills, Dhuri.	Sangrur

WORKERS UNIONS REGISTERED/DEREGISTERED IN PATIALA DISTRICT

2216. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to lay on the Table a list of the workers, Unions registered and de-registered in Patiala Distiict during the year 1964-65 (to-date) ?

Chaudhri Rizaq Ram : A statement containing the requisite information is as follows.

STATEMENT

Unions registered in Patiala District during 1964-65

1. Cluba Karmchari Union, Patiala.
2. Bhupindra State Press Workers Union, Patiala.

Unions deregistered in Patiala District during 1964-65

1. Punjab State Electricity Board Assistant Engineers, Union, Patiala.
2. Shops Trade Employees Union Patiala.
3. Motor Drivers and Transport Workers Union Patiala.
4. Truck Operators Union Mandi Gobindgarh.

COMPLAINTS AGAINST CERTAIN HOTELS IN PATIALA

2217. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether the Labour Department received a number of complaints against certain hotels in Patiala in the year 1962 and 1963;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the action taken in the matter and the fine realised from each such establishment ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes.

(b) Detailed statement as per Annexures 'A' 'B' 'C' are as follows.

ANNEXURE A'

Details of Hotels against which the complaints of non-Payment of wages were received and the action taken by the Department on each case.

1962

Sr. No	Name of the Hotel	Action taken	REMARKS
1.	Novelty Hotel, Patiala	Got settled by the Inspector	A sum of Rs. 10.84 got paid to the Employee.
2.	Green Hotel, Patiala.	Ditto.	A sum of Rs. 50/- got paid to the Employee.
3.	Regal Hotel, Patiala.	Ditto	Amicably settled.
4.	Dara Singh Hotal, Patiala.	Ditto	A sum of Rs. 12·50 got paid to the employee.
5.	Jiwan Lal Hotel, Patiala.	Ditto	Rs. 15·00
6.	Amrit Hotel, Patiala.	Ditto	Rs. 15·00

S. No.	Name of the Complaint	Body of the Complaint	Action taken
1963.			
1.	Sital Hotel, Patiala.	Got Settled by the Inspector	A sum of Rs. 30 got paid to the employee
2.	Glexy Hotel, Patiala.	Ditto	Do Rs. 30·00
3.	Kirpal Singh Hotel Patiala.	Ditto	Do Rs. 10·00
4.	Inder Singh Hotel Patiala.	Ditto	Do Rs. 19·00

'ANNEXURE' 'B'

	Name of the complaintant	Name of persons against whom the complaint was made	Date of receipt of the complaint	Subject of the complaint	Action taken
1.	General Secy. Hotel workers Union, Patiala	M/s Green Hotel and Restaurant, Patiala.	21-9-1963	Violation of Labour laws by the management.	Several raids were made by the officers of Lab. Deptt. at Patiala and prosecutions launched have been shown in Annexure 'C'
2.	Ditto	Ditto	21-11-63	Violation of Provisions of Shops Act.	
3.	Ditto	M/s Standard Hotel Patiala.	3-12-62	Ditto	
4.	Ditto	Ditto	14-2-1963	Ditto	
5.	Ditto	M/s Green Hotel, Patiala.	20-3-63	Ditto	
6.	Ditto	Ditto	27-5-63	Ditto	

ANNEXURE 'C'

1962

Serial No.	Name of Hotel	Nature of Violations	Date	Fine imposed
				Rs
1.	Vaishnu Hotel, Bus Stand, Patiala	20 (2), 20 (1), 13 (2) (1) and rules 6 (2)	14-11-1962	10
2.	Regal Hotel, Bus Stand Patiala	20 (1), 20 (2), 8 (2), 20 (4)	14-11-1962	25
3.	Dasaunda Singh Hotel, Patiala	20 (1), 20 (2), 13 (2) (ii)	23-8-1962	15
4.	Durga Dass Hotel, Patiala ..	13 (1), 20 (1) ..	23-8-1962	30
5.	Amir Chand, Bus Stand, Patiala	13 (1), 20 (2) ..	27-8-1962	5
6.	Ahuja Hotel, Patiala ..	20 (6), 8 (2), 20 (2), 16 (2)	27-8-1962	35
7.	Frontier Hotel, Patiala ..	20 (2), 8 (2), 20 (6), 20 (1) ..	27-8-1962	30
8.	Punjabi Khana Bus Stand, Patiala	8 (2), 13 (1), 20 (1), 20 (2)	27-8-1962	20
9.	Prince Hotel, Patiala ..	20 (1), 20 (2) ..	27-8-1962	15

[Public Works and Welfare Minister]

Serial No.	Name of the Hotel	Nature of Violations		Fine imposed
				Rs
10.	Pritam Hotel, Patiala ..	20 (1), 8 (2), 15 (1), 20 (1)	27-8-1962	20
11.	Khalsa Hotel, Patiala ..	8 (2), 20 (4), 20 (1), 13 (1)	27-8-1962	20
12.	Dalhousie Hotel, Patiala ..	13 (1), 20 (1)	27-8-1962	15
13.	Gopi Ram Hotel, Bus Stand, Patiala	Ditto	27-8-1962	15
14.	Standard Hotel, Patiala ..	8 (2), 20 (6), 20 (2)	30-8-1962	150
15.	Ajaib Hotel, Model Town, Patiala	13 (1), 20 (1), 21 (1) and 29	14-9-1962	35
16.	Naya Hotel, Patiala ..	20 (6), 6 (2) ..	14-9-1962	30
17.	Green Hotel, Patiala ..	11 (b), 20 (6) ..	14-9-1962	acquitted
18.	Ditto	20 (2), 20 (4), 20 (1), 12 (a)	14-9-1962	Do
19.	Vaishnu Hotel, Patiala	13 (1), 20 (2) ..	16-11-1962	5
		Total		..Rs .475

ANNEXURE 'C'

(1963)

Serial No.	Name of the Hotel	Nature of Violations	Date	Fine imposed
				Rs.
1.	Vaishnu Dhaba, Sirhandi, Bazar, Patiala	20 (6)	22-8-1963	25
2.	Vaishnu Bhojan di Sasti Hatti, Patiala	20 (2), 13 (2) (i) and 20 (6)	26-8-1963	15
3.	Standard Hotel, Patiala ..	20 (6) ..	15-9-1963	50
4.	Sindi Hotal, Lahori Gate, Patiala	20 (2)	8-3-1963	10
5.	Prem Hotel, Anardana Chawk, Patiala	13 (2) and rule 6 (2)	20-9-1963	15
6.	Prince Hotel, Bus Stand, Patiala	20 (1), 20 (2), 20 (4), 13 (2) (1) rule 6 (2)	18-10-1963	20
7.	Vaishnu Bhojan di Sasti Dukan, Patiala	20 (1) (2) (6) and 13 (1) (2)	18-10-1963	40
8.	Standard Hotel, Patiala	20 (1), 20 (6), 12 (a)	18-10-1963	40
9.	Shish Mahal Hotel, Patiala	20 (1), (6) 13 (2) (1)	21-11-1963	Pending in the court
10.	Vaishnu Bhojan di Sasti Hatti, Patiala	8 (1)	21-11-1963	Dropped
11.	Green Hotel, Patiala ..	20 (1), 2 (a), 20 (b), 12 (a) Rule 6 (2)	30-11-1963	Pending in the court

Serial No.	Name of the Hotel	Nature of Violations		Fine imposed
12.	Sheetal Hotel, Lahori Gate, Patiala	21 (1), 13 (1), 20 (1)	Filed by the court on 21-8-1963 as the accused was not traceable	
13.	Manohar Vaishnu Hotel, Patiala	21 (1), 20 (1)	6 -1-1963	30
14.	Sindhi Hotel, Patiala ..	21 (1), 13 (2) (1), 20 (1)	6-1-1963	30
15.	Tiwari Vaishnu Hotel, Patiala	21(1), 13 (2) (1), 20 (1)	6-1-1963	30
16.	Sharma Vaishnu Hotel, Patiala	13 (1), 20 (1)	6-1-1963	15
17.	Udo Ram Hotel, Patiala ..	13 (1), 20 (1), 21 (1)	9-2-1963	30
18.	Garib Dass Hotel, Patiala	Ditto	9-2-1963	30
19.	Janta Hotel, Patiala ..	8 (2), 13 (2) (1), 20 (1)	9-2-1963	10
20.	Shri Ram Hotel, Mall Road, Patiala	13 (1), 20 (1)	14-2-1963	5
21.	Gopi Ram Hotel, Patiala ..	20 (6), 13 (1) and 20 (1)	14-2-1963	30
22.	Ratan Hotel, Patiala ..	13 (1), 20 (1), 20 (2)	14-2-1963	10
23.	Duggal Hotel, Patiala ..	8 (2), 13 (1), 20 (1) ..	14-2-1963	10
24.	Frontier Hotel, Patiala ..	13 (1), 20 (1), 20 (2), 20 (4)	14-2-1963	30
25.	Jiwan Dass Hotel, Patiala ..	20 (2)	18-2-1963	10
26.	Meem Chand Hotel, Patiala	8 (2), 20 (2)	18-2-1963	15
27.	Janta Hotel, Patiala ..	20 (6) ...	21-2-1963	25
28.	Partap Hotel, Patiala ..	20 (2), 20 (4) ...	18-4-1963	10
29.	Grand Hotel, Patiala	20 (6) ...	18-4-1963	25
30.	Green Hotel, Patiala ..	21 (1), 13 (2), 13 (1), 20 (1)	13-6-1963	under trial
31.	Prince Hotel, Patiala ..	21 (1), 13 (1), 20 (1)	2-7-1963	40
32.	Duggal Hotel, Patiala ..	Ditto	2-7-1963	130
33.	Vaishnu Bhojan, Patiala ..	13 (2), 13 (1), 20 (1), 20 (2), 20 (4)	9-7-1963	20
34.	Ashoka Hotel, Patiala ..	8 (2), 11 (b), 13 (1), 13 (2) and 20 (1)	11-8-1963	15
35.	Surinder Singh Hotel, Patiala	13 (1), 20 (1) (6)	19-11-1963	30
36.	Green Hotel, Patiala ..	13 (1), 13 (2), 20 (1), 21 (1)	6-12-1963	30
		Total	..	Rs 875

EMPLOYEES STATE INSURANCE SCHEME AT PATIALA AND AT GOBINDGARH

2218. **Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the total contribution received from the employees, and the employers, separately, under the employees' State Insurance Scheme at Patiala, and Gobindgarh and the total amount spent on each of these centres, during the year 1964-65 ?

Chaudhri Rizaq Ram : Total contribution received from the employees and employers from 1st April, 1964 to 31st January, 1965 is as under :—

Employees Contribution

Patiala	*Gobindgarh*
Rs. 29,304.64P	Rs. 38,677.20P

Employers' Special Contribution

Patiala	*Gobindgarh*
Rs. 17,639.04	Rs. 25,424.95

The amount spent on Cash benefits cannot be given as the Employees' State Insurance Corporaton maintains State wide figures and not of any particular centre. The expenditure from 1st April, 1964 to 31st January, 1965 on Medical Benefits with which the State Government is concerned, is as under :—

Patiala	*Gobindgarh*
Rs. 38,400.00	Rs. 64,000.00

COST OF LIVING INDEX

2219 **Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to lay on the table of the House a statement of the Cost of Living Index for the last twelve months alongwith the base year ?

Sardar Kapoor Singh : A statement is as follows.

Statement showing the Cost of Living Index Numbers for Working Class for 11 Industrial Towns in the Punjab compiled by the Economic and Statistical Organisation, from January, 1964 to December, 1964

S. No.	Centre	Base	January, 1964	February, 196	March, 1964	April, 1964	May, 1964	June, 1964	July, 1964	August, 1964	September, 1964	October, 1964	November, 1964	December, 1964
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Bhiwani ..	1950-51=100	145	150	149	151	144	143	149	149	150	153	156	163
2.	Rewari ..	Ditto	140	143	145	146	145	146	149	153	160	160	159	165
3.	Panipat ..	Ditto	136	141	141	143	140	138	139	140	144	148	148	153
4.	AmbalaCantt ..	Ditto	132	134	137	140	137	139	145	147	153	156	153	156
5.	Palampur ..	Ditto	146	151	151	151	151	150	149	154	156	160	160	158
6.	Nangal Town-Ship	Ditto	136	139	143	146	138	138	142	145	151	153	151	154
7,	Jullundur City ..	Ditto	135	139	144	139	136	136	137	141	145	150	147	157
8.	Dhariwal ..	Ditto	135	139	140	144	135	138	140	144	150	154	158	159
9.	Patiala ..	1952-53=100	151	159	159	156	153	156	158	158	160	166	165	174
10.	Surajpur ..	1955-56=100	147	148	150	148	146	150	153	157	157	164	163	166
11.	Phagwara ..	Ditto	148	152	155	151	148	147	150	157	162	165	167	173

Statement showing the Cost of Living Index Numbers for Working Class for three towns in the Punjab, compiled by the Labour Bureau, Government of India (From January, 1964 to December, 1964)

S. No.	Centre	Base	January, 1964	February, 1964	March, 1964	April, 1964	May, 1964	June, 1964	July, 1964	August, 1964	September, 1964	October, 1964	November, 1964	December, 1964
1.	Ludhiana ..	1949=100	124	127	127	126	123	126	126	126	130	134	N.A.	N.A.
2.	Yamunagar ..	1960=100	115	115	117	118	N.A.	119	122	123	129	N.A.	N.A.	N.A.
3.	Amritsar ..	1960=100	119	122	121	122	122	123	121	125	127	N.A.	N.A.	N.A.

COMMITTEE ON INDUSTRIAL HOUSING SCHEME

2220. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the names of the workers and the employers' representatives, separately, on the Committees constituted under the Industrial Housing Scheme in Patiala District?

Chaudhri Rizaq Ram : Under the Subsidised Industrial Housing Scheme, financial assistance for the construction of houses for industrial workers in Patiala District has so far been given only to industrial Cables (India) Ltd., Rajpura. The names of the representatives of workers and employers who are members of the House Allotment Committee constituted under the Subsidised Industrial Housing Scheme are as under:—

Employers Representatives

1. Shri O. P. Arora, Accounts Officer.
2. Shri R. L. Sabharwal, Personal Officer.

Workers Representatives

1. Shri Udai Bir Singh.
2. Shri Chaman Lal Gaire.

STRICTURES PASSED BY COURTS AGAINST THE POLICE OFFICERS IN AMRITSAR DISTRICT

***2221. Comrade Makhan Singh Tarsikka** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any strictures were passed by the Magistrate and Sessions Judge, Amritsar against the conduct of certain Police Officers during the years 1962-63, 1963-64 and 1964-65, to-date; if so, the details of these cases alongwith the summaries of the remarks made against them ;

(b) the details of the action, if any, taken against the said Police Officers on the basis of the said strictures ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. The requisite information is given in the following Statement.

(b) As under column 5 of the statement referred to at (a) above.

Sl. No.	Name of the Police Official against whom strictures were passed by the court	Name of the court and particulars of the case	Summary of strictures	Action taken against the Police Officials
1.	Officiating A.S.I. Darshan Singh No. 293/Amritsar	Shri B. R. Kakkar, M.I.C. Tarn Taran in case FIR No. 168/60 u/s 411 IPC and 19/11/78 Arms Act, P.S. Bhikhiwind.	The A. S. I. had given wrong description of the house from whom the revolver was recovered from the accused. The trial Magistrate observed that the accused was falsely implicated in the case.	The A. S. I. was dealt with departmentally by D.S.P./ Tarn Taran who exonerated him on the ground that the recovery of the incriminating articles had in fact been made by A. S. I. Sampuran Singh who headed the raid party of which A. S. I. Darshan Singh was only a member. The case was registered / investigated by A. S. I. Sampuran Singh and therefore the question of false implication by A. S. I. Darshan Singh did not arise. The latter had appeared as a P. W. as A. S. I. Sampuran Singh had been murdered before the commencement of the trial. Secondly the spoy was inspected by the court after a lapse of 17 months of the occurrence and the possibility of the change in the structure of the building could not be ruled out.
2.	Officiating A. S. I. Kartar Singh No. 397/FZR.	Additional Sessions Judge, Amritsar case F. I. R. No. 218/61 u/s 302/148/149/120 B, I.P.C., P.S. Beas	The trial judge observed that the prosecution story was not convincing and appeated to be improbable and the factum of recoveries of weapons of offence and blood stained clothes at the instance of the accused appeared to be sheer padding	The enquiry against the A. S. I. was conducted by Shri Sant Singh. M. I. C., Amritsar who exonerated the defaulter.

[Home and Development Minister]

S. No.	Name of the Police Official against whom strictures were passed by the court	Name of the court and particutars of the case	Summary of strictures	Action taken against the Police Officials
3.	Officiating A. S. I. Sajjan Singh No. 40/B.	Shri Sant Singh MIC, Amritsar in case F. I. R. No. 201 dated 11th August, 1962 u/s 9/1/78 Opium Act P. S. Jandiala.	The court while acquitting the accused observed that the police had not been able to account for the number of injuries on the person of the accused.	The departmental enquiry against the S. I. is pending with P. D. S. P. Amritsar
4.	Officiating S. I. Harcharan Singh, No. 167/B.	Additional Sessions Judge, Amritsar in case F. I. R. No. 23 dated 3rd March, 1962 u/s 380/457 I.P.C. P.S. Jhabai	The trial judge remarked in his judgement that the conduct of the investigating officer (S. I. Harcharan Singh) was extremely partial in the accused	S. D. M. Tarn Taran is conducting the enquiry against the S.I.
5.	A. S. I. Kidar Nath, No. 336/LDH.	Strictures were passed by the High Court in case F. I. R. No. 304/62 u/s 304 I.P.C. P.S. Sirhali	The High Court observed that the A. S. I. had not done his duty as an honest Police Officer and he deliberately tried to help the accused	D. S. P. City was conducting the departmental enquiry against the A. S. I. The A. S. I. has since retired and the enquity was dropped.
6.	Officiating A. S. I. Hazara Singh No. 997/FZR.	Shri Sant Singh, MIC, Amritsar in case F. I. R. No. 262/62 u/s 61/1/14 P.S. Beas	The A. S. I. is alleged to have planted a working still on one Amar Singh	The departmental enquiry was conducted by D. S. P./Lines Amritsar who exonerated the defaulter
7.	A. S. I. Hari Chand, No. 388/FZR.	Sessions Judge, Amritsar in case F.I.R. No. 86/62 u/s 302/364 I. P. C., P. S., Sr. Amritsar	The Sessions Judge, while acquitting the accused had passed adverse remarks against the A. S. I. for preparing the inquest report in a negligent manner	The Departmental enquiry against the A. S. I was conducted by D. S. P./ City. He was awarded a censure.
8.	A. S. I. Pritam Singh, No. 2/GSP.	Shri T. S. Ghumman, MIC, Amritsar in case State *versus* Jagjit Singh u/s 61/1/14 P.S. Sadar, Amritsar	The Magistrate observed in his judgement that the recovery of illicit liquor from the accused seemed to be suspicious. The prosecution evidence was diserepant regarding the description of the place of occurrence	D. S. P. /City conducted departmental enquiry against the A. S. I. and exonerated the A.S.I.

9.	S.I. Ram Kishan, No. 111/B	Additional Sessions Judge, Amritsar in case F. I. R. No. 185/62 u/s 61/1/14, P. S. 'B' Division	The Sessions Judge while accepting the appeal of the accused observed that the S. I. had not properly conducted the investigation of the case in so far as he made no effort to find out the real owner of the Bhang and only challaned the servant from whose possession Bhang had been recovered	The departmental enquiry against S. I. Ram Kishan was conducted by Inspector City. The S. I. was exonerated
10.	S. I. Harbans Lal (now Inspector), Amritsar	Punjab High Court in case F. I. R. No. 237/61 u/s 302/34, I. P. C., P. S. Sirhali	The High Court, while accepting the appeal of the accused remarked that there was delay in sending the special report promptly and the investigation was not straight forward	Magisterial enquiry against S. I. is in progress.
11.	S. I. Mann Singh, No. 28/GSP.	Shri Sant Singh, MIC, Amritsar in case F.I.R. No. 146, dated 8th July, 1963 u/s 9/1/78, Opium Act, P. S. 'A' Division	S. I. Mann Singh was alleged to have recovered 15 tolas of Opium from Mahain Singh, son of Hakam Singh, resident of village Sathiala P.S. Beas Shri Sant Singh while acquitting the accused observed that he was wrongfully detained by S. I. Mann Singh in the C.I.A. Staff and was given injured seed to save his own skin the S. I. concocted a false case against the accused.	S. I. Mann Singh was dealt with departmentally by D. S. P./City. The defaulter was exonerated
12.	A. S. I. Tara Singh, No. 104/ASR.	Shri Onkar Singh MIC, Amritsar in case F. I. R. No. 182 dated 30th June, 1963 u/s 25/54/59, Arms Act, P.S. Lopoke	A. S. I. Tara Singh was alleged to have recovered an unlicensed revolver with two cartridges from Geja Singh son of Bal Singh, resident of Kakkar. The magistrate acquitted the accused and remarked in the judgement that the accused was taken	A. S. I. Tara Singh was dealt with departmentally by D. S.P. Amritsar and was exonerated

[Home and Development Minister]

Sl. No.	Name of the Police Official against whom strictures were passed by the court	Name of the court and particulars of the case	Summary of Strictures	Action taken against the Police Officials
			to the P. S. from his house and was later implicated in this case.	
13.	Inspector Gurbachan Singh of C.I.A. Staff, Amritsar	Shri Onkar Singh, MIC, Amritsar in case F.I.R. No. 118, dated 25th May, 1963 u/s 25/54/59 Arms Act, P.S. Gharinda	Inspector Gurbachan Singh was alleged to have recovered a revolver at the instance of Balak Ram, son of Sukh Dyal resident of village Dands, P.S. Gharinda. The Magistrate while acquitting the accused observed that the prosecution has miserably failed to establish the charge against the accused and he has been victimised by the police because of enmity with him	Sanction of the District Magistrate being obtained under P.R. 16.38 (6)
14.	S. I. Inder Singh, formerly S.H.O., P.S. A Division, Amritsar	Shri S. K. Dhir MIC, Amritsar in case F.I.R. No. 85, dated 15th April, 1964 u/s 25/54/59, P.S. A. Division	S. I. Inder Singh was alleged to have recovered a country made pistol with two live catridges from Hari Singh, son of Taja Singh, resident of Bhagtanwala Gate, Amritsar. The Magistrate acquitted the accused and remarked in the Judgement that the proceedings were dishonest right from the start.	The case has been referred to the District Magistrate under P.R. 16. 38 (6)

CHARGE-SHEET GIVEN TO SHRI P. N. SAHNI FORMER DIRECTOR OF INDUSTRIES, PUNJAB

2222. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to lay on the Table of the House—

(a) a copy of the charge-sheet and the explanation of Shri P. N. Sahni, former Director of Industries in connection with the follow-up action on the Das Commission Report ;

(b) the full details of the allegations made against the said officer regarding (i) Oriental Spun Pipe Co; (ii) Air Rifles Factory; (iii) New India Spinning and Weaving Mills ; (iv) Napco Industries; (v) Sandhu Bus Service ; (vi) National Motors ; (vii) Milk Products Factory Projects case; (viii) Seamless Tubes Project; and (ix) Wool-Comber Society case?

Shri Ram Kishan : Shri P. N. Sahni was charge-sheeted in connection with the following cases:—

(1) New India Spinning & Weaving Mills.

(2) Surrendra Overseas (Orient Spun Pipes).

(3) Punjab Air Rifles Ltd.

He was asked to explain his position with regard to the followin cases:—

(1) National Motors.

(2) Sandhu Bus Service.

(3) Napco.

(4) Seamless Steel Tubes Project.

(5) All India Wool Combers Co-operative Society, Ludhiana.

(6) Milk Products Factory.

It is regretted that the contents of the charge-sheets/communications asking for explanation and Shri Sahni's replies cannot be divulged in the public interest.

EMPLOYEES OF THE CO-OPERATIVE DEPARTMENT

2224. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether Government has prepared a joint seniority list of the employees of the Co-operative Department including the Registrars, Inspectors, Sub-Inspectors, Auditors and, Clerical Staff, if so, a copy thereof be laid on the Table, if not, the reasons for the same ;

(b) whether Government has received representations from the employees of the said department regarding their rights and grievances during the period of the former Chief Minister, if so, the contents thereof be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh : (a) The list is to be finalised by the integration Department after decision on pending appeals. A copy of the list cannot as such be made available at this stage.

(b) Yes, Copies of the representations have, however, not been added because the benefit therefrom will not be commensurate with the labour and expense involved in preparing the same.

STRIKE BY DOCTORS ETC. IN GOVERNMENT HOSPITALS AND COLLEGES IN THE STATE

2225. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the circumstances which led the Medical Officers, Doctors, House Surgeons, Dispensers, etc. of the Government Hospitals and the Government Medical Colleges, Amritsar, Patiala and other places to go on a strike recently, with the details of memorandum received by the Government from them ;

(b) the details of the understanding, if any, arrived at between the authorities and the striking doctors be laid on the Table of the House ;

(c) the present pay-scales of the employees referred to in part (a) above, category-wise ;

(d) the dates when the pay-scales of the employees referred to in part (a) above were revised during the period from 1947 to date together with the details of revision on each occasion ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Only the House Surgeons/internees of the Medical Colleges of the State and their attached Hospitals went on strike in order to press their certain demands. A copy of application containing their demands is placed at Annexure 'A'.

(b) Verbal assurance to the effect that their demands would be looked into sympathetically was given by the Health Minister.

(c) & (d) The information in respect of striking personnel is given at Annexures 'B' and 'C', respectively.

ANNEXURE 'A'

Copy of application dated 20th November, 1964 from the House Surgeons and Internees, Rajindra Hospital, Patiala/Amritsar/Rohtak to the Director, Research and Medical Education, Punjab, Chandigarh.

We the House Surgeons and Internees (Junior Housemen) of Rajindra Hospital, Patiala/Amritsar/Rohtak have resolved that the following demands should meet your instant approval. They are:—

1. *Demands of House Surgeons.*—That the monthly salaries should be increased from the present scale, i. e., Rs 150 for the first six months of the House Job to Rs 250 per month and from Rs 175 for the latter six months to Rs 275 per month. This should come in force with effect from **1st January, 1964.**

2. We should be provided with free furnished accommodation including free electricity and water charges.
3. There must be an endeavour to provide free Mess service.
4. The duty hours have been very ambiguously set. We demand limitation of working hours and one day leave per week.

1. *Demands of Internees.*—The internship period should be paid in the scale of Rs 150 per month from 1st July, 1964 and attempts to force Service Bonds should be desisted.
2. The Internees of Rajindra Hospital, have hither to faced considerable difficulty in securing private lodgings. Free accommodation including electricity, water and Mess service must be provided.

A meeting of the above was convened on 19th of November, 1964 and the above Resolutions were unanimously passed.

It was further resolved that, if these demands were not met with in 48 hours of the passage of our Resolutions, i. e., uptil midnight Saturday, the 21st November, 1964, we the undersigned will go on an idefinite strike. We further resolve that the Emergency cases will receive our due attention for the first 48 hours of the strike and thereafter if our demands are not complied with we will be forced to stop attending even the emergency cases.

Copies to—

(1) The Health Minister, Punjab Government, Chandigarh.
(2) The Director of Medical Services, Punjab, Chandigarh, etc.

ANNEXURE 'B'

The House Surgeons during their first appointment as Junior Housemen against a tenure post of 6 months are paid Rs 150 per month each, and Rs 175 per month during their next appointment as Senior House Surgeons against a tenure post of 6 months.

ANNEXURE 'C'

The pay-scales of House Surgeons were revised from 24th November, 1953 and 1st January, 1963 and the details of revision on each occasion are as under:—

Period from	Junior House Surgeon/ Physician	Senior House Surgeon/ Physician	Additional House Surgeon
			Rs
Up to 23-11-1953 ..	Rs 50+25 (D.A.) Total Rs 75 per month	Rs 95/100+35 D.A. Total 130/135 per month	Nil
24-11-1953 to 31-12-1962	Rs 60+40 (D.A.) Total Rs 100 per month	Rs 95/100+40 D.A. Total 135/140 per month	Rs 50 fixed
1-1-1963 to date	Rs 150 per month (Consolidated)	Rs 175 per month (Consolidated)	Rs 150 fixed

COPYING BRANCH AT TEHSIL HEADQUARTERS SIRHIND, DISTRICT PATIALA

2226. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any urgent applications were presented to the Officer Incharge, Copying Branch at Tehsil Headquarters Sirhind, district Patiala for copies of certain mutations of village Bassi Pathana, tehsil Sirhind on 3rd February, 1964, if so, their list ;

[Sardar Kulbir Singh]

(b) the dates on which the Parcha Talbi (demand notices) were issued by the Copying Branch authorities for the supply of the mutations referred to in part (a) above ;

(c) the dates on which the records asked for were received in the said Copying Branch ;

(d) the dates on which the copies referred to in part (a) above were completed ;

(e) the dates on which the copies were delivered or sent by post to the applicants by the said Copying Branch;

(f) whether any blank registered envelopes for the despatch by post of the copies referred to in part (a) above, were received by the said Copying Branch on or about 22nd February, 1964 from any of the applicants referred to in part (a) above; if so, when and the manner in which they were used;

(g) whether any complaints against the Copying Branch authorities, Sirhind were received by the Deputy Commissioner Patiala under a registered cover (A. D.) on or about 6th February, 1965; if so, the nature of the complaints received and the action taken in the matter ?

Sardar Harinder Singh Major: (a) Yes. One Shri Sajjan Singh Margind Puri applied for copy of mutation No. 6131 of Bassi Pathanan, tahsil Sirhind.

(b) No Parcha talbi was issued as there is no separate agency for copying purposes. The Clerk concerned prepares copies.

(c) Question does not arise.

(d) & (e) The mutation in question is missing along with other mutations attached with one file. Search for the same is being made but the same is still not traceable. Copy of the mutation could not, therefore, be issued.

(f) Yes. The envelope is lying attached with the application.

(g) No. A complaint dated 6th March, 1964 was, however, received through Sub-Divisional Officer (Civil), Bassi and was replied on 21st April, 1964.

CANAL OUTLET R. D. 13325/R ON KALSIAN MINOR

2230. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(d) whether any amount was got deposited by the Canal authorities of the Jandiala Division of the Upper Bari Doab Canal Circle, Amritsar, during 1963 or 1964, or before, as cost for the shifting of the canal outlet R.D. 13325/R on the Kalsian Minor; if so, the date on which the amount was deposited.

(b) the total amount which was deposited by the landowners ;

(c) whether the said outlet has been constructed anew; if so, when; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes, on 16th March, 1962.

(b) Rs 414.

(c) Yes. During January, 1965.

PRIMARY HEALTH CENTRES IN AMRITSAR DISTRICT

2231. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the names of places where the Primary Health Centres are located in district Amritsar at present together with the names of the Doctors, Dispensers, Lady Health Visitors and Nurses posted in the said Health Centres along with their qualification;

(b) the location of the Sub-Centres attached to the Primary Health Centres referred to in part (a) above together with the names of the persons incharge thereof ;

(c) whether any complaints of corruption and immorality against any of the employees referred to in parts (a) and (b) above were received by the authorities concerned during the year 1964-65 todate, if so, their number, and the names of such employees together with the nature of these complaints and the details of the action taken thereon?

Shri Prabodh Chandra : (a) to (c) : Information is as follows.

[Education and Local Government Minister]

STATEMENT A

REPLY TO PART (A)

Serial No.	Name of the Primary Health Centre	Name of the Doctor with qualification	Name of the Dispenser with qualification	Name of the Lady Health Visitor with qualification	Name of the Auxiliary Nurse Mid-wife with qualification	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lopoke ..	Dr. A. Phillips M.B., B.S.	Sh. P.C. Kapoor qualified Pharmacist	Smt. Kanta Kumari, qualified Health Visitor	Sudesh Kumari Romesh Nabha, Dewinder Kaur Bal, Bhupinder Kaur	Qualified Auxiliary Nurse Mid-wives
2.	Mianwind ..	Dr. Pyare Singh Virk M.B., B.S.	Sh. Tejindar Singh qualified Pharmacist	Gurbachan Kaur, qualified Health Visitor	Balbir Kaur Bedi, Balbir Kaur, Harvinder Kaur Esther Paul	Ditto
3.	Gharyala ..	Dr. Satya Paul Syal, M.B., B.S.	1. Sh. Bachan Singh 2. Sh. Gurdip Singh qualified Pharmacists	Smt. Amrik Gill. qualified Health, Visitor	Swinder Kaur Bal Sampuran Kaur Jagdish Bhalla Inderjit Kaur	Ditto
4.	Naushera Pannuan..	Dr. Dalbir Dhillon M.B., B.S.	Sh. Devi Dass qualified Pharmacist	Smt. Pushpinder Kaur, qualified Health Visitor	Harbhajan Kaur Jagir Kaur, Satwant Kaur Post vacant	Ditto
5.	Ram Dass	Dr. Gurbux Singh Dr. Amarjit Kaur M.B., B.S.	Sh. Swinder Singh qualified Pharmacist	Smt. Sharanjit Smt. Inderjit Kaur Smt. Lila Kumari Smt. Kulwant Kaur qualified Health Visitors	Pritpal Kaur Pushpa Rani Persis Walter Kanta Kumari Surjit Kaur (appointed against the post of Staff Nurse)	Ditto
6.	Baba Bakala ..	Dr. Muktiar Singh M.B., B.S.	Sh. Gurdip Singh Sh. Naranjan Singh qualified Pharmacists	Smt. Raghbir Bal, qualified Health Visitor	Smt. Jananat Jalal Masih, Smt. Swaran Kaur Rayya Parkash Randhawa Satwant Kaur Dhillon	Ditto

7.	Sirhali	.. Dr. Jagdish Chhatwal Dr. Roop Chand Bansal M.B., B.S.	Sh. Tilak Raj Sh. Sewa Singh qualified Pharmacists	Smt. Kawaljit Kaur Smt. Surjit Kaur qualified Health Visitors	Dalbir Kaur Jagdish Kaur Tej Amrit Kaur Krishan Kanta	Ditto
8.	Kairon	.. ..	Sh. Sat Paul, qualified Pharmacist	Jasbir Kaur Harinder Kaur Sukhchain Pannu Mohinder Pannu qualified Health Visitors	Satwant Kaur Pritam Kaur Kirpal Kaur Sukhwant Kaur Dalip Kaur (appointed against the staff nurse)	Ditto
9.	Rajoke	.. Dr. Brij Mohan Mallan, M.B., B.S.	Sh. Mukhtiar Singh, qualified Pharmacist	Kulwant Kaur, qualified Health Visitor	Bimal Kaur Swarn Kaur Krishna Kumari Santosh Kaur	Ditto
10.	Tarsikka	.. Dr. Harbhajan Singh, M.B., B.S.	Sh. Daulat Ram, qualified Pharmacist	Kanwaljit Kaur, qualified Health Visitor	S. Samuel Singh Pargatjit Kaur Romesh Sood One Post Vacant	Ditto
11.	Fatehabad	.. Dr. Mohinder Singh, M.B., B.S.	Sh. Sunder Dass, qualified Pharmacist	Iqbal Kaur, qualified Health Visitor	Dalbir Kaur Lily Dutt Parkash Kaur Kailash	Ditto
12.	Sur Singh	.. ..	Sh. Dewinder Singh, qualified Pharmacist	Lakhwinder Kaur, qualified Health Visitor	Swarnjit Kaur Balbir Kaur Harcharan Kaur Martha Sushila Dass	Ditto
13.	Jhabhal	.. Dr. Kailash Nath, M.B., B.S.	Sh. Mohinder Singh Sh. Satya Paul qualified Health Pharmacists	Narinder Bedi, qualified Health Visitor	Abha Kapahi Parmjit Kaur S. Sulaman Victoria Robinson	Ditto
14.	Thariowal	.. Dr. Raj Kumar Sharma M.B., B.S.	..	Smt. Kewal Kanta, qualified Health Visitor	Shanti Sharma Three posts are vacant	Ditto
15.	Verka	.. Dr. K.C. Khosla Dr. Mrs. Jagdeep Khosla M.B., B.S.	Sh. Vidya Sagar Sh. Swinder Singh qualified Pharmacists	Smt. Surinder Kaur Smt. Phool Kaur Smt. Kulwant Kaur qualified Health Visitors	Harbans Kaur Kamla Devi Joginder Kaur Saroj Kumari	Ditto

[Education and Local Government Minister]

STATEMENT B

REPLY TO PART (B)

Serial No.	Name of the Primary Health Centre	Name of the Sub-Centre	Name of the Incharge of Sub-Centre
1	2	3	4
1.	Lopoke	.. Bhitewad	.. Romesh Nabha
		Sarnagra	Dewindar Kaur Bal
		Khiala	Bhupindar Kaur
2.	Mianwind	.. Sarli	.. Balbir Kaur
		Verowal	.. Harvindar Kaur
		Khadoor Sahib	.. Esther Paul
3.	Gharyala	.. Sangwan	.. Jagdish Bhalla
		Bopa Rai	.. Inderjit Kaur
4.	Naushera Phannuan	.. Rasulpura	.. Jagir Kaur
		Lalpura	.. Satwant Kaur
5.	Ramdass	.. Ghonewala	.. Pushpa Rani
		Soofian	.. Persis Walter
		Sudher	.. Kanta Kumari
6.	Baba Bakala	.. Rayya	.. Swarn Kaur Rayya
		Pheruman	.. Parkash Randhawa
		Bhinder	.. Satwant Kaur Dhillon
7.	Sirhali	.. Burj Rai ka	.. Jagdish Kaur
		Khara	.. Tajamrit Kaur
		Narhana	.. Krishana Kanta
8.	Kairon	.. Shabazpur	.. Pritam Kaur
		Mughalwala	.. Kirpal Kaur
		Sarhali Jandok	.. Sukhwant Kaur
9.	Rajoke	... Mehmoodpura	... Swarn Kaur
		Asal Uttar	.. Krishna Kumari
10.	Tarsikka	.. Tangra	.. S. Samuel Singh
		Lola	.. Pargatjit Kaur
		Chananke	.. Romesh Sood
11.	Fatehabad	.. Dhoonda	.. Lily Dutt
		Chohla Sahib	.. Parkash Kaur
		Jama Rai	.. Kailash
12.	Sur Singh	.. Marli	... Balbir Kaur
		Sugga	.. Harcharan Kaur
		Bhikhi Wind	.. Martha Sushila Dass
13.	Jhabhal	.. Pandori Ran Singh	.. Parmjit Kaur
		Charan	.. S. Suleman
		Globala	.. Victoria Robinson
14.	Thariowal	.. Not Yet opened	
15.	Verka	.. Vallan	.. Kamla Devi
		Mudhal	.. Joginder Kaur
		Khapar Kheri	.. Saroj Kumari

STATEMENT C

REPLY TO PART (C)

Serial No.	Name of the Officer/ Official	Nature of allegation	Action Taken
1.	Dr. Mohinder Singh, In-charge, Primary Health Centre, Fatehabad	1. Rs 50 had been demanded on his behalf by Sanitary Inspector Jasbir Singh for the payment for vasectomy operation	The allegation has not been substantiated on enquiry
		2. It has been alleged by Shri Jaswant Singh that the doctor did not examine his son Shri Manjit Singh who was injured by Shri Karnail Singh, son of Mukhtiar Singh at village Fatehabad with a kirpan for 3 hours as the doctor was approached by the other party through Jasbir Singh, a resident of Fatehabad who is the enemy of the complainant and is working as Sanitary Inspector at Fatehabad.	The comments of the Chief Medical Officer, Amritsar have been called for and the same are awaited from him
2.	Shri Mukhtiar Singh, Pharmacist Primary Health Centre, Rajoke	He harassed Smt. Krishan Kapoor, School Teacher	The allegation has not been substantiated on enquiry
3.	Smt. Sudesh Kumari, Smt. Dewinder Kapur Nurses Primary Health Centres Lopoke and Sarangra	Their character is bad ..	The allegation has not been substantiated on enquiry. The complaint has been found out to be preudonymous one.
4.	Shri Gurbachan Singh, Dispenser. Primary Health Centre, Gharyala	He charged Rs 5 from the complainant when he went to the Primary Health Centre to get treatment	It is still under enquiry
5.	Dr. Mukhtiar Singh M. O. Incharge Primary Health Centre, Baba Bakala.	He charged Rs 15 from every patient	It is still under enquiry.

COMPLAINT AGAINST A LANDLORD OF VILLAGE BOPDA, DISTRICT KARNAL

2232. Sardar Piara Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government received any complaint from the public during the month of July/August, 1964 to the effect that a landlord of village Bopda, tahsil Thanesar, district Karnal, secured surplus land by showing it as a model farm; which actually does not exist;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether any enquiry has been held in this regard, if so, the result thereof?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes.

(b) (i) Yes.

(ii) The complaint was found false.

PATWARIS DETAINED AT TARN TARAN FOR CERTAIN TRANSLATION WORK

2235. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any Patwaries were detained at Tarn Taran Tehsil Headquarters to translate Misal Haqiat from Urdu to Gurmukhi in the months of March and April, 1964, if so, their names ;

(b) the period for which each of them worked in this Translation Branch ;

(c) the pay and the allowance to which each one of them was entitled ;

(d) whether the amounts referred to in part (c) have so for been paid, if so, the date of payment in each case ;

(e) if the answer to part (d) above be in the negative, the reasons for the same ;

(f) the name of the person, if any, held responsible for the non-payment of the amount due, and the action taken or proposed to be taken against him ;

(g) the steps proposed to be taken by Government for the early payment of the amount due ?

(a) **Sardar Harinder Singh Major** : Yes. Their names are as :

1. Shri Harbans Lal
2. Shri Sant Kumar
3. Shri Roshan Lal
4. Shri Sham Sunder
5. Shri Major Singh
6. Shri Sohan Singh
7. Shri Harnam Singh
8. Shri Gurdev Singh

9. Shri Sukhdev Singh

10. Shri Surjit Singh

(b) Eight months each

(c) Rs' 110.50 Paise per mensem each.

(d) (i) Yes, except for the months of March and April, 1964.
(ii) On the dates as under :—

Month		*Date*
September, 1963	..	5th December, 1963
October, 1963	..	16th December, 1963
November, 1963	..	16th December, 1963
December, 1963	..	7th January, 1964
January, 1964	..	8th February, 1964
February, 1964	..	9th March, 1964

(e) For want of sanction by Finance Department.

(f) Does n.t arise.

(g) Payment for March and April, 1964 will be made as soon as these posts are sanctioned by Finance Department.

COMPENSATION FOR THE LAND ACQUIRED FROM THE LAND OWNERS OF CERTAIN VILLAGES OF PATTI AND TARN TARAN OF AMRITSAR DISTRICT

2243. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) the total amount of arrears to be paid to the land owners of different villages in Patti and Tarn Taran Tehsils of Amritsar District separately in the light of the award sanctioned by the Collector for the land acquired for the construction of the drains on 1st December, 1964;

(b) whether it is a fact that the disbursement of the amount of compensation was stopped by the Drainage Department authorities in Amritsar after 1st December, 1964, if so, the reasons for the same ?

Chaudhri Rizaq Ram (Public Works and Welfare Minister) :

(a) Patti Tehsil .. Rs. 1,45,543.46

Tarn Taran Tehsil .. Rs. 2,28,018.84

(b) No. The payments were only withheld for a short while for want of funds. All the payments are likely to be made in due course of time where the awards have been declared.

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : There are three Call Attention Notices received from various hon. Members. The first notice stands in the name of Comrade Shamsher Singh 'Josh'.

Comrade Shamsher Singh Josh : Mr. Speaker, Sir, I beg to draw the attention of the Government to the fact that a great resentment prevails amongst 75,000 teachers of the State as their demands for sanction of House Rent to all of them and appointment of Pay Commission to revise their grades and other demands have not been acceded to. As a result of this resentment and dissatisfaction, some of their leaders are resorting to hunger strike for an indefinite period from 28th February at Chandigarh as a result of which serious situation will be created in the State. The Government is, therefore, requested to make its position clear in the State and state the reasons for not accepting the demands of the Teachers.

Mr. Speaker : There is a similar call attention motion given notice of by Sardar Gurbakhsh Singh (Dhariwal), but he is not present in the House.

The government may make a statement about it.

मुख्य मन्त्री : अर्ज़ यह है कि टीचर्ज़ की स्ट्राइक के सिलसिले में सरदार गुरचरण सिंह और श्री चतरथ ऐम० एल सी ज़ मुझे दो तीन बार मिल चुके हैं और अब फिर मिलने आ रहे हैं। मैं उन से बात चीत करूंगा और मेरी यह खाहिश है कि इस सिलसिले में कम से कम एम.एल.सीज़. को हंगर स्ट्राइक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस काम के लिए हंगर स्ट्राइक का इस्तेमाल जायज़ नहीं दिखाई देता। जो उन की जायज़ डिमांडज़ हों सरकार का फर्ज़ बनता है कि उन पर पूरा पूरा गौर करें।

श्री अध्यक्ष : क्या आप उन की डिमांडज़ के बारे में स्टेटमैंट बाद में देंगे ? (Will the hon. Members make a statement about their demands after wards?)

मुख्य मन्त्री : इस बारे में उन से मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हो सकता है कि हम कुछ बजट के सम्बन्ध में प्रोपोज़लज़ करें। तो वह बजट पेश होने से पहले नहीं बताई जा सकती'। उन से बातचीत के बाद ही पता चल सकेगा।

Comrade Shamsher Singh Josh : Sir, the Call Attention Motion given notice of by me has been admitted and the Government should make a statement regarding the matters raised by me in the motion.

Mr. Speaker : I would request the hon. Chief Minister that the results of his talk with the two M.L.Cs. be communicated to me.

Chief Minister : All right, Sir.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : On a point of order, Sir, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Mr. Speaker : The statement given by the hon. Chief Minister is premature . That is why I have requested him to let me know the results of his talk with the two M.L.Cs.

The next Call Attention Motion stands in the name of Pandit Mohan Lal Datta.

Pandit Mohan Lal Datta : Mr. Speaker, Sir, I beg to draw the attention of the Government towards a dangerous criminal assault on Sardar Sajjan Singh Margindpuri, Ex-M.L.A. and a former Parliamentary Secretary in broad day light in an open congested area of Tarn Taran two days back. Such acts have created a great consternation and insecurity of life in the Punjab.

Mr. Speaker : The Government may make a statement.

मुख्य मन्त्री : मुझे देखना पड़ेगा । अगर ज़रूरी हुआ तो स्टेटमैंट दे दूंगा ।

Mr. Speaker : But the statement must be made.

मुख्य मन्त्री : अगर केस किसी कोर्ट में हुआ या अन्डर इनवैस्टीगेशन हुआ तो मुश्किल होगा ।

Mr. Speaker : The statement has to be made.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਨੀ : On a point of order, Sir, ਇਕ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਅਟੇਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਨਵਿਨਸ ਕਰਾਉ । (The procedure about those motions which are not taken up here, is that the Member concerned may see me in my Chamber with a view to convincing me about its admissibility).

LEAVE OF ABSENCE TO COMRADE HARDIT SINGH BHATHAL M.L.A.

Mr. Speaker : I have received the following letter from Comrad Hardit Singh Bhathal, M.L.A. :—

> "I have been detained under the Defence of India Rules since 30th November, 1964, in the District Jail, Hissar.
>
> x x x x
>
> Please grant me leave from this session of the Punjab Vidhan Sabha."

Is it the sense of the House that the hon. Member be granted the leave of absence as asked for.

Voices : Yes.

The leave was granted.

DISCUSSION ON THE GOVERNOR'S ADDRESS

(Resumption)

Mr. Speaker : I have received further notices of amendments from the various hon. Members to the Motion of Thanks moved by Shrimati Om Prabha Jain the other day to the Address by the Governor. These amendment will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the main motions.

15. **Shri Lal Chand Prarthi.—**

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(1) about the widening and remodelling of Kulu-Manali left Bank Road in Kulu District;

(2) regarding the construction of bridges over Beas River at Raisan, Goshal and Bajaura;

(3) about the steps taken by the Government to start a Degree College at Kulu;

(4) about upgrading Primary School of Jagat Sukh to Middle standard;

(5) regarding setting up of a Fruit Preservation Factory at Kulu;

(6) about establishment of Herbs Research Farm in Kulu District;

(7) about the steps so far taken to construct a 100 bed hospital at Kulu to provide necessary medical aid to the poor people of far flunged and backward areas of Kulu, Lahaul and Spiti;

(8) about the withdrawal of Government order under which Nautors have been denied to the right holders of Kulu District;

(9) about the steps taken by the Government to re-build the small town of Manali, a beautiful tourist resort of the State, which was reduced to ashes in October last;

(10) regarding the steps so far taken by the Government to develop the Tourist resort; beautiful spots and places of interest and pilgrimage in Kulu, the valley of Gods."

16. **Sardar Jagjit Singh :**

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no men ion has been made—

(1) about the Government's intention to resort to State Trading in near future inspite of the soaring high and fluctuent prices of the necessities of life in the State;

(2) about the uplift of lacs of petty landholders possessing less than ten acres of uneconomic land holdings throughout the State;

(3) about the provision on industrial estate and technical training institute some where in the backward sub-division of Zira in the Ferozepore District;

(4) for providing at least 50 per cent of the available electric energy for agricultural purposes as against only 12.99 per cent now proposed for this most essential purpose;

(5) for providing an academic college in the backward area of Zira Sub-Division;

(6) for installing a sugar mill somewhere in Zira Tehsil for the benefit of the agriculturists who are obliged to switch over to cane growing due to the waterlogging of their lands;

(7) for constructing a pucca road from Talwandi Bhai to Mallanwala in Ferozepore District Linking thereby this vast area of agricultural production with the only market place at Talwandi Bhai and

(8) for remodelling and harnessing the Zira and Talwandi Bhai Drains in such a way that they may not over flow and flood the area through which they flow."

17. Shri Ram Dhari Gaur :

18. Sardar Tej Singh :

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made.—

(1) regarding the issuing of instructions to all heads of departments in the State, for giving chances to the Scheduled Castes Government employees in the State, to officiate in higher posts even of the officiating period is less than a month;

(2) regarding the reservation of 10 per cent posts, cadre-wise, according to the total strength of posts in Government Departments for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotion cases, as the representation of the Scheduled Castes is inadequate in the Government services; and

(3) regarding a High-Powered Commission to enquire into the discrimination done and is being done in cases of promotional cases, for the Scheduled Castes Government employees in the State, by one or the other reasons."

19. Shri Amar Singh:

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made to—

(1) raise the standard of living of Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(2) appoint High Power Commission to check up the real progress of Scheduled Castes and Scheduled Tribes after 1947 todate;

(3) provide common land to Harijans for goats and sheep ;

(4) provide better methods to check up the waterlogging area of Hansi Tehsil;

(5) provide work to the landless tenants in rural area;

(6) stop the ejectment of Harijan tenants in the State;

(7) develop the handloom and leather industries in the rural area;

(8) provide lined water course from Rajthal to Hansi of Hissar Major and Petwar distributory;

(9) provide upgrading of schools in rural area of Hansi Tehsil;

(10) provide industrial estate at Hansi;

(11) provide pacca road from Hansi to Baroda and Bhiwani to Jind;

(12) provide tube well facilities in rural area of Hansi Tehsil;

(13) provide electric facilities in big villages in Hissar District;

(14) appoint enquiry officer at District Headquarter; and

(15) provide and approach to the Union Government for permitting the Harijans for recroument in all units of Army for which they are found fit without any discrimination whatsoever."

20. Sardar Surjit Singh Theri :

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(1) to provide an industrial estate at Mansa or Sardulgarh in Bhatinda District;

(2) to provide Pacca Road from Gurusar to Budhladha *via* Nangal and Bareh ;

(3) to provide a link road from Bareh Kalan to the Budhladha—Ratia Road;

(4) to provide electric facilities in villages of Mansa sub-division;

(5) to provide for an academic college at Mansa;

(6) of moving the Union Government to install a big Textile Mill in cotton growing area of Mansa;

(7) of remodelling the drains in such a way that they may not overflow and damage the crops of their respective catchments, and

(8) of solving the linguastic problem of the State according to the spirit of commitments of the Union Government in spite of the changing political atmosphere of the State to the linguastic unrest in Sourthern India."

Mr. Speaker : Pandit Charanji Lal Sharma was on his legs when the House adjourned the other day while the motion of thanks was under discussion. I call upon him to resume his speech.

Pandit Chiranji Lal Sharma (Ganaur): Mr. Speaker, Sir, I was on my legs when the House adjourned the other day. I will take up the thread from where I left. The other day, Sir, I was referring to page 23 of the Address.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਡਿਸਅਲਾਊ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲੋ । (Please see me about them in my chamber).

Pandit Charanji Lal Sharma: I was referring to page 23 of the Address where the activities of the Medical and Health Department have been stated. I urge the Government that the needs of the people of Hariana should also receive special consideration in this context. Through you, Sir, I have to invite the attention of the Government to the conditions prevailing in the Medical College at Rohtak. I have to bring it to the notice of the Government that the Medical College that was started a couple of years back is not running smoothly particularly when there are no medicines, equipment and Nurses. There is a demand for 30 lakhs of rupees but the Government regrets its inability to make a provision of the funds with the result that the patients visiting the Hospital have to return disappointed. Not only that, the reputation of the Hospital is being adversely affected because the patients who are admitted to the Medical

College Hospital do not at all return and this sort of reputation of an institution on which lakhs of rupees have been invested by the Government is a very sad state of affairs. I would. therefore, Sir, request the Government through you to pay special attention to this Hospital.

Mr. Speaker : Sir, there is a demand for 70 Nurses in the Hospital, but only 30 Nurses are working and the remaining 40 Nurses are not being provided in spite of repeated requests from the Hospital authorities. Mr. Speaker, I would lay special emphasis on this and would request the Government to provide adequate funds for the Medical College Hospital at Rohtak. I would draw the attention of the Government to the Post Graduate Medical Education and Research Institute at Chandigarh which is generally known as 'White Elephant'. The number of Doctors in this Institute is more than the students. I request the Government to provide Doctors in the Dispensaries and Hospitals located in the rural areas. Last year, Sir, Dr. Gopi Chand Bhargawa, the then Finance Minister made a statement that there were 600 Hospitals and Dispensaries in the State where there were no Doctors. This state of affairs in the Hospitals and Dispensaries should not be allowed to continue.

Now, Sir, I would like to say something about the good acts done by the Government. The Government has separated Judiciary from the Executive. It is a good stand taken by the State Government. But I would like to point out particularly to the hon. Chief Minister that this separation is no separation so long as the Prosecution Branch is also not separated, so long as the Prosecution Branch is not taken out from the Police Department and so long as a separate Directorate of Prosecution is not created. If, however, no provision can be made for the Directorate of Prosecution, the Prosecution Branch can easily be put under the Law Department.

In that way the Government would be able to say that there is complete separation. After the separation of Judiciary from Executive, we have gained two, three or four months experience about the working of the Judiciary here and I would point out to the Chief Minister that a lot of work has accumulated in the Judicial Courts. Although a provision for the Second and Third Class Magistrates was made in the Act, I wonder if these powers have been conferred and all the Second and Third Class cases are being attended to/heard by the First Class Magistrates with the result that the litigant public has to suffer immeasurably in so far as the cases linger on for months together. I would, therefore request the hon. Chief Minister to pay special attention to this aspect.

This Government has done two or three other good things also. For example the zaildari and Sufaidposhi systems the Government have cared for wishes of the people; abolished these systems and deserve our compliments on this account. This was a blot on the fair name of democracy. This institution was being revised by the former Government in spite of staunch opposition in this House as also in the ruling party itself. I had personally discussed this matter with the then Revenue Minister, Sardar Ajmer Singh, who said that this institution was a necessary link between the rural people and the administration. I am glad that better sense prevailed on the present Government which took a prompt decision to abolish this institution.

Another good thing done by this Government on assumption of office is the doing away with the honorary Registrars etc.. and I will be simply failing in my duty if I do not compliment them on this. Reduction of Stamp Duty on registration was also a good act done by this Government.

I would also like to refer to the prohibition policy. it is not actually the prohibition to which I am referring but it is the policy of free sale of liquor etc., to which I am making a reference. The Government reversed the decision taken by the outgoing cabinet and by doing so, I understand there has been an addition to the State Exchequer. On this account too they deserve our compliments.

Now referring to the flood and food situation that has been referred to in the Governor's Address,, I wish to point out that the floods in our district, rather all over the State and particulary in the six or seven districts which are often flooded, have created great problems. I had the chance to visit certain districts, viz. Sangrur, Karnal and Patiala as a Member of the State Drainage Committee and went round there. In Sangrur district as well as in Rohtak district there is a great problem of water logging. The floods in these districts come every year and they have created a havoc. But I regret to say that no concrete steps have been taken to meet the situation. I would suggest that Government should anticipate floods every year particularly upon the past experience of few years, and when policy is adopted, provision of funds should be made. But Sir, when the rainy season started, I regret to state that the Officers of the Irrigation Department failed to discharge their duties. When we discuss the problem of drainage with them, they say that the Government has not made a provision for this. This is a very good excuse because during discussions in meetings, it is usually contended by the Officers of the Irrigation Department that they are not in a position to implement their schemes of drainage for paucity of funds. I would invite the attention of the Government, particularly of the Minister for Irrigation, Chaudhri Rizaq Ram, to press upon the Government to make provision, particularly to meet this drainage problem in the State. So far as food is concerned, the prices have gone very high and no doubt, Sir, Government did take steps for opening fair price shops in the villages, they were quite insufficient and inadequate with the result that the village peoples particularly the Harijans and poor masses could not purchase Foodgrain, and they had to suffer. No doubt that no one died on account of non-availability of food, they had to suffer great hardship. I would suggest, Sir, that for the next two or three months more fair price shops should be opened in the villages. (Bells)

Mr. Speaker, Sir, I will take another two minutes about the Law Department. I would particularly address the hon. Revenue Minister who is fortunately present here. This Legislative Department i.e. the Department of the Legal Remembrancer is quite inefficient. It is being criticised here in every Session. I understand that according to the Rules no one individual is to stay as Secretary of a Department for more than three or four years. But the Legal Remembrancer has been in this office for the last six years. This Department is quite inefficient and more than one thousand cases are pending with that Department. Mr. Speaker, any body aggrieved can give notice under Section 80 C.P.C. and I gave

notice under this Section in the year 1957 which was not even acknowledged receipt of. I repeated that notice in the year 1960 and got a reply from the Deputy Secretary, Rehabilitation, "Please do not file a suit. Government is taking steps to refund the amount." But nothing has happened thereafter. I discussed this matter with the hon. Revenue Minister personally, who was good enough to have a telephonic talk with the Officers, and promised to get the matter expedited. As a matter of fact the case is that one Mr. Kanshi paid Rs 250 to the Revenue Agency as auction money. The auction was cancelled and the money was to be refunded. He deposited this money in the year 1956. The man is now dead and his heirs have claimed the refund of that amount. In spite of the personal interest taken by the hon. Revenue Minister, so far the money has not been refunded. I do not know how long it will take more to refund the money because of this red-tapism in offices. So, Mr. Speaker, in the Reports of the Public Accounts Committee, in the Reports of the Estimates Committee and in other Reports there are strictures against the Legal Remembrancer. Of course the Legal Remembrancer would be careful enough to have persons of his choice. He wanted to have Mr. Tulsi as Assistant Legal Remembrancer. Although the demand was turned down by the Finance Department and objected to by the Accountant General. the Finance Minister said that he be appointed when three legislators called upon him the other day. If the Government continue to act this way, it will have to eat an humble pie. So. Mr. Speaker, such things should be discouraged.

I have also to say a few words about education in the State. I regret to point-out that throughout the year there has been no upgrading of schools from primary to middle standard and from middle to high and higher secondary standard (Bells), so on and so forth. This should be done at once. Mr. Speaker, I wish I could continue my speech. But as desired by you I close my speech. Thank you very much.

Captain Rattan Singh (Garhshankar): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the resolution/motion of thanks to the Governor's Address moved by my hon. Sister Shrimati Om Prabha Jain. While joining myself with the views expressed by her, Sir, I would be failing in my duty if I do not express my disappointment at the Address.

At the and, under the heading "Conclusion" the Governor was pleased to state :—

> "In the narrative above, I have indicated boardly the activities and policies of my Government".

The address while narrating the past achievements of the Government should have given a glimpse of what the Government is going to do in the coming year. The address has certain defects. Some mis-statements have been made in this address. I am sorry to say so. At page 9 of the address the Governor was pleased to say that tubewells and pumping sets run with diesel engines are also being subsidized. Such a mis-statement should be viewed very gravely and I would ask the Revenue Minister who is present on behalf of the Government to look into this matter and correct it, if possible. No subsidy is being given to diesel engines as such. I pointed out during the last session also that if you want to increase agricultural production you must subsidize tubewells run by diesel engines. The Home Minister gave an assurance. But

[Captain Rattan Singh]

the ordes that went below were that only those tubewells would be subsidized for which the farmers have taken loan from the Government. Those who purchased tubewells and installed them from their own pocket have not been given any subsidies. I cannot agree with this logic. I am sure the Government will do something in this matter and bring everybody at par. May I point out that there is no such condition that only poor people can get loan. Loans are available for everyone. But people who do not want to waste time in waiting for the sanctioning of the loans but borrow money from their relatives and friends and get the tubewells installed are not being subsidized. Such a grave error should never be allowed in the Address of the Governor. There are many points on which I would like to speak. But I would try to keep to only two issues which face us in the Punjab and the country also, The issues are grow more food and the defence efforts. What has the Government done about these matters ? What does the Government propose to do about these ? I would like to point out that two years ago I stated that Punjab and the country as a whole will face the shortage of fertilizers. It is a fact that during the rabi showing the whole of Punjab faced fertilizer shortage and there was no superphosphates available. If the weather is kind as it has been kind this year to the farmers we surely can expect a bumper crop. But what has the Government done ? I may state that I wrote to the Chief Minister about it and he was kind enough to give me an assurance in writing that the Centre had agreed to supply adequate fertilizers to Punjab. I also to wrote to the Home Minister but unfortunately he has not found time to acknowledge my letter. I am very sorry, Sir, that the most important issue was thrown in the background. What was desired was that the Chief Minister and the Home Minister should have gone to the Centre and would have told them that unless sufficient fertilizers were supplied to Punjab, it will not be able to fulfil its obligations as the granary of the country. But what happened ? Can anyone in Punjab say that there was no fertilizer shortage ? (Interruption by Sardar Lachhman Singh Gill.)

Captain Rattan Singh: My friend, Sardar Lachhman Singh Gill is a farmer but he does not grow crops.

Sardar Lachhman Singh Gill: Who say ?

Captain Rattan Singh: Excuse me. He is a contractor.

Sir, the Nangal Fertilizer Factory is not enough to meet our needs. What it produces today is not going to be sufficient ? The fertilizer consumption is going to grow in geometrical proportion and not in arithmetical proportion. I say that unless the Government takes a decision today about what is going to happen 10 years ahead, I am sure, they will not be able to keep pace with the demand. Much has been talked about subsidies on insecticides but the Government has carefully and very cleverly, I would say, avoided to mention the amounts sanctioned for the purpose. Why? The answer is very simple. The amounts are completely inadequate. I know the Government's difficulty also that they have not enough finances to go round. What should be done under those circumstances ? I would say that it is not necessary to do everything at the same time. We are going to give subsidies on insecticides, or seeds and on diesel engines. When we start doing all the things at

the same time what happens ? No one is satisfied and no problem is solved. I would, therefore, humbly suggest to the Government that they should take one issue. one problem, at a time. If in 1965 they propose to subsidize tubewells run with diesel engines then no subsidy should be given for anything else. If that is done we will have adequate number of tubewells. In the next year the Government can give subsidy to the farmers on insecticides and spray-pumps. In that way I hope the Government will able to pay more intention to those issues.

Now I come to the food problem. When we have surpluses we leave the traders and the farmers to God's risks and when we have shortages we start bothering about the consumers. Any policy, if it has to succeed, must be a long range one. If it is not so, then difficulties will arise. If the Government wants to buy foodgrains for the whole of the State, there are not enough godowns in which those can be stored. Before embarking upon the scheme of purchasing foodgrains does it not occur to any officer or to the Government that unless we have proper godowns it will be wasting public funds to buy the foodgrains and then leave it to the money of pests ? I assert that the food problem is a man made problem and if the Government wants to tackle it there is not much difficulty provided the Ministers and the Government give more time to this work rather than on other unproductive works.

I was pointing out the lack of planning. We are now embarking upon the 4th Five-Year Plan. But cur attitude is totally unplanned. If anything happens, we rise like a bubble and also vanish like a bubble.

11-00 a.m.

Mr. Speaker, Sir, when the Chinese attecked our country, there was a wave of patriotism from Cape Comorin to Kashmir. Everybody was prepared to make sacrifices. That spirit has vanished now. Has the fear of Chinese invasion gone ? No, Sir. The Prime Minister and the Home Minister of India in their speeches have said that we are not yet free from Chinese invasion. It is for the Chinese to decide when and where they are going to invade. It is not in our power.

Mr. Speaker : How much more time will the hon. Member take ?

Capt. Rattan Singh : Sir, I will not take much time of the House.

Mr. Speaker : It would be better if the hon. Member will touch upon the relevant points only.

Capt. Rattan Singh : I would like to point out that Punjab's role during the Chinese invasion was commendable and it was praised all over the country. Punjab is known for its defence efforts. But we have done nothing, in this connection, last year.

Mr. Speaker : I would request the hon. Member to finish his speech with 5 to 7 minutes.

Capt. Rattan Singh : All right, Sir.

I would not like to mention the point which involves my person. The disbandment of Gram Raksha Dal has been mentioned as an achievement. This is good achievement from the point of view of the Opposition or from the point of view of my hon. Friend Baboo Bachan Singh who believes in non-violence (Laughter). We know how inadequate our defences are. Still we will defend our country.

Now I come to the Police. It has been stated in the Address that there were 536 cases of murder during the year 1964 as against 539 during the preceding year. In other words, there cases are less as compared to the previous year. This is no achievement. It will be fair to mention that the Police are doing their best, but the results are not as they ought to be.

My hon. Friend Shri Mohan Lal during the course of speech the other day expressed dis-satisfaction over the investigation in regard to the murder of our late Chief Minister. But I do not agree with him that the investigation be entrusted to the Central agency. I think his demand is basically wrong. I would like to pin point the blame on an agency, viz the Punjab Police, which is known in the whole of the country for its efficiency. The Punjab Police is on trial now. It is doing its best to track down the culprits. If the Punjab Police fails to do so, then the Government will be in troubled waters. As I have already said I do not agree with the hon Member Shri Mohan Lal in passing over this responsibility to the Centre. The Centre is not concerned with this. God forbid, if any other murder takes place in our State, there will be a demand again to entrust the investigation to the Centre. It will not be a good precedent. If the Punjab Police fails to trace the culprits, it will be bad and I will be the first person to request the hon. Minister to pay more attention to this and if he fails, he should resign. I may here mention the example of our present Prime Minister of India. When he was Minister for Railways in the Union Cabinet, he resigned because of a serious Railway accident. I am sure the hon. Home Minister, Sardar Darbara Singh, who is also a Member of the All-India Congress Working Committee will spare no efforts in unravelling this mystery. But if he fails he should follow in the footsteps of Shri Lal Bahadur Shastri. If anybody fails to do his job in a democracy, he must have the courage to admit the fact and resign from his office. I do not like the indirect methods. I would be the last person to exploit the murder of Sardar Partap Singh Kairon, Ex-Chief Minister of Punjab for political ends. This is wrong and basically wrong.

I would like to invite the attention of the Government to the seriousness of lawlessness in the State. Only two days ago, The District Education Officer, Ludhiana a Lady Officer was assaulted because she had punished some teacher. What will happen to the Ministers who, in their routine have to take disciplinary action against the defaulting officers ? What will happen to the Inspector-General of Police who to take action against his subordinates ? If the result is going to be an 'assault', then the Government should take serious note of it. I would invite the attention of the hon. Chief Minister to this.

Voices : The Chief Minister is not present in the House.

Capt. Rattan Singh : The hon. Revenue Minister Major Harinder Singh is present in the House and he represents the Government in a big way (Laughter).

I have not the slightest doubt that the Punjab Government is doing its best and putting in its maximum efforts to unravel the mystery about the murder of Sardar Partap Singh Kairon, Ex-Chief Minister of Punjab, but the public will not be satisfied only if the Government are able to track down the culprits because there are serious misgivings. I would not say that it is a political murder at this stage. If it is a political murder, where are those people who saw the murder being committed ? If the culprits are not found out, then the public, I am afraid, will come to the conclusions which are on-everybody's lips.

Voices : What are they ?

Capt. Rattan Singh : Doubts have been expressed and those doubts must be set at rest. It is in the interest of the Government to clear those doubts. It would have been right and proper if the Government had laid the table of the House the information in regard to the steps taken by the Government in unravelling this mystery.

Voices : A good stand.

Capt. Rattan Singh : We have been in the past trying to be hypocrites. Let us make a change for the better. Otherwise it will adversely affect our democracy. Our democracy will vanish if such lawlessness is allowed to continue in our State. Whenever any such thing happens before passing our judgment we should be patient and our stand should be a judicious one. To-day, we raise and condemn a man in the strongest possible terms and to-morrow we praise the same man in the strongest possible words. It is not the work of nature men in democracy. It is essential that maturity must come if the democracy is to flourish. Mr. Speaker, Sir, I would request the Members of the Opposition that they should take a responsible stand. They are responsible men but they do not always behave like responsible men. I would submit that they should not level wild charges. They should confine themselves to constructive criticism and we will be one with them and the Government will always be brought round to reason.

In the end, Mr. Speaker, I would request the Government that there should not be a single mis-representation in the Governor's Address because it is a very sacred document. The Governor's Address must be checked carefully and the facts contained in it should be varified by the Government before the Address is printed. It should not contain any mis-representation. Thank you, Sir.

श्री भगवत दयाल शर्मा (झज्जर) : स्पीकर साहिब, राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारे कुछ साथियों ने अपने विचार रखे हैं । श्री राज्यपाल ने पंजाब राज्य के विकास के बारे में, जो जो एचीवमेंटस की गई उन के विषय में चर्चा की है । पहले पृष्ठ पर स्वर्गीय सरदार प्रतापसिंह कैरों, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के कतल का भी जिक्र किया है और अश्वासन दिया है कि कातलों को पकड़ेंगे, दास कमिशन की भी काफी चर्चा की है और बताया गया है कि दास कमिशन ने जिनको भी दोषी ठहराया है उनके विषय में भी उचित कार्यवाही की जायेगी । इसी तरह लेबर के बारे में भी ज़िक्र आया है । यानी जितने भी राज्य के पहलू हैं उन सब के विषय में चर्चा की है ।

[श्री भगवत दयाल शर्मा]

सबसे पहले मैं यह उचित समझता हूं कि सरदार प्रताप सिंह जी के खून का जो ज़िक्र हुआ है उसके बारे में कुछ कहूं । आज सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि सारे देश में इस का रोष है। जहां तक हमारे आपोज़ीशन के साथियों का ताल्लुक है हम उनकी बात समझ सकते हैं। उन्होंने दास कमिशन की मांग की । उसमें उन्होंने अपने पक्ष का समर्थन किया और उस पक्ष के समर्थन में, स्पीकर साहिब, आप जानते हैं, कि हमारे कांग्रेसी भाइयों ने भी किसी ने खुले आम, किसी ने दबे छिपे हाथ बटाया । विचारों के मतभेद थे उन साहिबान के उनके साथ । यह मैं इस लिये कहता हूं क्योंकि उस वक्त भी एक ऐसा ग्रुप कांग्रेस पार्टी के अंदर था जो कि आपोज़ीशन का साथ दे रहा था दास कमिशन की नियुक्ति में, इसके अंदर इलज़ाम लगाने में और कैरों साहिब के खिलाफ एक वातावरण पैदा करने में । दास कमिशन ने अपना फैसला दे दिया ; कैरों मिनिस्टरी ने रिज़ाइन किया और पंजाब सरकार बदली । लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पंजाब की सरकार के ज़िम्मेदार पदों पर वह शख्स आए जिन्होंने सरदार प्रताप सिंह कैरों का दबे छिपे या खुले आम विरोध किया था। जब दास कमिशन का निर्णय हो लिया उसके बाद मंत्रिमंडल के ज़िम्मेदार आदमियों ने तरह तरह की बातें फैला कर, तरह तरह की गलत बातें करके हमारे पंजाब के वायु मण्डल को दूषित किया । सरदार साहिब के ऊपर इस तरह के आक्षेप किए जिस पर के आपोज़ीशन वाले भी शर्मा जाते थे, किताबों के अन्दर से तसवीरें फाड़ी नाम के फट्टे हटाए और उन के नाम से जो संस्थाएं बनी हुई थीं उन के नाम बदले । इस तरीके से उनको पुलिटीकल लाईफ से बिलकुल खतम करने की चेष्टा की। स्पीकर साहिब, इस चीज़ से यह मुबरी नहीं हो सकते । वह वायुमण्डल आप सोचें कि डैमोक्रेसी के लिए कहां तक सहायक हो सकता है । जिस तरह का वायुमण्डल यहां पैदा किया गया उस तरह का तानाशाही देशों के अंदर भी नहीं हो सकता । सरदार प्रताप सिंह जी बहुत बड़ी पुन्यात्मा थे । बावजूद इतने कीचड़ उछालने के भी उन्होंने एक महान मृत्यु पाई । पंजाब के लाखों नागरिकों ने उनको श्रद्धांजलियां पेश कीं । लेकिन आप इस बात को कैसे भूलेंगे कि उस शेर को किस तरह से कत्ल किया जाता है । हाकों की मदद से, ढोलचियों की मदद से, मिसालचियों की मदद से उस को घेर कर उसको मचान के पास लाकर मारा गया ।

"बेगुनाहों के खून की बारिश में
बज़मेइशरत सजा के बैठे हो,
उठ भी सकती है दफातन लाशें
जिन पे मसनद लगा के बैठे हो।"

स्पीकर साहिब, सरदार प्रताप सिंह कैरों का खून सूखेगा नहीं, वह बोलेगा । वह जो नुक्ताचीनी करते हैं, जिस वक्त सरदार साहिब की मूंछ भी हिल जाती थी तो इनका पसीना छूट जाता था । आज यह नुक्ताचीनी करते हैं। स्पीकर साहिब, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जिस स्थान पर मैं पहले खड़ा था आज भी उसी स्थान

पर खड़ा हूं । रबड़ के जूते की तरह नहीं हूं । जिसने पांव फंसाया ले गया । मैं कहता हूं कि सरदार कैरों के कत्ल ने पंजाब को ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की जमहूरियत को हिला दिया है । डैमोक्रेसी की दीवारें हिल गई हैं । फिर कत्ल होने के दूसरे दिन ही पुलिटीकल और नान-पुलिटीकल की कंट्रोवर्सी शुरू करते हैं यह लोग ।

स्पीकर साहिब, इस बात का यहां जिक्र करना वाजब तो नहीं लेकिन मैं क्लीयर करने के लिए आप के ध्यान में लाना चाहता हूं कि तीन फरवरी को यहां एक मीटिंग होती है जिसके अंदर विरोधी पक्ष के मुख्य नेता यहां की मिनिस्टरी की आपसी रिफ्ट का समझौता कर देते हैं ।

एक आवाज : उनका नाम क्या है ?

श्री भगवत दयाल शर्मा : लाला जगत नारायण और श्री वीरेन्द्र जी । खैर, जो बातें हुई उन के बारे में भी स्टेटमेंटस आईं, चर्चा चली । मेरा कहने का मतलब यह है कि वे लोग जो कैरों साहिब को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते थे वह उन के सलाहकार है रिफ्ट दूर करवाने के लिये, वह इन के रहबर हैं । हम क्यों कहते हैं सैंट्रल एजेंसी ले इस केस को ? इसलिये कहते हैं कि जिन लोगों ने सरदार प्रताप सिंह कैरों की मुखालफित की थीं, उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन खत्म करने की कोशिश की, उनकी अब उन के साथ कैसे सिम्पेथी हो सकती है । मैं पण्डित मोहन लाल जी के स्टैंड का समर्थन करता हूं । जिन्होंने उन्हें प्रकाशहीन करने की पूरी कोशिश की उनकी उनसे क्या हमदर्दी हो सकती है ? यही मैंने अपनी स्टेटमेंट में दिया था । फिर आपने एक और चीज भी यहां देखी कि कौंसल में मिनिस्टर हाउस में बैठ कर लड़ते हैं, अपनी काबलियत और यकजहती का नमूना पेश करते हैं । अगर दूसरे इनको न सुलझाते तो न जाने मामला कहां तक पहुंच जाता । तो यह खुद अन-बैलेंसड हैं और इन के अन्दर बचपना है; यह क्या सुलझाएंगे इस चीज को ? दिन दिहाड़े 12 बजे मर्डर होता है लेकिन सात घंटे बाद उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है । मैं पूछता हूं कि कहां गई थी इनकी वायरलैस ? क्या वह भी यहां की बिजली की तरह आंखें मारती है ? (हंसी) कहां गई थी इनकी वह बटालियन जो वहां बैठी थी ? कहते हैं कि इस तरह के मर्डर हो जाते है तो अकसर पता भी नहीं चलता । मैं मानता हू कि बाज दफा ऐसा हो जाता है लेकिन हम तो यह कहते हैं कि उन के कत्ल से पहले जिस तरह की फ़िज़ा पैदा की गई थी उन के खिलाफ वह क्या कम थी ? मैं कहता हूँ कि ब्रूटस ने सीज़र को वैसे ही तो कत्ल नहीं किया था, उस ने उसे पहले कन्डैम किया, उसके खिलाफ फ़िज़ा पैदा की, उसके बाद उसे कत्ल करने का साहस उसे हो गया । यहां पहले उसके आवाई मकान की तलाशी ली गई और महान आदमी की बूढ़ी शेरनी माता को रात के दो बजे जगा कर 6 बजे तक परेशान किया । इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन यह उसके बारे में कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला है कि क्या हो रहा है । जब हम ने आवाज़ उठाई तो हमें रोकते हैं और कोसते हैं । इन्होंने उनके पीछे हमेशा सी. आई. डी. चलाई । उनको जो

[श्री भगवत दयाल शर्मा]

अफसर चाहते थे और जिनको वह पसंद करते थे और जो अदब और ताजीम से उनको मिल लेते थे उनको इनकी सी. आई. डी. ने शैडो किया । बलदेव कपूर जैसा हीरा अफसर जिसने दिन रात सूबे के लिये काम किया उसके पीछे सी. आई. डी. लगाई गई । इन्कार करेंगे इस बात से तो हम बताएंगे । ऐसा सब कुछ होने के बाद कहा जाता है कि पता नहीं किस तरह मर्डर हो गया । पहले सरकार की तरफ से यह बात आई कि यह पुलिटीकल मर्डर नहीं है, फिर यह आया कि यह पर्सनल मर्डर है। मैं पूछता हूँ सरदार प्रताप सिंह का क्या पर्सनल हो सकता था। अगर हो सकता है तो फिर बताएं । हमने भी यही कहा था......................

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਹੈ; ਕਰਾ ਦਿਉ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ । (ਸ਼ੋਰ)

श्री भगवत दयाल शर्मा : हम बचपन में यह कहावत सुनते थे "पगड़ी सम्भाल ओ जट्टा"। अब पगड़ी ही नहीं बल्कि जाट का सिर ही उतार लिया । आपने देखा कि उस महान आदमी के खून के बारे में तरह तरह की स्टेटमैंटस आई उन ने हमें मजबूर किया कि हम प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त करें और 50 एम.एल. ए. साहिबान ने दस्तखत करके दरखास्त भेजी कि सैंट्रल एजेंसी से पड़ताल कराई जाए क्योंकि यह इन के बस की बात नहीं है। रोज नई चीज़ आती है । कभी आता है कि कातिल पाकिस्तान भाग गए, अगर किसी खालसा ने वैसे ही कहीं केश कटवा लिया तो उसे पकड़ लिया और कभी किसी नाई की चिट्ठी आई तो उसे उछालने लगे। आपने खुद अखबारात में पढ़ लिया होगा कि जैपुर के किसी नाई की चिट्ठी आ गई तो उस लिये लिये फिरते रहे । नित नई से नई बात आती हैं । आज उस महान नेता के कत्ल ने सारे देश का कलेजा हिला दिया है। नेफा और लद्दाख के सिपाही भी सोचते हैं कि यह क्या बना है देश के अन्दर सरदार प्रताप सिंह की जितनी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है । उन्होंने............

बाबू बचन सिंह : आप मर्डर की बात ही करें । ऐसी कंट्रोवर्शल बातें न छेड़ें। (शोर)

पंडित भगवत दयाल शर्मा : आपको इसमें क्या तकलीफ हुई है । कौन सी ऐसी बात है ....(शोर)

बाबू बचन सिंह : इसलिये कि दास कमीशन ने उसे गरदाना है और आप उसकी महिमा गा रहे हैं। (शोर)

श्री भगवत दयाल शर्मा : देखिए आपको ऐसी चीजें नहीं कहनी चाहिए......(शोर)

बाबू बचन सिंह : मैं ठीक कहता हूँ He was corrupt.....(शोर).....आप मर्डर की बात करनी है तो करें लेकिन उनकी महिमा हमें न सुनाएं........(शोर)

श्री भगवत दयाल शर्मा : मैं आप से अर्ज़ करूंगा कि आज हिन्दुस्तान के कोने कोने से उनकी श्लाघा की जा रही है। उनकी हर एक ने तारीफ की है और पंजाब के लिये उन्होंने जो कुछ किया उसकी सारा देश तारीफ करता है........

बाबू बचन सिंह : कांग्रेसी ही करते हैं।

सरदार लछमन सिंह गिल : अब उनकी लाश बेचो ।........(शोर)

श्री भगवत दयाल शर्मा : सरदार ने एक दफा इनको घूरा था तो पीली भीत के जंगलों में जा छिपे थे..........(शोर).........तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि उस मैमोरंडम में सरकार जो छानबीन कर रही है उसके बारे भी हमने कहा है कि वह अपने हिसाब से इफैक्टिव तौर पर कर रही है लेकिन यह इन के बस की बात मालूम नहीं होती है। वक्त गुजर रहा है तेजी से इसलिये कोशिश की जाए कि यह मामला सैंट्रल एजेंसी को दिया जाए........

श्री अध्यक्ष : आप और कितना वक्त लेंगे ? (How much more time will the hon. Member take ?)

श्री भगवत दयाल शर्मा : बस जी, पांच सात मिनट ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ .. .. (ਹਾਸਾ)

श्री भगवत दयाल शर्मा : तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंजाब के निर्माण में हर पंजाबी ने हाथ बटाया है । जहां स्यासी वरकर्ज़ ने और सामाजिक कार्य-कर्ताओं ने हाथ बटाया है वहां सरविसिज़ ने भी कम हाथ नहीं बटाया है । हमारी सरविसिज़ जो विभाजन के बाद लुट पिट कर आई थीं कन्धे से कन्धा मिला कर पंजाब को ऊंचा ले गई हैं। और इंडस्ट्रियल रैवोल्यूशन का दौर चलाया । पंजाब की सर्विसिज़ के बारे में पंडित नेहरू ने भी फरमाया था कि हिन्दुस्तन में बैस्ट हैं । लेकिन उन के खिलाफ यहां ऐसी वेव चली कि उनको हैरान किया जाता है, धमकाया जाता है और चार्ज शीट पर चार्जशीट देकर उनको परेशान किया जाता है । इस तरह करने से पंजाब ऊंचा नहीं उठेगा । उनको अपमानित नहीं करना चाहिए ।

फूड के बारे में भी जिक्र आया है । फूड की समस्या और हाई प्राइसिज़ की समस्या यहां हल नहीं हो रही है। इनकी वजह से आज गरीब लोगों का, मिडल क्लास का और सरकारी कर्मचारियों का कचूमर निकल गया है । इसलिये सरकार को चाहिए कि इन बढ़ती हुई कीमतों और फूड की समस्या को कंट्रोल में करे । अगर गवर्नमेंट को इन गरीब मुलाजमीन की तकलीफ का एहसास होता तो जिस तरह बंगाल सरकार ने आर्डीनैंस निकाल कर कदम उठाए हैं और उनका वेतन बढ़ाया है उसी तरह यह भी बढ़ाते लेकिन यहां पर तो प्राइस इन्डैक्स ही गल्त बनता है सैंटर वालों ने तो अपना इन्डैक्स ठीक कर लिया लेकिन इनकी अभी कमेटियां ही बैठ रही हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ाया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

[श्री भगवत दयाल शर्मा]

स्पीकर साहिब, अगर सरकार खुशअसलूबी से और कर्मचारियों की बिना एजीटेशन करने से उनकी तंखाहें बढ़ा देती तो बहुत अच्छा था ;

स्पीकर साहिब, टीचर्ज ने सरकार के सामने कुछ मांगें रखी हैं। जहां तक इनकी मांगों का सम्बन्ध है, वह जायज हैं। वह मंहगाई से सम्बन्ध रखती हैं। वह वास्तव में देश के निर्माता हैं। उनकी मांगों पर हमदर्दी से गौर करना चाहिए। उनको उनका हक मिलना चाहिए।

स्पीकर साहिब, जहां तक फैक्ट्रीज वर्कर्ज़ का सम्बन्ध है, उन के लिये जो ट्रीब्यूनल्ज़ बने हैं या कांसीलिएशन्ज़ कमेटीज बनी हैं, वहां पर लेबर्ज को इन्साफ मिलने में बहुत ही देरी हो जाती है। सरकार ने मजदूरों के लिये मिनिमम वेजिज रेट्स मुकर्रर करने के लिये कमेटी बनाई और वहां पर कुछ फैसले भी किए हैं लेकिन उन फैसलों को अभी तक लागू नहीं किया गया। फैक्ट्रीज़ के मालिकों ने पंजाब हाई कोर्ट में रिटें भी दायर कीं और हाई कोर्ट ने भी मालिकों के बरखिलाफ फैसला दिया और हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ड दिया कि इसको फैक्ट्रीज़ में जल्दी लागू किया जाए। मैं भी सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार इनको लागू करने में जल्दी कदम उठाए। स्पीकर साहिब, मैंने पहले भी अर्ज किया कि सरदार प्रताप सिह कैरों एक अच्छे और पुण्य आत्मा थे। उनको आपोजीशन वाले भी और कांग्रेस वाले भी गालियां निकाला करते थे। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हू कि उनके बाद पंजाब में कोई भी रचनात्मक काम नहीं हो रहा है। पंजाब की प्रगति आगे से धीमी पड़ गई है। इस तरह से हम महसूस करते हैं कि पंजाब में तरक्की बहुत थोड़ी हो रही है लेकिन बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं।

Mr. Speaker : Shri Mangal Sein.

श्री बाबू दयाल शर्मा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, रूल्ज के मुताबिक जिसने गवर्नर के अभिभाषण पर अमेंडमेंट दी हो, उसको पहले काल अपौन करना चाहिए लेकिन आपने दूसरों को ही पहले काल अपौन कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : रूल्ज के मुताबिक सारी एमेंडमेंटस मूव्ड समझी जाती हैं और उनको टाइम दिया जाता है। आपको बोलने के लिये टाइम दिया जाएगा। (According to the procedure all the motion are deemed to have been moved and time is given to members concerned for discussion. The hon. Member will also get time to speech.)

श्री मंगल सेन (रोहतक) : स्पीकर साहिब, आज हाउस में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है। राज्यपाल महोदय ने विधान मण्डल के सदस्यों के सम्मुख सोमवार को भाषण पढ़ा था। इस भाषण पर संविधान के अनुसार वाद विवाद हो रहा है। मैं ने बड़ी गम्भीरता से और बहुत ध्यान से अपने से पूर्व वक्ताओं के भाषण सुने। राज्यपाल महोदय ने जो अपने भाषण के प्रारम्भ में

सरदार प्रताप सिंह कैरों की दुखद मृत्यु के बारे में जिक्र किया है, उसके बारे में दो राए नहीं हो सकती हैं। जहां तक स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरों के निधन के बारे में सम्बन्ध है, उनकी हत्या बहुत ही निन्दनीय है। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूँ। हां, इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक उन के प्रति प्रशंसा की गई, या उनको पुण्य आत्मा कहा गया, उसका मैं विरोध करता हूँ। अगर वह वाकई महान आत्मा थे तो उन्हें दास कमीशन की इंक्वायरी फेस न करनी पड़ती और उन्होंने मुख्य मंत्री से त्याग पत्र देने के लिये बाध्य न होना पड़ता। स्पीकर साहिब, जहां पर मेरे से पूर्व वक्ता ने उनकी बहुत ही प्रशंसा की। उन्होंने अपने को बहुत ही जिम्मेवार कहा व्यक्ति है। उनको अन्दरूनी बातों का पता होगा। हमें तो दूसरों से सुन कर ही पता चलता है लेकिन मैं भी उनकी तरह कुछ न कुछ अपनी संस्था में ओहदा रखता हूँ। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि उनकी इस प्रकार से प्रशंसा नहीं करनी चहिए थी।

स्पीकर साहिब, उन के लड़कों ने प्रताप सिंह कैरों के निधन हो जाने के बाद कहा है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों की इच्छा थी कि जितनी भी जायदाद उनके चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान इकट्ठी की गई है, वह समाज तथा कांग्रेस के लिये सौंप दी जाए। यह बहुत अच्छी भावना है। मैं इस काम के लिये उन के लड़कों की बहुत सराहना करता हूँ और साथ ही मैं दूसरे व्यक्तियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह भी इसी प्रकार का कदम उठाएं और नाजायज तौर पर कमाई अपनी सम्पत्ति देश के लिये अर्पण कर दें। वह भी इसी तरह ही मिसाल देश में कायम करें।

(*Deputy Speaker in the Chair*)

डिप्टी स्पीकर साहिब, सरदार प्रताप सिंह कैरों की मृत्यु हो जाने से पंजाब की ला एंड आर्डर की हालत सामने आ जाती है। यह दुर्घटना ला एंड आर्डर की मुंह बोलती तस्वीर है। इस कत्ल ने देश की जम्हूरियत को हिला दिया है। पंजाब का सर नीचा कर दिया है लेकिन फिर भी बड़े फख्र से कहते हैं कि पंजाब में ला एंड आर्डर काबू में है। मैं तो समझता हूँ कि इस दुघटना से पंजाब का सर नीचे हो गया है। डिप्टी स्पीकर साहिब, जिला रोहतक में भी ला एंड आडर की हालत बहुत ही खराब है। इसकी कुछ मिसालें हाउस में बयान करना चाहता हूँ। सांपला के थानेदार को रिश्वत के केस में पकड़ने के लिये चंडीगढ़ से पुलीस जाती है और वहां का थेनेदार दीवार पर से छलांग लगा कर भाग जाता है और अपनी हाज़री की रिपोट खरखौदा थाने में लिखवाता है। जब इसके बारे में वहां के ऐस. पी. से बात की गई तो ऐस. पी. ने कहा कि थानेदार अपने आपको बचाने के लिये दीवरों पर से छलांग लगाया ही करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस हाउस में पिछले शैस्नों में गवर्नर के अभिभाषणों पर या बजट की बहस के समय भी या जब भी मुझे मौका मिला, मैंने ला एंड आर्डर के बारे में जिक्र किया। मैंने कई बार जिक्र किया कि कलानौर और महिल के थानों में लोगों को तफशीश में बुला कर, टार्चर करके मारा गया।

[श्री मंगल सेन]

उनको बाद में हस्पतालों में भेजा गया और गलत मेडीकल रिपोर्टस ली जाती है। जो भी इन्क्वायरी की जाती है, वह ठीक नहीं होती है । मैडीकल रिपोट में हार्ट. फेल ही बताया जाता है । अभी अभी रोपड़ के इलाके में श्री मेला राम को इसी तरह टार्चर करके मारा गया है। । डिप्टी स्पीकर साहिबा, 17 नवम्बर, 1964 के दैनिक हिन्दी मेवात पत्र में खबर छपी थी कि वल्लमगढ़ तहसील के ग्राम घोज में भूत पूर्व सरपंच खुरशीद अहमद व इसके साथियों ने बड़ी गुन्डागर्दी मचाई हुई है । चौधरी खुरशीद अहमद हमारे माननीय सदस्य नहीं है, यह और ही व्यक्ति हैं । जिन लोगों ने इन के विरुद्ध पुलिस को सूचना दी पहले तो पुलिस रिपोट दर्ज नहीं करती थी और पुलिस इस मामले में कोई टस से मस नहीं हुई और उसके बाद इन गुंडों ने इन व्यक्तियों को पत्र के द्वारा धमकी दी कि कत्ल कर दिये जाओगे । वहां पर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है । मैं यह दोनों चीज़ें सदन के टेबल पर रख रहा हूँ।

(इस समय यह दोनों चीजें मेज़ पर रखी गई)

उपाध्यक्षा महोदया, यहां पर बड़े फख्र से कहा जाता है कि ला एंड आर्डर, काबू में हैं। गवर्नर के अभिभाषण में कहा गया है कि पिछले साल 539 कत्ल हुए थे और इस साल 536 कत्ल हुए हैं। इसमें भी तो 4 कत्ल शामिल नहीं किये गए हैं। जिस दिन स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरों का कत्ल हुआ था मैं उस वक्त रोहतक में मौजूद था । वहां साढ़े ग्यारह बजे पुलिस थाने में रिपोर्ट दी जाती है लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती । पुलिस चुप करके बैठी रहती है । अभी पता चला है कि रसोई गांव का सरपंच भी मर गया है। सरकार को चाहिए था कि उसकी लाश का पोस्टमार्टम करती लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया ।कुछ लोगों को सरकार की नियत पर पहले ही शक था लेकिन अब और बढ़ गया है । लोग पहले ही कहते थे कि इस कत्ल के केस में बड़ों का हाथ है । कई तो इसको पोलीटिकल मर्डर बताते हैं। इस शक के बिना पर सरकार को सरपंच की लाश का पोस्टमार्टम ज़रूर कराना चाहिए था ताकि लोगों को इसके बारे में शक न होता। अगर सरकार इस कत्ल को बिलकुल ढूंड नहीं सकती तो इस प्रकार की थयूरीयां और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं आप के द्वारा सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार को इस कत्ल को पकड़ने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिए । मजाक वाली बातें बिलकुल नहीं करनी चाहिएं । कहा जाता है की उन कातलों ने अढ़ाई किलो के लगभग मूंगफली खाई है । उनमें लिपस्टिक की बू नहीं आती थी (हंसी) बल्कि आदमियों ने ही खाई है। वैसे इस वक्त चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहिब हाउस में मौजूद नहीं हैं। हो सकता है कि वह अपने कमरे में मेरी बातों को सुन रहे हों । इसलिये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इन कात्लों को पकड़ने में ढील नहीं करनी चहिए । अगर वह इन कात्लो को पकड़ने में असमर्थ हैं, तो वह मन्त्रिमंडल से त्यागपत्र दे दें । वह हाउस को साफ कह दें कि हम इस कत्ल को पकड़ने में असमर्थ हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस इलाके को आप

रीप्रिजेंट करती हैं वहां पर मजदूर लोग ज्यादा रहते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि महंगाई ने उनका क्या हाल कर रखा है। जिन लोगों की फिक्सड इनकम है, जिनकी उजरत मुकर्रर है उनको पेट भर रोटी नसीब नहीं होती। लेकिन गवर्नर साहिब ने लिखा है कि पिछले 6 महीनों में थोड़ी बहुत बेचैनी रही। मैं कहता हूँ कि बेचैनी नहीं पाई गई बल्कि हाहाचार मची रही, भूख हड़तालें हुईं, लोगों में हद दर्जे की परेशानी हुई। लेकिन यह कहते हैं कि थोड़ी बहुत बेचैनी पाई गई। इस राज के अंदर पंजाब राज्य के अंदर, जिसके मुख्य मंत्री कामरेड राम किशन जी हैं जिन्होंने हलफिया बयान लिया था कि इस राज्य में सब लोग सुख चैन पायेंगे, ट्यूबवैल्ज के मुलाजमीन रोते फिरते हैं। उनको 55 रुपये तनखाह मिलती है। क्या आप ख्याल करते हैं कि आजकल की महंगाई के जमाने में भला कोई आदमी 55 रुपये में भी गुजारा कर सकता है? उनको काम करते हुए सालहा साल हो गए हैं, दिन रात खेतों में धक्के खाते फिरते हैं। अगर किसी को वक्त पर पानी नहीं मिलता तो सिर वे फुटवाते हैं, कोई तकरार हो जाए तो लाठियां उनको पड़ती हैं। मिनिस्टर साहिबान बंगलों में आराम से बैठे रहते हैं। अगर कोई मर जाए तो शायद उसकी लाश का पोस्ट-मार्टम भी यह नहीं करवा पाते। माल के पटवारियों नहरी पटवारियों और क्लास फोर एम्पलाईज़ की कहते हैं कि हम ने तरक्की कर दी है। तरक्की क्या दी है इन्होंने? कहते हैं कि हाउस रैंट अलाउंस भी दे रहे हैं। अलाउंस यह दे रहे हैं कि अगर किसी की सौ या डेढ़ सौ रुपया तनखाह है और वह 20 रुपये कराये के मकान में रहता है तो दस परसंट के इलावा जो वह दस रुपये एक्सट्रा देता है वह अलाउंस मिलेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप देखें कि किस तरह से उन के साथ मज़ाक किया जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक पे कमिशन मुकर्रर करे जो इस बात का जायज़ा ले। रोहतक का मुझे ज्ञान है, अगर कोई आदमी सैंट्रल बैंक में सर्विस करता है, डाकखाने में सर्विस करता है, कोआप्रेटिव डीपार्टमेंट में काम करता है या डिप्टी कमिश्नर के आफिस में काम करता है तो सब की अलग अलग तनखाह है। सैंट्रल गवर्नमेंट के मुलाज़िम को तो पौने दो सौ रुपये मिलते हैं लेकिन म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजम को 65 रुपये मिलते हैं डी. सी० के दफ्तर में काम करने वाले को सौ रुपया मिलता है। इसका क्या कारण है? उन लोगों को अनाज और सामान तो एक ही बाज़ार से खरीदना पड़ता है। बनिया तो सब को एक ही भाव पर चीजें बेचता है। सैंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाईज़ के लिये कोई अलग भाव तो नहीं रखा हुआ और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाईज से कोई कम पैसा तो वह नहीं वसूल करता। इसलिये मैं कहूँगा कि सरकार को एक पे कमिशन मुकर्रर करना चाहिए जो कि मुलाज़मीन की तनखाह बढ़ाने का जायज़ा ले जैसे कि दास कमिशन मुकर्रर हुआ था। हमारे कामरेड साहिब तो पोल्टरी फार्मिंग को डीवैल्प करने के लिये बोर्ड बनाएंगे, फिर एक्सपोर्ट करने के लिये बोर्ड बनाएंगे और बाद में इम्पोर्ट के लिये बोर्ड मुकर्रर करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिये कमेटी बनायेंगे। मुझे तो डर है कि

[श्री मंगल सेन]

कामरेड साहिब की सरकार बोर्डों, कमेटियों और सब कमेटियों में ही खलत मलत होकर रह जाएगी । कल की पार्टी मीटिंग में जो ड्रामा हुआ है अगर ऐसा ही हुआ तो....

उपाध्यक्षा : न जी । (No Please)

श्री मंगल सेन : अच्छा जी, मैं आपका हुक्म मानता हूँ और यह बात छोड़ देता हूँ। भुवनेश्वर से लौट कर आए तो कहने लगे कि साम्यवादी ढांचा कायम करेंगे । साम्यवाद की परिभाषा पूछिए कि क्या करोड़ पति को और करोड़पति बनाओगे, सरमायेदार को और ज्यादा सरमायेदार बनाओगे, डाउन ट्रोडन जो हैं, जो बेकस हैं उन के हाथ पांव की हथकड़ियां और बेड़ियां काटोगे, उनकी मजबूरियों को दूर करोगे....... (विघ्न) श्री भगवद्दयाल जी हाउस में मज़दूरों की बात करते हैं। मैं उनकी याद को ताजा करने के लिये कहता हूँ कि आज मज़दूर की पीठ में छुरा घोंपती है तो रूलिंग पार्टी घोंपती है। जगाधरी पेपर मिल्ज़ के मज़दूरों ने स्ट्राईक की तो सरकार ने उनको जेलों में ठोंस दिया। इस सरकार ने वह केस तो वापस ले लिया लेकिन उनको रीइन-स्टेट नहीं किया जा रहा । पंडित जी ने उन मज़दूरों के बारे में कोई बात नहीं की। हकीकत यह है कि आज कल तो सरमायेदारों की बात मानी जाती है। लेबर डिपार्टमेंट और कैन्सीलीएशन डीपार्टमेंट सरमायेदारों की जेब के चमचे हैं। सरमायेदार जब चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।

सोनीपत म एटलस साईकल फैक्टरी है। मैं परसों वहां पर था, किसी काम से गया हुआ था। वहां पर 55 दिन से फैक्टरी के सामने मज़दूरों ने भूख हड़ताल कर रखी है । पंडित जी मज़दूरों के नेता हैं लेकनि यह वहां पर नहीं गए । चौधरी सुन्दर सिंह उप-मन्त्री साहिब बड़े सुर और ताल से गरदन हिला रहे हैं। वहां रैस्ट हाउस में जा कर दो बार खाना खा आए हैं लेकिन इन्होंने जा कर मज़दूरों की हालत का मुलाइज़ा नहीं किया । उनको वहां पर सालह साल हो गए काम करते हुए लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं किया जाता । 65 रुपय तनखाह दी जाती है । तीन महीने के बाद छुट्टी देकर फिर टैम्परेरी बेसिज़ पर नौकर रख लिया जाता है । फैक्टरी के मालिक रिकार्ड में हेरा फेरी कर लेते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, फैक्टरी के ज़ालिम मालिक राए बहादुर जानकीदास को आप जानती हैं। उसने भगतसिंह के केस में सरकार की तरफ से गवाही दी थी । आज वह कांग्रेस पार्टी का चहेता बना हुआ है, लीडर है और इनका मेहरबान है क्योंकि वह इनको थैलियां देता है । कामरेड राम किशन जी वहां पर गए ।

उपाध्यक्षा : वह सरकार परस्त थे, गवाही उन्होंने नहीं दी। (He was a supporter of the Government but he did not give evidence against S. Bhagat Singh.)

श्री मंगल सेन : अच्छा जी, मैं आपका मशकूर हूँ आपने मुझे कुरैक्ट कर दिया है। उस समय वह अंग्रेजों के बूट पालिश करते थे, आज वह इस सरकार के करते हैं, कल को कोई और गवर्नमेंट आ जायेगी तो वह उसके बूट पालिश करेंगे, उन्होंने तो बूट ही पालिश करने हैं। और गरीबों का खून चूसना है। वहां पर सरकार ने कपूर ए.एस.आई. लगा रखा है जो कि उस की रोटियों पर पलता है। वह गवर्नमेंट का मुलाज़म नहीं है बलिक एटलस फैक्टरी वालों का मुलाज़म है। उसने कितने मज़दूरों को गिरफ्तार किया हुआ है। राम प्रकाश मज़दूर को फैक्टरी के अंदर पीट पीट कर लहू लहान कर दिया गया। हमें रंज होता है जब हम सुनते हैं कि यह लोग कहते हैं कि बापू के आदर्श पर चलेंगे, नेहरू जी के कहने के मुताबिक राम राज्य कायम करेंगे और साम्यवाद कायम करेंगे। यह अच्छा राम राज्य कायम किया जा रहा है। उस बेचारे राम प्रकाश की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गई। लेकिन जब फैक्टरी वालों ने कहा तो वहां पर सरदार दरबारा सिंह जी पहुँच गये, पुलिस वहां पर पहुंच गई। मैं चाहता हूँ कि होम मिनिस्टर बैठे हों तो मेरी बात उन के कानों तक पहुंचे। उन गरीब मज़दूरों को भी जाकर देखें जिन को जेलों में ठोंसा गया है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज वहां पर मजदूर मारे भय और डर के कुछ कर नहीं सकते और सरकार बैठी तमाशा देख रही है। क्यों ? उनकी तरफ से कामरेड साहिब को थैली पेश की गई थी। उसमें 28,000 रुपये दिए गए थे। गो मेरी इस बात को कुछ लोग बुरा मानेंगे कि मैं क्यों ऐसी बातों पर आ गया हूँ लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम सोचते थे कि मन्त्रिमंडल के बदलने पर यहां कुछ परिवर्तन आएगा लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मन्त्रिमण्डल ने तो आगे से भी ज्यादा भट्ठा बैठा दिया है। ठीक है कि सरदार गलत सोचता था मगर यह बात भी सही है कि जो सोचता था वह करता था चाहे गलत ही करता था। लेकिन वह तो सोचते ही रहेंगे, गौर ही करते रहेंगे और इन्हीं बातों पर सारा समय निकल जाएगा। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनका एक डिपार्टमेंट है सेल्ज़ टैक्स का। इस महकमे ने लोगों के नाक में दम कर रखा है। बेचारे परचून करयाने वाले रो रहे हैं।

उपाध्यक्षा : श्री मंगल सेन जी, आपने अठारह मिनट ले लिये हैं। दूसरों ने भी बोलना है इसलिये एक दो मिनट में वाइंड अप कर दीजिए। (The hon. Member has already taken eighteen minutes. Others have also to participate in the discussion. He should please wind up in a minute or two.)

श्री मंगल सेन : बस जी, मैं छः सात मिनट में खत्म करने वाला हूँ। आपने ही रुकावट डाल दी।

उपाध्यक्षा : मेहरबानी करके ऐसा न कहें। यह बात नहीं। आप एक दो मिनट से ज्यादा न बोलें। (No such remarks please. It is not the case. The hon. Member may please conclude within a minute or two).

श्री मंगल सेन : बहुत अच्छा जी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि करियाने वालों की हालत को आप देख लीजिये। जिनकी 50,000 से कम बिक्री है उनमें से किसी चीज़ पर एक प्रतिशत टैक्स है, किसी चीज पर दो प्रतिशत और किसी पर छ: प्रतिशत। आखिर वह हिसाब किताब कैसे रखें। गरीब आदमी है। साठ या सत्तर रुपए दिन में उनको बिक्री नहीं होती लेकिन इस महकमा वाले लोग उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको तंग करते हैं। उनकी तरफ से यह मांग पेश की गई है कि 50,000 की बिकरी की बजाय दो लाख की बिकरी पर सेल्ज़ टैक्स लगना चाहिए और यह सेल्ज़ टैक्स कहां पर लगे ? वहां पर जहां कि उस वस्तु का सोर्स है। ठीक है कि सरकार सोच रही है। पर पता नहीं कि कब तक सोचती रहेगी। पता नही कि उतनी देर में सोचने वालों का मन्त्रिमंडल भी रहेगा या नहीं। यह भी शंका वाली बात है। तो मैं यह कह रहा था कि सेल्ज़ टैक्स का डिपार्टमेंट कुरप्शन का घर बना हुआ है। चंडीगढ़ में हड़तालें हुई। झज्जर में हड़तालें हुईं। जगह जगह पर सेल्ज़ टैक्स के इन्स्पेक्टर मनमानी करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने ठीक मतलब की बात उस वक्त कही थी। हरियाना से ज्यादा मतलब की हमारे लिये और क्या बात हो सकती है? ठीक है कि इन्होंने इस सम्बन्ध में कमेटी फार्म की। लेकिन उसमें किन व्यक्तियों को लिया जाता है? पंडित भगवत दयाल को छोड़ दिया और इनकी सारी तहसील भरती कर ली। कौन लिये गए, जो इकनामिक कमेटी के चेयरमन हैं? मुझे माफ कीजिए, मैं व्यक्तियों के नाम नहीं लेता इस हाउस के मैम्बर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कामरेड साहिब से कि इकनामिक कमेटी के चेयरमैन का फंक्शन क्या है? उनको कार दे रखी है, सरकारी पैटरोल जलता है, एक दफ्तरी है और एक पी. ए. उनको दे रखा है। मैं पूछता हूँ कि जनता की गाढ़े पसीने की कमाई को आप क्यों फ़ज़ूल में उन पर लगाए जा रहे हैं? जिन व्यक्तियों को जनता ने पुलिटीकल फील्ड में खदेड़ दिया था उनको फिर से एस्टैबलिश करने के लिये आप उसी तरह से कर रहे हैं जैसे कि सरदार प्रताप सिंह कैरों किया करते थे। आखिर सरदार प्रताप सिंह के साथ हमारा कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, कोई मकान का झगड़ा नहीं था, कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। हमारा उनके साथ सिर्फ असूलों का झगड़ा था। मैं कह देना चाहता हूँ, कामरेड साहिब, कि आप भी उन्हीं लीहों पर चल रहे हैं: (घंटी) जिन पर कि सरदार प्रताप सिंह कैरों चला करते थे।

बस एक दो मिनट में खत्म करने वाला हूं। तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हरियाना पिछड़ा हुआ इलाका है। रोहतक उसका मर्कज़ है। हैरानी की बात है कि जालन्धर में तो यूनिवर्सिटी कैम्पस बना दिया गया लेकिन रोहतक में अभी तक नहीं बनाया। अभी तक उसकी कोई योजना तक नहीं बनाई गई। इसी तरह से आप दबादब इन्डस्ट्रियल एरियाज़ बना रहे हैं। रोहतक में भी अरबन इंडस्ट्रियल एरिया के लिये जमीन एक्वायर हो चुकी थी। मालिकों को पैसे अदा कर दिये गए थे लेकिन अब हुक्म चला गया है कि वह नहीं बनाया जाएगा। और वहां बनेगा क्या? वहां पर कबड्डी के अखाड़ बनेंगे, । (घंटी) आखिर यह तमाशा क्या है? मैं आपके द्वारा पुरजोर मांग करता हूँ कि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया बनना

चाहिए । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को कह कर वहां पर हैवी इलैक्ट्रिक इंडस्ट्री कायम करनी चाहिए । आखिर क्या पाप कर दिया है वहा के लोगों ने जो आपको उनका कोई ख्याल ही नहीं आया ? अगर उन्होंने आप को सन् १९५७ और १९६२ में पसन्द नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उस इलाके के साथ सौतेली मां जैसा सलूक करें । (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर अनाज के बारे में और चनों के बारे में बहुत से बयानात दिए गए । लेकिन चना मंडियों में पड़ा है रोहतक में सड़ रहा है। कोल्ड स्टोरेज और सिनेमा तो खड़े किए जायेंगे । लेकिन न तो उसको ऐक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है और न दूसरी जगह पर ले जाने की (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं वाइंड अप करते हुए और आपका शुक्रिया अदा करते हुए यही प्रार्थना करूँगा कि आखिर रोडवेज को हुक्म होना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों को जाते हैं और तीन और चार मील के एरियाज के अन्दर स्कूल जाने वाले जो लड़के और लड़कियां हैं उनको ड्राइवर आउट आफ कर्टसी नहीं बल्कि एज़ ए ड्यूटी बसों पर बैठाएं । वहां उन के लिये बसों को रोकें और उनको बैठाएं । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

उपाध्यक्षा : पेश्तर इसके कि मैं किसी और मैम्बर साहिब को काल अपान करूँ मैं आप से दरखास्त करना चाहती हूँ कि यह मुनासिब मालूम नहीं होता कि जो मैम्बर साहिब बोलने के लिये खड़े हों वह अपनी मर्ज़ी से ही बोलते चले जाएं और चेयर की घंटी का बिल्कुल ख्याल न करें । जब घंटी बजाई जाती है तो उसका मतलब यह होता है कि मैम्बर साहिब को अब वाइंड अप कर देना चाहिए और एक दो मिनटों में स्पीच को खत्म कर लेना चाहिए । मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे क्योंकि बहुत से मैम्बर साहिबान बोलने वाले हैं। (Before I call upon the next hon. Member to speak I would like to observe that it does not behove an hon. Member, in the possession of the House, to continue speaking of his own free will in ulter disregard of the ringing of the bell by the Chair. When the bell is rung, it is an indication that the hon. Member should wind up and conclude his speech within a minute or two. I hope that the House will keep it in mind because a number of hon. Members wants to participate in the discussion).

खान अब्दुल गफ्फार खां (अम्बाला शहर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज हम गवर्नर साहिब के ऐड्रस पर बात चीत कर रहे हैं। गवर्नर साहिब ने शुरू में ही दो घटनाओं का जिक्र फरमाया । पहले हमारे महबूब नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू की मौत पर अफसोस और सदमे का इज़हार किया। उसके बाद सरदार प्रताप सिंह कैरों, शेरे पंजाब, के कत्ल पर अफसोस और सदमे का इज़हार किया ।

[खान अब्दुल गफ्फार खां]

डिप्टी स्पीकर साहिबा, हर तरक्की का इनहिसार अमनो अमान पर होता है। तरक्की....ख्वाह वह सनअती तरक्की हो, ख्वाह जरायती तरक्की हो, गर्ज़ेकि किसी किस्म की तरक्की हेच है, नहीं हो सकती जब तक कि ला एंड आर्डर कायम न हो। जब तक सूबे में, जब तक मुल्क में अफरा तफरी रहे, हर किसी को अपनी जान की हिफाज़त के लिये हमेशा चिन्ता रहे वहां कोई तरक्की नहीं हो सकती । हमारे सामने सरदार प्रताप सिंह और उन के तीन साथियों का कत्ल हुआ, कब होता है वह कत्ल ? दिन के ग्यारह बारह बजे के दरम्यान होता है। कहां होता है ? जी. टी. रोड पर होता है जहां इस बात का अन्दाज़ा है कि हर मिनट के बाद कोई न कोई वहिकल वहां से गुज़रता है....ख्वाह वह कार हो, ख्वाह वह ट्रक हो या और किसी किस्म का वहिकल हो। और यह ब्यान किया जाता है, बताया जाता है कि जो कत्ल करने वाले हैं, वह उस कत्ल से चार पांच घंटे पहले निहायत आज़ादी के साथ गांव में घूमते हैं, वहां जाकर लड़कों को संगतरे तक्सीम करते हैं, वहां से गन्ने का रस पीते हैं, गुड़ खाते हैं और चारपाई लेकर वहां पर दनदनाते हुए बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है? एकदम सरदार प्रताप सिंह की कार आती है । उस कार से पहिले और कारें गुज़रती हैं, उनको नहीं रोका जाता लेकिन सरदार प्रताप सिंह की कार आती है तो उनको कैसे मालूम हुआ कि सरदार प्रताप सिंह की कार इस वक्त आ रही है और उसको रोका जाए? फिर तमाशा यह कि न तो उससे पहिले और न उसके बाद इधर से या उधर से कोई ट्रक या वहिकल नहीं आया। ताजुब की बात है। हैरानकुन बात है कि न इधर से कोई ट्रैफिक जाता है और न उधर से कोई ट्रैफिक जाता है। सरदार प्रताप सिंह करों की कार रोक ली जाती है और रोक कर निहायत दलेरी के साथ निहायात घिनौना कत्ल किया जाता है । न सिर्फ यह कि सरदार प्रताप सिंह को ही कत्ल किया जाता है बल्कि सरदार प्रताप सिंह के साथ जो दूसरे साथी हैं उन तीनों को ड्राईवर के समेत, कत्ल किया जाता है। कैसे कत्ल किया जाता है ? कार को रोक कर । निहायत इतमीनान के साथ कार का दरवाज़ा खोल कर सरदार प्रताप सिंह को गोलियां मारी जाती हैं और निहायत इतमीनान के साथ उस कत्ल के बाद वह वहां से चले जाते हैं और पुलिस तीन चार घंटे तक वहां नहीं पहुंचती । सरपंच जो था रसोई गांव का था वह एफ. आई. आर. दर्ज कराने जाता है तो उसकी कोई बात नहीं सूनी जाती । इतफाकिया तौर पर हमारे पंजाब के बड़े पुलिस अफसर वहां पहुंचते हैं और उन से भी टाल मटोल की जाती है जब तक कि वह अपनी आईडेंटिटी नहीं बताते । इस अरसा में वहां कोई इस किस्म के इकदाम पुलिस की तरफ से नहीं उठाए जाते यानी जहां पर कत्ल हुआ है वहां कोई घेरा डाल दिया जाये या कातलों के पीछे फौरन सिपाही भेज दिए जाएं ताकि जो निशानात कातल वहां अपने पांव के या हाथों के या और कोई छोड़ गए हों वह ज़ाया न हो जाएं । इसका नतीजा यह हुआ कि जो भी वहां आया वहां फिरता रहा और जिसकी मर्ज़ी आई उसने कार को खोला और अन्दर देखा, ताकि इस तरह से वहां सैंकड़े आदमियों का जमघटा इकट्ठा हो गया और वहां जो कातलों के निशानात मिल सकते थे वह ज़ाया हो गए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, दिल भरा हुआ है। कहने को बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं सिर्फ कहने वाली बात कहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब उस शख्स के कत्ल के बाद, जिस शख्स की तारीफ में यहां बैठे हुए कुछ लोग और उधर बैठे हुए कुछ लोग कहना चाहते हैं तो कह लें। क्या हो सकता है उन के कहने से, जहां आज हिन्दुस्तान के प्रेज़ीडेंट सदमें का इज़हार करते हैं, जहां आज हिन्दुस्तान के प्राईम मिनिस्टर सदमे का इज़हार करते हैं और डिफेन्स मिनिस्टर सदमे का इज़हार करते हैं और बताते हैं कि यह कत्ल सरदार प्रताप सिंह कैरों का कत्ल नहीं है बल्कि यह तो जमहूरियत का कत्ल है और जमहूरियत की बुनियादों को हिला देने वाला कत्ल है जिसने जमहूरियत के सिलसिलों में एक ज़लज़ला ला दिया है। आज अगर यह उसको एक महान पुरुष न कहें और महान आत्मा न कहें तो उन के कहने से कुछ नहीं होता। आज हिन्दुस्तान के लोगों से पूछिए, नहीं, नहीं, हिन्दुस्तान के नहीं आप नीफा और लद्दाख में बैठे लोगों से जाकर पूछिए वह क्या कहते हैं। सरदार प्रताप सिंह कैरों ने अपनी जिन्दगी में अपना सर कभी नहीं झुकाया। उसकी ज़िन्दगी में सख्त से सख्त तूफान आए, झकोड़े आए लेकिन वह कभी भी उन के सामने झुका नहीं। उस ने पंजाब के लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट दी और उसने पंजाब और हिन्दुस्तान के नाम को अर्श तक पहुंचा दिया। आज नीफा और लद्दाख में बैठे हुए लोग जानते हैं कि वह सब से पहला शख्स था जिसने चीफ मिनिस्टर की हैसीयत से वहां पर जा कर सिपाहियों की हौसला अफज़ाई की और उन्हें जोश दिलवाया। उस शख्स ने वहां जाकर उनको यकीन दिलाया कि सारा पंजाब और सारा हिन्दुस्तान उन के लिये मौजूद है, कोई फिक्र न करो। तुम हिन्दुस्तान की हिफाज़त के लिये मौजूद हो और हिन्दुस्तान तुम्हारे लिये मौजद है। यह चीजें सरदार प्रताप सिंह ने करके दिखा दी हैं। इन के अलावा पंजाब के लिये और भी उसने क्या क्या किया है यह तो तारीख ही बताएगी। उसने पंजाब के सूबे को हिन्दुस्तान के बाकी तमाम सूबों में अव्वल दर्जा पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या भरती कराने के लिहाज से, क्या रुपये पैसे देने के लिहाज़ से और क्या जवानों को हौसला और जोश दिलाने के लिहाज़ से। आज लोगों को जो हौसला मिला है या उनमें भरती होने का जोश पैदा हुआ है वह तमाम सरदार प्रताप सिंह कैरों की तरफ से उन्हें हिम्मत और हौसला बढ़ाने से हुआ है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कई दोस्तों की तरफ से यह कहा गया है कि पंजाब के लोग हमेशा से अगवाई करने वाले हुए हैं और यही वजह है कि पंजाब ने इतनी तरक्की की है, यह कोई सरदार प्रताप सिंह कैरों की वजह से नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोगों ने अमेरिका में और अफरीका में जा कर भी तरक्की की है। ठीक है कि पंजाब के लोग अगवाई करना जानते हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूँ कि सरदार प्रताप सिंह के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले यहां पंजाब में उन्होंने क्या कर लिया था। इससे साफ ज़ाहर है कि अमेरिका में या अफरीका में जो कुछ कर सके हैं वह वहां के लोगों को ही देख कर कर सके हैं। मैं समझता हूँ कि आज पंजाब के सूबा ने जो हर लिहाज़ से तरक्की की, खाह ज़रायत की पैदावार बढ़ाने के

[खान अबदुल गफार खां]

लिहाज़ से हो, चाहे सनअती लिहाज़ से हो, चाहे यहां नहरों के लिहाज़ से हो और चाहे सड़कों के बनाने के लिहाज़ से हो या मदरसों के खोला जाने के लिहाज़ से हो यह तमाम सरदार प्रताप सिंह कैरों की मेहरबानी से हुआ है। उस की खिदमात को भुला देना मैं समझता हूँ कि यह अव्वल दर्जा की अहसान फरामोशी और कृतघन्ता होगी। जो यह कहता है कि सरदार प्रताप सिंह कैरों की वजह से पंजाब ने तरक्की नहीं की है मैं समझता हूँ कि वह अहसान फरामोशी करता है और कृतघन्ता करता है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक बात और कह कर अपने आप खत्म कर देना चाहता हूँ, पेशतर इसके कि आप घंटी बजाएं और मुझे हुक्म दें मैं खुद ही इस बात का ख्याल करके अपने आप बैठ जाऊंगा ।

तो मैं अर्ज़ करना चाहता था कि इस कत्ल के बारे में मुख्तलिफ थ्यूरियां पेश की गई हैं। पहले कहा गया था कि कातल जो हैं उन के बारे डर है कि व अपनी दाढ़ी मूछें मुण्डवा कर पाकिस्तान को चले गए हैं। उसके बाद कहा गया है कि साहिब, यह पुलिटीकल मर्डर नहीं है। ठीक है, हमने कब कहा था कि यह पुलिटीकल कत्ल है। हमने तो कहा था कि यह रूल आऊट नहीं किया जा सकता कि यह पुलिटीकल कत्ल है । फिर कहा गया कि जनाब, इसमें एक बड़े भारी पुलिस अफसर का दखल है। तो अगर पुलिस अफसर का दखल है तो मैं पूछता हूँ कि यह पुलिटीकल कत्ल है कि नहीं है इसका फैसला करना पब्लिक का काम है और यह फैसला पब्लिक करेगी । आज क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता कि यह सही खबर है या गलत, इतना ज़रूर है कि एक अफवा फैली हुई है कि कातलों को कत्ल कर दिया गया है। जिस तरह कि सदर कैनेडी को मारने वाले को कत्ल कर दिया गया था और ल्याकत अली खान को कत्ल करने वाले को भी उसी वक्त कत्ल कर दिया गया था ताकि वह राज़ न खोल दे। यह अफवा जो है उसी बेसिज़ पर हो सकती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाएं कि कत्ल होने के बाद इतने अर्से तक वहां पुलिस नहीं पहुंचती हालांकि डेढ़ मील के फासला पर पुलिस स्टेशन राए का है और वहां पी. ए. पी. की फुल बटैलियन मौजूद है। वह वहां ट्रेनिंग हासिल कर रही है उसके पास जुमला हथियार मौजूद हैं उनसे कोई मदद नहीं ली जाती । यही नहीं, कोई मास्टर माइंड था जिसने चाहा कि ऐसे हालात पैदा करो कि इस कत्ल का सुराग न लग सके । दिल्ली से पुलिस के कुत्ते मंगाए जाते हैं मगर कातिल पानी में से गुज़र जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई पानी में से गुजर जाए तो बू जाती रहती है और कुते पीछा नहीं कर सकते । देखिए कितनी माइन्यूटली सारी चीज़ वर्क आउट की गई, कितनी गहरी साजिश थी। फिर देखिए कहा जाता है कि साहिब कितनी पुलिस तहकीकात कर रही है। 5 डी. आई. जीज़. और आई. जी. पहुंचे। बड़ी कोशिश कर रही है पंजाब गवर्नमेंट । ठीक है । हम कब कहते हैं कि यह कोशिश नहीं करती, ज़रूर करती होगी, लेकिन नतीजा क्या है? आज तीन हफ्ते हो गए हैं इस कत्ल को

हुए मगर आज तक सुराग़ नहीं मिला । तो भी मैं एक बात कहना चाहता हूं । कोई कुछ कहे कि सरदार प्रताप सिंह को जिनके कहने पर खत्म किया गया है या जिन्होंने खुद कत्ल किया है वह अपने मकसद में निहायत नामुराद और नाकामयाब रहे हैं। वह समझते थे कि सरदार प्रताप सिंह को कत्ल कर देने से प्रताप सिंहइज्म खत्म हो जायगा, उसकी खूबियां खत्म हो जायेंगी मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ । आज उसकी खूबियां ही सब के सामने हैं, उसकी कमियां किसी के सामने नहीं हैं । प्रताप सिंह का कत्ल कोई मामूली कत्ल है ? फारसी में कहावत है जिसका मफहूम यह है कि आसमान को हक पहुंचता है कि खून की बारिश यहां की जाए। सरदार प्रताप सिंह ने पंजाब के लिये क्या कुछ नहीं किया । अपनी सेहत खराब की, अपना सब कुछ मिटाया और आखरी वक्त में भी देखिए इस धरती का वफादार रहा । दिल्ली से चलते हैं। डेढ़ या दो मील के फासला पर दूसरे सूबा की सरहद है और इधर पंजाब की सरहद है । कातिल उसे दूसरी तरफ भी मार सकते थे मगर यह सरदार प्रताप सिंह की कुव्वत इरादी का नतीजा था कि उसने नहीं पसंद किया कि दूसरे सूबा में मरे । उस ने मरना कबूल किया तो वह भी पंजाब की सरज़मीन पर और उसकी ज़मीन पर अपना खून बहाया। (विघ्न) सुनने वालो सुनो, इस सूबे के लिये अपना आखरी कतरा खून बहाया । इसलिये बहाया कि पंजाब खुशहाल हो (तालियां) इसको खुशिया देखनी नसीब हों । आखिरी दम तक बफादारी का सबूत दिया और ऐसा सबूत दिया कि रहती दुनिया तक कायम रहेगा । हमें धमकाया जाता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं। हम हरगिज़ नहीं कहते । हमारा यह कतअन मक्सद नहीं है यह कहने का कि पंजाब गवर्नमेंट कुछ नहीं करती । हम कहते हैं कि हालात एसे हैं कि वह काबू से बाहर हो गये हैं या क्या बात हो गई जिसकी बजह आज तीन हफ्ते हो चुके हैं आज तक कातलों का सुराग नहीं मिल सका । कहीं कहां कि साहिब कार पकड़ी गई है। कहां ? फिरोज़पुर । फिर कहीं और कार पकड़ ली मगर बाद में छोड़ दी कि इस का उस कत्ल से ताल्लुक नहीं है । ऐसे तो लाखों कारें हैं। यह साइड-ट्रैक क्यों हो रहा है ? इसलिये हम कहते हैं कि इस बात को सैंटर अपने हाथ में ले ले । अगर सैंटर इसे अपने हाथ में ले ले तो वह इसमें ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। यह बात हमारे सामने है कि इनकी तमाम ऐफर्टस के बावजूद यह सुराग नहीं मिल सका इसलिये हम कहते हैं कि सरदार प्रताप सिंह के कत्ल का सुराग सैंट्रल इन्टैलीजेंस बियोरो लगाये ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

खान अबदुल गफार खां : सरदार साहिब, प्रेजीडैंट रूल होने पर भी आप घबराएंगें । आपने सरदार प्रताप सिंह के लिये एक लफ़्ज़ कहा था इब्नुलवक्त । मैं नहीं समझता था लेकिन सरदार संत सिंह आंजहानी जो ईथीओपिया में हमारे एम्बैसेडर थे और लायलपुर में प्रैक्टिस करते थे उन्होंने मुझे एक शख्स के इब्नुलवक्त होने के मुताल्लिक बताया था ।

एक श्रवाज़ : क्या नाम था उसका ?

खान श्रबदुल गफार खां : उसका नाम बताने की क्या ज़रूरत है । तो आज अगर किसी के साथ ऐसी बात होती है तो कल किसी और के साथ भी हो सकती है । रूल की क्या बात करते हैं । यह देखना गवर्नमेंट का काम है कि अगर वाकई ऐसी बातें हुई हैं तो यह रूल रहे या वह रूल रहे । या जो मर्जी आए कर दे ।

Deputy Speaker : Please wind up.

खान श्रबदुल गफार खां : Yes, Madam, I am going to wind up. अगर आप इजाजत दें तो एक बहुत बड़ी फलसफी की कोटेशन अर्ज़ करना चाहता हूँ । आप देखिए कि यह जो ताजर लोग होते हैं दुकानदार यह साल में एक दफा अपना हिसाब देखते हैं, फलां जगह इतना खर्च किया, फलां जगह इतना खर्च किया वगैरा और फिर देखते हैं कि इतनी आमदनी हुई । इस तरह बट्टा खाता मिला कर अगर खर्च आमदनी से ज्यादा बने तो घाटा और उसके उल्ट हो तो नफा समझा जाता है । आज पंजाब को देखना है कि सरदार प्रताप सिंह की वजह से नफा रहा या नुकसान । मैं दावे से कहता हूँ कि पंजाब को इसमें नफा रहा है हर तरह से । नुक्सान नहीं रहा । सरदार प्रताप सिंह ने हर तरह से सूबे की तरक्की करके दिखाई । बाकी जो फाल्ट फाइंडिंग है ।

Nothing is easier than fault finding.

No talent, no self-denial, no brain is required to set up in this business.

इसके लिए किसी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, अकल की ज़रूरत नहीं होती। कोई मुझे कह दे कि फाल्ट फाइंडिंग करता हूँ तो यह ठीक नहीं । हम फाल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे, हम तो उस के खिलाफ कह रहे हैं । हम कहते हैं कि अपनी चारपाई के नीचे लाठी फेरो, अपने शहतीर को देखो बजाए दूसरे के तिनके को देखने के । हमारा कांग्रेस वालों का तो यही असूल रहा है कि हम अपनी खराबियां देखते हैं, दूसरे की खराबियां नहीं देखते ।

हम तो बताते हैं कि हमने यह किया । सरदार प्रताप सिंह या कांग्रेस के लोग जो इधर बैठे हैं इन्होंने कभी दावा नहीं किया कि हम किसी बात से मुबर्रा हैं या मुसतिसना हैं, हमने कभी गलती नहीं की । इनसान गलती का पुतला है । मैंने एक बात को पिछली दफा भी कहा था और आज फिर दोहराता हूँ कि मेरे अकीदे के मुताबिक जहां में तीन हस्तियां हैं जो कभी गलती नहीं करती । एक तो खुदावन्द, अलाहताला, वाहिगुरु, परमेश्वर और दूसरे फरिश्ते । मेरे एतकाद और अकीदे के मूजब फरिश्तों में गलती करने का मादा ही नहीं है जिससे कि गलती पैदा हो और तीसरा कम्बख्त शैतान है जो भूल कर भी इनसान को सही रास्ते पर नहीं लाता । इसलिये सरदार प्रताप सिंह न शैतान था और न खुदा था । वह तो महज़ एक इनसान था और

इनसान से गलती होने का हर वक्त इमकान है । अगर उसकी खूबियों के सामने उसकी गलतियों को तोला जाए तो खुबियों की वजह से उसकी आसमान में कहीं ऊंची जगह होगी । (विघ्न) यह बीच में मुदाखलत ह, इनकी बात में क्या करूँ जो हर वक्त बदल जाने में यकीन रखते हों ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह कतल ऐसा है जिसने दुनिया में एक ज़लज़ला ला दिया है । दुनिया की अखबारों में इसके बारे में लिखा है कि आज जमहूरियत किस तरफ जा रही है । इस तरीके से जमहूरियत की जड़ें काटी जा रही हैं । यह काम किस का है ? कत्ल करने वालों का या कत्ल करवाने वालों का, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । कातल पकड़े जाएं तो पता चले । ख्वाह किसी के कहने पर कत्ल हुआ या अज खुद कत्ल किया गया यह तो उन के पकड़े जाने पर ही पता चल सकता है । लेकिन मैं यह कहूँगा कि यह सरदार प्रताप सिंह का कत्ल नहीं, प्रजातंत्र का कत्ल है, जमहूरियत का कत्ल है । और इस सूबे के हर इन्सान में इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है । कातल अब भी अगर गिरिफ्तार न हों तो मैं समझता हूँ कि सूबे का ला एण्ड आर्डर कहां जाएगा, मैं तो यह समझने लगा हूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि आप जैसे भरन्ज इन्सान की जिन्दगी भी खतरे में है, मेरी ज़िन्दगी भी खतरे में है और उनकी भी जो उधर बैठे हैं ।

(चौधरी रिज़क राम की ओर से विघ्न)

और यह जो बोल रहे हैं मैं इनको बता दूं कि इन का साथ चौधरी लहरी सिंह से रहा है, उन्होंने भी सरकार को कहा था कि मेरी कोठी पर पहरे का इन्तज़ाम कर दिया जाए । आज यह मेरी इस बात को झुटलाना चाहते हैं । (विघ्न)

Deputy Speaker : Kindly wind up.

खान अब्दुल गुफार खां : मैं, बस एक बात कह कर खत्म करता हूँ । चौधरी जी आज इस तरह से मुदाखलित करते हैं इनको कह दूं

मसलहत नेस्त

अगर आप कहो तो आगे भी कह दूं, कहीं कल मुझ पर इन्डसिप्लिन का चार्ज न लगा देना ।

मसलहत नेस्त कि अज़ परदा बेरूं उफ़तद राज़
वरना दरीं महफले रिन्दां खबर नेस्त कि नेस्त

मैं इसका मायना भी बता दूं, कहीं भैंस के सामने बीन बजाने वाली बात न हो जाए । इसका मायना यह है कि इस बात मे मसलहत नहीं कि राज़ को इफ़शां करूँ वरना कौन सी राज़ की बात है जिसकी हमको ख़बर नहीं ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, गर्वनर साहिब ने जो अपने एड्रैस में फरमाया है उनमें से उस्तादों के मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूँ । (विघ्न)

Deputy Speaker : No please. The hon. Member has already spoken for half an hour. Kindly resume your seat now.

Khan Abdul Ghaffar Khan : Thank you, Madam.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਨ ਵਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਂਸਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਛਾਨ ਬੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : यहां पर चौधरी सुन्दर सिंह जी बैठे हैं। मैं ने कहला भेजा है और चौधरी रिज़क राम जी भी आ रहे हैं। हाउस की कार्रवाई को चलने दिया जाए। (Chaudhri Sunder Singh is present in the House. I have sent a message and Chaudhri Rizaq Ram is coming. Let the proceedings of the House continue.)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀਸੀ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲੀਸੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਲੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਘੜ ਦੁਘੜ ਹੀ

ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਆਨਰੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲੀਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜਰਾਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲੀਸੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ, ਜੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਟਨ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ । ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਕਣਕ 17 ਰੁਪਏ ਮਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਉ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਉ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਮਿਡਲਮੈਨ, ਵਿਉਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਖ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਉ ਵਧਾ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਉ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਉ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਪਰ ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਥੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। **(Sardar Gurnam Singh, a Member of the Panel of Chairmen in the Chair)** ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲਭਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਖ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ, ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਮੁਕਰਰ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਦੋ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਉ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਉ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ । ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਿਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਥੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ 80-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਬਰਮਾ ਤੇ ਲੰਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ 30 ਗੁਣਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਇਸੇ ਫਰਕ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਟਵਾਰੀ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੇ ਬੀ ਟੀ ਟੀਚਰ 120 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਸੋ ਕਿ ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਨ ਨੂੰ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੋਣ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ । ਤਨਖਾਹ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਰੀਟੇਰੀਏਟ ਦਾ ਕਲਰਕ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਲਰਕ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਫੋਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇ। ਪਰ ਏਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 144 ਦਫ਼ਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੀਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਦਫਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਪਸੂ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ

ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗ ਭਗ 8 ਤਰਮੀਮਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਦ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਕਦਮ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਮ ਕਾਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ!

ਜੇ ਡਰੇਨਜ ਰਾਹੀਂ ਹਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਡਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਕ ਖੰਭਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਵੇ। ਮਗਰ ਸਿਨੇਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 30, 40 ਖੰਭੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਵੈਲਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਣ।

ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਿਕ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਅਮਰ ਨਾਥ ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਧਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਕਿਧਰੇ ਭੈਂਸਾਂ, ਗਾਂਈਆਂ ਯਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ, ਗਰਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧੇ ?

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤਾਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਏਹੀ

ਨਹੀਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਅਨਅਰਥ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਲਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੈਂਡਲਾਰਡ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1,200 ਏਕੜ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਰੀਜਨ ਮੁਜ਼ਾਰੇ 10—15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ. ਡੀ. ਐ ਮ. ਪਾਸ ਇਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਉਲਟ ਗਿਆਂ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਜੇਲ ਦੇ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਔਰ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ ਪਿਠ ਤੇ ਹੋ ਗਈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ । ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਔਰ ਕਪਾਸ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

(*Deputy Speaker in the chair.*)

ਹੁਣ ਅਜਕਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਫਾ 107 ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ।

ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਨਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ।

ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਅਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਖ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਪ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਚੁਪ ਹੈ, ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾਂ, ਉਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਖਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਡਿਉ ਦੇਵੇ ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਖਟੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਔਰ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਲੋਂ ਤਵੱਜੁਹ

ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇ ਹੀ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਡ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਾਅਹਿਲ ਹੁਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ । ਲੇਕਿਨ ਹਣ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇੰਜ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ; ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਮਗਰ ਇਥੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ । ਬਸ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री बाबू दयाल शर्मा (पटौदी) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आखिर आप की नज़र मेरे ऊपर भी पड़ गई है ।

Deputy Speaker : The hon. Member should withdraw these words.

श्री बाबू दयाल शर्मा : अच्छा जी मैं वापिस ले लेता हूं । राज्यपाल के एड्रेस का शुक्रिया अदा करने के लिए जो रैजोल्यूशन पेश किया गया है उस की ताईद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । इस में गवर्नर साहिब ने पहली बात जो जिक्र की वह यह है—

"..........I would like to express my own and my Government's deep sense of shock and sorrow at the tragic assassination, lately, of the former Chief Minister, Sardar Partap Singh Kairon,......"

मैं कहता हूँ वाकई कैरों साहिब का जिस ढंग से कत्ल हुआ है उसने हमारी डैमोक्रेसी के लिये बड़ा भारी खतरा पैदा कर दिया है। कुछ भाइयों ने, जिन में मैं भी शामिल हूँ, यह मुतालबा किया है कि इस केस की इन्वैस्टीगेशन सैंट्रल गवर्नमेंट के हवाले की जाए। यह मांग हम इसलिये नहीं करते कि हमें इस सरकार पर एतमाद नहीं हैं, मुझे इस गवर्नमेंट पर बेहद एतमाद है क्योंकि जिस शख्स के हाथ में इसकी बागडोर है वह निहायत ईमानदार है। कहते हैं कि अगर किसी राजनैतिक नेता की कमजोरी देखनी हो तो उसके साथ जेल में रहो और अगर उसका रोब दाव देखना हो तो जलसे में देखो। मैं उन आदमियों में से हूं जो $1\frac{1}{2}$ साल उन के साथ मियांवाली, जेल में रहा था। मैं जानता हूँ कि वह निहायत इमानदार आदमी हैं। मुझे अफसोस है कि आज एक क्राइसिज़ है पंजाब में कि एक इतने बहादुर आदमी का बुरी तरह से कत्ल हुआ। यह बात शास्त्रों में भी कही गई है कि मुसीबत के वक्त तो बड़े बड़े अवतारों की बुद्धि भी चलायमान हो जाती है जैसा कि कहा है कि 'आपत्त काले धीयोऽपि पुन्साम मलीनाम भवन्ति'। मैं कहता हूँ कि जब 50/60 मैंबरों का मुतालबा है कि तफतीश सैंट्रल गवर्नमेंट करे तो मेरे मुअज़्ज़ दोस्त का फर्ज़ था कि वह पहले से ही एलान कर देते। जब मैं उन के पास गया था तो वह मुझे कहने लगे कि यह तो गवर्नमेंट पर नो-कान्फीडेंस वाली बात होगी। मैं कहता हूँ कि हमें बेहद कान्फीडैंस है गवर्नमेंट पर। यह तो आपके हक की बात है। अगर कल को न पता चला तो फिर आप क्या कहेंगे। मैं अपने ज़ाती तजुरुबे की बिना पर कहता हूँ कि पंजाब की पुलिस निहायत गैर ज़िम्मेदार है। सन् 1952 में ज़िला गुड़गांव में एक नौजवान को मार दिया गया। मैंने सच्चर साहिब को लिखा कि वहां के सुपरिन्टैंडेन्ट पुलिस को तबदील करके उस केस की इन्क्वायरी करवाई जाए। फिर इन्स्पैक्टर से इन्क्वायरी करवाई गई। उसने लिख दिया कि चश्मदीद गवाह नहीं है और पंजाब के चीफ सी. आई. डी के आफीसर ने रिपोर्ट की और मुझे कहा कि क्या आपका चश्म दीदा शहादत ला सकते हैं। मैंने कहा कि अगर शहादत होती तो फिर आपकी इन्क्वायरी की क्या ज़रूरत थी। उसने मेरे खिलाफ 10 सफे की रिपोर्ट कर दी और कहा कि अगर पण्डित बाबू दयाल पर दफा 182 का केस न बनाया गया तो गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। पुलिस इमानदार नहीं है। श्री भगवत दयाल, श्री मोहन लाल और खान साहिब ने जो कहा है मैं उनकी ताईद करता हूँ। पंजाब की पुलिस तब काम करती है अगर इन को किसी का डर हो। सरदार प्रताप सिंह उन आदमियों में से थे कि उनको देखते ही ब्यूरोक्रेटिक अफसरों का पेशाब निकला करता था।

Deputy Speaker : Please use fine language.

श्री बाबू दयाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज भी जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा शायद विदेशी सरकार ने भी कभी मेरे साथ न किया हो। मैं अपने मुख्य मंत्री साहिब को मश्वरा दूंगा कि उन्हें सेंटर को लिख देना चाहिए कि इस केस की इन्वैस्टीगेशन वह अपने हाथ में ले लें। उस वक्त भी जब सच्चर साहिब ने मेरे केस की इन्क्वायरी

सेंटर की सी. आई. डी से करवाई थी तो उन्होंने कहा था कि जो कुछ बाबू दयाल ने कहा है वह ठीक है और सच्चर साहिब लाबी में ले जा कर मेरी पीठ थाप कर कहने लगे कि तुमने ठीक किया है । इसलिये आज भी मैं अपने मुख्य मंत्री साहिब को मश्वरा देता हूं कि वह हमारी बात मान जाएं क्योंकि इनकी जिम्मेवारी उन के सिर पर पड़ जाएगी । कुछ भाइयों ने यह कहा है कि यह पंजाब सरकार के इंट्रेस्ट के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सेंटर की सरकार हमारी अपनी नहीं है। वह भी हमारी अपनी सरकार है । मैंने अपनी एक एमेंडमेंट पेश की है जिसमें लिखा है।

उपाध्यक्षा : उसके पढ़ने की क्या जरूरत है । (The hon. Member need not read that.)

श्री बाबू दयाल शर्मा : चलो नहीं पढ़ता। वैसे ही अर्ज किए देता हूँ कि यहां हमारी सरकार ने बहुत से बढ़िया काम किए हैं और करोड़ों रुपये का खर्च किया है लेकिन यह सरकार उसी तरह से काम करती है जिस तरह की अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि 'penny wise pound foolish'.' आप सब जानते हैं कि हमारे जिला गुड़गांव ने पहली जंगे आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहां के लोगों ने 1857 की जंगे आजादी में आजादी का झंडा बुलन्द किया और उसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने वहां के फनकारों के अंगूठे कटवा दिए । हमारे फरुख नगर नूह के अलाके में नमक की बड़ी भारी इन्डस्ट्री चलती थी और लाखों मन नमक बन कर आगरा को जाता था, उसे बन्द कर दिया और इस इन्डस्टरी में लगे हुए हज़ारों आदमी बेकार कर दिये और आज वह फरुख नगर जैसा मशहूर शहर तबाह हाल हो गया है। उस इन्डस्टरी के लिये मैं 1952 से लेकर कोशिश करता आ रहा हूँ और सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाता आ रहा हूँ कि उस इन्डस्टरी को जिन्दा किया जाए। आज भी उस कस्बा में अढ़ाई तीन हज़ार मज़दूर रहते हैं जो मोड़े बना कर गुज़ारा करते हैं और मुश्किल से पेट पालते हैं। मेरे शोर मचाने पर पिछले दिनों सैंट्रल सरकार ने वहां का सर्वे करने के लिये आदमी भी भेजे लेकिन उन्होंने सरसरी सर्वे करके दो तीन कुओं का पानी देख कर कह दिया कि इसमें नमक कम है और यह फायदा वाला काम नहीं है। यह उन्होंने गल्त कहा है वजह यह है कि वहां के पानी का नमक निकालना बंद हुए काफी वक्त गुज़र गया है और अब पानी का लैवल ऊंचा हो गया है इसलिये उन के टैस्ट में नमक कम निकला है। लेकिन अगर वहां पानी का अच्छी तरह से सर्वे किया जाता तो उनकी रिपोर्ट सही निकलती । मैंने फिर अपनी सरकार को कई दफा लिखा और इन्डस्ट्री के डायरैक्टर श्री परमजीत सिंह को भी मिला । वहां से अब एक सर्वे पार्टी वहां पहुंची है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सरकार को वहां जल्दी से जल्दी इस इन्डस्ट्री को चालू करना चाहिए। इसके अलावा वहां बहुत सारे कैमीकल साल्टस भी तैयार हो सकते हैं जो हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं। दूसरे अपनी तरमीम में मैंने यह कहा है कि सरकार जो प्लान बनाती है उसको पूरा नहीं करती। इन्होंने प्लान के अन्दर तजवीज़ रखी थी कि होडल से रिवाड़ी तक जो सड़क है उसे होडल,

1-00 P.M.

[श्री बाबू दयाल शर्मा]

पलवल, नूह, तौड़ू, पटौदा, पटौदी तक मुकम्मल किया जाएगा लेकिन इन्होंने एक और गैर ज़रूरी सड़क को पूरा कर दिया है लेकिन इस तीन चार मील के टुकड़े को जो तौड़ से नूह को जाता है जहां पहाड़ी पड़ती है और घाटी बनी है उसे पूरा नहीं किया है जिसका नतीजा यह हुआ है कि तावड़ के थाने के अलाके को लोगों को नूह के लिए सोहना होकर जाना पड़ता है । फिर गज़ब यह कि ट्रांस्पोर्ट के महकमे ने तौड़ू से नूह तक कोई रूट भी नहीं दिया है और न कोई बस चलाई है । जब लोग तारीख पेशी पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको जुरमाने होते हैं और उन के केसिज़ फाईल हो जाते हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ कि उस सड़क को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों की तकलीफ दूर हो ।

अब मैं सायल कन्ज़रवेशन के महकमे के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ मुझे और ज़िलों का तो पूरा पता नहीं लेकिन जो मेरे ज़िला में यह महकमा काम कर रहा है उसका मुझे अच्छी तरह पता है । वहां पर यह हो रहा है कि सायल कन्ज़रवेशन का स्टाफ बड़े बड़े लैंडलार्डज़ के घरों में बैठा रहता है । कागज़ों में दर्ज करते हैं कि 50 मज़दूर काम पर लगे हैं लेकिन होते 20-25 ही हैं और बाकी सारे मज़दूरों के पैसे खुद खा जाते हैं। बड़े बड़े लैंडलार्डज़ की ही सायल कन्ज़रवेशन करते हैं। वहां पर एक छोटा सा बांध बनना था। गरीब किसानों ने अपनी बढ़िया ज़मीन देकर घटिया ज़मीन ही ले ली ताकि इसे कल्चरेबल बना कर काशत करें लेकिन आज तीन साल हो गए हैं बार बार रिप्रेजटेशन भेज रहे हैं लेकिन उस छोटे से बांध को जिस पर 20-25 हज़ार रुपया ही खर्च आना है वह नहीं बना सके हैं। इनकी सायल कन्ज़रवेशन का यह हाल है । (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनके विजीलैंस के महकमे का यह हाल है कि काम तो उनका विजीलैंस करना है लेकिन वह दिन भर पड़े सोए रहते हैं। जाकर नहीं देखते कि लोगों का क्या हाल हो रहा है। इतने डाके पड़ते हैं और चोरियां होती हैं लेकिन कागज़ों की खाना पूरी करके छुपा लेते हैं। आप एड्रैस में ही देखें लिखते हैं कि जुर्म कम हो गए हैं। मैं कहता हूँ कि जुर्म कम इसलिये नहीं दिखाए गए हैं कि कम हुए हैं बल्कि इसलिये कि रिपोर्ट दरज नहीं करते हैं। आपने देखा कि सरदार प्रताप सिंह कैरों के कत्ल को भी दरज कराने में कितनी तगोदौ करनी पड़ी है और कहते हैं कि एक बड़े अफसर के कहने पर रिपोर्ट दरज की गई । यह जो विजीलैंस डिपार्टमेंट है यह पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ और अफसरों की घूसखोरी के खिलाफ सरकार को सही रिपोर्ट नहीं करता है । मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ कि इस महकमा की तरफ ध्यान दिया जाए और उनकी डायरियां देखी जाएं। आज गरीबों की हालत बहुत बुरी हो रही है और उन्हें इन्साफ नहीं मिलता है । थानों में लोग जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है । इस विजीलैंस के महकमा के कानों में गरीब लोगों की तो आवाज ही नहीं पहुंचती है । बड़े बड़े आदमियों, घूसखोरों

ग्रौर रिश्वत के दलालों की ही आवाज पहुंचती है । फिर कहते हैं कि हम ब्लैक मारकिट ग्रौर कुरप्शन को खत्म कर देंगे । लेकिन मैं ग्रापको मिसालें बता सकता हूँ कि जब ब्लैक मारकिट ग्रौर कुरप्शन की रिपोर्ट भी की जाती है तब भी कोई ऐक्शन नहीं लिया जाता । हम चाहते हैं कि यह सरकार जिस तरह शहीदों के खून से बनी है उसी तरह यह ग्रानैस्ट , जस्ट ग्रौर सिन्सीयर भी बने। (विघ्न) तो मैं ग्रर्ज कर रहा था कि हम जब कुरप्शन ग्रौर ब्लैक मारकिट के केस भी पहुंचाते हैं तब भी कुछ नहीं होता । न लड़की होती है ग्रौर न शादी होती है लेकिन शादी के नाम पर खांड ले ली जाती है । यह जो कोग्राप्रेटिव का महकमा है यह फ्राड का महकमा है । दिहाती चीनी कम लेते हैं लेकिन बचती कभी नहीं । सारी इधर उधर हो जाती है ग्रौर ब्लैक मारकिट में हर माह बिकती है । हमने इनको एक केस भी दिया कि एक ग्रादमी ने ग्रपनी लड़की की शादी के नाम पर 80 किलोग्राम चीनी ले ली हालांकि न कोई शादी थी ग्रौर न कोई लड़की थी। (घंटी) जब डी.सी. को रीप्रेजैंटेशन दी गई तो पुलिस ने केस रजिस्टर किया । लेकिन वहां पर कितने ही खुशामदी पहुंच गए ग्रौर जोर दिया कि इस केस को ठप कर दो । हमने डी.डी.पी.ग्रो. से पूछा कि जिस सरपंच ने गलत तसदीक की है कि शादी के लिये चीनी चाहिए उसे ससपैंड क्यों नहीं करते ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, डी.डी.पी.ग्रो. ने कहा कि मैंने सरपंच के विरुद्ध मसौदा लिख कर भेज दिया है ग्रौर वह जल्दी सस्पैंड कर दिया जाएगा। 5,6 दिन के बाद मैं ने फिर डी.डी.पी.ग्रो. को पूछा तो वह कहने लगा कि इसकी मदद के लिये कुछ एम.एल.एज़ ग्रा गये थे, इस लिये उस पर ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिर मैं ने यह बात डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाई ग्रौर 26 दिनों के बाद पर्सनली मिला ग्रौर सारी बात डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में लाई । मैं ने डी.डी.पी.ग्रो. वाली बात भी सुनाई थी.........

उपाध्यक्षा : माननीय सदस्य 20 मिनट से बोल रहे हैं ग्रौर ग्रन्य ग्रानरेबल मैम्बर भी बोलना चाहते हैं। इसलिये ग्राप वाइंड ग्रप करें । (The hon. Member is speaking for the last 20 minutes and other hon. Members also want to speak. So he should wind up now.)

श्री बाबू दयाल शर्मा : उपाध्यक्षा महोदया, मैं ग्राप का हुक्म मानता हूं ग्रौर यहीं पर ग्रपनी स्पीच बन्द कर देता हूं।

बख्शी प्रताप सिंह (पालमपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस हाउस मैं दो दिन से गवर्नर साहिब के एड्रेस पर बहस चल रही है । गवर्नर साहिब के एड्रेस में सब से पहले सरदार प्रताप सिंह कैरों के कत्ल के बारे में जिक्र किया गया है । इस कत्ल के बारे में बहुत सारे ग्रानरेबल मैंबरों ने ग्रपने विचार प्रकट किए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की शान भी इसी से बढ़ेगी ग्रौर लोगों को शान्ति भी तभी मिलेगी जब सरकार इस

[बख्शी प्रताप सिंह]

कत्ल का पता लगाए । मैं मानता हूं कि स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरों के दिल में पहाड़ी इलाकाजात के लिये दर्द था और उन्होंने इस इलाके की बेहतरी के लिये कदम भी उठाए थे आज वहां के लोग उनके कत्ल किये जाने से बहुत दुखी हैं ।

इस एड्रेस में सब से पहले देश की रक्षा के बारे में कहा और यह बाज़ेह किया गया है कि चीन की तरफ से अभी भी खतरा मौजूद है। इसलिये हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये तैयार रहना चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिये इस मकद्दस काम के रास्ते में हम कभी भी रुकावट नहीं आने देंगे। अगर कोई इस में रुकावट पैदा करेगा तो उस के बर्खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से गुरेज़ नहीं करेंगे । जैसा कि सरकार को कुछ देर पहले कार्रवाई करनी पड़ी है वह लोग देश की एकता को भंग करने वाले थे । सरकार का यह दलेराना कदम काबिले तारीफ है बल्कि इस की जितनी भी दाद दी जाए, वह बजा और कम है । आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर देश महफूज़ है तो हम सब महफूज़ हैं। देश की सलामती से ही सब की सलामती है । देश के कमज़ोर होने से हम सब कमज़ोर हो जायेंगे । इसके साथ ही जो आज देश के पासबां हैं, इन आसमान से बातें करने वाले बर्फानी पहाड़ों की चोटियों पर दुश्मन से सीन सपर हैं, उन के बारे जो गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में मैंबरों से मुखातिब होते हुए यह कहा कि हमें अपने फौजियों की कुर्बानियों का पूरा पूरा अहसास है और हम उनकी और सब फौजियों की भलाई के लिये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यह शानदार आवाज़ है जिसकी गूंज से फौजी नौजवानों और उन के परिवारों के दिलों में नया जोश भर गया है और उनमें देश के लिये मर मिटने की स्पिरिट पैदा होगी, जिसकी आज के हंगामी हालात के दौरान खास ज़रूरत है । देश की शान भी इसी में है। मैं इसके लिये गवर्नर साहिब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। फौजी नौजवान जिन्होंने अपने आपको देश की रक्षा के लिये अर्पण किया है उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहुलतें दी जाएं ताकि उनका हौसला बढ़े और दुश्मन का मज़बूती से मुकाबला करके अपने देश का नाम ऊंचा करें ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने गवर्नर का एड्रेस बड़े गौर से पढ़ा और इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि पंजाब में मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों की निस्बत बहुत तरक्की हुई है । पहाड़ी इलाके के लिये सरकार ने इतना ही कह कर टाल दिया है कि इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार इस तरह कह कर अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती है। वहां पर कोई खास तरक्की नहीं हुई है । मैं मानता हूं कि पहाड़ी इलाके की डिवैल्पमेंट के लिये सरकार ने हिल्ल एडवाइज़री कमेटी बनाई है । हिल्ल कमिश्नर भी मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा चन्द महकमों के लिये डिप्टी डायरैक्टर्ज़ भी नियुक्त किये गए हैं लेकिन इस बात से किसी इलाके की तरक्की का अन्दाज़ा नहीं लग सकता है। अन्दाजा तो तब ही लग सकता है जब उस इलाके को डिवैलपमेंट के पैमाने से नापा जाए । वहां पर कितनी तरक्की हुई है । मैं समझता हूं कि इस इलाके में तरक्की बहुत कम हुई है । मैं सरकार से आप के द्वारा प्रार्थना

करना चाहता हूं कि इस इलाके की जांच पड़ताल के लिये एक इवैल्यूएशन कमेटी बनाई जाए और वह इस बात का अन्दाज़ा लगाए कि देश के आजाद होने के बाद इस इलाके में पर कैपिटा इन्कम कितनी बढ़ी है, खेती बाड़ी की पैदावार में कितना इज़ाफा हुआ है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ और ऐजूकेशन के सिलसिले में कितने आगे बढ़े हैं। वहां पर कितनी सड़कें पक्की की गई हैं, सिंचाई तथा बिजली के कितने साधन प्रदान किए हैं। वह रिपोर्ट हाउस में पेश की जाए। इससे वहां की डिवैलपमैंट का पूरा पता चल सकेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पहाड़ी इलाके की सड़कों के बारे में आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। यह बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे पब्लिक वर्कस मिनिस्टर हाउस में मौजूद हैं वह बहुत गौर से सुन रहे हैं। मुझे आशा है कि मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही कदम उठाएंगे। बीसवीं सदी म सब से पहले डिवैल्पमेंट का साधन सड़कें होती हैं। लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, वहां की इस बारे में हालत मैदानी इलाकों से बिल्कुल भिन्न है। जिला कांगड़ा म सिर्फ एक पक्की सड़क है। यह सड़क पठानकोट से मनाली को मिलाती है। इस सड़क को फौजी नुक्ता निगाह से भारत सरकार की मदद से वसीह और अच्छी सड़क में तबदील किया जा रहा है। बाकी ज़िला कांगड़ा में सड़कें बनाने की रफतार बहुत ही कम है। अगर इसी तरह से सड़कें बनाई गईं तो काफी साल लग जायेंगे। हमारा इलाका मैदानी इलाके से पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर इसी तरह से काम होता गया तो मैं समझता हूं कि हम बहुत ही बैकवर्ड रह जायेंगे। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जदीद मशीनरी और काफी तादाद में बुलडोज़र इस काम के लिए मुहैया किए जाएँ ताकि वहां की हालत कुछ सुधर सके। कांगड़े ज़िले की भूगोलिक पोजीशन को मुख्य रखते हुए मैदानी इलाकों की निस्बत वहां सरकार सड़कों के लिये ज्यादा रुपये मुहैय्या करे और कच्ची सड़कों को पक्का करने की कोशिश की जाए। हमारी तमाम तरक्की का राज़ इसी पर ही निर्भर है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस ऐड्रेस में तालीम के विकास और टीचरों को दी गई सहूलतों का जिक्र भी किया गया है। यह एक अच्छा कदम है। टीचर्ज़ देश के निर्माता होते हैं उन्हें जो सहूलतें दी गई वह बहुत ही कम हैं। इन्हें और ज्यादा सहूलतें दी जाएं, इनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं कि देश के आजाद होने के बाद जिला कांगड़ा में प्राइमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में और मिडल स्कूलों को हायर सैकंडरी स्कूलों मे अपग्रेड करने का यत्न किया गया है लेकिन ऊंची तालीम का अदारा पहले ही जैसा है। इस में कोई तबदीली नहीं आई है। इस वक्त तक ज़िला कांगड़ा में एक ही कालिज धर्मशाला में है। इस एड्रेस में जिक्र किया गया है कि कांगड़ा में एक और कालिज हमीरपुर में खोला जाएगा। लेकिन यह तभी खोला जायगा अगर अगले दो सालों के अन्दर कालिज की अपनी इमारत बनने तक टैम्परेरी जगह का प्रबन्ध किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस किस्म की शर्त

[बख्शी प्रताप सिंह]

हमारे ऊपर लागू नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हमारा इलाका पहले ही बहुत गरीब है और लोगों के पास इतनी जगह नहीं है जो इस काम के लिये दे सकें । मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में दोबारा ग़ौर करना चाहिए और यह शर्त बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए । आपको भी मालूम होगा कि हमीरपुर तहसील के लोग फौज में काफी संख्या में मौजूद हैं। इस इलाके के लोगों ने बहादुरी के कारण विक्टोरिया क्रास और महावीर चक्र प्राप्त किये हैं। जहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेफा और लद्दाख में बहादुरी और वीरता से अपने जीवन की आहुति देश के लिये दी है । उन्होंने देश की रक्षा के लिये सर्वोपरी कदम उठाए हैं। इसलिये वहां पर कालिज बिना शर्त शीघ्र ही खोल देना चाहिए । हमीरपुर में कालिज खोल देने से ही ज़िला कांगड़ा में तालीम का मियार ऊंचा नहीं हो जाएगा । मैं चाहता हूँ कि चौथे फाइव ईयर प्लेन में पालमपुर में कालिज खोला जाए । आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश आबादी के लिहाज से कांगड़ा के बराबर है लेकिन वहां पर 7 कालिज खोले हैं और सरकार ने उनकी बेहतरी के लिये बहुत कुछ किया है लेकिन उसके मुकाबले में पंजाब सरकार ने जिला कांगड़ा को डिवेल्प करने के लिये बहुत कम ध्यान दिया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चीन की लड़ाई के समय ज़िला कांगड़ा के 162 लोग शहीद हुए और उनमें तहसील हमीरपुर के 59 शहीद हुए थे। यह इलाका फौजी माइंडिड है । यह तहसील माशयल तहसील कहलाई जाती है । इसलिये इस ज़िला की फौजी अहमीयत को सामने रखते हुए वहां पर सैनिक स्कूल भी खोला जाए ताकि बच्चे वहां पर फौजी शिक्षा ले सकें ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इससे आगे सिंचाई और बिजली के सम्बन्ध में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहां तक इरीगेशनल फेसिलीटीज़ का ताल्लुक है इस एड्रेस में जो सहूलतें मैदानी इलाका में दी जानी हैं उन्हीं का ज़िक्र है । इसमें यह भी ज़िक्र किया गया है कि साले रवां में पांच हज़ार से जायद ट्यूबवैल्ज़ को बिजली दी जावेगी । खेतीबाड़ी के कामों के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले ट्यूबवेल्ज़ और पम्पिंग सैट्स में खर्च होने वाली बिजली पर से ड्यूटी हटा दी गई है । लेकिन यह अफसोस का मकाम है कि पहाड़ी इलाकाजात के बारे में इस सम्बन्ध में कोई भी ज़िक्र नहीं किया गया । आप बखूबी जानते हैं कि खेतीबाड़ी की पैदावार में तभी इज़ाफा हो सकता है जब कि आबपाशी के साधन मुहैय्या किये जाएं। मैं आपकी विसातत से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूँ कि इस बारे उस इलाके में खास तवज्जोह दी जानी चाहिए । राजाओं महाराजाओं के वक्त की जो वहां पर कूहलें हैं उनमें पानी की रवानी को बाकायदा जारी रखने के लिये उनके हैड्ज़ को पुख्ता किया जाना चाहिए । इसके साथ ही उन कूहलों को सरकार को अपनी तहवील में ले लेना चाहिए ताकि उनकी बाकायदा देख भाल की जा सके। जिस जिस इलाका में वाटर लिफ्टिंग की स्कीम कामयाब हो सकती है उस उस इलाके की सर्वे करवाई जानी चाहिए और शीघ्र से सीघ्र अमली जामा पहनाया जाना चाहिए । जब तक यह जिला अनाज के सम्बन्ध में खुद कफील न बन जाए गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा से ज्यादा मिकदार में सस्ता अनाज भेज कर लोगों की मदद की जानी चाहिए ।

ज़िला कांगड़ा में हार्टीकल्चर का बहुत ज्यादा स्कोप है; इसके लिये ज्यादा फंड मखसूस किये जाने चाहिएं ।

सनग्रतें : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सनग्रतों का तो ज़िला कांगड़ा में कहीं नामो-निशान नहीं । सरकारी एलान भी किया गया, बड़ा ढोल पीटा गया कि ज़िला कांगड़ा में कागज़ का कारखाना लगेगा । परन्तु ग्रब वह कागज़ का कारखाना कांगड़ा ज़िला में नहीं बल्कि होशियारपुर के जिला में नंगल के मकाम पर लगाया जा रहा है । सीमेंट फैक्टरी की भी बड़ी चर्चा हुई लेकिन ग्रब वह भी गायब हो चुकी है । गंदा बिरोज़ा का घर तो कांगड़ा ज़िला है लेकिन ग्राप सुन कर हैरान होंगे कि कारखाना गगरेट के मकाम पर ज़िला होशियारपुर में लगा हुग्रा है । ग्राखिर यह बेइनसाफी कब तक लोग सहन करेंगे ? मैं ग्राप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूँ कि ग्रगर सही मानों में ज़िला कांगड़ा की तरक्की मकसूद है तो उसे इंडस्टरी के मैदान में ग्रागे बढ़ाया जाए ग्रौर वहां ज्यादा से ज्यादा सनग्रतें कायम की जानी चाहिए ।

मैडीकल व हैलथ : एड्रेस में बताया गया है कि सरकार इस बात की बड़ी खाहिशमंद है कि वह ग्रपने शहरियों के लिये पीने का पानी मुहैया करे ग्रौर पहाड़ी इलाकों में खास कर पीने के पानी की सप्लाई करने के लिये तरजीह दी जाए । यह खाहिश सरकार की बड़ी नेक खाहिश है । लेकिन ग्रमल में उसके उल्ट हो रहा है । मेरे हलका नुमाइंदगी पालमपुर में साले रवां के ग्रंदर दो वाटर सप्लाई स्कीमें भवाना ग्रौर पपरोला मंज़ूर हुई हैं लेकिन माकूल फंड्ज़ न होने के कारण रुकी पड़ी हैं । उन स्कीमों के लिये जल्दी मज़ीद फण्ड्ज़ दिए जाएं ताकि काम शुरू होकर उस इलाके को पीने के पानी की सखत किल्लत का मसला जल्दी हल हो सके । ग्रगर सरकार सही तौर पर इस सिलसिले में लोगों की मदद करना चाहती है तो वहां पर वाटर सप्लाई के लिये ज्यादा से ज्यादा फंड्ज़ प्रोवाईड किये जाने चाहिएं ।

जहां तक ग्रस्पतालों का सम्बन्ध है, इनकी गिनती में तो ज़रूर इज़ाफ़ा हुग्रा है लेकिन न तो ज़रूरत के मुताबिक दवाइयां ही मिलती हैं ग्रौर न ही उनमें डाक्टर हैं । गोया कि मंदिर तो हैं लेकिन पुजारी नहीं हैं । जब दवाइयां न हों ग्रौर डाक्टर भी न हों तो ऐसे ग्रस्पताल खोले जाने से क्या लाभ है ? महकमाना तौर पर ज़िला कांगड़ा के दूर उफतादा ग्रौर बैकवर्ड इलाकों में डाक्टर मुहैया किये जाने के लिये स्पेशल ग्रलाउंस दिये जाने के लिये गवर्नमेंट को सिफारशात हुई थीं लेकिन काफी दिनों से वह मामला खटाई में पड़ा है । मैं ग्रर्ज़ करूँगा कि सरकार को इस ग्रोर भी फोरी ध्यान देना चाहिए

जंगलात : जहां तक जंगलात का ताल्लुक है, जंगलात की ग्रामदनी में तो हर साल इज़ाफा हो रहा है लेकिन वहां के ग्रवाम को उससे कुछ लाभ नहीं है । बल्कि उन्हें दिन बदिन कानून की सख्ती का सामना करना पड़ रहा है । मेरा सुझाव है कि जंगलात से जो ग्रामदनी होती है उसमें से ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ग्रावाम को दिया जाना चाहिए ग्रौर ग्रावाम की बहबूदी के लिये खर्च किया जाना चाहिए ताकि लोगों

[बख्शी प्रताप सिंह]

में इस बारे खास दिलचस्पी पैदा हो और जंगलात की पैदावार बढ़े इस समय जंगलात की आमदनी से जो चहारम मिलती है वह बरोज़ा कशीदगी के सिलसिले में नहीं मिलती, वह भी दी जानी चाहिए।

ट्रांस्पोर्ट : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ट्रांस्पोर्ट की ज़िला कांगड़ा में बहुत खस्ता हालत है। वहां पर पिछले सालों के दौरान लोगों ने बड़ी मेहनत और जांफिशानी से सड़कें तामीर की थीं। ब्लाकों के द्वारा सरकारी इमदाद भी दी गई थी। लेकिन अब हालत यह है उनमें से बहुत सारी सड़कों पर मोटरें भी नहीं चलतीं। रोडवेज़ का तो इतना खराब ढांचा है कि गाड़ियां राह में ही दम तोड़ देती हैं। मुसाफिरों को मंज़लेमकसूद पर न पहुंच सकने के कारण भारी तकलीफात का सामना करना पड़ता है। मैं आपकी विसातत से चीफ मिनिस्टर साहिब को जो कि इस महकमे के इन्चार्ज हैं कहना चाहूँगा कि जिन सड़कों पर मोटरें नहीं चलतीं उन पर सरकारी रोडवेज़ की गाड़ियां चलाई जानी चाहिएं। रोडवेज़ की जो पुरानी और नाकारा गाड़ियां हैं उनकी जगह पर नई गाड़ियां बहम पहुंचाई जानी चाहिएं। इस तामाम सिलसिले को ठीक ढंग से और दुरुस्त तौर पर चलाने के लिये मैं तजवीज़ करूँगा कि पहाड़ी इलाकाजात की अलग रीजनल ट्रांस्पोर्ट अथारिटी कायम की जानी चाहिए, रिजनल ट्रांस्पोर्ट अथार्टी जालंधर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए।

ज़िला कांगड़ा में सरकारी मुलाज़मीन को हिल कम्पनसेटरी अलाउंस दिया जाना मंज़ूर हुआ है। लेकिन उसमें एक तमीज़ रवा रखी गई है कि ज़िला के बाहर के मुलाज़मीन को तो साढ़े बारह फीसदी और जो ज़िला कांगड़ा के वाशिंदगान हैं उनको सवा छे परसेंट अलाउंस दिया जाएगा। जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको तो एक ही दामों पर सौदा मिलेगा; इसलिये यह भेद भाव खत्म किया जाना चाहिए और सब के लिये यकसां अलाउंस यानी साढ़े बारह फीसदी मंज़ूर होना चाहिए।

गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में कहा है कि हमें अपने फौजियों की कुरबानियों का पूरा पूरा अहसास हो रहा है और हम उनको और अपने साबका फौजियों की भलाई के लिये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, ज़िला कांगड़ा जिसकी फौजी खिदमात का रीकार्ड स्टेट की सफे अव्वल में है, जिसके जवान नीफा और लद्दाख की लड़ाइयों में सब से ज्यादा शहीद हुए हैं, जिस ज़िला के नौजवानों ने बहादुरी के जौहर दिखा कर इस स्टेट की शान को सारे देश की आंखों में ऊंचा किया है, जहां के नौजवान आज भी सब से ज्यादा तादाद में हिन्दोस्तानी फौज में मौजूद हैं और बरफानी पहाड़ों पर दुश्मन से सीना सपर हैं, उस ज़िला की आला फौजी खिदमात और शानदार रवायात के पेशे नज़र पंजाब सरकार से मैं यह दरखास्त करूँगा कि उस ज़िला की तामीरो तरक्की की तरफ खास ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन बातों की तरफ मैंने सरकार का ध्यान पहले दिलाया है उन्हें अमली शक्ल में देकर ज़िला के अवाम का म्यारे ज़िन्दगी बुलंद करने में कोई कमी न उठा रखी जाए और आज जो वहां के

अवाम का रोहजान हिमाचल में शामिल होने की तरफ दिन बदिन बढ़ता जा रहा है उसे खत्म करके पंजाब राज्य की शान को बढ़ाया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अन्त में आपका धन्वाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने विचार सदन के सामने रखने का अवसर दिया है।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ—ਐਸ. ਸੀ.) : ਪਰਮ ਆਦਰ ਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉਤੇ ਅਜ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਸੁਨਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ।

श्री सुरेन्द्र नाथ खोसला : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कोरम पूरा नहीं है।

(*Quorum bells were rungand the quorum was complete*)

उपाध्यक्षा: बड़ी अजीब बात है कि गवर्नर एडे्स की बहस पर भी कोरम पूरा नहीं रखा जाता तो और कब रखा जाएगा। मैं ने सरदार जै इन्दर सिंह को पहले भी इस सम्बन्ध में कहा था। (It is strange that if there is no quorum in the House even when the Governor's Address is being discussed; then on what other ocassion will there be quo um ? I had al eady po nted out to Sardar Jai Inder Singh in this behalf.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਤੇ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੁਨਣ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਥੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਕ ਆਊਟ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਦ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀਯ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਡਾਮੀਨੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ।

ਜਿਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਧੱਕਾ ਅਜ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਮਨਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਸਾਵਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਵਿਚ ਜਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕੀਤਾ। ਅਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

उपाध्यक्षा : जब इसी हाउस के ग्रानरेबल मैम्बर साहिब न ही अपनी जबान में बोलने के लिए सीरियस नहीं है और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो आप गवर्नमैंट को किस बात के लिए जोर दे सकते हैं ? (When the Members of this House are not serious to express themselves in their own language and try to speak in English, then on what grounds can you press the Government for this ?)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਉਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਇਥੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਇਕ ਬੜਾ ਵਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੂਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਨ ਸਿੰਘ ਮਰਗਿੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ । ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹਦ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹਦ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੀਫ਼ੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭਠੱਲ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ । ਅਗਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਫਰਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਨਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ 52 ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਜ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਜ ਨੇ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਥੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰੋ । (Now please wind up.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਬਸ ਜੀ, ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਕਰਕੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਅਜ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦਸ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਸੀਏ।

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ (ਹਰਿਆਨਾ ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਆਮ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਇਕ ਬੜਾ ਬਦਨੁਮਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਲਾਸ ਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 8, 8 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਲੱਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕੀ ਫਿਰੇ ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਲਾਸ IV ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨਾਲੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੋਣ। ਇਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਦਾ

[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ]
ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁਕੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁਕਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਵਰਨਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਦਾ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ । ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੋਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤਕ ਸਾਰਾ ਹਿਲੀ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 56 ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 365 ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹਨ, ਮੁੰਡੂ ਬਣਕੇ । ਉਥੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਪਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣਾ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ 5 ਮਰਲੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ । ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ । (ਘੰਟੀ) ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਲੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਅੱਧਾ ੨ ਘੰਟਾ ਬੋਲੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਉ । (He may touch all his points in two minutes.)

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ : ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 5000 ਰੁਪਏ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਿਲੇਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾਕੇ 12, 12 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੋਂ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਜਾਂ ਖੂਹ ਲਾਕੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇ ਉਸੇ ਭਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿਵਾਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਚੜ੍ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਟੁਟਦੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਕਈ ਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਘਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਕੁਝ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵ। (ਘੰਟੀ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਹਜਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਿਨਾ ਸੂਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੇ। (ਘੰਟੀ) ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰੋ। (Please finish your speech within one minute.)

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ: ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਮਿੰਟ ਟੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। (He spent ten minutes talking about night soil.)

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀਪੁਰ ਭੂੰਗਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜੋ ਬਲਾਕ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਗਵਾੜੀ ਮਨ੍ਹੋ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਫਾ 5 ਜਦੀਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝਟ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 10-15 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੱਸ ਜੀ। (Now please resume your seat.)

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ : ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਦਿਓ।

Deputy Speaker : No please. Principal Rala Ram.

प्रिंसीपल रला राम (मुकेरियां) : उपाध्यक्षा महोदया, गवर्नर साहिब का जो एड्रेस सदन में हुआ और जिस बारे में बहन ओम प्रभा ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। गवर्नर साहिब ने बजा तौर पर सरदार प्रताप सिंह जी कैरों की हत्या पर गहरा शोक प्रकट किया है। इस में शक नहीं है कि उन की हत्या से हम सब को बड़ा भारी सदमा पहुंचा है और पंजाब के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस को कि उनकी हत्या से सदमा न पहुंचा हो। हम सब चाहते हैं कि उन की हत्या का सुराग़ जल्दी से जल्दी लगे।

माननीय सदस्य अभी बोल ही रहे थे कि सदन उठ गया)

उपाध्यक्षा : सदन दो मार्च को दो बजे मिलेगा । (The House stands adjourned till 2.00 P. M. on the 2nd March, 1965.)

(The Sabha then adjourned till 2.00 P. M. on Tuesday the 2nd March, 1965.)

1380 P.V.S.—15-5-65—365—C., P. & S., Pb., Patiala.

APPENDIX

To

Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. I, No. 5

dated the 27th February, 1965

Land acquired for Payal-Dhamot-Bhadewal Road

***6815. Lieut. Bhag Singh, M. L. A.:** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the date when land for the construction of Payal-Dhamot-Bhadewal road belonging to the resident of village Payal, district Patiala (now in district Ludhiana) was acquired ;

(b) whether compensation for the said land has since been paid to the land-owners ; if so, to how many and at what date ;

(c) whether it is a fact that compensation is yet to be paid to thirteen land-owners, if so the reasons for the delay in making payment to them and the approximats time by which it is likely to be paid ?

Subject:—Punjab Vidhan Sabha Starred Question No.6815 regarding land acquired for Payal-Dhamot-Bhadewal Road.

The answer to Punjab Vidhan Sabha Starred Question No. 6815 appearing in the list of starred Questions to be asked at a meeting of the Punjab Vidhan Sabha to be held on the 23rd February, 1965, in the name of Lieut. Bhag Singh, M.L.A. is not ready. This information is sent to the Speaker, Punjab Vidhan Sabha who is requested to extend the time for answering the question under the Rules of Procedure and conduct of Business.

2. The question may be included in the list for question for any date after 23rd March, 1965.

Sd/-...............

Public Works Minister, Punjab

To

The Speaker,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O. No. 108-Q-BRIV-65., dated the 22nd February, 1965.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS INCLUDED IN THE LIST FOR 23rd FEBRUARY, 1965

Welfare Schemes for Amritsar District

2097. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Public works and Welfare be pleased to state—

(a) the amount likely to be spent, tehsil-wise, in Amritsar district out of that collected under the Punjab Temporary Taxation Act, 1962 ;

(b) the details of the schemes to be financed from that amount in Tarn Taran and Patti tehsils ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) An amount of Rs 10.00 lakh is likely to be spent in Amritsar District. Tehsil-wise details of the amount disbursed are as follows—

			Rs.
(i)	Amritsar	..	93,568
(ii)	Tarn Taran	..	1,13,720
(iii)	Patti	..	2,61,770
(iv)	Ajnala	..	5,08,710
	Total	..	9,77,768

The remaining amount of Rs 0.22 lakh will be disbursed before the close of the current financial year.

(b) The amount in question has been provided for advancing loans to Harijans for purchase of surplus rural evacuee land being auctioned by the Rehabilitation Department.

Flood Relief Measures in Amritsar District

2098. Principal Rala Ram : Will the Minister for Revenue with reference to the reply to starred question No. 6370 included in the list of questions for 18th September, 1964, be pleased to state—

(a) the number and names of persons of villages Kalsian Kalan and Lidhu mentioned at serial No. 109 of the statement attached with the said reply alongwith their parentage, who have been affected by the floods/heavy rains ;

(b) the number and names of such persons who have been given taccavi loans and grants from the amounts mentioned in part (b) of the said reply, separately ; if loans and grants have not been given to any one, the reasons therefor ;

(c) whether any Harijans of the villages referred to in part (a) above have been given some grants/taccavis etc. if so, the details thereof, if not, the reasons therefor ?

Sardar Harinder Singh Major : (a), (b) and (c)148 persons of village Kalsian Kalan and Lidhu were affected by the floods/heavy rains. 45 persons have been given taccavi loans and 105 persons grants. Statements showing the names of such persons with parentage and caste and the amount sanctioned for taccavi loans and grants separately are enclosed. Harijans have also been given grants/taccavi ;

List of persons of village Kalsian Kalan and Ladher given Taccavi Loans

S. No.	Name with Parentage	Caste	Amount sanctioned
			Rs.
	Sarvshri :—		
1.	Mehanga Singh s/o Bant Singh	Jat	200
2.	Baga Singh s/o Jwand Singh	Do	200
3.	Jiwan Singh s/o Natha Singh	Do	200
4.	Dalip Singh s/o Gajjan Singh	Do	200
5.	Balkar Singh s/o Dhian Singh	Do	200
6.	Milkha Singh s/o Dalip Singh	Do	200
7.	Surjan Singh s/o Dalip Singh	Do	200
8.	Jagir Singh s/o Lal Singh	Do	200
9.	Harbans Singh s/o Dial Singh	Do	200
10.	Bagail Singh s/o Mangal Singh	Do	200
11.	Boota Singh s/o War Singh	Do	200
12.	Sukhdev Singh s/o Ranjit Singh	Do	200
13.	Amrik Singh s/o Bhagat Singh	Do	200
14.	Suba Singh s/o Surain Singh	Do	200
15.	Chanchal Singh s/o Mihan Singh	Do	200
16.	Inder Singh s/o Ujagar Singh	Do	200
17.	Lachhman Singh s/o Sunder Singh	Do	200
18.	Darshan Singh s/o Surain Singh	Do	200
19.	Boota Singh s/o Jagat Singh	Do	200
20.	Pooran Singh s/o Jagat Singh	Do	200
21.	Anokh Singh s/o Bhagat Singh	Do	200
22.	Bhupinder Singh s/o Jagat Singh	Do	200
23.	Sucha Singh s/o Katha Singh	Do	200
24.	Kehar Singh s/o Shankar Singh	Do	200
25.	Bahg Singh s/o Ala Singh	Do	200

S. No.	Name with Parentage	Caste	Amount sanctioned
	Sarvshri :—		
26.	Bachan Singh s/o Labh Singh	Jat	200
27.	Isher Singh s/o Jiwan Singh	Harijan	200
28.	Dalip Singh s/o Jiwand Singh	Jat	200
29.	Darshan Singh s/o Bhagat Singh	Do	200
30.	Gurdip Singh s/o Bishan Singh	Do	200
31.	Baggi Singh s/o Narain Singh	Do	200
32.	Sanga Singh s/o Pala Singh	Do	200
33.	Tek Singh s/o Chaman Singh	Do	200
34.	Jagir Singh s/o Mian Singh	Do	200
35.	Dalip Singh s/o Sohana Singh	Do	200
36.	Joginder Singh s/o Dara Singh	Do	200
37.	Gurbax Singh s/o Baghel Singh	Do	200
38.	Resham Singh s/o Roor Singh	Do	200
39.	Ajaib Singh s/o Sanga Singh	Do	200
40.	Santa Singh s/o Suchet Singh	Do	200
41.	Banta Singh s/o Ujagar Singh	Do	200
42.	Kartar Singh s/o Suda Singh	Do	200
43.	Jarnail Singh s/o Lachhman Singh	Do	200
44.	Dalip Singh s/o Jagat Sihgh	Do	200
45.	Gurmej Singh s/o Lachhman Singh	Do	200

List of persons who have been given grants in Village Kalsian Kalan and Ladhu, Tehsil Patti, during the year, 1964

S. No.	Name of the persons with parentage	Caste	Amount
1	2	3	4
			Rs.
	Sarvshri :—		
1.	Sunder Singh s/o Wadhawa Singh	Harijan	60
2.	Teja Singh s/o Megh Singh	Backward	20
3.	Jagtar Singh s/o Mangal Singh	Jat	20
4.	Geja Singh s/o Natha Singh	Jat	60
5.	Gansha Singh s/o Mehraj Singh	Harijan	20
6.	Mehraj Singh s/o Mahi Singh	Do	60
7.	Dhanoo s/o Ujagar Singh	Do	40

Sr. No.	Name of the persons with parentage	Caste	Amount
1	2	3	4
	Sarvshri :—		
8.	Shinda s/o Makhan Singh	Harijan	60
9.	Mohinder Singh s/o Mehin Singh	Do	60
10.	Amrik Singh s/o Baghail Singh	Jat	20
11.	Bant Ram s/o Devi Ditta	Brahman	20
12.	Baga Singh s/o Narain Singh	Jat	20
13.	Natha Singh s/o Bogh Singh	Do	40
14.	Jinda Singh s/o Baga Singh	Do	60
15.	Gian Singh s/o Ganda Singh	Chimba	40
16.	Hari Singh s/o Dhian Singh	Jat	60
17.	Atma Singh s/o Chanda Singh	Chimba	60
18.	Sultan Singh s/o Jai Singh	Tong Shatri	40
19.	Argoo s/o Kesar	Harijan	20
20.	Chanan Singh s/o Tara Singh	Do	40
21.	Gopal s/o Ismail	Christian	60
22.	Tara Singh s/o Bishan Singh	Tong Shatri	40
23.	Kartar Singh s/o Sudagar Singh	Ditto	60
24.	Natha Singh s/o Musa Singh	Jat	20
25.	Chanan Singh s/o Mian Singh	Do	60
26.	Amar Singh s/o Gurdit Singh	Do	60
27.	Wasakha Singh s/o Gian Singh	Do	40
28.	Tara Singh s/o Jagat Singh	Harijan	60
29.	Tejow w/o Lachhman Singh	Do	60
30.	Mohinder Singh s/o Pal Singh	Do	60
31.	Dogar Singh s/o Sardar Singh	Do	40
32.	Malook Singh s/o Budh Singh	Jat	60
33.	Wazir Singh s/o Gajan Singh	Do	60
34.	Namo w/o Tehal Singh	Do	40
35.	Shera s/o Phula	Harijan	20
36.	Harnam Singh s/o Ganda Singh	Do	60
37.	Chet Singh s/o Atma Singh	Do	40
38.	Ujagar Singh s/o Mian Singh	Do	40
39.	Dharmo w/o Waryam Singh	Do	60
40.	Banso w/o Hazara Singh	Do	40
41.	Puran s/o Wadhawa Singh	Do	20

Sr. No.	Name of the persons with parentage	Caste	Amount
1	2	3	4
			Rs.
	Sarvshri :—		
42.	Amar Singh s/o Ghasita Singh	Harijan	40
43.	Suba Singh s/o Chetu	Christian	60
44.	Jabar Singh s/o Santa Singh	Harijan	60
45.	Mohan Singh s/o Santa Singh	Do	60
46.	Arjan Singh s/o Mangal Singh	Do	60
47.	Mian Singh s/o Rulia Singh	Do	20
48.	Gajan Singh s/o Pala Singh	Do	60
49.	Hazara Singh s/o Wir Singh	Do	40
50.	Teja Singh s/o Mian Singh	Do	20
51.	Chur Singh s/o Bal Singh	Do	60
52.	Geja Singh s/o Fauja Singh	Do	40
53.	Gehal Singh s/o Nihal Singh	Do	20
54.	Jagir Singh s/o Sadha Singh	Do	20
55.	Piara Singh s/o Ranga Singh	Do	60
56.	Darshan Singh s/o Baghail	Do	60
57.	Chanchal Singh s/o Narain Singh	Jat	60
58.	Jinder Singh s/o Fauja Singh	Harijan	40
59.	Hazaroo s/o Jhandu	Do	40
60.	Balkar Singh s/o Vir Singh	Do	20
61.	Bari s/o Budh Singh	Do	60
62.	Anokh Singh s/o Ram Singh	Jat	60
63.	Sama Singh s/o Dilwar Singh	Do	40
64.	Buta Singh s/o Nand Singh	Do	40
65.	Bantoo s/o Dulla	Harijan	20
66.	Parkash Chand s/o Chuni Ram	Brahman	60
67.	Ram Lal s/o Joti Ram	Do	60
68.	Mann Singh s/o Sunder Singh	Jat	60
69.	Gurdial Singh s/o Sunder Singh	Do	60
70.	Meja Singh s/o Mela Singh	Backward Class	60
71.	Narinjan Dass s/o Pala Ram	Brahmin	60
72.	Jinda Singh s/o Tara Singh	Harijan	60

Sr. No,	Name of the persons with parentage	Caste	Amount
1	2	3	4
	Sarvshri :—		
73.	Jagat Singh s/o Wir Singh	Jat	40
74.	Sukho w/o Phoola Singh	Water Carrier	60
75.	Balbir Singh s/o Khushal Singh	Ditto	40
76.	Teja Singh s/o Mian Singh	Harijan	40
77.	Bahal Singh s/o Sham Singh	Jat	40
78.	Santa Singh s/o Chet Singh	Do	40
79.	Banta Singh s/o Baga Singh	Do	20
80.	Chet Singh s/o Boota Singh	Do	40
81.	Boota Singh s/o Jagat Singh	Do	40
82.	Kundan Singh s/o Sudh Singh	Do	40
83.	Palla Singh s/o Baga Singh	Do	20
84.	Sohan Singh s/o Sunder Singh	Do	40
85.	Puran Singh s/o Partap Singh	Do	60
86.	Bahal Singh s/o Jagat Singh	Do	20
87.	Gurbux Singh s/o Suhail Singh	Do	20
88.	Nazar Singh s/o Katha Singh	Do	40
89.	Geja Singh s/o Chet Singh	Do	20
90.	Pritam Singh s/o Chait Singh	Do	20
91.	Chanan Singh s/o Mahal Singh	Do	60
92.	Baga Singh s/o Deva Singh	Do	10
93.	Dalip Kaur w/o Shihan Singh	Do	10
94.	Harnam Singh s/o Mahaju	Harijan	10
95.	Haki w/o Tara Singh	Do	10
96.	Tejo w/o Bahadur Singh	Do	10
97.	Shihan Singh s/o Wir Singh	Mehra	10
98.	Surain Singh s/o Chanda Singh	Harigan	10
99.	Jindo w/o Tara Singh	Do	10
100.	Achhar Singh s/o Mehtab Singh	Jat	10
101.	Dhanto w/o Karam Singh	Harijan	10
102.	Pala Ram s/o Maian Dass	Brahaman	10
103.	Surat Singh s/o Bishan Singh	Shimba	10
104.	Taro w/o Sulekhan Singh	Harijan	10
105.	Achro w/o Baga Singh	Do	10

Complaint Against Ex-Sarpanch of Village Panjori in Bilaspur Block of Ambala District

2101. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any complaint levelling charges of mis-appropriation of Panchayat funds of village Panjori in the Gram Sabha area of Kulchandu in Bilaspur Block of Ambala District was made by the present Sarpanch after he took over as such in 1964, against the Ex-Sarpanch Shri Jetha Nand to the Minister Incharge of Panchayats, Director of Panchayats, the Deputy Commissioner and Block Development Officer, Bilaspur.;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether any enquiry into the said allegations was held by the Overseer and Panchayat Officer of Bilaspur Block ; if so, the action, if any, taken on the enquiry report, if no action has been taken, the reasons therefor ;

(c) a copy of the enquiry report mentioned in part (b) above be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes. As no case of mis-appropriation was established against the Ex-Sarpanch, the papers were filed by the Deputy Commissioner Ambala under intimation to the petitioner.

(c) Copies of the reports of overseer and the Block Development and Panchayat Officer Bilaspur are laid on the Table of the House.

Copy of letter No. 3370 dated 22nd June, 1964 from the Block Development and Panchayat Officer, Bilaspur Ambala to the Deputy Commissioner, Ambala.

Subject.—Complaint against Shri Jetha Nand, Ex-Sarpanch, Gram Panchayat Kulchandu by the residents of the said panchayat area.

Kindly refer to your endorsement No. 8608/DA, dated 2nd May, 1964 forwarding therewith a complaint from the residents of Kulchandu Panchayat area regarding the use of Materials of inferior quality in the repairs of Harijans drinking water well of village Pinjori and mis-appropriation of funds in the repair of the said and other wells for enquiry and report.

The enquiry was entrusted to the Block Overseer who has examined the complaints and recorded their statements which are enclosed in original together with the complaint in question in original and five other complaints in original on the same matter received in this office direct for favour of perusal. The enquiry conducted by the overseer reveals the following facts:—

(1) No complaint has been able to tell the number of bricks or brick bats used in the well while in their application they have written that bricks bats of 1200 3rd class bricks were used. They could not tell the quantity of cement used in the repairs of the well but in their applications they had written that six bags were used in the repairs of well of Harijans of village Pinjori. Their main allegation is that Shri Jetha Nand the Ex-Sarpanch mis-appropriated Sabha funds by using materials of inferior quality in the repairs of the drinking water well of Harijans of village Pinjori and other wells of village Sathahri.

(2) To get the real picture of the issue, the overseer got dismantled the requisite portions of the wells and also prepared an assessment of the Harijans well of village Pinjori on the basis of his observations. According to the panchayat records (The vouchers Enclosed from page 59 to page 77) the amount spent on the repairs of the well of Harijans of village Pinjori is Rs 425.58 NP. As per assessment worked out by the overseer (Enclosed at page 79)it amounts to Rs. 414 .The difference between the actual expenses incurred on the well assessment comes to Rs 11.58 Np. only which is very small on the basis of the report of the Overseer, there seems to be no mis-appropriation of funds in the repairs of the said well of Harijans of village Pinjori. The standard of materials used in the repairs of other two wells of village Stahri reported by the overseer, is better than that used in the Pinjori well. So, I am of the view that similar may be the case with the other two wells also.

(3) The other allegation is the shown engagement of more labours than actually employed and the higher rate of wages shown in the records than actually paid to the labourers on the repairs of Kharan well of village Sathari. The result of the statements recorded by the overseer in this behalf reveals that six labourers were employed on the reapirs of well of Kaahran of village in Satahri and they were paid at the rate of Rs 2 per day. It is as shown the panchayats records. Here too the honesty of the Ex-Sarpanch deos not seem doubtful.

(4) It is clear from the statement of Shri Jetha Nand Ex-Sarpanch that the cause of this complaint is his contesting the election of the Sarpanchship. Shri Ujagar Singh the successful and present sarpanch was supported by the Harijans of village Sathari and Pinjori who are stated to belonging to the Communist party. It is obvious from his (Jetha Nand) statement that the Harijans who are the complainants were instigated by Shri Ujagar Singh Sarpanch with the motive of teasing Shri Jetha Nand, other cause of lodging this complaint against Shri Jetha Nand is stated to be the removal of two Harijans Jawans from the Military service at the supposed report of the Ex-Sarpanch about their character.

(5) I am of the view that no Sabha funds have been mis-appropriated by the Ex-Sarpanch in the repairs of the said wells of village Pinjori and Sathari as revealed by the enquiry conducted by the Block Overseer.

The file containing all the relevant papers pertaining to this enquiry with 89 pages is sent herewith for favour of perusal.

Copy of enquiry report of Block Overseer of Bilaspur Block, dated 10th June, 1964

Subject :—Complaint against Shri Jetha Nand, Ex-Sarpanch, Gram Panchayat Kulchandu, by the residents of village Panjori etc.

This enquiry has been entrusted to me by the Block Development and Panchayat Officer Bilaspur, I have examined the complainants and have recorded their statements which are sent herewith in original for perusal. The enquiry in this regard conducted by me revealed the following facts :—

1. It is complained in the original application at page (I) that the number of bricks used in the repairs of the well of Harijans at Panjori are the brick bats of 1200 3rd class bricks, but no one has been able to tell the number of bricks used in the said well, which is clear from their statements recorded by me.

Every person examined by me has stated that in the repairs of well brick bats of 3rd class bricks in mortar were used instead of Ist class bricks.

(2) No person has stated as how many bags of cement were consumed on the repairs of the said well with the exception of Shri *Sarda Ram No. 5* at ***page 21*** who states that only two three bags of cement were consumed, while in their application they have written that only six bags of cement were consumed.

(3) None of the persons examined by me has stated the amount of the expenditure incurred on the said well, where as in their original application they say that a bill of Rs. 450- has been submitted.

To be assured I got dismantled a portion of the floor and retaining wall of wells in issue.

Harijan well at Panjori

(I) The retaining wall seems to have been constructed with cement mortar with Ist class bricks.

(2) The floor around the well consists of the following :—

(i) 6 thick B. B. in mud mortor including Ist class bricks and bricks bats, bricks of Sirhind Type and some bricks and brick bats of inferior quality.

(ii) 1½" thick average cement concrete" floor over the brick platform mentioned in (i) above. Bajri, cement and sand have been used in it.

(iii) The pillors seems to have been constructed in cement and a Gap inside of the well, as well.

The approximate expenditure incurred on the said well comes to Rs. 414- as per assessment enclosed on page (79).

Well of Harijans at stahri

.. .. The retaining well of the floor around the well seems to be in cement mortar and Ist class bricks used with a few bricks of inferior quality, and the floor around the well consists of the following :—

(i) "6 thick B. B. in mud mortar including Ist class bricks and brick bats with the exception of a few bricks and bricks bats of inferior quality.

(i) "3 thick average cement concrete floor over the bricks platform mentioned in (i) above. Bajri, cement and sand have been used in it.

well of Khaharan at Stahri

(i) The retaining wall of the floor of the well, Pillers Raising sterring of seems to have been done in rich cement mortar which I saw at the time of dismantling the portion of the stairing of the well. The floor around the well consists of the following :—

(i) "6 thick B. B. in mud mortar including Ist class brick and brick bats with the exception of a few bricks bats of inferior quality.

(ii) "2 thick average cement concrete floor over the brick platform mentioned in (i) above. Bajri cement, and sand have been used in it.

(2) It has been established by the statements of Sher Singh Ratni, Bachana and Bhuria that all of them worked as labourers on the said well under repairs because they mentioned the names of one and another. Now remains the question of Shri Jit Ram whether he worked as a labourer or not.

Shri Jet Ram in his statement accepts that he worked there as a labourer for 13 days. He states that most of his work was to carry the bricks from the Harijans well to the well of Kaharan under repairs. He further states that he received his remuneration at the rate of Rs. 2- per day which was the schedule rate of remuneration of other labourers also. Shri Phulu another labourer engaged on the same well also states that Shri Jit Ram carted about 4/5 cart load of bricks from the Harijans well to the well of Kaharan. It is clear from the statement of Phulu that Shri Jit Ram also worked there. Now remains the question whether Shri Jit Ram worked as a labourer or not. He admits himself that he worked as a daily rated labourer and received his remuneration as a daily rated labourer.

I am of the view that the allegation of complainants that five labourers were engaged instead of six is not correct. Shri Jit Ram worked there with whatever duties might have been entrusted to him by the Panchayat.

So far as the payment to the labourers engaged in connection with repairs of well Kaharan at Satahri is concerned. 4 labourers namely Bachana, Sher Singh Phulu and Jit correctly say that they received Rs. 26 Rs. 2 Rs. 22 & Rs. 26 respectively as their wages which are correct according to the M. R. for that work Smt. Bhuria neither could tell the total wages received by her nor the number of days she worked there. She merely says that she received Rs. 10- given to her by Shri Man Singh the then Panch of Kulchandu Panchayat. She further states that the rate of wages was Rs. 1-50 per day Shrimati Ratni another labourer

worked according to M. Roll for 2 days but in her statements she says that she worked for 3 days at the rate of Rs. 1-50 per day. She admits having received Rs. 2- plus some necessaries from the shop of Sarpanch in lieu of the remaining amount of her wages. It is not clear from her statement how much total amount of wages she received from the Sarpanch. The rate of wages of Smt. Ratani and Bhuria cannot be determined due to that contradictory statements of the labourers. Other labourers Bachana Ram and Jit Ram say that all the labourers were paid at the rate of Rs. 2- per day. Another labourer shri Phulu in his statements says that the women labourers were paid Rs. 1-50 per day,

According to the record of the Panchayat all the labourers including women labourers were paid Rs. 2- per day. which seems to be correct.

It has been stated by Shri Jetha Nand ex-Sarpanch that the cause of dispute between him and the present Sarpanch Sh, Ujagar Singh is the contesting election of Sarpanchship in which the former Jetha Nand was defeated.

Shri Ujagar Singh was helped in the election by the Harijans of village Stahri and Panjori who are stated to be belonging to the communist party. Two Jawans have been stated by Sh. Jetha Nand and others persons to have been discharged from the army on the ground of their affiliations with the communist party. It has been stated by Shri Jetha Nand on page 49. Mohamad Sharif on page 52 Balwant Singh on page 52 Ram Saran son of Sahib Ditta on page 53 and Kishan Singh Lambardar, Kulchandu on page 54 that the complainants say that Shri Jetha Nand has got them discharged by giving a bad report about their character to the Police. Shri Jetha Nand and some other persons state that no complaints had been lodged against him during the period of his sarpanchship. Here they mean to say that the cause of these complaints is the investigation by Shri Ujagar Singh present Sarpanch.

Shri Jetha Nand, Sh. Man Singh Ex-Panch, Shri Prithi Singh, Mohamad Sharif Panch Balwant Singh son of Inder Singh, Ram Saran son of Sahib Ditta and Dayal Singh son of Bakhtawar Singh ex- Panch states that the bricks purchased for the wells were Ist Class bricks. Shri Jetha Nand says that some bricks might have been broken during the transit as the road is Kacha and un-even.

It is the allegation of the applicants that Shri Jetha Nand Ex-Sarpanch embezzled Panchayat fund by using inferior quality of material and charging more in the bill submitted to the Block Development and Panchayat Officer Bilaspur for adjusting the grant earned by him for the repairs of each well Rs. 225- were advanced to the Panchayat as grant in aid for the repairs of Panjori well Rs. 425.58 nP. were incurred on the expenditure of repairs of the said well as per copies of voucher enclosed from page 59 to page 77, but according to assessment worked out (enclosed on page 79) by me after dismantling a few portion of the said well comes to Rs. 414. There is difference of Rs. 11.58 only which can be over looked.

COMPLAINT AGAINST EX-SARPANCH OF VILLAGE GIANEWALA IN BILASPUR BLOCK OF AMBALA DISTRICT.

2102. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state :—

(a) whether any complaint levelling charges of misappropriation and mis-use of Panchayat funds of village Gianewala in Bilaspur Block of Ambala District was made by the present Sarpanch after he took over as such in 1964, against the ex-Sarpanch to the Minister Incharge of Panchayats, Director of Panchayats. Deputy Commissioner, and Block Development Officer, Bilaspur Block;

(b) whether any enquiry into the said allegation was held by any Officer, if so, the action, if any, taken on the enquiry report so far, if no action has been taken, the reasons therefor;

(c) A copy of the enquiry report, if any, be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes. Enquiry has been held by the Sub-Divisional Officer, (civil) Jagadhri. On his recommendations, Shri Gainda Ram present Sarpanch has been suspended on 19th March, 1965 and the Superintendent of Police Ambala has been asked to register a case under section 409 I.P.C. against Sarvshri Gainda Ram present Sarpanch and Surat Singh, Ex-Sarpanch;

(c) A copy of the report of the Sub-Divisional Officer, (civil) Jagadhri is laid on the Table of the House.

Copy of letter No. 839 Peshi dated 30th November 1964 from Shri A. C Aggarwal, P. C. S., Sub-Divisional officer, (Civil) Jagadhari, to the Director of Panchayats Punjab, Chandigarh.

Through Deputy Commissioner, Ambala,

Subject :—Complaint against Ex-Sarpanch Gram Panchayat Sheikhpura, Tehsil Jagadhri, District Ambala.

I am to refer to your Memo. No. A-4-64/15652—C, dated 14th October, 1964 forwarding the complaint of Shri Gainda Ram, Sarpanch Panchayat Sheikhpura resident of village Gianonwala bearing the orders of the Chief Minister. I have looked into the allegations numerated in the complaint. During the course of enquiry, I recorded the statements of a number of persons namely Gainda Ram, Sarpanch, Joginder Singh Secretary Panchayat, Gajja Singh Panchayat Secretary Circle Sudan, Naraijan Singh Ex-Member, Panchayat of village Gianewala, Surat Singh, Ex-Sarpanch, Bishan Singh resident of village Sarawain. My conclusion regarding the allegation given in the complaint is as under :—

Allegation No. 1

That an entry of Rs. 90- in the Panchayat Register regarding the pay of the Panchayat Secretary Gajja Singh is false. No receipt of Gajja Singh is available to this effect. Shri Gajja Singh Secretary Panchayat stated before me that he did not get his pay for the month of September, 1961 to May, 1962 amounting to Rs.90/-Shri Surat Singh, Ex-Sarpanch stated that he had made payment of Rs. 90- to Gajja Singh Secretary and had obtained a receipt from him. The cash book was duly audited by the Auditor. Now I find that the cash book had been audited and if the receipt had not been available the Auditor would have raised an objection. Shri Niranjan Singh Ex-Member Panchayat has also stated that a receipt had been given by Shri Gajja Singh. The receipt has since been lost and the present Sarpanch that is to say the complainant is responsible.

Allegation No. 2

"15 bags of cement had been purchased from Bishan Singh, s/o Mangal Singh but no cement was utilized for the construction of the lane. Bishan Singh, s/o Mangal Singh is not a Depot Holder. The cost of these 15 bags of cement cannot be Rs, 130.90 nP." This allegation has also not been proved because Bishan Singh s/o Mangal Singh admits to have sold 15 bags of cement to the Panchayat vide receipt Ex.PB/I bearing his thumb impression. He had taken the cement from a Depot at Jagadhri. He sold it for the same price for which he had purchased. The spot inspection revealed that cement had been used for laying of bricks in the lane of Vill. Makhor.

Allegation No. 3

"That 25,000 bricks were used in the street of village Makhor but the number of bricks used were far less than shown in the record." The receipt etc. in connection with the purchase of these bricks were seen and there is no force in this allegation also, At this belated stage it is very difficult to count the number of bricks used.

Allegation No. 4

"That the salary of Joginder Singh Secretary was paid twice by the Ex-Sarpanch." It was found that vide resolution of the Panchayat Ex-PJ at Page 20 of the proceedings book it was resolved that pay of 2 months amounting to Rs. 30/- be given to Shri Joginder Singh. There after vide resolution Ex-PK of page 22 Shri Surat Singh was authorised to draw Rs. 40/- (Rs. 15/- as the pay of the secretary for the month of June and plus Rs. 25/- as repair charges of chairs etc.) It is, therefore, wrong that the salary of Shri Joginder Singh was paid twice. The Account of Rs. 725/- in connection with the repairing of the well in village Makhor has also been furnished to Shri Gainda Ram Sarpanch.

Allegation No. 5

"That Shri Surat Singh and Joginder Singh conspired te sell wood belonging to village Panchayat of village Sheikhpura. It was auctioned for Rs. 800/- Surat Singh Ex-Sarpanch deposited Rs. 300/- in account of the Panchayat and did not pay the rest of the amount." This allegation stands proved but both the complainant namely Shri Gainda Ram present Sarpanch and Shri Surat Singh Ex-Sarpanch are involved. The facts of this case are that wood belonging to panchayat was auctioned for Rs. 800/- vide Ex-PM. The last bidder Shri Ujjal Singh paid Rs. 200/- at the spot on 27th October, 1960. The rest of the amount Rs. 600/- was realised by the present Sarpanch Shri Gainda Ram on 5th June, 1961 vide receipt issued by him bearing his signatures. This receipt was produced by Shri Ujjal Singh who was examined as a witness during the course of enquiry. Shri Gainda Ram Sarpanch admited to have received the sum of Rs. 600/- but has stated that he paid this amount to Shri Surat Singh but Surat Singh did not issue any receipt. On insistance he issued a receipt for Rs. 330/- in the Panchayat Account deposited only Rs. 100/- vide entry on page 44 of the cash book. The amount of Rs. 230/- is still lying with Shri Surat Singh Ex-Sarpanch and he was ready to deposit the same. It will thus show that Shri Surat Singh did miss-appropriate a sum of Rs. 230/- out of Rs. 330/- which he had taken from Shri Gainda Ram, Sarpanch. Gainda Ram Sarpanch has misappropriated a sum of Rs. 270/- and he had no explanation to offer during the course of enquiry. It is, therefore, suggested that with regard to this allegation the Sarpanch be removed and also prosecuted.

Allegation No. 6

"That Shri Joginder Singh was employed in Sugar Cane Society and was removed as he was corrupt." Enquiries made from the Chhchrauli Cane Growers Co-operative Society Ltd., where he was employed show that he was removed because he mis-appropriated an amount of Rs. 124/- belonging to the Society.

From the above discussion it would appear that only one allegation stands proved against both the Ex-Sarpanch Surat Singh and the present Sarpanch Gainda Ram. Necessary action may be taken. The relevant entry in the proceedings book and the cash book were exhibited and thereafter signed by me.

Sd/—A.C. Aggarwal,
Sub Divisional Officer, (Civil)
Jagadhri, District Ambala.

INCOME AND EXPENDITURE OF CERTAIN MUNICIPAL COMMITTEES

2137 Chaudhri Net Ram : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to lay on the table of the House a statement showing the income and expenditure, under various heads, separately for the year 1961-62, 1962-63 & 1963-64, in respect of the following Municipal Committees, (i) Municipal Committee Hissar; (ii) Municipal Committee, Hansi; (iii) Municipal Committee Sirsa; (iv) Municipal Committe Thana; (v) Municipal Committee, Bhiwani; (vi) Municipal Committee, Fatehabad.

Shri Parbodh Chandra ; A statement containing the requisite information is enclosed.

Statement showing Income and Expenditure of Municipal Committee, Hissar for the years 1961-62, 1962-63 and 1963-64

Sr. No.	Heads	Income 1961-62	Income 1962-63	Income 1963-64	Expenditure 1961-62	Expenditure 1962-63	Expenditure 1963-64
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
(i)	General Departments..	10,04,937	10,38,890	10,71,890	3,23,392	3,56,387	3,15,000
(ii)	Education ..	639	859	1,182	51,276	58,835	1,15,764
(iii)	Medical ..	—	—	—	39,874	57,024	26,575
(iv)	Public Health ..	10,731	9,057	8,638	3,05,726	3,44,711	3,48,796
(v)	Veterinery Deptt. ..	—	—	—	—	—	—
(vi)	Water Supply ..	1,847	1,942	2,282	1,03,436	1,10,398	1,63,030
(vii)	Municipal Works ..	8,800	—	—	90,500	1,01,081	87,248
(viii)	Suspense Accounts ..	15,743	2,90,557	1,11,264	51,150	4,50,928	1,16,493
	Total ..	10,42,697	13,41,305	11,95,256	9,65,354	16,79,364	11,72,906

Statement showing Income and Expenditure of Municipal Committee, Hansi for the years 1961-62, 1962-63 and 1963-64

Sr. No.	Heads	Income			Expenditure		
		1961-62	1962-63	1963-64	1961-62	1962-63	1963-64
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
(i)	General Deptts. ..	7,26,014	5,32,997	6,54,189	1,91,260	3,50,885	2,07,984
(ii)	Education ..	73	3,035	189	2,861	80,335	80,522
(iii)	Medical ..	2,946	3,425	4,144	27,561	33,957	50,397
(iv)	Public Health ..	5,981	27,453	9,340	1,83.058	2,06,004	2,06,534
(v)	Veterinary Deptt. ..	—	—	—	250	—	—
(vi)	Water Supply ..	2,00,004	2,15,018	18,944	3 37,468	2,63,177	1,36,455
(vii)	Municipal Works ..	—	—	—	46,634	34,086	26.907
(viii)	Suspense Accounts ..	1,052	4,110	2,068	2,270	1,581	2,913
	Total ..	9,36,070	7,86,038	6,88,874	7,91,362	9,70,025	7,11,712

Statement showing income and expenditure of Municipal Committee, Sirsa for the years 1961-62, 1962-63 and 1963-64

Sr. No.	Heads	Income 1961-62	Income 1962-63	Income 1963-64	Expenditure 1961-62	Expenditure 1962-63	Expenditure 1963-64
		Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
(i)	General Deptts. ..	4,74,848	5,93,959	6,46,740	1,36,666	1,93,835	1,35,043
(ii)	Education ..	—	350	—	15,652	87,815	1,13,491
(iii)	Medical ..	38,619	12,315	15,317	53,117	63,759	49,349
(iv)	Public Health ..	1,06,580	3,62,549	6,442	3,65,311	5,80,163	2,39,206
(v)	Water Supply ..	1,00,000	1,42,715	—	1,92,937	1,95,303	66,686
(vi)	Veterinary Deptt. ..	—	—	—	250	—	—
(vii)	Municipal Works ..	10,000	—	—	11,793	51,753	78,965
(viii)	Suspense Accounts ..	1,570	673	1,910	7,234	991	—
	Total ..	7,31,617	11,12,561	6,70,409	7,82,960	11,73,619	6,82,740

Statement showing Income and Expenditure of Municipal Committee, Tohana for the years 1961-62, 1962-63, and 1963-64

Sr. No.	Heads		Income 1961-62	Income 1962-63	Income 1963-64	Expenditure 1961-62	Expenditure 1962-63	Expenditure 1963-64
			Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
(i)	General Deptts.	..	1,60,107	1,51,964	1,61,545	46,303	56,736	66,124
(ii)	Education	..	86	20	112	31,117	524	28,858
(iii)	Medical	..	361	626	921	5,293	5,835	6,142
(iv)	Public Health	..	2,2222	2,321	2,332	49,051	41,422	49,568
(v)	Water-supply	..	—	—	—	13,195	18,635	6,910
(vi)	Veterinary Deptts.	..	—	—	—	2,217	600	8,867
(vii)	Municipal Works	..	200	1,100	—	4,231	15,420	6,560
(viii)	Suspense Accounts	..	415	403	502	1,169	1,381	1,257
(ix)	Reserve for Unforeseen charges	..	—	—	—	350	20,010	50
	Total	..	1,63,391	1,56,434	1,65,412	1,52,926	1,60,563	1,74,336

Statement showing Income and Expenditure of Municipal Committee, Bhiwani for the years 1961-62, 1962-63 and 1963-64

Sr. No.	Heads		Income			Expenditure		
			1961-62	1962-63	1963-64	1961-62	1962-63	1963-64
			Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
(i)	General Deptts.	..	5,26,723	5,06,207	5,35,982	1,90,894	2,41,034	1,99,326
(ii)	Education	..	—	—	—	4,427	42,729	57,912
(iii)	Medical	..	—	—	—	29,186	25,606	29,846
(iv)	Public Health	..	9,693	44,486	12,557	2,24,694	2,30,475	2,30,066
(v)	Veterinary Deptt.	..	—	—	—	250	250	250
(vi)	Water-supply	..	73,860	83,207	1,00,972	78,982	60,576	1,12,607
(vii)	Municipal Works	..	7,800	17,817	—	49,999	53,679	65,617
(viii)	Suspense Accounts	..	68	8,010	39,616	—	40,500	—
	Total	..	6,18,144	6,59,72	6,90,127	5,78,432	6,94,849	6,96,624

Statement showing Income and Expenditure of Municipal Committee, Fatehabad for the years 1961-62, 1962-63 and 1963-64

Sr. No.	Heads		Income			Expenditure		
			1961-62	1962-63	1963-64	1961-62	1962-63	1963-64
			Rs	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs
(i)	General Deptts.	..	1,69,785	2,19,276	2,69,817	78,212	2,84,636	87,996
(ii)	Education	..	98	671	284	11,802	19,140	16 481
(iii)	Medical	..	—	—	—	5,030	2,719	2,624
(iv)	Public Health	..	4,012	3,04,214	5,412	36,084	1,55,145	84,712
(v)	Veterinary Deptts.	..	—	—	—	250	—	100
(vi)	Water-Supply	..	286	600	1,077	30,735	17,977	19,456
(vii)	Municipal Works	..	62	153	17	18,302	28,223	35,129
(viii)	Reserve for Unforeseen Charges	..	—	—	—	628	15,405	1,407
(ix)	Suspense Accounts	..	3,097	2,817	2,880	1,659	1,736	1,012
	Total	..	1,77,240	5,27,731	2,79,487	1,82,702	5,24,981	2,48,917

ZINC, COPPER AND TIN QUOTA SANCTIONED IN REWARI

2160. Rao Nihal Singh : Will the Chief Minister be pleased to to state—

(a) the names of firms and individuals in Rewari who are at present getting quotas of Zinc, Copper and Tin;

(b) the names of firms and individuals referred to in part (a) above who have actually installed machinery for the utilisation of the said metals ?

Comrade Ram Kishan : Statements (Annexures A, B and C) giving the requisite information are enclosed.

ANNEXURE 'A'

Names of the Firms and Individuals including Thathiars of Rewari Drawing Quota of Copper and Zinc

S. No.	Name of the firm with address
1.	Shri Raghbir Singh Kasera, Rewari,
2.	M/s Sashi Bhushan Bharat Bhushan, Rewari.
3.	M/s Behari Lal Manohar Lal, Rewari.
4.	M/s Manohar Lal Gopi Chand, Rewri.
5.	M/s Sukh Lal Shamboo Dayal, Rewari.
6.	M/s Nanki Das Kaloo Ram, Rewari.
7.	M/s Hukam Chand Sawan Ram, Rewari
8.	M/s Prem Chand Ganeshi Lal, Rewari
9.	M/s Khub Ram Mohan Lal, Rewari.
10.	M/s Gupta Industries, Rewari.
11.	M/s Mansukhrai Ram Jiwan Mal, Rewari.
12.	M/s Hardayal Mal Umrao Singh, Rewari.
13.	M/s Hari Parshad Sham Sunder, Rewari.
14.	M/s Budh Ram Narain Dass, Rewari.
15.	M/s Nathu Ram Muni Lal, Rewari.
16.	M/s Baldev Sahai Bhagwan Dass, Rewari
17.	M/s Siri Ram Narender Kumar Rewari
18.	M/s Khem Raj Bhola Ram, Rewari
19.	M/s Gainda Mal Gopi Chand, Rewari
20.	M/s Nathu Ram Mangat Rai, Rewari
21.	M/s Babu Ram Ayudhia Parshad, Rewari
22.	M/s Kishori Lal Mangtu Ram, Rewari

S. No.	Name of the firm with address
23.	M/s Behari Lal Ram Sarup, Rewari
24.	M/s Pirya Mal Manohar Lal, Rewari
25.	M/s Mool Chand Chiranjee Lal, Rewari
26.	M/s Nathu Ram Budh Sain, Rewari
27.	M/s Daulat Ram Behari Lal, Rewari
28.	M/s Vijay Metal Works, Rewari
29.	M/s Pirya Mal Dwarka Dass, Rewari
30.	M/s Ram Gopal Prabhu Dayal, Rewari
31,	M/s Shiv Dayal Madan Lal, Rewari
32.	M/s Chhotia Mal Devi Chand, Rewari
33.	Shri Mahabir Parshad s/o Shri Pillar Mal, Rewari
34.	M/s Gandhi Metel Works, Rewari
35.	M/s S. S. Metal Works, Rewari
36.	M/s T. R· Metal and Engg. Works, Rewari
37.	M/s Jhaman Lal Dhan Singh, Rewari
38.	M/s Miro Mal Nand Lal, Rewari
39.	M/s Ganpat Ram Roop Chand, Rewari
40.	M/s Rama Industries, Rewari
41.	M/s Thathera Association, Rewari
42.	M/s Thathera Grahudyog Sangh, Rewari
43.	M/s Rewari Metal Workers Production-cum-Sale Co-Op. Industrial Society Ltd., Rewari
44.	M/s Rewari Dhatupatra Production-cum-Sale Co-op. Industrial Society Ltd., Rewari
45	M/s Rewari Krishana Metal Production-cumSale Co-op. Industrial society Ltd., Rewari
46.	M/s Rewrai Bhartia Metal Production-cum-Sale Co-op. Industrial Society Ltd., Rewari.
47.	M/s Punjab Metal Production Co-op. Industrial Society Ltd., Rewari.
48.	M/s Rewari Ganesh Metal Workers Production-cum Sale Industrial Socicty Ltd., Rewari
49.	M/s Rewari National Metal Production-cum-Sale Co-op. Industrial Society Lid., Rewari
50.	M/s Rewari Haryana Metal Production-cum-Sale Co-op. Industrial Society Ltd., Rewari
51.	M/s Bartal Nirmal Production Co-op. Industrial Society Ltd., Rewari
52.	M/s M/S The New Metal Production Co-op. Industrial Society Ltd., Rewari
53.	M/s Bartan Manufacturers Production Co-op. Industrial Society Ltd., Rewari

ANNEXURE B

Names of the Firms and Individuals of Rewari having installed Machinery for the Utilisation of Copper and Zinc Allotted to them

1. M/s T. R. Metal Engineering Works, Rewari
2. M/s S. S. Metal Works, Rewari
3. M/s Manohar Lal Gopi Chand, Rewarl
4. M/s Khub Ram Manohar Lal, Rewari
5. M/s Rama Industry, Rewari
6. M/s Gandhi Metal Works, Rewari

ANNEXURE 'C'

Names of the Firms and Individuals (Including Thathiars) Drawing Quota of Tin

1. M/s Khub Ram Manohar Lal, Rewari
2. M/s Nathu Ram Muni Lal, Rewari
3. M/s Prem Chand Ganeshi Lal, Rewari
4. M/s Hari Parshad Sham Sunder, Rewari
5. M/s Sukh Lal Shambhoo Dayal, Rewari
6. M/s Sukh Lal Sheo Narain, Rewari
7. M/s Hardyal Chand Umrao Singh, Rewari
8. M/s Hakam Chand Sewa Ram, Rewari
9. M/s Gupta Industry, Rewari
10. M/s Budh Ram Narain Dass, Rewari
11. M/s Raghbir Singh Kasera, Rewari
12. M/s Shashi Bhushan Bharat Bushan, Rewari
13. M/s Bartan Nirman Production Co-Op. Industrial Society Ltd., Rewari
14. M/s Thathera Association, Rewari
15. M/s Gupta Industry, Rewari
16. M/s Rewari Metal Works Co-Op. Industrial Society Ltd., Rewari
17. M/s Bartan Nirman Co-Op. Industrial Society Ltd., Rewari
18. M/s The New Metal Workers Co-Op. Industrial Society Ltd., Rewari
19. M/s The Rewari Bahartia Metal Workers Co-Op. Industrial Society Ltd., Rewari
20. M/s The Rewari Dhatupatra Industrial Society, Rewari
21. M/s The Krishna Metal Workers Co-Op. Industrial Society, Ltd., Rewari
22. Shri Lachhman Dass, s/o Shri Mangal Chand, Mohalla Kaishthwara, Rewari
23. Shri Murli Dhar, s/o Shri Sudha Ram Thathiar, Kaisthwara, Rewari
24. Shri Dal Chand, s/o Shri Jamuna Dass Thathiar, Kaisthwara, Rewari
25. Shri Ram Chander, s/o Shri Jamuna Dass Thathiar, Kaisthwara, Rewari
26. Shri Puran Mal, s/o Shri Pyare Lal Thathiar, Kisathwara, Rewari
27. Shri Gina Mal, s/o Shri Piara Lal Thathiar, Kaisthwara, Rewari
28. Shri Jugal Kishore, s/o Shri Ram Pat Dev Karan, Gokal Bazar, Rewari
29. Shri Munshi Lal, s/o Shri Ram Lal, Mohalla Chhipatwar, Rewari
30. Shri Kishan Lal, s/o Shri Ram Lal, Thathiar, Rewari
31. Shri Kaloo Ram, s/o Shri Bali Ram, Dedwara, Rewari
32. Shri Hans Ram, s/o Shri Ram Lal, Chhippatwar, Rewari
33. Shri Prabh Dayal, s/o Shri Ram Lal, Chhippatwar, Rewari
34. Shri Kundan Lal, s/o Shri Phokar Mal, Kaisthwara, Rewari

35. Shri Laloo Thathiar, s/o Shri Nagar Mal, Rewari
36. Shri Shiv Lal, s/o Shri Piare Lal Thathiar, Kaisthwara, Rewari
37. Shri Phool Chand, s/o Shri Bhagwan Dass Thathiar, Ka isthwara, Rewari
38. Shri Nathu Ram, s/o Shri Narain Dass Thathiar, Rewari
39. Shri Kishan Sahay, s/o Shri Ram Chander Chowdhrywara, Rewari
40. Shri Harnarain, s/o Shri Chokh Raj' Kaisthwara, Rewari
41. Shri Rattan Lal, s/o Shri Girdhari Lal, Meharwara, Rewari
42. Shri Phool Chand, s/o Shri Madho Ram Kaisthwara, Rewari
43. Shri Jaman Lal, s/o Shri Maroo Mal Thathiar, Kalimel, Rewari
44. M/S Saloo Mal Prabh Dayal, Rewari
45. Shri Sukhdev Ram Saran Kamhel Baidwara, Rewari
46. Shri S. S. Metal Works, Rewari
47. Shri Bhagwan, s/o Shri Pindi Ram Thathiar, Rewati
48. Shri Vijay Metal Works, Rewari

COMPLAINT AGAINST CHAIRMAN, MARKET COMMITTEE, KARNAL

2178. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Home and Development, with reference to the reply to unstarred question No. 1717, printed in the list of unstarred questions for 15th September be pleased to state—

(a) whether the matter, which according to parts (b) and (c) of the said reply, was then under consideration has since been/finally decided upon, if so, when and with what result, itemwise;

(b) a copy of the findings of the enquiry officer be laid on the Table of the House

(c) the designation of the authority, who was deputed to look into the complaint dated 24th August, 1964 referred to in part (a)of the reply together with the dates when the inquiry was conducted by him;

(d) whether it is a fact that the Chairman had delegated his powers to the Vice-Chairman and in spite of this fact he issued certain cheques/made payments for certain items when other payments and cheques were made/issued by the Vice-Chairman on the same dates as alleged in the said complaint, if so, the reasons therefor;

(e) whether the tenders were called by the office for the purchase of articles alleged in the said complaint to have been purchased; if so, when the tenders were called and opened and by whom these were opened;

(f) if the tenders were called by the Chairman, the date when these were called and opened stating the reasons for not allowing the office to perform duties in routine in respect of the said purchase ?

Sardar Darbara Singh : (a) The Vigilance Department was requested to hold an enquiry, but they declined to do so, because they now undertake enquiries only against the serving Gazetted Officers. Hence, the Director of Marketing was asked to hold an enquiry in the matter.

(b and c) The matter is yet under examination.

(d) Yes. The Chairman, Market Committee, Karnal, delegated his powers to the Vice-Chairman of the said Committee. On 31st March, 1964, a cheque was issued by the Chairman for the payment of radio set, while other cheques were issed by the Vice Chairman. On 20-3-1964, one cheque was issued by the Vice Chairman and no other cheque was issued by the Vice-Chairman on the said date. As the Vice-Chairman was not available on 31-3-1964, cheque was got signed from the Chairman as that day was the closing day of the year and the payments were to be made on that date.

(e and f) No. The Chairman, Committee, Karnal, however, made purchases by having quotations personally. Orders were placed with the dealer giving lowest quotations. Action was approved by the Market Committee in its meeting held on 28-4-1964.

AMOUNT SPENT ON WELFARE OF HARIJANS

2207. Shri Fakiria : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the total amount of Harijan Welfare Tax collected by the Government together with the amount spent on the welfare of the Harijans.

Chaudhri Rizaq Ram : The total receipt from Harijan Welfare Tax comes to Rs. 3. 86 crores against which Rs. 1.34 crores has actually been spent by the 3rd March, 1965 for the welfare of Harijans.

EMPLOYEES OF THE AGRICULTURE DEPARTMENT

2223. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether Government has prepared a seniority list for purposes of confirmation of all the employees of the Agriculture Department, if not, the reasons therefor, but if the reply is in the affirmative a copy of the seniority list of Gazetted Officers and others (Directors, Inspectors, Sub-Inspectors) of the said Department be laid on the Table the House ;

(b) whether Government has ever compared the grades of pay of the employees of the Agriculture Department with the grades of pay fixed in other States especially Maharashtra, Madras, Kerala, Andhra, etc, for corresponding posts, if so, a comparative statement be laid on the Table of the House ?

Subject :—Unstarred Vidhan Sabha Question No. 2223 regarding employees of the Agriculture Department.

The answer to Assembly Question No. 2223 appearing in the list of Unstarred Questions on the 23rd February, 1965 in the name of Comrade Makhan Singh Tarsikka, M. L. A. is not ready.

2. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/—Home and Development Minister, Pb.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U. O. No. 1241-Agr. I(II)-65/1029, dated the 20th February, 1965.

CANAL PATWARIS IN THE UPPER BARI DOAB CANAL CIRCLE, AMRITSAR

2227. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) whether there are any Canal Patwaris in the Upper Bari Doab Canal Circle, Amritsar, whose service Books have not been completed so far; if so, their list with full address together with the reasons for the non-completion of Service Books;

(b) the date of recruitment of each of the patwaris;

(c) the dates since when the cases of the Patwaris referred to in part (a) above for the completion of their service books are pending;

(d) the scale of pay of the said Patwaris;

(e) the pay which each of the said Patwaris is getting at present,

(f) the pay which each of the said Patwaries would have been receiving if their service books had been completed;

(g) whether any of the service books referred to in part (a)above were completed by the Civil Department before 15th January 1965, if so, their list and the date of completion in each case;

(h) the dates on which the Service Books referred to in part (g) above were completed by the Canal Department, if not, the reasons for the same;

(i) the amount of arrears of salary due as on 31st January 1965 to each of the said Patwaris on account of the non-completion of the Service Books.

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No.

(b) and (c) Question does not arise in view of (a) above.

(d) Rs. 60-4-80/5-120/5-175.

(e) and (f) Question does not arise.

(g) h and (i) Nil.

ADDITIONAL POLICE POSTED IN VILLAGE WAN, POLICE STATION KHALRA, TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR

2229. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether any additional police post was located in village Wan, Police Station Khalra, tehsil Patti, district Amritsar, during the last 4 years, if so, when and for how long;

(b) the sanctioned strength of the said police post and the names of the officers and constables who actually remained posted in the said village together with the actual pay and allowances drawn by each of them during the period referred to in part (a) above;

(c) the total amount actually spent by the Government on the said Police Post under different heads (items);

(d) whether any of the police employees referred to in part (b) above remained on patrolling duty outside the limits of the said village during the said period; if so, for how long;

(e) whether any representation from the patriots of the said village was received by the Home Minister under registered post on or about 24th November 1964, for the remission of the cost or the said police post; if so, the action taken in the matter so far ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes, for the periods from 25th April 1962 to 24th Aaril 1963, from 1-8-1963 to 31st July 1964, and from 21st October 1964 to 28th February 1965.

(b) One A. S. I. and five Constables. The names of officers and Constables who actually remained posted in this Punitive Police Post together with the actual pay and allowances drawn by each of them for the periods of their posting are given in the anexures 'A', 'B' and 'C'.

(c)

	From 25-4-1962 to 24-4-1963	From 1-8-1963 to 31-7-1964	From 21-10-1964 to 28-2-1965
Pay of Establishment	5,043.60	7,784.00	2,820.00
Travelling allowance.	455.00	30.00	..
Other allowances and honoraria	2,014.45	79.69	60.00
Contingencies.	2,546.92	1,400.00	130.00
Indirect Charges (Leave and Pension contributions)	1,294.66	1,939.24	703.22
Grand Total :—	11,354.63	11,232.93	3,713.22

(d) No. However, the criminals, bad characters and smugglers of village Wan sometimes visited the neighbouring villages to carry on their nefarious activities and the officials posted to this Punitive Police Post had occasionally to track and check them in other villages.

(e) Yes. The comments of the local officers have been called for. These have not been received so far.

ANNEXURE 'A'

Statement showing the names of Police Officials, who actually remained posted in the Punitive Police Post Wan for the period from 25th April, 1962 to 24th April, 1963 together with the pay and allowances drawn by each of them

S. No.	Name of the official	Rank	Period of posting		Pay	Allowances	Total
			From	To			
					Rs	Rs	Rs
1.	Shri Balkar Singh, 88/G.S.P. ..	A.S.I.	25-4-62	5-6-62	136·67	104·15	240·82
2.	Shri Bawa Singh, 219/B ..	Do	6-6-62	23-7-62	144·93	122·08	267·01
3.	Shri Uttam Singh, 169/A.S.R. ..	Do	24-7-62	7-9-62	137·21	115·59	252·80
4.	Shri Baldev Raj, 1423/A.S.R. ..	Do	8-9-62	24-4-63	866·79	548·54	1,415·33
5.	Shri Kundan Lal, 567 ..	Constable	25-4-62	24-4-63	742·C0	309·75	1,051·75
6.	Shri Balwant Singh, 391 ..	Do	25-4-62	17-9-62	238·33	146·75	385·08
7.	Shri Mohinder Singh, 43 ..	Do	25-4-62	9-6-62	69·00	48·75	117·85
8.	Shri Chanan Lal, 1206 ..	Do	25-4-62	2-5-62	12·17	12·33	24.50
9.	Shri Mulkh Raj, 60 ..	Do	25-4-62	20-12-62	413·78	239·10	652·88
10.	Shri Ajit Singh, 1177 ...	Do	3-5-62	6-8-62	143·93	97·62	241·55
11.	Shri Hardip Singh, 350 ..	Do	10-6-62	20-6-62	16·86	14·75	31·61
12.	Shri Balwant Singh, 1844 ..	Do	21-6-62	1-9-62	108·86	74·35	183·21
13.	Shri Major Singh, 1195 ...	Do	2-9-62	24-4-63	493·28 54·00	182·75	730·08
14.	Shri Mehar Chand, 947 ..	Do	7-8-62	20-12-62	257·68	137·10	394·78
15.	Shri Gurnam Singh, 1440 ...	Do	21-12-62	24-4-63	328·22	73·65	401·87
16.	Shri Jiwan Singh, 1057 ..	Do	18-9-62	11-12-62	186.51	86·00	272·51
17.	Shri Jagir Singh, 1492 ..	Do	12-12-62	24-4-63	365·16	82·35	447·51
18.	Shri Malkiat Singh, 1927	Do	21-12-62	24-4-63	328·22	73·84	402·06
		Grand Total ..			5,043·60	2,469·45	7,513·05

ANNEXURE 'B'

Statement showing the names of Police officials who actually remained posted in the Punitive Police Post Wan for the period from 1st August, 1963, to 31st July, 1964 together with the pay and allowances drawn by each of them

S. No.	Name of the official		Rank	Period of posting		Pay	Allowances	Total
				From	To			
						Rs	Rs	Rs
1.	Shri Baldev Raj, 1423	..	A.S.I.	1-8-63	6-10-63	182·38	—	182·38
2.	Shri Piara Singh, 1383	..	Do	7-10-63	31-7-64	1,526·62	90·00	1,616·62
3.	Shri Major Singh, 1195	..	Constable	1-8-63	7-10-63	213·14	3·75	216·89
4.	Shri Jagir Singh, 1492	..	Do	1-8-63	28-8-63	85·81	3·75	89·56
5.	Shri Malkiat Singh, 1927	..	Do	1-8-63	14-8-63	42·90	3·75	46·65
6.	Shri Kundan Lal, 567	..	Do	1-8-63	31-7-64	1,215·00	3·75	1 218·75
7.	Shri Jarnail Singh, 1361	..	Do	1-8-63	31-7-64	1,215·00	2·50	1,217·50
8.	Shri Dharam Pal, 1940	..	Do	29-8-63	22-5-64	894·43	2·19	896·62
9.	Shri Surjit Singh, 1758	..	Do	15-8-63	31-7-64	1,172·10	—	1,172·10
10.	Shri Kundan Singh, 846	...	Do	8-10-63	31-7-64	1,001·86	—	1,001·86
11.	Shri Devi Chand, 205	..	Do	23-5-64	31-7-64	234·76	—	234·76
				Total	..	7,784·00	109·69	7,893·69

ANNEXURE 'C'

Statement Showing the names of Police officials, who actually remained posted in the Punitive Police Post Wan for the period from 21st October, 1964 to 28th February, 1965, together with the pay and allowances drawn by each of them

S. No.	Name of the official		Rank	Period of Posting		Pay	Allowances	Total
				From	To			
						Rs	Rs	Rs
1.	Shri Piara Singh	..	A.S.I.	21-10-64	28-2-65	620·00	60·00	680·00
2.	Shri Kartar Singh, 1664	..	Constable	21-10-64	28-2-65	440·00	—	440·00
3.	Shri Devi Chand, 205	..	Do	21-10-64	28-2-65	440·00	—	440·00
4.	Shri Kundan Lal, 567	..	Do	21-10-64	28-2-65	440·00	—	440·00
5.	Shri Jarnail Singh, 1361	..	Do	21-10-64	28-2-65	440·00	—	440·00
6.	Shri Kundan Singh, 846	..	Do	21-10-64	5-11-64	18·33	—	18·33
7.	Shri Gurdial Singh, 1988	..	Do	6-11-64	28-2-65	421·67	—	421·67
				Total ..		2,820·00	60·00	2,880·00

Consolidation of Holdings in village Daudpura, district Amritsar.

2234 Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state ;

(a) the date when the consolidation work in village Daudpura tehsil, Patti, district Amritsar was completed ;

(b) Whether during the consolidation operatations in the said village claims of certain landowners regarding compensation for the irrigation wells and trees were admitted and their lists prepared, if so, a copy of the list and the details of the amount of compensation payable to each landowner, be laid on the Table of the House ;

(c) whether any applications were received by the consolidation officer on 26th May, 1958, 18th May, 1959, 20th June, 1959 at Patti and 2nd December, 1959 at Jandiala from some of the claimants referred to in part (b) above; if so, their list ;

(d) whether any of the said applications were put up before the settlement officer, Amritsar, on 24th July 1959 at village Algon, tehsil Patti by certain claimants referred to in part (b) above; if so, their names ;

(e) whether any applications were received by the Director, Consolidation of Holdings, Jullundur, from certain landowners of the village Daudpura, sent to him under registered post on or above 14th April, 1961, if so, the date when they were received;

(f) whether any representations were received from the claimants referred to in part (c) above by the Revenue Minister under registered post on 19th December. 1963; if so, the date when they were received;

(g) the action so far taken by the authorities on the applications referred to in parts (c) to (f) above and with what result;

(h) whether any stay orders were issued by the Government regarding the compensation referred to in part (b) above, if so, when ;

(i) whether the compensation due has so far been recovered from the defaulters and paid to the cliamants; if so, the amount paid to each of them, if it has not been paid, the reasons for the same ;

(j) the steps, if any, being taken by Government for the recovery of the arrears of compensation ?

———

The answer to Assembly Question No. 2234 appearing in the list of Unstarred Questions on 23rd February, 1965, in the name of Sardar Kulbir Singh, M.L.A. is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/- Revenue Minister, Punjab.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O. No. VCHII-65., dated the 25th February, 1965.

Compensation for land Acquired for construction of Patti Tarn Taran Road

2236. Sardar Kulbir Singh: Will the Minister for Public Works & Walfare be pleased to state—

(a) whether any land was acquired by the Government for the construction of the Patti-Tarn Taran road in the area of village Kairon between 15th August, 1947 and 31st December, 1960, if so, the date when possession of the said land was taken over by Government ;

(b) the list of the owners of the said land and the amount of compensation to which each one of them was entitled;

(c) the date of payment of compensation and the amount paid to each land owner ;

(d) whether it is a fact that the amount due was paid to the local Gram Panchayat instead of the rightful owners; if so, the provision of law under which it was done ?

Chaudhri Rizaq Ram : Yes. The possession of the land was taken by the Public Works Department, Buildings & Roads Branch on 24th March, 1955.

(b) No such list of owners of land, showing the amount of compensation payable to each was prepared, as the land was entered as 'Mushtarka Aghraz Panchayat Deh' in the Register Karrwai of village Kairon prepared by the Consolidation Department.

(c) The compensation of the whole land was paid to the Sarpanch of village Kairon on 27th February, 1958.

(d) Payment of compensation was made to the Gram Panchayat, according to the entry in respect of ownership of land as stated against(b).

Loans for Tubewells granted to Agriculturists in tehsils Patti and Tarn Taran, district Amritsar

2237. Sardar Kulbir Singh, : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any loans were advanced to any agriculturists in tehsils Patti and Tarn Taran of Amritsar District for the construction of tubewells up to 31st December, 1963; if so, their names with full addresses ;

(b) the total Amount advanced in each case with the date on which payment was made ;

(c) the date by which tubewell construction was to be completed according to the agreement in each case ;

(d) the date on which the construction of the tubewell was actually completed ;

(e) the date on which each of the said tubewells started functioning after completion ;

(f) the total amount due from each loanee as on 31st December, 1963, along with the interest according to the agreement bonds;

(g) the total amount recovered up to 31st July, 1964 in each case ;

(h) the arrears due in each case as on 31st July, 1964 ;

(i) the time, if any, spent by each of the Police Officers and the Police Constables in investigating the criminal cases relating to other villages of Police Station, Khalra ;

(j) the total amount assessed as cost of the above mentioned Post for first and second years respectively ?

Subject:—Assembly Question No. 2237 (Unstarred).

The answer to Assembly Question No. 2237 appearing in the list of Unstarred Questions on the 23rd February, 1965, in the name of Sardar Kulbir Singh, M. L. A. is not ready. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/- Home and Development Minister, Pb.,

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha, Chandigarh.

U. O. No. 17(AQ)-FP-V-65/1556, dated the 22nd February, 1965.

Subject:—Unstarred Vidhan Sabha Question No. 2238 regarding loans for setting up sugarcane crushers given in Patti & Tarn Taran Tehsil district Amritsar.

The answer to Vidhan Sabha Question No. 2238 appearing in the list of Unstarred Questions on the 23d February, 1965, in the name of Sardar Kulbir Singh, M. L. A., is not ready. The reply will be sent as soon as the relevant information is collected.

Sd/- Home and Development Minister, Punjab.

To

The Secretary,
Punja Vidhan Sabha, Chandigarh.

U.O. No. 884-Agr. II(VI)-65/1539, dated the 22nd February, 1965.

LOANS FOR SETTING UP SUGAR CANE CRUSHERS GIVEN IN PATTI AND TARN TARAN TEHSIL DISTRICT AMRITSAR

2238. Sardar Kulbir Singh: Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) Whether any loans were advanced to any agriculturists in Patti and Tarn Taran Tehsils of Amritsar District upto 31st

December, 1963 for setting up Sugarcane Crushers; if so, their names, with their full addresses with the amount advanced in each case;

(b) the dates on which the sugarcane crushers referred to in part (a) above were set up and started working;

(c) whether there are any loanees who have not set up the sugarcane crushers upto now, if so, their names;

(d) whether any steps have been taken for the recovery of the amounts advanced to such persons, if so, with what result?

Shri Ram Kishan: (a) Yes, loans were advanced to 38 parties in Patti and Tarn Taran Tehsils of Amritsar District upto 31st December, 1963 for setting up sugarcane crushers.

(b) Out of above 38 parties the cane crushers were set up by 9 parties on 2nd April, 1961, 5th October, 1961, 15th March, 1961, 20th April, 1961, 15th May, 1961, 29th March, 1961, 23rd March, 1961, 16th July, 1963 and 20th December, 1962 and they started working.

(c) The remaining 29 parties have not set up the sugarcane crushers uptill now. It is, however, not in the public interest to disclose their names.

(d) The cases of the twenty-nine parties referred to above to whom a loan of Rs 23,700 was granted for setting up sugarcane crushers were referred to the Collector concerned for recovering the amount as arrears of land revenue under section 35 of the Punjab State Aid to Industries Act, 1935. Out of the said amount of loan, a sum of Rs 4555 has so far been recovered from 16 parties. Various steps are being taken by the revenue authorities to recover the balance amount.

ADDITIONAL POLICE POST IN VILLAGE WAN DISTRICT AMRITSAR

2239. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any additional Police post was stationed at village Wan, tehsil Patti, district Amritsar during 1962, if so, when and for what period ;

(b) the strength of the said police post ;

(c) the names of the police officers and the Police constables who remained posted at the said police post during the 1st and the 2nd year respectively;

(d) the total amount received by each of the persons referred to in part (c) above as salary and other allowances during their posting at the said police post ;

(e) the actual cost borne by the Government on the said post for the first and the second year respectively;

(f) the items taken into consideration while calculating the actual cost referred to in part (e) above ;

(g) the amount actually spent under each head of the items referred to above ;

(h) the time spent by each of the police officers and the police Constables of the said post on patrolling villages other than the illaqa of Wan during their stay at the above-mentioned post;

(i) the time, if any, spent by each of the police officers and the police constables in investigating the criminal cases relating to other villages of police station Khalra ;

(j) the total amount assessed as cost of the above-mentioned post for the first and second years respectively?

Sardar Darbara Singh: (a) Yes, for the periods from 25th April, 1962 to 24th April, 1963, from 1st August, 1963 to 31st July, 1964 and from 21st October, 1964 to 28th February, 1965.

(b) 1 A. S. I. and 5 Consts.

(c) & (d) The requisite information is contained in Annexure 'A' and 'B'

(e) The total cost borne by the Government for the first year, i. e., from 25th April, 1962 to 24th April, 1963 is Rs 11354·63 and for the second year, i. e., from 1st August, 1963 to 31st July, 1964 is Rs 11,232.93.

(f) Pay, allowances, contingencies, leave and pension contributions.

(g)		*From* 25-4-1962 to 24-4-1963	*From* 1-8-1963 to 31-7-1964
Pay of Establishment	..	5,043.60	7,784.00
Travelling allowance	..	455.00	30.00
Other Allowances and Honoraria	..	2,014.45	79.69
Contingencies	..	2,546.92	1,400.00
Indirect charges			
(Leave and Pension contributions)	..	1,294.66	1,939.24
GRAND TOTAL	..	11,354.63	11,232.93

(h) Nil, the police officers and other ranks of this Punitive Police Post were never deputed for patrolling the area outside the limits of village Wan. However, the criminals, B. Cs. and smugglers of village Wan some times visited the neighbouring villages to carry on their nefarious activities and the officials posted to this Punitive Police Post had to occasionally track and check them in other villages.

(i) Nil, in case, however, the Incharge of Punitive Police Post, Wan, received information regarding the commission of a cognizable offence in surrounding villages, he sent intimation to the Police Station for the registration of a case there and occasionally took up investigation of the case till the Police Station staff arrived.

(j) The total cost assessed for the first year is Rs. 11,354.63 and that for the second year is Rs 11,232.93.

ANNEXURE 'A'

Statement showing the names of Police officials, who actually remained posted in the Punitive Police Post Wan for the period from 25th April, 1962 to 24th April, 1963 together with the pay and allowances drawn by each of them

S. No.	Name of the official		Rank	Period of posting		Pay	Allowances	Total
				From	To			
						Rs.	Rs.	Rs.
1.	Shri Balkar Singh, 88/G.S.P.	..	A.S.I.	25-4-62	5-6-62	136·67	104·15	240·32
2.	Shri Bawa Singh, 219/B	..	„	6-6-62	23-7-62	144·93	122·08	267·01
3.	Shri Uttam Singh, 169/ASR	..	„	24-7-62	7-9-62	137·21	115·59	252·30
4.	Shri Baldev Raj, 1423/ASR	..	„	8-9-62	24-4-63	866·79	548·54	1,415·33
5.	Shri Kundan Lal, 567	..	Const.	25-4-62	24-4-63	742·00	309·75	1,051·75
6.	Shri Balwant Singh, 391	..	„	25-4-62	17-9-62	238·33	146·75	383·58
7.	Shri Mohinder Singh, 43	..	„	25-4-62	9-6-62	69·00	48·75	117·35
8.	Shri Chanan Lal, 1206	..	„	25-4-62	2-5-62	12·17	12·33	24·50
9.	Shri Mulkh Raj 60	..	„	25-4-62	20-12-62	413·78	239·10	652·88
10.	Shri Ajit Singh, 1177	..	„	3-5-63	6-8-62	143·93	97·62	241·55
11.	Shri Hardip Singh, 350	..	„	10-6-62	20-6-62	16·86	14·75	31·61
12.	Shri Balwant Singh, 1844	..	„	21-6-62	1-9-62	108·86	74·35	183·21
13.	Shri Major Singh, 1195	..	„	2-9-62	24-4-63	493·23 54·00	182·75	730·03
14.	Shri Mehar Chand, 947	..	„	7-8-62	20-12-62	257·68	137·10	394·78
15.	Shri Gurnam Singh, 1440	..	„	21-12-62	24-4-63	328·22	73·65	401·87
16.	Shri Jiwan Singh, 1057	..	„	13-9-62	11-12-62	186·51	86·00	272·51
17.	Shri Jagir Singh, 1492	..	„	12-12-62	24-4-63	365·16	82·35	447·51
18.	Shri Malkiat Singh, 1927	..	„	21-12-62	24-4-63	328·22	73·84	402·06
	Grand Total	..				5,043·60	2,469·45	7,513.05

ANNEXURE 'B'

Statement showing the names of Police officials, who actually remained posted in the Punitive Police Post Wan for the period from 1st August, 1963 to 31st July, 1964 together with the pay and allowances drawn by each of them

S. No.	Name of official		Rank	Period of posting		Pay	Allowances	Total
				From	To			
1.	Shri Baldev Raj, 1423	..	A. S. I.	1-8-63	6-10-63	182·38	—	182·38
2.	Shri Piara Singh, No. 1383	..	”	7-10-63	31-7-64	1,526·62	80·00	1,616·62
3.	Shri Major Singh, 1195	..	Const.	1-8-63	7-10-63	213·14	3·75	216·89
4.	Shri Jagir Singh, 1492	..	”	1-8-63	28-8-63	85·81	3·75	89·56
5.	Shri Malkiat Singh, 1927	..	”	1-8-63	14-8-63	42·90	3·75	46·65
6.	Shri Kundan Lal, 567	..	”	1-8-63	31-7-64	1,215·00	3·75	1,218·75
7.	Shri Jarnail Singh, 1361	..	”	1-8-63	31-7-64	1,215·00	2·50	1,217·50
8.	Shri Dharam Pal, 1940	..	”	29-8-63	22-5-64	894·43	2·19	896·62
9.	Shri Surjit Singh, 1758	..	”	15-8-63	31-7-64	1,172·10	—	1,172·10
10.	Shri Kundan Singh, 846	..	”	8-10-63	31-7-64	1,001·86	—	1,001·86
11.	Shri Devi Chand, 205	..	”	23-5-64	31-7-64	234·76	—	234·76
				Total		7,784·00	109·69	7,893·69

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS INCLUDED IN THE LIST FOR 8TH MARCH, 1965

PERMITS OF RICE POLISH ISSUED BY CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT, KARNAL

2331. **Comrade Ram Piara**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Civil Supplies Department at Karnal issued any permits for polished rice to big or small poultry farms or individuals, if so, the names of the individuals and poultry farms to whom the said permits were issued during the period from 1st November, 1964, to-date, giving the quantity for which permits were issued in each case;

(b) whether before the issue of the said permits, any verification regarding the number of birds with the individuals or in the poultry farms was made, if so, by whom in each case, if not, the reasons therefor ;

(c) the criteria kept in view while issuing the permits mentioned in part (a) above ;

(d) whether the rate of the said rice was fixed by the Civil Supplies authorities at Karnal or the authorities at Chandigarh and the rate per quintal so fixed ;

(e) whether any permit for the said rice has been issued by the Civil Supplies authorities at Karnal, to any one, other than those mentioned in part (a) above during the said period; if so; to whom for how much quantity and the date of issue in each case;

(f) whether Government is aware of the fact that polished rice in Karnal District had been selling in the black-market, if so, when and the steps taken by the department to prevent it ;

(g) whether any cases of black marketing in the said rice came to the notice of the D.F.C. Karnal, if so, when and the details of the action taken by him to check this practice ?

Shri Ram Kishan : (a) A statement containing the requisite information regarding permits issued for rice bran (not polished rice) is enclosed.

(b) Yes. The particulars of the verifying authorities is indicated in Col. No. 4 of the Statement.

(c) The permits for rice bran to poultry farmers/feed manufacturers were issued on the basis of the recommendations made by the verifying authority.

(d) The price of rice bran was fixed Statutorily at Rs 13.80 per quintal by State Government under the Punjab Rice Bran (Distribution and Price) Control Order, 1964.

(e) Yes. Permits for rice bran were issued by the District Food and Supplies Controller, Karnal, to the owners of the Solvent Extraction Plants in the State as under:—

S. No.	*Name of party*	*Quantity*	*Date of issue*
1.	Chairman, Punjab Solvent Extraction Plants Association, Chandigarh ..	15451-77-000	From 1-11-64 to 22-12-64
2.	Ditto	5877-63-000	7-1-65
3.	Ditto ..	11309-76-000	7-2-65
4.	Ditto ..	3103-43-000	23-2-65

(f) No case of black marketing of rice polish in the Karnal District has come to the notice of the Government.

(g) (i) No.

(ii) Question does not arise.

STATEMENT

LIST GIVING DETAILS OF RICE BRAN ISSUED TO POULTRY FARMS

S. No.	Name of the applicant with full address	Quantity issued	Applications by whom verified	Permits No.
1	2	3	4	5
	Sarvshri—	Qtl. Kg		
1.	Gurcharan Singh and Sadhu Singh, V. Amin, tehsil Karnal	8·00	B.D. and P.O., Nelokheri	RPI-64/32572, dated 4-11-64
2.	Gurdeep Poultry Farms, Taraori, tehsil Karnal	24·00	B.D. P.O., Nelokheri	RPI-64/32569, dated 4-11-64
3.	Panipat Poultry Farm, Assot, Panipat	50·00	B.D. P.O., Panipat	RPI-64/32553, dated 4-11-64
4.	Fateh Singh, S.I. (C.I.A.), Karnal	1·00	Veterinary Assistant, Gurgaon, Karnal	RPI-64/32575, dated 4-11-64
5.	Laxmi Narain, son of Ch. Gopi Chand, Q. No. R 360 M. T., Panipat	8·00	Executive Officer, M.C., Panipat	RPI-64/32592, dated 5-11-64
6.	Shri Gian Singh, 49D. M.T., Karnal	5·00	D.F. and S.C., Karnal	RPI-64/32726, dated 6-11-64
7.	Khazan Singh, 26-A, Model Town, Karnal	5·00	D.F. and S.C., Karnal	RPI-64/32723, dated 6-11-64
8.	Sampooran Singh, T. Assistt. N.D.R.I., Karnal	1·00	Veterinary Assistant, Karnal	RPI-64/32750, dated 6-11-64
9.	Shri Ajit Singh, c/o Line Office, Karnal	0·80	Ditto	RPI-64/32756, dated 6-11-64
10.	B. R. Basin, Near Meat Market, Sadar Bazar, Karnal	5·00	Ditto	RPI-64/32732, dated 6-11-64
11.	Raghbir Singh, Prop. Punjab Poultry Farm, Karnal	32·00	B.D. and P.O., Karnal	RPI-64/32780, dated 6-11-64
12.	Krishan Lal Madhok, H. No. B-940, outside Banso Gate, Karnal,	2·00	Veterinary Assistant, Karnal	RPI-64/32877, dated 7-11-64

13.	Risal Singh, Kisan Poultry Farm, Sonepat, district Rohtak	25·00	Poultry Marketing Officer, Jullundur	RPI-64/33208, dated 9-11-64
14.	D.F. and S.C., Karnal	0·10	D.F.S.C., Karnal	RPI-64/33110, dated 10-11-64
15.	Dalip Singh, 40D. M.T., Karnal	12·00	Veterinary Assistant, Karnal	RPI-64/33107, dated 9-11-64
16.	B. K. Dhawan, 165, Prem Nagar, Karnal	12·00	Ditto	RPI-64/33127, dated 10-11-64
17.	Chattar Singh, son of Bichha Ram, V. Shamgarh, tehsil Karnal	34·00	B.D. and P.O., Nelokheri	RPI-64/32197, dated 31-10-64
18.	Punjab Poultry Farm, Kachhwa, tensil Karnal	40·00	The Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPI-64/33254, dated 11-11-64
19.	Harbajan Kaur, w/o Kelash Chander, Q. No. 5B/38, New Township, Faridabad (Gurgaon)	24·65	V.C., Faridabad	RPI-64/33161, dated 10-11-64
20.	Raj Kumari Batra, Q. No. 5/P-48, Township Faridabad	27·00	Ditto	RPI-64/33164, dated 10-11-64
21.	Thakar Dass, son of Ch. Ramdial Basi, Akbarpur, tehsil Karnal	2·80	V.A.S., Gharaunda	RPI-64/33168, dated 10-4-64
22.	Oberoi Poultry of Farm, B/62, Sadar Bazar, Karnal	6·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/33211, dated 10-11-64
23.	Madan Singh, son of Kartar Singh, V. Kalsana, tehsil Thanesar	6·00	B.D.P.O., Shahabad	RPI-64/33213, dated 10-11-64
24.	Narain Singh, son of Wadhawa Singh, V.Nelokheri, tehsil Karnal	2·10	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/33219, dated 10-11-64
25.	Om Parkash, Subhash Colony, Civil Line, Karnal	8·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/33246, dated 10-11-64
26.	Shri Tirth Singh, Manager-cum-Extenstion Officer, Cumpigry Unit, Nelokheri	15·80	B.D.P.O., Nelokheri	RP1-64/33178, dated 10-11-64
27.	Karnal Poultry Breeding Farm, Karnal	24·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/33365, dated 11-11-64

1	2	3	4	5
	Sarvshri—	Qtl. Kg.		
28.	Hari Ram Balmiki, V. Taraori, tehsil Karnal	5·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/32868, dated 7-11-64
29.	Ajit Kumar, Narain Poultry Farm, Taraori	8·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/32878, dated 7-11-64
30.	Randhir Singh, Manager, Kambopur Poultry Farm, Karnal	75·00	B.D.P.O., Karnal	RPI-64/32874, dated 7-11-64
31.	Basant Lal, son of Bhagwan Dass, H. No. 294, W/14, Panipat	16·00	Executive Officer, Panipat	RPI-64/32890, dated 7-11-64
32.	Ghansham Poultry Farm, Butana, tehsil Karnal	10·00	B.D.P.O. Nelokheri	RPI-64/32893, dated 7-11-64
33.	Ramdev Nanda, V.A.S., Karnal	1·60	V.A.S., Karnal	RPI-64/32796, dated 7-11-64
34.	Hara Singh, 166 Prem Nagar, Karnal	24·00	Ditto	RPI-64/32799, dated 7-11-64
35.	Sat Paul, son of Hari Chand, Bharat Rice and Steel Industries, Karnal	3·00	Ditto	RPI-64/32912, dated 7-11-64
36.	Kanshi Ram, H. No. 61, Prem Nagar, Karnal	1·00	D.F.S.C., Karnal	RPI-64/32823, dated 7-11-64
37.	Fateh Pal Singh, V. and P.O. Ramba, tehsil Karnal	10·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/32865, dated 7-11-64
38.	Mohinder Singh Cheema, Chai Chaman, Karnal	1·35	V.A.S., Karnal	RPI-64/33452, dated 12-11-64
39.	Makhan Lal, Advocate, Karnal	2·00	D.F.S.C., Karnal	RPI-64/33433, dated 11-11-64
40.	Inderjit Karnal Poultry Farm, 12 Prem Nagar, Karnal	8·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/33491, dated 12-11-64

41.	Mangal Dass, R. 87, M.T., Karnal	8·00	Ditto	RPI-64/33368, dated 11-11-64
42.	Ranjit Singh, son of Harnam Singh, V. Balochpura, Ranjit Poultry Farm, Balochpura	21·00	B.D.P.O., Thanesar	RPI-64/33643, dated 13-11-64
43.	S. P. Passi, N.D.R.I., Karnal	0·50	D.F.S.C., Karnal	RPI-64/33631, dated 13-11-64
44.	Piara Singh, son of Arjan Singh, V. Burshami, tehsil Thanesar	9·00	B.D.P.O., Ladwa	RPI-64/33618, dated 13-11-64
45.	Parma Nand Bajaj, 624 M.T., Panipat	10·00	Executive Officer, M.C., Panipat	RPI-64/33637, dated 13-11-64
46.	Kartar Singh, son of Mala Singh, Gharaunda, tehsil Karnal	1·00	V.A.S., Gharaunda	RPI-64/33800, dated 17-11-64
47.	Godharam, V. Nalwai, tehsil Karnal	4·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/33858, dated 17-1-64
48.	Nebh Raj, son of Jamni Dass, H. No. B 17, Near Amanbara, Sodan Bazar, Karnal	8·40	Ditto	RPI-64/33819, dated 17-11-64
49.	Hukam Singh, son of Ratti Ram, V. Dadupur, tehsil Karnal	6·00	V.A.S., Nissong	RPI-64/34209, dated 20-11-64
50.	Joginder Singh, son of Labh Singh, Ravindera Poultry-Farm, Taraori, tehsil Karnal	32·00	V.A.S., Nelokheri	RPI-64/34038, dated 18-11-68
51.	Partap Singh Ram Randhawa, M.A., Pehowa	10·50	B.D.P.O., Thanesar	RPI-64/33940, dated 18-11-64
52.	T. C. Sehgal Niwas, Karnal	1·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/34173, dated 20-11-64
53.	Ramji Lal, son of Jummala, V. Shamgarh, tehsil Karnal	9·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/34268, dated 21-11-64
54.	Mohinder Singh Virk, 30 Model Town, Karnal	2·68	V.A.S., Karnal	RPI-64/34263, dated 21-11-64
55.	Laxmi Poultry Feed, Kharar, district Ambala	70·00	Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPI-64/34580, dated 24-11-64

1	2	3	4	5
	Sarvshri—	Qtl. Kg.		
56.	Sodhi Bhupinder Singh, B-94, Banso Gate, Karnal	0·50	V.A.S., Karnal	RPI-64/34585, dated 24-11-61
57.	Hukam Singh Chohan, V. Agondh, tehsil Karnal	18·00	V.A.S., Nissong	RPI-64/34649, dated 24-11-64
58.	N. S. Kalra, 264-M.T., Sonepat (Rohtak)	36·00	B.D.P.O., Rai (Rohtak)	RPI-64/34577, dated 24-11-64
59.	Gianinder Pal Singh Man, Malik Pur, tehsil Karnal	30·00	B.D.P.O., Gharaunda	RPI-64/34493, dated 23-11-64
60.	Raghbir Singh, 255 A.M.T., Karnal	1·80	D.F.S.C., Karnal	RPI-64/34773, dated 25-11-64
61.	Sudarshan Kumar, son of Parthi Raj, H. No. 254, W/3, Panipat	6·00	Executive Officer, Panipat	RPI-64/34749, dated 25-11-64
62.	Lal Poultry Farm, Karnal	4·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/35264, dated 27-11-64
63.	Jagjit Singh, Johar Poultry Farm, Sadar Bazar, Karnal	10·00	Ditto	RPI-64/35275, dated 27-11-64
64.	Hardeep Singh Uppal, son of Sant Singh, 244-B, M.T., Karnal	2-70	Ditto	RPI-64/35316, dated 28-11-64
65.	Gurbax Singh, son of Sardar Singh, Near Water Tanki, Kunjpura Road, Karnal	9·00	Ditto	RPI-64/35211, dated 27-11-64
66.	Ram Narain, Q. No. 68-A, Model Town, Karnal	4·50	Ditto	RPI-64/35208, dated 27-11-64
67.	Hardeep Singh, s/o Pala Singh, V. Bahari, tehsil Thanesar	6.00	B.D.P.O., Thanesar	RPI-64/35219, dated 27-11-64
68.	Amir Singh s/o Buta Singh, Akal Niwas, G. T. Road, Karnal	12·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/35217 dated 27-11-64

69.	Diala Ram, s/o Narain Ram, Sadar Bazar, Karnal	8·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/35281, dated 27-11-64
70,	Khem Singh, s/o Kishan Singh, Sadar Bazar, Karnal	6·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/35228, dated 27-11-64
71.	Jai Bharat Poultry Farm, Subash Colony, Karnal	10·80	Ditto	RPI-64/35225, dated 27-11-64
72.	Sewa Singh, s/o Ram Kishan, V. Dadupur, tehsil Karnal	10·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/35222, dated 27-11-64
73.	Kuldip Singh, Income Tax Officer, New Delhi	00·60	V.A.S., Karnal	RPI-64/35449, dated 28-11-64
74.	Risala Ram, s/o Nathi Ram, Balmiki V. Taraori, tehsil Karnal	1·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/35433, dated 28-11-64
75.	Atma Ram, s/o Nathu Ram, Balmiki Taraori, tehsil Karnal	1·00	Ditto	RPI 64/35436, dated 28-11-64
76.	Lajpat Rai Jawa, V. Jundla, tehsil Karnal	9·00	V.A.S., Nisong	RPI-64/35406, dated 28-11-64
77.	Tirlochan Kaur, Manager Moti Mal Poultries c/o Store Keeper Civil Hospital, Karnal	4·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/35404, dated 28-11-64
78.	Gurdivinder Singh, s/o Bir Singh, H. No. 24, Prem Nagar, Karnal	2·00	Ditto	RPI-64/35339, dated 28-11-64
79.	Surjit Singh Romana, Romana Poultries Rattangarh, tehsil Thanesar	9·00	B.D.P.O., Shahbad	RPI-64/35566, dated 30-11-64
80.	Sukhwant Singh Man, V. Malikpur, tehsil Karnal	15·00	B.D.P.O., Gharaunda	RPI-64/35709, dated 1-12-64
81.	Atam Parkash Singh, V. Sikri, tehsil Karnal	2·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/35737, dated 1-12-64
82.	Tirlok Singh, Manager-Cum-Extension, Piggery Units, Nelokheri	30.00	Ditto	RPI-64/35712, dated 1-12-64
83.	Roshan Lal Tandon, 185 M.T. Panipat	3·00	V.A.S., Panipat	RPI-64/34447, dated 23-11-64

1	2	3	4	5
	Sarvshri :—	Qtl, kg.		
84.	Sham Sunder Sobti, Gurgaon Poultry farm, Near Standard Rubber Factory, Gurgaon	48·00	Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPI-64/35742, dated 2-12-64
85.	Amir Chand Thukral, P99, Sadar Bazar, Karnal	00·70	V.A.S., Karnal	RPI-64/35860, dated 2-12-64
86.	Amarjit Singh Lamba, 339 L, M.T., Panipat	3·00	V.A.S., Panipat	RPI-64/35854, dated 2-12-64
87.	Major Gian Singh, Secretary, The Chandigarh Co-operative Society, Chandigarh	70·00	Technical Expert Poultry Chandigarh	RPI-64/35836, dated 2-12-64
88.	Shrimati S. K. Waraich 527, M. T. Karnal	9·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/35913, dated 3-12.64
89.	Friends Poultry farm, Shahbad	10·00	B.D.P.O., Shahbad	RPI-64/35752, dated 2-12-64
90.	Dr. Lal Chand, Physician Surgeon, 54 L-M.T. Panipat	1·00	V.A.S. Panipat	RPI-64/36074, dated 3-12-64
91.	Madan Gopal, Mlra Ghati, Karnal	1·50	B.D.P.O., Karnal	RPI-64/35948, dated 3-12-64
92.	Har Charan Singh, s/o Labh Singh, A·138, Model Town, Karnal	3·00	V.A-S., Karnal	RPI-64/36948, dated 4-12-64
93.	Jai Dyal Chodhry, Eight Merla, Panipat	1·50	V,A.S., Panipat	RPI-64/36343, dated 5-12-64
94.	Perma Nand Bazaz, 624, M.T. Panipat	10·00	Executive Officer, Panipat	RPI-64/36346, dated 5-12-64
95.	Gurdial Singh, s/o Bhagwan Singh, W/I Dharmgarh, tehsil Thanesar	9·00	B.D.P.O., Shahbad	RPI-64/36241, dated 4-12-64
96.	Bashin Ahmad, s/o Abdal Gani, Poultry Farm, Pipli	4·00	B.D.P.O., Thanesar	RPI-64/36193, dated 4-12-64

97.	Keshar Singh, s/o Wazin Singh Sindhu, V. Rajond, tehsil Kaithal	3·25	B.D.P.O., Rajond	RPI-64/36197, dated 4-12-64
98.	Satish Kumar, s/o Ram Kishan, H. No. G. 21, Station Area, Nelokheri	3·00	B.D.P.O., Nilokheri	RPI-64/36232, dated 4-12-64
99.	Gurdeep Poultry-farm, Taraori Karnal, Proprietor Avtar Singh	10·00	Manager Govt. Poultry Farm, Ambala City	RPI-64/36235, dated 5-12-64
100.	Jagjit Singh, Proprietor The Chanab Poultry farm, Shahbad	1·00	Poultry Extension Centre, Shahbad	RPI-60/36238, dated 4-12-64
101.	Bhatia Poultry farm, Kachhwal, tehsil Karnal	8·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/36244, dated 4.12.64
102.	Mulakh Raj, Teacher, D.M. High School, Karnal	4·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/36247, dated 4-12-64
103.	Amar Singh, Proprietor Chaudri Poultry farm, Taraori	30·00	Manager Govt. Poultry farm Ambala City	RPI-64/36262, dated 4-12-64
104.	Sham Sunder Sharma, H. No. 42, Krishan Nagar, Karnal	1·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/36311, dated 4-12-64
105.	Ram Dev Sood, BD.P.O. Thanesar	50·00	B.D.P.O., Thanesar	RPI-64/36541, dated 7-12-64
106.	Ram Rattan Nara, Manager, Poultry and Piggery, Regional Centre Rai (Rohtak)	5·00	B.D.P.O., Rai Rohtak	RPI-64/36500, dated 7-12-64
107.	Fateh Pal Singh, Ramba, tehsil Karnal	2·50	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/37109, dated 11-12-64
108.	Charan Singh, s/o Major Badu Ram, V. and P. O. Dighal district Rohtak	24·60	B.D.P.O., Behri, Rohtak	RPI-64/37133, dated 11-12-64
109.	Nand Lal, s/o Rakha Mal Malhotra, V. Lahli, district Rohtak	60.00	Manager, Govt. Poultry-farm Ambala City	RPI-64/37136, dated 11-12-64
110.	Sohan Singh, 575-L M.T. Panipat	5·10	V.A.S., Panipat	RPI-64/37092, dated 11-12-64
111.	Panipat Poultry farmers	300·00	BD.P.O., Panipat	RPI-64/37095 and 98 dated 11-12-64

1	2	3	4	5
	Sarvshri :—	Qtl. kg.		
112.	Sampooran Singh, T. Assistant, N.D.R.I., Karnal	1·08	V.A.S., Karnal	RPI-64/37103, dated 11-12-64
113.	Bhangu Ram, village Rattangarh	3·90	B.D.P.O., Shahbad	RPI-64/36962, dated 10-12-64
114.	Gian Singh-Balbir Sikri, Poultry-farm Pehowa, tehsil Kaithal	9·00	V.A.S., Pehowa	RPI-64/37180, dated 11-12-64
115.	New Punjab Poultry-farm, Kaithal	18·00	V.A.S., Kaithal	RPI-64/37139, dated 11-12-64
116.	Sekhon Poultry Farm, Kurali, district Ambala	80·00	Technical Expert Poultry Chandigarh	RPI-64/37065, dated 11-12-64
117.	The Samrala Poultry F. Breed Co-operative Society Samrala	75·00	Ditto	RPI-64/37152, dated 11-12-64
118.	Bhadur Bhim Sain Dhawan Hariana Poultry, Rohtak	85·00	Manager, Govt. Poultry Farm, Ambala City	RPI-64/37075, dated 11-12-64
119.	Bhadur Bhim Sain Dhawan, 63, Sonepat Road, Rohtak	55·50	Ditto	RPI-64/37078, dated 11-12-64
120.	Pal Poultry Feed, Chandigarh	80·00	Technical Expert Poultry Chandigarh	RPI-64/37112, dated 11-12-64
121.	Jagjit Singh, Prop. The Chanab Poultry farm, Shahbad	15·00	B.D.P.O., Shahbad	RPI-64/36995, dated 10-12-64
122.	Manpreet Poultry-farm, Faridabad (Gurgaon)	108·00	B.D.P.O., Faridabad (Gurgaon)	RPI-64/36772, dated 9-12-64
123.	Bhagwan Dass s/o Ram Chand, H. No. 15 W/10, Gharaunda	1·56	V.A.S., Gharaunda B.D.P.O.	RPI-64/36663, dated 8-12-64
124.	Ganga Ram s/o Dyala Ram, V. Bir Badaula, tehsil Karnal	7·20	B.D.P.O., Nelokheri	RPI-64/36753, dated 9-12-64

125.	Bhaldev Raj, H. No. 135/213, Mohalla Pathran, Shahbad	4·80	B.D.P.O., Shahbad	RPI-64/36968, dated 10-12-64
126.	Dalbir Singh, s/o Uttam Singh, H. No. 284, Mohalla Pathram, Shahbad	1·98	Ditto	RPI-64/36971, dated 10-12-64
127.	Hakumat Rai Sharma, Shaama Poultry Farm, Shahbad	7·80	Ditto	RPI-64/36974, dated 10-12-64
128.	S.N. Kapoor, C-11/87, Moti Bagh, New Delhi	16·00	Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPI-64/36977, dated 10-12-64
129.	Markanda Poultry Farm, Shahbad	43·50	B.D.P.O., Shahbad	RPI-64/36956, dated 10-12-64
130.	Khushi Ram, V. Rattangarh, tehsil Thanesar	38·90	B.D.P.O., Shahbad	RPI-64/36959, dated 10-12-64
131.	Madan Lal Malhotra, Head Clerk, office of the S. P., Karnal	1·20	Deputy Superintendent, Police, Karnal	RPI-64/37963, dated 14-12-64
132.	Fateh Singh, S.I. Police, Karnal	1·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/37260, dated 14-12-64
133.	Harnam Singh Baghi, Grand Hotel, Karnal	10·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/37445, dated 15-12-64
134.	T.N. Bahal, Manager Golden Yolk Poultries, Palwal	100·00	Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPI-64/37567, dated 16-12-64
135.	Ram Saroop, s/o Nebh Raj, 317B Sadar Bazar, Karnal	1·80	V.A.S., Karnal	RPI-64/37854, dated 18-12-64
136.	Navjit Poultry Farm, Faridabad	30·00	B.D.P.O., Faridabad	RPI-64/37221, dated 14-12-64
137.	Iqubal Singh, s/o Jawahar Singh, V. Panauri, Karnal	8·00	V.A.S., Gharaunda	RPII-64/37860, dated 18-12-64
138.	Dalip Singh, V. Panauri, district Karnal	10·00	Ditto	RPII-64/37857, dated 18-12-64
139.	Pritam Singh Bedi, Rly. Mile No. 92, Panipat	4·00	V.A.S., Panipat	RPII-64/37849, dated 18-12-64

1	2	3	4	5
	Sarvshri	Qtl.kg.		
140.	Mohan Lal, 624/2 M.T., Panipat	15·00	V.A.S., Panipat	RPII-64/37841, dated 18-12-64
141.	Avtar Singh, DDPO, Karnal	0·48	D.F.S.C., Karnal	RPII-64/37715, dated 18-12-64
142.	Roshan Lal, 55 M.T. Panipat	8·42	V.A.S., Panipat	RPII-64/37601, dated 17-12-64
143.	Jogmohan Singh, Prop. Mohni Poultry Farm, V. Sewan, tehsil Kaithal	6·00	B.D.P.O., Kaithal	RPII-64/37610, dated 17-12-64
144.	Jawa Poultry Farm, Jundla (Karnal)	36·00	B.D.P.O., Nissong	RPII-64/37877, dated 19-12-64
145.	S.N. Chitravaisi, A/13 Sainik School, Kunjpura (Karnal)	2·25	V.A.S., Karnal	RPI-64/37831, dated 18-12-64
146.	Harish Chander, 257. M.T., Sonepat/Rohtak	5.00	B.D.P.O., Rai (Rohtak)	RPII-64/37874, dated 18-12-64
147.	Gurbax Singh, s/o Hukam Singh, Taraori (Karnal)	4·50	B.D.P.O., Nelokheri	RPII-64/37884, dated 18-12-64
148.	Gurdeep Singh, V. Uppli, Block Gharaunda (Karnal)	6·00	B.D.,P.O., Gharaunda	RPII-64/38001, dated 19-12-64
149.	Ajit Singh, 157, M.T. Karnal	1·00	V.A.S., Karnal	RPII-64/37971, dated 19-12-64
150.	Gurbax Singh Bajaj, Poultry Farm, Minagati, Karnal	42·00	V.A.S., Karnal	RPII-64/37961, dated 19-12-64
151.	Surat Singh, s/o Narain Singh, V. Ranwar, tehsil Karnal	12·00	V.A.S., Karnal	RPII-64/37943, dated 19-12-64
152.	Guriqubal Singh & Sons, Kurali (Ambala)	160·00	Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPII-64/37654, and 37657, dated 17-12-64

153.	Hans Raj Vijaj, Co-operative Society Poultry Farm, Khar Khoda	4·00	V.A.S. (Rohtak) Bisara	RPII-64/37871, dated 18-12-64
154.	Sabarwal Poultry Farm, 496 M.T. Panipat	6·00	B.D.,P.O., Panipat	RPII-64/37868, dated 18-12-64
155.	Manfool Singh Jat, V. Madina, Kodsan (Rohtak)	48·00	Government Manager, Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/38205, dated 21-12-64
156.	Ajit Kumar Nanda, Poultry Farm, Taraori	16·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPII-64/38457, dated 23-12-64
157.	Kapoor Singh, V. Bansham, tehsil Karnal	3·20	B.D.,P.O., Nelokheri	RPII-64/39390, dated 30-12-64
158.	Rulia Ram Kapoor, H. No. 41-42 Prem Nagar, Karnal	3·00	V.A.S., Karnal	RPI-64/25, dated 1-1-65
159.	Fair Deal Poultry House S.C.F. 20 Sector 21-C, Chandigarh	70·00	Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPII-64/38998,39001, 39004, dated 26-12-64
160.	Chandigarh Co-operative Society, Chandigarh	150·00	Ditto	RPII-64/39007,39013 39016, 39019, and 39010, dated 26-12-64
161.	Dharam Parkash-Sat Parkash, Anil Poultry Gram, Roadam	48·00	B.D.P.O., Lodwa	RPII-64/39028,39029, dated 26-1-64
162.	Gurjeet Singh Dhillon, S.D.O. Drainage S.D., Karnal	1·44	V.A.S., Karnal	RPII-64/39033, dated 26-12-64
163.	Bal Raj Kishan Sood, Karnal	1·00	V.A.S., Karnal	RPII-64/39036, dated 26-12-64
164.	Jai Bharat Poultry Farm, Karnal	21·42	V.A.S., Karnal	RPI-64/39039, dated 26-12-64
165.	Executive Officer, Panchayat Samiti Rai (Rohtak)	120·00	B.D.P.O., Rai (Rohtak)	RPII-64/39136, 39139, 39142 and 39145 dated 26-12-64
165A.	Avtar Singh Prop. Ravindra Poultry Farm, Taraori	72·00	Government Manager Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/39106, dated 26-12-64

1	2	3	4	5
	Sarvshri			
166.	Amir Chand, H. No. B 99, Sadar Bazar Karnal	1·40	V.A·S· Karnal	RPII-64/39329, dated 26-12-64
167.	Kanta Rani Madhok United Poultry Sadaqat Manjil Karnal	16·00	V.P.S. Karnal	RPII-64/39188, dated 28-12-64
168.	Hukam Singh 94-A. M. T. Karnal	1·32	D.F.S.C. Karnal	RPII-64/39325, dated 29-12-64
169.	B. N. Malhotra Sadaquat Manjil, Karnal	4·80	V.A.S. Karnal	RPII/64-22, dated 1-1-65
170.	Balbir Singh A. 531, Sadar Bazar, Karnal	2·00	V.A.S. Karnal	RPII-64/196, dated 2-1-65
171.	Superintendent Sub-Jail Karnal	20·00	Govt. Deptt.	RPII-64/223, dated 2-1-65
172.	Raghbir Singh Pu ,jab Cold Storage, Karnal	15·74	V.A.S. Karnal	RPI-64/230, dated 2-1-65
173.	A. K. Balaganna C/o M. L. Balagnna. C. M. O. Karnal	6·00	V.A.S. Karnal	RPII-64/236, dated 2-1-65
174.	Laxmi Poultry Feed Kharar (Ambala)	70·00	Technical expert Poultry, Chandigarh.	RPII-64/65 & 62 & 68, dated 2-1-65
175.	B. S. Bhatnagar 30 Prem Nagar Karnal	3·05	V.A.S. Karnal	RPII-64/178, dated 2-1-65
176.	Atma Ram, Son of Nathu Ram, Balmiki Taraori	5·00	B.P.O. Nelokheri	RPII-64/170, dated 1-1-65
177.	Balbir Singh Labhu Mal Q. No.159 Prem Nagar Karnal	3·76	V.A.S. Karnal	RPII-64/167, dated 1-1-65
178.	Jiwan Dass Supervisor, Estate Section N. D. R. I. Karnal	2·25	Ditto	RPII-64/164, dated 1-1-65

179,	Hari Ram, son of Ram Charan Taraori Karnal	3·00	B.D.P.O. Nelokheri	RPI-64/161, dated 1-1-65
180.	Tilak Raj, s/o Sain Dass, village Ramba, Karnal,	6.50	Ditto	RPI-64/173, dated 1-1-65
181.	Kartar Singh House No. 45-46 Prem Nagar, Karnal.	1·80	V.A.S. Karnal	RPI-64/193, dated 2-1-65
182.	Sadhu Ram House No. 367 Jatan Gate, Karnal.	00·30	Ditto	RPI-64/196, dated 2-1-65
183.	Nane Ram, s/o Badam village Samana, tehsil Thanesar.	2.00	Distt. Welfare Officer, Karnal	RPI-64/145, dated 1-1-65
184.	Harbhajan Sin gh, House No. 22/1 Ram Nagar, Karnal.	1·80	V.A.S. Karnal	RPI-64/158, dated 1-1-65
185.	Risal Singh, s/o Mokhi Ram village Taraori Karnal	5·00	B.D.P.O. Nelokheri	RPI-64/155, dated 1-1-65
186.	Kartar Singh, s/o Mehla Singh, village Gharaunda.	11·00	V.A.S. Gharaunda	RPI-64/152, dated 1-1-65
187.	Parma Nand Bhagwan Dass, 624 M. T. Panipat.	20·00	Executive Officer, M.C. Panipat	RPI-64/149, dated 1-1-65
188.	Banarsi Dass, Rottangarh, tehsil Thanesar.	30·00	B.D.P.O. Shahbad	RPI-64/105, dated 1-1-65
189.	Jasbir Singh Sodhi, Fatehgarh Jharoli Tehsil Thanesar.	30·00	Ditto	RPI-64/102, dated 1-1-65
190.	Swarn Lal, village Chammu, tehsil Thanesar.	10·50	Ditto	RPI-64/90, dated 1-1-65
191.	Narinder Singh Prop. Aroop Poultry Farm G. T. Road, Shahbad.	6·00	B.D.P.O. Shahbad	RPII-64/99, dated 1-1-65
192.	Saroop Singh Dutt. Shajadpur (Shahbad) tehsil Thanesar.	15·00	Ditto	RPI-64/96, dated 1-1-65
193.	Surinder Sing h Sidhu, Jarnaily Kothi, Karnal.	6·00	V.A.S. Karnal	RPI-64/231, dated 2-1-65

1	2	3	4	5
	Sarvshri			
194.	Ved Parkash, s/o Suggan Chand, 699 M.T. Panipat.	5·00	V.A.S. Panipat	RPI-64/38977, dated 24-12-64
195.	Mohinder Singh, s/ o Ram Singh Sani, Sani Poultry Farm, Pipli.	27·00	B.D.P.O. Shahbad	RPI-64/93, dated 1-1-65
196.	Ved Parkash, s/o Su gar Chand, 699 M.T. Panipat.	4·90	V.A.S. Karnal	RPI-64/56, dated 1-1-65
197.	Ajit Singh Kanwal Government M.S.D. Karnal.	00·40	D.F.S.C. Karnal	RPI-64/756, dated 8-1-65
198.	Jagan Nath Vaid, Advocate,Karnal.	5·00	V.A.S. Karnal	RPI-65/439, dated 5-1-65
199.	Mangal Dass Q. No. 87 R.M.T. Karnal.	8·70	Ditto	RPI-64/804, dated 8-1-65
200.	Bashin Ahmad, s/o Abdul Gani village Pipli tehsil Thanesar.	4·50	B.D.P.O. Thanesar	RPI-64/841, dated 8-1-65
201.	Ghan Sham P oultry Farm Butana tehsil Karnal.	8·00	B.D.P.O. Nelokheri	RPI-64/889, dated 8-1-65
202.	Richhpal Singh Randhawa, Kachhwa tehsil Karnal.	4·50	Ditto	RPI-64/857, dated 8-1-65
203.	Ram Dia Navyog Poultry Farm Saidha,tehsil Kaithal.	8·00	V.A.S. Kaithal	RPI-64/700, dated 7-1-65
204.	Manohar Lal Ahuja, Prop. Sikka Poultry Farm, Fatehpur Chandela, N.I.T. Faridabad.	66·00	B.D.P.O. Faridabad	RPI-64/532, dated 6-1-65
205.	Khazan Singh village Pundri (Gharaunda) tehsil Karnal.	3·00	B.D.P.O. Gharaunda	RPI-64/566, dated 6-1-65
206.	Ravinder Singh Thapar Faridabad.	30·00	V.A.S. Faridabad	RPII-64/536, dated 6-1-65

207.	Manager-cum-extension Regnal Poultry and Pigny Unit, Nelokheri.	66·00	B.D.P.O. Nelokheri	RPII-64/456, dated 5-1-65
208.	Mattu Ram Sectry. The Samplaco, Opo. Poultry Society. Sampla (Rohtak).	120·00	Manager, Govt. Poultry Farm, Ambala City.	RPII-64/459, dated 5-1-65
209.	Lal Poultry Farm House No. RF/39, Gorian, Karnal.	220.00	V.A.S. Karnal	RPII-64/942, dated 8-1-65
210.	Gurdivinder Singh, 24 Prem Nagar, Karnal	2·00	V.A.S., Karnal	RPII-64/317, dated 4-1-65
211.	Sampooran Singh, H. No. E-19, N.D.R.I., Karnal	1.06	Ditto	RPII-64/1316, dated 12-1-65
212.	S. P. Passy, Administrative Officer, N.D.R.I., Karnal	00·50	D.F.S.C., Karnal	RPII-64/1508, dated 13-1-65
213.	Madan Lal, Head Clerk Office of the Supdt. Police, Karnal	1·40	S.P. Karnal	RPII-64/1411, dated 13-1-65
214.	Lalit Gopal, Prop. 95 Grain Market, Chandigarh	75.00	Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPII-64/1311. dated 12-1-65
215.	Om Parkash, V. & P.O. Nissong (Karnal)	6·00	V.A.S., Nissong	RPII-64/1686, dated 15-1-65
216.	Surinder Kaur, 527 Model Town, Karnal	10·20	V.A.S., Karnal	RPII-64/1691, dated 12-1-65
217.	Chandigarh Co-op. Poultry Society Ltd., S.C.F. 38 Sector 21-C, Chandigarh	30·00	D.O. (H.Q.), Chandigarh	RPI-64/1694, dated 15-1-65
218.	Gaje Singh, Friends Poultry Farm, Rajond, Kaithal	20·00	B.D.P.O., Rajond	RPII-64/1699, dated 15-1-65
219.	Bhupinder Singh Sethi, Banso Gate, Karnal	1·80	V.A.S., Karnal	RPII-64/1703, dated 15-1-65
220.	Sewa Singh Sandhu, 487 Model Town, Karnal	1·56	Ditto	RPII-64/1675, dated 15-1-65
221.	Ram Lal Chadha, village Shamgarh, tehsil Karnal	6·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPII-64/1578, dated 15-1-65

1	2	3	4	5
	Sarvshri—			
222.	Roop Chand, s/o Mukand Lal, Karnal	2·40	V.A.S., Karnal	RPII-64/1581, dated 15-1-65
223.	Kehar Singh, Sadar Bazar, Karnal	2·70	Ditto	RPII-64/1573, dated 15-1-65
224.	Bhagat Ram, Near Meat Market, Sadar Bazar, Karnal	7.50	Ditto	RPII-64/1464, dated 13-1-65
225.	Prem Nath Kapoor for Vijay Kumar Kapoor, Vijay Poultry Farm, Binjlol, Karnal	72·00	Manager, Govt. Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/1624, 1630 & 1627, dated 15-1-65
226.	Panipat Poultry Farmer Association, Panipat	250·00	B.D.P.O., Panipat	RPII-64/1618, 1612. & 1615 dated, 15-1-65
227.	Shri Surjan Singh Gill, Principal, Orientation & study Centre, Nelokheri (Pb.)	100·00	Government Department	RPII-64/2219, 2216, dated 21-1-65
228.	Shri Gian Singh, D. 49 Model Town, Karnal	5·00	D.F.S.C., Karnal	RPII-64/2752, dated 25-1-65
229.	Karnal Poultry Breeding Farm, Karnal	24·00	V.A.S., Karnal	RPII-64/1718, dated 16-1-65
230.	Ram Kishan, s/o Kura Ram, village Newaisi, tehsil Thanesar	12·00	District Welfare Officer, Karnal	RPII-64/3080, dated 27-1-65
231.	Bholla Ram, s/o Bicha Ram, village Newaisi, tehsil Thanesar	19·50	Ditto	RPII-64/3088, dated 27-1-65
232.	Jai Dyal, 218 Eight/Maxla Colony, Panipat	1.50	Executive Officer, M. C. Panipat	RPII-64/1761, dated 16-1-65
233.	Jaswant Singh Sindhu, village Tangori, Block Shahbad, tehsil Thanesar	42.00	B.D.P.O. Shahbad	RPII-64/1735, dated 16-1-65
234.	Friends Poultry Farm, Shahbad, tehsil Thanesar	20.00	Manager, Govt. Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/1727, dated 16-1-65

235.	Chandan Singh, Retd. C.O. M.C. Pundri Karnal	4.50	B.D.P.O., Pundri	RPII-64/1743, dated 14-1-65
236.	Kishan Singh, Kaysan Poultry Feed, Chandigarh	20.00	Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPII-64/1849, dated 18-1-65
237.	Jagdish Chander, H. No. G. 698, Jundlaghle, Karnal	1.50	V.A.S. Karnal	RPII-64/2175, dated 20-1-65
238.	Gurjit Singh Dhillon, village Shamgarh, tehsil Karnal	50.00	B.D.P.O., Nelokheri	RPII-64/2148, dated 20-1-65
239.	Sewa Singh, s/o Ram Kalter, village Dadupur, tehsil Karnal	6.00	B.D.P.O., Kaithal	RPII-64/2359 dated 22-1-65
240.	Jagmohan Singh, Mohni Poultry Farm, Sewan, tehsil Karnal	6.00	B.D.P.O., Kaithal	RPII-64/2359, dated 22-1-65
241.	Fatehpal Singh, village Ramba, tehsil Karnal	17.50	B.D.P.O. Nelokheri	RPII-64/2356, dated 22-1-65
242.	Prem Parkash, s/o Vishan Datt, Ramesh Nagar, Karnal	8.88	V.A.S., Karnal	RPII-64/2442 dated 22-1-65
243.	Tara Chand, Q. No. 210 W. No. III, Panipat	6.00	V.A.S., Panipat	RPII-64/2439 dated 22-1-65
244.	Gurdeep Poultry Farm, Karnal	75.00	Manager, Govt. Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/2436, dated 22-1-65
245.	Chander Bhan, Chander Co-op. Poultry Society Khakhoda, Rohtak	15.00	B.D.P.O., Khakhoda	RPII-64/2477, dated 23-1-65
246.	Amir Singh, c/o M/s Punjab Engineering Workshop, Karnal	7.00	V.A.S., Karnal	RPII-64/2480, dated 23-1-65
247.	Ram Saroop, Shri Nebh Raj, H. No. B 17, Sadar Bazar, Karnal	2.40	Ditto	RPII-64/2516, dated 23-1-65
248.	Bahadar Bhim Sain Dhawan, Hariana Poultries, Sonepat Road, Rohtak	80.00	Manager, Govt. Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/2987, dated 27-1-65
249.	Shrimati Widhwant Kaur, D/247 Model Town, Panipat	2.00	V.A.S., Panipat	RPII-64/3097, dated 27-1-65

1	2	3	4	5
	Sarvshri—			
250.	Surat Singh, D/265, Model Town Panipat	1.80	V.A.S., Panipat	RPII-64/3099, dated 27-1-65
251.	Kaboal Singh, A.S.I,, Karnal	1.95	V.A.S., Karnal	RPII-64/3073, dated 27-1-65
252.	Surid Kumar Rag, village Santokh Majra, tehsil Kaithal	3.00	B.D.P.O., Rajound	RPII-64/3285 dated 30-1-65
253.	Jasbir Singh, 488 Model Town, Karnal	6.00	V.A.S., Karnal	RPII-64/3173, dated 29-1-65
254.	Panipat Poultry Farmers Association, Panipat	210.00	B.D.P.O., Panipat	RPII-64/3164 & 3167 dated 29-1-65
255.	Gurcharan Singh, s/ o Lachhman Singh, village Dabri, tehsil Karnal	3.40	V.A.S., Karnal	RPII-64/3170 dated 29-1-65
256.	Man Singh, Pritam Singh, Purani Mandi, Karnal	85.00	Manager, Govt. Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/3238 dated 29-1-65
257.	Mrs. Colonel K. S. Virk, 26 Model Town, Karnal	7.50	B.F.S.C., Karnal	RPII-64/3307, dated 30-1-65
258.	Munshi Ram, s/o Ram Rikha, village Bajida Jatan, tehsil Karnal	3.60	B.D.P.O., Nassong	RPII-64/3383, dated 1-2-65
259.	Narain Dass, Q. No. A. 68, M.T. Karnal	7.50	V.A.S., Karnal	RPII-64/3387, dated 1-2-65
260.	Lalit Gopal 95 grain Market, Chandigarh	75.00	Technical Expert Poultries, Chandigerh	RPII-64/5031, dated 2-2-65
261.	Raghbir Singh, National Poultries, Karnal	6.00	V.A.S., Karnal	RPII-64/5387, dated 6-2-65
262.	Randhir Singh, Manager Kambopura Poultry Farm, Kambopura, Karnal	75.00	Ditto	RPII-64/5500, dated 8-2-65

263.	Naginder Singh, s/o Sat Narain Singh, village Dhungra, tehsil Karnal	4.50	B.D.P.O., Nelokheri	RPII-64/5416, dated 6-2-65
264.	Chaman Lal, s/o Hari Ram, Palwal, Gurgaon	21.00	B.D.P.O., Palwal	RPII-64/5344, dated 5-2-65
265.	Ram Chanden Jameli, Palwal, district Gurgaon	48.00	Ditto	RPII-64/5347, dated 5-2-65
266.	Inderjit, H. No. 12, Prem Nagar, Karnal	40.00	V.A.S., Karnal	RPII-64/5281, dated 5-2-65
267.	Harish Chander, 25 Model Town Sonepat (Rohtak)	13.00	V.A.S., Sonepat	RPII-64/5302, dated 5-2-65
268.	Mani Ram, s/o Hardwar, village Panauni, district Karnal	12.00	B.D.P.O., Gharaunda	RPII-64/5312, dated 5-2-65
269.	Nana Ram, s/o Badama, village Samana Bahu, tehsil Thanesar	4.80	B.D.P.O., Nelokheri	RPII-64/5340, dated 5-2-65
270.	Madan Gopal, Kishan Pura Poultry Farm, Panipat	56.00	V.A.S., Panipat	RPII-64/5333, dated 5-2-65
271.	Munshi Ram, s/o Harnam Dass, village Panauri, tehsil Karnal	3.00	B.D.P.O., Gharaunda	RPII-64/5391, dated 6-2-65
272.	Harnam Singh Baghi, Sadar Bazar, Karnal	19.40	V.A.S., Karnal	RPII-64/5690, dated 9-2-65
273.	Golden Yolk Poultry Farm, Palwal, Gurgaon	100.00	Technical Expert Poultry Chandigarh	RPII-64/6320, dated 12-2-65
274.	Kulbhushan Rai, Palwal, district Gurgaon	85.00	Manager, Govt. Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/6323, dated 12-2-65
275.	Gurdeep Singh, s/o Nihal Singh, V.P.O. Kunjpura (Karnal)	2·40	V.A.S., Karnal	RPII-64/6314, dated 12-2-65
276.	Bashin Ahamad, s/o Abdulgani, V. Pipli, tehsil Thanesar	4·20	V.A.S. & E.O. (A.H.) Thanesar	RPI-64/6463, dated 12-2-65
277.	Harbajan Siugh, s/o Bhagat Ram, 22/1, Ram Nagar, Karnal	3·80	V.A.S., Karnal	RPII-64/6388, dated 12-2-65

1	2	3	4	5
	Sarvshri—			
278.	The. Pb. Poultry Farm, 280L, Modal Town, Karnal	30·00	Technical Expert Poultry, Chandigarh	RPII-64/6392, dated 12-2-65
279.	Mohinder Singh Virk, 30 D.M.T., Karnal	7·80	V.A.S., Karnal	RPII-64/6311, dated 12-2-65
280.	Raghbir Singh, Pb., Cold Store, Karnal	14·98	V.A.S., Karnal	RPII-64/6339, dated 12-2-65
281.	Ajit Kumar, Narain Poultry Farm, Taraori, tehsil Karnal	24·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPII-64/6317, dated 12-2-65
282.	Gian Chand s/o Ganga Ram, V. Bir Badaula, tehsil Karnal	27·00	B.D.P.O., Nelokheri	RPII-64/6362, dated 12-2-65
283.	Shushil Kumar Kapoor, Peoples Poultry Farm, Faridabad, Gurgaon	10·00	B.D.P.O., Faridabad	RPII-64/6487, dated 13-2-65
284.	Bhagwan Dass, s/o Ram Chand, H. No. 1198, Near Gurdawara Gharaunda, tehsil Karnal	2·40	B.D.P.O., Gharaunda	RPII-64-6607, dated 16-2-65
285.	Baldev Singh, Poultry Inspector, Shahbad Markanda Karnal	3241.82	Technical Expert Poultries, Chandigarh	RPII-64/6668, dated 16-2-65
286.	Gurdivinder Singh, 29, Prem Nagar, Karnal	1·56	V.A.S., Karnal	RPII-64/7166, dated 19-2-65
287.	Sampooran Singh, H.N.E. 14, N.D.R.I., Karnal	1·12	V.A.S., Karnal	RPII-64/7173, dated 19-2-65
288.	Surjan Singh, Modern Poultry Farm, Khanpur, district Ambala	200·00	Manager, Government Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/7154, 7163, 7157, dated 19-2-65
289.	Chander Singh, s/o Girdhari Lal V. Khaikara. tehsil Gohana, (Rohtak)	20·00	Ditto	RPII-64/6766, dated 17-12-65
290.	Dharan Singh, Prop. Parkash Poultry Farm, Madina Dangi (Rohtak)	36·00	Ditto	RPII-64/6776, dated 17-2-65

291.	Om Parkash, V. & P. O. Nissong, Karnal	3·00	V.A.S., Nissong	RPII-64/6746, dated 17-2-65
292.	Divinder Singh Sidhu, Sindhu Poultry Farm, Kurukeshtra	12·00	Manager-cum-Extension Officer	RPII-64/7126, dated 19-2-65
293.	Kartar Singh Mehtab Singh, V. Israna, tehsil Panipat	6·00	B.D.P.O., Madlauda	RPII-64/7027, dated 9-2-65
294.	Ram Dass Kishan Lal, Novelty Road, Karnal	10·00	Manager, Government Poultry Farm, Ambala City	RPII-64/7188, dated 19-2-65
295.	Jai Dayal Jai Bharat Poultry Farm,Subhash Coloney, Karnal	37·41	V.A.S., Karnal	RPII-64/7192, dated 19-2-65
296.	Herdeep Singh Uppal, 244 B. M. T., Karnal	3·60	V.A.S., Karnal	RPII-64/6345, dated 12-2-65
297.	Raghbir Singh, 255R, Model Town, Panipat	3·60	D.F.S.C., Karnal	RPII-64/7965, dated 25-2-65
298.	Jagmohan Singh, V. & P. O. Siwan, tehsil Kaithal	6·00	B.D.P.O., Kaithal	RPII-64/7657, dated 25-2-65
299.	Chatwant Singh, D.S.P., Karnal	1·14	D.F.S.C., Karnal	RPII-64/7959, dated 25-2-65
300.	Banarsi s/o Raja Ram, V. Biana, tehsil Karnal	180·00	V.A.S., Karnal	RPII-64/8101, dated 26-2-65
301.	Ghansham Dass, V. Butana, tehsil Karnal	6·00	B D.P.O., Nelokheri	RPII-64/8147, dated 26-2-65
302.	Kuldeep Singh, Income Tax Officer, Karnal	00·60	V.A.S., Karnal	RPII-64/8095, dated 26-2-65
303.	Dalip Singh, 40D, Model Town, Karnal	24·00	V.A.S., Karnal	RPII-64/8083, dated 26-2-65

Punjab Vidhan Sabha Debates

2nd March, 1965

Vol. I—No. 6

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 2nd March, 1965

Price : Rs. 4.00 Paise

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES,

Vol. I, No. 6, dated the 2nd March, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Discussion	Discussoin	Title	3 from below
urine	urinal	(6)9	9 from below
circulate	irculate	(6)12	3 from below
ਪਿਛਲੇ	ਪਛਲੇ	(6)46	5 from below
properly	properby	(6)50	8 from below
ਮੈਂ	ਸੈਂ	(6)51	3 from below
ਵਿਚ	ਮਿਚ	(6)52	6
ਸਟੇਟ	ਸਟੋਰ	(6)55	1
ਹੁਣ	ਹੋਣ	(6)56	4
ਧੂਲ	ਧੂਪ	(6)57	10 from below
ਖੁਸ਼ਬਖ਼ਤ	ਖਸ਼ਬਖਤ	(6)62	14 from below
ਠੁਕਰੇ	ਠਕਰੇ	(6)62	5 from below
ਸਸਤੀ	ਸਸਤ੍ਰੀ	(6)67	14 from below
stands	then	(7)70	4 from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 2nd March, 1965

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Sector 1, *Chandigarh at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker* (*Shri Harbans Lal*) *in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

*Supplementaries to Starred Question No. 6781

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 50 : 50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਰੂਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 : 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : 50 : 50 ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪ-ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੂਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰੰਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 50 : 50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ਲ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨ—ਆਫੀਸ਼ਲ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰੂਟ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹਾਵੀ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਚੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਰੂਟ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ ਦੇਣ , ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਡੀ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

---

*Starred Question No. 6781, alongwith its answer appears in the P. V. S. Debates Vol. I No. 5 dated the 27th February, 1965

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਰੂਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 667 ਮੀਲ ਦਾ ਸਕੈਟਰਡ ਰੂਟ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਉਸਨੂੰ 1367 ਮੀਲ ਦਾ ਰੂਟ ਵਿਦ ਲੈਸਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਮੋਰ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਨਸਿਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੋਰਟ ਕੰਨਟ੍ਰੋਲਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 50 : 50 ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੈਪਸੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे जब रूट परमिट दिए जाते हैं तो खास बस कम्पनियों को प्रैफ्रेंस देने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है ?

मुख्य मन्त्री : क्राइटेरिया तो कोई नहीं ; स्टेट ट्रांस्पोर्ट कंट्रोलर इस बात का फैसला अपने जुडिशल इखत्यारात के अधीन करता है।

Chaudhri Hardwari Lal : The Chief Minister has referred to the judicial authority of the State Transport Controller. May I know the judicial powers with which the State Transport Controller has been invested ?

Mr. Speaker : This is a matter of law. The Motor Vehicles Act can be referred to in this connection.

मुख्य मन्त्री : अगर आप अलग नोटिस दें तो तमाम शराइत जो मोटर वहीकल ऐक्ट में दी हुई हैं आप को भेज दूंगा।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਚੀਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿਤੇ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ।

Construction of Roads in Rajpura Assembly Constituency

***7516. Sardar Prem Singh Prem :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the number and names of roads within the limits of Rajpura Assembly Constituency which were included in the Second and Third Five-Year Plans for construction, separately ;

(b) the names of the roads out of those mentioned in (a) which have so far been constructed ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No road was proposed within the limits of Rajpura Constituency during the Second Plan. The following three roads are included in the Third Five-Year Plan :—

(1) Jaidesh Nursery (Village Ramgarh) to mile 16/6 of Rajpura-Chandigarh Road.

(2) Seel-Ganaur Road.

(3) Ganaur to Shambu Road.

(b) None so far but the work is being started on all the three.

सरदार प्रेम सिंह प्रेम : वजीर साहिब ने तीन सड़कें बताई हैं। वैसे मैं इनकी इत्तलाह के लिए बता दूं कि इन में से दो तो इस इलाके की नहीं हैं। फिर भी यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सड़कें तीसरी फाइव यीअर प्लान में शामिल हैं या आऊट आफ प्लान हैं ?

मन्त्री : यह सड़कें तीसरी फाइव यीअर प्लान में शामिल हैं।

श्री बलरामजी दास टण्डन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह जो सड़कों का रिकार्ड है वह कान्सटीचूएन्सी वाइज़ रखा जाता है ?

मन्त्री : नहीं जी, सड़कों का रिकार्ड कान्सटीचुएंसीवाइज़ नहीं रखा जाता।

श्री फतेह चन्द विज : क्या वजीर साहिब यह बताएंगे कि अगर एक प्लैन में एक सड़क बनने से रह गई तो अगले प्लान में वह क्यों नहीं ली गई ?

मन्त्री : जब अगली प्लैन बनती है तो और सड़कों की प्लैन्ज़ शामल कर ली जाती हैं।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਾਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਬਣਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

Mr. Speaker: This is too wide a question and it cannot be allowed as supplementary.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਚੌਥੇ 5 ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

मंत्री : इस के लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

श्री फतेह चन्द विज : अगर कुछ सड़कें एक प्लान में रह गई हों तो प्रोसीजर यह होना चाहिऐ कि वह दूसरी प्लैन में ली जायें। अगर दूसरी में रह जायें तो तीसरी प्लैन में ली जानी चाहिएं ।

Mr. Speaker. The hon. Member has given information for the benefit of the Government. This is not a supplementary question please.

मन्त्री : चौथा प्लैन बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाएगा ।

Construction of Rajpura-Machhali Bari and Banur-Ambala Roads

***7530. Sardar Prem Singh Prem** : Will the Minister for Public Works and Welfare with reference to the reply to Starred Question No. 6457, included in the list of Questions for 21st September, 1964, be pleased to state whether the roads mentioned in that question have been included for construction in the Fourth Five-Year Plan ?

Chaudhri Rizaq Ram : Yes, but only tentatively. The proposals are yet to be finalised.

सरदार प्रेम सिंह प्रेम : क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूं कि आया वह सड़कें जो डिपार्टमैन्ट की तरफ से कई दफा प्रोपोज़ होकर आई हैं सरकार इनको Five year plan में शामल करने के लिये कोई एशोरेंस देने को तैयार है ?

मन्त्री : इस मौका पर एशोरेंस नहीं दी जा सकती । हां, जितना होगा इन को शामल करने के लिये गौर किया जायेगा ।

Mr. Speaker : Next Question (No. *6743) please.

Shri Fateh Chand Vij : On his behalf, Sir.

Mr. Speaker : Has the hon. Member got written authority from Shri Mangal Sein, in whose name this question stands ?

श्री फतेह चन्द विज : लिखकर तो कोई अथारिटी नहीं दी गई मगर वह कह गये थे। सवाल बड़ा ज़रूरी है अगर आप कहें तो सवाल कर लिया जाये ।

Mr. Speaker : Being a postponed question the hon. Member is allowed to put it. However this will not form a precedent.

Appointment of Hariana Development Commissioner

***6743. Shri Mangal Sein** (put by Shri Fateh Chand Vij) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether during his visit to Rohtak District on the 23rd/24th November, 1964, he made any announcement regarding the appointment of a Hariana Development Commissioner ; if so, the details of the functions proposed to be entrusted to the said Development Commissioner ;

(b) the amount of money proposed to be spent by the Government for the Development of Hariana ;

(c) the name of the place where the officer of the said Development Commissioner is likely to be located ?

Sardar Darbara Singh (Home and Development Minister) : (a) Yes.
(b) & (c) The matter is under consideration.

श्री बलरामजीदास टण्डन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब या होम मिनिस्टर साहिब यह बताएंगे कि जो चीफ मिनिस्टर साहिब ने हरियाना डिवैल्पमैंन्ट कमिश्नर की एप्वायंटमैंट के मुताल्लिक एनाऊंसमैन्ट की है वह सारी डीटेल्ज़ पर गौर करने के बाद सब कुछ कहा है ?

मुख्य मन्त्री : इस के तमाम पहलुओं पर गौर हो रहा है और निहायत स्पीड के साथ गौर किया जा रहा है ।

श्री बलरामजी दास टण्डन : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सारी डिटेल्ज़ पर एनाऊंसमैन्ट के पहले से गौर हुआ था या अब हो रहा है ।

मुख्य मन्त्री : यह सब वर्क आऊट किया जा रहा है ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि अगर हरियाना के लिए डिवैल्पमैन्ट कमिश्नर का फैसला हो गया है तो क्या आप बताएंगे कि हरियाना में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ?

गृह तथा विकास मन्त्री : अगर आप को यह पता हो कि हरियाना किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में है तो सब पता लग सकता है (हंसी) ।

श्री फतेह चन्द विज : जब पहले स्कीम बनी थी तो हरियाना में करनाल को शामल नहीं किया था क्या अब शामल किया गया है ?

मन्त्री : आप यकीन रखिए यह हरियाना में ही है ।

Enquiry held into the charges levelled against the former Deputy Commissioner, Ferozepore

*6783. **Sardar Gurcharan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether he received any complaint against Shri Bhim Singh, former Deputy Commissioner, Ferozepore alleging his corrupt practices ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether any enquiry was held into the said charges, if so, the action, if any, taken thereon ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.
(b) No, because the allegations were general.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ?

मुख्य मंत्री : जिन भाईयों ने ऐलीगेशनज़ 1963 में लगाई वह कोई सपैसिफिक चीज़ नहीं थी इस लिये इन्क्वायरी नहीं हो सकी ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਕੰਪਲੇਨੇਂਟ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਨਰਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ?

मुख्य मन्त्री : अगर किसी साहिब के पास कोई सपैसिफिक ऐलीगेशन्ज़ हों तो आप मेरे नोटिस में लायें, उस पर ऐकशन लिया जायेगा ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੱਪਟ ਪਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ on the floor of the House., ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ before his taking over as Chief Minister ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ?

मुख्य मंत्री : मैं ने कहा है कि अगर कोई सपैसिफिक ऐलीगेशन्ज़ आप मेरे नोटिस में लायेंगे तो ज़रूर उन पर गौर किया जायेगा । जिन के मुताल्लिक शिकायत है वह इस वक्त पब्लिक सर्विस कमिशन के मैंबर हैं, यहां पर डिसकशन में पड़ना मुनासिब नहीं, आप अगर कोई स्पैसिफिक बात हमारे नोटिस में लायेंगे तो ज़रूर गौर किया जायेगा ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : On a point of Order, Sir. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਡੀ. ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸਨ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : ऐसी कोई कंपलेंट इन राईटिंग मेरे नोटिस में नहीं आई ।

कामरेड राम प्यारा : अगर कोई कम्पलेंट सरकार के नोटिस में लाई जाए तो इस की इन्क्वायरी के लिऐ कैसे पालिसी एडाप्ट की जाती है ?

मुख्य मन्त्री : जब कोई स्पैसेफिक ऐलीगेशन के मुताल्लिक सरकार को पूरा कांन्फीडैंस हो जाऐ तो जांच पड़ताल के लिए अफसर लगाया जाता है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੇਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਇਆ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या यह बात चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में है कि कम्पलेनैन्ट को बुलाया तक नहीं जाता और उस के खिलाफ फैसला भी दे दिया जाता है ?

मुख्य मन्त्री : नार्मली कम्पलेनैन्ट को कन्फीडैन्स में लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा केस है तो आप मेरे नोटिस में लायें इन्वैस्टीगेशन की जाएगी।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜ਼ਰੂਰ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It is a reply of the Government. By whom it is prepared it is none of the business of the hon. Member.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ । ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Mr. Speaker: Government is responsible for the reply.

Comrade Ram Piara may put his supplementary.

श्री बलरामजी दास टंडन : जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि इसके बारे में वह जांच करेंगे जो उसका ऐक्सप्लैनेशन लिया गया है वह हाऊस को बताएंगे तो स्पीकर साहिब, मैं आप से दरखास्त करना चाहता हूं कि जब वह तैयार है तो आप क्वैश्चन पूछने की इजाज़त दें।

Mr. Speaker : I have called Comrade Ram Piara.

कामरेड राम प्यारा : जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि इन्क्वायरी अफसर की यह ड्यूटी है कि वह कम्पलेनैन्ट को बुलाए लेकिन कम्पलेनैन्ट के लिखने के बाद भी इन्क्वायरी अफसर नहीं बुलाता तो क्या कारंवाई होगी ?

Mr. Speaker : In view of the assurance given by the Chief Minister it is better if the hon. Member writes to him.

Comrade Ram Piara : In case the complainant writes to the Government and the Enquiry Officer and yet the Enquiry Officer does not send for the complainant, what will be the policy of the Government then ?

Mr. Speaker : After the assurance given by the Chief Minister, it is an academic question.

मुख्य मन्त्री : अगर ऐसा स्पैसिफिक केस हो तो बताएं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਪਸੇ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मुख्य मन्त्री : यह तो मैं ने जनरल इंस्ट्रकशन्ज़ की थी कि जहां भी बैड करैक्टर आदमियों को लाइसेंस दिए गए हैं उनको कैंसिल कर दिया जाए।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਦ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ?

मुख्य मंत्री : जो भी जानकारी होगी उसे हाउस के सामने रख दूंगा।

श्रीमती सरला देवी : जैसा चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है उसके बारे में मैं पूछना चाहती हूं कि क्या किसी एम. एल. ए. के शिकायत करने पर कोई ऐसी लिस्ट मंगाई गई है और यदि ऐसा है तो क्या नोटिस लिया गया ?

मुख्य मन्त्री : अगर आप कोई लिस्ट देंगे तो उस पर ऐक्शन लिया जाएगा।

Starred Question No. 7205

Mr. Speaker : Starred Question No. 7205 by Shri Fateh Chand Vij is postponed because extension has been asked for.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जब ऐक्स्पोर्ट कार्पोरेशन की रिपोर्ट इतने डिटेल्ज़ में हाऊस के अन्दर पेश हुई तो अब हाऊस से एक्स्टैन्शन किस बात की मांगी जा रही है ?

मुख्य मन्त्री : ऐक्स्पोर्ट कारपोरेशन का काम डाइरैक्टोरेट के ज़रिये होता है और एक मैनेजिंग डायरैक्टर होता है। मैं हाऊस को गुमराह नहीं करना चाहता। वर्लड फेयर में पंजाब गवर्नमैन्ट का कोई स्टाल नहीं था बल्कि ऐक्स्पोर्ट कारपोरेशन का था। उसमें गवर्नमैन्ट का कोई दखल नहीं होता। मैंने असूल की बात के लिए लिखा है स्पीकर साहिब को कि आया इस पर क्वैश्चन ऐडमिट किए जाएं या नहीं। जब एक बात असूल के आधार पर तय हो जाएगी तो मैं इनफरमेशन दे दूंगा। छिपाने की कोई बात नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

Mr. Speaker : I have received a letter, dated the 1st March, 1965 from the Chief Minister, in which it is mentioned :—

* * * * * *

This question relates to the internal working of the Punjab Export Corporation. The day-to-day working of the Corporation is left to its Managing Director and Board of Directors and Government is not concerned with it. It is, therefore, necessary to examine the question of admissibility of this question and for this purpose a separate reference is being made to you. As the matter is not likely to be finalised by the due date i.e. the 2nd March, 1965, I shall be grateful if the time for answering this question is extended upto the 15th March 1965.,

If the reasons justify a review of the matter then we shall see to it.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जो रिपोर्ट यहां आई है और सरकार उसको यहां पेश करने की जिम्मेदारी समझती है तो मैं नहीं समझता कि फिर कौनसी ऐसी वजह है जिसको दृष्टि में रखते हुए यहां उसका जवाब न दिया जाए।

Mr. Speaker : I have not withdrawn the admission so far. This question so far stands.

I am not giving any finding over it. The matter will be examined.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : The practice as prevailing in the past is that no question could be asked about the internal working of the Corporation, but one could get factual information. This has already been settled.

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहब आप रूलिंग दे दें तो मैं इनफरमेशन दे दूंगा, मैं जवाब नहीं छिपाना चाहता ।

Mr. Speaker : I will not give any ruling today. I will first go into it

श्री बलरामजी दास टंडन : अगर आप मुनासिब समझें तो आपोज़िशन को भी कानफीडेंस में ले लें ।

श्री अध्यक्ष : आप को कानफीडेंस में ले कर कोई डिसिजन लूंगा । (I will take you into confidence and then arrive at some decision)

Bus Stand at Panipat, District Karnal

***7382. Shri Fateh Chand Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Bus Stand at Panipat, District Karnal, is situated in front of the entrance of the Government girls Higher Secondary School, Panipat ;

(b) whether Government have received complaints from the residents of Panipat regarding the inconvenience caused to the students of the said school, due to the rush of traffic at the said Bus Stand, if so, whether Government intends to shift the said Bus Stand to some other suitable place ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes.

(b) No. However, a proposal to construct a General Bus Stand at Panipat is under consideration of Government.

श्री फतेह चन्द विज : यह बस स्टैन्ड कब तक बन जाएगा ?

मुख्य मन्त्री : बसों का अड्डा बनाने के लिए हम 7/8 बिस्वे ज़मीन लेने के लिये खतो किताबत कर रहे हैं । वह ज़मीन इवैक्वी प्रापर्टी है ।

Chaudhri Mukhtiar Singh : May I know from the Chief Minister whether Government is prepared to make police arrangements in front of the Girls' School to prevent the passengers to pass urinal there ?

Mr. Speaker : It is a suggestion for action. Let the Government consider it.

मुख्य मन्त्री : श्री सन्त राम मैनी की तरफ से कम्पलैन्ट आई थी कि वहां पर सैनिटरी एरेंजमैन्ट ठीक नहीं है । उस का हम ने इन्तज़ाम कर दिया है ।

श्री फतेह चन्द विज : वहां पर लड़कियों का हायर सेकंड्री स्कूल है और गेट पर भीड़ बनी रहती है । यह बात सरकार के ध्यान में है या नहीं ?

मुख्य मन्त्री : इन्हीं तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए हम नया बस अड्डा बनाने जा रहे हैं ।

Supply of Sugar at Maini, district Hoshiarpur

***7604. Sardar Lakhi Singh Chaudhri :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the sugar quota for rural area served by the Co-operative Society at Maini, district Hoshiarpur, for the months of November and December, 1964 and January and February, 1965 was issued ?

Shri Ram Kishan : Yes, except for February, 1965. Sugar quota against February, 1965, allocation is being lifted by the Co-operative Society from the Sugar Mills and will be distributed there on its arrival.

Anonymous Letters against the Chief Minister

***6745. Shri Mangal Sein** (put by **Shri Fateh Chand Vij**) **:** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it has come to the notice of Government that somebody circulated anonymous cyclostyled letters levelling allegations against the Chief Minister in 1964.

(b) whether the Government has since located the authors of the said letters ; and if so, the details of the action taken against them ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) The matter is under enquiry.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, अखबारों में यह खबरें आती रही हैं कि जिन्होंने मुख्य मंत्री साहिब के खिलाफ गुमनाम लैटर लिखे थे उन का सरकार ने पता निकाल लिया है । क्या गृह मन्त्री बताएंगे कि उन बयानात का क्या मतलब है ?

मन्त्री : मैं गुज़ारिश करूंगा कि इस मामले को कम ही छेड़ा जाए तो अच्छा है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं कि जिन का अगर मैं ज़िक्र कर दूं तो उस से बिटरनैस पैदा होगी ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : I want to know whether the Government has been successful in tracing out the authors of this letter.

Minister : More or less it is right.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या गृह मन्त्री साहिब बताएंगे कि मुख्य मंत्री साहिब के इलावा किसी और के खिलाफ भी गुमनाम चिट्ठियां मिली हैं ।

मुख्य मन्त्री : पंजाब कैबिनेट ने यह फैसला कर लिया है कि आयंदा अगर कोई गुमनाम लेटर आए चाहे किसी अफसर के खिलाफ हो या किसी और के उस पर नार्मली कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

Chaudhri Mukhtiar Singh : Will the Home and Development Minister kindly state whether it is a fact that the Chief Minister while addressing some of the officers in a meeting said it categorically that he knew that some of the officers were taking interest in these letters against the Chief Minister ?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : मैं समझता हूं कि सदाचार के सिलसिले में अगर किसी ने कंपलेंट करनी है तो उन को अपना नाम लिख कर करनी चाहिए । हम उस की पूरी इन्कवायरी करेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੇਰਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਦਾਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਮਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਉਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

मुख्य मंत्री : हम ने सदाचार समिति के नुमायंदे से कहा हुआ है कि जब कोई गुमनाम शिकायत आए तो वह अपनी तरफ से इन्कवायरी कर ले । अगर उस केस में कोई सदाकत मालूम हो तो हम गौर करेंगे ।

श्री बलरामजी दास टण्डन : क्या मैं जान सकता हूं कि जब इंक्वायरी के बाद पता चल चुका है कि किन किन लोगों ने मुख्य मन्त्री के खिलाफ वह गुमनाम इशतिहार सर्कुलेट किया था तो फिर उन के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाने पर उन को इन्करेजमैन्ट नहीं होगी और कल को किसी और के खिलाफ वह इसी किस्म की चिट्ठीयां नहीं लिखेंगे ?

गृह तथा विकास मंत्री : बात तो आपकी दरुस्त है लेकिन बात यह है कि जब कोई आदमी कह दे कि मैं ने नहीं लिखा तो कानून में हमारे पास कोई ज़ाबता नहीं कि उसे हम कानून की ग्रिफत में ले सकें । सिर्फ मौरली ही हम उसे कन्डैम कर सकते हैं और कुछ करने के लिए कोई ज़ाबता नहीं है ।

कामरेड राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि अनौनीमस कम्पलेंट्स की इन्क्वायरी नहीं की जाएगी और जो शिकायात बाकायदा दस्तखत करके भेजी जाएगी उन पर ही इन्क्वायरी होगी । मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि जो आदमी किसी बड़े अफसर और बड़े पावरफुल आदमी के खिलाफ दस्तखत करके कम्पलेंट भेजेगा उसे प्राटैक्शन भी मिलेगी ?

मुख्य मन्त्री : पूरी प्राटैक्शन दी जाएगी ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ ਸਦਾਚਾਰ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ਲੀ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मुख्य मंत्री: शिकायत किसी की तरफ से भी आए गौर करने के लिए तैयार हैं । अनौनीमस शिकायत के लिए मैं ने कहा कि नारमल हालात में उस पर गौर नहीं होगा । लेकिन जहां तक सदाचार समिति का सम्बन्ध है यह ठीक है कि यह एक नान आफीशल बाडी है मगर जिस प्वायंट आफ व्यू से यह बनाई गई है सरकार उसे कदर की निगाह से देखती है और उनकी तरफ से भेजी गई शिकायत पर पूरी तरह से गौर की जाएगी ।

बाबू बचन सिंह : जब चोरी छिप कर भी की जाती है तब भी वह काग्नीज़ेबल ओफेंस है इस लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से अनौनीमस लैटर्ज़ को भी सरकार काग्नीज़ेबल ओफेंस करार देने के लिए सोच रही है या नहीं ?

मुख्य मन्त्री : चोरी अगर छिप कर भी की जाए तो भी मेरा ख्याल है कि एफ. आई. आर. में नाम लिखाना होता है। (शोर)।

Voices : No, No.

Pandit Chiranji Lal Sharma : In view of the reply given by the hon. Chief Minister that the Government has taken a decision not to look into anonymous complaints, may I ask the hon. Home Minister or the hon. Chief Minister as to what other measures or steps do the Government take if there is a regular campaign of vilification against the Cabinet or any Member of the Cabinet ?

मुख्य मन्त्री : इस पर हम सब मिल कर बैठ कर आगे के लिए फैसला कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जितने भी आपोज़ीशन पार्टीज़ के लीडर्ज़ हैं उन से सलाह मशवरा करके कोई तरीका निकालेंगे।

Chaudhri Hardwari Lal : Will the hon. Home and Development Minister kindly indicate the nature of the enquiry which the Government instituted to locate the authors of these letters ?

Chief Minister : I would request the hon. Member to treat it as a closed chapter.

Chaudhri Hardwari Lal : But there were statements in the Press that there were enquiries instituted by the Government and the authors of the anonymous letters have been located. After all, a lot of Government money has been spent. I would, therefore, like to know the nature of enquiry instituted to locate the persons concerned.

Chaudhri Mukhtiar Singh Malik : May I know from the hon. Home Minister or the hon. Chief Minister whether the Government had examined the other aspect of the matter, i.e., whether there was any truth in these allegations ?

Mr. Speaker : Please........

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Sir, I wanted your ruling. The Question........

बाबू बचन सिंह : सरदार गुरदयाल सिंह जी, यहां इस में आपकी और आप की बीवी की तो कोई बात नहीं है (हंसी)।

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : नहीं, हमारी तो आजकल सुलह है (हंसी) ; आप हमारा झगड़ा न कराया करें।

Mr. Speaker, Sir, I wanted your ruling. A question can be asked from a Minister in regard to a subject over which he has official cognizance. I would like to know whether anony-mous letters are within the official cognizance of the Ministers. Anybody can go on writing anonymous letters to the Ministers and circulate such letters to the Legislators. I would like to know whether it is desirable to continue the practice of asking question on such subjects.

Mr. Speaker : In this particular case, the Government had admitted that they instituted an enquiry. The Government, therefore, took cognizance of the matter.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : I wanted to know whether the hon. Minister about whom the questions are being asked objected to this on the ground that it was not within his official cognizance.

Mr. Speaker : The Government did take cognizance of the matter when they instituted enquiries about it.

Death of Lines Officer, P.A.P., Ajnala, district Amritsar

***6751. Sardar Kulbir Singh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the circumstances in which the death of D. Prem Thapa, Lines Officer, P.A.P., Ajnala, district Amritsar took place ;

(b) whether it is a fact that in the first instance, the said officer was reported to be seriously ill and immediately thereafter it was reported that he had committed suicide by shooting himself with a pistol;

(c) whether any magisterial enquiry has been held into the said case, if so, a list of witnesses whose statements were recorded be laid on the Table;

(d) whether the authorities concerned have received any representation from the widow of the deceased regarding the death of her husband ; if so, the action taken thereon ?

Sardar Darbara Singh : (a) Shri Thapa committed suicide with his service revolver, as he was mentally worried about the shortage of Government money in his possession which he had to account for on his contemplated transfer.

(b) No. He however, suffered from acute bronchitis with fever, and remained admitted in the hospital for a few days, but was discharged four days prior to the date of occurrence.

(c) No.

(d) Yes. The allegations were enquired into thoroughly and there was nothing to suggest that it was a case of murder.

Representation from Secretary, Mazdoor Union, Tarn Taran, district Amritsar

***6857. Chaudhri Khurshid Ahmed** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether he or the Government have recently received any representation from the Secretary, Mazdoor Union, Tarn Taran (district Amritsar) during the period from 17th December, 1964 to date for the increase of wages of the labourers working in the Grain Marketing Area, Tarn Taran, if so, details thereof;

(b) the action, if any, taken or proposed to be taken on the said representation ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. The representation is regarding enhancement of the labour charges.

(b) The matter is under consideration.

Establishment of Mandi at Banur, district Patiala

*** 7517. Sardar Prem Singh Prem** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether it was decided by the erstwhile Pepsu Government and then by the Punjab Government that a Mandi be set up in the town of Banur, district Patiala, if so, the date when the decisions were taken;

[Sardar Prem Singh Prem]

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the steps taken by the Government from time to time in this direction and the reasons why the said mandi has not been established so far ?

Sardar Darbara Singh : (a) and (b) The establishment of a mandi at Banur was decided upon by the erstwhile PEPSU Government some time in the end of 1954. Punjab Government have not yet finally sanctioned the establishment of a mandi at Banur.

Security furnished by Cashiers employed in Central Co-operative Banks in the State

***6837. Sardar Gurcharan Singh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether the cashiers appointed in the Central Co-operative Banks in the State are required to furnish securities ;

(b) whether it is a fact that there are always two keys of the safe containing cash, one being with the Manager of the Bank concerned and the other with the cashier ;

(c) whether he is aware of the fact that the cashier of the Central Co-operative Bank, district Ferozepur, was appointed by its Chairman without taking any security from him ;

(d) whether it is also a fact that the cashier mentioned in part (c) above ran away with a large sum of the Bank, if so, the manner in which he got the second key from the Manager ;

(e) the action, if any, taken against the Chairman who did not obtain the security from the cashier ;

(f) whether Government has received any complaint against the said Chairman, if so, the action, if any, taken against him ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No. He was appointed by the Managing Director and no security was taken from him as he was appointed in leave arrangement for some days only.

(d) Yes, the said officiating cashier ran away with an amount of Rs 68,500. The Manager of the Bank handed over second key to him reposing confidence in him.

(e) The matter is under investigation of Police.

(f) No.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ (ਏ) ਪਾਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 'Yes' (ਬੀ) ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ 'Yes' ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ (ਸੀ) ਪਾਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ 'ਨੋ' । ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਵਿਦਆਉਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਸੀਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਪਾਇਟਮੈਂਟ ਟੈਂਪੋਰੇਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੀਕਿਉਰਿਟੀ ਡੀਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि क्या रूल्ज़ के मुताबिक खज़ाने की दोनों चाबियां कैशियर को दी जा सकती हैं ?

मन्त्री : कायदा तो यह है कि एक चाबी कैशियर के पास होनी चाहिये और दूसरी चाबी मैनेजर के पास होनी चाहिये। दोनों सुबह आकर कैश को देखें और शाम को भी कैश को गिनें। दोनों चाबियां लगा कर सेफ को बन्द करें। इस केस में नैगलीजैन्स तो ज़रूर है। उस को चाबी कांफीडैन्स में आ कर दी गई।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੋ, ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਉਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि जब यह केस पुलिस की इंवैस्टीगेशन के लिये सौंपा गया था तो क्या चेयरमैन को भी तफतीश किया गया था ?

मन्त्री : यह केस 1962 का है। मेरे पास इस वक्त इस केस के बारे में पूरी डिटेल्ज़ नहीं हैं। इस के लिये सैपरेट नोटिस दिया जाये।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या इस केस में गवर्नमैन्ट की रिसपोंसीबिलिटी फिक्स होती है ? अगर होती है तो सवाल का ठीक जवाब क्यों नहीं दिया जाता ? यह क्यों कहा जाता है कि मेरे पास इस वक्त डिटेल्ज़ नहीं है। क्या इस तरह से सरकार अपनी रिसपोंसीबिलिटी से शर्क करना चाहती है ?

मंत्री : इस में रिसपोंसीबिलीटीज से शर्क करने की कोई बात नहीं है। मैं ने यह कहा था कि यह केस 1962 का था। इस बारे में मेरे पास सारा मैटीरियल नहीं है जोकि हाउस के सामने रख सकूं।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि मेरे पास इस वक्त पूरी इन्फरमेशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस सवाल को कल के लिये पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि मिनिस्टर साहिब पूरी इन्फरमेशन कुलैक्ट कर सकें।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ।

Mr. Speaker : Question Hour is over now.

(*Interruption*)

3.00 p. m.

श्री अध्यक्ष : होम मिनिस्टर साहिब इन स्पलीमैन्ट्रीज़ का जवाब कल देना पसन्द करेंगे या परसों? (Will the hon. Home Minister like to reply to the Supplementaries to this question tomorrow or day after.)

Minister for Home and Development : I would request you, Sir, to permit me to answer supplementary questions on day-after-tomorrow (4th March, 1965) as I shall have to get some information from that bank as well.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਸਪੀਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵਾ, ਭਰਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਕਵਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ)

Mr. Speaker : All right, more supplementary questions on this question would be allowed day-after-tomorrow i.e. on the 4th March, 1965.

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਿਟਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

Mr. Speaker : The meeting of the Business Advisory Committee is going to be held at 3.45 today. I will place this matter before that committee

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मेरी प्रार्थना है कि जिस दिन छुट्टी हो जाने की वजह से सवालों के जवाब नहीं दिये जा सके उन को अनस्टार्ड नहीं किया जाना चाहिये; उन का जवाब हाउस में ही दिया जाना चाहिये।

Mr. Speaker: On this matter decision will be taken in the Business Advisory Committee.

Shri Mohan Lal : Mr. Speaker, I also support the hon. Lady Member and it does not seem to be a question which is to be decided by the Business Advisory Committee. I would suggest that it is within the jurisdiction of the hon. Speaker himself to decide this point. Since it is not an account of fault of anybody that these questions could not be put, they should not be treated as unstarred questions.

Mr. Speaker : The Business Advisory Committee will only allot time for taking up that list. It will not take any decision in regard to the converting of that list of starred questions into unstarred ones.

Shri Mohan Lal : This list can be fixed up for any date by the hon. Speaker himself and it is not necessary that the Business Advisory Committee should fix time for this purpose.

Mr. Speaker : Still I would like to consult the Business Advisory Committee in this regard. But those questions will definitely come .

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Posts of J.A.V. (J.S.T. Teachers)

*7529. **Chaudhri Dal Singh** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state —

(a) the number of posts of J.A.V. (J.S.T.) Teachers (Men Cadre) which fell vacant in the senior grade during the period from 1st November, 1956 to 14th July, 1958 ;

(b) whether the Education Department released the senior grades to the senior incumbents working in the lower grades against the vacant posts with effect from the dates of the vacancies ; if not, the reasons for which the said teachers have been deprived of their promotions ?

Shri Prabodh Chandra : (a) 8.

(b) Yes.

Abolition of Improvement Trusts in the State

*7383. **Shri Fateh Chand Vij** : Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state whether there is any scheme under the consideration of the Government to abolish Improvement Trusts in certain cities of the State ; if so, the names of such cities ?

Shri Prabodh Chandra : Part (i) There is a proposal under the consideration of the Government to amend the Town Improvement Trusts Act , 1922, enabling Government to supersede a Trust for reasons of incompetence, persistent default in performance of statutory functions, etc., broadly on the lines of section 238 of the Punjab Municipal Act, 1911. Only such Trusts would be effected as come within the ambit of the amended legislation.

Part (ii) Does not arise.

Promotions made in Local Audit Department

*7603. **Sardar Lakhi Singh Chaudhri** : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state —

(a) whether any percentage has been fixed for the persons belonging to the Scheduled Castes and backward classes in the case of promotions under the Government ;

(b) whether any promotions to the rank of Assistant Examiners were made in the Local Audit Department after the orders fixing the percentage referred to in part (a) above were passed ;

(c) if the reply to parts (a) and or (b) above be in the affirmative, whether any persons belonging to the scheduled castes and/or other backward classes were promoted to the posts mentioned in part (b), if not, the reasons therefor .

Sardar Kapoor Singh : (a) Yes.

(b) No.

[Sardar Kapoor Singh]

(c) Since no vacancy arose in the cadre of Assistant Examiners after the issue of Government instructions, the question of appointing any person belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes did not arise.

Sales Tax realised from Railway Tea Stall-holders

***6983. Sardar Kulbir Singh** : Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state—

(a) the total amount of the Sales Tax realised from Railway Tea Stall holders in the State in 1962-63 and 1963-64 ;
(b) the total number of tea stall-holders (of Railway) in the State who are assessed to and are paying the Sales Tax regularly ;
(c) whether it is a fact that the Railway Tea Stall-holders are required to charge passengers according to the Schedule of rates fixed by the Railway authorities ;
(d) whether the Bakers in the State are not assessed to the Sales Tax according to the East Punjab General Sales Tax Act, 1948 ;
(e) whether it is a fact that Halwais (Tea Sellers) in the State are not taxed according to the said Act ;
(f) whether the railway stall-holders selling tea and bakery products are considered as halwais or bakers ;
(g) whether Government is aware of the fact that Railway Tea Stall-holders do not charge any sales tax from the passengers ; if so , the reasons for their being assessed to the sales tax ?

Sardar Kapoor Singh : (a) Rs 35,901.90 paise and Rs 23,650.48 paise, respectively.

(b) 22.

(c) Yes.

(d) No. They are assessed to sales tax under certain circumstances.

(e) Articles ordinarily prepared by halwais when sold by them exclusively, are exempt from the levy of sales tax. Likewise the tea prepared by halwais and sold by them is treated as 'Halwai goods'.

(f) No. They are considered as ordinary manufacturers/dealers.

(g) Sales Tax is chargeable on the sales of goods. The Railway Tea Stall holders will be assessed to sales tax if they are liable to the payment of tax under the Law, irrespective of the fact whether any of them charges sales tax or not.

Surplus land in village Sarai Naga, district Ferozepore

***6784. Sardar Gurcharan Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the total area of agricultural land declared surplus in village Sarai Naga, district Ferozepore ;
(b) whether the said land has so far been allotted to tenants ?

Sardar Harinder Singh, Major : (a) 98 standard acres and 10 units.

(b) 82—4¼ standard acres have since been allotted to the tenants.

Damage done by Floods in district Rohtak and in tehsil Gohana

***7650. Shri Ram Dhari Gaur** : Will the Minister for Revenue be pleased to state the total loss of human life, the total heads of cattle that died, the total area of Kharif crops which were damaged, the number of houses which collapsed or which were badly damaged and the total area of cultivable land rendered unfit for the Rabi sowing as a result of the recent floods in district Rohtak and in tehsil Gohana, respectively ?

Sardar Harinder Singh Major :

	Rohtak District as a whole	*Gohana Tehsil alone*
(i) Total loss of human lives	20	11
(ii) Total loss of cattle heads died	60	3
(iii) Total area of kharif crops damaged	4,25,686 acres	1,03,687 acres
(iv) Total number of houses collapsed and damaged	16,417	1,557
(v) Total cultivable land rendered unfit for rabi sowing as a result of floods	24,147 acres	1,690 acres

---

OBSERVATIONS MADE BY THE SPEAKER

(i) Regarding the fast undertaken by two M. L. Cs. in the precincts of the House.

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मेम्बरान को मालूम है कि हमारे दूसरे हाउस के दो मेम्बरों ने लैजिस्लेचर बिल्डिंग के प्रिमेसिज मे फास्ट शरू किया हुआ है। इस सिलसिले में उन्होंने इस हाउस की यानी मेरी कोई परमिशन नहीं मांगी कि वहां बैठ कर फास्ट करना चाहते हैं जो कि जरूरी था। इस सम्बन्ध में मैं प्रिज़ाइडिंग अफिसर्ज़ कानफ्रैंस के चेयरमैन सरदार हुकम सिह का प्रेज़ीडैंशल एड्रेस पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो औब-जर्वेशन उन्होंने की थीं वह मैं हाउस को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। (The hon. Members are aware that two Members of the Upper House are on a fast within the precincts of the Legislature Building. For this purpose they did not obtain the permission of this House or from me, that they wanted to undergo a fast there, which was essential. In this connection, I would like to read out to the House the observations made by Sardar Hukam Singh, the Chairman of the Presiding Officers Conference, in his presidential Address.)

> "This occasion provided an opportunity to members to express their views on the general question of giving shelter to members within the precincts of the House. After hearing all the views I gave my ruling, the main points of which were :
>
> (1) A member can remain in the precincts of the House when the House is sitting and for a reasonable time before and after that. If a member wanted to remain there beyond the said period, he had to seek the Speaker's specific permission.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, इस में स्पीकर का ही जिक्र है या कि चेयरमैन का भी ?

Mr. Speaker : Where both the Houses of the Legislature function in one building, the word 'Speaker' has to be interpretted for both the Presiding Officers.

The Address further reads :—

> " * * * * * * * * *
>
> (2) Speaker may permit a member to remain outside the Parliament building in the lawns within the Parliament House estate if he had no official information that the member was wanted by police.

[Mr. Speaker]

(3) Members should maintain dignity and should not take shelter within the precincts of the House in case they knew that they were wanted by the Police authorities in any connection. Parliament House should not ordinarily be used as a sanctuary or a place of protection.

(4) Any permission given to a member to remain within the estate of Parliament House can be withdrawn by the Speaker at any time.

(5) A member permitted to remain in the estate of the Parliament House should not utilise the concession given to him to make a demonstration e.g. by putting up a charpoy, table or chair in the lawns and collecting people there."

He further observed that precincts of the House should not be used by members for any demonstrations, strikes or fasts and I also agree with this observation.

मैं ने और अपर हाउस की चेयरमैन साहब दोनों ने मिल कर फैसला किया है कि हमें उन मेम्बर साहिबान को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। चुनाचि हम ने दोनों हाउसिज़ के सैक्रेट्रीज़ को उन के पास रिक्वेस्ट करने के लिए भेजा कि उन को लैजिस्लेचर के प्रिमेसिज़ मे फास्ट करने के लिए बैठने के वास्ते परमिशन मांगनी चाहिए। इन्होंने उन से रिक्वेस्ट की है। (The Chairman of the Upper House and myself decided that a request may be made to those members accordingly. So we sent the Secretaries of both the Houses to request them to obtain necessary permission for observing fast within the precincts of the Legislature building. So a request has been made accordingly.)

I hope those hon. Members of the Upper House will follow these observations and will not do anything which is not warranted by them.

बाबू बचन सिंह : मेरी सबमिशन है कि यह मामला बड़ा नाज़ुक है इस लिए आप बीच में पड़कर सुलझाने की कोशिश करें तो बड़ी अच्छी फिज़ा पैदा हो जाएगी।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब लैजिस्लेचर का यह ज्वांयट प्रिमेसिज़ क्या उन्हें चेयरमैन साहिबा की इजाज़त नहीं है?

श्री अध्यक्ष : नहीं है। (No please.)

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब मुझे भी याद पड़ता है कि इस हाउस में पहले भी एक दो ऐसे ही केसिज़ हुए थे। दूसरी स्टेट्स में भी होते रहे हैं। यह मामला ऐसा है कि अगर अपर हाउस के मेम्बर्ज़ हों तो उन की ज़िम्मेदारी सारी अपर हाउस की चेयरमैन साहिबा पर आनी चाहिए और हां अगर हमारे मेम्बर हों तो उन की ज़िम्मेदारी स्पीकर ले सकता है। मैं सोचता हूं कि हमें क्या फिक्र करने की ज़रूरत है। आनरेबल चेयरमैन साहिबा वहां जा कर उन से दरखासत कर सकती हैं और उन से बात कर सकती हैं। और फिर यह मसला ऐसा भी नहीं जिस में हमें ज्यादा इन्टरफियर करना चाहिये। यह मसला अपर हाउस का है: इसे चेयरमैन साहिबा खुद ही साल्व करेंगी।

(ii) Regarding admission of strangers in the Lounge

श्री अध्यक्ष : दूसरी बात यह है कि आनरेबल मेम्बर्ज़ को मालूम है कि हमारा जो लाउंज है वह केवल मेम्बर साहिबान के इस्तेमाल के लिए है या फिर प्रैस गैलरी के वे मेम्बर जिन को हम स्पेशल प्रमिशन देते हैं। यह इस लिए ताकि मेम्बर साहिबान इनफारमल डिस्कशन के लिये लाउंज को अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। पहली सिटिंग के वक्त मेरे नोटिस में यह बात आई है कि कुछ मेम्बर साहिबान एक दो स्ट्रेंजर्ज़ को किसी मिनिस्टर साहिबान से मिलाने के लिए ले आए। उन के नोटिस में यह बात लाई गई लेकिन फिर वे उन को ले आए। मेरी अर्ज़ है कि यह उन के अपने इन्ट्रेस्ट में है कि वे स्ट्रेंजर्ज को लाउंज में न लाया करें। अगर उन्होंने किसी को किसी मिनिस्टर से मिलाना होता है तो वे मिनिस्टर साहिबान को रिक्वेस्ट करके बाहर ले जाया करें। लाउंज में किसी स्ट्रेंजर को लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। (The second point is that the hon. Members are aware that our lounge is meant for the use of the hon. Members only or for those members of the Press Gallery Committee who have got special permission for the purpose. This is done so that the Members may use the lounge for their informal discussions. At the time of the first sitting it came to my notice that some hon. Members had brought there one or two strangers with them for interview with some Ministers. The fact that no stranger was allowed in the lounge was made clear to them but despite this they brought them in. I would submit that it is in their own interest if strangers are not brought to the lounge. If someone is to be got interviewed with some Minister then the Member may request the Minister to come out of the lounge. No effort should be made to bring any stranger in the lounge.)

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : इस के बारे में मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। जहां तक लाउंज का ताल्लुक है मैंने भी आप से पहले यह कहा था कि लौंज को किसी तरह से आईसोलेट सा होना चाहिए। क्योंकि कोई दरवाजे वगैरा नहीं है इस लिए खाहमखाह लोग आ ही जाते हैं। आप ने वादा किया था कि दीवारें वगैरा चढ़वा देंगे और किसी तरह से वहां पर तबदीली हो जाएगी। जो लौंज इधर दूसरी तरफ बना हुआ है वह इतना पापूलर साबत नहीं हुआ कि मेम्बर साहिबान वहां पर बैठें। मैं यह चाहूंगा कि आप और चीफ मिनिस्टर साहिब किसी तरह से मिलकर कोई ऐसी तबदीली करवा दें ताकि वह लौंज मालूम हो। इस वक्त तो वह लौंज देखने को मालूम नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : पिछले साल भी मैंने यह कोशिश की थी कि इसको लौंज की शकल या जैसा कि पार्लियामेंट में सैंट्रल हाल है उसी तरह से कोई चीज बन जाए। हमने यहां के आर्किटैक्ट्स से बात की थी। वह थोड़ा बहुत मान भी गए थे। लेकिन

[श्री अध्यक्ष]

अभी तक पता नहीं क्यों बात आगे नहीं बढ़ी। मालूम होता है कि आर्किटैक्ट्स ने हमारी प्रोपोज़ल को माना नहीं। (Last year also I made an effort for giving that place the shape of a lounge or to see it converted into a place similar to the Central Hall in the Parliament or something like that. We talked over this matter with the architects here. They had agreed to it to some extent. But it is not known as to why no further steps have been taken in the matter so far. It appears that the Architects have not agreed to our proposals.)

I have brought this matter to the notice of the Hon. Chief Minister and he has promised to look into it. I think some day we will have to take a firm decision whether this building when it has been completed should belong to the Architects or it should be under my charge. Somehow the Architects are very much un-cooperative. It is very deplorable.

Sardar Gurnam Singh : It should be under your charge.

Mr. Speaker : I hope the Government will, somehow, settle the matter. Even if it has to remain with the Architects, they must show some respect to my proposals. They are sleeping over it.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, जब सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों स्पीकर थे और जब यह बिल्डिंग बन रही थी उस वक्त भी यह बात सामने आई थी और उस वक्त गवर्नमेंट के साथ यह बात तै हो गई थी कि अगर मेम्बर साहिबान कोई तब्दीली, कोई अमैंडमेंट या कोई सुजैशन देना चाहें तो वह अपने ख्यालात स्पीकर साहिब को भेज दें। और वह सारी बातें आर्किटैक्ट के साथ मिल कर विचार ली जाएंगी और जो तब्दीलियां हम चाहेंगे वह हो जाएंगी।

Mr. Speaker : The Government has, I think, accepted it. Somehow the Architect is not co-operating.

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, आप बुरा न मनाएं कि मैं बार बार इस मामले पर उठ रहा हूं, गो बार बार बात करना मैं खुद भी पसन्द नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस बारे में तो आप से गाईडैंस भी लेनी पड़ेगी। (No, no; nothing of the sort. In this connection, we will have to seek guidance rather from the hon. Member.)

सरदार गुरनाम सिंह : अभी से उठने की प्रैक्टिस कर लो (हंसी)।

सरदार गुरदियाल सिंह ढिल्लों : स्पीकर साहिब, अगर आप इस लैजिस्लेचर बिल्डिंग की तामीर की हिस्टरी को देखेंगे तो यह बहुत मज़ेदार है। आप फाइल को पढ़कर देखें तो आप को पता लगेगा कि यहां पर क्या कुछ हो रहा था। जो आप की सीट है यह जितनी ऊंची अब है पहले इस से भी ऊंची रखी हुई थी और इस पर मैंने रिमार्क भी किया था कि मैं तो कैमल्ज़ बैक पर बैठा हुआ मालूम देता हूं। इस को

नीचे लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी । यह जो लकड़ के बैंच हैं इन की जगह पर पथर के बैंच बनने वाले थे । इन को बड़ी मुशिकल से तब्दील किया लौंज का भी बहुत जिक्र चलता रहा । कहने को दिल नहीं चाहता, लेकिन प्राइवेट तौर पर स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू एक बार मुझे नंगल में कहने लगे कि मिस्टर कारबुज़ियर तुम्हारी बहुत शिकायत करता है । पंडित जी ने कहा था कि you may give your rulings to your members but not to the architects. कि बहर हाल, सवाल यह है कि आर्किटैक्ट्स का काम बिल्डिंग के नक्शे के बारे में सोचना है । लेकिन जब हमने कुछ सुजैशंज दिए तो उन को माना नहीं । लौंज वैसे का वैसा ही है । मैं समझता हूं कि हम आर्किटैक्ट को अपनी मुश्किलात बताएं और मैं अर्ज करूंगा कि आप और चीफ मिनिस्टर साहिब, मिलकर किसी तरह से इस मुश्किल को हल करें । बाकी जो बन गया वह तो बन गया, ठीक है जैसा बन गया । एक खासा अच्छा अजूबा है दुनिया का और दुनिया के लोग इसको देखने आते हैं । यह बात अलग है कि हम आराम में हों या न हों । लेकिन आप इस मामले को जरूर टेक अप करें और इसको ठीक करवाने की कोशिश करें ।

Mr. Speaker : I am confident that the Chief Minister will find some way out of this difficulty as otherwise we may have to dispense with the Architect so far as this building is concerned.

Chief Minister : I will try my best.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, आज टीचर्ज़ के बारे में कोई ब्यान होना था ।

सरदार लच्छमन सिंह गिल : ऐसा ही देंगे जैसा बाहर देकर आए हैं ।

Mr. Speaker : The hon. Member cannot force him to make a statement according to his liking.

STATEMENT BY THE EDUCATION AND LOCAL GOVERNMENT MINISTER IN CONNECTION WITH AGITATION OF SOME TEACHERS AND HUNGER STRIKE RESORTED TO BY TWO MEMBERS OF THE VIDHAN PARISHAD

Shri Prabodh Chandra (Education and Local Government Minister): Government is fully seized of the situation created by the demands of the various Teachers' Unions in the State regarding better service conditions, revision in pay-scales, exemption from Professional Tax and sanctioning House Rent Allowance, etc., and by the hunger strike resorted to by two Members of the Vidhan Parishad.

I would like to give briefly, in retrospect, the steps taken by Government to consider the demands of teachers and to meet them to the extent it was possible. The various Teachers' Unions put forth their respective

[Education and Local Government Minister]

demands some time during the middle of 1964. Immediately thereafter, the Director of Public Instruction met their representatives ; and later a deputation of the Joint Council of Teachers' Unions which included representatives from most of the Teachers' Unions met me on the 13th August, 1964. The meeting took place in a very cordial atmosphere. The deputation pressed the demands of revision of pay-scales, immediate financial relief, doing away with the formula for punishment on the basis of poor results, free education to children of teachers, exemption from Professional Tax, reduction in working hours of schools, change in the procedure for direct recruitment, appointment of Pay Commission, etc. Some of these demands were agreed to in the meeting. I decided that the formula for punishment on the basis of poor results should be kept in abeyance until a suitable alternative to the same was evolved. It was also decided that the school timings be suitably reduced and that the games period be made optional.

Besides improving service conditions, I have been very keen to improve the status of teachers and for that I have already set up a committee to make suitable recommendations. These are being finalized.

The issue of Professional Tax is under examination . However, no decision for giving exemption to teachers alone from it can be taken without keeping into view the interests of other service personnel members of the public liable to pay this tax and requirements of the Local Bodies. I further announced that the concession of freeship would be extended to the children of all teachers in Government schools whose basic salary did not exceed Rs 3,000 per annum. This concession is expected to benefit all the Teachers and Masters in Government schools numbering about 72,000 and Government will have to bear considerable financial burden on this account.

Whereas I expressed full sympathy with teachers regarding their low emoluments I informed the deputationists that their case for increase in salary, etc., could not be taken up in isolation. I pointed out that this matter was already under active consideration of the Government, particularly providing of some relief to the low-paid Government employees.

When the Joint Council of Teachers' Unions threatened to launch some agitation during the end of December last, I appeared to the representatives of teachers to avoid such a course. I told them that the Government was in full sympathy with their demands and that rather than resort to agitational measures, they should try to strengthen my hands. I am glad to say that this appeal was well received and the teachers followed a reasonable course.

Keeping in view the above promise, the Chief Minister made an important announcement regarding increase in Dearness Allowance, D.A. and T.A. and sanction of package allowance, etc., on the 25th of January, 1965. This announcement was hailed by all the Government employees including teachers. These measures have benefited the large majority of teaching and other personnel in Government educational institutions numbering over 75,000. The financial implications of these concessions for teachers alone are of the tune of over a crore of rupees.

Of late, some Unions of Teachers have been demanding 25 per cent *ad hoc* increase in emoluments with immediate effect, amalgamation of the State and Provincialized Cadres of Teachers, exemption from Professional Tax, etc. Their first demand has already been met to a considerable extent by increase in Dearness Allowance coupled with the provision of facilities of free education to children of all categories of teachers whose annual basic salary does not exceed Rs 3,000. I may add that pay-scales of teachers in our State compare quite favourably with those in other States.

STATEMENT BY THE EDUCATION AND LOCAL GOVERNMENT MINISTER *re* AGITATION OF SOME TEACHERS AND HUNGER STRIKE BY THE TWO MEMBERS OF THE VIDHAN PARISHAD

There has been considerable difference of opinion among the various Teachers' Unions regarding amalgamation of their two Cadres, viz., the State and Provincialized. Rather than come to some agreed solution, as had been contemplated in their original demand and the decision taken in the meeting of the State Advisory Committee on Education, held on the 23rd November, 1964, according to which Shri Gurcharan Singh, the M.L.C. now on hunger strike and Shri S.L. Chopra, M.L.C. had agreed to use their good offices for suggesting a formula for amalgamation, generally acceptable to the Teachers of both Cadres, the Joint Council has now shifted its original ground and has proposed a running grade for Teachers with service benefits. The Education Department is in general agreement with the introduction of a running grade to Teachers so as to improve their prospects generally and to remove the anomalies created by the two Cadres.

However, in their latest demands, the Teachers' Unions have put forth the new demand of 'revised running grade with service benefits'. Regarding the revision of the grade of Teachers, it may again be emphasized that this matter cannot be taken up in isolation. Government is, however, in full sympathy with them and will do their best to help them consistent with resources of the State. The new phrase of 'service benefits' is a later addition besides being altogether vague.

Another demand of the Teachers has been that all of them should be given House rent Allowance. In this connection Government has already decided that in all towns with a population of 25,000 or more, the Government employees would get House Rent Allowance of 5 per cent of their pay ; and for those towns the population of which is over one lac, 7½ per cent. This concession has not been extended to rural areas because admittedly the position regarding availability of residential accommodation is comparatively easy there.

Keeping in view the urgency of the matter and keenness of the Government to keep members of the two Houses of the State Legislature fully posted with the latest situation created by the teachers agitation, the Chief Minister issued a statement to the press on the 20th February explaining the whole position and the steps taken by the Government to meet all reasonable demands of the teachers. This was followed by a detailed statement made by me in the Vidhan Parishad on the 25th February. On the 26th and 27th February, some legislators met the Chief Minister,who reiterated to them personally, Government's anxiety to ameliorate the working conditions of teachers to the best extent possible. In view of all this,it is rather unfortunate that some teachers held demonstration at Kharar on the 28th February and the same day two members of the Vidhan Parishad resorted to hunger strike. The House would endorse me when I say that this course was uncalled for in view of the position explained above, in particular the eagerness of the Government to understand the demands of the teachers, to hold discussions with them and the Government having already agreed to some of the pressing and reasonable demands. I must make it clear that the Government will not take any further action on the outstanding demands under any duress and threat and, whereas we are in full sympathy with the cause of the teachers and consider some of their demands reasonable, we will not give any consideration to them until and unless the agitation is unconditionally withdrawn and the hunger strike given up. When the Chief Minister and I were very willing to meet the representatives of the Teachers Unions and to give due consideration to their demands, there

[Education and Local Government Minister]

was no occasion for them to bring pressure through the two members of the Vidhan Parishad who resorted to the extreme course of hunger strike. In fact, I have been myself in touch with the M.L.C.s on hunger strike and representatives of the teachers and have met them three to four times since yesterday. However, no one will be allowed to exploit the situation created by some of the teachers. They are advised, in their own interest, to act like disciplined Government employees. On the other hand I may assure them that so long as they accept and act upon this advice, their interests are safe with me and our Government.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ..............

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं हो सकती। (There can be no discussion on it.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੇ ਦਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...........

Mr. Speaker : If a statement is read then there is no rule that it should be circulated to Members.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ (ਨੰਬਰ 7) ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੂਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਇੰਪਾਰ-ਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ this should have been circulated.

Mr. Speaker : Government is allowed to read the statement.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੋ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ....

Mr. Speaker : Call Attention Motion was admitted and it has been replied to by the Government.

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, जब किसी सवाल का जवाब बड़ा लम्बा होता है तो रूल्ज़ के मुताबिक उसे मिनिस्टर को टेबल पर रखना होता है और उस की कापी मैम्बर साहिबान को दी जाती है ताकि वह उसे पढ़ लें। यह स्टेटमेंट

इतनी कि लम्बी है कि इस कापी भी हमें मिलनी चाहिये थी और इसे बजाये हाऊस में पढ़ने के मिनिस्टर साहिब को टेबल पर रख देनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : (शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री से मुखातिब हो कर) यह स्टेटमैंट बड़ी लम्बी है आप इस की कापियां सर्कुलेट करा दें तो बेहतर रहेगा। (Addressing the Minister for Education and Local Government) (It would be better to get the copies of this statement circulated amongst the hon. members as it is very lengthy.)

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : मैं ने अपने डिपार्टमैन्ट को कह दिया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतनी जल्दी इस स्टेटमैंट की कापियां साइक्लोस्टाइल करवा कर मैम्बर साहिबान में तकसीम करवा दी जाएं।

श्री बलराम जी दास टंडन : स्पीकर साहिब, जो स्टेटमैन्ट मिनिस्टर साहिब ने दी है उस के बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस में मासिवाए इन शब्दों के कि 'हम कनसिडर करेंगे' और कुछ नहीं है ...

Mr. Speaker: Please take your seat. अभी गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन हो रही है, आप उस में इस बारे जो कहना चाहें तो कह सकते हैं। (Please take your seat. The hon. members can discuss this thing during the discussion on the Governor's Address.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, रूलज के मुताबिक जब यहां किसी मामला पर पालिसी की स्टेटमैन्ट हो तो उस पर डिस्कशन के लिये नोटिस दिया जा सकता है और इस बारे में एडजर्नमैन्ट मोशन का नोटिस भी दिया जा चुका है......

Mr. Speaker : If there is any rule the hon. Member can make a request under that rule.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, आप मुझे सुन तो लें। आप रूल्ज़ आफ प्रोसीजर की कापी देख लें।

Mr. Speaker : If there is any provision, the hon. Member can make request under that rule.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, आप ने फरमाया है कि गवर्नर ऐड्रैस पर डिस्कशन के दौरान इस मैटर पर बोला जा सकता है क्योंकि उस में सारे मैटर्ज पर बोला जा सकता है। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि गवर्नर एड्रैस में कोई 50 दूसरे इम्पौर्टेंट मैटर्ज़ हैं जिन को हम ने रैफर करना है और यह उन से ज्यादा इम्पौर्टेंट मैटर है जिस को हम अलग रैफर करना चाहते हैं। इस बारे में एडजर्नमैन्ट मोशन भी लाई गई है, इस लिये, स्पीकर साहिब, you please allot some separate time for that.

Mr. Speaker : I have already told the hon. Member that there is a provision for separate discussion on such motions. The hon. Member may please make a request for that.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, जिस एडजर्नमैन्ट मोशन का नोटिस आप के पास आ चुका है I want to have your definite ruling कि

[डाकटर बलदेव प्रकाश]

एडजर्नमेंट मोशन के एडमिट होने के लिए रूलज़ में जो प्रोवीजनज़ हैं क्या उन को सेटिस्फाई करती है ।

It is a matter of recent occurrence and of great public importance.

श्री अध्यक्ष : आप की बात आ गई है इस लिये आप बैठ जायें । (I quite follow the hon. Member's point. He may now resume his seat.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

श्री अध्यक्ष : इस बारे में जो काल एटैन्शन मोशन थी उस के जवाब में यह स्टेटमैंट आ चुकी है (The statement has been made by the Minister just now on the call attention given notice of in this connection).

I am ascertaining the facts from the Government about this. So far as the Adjournment Motion given notice of by Comrade Shamsher Singh Josh is concerned, it has not been allowed.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ । ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ । ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪੇਰੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਵੋ । (I have made an observation. Let this statement be circulated. Thereafter, the hon. Member can make a seperate request for its discussion). (*interruption*)

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, तब तक तो उन दो लैजिस्लेटर्ज़ की हालत खराब हो जायेगी । कब यह स्टेटमैन्ट सर्कुलेट होगी, कब प्रोविज़न के मुताबिक रिक्युस्ट आयेगी और तब कहीं आप फैसला करेंगे .. . . . (विघ्न) ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਨੂੰ ਹਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਦੋ ਘੰਟੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ । (ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਰੂਲ ਦਿਖਾ ਦਿਉ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵਿਘਨ) That adjournment motion has not been admitted. (Let me see the rule under which the Speaker can pass such an order on his own. (*Interruption*). That adjournment motion has not been admitted.)

चौधरी देवी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, हमें यह तो बताया जाये कि ऐडजर्नमैन्ट मोशन होती क्या है। इस से ज़्यादा अहम मामला आज पंजाब में नहीं हो सकता। 80 हजार टीचर्ज़ का सवाल है। दो लैजिस्लेटर्ज़ नें हंगर स्ट्राईक कर रखी है। और कैसा मसला होता है जिस पर एडजर्नमैन्ट मोशन एलाऊ करते हैं?

Mr. Speaker : During the Budget Session; the adjournment motions are not admitted because there are other opportunities available to the hon. Members to raise discussion on the matters sought to be raised in adjournment motions.

(*Interruptions*)

चौधरी देवी लाल : उस में तो सैंकड़ों बातें हैं। इस वक्त तो दो लैजिसलेटर्ज़ की ज़िन्दगी खतरे में है।

श्री अध्यक्ष : फास्ट कभी एडजर्नमैन्ट मोशन का बेसिज़ नहीं होता। (A fast can never be the basis of an adjournment motion.)

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : मैं हाऊस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमें भी उनके साथ उतनी ही हमदर्दी है जितनी कि इन को है मगर शायद इन के ख्याल के मुताबिक कुछ कम हो। हम नहीं चाहते कि इस मसले में किसी तरह की डिले की जाये। मैं रीक्वैस्ट करूंगा कि इन में से कोई साहिब सूबे के फाइनैंसिज़ को सामने रख कर उन से मिल लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप को पता है कि मैं उन से इन के कहने पर बिना एक मिनट की भी देर किये मिलता रहा हूं, हाऊस को छोड़ कर जाता हूं। कल रात दौरे से आ कर उन से मिला हूं सुबह फिर मिला हूं। हम सारी हालत इन के सामने रख देंगे तो अगर हमारे फाइनैंसिज़ इजाज़त देंगे तो मुझे इस में किसी तरह का इन्कार न होगा। बाकी गिल साहिब ने जो कहा है कि थ्रैट करते हैं तो इस को मैं ने कन्ट्राडिक्ट कर दिया है। मेरी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमैंट नहीं है। हमें उन से पूरी हमदर्दी है। मैं चीफ मिनिसटर साहिब से मिल लेता हूं...

सरदार लछमन सिंह गिल : मेरी गुज़ारिश है......

Mr. Speaker : Since offer has been made by the hon. Minister for Education, the hon. Members may meet him.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਉਹ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਿਲੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੂ। ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਗਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ]
ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 50 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਉ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦੇਣ।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : मैं तो इस के लिये 24 घंटे तैयार हूं सिर्फ पांच मिनट का नोटिस दे दें। आप उन से बात कर लें और मुझ से बात करने के लिये मुझे 5 मिनट का नोटिस दे दें।

श्री बलरामजी दास टंडन : आप मिलने के बारे में टाइम तय कर दें।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : आप उन से मिल कर उन की डीमांड्ज़ और उनका नज़रिया समझ लें और आप जब चाहेंगे तो बैठ कर बात कर लेंगे।

सरदार लछमन सिंह गिल : हम ने उनका नज़रिया तो समझा हुआ है।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : मैं तो अब भी हाजिर हूं।

श्री अध्यक्ष : बेहतर यह होगा कि आप चीफ मिनिस्टर साहिब से बात करके इन को आज ही बुला लें या जैसे आप बेहतर समझें। (It would be better to send for them today after the Minister has talked with the Chief Minister or he may do whatever he thinks better.)

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : मैं तो 24 घंटे हाज़िर हूं। चीफ मिनिस्टर साहिब से पता कर लूंगा मगर उस से पहले यह ज़रूरी है कि आपोज़ीशन के लीडर्ज़ उन से मिल कर उन की डिमांड्ज़ का पता कर लें और जैसे कि ढिल्लों साहिब ने कहा है कि पचास लाख की बात है .... (विघ्न)।

सरदार लछमन सिंह गिल : यह तो मिनिस्टर का काम कर रहे हैं।

Sardar Gurdial Singh Dhillon : I would request the hon. Member not to be unfair.

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : मैं अर्ज़ करूं कि उन की सात मांगों में से पांच मान ली हैं; बाकी अगर हमारे फाइनेंसिज़ इजाज़त दें तो मैं खुद यह नहीं चाहता कि हमारे साथी भूख हड़ताल पर रहें। मगर जब पैसा न हो तो कहां से दें। आप उन से मिल लें। मैं अभी जब चीफ मिनिस्टर साहिब मीटिंग से फारिग होते हैं तो उन से पता कर लेता हूं। तो आप उन से बात कर लें (विघ्न)।

एक आवाज : अगर पैसा नहीं है तो मिलने से क्या हासिल।

श्री अध्यक्ष : इस का फैसला हाऊस में तो होना नहीं। गवर्नमैन्ट ने एक आफर दी है अगर आप चाहें, तो उस पर ऐक्ट कर लीजिए otherwise you take any decision you like. (This is not going to be decided in the House. The government has made an offer and now it is up to them to act upon it or they may take any decision they like.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਫ਼ੀਨਿਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्रीमती सरला देवी : श्रान ए प्वायंट श्राफ श्रार्डर, सर । दो साथियों ने भूख हड़ताल की हुई है। यह कहते हैं कि हम उनसे मिलें । मैं चाहती हूं कि यह पहिले चीफ मिनिस्टर साहिब से बात कर लें कि यह कितना पैसा स्पेयर कर सकते हैं (विघ्न) फिर उनसे बात कर लें ।

चौधरी इंद्र सिंह मलिक : श्रान ए प्वायंट श्राफ श्रार्डर, सर। वज़ीर साहिब ने श्रपनी स्टेटमैन्ट में कहा है . . .

Mr. Speaker : No Comments please.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : इन्होंने कहा है कि वह अनकन्डीशनल श्रपनी डिमांड्ज़ वापिस लें श्रौर फिर कहते हैं कि तब डीमांड्ज़ पर बात होगी। यह दोनों बातें मुतज़ाद हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दोनों बातें ठीक हैं। He has made an offer for talks (No both things are correct. He has made an offer for talks.)

डा० बलदेव प्रकाश : हमने इन की श्राफर मान ली है । श्रब मन्त्री महोदय बताएं कि किस वक्त हम श्राएं, हम उस वक्त चले जायेंगे।

चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी : इस बारे में हम अभी आधे पौने घंटे में बता देंगे तब यह मीट कर सकते हैं । आप को मिलने के लिए टाइम दे देंगे।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਨਫ਼ਾਰਮ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਫੈਕਟਸ ਐਸ਼ਰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । What more information the hon. Member requires of me.

(I have already informed the House that I am ascertaining the facts from the Government in connection with the adjournment motion given notice of by the hon. Member. As for as the Adjournment Motion of Comrade Shamsher Singh Josh is concerned, I have disallowed it. What more information the hon. Member requires of me) ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਹੀ ਕੈਟੇਗਾਰੇਕਲੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਉ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ।

Mr. Speaker : It has already been stated that there will be a talk about it. Within an hour, the Chief Parliamentary Secretary will fix the time for it and inform the House accordingly. What more do you require?

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇੰਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਉ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : There should be some limit to Points of Orders being raised by you. If it is not relevant, I will expunge it from the records of the House. Every time you rise on a Point of Order and make a statement. This is not good.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸ-ਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : He can also speak on behalf of the Government.

STATEMENTS LAID ON THE TABLE

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to lay on the Table of the House two statements—one in respect of a Call Attention Motions (Nos. 2, 4 and 5) given notice of by Comrade Shamsher Singh Josh and others regarding the death in police custody of a Harijan tenant of village Pirthipur Bal in police station Rupar, and the other regarding Call Attntion Motion (No. 3) given notice of by Comrades Babu Singh Master, Bhan Singh Bhaura, Gurbakhsh Singh and Jangir Singh Joga about the failure of the Police to locate the whereabouts or fate of Professor Pritam Singh of Government College, Faridkot.

(i) *Re* Death in Police Custody of a Harijan Tenant of Village Pirthipur Bal in Police Station Rupar

Sardar Darbara Singh (Home and Developmet Minister) : Enquiries made by D.S.P., Rupar revealed that on 16th February, 1965, one Mela Ram, son of Sant Ram caste Bati, police station Rupar, was called for interrogation in connection with case F.I.R. No. 125, dated 26th November, 1964 under section 379, I.P.C., police station Rupar at P.P./C.I.A. While he was being interrogated Sarvshri Ram Murti and Baldev Raj came there and took him on the assurane to the S.I. that they would enquire and inform him of the result by next day. On 17th February, 1965 Shri Mela Ram was produced before S.I. Gurnam Singh by them and the S.I. was told that nothing was found during their enquiries. S.I. Gurnam Singh again interrogated Mela Ram deceased in the presence of these persons. Both the persons asked Mela Ram to speak the truth before the S.I. when he was in a room. Sarvshri Ram Murti, Baldev Raj and the S.I. came out in the courtyard from the room where Mela Ram was being interrogated and were discussing about the character of the deceased. After some time they heard the cry of Mela Ram, all of them ran towards the room and found that Mela Ram had sprinkled oil over his body from the Stove lying in the room and had set fire to his body.

All the three persons extinguished the fire. Mela Ram was removed to the Hospital and a case F.I.R. No. 21, dated 17th February, 1965, under section 309, I.P.C., police station Rupar, was registered against him. Later on, Dela Ram died in the hospital. After postmortem the dead body was handed over to the relatives of the deceased. The Superintendent of Police, Ambala, has, however, moved the District Magistrate, Ambala, for a Magisterial enquiry as the deceased was under interrogation at the time when he attempted to commit suicide. SI Gurnam Singh, Constables Daulat Singh and Naurang Singh have been transferred to Lines.

FAILURE OF THE POLICE TO LOCATE THE WHEREABOUTS OR FATE OF PROFESSOR PRITAM SINGH OF GOVERNMENT COLLEGE, FARIDKOT

Sardar Darbara Singh (Home and Development Minister) : On 7th October, 1964, at 3.10 p.m. Shri Mehar Singh of Ludhiana reported at police station Kotwali Faridkot that his son Shri Pritam Singh a Lecturer in the Brijindra College, Faridkot, had been missing since 22nd September, 1964. He had received a letter from Shri Kartar Singh Brar of Faridkot about his disappearance, made enquiries from his relations, reached Faridkot on 5th October, 1964, evening and made further enquiries from the associates, colleagues etc. of his son but no clue was forthcoming. His report was recorded in the Daily Diary at Serial No. 12 and efforts were made to trace the missing Lecturer. Hue and cry notices were sent to all the adjoining Police Stations but no clue was available.

2. On 15th October, 1964, Shri Mehar Singh again came to the Police Station and strongly suspected Smt. Manjit Kaur, with whom his son was on visiting terms, to be responsible for his mysterious disappearance. Upon this, Case F.I.R. No. 81, dated 15th October, 1964, under section 364, I.P.C. was registered and its investigation was initially taken up by the S.H.O., police station Kotwali Faridkot and afterwards by the Inspector, C.I.A. under the supervision of the Assistant Superintendent of Police, Faridkot, under orders from the S.P./Bhatinda. Smt. Manjit Kaur was arrested on 15th October, 1964, for interrogation but was bailed out by the Magistrate on 16th October, 1964 Her bail was got cancelled, she was got remanded to police custody from 31st October, 1964 till 5th November, 1964, and was thoroughly interrogated with the help of women police, especially requisitioned for this purpose. She admitted that she had illicit relations with Professor Pritam Singh and some other persons and that the Professor came to her house on 21st September, 1964, at 10.30 p.m. under the influence of liquor and asked her to accompany him, but on her refusal he went away in a dejected mood after 15/20 minutes. Scores of People, including students, neighbours, owners of the houses where Professor Pritam Singh had lived on rent at Faridkot, his associates and friends and those who had seen or met him on or immediately before the fateful day were subjected to thorough interrogation. As many as ninety-two rickshaw-pullers of Faridkot City were also interrogated but no clue to the missing Professor came to light.

3. The investigations made so far has revealed that Professor Pritam Singh was a gentleman at large, a very heavy drunkard and generally remained under debt. On 28th March, 1964 he took some poisonous pills to end his life in a dejected mood but it only resulted in irritant scars all over his body and he was got admitted in the Balbir Hospital for treatment, when his condition became serious. He was an emotionally disturbed man. Under these circumstances the chances of his having committed suicide are not entirely ruled out. No evidence of murder has come to surface as yet. The investigation of the case, is, however, still continuing. The Inspector-General of Police, is also seized of this case and he has asked the Superintendent of Police, Bhatinda, to look into this case himself again and direct Deputy Superintendent of Police, Faridkot, to take up detailed enquiries regarding it in his own hands and to pursue it vigorously.

DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS (RESUMPTION)

Mr. Speaker: Now the House will resume discussion in Governer's Address. Principal Rala Ram was in possession of the House when it adjourned the other day. He may resume his speech.

प्रिंसीपल रला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन यह कह रहा था कि सरदार प्रताप सिंह की हत्या का हम सब को भारी सदमा है। और हमारा कर्तव्य है कि हमारी गवर्नमैन्ट से यह मांग होनी चाहिये कि वह हत्यारों का जल्द से जल्द पता लगाए ताकि इस सरकार की नेकनामी और यश हो।

[ंस ‹ ˙ᵣ राम]

यह मांग की जा रही है कि इस इन्क्वायरी क. पंजाब से ट्रांस्फर कर दिया जाये श्रौर दिल्ली ले जाया जाये । इस के बारे में मेरी यह राए है कि इस तरह करना हमारी सरकार के लिये मुनासिब नहीं होगा । हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि इस इन्क्वायरी को ट्रांस्फर न किया जाये । ट्रांस्फर करने से इन्क्वायरी सफर करेगी इस सरकार के हित में नहीं कि इस को पंजाब से बाहिर ट्रांस्फर कर दिया जाये। यह ठीक है कि पंजाब की पुलिस भी ऋप्ट है जैसा कि श्रौर स्टेट्स में है, लेकिन इस के होते हुए भी ज हम दूसरे राज्यों के साथ पंजाब की पुलिस का मुकाबला करते हैं तो पंजाब की पुलिस किसी तरह से दूसरे राज्यों से घटिया नहीं। इस लिये हमें श्रपनी सरकार पर इस बात के लिये ज़ोर डालना चाहिये कि वह इस हत्या का जल्द सुराग लगाए।

जह तक कामरेड राम किशन मिनिस्टरी का स·ब·ध है बहुत सी नेक बातें इस ने की हैं। इन बातों के लिये यह बधाई की पात्र है । जूडिशरी को ऐग्जैक्टिव से श्रलग किया यह एक ऐतिहासिक कदम है श्रौर बहुत श्रच्छा कदम है।

हमारी सरकार ने इस के श्रागे श्रौर भी एक दो बातें ऐसी की हैं जिनके लिए वह बधाई की पात्र है । सफैदपोशी श्रौर ज़ैलदारी, जो कि प्रजातन्त्र के विरुद्ध थी, को बड़ी हिम्मत के साथ श्रौर दलेरी के साथ पंजाब की जनता की श्रावाज़ को सामने रख कर, लोगों की म ग को तसलीम करते हुए मनसूख किया।

इस के श्रागे इस सरकार ने मरला टैक्स को, जिस के विरुद्ध पंजाब के कस्बों में श्रावाज़ थी जुर्रत के साथ सस्पैन्ड किया श्रौर श्रशोरेंस दी कि इस का जो कोई बैटर श्रालट्र-नेटिव हो सकता है वह श्रडाप्ट किया जायेगा, इस लिये श्रारज़ी तौर पर इस बदनाम टैक्स को हटा दिया है ।

इन के इलावा गवर्नर साहिब के भाषण में श्रौर भी बहुत सी बातें हैं जिन के लिए यह सरकार बधाई की पात्र है । एक पब्लिक ग्रीवेंसिज़ डायरैक्टर मुकर्रर किया गया है यह कदम, उपाध्यक्षा महोदय, बहुत श्रच्छा है। पब्लिक चाहती थी कि उनकी शिकायतों को जल्द से जल्द सुना जाये श्रौर यह मांग भी करते थे कि इस बात में जाने की ज़रूरत तो बाद में श्राती है कि शिकायत दरुस्त है या गल्त। लेकिन लोग यह ज़रूर चाहते थे कि उनकी शिकायतों का जवाब तो श्राए। श्रौर कन्सिडर्ड जवाब श्राए। यह जो कदम उठाया गया है श्रौर इस के साथ ही जो कदम विजिलेंस कमेटी को स्टेट लैवल पर बनाने का उठाया है यह बहुत श्रच्छा कदम है। इस में मानयोग व्यक्ति रखे गए हैं। इस से भी इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि लोगों की शिकायतें जल्द से जल्द श्रौर कम से कम श्रर्से के श्रन्दर रफा की जा सकें।

जहां तक इस प्रांत में वाटरलागिंग का ताल्लुक है, उपाध्यक्षा महोदया, में श्रर्ज़ करूं कि इस से हमारे सूबे को बड़ा भारी नुक्सान पहुंचा है । हमें इस बात की खुशी है कि इस को खत्म करने के लिये 15 करोड़ रुपये की प्रोवीज़न की थी। हम चाहते हैं कि यह मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिये। मैं समझता हूं हमारी सरकार ने इस के लिए बहुत खर्च किया है श्रौर ऐसा करके उन्होंने श्रकलमन्दी का सबूत दिया है । हमें वाटर-

लागिंग को दूर करके पंजाब की ज़रखेज़ ज़मीन को जल्द से जल्द खेती में लाने के उपाय करने चाहियें क्योंकि इस प्रांत की ज़मीन सारे भारत में सब से ज़्यादा अनाज पैदा करने की ताकत रखती हैं। (Pandit Chiranji Lal Sharma, a Member of the Panel of Chairman in the Chair.) एक बात जो मैं कहनी चाहता हूं वह यह है कि सरकार अनाज की उपज के लिये बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है। और जिस तरह का प्रापेगंडा इस सरकार की तरफ से हो रहा है उस ने लोगों को फरटीलाइज़र माईंडड बना दिया है। जब ज़रूरत होती है तो लोगों को यही शिकायत होती है कि फलां जगह फरटीलाईज़र नहीं मिली यह एक ऐसी चीज़ है जिस को छोटे ज़मींदार भी इस्तेमाल के लिए चाहते हैं ताकि इस से पैदावार बढ़े। जहां पर छोटा ज़मींदार पैदावार बढ़ाना चाहता है वहां पर यह सरकार की भी खाहिश है कि हमारे मुल्क की पैदावार बढ़े, इस लिये सरकार को ऐसे साधन करने चाहियें जिन से छोटे ज़मींदार को भी पैदावार बढ़ाने के लिये खाद मिल सके। इस की कीमत भी कम से कम होनी चाहिये। सरकार कहती है कि कीमतें सैन्ट्रल सरकार मुकर्रर करती है इस लिये हम इस में कोई कमी नहीं कर सकते। इस के लिये मैं इतना ही अर्ज़ करूंगा कि अगर कीमतें मुकर्रर नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि फर्टीलाईज़र के लिये सबसिडी दरम्याने तबके के ज़मींदार को भी मिले। यह हमारी सरकार के बस की बात है और इस से हमारे राज्य के अन्दर अनाज की पैदावार भी बढ़ सकती है। इस के इलावा जो ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैन्ट के परसानल हैं उन के मुताल्लिक पब्लिक के अंदर यह आम शिकायत है कि जब कभी मौका पड़ता है वह नहीं मिलते। कंसालीडेशन का काम हो या कोई मवैशियों के अन्दर बीमारी पड़ जाये जब लोगों का नुक्सान हो जाता है तो यह दर्शन देते हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिये कि इन का सब से बड़ा फर्ज़ जो है वह यही है कि वह लोगों की इमदाद करने के लिये तैयार मिलें। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड वर्क करके ज़मींदार की इमदाद करनी चाहिये। इन को मौका पर पहुंच कर ज़मींदार को मुनासिब फैसिलिटीज़ देनी चाहियें।

एक बात मैं पंजाब रोडवेज़ के मुताल्लिक अर्ज करूं। वह यह है कि पिछले 8,10 महीनों से पंजाब रोडवेज़ की हालत बहुत ही खस्ता है। यह ठीक है कि अब हालत सुधर गई है मगर मुझे यह बात निहायत ही अफसोस से कहनी पड़ती है कि पंजाब रोडवेज़ के मुकाबले में प्राइवेट कम्पनियों की हालत कहीं बेहतर है। इन को चाहिए कि वह इस बुरे रेपूटेशन को जल्द अज़ जल्द ठीक करने की कोशिश करें। इन के इलावा मुलाज़मीन के ग्रीवेंसिज़ को दूर करने की इस सरकार को कोशिश करनी चाहिए। पैसेंजर्ज के साथ भी पंजाब रोडवेज़ के लोगों को पूरा हमदरदाना रवैया इख्तयार करना चाहिये। यह बात अकसर देखने में आती है कि या तो कई दफा टाईम ही मिस कर दिया जाता है या वैसे ही सवारियों को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। इन का यह बिजनैस करने वाली दूसरी फरमेज़ की तरह सवारियों से हमदरदाना सलूक होना चाहिये। मुझे इस बात का भी इल्म है कि पब्लिक रैविनियु का भी एक बड़ा भारी फराड किया जाता है। इस बात का सबूत यह है कि अगर हम पंजाब रोडवेज़ की गाड़ी में सफर करें और इसी रास्ता के लिए

[प्रिंसिपल रला राम]

प्राइवेट कम्पनी की बस में सफर करें तो इस में किराये का बड़ा भारी डिफरैंस होता है। मैं यह बात पंजाब सरकार के नोटिस में ला देनी चाहता हूं कि अगर हम इस डिफरैंस की तरफ ध्यान दें तो हम एक बड़ी भारी समस्या को हल करने में कामयाब होंगे। हमें पब्लिक कन्सरर्न का भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इस से सोशलिज़म का काज़ सफर करता है। अगर ऐसे कन्सर्नज को नैशनलाईज किया जाए तो इस से बड़ा भारी नुकसान होता है और सोशलिज़म का काज़ सफर करता है। इस लिये बेहतर यही है कि पंजाब रोडवेज़ को ही अपनी हालत सुधारनी चाहिये।

जहां तक ऐजूकेशन का ताल्लुक है पंजाब सरकार ने इस तरफ कुछ कदम उठायें हैं, जैसा कि हायर सैकण्डरी स्कूलज़ में एम. ए. टीचर्ज़ को लेक्चरर्ज़ के ग्रेड में लाया गया है। यह काम इन्होंने ने बड़ा प्रसन्नता योग्य किया है लेकिन इस के साथ ही इन्होंने हायर सैकण्डरी ऐजूकेशन से नीचे के सटाफ के सटेट्स को ऊन्चा करने की कोई कोशिश नहीं की। यह एक मानी हुई बात है कि हमें टीचर्ज के सटेट्स को ऊंचा करना चाहिए। जब तक यह ऊंचा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मुल्क में ऐजूकेशन को इमप्रूव नहीं किया जा सकता। प्राईमरी टीचर्ज़ का भी समाज के अन्दर उतना ही ऊंचा स्थान है जितना कि किसी और का है, मगर यह बेचारा बड़ी कम तन्खाह में अपना और अपने बाल बच्चे का मुश्किल से गुज़ारा चलाता है। जब तक आप इन का सटेट्स ऊंचा नहीं करेंगे। आप एजूकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। या तो इन को अपना सटेट्स पूरा रखने के लिये माकूल तन्खाह मिलनी चाहिये या इन का ख्याल पुराने जमाने की तरह समाज को करना चाहिये। उस जमाने में टीचर्ज़ लेते कुछ नहीं थे। मगर समाज उनका पूरा पूरा ख्याल रखता था उन की डिगनिटी कायम रखना समाज की ज़िम्मेवारी थी, या इन को इतना कुछ ज़रूर मिले जिस से यह अपना सटेट्स ज़रुर कायम रख सके।

यूनीवर्स्टियां भी एक तरह का मुलक का कैरैक्टर शो किया करती हैं? मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता होती है कि पंजाब यूनीवर्सिटी के इलावा पंजाबी यूनीवर्सिटी और हिन्दी यूनीवर्सिटी एक साथ आगे बढ़ रही है। यूनीवर्सिटी के मुताबिक श्री फैंक्लिन, जो एक बड़े भारी राईटर हैं, ने कहा है कि Universities are one of the main correctives of Modern Democracies अगर हम डैमोक्रेसी को और अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं तो हमें अपनी यूनीवर्सिटीज को और ठीक करना होगा। मुझे यह बात पढ़ कर बड़ा रंज हुआ है कि कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी के वाईस चांसलर के मुताल्लिक यह सवाल इस लिये चर्चा का विषय

4.00 P.M. बना हुआ है कि आप हैं पंजाबी रिजन के मगर हिन्दी यूनीवर्सिटी में काम कर रहे हैं जो हिंदी रिजन में हैं। अगर हम रिजनलिजम को इस हद तक ले जाएंगे, तो नैशनलिजम खत्म हो जाएगा।

बाबू बचन सिंह: क्या, चेयरमैन साहब, आपने कोई टाईम लिमिट भी रखी है?

Mr. Chairman : I have taken this fact into consideration.

गिरिवल रला राम : हमें रिजनलिजम को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिये। कुरूक्षेत्र यूनीवर्सिटी के प्रजेंट वाइस चांसलर बहुत इंटेग्रेटी के ग्रादमी हैं ग्रौर सुपर ऐजुकेशनिशट है, ग्रौर उन के ग्राने के बाद युनीवर्सिटी ग्रागे बढ़ रही है।

जो स्कूल बोर्ड बनाने का कदम है, ग्रौर दूसरे राज्यों के पैटर्न पर उठाया गया है, यह प्रशंसनीय है, मगर ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि उसके ग्रन्दर जो परीक्षाएं कंडक्ट की जाए उनका स्तर ग्रौर ग्रफीशिएंसी किसी कदर यूनीवर्सिटी से कम न हो जैसा कि प्रायः बोर्ड की परीक्षाग्रों में नहीं होता।

चेयरमैन साहब, इस एड्रेस में फैमिली प्लैनिंग का भी जिक्र है, यह मैं समझता हूं कि मौके की बात है.................

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या एक साल के ग्ररसे में ग्रापने स्ट्रेटजी बदल दी ?

गिरिवल रला राम : मैं वहीं ग्रा रहा हूं। मैं समझता हूं कि फैमिली प्लैनिंग की ज़रुरत है हमें तो फिर यह सोचना चाहिए कि ढंग कौन सा ग्रपनाया जाए। चेयर-मैन साहब, ग्रभी कुछ तजवीजें ग्रा रहीं हैं कि ग्राबादी को कम कहने के लिए ग्रबारशन (गर्भपात) लोगलाइज किया जाए। यह मेरी दृष्टि से निहायत नामुनासिब बात होगी। ग्रबारशन (गर्भपात) महापाप है। यह काम हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। हमें फैमिली प्लैनिंग के लिए धार्मिक संस्थाग्रों ग्रौर एजूकेशनल संस्थाग्रों के द्वारा इन्द्रियों के संयम पर जोर देना चाहिए ग्रौर यह ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो मैथ्डस ग्रपनाएं जाएं वह हमारी संस्कृति के प्रतिकूल न हों। इस लिए इस बात पर बड़े सावधान हो कर चलने की जरुरत है।

जहां तक ग्रच्छे टीचरों को ग्रवार्ड देने का सवाल है, यह ग्रच्छी बात है लेकिन इस में कुछ खुशामदी तत्व भी ग्रवारडिड हो जाते हैं। इस लिए इस के लिए एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए जिस में जिम्मेदार व्यक्ति मुकर्रर किए जाएं। तो यह बात ग्रच्छी हो सकती है। ग्रभी तक यह देखा गया है कि 75 प्रति शत ग्रावार्ड गैर मुस्तहक लोगों को दे दिए जाते हैं। इस लिए इस योजना को भली प्रकार चलाया जाए। तो शिक्षा का मियार ऊंचा हो सकता है। इन ग्रल्फाज़ के साथ मैं गवर्नमेंट के प्राग्रेसिव इकदामात के लिए वधाई देता हूं ग्रौर जो रेजोल्यूशन श्रीमती ग्रोम प्रभा जैन ने इस हाउस में पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (ग्रमृतसर शहर पूर्व) : चेयरमैन साहब, ग्राज गवर्नर महोदय के भाषण पर बहस चल रही है. . .

श्री सुरेन्द्रनाथ गौतम : क्या चेयरमैन साहिब, जो गवर्नर ऐड्रैस पर बोल चुके हैं वह फिर बोल सकते हैं ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यह चेयरमैन साहिब, टैलेंट का एक नमूना है। मैं इस ऐड्रैस के बारे यह कहना चाहता हूं कि यह एक फार्मल स्पीच है जिस में सरकार की तारीफ की गई है। इस में ग्रसलियत की कोई बात नहीं है।

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

इसमें कहा गया कि इरीगेशन की बेहतरी हुई, फ्लड्ज़ कंट्रोल किए गए, करप्शन को दूर करने के लिए योजनाएं चलीं और फूडग्रेन्ज़ की हालत अच्छी हुई और सब ओर प्रगति ही प्रगति हो रही है लेकिन हक़ीक़त यह है, चेयरमैन साहब, कि स्टेट की स्थिति क्या फूडग्रेन के मामले में, अथवा फ्लड्ज़ के मामले या कुरप्शन को दूर करने के सम्बन्ध में या किसी निर्माण कार्य में, गर्ज़ यह कि सब क्षेत्रों में गिरावट आती जा रही है और खराबी पहले से भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है—कुरप्शन जितनी थी उस से ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देती है ।

सरदार प्रताप सिंह कैरों जो कि एक्स-चीफ़ मिनिस्टर थे उन के मर्डर पर शोक प्रकट करते हुए उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। चेयरमैन साहिब, जो घटना हुई वह निहायत ही अफसोसनाक थी, उस की जितनी भी निन्दा की जाए कम है। लेकिन हमें इस की बैकग्राऊंड में जाना होगा कि इस स्टेट के अंदर ला एंड आर्डर की पुज़ीशन इतनी खराब क्यों है। दिन दिहाड़े एक ऐसे रास्ते में जहां एक मिनट भी ट्रैफिक बन्द नहीं होता वहां पर लोगों का इतना हौसला हो कि वे एक इतनी बड़ी शखसियत को जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हों इस तरह ज़ालमाना तरीके से गोली मार दें यह इक्की दुक्की घटना नहीं है चेयरमैन साहिब, इस कांग्रेस सरकार के सब एक्शन्ज़ जो पिछले 10 सालों से होते आ रहे हैं आंख से ओझल नहीं किये जा सकते। अमृतसर में बाज़ार के अन्दर जहां पर हर वक्त भीड़ भड़क्का रहता है वहां पर पुलिस के कर्मचारी को गोली से उड़ा दिया गया और उस कत्ल का अभी तक पता नहीं चला। फिर कुलदीप नगर की घटना का क्या किया गया है। इसी तरह, चेयरमैन साहिब, ट्रिब्यून के एडीट्र श्री नटराजन पर गोलियां चलाई गई और उस का मोटिव सब जानते हैं कि उस ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध एडीटोरियल लिखे थे। मोटिव पता है लेकिन आज तक वह केस ट्रेस नहीं हुआ। और नतीजे के तौर पर उस बेचारे को पंजाब छोड़ कर बाहर जाना पड़ा। जहां पर ला एंड आर्डर की ऐसी हालत हो वहां पर कोई शरीफ आदमी कैसे रह सकता है? पंडित मोहन लाल इस वक्त यहां पर नहीं बैठे हुए, उन्होंने कहा था कि इस कतल का इस लिये पता नहीं चलता कि इस के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। हम उन के इस थोसिज़ को मान लेते हैं और उसी के बेसिज़ पर उन से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में जो कत्ल हुए थे क्या उन के पीछे उन में से किसी का हाथ था जो वह आज तक ट्रेस नहीं हो सके। इस से यह साफ जाहिर है कि कांग्रेस का जो राज्य है इस में हमेशा ऐसी कार्यवाहियां होती रही हैं और यह रूथलैसली और सक्रूपलैसली ऐसी बातों को एन्क्रेज करते रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमें हकूमत करने वालों के लिये और पार्लियामेंटरियन्ज़ के लिये कोई कोड आफ कंडक्ट बनाना चाहिये अगर हम अच्छी कन्वेन्शन्ज को इसी तरह ही खत्म करते जाएंगे तो फिर एक एक्स चीफ़ मिनिस्टर तो क्या किसी की भी लाईफ सेफ नहीं होगी। आज ला एंड आर्डर इतना खराब है कि इस में किसी का भी बचा नहीं हो सकता। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, स्वार्थ और कुरप्शन की वजह से यह हालत बनी हुई है। आज की सरकार मैं समझता हूं कि पिछले 10 सालों में जो चीजें होती रही हैं उन के

विरुद्ध है इस लिए हम चाहते हैं और इन से तवक्को रखते हैं कि जो कलप्रिट्स हैं उन को पकड़ने के बाद यह उन्हें सज़ा दें। अगर यह ऐसा करने में फेल होते हैं तो इन की हकूमत की गद्दी पर बैठने की कोई जस्टीफिकेशन नहीं।

चेयरमैन साहिब, गवर्नर के एड्रैस के अन्दर चीन के हमले का ज़िक्र आया। जनता तो भूल चुकी थी कि चीन का भी कोई अब खतरा है या नहीं लेकिन एड्रैस पढ़ने से पता चला कि अभी तक खतरा है। चेयरमैन साहिब, आप ही बताए कि किसी आदमी के दिल में इस बात का अहसास है कि सीमा पर शत्रु है और उन का हम ने मुकाबला करना है? हरगिज़ नहीं? वहीं ऐशोइश्रत, वही मुनाफाखोरी, वही स्टोर करने की गंदी जहनियत बनी चली आ रही है। क्या किया है इस सरकार ने? अगर यह समझते हैं कि चीन का खतरा है तो देश के अंदर नई ज़िंदगी पैदा करने के लिये और देश को खड़ा करने के लिए इन्होंने क्या किया है? हम ने देखा है कि लद्दाख और नेफा में जो लोग शहीद हुए हैं उन को आनर करने के लिये अगर कोई फंक्शन होता है तो वहां पर दो पुलिस के सिपाहियों के और कोई दिखाई नहीं देता किसी को कोई दिलचसपी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई बम्बई से एक्टर आ जाए तो वहां पर इतना हजूम होता है कि पुलिस को कई बार लाठी चार्ज और टीयर गैस चलानी पड़ती है। किस ओर हमें यह चीज़ लेजा रही है? इस वायुमंडल को बदलने के लिए इन्होंने ने कुछ नहीं किया बल्कि इस वायुमण्डल को पैदा करने में मदद दी है। यहां पर एक "संगम" नाम की पिक्चर की सिलवर जुबली मनाई जिस का उदघाटन करने के लिये कामरेड राम किशन जी गए। मैं यह नहीं कहता कि क्यों गए, बे शक जाते रहे क्योंकि इन को और कोई काम नहीं। आप अंदाजा लगाएं इस स्टेट के मुख्य मंत्री, जिन की तरफ नौजवानों ने देखना है उन्होंने वहां पर जोश में आकर जो स्पीच दी वह मैं आप के सामने बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यह संगम वह पवित्र शब्द है जहां पर गंगा और जमना की लहरें मिलती हैं, जहां पर हमारे महबूब नेता श्री जवाहर लाल जी नेहरू की अस्तियों का परवाह हुआ था। वह 'संगम' पिक्चर जिस में भड़कीले नाच और इशकिया रंगीनियां हैं उस के बारे में यह क्या खयालात का इज़हार कर रहे थे। लोग क्या समझते होंगे कि चीफ मिनिस्टर साहिब क्या कह रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जिस सूबे में मुख्य मन्त्री "संगम" को गंगा और जमना की लहरें कहें और यह कहें कि वह पवित्र चीज़ है तो फिर जिस ने वह गंदी पिक्चर देखी हो वह ज़रूर उसे पवित्र समझेगा। लोगों का चाल चलन कैसे ऊपर उठेगा? कांग्रेस सरकार की जो नीति है वह बिल्कुल गलत है। इन के सामने कोई आइडयलिज़म नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि देश किस रास्ते पर चल कर खड़ा हो सकता है, हमें कौनसा रास्ता अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी लिये तो आज यह हालत हो रही है।

इन्होंने जुडिशरी को एग्ज़ेक्टिव से जुदा किया है। हम मानते हैं कि एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन इसके अन्दर कुछ भारी खामियां हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है। अगर उन खामियों को ठीक न किया गया तो यह कदम फायदा देने की बजाए नुकसान पहुचाने वाला सिद्ध होगा। वह खामियां यह हैं कि आज भी जब कि सैपेरेशन हो गई है।

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

लेकिन जुडीशल मैजिस्ट्रेटस, सैशन जजिज, हाई कोर्ट के जजिज़ की नियुक्तियां, पोस्टिंग्ज़, ट्रांस्फर्ज़, प्रोमोशन्ज़ सब कुछ सरकार के हाथ में है यानी एग्ज़ैक्टिव के हाथ में हैं। मैं पुर ज़ोर अलफ़ाज़ में कहता हूं कि जब तक यह चीजें सरकार के हाथ में रहेंगीं वे सरकार के दबाव में रहेंगी, दबे रहेंगे और इनके हाथों की तरफ देखते रहेंगे। इन हालात में वह कैसे न्याय कर सकते हैं और इम्पार्शल तौर पर काम कर सकते हैं? वह इन्हें खुश रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि सब कुछ तो उनका इनके हाथ में है। चेयरमैन साहिब, इसी सम्बन्ध में मैं आप को ला कमिशन की रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक बात बताना चाहता हूं। ला कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज से पूछा कि क्या बात है कि इतने एरियर्ज़ पड़े हैं। उन्होंने जवाब दिया कि यह एरियर्ज इस लिये पड़े हुए हैं क्योंकि जल्दी काम नहीं कर सकते और इनएफ़ीशैंट हैं। कमीशन ने पूछा कि एप्वायंटमैंट तो आप करते हैं, आप क्यों इनएफ़ीशैंट जजिज़ एप्वायंट करते। उन्होंने कहा कि हम नहीं करते हैं गवर्नमैंट इनकी एप्वायंटमैंट करती है। कमीशन ने फिर पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी मिसाल है जहां सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिक्मैंडेशन्ज़ को टर्न डाउन किया हो। उस जज ने जो गालबन मिस्टर दास थे, ने बताया कि यह यह रिकमैंडेशन थी जो टर्न डा[illegible] की गई। कमिशन ने फिर कहा give some more such instances. लेकिन उन्होंने इसके जवाब में कहा कि I will not be a fool to be insulted twice खैर, तो मैं ने यह मिसाल इस लिये दी है कि अगर इन्होंने इसी तरह करना है कि जुडीशल मैजिस्ट्रेट्स, सेशन जजिज़, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट के जजिज़ एप्वायंटमैंट्स ट्रांस्फर्ज, प्रोमोशनज़ वगैरा को इसी तरह अपने हाथ में रख कर उन पर अपना पुलीटीकल इन्फ्लुएंस कायम रखना है तो फिर इस सैपेरेशन का कोई फायदा नहीं होगा। इस लिए मैं यह कहूंगा कि यह सारी की सारी चीजें हाई कोर्ट के हाथ में दे देनी चाहिएं।

चेयरमैन साहिब, कुरप्शन के बारे में और इसे दूर करने के बारे में गवर्नर साहिब ने अपने ऐड्रेस में जिकर किया है। हमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये अब एक विजीलैंस कमिशन नियुक्त किया है। यह सरकार हर साल कोई न कोई काम कुरप्शन को दूर करने के लिए करती रहती है। कभी ऐंटी कुरप्शन कमेटी बनाते हैं, कभी विजीलैंस डिपार्टमैंट और कभी फलाइंग स्क्वेड बनाती है। अब एक और नया अदारा कायम कर दिया है और कहते हैं कि अब विजीलैंस कमिशन कुरप्शन को खत्म करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि जितना कुछ यह कुरप्शन को दूर करने के लिये करते हैं उतनी ही और कुरप्शन बढ़ रही है। बात भी ठीक है। पहले एक दो को कुछ देना लेना पड़ता था लेकिन अब लेने देने का सरकल भी ज़्यादा हो गया है। चेयरमैन साहिब, मैं यह कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह पार्टी और इस पार्टी की सरकार चल रही है उस के होते हुए मैं कहता हूं कि यह एक नहीं सौ विजीलैंस कमिशन बना लें यह कुरप्शन दूर नहीं होगी। इस की वजह यह है कि जो कुरप्शन का सोर्स है जहां से कुरप्शन शुरू होती ई और जो कुरप्शन को करने वाले हैं वह तो इन्हीं सरकारी बैंचों पर बैठने वाले

हैं। हैरानी की बात है जो आज कुरप्शन को दूर करने का नाहरा लगाते हैं वहीं कुरप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इस की आपको मिसालें दे सकता हूं। कहते हैं कि सदाचार समितियां बना रहे हैं। मैं तो यह कहता हूं कि यह सदाचार समितियां पहले इन हकूमत की गद्दियों पर बैठने वालों को सदाचार सिखाएं तो कुरप्शन खुद ही हट जाएगी। आज इन सरकारी बैंचिज़ की क्या हालत है? आखिर इनके यह सारे रोज़ के झगड़े किस बात पर चल रहे हैं? कांग्रेस लैजिस्लेचर पार्टी के अन्दर झगड़े चलते हैं, बाहर चलते हैं, हाउस में इनके झगड़े होते हैं हाउस के बाहर इनके झगड़े होते हैं और कैबिनिट में इनके झगड़े चलते हैं और कैबिनिट के बाहर झगड़े चलते हैं। आखिर क्यों? क्या इनके यह झगड़े और डिफरेंसिज़ आफ उपीनियन पांच-साला योजना के किसी पहलू पर चलते हैं, किसी देशनिर्माण की नीति या आर्थिक नीति पर चलते हैं या डैमोक्रैटिक सोशलिज़्म के लाने के बारे में हैं? अगर ऐसा होता तो इन के झगड़े समझ में आ सकते थे लेकिन इनके झगड़े तो कुरसियां हथियाने के लिए चलते हैं। यही तो सारी कुरप्शन का सोर्स है और यही तो कुरप्शन की जड़ है। जिन को कुरप्ट कहते थे और जो लोग सरदार प्रताप सिंह कैरों, जिन्हें दास कमीशन ने कुरप्ट कहा, उनके आगे पीछे फिरते थे वही आज कामरेड जी के साथी बने बैठे हैं और उन की जय जयकार कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इस कुरप्शन को दूर करने के लिए न किसी समिति, न किसी कमेटी और न कमीशन की ज़रूरत पड़ेगी और यह कुरप्शन खुद अपनी मौत मर जाएगी अगर कामरेड साहिब यह फैसला कर लें कि गद्दी रहे या न रहे उन्होंने असूलों के ऊपर चलना है और किसी कुरप्ट ऐलीमैंट से गठ जोड़ नहीं करना है and I will adhere to the ideals अगर कुरप्शन दूर करनी है तो फिर इन्हें पार्टी पालेटिक्स से ऊपर उठ कर और कुरसियों से भी ऊपर उठ कर इसे दूर करने के यत्न करने चाहिएं। लेकिन यह क्या कुरप्शन को खाक दूर करेंगे जब कि यह एक एक बाई इलेक्शन के लड़ने के लिये लोगों से अमीरों से दो दो लाख रुपया इकट्ठा करते हैं। एक बाई इलैक्शन तक के लिए, जिस के जीतने हारने से सरकार को फर्क नहीं पड़ता इन्होंने सारे असूलों को पांव तले रौंद डाला। क्या कामरेड साहिब को नहीं पता कि इलैक्शन कानून के मुताबिक वोटरों को मोटरों में नहीं लाया जा सकता, उनको लालच और झांसे नहीं दिए जा सकते। इनको यह पता होते हुए ब्यास और बरनाला के बाई.इलैक्शन्ज़ में सौ सौ गाड़ियां इनकी वोटॅज़ ढोने के लिए लगाई गई और लाखों रुपए सरमायेदारों से इलैक्शन जीतने के लिये इकट्ठे किए गए और खर्च किए गए जबकि वह जानते हैं कि कानून के मुताबिक 7 हज़ार से ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो लोग उन्हें लाखों रुपए चुनाव जीतने के लिए देते हैं और यह लेते हैं क्या वह कामरेड साहिब की शक्ल देख कर देते हैं कि वह बहुत प्यारी है? नहीं। वह इस लिये देते हैं क्योंकि उन को पता है कि अगर इस सरकारी पार्टी को एक लाख देंगे तो दस लाख का फायदा उठायेंगे। मैं कहता हूं कि यह अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं कि क्या इन्हों ने इन बाई इलैक्शन्ज़ में कुरप्ट मीन्ज़ इस्तेमाल नहीं किए? क्या इन्होंने लाखों रुपए लोगों से चुनाव चन्दा के तौर पर नहीं लिए? केवल सैंट्रल इलैक्शन पूल में इन की पार्टी 18 करोड़ रुपया चुनाव जीतने के लिए बड़े २ सरमायेदारों और कारखानेदारों से इकट्ठे किए। मैं पूछता हूं जो पार्टी 18 करोड़ रुपया चुनाव जीतने के लिए इकट्ठा

[डा० बलदेव प्रकाश]

करके खर्च कर सकती है वह इस कुरप्शन को खाक दूर करेगी। मैं कहता हूं कि इन हालात में जब कि सारे के सारे सिद्धान्तों को इन्होंने पांव तले रौंद डाला है यह कहना कि यह देश से कुरप्शन हटा देंगे एक खाब देखने वाली बात है। मैं कहता हूं कि यह चाहे एक नहीं सौ विजीलैंस कमीशन बना दें कुरप्शन दूर नहीं कर सकते। यह कुरप्शन तब दूर होगी जब यह असूलों पर चलेंगे। बगैर किसी चुनाव जीतने या हारने के ख्याल से, बगैर गद्दियों और कुरसियों के छिन जाने के डर से जब यह जो कांग्रेस के पुराने सिद्धांत थे उन पर चलेंगे तब कुरप्शन दूर होगी। मुझे याद है कि जब यह कांग्रेस अपने असूलों पर चलती थी तो लोग करोड़पतियों के मुकाबले में इन कांग्रेसियों को न सिर्फ वोट ही डालते थे बल्कि साथ में नोट भी डालते थे लेकिन आज जब यह पार्टी अपने असूलों से गिर गई है तो यह अब खुद लोगों के पीछे नोट ले कर भागते फिरते हैं। मैं समझता हूं कि यह Comrade Ministry is on trial. अब देखना है कि कुरप्शन को दूर करने के लिए यह मिनिस्टरी खुद मिसाल कायम करती है। मैं कहता हूं कि अगर इन्होंने कुरप्शन दूर करनी है तो यह भूल जाएं कि कोई ऐम. ऐल. ऐ इन के साथ रहता है या नहीं, कोई बाई इलैक्शन हारते हैं या जीतते हैं लेकिन असूलों से नहीं गिरना है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इस सरकार को फैसले भी जल्दी करने चाहिएं। आज पंजाब की जनता परेशान है कि क्या यह कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। मैं कहता हूं कि wrong decision is better than no decision लेकिन यह किसी डीसीजन पर पहुंच ही नहीं पाते। आप मिनिस्टरी के बढ़ाने की ही मिसाल ले लें। अगर बढ़ानी है तो बढ़ाएं, एक मंत्री लेना है या दो लेने हैं तो लें, अगर नहीं बढ़ानी है और कोई नहीं लेना है तो भी एक फैसला करें। लेकिन इस मिनिस्टरी के बढ़ाने के बारे में रोज़ नई बात आती है। आज कहते हैं बढ़ानी है कल को आता है कि नहीं अब नहीं बढ़ानी है, आज यह जिक्र होता है कि दो वजीर लिए जा रहे हैं तो कल को यह खबर आती है कि नहीं एक भी नहीं लेना है और फिर यह शोर उठता है कि बस अब कामरेड साहिब दिल्ली सलाह करने गए हैं लेकिन दूसरे दिन यह खबर आती है कि उन्हों ने इस बारे वहां कोई बात ही नहीं की। एक हमारे साथी ढिल्लों साहिब हैं जिनकी हालत यह है कि वह त्रिशंकू की तरह बीच ही में लटके हुए हैं (हंसी)। एक दफा ऋषि विश्वा मित्र त्रिशंकू पर खुश हो गए तो उन्होंने कहा जाओ बेटा तुम स्वर्ग चले जाओ। लेकिन ऊपर स्वर्ग के मालिक इन्दर नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ठहर जाओ तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। वह बेचारे न नीचे जा सके और न ऊपर, बीच में ही लटक गए। यही हालत ढिल्लों साहिब की हो रही है। लेकिन उन से पार्टियां भी खा जाते हैं यह कह कर कि देखो आज कामरेड साहब श्री कामराज से मिलने गए हैं, बस अब कल को बने समझो लेकिन दूसरे दिन खबर निकलती है कि नहीं कामराज ने मंत्री मंडल बढ़ाना पोस्टपोन कर दिया है। यह तमाशा बना हुआ है। क्या सरकारें इस तरह चलती हैं? अगर मिनिस्टरी बढ़ानी

है तो बड़ाओ, नहीं बढ़ानी है तो न बढ़ाओ लेकिन यह जो रोज रोज की कंटरोवर्सी चल रही है यह खत्म तो होनी चाहिए। बात एक तरफ होनी चाहिए।

चेयरमैन साहिब, मैं प्लैनिंग के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। प्लेनिंग के बारे में इतनी गड़बड़ चल रही है जिस का कोई ठिकाना नहीं है। एक और बहुत ही मजेदार बात हमारे मुख्य मंत्री साहिब ने की है। उन्होंने इस बारे में एक कमेटी बना दी है जिस का नाम जांच यूनिट रखा गया है। यह यूनिट जांच करेगा कि अब तक प्लेनिंग से लोगों को कितना फायदा हुआ है। किन लोगों को लाभ हुआ है। इस के बाद वह यूनिट अपनी रिपोर्ट देने के लिए 4-5 महीने लेगा। इस तरह से लोगों का ख्याल बदलने के लिए सरकार कमेटियां बनाती जा रही है। इस कमेटी के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपया का प्रबंध किया गया है। हैरानी की बात है कि यह यूनिट क्या जांच करेगा? इस प्लेनिंग का असर जिन पर पड़ा है उस का तो सब को पता ही है। अगर गरीब जनता पर पड़ा होता तो आज टीचरों को भूख हड़ताल करने की क्यों नौबत आती। पंजाब की हालत हमारे सामने है। अगर इस सरकार ने अपनी योजना के प्रति नीति न बदली तो पंजाब की हालत कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि जहां पर ऐसे हालात भी पैदा हो जाएंगे कि यहां की हालत सरकार के काबू से बाहिर हो जाएगी। पीछे योजना के अन्दर 10 करोड़ रुपयां मैडीकल मद् में रखा गया था। इस राशि मे से 6 करोड़ रुपया चंडीगढ़ में हो एक इंस्टीच्यूशन पर लगा दिए गए हैं। यह है हमारी सरकार की योजना जिस सरकार को यह पता नहीं है कि पहले कौन सी योजना टेक अप की जाए तो वह सरकार कितनी देर तक चल सकेगी। इन्हें यह पता नहीं है कि गांवों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। वहां पर हस्पताल नहीं के बराबर हैं। अगर हस्पताल हैं तो वहां पर डाक्टर नहीं हैं। डाक्टर के अलावा वहां पर दवाइयां भी नहीं हैं। लोगों को अपने जख्मों को पट्टी कराने के लिए दवाई भी नहीं मिलती है। यह तो गांवों की हालत है। इतना ही नहीं है, सड़कों की हालत इस हाउस में ब्यान करना चाहता हूं। कई गावों में 10 साल पहले सड़क शुरू की गई थी लेकिन कुछ मील या आध मील बना कर खत्म कर दी गई है। इस के साथ ही साथ में अर्ज करना चाहता हूं कि बिल्डिंगज़ की हालत भी इसी तरह से है। अगर बिल्डिंगज़ तैयार की गई है और सड़कें तैयार की गई हैं तो चंडीगढ़ में ही की गई हैं। अगर गांवों की स्कीमों को नजर अन्दाज करके यहां पर ही लगाना है तो सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। सरकार को अवाम का भी सोचना चाहिए। अगर इस तरह करके गवर्नमेंट डैमोक्रेटिक बनने का दावा करती है तो यह रास्ता सरकार के लिए ठीक नहीं है।

Mr. Chairman : I am sure the hon. Member will be able to do within 5 minutes,

डाक्टर बलदेव प्रकाश : चेयरमैन साहब, मैं कमेटीज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने कुछ कमेटीज़ अनाऊंस की हैं और उस पर सारी

[डा० बलदेव प्रकाश]

आपोजीशन को वाक आऊट करना पड़ा है। मेरे पास लिस्ट मौजूद है। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने किस ढंग से कमेटीज बनाई हैं। कमेटीज इतनी ज्यादा बना दी हैं जिन की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर लोगों ने कोई बात उठाई, उस के लिए कमेटी बना दी। इस तरह से लोगों के ख्याल खत्म हो जाते हैं। इस तरह से रिपोर्ट आने के लिए दो चार साल लग जाएंगे। नयी कैबनिट बन जाएगी और दो तीन साल लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपोजीशन किस तरह से इगनोर की जाती है, उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जब कमेटियां बनाने का सवाल पूछा गया तो चीफ मिनिस्टर साहिब नें कहा कि मैं आपोज़ीशन और ट्रेज़री बैंचिज़ का लिहाज नहीं रखता हूं। मैं तो बैस्ट टेलेंट को कमेटीज में लेता हूं। अगर आप का बैस्ट टेलेंट का यहीं तरीका है तो आप ने पंडित बाबू दयाल शर्मा, सुरेन्द्र नाथ गौत्तम या चूहड़ सिंह की क्या बैस्ट टेलेंट देखी है।

Mr. Chairman : I would request the hon. Member not to mention the names of the Legislators. It is a direct reflection on the Legislators concerned.

डाक्टर बलदेव प्रकाश: स्टेट एडवाज़री कमेटी आन जेल्ज में 7 ट्रेज़री बैंचिज के मेम्बर हैं और आपोजीशन का कोई मेम्बर नहीं लिया गया। कमेटी आन प्रोडक्शन आफ फूड ग्रेन्ज मे तीन टरेज़री बैंचिज के और आपोजीशन का एक मेम्बर, प्लेनिंग मे चार कांग्रेसी लिए गए और आपोजीशन का एक भी नहीं। इसी तरह से 25 कमेटीज बनाई गई हैं। उन में कांग्रेस के ही मेम्बर लिए गए हैं। आपोजीशन के बहुत ही कम लिए गए हैं।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री: एजूकेशन की कमेटी के बारे में बताएं।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : चेयरमैन-साहब, ऐसा जान पड़ता है कि शिक्षा मंत्री एजूकेशन के बारे में ही नोट तैयार कर रहे हैं। उन्हें बाकी बातों का ख्याल नहीं है (हंसी) एजूकेशन के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। उस में आपोजीशन का कोई आदमी नहीं लिया गया है।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : उस कमेटी में सरदार गुरचरन सिंह और श्री एस. एल. चोपड़ा भी लिए गए हैं।

डाक्टर बलदेव प्रकाश: वह टीचर्ज कांस्टीच्युएंची से सम्बन्ध रखते हैं। उस में आपोजीशन का कोई आदमी नहीं लिया गया है।

मैं को-आपरेटिव डीपार्टमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने गवर्ननर के अभिभाषण में कहा है कि यह काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मैं आज के सवाल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। क्योंकि वह अभी तक पैंडिग पड़ा हुआ है। को-आपरेटिव डिपार्टमेंट की हालत इतनी खराब हो चुकी है जिस का अन्दाजा लगाना बहुत मुशकिल है। वहां पर धांधली मची हुई है। मैं अमृतसर के को-आपरेटिव स्टोर की कुछ बात कहना चाहता हूं। वहां पर 18 हजार रुपए लेकर

कर्मचारी लेता बना। यह स्टोर्ज तो कामन प्रापर्टी के ही समझे जाते हैं। जो चाहे गबन करके चलता बने। वहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इसी तरह से यहां पर काम चलता रहा तो सरकार का भारी संख्या में नुक्सान होगा। और यह स्टोर्ज कभी भी इन हालात में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इस बारे में नीति सरकार को बदलनी होगी।

चेयरमैन साहिब, अन्त में एक और बात कहना चाहता हूं। हमारी डैमोक्रेसी के अन्दर गवर्नर साहिब को उच्च-स्थान उपलब्ध है। वह स्टेट का हैड है (* * * *) इस एड्रैस को पढ़कर मालूम होता है कि फारेन मिनिस्टिर या प्राइम मिनिस्टर किसी फारेन पालिसी पर बोल रहा हो। उन्होंने अभिभाषण में कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी सरकार की इस तैयशुदा नीति के सांथ सहमत होंगे कि राज्य के बीच सभी मसलों को आपसी बातचीत से हल किया जाए। क्या यह यू० पी० या राजस्थान और अन्य स्टेट को दूसरा देश समझते हैं। इन को वह क्या समझते हैं? इसी तरह से उन्होंने अपने अभिभाषण में हरियाणा प्रांत के लिए कमेटी के बारे में कहा है। जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है, मेरी सरकार एक स्पेशल कमेटी बनाने का इरादा रखती है जो इस इलाके की जल्दी से जल्दी हर पहलू से समूची तरक्की के लिए सुझाव देगी। यह कितनी रिडीकुलस बात है कि गवर्नर साहिब जो एक स्टेट का हैड हैं, सरकार के फैसला कर देने के बाद इस प्रकार का एलान हाउस में करें († † † † † † † †) (विघ्न)..

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री: माननीय सदस्य ने अभी अभी जो कुछ गवर्नर साहिब के बारे में कहा है वह अनपार्लियामेंटरी शब्द हैं।

These should be expunged from the record of the proceedings of the House.

Mr. Chairman : I would request the hon. Member not to cast reflections on the person of the Governor.

Dr. Baldev Parkash : Sir, I have every right to criticise the institution of Governors.

Mr. Chairman : No please.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं किसी निजी व्यकित के विरुद्ध नहीं कह रहा हूं। मैं तो इस इंस्टीच्यूशन के विरुद्ध बोल रहा हूं।

Mr. Chairman : The hon. Member can criticise the Government but he cannot criticise the person of the Governor.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं किसी पर्सन के अगेंसट नहीं बोल रहा हूं। मैं इस इस्टीच्यूशन के अगेंसट बोल रहा हूं कि डैमोक्रेसी के अन्दर यह इंस्टीच्यूशन किस तरह से कन्टीन्यू करना चाहिए। पंजाब एक बड़ी बहादरों की स्टेट है। (* * * * * * * * *)

**Note* :—Expunged as ordered by the Chair.

Mr. Chairman : I would ask the hon. Member not to say such things.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : अच्छा जी, मैं नहीं कहता, but these are the facts ; इन से परदा पोशी कब तक करेंगे और कैसे काम चलेगा ।

Minister for Education and Local Government : I would respectfully request the Chairman to see that these words do not form the subject matter of the proceedings. Such things should not be said by the honourable Member.

Mr. Chairman : I perfectly agree with the honourable Minister. The words said by the honourable Member about the person of the Governor will be expunged from the proceedings.

Mr. Chairman : In the first instance, it is not a Point of Order. Secondly, I have to abide by the List supplied to me by the Chief Parliamentary Secretary on behalf of your Party.

डाक्टर बलदेव प्रकाश: चेयरमैन साहिब, मैंने परसनल कुछ नहीं कहा है । मैं ने कहा है कि अगर ऐसा कोई आदमी है तो उस को इस स्टेट का गवर्नर नहीं रहना चाहिए ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि कितनी हैरानगी की बात है कि हमारी सरकार ने हरिजन कल्याण के लिये 1962 में टैक्स लगाया था और जनता से चार करोड़ रुपया इकट्ठा किया था लेकिन वह अभी तक वैसे ही पड़ा है । 1962 से लेकर आज तक हमारी सरकार ने हरिजनों के लिये एक मकान भी नहीं बनाया । कहते हैं कि हम हरिजनों के लिये यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं । इन के पास रीसोर्सिज़ हैं, जनता का दिया हुआ चार करोड़ रुपया इन के पास सड़ रहा है । गवर्नर साहिब ने लिखा है कि कुछ और रुपया इकट्ठा करेंगे ; जब पांच करोड़ हो जाएगा तो फिर मकान बनाने शुरू करेंगे । उस वक्त तक सन् 1972 आ जाएगा । 1962 से इन्होंने स्कीम बनानी शुरू की थी आज 1965 हो गया है । मैं कहता हूं कि अगर किसी काम के लिए सिनसियर है तो कर के दिखाएं । इस एड्रेस की कीमत तो मामूली कागज़ से भी कम है............ ।

कोई असलियत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है जो घटनाएं पंजाब में घट रही हैं उन का सच्चा वर्णन नहीं है । अगर गवर्नर साहिब यह लिखते कि पिछले सालों में हमारी सरकार कोई अहम फैसला नहीं कर सकी फ्लड्ज़ के बारे में, फूडग्रेन्ज़ के बारे में किसी प्रकार का भी ठोस कदम उठाने में नाकामयाब रही है तो मैं समझता हूं कि गवर्नर एड्रेस में कुछ सच्चाई है ।

(चेयरमैन साहिब ने सरदार अजमेर सिंह को बोलने के लिए बुलाया) ।

श्री बनवारी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि क्या चार पांच आदमी ही हैं जो कि अगले बैंचों पर बैठे हुए हैं, इन्होंने ही बोलने का ठेका ले रखा है ?

Mr. Chairman : After all, the Chief Parliamentary Secretary has supplied the list to the Speaker and I have to go by it. The honourable Member should not discuss party matter on the floor of the House and thus interrupt the proceedings. I would request Shri Prabodh Chandra to kindly ask the honourable Member not to interrupt.

Minister for Education and Local Government : Although the list has been supplied to you, you are not bound by it, Sir.

Mr. Chairman : Sardar Ajmer Singh will please speak. The honourable Member should not interrupt.

श्री बनवारी लाल : जनाब, मैं ने एक और बात भी कहनी है। वह यह है कि मैं आप की रूलिंग इस प्वायंट पर भी चाहता हूं कि क्या जो मेम्बरान बैक बैंचों पर बैठे हैं, इन को अपने अपने हलके के बारे में कुछ कहने का हक नहीं है ? (विघ्न)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जनाब, चेयरमैन साहिब, बनवारी, फकीरिया वगैरह तो किसी भी पार्टी में नहीं हैं, न यह कांग्रेस में हैं और न ही आपोजीशन में हैं। यह तो वैसे ही बैठे हैं। इन को बोलने का टाईम कैसे मिल सकता है ? यह तो नजर बट्टू हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : (ਸਮਰਾਲਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੈਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਚਿਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ । ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਤਾਂ ਉਵਰਸ਼ੈਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

श्री जगन्नाथ : On a point of Order, Sir. जनाब, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह काम अच्छा नहीं किया गया कि इन को मिनिस्ट्री से हटा दिया गया है ।

Sardar Ajmer Singh : I think, he has said too small a thing. It should be ignored. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰੱਪਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਸਕੇ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਡੂਘੇ ਅਤੇ ਫਾਰ ਰੀਚਿੰਗ ਕਾਂਸੀਕੁਐਨਸਿਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਐਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ-ਰੌਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਯਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ? ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਜਰਸ ਟਰੈਂਡ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ, ਨਾਨ–ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਮੀ-ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਫੇਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ, ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ । ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਧਰੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਜੇ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਚੰਦ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਇਹ ਗਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਚੇਨ ਚਲ ਪਵੇਗੀ, ਇਕ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕਿਸ ਵਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਟਰੈਂਡ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸਫੀਅਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬੀਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ । ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲਾਂ ਹਨ, ਕਰਨਾਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਹਾਇਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕਈ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਨ । ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸ਼ਕ-ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਤਫਤੀਜ਼ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਨਾ ਲਭੇ (ਵਿਘਨ) । ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਜ਼, ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ **those who matter**--ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਰਖਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਮ । ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਿਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਆਖਿਰ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਢਣਾ ਹੈ । ਸਾਜ਼ਿਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਊਟ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ । ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਕੋ ਕੋਰਸ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਉਤੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਨਟਰੈਸਟ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੋ, ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਗਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ । ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕਢਣ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਗੋਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਮੈਂ ਅਗੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ । ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਟਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਖੀਆਂ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਵੇ (weigh) ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਾਪਰਲੀ ਵੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ।

(Deputy Speaker in the Chair)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੁਤਲਿਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡਾ ਲੀਡਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਬਹਾਦਰੀ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਕੌਮੀਅਤ, ਉਸ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦਾ ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ । ਤੁਸੀਂ ਵੇ (weigh) ਕਰੋ, ਪਰਾਪਰਲੀ ਵੇ ਕਰੋ ।

Are you going to take life of that man ? Are you murderers ? Are you going to use weapons to settle political issues ?

ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹ ਰਸਤਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਨ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਿਆ ।

ਕੁਝ ਅਵਾਜ਼ਾਂ : ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੀਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 1962 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ । ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

श्री जगन नाथ : क्या आप देख कर आए हुए हो ? (विघ्न)

Deputy Speaker : No interruptions please.

Sardar Ajmer Singh : Be patient. This is not childrens' House. This is elderly statemen's House.

(At this stage there were interruptions and Shri Jagan Nath said something which was not proper by audible to Reporters)

उपाध्यक्षा : श्री जगन नाथ आप इस तरह इन्ट्रप्ट न करें। (I would ask Shri Jagan Nath not to interrupt like this)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਧਰੇ ਏਅਰ ਵਾਇਉ-ਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਬੰਬ ਫਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਖਬਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ । ਕਿਧਰੇ ਅਯੂਬ ਉਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨ ਨੂੰ । ਇਤਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਔਰ ਅਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ? ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਮਿਨਸਟਰ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ । (ਵਿਘਨ) ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ (Cheers from Treasury Benches) ਉਸੇ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਭਰੂ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ । ਕਿਸ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਬਲ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ—

"ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ।
ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋਂ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ
ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਅਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥
ਅਰੁ ਸਿੱਖ ਹੌਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ
ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਣ ਤਉ ਉਚਰੋਂ ॥
ਜਬ ਆਵਿ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ
ਅਤਿ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ ॥

ਇਹ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ।

5.00 P.M.

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਕਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖੀਏ । ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੋ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ । ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੀ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਸ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ । ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮਝੈਲ ਇਸ ਮੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿਘ]

ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਨਾ ਖਾਣ ਲਗ ਪੈਣ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖੋ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਊਣ-ਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਿਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ—

"ਭੁਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ
ਅਭੁਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ।"

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ? ਕਮੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ । ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਟਾਕ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ..................

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਕਲੇਅਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਾਹਦਾ ਸੀ......

Deputy Speaker: There should be no interruptions. The hon. Member should please go on with his speech.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਗੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਏ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ । ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ Let us rise above pettiness. Let us think in the interest of the State. Let us place proper values on the persons. ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾਂ That do not try to be little him. He was very great. I am very confident. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਸਿਖ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ........ (interruption by Sardar Lachhman Singh Gill) ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ let us not lose temper ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਔਰ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਡੀਏ and let us rise above those.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜੋ ਅਵੱਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਲ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗਲਿੰਪਸਿਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ ਸਨ—

> **"Politics for the dwellers of our millions of mud huts and town slumps means food for the hungry and clothing and shelter."**

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਗੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਗਰੈਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ 27 ਲਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ 20 ਲਖ ਟਨ ਇਥੇ ਲਾਗਤ ਹੈ ਯਾਨੀ 7 ਲਖ ਟਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਨਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 2, 2 ਫਰਲਾਂਗ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ । ਕੀ ਇਥੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਗਾਉਣੀ ਛਡ ਦਿਤੀ ਸੀ ? ਨਹੀਂ; ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ, 1964 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 1965 ਤਾਈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਸੀ ਕਣਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਣਕ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ । ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 2, 27, 693 ਟਨ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤੇ 2, 10,000 ਟਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕਣਕ ਇਥੇ ਆਈ । ਯਾਨੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, 10,000 ਟਨ ਕਣਕ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ? ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਲਸੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਗਲਤ ਪਾਲਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ ਕਣਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ । ਉਥੇ ਡਾਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਲੋਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਜਾਬ ਭੁਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ 1963 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲੀਨ ਮੰਥਸ ਵਿਚ ਤੋੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ । ਅਸੀਂ ਆਟਮ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦੇ, ਸਟੋਰ ਬਣਾਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਰੀਲਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਕਾਲ ਪਿਆ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਣ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭੁਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ 7,000 ਟਨ ਕਣਕ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਛੋਲੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਲਖਾਂ ਮਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣ ਦਿਤੀ? ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਇਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੈਨ ਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ । ਇਹ ਮਿਸਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਉ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ-ਪਲੇਸੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੇ, ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆਵੇ, ਅਨਾਜ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੁੜ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇ । ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼

ਮੁਕੱਰਰ ਕਰੇ, ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਟੋਰ, ਇਕ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਏ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਣਕ ਸਟੇਟ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਜਾਵੇ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਕਰਾਈਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 5-4 ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪਾਲਸੀ ਕਰਕੇ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜ਼ਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਇਥੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਪੁਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕੜੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ । ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਫਗਵਾੜੇ ਪਾਸ ਇਕ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਧੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਹੈ ਆਪ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ । ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸਟਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਨੰਗਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮਿਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥਾਪਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਬੱਭੜ ਘਾਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਲ ਕਾਂਗੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਰਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਐਂਟੀ ਲੇਬਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿਘ ਛੀਨਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹਇਆ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ । ਅਜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨਰੈਸਟ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਪੜੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 1964 ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਰੇਡ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਐਂਟੀ ਲੇਬਰ ਹੈ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਧਾਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । They will be inviting labour agitation by 50,000 textile workers of this state

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲਓਗੇ । (How much more time the hon. Member would take ?)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉ । (I would request the hon. Member to wind up within five minutes.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਕੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਆਮ ਚਲਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ 4,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਗ ਪਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਲੈਕੈਸਟ ਸਪਾਟ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ । ਇਹ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਲਭਦੇ । ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ । ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰੋਪੜ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਐਨੀ ਕੁਟ ਚਾੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੁਟ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤ।

ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ; ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਥੇ ਨਿਰੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਲਭ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, 200 ਕਤਲ ਅਨਟ੍ਰੇਸਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ । (ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ) ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਰਾਏ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਜਮੇ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ । ਅਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਥੇ ਗਏ ਸਨ ? ਜਦ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲਭਿਆ ਗਿਆ ? ਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜ ਤਕ ਕਾਤਲ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ । ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਐਂਟੀ-ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਮੈਨ, ਗੁੰਡਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਇਰਡ ਮੈਨ ਮਿਲ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟ੍ਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਤਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਨਪ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟ੍ਰੋਵਰਸੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਉ ਅਤੇ ਇਸ ਭੇੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਛਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਧੁਪ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੁਰੱਪਟ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਤਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰ ਨੋ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੈਰੋਂ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਲੀਡਰ' ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਊਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੋਵੇ । ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੇਲ ਦੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਸਨੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤਤਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸਿਜ਼ ਕੈਰੋਂ ਫੈਮਲੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਖੋਦੋਗੇ । ਇਹ ਭਾਰੀ ਭੁਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ।

सरदार रणजीत सिंह नंनोवालिया (महल कलां) : मैं भी, डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरदार प्रताप सिंह के कत्ल के मुतल्लिक अर्ज कर देना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह इस सिलसिले मे कातलों को जल्द अज़ जल्द ट्रेस करें। जब उन के शोक के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ तो उन के बारे मे तरह तरह के शकूक मैंबरान ने ज़ाहर किये। यह बात तो हमें हर हालत में माननी पड़ेगी कि यह कत्ल एक well organised and well planned कत्ल था। यह किसी मामूली आदमी का मर्डर नहीं था। सरकार को चाहिये कि मर्डर का जल्दी से जल्दी पता किया जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नर साहिब, ने अपने एड्रेस के अन्दर इस बात का पहली दफा जिकर किया है कि हमारा कंट्री डैमोक्रेटिक ढंग से सोशलिजम की तरफ आगे बढ़ रहा है। मगर मेरा अपना ख्याल है कि rich people are becoming richer day by day । इस लिये हमें वैस्टिड इन्ट्रेस्टस को जल्द अज जल्द खत्म करना

चाहिये। अगर यही हालत रही कि महज अमीर ही आगे आते रहे तो हम डैमोक्रेटिक सोशलिजम से बहुत दूर चले जाएंगे। इस के लिये मैं एक सुजैशन दूंगा कि हमें सब से पहले जो बड़े बड़े आफीसर्ज़ को स्पैशल पे दे रहे हैं वह बंद करनी चाहिये मलाज़मों की तन्खाह भी इस हिसाब से होनी चाहिये कि कम से कम छोटे मुलाजम की तन्खाह 100 रुपया और बड़े से बड़े आफीसर की तन्खाह 1,500 रुपये तक होनी चाहिये। स्पैशल पे जो अंग्रेजों के जमाने में दी जाती रही है यह बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इस तरह हमें लाखों रुपये की बचत हो सकती है।

ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिन में गवर्नमेंट सहायता के तौर पर पे करती है उन को पब्लिक सैक्टर में खोलना चाहिये। यह फर्मज ऐसी हैं जो कोटा के माल को यूज़ करने की बजाये ब्लैक मारकिट करती हैं। इन को खत्म करके ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज को पब्लिक सैक्टर में खोल देना चाहिये। इस के लिए एक और मीनज़ यह भी हो सकते हैं कि ऐसी सारी इंडस्ट्रीज को नैशनलाईज किया जाये।

ट्रांसपोर्ट के मुताल्लिक मैं अर्ज करूं कि हमारी जितनी भी पंजाब के अन्दर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कम्पनियां हैं, जैसा हम ने पैप्सू रोडवेज़ और पंजाब रोडवेज़ बनाई हैं हमें इन तमाम कम्पनियों को नैशनलाईज करना चाहिये।

हमे पंजाब में अन एम्पलायेमेंट को भी जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। पंजाब का जिम्मींदार आज बेकार हो गया है क्योंकि-हम ने ज़मीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। इतनी पैदावार नहीं होती कि वह अपना गुजारा कर सकें। अन एमपलाइमेंट को रोकने के लिए हमें पंजाब के अन्दर इंडस्ट्रीज़ ऐस्टैबलिश करनी चाहिये। जो पब्लिक सैक्टर का ही कनसर्न हो। जिस तरह इस ऐड्रैस में जिकर है कि पिग आयरन प्लांटस लगाए जा रहे हैं, हमें चाहिये कि हम यह प्लांट देहाती इलाकों में ले जायें जहां कि बेकारी है। तमाम इन्डस्ट्रीज शहरों के अन्दर बढ़ती जा रही है और किसान दिन बदिन गरीब होता जा रहा है। रोजगार की तलाश में आज ज़िमींदार दूसरे मुल्कों में, दूसरे सूबों में दौड़ रहे हैं। हमें चाहिये कि हम इन को रोजगार दें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक बात मैं आप के ध्यान में यह भी ला देनी चाहता हूं कि आज कल पंजाब के अन्दर बाहर से ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं जो भीख मांग रहे हैं। हमें इस के लिए जल्द से जल्द बिल बना कर इस लानत को खत्म करना चाहिए पर कैपिटा इनकम हमारे सूबे में 400 रु० तक पहुँच गई है यह एक ही सूबा है सारे हिंदुस्तान में जहां पर इतनी पर कैपटा आमदन बढ़ी है।

एक मसला इस सूबा में फ्लड्ज़ का भी है। अगर हमारे सूबा का यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह सूबा बिल्कुल ही ग़रीब हो जायेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की 1/3 एग्रीकलचरेबल लैंड पानी आने की वजह से बिल्कुल वेस्ट हो गई है एसी ज़मीन 30 लाख एकड़ के करीब है जो बिल्कुल कल्लर या शोरा ज़दा बन चुकी है।

[सरदार रणजीत सिंह नैनोवालिया]

जब से पंजाब के अन्दर फ्लड्ज़ आने शरू हुए हैं हमारे हां 200 करोड़ रुपये की फसल का नुक्सान हो रहा है। फ्लड्ज़ रिलीफ के लिये 2-3 करोड़ रुपया हमेशा दिया जाता रहा है। अगर हम फ्लड्ज़ के मसला को हल कर लें तो इस के साथ ही हमारा फूड का मसला भी हल हो जायेगा। डिस्ट्रिक्ट संगरूर की स्तह का लैवल बहुत लो है और यही वजह है कि इरद गिरद के नदी नालों का फलो इस इलाके की तरफ है। जितना पानी लुधियाना, नाभा और पटियाला के गिरदो निवाह में बरसता है वह आकर इस इलाके में इकट्ठा हो जाता है। इस इलाके में 1 लाख एकड़ ज़मीन में से 60,000 एकड़ ज़मीन पानी की वजह से खराब हो गई है। पानी की बजह से मेरी अपनी कंस्टीचुऐंसी एक प्राब्लम कंस्टीचुऐंसी बनी हुई है। चारों तरफ से पानी आकर इस कंस्टीचुऐंसी में खड़ा हो जाता है जो महज़ लिसाड़ा ड्रेन या चंद मान चो से ही बाहर निकाला जा सकता है। लिसाड़ा ड्रेन इतने साल हो गये हैं अभी तक नामुकम्मल पड़ा है। यही हालत चंद मान ड्रेन की है। यही वजह है कि यहां से पानी बाहर नहीं जा रहा। इस के लिये सरकार को फौरी स्टैप उठा कर इलाके के लोगों को बचाना चाहिये।

हमारी महल कलां कंस्टीचुऐंसी में एक भी बिजली का पोल नहीं और न ही किसे गांव में एक भी मिडल सकूल है इस इलाका की तालीम को पुरा करने के लिये इलाका में कम से कम 7-8 मिडल स्कूल खुलने चाहिएं। एजुकेशन के लिहाज़ से हमारा इलाका पहले ही से बड़ा पीछे है। इस की वजह यह है कि यह इलाका पुरानी रियास्तों—नाभा, पटियाला और जींद जैसी रियास्तों के दरम्यान है जहां कि पहली ही तालीम पर जोर नहीं दिया गया था। इसलिये मैं इस के लिये एक ही सुझाव दूंगा कि इस इलाका को बैकवर्ड बना दिया जाये और इस को वह तमाम फैसिलिटीज़ दी जायें जो एक बैकवर्ड इलाके को दी जाती हैं।

सीड के मुतालिक इस ऐड्रेस में गवर्नर साहिब ने ज़िकर किया है कि 60,000 टन के करीब सीड इस सूबे से बाहिर भेजा जाता है। मुझे यह बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि सीड के लिये खास तौर पर लेट वैराईटी के सीड के लिये हमारे सूबे का किसान तो तड़पता फिरता रहता है मगर यह सीड बाहर भेज दिया जाता है। इस के इलावा यह भी कहा गया है कि हम हर साल 35 हज़ार टन फूडग्रेन्ज़ बाहिर से मंगवाते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिये हमें अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहिये। मगर मैं अर्ज़ करूं कि एक तरफ तो न किसान को कोई फैसिलिटी ही मिलती है और ना ही किसी तरह की कोई कोआपरेशन ही दिखाई जाती है, ना कोई ट्यूबवैल, न कोई इम्प्रूव्ड सीड, यह लोग पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं ?

शूगर का कोटा मुकर्रर किया गया है कि 1/2 सेर खांड फी कस गांव में हर देहाती को मिलनी चाहिये, मगर 2-3 महीने तक गुज़र जाते हैं कि उन को शूगर मिलती ही नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम देख रहे हैं कि पंजाब इंडस्ट्री के लिहाज़ से आगे बढ़ा है, ऐग्रीकल्चर और कोआप्रेटिव में भी आगे बढ़ा है। यही नहीं कंसोलीडेशन और इरीगेशन के अन्दर भी हम आगे बड़े हैं। हमारी सरकार ने ऐग्ज़ैक्टिव और जुडीशरी

को अलग-अलग किया है । और ऐम्पलाइज़ को $5\frac{1}{2}$ करोड़ के करीब रिलीफ दिया है । मैं इस लिये गवर्नर ऐड्रैस का स्वागत करता हूं, और ओम प्रभा जैन ने जो रैज़ोल्यूशन पेश किया है उसकी ताईद करते हुए बैठता हूं ।

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमें भी टाइम दिया जाये । सारे ग्रुप्स के नुमायंदे बोल चुके । आप सरमाएदारों के नुमायंदे को टाइम दे चुके हैं मगर मैं ग़रीबों को रिप्रीजैन्ट करता हूं इसलिये आप मुझे टाइम नहीं देना चाहतीं । यह ठीक न्याय नहीं है ।

उपाध्यक्षा : आपको टाइम मिलेगा । (The hon. member will get time to speak.)

चौधरी नेत राम : मुझे अभी मेरा हक़ दिया जाए ।

(विघ्न)

सरदार हर चन्द सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आनरेबल मैम्बर ने ऐसे अल्फाज़ कहे हैं, जो कि नहीं कहने चाहिएं ।

उपाध्यक्षा : मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने क्या कहा । (I could not follow what he has said.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी नेत राम जो हैं, वह आल-इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के नुमायंदे हैं । अगर पार्टी रिप्रेजैन्टेशन के हिसाब से देखा जाये तो उनको टाइम तो मिलना चाहिये ।

(Interruption by Chaudhri Net Ram.)

उपाध्यक्षा : मुझे कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा अगर आप शान्त नहीं होते तो । (If the hon. Member does not behave properly I will have to take some steps.)

चौधरी नेत राम : मुझे डर नहीं, आपके क़दम से ।

सरदार गुरदर्शन सिंह : यह बाई-इलैक्शन जीत के आये हैं, इसलिये इनको बोलने के लिये टाइम मिलना चाहिए :

उपाध्यक्षा : वक्त पर मिल जायेगा इन को टाइम । आप फिक्र न करें । (He will get time in turn. The hon, Member should not worry about it.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : (ਧਾਰੀਵਾਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪਨੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਐਡ੍ਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਡ੍ਰਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ.. ..

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਵਾਉਗੇ ? (will the hon. member get this ministery also changed.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) · ਇਹ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਾ ਕੀਤੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ]

ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਗੁਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਡਰੈਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।

ਜਿਥੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰਕੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੀਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਔਰ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਰੂਸ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਬਲਮਜ਼ ਹਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੇਕਿਨ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਦੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਂ।

ਜਿਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਈਨਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਦਸਤੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਿਕਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਦੇ ੧੨ ਬਜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਟ੍ਰੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮਰਡਰਰਜ਼ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸੰਤਰੇ ਵੰਡ ਕੇ, 2 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਥਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਨਾਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੇਸ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮੈਂ ਮਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਹਿਰ ਤੇ ਚਲ ਪਏ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬਖ਼ਤ ਰਾਏ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਟਰਾਜਣ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੁਜਰਿਮ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚਲ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ 1963 ਨੂੰ 3.45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਏ. ਡੀ. ਐਮ. ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਕੇ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਵੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਏ. ਡੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦਾ। ਉਸ ਨਿਹਾਇਤ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ

ਕੀਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੇਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਨ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਜੇਕਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਵਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਦਫਾਤ ਬਦਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਰਿਕਵਰੀ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਡਿਸਕਰੀਮਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲ ਸਕੇਗੀ ? ਅਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਮਾਦ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਥੇ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਇਸ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵਧੀ ਔਰ ਏਥੇ ਕੁਝ ਤਾਮੀਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਥੇ ਇਕ ਅੱਖ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਏਥੇ ਫੇਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਘਟੀਆ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਏਥੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਹਤ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

Deputy Speaker : Please resume your seat now.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਕਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ।

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे बोलने का समय दिया है । सब से पहले मैं राज्यपाल महोद्य को अपनी आत्मा से, दिल से और मन की आशायों की भावनायों से बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस देश के गौरव को ऊंचा करने के लिये पंजाब विधान सभा में हिन्दी में भाषण दिया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हिन्दू, सिख, मुसलमान या ईसाई की भावना को देख कर

[चौधरी नेत राम]

अपने विचार कभी नहीं रखता। अंग्रेज़ी और अंग्रेजी के चाहने वाले होछे सरमायादार जो इस देश को दौलत को बेरहमी से लूटते हैं और देश के अन्दर छूआ-छूत फैलाए बैठे हैं हम उनके सख्त मुखालिफ हैं। कितनी शर्म की बात है कि यहां पर इतने हिन्दी को मान्यता देने वाले, पंजाबी को मान्यता देने वाले और हिन्दी पंजाबी के नाम पर संघर्ष करने वाले और हर बात पर हिन्दी पंजाबी का शोर मचाने वाले लोग बैठे हैं लेकिन वह युद्ध भी इस मलेछ भाषा अंग्रेज़ी में बात करते हैं और हर बात यहां इस विदेशी भाषा में होती सुनते हैं। क्या यह शर्म की बात नहीं कि उनकी मौजूदगी में यह मलेछ भाषा बोली जाए और वह कोई प्रोटैस्ट न करें, विरोध न करें?.. तो इस का मतलब साफ तौर पर यह निकलता है कि इन्हें हिन्दी पंजाबी से कोई प्यार नहीं और हिन्दी पंजाबी का शोर यह सिर्फ अपनी फिरका प्रस्ती और अपने धड़ों को कायम रखने के लिये मचाते हैं। अगर इन्हें हिन्दी पंजाबी के साथ कोई लगाव होता तो मैं नहीं समझ सकता कि जब हमारे राज्यपाल महोद्य ने अपना भाषण हिन्दी में पढ़ा तो इन्होंने उन्हें ऐसा करने की बजाए होहल्ला क्यों किया और सदन के बाहर क्यों गए? कितनी हीनता की बात है कि हिन्दी में भाषण पढ़ने वाले की कदर न की जाये और उसे वधाई न दी जाये। जब मुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री यहां हाऊस में अंग्रेज़ी में बात करते हैं और काग़ज़ पढ़ते हैं तब तो यह हिन्दी पंजाबी के ठेकेदार यहां चुप बैठे रहते हैं लेकिन जब राज्यपाल महोद्य ने अपना भाषण हिन्दी में पढ़ा और अपनी देश की भाषा में पढ़ा तो इन्होंने विधान सभा के अन्दर शोर डाला। मैं कहता हूं कि अगर राज्यपाल अपना भाषण उर्दु में भी पढ़ते हैं तो भी हमें उन्हें बधाई देनी चाहिये थी। मैं उर्दु को भी अपने देश की भाषा मानता हूं ताम्मल, तलेगू और बंगाली को भी अपने देश की भाषा मानता हूं और अपने देश की सारी भाषाएं हमारी अपनी हैं लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि अपनी भाषाओं को छोड़कर इस मलेछ भाषा को ऊंचा दर्जा दिया जाये। मैं पूछता हूं कि क्यों हर बात यहां सदन में इस मलेछ भाषा अंग्रेज़ी में की जाती है और क्यों सारे काग़ज़ात यहां पर अंग्रेज़ी में पढ़े और रखे जाते हैं। इसी विधान भवन में एक बात भी कभी हिन्दी पंजाबी में नहीं मिलती और यह हिन्दी पंजाबी को मानने वाले चूं तक नहीं करते। आप अपने होस्टल में ही देखें कि जो पूछ-ताछ की जगह है वहां पर इन्क्वायरी लिखा है और जिससे पूछ ताछ की जाती है उसे रिसैपशनिस्ट लिखा है। क्या प्यार है आपका हिन्दी पंजाबी से। अगर आपको हिन्दी पंजाबी से कोई प्यार है, अपने देश से कोई लगाव है और देश की गरीब जनता से हमदर्दी है तो फिर हिन्दी पंजाबी को अपनाओ, मलेछ भाषा अंग्रेज़ी के खिलाफ लड़ाई करो, फिरकाप्रस्ती के खिलाफ लड़ाई करो और ऊंची ज़ात वालों के खिलाफ, सरमायेदारों के खिलाफ जो गरीबों का खून चूसने वाले हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ो। लेकिन आज गरीबों की आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो, डिप्टी स्पीकर साहबा, मैं आपके द्वारा अर्ज़ करता हूं कि मैं ने राज्यपाल महोदय के भाषण के सारे पैरा को देखा और पढ़ा है। उनके अन्दर कहीं पर लिखा है कि फलां कमेटी बना दी जायेगी, कहीं लिखा है कि फलां समिति बना दी जायेगी, कहीं कोई बोर्ड बनाने के लिये लिखा है और कहीं प्रबंधक सलाहकार कमेटी के बनाने की बात है और कुछ

6.00 P.M.

नहीं है। इस सरकार ने कोई काम न करके कमेटियों समितियों और बोर्डों का सहारा लेकर अपना पीछा छुड़ा लिया है। आखिर इसका मतलब क्या है ? यही कि इस नाअहिल सरकार ने अपनी नाअहलियत को छुपाने के लिये और अपने गरीबों की कोई भलाई न करने की साज़िश पर परदा डालने के लिये हर बात के लिये कह दिया कि इसे फलां कमेटी देखेगी, इसे फलां समिति देखेगी और इसे फलां बोर्ड देखेगा। इन्होंने भी सोच लिया है कि अब दो साल बाकी रह गये हैं यह इस तरह की बातें करके गुज़र जायेंगे। अगर इनकी कुछ करने की सलाह हो तो इन्हें रोकता कौन है ? क्या इस सरकार के पास पंजाब की समस्याओं के बारे में आंकड़े नहीं हैं और क्या इनके पास हरियाणा प्रांत की बुरी हालत के बारे में आंकड़े नहीं हैं कि वहां क्या नुक्स हैं जिन्हें दूर करना चाहिये ? है तो इनके पास सब कुछ लेकिन हर बात को कमेटियों और समितियों का बहाना बना कर टाला जा रहा है और अपनी नाअहलियत को छुपाया जा रहा है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस भाषण के अन्दर सरदार प्रताप सिंह कैरों के कत्ल का भी ज़िकर किया गया है। मैं भी यह समझता हूं कि सरदार प्रताप सिंह और उनके तीन साथियों का दिन दिहाड़े कत्ल हो जाना बड़ा भारी अनर्थ है। उनके कत्ल का आज तक कोई सुराग नहीं लग सका है। यह इस सरकार की नाअहलियत नहीं तो और क्या है ? आप देखें कि इस किस्म के वाक्यात क्यों होते हैं ? इस लिये होते हैं कि गुंडा, पुलिस और सत्ताधारी इस सरकार के बस में नहीं है (विघ्न)। हां, मैं फिर कहता हूं कि गुंडा पुलिस और सत्ताधारी सरकार के बस में नहीं है हर सत्ताधारी चाहे वह किसी भी किस्म की सत्ता रखता हो चाहे पैसे की हो या और हो, वह सरकार पर छाए हुए हैं। सरदार प्रताप सिंह के कत्ल का काम किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे का काम नहीं हो सकता है। लाखों रुपये उनकी कत्ल की स्कीम पर खर्च हुए हैं और लाखों ही उसे छुपाने के लिये खर्च हो रहे होंगे। यह लाखों रुपये कोई सरमायेदार ही खर्च कर सकते हैं और सत्ताधारी ही इतने पैसे लगा सकते हैं। सरदार प्रताप सिंह को अपना बहुत मज़बूत मुख्य मन्त्री मानते थे और उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। वह खुद कहते थे कि पंजाब विच मैं तकले वांग बल नहीं रहिण दियांगा ते बंदे विच छल नहीं रहिण दियांगा। ऐसे आदमी का कत्ल किसी मामूली आदमी का काम नहीं हो सकता है। ऐसे मज़बूत आदमी का दिन दिहाड़े कत्ल कोई मज़बूत आदमी ही कर सकता है और उसे पकड़ लेना किसी भेड़ बकरियां चराने वाले के बस की बात नहीं है (शोर)। यह बड़े आदमियों की साजिश का नतीजा है और यही वजह है कि यह कत्ल बरामद नहीं हो रहा है.... (घंटी) इसका क्या मतलब ? (हंसी) मैं पूछना चाहता हूं कि यह घंटी किस लिये है; मुझे पहले ही बता दें ताकि बीच में टोका टाक न हो।

उपाध्यक्षा : इसका मतलब यह है कि आप पांच मिन्ट के अन्दर अन्दर खत्म करें (It means that the hon. Member should wind up within five minutes.)

चौधरी नेत राम : क्या इस हाऊस में मेरा पांच मिनट का ही अधिकार है ?

उपाध्यक्षा : आप दस मिनट बोल चुके हैं पांच मिनट और ले लें। इस से ज्यादा नहीं दे सकती। (The hon. Member has spoken for ten

[Deputy Speaker]

minutes ; he may take five minutes more. I can not allow more than this.)

चौधरी नेत राम : अभी तो पांच मिनट ही हुए हैं।

उपाध्यक्षा : आप मुझे चैलैंज न करें। (The hon. Member should not challenge the Chair.)

चौधरी नेत राम : तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस भाषण के अन्दर स्यासी पीड़ितों को मदद देने का भी ज़िक्र किया गया है। मैं इस बारे में ज्यादा तो नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात आप के द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि 1857 की जंगेआज़ादी में हिस्सा लेने की वजह से ज़िला हिसार के बहुत सारे गांव को कुचला गया। इन में से मैं एक गांव रनास की मिसाल ही आपको देना चाहता हूं। उस वक्त तहसील हांसी के इस गांव के मरद औरतों को घुड़सवार पुलिस द्वारा रनास से हांसी में ला कर मारा गया था। उन लोगों की सारी ज़मीनें उन्हें बागी करार दे कर छीन ली गई थीं और नीलाम कर दी गई थीं। आज उन देशभक्तों के बाल बच्चे ज़मीन न होने की वजह से भूखे मर रहे हैं और भेड़ बकरियां चरा कर गुजारा करते हैं। यह सरकार उन हारे हुए कांग्रेसियों की सहायता करने के लिये उन्हें स्यासी पीड़ितों का नाम दे कर जागीरें और पैन्शनें दे रही हैं लेकिन जो उन बीरों की औलाद है जिन्होंने देश के लिए कुरबानी की, वह आज भूखी मर रही है इस कांग्रेस सरकार के राज में। उनके बाप दादों को बागी करार दे कर उन की ज़मीनें छीन कर नीलाम की गई और आज वह भेड़ बकरियां चरा कर पेट पाल रहे हैं। वह लोग जिन्होंने उन बहादरों की ज़मीनें खरीदीं वह आज उन की औलाद को भेड़ बकरियां भी चराने नहीं देते हैं और उन्हें जूते मारते हैं। उन को कोई पैन्शन यह सरकार नहीं दे रही है। क्या इस सरकार को जो स्यासी पीड़ितों के नाम पर हारे हुए कांग्रेसियों को जागीरें और पैन्शनें दे रही है, यह ख्याल नहीं आया कि कम से कम उन गरीबों को उन की छीनी हुई ज़मीनें ही वापस दी जायें। अगर यह सरकार उन लोगों की मदद करेगी तभी यह कहा जा सकता है कि इस सरकार को गरीबों से और स्यासी पीड़ितों से कोई हमदर्दी है.........

उपाध्यक्षा : अब आप बैठ जायें। (The hon. Member may now resume his seat.)

चौधरी नेत राम : मैं आप की आज्ञा मान कर एक दो मिनट में खत्म कर देता हूं अगर आप ज्यादा समय नहीं देतीं।

उपाध्यक्षा, हैरानगी की बात है कि गवर्नर साहिब के ऐड्रैस में सरकारी कर्मचारियों से सम्बोधित किया गया है। यह इस सरकार के तथा इन के बाप दादों के नौकर नहीं हैं। यह तो सरकारी मशीनरी है। यह तो राज्य के नौकर हैं। सरकारी कर्मचारी कहना आज की प्रजातंत्र के असूलों के विरुद्ध है? (विघ्न)

Deputy Speaker : Will you please wind up?

चौधरी नेत राम : जब मैं बोलने लगता हूं तो आप घंटी बजाने लग पड़ती हैं। इस तरह से आप शोर मचा देती हैं। मैं कैसे अपनी बात हाऊस में रख सकूं?

Deputy Speaker : Please withdraw your words.

चौधरी नेत राम : मैं यह लफ्ज़ वापिस लेता हूं। आप मुझे एक मिनट और बोलने की इजाज़त दें।

Deputy Speaker : Will you please sit down. Giani Kartar Singh.

चौधरी नेत राम : मुझे एक मिनट अपने विचार प्रक्ट करने के लिये टाइम दें।

Deputy Speaker : I have called upon Giani Kartar Singh. Please resume your seat now.

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਦਸੂਆ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਓਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਡਰੈਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਿਰ ਤੋਂ ਇਥੇ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਰਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅਮਰੀਕਨ ਕਣਕ ਸਸਤ੍ਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਭਾਉ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬਿਉਪਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੈਸਟਿਡ ਇਨਟਰੈਸਟਸ, ਬਲ, ਅਸਰ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਉਪਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰੇ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਚਰਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

[ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ]

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੇਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। (ਤਾਲੀਆਂ) (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

WALK-OUT

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब गवर्नमैन्ट की प्रशंसा होती है और आनरेबल मैम्बर्ज़ तालियां मारते हैं तो आप उन को रोकती नहीं हैं। जब मैं सरकार की गल्त कारगुज़ारियां हाऊस में ब्यान करता हूं तो आप मुझे बोलने से रोकती हैं। आप पक्षपाती हैं मैं आप के इस रवैईये के विरुद्ध रोष प्रकट करता हुआ वाक अऊट करता हूं।

(इस समय चौधरी नेत राम एज़ ए प्रोटैस्ट वाक आऊट कर गए)।

DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS (RESUMPTION)

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਘਟ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਓਸ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਧੀ ਅਤੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ।

(ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਘਨ)

ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਉ। ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ 500 ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਰਡ ਬੁੱਧ ਦੀ 2500 ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਵਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਦੋ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ 36 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਤੀਸਰੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ $41\frac{1}{2}$ ਲਖ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਹੈਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 50 ਲਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਿਛੜਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੀਪਬਲਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਤ ਬੜੀ ਮਾਕੂਲ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਬੁਧ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡਕਾਸਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਨਟਚੇ ਬਿਲੀਟੀ ਜਾਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਹਨ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਈਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੋਸਾਈਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਸਨ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਨਾਤਨੀ ਸਨ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸਨ। ਸਿਖ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ, ਬੁਧ, ਜੈਨੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹਿਦੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਹਰੀਜਨ ਬੁਧ ਮਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ

[ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ]

ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਬੋਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਿਖ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਛੂਤ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਜਨ ਬੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਦਿਲਵਾਉਣ । ਇਸ ਨਾਵਾਜਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ। ਹਰਦਵਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਤੇ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਸੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਥੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਗਲ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਡੇ ਵਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ 10,000 ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਤਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਧੀ ਪਧੱਰੀ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਜਦ ਤਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਮੀਲ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੀਲ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡੈਮ ਲਾਈਂ ਜਾਉ, ਨਹਿਰਾਂ ਖੋਦੀ ਜਾਉ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਉ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਥ ਫਾਈਵ ਯੀਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਾ ਰੁਪਿਆ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਈਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧੱਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਹਨ ਜਿਥੇ ਡਬਲ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

(The hon. Member was still in possession of the House.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਸਦਨ ਕਲ ਬੁਧਵਾਰ 9½ ਵਜੇ ਮਿਲੇਗਾ।

(The House then adjourned till 9-30 a.m. to morrow, Wednesday.)

6-30 p.m. | (The House then adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday the 3rd March, 1965.)

4250 PV —366—2-7-65—C.,P.& S., Pb., Chandigarh.

APPENDIX

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. 1 NO. 6 DATED THE 2ND MARCH, 1965

Security Furnished by Cashiers Employed in Central Cooperative Banks in The State

***6837. Sardar Gurcharan Singh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether the Cashiers appointed in the Central Co-operative Banks in the State are required to furnish securities ;

(b) whether it is a fact that there are always two keys of the safe containing cash, one being with the Manager of the Bank concerned and the other with the Cashier ;

(c) whether he is aware of the fact that the Cashier of the Central Co-operative Bank, Moga, district Ferozepur, was appointed by its Chairman without taking any security from him ;

(d) whether it is also a fact that the Cashier mentioned in part (c) above ran away with a large sum of the Bank; if so, the manner in which he got the second key from the Manager ;

(e) the action, if any, taken against the Chairman who did not obtain the security from the Cashier ;

(f) whether Government has received any complaint against the said Chairman; if so, the action, if any, taken against him?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No. He was appointed by the Managing Director and not security was taken from himas he was appointed in leave-arrangement for some days only.

(d) Yes, the said Officiating Cashier ran away with an amount of Rs. 68,500/—. The Manager of the Bank handed over second key to him reposing confidence in him.

(e) The matter is under investigation of Police.

(f) No.

Stall set up by State Government in Exhibition Held in America.

***7205. Shri Fateh Chand Vij** : Will the Chief Minisier be be pleased to state—

(a) whether it is a fact that an exhibition (International Fair) was held in America last year and a stall of the Punjab State was also set up therein ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the total value of the articles placed in the said stall ;

(c) the value of the articles which were sold at the said stall and of those which remained unsold ;

(d) the amount of profit earned from the sale of articles at the said stall ;

(e) whether any margin of profit was fixed at the time of sending the articles for sale at the stall referred to above; if so, the details thereof ;

(f) whether Government have received any complaint to the effect that the margin of profit charged at the said stall was too high resulting in the criticism of the Punjab Government there ?

Shri Ram Kishan : (a) (i) Yes Sir.

(ii) The Punjab Export Corporation and not the Punjab State participated in the said fair and set up a stall there.

(b) The total value of the articles shipped by the aforesaid Corporation is Rs 10,37,633. 45. F.O.B.

(c) The total value ....is Rs. 2,71,653.80 F.O.B.

(d) The profit and loss account of the Fair will be made after the Fair ends in October, 1965.

(e) No.

(f) No.

Construction of Drains to Protect Certain Villages in Tehsil Rupar from Floods

***7459. Sardar Ajaib Singh Sandhu :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the details of the steps taken by the Government to save villages Panjkoha, Todarpur, Bhatia, Khani, Manpur Doom-Chheri, Sarhana, Kalaran of tehsil Rupar from floods in future ;

(b) whether any drains are proposed to be constructed for the purpose, if so, the details thereof and the time by which the proposed drains are likely to be completed ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) and (b) Morinda Drain and Sanghol Drainage system are proposed to save the area from floods. The Schemes will be executed after the funds and estimates have been sanctioned and other formalities completed.

Punjab Vidhan Sabha Debates

3rd March, 1965

(Morning Sitting)

Vol. I—No. 7

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 3rd March, 1965

Price : Rs. 3.45 Paise.

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I—NO. 7, DATED THF 3RD MARCH, 1965 (MORNING SITTING).

Read	*For*	*Page*	*Line*
Pandit Chiranji Lal Sharma	Pandit Chiranjit Lal Sharma	(7)17	15
September	Sept-tember	(7)33	3-4
production	pruduction	(7)34	11
position	posititon	(7)34	4 from below
[3RD MARCH, 1965	[3RD MARCHK, 1965	(7)36	Heading
agricultural	agrieutural	(7)37	6
otherwise	ohterwise	(7)37	16
figures	figur s	(7)37	15 from below
provision	provi ision	(7)37	4 from below
Capita	Captia	(7)40	last
Priority	Prioritv	(7)45	6, 15
Education	Fducation	(7)45	18
Minister	Miniter	(7)52	1

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 3rd March, 1965 (Morning Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh at 9.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਤਰਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਨਸਟਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । (All the starred questions standing in the name of the hon. Member have been converted into unstarred ones.)

Starred Question No. 7640

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ: ਆਨ ਹਿਜ਼ ਬੀਹਾਫ, ਸਰ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ? (*Addressing Comrade Bhan Singh Bhaura*:) Has the hon. Member got a written authority from him ?

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ: ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਵਰਬਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਰੁਪ ਦੀ ਵਰਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁਪ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (No please, there shouid be a written authority, especially from the group of the hon. Member.)

Pay scales of P. C. S. Officers in the State

***6827. Pandit Chiranji Lal Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the pay scales of P. C. S. Officers, whether Judicial or Executive, in the State ;

(b) whether it is a fact that the pay scales of P.C.S. Officers in the State continue to be the same which were in force during the British regime in the pre-Independence days ;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the reasons why the Government have not revised their pay scales particularly when pay scales in various other departments have been revised ;

(d) whether it is a fact that the P. C. S. officers have many a time requested the State Government for an upward revision of their pay scales through their Association ;

(e) if the reply to part (d) above be in the affirmative, the action taken by the State Government in the matter ?

Shri Ram Kishan : (a) Both P. C. S. (Judicial Branch and P.C.S. (Executive Branch) :—

(i) Time Scale :—Rs 300—30—510/30—600—40—720/40—800—50—850.

(ii) Selection Grade :—Rs 900—50—1,200.

(b) Yes.

(c) The matter regarding the revision of pay scales of the P.C.S. (Executive Branch) is under consideration of Government. Usually the pay scales of the P.C.S. officers belonging to the Judicial Branch follow the pattern of pay scales prevalent in the sister Branch, i.e., Executive Branch.

(d) In so far as P. C. S. (Executive Branch) is concerned—. Yes. In respect of P.C.S. (Judicial Branch), the requests made by the Association in this behalf in the years 1960 and 1961 were not supported by the Hon'ble Judges. A further representation has since been received from the Association which is under consideration of the Hon'ble Judges.

(e) As in part (c) above.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state the reasons for not increasing the pay scales of P.C.S. Officers keeping in view the dearness after independence ?

मुख्य मन्त्री : मैंने अर्ज़ कर दिया है कि पहले जो मांग उन की तरफ से की गई थी, उसको आनरेबल जजिज़ ने स्पोर्ट नहीं किया था। अब दुबारा इस सारे केस पर गौर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंट्स से खतोकिताबत कर रहे हैं। सिवाय वैस्ट बंगाल के बाकी जितनी स्टेट्स है उन सब से हमारी स्टेट में यह स्केल ज्यादा है लेकिन इस के बावजूद हम उन के केस को पूरी तरह से कंसिडर कर रहे हैं।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state whether the Hon. Judges of the High Court come into picture even in respect of P. C. S. Officers who are not Magistrates ?

मुख्य मन्त्री : यह तो मैं ने पहिले ही अर्ज़ कर दिया है कि दोनों का केस ज़ेरे गौर है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸੱਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦ ਦੂਜੇ ਗਰੇਡ II ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਘਟ ਹਨ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਸੀ. ਅਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ ?

मुख्य मन्त्री : पी. सी. ऐस. हमारी एक बड़ी इंपार्टेंट सर्विस है। काफी देर हो गई है कि उन के सकेल रिवाज नहीं हुए। उन की जो हमारे पास रिप्रिजैंटेशंज़ आई हैं; गवर्नमैंट यह अपना फर्ज समझती है कि अगर उन में वज़न है तो ज़रूर उन की तरफ तवज्जुह दी जाए।

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the Chief Minister as to what were the reasons advanced by the Hon. Judges in rejecting the demands of the P.C.S. officers in the year 1961 ?

Chief Minister : That is a secret advice. That cannot be divulged.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंजाब सरकार के नोटिस में यह बात है कि रीसैंटली सैंट्रल गवर्नमेंट ने 600 रुपए से ऊपर तनखाह लेने वाले मुलाजमों की तन्खाहों को रिवाइज किया है ?

मुख्य मन्त्री : जहां तक ग्राम गवर्नमेंट ऐम्पलाइज़ का सम्बन्ध है उन के बारे में तो हम ने भी जो ऐक्शन लिया है वह ग्राप सब को मालूम ही है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state the criteria for giving selection grades to P. C. S. officers ? I would like to know whether it is based on the length of service of the officer or on certain other considerations ?

Chief Minister : I require a separate notice for this.

Chaudhri Inder Singh Malik : May I know from the Chief Minister as to by what time the grades will be revised ?

मुख्य मन्त्री : मैंने अर्ज़ किया है कि इस सम्बन्ध में दुबारा जजिज़ ग्राफ दी हाई कोर्ट से बात हो रही है ग्रौर इस सम्बन्ध में दूसरी स्टेट गवर्नमेंटस से भी कारस्पांडेंस हो रही है। वह तमाम रिप्रिज़ैंटेशनज़ हम पूरी तरह से कंसिडर कर रहे हैं।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸੱਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਖੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

मुख्य मन्त्री : जैसे कि ग्रानरेबल मेम्बर साहिबान को मालूम है हिन्दुस्तान ग्राजाद होने के बाद कुछ कैटेगरीज़ ग्राफ सर्विसिज़ के वक्तन फवक्तन ग्रेड रिवाइज होते रहे हैं। जहां तक पी. सी. एस. का ताल्लुक है एग्ज़ेक्टिव वह ऐग्ज़ैक्टिव के हैं या जुडीशल के, यह दोनों हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन का इम्पार्टेंट विंग है। उन की जो जायज मांगें हैं, गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि उन पर पूरी तरह से गौर करे ग्रौर उन की मदद करे।

श्री ग्रमर सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि सन् 1930 में फिक्स किया गया पी. सी. एस. का ग्रेड महंगाई के इतना बढ़ जाने के बावजूद ग्रभी तक क्यों नहीं रिवाईज़ हुग्रा ?

मुख्य मन्त्री : इस का डिटेल्ड जवाब दिया गया है। मैंने ग्रर्ज किया है कि यह सारा केस ग्रंडर कंसिडरेशन है ग्रौर हर बात को मद्देनजर रखा जाएगा खाह वह राइजिंग प्राईसिज़ हों, खाह पुराना ग्रेड हो। कब से पे स्केल रिवाईज़ नहीं हुग्रा, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए गौर किया जाएगा।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਗਰੇਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ?

मुख्य मन्त्री : चीफ जूडीशल मैजिस्ट्रेट के केस पर भी पूरी तरह से हमदर्दाना गौर किया जा रहा है।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰੀਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਗਰੇਡ ਦਾ ਮਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਔਰ ਉਸ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : इस के लिए अलग नोटिस चाहिए। तब सारी इनफार्मेशन आप को दे दी जाएगी।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Chief Minister whether the Government would consider the desirability of increasing their daily allowance when they go out on tour so long as their pay-scales are not increased ?

मुख्य मन्त्री : उन की रिप्रिजैंटेशन्ज़ के एक एक प्वायंट पर तहकीकात होगी, गौर होगी। उस में यह प्वायंट भी ज़ेरे गौर है।

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Chief Minister whether the recommendations or observations of the Hon. Judges of the High Court are binding on the State Government ?

मुख्य मन्त्री : इस को भी ड्यू इम्पार्टैंस दी जाएगी।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨੀਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀ. ਏ., ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

मुख्य मन्त्री : जब गवर्नमेंट सर्वेंटस की तन्खाह बढ़ाई जाती है तो नैचुरली उसका टी. ए. पर भी असर पड़ता है।

Judicial Magistrates

***6828. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that in view of the separation of the Judiciary from the Executive in the State the Government asked its officers to indicate whether they would like to remain in the Executive or would prefer to go to the Judiciary ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether it is further a fact that hardly ten or fifteen per cent officers opted for the Judiciary and the rest preferred to remain on the Executive side; if so, the reasons therefor ;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the manner in which the strength of the Judicial Magistrates is proposed to be made up ;

(d) whether any Second or Third Class Judicial Magistrates have been appointed in the State after 2nd October, 1964, if so, at what places ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I, Sir, ask the hon. Chief Minister as to why the Second and Third Class Judicial Magistrates have not been appointed after the separation of Judiciary from the Executive ?

Chief Minister : Mr. Speaker, Sir, with the enforcement of the Punjab Separation of Judicial and Executive Functions Act, 1964, the institution of 3rd Class Magistrates, both on the Judicial and the Executive side has been abolished. Seven Officers were, however, appointed as 2nd Class Judicial Magistrates—one each at Karnal, Samrala, Zira, Ferozepore and Tarn Taran and second at Dasuya after 2nd October, 1964, for a short period but they were soon invested with the 1st Class Magisterial powers as a matter of administrative necessity. Accordingly, there are no second or third class Judicial Magistrates in the State at present.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Chief Minister if the Government have not received complaints of accumulation of cases before the Judicial Magistrates (1st Class) because of the absence of Second and Third Class Magistrates ?

मुख्य मन्त्री : कम्पलेंटस और तरह की आई हैं। सैपरेशन के साथ ही साथ जहां तक सैकिण्ड और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेटों का है इन अदारों को खतम किया जा रहा है और हमारे सैक्रेटेरियट में और एल. आर. के दफतर में इस मामले पर पूरी तरह से गौर किया जा रहा है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I know from the hon. Chief Minister the measures which the Government propose to adopt in order to decrease the load of work before the Judicial Magistrates ?

मुख्य मन्त्री : इस सम्बन्ध में हमारी कुछ खतोकिताबत हाई कोर्ट के साथ चल रही है और रइस पर हमारे सैक्रेटेरियट में और एल. आर. के आफिस में गौर हो रहा है। जहां पर मैजिस्ट्रेटस का नम्बर बढ़ाने की ज़रूरत होगी वह बढ़ाएंगे और जहां पर और कोई कार्यवाही करने की जरूरत होगी हम वह भी करेंगे लेकिन पब्लिक की तकलीफात को हर हालत में दूर करेंगे।

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Chief Minister the total number of officers who have opted to remain on the Judicial side ?

Chief Minister : 102 Officers.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Chief Minister kindly give the percentage of officers in the State who have opted for the Executive side and those who have opted for the Judicial side ?

मुख्य मन्त्री : 24 प्रति शत पी. सी. ऐस. आफिसर्ज़ ने ज्यूडीशयल साइड के लिए आफर किया है।

श्री बलरामजी दास टंडन : यह जो सैकिण्ड और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेटस की पोस्टस एबालिश की हैं क्या उन का नम्बर भी कर्टेल किया गया है यानी ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेटस का नम्बर भी कर्टेल किया गया है ?

मुख्य मन्त्री : उन का नम्बर कर्टेल नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट के साथ हमारी खतोकिताबत हो रही है। जितने ज्यूडिशल मैजिस्ट्रेटस हाई कोर्ट कहेगी गवर्नमेंट उतने पूरे करने के लिए गौर करेगी।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I ask the hon. Chief Minister if the terms and conditions of service of P.C.S. Officers who have opted for Judicial side will continue to remain the same as they were before the separation of Judiciary from the Executive ?

मुख्य मन्त्री : मैं ने पहले भी अर्ज़ किया है कि इस सम्बन्ध में हम ने एक कमेटी कायम कर रखी है जो इस पर गौर कर रही है और चन्द दिनों के अन्दर उस की रिपोर्ट हमारे सामने आने वाली है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know from the hon. Chief Minister if the Government have tried to peep into the reasons for the P.C.S. Officers not opting for the Judicial side ?

मुख्य मन्त्री : हरेक आदमी अपने नफे नुकसान को देखता है यानी वह अपनी प्रमोशन और टोटल एमालयुमेंट्स को देख कर ही कहीं जाने के लिए तैयार होता है।

Sardar Gurnam Singh : In view of the fact that there are less chances of promotion for the Judicial Magistrates, is the Government prepared to give them more incentive so that they are attracted to the Judicial side ?

मुख्य मन्त्री : मैं ने पहले ही इस सवाल का जवाब अर्ज कर दिया है कि इस सवाल पर हम हमदर्दाना गौर कर रहे हैं।

चौधरी दर्शन सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जिन को ज्यूडीशल साईड पर लगाया जाना है उन के लिए क्या कोई कण्डीशनज़ रखी गई हैं यानी कोई लेंग्थ आफ सर्विस या एकेडेमिक कुआलीफिकेशनज़ के बारे में कोई खास कण्डीशनज़ रखी गई हैं ?

मुख्य मन्त्री : इन के लिए ला की कुआलीफिकेशन ज़रूरी रखी है लेकिन हमारे जो कुछ ऐसे अफसर हैं जो काफी अर्सा से बतौर मैजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं और ला की कुआलीफिकेशन नहीं रखते लेकिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उन को भी हम हाई कोर्ट के साथ सलाह कर के लगा रहे हैं।

STARRED QUESTION NO. 6987

सरदार कुलबीर सिंह : स्पीकर साहिब, मैं ने भी बिल्कुल इस तरह के एक स्वाल का नोटिस दिया था लेकिन क्योंकि उस से पहले सरदार मक्खन सिंह तरसिक्का का सवाल एडमिट हो गया था इस लिए मेरा सवाल एडमिट नहीं किया गया था। इस लिए मुझे अब यह सवाल पुट करने की इजाज़त मिलनी चाहिए।

Mr. Speaker : All the Starred Questions standing in the name of Comrade Makhan Singh Tarsikka have been converted into Unstarred Questions.

श्री बलराम जी दास टंडन : स्पीकर साहिब, सरदार कुलबीर सिंह को यह जवाब दफतर की तरफ से मिला था कि आप का सवाल इस लिए एडमिट नहीं हो सकता क्योंकि यही सवाल पहले कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का के नाम पर एडमिट हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : कामरेड मक्खन सिंह के नाम पर यह सवाल बतौर एक अनस्टार्ड सवाल के एडमिट हो चुका है। यह इसे फिर रपीट कर दें, मैं एडमिट कर लूंगा। (This question has already been admitted in the name of Comrade Makhan Singh Tarsikka as an unstarred

question. The hon. Member may again give its notice. It will be admitted.)

श्री बलरामजी दास टंडन : अगर स्पीकर साहिब, इन के पास इस सवाल का जवाब आया हुआ है तो यह इस का जवाब अभी दे दें। फिर नोटिस देने और दूसरी फार्मेलिटीज़ में जाने की क्या जरूरत है :

Mr. Speaker : It will not be in accordance with the rules.

श्री बलराम जी दास टंडन : स्पीकर साहिब, सवाल का जवाब गवर्नमेंट के पास आया हुआ है और सरदार कुलबीर सिंह ने भी इसी सवाल का नोटिस दिया हुआ था और इन के नाम यह इस लिये एडमिट नहीं किया गया क्योंकि यह पहले कामरेड मक्खन सिंह तरसिका के नाम पर एडमिट हो चुका था लेकिन अब यह बतौर अन-स्टार्ड कुएस्चन के एडमिट किया गया है। अब जो इस सवाल का जवाब गवर्नमेंट के पास आया हुआ है तो क्यों आप इस का जवाब अभी देने की इजाज़त नहीं दे रहे और दोबारा इस के लिये नोटिस देने के लिए कह रहे हैं। इस तरह से खाह मखाह फिर सारी फारमैलिटीज करनी पड़ेंगी।

श्री अध्यक्ष : सरदार कुलबीर सिंह जी, आप अब इसे पुट करें। (The hon. Member Sardar Kulbir Singh may now put the question.)

Increase in pay scales of Jail Employees in the State

***6987. Comrade Makhan Singh Tarsikka** (Put by Sardar Kulbir Singh) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government received any proposal from the Jails Department during the last six months to increase the pay scales of Jail employees in the State ; if so, the details thereof be laid on the Table of the House ;

(b) whether the said proposal has been considered by Government; if so with what result ?

Shri Ram Kishan : A statement giving the requisite information is placed on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, details of the proposals for revision of scales of pay of Jail employees are given below :—

1. *Jail Warders—*

	Existing scale/consolidated scale including Dearness Allowance	*Proposed consolidated scale*
	Rs	Rs
(i) Head Warder, 1st grade ..	140 per mensem	150—3—165/3—180
(ii) Head Warder, 2nd grade ..	100—3—130 ..	Ditto
(iii) Selection Grade, Warder ..	80—1—100/2—220	125—125*—125/12—8—1—150
(iv) Ordinary Grade, Warder ..	75—1—100 ..	Ditto

*Printed as received from Government.

[Chief Minister]

Jail Warders—	*Existing scale/consolidated scale including Dearness Allowance*	*Proposed consolidated scale*
(v) Turnkeys	.. 75—1—100	.. 125—125—125/128—1—150 *

II. *Assistant Inspector-General of Prisons and Superintendents of Central Jails in Punjab*

Designation at present	*Proposed designation*	*Present pay scale*	*Proposed pay scale*
		Rs	Rs
A.I.G. (General) ...	D.I.G., Prisons ...	600—40—800/40—920/40—1,000/50—1,200	625—40—1,025/50—1,275, *plus* Special Pay of Rs 100
A.I.G. (Industries) ..	D.I.G. (Industries)	500—25—600/40—800/50—1,000	Ditto
Superintendents of Central Jails	Superintendents of General Jails	500—25—600/25—800 *plus* Special Pay of Rs 50 per mensem	625—40—1,025/50—1,275

(b) The proposal is under consideration of Government.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੇ ਇਹ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Chief Minister : Please wait for an hour.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਏਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

मुख्य मन्त्री : गवर्नमेंट इस सवाल पर हमदर्दाना गौर कर रही है और इस बारे में जल्दी फैसला किया जाएगा ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, may I know from the hon. Chief Minister if it is a fact that the Jail Warders used to get the same pay as the Constables of the Police Department used to get ?

मुख्य मन्त्री : सरकार इस सवाल पर हमदर्दाना गौर कर रही है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Supplementary Question, Sir.

Mr. Speaker : Next question please.

Pandit Chiranji Lal Sharma : On a Point of Order, Sir ......

श्री अध्यक्ष : चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी इशारा किया है कि इस बारे में बजट में कोई फैसला किया गया है इस लिये आप बजट के पेश हो जाने तक इन्तजार कर लें । (I would request the hon. Members to wait till the Budget is presented in the House as the Chief Minister has given a hint that some decision has been taken by the Government in this respect.)

श्री बलरामजी दास टंडन : स्पीकर साहिब, बजट के पेश होने पर इस बारे में पता लग जाएगा और अगर इस बारे में कोई फैसला उस में न आया तो आज शाम को दूसरी मीटिंग हो रही है उस में इस सवाल पर आप सप्लीमेंटरीज पुछने की इजाजत दे दें ।

*Printed as received from Government.

श्री अध्यक्ष : इस के बाद आप जब बजट डिस्कस करेंगे आप उस वक्त इस बारे में कह लेना। (The hon. Members may discuss this point when the discussion on the Budget takes place.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, my point of Order is that my supplementary question has not been answered by the hon. Chief Minister. The reply that the matter is under the sympathetic consideration of the Government is no answer to my supplementary question. I wanted to know whether it is a fact that the Police Constables used to get the same pay which the Jail Warders used to get. The question that the matter is under the sympathetic consideration of the Government does not arise.

श्री अध्यक्ष : चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी कहा है कि गवर्नमेंट ने इस बारे में कुछ फैसला कर लिया हुआ है जिस के बारे में बजट पेश हो जाने पर आप को मालूम हो जाएगा। (The Chief Minister has stated that the Government has taken some decision in this respect which the hon. Members would come to know soon after the Presentation of the Budget in the House.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : I am talking of the past. I wanted to elicit information about the past.

Mr. Speaker : I would request the hon. Member to repeat his question.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Chief Minister kindly state if it is a fact that the Foot Constables of the Police Department used to get the same pay which the Jail Warders used to get ?

Chief Minister : Mr. Speaker, may I know from the hon. Member whether it is a suggestion or a supplementary question ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, it is not a suggestion.

Chief Minister : I require notice.

Setting up Industrial Estate at Ganaur, tehsil Sonepat

***6825. Pandit Chiranji Lal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government had decided to set up at Ganaur, tehsil Sonepat, an Industrial Estate ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons for not starting the work there so far ?

Shri Ram Kishan : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Chief Minister kindly state whether it is not a fact that there was a categorical statement by the State Government last year that the Government was going to establish an industrial estate in Ganaur and that it was given out in the press as well ?

मुख्य मन्त्री: मैं ने जो इस सम्बन्ध में पुराने कागजात देखे हैं उन से पता चलता है कि किसी भी स्टेज पर गनौर के अन्दर रूरल इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट कायम करने की तजवीज नहीं थी।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the honourable Chief Minister whether the Government have decided not to establish any rural industrial estate in that area ?

मुख्य मन्त्री : सरकार ने फैसला किया है कि रोहतक जिले में राई, झज्जर, गोहाना वगैरा में रोहतक इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट कायम की जाए । यह सारा मामला ज़ेरेगौर है। इस के मुताबिक राई के अन्दर सारी चीज़ पूरी हो गई है और पक्के शैड्ज़ भी अलाट कर दिए गए हैं।

सरदार लच्छमन सिंह गिल : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि रूरल एरिया में इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट कायम करने का क्या क्राइटीरियन है ?

मुख्य मन्त्री : सरकार चाहती है कि रूरल ऐरियाज के अन्दर इन्डस्यिल ऐस्टेट कायम करें। मगर पिछलां तजरूबा यह बताता है कि इस बारे में कोई खास प्रोग्रस नहीं हुई । इस बारे में प्लैनिंग कमिशन, नैशनल डिवैलपमेंट कौंसिल वगैरह भी सब-कमेटी बना कर इस बारे में पूरे जोर से गौर कर रही है और आयंदा जो पोलीसी इखितायर करनी है उस बारे में सोच विचार हो रहा है ।

श्री जगन्नाथ : मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि गनौर के अन्दर कोई इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट नहीं होगी। क्या इन को इस बात का ध्यान है कि इन्होंने ऐसा एक स्टेटमैंट दिया था कि बहादुरगढ़, रोहतक, सोनीपत वगैरा के इलाके में इन्डस्ट्रियल ऐस्टेट लगा रहे हैं।

मुख्य मन्त्री : मैं ने जो उस वक्त बात कही थी आज भी मैं उस पर कायम हूं। मैं ने इन्डस्ट्रियल एस्टेट की बात नहीं की थी। मैं ने यह अर्ज़ किया था कि रोहतक ज़िले में खास तौर पर तहसील सोनीपत के इलाके के अन्दर हम तीस चालीस करोड़ रुपया अगले तीन चार साल में इन्डस्ट्रीज़ पर लगाने जा रहे हैं । इस पर मैं आज भी कायम हूं।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਈਟੀਰੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ? What is the criterian of setting up an Industrial Estate in the state ?

चौधरी रणबीर सिंह : यह तो कारखाने लगाने की बात है क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह पब्लिक सैक्टर में होंगे अथवा प्राइवेट सैक्टर में ?

मुख्य मन्त्री : प्राइवेट सैक्टर में ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ I.T.I. ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ....

Mr. Speaker : This is irrelevant. The question is not about I. T. Is.

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੂਰਲ ਐਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਢੂੰਡਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Chief Minister whether it is with in his knowledge that an urban industrial estate allotted

to Rohtak proper has been withdrawn even though there was a statement by Government on 29th November that so much money will be spent on industrialisation of Rohtak ?

मुख्य मन्त्री : इस के लिये सैपेरेट नोटिस चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : हम ने पब्लिक सैक्टर के साथ साथ प्राइवेट सैक्टर को भी बढ़ावा देने का फैसला किया है, यह हमारी इन्डस्ट्रियल पालिसी है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30—40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਕੀ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ?

मुख्य मन्त्री : इन्डस्ट्रियलाईज़ेशन के सम्बन्ध में जो हमारी पालिसी है वह जल्दी ही आप के सामने आ जायेगी।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੇਰਾ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30—40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਉਧਰ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : मैं इस वक्त पार्टीकुलर अमाऊंट की बाबत तो नहीं कह सकता मगर इतना बता सकता हूं कि बठिंडा, फिरोज़पुर और दूसरी भी कई जगह पर टैक्सटाइल मिलज़ लगाने के लिये हम ने ऐप्लीकेशन्ज़ काल की हैं। लुध्याना के अन्दर एक करोड़ रुपये की लागत से एक डीजाइन्ज़ आर्गेनाइज़ेशन प्लांट लगाया जा रहा है। इस में हम युनैस्को की मदद ले रहे हैं। इस के अलावा लुध्याना में ही एक क्वालिटी प्लांट लगा रहे हैं। इस के अलावा पंजाबी रिजन में जालन्धर, अमृतसर में पंजाब सरकार इन्डस्ट्री की मदद करके खुश होगी।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ?

Mr. Speaker : It is a matter of opinion. The hon. Member cannot go beyond the scope of the Question.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know, Sir, from the hon. Chief Minister the reasons which have led the Government to invest so much money and give so much preference on industrialisation of Ludhiana proper as against other places in Punjab ?

मुख्य मन्त्री : लुध्याना एक ऐग्रो-इन्डस्ट्रियल सैन्टर है। वहां के लोगों के अन्दर ऐन्टरप्राइज़िंग स्पिरिट है, इस लिये लुध्याना तरक्की कर रहा है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਢੁਡੀਕੇ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : अभी जगह के बारे में फैसला नहीं हुआ। गवर्नमेंट आफ इंडिया से लाइसैंस के लिये बातचीत हो रही है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉਹ ਢੁਡੀਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਢੁਡੀਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।

10-00 a.m.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ।

Chaudhri Darshan Singh : Is it a fact that the industrial estates set up in the Punjabi Region of the State are less than the industrial estates set up in the Hindi Region of the State ?

(*Interruptions*)

श्री जगन्नाथ : चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि 30 और 40 करोड़ के करीब रुपया हरियाना में इन्डस्ट्री पर खर्च कर रही है तो क्या गुड़गांव भिवानी और महेंद्रगढ़ के बैक्वर्ड इलाके का भी ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं ?

मुख्य मन्त्री : हिसार, गुड़गांव और महेंदरगढ़ के बैक्वर्ड इलाके में इन्डस्ट्री सैट अप करने का मामला सरकार के ज़ेरेगौर है।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जहां कई और जगहों पर इन्डस्ट्री लगाने के लिए रुपया खर्च किया जा रहा है तो क्या एक आध इन्डस्ट्री अम्ब सब-तहसील में भी खोलने का इरादा है ?

Mr. Speaker : This does not arise out of main question.

श्री जगन्नाथ : मैं ने तो पूछा था कि हमारे इलाके में इन्डस्ट्री लगाई जाएगी तो जवाब दिया गया कि यह मामला ज़ेरे गौर है तो क्या कहीं नुकसान का भार भी हम पर न डाला जाए ?

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਕੀ ਚੀਫ ਮਨੀਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ?

Mr. Speaker : I have allowed many supplementaries beyond the scope of the question. Now I will allow only those supplementaries which would be relevant to the question.

Provision of Technical Training facilities to people in certain Backward Hilly Areas

***6887. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Chief Minister, Punjab, be pleased to state—

(a) whether Government propose to provide facilities for technical training to the people of the backward hilly area of Gagret and Amb Blocks, district Hoshiarpur by establishing a Polytechnic or Industrial Training Institute at a Central place ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the kind of Institute proposed to be opened, the place at which and the time by which it is likely to be started ?

Shri Parbodh Chandra (Education and Local Government Minister) : (a) Yes.

(b) Industrial Training Institutes under the Craftsmen Training Scheme at Tanda/Dasuya and Amb in district Hoshiarpur are tentatively proposed to be opened during the Fourth Five-Year Plan.

श्री रूप सिंह फूल : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे । (विघ्न) मेरा तो एक मासूम सा सवाल है और इसे मा.ूमाना अंदाज़ में ही पेश करूंगा । चीफ मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि हम इतनी इन्डस्ट्री हरियाना में लगाना चाहतें हैं और इतनी पंजाबी रिजन के लुध्याने में दे रहे हैं तो जहां इन इलाकों पर नजरे इनायत हो रही है तो क्या कांगड़ा के काशियाने पर भी नजरे इनायत होगी।

मुख्य मन्त्री : हम कांगड़ा में फारेस्ट को डिवैल्प करने की स्कीम पर गौर कर रहे हैं और इस इलाका का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

Breakdown of Punjab Roadways Buses due to supply of Non-refined Diesel Oil

***6852. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a number of buses of the Punjab Roadways went off the road on the 12th and 13the December, 1964, in Amritsar, Jullundur and Gurgaon areas and a good number of passengers were stranded ;

(b) whether it is also a fact that the trouble started due to non-refined diesel oil ;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in affirmative the steps taken or proposed to be taken to prevent the recurrence of such troubles in the future ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes, in the case of Jullundur Depot only. However none of the vehicles went off the road in Amritsar and Gurgaon Depots.

(b) The defect occurred at the source of supply in Assam and affected the operation of vehicles in Punjab and Himachal Pradesh areas where wax ingredient was more apparent which got consolidated on the filter elements due to acute cold.

(c) The supply of defective diesel oil from Barauni Refinery in Assam was stopped at all the Depots.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ: ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਇਸ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: ਕੀ ਚੀਫ ਮਨੀਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਨੁਕਸ-ਦਾਰ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜੋ ਡੀਫੈਕਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਦ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਡੀਫੈਕਟਿਵ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : इस में किसी अफसर के खिलाफ कारवाई करने का सवाल नहीं क्योंकि बहनी से सारी स्टेटों को तेल की सप्लाई जाती थी और जब इस बात का पता चला कि तेल खराब है तो इसको फौरन बंद कर दिया गया अब तेल को टैस्ट किया जाता है।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

मुख्य मन्त्री : मुझे इस बात का इलम नहीं, अगर आनरेबल मैम्बर कोई ऐसा केस सरकार के नोटिस में लाएंगे तो मुनासिब कारवाई की जाएगी।

Chaudhri Darshan Singh: The hon. Chief Minister has been pleased to state that the Punjab Roadways buses of Jullundur depot only went off the roads. When this defective supply was in all the depots, may I know the reasons why the buses of Jullundur depot went off the roads and not of the other depots?

मुख्य मन्त्री : इस तेल का इफैक्ट पंजाब रोडवेज़ के वहीकलज़ पर ही नहीं बल्कि प्राइवेट आप्रेटर्ज़ के वहीक्लों पर भी पड़ा है जिस जिस ने तेल को इस्तेमाल किया उन पर असर पड़ा।

Pandit Charanji Lal Sharma: Is it a fact that worn out and condemned buses are only allotted to the Gurgaon Depot and that is the reason why they usually go off the roads there?

मुख्य मन्त्री : इस के लिये सैप्रेट नोटिस दरकार है।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ?

मुख्य मन्त्री : कारण बता तो दिया है कि जो सप्लाई हुई वह डिफैक्टिव थी।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : इस के लिये आप नोटिस दें सारी इन्फार्मेशन दे दी जायेगी।

Supply of Sugar to Residents of Village Bija, District Ludhiana

***6807. Comrade Jangir Singh Joga:** Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the fact that the residents of village Bija, district Ludhiana, have not been getting supply of sugar for the last four months, if so, the reasons therefor and the action, if any, taken against the official responsible for it?

Shri Ram Kishan: No.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਖੰਡ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ?

मुख्य मन्त्री : 1959-60 में गांव वालों को खांड 3-4 हजार टन के करीब मिलती थी। अब यह सप्लाई 6-7 हजार टन तक पहुंच गई है। इस के अलावा भी हम गवर्नमैंट आफ इंडिया से कोटा बढ़ाने के लिये बातचीत कर रहे हैं।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Please resume your seat.

Chaudhri Khurshed Ahmed : May I know whether the distribution of sugar has any relation to the population in the urban and rural areas?

मुख्य मंत्री : आप इस के लिए अलहदा सवाल दे दें स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट से पूछ लिया जायेगा।

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ-ਕੈਪਟਾ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : मैंने पहले जो अर्ज़ कर दिया है कि 1959-60 में महज 3-4 हज़ार टन खांड देहातियों को सप्लाई होती थी, वह अब बढ़ाकर 6-7 हज़ार टन कर दी गई है।

चौधरी रण सिंह : क्या खांड की डिस्ट्रीब्यूशन पर हैड देहातों और शहरों में यकसां नहीं है अगर नहीं हैं तो इस की वजह क्या है ?

मुख्य मन्त्री : यह तो आप सब को मालूम ही है कि यकसां नहीं है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜਿਤਨਾ ਕੋਟਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : जी हां ठीक है ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦਾ ਪਰ-ਕੈਪਟਾ ਕੋਟਾ ਕੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : इस का जवाब मैं पहले दे चुका हूं ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਚਿਊਡ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਾਲੀਸੀ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

Mr. Speaker : This is not proper, the hon. Member should put his question. ਜੇ ਕਰ ਤਵੱਜੋ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ। The hon. Member should put his supplementary. (This is not proper, the hon. Member should put his question. If it is a matter for hearing with careful attention, then I, too, have to draw his attention to many things. He may put his supplementary.)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਖੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : मैं ने इस के मुतल्लिक जवाब दे दिया है । अगर आप को ज़्यादा डीटेल्ज़ दरकार हैं आप इसका अलग नोटिस दें, आपको इनफार्मेशन दे दी जायेगी ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਕੋਪ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ।
(I would request the Hon'ble Members to ask the supplementary question keeping in view the scope of the question.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜਿਤਨੀ ਘੱਟ ਖੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ ?

(At this stage many Members rose to put supplementaries.)

Mr. Speaker : I would request the hon. Members to resume their seats first. कामरेड जोगा का सवाल तो एक गांव के बारे में है इसके सकोप में सवाल होने चाहिएं। No other supplementary can be put. (I would request the hon. Members to resume their seats. The question of Comrade Joga relates to a particular village. The supplementaries should be within the scope. No other supplementary can be put.)

चौधरी राम सरूप : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस फर्क की आखिर क्या वजह है ?

मुख्य मन्त्री : इस के लिये नोटिस चाहिये।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : No please.

Pandit Chiranjit Lal Sharma: On a point of Order, Sir. You have been pleased to say that we should not go beyond the scope of the question. I want to know whether a supplementary can arise out of the reply which is given by the Chief Minister or other Members of the Cabinet or not and if some reply given by the Government gives rise to a supplementary, whether the Member has the right to put that question or not?

Mr. Speaker: It is very much desirable that both the Government and hon. Members should not go beyond the scope of the main question. When an hon. Member enquires as to how much sugar is or is not issued then this kind of supplementary passes the limits of the scope of the question. Consequently when the hon. Members go beyond the scope of the question then the reply from the Government comes that a separate notice is needed.

Pandit Chiranji Lal Sharma: So far as your wishes are concerned that is something else. It is a question of principle. Where from the reply given by Government any supplementary arises a Member has the right to put the supplementary or not even if it goes beyond the scope of original Question?

Mr. Speaker: I will consider over it and then give my ruling. I will also request the Government not to go beyond the scope of the Question.

चौधरी नेत राम : गांव में शहर की निस्बत 8वां हिस्सा चीनी देते हैं, यह क्यों किया जाता है ? क्या मंत्री महोदय इस के साथ ही मेरा अनुपूरक प्रश्न बताएंगे कि देहात को कोटे से कितनी चीनी दी जाती है ?

Mr. Speaker : Please resume your seat.

(Shri Jagan Nath rose to speak.)

Mr. Speaker: The hon. Member may please resume his seat.

Sardar Gurdial Singh Dhillon: Sir, I am not going to put any supplementary question. My request is that since there is a lot of discontentment over the distribution of sugar and opening of fair price shops some time should be allotted for the discussion.

Pandit Chiranji Lal Sharma: I would suggest that this portfolio be allotted to Sardar Gurdial Singh Dhillon.

Mr. Speaker: The suggestion of the hon. Member would be passed on to the Chief Minister.

Pandit Chiranji Lal Sharma: I hope he will abide by your wishes.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਬੀਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ?

मुख्य मंत्री : इसका यहां क्या सम्बंध है। सवाल तो यह है—

"Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the fact that the residents of village Bija, district Ludhiana, have not been getting supply of sugar for the last four months, if so, the reasons therefor and the action, if any, taken against the official responsible for it ?"

and the reply is "No".

Fair Price Shops in factories

***6808. Comrade Jangir Singh Joga:** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government intend to open Fair Price Shops in every such Factory in the State where the strength of the workers is two hundred or more; if so, the time by which these shops are likely to be opened?

Chaudhri Rizaq Ram (Public Works Minister): The State Government do not intend to open Fair Price Shops in any of the Factories. But in accordance with the decision of the Standing Committee on Industrial Truce Resolution, managements in the industrial establishments employing 300 or more workers are required to set up Fair Price Shops. The number of such establishments in Punjab State is 63 out of which 53 establishments have already opened Fair Price Shops/Consumers' Co-operative Stores. The remaining units are also being persuaded to do the needful.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ: ਜਿਥੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

*SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 6836

श्री बलराम जी दास टंडन : जो रिपोर्ट इन्होंने टैक्सटाइल कमिशनर को की है उसका क्या जवाब मिला है ?

मुख्य मन्त्री : खतोकिताबत जारी है।

श्री बलराम जी दास टंडन : जब से पंजाब गवर्नमेंट ने यह मामला इनीशिएट किया है, तब से कितनी देर हुई ?

मुख्य मन्त्री : इस के लिये आप सैपेरेट नोटिस दें तो बताने को तैयार हूं।

*The Starred question No. 6836 and reply thereto is printed in the appendix to this Debate.

***6841. Comrade Gurbaksh Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government have received any representations from Class III and Class IV Government employees in the State requesting that separate depots for them be set up which should open at 5 p.m. daily, so that the employees can get atta from the depots without getting casual leave for the purpose;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative the action, if any, taken or proposed to be taken on the said representations?

Shri Ram Kishan: (a) and (b) A statement containing the required information is laid on the table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes. Such representations from Government employees were received at Amritsar, Hoshiarpur, Karnal and Gurdaspur. Action has been taken on these representations as below :—

Amritsar.—10 wheat/atta depots have been opened for Government employees and their working hours have been fixed from 4 p.m. to 7.45 p.m.

Hoshiarpur.—Distribution of wheat/atta to Government employees has been arranged at the Central Co-operative Consumer Store. The timings of the depots there have also been so fixed as to enable the employees to draw wheat/atta/sugar without getting any leave for the purpose.

Karnal.—One wheat/atta depot has been opened for Class III and Class IV Government employees. The working hours of this depot are from 5 p.m. to 7. p.m.

Gurdaspur.—In view of the satisfactory wheat/atta supply position, no such arrangements have been considered necessary.

It has now been arranged that fair price shops/depots in all towns will remain open on Sundays and close on Mondays. This will enable Government employees to get supplies of atta without taking any leave.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਉਸੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ।

Chaudhri Darshan Singh: May I know from the Chief Minister whether Government is considering to have a uniform policy in all the districts?

मुख्य मन्त्री : जहां जहां ज़रूरत होगी, गवर्नमेंट उस पर हमदरदाना गौर करेगी ।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Memorandum submitted by Bakery-owners

***6851. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any memorandum has recently been received by the Government from the Bakery owners of the State; if so, their main demands and the action taken or proposed to be taken thereon?

Shri Ram Kishan: Yes, a representation was received during January, 1965, from the President, Sindhi Power Driven Biscuit Manufacturing Association, Malerkotla, for increase in their quota of maida from 37 to 120 bags per month. The same is under consideration. Meanwhile, an *ad hoc* allotment of 166 bags of maida/suji has been made to this Association in addition to their existing monthly quota.

Sale of Khandsari

***6855. Comrade Bhan Singh Bhaura:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of towns/cities in the State where the sale of Khandsari has been introduced by the Government together with the condition thereof, if any ;
(b) the maximum price of Khandsari, if fixed;
(c) whether Government intend to extend this scheme to other towns and villages too: if not, the reasons therefor?

Shri Ram Kishan : (a) The requisite information is laid on the table of the House.

(b) The maximum wholesale price of Khandsari was Rs 149.39 for Kulu. The price varied from place to place depending upon the quality of stocks, transport and other incidental charges incurred.

(c) All restrictions on the sale of existing Khandsari stocks imported from U.P. have been withdrawn with effect from 9th February, 1965 and Khandsari has been allowed to be sold in free sale throughout the State.

Statement

Part (a)—

(1) The following towns/cities were covered under the scheme of distribution of Khandsari.—

Serial No.	Name of the District		Towns/Cities covered under the scheme
1	Ludhiana	..	Ludhiana, Khanna, Jagraon, Raikot, and Doraha
2	Simla	..	Simla
3	Hoshiarpur	..	Hoshiarpur, Shamchaurasi, Hariana, Gardhiwala, Garhshankar, Dasuya. Tanda Urmar, Mukerian, Talwara, Una, Anandpur Sahib and Nangal Township.
4	Amritsar	..	Amritsar, Jandiala, Tarn Taran, Patti, Khem Karan, Bhikhiwind, Majitha, Chheharta
5	Ferozepur	..	Moga, Talwindi, Zira, Ferozepur Cantt./City, Jallalabad, Fazilka, Abohar, Malout, Gidderbaha and Muktsar
6	Rohtak	..	Rohtak, Sonepat, Beri, Gohana, Meham, Jhajjar and Bahadurgarh
7	Kulu	...	Kulu and Manali
8	Patiala	..	Patiala, Nabha, Rajpura, and Samana

Serial No.	Name of the District		Towns/Cities covered under the scheme
9	Bhatinda	..	Bhatinda, Faridkot, Kotkapura, Jaitu, Goniana, Maur, Kotfatta, Mansa, Budhlada, Baretta, Bhuchchu Raman and Sangat
10	Kangra	..	Kangra, Palampur, Yol Camp, Dharamsala and Nurpur Town
11	Ambala	..	Ambala City/Cantt., Yamunanagar, Chandigarh and Kalka
12	Jullundur	..	Jullundur, Nakodar, Nurmahal, Nawanshehr, Phillaur, Banga
13	Kapurthala	..	Kapurthala and Phagwara
14	Narnaul	..	Narnaul, Mohindergarh, Charkhi-Dadri
15	Hissar	..	Hissar, Hansi, Bhiwani, Tohana Faridabad, Sirsa, Dabwali
16	Karnal	..	Karnal, Panipat, Gharaunda, Taraori, Nilokheri, Kurukshetra, Kaithal and Pehowa
17	Sangrur	..	Sangrur, Sunam, Lehragaga, Narwana, Uchana, Jind, Safidon, Dhuri, Malerkotla, Ahmedgarh and Barnala
18	Gurgaon	..	Palwal, Faridabad, Ballabgarh, Rewari, Gurgaon, Sohana, Farrkhnagar, Pataudi, Haily Mandi
19	Gurdaspur	..	Dalhousie, Pathankot, Sujanpur, Narot Jaimal Singh, Dinanagar, Gurdaspur, Dhariwal, Batala, Qadian, Fatehgarh Churian, Dera Baba Nanak, and Sri Hari Govindpur

2. The distribution of Khandsari in rural areas of the State was made through the agency of Co-operative Societies with the Punjab State Co-operative Supply and Marketing Federation as the apex body.

3. The distribution of Khandsari stood regulated till the 8th February, 1965. It was issued to consumers on distribution cards at the following scale :—

Cards holders with two members	..	Two kilos
Card-holders with more than two members	..	Four kilos

The establishments were also allowed suitable quotas of Khandsari according to its availability.

Check on rising prices of foodgrains in the State

***6867. Chaudhri Ran Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the steps taken or proposed to be taken by the Government to check the rising prices of foodgrains in the State;

(b) the special measures, if any, proposed to be adopted to ensure that the prices of foodgrains remain under control during the year 1966?

Shri Ram Kishan : A statement is laid on the table of the House.

[Chief Minister]

Statement

(a) The following steps have been taken or are proposed to be taken to check the rising prices of foodgrains in the State—

(1) The Government of India was prevailed upon to continue the ban on export of wheat and its products from Zone I comprising the States of Punjab, Delhi, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.

(2) The export of gram, maize, jowar and bajra and products thereof, from the State of Punjab, has been banned completely.

(3) The distribution of entire wheat products, manufactured by the roller flour mills in the Punjab is being regulated by the State Government.

(4) Atta and rice at reasonable rates is being made available to consumers through a net work of about 6,000 fair price shops.

(5) The Government of India have been persuaded to agree to maintain sufficient supplies of imported wheat to the roller flour mills in the Punjab.

(6) The Government have acquired wheat stocks from the foodgrains licensees and growers for sale at reasonable prices through fair price shops in the State.

(7) The maximum prices of paddy and rice have been fixed.

(8) The question of fixing maximum wholesale and retail prices of wheat is under the consideration of the Government.

(9) All the wholesale dealers in foodgrains have been licensed and stock returns being submitted by them are invariably scrutinised and watch kept over the stock position.

(10) Anti-smuggling measures have been tightened.

(b) The State Government has tentatively decided to build a reserve of 1.51akhs tonnes of wheat and 10,000 tonnes of rice during the year 1965-66. In order to keep the prices of foodgrains under control during the year 1965-66, wheat/rice from the reserve stocks will be released for distribution to the consumers through fair price shops.

Fair Price Shops

***6869. Chaudhri Ran Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Fair Price Shops opened by the Government district-wise and month-wise in the State after May, 1964 ;

(b) the number of such shops opened in the rural areas, district-wise ?

Shri Ram Kishan : (a) and (b) A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Total number of Fair Price Shops opened in the State (District-wise information as below)—

Name of the District	June, 1964	July, 1964	August, 1964	September 1964	October, 1964	November, 1964	December, 1964	January, 1965	February, 1965	Total
Sangrur	..	..	..	..	..	..	23	193	58	274
Jullundur	..	..	..	..	..	..	45	75	66	186
Patiala	..	..	1	7	5	1	3	9	1	27
Ludhiana	..	..	..	2	1	..	1	194	113	311
Amritsar	1	..	2	49	12	8	9	54	..	135
Hoshiarpur	..	1	..	2	..	19	22	45	..	89
Ferozepore	..	..	1	2	..	2	1	5	6	17
Gurdaspur	..	..	..	..	..	..	12	40	37	89
Dharamsala	550	..	..	..	..	..	..	..	..	550
Kulu	1	..	..	..	5	2	2	6	..	16
Ambala	..	..	..	..	..	..	..	41	46	87
Simla	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4
Karnal	..	..	..	..	..	..	5	..	34	39
Rohtak	..	2	1	214	81	4	10	3	..	315
Gurgaon	..	2	..	44	..	10	16	41	..	113
Hissar	..	..	..	..	2	2	53	155	27	239
Bhatinda	..	..	..	..	1	..	1	17	4	23
Narnaul	..	1	..	..	..	..	..	1	..	2

(b) Total number of Fair Price Shops opened after May, 1964 in the Rural Areas of the State (District-wise).

1. Sangrur .. 254
2. Jullundur .. 111
3. Ludhiana .. 283
4. Patiala .. 22

[Chief Minister]

5.	Amritsar	.. 134
6.	Hoshiarpur	.. 7'
7.	Ferozepore	.. 6
8.	Gurdaspur	.. 86
9.	Dharamsala	.. 550
10.	Kulu	.. 5
11.	Ambala	.. 87
12.	Simla	.. 4
13.	Karnal	.. 39
14.	Rohtak	.. 302
15.	Gurgaon	.. 63
16.	Hissar	.. 229
17.	Bhatinda	.. 22
18.	Narnaul	.. 2
	Total	.. 2,273

Recovery of hoarded Foodgrains in the State

***6999. Principal Rala Ram** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the number of godowns of traders which were raided in the State during the year 1964-65 todate for recovery of hoarded foodgrains and the actual quantity so recovered as a result thereof ;

(b) the details of the measures, if any, taken so far to unearth stocks of foodgrains lying with the landlords, particularly in the surplus areas of the State ?

Shri Ram Kishan : (a) 208 godowns were checked and 3,134-37-606 Quintals of hoarded foodgrains were recovered.

(b) 6,590 quintals of wheat lying surplus with the big zamindars in the district of Ferozepore, Sangrur, Hissar, Bhatinda, Karnal, Ludhiana and Patiala were acquired under the provisions of the Essential Commodities Act, 1955. As a result, arrivals of wheat in the mandis increased and the rates started declining.

Cases registered against Kairon family

***6775. Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of cases registered against the members of Kairon family by the State Government so far ;

(b) Copies of F.I.Rs. of each case be laid on the Table of the House ?

Sardar Darbara Singh : (a) Twenty.

(b) Copies of the F.I.Rs are given to the complainants and also sent to the Ilaqa Magistrates and may be seen with them. They are part of court records.

*Note: Starred question No. 7022 alongwith its answer appear in the appendix to this Debate.

Arrest of Left Communists in the State

***6776. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the number and names of Left Communists recently arrested in the State along with the names of the Jails in which they have been lodged and also the classes in which they are being kept ?

Sardar Darbara Singh : Fifty-four Communists have so far been arrested under Rule 30(1)(b) of the Defence of India Rules, 1962.

A statement giving other requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

Showing the names and other particulars of Communists Left wing detained under rule 30(1) (b) of the Defence of India Rules, 1962 as asked for in Starred Vidhan Sabha Question No. 6776. Notice in respect of which has been given by Com. Shamsher Singh Josh, M.L.A.

Serial No.	Name	Name of the Jail in which lodged	Name of the class awarded
	Hissar		
1	Rachhpal Singh	.. Gurgaon	B
2	Chhattar Singh	.. Rohtak	B
	Rohtak		
3	Mange Ram Vats	.. Hissar	C
4	Raghbir Singh Jhakkar	.. Gurgaon	B
5	Udhe Singh Keshav	.. Ambala	B
	Gurgaon		
6	Gian Singh Pleader	.. Hissar	B
	Karnal		
7	Dharam Singh	.. Ambala	B
	Ambala		
8	Ishar Singh	.. Hissar	C
9	Gurbaksh Singh Dakota	.. Gurgaon	C
10	Mehar Singh Khanpuri	.. Rohtak	C
11	K. R. Palta	.. Hissar	B

[Home and Development Minister]

Serial No.	Name	Name of the Jail in which lodged	Name of the class awarded
	Hoshiarpur		
12	Dr. Bhag Singh ..	Ambala	B
13	Chanan Singh Dhut ..	Rohtak	B
14	Ram Kishan Bharolian ..	Hissar	B
15	Bhag Singh Sajjan ..	Gurgaon	B
	Jullundur		
16	Harkishan Singh Surjeet detained by Kerala State		
17	Kishori Lal Rattan ..	Hissar	B
18	Gurcharan Singh Randhawa ..	Hissar	B
19	Gurbux Singh Atta ..	Ambala	B
20	Dhanpat Rai Nahar ..	Hissar	B
21	Kesar Singh ..	Hissar	B
22	Swaran Singh ..	Gurgaon	
23	Gandharab Sen ..	Ambala	B
	Ludhiana		
24	Rachhpal Singh ..	Hissar	B
25	Bhajan Singh ..	Ambala	C
	Ferozepur		
26	Chanan Singh Brar ..	Gurgaon	under consideration
27	Daya Singh Prem ..	Rohtak	Do
	Amritsar		
28	Dalip Singh Tapiala ..	Rohtak	B
29	Fauja Singh Bhullar ..	Rohtak	B
30	Hazura Singh ..	Hissar	B
31	Hazara Singh Jassar ..	Ambala	B
32	Kartar Singh Gujjapir ..	Hissar	C
33	Makhan Singh Tarsikka ..	Rohtak	B
34	Darshan Singh Jhabal ..	Rohtak	B
	Gurdaspur		
35	Amarmeet Singh ..	Hissar	B
36	Bishan Singh ..	Gurgaon	B
37	Sulakhan Singh ..	Hissar	B

Serial No.	Name	Name of the Jail in which lodged	Name of the class awareded
	Patiala		
38	Prem Chand Bhardwaj	.. Hissar	under consideration
39	Bhim Singh Advocate	.. Gurgaon	Do
	Sangrur		
40	Hardit Singh Bhattal	.. Hissar	B
41	Vidya Dev Longowal	.. Rohtak	C
42	Chanan Singh Ugrahan	.. Ambala	C
43	Janak Singh Bhattal	.. Ambala	C
44	Ganda Singh	.. Ambala	C
45	Satwant Singh	.. Gurgaon	B
46	Harnam Singh Chamak	.. Gurgaon	B
	Bhatinda		
47	Gajjan Singh Tandiana	.. Rohtak	C
48	Karnail Singh Phide	.. Gurgaon	C
49	Ram Singh Haranu	.. Ambala	C
50	Gurnam Singh Sibbiab	.. Ambala	C
51	Balbir Singh Chak	.. Ambala	B
	Mahendargarh		
52	Dharam Singh Kasni	.. Hissar	C
53	Devki Nandan	.. Ambala	C
54	Satya Mandan	.. Rohtak	C

Murder of Shri Ram Rattan, B.A. LL.B., of Talwara Township

***7001 Principal Rala Ram :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the culprits involved in the murder of Shri Ram Rattan, B.A., LL.B. of Talwara Township have been traced, if not, the details of the efforts made by the Police authorities concerned during 1964-65 (to-date) in this connection ;

(b) the names of the Police Officers deputed to investigate the case mentioned in para (a) above ?

Sardar Darbara Singh : (a) No. The case was thoroughly investigated by the various teams of police officers of the district as well as by the Deputy Inspector-General of Police, Jullundur Range, but without success. It was eventually sent up as untraced on 23rd November, 1964.

(b) The requisite list is enclosed.

(b) List of Police Officers who investigated case FIR No. 50, dated 9th December, 1962, u/s302 IPC PS Hajipur, district Hoshiarpur.

(1) Shri G.D. Uppal, D.S.P.

(2) Inspector Raghbir Singh

(3) Inspector Gulzara Singh of CIA Staff.

(4) S.I. Som Nath, SHO Hajipur.

(5) S.I. Avtar Singh.

(6) S.I. Madan Lal.

(7) S.I. Gurcharan Singh.

(8) Inspector Pala Singh.

(9) A.S.I. Siri Ram.

(10) A.S.I. Janki Parshad.

(11) A.S.I Bhagat Ram.

(12) S.I. Raghbir Singh.

(The Deputy Inspector-General of Police, Jullundur Range, and the Supdt. of Police, Hoshiarpur also looked into the investigation, besides the officers mentioned above.)

Challan of Tractors

***7413. Sardar Trilochan Singh Riasti :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether Government have received any representations from the tractor holders in the State regarding their tractors being challaned even when those are in use by the owners for their own purposes ;

(b) if so, the details of the action taken or proposed to be taken thereon ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. Two such complaints were received from the Tractor owners in Bhatinda District.

(b) The cases were cancelled after due verification. The Police Officer at fault was warned for not verifying true facts before challaning the cases.

Veterinary Dispensaries

***6769. Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of Veterinary dispensaries proposed to be opened by Government in the State during the year 1965-66 ;

(b) the number of dispensaries referred to in part (a) above which have been allocated to the hilly areas ;

(c) the number of such dispensaries to be opened in Una Tehsil during the said period ;

(d) whether the Hill Area Organisations have submitted to the Government any proposals for opening such dispensaries if so, the action taken or proposed to be taken thereon ?

Sardar Darbara Singh : (a) Nine.

(b) and (c) None.

(d) Yes. The fourteen dispensaries contemplated to be established during the Third Five-Year Plan in the Hilly Areas have since been opened. Therefore, no more dispensary can be established during the current Plan period.

Gagret Co-operative Resin Factory in Hoshiarpur District

*6885. **Pandit Mohan Lal Datta :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the Gagret Co-operative Resin Factory in district Hoshiarpur has been taken over by the Government, if so, when and on what conditions ;

(b) whether the management of the Factory mentioned in part (a) has requested the Government to take up the assets and liabilities of the Society as they are ;

(c) the share money contributed by the members of the said society and the manner in which the share money will be paid by the Government ?

Shri Ram Kishan (Chief Minister) : (a) No Sir ; the proposal is under consideration.

(b) Yes.

(c) (i) Rs 1,83,955.00.

(ii) This point is under consideration.

Stoppage of Sugar Quota for Children born after 1961 Census

*6908. **Comrade Babu Singh Master :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Co-operative Department authorities of Patiala Division who arrange the distribution ot sugar in villages have recently stopped the sugar quota for children born after the 1961 census was taken ; if so, the reasons therefor ;

(b) whether it is also a fact that several Co-operative Societies in the rural areas of the said Division have protested against the said stoppage ; if so, the steps proposed to be taken in the matter ?

Sardar Darbara Singh : (a) No.

(b) Question does not arise.

Co-operative Societies under Beas Dam Project

*7008. **Principal Rala Ram :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of Co-operative Societies started in the Beas Dam Project ;

(b) the number ot the said Societies (i) functioning satisfactorily ; (ii) experienceing financial difficulties and (iii) which have collapsed ;

(c) the steps taken by the Co-operative Department to prevent the breakdown of these Co-operative Societies of oustees ?

Sardar Darbara Singh : (a) Sixty-eight.

(b) (i) Thirty-four.

(ii) Eleven.

(iii) Twenty-three.

(c) The following steps have been taken to prevent the break-down of Societies :—

(i) Effective supervision ;
(ii) Loan facilities from the Central Co-operative Banks;
(iii) Preparation of various schemes to be financed by the Beas Dam Administration;
(iv) Patronisation of Co-operatives by the Project authorities;
(v) Liquidation of defunct Societies ; and
(vi) Financial assistance from the All-India Khadi Board and Block Funds.

Raids made on Cinemas and Big Factories at Sonepat, district Rohtak

***6907. Comrade Babu Singh Master :** Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state—

(a) the names of the cinemas and big factories raided recently at Sonepat, district Rohtak, to detect evasion of sales tax ;
(b) whether any evasion was detected as a result of the said raids; if so, the names of evaders and the details of action, if any, taken against them ?

Sardar Kapoor Singh : (a) Minerva Talkies and Sarang Talkies were checked by surprise. No big factory was raided.

(b) No evasion of tax was detected.

Raids made in Ludhiana to detect cases of Salex Tax evasion

***6806. Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Minister for Finance and Planning be pleased to state—

(a) the number of raids conducted in Ludhiana during the months of December, 1964, and January, 1965, in connection with the Sales Tax evasions ;
(b) the number of raids which proved to be successful and the amount of evasion detected in these cases ?

Sardar Kapoor Singh : (a) 223.

(b) 1st part —147

2nd part Rs—11,73,820.00

PRESENTATION OF THE BUDGET FOR THE YEAR 1965-66

Finance Minister (Sardar Kapoor Singh) : Mr. Speaker, Sir, I rise to present the Budget Estimates for the year 1965-66.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੀਜਨਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ।

Mr. Speaker : All the three languages can be used in this House. I cannot compel any hon. member or minister to speak in a particular language.

(*Noise*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲੀ ਏਥੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Voices from the Opposition : Here. Here.

Mr. Speaker : The hon. Member Sardar Gurnam Singh should please resume his seat. I did not expect that he would make such an observation.

He would recall that he himself spoke in English while paying tributes to the late Sardar Partap Singh Kairon. I would further like to mention for the information of the hon. members that the necessary ordinance has been promulgated. Therefore, English can be spoken in this House.

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਸਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ।

(*Noise*)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आप ने कहा है कि आर्डीनेंस जारी हो चुका है। जब वह आएगा तो वुई विल अपोज़ दैट। हमें तो आर्डीनेंस की स्पिरिट को देखना चाहिए। अंग्रेजी वहां पर रखी गई है जहां पर सुनने वाले सिवाए अंग्रेजी के और कुछ समझ नहीं सकते और या सुनाने वाले अंग्रेजी के इलावा और कोई ज़बान बोल नहीं सकते। लेकिन यहां पर 90 प्रति शत लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते दूसरी तरफ हिन्दी या पंजाबी में अच्छी तरह वजीर साहिब पढ़ भी सकते हैं। अगर इस के बावजूद भी आप यहां पर अंग्रेजी ठोंसेंगे तो आपोजीशन वाले उस चीज को बरदाश्त नहीं करेंगे।

Mr. Speaker : How can a Minister be debarred from speaking English when other members like Chaudhri Hardwari Lal and Sardar Gurnam Singh spoke in English while paying tributes to Late Sardar Partap Singh Kairon.

मुख्य मन्त्री : पंजाब का जो लैंगुइज एक्ट है उस में एक धारा यह भी है कि जहां तक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्ज का ताल्लुक है वहां इंग्लिश इसतेमाल होगीं।

(*Voices of shame shame from the Opposition Benches*)

(*At this stage the Finance Minister stood up to read the budget speech*)

(*Noise, loud noise*)

श्री यश पाल : स्पीकर साहिब, मैं मुख्य मंत्री साहिब से एग्री करता हूं; अभी तक कानूनी तौर पर इजाजत है कि कोई जिस भाषा में चाहे बोल सके और आप का कहना भी वाजिब है कि जब लीडर आफ दी आपोजीशन अंग्रेजी बोल सकते हैं तो मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं गुज़ारिश करूंगा कि इस हाउस के मेम्बरान

[श्री यश पाल]

की खाहिश का एहतराम करते हुए अगर वित्त मंत्री साहिब इस स्पीच को हिन्दी में या पंजाबी में पढ़ दें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ. ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਟਰੀ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਜ ਤਕ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। (*Noise, no, no*)

Mr. Speaker : The Finance Minister may please proceed with his budget speech.

Finance Minister : Sir, I rise............

Voices from Opposition : No English, no English please......

(*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹੋ......(ਸ਼ੋਰ)...... ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਿਆ ਹੈ ਜੋ..... ...... (ਸ਼ੋਰ).................................. you have been thrusted upon us.

(*Loud noise and voices of shame, shame.*)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मेरा एक व्यवस्था प्रश्न है ...... (शोर)

WALK-OUT

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .... (ਸ਼ੋਰ)

(*At this stage all the Members of the Jan Sangh Group, Communist Group and the Akali Group except Sardar Gurnam Singh, Sardar Gurcharan Singh and Sardar Shamsher Singh staged a walk-out.*)

Presentation of the Budget for the year 1965-66 (Resumption)

Finance Minister : Mr. Speaker, Sir, I rise to present the Budget Estimates for the year 1965-66.

Economic Situation

2. Before dealing with the details of the Budget, I may place before the Honourable Members some important aspects of the economic situation in the State.

The year 1964-65 was a period of economic stress and strain. The continuously rising trend in prices took a somewhat disturbing turn during the latter half of the year. Taking 1952-53 as the base year, the index number

for the first eleven months of the year 1964, stood at 147.5 as against 132.5 during the last year. Even the fluctuations were within wider limits as compared to the previous year. It touched 158.6 in the month of September from 136.3 in the month of January, 1964. The significant rise in prices was mostly in respect of agricultural commodities whose wholesale price index averaged to 166 for 1964 as against 122 for 1963, thus indicating a rise by 44 points. As a consequence, the working class consumers price index number compiled for 11 industrial towns in the State, also showed an upward trend from 128.4 for 1963 to 146 for 1964 ; thus indicating a rise by 13.7 per cent.

To an extent, rise in price level is inherent in the process of economic development with greater emphasis on the heavy basic capital goods industries. In the initial years of economic development the supply of consumer goods cannot be matched with increasing demand as a resut of incomes generated in the capital goods sector.A part of the rise in price level is, therefore, explained by the rapid process of economic development and capital formation for building the socio-economic overheads. Besides developmental investment, a sizable step-up in outlay on defence and rapid growth of population also contributed to the upward pressure on the demand for consumer goods.

The abnormal rise in price level during the current year is also due to the lesser growth rate of production of foodgrains than anticipated. The area under food crops decreased as there was a preference for cash crops on account of their better return. The market psychology and hoarding by anti-social elements, motivated by an urge for unearned profits, also aggravated the situation and exerted an upward pressure on the price level. The Government kept a constant watch over the price situation and its effects on all sections of the community and more particularly on the vulnerable sections. Various measures were taken both by the Union as well as the State Government with a view to arrest the rise in the prices of foodgrains and other necessities of life. The most important measures announced by the Union Government were the fixation of maximum consumer prices for wheat and rice in all the States and the decision to constitute a Foodgrains Trading Corporation to deal in these two commodities. The State Government particularly insisted upon adherence to the zonal system so that the scarcity areas may be isolated and their demands met on Government-to-Government basis. Arrangements were made for procuring large quantities of imported wheat and the sale of mill-made 'atta' through a network of 6,021 fair price shops scattered all over the State, out of which nearly half the number is in rural areas. The export of gram and coarse foodgrains was banned from the State with a view to augment the supplies of these two commodities. These measures helped in arresting further rise in prices.

The question of agricutural prices is a complicated one. On the one hand, the interest of the consumer is to be safeguarded and, on the other, incentives have to be provided to the farmer for increasing the production of agricultural commodities. Moreover, the price structure of agricultural commodities is to be made such as to ensure adequate production of all types of crops, both foodgrains and cash. To fix the ceiling as well as the floor prices of agricultural commodities, the first requirement is to have an idea of the comparative cost of production of various types of crops. It is in this context that the State Government appointed a Committee under the Chairmanship of Sardar Ujjal Singh, ex-Finance Minister, Punjab, to prepare estimates of the cost of production of major foodgrain crops so that a

[Finance Minister]

suitable policy with regard to their prices may be evolved both to the satisfaction of farmers and consumers. The report of the Committee is likely to be available shortly.

As already indicated, the production of foodgrains did not keep pace with the targets. The production in 1963-64, according to the latest figures, was 59.97 lakh tons whereas the target fixed was 69.70 lakh tons. The greatest decrease occurred in the production of gram which declined by 3.78 lakh tons from 14.77 lakh tons in 1962-63, largely on account of weather factors. While the production of paddy increased from 6.96 lakh tons to 7.94 lakh tons, the pruduction of wheat registered a marginal increase from 26.52 lakh to 27.89 lakh tons. The increase in foodgrains was, however, marked in the production of maize from 5.27 lakh tonto 7.98 lakh tons, representing an increase of 50 per cent. The production of commercial crops, however, registered an all-round increase and thus helped in raising the overall index of agricultural production from 170.7 in 1962-63 to 179.5 in 1963-64. Production of cotton increased from 9.36 lakh bales to 11.65 lakh bales and that of sugar-cane (Gur) from 7.90 lakh tons to 8.79 lakh tons.

The industrial production also showed a satisfactory trend during the year 1964-65.

Fourth Finance Commission

3. Another point to which I would like to draw the attention of the Honourable Members is the question of Union-State relationship in financial matters. The Fourth Finance Commission is now busy in assessing the financial requirements of the States on revenue account during the Fourth Plan period. After assessing the fiscal gap on revenue account, the Commission would recommend the devolution of resources from the Union to the States both on account of shared taxes and the grant-in-aid under Articles 280 and 275 (i) of the Constitution. The State Government in its memorandum to the Commission has represented that an inadequacy of resources has developed in States because of increasing level of committed expenditure on the completion of successive Plans as also of heavy liability on account of servicing and repaying of debt. The dependence of the State Governments on the Union Government for financing their developmental Plans is increasing year after year, primarily because of the comparatively inelastic nature of the tax resources at their disposal and continuously rising expenditure on social services, such as, Education, Medical and Health which are expanding at a very fast rate.

The total outstanding debt of the State Government, raised for financing the Five-Year Plans, has increased from Rs 78.37 crores in 1952 to Rs 359.60 crores in 1964. In the Fourth Plan period, the State Government would be required to pay a sum of Rs 82 crores on account of principal and Rs 26 crores on account of interest for the loans obtained for the Bhakra-Nangal Project alone. It has, therefore, been suggested to the Fourth Finance Commission that the revenue base of the State should be strengthened by ample devolution of the receipts of income-tax and Union excise duties. The Commission has also been requested to recommend adequate grant-in-aid for our State as we have to incur huge expenditure on flood control and anti-waterlogging measures, Border Police and maintenance of roads, which are our special problems.

Financial Position

1963-64

4. Now coming to the discussion of the financial posititon of the State it is observed that the Accounts for the year 1963-64 have disclosed an improvement of Rs 63 lakhs in the overall balances as compared with the Revised Estimates of that year.

As a result of this improvement the opening balance for the year 1964-65 increased to Rs 426 lakhs as against Rs 363 lakhs estimated at the time of framing the Budget. The closing balance in the Budget Estimates, 1964-65, was expected to be Rs 342 lakhs, but the Revised Estimates now disclose that the year would end with a cash balance of Rs 20 lakhs in addititon to the securities worth Rs 842 lakhs as against Rs 682 lakhs held during 1963-64. There would thus be a depletion of Rs 322 lakhs with an addition of Rs 160 lakhs in securities in cash balances.

1964-65

This depletion would have been covered and the Budget would have turned into a surplus, if contemplated loan of Rs 400 lakhs had been floated, as assumed in the Budget for 1964-65. This is mainly due to larger expenditure incurred on —

Flood Control, Drainage and Anti-waterlogging Schemes (Rs 330 lakhs) ;

Construction of roads, grant of taccavi loans and various relief measures undertaken in flood-affected areas (Rs 314 lakhs) ;

Outstanding liability (which we were required to pay last year and which we have to pay this year) on account of the purchase of imported wheat sale-proceeds from which had been appropriated during the previos year (Rs 406 lakhs) ;

Storage of rice to meet shortage of foodgrains (Rs 49 lakhs) ;

Loans advanced to Harijans for the purchase of evacuee lands (Rs 203 lakhs) ;

Road Transport to meet the high cost of oils, lubricants, etc. (Rs 72 lakhs) ;

Post-Graduate Institute of Medical Research and Education (Rs 65 lakhs) ;

Promotion of education amongst educationally backward classes, improvement of secondary education, grant-in-aid to the Kurukshetra University and award of merit scholarships to the students in Public/Sainik Schools (Rs 46 lakhs) ; and Purchase of improved seeds and grant to Punjab Agricultural University (Rs 47 lakhs).

Besides, the State Government did not go in for market borrowing as already stated of Rs 400 lakhs as originally visualised.

The gap of Rs 19,32 lakhs thus caused has been met by mopping up revenue receipts (Rs 955 lakhs) , effecting economy in expenditure (Rs 350 lakhs) besides larger credits accruing from other Accounts (Rs 305 lakhs).

Even with this heavy additional expenditure, there is a depletion of only Rs 322 lakhs in the overall balances which also would not have occurred if the contemplated loan of Rs 400 lakhs had been floated. In fact, if this budgetary assumption had been fulfilled, we would have closed with a surplus.

The Budget proposals for the year 1965-66 disclose an overall deficit of Rs 350 lakhs as a result of the following transactions:—

1965-66

(In lakhs of rupees)

		Income	*Expenditure)*
(1) Opening Balance	..	20	..
(2) Revenue Account	..	1,29, 65	1,27,33

[Finance Minister]

		Income (In lakhs of Rupees)	
		Income	Expenditure
(3) Capital Expenditure (Net)	..	..	21,76
(4) Loans and Advances	..	11,84	36,40
(5) Public Debt	..	1,05,88	73,33
(6) Contingency Fund	..	..	..
(7) Unfunded Debt (Net)	..	1,27	..
(8) Deposits and Advances (Net)	..	10,52	..
(9) Remittances (Net)	..	..	4,04
Total	..	2,59,36	2,62,86
Deficit	..	..	—3,50

The Revenue Account gives a surplus of Rs 232 lakhs, Revenue Receipts having been estimated at Rs 1,29,65 lakhs and Revenue Expenditure at Rs 1,27,33 lakhs. The Capital Expenditure is, however, estimated at Rs21,76 lakhs, besides the Loans and Advances and Remittance transactions involving an expenditure of Rs 28,60 lakhs (Net). These will be financial from (a) surplus from Revenue Account (Rs 232 lakhs), (b) loans to be received from the Government of India and other sources (Rs 32,55 lakhs) (Net) and (c) Deposits and Unfunded Debt (Rs 11,79 lakhs) (Net) beside the credit in the Opening Balance (Rs 20 lakhs), thus leaving a gap of Rs 350 lakhs. This is mainly due to addititonal liability accruing from the benefits given to Government employees (*Thumping.*)

For detailed information in regard to the transactions under various Heads of Accounts during the years 1963-64, 1964-65 and 1965-66, Honourable Members are requested to refer to Finance Secretary's Memorandum on the Budget.

Third Plan

5. Against the Third Plan outlay of Rs 231 crores (round), expenditure to the extent of Rs 123 crores has been incurred during the first three years of the Plan. For 1964-65, the Plan expenditure is anticipated to be Rs 61 crores. Thus, the Plan expenditure would be of the order of Rs 184 crores, up to 1964-65, leaving a balance of Rs 47 crores only for the last year of the Plan. Compared with the provision of Rs 61 crores for 1964-65, an outlay of Rs 47 crores was considered to be inadequate in the light of the tempo of our developmental activities in the previous years. It has been, therefore, decided to fix the Plan outlay for 1965-66 at Rs 62 crores, includ ing the provision of Rs 2 crores for accelerated programme of flood control and anti-waterlogging. Thus the Third Plan stands increased from Rs 231 crores to Rs 246 crores (*Thumping*) out of which the Government of India will provide Rs 133 crores, leaving a balance of Rs 113 crores to be provided by the State Government against the original forecast of Rs 100 crores. The ensuing year which is the last of the Third Plan would, therefore, be a period of intense activity aimed at fulfilling the Plan targets and at purposeful advance action in the preparation of the Fourth Plan.

Fourth Plan

6. The preliminary draft outline of the Fourth Plan has been prepared. The aggregate outlay proposed at present is Rs 500 crores as against the current Plan outlay of Rs 231 crores. (*Thumping*) A more precise view in regard to the size of the Plan will be possible when the position becomes clear as regards (i) the availability of the State resources and (ii) the quantum of assistance to be provided by the Centre. The question of arriving at a suitable arrangement

for waiving or deferring the repayment of Bhakra-Nangal loan has also to be considered carefully. The payment under this head alone is of the order of Rs 82 crores during the Fourth Plan period, which involves a very heavy liability.

The main objectives for the State Fourth Plan are (a) rapid increase in agrieutural production, (b) diversification of the State economy with orientation towards industrial expansion, (c) creation of additional employment opportunities by expanding the programmes of technical education and craftsman training, and (d) improvement in the socio-economic conditions of backward classes and backward areas.

It is proposed to give top-prioirty to power generation as both agricultural production and industrial development are dependent upon its availability. Large outlays are also proposed for (a) agricultural credit and supplies, (b) family planning and (c) technical education. The rate of increase in population in the Punjab has been the highest in the country and must be controlled. Ohterwise, whatever increase is effected in agricultural production will be set at naught by the increase in population.

Special Features

7. The activities of the various Departments have been published in the booklet ' Punjab on the March' . These were also dealt with in the Governor's address. It is, therefore, not necessary for me to go into their details here and I will mention only some of the salient features of the activities and projected programmes and policies.

8. The requirements of agriculture by way of materials, skills and finance have an important claim on available resources. Against Rs 873 lakhs provided for Agricultural Production for the Third Plan, the actual expenditure is anticipated to be of the order of Rs 10,70 lakhs (*Thumping*). The expenditure on Minor Irrigation will similarly exceed the provision of Rs 848 lakhs and bring under irrigation an area of 3.14 lakh acres, resulting in a production potential of 58 thousand tons of foodgrains. Besides, 1.64 lakh acres more are likely to be brought under irrigation under major/medium schemes in 1965-66. During the last two years of the Plan, the State aims at increasing the food production by 18 per cent (*Thumping*) over the figures pertaining to the year 1963-64. It is not a question of increase on paper. This is what the Government means to increase. To ensure achievement of this object, Government have also taken various steps to provide incentives to the tillers of the soil, important amongst these being—

Agricultural Production

(a) Diesel-driven engines for pumping sets/tube-wells will be subsidised to the extent of 25 per cent (*Thumping*) of the cost subject to a maximum of Rs 750 for promoting irrigation in non-electrified areas.

(b) In orderto popularise the use of pesticides, subsidy has been raised from 25 per cent to 50 per cent (*Thumping*.)

(c) Provi ision has been made for loans for the purchase of wheat threshers for which a subsidy of 25 per cent of the cost of threshers subject to a maximum of Rs 150 per thresher will be given (*Thumping*.)

[Finance Minister]

(d) Instructions have been issued to give priority to agricultural needs in the distribution of cement and G.I. sheets. (*Thumping.*)

(e) In addition to 25 per cent subsidy being given on the sale of phosphatic fertilizers, a similar subsidy has been sanctioned in the case of potassic fertilizers (*Thumping.*)

(f) Electricity Duty in respect of the energy consumed by tube-wells and pumping sets used for agricultural operations has been abolished (*Thumping.*)

(g) Prizes will be given to farmers, who achieve the highest yields in wheat at Samiti, Zila Parishad and State levels. An Escorts tractor will be given as a prize to the farmer obtaining the highest yield in the State (*Thumping.*)

(h) In order to minimise farming risks and to protect the producer against a fall in prices, minimum prices have been fixed, thus ensuring to the cultivator an economic return and providing him with an incentive to make agriculture more efficient and productive (*Thumping.*)

(i) To enable the farmers to look after their farms, necessary facilities will be provided for constructing houses on their farms (*Thumping.*)

These measures have already proved effective as is evident from an increase of 15 per cent in the production of rice during the current year. (*Thumping.*) The prospects of rabi crop are similarly very bright.

Considering the value of soil conservation, an extensive programme has now been formulated to cover an area of 60,000 acres during 1965-66. Under the Reclamation Scheme, an area of 1.71 lakhs acres of culturable waste lands has been made available for cultivation. To give a further push to this programme, it has now been decided to establish a Land Development and Seed Corporation (*Thumping* .) A sum of Rs 80 lakhs is being provided for the purpose in the next year's budget. The scheme has been designed to secure reclamation of vast blocks of waste lands lying in the bed of the River Sutlej and to utilise them for production and distribution of pedigree seed.

The seed programme aims at providing annually 1/5th of the total requirements of seeds of major crops in the State by the year 1969-70. 6.30 lakh maunds of seed are proposed to be distributed in 1965-66. Besides quantitative expansion, emphasis is also being laid on the improvement of quality. The provision for procurement of seed made for 1965-66 is Rs 104 lakhs against Rs 64 lakhs during 1964-65 (*Thumping.*) In order to improve the quality of foundation seed, it is further proposed to replace tenants on all 50-acre seed Farms by direct cultivation (*Thumping.*)

With a view to promote agricultural engineering and other industries for the manufacture of implements connected with the processing of agricultural produce, Government has decided to set up an Agro-Industrial Corporation with an initial capital of Rs 200 lakhs (*Thumping.*) Its activities will also extend to the manufacture and supply of fertilizers, insecticides, etc. Encouragement is also being given for the manufacture of insecticides in the private sector. Government is also considering the setting up of three Mobile Workshops for the repair of tractors in order to obviate the difficulties experienced by the farmers for want of adequate repair facilities (*Thumping.*)

To promote its use among the farmers, fertilizers are being subsidised as well as given on taccavi basis. The use of the fertilizers, which was of the order of 40,000 tons in 1960-61, has reached the level of 3 lakhs tons during 1964-65 and it is hoped that their consumption will go up to 4 lakh tons during the next year (*Thumping.*)

To help the cultivators in minimising loss to crops on account of attacks of pests and diseases, a plant protection organisation has been set up. Pesticides are supplied to the farmers on subsidised rates and 500 power sprayers are being imported for supply to farmers at cost price. (*Thumping*) The importance of plant protection has increased with the launching of package programme of different crops. For this purpose a provision of Rs 60 lakhs has been made in the next financial year. Arrangements for compulsory aerial spraying of cotton are being made and a sum of Rs 1.50 lakhs has been provided under the package programme of cotton for the year 1965-66 on this account (*Thumping.*)

For the development of horticulture, a chain of progeny orchards and nurseries is being established to make available fruit plants to the growers. In the hill areas where horticulture has great potential, loans are being advanced at the rate of Rs 500 per acre for planting new orchards in addition to a subsidy of 50 per cent on the cost of fruit plants (*Thumping.*), 75 per cent on implements, 50 per cent on insecticides and 25 per cent on fertilizers and improved seeds (*Thumping.*) In the Parvati Valley in Kulu district and in Simla district, interest-free loans are given for five years to farmers who change over from agriculture to horticulture (*Thumping.*) These special projects are expected to bring an area of over 800 acres annually under fruits. By the end of 1965-66, an area of about 10,000 acres will have been brought under horticulture (*Thumping.*)

To exploit potential for quick production, package programmes of rice, cotton, wheat, groundnut, maize and sugarcane have been launched in selected parts of the State.

Intensive cultivation of rice was undertaken in 22 blocks during 1964-65 and will be extended to 30 blocks during 1965-66. As a result of these activities, it is estimated that 15 per cent more production of rice will be obtained this year as compared to last year. During 1965-66, an increase of 7.6 lakh tons is anticipated.

Intensive cultivation of cotton was undertaken in 25 blocks. This will be extended to 30 blocks covering 5 lakh acres during the next year, when the production of cotton is expected to go up to 12 lakhs bales.

The package programme of wheat has been launched in 58 blocks this year. This will be extended to 81 blocks in 1965-66 covering an area of 844,000 acres. It is estimated that the present production of wheat (about 27 lakh tons) will be raised to about 32 lakh tons during the next year.

Intensive cultivation of groundnut was undertaken over an area of 60,000 acres in 5 selected blocks. In addition, about one lakh acres are being covered under the Intensive Agriculture Development Programme. This programme will be further extended to cover 9 more blocks.

Hybrid maize offers great potential in increasing agricultural production and it is proposed to undertake this work in 4 blocks to cover an area of 19,000 acres during 1965-66.

Sugarcane is an important cash crop which plays a vital role in the agricultural economy of the State. It is proposed to distribute 950 lakh maunds of sugarcane seed during 1965-66. Adequate funds to subsidize the cost of transport and supply of insecticides and pesticides have been provided.

[Finance Minister]

It has been decided to go ahead with the establishment of a Co-operative Sugar Mill at Nawanshahr.

A sum of Rs one crore has been given to the Punjab State Electricity Board for engergising tube-wells. Together with the funds already set apart by the State Electricity Board, 5,000 tube-wells are expected to be given electric connections by the end of current year. (*Thumping*).

Agricultural Research and Education programmes are being implemented by the Punjab Agricultural University. During 1965-66 it will receive a grant of Rs 195 lakhs. The University is at present engaged on evolving new agricultural techniques, better variety of crops, new agricultural machinery and improved tools. Already it has evolved and released a new variety of wheat C-306, which will replace the common wheat variety C-273, giving an additional yield of 15 to 20 per cent. A significant achievement in research is the evolution of a new high-yielding bristle variety of Bajra C-530. Experiments on short stem Mexican Dwarf varieties of wheat, which may stand higher dosage of fertilisers, are also expected to yield significant results. The University is also maintaining three Soil Testing Laboratories and the analysis of soil samples sent tothe laboratories provides useful information regarding appropriate farm practices.

Apart from Farm Advisory Service, the University has also promoted Extension Education amongst the farmers by arranging their group discussions at the block and district level and also at the Campus on the Japanese pattern. As a result of the work being done at the University it is expected that the State Government will be getting valuable aid for acceleration of agricultural production programme in the State.

The University proposes to extend its activities further during the ensuing year by setting up Agricultural Engineering and Home Science Colleges.

Irrigation and Power

9. Irrigation continued to occupy a place of pride in our development schemes. Amongst the major achievements of the year was the completion of Rajasthan Feeder. The storage level of Gobind Sagar has recently been increased from R.L. 1640 to R.L. 1660 and is expected to go up to R.L. 1680 next year. The area irrigated during the current year showed an increase of 330,000 acres over the area in the previous year (*Thumping*). The improved results were to a large extent due to special efforts made for developing irrigation. Some Kharif channels were also run during the winter months. Government are proposing an amendment of the Northern India Canal and Drainage Act to remove the difficulties being experienced by the cultivators. A Committee headed by a Chief Engineer has also been set up to suggest measures for rationalisation of the use of irrigation supplies with particular reference to suitability of various crop patterns. The Beas Project for which a provision of the order of Rs 17,87 lakhs has been made in the next year's budget is making satisfactory progress and already, out of five Beas Dam Diversion Tunnels, two have been excavated.

As a result of the execution of various major and medium irrigation schemes, potential to the extent of 37.82 lakh acres is expected to be created by the end of 1964-65. Lift irrig ation Schemes have been designed for execution in the arid tracts of Rewari and Dadri where no other means of irrigation seem to be possible. (*Thumping*).

Punjab stands foremost in the field of generation of Hydro-electric energy as compared to other States. In the year 1964-65, 3,100 million units were generated thereby raising the *per captia* consumption per annum

to 109 units, against the country's average of 37.02 units. The Punjab State Electricity Board is taking keen interest in Rural Electrification with a target of 1,000 villages every year. The Third Plan had envisaged a target of 1,600 villages which was exceeded in the first two years of the Plan. The achievement in this field so far is about 23 per cent which compared favourably with the All-India figure of 8 per cent. Government have decided to give a high priority for energising tube-wells in areas which are not commanded by canals in the interest of developing agriculture. It is also proposed to rationalise their recovery of such charges including line rentals for agricultural connections.

During the year 1964-65 the Hydel Administration has investigated and prepared Project Report in respect of Thein Dam which is a Multipurpose Scheme. (*Thumping*). This scheme when sanctioned, will create irrigation potential of 8.61 lakh acres and increase the power generation from 55 MW to 123 MW. (*Thumping*). Other important schemes on which investigation has since been completed are W.J.C. Hydro Electric Scheme and Mukerian Hydel Project.

Flood Control

10. On account of the menace of waterlogging and floods which has become a recurring feature, flood control and drainage works have assumed a great importance in the scheme of development of our State. The expenditure so far incurred on these schemes amounts to Rs 28.59 crores against the Plan provision of Rs 15 crores. (*Cheers*) Negotiations have been undertaken with the World Bank Team to secure their assistance for technical know-how and equipment for the implementation of this programme. The works already executed have started yielding results. In the catchment area of the Pilot Section Drains already excavated, waterlogging has been arrested over an area of about 60 lakh acres.

There has been a persistent demand for the provision of bridges on village roads which are crossed by drains. To remove the difficulty of villagers in crossing such drains, provision has been made for building village road bridges on drains and channels where the existing distance between the bridges is too large (*Cheers*).

Dairying and Milk Supply

11. To improve the supply of milk and milk products, seven collecting-cum-chilling centres have been set up. Besides, there are three milk plants functioning at Amritsar, Chandigarh and Hissar. For the maintenance and upkeep of quality animals, a legislative measure is being enacted to restrict their export from the State. Loans and subsidies are also advanced to the selected breeders and to the milk producers societies for the purchase of quality animals. It is also proposed to provide cattle feed at subsidised rates to cattle breeders who supply milk to the Milk Plants. For this purpose, it is proposed to set up a Cattle Feed Factory with the assistance of the CARE who have undertaken to supply feedgrains worth about Rs 250 lakhs (*Cheers*). A provision of Rs 15 lakhs has been made in 1965-66 for meeting the expenses on transportation, milling, processing, etc. of the feedgrains.

The Government of India have sanctioned Rs 79.27 lakhs for the establishment of three Intensive Cattle Development Blocks in the milk-shed areas of the State. Under the scheme for Re-organisation of the Government Livestock Farm, Hissar, 750 recorded bulls will be produced annually when the programme is fully implemented. In addition to the area already under cultivation, another 2,000 acres will be reclaimed during 1965-66 and brought under mechanised cultivation to ensure adequate feed for selected herds for stall feeding.

[Finance Minister]

12. Punjab has made good progress in the development of industry in the small-scale sector. The State is, however, lagging behind in the matter of establishment of heavy industrial units. For the purpose of sustenance of smaller units it is necessary to have a strong base of heavy industry. Attention has, therefore, been paid to both small-scale and heavy industry.

Industrial Development

At the end of the Second Plan, there were 3,866 registered factories, the number of which is expected to rise to 5,200 by the end of the Third Plan. (*Cheers*). The total value of annual industrial output at the end of the Second Plan was of the level of Rs 123 crores. This is likely to rise to Rs 180 crores by the end of te Third Plan and to Rs 285 crores by the end of Fourth Plan. (*Cheers*). The total employment in industrial sector at the end of the Second Plan was 1.25 lakhs which is expected to rise to 2 lakhs by the end of Third Plan. The total investment in industry at the end of Second Plan was of the order of Rs 82 crores which is likely to rise to Rs 120 crores by the end of the Third Plan (*Cheers*).

There has been considerable development in important sectors of industries. The hon. Members will be surprised to know that the production of cotton textiles increased from '08 lakh yards in 1962-63 to 832 lakh yards in 1963-64 ; sugar from 61,718 tons to 67,958 tons ; cycles from 4,39,172 to 5,47,382 ; sewing machines from 76,656 to 84,246 ; agricultural implements and machine tools from Rs 969 lakhs to Rs 13,28 lakhs ; paper from 38,700 tons to 39,738 tons ; cement from 6,12,558 tons to 6,34,603 tons and antibiotics from Rs 109.84 lakhs to Rs 149.68 lakhs.

The various programmes of development of small-scale industry have so far proved of great use and it is intended to further intensify them. The main activities in this respect are establishment of Quality Marking Organisation, Common Facility Centres, setting up of Industrial Estates, both urban and rural, and provision of credit facilities to small-scale industries.

So far 35 Estates both in urban and rural areas have been set up and for the coming year, the programme is to set up 25 Estates at a cost of Rs 50.80 lakhs. It is proposed to set up a new Industrial Area covering about one thousand acres in the vicinity of Ludhiana. This programme will be further expanded during the Fourth Plan at a cost of Rs 2.32 crores. For loans to small industries, a provision of Rs 2 crores was made for the Third Plan out of which in the coming year a provision of Rs 50 lakhs has been made.

The small-scale industry in the State was handicapped on account of the non-availability of modern designs, drawings and blue prints for production works and specifications of the correct raw materials to be used for standardised production. To overcome this difficulty, a Central Design organisation at a total cost of approximately Rs 70 lakhs is going to be set up with the help of international organisations, like UNESCO. A provision of Rs 6 lakhs has been made during the next year to start implementation of this project.

Other measures taken for the development of small industries are establishment of Small Industries Corporation, Export Promotion Corporation and a Poultry Corporation. The Poultry Corporation was set up only in November, 1964. In order to give impetus to Poultry Farming, the Government has decided to exempt the Poultry feed from the Sales tax. The Small Industri s Corporation has rendered service 'o the industry by arranging bulk supply of scarce raw materials. It is now proposed to expand its activities to include the supply of machinery on hire-purchase basis.

The Export Promotion Corporation is already promoting manufacture and Export of soil pipes and light engineering goods such as cycles and cycle parts. It has also explored possibilities of export of handicrafts and handloom products of various types by participating in the International Industries Fair in New York as well as by deputing Foreign Sales Officers to various countries.

The Punjab Finance Corporation continued to afford credit facilities for the development of industries. The total loans sanctioned so far aggregate Re 11.35 crores with a net outstanding on 31st December, 1964 of Rs 5.26 crores. A recent review shows that the expense ratio in respect of loans sanctioned and disbursed by this Corporation compares very favourably with an advanced State like Maharashtra. The total of loans sanctioned and disbursed so far by this Corporation is the second highest in the country and very near to the highest of Maharashtra.

As already mentioned, it is very necessary to develop heavy and large industry and the Government is laying great stress on their rapid promotion. The programme of development of heavy industries to be followed henceforth would be two-fold, namely, establishment of projects in the public sector and provision of incentives and encouragement to enterpreneurs in the private sector. In the former category, there are projects on which work is being undertaken in the coming year. The important ones among these would be Pig Iron Project, Steel Castings, Seamless Tubes, Steel Forgings, Machine Tools and Heavy Electricals.

During the Fourth Plan, a few more Projects are likely to be taken in the public sector and the important among these would be Land Rover Project, Power Tillers, Cement Plant, Coal Carbonisation Plant, and Oscilo Scope.

The Pig Iron Plant is being given the greatset importance as besides opening up an hitherto backward area, it will provide the much-needed raw material for the ever-expanding foundry industry of Punjab. High level discussions are going on with the Government of India who have promised financial assistance for the project. The Plant will be set up at village Satrod in Hissar District and is expected to go into actual production in 1967.

An important project involving a total capital outly of about Rs 9 crores will be a Seamless Tubes Plant. This will be the third factory to produce Seamless Tubes in India. In the same complex, another important project of Steel Castings will be set up with a separate section for ceramic precision casting. The capital outlay on this Project would be of the order of Rs 1.5 crores. It has been decided to go ahead with these two projects expeditiously. (*Thumping*).

An industrial licence has been applied for from the Government of India for a Plant to manufacture power tillers. These power tillers will bring a revolution in the farming methods and economy of agriculture in this State.

A cement plant which had been earlier licensed in the private sector, is likely to come up in public sector. It will be located in the Kangra District (*Thumping*) based on stone deposits of Samloti-Dharamkot area.

Indo-Canadian collaboration between Messrs Karam Chand Thapar Bros and Messrs ABITIBI of Canada has been announced for the establishment of Newsprint Factory at Nangal based on forest resources of Punjab. The feeding of the Factory involves arrangements for extraction and supply

[Finance Minister]

of pulp-wood waste which, in turn, involves mechanised logging operations and the establishment of a saw-mill and a chipping plant. Messrs K.C. ABITIBI have arranged for scientific studies to be made of the availability of pulp wood and methods and cost of extraction. The Punjab Government hope that as a result of examination of these studies it would be possible to supply the plant with all the pulp-wood material it requires at a price which will be reasonable and also economical to the plant.

As regards development in the private sector, it is by providing special incentives to counter the inherent disadvantages of location and additional transportation involved that enterpreneurs can be persuaded to establish industry here in the Punjab. A major step which Government intend to take to foster growth of industry in private sector is the establishment of an Industrial Development Corporation with a capital ultimately of Rs 3 crores. (*Thumping*). This Corporation will underwrite and also participate in the share capital of new ventures.

Another step being taken is to gear up the generation and distribution of power for the anticipated growth of industry. The availability of firm power would be of the order of 680 MW. By the end of the Fourth Plan, it is expected to go up to 815 MW.

A concerted effort will be made to bring about dispersal of industry with the object of opening of new areas all over the State. Besides the establishment of special institutions, such as Agro-Industrial Corporation and Industrial Development Corporation, and the strengthening of the existing institutions, it has been decided to offer a package of incentives to new industrial ventures which may be set up in and around the growth points selected and approved by Government. These are —

(1) *Land*.—Areas will be acquired and sold out on ' no profit no loss' basis and the price will be recovered in easy instalments. Land on similar conditions will also be given for the establishment of subsidised industrial houses and residential colonies for the staff of the industrial undertakings. (*Thumping*).

(2) *Finance and Capital*.—The Punjab Government directly or through the proposed Industrial Development Corporation will underwrite or participate in the share capital of selected public limited companies setting up medium and large scale industrial units. The operations of the Punjab Financial Corporation will be further expanded by enabling the Corporation to raise additional capital so that larger number of units can be given medium and long term loans.

(3) *Power*.—Special concession will be offered to power-based industries and to encourage self-generation of power, suitable subsidy on the capital cost of the generation equipment will be granted (*Thumping*).

(4) *Taxation*.—Sales Tax on raw materials purchased by the industry and on its finished products will be refunded for an initial period of five years commencing from the date of licence or registration of the unit, subject to such refund not exceeding in one year 8 per cent of the equity capital of the industry (*Thumping*).

(5) *Feasibility Studies*.—Government will meet 50 per cent of the cost of preparation of feasibilty reports in case of selected industrial projects provided the report is prepared by an agency approved by it. Such contribution will be converted into share capital of Government in the venture in the event of the Project being implemented, failing which the report will become the property of Government.

(6) *Preference in Stores Purchase.*—Additional marginal preference of $2\frac{1}{2}$ per cent will be allowed in the rates of products purchased from the industries set up in growth points, as compared to industries in other areas for a period of ten years from the date of licence or registration (*Thumping*).

(7) *Building materials.*—Government will provide controlled building materials to industries in these areas on priority basis.

To Indians settled in foreign countries and migrating to India and setting up industrial units in the Punjab, the above concessions will be available even if these units are located outside the growth points, provided their schemes are approved by Government (*Thumping*).

These concessions will also be available to small-scale units to be set up in selected industrial areas or estates and such of the growth points where it is decided to sponsor establishment of small scale units, provided their schemes are approved by Government.

13. Technical Education in our State has been given a high priority. In terms of provision of funds, as against a total expenditure of Rs 170 lakhs in the Second Plan on Technical Education, the provision for the Annual Plan for 1965-66 alone stands at (imagine) Rs 174 lakhs.

Techinical Education and Industrial Training

By the end of 1965-66 there would be 870 seats for the degree students, 75 for the Post-Graduate level and 2,950 for the diploma courses. During the Third Five-Year Plan alone, the intake will increase from 1,480 to 2,950 at the diploma level, from 480 to 870 on the degree side and from 10 to 75 on the Post-Graduate. New Polytechnics were established at Jhajjar, Sirsa, Guru Tegh Bahadurgarh, Hamirpur, Batala and Amritsar. A new diploma course in architecture also was started at Chandigarh. A new polytechnic at Amritsar will admit students in 1965. On the degree side, two new colleges, viz.' College of Architecture at Chandigarh and Regional Engineering College at Kurukshetra, were established.

At Ludhiana Guru Nanak Polytechnic a Sandwich course is being introduced in 1965 in active collaboration with the industrialists of Ludhiana who have agreed to make available their plants for practical shop-floor training. They have also agreed to give stipends at the rate of Rs 80 to Rs 100 per mensem to the students.

A new YMCA Engineering Institute is being established at Faridabad with the assistance of the German YMCA on the German model for preparing high level practical engineers.

A scheme for establishment of Kothari Engineering College on the U.K. model in Punjab territory near Delhi has been practically finalised.

Modern engineering courses like Production Engineering, Aeronautical Engineering, Metallurgy and Electronic and Electrical Communications have been introduced in the Punjab Engineering College, Chandigarh. Graduates on the Aeronautical Engineering side from this College are already serving in the Defence and Civil Aviation and Research Organisations of the country.

Post-graduate courses for advanced technical education in the specialised fields of Power Engineering, Structural Engineering, Irrigation and Hydraulics and Rotodynamic machines have also been started at the Pun-[illegible]b Engineering College, Chandigarh.

The Planning Commission have indicated that at the secondary stage, [illegible] the Fourth Five-Year Plan, emphasis should be on providing

[Finance Minister]

larger facilities for vocational education of terminal character. The Punjab Government intends giving practical shape to this objective by starting two junior technical schools as pilot projects during 1965 on the campuses of two polytechnics at Jullundur and Nilokheri (*Thumping*).

In order to meet the demand of technicians of all types, Industrial Training Programme has also been organised on a large scale. By the end of the next year, there would be 49 Industrial Training Institutes with a seating capacity of over 19,000 for imparting training in engineering and non-engineering trades. No tuition fee is charged from such trainees. On the other hand, necessary tools and workshop clothing are supplied free of charge. Besides, 30 per cent of the trainees are given free hostel facilities and 60 per cent are awarded scholarships at the rate of Rs 40 per mensem. Special efforts are also being made to depute Punjabi boys in big factories in and outside the State under the Apprenticeship Training Scheme and to arrange employment for the passed out trainees.

Co-operation

14. Co-operation is making a significant contribution for the development of rural economy and already about 61 per cent of the population of the State stands covered by this movement. Nearly 20,0^0 Agricultural Credit Service Societies are providing short and medium-term loans to the agriculturists on reasonable terms. Their requirements of long-term loans are being met by the Land Mortgage Bank. The total amount of loan of all categories sanctioned during the year was Rs 28 crores.

The Co-operatives have also helped in tapping rural savings in the shape of deposits amounting to Rs 18.61 crores, providing at the same time sound channels of investment of savings and their utilisation for productive purposes in rural areas. In addition loans amounting to Rs 10 crores were obtained from the Reserve Bank of India.

Agrarian Reforms

15. Under the provisions of the Punjab Security of Land Tenures Act and the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 98 per cent of the surplus area cases have been decided and an area of 3.66 lakh standard acres has been declared surplus. 70,414 tenants have been resettled on an area of 1.33 lakh standard acres up to November, 1964. Out of the area of 1.33 lakh standard acres, 26,082 standard acres have been allotted to Harijan families. In addition land comprising 62,284 standard acres has been purchased by landless persons and small landowners.

With a view to bring cultivable waste land under cultivation, possession of 1.22 lakh acres of land has been taken over under the East Punjab Utilisation of Lands Act. Out of this area, 79,286 acres have been leased to Harijans and Harijan Co-operative Societies. Loans for irrigation facilities are being given at the rate of Rs 300 per acre of land leased to the persons settled on the cultivable waste land, subject to a ceiling of Rs 1,000.

Food and Supplies

16. The State had to face a serious situation as a result of high prices during the current year. In order to check the rise in prices and cater to the needs of the general public, fair price shops and Central Consumer Co-operative Stores were opened throughout the State. For the coming year to b[illegible] a buffer stock of 1.50 lakh tonnes of wheat, a provision of Rs 970[illegible]

(*Thumping*) has been made in the Budget. Besides a provision of Rs one crore has been made for giving loans to the Punjab State Co-operative Supply and Marketing Federation to build further stocks of wheat. The procurement of 20,000 tonnes of rice for this purpose is already in progress. This will help in maintaining the supply line throughout the year.

17. The year 1964-65 has been another mile stone in the implementation of the Free and Compulsory Primary Education when the attendance of schools by the children in the age-group 6—10 was made obligatory. To complete the process the scheme will be extended next year to the children in the age-group 6—11. 2,000 new teachers were appointed during 1964-65 to cope with the additional enrolment. In order to make primary eductation within the reach of small children, 109 branch schools were also started so that they may not have to traverse long distances. Two lakh students joined the first primary class during the year 1964-65.

Education

In the field of Secondary Education, steps have been taken to make up the shortage of science teachers with post-graduate qualifications. A large number of science graduate teachers have been deputed for their M.Sc. courses. For the strengthening of science teaching a crash programme has been undertaken to properly establish science laboratories and libraries.

To revitalise secondary education, it has been decided to set up a Board of Secondary Education. (*Thumping*). A high-powered Committee has been appointed to work out details.

There is a great demand for upgrading of primary schools to middle standard and of middle schools to high standard. To provide greater educational facilities particularly in rural and backward areas, it is proposed to spend Rs 55.42 lakhs for upgrading of schools during 1965-66 (*Thumping*).

Two non-Government colleges at Jind and Jhajjar have already been taken over by the Government. It is contemplated to set up a Government College at Hamirpur (*Thumping*) from the next academic session. This college will cater to the needs and aspirations of the people in the interior of Kangra Hills.

To enable the poor brilliant students to pursue their studies, Government is lagiving a large number of scholarships. In addition to the scholarships for general education to which the existing scholarship scheme pertains, it is proposed to grant additional scholarships for technical and professional education. It is also proposed to make additional and separate allocation for candidates from rural areas. In addition, it has been decided to provide free education in all Government institutions to the children of Army personnel serving in Ladakh and NEFA Areas (*Thumping*), P.A.P. personnel in Jammu and Kashmir on Indo-Pakistan and Indo-Tibetan borders. Similar concessions will also be extended to the children of school teachers drawing up to Rs 250 per mensem for their education up to Matriculation standard (*Thumping*).

The Punjab Institute of English has already trained 80 teachers in English and 40 schools have been selected for the introduction of structural approach to the teaching of foreign language. The new method is likely to yield better results.

[Finance Minister]

18. During the year under review Government have translated into action the recommendations of the Bhore and the Mudaliar Committees by integrating the curative and preventive services in the State with effect from the 15th July, 1964. Under the Reorganisation scheme, the public health activities have been dovetailed into general medical relief.

Health

During the last year, 7 new Primary Health Centres have been opened, thus bringing the total to 220 as against 228 Blocks in the State. Government have taken appropriate steps to develop district and referral hospitals to provide cover to the Primary Health Centres.

The State Government has been periodically reviewing the quantum and level of medical facilities provided to the rural populaion. It has been decided to link the dispensaries which were without any doctors with the nearest Primary Health Centre, the medical officer incharge of which would visit such dispensaries at least twice a month. Service in rural areas has been made compulsory for medical officers before they cross the second efficiency bar. Beneficiary medical students, both loanees and stipendiaries, are being bonded to serve in rural areas at least for a period of two years as a part fulfilment of their service bond. The Panchayati Raj Organisation has taken in hand the construction of buildings for 49 Primary Health Centres to be followed by many more during the coming year. This step will mitigate the hardship suffered by medical and para-medical personnel in rural areas in the absence of residential accommodation.

The State Government have initiated a vigorous campaign for the implementation of Family Planning Programme. A Crash programme for vasectomy operations with a target of 40,000 operations was launched with effect from the 1st of June, 1964. During 7 months 25,350 vasectomy operations were performed. The programme has gained momentum.

The Punjab State has won the National Award for showing the best performance under the National Small-pox Eradication Programme. T.B. Clinics for the Kulu and the Bhatinda Districts have been sanctioned so that now all districts except Lahaul and Spiti have at least one T.B. Clinic. Under the Goitre Control Scheme sale of ordinary salt has been banned in the districts of Ambala, Simla, Kangra, Kulu, Hoshiarpur and Gurdaspur where only iodised salt is now sold.

The progress in the field of medical education and training of para-medical staff has also been substantial. First admissions have been made to the new M.B., B.S. Class in the upgraded Medical College at Ludhiana. Steps are being taken to establish the National Biological Research Institute in the Kangra District. M.D.S. Course, both short-term and regular, has been started at Amritsar. The first Course at the Post-Basic Nursing College at Post-Graduate Institute, Chandigarh was started during the last year. The training facilities for nurses have expanded from 593 seats in 1963-64 to 734 seats in 1964-65, for laboratory technicians from 70 seats in 1963-64 to 105 seats in 1964-65, for Radiographers from 28 seats in 1963-64 to 70 seats in 1964-65. The first training class of T.B. Health Visitors with 15 admissions have been started at Patiala.

Special attention was given to the provision of drinking water-supply in the hilly and sandy areas. An additional allocation of Rs 25 lakhs was made by diverting funds from other sources and an amount of Rs 10 lakhs was set apart for water-supply schemes in the Kangra District. A Committee has been set up to examine the possibility of arranging canal-based water-supply particularly in sandy areas.

Welfare of Scheduled Castes, Backward Classes and Vimukt Jatis

19. Welfare and economic advancement of the scheduled castes and backward classes has continued to receive the earnest attention of the State Government. Active steps have been taken for the amelioration of their lot. With a view to enabling them to purchase rural evacuee lands, a sum of Rs 203 lakhs was advanced as loans. A provision of Rs 183 lakhs has been made for this purpose in the next year's Budget. It is the intention of the Government to treat the original amount of Rs 386 lakhs from the proceeds of the Temporary Taxation Act, 1962, as a nucleus of a Revolving Fund and to augment it further by an additional allocation of Rs 114 lakhs as a part of the Fourth Plan so as to raise it to Rs 500 lakhs. (*Thumping*). A provision of Rs 38 lakhs has been made during 1965-66 for the grant of scholarships and disbursement of fees to students belonging to Scheduled Castes, etc. In order to raise the social status of the members of the Scheduled Castes, separate schemes have been provided to enable them to purchase agricultural land and construct their houses with the help of Government subsidies.

Public Relations

20. The State Government is reorganising and strengthening the Public Relations Department to streamline procedures and techniques for the use of mass communication media for development purposes in a more dynamic fashion. For this purpose it has been decided to replace Rural Publicity Workers, Supervisors and Organisers by Information Assistants and Field Publicity Assistants who will be provided independent mechanised audio-visual aids. Publicity Cells will also be established at the Block level to maintain link with the rural population. To provide more incentive to officials engaged in publicity work and to attract better talent, the present grade of the Public Relations Officers is being revised from Rs 250—15—340/20—500 to Rs 250—25—750.

The Government is keen to promote film industry in the State. For this purpose a sum of Rs 10 lakhs has been provided. We are also not oblivious of the sacrifices of those who laid down their lives for the freedom of the country and it is proposed to erect befitting memorials to their memory for which necessary provision has been made.

Administrative Reforms

21. With a view to enquire into and report on the organisation and methods of operation of the departments and agencies of the Government and to recommend changes which would best promote efficiency and economy and improve service in the despatch of public business, the Punjab Administrative Reforms Commission has been set up under the Chairmanship of Shri K. Hanumanthaiya, M.P. (*Thumping*). This Commission would examine the adequacy and effectiveness of the administrative machinery as at present organised and recommend reorganisation and reforms in the existing administrative structures, methods and procedures of work and co-ordinating

[Finance Minister]
devices. The Commission is expected to make its report within a period of nine months after its first meeting.

One of the unquestionable reforms urgently needed is that the administrative machinery should be adequately manned and equipped so as to meet the increasing demands and strains resulting from larger efforts for development. To provide necessary training to Government officers for this purpose, it has been decided to set up an Administrative Staff College under the aegis of the State Government.

The elimination of corruption is a vital factor for ensuring the success of our development plan and for raising the moral standards of the community. With a view, therefore, to ensure that a rigorous drive of anti-corruption is launched, an independent Vigilance Commission has been constituted (*Thumping*) to enquire into all allegations of corruption made to the Government against officers. This Commission is headed by Shri Tek Chand, formerly Judge of the Punjab High Court.

In pursuance of Article 50 of the Constitution of India and to ensure that justice is administered not only between man and man but between the citizen and the Government without fear and favour and without any suspicion of executive interference, direct or indirect, Judiciary in Punjab has already been separated from the Executive. Necessary steps are being taken to complete the scheme in all its aspects by the appointed date which is 1st April, 1965 (*Thumpting*).

Government is fully alive to the fact that some areas of the State are not as advanced as others. With a view to ensure that the development of the Hariana region does not in any manner suffer and proper schemes for its development are formulated for inclusion in the Fourth Plan it has been decided to constitute a Committee under the chairmanship of Shri Sri Ram Sharma, a former Minister of Punjab, to make suitable recommendations for the development of the tract.

To meet the public demand and also to bring about uniformity in the matter of working hours in the State Government offices in line with those observed by the Union Government, daily working hours in all Government offices in the State have been changed. From 1st March, all Government offices have started opening at 10 a.m. and closing at 5 p.m. uniformly throughout the year.

Concessions to Government Employees

22. As a result of the general rise in prices, Government felt genuinely concerned at the distress of its employees. Despite the limitation of financial resources, effort has been made to remove their difficulties to the maximum extent possible. Apart from concessions already given to the low-paid employees, further concessions were announced on the eve of the last Republic Day. All these concessions have cost the exchequer an additional sum of approximately Rs 5.50 cores. (*Thumping*). These concessions are—

(1) With a view to further ameliorate the lot of Class IV Government employees, their emoluments were raised from 1st July, 1964 to Rs 75 per mensem while those of sweepers to Rs 90 per mensem. These have been further raised from 1st January, 1965 to Rs 82.50 per mensem and Rs 97.50 per mensem, respectively.

(2) The rate of Chandigarh Compensatory allowance was enhanced with effect from 1st July, 1964 from 7½ per cent to 12½ per cent

for Class III and Class IV Government employees. Delhi Compensatory Allowance was also restored in full for Punjab State Employees stationed at Delhi.

(3) Additional Dearness Allowance has been allowed from 1st January, 1965 to Class III employees drawing pay from Rs 51 to Rs 100 and from Rs 101 to Rs 300 at the rate of Rs 10 and Rs 15, respectively.

(4) With a view to providing securitiy to the families of deceased Government servants, the Family Pension Scheme, 1964 has been introduced. This will enable the families of such Government servants to receive a minmum pension of Rs 25 and a maximum of Rs 150 per mensem.

(5) An *Ad hoc* increase was sanctioned from 1st July, 1964 to the Punjab Government pensioners, drawing pension up to Rs 60 per mensem, at the rate of Rs 7.50 in respect of pensions up to Rs 30 per mensem and Rs 5 in the case of pensions above Rs 30 but not above Rs 60 per mensem.

(6) The rate of Daily Allowance and Travelling Allowance of all categories of Government servants have been liberalised.

(7) The Dearness Allowance given to the employees heretofore has been merged into pay with effect from 1st January, 1965. This will benefit the Government employees in their pensions, Compensatory Allowance, Travelling Allowance and Daily Allowance.

(8) Interest-free loan equal to two months' pay with a maximum of Rs 200 will be given to all Government employees drawing pay up to Rs 500 per mensem for the purchase of wheat.

(9) House rent Allowance to all employees not provided with Government accommodation, stationed at Chandigarh and other towns in the State with a population of one lakh or above and with a population below one lakh but above 25,000 has been granted with effect from 1st January 1965. This allowance would be admissible at 7½ per cent and, 5 per cent respectively of the pay of employees.

It has also been decided to revise with effect from 1st April, 1965 the pay-scales of—

(1) Irrigation Booking Clerks (Irrigation Patwaris) from 50—1—60/2—80 to Rs 60—4—80/5—120/5—175(*Thumping* which will bring them at par with Patwaris of the Revenue and Consolidation Departments.

(2) Jail Warders in the pay-scales of Rs 45—1—60 and Rs 50—1—60/2—80 to Rs 50—3—80/4—100 and Head Warders in the grade of Rs 60—3—90 and Rs 100 fixed to Rs 60—4—5—120 (Thumping).

[Finance Miniter]

I may add that the question of revision of pay-scale of Tube-well Operators is also under the consideration of the Government. Its financial implications are being worked out.

I am just told that the teachers have withdrawn their agitational approach to their demands unconditionlly. (*Thumping*). The Government will consider their demands very sympathetically (*Thumping*).

Fiscal Measures and Policies

23. The State Government has been anxious that their fiscal policy while enabling them to raise funds for meeting Plan expenditure and discharging their debt liability inherent in the development programme, should place, without avoidable hardship, the minimum burden on the community in general and more particularly the vulnerable sections. It is equally necessary that Government should build up resources in the form of cash and securities so as to serve as a prop for somewhat bold financing of programmes like social security for the fulfilment of socialistic objectives. We have made every effort and we propose to continue our endeavours to rationalise the incidence of taxation and to streamline procedures wherever they are cumbersome and complicated so as to keep the cost of collection of taxes commensurate with their returns. It is in the light of this policy that it was decided to reduce the rate of Stamp Duty. Similarly, recognising the hardship involved in assessment and collection of Special Assessment, commonly known as Marla Tax, its collection has been suspended. Further, in order to provide incentive to the farmers, electricity duty on tube-wells and pumping sets used for agricultural production has been abolished in spite of the fact that the incidence of duty was not very heavy. The Punjab Urban Immovable Property Tax is also proposed to be amended so as to raise the exemption limits and give some other concessions (*Thumping*). With a view to simplifying the assessment procedure of sales tax levied on Tandoorwallas, Dhabewallas and Tea stalls on the Railway Stations it has been decided to exempt them from this tax from the 1st April, 1965 and instead to take commensurate measures to fill up the gap.

Government want to lay equal emphasis, if not more, on stringent measures against tax evasion and mobilisation of Non-Tax Receipts by a proper evaluation of income-yieldling State schemes, such as Trading in Foodgrains, Milk supply, Transport services and Seed Farms, by taking various steps, which will improve not only their service but also their management and incomes. Government is also keen to cut down all wasteful expenditure and effect maximum possible economies. (*Thumping*).

With a view to provide housing facilities and to ensure that the benefit of abnormal appreciation of land prices which takes place on account of social factors, accrues to the community through the State Government, it has been decided to set up an Urban Land Development and Housing Board in the next financial year (*Thumping*). A token provision of Rs 10 lakhs has been made for this purpose in the budget.

It is also proposed to lay very great emphasis on the intensification of Small Savings collections. This drive will not only enable us to secure larger loans from the Central Government but also act as an anti-inflationary measure and make the people saving-minded.

Conclusion

24. I have briefly set out the outline of activities and achievements of the various departments as also the objectives to which their policies are directed. Our aim is to work for an all round development and to make progress towards achievement of a socialistic Society, progress towards which is to be measured in terms of success achieved in creating adequate employment opportunities and ensuring that every family has a minimum standard in respect of essential needs of life, in particular, food, clothing, housing education and health. The record of the Government speaks for itself. We have also not lagged behind in giving relief to our own employees. The Budget Estimates for 1965-66 show an over all deficit of Rs 350 lakhs which is mainly due to the additional liability so involved. For the present, I propose to leave the gap uncovered (*Thumping*). Necessary measures will, however, be taken during the course of the year to bridge the gap in the light of the fiscal policy already enunciated, if considered necessary.

Acknowledgements

25. Before I conclude, I would like to express my heartfelt thanks to the Finance Secretary and other officers and staff of the Finance Department for the hard and useful work done by them throughout the year. My thanks are also due to the Accountant-General, Punjab, for the valuable assistance received from him. I am also grateful to the Controller of Printing and Stationery and his staff for their co-operation in timely printing of the Budget.

Now, Sir, I beg your leave to present the Budget Estimates for the year 1965-66 (*Thumping*).

JAI HIND

Mr. Speaker. : The House stands adjourned till 2.00 p.m. today.

(*The Sabha then adjourned till* 2.00 *p.m. for the Second sitting*)

4201 P.V.S.—365—18-6-65—C., P. & S., Pb., Chandigarh

APPENDIX

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I No. 7 DATED THE 3RD MARCH, 1965 (MORNING SITTING)

Boycott of controlled cloth by retailers

*6836. **Comrade Babu Singh Master**: Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the fact that the retailers are continuing a boycott of the controlled cloth; if so, the reasons for their boycott and the steps taken by the Government to end it ?

Shri Ram Kishan: Yes. Retailers complain that wholesalers/semi-wholesalers at Bombay/Ahmedabad and Delhi grab undue share out of the 18 per cent margin over the ex-mill prioe and that they are not left with an adequate margin to sell at the statutory retail price.

The Punjab Government have represented to the Textile Commissioner, Bombay, for apportionment of the margin of 18 per cent between the various tiers of the distribution channel in the cloth trade so that the retailers get an adequate share. A decision in the matter can be taken by Government of India only and not by the State Government.

Summary Trials of Hoarders held under the ordinance issued by the Union Government

*7022. **Chaudhri Ran Singh**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of Magistrates and other staff, if any, employed in the State to enforee the provisions of the ordiance recently issued by the Union Government providing for summary trial of hoardings ;

(b) the total estimated expenditure on the maintenance of the said staff during the year 1964-65 ;

(c) the number of summary trials so far held under the provision of the said ordinance with the details of the punishment awarded to the culprits ?

Shri Ram Kishan (Chief Minister) : A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) 20(All the Chief Judicial Magistrates in the Punjab and Shri Gurcharan Singh, Judicial Magistrate Chandigarh have been invested with these Powers).

(b) Nil. (No additional staff has been employed for the purpose.)

(c) 4 in Karnal, 1 in Ferozepore and one in Mohindergarh districts. A separate statement showing the number of summary trials so far held etc. is placed on the table of the House.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF SUMMARY TRIALS SO FAR HELD UNDER THE PROVISIONS OF THE ESSENTIAL COMMODITIES ACT WITH THE DETAILS OF THE PUNISHMENT AWARDED TO THE CULPRITS

Serial No.	Name of the District	Number of summary trial cases actually done.	Number of pending summary trial cases.	Punishment inflicted in the case in which the trial was concluded.	Name of the accused person.
1.	Karnal	4	—	Rs. 30 Rs. 50	Nihala son of Har Sukh Harijan of Kishanpura Abdul Latif son of Abdul Majid of Congoh (U. P.)
				Rs. 30	Nam son of Abdula resident of Gangoh (U.P.)
				Rs. 50	Bashir son of Latif resident of Manglora.
2.	Hissar	—	3	—	—
3.	Ferozepore	1	—	15 days R. I. and a fine of Rs. 25 or in default to undergo further R. I. for one week,	
4.	Mohindergarh	1	15	Imprisonment till the rising of the Court and a fine of Rs. 40. Camel on which the wheat was loaded (42 kilos) has been confiscated, the wheat was also confiscated.	
5.	Simla	—	1	—	—

4201 PVS—365—17-6-65—C. P. & S., Pb., Chandigarh.

Punjab Vidhan Sabha
Debates

3rd March, 1965

(After-noon Sitting)

Vol. I—No. 8

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 3rd March, 1965 — Page

Price Rs. 4.30 Paise

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I—NO. 8, DATED THF 3RD MARCH, 1965

(AFTERNOON SITTING).

Read	*For*	*Page*	*Line*
प्रोसीजर	प्रोसीचर	(8)5	2
1964-65	1964-56	(8)5	12 from below
रोड़	ोड	(8)9	12
कामरेड़ राम प्यारा	कामरड राम प्यारा	(8)9	18
इम्पार्टैंट	इम्पाटट	(8)10	12 from below
कहां	का	(8)11	2
रोड़े	रोडे	(8)11	2
टैंडर	टैडर	(8)11	22
बताने	बतान	(8)13	23
इस	स	(8)16	13 from below
अलग	अलवा	(8)16	7 from below
मन्त्री	मत्री	(8)17	1
सामने	सामन	(8)19	last
कामरेड	कामरड	(8)22	16
management	managemment	(8)25	6
Chief	Cheif	(8)28	1
Bags	Bages	(8)28	5

Read	*For*	*Page*	*Line*
agitators	agaitators	(8)30	17 from below
Punjabi	Punjali	(8)41	14
ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ	ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿਘ ਰਿਆਸਤੀ	(8)49 (8)50 (8)52	24 1 1
हड़ताल	हड़ताल	(8)53	17
पर्दापोशी	प्रदापोशी	(8)57	16
पंडित चिरंजी लाल शर्मा	पंडित जिरंजी लाल शर्मा	(8)74	12 from below
मुख्य मन्त्री	मुवय मंत्री	(8)76	1 and last but one
के	क	(8)79	
जमुना	जुमना	(8)79	25
पुलिस	पुसिल	(8)80	10
Speaker	Speakar	(8)86	1

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 3rd March, 1965
(Afternoon Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Assemly Chamber Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ........

Some Voices : Chief Parliamentary Secretary is here.

Comrade Shamsher Singh Josh : The Chief Parliamentary Secretary is not a Member of the Cabinet.

(*The bell was rung as there was no quorum in the House*)

Education and Local Government Minister : I submit that, if the House agrees, the Question Hour may be dispensed with as a number of hon. Members want to speak on the last day of discussion on the Governor's Address.

Mr. Speaker : If the House agrees, I have no objection.

कामरेड राम प्यारा : आज बहुत ही मुश्किल से 26 फरवरी, 1965 की क्वैश्चन लिस्ट टेक अप की गई है । इस में मेरे बहुत ही इम्पार्टेंट सवाल हैं । इस लिये आज क्वैस्चन आवर डिस्पैन्स-विद न किया जाये ।

कुछ आवाजें : क्वैस्चन आवर डिस्पैन्स-विद न किया जाए ।

Surety/Guarantee in respect of loan granted to M/s Napco Bevel Gear of India Ltd. in district Gurgaon

*7479. **Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Finance and Planning with reference to the reply to Starred Question No. 6324 included in the List of Questions for 28th September, 1964, be pleased to state—

(a) whether the opinion/advice of the Legal Remembrancer who, according to part (c) of the said reply, was being consulted has since been received; if so, the details of the action if any, taken in the light of that advice ;

(b) whether the Commission of one per cent referred to in part (d) of the said reply has been received by the Government from M/s Napco Bevel Gear of India Ltd., Faridabad, or the Agency for International Development; if so, when, how much and from whom ;

(c) whether the Commission of half per cent referred to in part (d) of the said reply has been disbursed to the Punjab National Bank through the Punjab Government; if so, when and the amount of the Commission ;

[Comrade Ram Piara]

(d) the authority at whose request, the Government offered to stand surety and stood surety for Napco Bevel Gear of India;

(e) whether it is the policy of the Punjab Government to give guarantee for loans advanced by the Agency for International Development (A. I. D.), U.S.A.; if so, the number of cases in which Government has given guarantees and the rate of Commission taken by Government in each case; if it is not the policy, the reasons for standing surety or offering guarantee in the case of the firm mentioned in part (d) above;

(f) the manner in which the Punjab National Bank and Government agreed to give a joint guarantee or simultaneous guarantees at the same time and share the Commission of 1½ per cent between themselves ;

(g) whether he, the Finance Secretary, has sent any reply to the Legislator in response to his representation referred to in part (a) of the said reply; if so, a copy of the reply be laid on the Table of the House; if no reply has been sent, the reasons therefor ;

(h) the reasons, why no enquiry, as stated in part (b) of the said reply, was held ?

Shri Prabodh Chandra (Education and Local Government Minister) : (a) The matter is yet under correspondence with the Law Department.

(b) Yes Sir, A guarantee Commission of Rs 1,43,013 has been received by Government from M/s Napco Bevel Gear of India as under :—

Amount received	*When received*
Rs	
55,986	15th May, 1964
87,027	14th November, 1964

(c) Yes Sir, The Punjab National Bank has also received the commission from the Company direct. As it has not been disbursed through the Punjab Government, details are not available.

(d) The counter-guarantee was issued to the Punjab National Bank on the request of M/s Napco Bevel Gear of India Ltd., Faridabad.

(e) There is no specific policy to give guarantee for loans from the A.I.D. This is the only case of guarantee for loan from A.I.D. It was given in order to divert an important industry pertaining to the manufacture of gears, axels, etc. to our State.

(f) The loan was raised from the A.I.D. on the guarantee of the Punjab National Bank and on the counter-guarantee of the State Government. A guarnatee fee of 1½ per cent was payable by the company, out of which half per cent was to be paid to the Punjab National Bank and 1 per cent to the State Government.

(g) No Sir. The reply to the representation could not be given by the Government as the relevant Government files remained under action with the Das Commission Enquiry.

(h) No enquiry could be held due to the reasons given in part (g) above.

कामरेड राम प्यारा : शिक्षा मन्त्री ने सवाल के पार्ट (जी) का जवाब देते हुए बताया है कि जवाब दिया नहीं जा सका क्योंकि सम्बन्धित फाइल्ज़ दास कमीशन के पास थी। दास कमीशन ने 15 जून, 1964 को अपना वर्डिक्ट दे दिया था। अब साढ़े आठ महीने हो गए लेकिन अभी तक क्यों जवाब नहीं दिया गया ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : दास कमीशन के बाद कृष्णा स्वामी को उसके फौलो अप ऐक्शन के लिये लगाया गया और इसको बहुत सी फाइलें दी गई थी। इस लिए जवाब नहीं दिया जा सका।

कामरेड राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने सवाल के पार्ट 'ए' का जवाब दिया है कि —

'The matter is yet under correspondence with the Law Department'.

इस के बारे में 1964 में भी सवाल पुट किया था। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 6 और 7 महीनो में लीगल रीमैम्बरेंसर से कोई राय ली गई या नहीं ? अगर नहीं ली गई तो उस का क्या कारण है ?

Minister : This was due to the fact that some of the files were with Shri Krishnaswamy. We are now trying to expedite the reply. I am sure that before the end of this session, the honourable Member will get what he wants.

कामरेड राम प्यारा : मैं ने इस के बारे में 4 मार्च, 1964 को हाऊस में तकरीर की थी। मेरी तकरीर का 87, 88 पेज है। क्या सरकार ने इस चीज़ को नोटिस में लिया है कि इस कम्पनी ने कैरों फैमिली को 32 हजार रुपया अमरीका में दिया ?

मन्त्री : यह बड़ी दुखदायी चीज़ है। There are things both in its favour and against it. इन के विरुद्ध सैंटीमैन्टस हैं और हक में भी हैं इस लिये इस बात को यहां पर टेक अप न किया जाए। अगर इस बारे में मेरे दोस्त कोई इन्फरमेशन चाहते हों तो मैं उन्हें दे दूंगा।

Mr. Speaker : In view of the request of the hon. Minister, the hon. Member may drop the matter.

Comrade Ram Piara : The hon. Minister may be interested in that family, while I am not.

Mr. Speaker : No, no. This is not the case.

Comrade Ram Piara : On account of my representation, an amount of Rs one lakh and forty three thousand has been recovered. The balance of Rs one lakh or so is yet to be recovered. The Government may not pursue the matter, but I will.

Mr. Speaker : Please put your supplementary.

कामरेड राम प्यारा : इस के बारे में डेढ़ प्रतिशत कमिशन लेने का फैसला किया गया था। इस में से आध प्रतिशत पंजाब नैशनल बैंक को मिलेगा और एक प्रतिशत पंजाब सरकार को मिलेगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पंजाब सरकार को कमीशन क्यों नहीं मिला जबकि पंजाब नैशनल बैंक को कमीशन मिल गया है और पंजाब नैशनल बैंक को पंजाब सरकार के द्वारा कमीशन मिलना था ?

मन्त्री : इन हालात का माननीय सदस्य को भी पता है कि कमीशन क्यों नहीं मिला ?

There were political pulls behind all this. I hesitate to enter into all this controversy. The hon. Member may not press for it, anymore.

Comrade Ram Piara : I have put a supplementary and I want a specific reply on it. The Education Minister need not be sentimental about it.

Minister : I am not a sentimental being, but a logical being. There has been something fishy about it. An advantage was taken of the political power. I would not like to go into details of all this.

कामरेड राम प्यारा : मैं ने सवाल के पार्ट (डी) में पूछा था और मंत्री ने इसके जवाब में बताया है कि ;—

"The counter-guarantee was issued to the Punjab National Bank on the request of M/s Napco Bevel Gear of India Ltd., Faridabad."

क्या मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि किस की रिक्वैस्ट या आर्डर पर पंजाब सरकार ने शियोरिटी स्टैंड की ?

मन्त्री : मैंने अर्ज़ किया है कि कम्पनी का जो फोरम है, उन्होंने इंडस्ट्रियल डीपार्टमैन्ट को एप्रोच किया होगा, उन के कहने पर दिया होगा । अगर उनको डीटेल्ज़ चाहियें तो एक दो दिन में लेकर दे दूंगा ।

कामरेड राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि इंडस्ट्री डीपार्टमैन्ट को ऐप्रोच किया होगा, I think it is not a proper reply.

Finance Minister : The procedure, I may inform the hon. Member, is that in such a case the Administrative Department moves the Finance Department. So, in this case also, the Administrative Department might have sent the case to the Finance Department and the Finance Minister might have put it to the Council of Ministers.

Mr. Speaker : If the Government is not ready with proper answer, supplementaries to this question may be postponed.

Minister : Government is quite ready to answer any supplementary question.

श्री अध्यक्ष : फिर डेफीनेट जवाब दें । (Then the Hon. Minister should give a definite reply.)

Minister : It is not a conjecture. It was so.

कामरेड राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब कृपा करके यह बता दें कि इसका फैसला कौंसिल आफ मिनिस्टर्ज़ ने किया था कि इंडस्ट्री डीपार्टमैन्ट ने इंडीपैन्डैंटली किया था ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री: जब कोई कम्पनी इस तरह की गारंटी के बारे में कहती है तो वह डायरैक्टली इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमैन्ट को एप्रोच करती है । अगर डायरैक्टर मुनासिब समझे तो मिनिस्टर इनचार्ज को पूछ लेता है और उस से परमिशन ले लेता है। इस केस में मुझे डीटेल्ज़ का पता नहीं है । अगर वे डीटेल्ज़ चाहते हैं तो एक दो दिन में पूछ कर दी जा सकती हैं।

कामरेड राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमैन्ट को एप्रोच करते हैं क्योंकि यही प्रोसीचर है तो मेरा स्पलीमैन्टरी यह है। पार्ट 'ई' के आखिर में पूछा गया है कि " if it is not the policy the reasons for standing surety or offering guarantee in case of the firm mentioned in part (d) above. मैं यह पूछता हूं कि जब मैंने 20 जनवरी, 1964 की चिट्ठी पिछले सैशन में टेबल पर ले की थी तो जवाब मिला था कि फाइल्ज़ नहीं हैं लेकिन जब फाइल्ज़ इन के पास थीं तो इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया ?

Minister : I cannot say whether this particular file was with the Das Commission or not....

पार्ट 'ई' के जवाब में कहा गया है—

"(e) There is no specific policy to give guarantee for loans from the A.I.D. This is the only case of guarantee for loan from A.I.D...'

From this answer it is clear that there was some political pressure. If Government desired to keep back something why should we give this answer. There is no such intention/desire on the part of the Government.

कामरेड राम प्यारा : क्या शिक्षा मन्त्री साहिब फरमायेंगे कि इन्होंने पार्ट 'ए' के जवाब में कहा है कि " The matter is yet under correspondence with the Law Department....." कौनसी चीज़ अंडर कारिसपांडैंस है ?

मन्त्री : जो चीज़ माननीय सदस्य ने पूछी है वही अंडर कारिसपौंडैंस है। जब जवाब आ जायेगा तो बता देंगे।

(कामरेड और सवाल पूछना चाहते थे लेकिन स्पीकर साहिब ने इजाज़त न दी और अगला सवाल शुरू हो गया)

Tubewells Bored by Government in Rewari

*7161. **Rao Nihal Singh** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) the total number of tube-wells successfully bored by the Government so far in Rewari Tehsil;
(b) the number of the said tubewells working at present ;
(c) the steps, if any, taken by the Government to energise the said tube-wells:
(d) whether any amount of money was sanctioned by the Government during the year, 1964-56, to energise the above mentioned tube-wells; if so, how much ;
(e) the authority with whom the amount mentioned in part (d) is lying at present ;

Chaudhri Rizak Ram : (a) Eighteen.

(b) Two

(c) Punjab State Electricity Board has been ordered to take up the work of energisation of these tube-wells.

(d) Yes. Rs 50,;000.

(e) Rs 20,218.50 paid to Punjab State Electricity Board and the balance amount of Rs 29,781.50 is lying with the Executive Engineer, Tube-well Division No. 1, Karnal.

राम्रो निहाल सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब फरमायेंगे कि जो रुपया मिला वह उन्होंने कहां पर खर्च किया ?

मन्त्री : उस रुपये से कुछ तो पम्पस खरीदे गये हैं, दो तीन पम्पिंग सैट्स और खरीदने बाकी हैं । बाद में उनको इनरजाइज़ करने की कोशिश करेंगे ।

Representation from a Legislator of Karnal District regarding damage to G. T. Road

*7475. **Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state —

(a) whether he or the Chief Minister received any communication from any Legislator of Karnal District during the month of January, 1965, on the subject 'G. T. Road still in danger'; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) whether any reply to the said communication was sent by him or the Chief Minister to the Legislator concerned; if so, a copy of the reply so sent be laid on the Table of the House ;

(c) the approximate date when the G. T Road was damaged, the details of its present condition and the approximate time still required to repair the damaged portion thereof ;

(d) whether Government has received any communication on the subject of the G. T. road from the Union Government; if so, the details thereof ;

(e) the total amount so far spent on the repairs of the G. T. road since the date of its damage referred to in part (c) above together with the approximate amount which is yet to be spent on its repairs ;

(f) whether it is a fact that the Ministry of Transport, Government of India, has deputed an officer to collect all possible relevant data from the State Government; if so, the date of his visit to this State together with the details of the discussion, if any, held with him and the action so far taken or proposed to be taken in the matter;

(g) whether the contents of the communication mentioned in part (a) above were referred to the Irrigation Department; if so, with what result ?

(h) whether the Government has taken any action against any officer(s) who failed to perform his/their duties in maintaining and protecting the G. T. road from floods and water-logging; if so, the details of the action taken and the names/designations of the officer/officials against whom action has been taken ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes, A copy of the letter is laid on the table of the House.

(b) Yes. A reply was given by the Chief Minister, Punjab, and a copy thereof is placed on the Table of the House.

(c) The road was damaged about the 20th and 21st of August, 1964. A number of miles from mile 17 to 38 were affected. Work on the reconstruction of the damaged portions and strengthening the crust, etc. in various miles is in progress. Various materials required for the construction of the road are being collected. The work is expected to be completed by the end of June next.

(d) No..

(e) So far about Rs 6 lacs have been spent. This amount includes the cost of materials collected at site. Another Rs 10 lacs are proposed to be spent on the first phase work.

(f) Yes. The Planning Officer, Ministry of Transport, inspected the site and discussed the matter with the Superintending Engineer and the Executive Engineer concerned. The work is being executed in accordance with the discussion and decision taken.

(g) Not so far. However, the question raised would be considered in consultation with the Irrigation Branch .

(h) Sarvshri Arjan Singh, Executive Engineer and Bahadur Singh, Sub-Divisional Officer, were suspended and charge-sheeted for dereliction of duty subsequent to the damage to the road. They have since been re-instated and the question of punishment to be awarded to them is still under consideration.

RAM PIARA COMRADE,
M.L.A.

PHONE No. 172,
L/309, Model Town,
Karnal.
4-1-65.

Immediate

Registered

To

(i) Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab.

(ii) Ch. Rizak Ram, Irrigation Minister.

Subject.—G. T. Road still in danger.

DEAR FRIENDS,

I am sorry to point out that the former corrupt Chief Minister, Government was neither careful about the G.T. Road nor was attentive to any advice sent by Late Pt. Jawahar Lal Nehru, the then Prime Minister of India. This carelessness on the part of S. Kairon, Chief Secretary, Shri G. S. Kahlon and the Chief Engineer, Irrigation, is not less than a serious criminal offence because the whole of Northern India had badly suffered due to unprecedental damage to G. T. Road.

After the declaration of the National Emergency, I wrote a letter to Pt. Jawahar Lal on 6th November, 1962, that there was an impending danger to the G. T. Road and if no precautionary measures are taken, the fate of the Nation and country is in danger, because war with China had already started and this very G. T. Road was for practical purposes the only effective source of communication. This letter of mine was sent to the Chief Secretary, Punjab, for favour of immediate consideration. On the receipt of a letter from the Prime Minister Secretariat, dated 28th November, 1962, I wrote a letter to Chief Secretary, Punjab on 16th January, 1963. Having received no reply, gave him a reminder on 8th February, 1963, that too, proved ineffective and hence wrote a very strong letter to Shri Kairon on 2nd March, 1963, which was replied by him,—*vide* his letter No. 4152-CMP-63, dated March 8, 1963 and having felt dissatisfied again, addressed a letter to Shri Kairon on 17th/18th April, 1963. This letter was replied by him,—*vide* his letter No. 1959-Con-CMP-63/593, dated 2nd May, 1963. After that I received a letter from the Chief Engineer (S), P.W.D., Buildings and Roads, Patiala,—*vide* his letter No. 45RI/63/5096, dated 27th May, 1963. This copy of letter was endorsed to Chief Engineer, Irrigation, Chandigarh, Consulting Engineer to Government of India, Ministry of Transport and Communication, Department of Transport and Communication, Department of Transport, Road Wing, Jam Nagar House, Delhi, with endorsement No. 45RI/63/5097, dated 27th May, 1963 and 5098, respectively. Copy was also forwarded to Chief Secretary, Punjab.

[Minister for Public Works and Welfare]

I also received another letter from the Chief Engineer, P.W.D., Buildings and Roads, Patiala,—*vide* his endorsement No. 45-RI/63/16742/RI, dated 19th December, 1963, the contents of which are reproduced as under :—

Subject.—Band on the Bank of Jamuna in order to save the G.T. Road permanently from the flood damages.

In continuation of this office letter No. 45-RI-63/5096/RI, dated 29th May, 1963, I have the honour to say that although no reply has been received from the Chief Engineer, Irrigation Branch, despite repeated reminders, it is understood that Irrigation Branch is widening Drain No. 2 which pass in between river Jamuna and G.T. Road and there are now lesser chances of G.T. Road being flooded.

The contents of this letter clearly speak the glaring and clear carelessness of the Chief Engineer, Irrigation.

Had Punjab Government taken any precautionary measures, the G.T. Road would have been saved.

Had there been any other country, the authorities at fault would have been sacked since long but it is, India, Punjab and particularly Corrupt Kairon regime and too gentle the present Government.

Now, I want to draw your kind attention towards my adjournment motion No. 30 for 21st September, 1964, in which I made a clear mention of Late Prime Minister, former Chief Minister and Chief Engineer to Government, Punjab, but even the present Government has not cared. The G.T. Road is still under repairs though months have passed.

Now, the river Jamuna again has taken a turn, the result of which can be again in danger to G.T. Road for future.

While moving to Delhi, large areas of land on both sides of G.T. Road have turned 'KALAR'. The sub-soil water must be less than 5 ft. on a number of points. The BAND, or SPURS at Lakhnauti on eastern side of the Jamuna River, which has practically, closed the natural creek is permanent danger to G.T. Road meaning thereby to the country.

If immediate attention is not paid, I am afraid the G.T. Road is still in danger and not free from imminent danger.

I am sorry that even a layman like myself could apprehend and am apprehending, but the Administrators and concerned Engineers failed both in apprehending the danger and further finding out the solution, even when pointed out by the Highest Authority of India, the Late Prime Minister, Pt. Jawahar Lal Nehru and the present Prime Minister of India whose letter of acknowledgement in response to the copy of my letter, dated 6th November, 1962, addressed to him is with me,—*vide* his letter No. 3694-HM/62, dated 10th November, 1962.

I have no hesitation in demanding a strict action against Shri Kairon, the then Chief Minister, the present Chief Secretary and the Chief Engineer, Irrigation who failed to respond the call of the Chief Engineer, P.W.D., despite the repeated reminders to him by the Chief Engineer, Punjab, P.W.D.,—*vide* his letter No. 145-RI/63/6742/RI, dated 19th December, 1963.

No doubt, the letter is a lengthy one and shall eat lot of your precious time but the interest is too big which demands immediate attention, not on paper but practical.

May I hear a line in reply, assurance for immediate attention to the G. T. Road and action against the defaulters whether the defaulter is Shri Kairon, the former Chief Minister, Shri Kahlon or the Chief Engineer, Irrigation.

Thanking you.

Yours faithfully,
RAM PIARA,
M.L.A.

Note.—All my letters were sent under registered cover and all the letters received by me from the Officers of Punjab and Chief Minister, Punjab, have their subject. "To save G.T. Road" from impending danger of floods.

RAM PIARA

CHANDIGARH,
January , 1965.

My Dear,

I have received your letter of the 4th January, 1965, regarding G.T. Road.

Yours Sincerely,
RAM KISHAN.

Com. Ram Piara, M.L.A.,
L/309, Model Town,
Karnal.

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जब मेरे रीप्रिजैन्टेशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहिब ने नवम्बर, 1962 में पंजाब गवर्नमैन्ट को लिखा था तो उस वक्त जी. टी. रोड को सेफगार्ड करने के लिये क्यों नहीं कोई दिलचस्पी ली गई ?

मन्त्री : आनरेबल मैम्बर ने अपनी चिट्ठी में जो हवाला दिया था कि जी. टी. रोड को यमुना नदी से फलड्ज़ आने पर खतरा है तो उस दलील में कोइ वज़न नहीं निकला था। बल्कि उस की वजह से अफसरों की तवज्जोह दूसरी तरफ डायरैक्ट हुई थी वरना प्रापर प्रबन्ध हो जाना था।

कामरेड राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि मेरी बात में वज़न नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि चीफ इंजीनियर ने जो यह चिट्ठी लिखी थी जिस में यह लिखा था—

> "With reference to your letter, dated 6th November, 1962, addressed to the Prime Minister of India, I have the honour to say that the work of tamming the river Jamuna in the reach is understood to have been taken up by Irrigation Branch and the matter has consequently been taken up with that Branch. Final comments of the Chief Engineer, Irrigation Works, Punjab are awaited. Further communication will follow on receipt of a reply from him."

जब यह चिट्ठी उन्होंने पंजाब गवर्नमैन्ट को लिखी मुझे भी लिखी और केन्द्रीय सरकार को भी लिखी तो इस के बाद मुझे कोई जवाद न देना या उस पर कोई एक्शन न लेने की क्या वजह है ?

मन्त्री : दरयाये यमुना के फ्लड्स से कोई नुक्सान जी. टी. रोड को नहीं हुआ। बल्कि ड्रेन नम्बर 6 और डाईवर्शन नम्बर 8 में ब्रीच होने की वजह से नुक्सान हुआ है।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟ 'ਡੀ' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ "ਨੋ" । ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੈਸਪਾਂਡੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ?

मन्त्री : इस के मुताल्लिक कोई चिट्ठी नहीं आई ।

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, पिछले सवाल का तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया । मैं एक और चिट्ठी का हवाला देकर पूछता हूं । यह चिट्ठी भी जी.टी. रोड को बचाने के सम्बन्ध में है यह मुझे 19 दिसम्बर, 1963, को आई थी । इसमें लिखा है :—

Dear Sir, * * * * * *
* * * * * *

In continuation of this office letter No. 45-RI-63/5096/RI, dated 29th May, 1963, I have the honour to say that although no reply has been received from the Chief Engineer, Irrigation Branch despite repeated reminders, it is understood that Irrigation Branch is widening Drain No. 2 which passes in between river Jamuna and G.T. Road and there are now lesser chances of G.T. Road being flooded.

Yours faithfully,

(Sd.) . . .,
EXECUTIVE ENGINEER (S),
for Chief Engineer, Punjab,
P.W.D., B. & R. Branch, Patiala."

मेरा सवाल यह है कि जब चीफ इंजीनियर ने किसी चिट्ठी का न गवर्नमैन्ट को जवाब दिया, न प्राइम मिनिस्टर को दिया, न होम मिनिस्टर को दिया और न ही मुझे दिया और उस में लिखा है कि ड्रेन नम्बर 2 को वाईडन किया जा रहा है तो गवर्नमैन्ट ने अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया । इस का कारण क्या है ?

मन्त्री : मैं आनरेबल मैम्बर साहिब को बता देना चाहता हूं कि ड्रेन नम्बर 2 को उसकी फुल कैपैसिटी तक वाईडन कर दिया गया है । जी.टी. रोड को न तो ड्रेन नम्बर 2 से और न जमुना के पानी से किसी किस्म के फ्लडिंग का खतरा था और न ही इन से नुक्सान हुआ है । ड्रेन नम्बर 6 और डाइवर्शन ड्रेन नम्बर 8 के फलडिंग से ही नुक्सान हुआ है क्योंकि वहां पर इन का पानी ओवर फ्लो करके आया ।

Mr. Speaker : Next question please.

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, इस पर अभी और सप्लीमैंटरीज़ की इजाज़त दीजिए । यह बड़ा इम्पार्टेंट सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : इस से भी ज्यादा इम्पार्टेंट सवाल आगे आ रहे हैं । (The next questions are even more important than this.)

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, यह गलत बात है । क्या नेशन से भी ज्यादा इम्पार्टेंट कोई सवाल हो सकता है ? कई मामूली सवाल होते हैं, चार आने की बात आती है तो आप एलो कर देते हैं । यह बड़ा इम्पार्टेंट सवाल है ।

Mr. Speaker : The hon. Member has put a number of supplementaries. I have called the next question now.

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मिस्टर स्पीकर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जिस तरह से कोई खास दिन मुकरर हो जाता है किसी मनिस्टर के लिए कि उस दिन उसी ने जवाब देना है और उन्हीं के मुताल्लिक सवाल आएंगे इसी तरह से यह दिन आज कामरेड राम प्यारा के लिए समझ लीजिए (हंसी) ।

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर, स्पीकर साहिब, आप को पता नहीं कि वहां ईंटें कहां से आ रही हैं, रोड़े कहां से आ रहे हैं, रेत कहां से आ रही है। इन्हीं बातों के सम्बन्ध में मैं सप्लीमैन्टरीज़ करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो लैटर पढ़ना शुरू कर देते हैं और सारे का सारा रिफरेंस देना शुरू कर देते हैं। आप रैलेवैन्ट सवाल पूछें। (The hon. Member starts reading letters and giving full references. He should put a relevant question.)

Comrade Ram Piara : These are not my letters. These are the letters from the Government.

Mr. Speaker : All right. The hon. Member may put a last supplementary.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : It is all right. It will be the last supplementary on this question.

कामरेड राम प्यारा : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपया करेंगे कि यह जो जी. टी. रोड डैमेज हुई हुई है इसकी मुरम्मत करने के लिये ईंटें नजदीक से क्यों नहीं मंगवाइ जा रही हैं और दूर से क्यों लाई जा रही हैं?

मन्त्री : वैसे तो इस के लिये अलग नोटिस दे दें तो बताया जा सकता है लेकिन बाकायदा तौर पर ऐसे कामों के लिये टैन्डर मंगवाये जाते हैं और जिसका टैंडर लोएस्ट होगा इसको काम दे दिया गया होगा।

Mr. Speaker : Next question please.

कामरेड राम प्यारा : स्पीकर साहिब, निहायत घटिया किस्म का मैटीरियल इस्तेमाल हो रहा है जिस को वजह से यह सड़क दुबारा डैमेज होगी। यह नेशन का नुक्सान हो रहा है। स्पीकर साहिब, मैं यह इल्जाम लगाता हूं कि वहां पर जिस किस्म की ईंटें इस्तेमाल होनी चाहियें थीं वैसी ईंटें इस्तेमाल नहीं हो रहीं। जैसा स्टोन इस्तेमाल होना चाहिये था वैसा स्टोन इस्तेमाल नहीं हो रहा।

Mr. Speaker : Next Question please.

(*At this stage, the Hon. Minister rose to speak.*)

Mr. Speaker : No please. The Hon. Minister may not reply.

Minister : Sir, I am not replying to the supplementary. I only want to assure the hon. Member that if he brings any such case to my notice that will be properly looked into and attended to.

Electrification of Villages in the State

***7127. Shri Ram Saran Chand Mittal** : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the percentage of villages so far electrified in each district of the State ;

(b) the number of villages electrified in Mohendragarh District, tehsil-wise and Assembly Constituency-wise ;

[Shri Ram Saran Chand Mittal]

(c) the steps, if any, proposed to be taken to bring the backward district of Mahendragarh at par with other districts like Amritsar in the matter of electrification ;

(d) whether any villages of Nangal Chaudhry and Satnali Police Stations have been electrified ; if not, the time by which they are likely to be electrified ?

Ch. Rizaq Ram : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Tehsil Dadri .. 43
Tehsil Mohindergarh .. 16
Tehsil Narnaul .. 12

The information on the basis of Assembly Constituency is not maintained.

(c) The matter will be considered when additional funds become available.

(d) The time for electrification of these villages cannot be indicated at this stage.

Statement showing percentage of places Electrified district-wise in the Punjab

Serial No.	Name of District	Percentage of places electrified up to December, 1964
		Per cent
1	Mohinaergarh	12.6
2	Kapurthala	15.1
3	Simla	10.6
4	Patiala	18.5
5	Jullundur	33.1
6	Ambala	12.1
7	Ludhiana	40.7
8	Bhatinda	14.7
9	Sangrur	16.3
10	Gurgaon	15.7
11	Karnal	19.1
12	Amritsar	69.4
13	Kangra	41.3
14	Ferozepore	19.8
15	Hissar	17.9
16	Rohtak	33.6
17	Hoshiarpur	14.3
18	Gurdaspur	41.4

Shri Ram Saran Chand Mittal : May I know whether it is not possible for the Minister to give Assembly Constituency-wise information in this connection ? There are Constituencies where not a single village has been electrified so far.

मन्त्री : असैम्बली कान्स्टीचुएंसी वाइज़ रिकार्ड तो मेनटेन नहीं करते। वैसे ग्रानरेबल मैम्बर साहिब मुझे मिल लें उनको जो इत्तलाह चाहिये वह उन को दे दी जाएगी।

चौधरी नेतराम : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर के मुकाबले में पंजाब के बाकी ज़िलों को प्रतिशत के हिसाब से बिजली कब तक दे दी जा सकेगी ?

श्री अध्यक्ष: यह इस से एराइज़ नहीं होता। (It does not arise out of the main question.)

श्री फतेह चंद विज : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि साल 1964-65 में इस किस्म का कोई प्रोग्राम बनाया गया था कि किन किन ज़िलों में किन किन गांव को बिजली दी जायेगी ?

मन्त्री : यह तो दरियाफत नहीं किया गया है कि क्या प्रोग्राम बनाया गया था। सवाल तो सिर्फ यही पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट-वाईज़ कितने कितने गांव इलैक्ट्रिफाई हुए। उस सम्बन्ध में जो स्टेटमैन्ट है वह टेबल पर ले कर दिया गया है।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟੀਊਬਵੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

मन्त्री : यह गवर्नमैन्ट की डिक्लेयर्ड पालिसी है कि ऐग्रीकलचरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये कुनैक्शन देने में टाप प्रायर्टी दी जाएगी।

चौधरी नेत राम : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के सभी ज़िलों को बिजली के कुनैक्शन देने में प्रतिशत के हिसाब से एक ही सतह पर लाने के लिये कितना अर्सा लग जायेगा ?

मन्त्री : कितना अर्सा लग जायेगा, इस के मुताल्लिक तो नहीं कह सकता लेकिन इतना निवेदन ज़रूर कर देना चाहता हूं कि जिस पालिसी का गवर्नमैन्ट ने अब फैसला किया है उसकी रू से हम बिजली पहले उन एरियाज़ में देंगे जहां इरीगेशन के लिए पानी बिल्कुल कम है। उसके बाद जहां कैनाल वाटर नहीं मिलता और कुओं का पानी मिलता है और तीसरे उन एरियाज़ को लेंगे जहां पर कैनाल इरीगेशन तो हो पर वैल्ज़ से भी दिया जा सके। प्रायर्टी ऐग्रीकलचरल प्रोडक्शन को देंगे। जिन इलाकों में रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन का काम ज़्यादा हुआ है उन पर आइंदा के लिये कम पैसा खर्च करेंगे और जो एरियाज़ पीछे रह गए हैं उन पर ज़्यादा रुपया खर्च किया जायेगा।

श्री जगन्नाथ : चौधरी साहिब जब लौहारू गये थे तो वहां पर कह कर आए थे कि आप के गांव को जल्दी से जल्दी बिजली दी जायेगी। वहां पर अभी तक एक भी वैल

[श्री जगन्नाथ]

की एनरजाईज़ नहीं किया गया । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इतनी देर होने की क्या वजह है ? जल्दी जल्दी करते हुए भी क्या आप बता सकेंगे कि कितनी देर और लग जायेगी ?

मन्त्री : इस के लेट होने का कारण यह है कि जिस वक्त मैं लोहारू गया था तो आनरेबल मैम्बर वहां से गैर हाज़िर हो गये थे और इस के लिये उन्हों ने कोशिश नहीं की। वैसे मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि हम ने यह फैसला किया है कि इस काम में लोहारू सब-तहसील को प्रैफ्रेंस दी जाए।

श्री सत्य देव : क्या लोक कार्य मन्त्री बतायेंगे कि ज़िला फिरोज़पुर में जितने गांवों को 1963-64 के दौरान बिजली दी जानी थी उतनों को न दी जाने की क्या वजह है ?

(जवाब नहीं दिया गया)

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जैसा कि उन्हों ने अभी फरमाया है कि बिजली के कुनैक्शन देने में टियूब वैल्ज़ को परायरटी दी जाती है, तो क्या उन के नोटिस में यह बात आई है कि कई जगह पर ऐसे केस भी हैं कि जहां टियूब-वैल्ज़ के लिये दरखास्तें दिए हुए काफी अरसा हो गया है और इस के अलावा उन लोगों ने बाकी की बहुत सारी जो फार्मैलिटीज़ होती हैं वह भी पूरी कर रखी हैं लेकिन अभी तक उनको बिजली के कुनैक्शन नहीं मिल सके ?

मन्त्री : यह बात ठीक है। पिछले अगस्त-सितम्बर तक कोई 12 हज़ार दरखास्तें टियूबवैल्ज़ कनैकशन्ज़ के लिये पैंडिंग थीं जिन में से 5 या 6 हज़ार ऐसी थीं जिन की टैस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी थीं। लेकिन उनको कुनैक्शन्ज़ नहीं दिये जा सके थे। अब उन को कनैक्शन्ज देने के लिये हम ने बाकी सब इलैक्ट्रिफिकेशन का काम सस्पैन्ड कर दिया है और सिर्फ टियूब-वैल्ज़ को ही कुनैक्शन देने का फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि मार्च के आखिर तक हम करीबन 6 हज़ार टियूबवैल्ज़ को कुनैक्शन दे सकेंगे।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ I. A. D. P. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਇਰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

मन्त्री : यह ठीक है कि ज़िला लुधियाना में पैकेज प्रोग्राम चल रहा है और वहां इरीगेशन प्रपज़िज़ के लिये हम बिजली के कुनैक्शन within the scope of our means देने के लिए तैयार हैं।

सरदार कुलबीर सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिन वाटरलागड एरियाज़ में पानी का लैवल बहुत ऊंचा आ चुका है वहां उस लैवल को नीचे ले जाने के लिये सरकार टियूबवैलों के लगाने के लिये बिजली के कुनैक्शन्ज़ देने के काम में प्रैफ्रेंस देने को त्यार है ?

मन्त्री : ऐसे इलाकों में जहां शैल्लो ट्यूबवैल्ज़ लग सकते होंगे वहां कुनेक्शन देने के लिये फण्ड्ज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे और इस काम को प्रयारिटी देंगे। उन इलाकों में अगर वहां कैनाल इरीगेशन नहीं है और अगर शैल्लो ट्यूबवैल्ज़ वहां लग सकते हैं वहां उन के लिये बिजली के कुनैकशन्ज़ देने के काम को प्रायरटी देंगे और यूबवैलों के लिए भी फण्ड्ज़ देने की कोशिश करेंगे, जहां ज़रूरत पड़ेगी।

Electric connections for Tubewells in Gurgaon District

***7159. Rao Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) the total number of applications for electric connections for tube-wells pending in the Gurgaon District as on 31st December, 1964 ;

(b) the total number of applicants out of those mentioned in part (a) above, who have deposited the requisite security and completed other formalities ;

(c) the number of tube-wells engergised in each Sub-Division in the Gurgaon District during the period from 31st March, 1964 to 31st December, 1964 ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) 986.

(b) 256.

(c) "OP-Operation Sub-Division :—

(i) 'OP' Sub-Division, Gurgaon	..	97
(ii) 'OP' Sub-Division, Palwal	..	47
(iii) 'OP' Sub-Division, Rewari	..	64
Total	..	208

राओ निहाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जब ट्यूबवैलों के लिये बोर्ड बिजली के कुनैक्शनज़ दे नहीं सकता तो उन के लिये सिक्योरिटीज़ क्यों जमा करवा ली जाती हैं ?

मन्त्री : सिक्योरिटीज़ इस लिये जमा करवा ली जाती हैं कि जब कनैक्शन दिए जायें तो वही सिक्योरिटी काम आ जाये।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the Public Works Minister kindly state whether the connections could not be given because of non-availability of material or paucity of funds ?

मन्त्री : दोनों बातें ठीक हैं मैं गल्त नहीं कहता। इक्यूपमैन्ट की भी कमी है और फण्डज़ की भी कमी है। हम दोनों को मुहैया करने को कोशिश कर रहे हैं।

राओ निहाल सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब के नोटिस में यह बात आई है कि बिजली के कुनैक्शन तब दिये जाते हैं जब उन को रिशवत दी जाए ?

मन्त्री : नहीं, यह बात तो नहीं है। यह ठीक है कि कई जगहों पर रिश्वत की शिकायतें आई हैं उनको बन्द करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है।

Supply of Electricity for Tubewells in village Sikandarpur Badha, tehsil Gurgaon

***7160. Rao Nihal Singh :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister/authorities concerned received any representation on behalf of the residents of village Sikandarpur Badha, tehsil Gurgaon, regarding non-supply of electric connections to tube-wells; if so, the action, if any, taken thereon ;

(b) the number of tube-wells, if any, energised in the said village so far ;

(c) the total number of applications for electric connections for tube-wells in the above-mentioned village pending at present together with the number of such applicants among them who have deposited their requisite security for getting the connections ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No.

(b) One.

(c) (i) Sixteen.

(ii) Out of the 16 pending applications security has been deposited by 13 applicants.

Setting up Commission/Board to look into the grievances of Harijans

***7207. Shri Jagan Nath :** Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state whether any Commission or Board has been set up by Government to look into the grievances of Harijans in the State ; if so, the names of the members of the said Commission or Board ?

Chaudhri Rizaq Ram : No.

श्री जगननाथ: क्या मिनिस्टर साहिब बताऐंगे कि इन्होंने जो इस सवाल के जवाब में कहा है 'नो,' तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले सैशन में क्या उन्होंने यह वायदा नहीं किया था कि हरिजनों की ग्रीवेनसिज़ सुनने के लिये वह जल्द ही एक इस किस्म का बोर्ड या कमिशन बना रहे हैं, ?

मन्त्री : पिछले सैशन में यह बात कही थी कि हरिजन वैलफेयर डिपार्टमैन्ट की जो मुख्तलिफ स्कीमें हरिजनों के कल्याण के लिये चल रही हैं उस काम को इवैलियूएट करने के लिये एक इवैल्यूएशन सब-कमेटी सरकार बनाने का विचार कर रही है। स तरह का कोई बोर्ड या कमिशन बनाने के लिये नहीं कहा गया था जिस तरह का माननीय मैम्बर ने पूछा है।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਅਗਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹਨ ?

मंत्री : इस के लिए अलवा नोटिस दे दीजीए। नाम भी पता कर के दे दिए जाएंगे।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि क्या यह ठीक नहीं है कि पिछले सेशन में चौधरी सुन्दर सिंह ने ऐसी एक कमेटी के बनाए जाने का एलान नहीं किया था और अगर किया था तो उस कमेटी के मैम्बरों के नाम बताने में सरकार क्यों देर लगा रही है ? क्या उन्हों ने 14 मैम्बरों की एक कमेटी बनाए जाने का एलान नहीं किया था ?

मंत्री अभी वह ज़ेरे-गोर है ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਧੂਰਾਮ, ਐਮ. ਪੀ., ਹੋਣਗੇ ?

मंत्री : अभी इस बारे में फैसला फाईनेंलाईज़ नहीं हुआ ।

Review of the case of Sardar Kapur Singh (Lately of the I.C.S.)

*7157. **Sardar Gurnam Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that in the departmental proceedings against Sardar Kapur Singh, lately of the I.C.S. and now a Member of the Lok Sabha, as many as five applications, dated (i) 1st July, 1950; (ii) 1st July, 1950; (iii) 5th July, 1950; (iv) 11th August, 1950; (v) 5th September, 1950, requesting for supplying of copies of already recorded statement of P.Ws., as to enable cross-examination, were rejected by the Enquiry Commissioner, and in subsequent writ proceedings and representations that rejection was deemed by the High Court, the Supreme Court, the President of India and the Union Public Service Commission, as not violative of requirements of Article 311(2) of the Constitution ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether it is fact that subsequent to it the Supreme Court has laid down the law that non-supply of or refusal to supply such copies constitutes an infringement of the mandatory requirements of Article 311(2) of the Constitution, such as renders void, all disciplinary orders passed on the basis of such department proceedings ;

(c) whether it is a fact that following this law as laid down by the Supreme Court, the Punjab High Court has quashed dismissal or other orders passed against a large number of public servants in the Punjab and the Punjab Government have conceded this interpretation of law in all such cases ;

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, what steps Government propose to redress and set right the grave miscarriage of justice done in the case of Sardar Kapur Singh by the void and illegal order of dismissal passed against him ?

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : (a) The record of the inquiry held against Shri Kapur Singh in the year 1950-51 is not available with the Government. Efforts made to trace the file have not been successful. Therefore, in the absence of the file no definite answer can be given. However, no mention of five applications referred to in the question has been made in the report of the Inquiry Commissioner, the order of the President of India, the judgement of the High Court or the judgement of the Supreme Court. Both the High Court and the Supreme Court took the view that the order of dismiesal of Shri Kapur Singh was not violative of Article 311 of the Constitution of India, but the decision proceeded on other grounds.

(b) The Supreme Court in its judgement, reported as A.I.R. 1961, S.C. 1623, held as follows :—

"Stating it broadly and without intending it to be exhaustive it may be observed that rules of natural justice require that a party should have the opportunity of aducing all relevant

[Chief Parliamentary Secretary]

evidence on which he relies, that the evidence of the opponent should be taken in his presence, and that he should be given the opportunity of cross-examining the witnesses examined by that party, and that no materials should be relied on against him without his being given an opportunity of explaining them. The right to cross-examine the witnesses who give evidence against him is a very valuable right, and if it appears that effective exercise of this right has been prevented by the inquiry officer by not giving to the officer relevant documents to which he is entitled, that inevitably would mean that the inquiry had not been held in accordance with rules of natural justice."

(c) Each case has to be decided on its own facts and merits. It is of course true that on the facts of some cases the Punjab High Court, following the judgement of the Supreme Court, has quashed dismissal orders where a request for the supply of copies of statements of witnesses recorded during the preliminary inquiry, was made at the proper time but the copies were not allowed.

(d) The High Court and the Supreme Court having decided the cas e against Shri Kapur Singh, no question arises regarding the order of dismiss al being void or illegal or there being grave mis-carriage of justice. As such there is nothing for the Government to be done in the matter.

Sardar Gurnam Singh : The Chief Parliamentary Secretary has told us that in the case of S. Kapur Singh, a different view was taken by the Supreme Court. In the latest case of Mr. R. P. Kapur, I.C.S., they have held that non-supply of copies is violative of Article 311(2) of the Constitution of India. In view of this finding, does the Government not feel the necessity to refer the case to the Government of India for giving justice to the gentleman concerned ?

Education and Local Government Minister : The Government has no intention to refer the matter to the Government of India. If the Officer concerned feels that some relief can be given to him in the changed circumstances, he is free to take whatever steps he wants to take.

Sardar Gurnam Singh : Can the Government give reasons as to why they do not feel the urge of referring the case to the Central Government when they know that the findings of the Supreme Court has resulted in injustice has been done to the Officer concerned ?

Minister : I am afraid, the Government cannot agree with the assertion of the hon. Member that injustice has been done. The Officer went in appeal to the High Court, Supreme Court and in both the cases his appeal was rejected. He was given the fullest opportunity to explain his case. It was after thorough enquiry that the Government arrived at a particular decision.

Sardar Gurnam Singh : According to the finding of the Supre me Court, natural justice requires that copies of evidence must besupplied to the persons against whom enquiry is held. In view of that particular finding of the Supreme Court, does the Government not feel the urge to refer the case to the Government of India ?

Minister : It is for the aggrieved Officer to go to the High Court, Supreme Court or the President of India if the recent judgment entitle him for any relief and the Government will not stand in his way.

Sardar Gurnam Singh : Supplementary Question, Sir.

Mr. Speaker : The reply has already come.

Sardar Gurnam Singh : Sir, the enquiry was held at the instance of the Punjab Government. The Enquiry Commission was also appointed by the Punjab Government. In view of all this, the Government is persisting in not taking any action in the matter. May I know the reasons for this ?

Minister : The final decision was taken by the President of India in consultation with the Union Public Service Commission. In the initial stages, the Punjab Government took action. As regards the final decision in the matter, the Government of India, President of India and the Supreme Court were responsible.

Sardar Gurnam Singh : It has been stated in the reply by the Government that the file is not available. Is the Government not responsible for not tracing out the file ? Does the file not remain in the possession of Government ?

Minister : Sir, certain files are destroyed after 10 years while others are destroyed after five years. We have made efforts to locate the file. We have approached the Registrar of the High Court, but we very much regret that in spite of our best efforts we have not been able to lay our hands on the file.

Setting up Commission/Board to look into the grievances of people of Hariana Area

***7206. Shri Jagan Nath :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have set up any Commission or Board in the State to look into the grievances of people living in the Hariana area ; if so, the names of the members of the said Commission or Board ?

Chaudhri Rizaq Ram (Minister for Public Works and Welfare) : Yes, a special Hariana Development Committee has been set up under the Chairmanship of Shri Sri Ram Sharma with the following members :—

Non-official—

(1) Shri Gajraj Singh, M.P.
(2) Shri Suraj Mall, Hissar.
(3) Shri Chand Ram, M.L.A.
(4) Professor Sher Singh, M.L.C.
(5) Mrs. Om Prabha Jain, M.L.A.
(6) Shri Hardwari Lal, M.L.A.
(7) Shri Nihal Singh, M.L.A.
(8) Shri G. L. Bansal, Secretary-General, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, New Delhi.

Official—

(1) Shri Saroop Krishan, I.C.S., Financial Commissioner, Planning.
(2) Shri R. S. Randhawa, I.A.S., Commissioner for Agricultural Production and Rural Development.
(3) Shri A. N. Kashyap, I.A.S., Commissioner, Ambala Division.
(4) Shri Hoshiar Singh, Deputy Commissioner, Sangrur.
(5) Shri L. C. Gupta, I.A.S., Member-Secretary.

श्री जगन्नाथ : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि यह जो कमिशन है क्या यह किसी खास डिपार्टमैन्ट को देखेगा या हरियाणा के लोगों की तमाम की तमाम ग्रीवेंसिज़ जैसे सर्विसिज़ में उनका हिस्सा वगैरह या डिवैलपमैन्ट के मुताल्लिक हरेक बात को देखेगा ?

लोक कार्य मन्त्री : सर्विसिज़ बारे खास तौर पर ज़िक्र तो नहीं है मगर डिवैलपमैन्ट को सामने रखते हुए अगर वह देखना चाहें तो देख लें। यह उनके देखने की बात है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, May I ask the Minister for Public Works and Welfare as to what were the circumstances or what were the reasons that led the Government to appoint this Committee ?

मन्त्री : बहुत अर्सा से हरियाणा के लोगों को इस बात की शिकायत थी कि उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन में, या जो डिवैल्पमैंट के काम हो रहे हैं उन में उनके साथ इनसाफ नहीं हो रहा है । ऐसी ग्रीवेंस काफी अर्सा से चली आ रही थी चुनांचि सरकार ने यह मुनासब समझा कि यह जो पुरानी शिकायत चली आ रही है इस को ऐग्जामिन करने के लिये कि इस में कहां तक सचाई है यह कमेटी मुकर्रर कर दी थी ।

Comrade Ram Piara : Will the Minister for Public Works and Welfare be pleased to state the criterion kept in view by the Government in selecting the personnel of the Committee ?

मंत्री : इस में उन लोगों को लिया गया जो उस इलाके के बहुत इम्पार्टेंट लोग थे । ठीक है कुछ आप जैसे रह गए मगर सब को उस में शामिल नहीं किया जा सकता था ।

श्री जगन्नाथ : इन्होंने जो नाम बताये हैं उन में पांच तो झज्जर तहसील के हैं.... विघ्न....... मैं इन से पूछना चाहता हूं एक ही तहसील के पांच आदमी लेने का क्या कारण है जबकि कई जिले के जिले ही छोड़ दिये हैं ।

मंत्री : मैम्बरों की सोलैक्शन इस हिसाब से नहीं की गई कि वह कौनसी तहसील के हैं बल्कि उन की इम्पार्टेंस, उन का पब्लिक में काम करने का तजरुबा सामने रखा गया है (विघ्न) नहीं, प्रोफैसर शेर सिंह कांग्रेस पार्टी के मैम्बर नहीं हैं ।

Pandit Chiranji Lal Shrama : Sir, may I know whether the Hariana Development Committee has been set up because Hariana has been lagging behind so far as development is concerned ?

मंत्री : अगर उस इलाके की डिवैल्पमेन्ट में कोई कमी है तो सरकार को इस बात को मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिये । Let that Committee examine the matter and put up a report whether Hariana is lagging behind or not ?

श्री जगन्नाथ : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह कमेटी कितने अर्से में रिपोर्ट करेगी ?

मंत्री : उन को चार महीने का अर्सा दिया है ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या इस कमेटी की रिपोर्ट चौथी पांच वर्षीय योजना की रूपरेखा फाइनलाइज़ होने से पहले आ जायेगी ? अगर नहीं आयेगी तो क्या प्लेन को फाइनलाइज़ करने से पहले इस रिपोर्ट का इन्तजार किया जायेगा ?

मंत्री : चौथी प्लैन की रूपरेखा तो मुलतवी नहीं की जा सकती । बाकी यह उमीद की जाती है कि यह रिपोर्ट चार महीने में हमारे पास आ जायेगी । अगर यह चौथी प्लैन के मुरत्तब करने से पहले आ गई तो उस सम्बन्ध में इस का फायदा उठाया जा सकता है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Minister kindly state the powers and the terms of reference of this Committee ?

Mr. Speaker : They are published in the gazette which is available to the hon. Member.

Communication from a Legislator containing suggestions for effecting Savings in Expenditure

***7537. Comrade Ram Piara :** Will the Chief Minister with reference to the reply to Starred Question No. 2704 included in the list of questions for 15th March, 1963, be pleased to state—

(a) whether the consideration of the points/suggestions made by the legislator in his communication referred to in part (a) of the said reply has been finalised in pursuance of the assurance given in the Chief Secretary's letter No. 3644-P-64/20152, dated the 25th September, 1964, which says that "full consideration has been and will be given to the points mentioned by Shri Ram Piara, M.L.A."; if so, the details thereof point-wise ;

(b) a copy of the said communication be laid on the Table of the House ?

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : (a) & (b) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained .

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी बतायेंगे कि जो कमूनीकेशन गवर्नमैन्ट को भिजी है और जिस पर गौर हो रहा है उसकी कापी को टेबल पर रखने में क्या एतराज है ?

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : यह तो कामरेड राम प्यारा ने खुद दे भेजी है और इन्हें तो उस के बारे में सब पता है । मैं तो स्पीकर साहिब आप से मदद चाहूंगा कि आए दिन इन की तरफ से एक चिट्ठी ए.डी. आ जाती है और मुझे लेते हुए भी डर आता है कि कल फिर यह असैम्बली में यह एक सवाल ले आएंगे ।

So far as his representation is concerned, he knows what his contents are, because it is he who sends it.

कामरेड राम प्यारा : आन ए वायंट आफ आडर, सर । जनाब इस से सरकार को 1 करोड़ रुपये की बचत होती है इस लिये इस का जवाब नहीं आ रहा । आप मेरी गुस्ताखी माफ करें कि मैं यह कहूं कि आपने मेरे सवाल को पढ़ा ही नहीं । यह सवाल तो सन् 1963 से चला आ रहा है ।

Mr. Speaker : It is a matter of opinion.

Comrade Ram Piara : No, Sir. मैं आप की आथारेटी को चैलन्ज नहीं करता मैं तो सिर्फ यह अर्ज कर रहा हूं कि यह सवाल सन 1963 से चला आ रहा है और मैं पूछना चाहता हूं कि ..... (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Next question please. I do not allow this supplementary.

कामरेड राम प्यारा : आप, स्पीकर साहिब, सुनिए तो सही, You are not allowing me to put the supplementary. It is rather unfair on the part of the Chair.

Minister : I would respectfully request the Chair to ask the hon. Member to withdraw his remarks. He should be respectful to the Chair.

Comrade Ram Piara : Mr. Speaker, I should be allowed to put the supplementary.

श्री अध्यक्ष : अगर गवर्नमैंट जवाब न देना चाहे तो .... (If the Government do not want to reply the question then......)

कामरेड राम प्यारा : तो गर्वनमैंट यह कह दे कि वह जवाब नहीं देना चाहती। यह सवाल तो 1963 से चल रहा है ।

Mr. Speaker : Please take your seat. Do not obstruct the proceedings. अगर आप न हटेंगे तो कोई और एक्शन लेना पड़ेगा । The hon. Member to Please take his seat. Don't obstruct the proceedings. If he does not obey the Chair, some other action will have to be taken.)

कामरेड राम प्यारा : जनाब मैं तो यह कहता हूं कि यह सवाल सन 1963 से चला आ रहा है आप ने इसे पढ़ा ही नहीं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप ने फिर ये लफ्ज़ रीपीट किए हैं This is in bad taste.

(The hon. Member has again repeated these words. This is in bad taste.)

(At this stage, Comrade Ram Piara again rose to put a supplementary Question).

Mr. Speaker : Please take your seat. No further question please.

Comrade Ram Piara : Sir, I rise on a Point of Order. I do not challenge the Chair, but I must say that this question was sent to the Government in 1963, but I have not been given the reply.

Mr. Speaker : No, please.

(Interruptions and noise)

Comrade Ram Piara : Mr. Speaker............

Mr. Speaker : Please take your seat. You have been obstructing the proceedings of the House for a long time. I will not allow any further obstruction.

Comrade Ram Piara : Please hear me........

Mr. Speaker : I will have to name the hon. Member. He is not obeying the Chair. In fact, he is creating nuisance. This will not be allowed.

Comrade Ram Piara : I resent these remarks. You should withdraw them ....

(Interruptions and noise)

Mr. Speaker : You are not obeying the Chair. Either take your seat or withdraw from the House.

Comrade Ram Piara : On a Point of Order, Sir. Please withdraw your remarks against me.

Mr. Speaker : This is no point of Order. Please resume your seat. and do not interrupt. Next question please.

(Interruptions and noise)

Quota of Pig Iron, etc., given to Adarsh Factory, Batala, district Gurdaspur

*7319. **Shri Mohan Lal** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether "Adarsh Factory", Batala, district Gurdaspur, obtained quotas of pig iron, coal, sheets or other raw materials during the years from 1948 to 1965, if so, for what period ;

(b) the full particulars of the quotas of raw materials mentioned in part (a) above obtained by the said factory during the above mentioned period be laid on the Table of the House ;

(c) the name of the proprietor of the above-mentioned factory since 1948 up-to-date ;

(d) whether the factory mentioned in part (a) above was ever leased out by the proprietor to anybody else during the said period, if so, to whom and for what period ;

(e) the names and addresses of the applicants who had been making applications half-yearly or yearly for obtaining the quotas of raw materials, etc. ;

(f) whether the quota of the above-mentioned factory remained suspended for any period during the years from 1948 to 1965; if so, for what period and the reasons for the same ?

Shri Prabodh Chandra (Minister for Education and Local Government) : (a) No, Sir. There is no industrial unit of the name and style of "Adarsh Factory' at Batala, getting quota of pig iron and/or other controlled raw materials.

(b), (c), (d), (e), & (f) Do not arise.

श्री मोहन लाल : मैं होम मिनिसटर से यह जानना चाहूंगा कि आदर्श फैक्टरी नहीं तो क्या इस नाम से कोई और अदारा भी है बटाला में जिस को कोटा वगैरा मिला हो

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री : आदर्श फैक्टरी नहीं आदर्श इंडस्ट्रीज़ के नाम से है ।

There is a factory known as Adarsh Industries. Since I am connected with, I do not like to take shelter under the word 'factory' , otherwise I could say that there is no Adarsh factory. The Adarsh Industries belongs to me which has been leased out for the last 18 years except for a period of nine months from Ist January to the end of September, 1956 (*Thumping from the Opposition Benches*).

Shri Mohan Lal : I appreciate the spirit of the hon. Minister in saying that he owns the factory known as Adarsh Industries. So, will he please reply to the question and give the requisite information asked for in its parts (a) to (f).

Minister: Sir, this question did not concern my Department. It concerned the Chief Minister's Department and I had been asked to read out the answer on his behalf. I was a little hurt when the Government gave the reply that there was no industrial unit of the name and style of Adarsh Factory. There is Adarsh Industries of which I am the proprietor for the last 18 years which has been under lease, and I do not know what quotas have been allotted to it. But, this question was raised in the House some time back. With your indulgence, Sir, I would like to make the position clear. After the partition, I settled down in my home district Gurdaspur. Before partition,

Minister :

I was the Managing Director of a limited concern at Lahore drawing pay..............

Mr. Speaker : Now, the Question Hour is over and this question is postponed for tomorrow.

Minister : I welcome it, Sir.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45.

Confirmation of Employees in Provincial Transport Controller's Office

***7148. Shri Satya Dev :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Class III permanent posts in the Provincial Transport Controller's office at present ;

(b) the total number of Class III Government employees confirmed so far against the said permanent posts ;

(c) the total number of employees mentioned in part (a) above who have not been confirmed so far, together with the reasons therefor and the time by which they are likely to be confirmed ?

Shri Ram Kishan : (a) 90.

(b) 64.

(c) 26. The question of their *inter se* seniority and subsequent confirmation is under examination. The case of confirmation is likely to take a few months time.

Buses plying on Route from Chandigarh to Hissar

***7171. Shri Amar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Punjab Roadways buses which are plying from Chandigarh to Hisssar *via* Jind and *via* Tohana are obsolete, noisy and defective; if so, the reasons therefor and the steps taken or proposed to be taken by the Government to improve transport facilities on this route ?

Shri Ram Kishan : No Sir.

Grant of Civic Rights to Residents of Chandigarh

***7133. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Chief Minister be pleased to state whether Government has considered any proposal to give some sort of civic rights to the residents of Chandigarh; if so, the steps taken or proposed to be taken by Government in this respect.

Shri Ram Kishan : No.

Re-numbering of Sectors and Buildings in Chandigarh

***7134. Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Capital Project authorities decided to re-number all the Sectors and Buildings in Chandigarh ; if so, the date when the said decision was taken and the extent to which the work has been completed with the total expenditure incurred thereon so far ?

Shri Ram Kishan : Yes. In its meeting held on 5th June, 1961, the State Advisory Committee for Capital Project had decided to re-number all the Sectors and buildings in Chandigarh.

The re-numbering of houses in Sectors 7, 16, 19, 22 and 23 has been completed and a sum of Rs 3,014 has, so far been incurred on it.

Fair Price Shops in the State

***7169. Shri Amar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of Fair Price Shops so far opened by the Government in the State, district-wise, together with the total expenditure incurred on their managemment ;

(b) the total amount of profit earned or loss sustained by Government so far in running the said shops ?

Shri Ram Kishan: (a) Eight Government Fair Price Shops have been opened at Chandigarh and one each at Simla and Nangal. An expenditure of Rs 1,80,211 has been incurred on the management of these shops during the period from 28th December, 1962 to 30th September, 1964.

(b) The working of these shops during the period from 28th December, 1962 to 30th September, 1964 has shown a profit of Rs 2,00,180 subject to audit by the Accountant-General, Punjab.

Control over Price Line of Essential Commodities

***7170. Shri Amar Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state the steps so far taken by the Government to keep the price line of essential commodities under control in the State during the present crisis created by the rise in prices ?

Shri Ram Kishan : The required information is laid on the Table of the House.

Measures taken to hold the Price Line

(1) The Zonal restrictions imposed on the movement of wheat towards the end of March, 1964, have not only kept the food situation in this State under control, but have also helped in avoiding the cross movement of wheat.

(2) Increased supplies of imported wheat were arranged from the Government of India for the roller flour mills in the State. Against 6 000—7000 tonnes per month of imported wheat supplied to the mills by the Government of India in September and October, 1964, the receipts during December, 1964, were 23,808 tonnes and during January, 1965, 21,552 tonnes. As a result of this, the prices of indigenous wheat declined by about Rs 10 to Rs 12 per quintal.

(3) To augment the supply of imported wheat atta, distribution of about 15,000 tonnes of country wheat through consumers' co-operative stores/fair price shops has also been arranged from the stocks lying in the Provincial Reserve. The number of distributing points in the State has been raised from 3,505 in November '1964, to 6,021 at present (February 1965).

(4) Earlier in the season about 3,600 tonnes of country wheat had been purchased under the Price Support Scheme. Later, 77,000 tonnes of country wheat was acquired (including 663 tonnes from the growers) and another quantity of 7,893 tonnes was purchased through tenders. These stocks were utilised for seed and distribution purposes.

(5) The export of gram from the Punjab was banned completely with effect from the 21st September, 1964. As result of this the gram prices which had touched an all time record of Rs 85 per quintal by the second of September, 1964, declined to Rs 57 per quintal .

(6) About 3,500 tonnes gram was acquired from the traders during the sowing season for supply to the growers for seed purposes at reasonable rates.

(7) High prices of coarse grains in other States provided a great temptation for their export from this State. A ban on their export was imposed with effect from the

[Chief Minister]

15th December, 1964. This resulted in sizeable decline in the prices of coarse grains in the State.

(8) The Punjab has produced a bumper rice crop this year and we have a procurement target of 2.50 lakh tonnes of rice under the Government of India Levy Scheme as against the actual procurement of 1.88 lakh tonnes made last year. We have already procured 2.07 lakh tonnes of rice on Government of India account and 13,000 tonnes on State account. Adequate supplies of rice are available in the market and at the fair price shops at the controlled rates. The consumers have the option to draw any quantity of rice from the fair price shops on distribution cards.

(9) Sugar is being distributed at uniform retail prices throughout the State. Its price has been reduced from Rs 1.44 to Rs 1.31 per kg. With a view to supplement the supplies of crystal sugar, khandsari was also imported from U.P. and supplied to consumers at fixed rates.

(10) The prices of vanaspati have also come down. The Government of India have fixed the margin of profit for the Vansapati manufacturers.

(11) Prices of Kerosene Oil have been fixed by the Oil Companies.

(12) Inter-district movement and export of firewood is restricted by permits by the State Government. There is no shortage of soft coke which is being sold at fixed prices.

(13) Prices of 45 per cent production of mill-made dhoties, shirting and long cloth have been controlled by the Government of India.

(14) Anti-smuggling and enforcement measures have been further tightened.

(15) With a view to keeping vigil on the activities of the hoarders the amended Punjab Foodgrains Licensing Order has been rigorously enforced. The licenes are now also required to declare the godowns where the stocks are stored by them.

(16) The Government fair price shops for the sale of general consumer goods are working at Chandigarh, Nangal and Simla. These shops have helped a good deal in establishing the prices at these places at a reasonable level.

(17) Consumes Co-operative Stores have been set up in all towns of the state with a population of 50,000 and above for sale of essential commodities, general merchandise, provisions, cloth, etc.

(18) Big industrial undertakings, employing more than 300 workers each, are required to open fair price shops/consumers stores for their workers. Most of these Industrial Establishments have opened these shops.

(19) All possible steps have been taken to keep the rising prices of essential commodities under check, and the Government is keeping a close watch on the situation. The overall position of availability of wheat, atta, rice etc. is satisfactory.

Fair Price Shops

***7214. Shri Roop Lal Mehta :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Government Fair Price Shops functioning in the State at present ;

(b) the total number of such shops opened in Gurgaon District ;

(c) the quantity of foodgrains/atta provided to each of the shops mentioned in part (b) for supply to the consumers ?

Shri Ram Kishan : (a) 6,021.

(b) 177.

(c) The requisite information is given in the enclosed statement.

STATEMENT

(a) *Quantity of Wheat/Wheat atta Supplied to Fair Price Shops in Rural Areas of Gurgaon District.*

Serial No.	Name of village		No. of fair price shops	Quantity of wheat/wheat atta supplied (Bags)
1	Sudaka	..	1	530
2	Shahchoka	..	1	154
3	Balai	..	1	427
4	Kalakhora	..	1	193
5	Ballabgarh Marketing Society	..	1	168
6	Ghasera	..	1	840
7	Mohamad Pur	..	1	320
8	Budhera	..	1	466
9	Rai Pur	..	1	92
10	Mubarik Pur	..	1	337
11	Pataudi Mik	..	1	472
12	Jatauli	..	1	69
13	Dhankot	..	1	283
14	Punhana	..	1	500
15	Bisru	..	1	655
16	Singar	..	1	547
17	Rewari	..	1	84
18	Kapriwas	..	1	244
19	Deplabijora	..	1	686
20	Deegh	..	1	243
21	Khit	..	1	328
22	Pinagwan	..	1	388
23	Kalakheri	..	1	80
24	Mechana	..	1	322
25	Piranpura	..	1	365
26	Ujina	..	1	418
27	Ferozepur Neemak	..	1	360
28	Sakaras	..	1	197
29	Sikrawa	..	1	234
30	Bhupanai	..	1	80
31	Umri	..	1	138
32	Musadpur	..	1	191
33	Neemkhera	..	1	260
34	Khaikapatti	..	1	526
35	Hajipur	..	1	312
36	Andhup	..	1	204
37	Malerna	..	1	168
38	Khor	..	1	220
39	Bhadus	..	1	428
40	Pahari	..	1	164
41	Pirtala	..	1	201
42	Zakopur	..	1	459
43	Dhatir	..	1	294
44	Bamnikhera	..	1	217
45	Tukaya Was	..	1	84
46	Mooli	..	1	550
47	D.R.O., Gurgaon	..	1	80
48	Dighot	..	1	267
49	Dhar Dhan Patti	..	1	84
50	Uchagaon	..	1	194
51	Dayal Pur	..	1	714
52	Kherki	..	1	106
53	Lohinga	..	1	230

[Cheif Minister]

Serial No.	Name of Village		No. of fair price shops	Quantity of wheat/wheat atta supplied (Bages)
54	Dhoj	...	1	89
55	Bahail	...	1	40
56	Ter	...	1	180
57	Dharampur Panchayat	...	1	85
58	Manpur	..	1	118
59	Nainangla	..	1	220
60	Akera	...	1	225
61	Bela	...	1	120
62	Natauli	...	1	139
63	Behail	..	1	120
64	Burawara	..	1	50
65	Kharkhera	..	1	60
66	Gokalpur	..	1	160
67	Mohmad Nagar	...	1	123
68	Bazz Badher	..	1	120
69	Ghudana	..	1	50
70	Chanderni	..	1	265
71	Ladholi	..	1	60
72	Sarmathla	..	1	120
73	Phardhuri	..	1	138
74	Palwal	..	1	105
75	Daulatabad	...	1	112
76	Rithar	..	1	60
77	Ram Pur Shopur	...	1	57
78	Wazirpur	...	1	5
79	Manjhawal i	...	1	60
80	Otha	...	1	150
81	Biwan	..	1	130
82	Salagarh	...	1	151
83	Palwal	...	1	67
84	Firoje Pur	..	1	30
85	Tanka	..	1	5
86	Alhapur	...	1	5
87	Oganpur	..	1	5
88	Mohaslipur	..	1	37
89	Bedpur	..	1	6
90	Deali	...	1	49
91	Durgapur	..	1	14
92	Sahapur	...	1	60
93	Nrshing Pur garhi Kund	..	1	100
94	Nuh Co-op. Marketing Dal Mills, Nuh	..	1	130
95	Tauta Co-op. Agri. Service Society	...	1	84
96	Kondal Co-op., Agri. Service Society	...	1	84
97	R.C. Sharma Palwal Ballabgarh	..	1	80
98	Tula Ram Contractor, Ballabhgarh	..	1	84
99	Laphuri	..	1	90
	Total	...		20,640 Bags

(b) *quantity of wheat/atta supplied to fair price shops in Urban Areas of Gurgaon District*

Serial No.	Name of the Depot-holder		Place	Quantity issued to the Depot-holders (Bags)
1	M/s Bhagwan Dass-Puran Chand	..	Gurgaon	294
2	M/s Duni Chand-Chander Parkash	..	Do	270
3	M/s Hem Raj Sham Sunder	..	Do	260
4	M/s Bhagwat Prasad	..	Do	58
5	M/s Jai Narain Man Singh	..	Do	292
6	M/s Jai Narain Pratap Singh	..	Do	277
7	M/s Vir Bhan Om Parkash	..	Do	268
8	M/s Ram Lal	..	Do	260
9	M/s Ganga Parshad Gian Chand	..	Do	380
10	M/s Ram Chand	..	Do	340
11	Shri Jagan Nath Gupta	..	Sohna	342
12	M/s Chandan Singh Raghraj Singh	..	Do	358
13	Om Parkash son of Amar Chand	..	Holi Mandi	120
14	Harish Chand Lal Chand	..	Pataudi	224
15	Sangat Rai Uggar Sain	..	Farukhnagar	747
16	M/s Chuttan Lal Mahavir Parshad	..	F/Jhirka	210
17	M/s Kalu Ram Sohan Lal	..	Do	210
18	Shri Shoebaksh	..	Bawal	100
19	Shri Ladha Ram Ram Lal	..	Nuh	248
20	M/s Giasi Ram Mool Chand	..	Hodel	231
21	M/s Ruli Chand Brij Lal	..	Do	231
22	M/s Sham Lal Gopi Chand	..	Ballabgarh	224
23	M/s Khichu Mal Badri Parsad	..	Do	224
24	M/s Badri Parsad Vijay Mohan	..	Do	224
25	M/s Vishan Dass	..	Do	224
26	M/s Sher Singh	..	Rewari	511
27	M/s Gopi Ram Suresh Kumar	..	Do	200
28	M/s Dev Karan Dharm Paul	..	Do	200
29	M/s Krishan Lal	..	Do	110
30	M/s Sham Lal Dyal Chand	..	Do	110
31	M/s Gugan Mal Chiman Lal	..	Do	110
32	M/s Prem Dass	..	Do	110
33	M/s Lekh Raj Inder Bhan	..	Do	110
34	M/s Ganeshi Lal Rattan Lal	..	Do	110
35	M/s Jagan Nath Mehar Chand	..	Do	110
36	M/s Satish Chander	..	Do	110
37	M/s Jaswant Lal Suresh Chand	..	Do	110
38	M/s Gobind Ram Daya Shankar	..	Do	110
39	M/s Keshav Lal Hans Raj	..	Do	110
40	M/s Duli Chand Gupta	..	Do	118
41	M/s M.C. Jain	..	Do	110
42	M/s Uttam Chand Bhutani	..	Faridabad	163
43	M/s Kalu Ram Kanhya Lal	..	Do	196
44	M/s Jaswant Rai	..	Do	173
45	M/s Hira Lal Mukand Lal	..	Do	256
46	M/s Parma Nand Dhana Ram	..	Do	150
47	M/s Jiwan Dass Bhanu Partap	..	Do	262
48	M/s Bosa Ram and Sons	..	Do	270
49	M/s Tulsi Dass & Ahuja Co.	..	Do	257
50	M/s Anaj Society	..	Do	250
51	M/s Gurmukh Dass and Co.	..	Do	250
52	M/s Tek Chand Dwarka Dass	..	Do	20
53	M/s Madan Lal	..	Do	24

[Chief Minister]

Serial No.	Name of Depot-holder		Place	Quantity issued to the Deopt holder (Bags)
54	M/s Inder Lal Om Parkash	..	Faridabad	160
55	M/s Chidda Mal Hari Chand	..	Do	210
56	M/s Ganesh Das Harish Chand	..	Do	210
57	M/s Jwala Dass Kashi Ram	..	Do	210
58	M/s Kewal Ram Lakshmi Chand	..	Palwal	124
59	M/s Parma Nand & Sons	..	Do	114
60	M/s Sukh Dayal Harinder Kumar	..	Do	134
61	M/s Sham Lal, son of Roshan Lal	..	Do	134
62	M/s Manohar Lal, son of Gokal Chand	..	Do	134
63	M/s Sada Nand Suraj Parkash	..	Do	134
64	M/s Gian Chand Tulsi Ram	..	Do	134
65	M/s Dina Nath Narain Dass	..	Do	134
66	M/s Takan Dass	..	Do	134
67	M/s Siri Chand Tek Chand	..	Do	134
68	M/s Bishambar, Dayal Laxmansarup	..	Do	134
69	M/s Remal Dass & Sons	..	Do	134
	Fair price shops set up by the factories at Faridabad and the quantity of wheat/wheat atta supplied to them			
70	M/s Bata Shoe Co.	..	Faridabad	671
71	M/s Amar Nath Bhaskar	..	Do	164
72	M/s Rattan Chand Harijas Rai	..	Do	168
73	M/s Hindustan Electric Co.	..	Do	168
74	M/s Kalkaji Compressor	..	Do	120
75	M/s Textile Consumer Co-operative Store	..	Do	415
76	M/s Hindustan Syranjas Pvt., Ltd.	..	Do	84
77	M/s Metal Box Co.	..	Do	84
	Total		...	15,498

Release of Republican Party agaitators in the State

***7208. Shri Jagan Nath :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the total number of Republican Party agitators released, district-wise, since the start of the agitation ?

Sardar Darbara Singh : Following number of Republican Party agitators were released, district-wise, since the start of the agitation :—

Jullundur	..	1,086	
Gurgaon	..	90	
Rohtak	..	86	
Hissar	..	47	
Ludhiana	..	61	(including 14 acquitted)
Ambala	..	23	
Ferozepur	..	20	
Hoshiarpur	..	14	(including 2 acquitted)
Karnal	..	14	(All acquitted the same day)
Amritsar	..	8	(Released after paying the fine imposed)

Milk Supply Scheme, Chandigarh

*7135. **Sardar Niranjan Singh Talib :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether the whole town of Chandigarh has been covered by the Milk Supply Scheme, if not, the reasons therefor ;

(b) the date when the said scheme was started and the amount spent thereon upto the end of 1964 ;

(c) the details of the profit made or loss incurred by Government under the said Scheme upto the end of 1964 ?

Sardar Darbara Singh : A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) No. The handling capacity of the undertaking is only 10,000 litres of milk per day.

(b) 11th December, 1961. Rs. 18,80,296 approximately.

(c) The Scheme is running in loss as detailed below —

Year		*Loss (Rs)*	
1961-62	..	49,009	(Approximately)
1962-63	..	2,96,828	Do
1963 64		1,89 488	Do
1964-65 (upto December, 1964)	..	4,40,199	Do

Government Primary and Middle Schools Upgraded in Narnaul Assembly Constituency

*7128. **Shri Ram Saran Chand Mital :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether any Government Middle or Primary School was upgraded to the High School standard in the Narnaul Assembly Constituency during the period from 1st April, 1957 to date; if so, the names of the villages or towns in which the schools were upgraded, the date when these were upgraded ; if none was upgraded, the reasons therefor ;

(b) whether Government received any representations from the Panchayats or people or the M.L.As. of the said area demanding the upgrading of serveral Middle Schools during the last three years ; if so, the action, if any, taken thereon ;

(c) whether Government is aware of the fact that there are places like Nizampur (tehsil Narnaul) within a radius of ten miles of which there is not a single high school; if so, the steps, if any, proposed to be taken to open such schools in the area ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No, because no school was considered fit for purposes of upgrading.

(b) Yes, representations were received but till 1964 no schools were considered fit for upgrading. For the current financial year proposals are under consideration.

(c) Yes, the matter is under consideration.

Payment of Salary of Staff of Government Primary School, Umarpura in Dharamkot Block

*7262. **Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) the date on which the Government Primary School, Umarpura, in Dharamkot Block was merged with Government Girls Middle School, Bhinder Kalan, district Ferozepur ;

(b) the number of students on roll in the Government Primary School, Umarpura at the time of said merger ;

(c) whether the salary of the staff of the Government Primary School, Umarpura for the month in which it was merged with the other school, has since been paid ; if not, the reasons therefor and the time by which it is likely to be paid and the action being taken against the persons responsible for the delay in the payment ?

Shri Prabodh Chandra : (a) August, 1963.

(b) Sixty-three.

(c) No. Cause of non-payment is under investigation. Payment will be arranged very shortly. Responsibility for dealy is being fixed and this would be followed by appropriate action against defaulters.

Non-payment of Salary of Certain Teachers of Government Co-educational Middle School, Jalalabad (East), District Ferozepur

*7263. **Sardar Kultar Singh :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that several teachers of the Government Co-educational Middle School, Jalalabad (East), district Ferozepur were not paid their salary for the month of September, 1964 upto 25th January, 1965; if so, the number of such teachers ;

(b) the reasons for the delay in the payment of the salary and the time by which it is likely to be paid ;

(c) the action taken or proposed to be taken against the person responsible for the delay in the payment of the salary referred to above ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes. There was only one such teacher.

(b) The payment has since been made on 2nd February, 1965. This could not be done in time due to late receipt of Last Pay Certificate and Treasury Vouchers.

(c) The cause of dealy is under investigation.

Selection of Candidates for the Posts of Principals of Higher Secondary Schools

*7320. **Shri Mohan Lal :** Will the Minister for Education and Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that in reply to supplementaries put in respect of question No. 87, in the Punjab Legislative Council on 15th September, 1964, he stated that :—

(i) the selections of candidates for the posts of Principals of the Higher Secondary Schools made by the Public Service Commission were made arbitrarily ;

(ii) he was not satisfied with the selections ;

(iii) he would request the Chief Minister not to accept the candidates selected arbitrarily by the Commission and would write to him to withhold sanctions of those persons selected arbitrarily ;

(b) If the reply to part (a) above be in the affirmative, whether he wrote to the Chief Minister to withhold the sanction ;

(c) Whether Government have accepted the selections made by the Public Service Commission stated to have been made arbitrarily or have withheld the sanction ;

(d) the basis on which he stated that the selections were made arbitrarily?

Shri Prabodh Chandra : (a) (i) Yes.
(ii) Yes.
(iii) Yes.

(b) Not yet.

(c) 175 Cases (124 of Headmasters and 51 of Headmistresses) cleared through scrutiny have tentatively been accepted. Orders of their posting will be issued shortly.

3.00 p.m.

(d) It will not be desirable to give this information.

Call Attention Notice

Mr. Speaker : There is a 'Call Attention Notice' (No. 10) given by Shri Gian Chand.

Shri Gian Chand : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned to a matter of urgent public importance, namely, the policy of the Punjab Government regarding the admission of students from all over India to Medical Colleges in the State of Punjab on the understanding that Medical Colleges of other States would admit Punjab students on a reciprocal basis, but which has not been done by the Medical Colleges of other States, with the result that the Punjab students, seeking admission to Medical Colleges, have been adversely affected by such a policy of the Punjab Government.

Mr. Speaker : This is admitted. Government may please make a statement either today or some other day.

Education and Local Government Minister : I had this statement ready with me yesterday. It is not with me here now. If desired I may state the factual position.

श्री अध्यक्ष : अगर आप कम्पलीट स्टेटमैन्ट देने की पोज़ीशन में हैं तो दे दें :

The hon. Minister may make his statement if he is in a position to give a complete one.

मन्त्री : आज तो नहीं मैं कल दे दूंगा ।

बाबू अजीत कुमार : शिमला मऊंसिपल कमेटी के मुताल्लिक मैं ने स्पीकर साहिब एक काल अटैन्शन नोटिस दिया था.....

Mr. Speaker : Please see me in my Chamber in this connection.

Minister : Mr. Speaker, Sir, I have received the statement in regard to the 'Call Attention Notice' of Shri Gian Chand and if permitted, I may make that statement now.

Sardar Gurnam Singh : I think this statement may now be made tomorrow.

Mr. Speaker : All right, let it be made tomorrow.

* * * *

* * * *

* * * *

श्री अध्यक्ष . आप इस के मुतािल्लक मुझे चेम्बर में मिलें ।

(The hon. Member can see me in this connection in my Chamber).

* * * *

Mr. Speaker : Please take your seat.

* * * *

Mr. Speaker : Please take your seat.

* * * *

* * * *

श्री अध्यक्ष . जो कुछ चौधरी नेत राम ने कहा है यह प्रोसीडिंगज का भाग नहीं होगा ।

(Whatever the hon. Member Chaudhri Net Ram has said will not form part of the proceedings.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ.........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲੋ ।

(The hon. Member need not mention them here. He may please see me in my Chamber in this connection.)

* * * *

* * * *

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ?

(whatever the hon. Member has said will not form part of the proceedings.)

शिक्षा तथा स्थानीय शास्न मन्त्री : जनाब यह आखिरी दिन है गवर्नर एड्रैस पर बोलने के लिए और अगर काल अटैन्शन नोटिस या और किसी कंटरोवर्षियशल मुआमले का आज ज़िकर करेंगे तो इस के लिये बड़ा टाइम लग जायेगा । इस लिये मेरी हाऊस से रिक्वैस्ट है कि इन बातों को आप कल टेक अप कर लें ।

Third Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker : I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to the various items of business to be conducted in the Sabha. The recommendations made by the Committee at its meeting held on the 2nd March, 1965 are—

The Committee, after some discussion, recommended that the business in the House at the *second sittings* to be held on Wednesday, the 3rd March and Thursday, the 4th March, 1965, be transacted as follows :—

Wednesday, the 3rd March, 1965—

Second sitting (2.00 to 6.30 *P.M.*)	(i) Question Hour (Questions entered in the list of Questions for the 26th February, 1965, to be taken up).

---

*N.B.—Expunged as ordered by the Chair.

(ii) Discussion on Governor's Address.

Thursday, the 4th March, 1965—

Second sitting (3.00 p.m. to 7.00 p.m.)

(i) Question Hour (Questions entered in the list of Questions for the 1st March, 1965, to be taken up).

(ii) Non-official business.

The Committee further recommended that the motions for the discussion of the following documents be taken up by the House for the periods mentioned against each :—

Serial No.	*Subject matter*	*Timeallotted*
1	First Annual Report of the Punjab Agricultural University for the year 1962-63 and any other Report relating to this University	Two hours
2	Annual Accounts of the Pepsu Road Transport Corporation for the year 1962-63 and any other Report relating to Transport	Two hours.
3	Eleventh Annual Report and Accounts for the year ended 31st March, 1964 of the Punjab Financial Corporation and any other Report relating to the said Corporation	Two hours
4	Annual Administration Report for the year 1963-64 and Annual statements of accounts for the year 1959-60 and audit report thereon of the Punjab State Electricity Board and any other report, etc., of the said Board	One-and-a half days
5	First Annual Report and Accounts of the Punjab Export Corporation for the year 1963-64	Half day
6	The Code of Conduct for Ministers ..	One day.
7	Motion under Rule 84 given notice of by Chaudhri Hardwari Lal regarding follow up action on the Das Report in relation to officers of the Government and in relation to non-officials other than the late Mr. Kairon	Two days.

The allotment of days for the above will be made later.

The Committee also recommended that the resolutions under Articles 213 of the Constitution disapproving the Ordinances be discussed alongwith the Bills on the subject.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried

*Papers laid on the Table

Secretary : Sir I beg to lay on the Table of the House a copy of letter, dated the 1st October, 1964, from Chaudhri Hardwari Lal, M.L.A., bringing to the notice of the Speaker certain portions of the Punjab Vidhan Sabha Debates, dated the 18th and 21st September, 1964, containing replies given by the Education and Local Government Minister to supplementaries on Starred Question No. 6275, which according to the hon. Member, were wrong, and a copy of D.O. letter No. EDI-20(51)-65, dated the 6th January, 1965, from the Minister explaining the position in connection therewith.

BILLS (INTRODUCED)

The Punjab Entertainments Duty (Amendment) Bill, 1965

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Entertainments Duty (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Entertainments Duty (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Entertainments Duty (Amendment) Bill, 1965.

The motion was carried

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I introduce the Punjab Entertainments Duty (Amendment) Bill.

The Punjab Urban Immovable Property Tax (Amendment) Bill, 1965

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Urban Immovable Property Tax (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Urban Immovable Property Tax (Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Urban Immovable Property, Tax (Amendment) Bill.

The motion was carried

**N.B.*— Please *see* appendix to this Debate.

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I introduce the Punjab Urban Immovable Property Tax (Amendent) Bill.

The Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, 1965

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill.

Mr. Speaker : Questoin is—

That leave be granted to introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill.

The motion was carried

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I introduce the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill.

The Punjab Labour Welfare Fund Bill, 1965

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Labour Welfare Fund Bill.

Mr. Speaker : Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Labour Welfare Fund Bill.

Mr. Speaker : Question is –

That leave be granted to introduce the Punjab Labour Welfare Fund Bill.

The motion was carried

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I introduce the Punjab Labour Welfare Fund Bill.

Discussion on Governor's Address (Resumption)

Mr. Speaker : The hon. Member, Giani Kartar Singh, was in possession of the House when it adjourned yesterday. He may please resume his speech.

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਦਸੂਆ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪੁਰਾਨੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ । ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਕ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ । ਔਰ ਜਿਥੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਹੱਠੀ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਨ ।

[ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾਏ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1955-56 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ ਅਤੇ 10—15 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ 1960-61 ਤਕ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ।

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਲੀਡਰ ਬਣਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਨਿਸਟਰੀ ਲੈਣ ਲਈ।

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਗ਼ਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

(interruption)

ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1960-61 ਤਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1960-61 ਵਿਚ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਕੁਝ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਅਨਾਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੈਵਿਲ ਵਿਚ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਜਾਂ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। *(Interruption)*

(At this stage, Deputy Speaker occupied the Chair)

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਕੌਮ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਚ ਰਹੇ ਹੋ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾ ਚੁਕੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਬਾਕੀ ਹੈ...........

उपाध्यक्षा : आप लोग सीधे बात न करें। चेयर को ऐड्रेस करें। (The hon. Members should not talk to each other. They should address the Chair).

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉ । ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਗਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਤ ਲਵੇ । ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਇਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ.........ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਤਸਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਤੇ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ 3 ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਮਹਿਕਮੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੀਵੀਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਏਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਛੁਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ।

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੇਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1960-61 ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰਵਾ ਲਉ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਮੀਨੈਂਟ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਮੰਨੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਲਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ, 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੱਲ ਤਦੇ ਹੀ ਲਵ੍ਹਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ।

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ : ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰਵਾ ਲਉ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਉ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਰਹੱਟੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਏਥੇ ਵੀ ਜੇ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਦ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ । ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ । ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ । ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਗਵੇਜ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ । ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਖੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ।

ਲੇਕਨ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਆਥਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਪਰੋਫੈਸਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹੋਲ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ:

"Hindus and the Punjabi State" by Professor Kahol.

Punjabi is not a dialect, but a full-fledged language, with its own dialects and a literary style. If Punjabi is described as a dialect of Hindi then Gujarati, Nepalese, and Sindhi will have more justification to be described as such".

ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

"Gurmukhi—Proper Name for Punjabi Script—

The natural script of Punjabi is called Gurmukhi, just as the natural script of Kashmiri is called Sharda. In the recent past, there was a general fashion to give a script a definite name and often times, the same script was employed for writing more languages than one. The Devanagari script is issued for writing Sanskrit, Hindi, Marathi and Nepalese...."

The author further says :—

"It should be noted that all the Hindu script —Bengali, Devanagari, Gurmukhi, Sharada, Grantham, Malayalam, Siamese or Sinhalese—we see today, are very different from the original Brahmi. They have all equally degenerated or developed from the parent script and it is wrong to suggest that Devanagari is a more faithful representative of Brahmi than Gurumukhi or Sharada is. If anything, scripts other than the Devanagari have preser ed their similarity with the original Brahmi letters more faithfully than the Devanagari has.

It is further stated :—

"Valiant Role of Sikhs in Defending Punjabi Scripts. The defence of Punjabi language and script, from the menace of Arabic, was a duty of every Punjabi, but the Sikhs of the Gurus displayed exceptional enthusiasm in this direction. Very naturally they took up the cause of native language with missionery zeal, as their religious Gurus had enjoined, and became the main champions of anti-Arabic agitation. Other Hindus were more or less indifferent in the matter ; most of them kept witnessing this life-and-death struggle between Arabic and Punjabi between the alien and the native culture with criminal apathy. Majority of the Punjab Hindus began learning Arabic and Persian and became abject slaves of Islamic languages."

ਅਗੇ ਜਾਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਂਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਥਰ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕ਼ਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

In Chapter IV of this book, it is written :

"Opposition to Punjabi—Due to Anti-Sikh feeling. What is the cause of Hindus' anomalous behaviour ? Why do they disown Punjabi language, without which they cannot do for a day ? The cause is psychological. Since the Punjabi language and Gurmukhi script have been preserved by the Sikhs

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

on peril of life, the other Hindus have begun to regard the Hindu style of Punjabi, (as distinct from the Muslim style) as a part of Sikh religion"

"The Congress strategy demanded that Hindu-Sikh differences should increase, that Sikhs should join issue with Muslims as a minority, and that Hindus' pent-up communal passion, which they could not give vent to against Muslims for fear of Nehru's iron-rod, should find a vicarious outlet and burst forth against the Sikhs."

ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚੰਦ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ । ਫਿਰ ਇਹ ਆਥਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਵੀ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਹ ਹਨ । ਉਹ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

"*When a Hindu fights most zealously.*—What we mean is that what Nehru will readily agree to in the case of Musilms, he will flatly refuse in the case of Sikhs, because they are orphans......"

The author further says :

"Have they not so far discovered an important aspect of a Hindu's character—that he fights with maximum zeal, only when his adversary is also of the Hindu stock ? He becomes a non-violent Mahatma before a Muslim ; he becomes generous enough, when he has to pardon a Communist saboteur. But while dealing with the Sikhs, all his non-violence and generosity vanishes into the thin air..... ."

ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗੇ ਨਾ ਵਧਾਂਦਾ ਹੋਇਆ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। (The hon. Member should kindly bear in mind that time at our disposal is very limited).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗੇ ਆਥਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਲਫਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਕਰਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕੰਮ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਾਮ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਕੰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਕਰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਕਾਮ ਦੇ । ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਹਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੈ ਹਥ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਥ । ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਹਸਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ । ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ । ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ

ਜਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵੇਂ ਏਰੀਅਨ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। 1947 ਤਕ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ । ਲੇਕਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸੀਟੀਚੂਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਲੇਕਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿਖ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਮੀਨੇਟਿੰਗ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ । ਚਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਲੇਕਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । 1960 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਹਮਖਾਹ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਾਮਰੇਡ ਮਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ਲ ਲੈਂਗੁਜਿਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਜਨਜ਼ ਹਨ, ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ। ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਜਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੋਲੀਟੀ-ਕਲ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਗਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬਗੈਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਕ ਰੀਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਸੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਭੀ ਉਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਭੀ ਲਿਖੀ ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁ- ਜਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 350 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਇਜ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਆਰਟੀਕਲ 350 ਵਿਚ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ ਓਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਐਗਰੀਵਡ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਮਗਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਿਜਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਤ- ਲਬ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । 350 ਆਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ—

> **"350. Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State as the case may be."**

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਾ ਆਫੀਸ਼ਿਅਲ ਲੈਂਗੁਜਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰਿਜਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਗਲ ਘੁਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) **(shame shame from Akali Party)**

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ 10 ਮੀਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਪਟਿਆਲੇ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਂਤ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਤਾਲੀਆਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਇਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖ ਇਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਚੈਨਲ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀ ਸੈਂਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਲਿਖਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਮਾਦਰੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਕਿਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ

ਫਹਿਮੀ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਲੜੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਟੇਰੀਅਟ ਤੇ ਉਚੇ ਤੇ ਉਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਰੀਟੇਰਿਅਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲੀ ਹੈ।

(ਪੰਡਿਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਘਨ)

ਪੰਡਿਤ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਮਰੌਦ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤਕ ਅਤੇ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਕੁਲੂ ਤਕ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਰਿਜਨ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਪਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਅਫਸਰਜ਼, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਸਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਿਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀ-ਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਖ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਕੇਸ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਕ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 1961 ਨੂੰ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪਵਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਚ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੋ ਆਦਮੀ ਇਕੋ ਵਕਤ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1964 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟ ਇਨ ਅਬੇਅੰਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਸੀ, ਵਰਕ ਲੋਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਨ ਅਬੇਅੰਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਖ ਲਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹੋ ਗਰੇਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਨ ਅਬੇਅੰਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਖ ਲਉ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਨ ਅਬੇਅੰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ, ਇਕੋ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਇਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਕੋ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰੀਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ 60—4—80—5—120 ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ, ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ 100—5—150—300 ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ 60—4—120—5—175 ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣ।

ਇਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਰਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪੀ. ਫਾਰਮ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਵੀ ਫਾਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਵੀ ਫਾਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਉ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀ. ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਜੈਨ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਸਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਸਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਰ ਕੇਸ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਕੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੈਨਟ ਵਿਚ 39 ਹਿੰਦੂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਅਤੇ 16 ਸਿਖ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਬੜੀ ਫੇਅਰ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤਿੰਨ ਈਸਾਈ, 20 ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿਖ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ......

ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਸ਼ੇਮ, ਸ਼ੇਮ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟੇਜ ਮਜਾਰੇਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨਾਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਲ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡਾ ਕਮਿਊਨਿਲਜ਼ਿਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਖ ਹੀ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਦਿਉ ਪਰ ਕਦੀ ਭੁਲਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਖ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਸਿਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਿਖ ਮੁਢ, ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਿਖ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਰਹਿਣ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਪਬਲਿਕ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਅਫਸਰ ਰਖ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕਾ ਹੈ (Interruption)

4.00 p.m.

ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ, ਸਰਵਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰਖਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਇਤਹਾਦ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲੀਡੈਰਿਟੀ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਾਇਮ ਰਖੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਇਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ-ਬਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਡ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਨੀ ਉਮਡਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰੈਸਪਾਂਸੀਬਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ? ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ?

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਦਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਉਤੇ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼, ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਔਰ ਪਾਲੇਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਪਟ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਟਾਉ ਟਾਪ ਤੋਂ, ਥੱਲੇ ਅਪ ਣੇ ਆਪ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਥਲਿਉਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਟੀ-ਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਾਬਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਦਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਾਬਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇੰਡ ਅਪ ਕਰੋ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 40 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ 36 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (I would ask the hon. Member to please wind up now. Sardar Lachhman Singh Gill had spoken for forty minutes and the hon. Member has also been speaking for the last 36 minutes.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਬਸ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰ ਮਿਨਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਵੀਜੂਅਲ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ 1762 ਸੰਨ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ 30,000 ਸਿੱਖ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰੱਗਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਲੂਘਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ। (ਵਿਘਨ)

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੀਰੋ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਥੋਂ ਲੈਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰੋਘਰੀ ਪਹੁੰਚਵਾਇਆ। ਇਸ ਉਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਫੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਡੀਫੀਟ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲਗਾ "ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ"। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ, ਬੱਚੇ, ਬੁਢੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤਾਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕੱਫਨ ਬਨ੍ਹ ਕੇ ਅਗੇ ਵੱਧੇ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਉਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਹਸਟੋਰੀਅਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਡਿਆਂ ਦੇ ਗਡੇ ਬਣਾਕੇ, ਅਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਲਾ ਬਣਾਕੇ ਮਰਦਾਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਪੁਜ ਗਈ ਔਰ ਬਰਨਾਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਈਏ ? (ਘੰਟੀ)

ਬਸ ਜੀ, ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਦਮਾਤ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ-ਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿਘ ਰਿਆਸਤੀ (ਜੈਤੋ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ, ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗੋਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਖਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਛੇ-ਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਉੱਘੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਗਲ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਵਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ]

ਵਿਚ ਇਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਔਰ ਜਿਸ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਘਟ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁਲ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਜਣਤਾਈ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਵਾਜ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੇ ਗਏ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਕਤਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਲੈਨਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਉਹ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਡੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਉ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਰੀਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਾਂ ਮਗਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ

ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛੇ ਛੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਗੁੰਡੇ ਬਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਵਲ ਖਰਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਕ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਧਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਨਟਰੇਸਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਰਾਏ, ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਜ ਤਕ ਅਨਟਰੇਸਡ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਪਏ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲਭਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਵਿਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਸ਼ ਹੋਣੀ ਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜ ਕਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

उपाध्यक्षा : आप ने क्या सिर्फ इसी मामले पर ही बोलना है कि कोई चीज़ भी कहनी है अगर कोई और चीज़ कहनी है तो अब वह कह लें क्यों कि वक्त तंग है। (Does the hon. Member want to confine himself to this issue only or does he want to discuss some other points also? If he has to say something on other points as well, he should do so now as the time at our disposal is very short.)

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਅੱਠ

[ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿਘ ਰਿਆਸਤੀ]

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਬਗੈਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟੋਆ ਟਿੱਬਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਭਜਾਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਡਿਗਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ (ਘੰਟੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਲੀ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਨ।

श्री ज्ञान चन्द (शिमला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मौजूदा सरकार ने जो इतने थोड़े अर्सा में इतने सराहनायोग काम किए हैं उन के....

(शिक्षा मन्त्री प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हो गए और श्री ज्ञान चन्द अपनी सीट पर बैठ गए)।

उपाध्यक्षा : आप क्यों बैठ गए हैं? (Why has the hon. Member resumed his seat).

* * *

* *

* * *

उपाध्यक्षा : यह पोरशन एक्सपंज समझा जाए। (This portion should be treated as expunged.)

श्री ज्ञान चन्द : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी इस मौजूदा मिनिस्टरी ने अपने इस थोड़े से वक्त में यह जो काम किए हैं इन की जितनी सराहना की जाए उतनी थोड़ी है। एक तो इन्होंने जो ज्यूडीशरी को एग्जैक्टिव से सेपेरेट किया है, दूसरा इस ने एडमिनिस्ट्रेशन रिफामर्ज़ कमिशन बनाया है और तीसरा जो इस ने फूड प्राबलम को इतनी अच्छी तरह से हल किया है यह तीनों चीज़ें सराहना के योग हैं। इस के साथ-साथ ही जो ग्रीवैनसिज़ अफसर और ग्रीवैनसिज़ डिपार्टमेंट कायम करके लोगों का शिकायतों को दूर करना चाहती है उस बारे में मैं पंजाब सरकार से कहूंगा कि इन शिकायतों को दूर करने में ग्रीवैनसिज़ अफसर या ग्रीवैसिज़ डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर सकेगा। आज जो लोगों की तकलीफ है वह यह है कि सरकार के दफतरों में काम कुछ नहीं होता और अगर कोई शिकायत की जाए तो उस का जवाब भी नहीं दिया जाता। मिसाल के तौर पर मैं ने एक खत चौधरी रिज़क राम जी को आर

*Note Expunged as ordered by the Chair.

अक्तूबर को लिखा। उन से पहले बिजली के मन्त्री चौधरी रणबीर सिंह थे। मेरा जो शिमला जिला है वह हिमाचल के साथ लगता है। तो मैं ने मांग की थी कि उस स्टेट के हमारे साथ वाले इलाके में बिजली की लाईनें चलती हैं। वहां से मेरे हलके को बिजली लेने की इजाजत होनी चाहिये। साल डेढ़ साल के बाद पंजाब सरकार मानी कि वह हमें ऐसा करने की इजाजत देगी। चुनांचि मैं ने चौधरी रिज़क राम जी को खत लिखा कि वह फलां पंचायत को इजाजत दें कि हिमाचल के इलाके से बिजली ले सके। वज़ीर साहिब का जवाब तो आ गया कि वह इस पर हमदर्दाना गौर करेंगे। मगर उन के दफतर से यानी सैक्रेटरी से जो चिट्ठी इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को गई वह 21 नवम्बर को गई यानी पंजाब सरकार को उन को एक नकल भेजने में छ: हफ्ते लग गए। फिर यही बात और महकमों को चिट्ठी लिखने पर सामने आती है। ऐसी दिक्कत पेश आती है। इस से पता चलता है कि इस सरकार के जो प्रोसीजर हैं जो मैथड्ज़ हैं वह डिफैक्टिव हैं। उन को बदलने की जरूरत है। तो यह जो, ग्रीवैंसिज का अफसर जिलों में होगा वह क्या कर सकेगा। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वह जरा ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज कमिशन की रिपोर्ट का इन्तजार कर लें।

दूसरी बात मुझे अपने हलके के बारे में कहनी है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां पर परसों से सात सौ ऐम्पलाईज हड़ताल कर रहे हैं। परसों मैं वहां पर था और मैंने कोशिश की कि ऐम्पलाइज़ और म्यूनिसिपल कमेटी में समझौता कराया जाए। ऐम्पलाइज़ की मांगें ऐसी हैं जो कि म्युनिसपल कमेटी शिमला ने असूली तौर पर मानी हुई हैं। एक तो यह है कि उन को वरदियां दी जाएं और दूसरी यह है कि उन के क्वार्टरज़ की मुरम्मत कराई जाए। जब मैंने बात की तो म्यूनिसिपल कमेटी ने यह बात मानी कि यह बातें तो मानी हुई हैं मगर इस के बावजूद कोई फैसला नहीं हो सका। मैं सरकार की इस तरफ तवज्जुह दिलाता हूं कि शहर को इस बात का खतरा लगा हुआ है कि कहीं पानी और बिजली की सप्लाई वहां पर बंद न हो जाए जैसा कि अखबारों में लिखा है कि वह पांच तारीख को हड़ताल कर देंगे। तो मैं पंजाब सरकार से इस बारे में फौरन कदम उठाने के लिये दरखास्त करूंगा और कहूंगा कि इस झगड़े का फैसला कराए।

(At this stage Mr. speaker occupied the chair.)

एक बात और कहूंगा। इस में शक नहीं कि पंजाब सरकार ने शिमला की तरक्की के लिये बहुत कदम उठाए हैं मगर हिमाचल के इलाके पर पर कैपीटा खर्च पंजाब के पहाड़ी इलाकों से बहुत ज्यादा है। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले दो तीन साल से जिला शिमला की ओर तवज्जुह दी गई है मगर यह बात मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि शिमला-कालका ट्रांस्पोर्ट के जो परमिट्स का जो सिलसिला है वह कुछ ठीक नहीं। यह बात मानी हुई है कि जब तक किसी इलाके की ट्रांस्पोर्ट तरक्की न करे वह इलाका तरक्की नहीं कर सकता। आप ने देखा कि पंजाब में अगर कोई ट्रक लेकर आ जाए तो उस को परमिट मिल जाता है नतीजा यह है कि आज दिल्ली से चंडीगढ़ तक एक मन सामान एक रुपये में आ जाता है

[श्री ज्ञान चंन्द]

मगर कालका-शिमला के जो परमिट्स हैं वह आम आदमी को नहीं मिलते कुछ वैस्टिड इंटरैस्टस को मिले हुए हैं। नतीजा यह है कि आज उस परमिट की कीमत तीस हज़ार रुपया है। जिस आदमी को ट्रक परमिट मिल जाता है वह परमिट छे सौ रूपये महीने पर चलता भी है। जो चन्द आदमी हैं जिन को इनफलुऐंशल कहते हैं और जिन में एक्स लैजिस्लेटर्ज़ हैं और मौजूदा भी हो सकते हैं उन सब को परमिट मिले हुए हैं और नतीजा यह है कि दिल्ली से चंडीगढ़ जो कि डेढ़ सौ मील है एक रुपये पर एक मन बोझ आ जाता है मगर कालका शिमला जो कि सिर्फ 56 मील का फासला है उतने ही बोझ के एक रुपया दो आने लगते हैं। मैं इस सरकार से कहूंगा और खास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि उन को किसी खास वैस्टिड इंटरैस्ट से लगाव नहीं है (घंटी) सरकार की मौजूदा परमिट देने की पालिसी की वजह से पहाड़ के लोगों को जो चीजें मैदान में जाती हैं और वहां से जो लाखों मन आलू, अदरक और दूसरी चीजें आती हैं वह तकरीबन आठ आने मन महंगी पड़ती हैं। पंजाब सरकार की पालिसी है कि कीमतें कम हों तो इन से अर्ज करूंगा कि यह जो वहां पर परमिट्स की अजारादारी है इस को तोड़ा जाए और जैसा कि बाकी पंजाब में है वही वहां भी जारी करें। पंजाब सरकार इस बात के पीछे शैल्टर नहीं ले सकती कि यह एक जुआंयट रूट है। आज हिमाचल सरकार कालका शिमला परमिट खोलने के लिए तैयार है। तो मैं इन से दरखास्त करूंगा कि इस अजारादारी को खत्म किया जाए ताकि किराया में कमी हो।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मन्त्री (श्री प्रबोध चन्दर) : स्पीकर साहिब, मैं आप का मशकूर हूं कि आप ने मुझे बोलने के लिये वक्त दिया है। जहां तक बाकी सारे मामलों का ताल्लुक है उन के मुताल्लिक जवाब खुद चीफ मिनिस्टर साहिब देंगे। सरदार गुरनाम सिंह जी जो कि लीडर आफ दी आपोजीशन हैं (विघ्न) चलो लीडर आफ दी आपोजीशन न सही बल्कि बतौर एक इनसाफ के मैं भी उन की बड़ी कदर करता हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत ढूढ़ने पर इन को सिर्फ दो केसिज आफ नजस्टिस ही मिले हैं एक तो मेरे महकमे के मामूली फोटोग्राफर का केस है एक चीफ मिनिस्टर साहिब के महकमे का केस है। मैं अर्ज करूं कि इस वक्त दो लाख 46 हज़ार आदमी सरकारी मुलाज़म हैं और कोशिश करने पर इन को सिर्फ दो केसिज ही मिले जिन में इन को शक है कि ज़्यादती हुई है। मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिये क्रैडिट की बात है डिसक्रैडिट की बात नहीं है। कि यह सिर्फ दो ही केसिज प्वायंट आउट कर सके दो लाख 46 हज़ार मुलाज़मों में से। और उन के बारे में भी अर्ज़ करूं कि तीन चार दिन हुए तो बाबू बचन सिंह जी मेरे नोटिस में उस फोटोग्राफर का केस लाए तो मैंने उस वक्त इन्क्वायरी का आर्डर कर दिया कि अगर उस के साथ ज़्यादती हुई है तो सैट ऐसाइड की जाए।

दूसरी बात जनाब, मैं लैंगुएज के बारे में कहूंगा। उस का ज़िक्र ज्ञानी करतार सिंह जी ने और सरदार गुरनाम सिंह जी ने भी किया है। ज्ञानी करतार सिंह जी

के बारे में मैं न कहूं कि वह मौसम की तरह बदलते हैं एक जगह नहीं टिकते। जो पोजीशन गवर्नमेंट की लैंगुएज के बारे में उन के वक्त में थी अब भी वही है उस में ज़ेर जबर का भी फर्क नहीं किया गया जिस से सिख भाइयों को महसूस हो कि उनकी जबान के साथ या पंजाबी के साथ ज्यादती हो रही है। हां, इतना जरूर किया है जितना कि कनस्टीटयूशन हर शख्स को हक देती है । आर्टीकल 350 में दर्ज है:

> "350. Every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State as the case may be."

जो किसी का कन्स्टीटयूशनल राईट है वह किसी रिजनल फारमूले या प्राविनशल अनैक्टमेंट से वापस नहीं लिया जा सकता । कोशिश की जाती है कि जिस ज़बान में ऐपलीकेशन आए अगर मुमकिन हो सके तो उसी ज़बान में ज़वाब देते हैं मगर यह कोई आबलीगेटरी नहीं है। अगर एक अफसर के पास हिन्दी में एपलीकेशन आती है जो हिन्दी न जानता हो तो वह गुरमुखी में जवाब दे सकता है। उस पर कोई पाबन्दी नहीं है कि हिन्दी में ही जवाब दे।

फिर जिकर आया कि सैनेट में हिन्दुओं को वेटेज देते हैं। सिखों को नहीं। इस बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है वहां पर किसी का मजहब या धर्म देख कर रैप्रेजैंटेशन नहीं मिलता बल्कि कावलियत देखकर रैप्रेजैंटेशन मिलता है।

आप पिछले चार साल के फिगर्ज़ को देख लें जिस वक्त हमारा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक वास्ता भी नहीं था तो नामीनेशनों में क्या निसबत थी। जसटिस तेजा सिंह जी खुद पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो 29 में से 8 सिक्ख और 1 क्रिसचियन था और 1960 में यूनिवर्सिटी पर नामीनेशन इस तरह से थी 18 हिन्दु 4 सिक्ख, 1 क्रिसचियन और 6 बाई डिज़गनेश्न थे। और आज जब हमारी सरकार है तो 1-11-1964 को जो नामीनेशनज़ की गई उस में 19 हिन्दु, 6 सिक्ख, 3 क्रिसचियन और 1 मुसलिम है तो इस से साफ जाहर है कि हम ने किसी जगह पर भी हिन्दुओं को वेटेज नहीं दिया। यह इलज़ाम उस वक्त तो नहीं लगाया गया जब जसटिस तेज़ा सिंह खुद वाइस चांसलर थे। उस वक्त भी सिक्खों का तनासिब इस से ज़्यादा नहीं था। यहां तक यूनिवर्सिटी पर नामीनेश्नज़ का सम्बन्ध है यह चांसलर खुद करता है on the recommendation of the Vice-Chancellor. The Government does not come in the way. नामीनेश्नज़ मैरिट के बेसिज़ पर की जाती है इस में और कोई ख्याल सामने नहीं रखा जाता। यह कम्युनिटीवाइज की जाती है इस लिये इस तरह का एतराज़ ठीक नहीं था। यह अलहदा बात है कि अगर चांसलर मुनासिब समझे तो चीफ मिनिस्टर या ऐजूकेशन मिनिस्टर की राए ले ले। लेकिन फाइनल ज़िम्मेदारी चांसलर की ही है।

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री]
जहां तक पंजाबी और कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है वाईस चांसलर आन दी रिक्मैंडेशन आफ दी गवर्नमेंट नामीनेश्न करते हैं। मैं इस बात की पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं कि जहां तक तालीमी अदारों का ताल्लुक है खुदा के वास्ते इन में फिरकादारी को न लाओ। चाहे सारे सिक्ख हो जाएं इस में मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं है। और यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे होते यह कहा जाए कि कम्यूनल नज़रिया रखा गया है।

मेरे एक दोस्त ने कहा था कि जहां तक मैमोरियल बनाने का ताल्लुक है इस को मादूद किया जा रहा है लाला लाजपत राए पर और घलूघारे के 30 हज़ार सिक्खों के बारे में जो शहीद हुए कोई मेमोरियल खड़ा नहीं किया जा रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने पहले ही इस बात का इलान कर दिया है कि सरदार शाम सिंह अटारीवाले के स्टेचू के बारे में विचार कर रहे हैं। इस बात की रोशनी में ही इस तरह के इलज़ाम सरकार पर लगाने चाहिए। शहीद किसी कौम के नहीं यह तो मुल्क के होते हैं (प्रशंसा) हमारा नज़रिया यह नहीं कि कोई सिक्ख था या हिन्दू था। हमारी सरकार का इस बारे में कोई फिरकादाराना नज़रिया नहीं है और न कभी होगा।

मेरे दोस्त श्री ज्ञान चन्द टूटू ने कहा है कि शिमला में स्ट्राइक हो गई है और इस वजह से लोगों में परेशानी है। आज ही मुझे इस के बारे में इलम हुआ है तो एक घंटे बाद ही वहां पर ताकीद कर दी कि मुझे स्ट्राइक के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और हर तरह से इसे सुलझाने की कोशिश की जाए ताकि सर्विस का काम चलता रहे।

इस के आगे मैं यह अर्ज करूंगा कि पिछले तीन दिन से गवर्नर साहिब के एड्रैस पर डिस्कशन हो रही है और मुझे इस डिसकशन को सुनने का मौका मिला है। इस में बहुत सारा वक्त तो सरदार प्रताप सिंह के कत्ल के बारे में ही कहा गया। प्रताप सिंह की जात के बारे में कोई दो राए नहीं रखता कि उनका जो कत्ल था यह बहुत बुरी बात है, अफसोस की बात है। हर आदमी चाहे वह किस भी अकीदे का क्यों न हो इस बात पर एतराज़ कर सकता है कि गवर्नमेंट अभी तक कातलों का सुराग नहीं लगा सकी। मैं उनकी ज़ात के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन अब यह कह देना कि सरकार की पुलिस नाअहल है ठीक नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से आठ महीने पहले जो होम मिनिस्टर थे यह पुलिस तो उनकी बनाई हुई है, उनकी पैदावार है जब कि बड़े बड़े आला अफसर किसी और बिना पर ताईनात कर दिए जाते थे। यह उनकी ही इस सरकार को देन है आज जो इस बात पर एतराज करते हैं। हमारी नहीं। आज अगर इस कत्ल का सुराग़ अभी तक नहीं मिला तो क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि जब वह होम मिनिस्टर थे तो एक नहीं बीसियों कत्ल हुए जिनका आज तक 8 साल गुज़र जाने पर भी पता नहीं लग सका। खुशबख्त राए का कत्ल दिन दिहाड़े 1 लाख के हजूम के सामने हुआ, दरबार साहिब के सामने

गोली मार दी गई और आज तक इस का पता नहीं लगाया जा सका हालांकि यह कहा गया था कि इस कत्ल में किसी बड़े आदमी का हाथ है। जगाधरी की दो बहनों का आज तक सुराग न मिल सका। और बीसियों ऐसे कत्ल हैं जिन का आज तक पता नहीं चल सका। यह नहीं कि हम पता नहीं कर रहे। कत्ल हर आदमी का बुरा है चाहे गोली से मारा गया हो या और किसी तरीके से। लेकिन यह कहना शुरू कर देना कि क्योंकि उन्हें गोली से मारा गया तो वह शहीद हो गए यह ठीक नहीं। यह तो फिर बड़ा सस्ता सौदा है और तरीका है शहीद होने का। शहीद तो किसी काज के लिए होता है, कोई असूल हो जिसके लिए कुरबानी की जाए। आज जिस को गोली मार दी जाए उसकी कबर का मजावर बन जाना ठीक नहीं। फिर मैं उन्हीं से पूछता हूं जिन्होंने एतराज़ किया है कि उन्हों ने कौन सा हाथ बटाया है इसकी तफतीश करने में। मैं ने भी कहा है और दूसरों ने भी कहा है कि यह पोलिटीकल कत्ल नहीं है अगर यह कहते हैं कि यह पोलिटीकल कत्ल है और यह जानते हैं तो यह तफतीश में शामिल हो जाएं। जब हमारे पुलिस के आला अफसर पूछते हैं तो यह कह देते हैं कि साहिब हमें तो मालूम नहीं। हम आठ साल तक इन की कारवाइयों को बरदाश्त करते रहे, इन्हें दो दिन में ही रंजश आ गई। आठ साल तक यह युज़रपर के तौर पर इन गद्दियों पर बैठे रहे और हर जुर्म की परदापोशी करते रहे और आज यह इस तरह की नुकताचीनी करते हैं। यह ठीक है कि मेरे प्रताप सिंह से इख्तेलाफ थे और उन के मरने के बाद खत्म कर दिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उन्हें हीरो मान लूं। मेरा दिलोदिमाग इस बात की इजाजत नहीं देता। कई दोस्तों ने चैलंज दिया है और मैं ने अकसैप्ट किया है और मुझे यहां से हट जाने में कोई शरमिन्दगी नहीं होगी अगर कोई कसूर साबित हो। मैं तो अपनी पार्टी का अदना सा सेवक हूं और अपने फर्ज को पूरा कर रहा हूं। अगर यह साबित हो जाए कि फलां शख्स ने गलती की है और वह इस काबिल नहीं कि गद्दी पर बैठ सके तो उस आदमी को आदम कद्द तसवीरों को जगह जगह पर शहरों में चौकों पर लगी हुई थीं को उतार देने की हिदायत दे दी जाए तो इस में कोई बुरी बात नहीं। तसवीर एक आदमी की नहीं महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल जी को छोड़ कर चीफ मिनिस्टर की हो सकती है, राम किशन की हो सकती है लेकिन ऐसे शख्स की नहीं कि जिसकी हकूमत में निहायत अफसोसनाक हालात हों। इस की गन्दगी को पब्लिक में फैलना अच्छा नहीं।

आज यह अपने आप को तीस मारखानों में शुमार करने लग जाए तो वह शख्स जिस पर कोई ऊंगली न उठाए। यह नहीं कि बदू बन कर भी अपने को बड़ा मान लेना शुरू कर दिया जाए। फिर यह ताना इस सरकार को दिया जाता है कि यह नाअहलों की हकूमत है, चाइलडिश और अनबैलैन्सड माइन्ड वालों की हकूमत है। अगर उसी तरह की हकूमत होती है और हम में से कोई पहली हकूमत की तरह का होता तो आज इस तरह के ताने देने वाले जेल की चार दिवारी में बंद होते। हमारा कसूर सिरफ इतना है कि हम जरूरत से ज्यादा शरीफ हैं। आज कल शराफत को बुजदिली

[शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री]

कहा जाता है। हम अपने आप को बुज़दिल कहलाना पसंद कर लेंगे लेकिन बदमाश और क्रुक कहलाना पसंद नहीं कर सकते।

आज यह मुझे कहते हैं कि मैं न कैरैक्टर एसेसीनेशन की है। मैं कहता हूं कि जो कुछ भी हमारी तरफ से किया जा रहा है वह बिलकुल सही और सच्चाई पर मबनी है। अगर कोई और कहता कि सरदार प्रताप सिंह ना-अहल आदमी थे तो शायद कोई न मानता यह तो जो कसीदा खुआनी की गई है, यह दास कमीशन जो गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से कायम हुआ, उस ने की है जो कुछ हुआ यह इन की अपनी पार्टी ने किया। हमारे ऊपर कैरैक्टर एसेसीनेशन का इलज़ाम लगाया जा रहा है, मगर हमें तो प्रताप सिंह की ज़ात का पता है अगर उन के वक्त में ऐसा कोई केस होता तो हम यह बात दावे से कहते हैं कि वह अगर ऐसी इनवैसटीगेशन भी छोड़ देते तो कोई बड़ी बात ना थी। कैरेक्टर एसेसीनेशन का इलज़ाम आज यह प्रबोध चन्द्र पर लगाते हैं मगर मैं उस खानदान के ज़ोर को भी जानता हूं जिस की सिगरेट बीड़ी की एक टूटी फूटी दुकान थी मगर आज चंडीगढ़ में उन के लाखों के बंगले हैं। अगर कोई यह बात साबत कर दे कि मैं ने पिछले 30 साल से अपनी ताकत का कहीं नाजायज़ इस्तेमाल किया है या किसी ग़लत तरीका से एक फूटी कौड़ी भी बनाई है तो मैं इस पब्लिक लाईफ से हमेशा के लिये मूंह काला करके पीछे हट जाऊंगा। मैं यह बात चैलेंज करता हूं कि अगर कोई भी इलज़ाम मेरे खिलाफ, मेरी बीवी या बच्चों के खिलाफ हो मुझे इस हालत में रहने का ज़रा भी हक नहीं। आज न मेरी और न मेरे किसी बच्चे की किसी तरह की नाजायज़ कमाई में एक दमड़ी की भी रवादारी है। मेरे मुताल्लिक आदर्श फैक्टरी के नाम से जैसे सवालात हुए मैं उन के मुताल्लिक इस हाउस में यह बात कलीयर कर देना चाहता हूं कि मैं ने इस फैकटरी पर 24,000 रुपये के करीब जो कि गवर्नमैंट ने मेरे क्लेम्ज़ की शकल में मन्ज़ूर किये थे वह मैं ने लगाये, 15,000 मैं ने रिहैबलीटेशन डिपार्टमैंट से लोन लिया और 30-40,000 के करीब मैं ने अपने ज़ेवरात लोगों के पास गिरवी रख कर इसी फैक्टरी पर लगाये। 6,000 रुपये की अब भी मैंने Settlement Department की एक किश्त देनी बाकी है। अगर 20 साल की इतनी मेहनत के बाद आज इस फैक्टरी की कीमत दो लाख हो गई है तो इस में कौनसी बड़ी बात है। मुझे पता है कि किस तरह चंद दिन वज़ारत में आकर सरमाया बढ़ाया जा सकता है। मुझे यह भी पता है कि किस तरह लाखों रुपये एकसाईज़ से कमाये जा सकते हैं। जब पिछले ठेके हुए तो ठेकेदारों ने 50 लाख में से 25 लाख पार्टी को देने को कहा कि अगर हमें ठेके दिलाये जायें तो हम इस की आधी रकम पार्टी को बतौर फंड के दे सकते हैं मगर मैं ने इस को लानत समझ कर इस आफर को ठुकराया। मेरे एक भाई का लड़का गवर्नमेंट कालेज में चपड़ासी है। मैं भी उस का कुछ बना सकता था लेकिन ....

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ : ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਐਸੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਸਟ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

शिक्षा तथा स्थानीय शासन मंत्री : नाम नहीं बताये यह तो एक सोर्स ग्राफ इनफर्मेशन है जहां से कुछ इनफर्मेशन ऐसी मिली। फिर यह कहते हैं कि हम इमानदार रहे मगर शराब के ठेके 102 ऐसे ग्रादमियों को दिये जो समगलर थे। बावजूद सी. ग्राई. डी. की रिपोर्ट के कोई प्रवाह नहीं की। पंजाब में 700 में से 550 ठेके एक ही पार्टी के ग्राद-मियों को दिये जो समगलर थे, जिन के मुताल्लिक ऐसा करने के इलज़ाम साबत हो चुके थे, मैं ने यह बात एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट से भी कही थी ग्राज भी बड़ी ज़िम्मेवारी से सारी बात कह रहा हूं। इस बात का सबूत 6 महीनों के ग्रंदर ही मिल गया कि हम ने ठेकों की ग्रलाटमेंट का सिस्टम बावजूद बहुत से लोगों की इनसिसटैंस के बन्द किया। तमाम ठेकों की बाकायदा ग्राक्शन की जिस से 6 महीनों के ग्रंदर ही सरकार को 2,60,00,000 का मुनाफा हुग्रा ग्रौर ग्राज इस मुनाफा की ग्रगर तादाद शुमार की जाये तो यह $3\frac{3}{4}$ करोड़ रुपये के करीब बनती है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी कि प्रबोध चन्द्र को ग्रगर इन की तरह कुछ करने का लालच होता तो इस को भी 10 लाख तक रुपया मिल सकता था (तालियां) ऐसा पैसा देने वाले ग्राज भी बहुत हैं। हम जो बात करेंगे वही होगी जो देश के भले में जायेगी, हमारे दिल ग्रौर दिमाग इस मुग्रामले में बिलकुल कलियर हैं। ग्राज यह हम पर इलज़ाम यह लगाते हैं कि मैं ने कैरैक्टर एसेसीनेशन की है। कैरैक्टर एसेसीनेशन तो उन्होंने की जिन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया जिस से कत्ल का वाक्या हुग्रा। यह तो उन्होंने किया होगा जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमैंट को दास कमिश्न बिठाने के लिए मजबूर किया, यह ग्रगर ऐसी कोई बात हुई है तो यह चौधरी देवी लाल हैं जिन्होंने उस वक्त की हकूमत के खिलाफ ऐसा माहौल पैदा किया। ग्राप मेरे पर इलज़ाम लगाते हैं उन के गले क्यों नहीं पड़ते। मैं ग्राज भी इस हाउस में कह देना चाहता हूं कि पिछले 8 महीनों की हकूमत के ग्रन्दर हम ने कोई ऐसी बात नहीं की जिस से हमें किसी तरह की शर्म महसूस हो। ग्राज भी हम ग्रगर किसी तरह से किसी बात के लिये कसूरवार समझे जायें तो जो फैसला हम को हमारी हाई कमांड से मिलेगा उसे हम कबूल करेंगे। हम इन गद्दियों से चिपकेंगे नहीं बल्कि जब भी किसी तरह की ज़रूरत पड़ेगी हम गद्दियां छोड़ कर चले जायेंगे। ग्राज तक हम नें जो कुछ किया यह कोई दुहराने की बात नहीं जो कुछ यह पिछले पीरियड में कर नहीं पाये हम ने पिछले 8 महीनों में कर दिखाया है। हम ने ज़ैलदार ग्रौर सफैद पोश खत्म किये, जुडीशरी को सिविल एड-मिनिस्ट्रेशन से जुदा किया। जो कुछ भी हम कर सकते थे हम ने किया मगर हम ने कुरप्शन नहीं की इस बात के लिये जब भी कोई पूछना चाहे वुई ग्रार ग्रोपन टू कन-विक्शन। मगर ग्रगर हम से कोई ग़लती हो भी जाये तो हम एक ग़लती को छुपाने की ग़रज से 100 झूठ नहीं बोलते। हम ग्रोपनली उसे मानने के लिये तैयार हैं। मैं ने एक बात मज़ाक के तौर पर चौधरी देवी लाल को कही थी, मैं इसे छुपाने की बजाये ग्रपनी ग़लती को मानता हूं, मैं ने यह मज़ाक में कह दिया था। मेरे मुताल्लिक ग्रगर किसी भी शख्स को कोई शक है तो मैं यह बात फिर कहता हूं कि ग्रगर यह ज़ाहिर हो जाए कि मैं ने स्यासी ताकत से कोई चीज़ बनाई है, मुझे इस वज़ारत में रहने का कोई हक नहीं है। इन ग्रलफाज़ के साथ मैं ग्राप का शुक्रिया ग्रदा करता हूं।

चौधरी देवी लाल (फतेहाबाद) : स्पीकर साहब, यह जो गवर्नर साहब ने ऐड्रैस पेश किया है, इस पर बहस का चौथा दिन है। पेश का लफ़ज़ इस लिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वह पूरा पढ़ ही नहीं सके। इस लिये यह उन्होंने पेश ही किया था।

सब से पहली बात जो इस में देखी गई वह यही थी कि कैरों साहिब का कत्ल। इस से यह ज़ाहिर होता है कि पंजाब में ला एंड ग्रार्डर किस ढंग से चल रहा है।

दूसरी बात जो इस ऐड्रैस में कही गई है, वह है चीन के खतरे के बारे में। ग्रौर मैं भी यही कहता हूं कि यह खतरा भारत सरकार को चीन से ग्रब भी बना हुग्रा है, ग्रौर हमारी सरकार को यह भूल नहीं जाना चाहिए, कि ग्रब शायद यह खतरा टल गया है, इस लिये इसकी पूरी तैयारी रखना इस सरकार का पहला फर्ज़ है। ऐड्रैस में बहुत बातों की ग्रोर ज़िक्र किया गया है जिनका मैं संकेत यहां करना चाहता हूं। लेकिन चीन के खतरे के बारे में सरकार को यह बिलकुल नहीं सोचना चाहिए कि शायद ग्रब यह खतरा टल गया है।

इसके इलावा ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज़ कमेटी का ज़िक्र किया गया है। लेकिन मैं इस के बारे यह कहना चाहता हूं कि हरियाना के साथ बड़ा ही डिसक्रिमीनेटरी सलूक किया गया है। जहां कहा गया कि सरदार प्रताप सिंह कैरों के वक्त सरकार का नज़ाम बिल्कुल खत्म हो गया था इस लिये इस में सुधार लाने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज़ कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ी लेकिन जब यह कमेटी बनी तो इस के कुल 15 मैम्बरों में से हरियाणे का कोई नहीं है। ग्रौर श्री हनुमन्तिया को मैसूर से लाकर इसका चेयरमैन बनाया गया ग्रौर श्री गोबिन्द सहाय को लखनऊ से लिया गया। बाकी 13 के 13 पंजाबी रिजन से लिए गए हैं ग्रौर हरियाणा से 15 में से एक भी नहीं लिया गया।

स्पीकर साहब, पंजाबी रीजन का रकबा 20995 मुरब्बा मील है ग्रौर हिन्दी रिजन का रकबा 28916 मुरब्बा मील है। ग्रगली ग्रसैम्बली में हमारे 75 एम. एल. एज़. ग्रौर पंजाबी रीजन के 86 एम. एल. एज़. होंगें। लेकिन इस वक्त इन्होंने हमारे इलाके के ग्रकेले रिज़क राम बनाए हैं। उस रिज़क भरोसे हम नहीं रह सकते। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक कनवैंशन बना रखी है कि 50 फी सदी नुमाइन्दगी सिखों को मिलेगी ग्रौर 50 फीसदी हिन्दुग्रों को मिलेगी। ग्रब ग्रगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो पटियाले से सिर्फ रामप्रताप गर्ग ग्रकेले कामयाब हुए बाकी 9 के 9 मैम्बर्स सिख हैं, तो यह कितने हिन्दुग्रों को रिप्रजैंट करते हैं? इसी तरह से जालन्धर से सिर्फ यश कामयाब हुए जो कामरेड की कुर्सी के लिए उधार खाए बैठे हैं, यह कितने हिन्दुग्रों को रिप्रजैंट करते हैं या इसी तरह से सिर्फ कामरेड जो जालन्धर से चुन कर ग्राए यह कितने परसैंट हिन्दुग्रों की नुमाइंदगी करते हैं, क्योंकि बाकी के जितने हैं लगभग सभी सिख हैं जो इधर बैठे हुए हैं। मैं देखता हूं कि 50 परसेंट तो इधर बैठे हुए हैं ग्रौर 45 परसैंट में हम हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह सिर्फ 5 परसैंट की नुमाइंदगी करते हैं जो सारी कैबनिट बनाए बैठे हैं ग्रौर हमारे यहां का सिर्फ एक रिज़क दिया हुग्रा है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि हम ग्रकेले रिज़क के भरोसे नहीं रहेंगे। हमारे रिजन का ख्याल न तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज़ कमेटी में किया गया ग्रौर न ही ग्रौर किसी बात में किया गया है। पानी की सपलाई भी ग्रगर देखें तो हमारे रीजन को 1000 एकड़ को प्वाइंट 1.9 क्यूजैक्स पानी दिया जाता है ग्रौर पंजाबी रीजन में 5 से ले कर 7 क्यूज़ैक्स

प्रति हजार एकड़ त दिया जाता है। इसी तरह बिजली के सिलसिले में भी है। और हाल यह है, स्पीकर साहब, कि जिस पानी की बैटरमैंट लेवी हम दें, उस से बनी ; ई बिजली हमें न मिल कर अमृतसर और जालंधर आदि इलाकों को दी जाती है। कितना अफसोस की बात है कि हमारे हरियाणे में अब तक सिर्फ 718 गांवों को बिजली मिली है, जब कि पंजाबी रिजन में 2529 गांवों को बिजली मिल चुकी है। इसी तरीके की डिसक्रिमिनेशन डिवैलपमेंट के सिलसिले में हमारे साथ हो रही है। सर्विसिज में यही हाल है। मिनिस्टरों के साथ 14 सैक्रेटरीज़ हैं लेकिन हमारे यहां के 8 ज़िलों में से एक भी सैक्रेटरी नहीं है। इनके एक-एक घर से दो दो। लोग-लुगाई मियां-बीवी, मिस सरला खन्ना और एस. एस. गिरेवाल। बड़ी सर्विसिज़ में भी 100 गजटिड अफसरों में हमारे यहां के मुश्किल से 4 मिलेंगे और छोटी सर्विसिज में से 100 में 12 मिलेंगे। और ऐसा हो क्यों नहीं, स्पीकर साहब, क्योंकि सिलैक्शन करने वाले बोर्ड में जो मैम्बर हैं वह या तो गुरदासपुर के हैं, जालन्धर या मोगा के हैं। हम कहें भी तो किस को जा कर कहें और किस ताऊ : पास जा कर कहें कि हमारे इलाके के लोग भी सर्विसिज में भरती करो।

पिछले दिनों कोई 25 कमेटियां बनाई जिनमें 76 लैजिस्लेटर्ज रखे गए मगर आपोज़ीशन के सिर्फ 3 मैम्बर्ज़ ही लिए गए।

यूनिवर्सिटीज़ का भी यहां जिक्र किया गया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मैं स्पीकर साहब, हवाला देना चाहता हूं कि वहां स्टाफ में 101 आदमी हैं मगर हमारे यहां के 3 काने और एग्ज़ैक्टिव में सिर्फ 1 आदमी है। और स्टुडैंट्स की संख्या 1,000 के करीब है, लेकिन हमारे यहां के सिर्फ 150 विद्यार्थी हैं। इसके बाद अगर कोई जाता है तो कहते हैं कि दाखिला बन्द हो गया। यानी हमें हमारे घर में भी दाखिला नहीं मिलता। जो वाइस चांसलर है, जिसके बारे में कई शिकायतें हैं, वह पंजाबी रिजन का है। स्पीकर साहिब, इस सरकार ने हर क्षेत्र में हरियाणे के साथ नाइंसाफी का सलूक किया है फिर यह कैसे उम्मीद करते हैं कि हमसे कि हम इन्हें गवर्नर महोदय के ऐड्रैस पर मुबारिकबाद दें। जहां तक पंजाब यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, उस में जब हमारे यहां का सैनिट में ही कोई मैम्बर नहीं तो फिर सिंडीकेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना डिसक्रिमिनेशन हो रहा है और इतनी बेइंसाफी हो रही है लेकिन फिर भी सरकार कहती है हम ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज़ कमेटी बना रहे हैं। लेकिन उनमें हमारे शामिल करने का जहां तक ताल्लुक है तो इनको हमारे यहां से कोई ऐबिल मैम्बर ही नहीं मिलता। जब कि स्पीकर साहब, हरियाणे ने सर शादी लाल जैसे हाई कोर्ट के जस्टिस पैदा किए, डित ठाकुरदास जैसे पार्लियामेंटेरियन पैदा किए, लाला हरदेवसहाय जैसे देशभक्त पैदा किए, और रायबहादुर कंवरसैन जैसे चीफ इंजीनियर पैदा किए व चौधरी सर छोटूराम जैसे रहबर पैदा किये उस हरियाणे में से इस सरकार को कोई मिल नहीं सका। कितने अफसोस की बात है। यही नहीं बल्कि हरियाने ने श्री जगन्नाथ हरिजन जैसे बी०ए० पैदा किये जब कि पंजाबी रिजन ने पैट्रिक फेम कामरेड रामकिशन पैदा किये (हंसी) और फिर यह कहते हैं कि वहां ऐडमिनिस्ट्रेशन को समझने वाले मिलते नहीं हैं।

गवर्नर ने ऐड्रैस में सरकारी कर्मचारियों का ज़िक्र किया है, लेकिन हाल यह है कि आए दिन यहां पर हड़ताल रहती है। यहां तक कि टीचर्स के नुमाइंदे हमारे लैजिस्लेटर्स

[चौधरी देवी लाल]

को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ा। और अभी आगे चल कर पटवारी हड़ताल करने वाले हैं। सरसे में कामरेड रामकिशन की मौजूदगी में सरकारी कर्मचारियों ने मुज़ाहिरा किया नारे लगाए कि यह लारे लप्पे बन्द करो और हमें रिलीफ दो। राजधानी में जलूस निकले और मुजाहरे हुए। फिर यह सरकार गवर्नर साहब का ऐड्रैस पेश करके डींगें मारती है कि हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया।

खुराक का मसला भी देखा जाए तो उसका कितना बुरा हाल है। आजकल महंगाई के कारण और फूड की शार्टेज की वजह से लोगों को भूखों मरने तक की नौबत आ गई है और जहां तक ला एंड आर्डर का सवाल है, उसका तो दिवाला ही निकल गया है। सरदार प्रताप सिंह का जो मर्डर किया गया वह दिन दहाड़े ग्रांड ट्रंक रोड पर दोपहर के वक्त किया गया और मर्डरर्स आराम से निकल भी गए और आज 1 महीने के करीब होने को आया है मगर उनका कोई पता नहीं चला। कितने अफसोस की बात है। सरकार की यह कितनी बड़ी नाअहलियत है। मैं सरदार प्रताप सिंह का सबसे बड़ा मुखालिफ था मगर उनकी हत्या किस तरह से की गई वह एक बड़ा भारी दुष्कर्म है। स्पीकर साहब, हैरानी की बात है कि जिस मौके पर कत्ल हुआ वहां पर कुछ देर के बाद ही मिलिटरी कानवाई जा रही हो, जिस में 80 जीपें हों और पास में एक ट्रेनिंग कैम्प में 500-600 जवान ट्रेनिंग ले रहे हों और सड़क पर सैंकड़ों लेबर्ज काम कर रहे हों। साथ ही पास में एक गांव हो, और 2 मील पर पुलिस का थाना हो और इतना होने पर कातिल कत्ल करके भाग जाएं। बड़े अफसोस की बात है। अगर यह सरकार एफीशैंट होती तो हैलीकोप्टर मंगवाकर सारा इलाका घेर लेती। कितना ताज्जुब होता है स्पीकर साहब, कि जब 12-30 पर दिल्ली सरकार को खबर मिल गई हो और 12-50 पर चंडीगढ़ में खबर पहुंच गई हो और दोनों सरकारें मिल कर कुछ न कर सकें और मर्डर्ज़ को न पकड़ सकें इससे ज्यादा अफसोस की और क्या बात हो सकती है। यही नहीं कातिल 26 मील तक पैदल चलते रहे, और जिनके देखे जाने की खबरें शाम तक मिलती रहीं फिर भी उन को पकड़ा नहीं जा सका, यह क्या मज़ाक है? स्पीकर साहब, अगर किसी को सरदार प्रताप सिंह से ज़ाती दुश्मनी हो सकती थी तो वह हज़ारासिंह गिल, मोहन सिंह तुड़, कामरेड राम प्यारा और मैं लेकिन मर्डर जिस तरह से हुआ और उसमें जितने साधन इस्तेमाल किए गए उतना तो कोई नहीं जुटा सकता था। और सिवाए मेरे बाकी के लोग तो दो घोड़े और दो ऊंट या एक जीप भी नहीं रख सकते। लेकिन इस मर्डर में तो कई लाखों रुपया और कई और साधन इस्तेमाल किए गए। लगता है स्पीकर साहब, कातिलों को न सिर्फ बड़ी भारी ऐश्योरेंस दी गई होगी बल्कि उनकी इंशयोरैंस भी कराई होगी। स्पीकर साहिब, यह तो

5.00 p.m.

मांग करते हैं कि देहली की सरकार के हवाले इनवैस्टीगेशन करदी जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि चाहे कोई आपोज़ीशन में है या रूलिंग पार्टी में है जो जो भी कैरों साहिब के मुखालिफ थे वह सब गद्दियां छोड़ दें ताकि सही मानों में इनवैस्टीगेशन हो सके। इनवैस्टीगेशन जिस ढंग से हो रही है उस की इनक्वायरी होनी चाहिए। कारण क्या है कि वहां का सरपंच जिस ने एफ. आई. आर. दी थी मारा गया। क्या उस का सचमुच हार्ट फैल हुआ था? अगर हुआ था तो फिर उस का पोस्टमारटम

क्यों नहीं करवाया गया। यह कहते हैं कि कातिल 26 मील पैदल गए लेकिन 26 मील में पकड़े नहीं गए। स्पीकर साहिब आप तो बठिंडा ज़िला के रहने वाले हैं आप जानते हैं कि कत्ल करवाने वाला कत्ल करवाता है और अंदर से शेखी मारता है कि मैं ने करवाया है। क्या ज़ाती दुश्मनी वाले इस तरह के कत्ल करवाया करते हैं। इस में अगर सयासी हैंड न हो तो फिर सैंटर से इनवैस्टीगेशन करवाने में इन को क्यों डर लगता है जबकि ट्रेयरी बैंचिज़ वालों ने ही मांग की है कि इस केस की इनवैस्टीगेशन सैंटर के हवाले कर दी जाए। मैं तो कहता हूं कि सैंटर की बजाए स्काटलैंडयार्ड से पुलिस मंगवा कर इनक्वायरी करवानी चाहिए क्योंकि हमारा कामनवैल्थ कंटरी है।

(एक आवाज़ : यू. एन. ओ. को कहो फिर।)

मेरे दोस्त कहते हैं कि यू. एन. ओ. को कहो। मैं उन को बताना चाहता हूं कि अगर इस कत्ल का पता न चला तो फिर महफूज़ कोई भी नहीं रहेगा। इस तरह दिन दिहाड़े कत्ल हो और उस का पता न लगे यह कितनी हैरानी की बात है। इन्होंने फ़िगर्ज़ दे कर बताया है ला एंड आर्डर बहुत अच्छा है। पिछले साल 539 कत्ल हुए थे और इस साल 536 हुए हैं। तीन का मोर्चा मारा है शायद यह जो चार हुए हैं यह गिने न हों। कारगुज़ारी इन्होंने दिखाई है। यह कारगुज़ारी मैं इन की नहीं मानता, इन से जो पहली सरकार थी वह ऐसी कारगुज़ारी दिखाने में माहर थी। शायद इन्होंने भी उस ढंग से ही दिखा दी हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे सूबे में ला एंड आर्डर की हालत बहुत खराब है, हरियाणे वालों के साथ जो डिसक्रिमीनेशन हो रही है वह बदस्तूर जारी है, कर्मचारियों की हालत आप के सामने रखी है, खुराक का मसला हल हो नहीं पाया और हो भी कैसे जब तक यह सिसियरली ज़रूरतमंद इलाकों को पानी देने का प्रबन्ध न करें। जींद करनाल और हिसार की जो नौतोड़ ज़मीनें हैं वहां एक हज़ार एकड़ के लिये 1.9 क्युज़िक पानी दिया है। वहां पिछले दिनों जब सरदी पड़ी तो पानी न मिलने की वजह से तमाम चने मारे गए हैं और इधर पानी ज़्यादा होने की वजह से वाटर लागिंग हो गई और उसे रोकने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये हैं लेकिन फिर भी सेम दूर करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस का कारण यह है कि इन की डिफैक्टिव प्लानिंग है। घगर जिस में 1955 से पहले कभी भी 4 हज़ार क्युज़िक से ज़्यादा पानी नहीं जाता था उस में यह बठिंडे से जो ड्रेन आती है उस का 14,000 क्यूज़िक पानी और डालना चाहते थे। ऐसी ही हालत गुड़गांव के ज़िले की है, वहां पानी 4000 क्युज़िक है और निकास सिर्फ 200 क्युज़िक का है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वह इलाका किस ढंग से बच सकेगा। कैथल और झज्जर का भी ऐसा ही हाल है। स्पीकर साहिब जब अमृतसर और गुरदासपुर में बाढ़ आई थी तो तीन करोड़ रुपया खर्च किया गया था। लेकिन हमारी तरफ ज़िले के ज़िले तबाह हो गए तो नाम मात्र ही खर्च किया गया। बाढ़ को यह रोक नहीं सके, यह रोकें तब अगर इन की नियतें साफ हों। मैं आप की मार्फित इस सरकार को वारन करना चाहता हूं तुम हमारे हो बलबोते पर बैठे हुए हो तुम्हारी अपनी ताकत कोई नहीं है। 50 प्रतिशत वाले तो यह मेरे इधर बैठे हैं और 50 प्रतिशत बाकी में से 45 प्रतिशत हम हैं और बाकी तुम जो पांच प्रतिशत बचते

[चौधरी देवी लाल]

हो तुम हमारी 45 प्रतिशत वालों की जगह लिए बैठे हो और हम को सिर्फ एक ही रिज़क दिया है। इस लिए मैं कहता हूं कि हम इस सरकार के भरोसे पर नहीं है। हम गवर्नर साहिब को मुबारिकबाद दें तो किस भरोसे पर दें। वह जो रिज़क लिए बैठे हैं वह अगर हमारी बातों की तरफ ध्यान दें तो उन को गद्दी छोड़नी पड़ती है । इस लिये हमारी तरफ तो यह ध्यान देंगे ही नहीं। अच्छा हुआ कि ओम प्रभा जैन के सिवाए किसी और को खड़ा नहीं किया गया मुबारिकबाद देने के लिए। ओम प्रभा जैन का हरियाणे से क्या वास्ता है। वह देहली में रहती हैं और टिकट उन्होंने जहां से ली वह सब जानते ही हैं। यह बिलकुल उसी तरह की बात है जिस तरह पहले असेंबली में बाहिर से पुर्तगाली आया करते थे। इस ढंग के लोग तो मुबारिकबाद दे सकते हैं लेकिन हरियाणे वाले लोग कभी गवर्नर साहिब को मुबारिकबाद नहीं दे सकते। जिसके वक्त में ला एंड आर्डर की हालत इतनी खराब हो, जिस ने हमारे साथ सरकारी नौकरियों और डिवैलपमैंट के कामों में इतनी डिसक्रिमिनेशन की हो उसे हम कैसे मुबारिकबाद दें। अगर यह हमारी मुबारिकबाद लेना चाहते हैं तो पहले हमारी उन बातों की तरफ ध्यान दें जो मैं ने कही हैं।

मुख्य मंत्री (श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब गवर्नर साहिब का एड्रैस इस बात की कारगुज़ारी होती है कि उस साल सरकार ने मुख्तलिफ मामलात पर जो कि आर्थिक सामाजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और राजनीतिक पहलुओं से सम्बन्ध रखते हैं क्या काम किया है। और आयंदा के लिए राज्य सरकार की मुख्तिलिफ कामों के बारे में क्या नीति है। पिछले चार दिन की बहस के दौरान में जिस में 27 मैम्बर साहिबान ने हिस्सा लिया है मुखतलिफ सवालात उठाए गए हैं और उन पर हर एक ने मुख्तलिफ तरीके से रौशनी डाली है। आज मैं अब उनका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन 27 मैम्बर साहिबान ने जो सवालात उठाए हैं वह मोटे तौर पर यह हैं। सब से पहला प्वायंट जो उठाया गया है वह सरदार प्रताप सिंह कैरों के मर्डर के बारे में है और उस सम्बन्ध में काफी तकरीरें की गई हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि वह एक निहायत शर्मनाक और दुखदायक वाक्या हुआ है जिस पर हर हिन्दुस्तानी भाई बहन को दुख हुआ है और खास तौर पर जिस तरह यह ट्रैजिक और ब्रूटल एसेसिनेशन हुई है वह और भी ज्यादा दुख-दायक है। इसके साथ साथ यहां पर लैंगुएज पालिसी को डिसकस किया गया है, फल्डज़ और वाटर लागिंग का ज़िक्र हुआ है, डाक्टर बल्देव प्रकाश जी ने करप्शन का ज़िक्र किया था सरदार लछमन सिंह गिल जी ने और पंडित चिरंजी लाल जी ने कुछ बैकवर्ड एरियाज, स्कूलों हस्पतालों, प्रासीक्यूटिंग ब्रांच और मैडीकल सहूलियात के बारे में सरकार की तवज्जुह दिलाई थी, बखशी प्रताप सिंह जी ने दिल्ली एरियाज और वहां की वाटर सप्लाई के बारे ज़िक्र किया, इस के बाद सैपरेशन आफ जुडीशरी ऐंड एगज़ैक्टिव के कई सवालात उठाए गए, ज़रायात फूड और प्राईसिज़ का ज़िक्र किया गया, चौधरी देवी लाल जी ने अभी अभी हरियाणा का ज़िकर किया और सरदार गुरनाम सिंह, सरदार अजायब सिंह संधू और ज्ञानी करतार सिंह जी ने कुछ भाषा के सम्बन्ध में सवाल उठाए हैं। मैं इन सब का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि मैं बाकी सारे सवालात को नज़र अंदाज़ करूंगा जो भी सवालात मुख्तलिफ भाइयों

नेउठाए हैं उन सब का म मोटे तौर पर जवाब देने की कोशिश करूंगा और उनकी तरफ मैं पूरी तवज्जुह दे रहा हूं। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि किसी भी राज्य सरकार की कारगुज़ारी का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उस ने हकूमत संभाली तो क्या हालात थे और उस के बाद क्या हालात हुए। स्पीकर साहिब मैं आप की मार्फत हाउस को कहना चाहता हूं कि आठ महीने पहले इस सरकार ने पंजाब के लोगों के आशीर्वाद से और हिन्दुस्तान के लोगों के आशीर्वाद से इस राज प्रबंध को संभाला था। जिस वक्त हम ने यह पंजाब राज्य को संभाला था उस वक्त राज्य में क्या हालात थे उन की तफसील में मैं नहीं जाना चाहता आप सब जानते हैं। आप जानते हैं सरविसिज़ की क्या हालत थी, पंजाब के लोग किस प्रकार सोचते थे और पंजाब की माली हालत क्या थी। लेकिन इन पिछले 8 महीनों के दौरान मैं स्पीकर साहिब आप के ज़रिये हाउस की सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूं बावजूद इस बात के कि हमारे ऊपर कई तकलीफें आई हम ने कोई नया टैक्स लगा कर लोगों पर कोई बोझ नहीं डाला है बल्कि कई मामलों में रीलीफ ही दिया है। सब से बड़ी प्राबलम हमारे सामने फल्डज़ की आई। जिस दिन हम ने यह राज्य प्रबन्ध संभाला था हमारे राज्य के बजट में फल्डज़ के सम्बन्ध में एक भी पैसा नहीं था। लेकिन हम ने बावजूद अपनी इस माली तकलीफ के न सिर्फ इन फल्डज़ का मुकाबला ही किया है बल्कि आयंदा के लिए भी मैं आज यह एलान कर देने की पोज़ीशन में हूं कि जिस रोहतक ज़िला का अभी मेरे मित्र चौधरी देवी लाल ने ज़िक्र किया है, जिस ज़िला को हर साल फल्डज़ ने तबाह कर दिया था और पिछले सात साल में वहां तहसील झज्जर बार बार फल्डज़ का बुरी तरह शिकार हुई थी उस के मसले को टैकल करने के लिए हम ने कई कदम उठाए हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि जहां तक ज़िला रोहतक के फल्डज़ का मामला है खाह वह नजफगढ़ ड्रेन की तरफ से हो, धांसा बंध की तरफ से हो या दूसरी चीज़ों ने पैदा किया हो उन सब को टैकल करने का हम ने फैसला किया है *(cheers)* मेरा ख्याल है कि आने वाले मौनसून से पहले पहले जहां तक नजफगढ़ ड्रेन का सम्बन्ध है पंजाब सरकार ने भारत सरकार के साथ मुख्तलिफ स्कीमों पर गौर करते हुए काफी मीटिंगज़ के ज़रिए फैसला किया है कि नज़फगढ़ ड्रेन में जहां पहले तीन या चार क्यूसिकस पानी जाता था अब उस की कैपिस्टी तीन हज़ार क्यूसिकस पानी का निकास करने के लिये उसे खोदेंगे (चीयर्ज़) मेरा यह निश्चय है कि आने वाले जून, जुलाई से पहले यह काम खत्म हो जाएगा और फल्डज़ का खतरा बाकी नहीं रहेगा और हम उन की रोक थाम कर पाएंगे। स्पीकर साहिब आप को याद होगा कि पिछले इजलास में यहां पर धांसा बांध का बड़े ज़ोरों के साथ ज़िक्र हुआ था। उस के बारे में भी यह आप की राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ मिल बैठ कर फैसला किया है कि इस रैगुलेटर की कैपिस्टी जिस के ज़रिए पहले सिर्फ 450 क्यूसिकस पानी का निकास होता था अब उस कैपिस्टी को 450 की बजाए चार हज़ार क्यूसिकस पानी का निकास करने के योग्य बना दिया जाएगा (चीयर्ज़) मेरा यह निश्चय है कि हम ज़िला रोहतक के फल्डज़ को कंट्रोल कर लेंगे। सिर्फ यही नहीं है ज़िला गुड़गांव की उजीना ड्रेन का जहां तक सम्बन्ध है जिस में पहले 200 क्यूसिकस पानी चलता है अब हम ने उस का निकास 600 क्यूसिकस करने का फैसला यू. पी. राज्य के साथ तथा भारत सरकार के साथ मिल कर

[मुख्य मंत्री]
किया है। मेरा निश्चय है कि इस तरह हो जाने से ज़िला गुड़गांव के अन्दर फल्डज़ की रोकथाम हो जाएगी। फिर जहां तक हमारे पंजाब में सेम का सम्बन्ध है इस मसले को हम ने बहुत ही इम्पारटैंस दी है। आज मुझे खुशी होती है यह बताने में कि इस सम्बन्ध में हम ने भारत सरकार के साथ, पलैनिंग कमीशन के साथ, फल्ड कंट्रोल बोर्ड के साथ, एग्रीकल्चर मिनिस्टरी और दूसरों के साथ मिल कर काफी बात चीत की है और आज मैं यह एलान कर देने में खुशी महसूस करता हूं कि भारत सरकार इस बात को पूरी तरह सोच रही है कि पंजाब की वाटर लागिंग की प्राबलम सिर्फ पंजाब की ही नहीं बल्कि यह सारे देश की ही, नैशनल प्राबल्म तसव्वर की जाएगी (चीयर्ज़) और इसे टैक्ल करने के लिये जितनी भी उन की तरफ से मदद हो सकती है वह तैयार हैं।

चौधरी देवी लाल : आन ए पायंट आफ आर्डर, सर। जब मुख्य मन्त्री जी किसी इलाके के बारे में बात करते हों तो गैर इलाके वाले क्यों इतनी तालियां बजाएं और उस इलाके के क्यों न बजाएं। यह तालियां गैर इलाके वाले ही बजा रहे हैं, इलाके वाला कोई नहीं बजाता। उन्हें वहां क्या इंट्रैस्ट है? (हंसी) हरियाणे की बात है लेकिन हरियाणे वाले तालियां नहीं मारते यही मार रहे हैं। (शोर)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब जब यह तालियां ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं तब कामरेड साहिब की स्पीड तेज़ से तेज़ होती जाती है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या कह रहे हैं। या तो यह तालियों वाले अपनी स्पीड कम करें या फिर कामरेड साहिब अपनी स्पीड स्लो करें। (हंसी)

सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों : यह चौधरी साहिब तो उस इलाके के ही होंगे लेकिन हम तो सारे इलाके को अपना ही पंजाब समझ कर तालियां बजा रहे हैं (शोर)

श्री जगन्नाथ : स्पीकर साहिब, मैं देखता हूं कि कुछ मैम्बर साहिबान डैस्कस बजा रहे हैं लेकिन कुछ अपनी छातियों पर हाथ पीट रहे हैं (हंसी) क्या वह छाती पीट सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : मुझे डर है कि कहीं आप सिर पीटना न शुरू कर दें। (हंसी) (I fear that the hon. member may not start striking his head.)

मुख्य मन्त्री : तो स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम ने पिछले 8 महीने के दौरान में पंजाब के मुख्तलिफ सवालात करने के लिये यथाशक्ति कोशिश की है। अभी यहां पर मुलाज़मीन का जिक्र किया गया है। ठीक बात है उन्हें कर्मचारियों से हमदर्दी है लेकिन अच्छा होता अगर वह यह भी बता देते कि जिस वक्त हमने यह राज्य भार हाथ में लिया उस वक्त क्या हालात थे और आज क्या हैं। जिस वक्त मैं ने इस राज्य प्रबन्ध को हाथ में लिया उस वक्त मैं ने सरकारी कर्मचारियों को ऐड्रैस करते हुए कहा था कि हमारी नीति यह है कि पंजाब का छोटे से छोटा कर्मचारी जो पंजाब राज्य के निर्माण कार्य में लगा हुआ है जो पंजाब के एडमनिस्ट्रेशन में हाथ बंटा रहा है उस का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिये उस की तन्खाह हम कम से कम 100 रुपए माहवार तक ले जाएंगे। (चीयर्ज़) चुनांचि उस के मुताबिक पिछले 8 महीने में इस राज्य सरकार ने जिस की माली हालत अच्छी नहीं थी उसने इस तरफ मुनासिब कदम उठाए हैं और मुझे इस सदन में एलान

करते हुए खुशी महसूस होती है कि आज इस पंजाब में जो छोटा कर्मचारी है, स्वीपर भी है उसे भी 97 रुपए 50 पैसे तन्खाह मिलती है (चीयर्ज़) इस के अलावा आप की इस सरकार ने पिछले 8 महीने में माली साधन न होते हुए भी पंजाब के 2 लाख 46 हज़ार मुलाज़मीन को छोटे से ले कर बड़े तक 5 करोड़ 45 लाख का रीलीफ दिया है। हम इस से भी मुतमैन नहीं हैं (चीयर्ज़) स्पीकर साहिब जहां तक फूड का सम्बन्ध है आप पंजाब के मुकाबले में अगर हिन्दुस्तान के बाकी नकशे को देखें तो आप को पता चलेगा कि पंजाब राज्य ने अपनी फूड पालीसी इस तरह से अपनाई है कि उस से फूड प्राबलम और प्राइसिज़ को हत्तलवसा पूरी तरह कंट्रोल किया है। अब एक महीने के बाद पंजाब में नई फसल आने वाली है।

स्पीकर साहिब, पंजाब के किसानों ने अपनी मेहनत से, अपने कठोर परिश्रम से खेती की पैदावार को बढ़ाया है। पंजाब के अन्दर बम्पर क्राप पैदा होगी। आज ही हम ने अगले साल का बजट पेश किया है। इस बजट के अंदर 9 करोड़ रुपए इस लिये रखा है कि पंजाब सरकार 1 करोड़ 50 लाख टन ग्रेन्ज का स्टाक इकट्ठा करेगी। इस के साथ ही साथ 50 हजार टन गन्दम कोआप्रेटिव डिपार्टमेंट के ज़रिये खरीदेगी। यह स्टाक गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिये अलग रिज़र्व रखेगी। ताकि किसी भी वक्त प्राइसज़ बढ़ें तो उन को कंट्रोल किया जा सके और यह स्टाक अलहदा रहेगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक फूड ग्रेन्ज कार्पोरेशन कायम की है। उस के ऐक्ट की धारा 4 के मुताबिक तमाम स्टेटस के अन्दर ब्रांचे कायम हो सकती हैं इस के लिये अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट आफ इंडिया पंजाब सरकार को 12 करोड़ रुपया देने के लिये तैयार है। हम पंजाब के अन्दर प्राइसज़ का पूरी हिम्मत से मुकाबला करेंगे। हम ने निश्चय किया है कि किसानों को इंसैंटिव दिया जाए। पिछले साल के आंकड़े देखे जाएं तो पता चलेगा कि हम ने किसानों को सीड्ज़ और फर्टेलाइज़र में दुगना इंसैंटिव दिया है। हमें पूरी तरह से पता है कि पंजाब के किसान फूड ग्रेन्ज़ को बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और इस साल काफी पैदावार बढ़ने की आशा है। इस के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि किसानों को और इंसैंटिव देंगे। उन की जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद करेंगे। (तालियां) हिन्दुस्तान की यह पहली सरकार है जिस ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर कास्ट प्रोडक्शन कमेटी बिठाई है। यह कमेटी जल्दी ही अपनी रिपोर्ट दे देगी इसी तरह से गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पिछले अक्तूबर या नवम्बर में फूड ग्रेन्ज की प्राइसज़ मुकर्रर की थी। गवर्नमेंट आफ इंडिया का प्राइसज़ कमीशन इस के बारे में रात दिन वर्क कर रहा है कि आगे के लिये क्या कीमत मुकर्रर की जाएं। किसानों को क्या इंसैंटिव देना चाहिए। इस के बारे में तमाम स्टेटस की 9-3-65 को मीटिंग होने वाली है जिस में इन बातों का फैसला करेंगे। उस के मुताबिक हम ने फूड ग्रेन्ज़ के बारे में सोचना है। फूड ग्रेन्ज़ के बारे में ही नहीं अपितु चने और दालें के बारे में भी सोचेंगे। सारी चीजों की तरफ हम देखेंगे। गवर्नर साहिब ने अपने एड्रैस में कहा है कि किसानों को इंसैंटिव देने के लिये एग्रो-इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन कायम करने जा रहे हैं। इस तरह से किसानों को काफी इंसैंटिव दिया जाएगा। स्पीकर साहिब, राज्य सरकार की डिवैल्पमैंट का अन्दाजा किस बात से लगाया जा सकता है? इस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम ने इस

[मुख्य मंत्री]
राज्य की काफी हद तक माली हालत सुधारने की कोशिश की है। पिछले 8 महीनों के अन्दर अपनी हिम्मत से 3 करोड़ और 50 लाख रुपया की इकानौमी की है। इस के अलावा हम ने 9 करोड़ 55 लाख रुपया बिना टैक्स लगाने से राज्य की आमदनी बढ़ाई है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब की माली हालत बेहतर बनायी जाए। हम ने लोगों के आशीर्वाद से 8 महीने पहले राज्य की बागडोर सम्भाली। हम अपने पूरी हिम्मत के साथ अगले वित्तीय साल में दाखिल हो रहे हैं। हम ने निश्चय किया है कि इन तमाम प्रो.लम्ज़ को दृढ़ता से टैकल करेंगे। हम ने थर्ड फाइव-यीर प्लैन के अन्दर 231 करोड़ रुपये रखे थे। पंजाब की हिम्मत से ही 231 की बजाये 244 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। यह 13 करोड़ रुपये पंजाब की डिवैल्पमैन्ट स्कीमों, इरीगेशन स्कीमों और ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन की स्कीमों में खर्च किये जायेंगे (तालियां)।

स्पीकर साहिब चौधरी देवी लाल ने एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्मज़ के बारे में ज़िक्र किया, उन्होंने और कई बातों का भी ज़िक्र किया। चौधरी देवी लाल मेरे पुराने दोस्त हीं नहीं हैं बल्कि मेरे साथी और नेता भी रहे हैं। मुझे उन से ऐसी बातों की आशा नहीं थी। पंजाब के इतने ज्यादा मसले होने के कारण पंजाब में तीन बाई-इलैक्शन्ज़ फेस किये और उन में हमें कामयाबी मिली। यह बाई-इलैक्शनज़ जींद, ब्यास और बरनाला में हुई। चौधरी देवी लाल ने जींद में हरियाणा का सवाल भी उठाया था। वहां पर उन को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। हम लोगों को भी फेस करने के लिये तैयार हैं। और हम यहां पर भी हर बात को फेस करने के लिये तैयार हैं।

चौधरी देवी लाल: मेरी बातों का भी जवाब दिया जाये। (शोर)

मुख्य मंत्री: मैं आप की बातों का जवाब दूंगा। आप चिन्ता न करें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपोज़ीशन के कुछ दोस्तों के लिये वह सीटें शोभा नहीं देती हैं। जो उन ट्रैज़री बैंचिज़ पर आना चाहिए। (शोर) (विघ्न)।

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी नेत राम: स्पीकर साहिब मेरा व्यवस्था प्रश्न है। मुख्य मन्त्री ने कहा है कि आपोज़ीशन के मैम्बर ठीक बातें नहीं करते हैं। उन्होंने क्या यह ठीक कहा है? चीफ मिनिस्टर साहब ने गन्दम और चने के बारे में भी कहा है। मैं आप के द्वारा हाऊस में ब्यान करना चाहता हूं कि जब सकार ने चने पर दूसरी स्टेट्स में जाने के लिये पाबन्दी लगाई थी तो उस वक्त ब्लैक मार्किटरों के साथ मिल गये थे और ब्लैक मार्किटर्ज़ को ही लाईसेंस दिये गये थे (शोर) (विघ्न)।

Mr. Speaker: please resume your seat.

मुख्य मंत्री: इस सदन में हरियाणा प्रान्त की डिवैल्पमैन्ट का सवाल उठाया गया था। उस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि उस इलाके की डिवैल्पमैन्ट के लिये और नानडिवैल्पमैन्ट के तमाम काज़िज़ पर एक कमेटी नियुक्त की गई है। उन के बारे में मखतलिफ सिफारिशें करने के लिये यह कमेटी बनाई गई है। वह अपनी रिपोर्ट 4 महीने के अन्दर देगी। सब मिल कर सरकार को अपनी रिकमैन्डेशन्ज़ देंगे। और

उस में हमने ऐसे मेम्बरान को रखा है, मसलन पंडित श्री राम शर्मा उसके चेयरमैन हैं जो कि सन् 1920-21 से कांग्रेस में रह कर मुल्क की आज़ादी के लिये लड़ते आये हैं। (शोर) वे हररियाणे के नेता हैं जिन्होंने हरियाणे के लिये इतना काम किया है (शोर) (विघ्न)।

चौधरी देवी लाल : हम मानते हैं कि परसानल बड़ा अच्छा है फिर तकरीर करने की क्या ज़रूरत है......रिकार्ड बन्द करो। (शोर) (बहुत शोर)

Mr. Speaker: Order please, no interrup ion please.

मुख्य मंत्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि उस में हम ने आपोज़ीशन के मैम्बर प्रोफैसर शेर सिंह रखे हैं। गुड़गावां के राओ गजराज सिंह को रखा है जो कि पार्लियमैन्ट के मैम्बर हैं। फिर हम ने करनाल के मैम्बर लिये हैं, हिसार से लिये हैं महेन्द्रगढ़ से रखे हैं। जितना भी हरियाणा का इलाका है उस सब में से भाइयों को रखा है। स्पीकर साहिब मैं आप की मार्फत अपने दोस्त देवी लाल जी से कहना चाहता हूं कि न सिर्फ बातों से ही बल्कि उन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस राज्य की सरकार हरयाणा की डिवैलपमैन्ट के लिये उन्नति के लिये कोशिश करना अपनी पवित्र और सेक्रड ड्यूटी समझती है....

खान अबदुल गफ्फार खां : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आप की मार्फत मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अम्बाला हरयाणा में है या कि पंजाबी रिजन में। कोई बात हो तो अम्बाले का ज़िक्र नहीं आता।

मुख्य मंत्री : खान साहिब की इत्तलाह के लिये मैं अर्ज़ कर दूं कि अम्बाले का कुछ इलाका छोड़ कर बाकी का इलाका हिन्दी रिजन में है।

मैं अर्ज़ कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज़ कमिशन में हरयाणे का कोई मैम्बर नहीं है। हम ने रिजन या ज़िला के नुक्ता निगाह से यह कमिशन नहीं बनाई। विजीलैंस कमिशन के चेयरमैन जस्टिस टेक चन्द हैं जो कि अम्बाले के रहने वाले हैं। हरयाणा की डिवैल्पमेन्ट के लिये सोनीपत में रोहतक के अंदर तीस चालीस करोड़ रुपया लगा कर प्राइवेट सैक्टर में इंडस्ट्री कायम करना चाहते हैं.... (हाऊस में इस वक्त बहुत शोर था और खान साहिब बोलने की कोशिश करते थे। लेकिन स्पीकर साहिब उन को बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। और न ही मुख्य मन्त्री गिव वे करते थे।)

खान अबदुल गफ्फार खां : मेरा भी हक बनता है कि मैं दरियाफत करूं।

मुख्य मंत्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे दिल में हरियाणा की तरक्की के लिए ऐग्रीकल्चर के प्वायंट आफ व्यू से कम्यूनीकेशन के प्वायंट आफ व्यू से बिजली के नुक्ता निगाह से, इंडस्ट्री के नुक्ता निगाह से और मैडीकल के नुक्ता निगाह से भी पूरी लग्न है। आज रोहतक के अन्दर मैडीकल रिसर्च इंस्टीच्यूट खुला है जो कि बहुत भारी संस्था है। हम पूरी तरह से इन तमाम बातों की तरफ गौर करेंगे (विघ्न) (बहुत शोर)।

(खान साहिब बोलना चाहते थे)

Mr. Speaker: This is not proper for the hon. Member. He should take his seat.

खान अब्दुल ग़फ्फार खां : मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

Chief Minister : I don't give way.

Mr. Speaker : The hon. Member is an old parliamentarian. He should not interrupt like this.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: ਸਰ, ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम सब से ज़्यादा तवज्जोह इस तरफ देना चाहते हैं कि पंजाब के आम लोगों की तकालीफ और मुश्किलात को दूर किया जाए। इस सिलसिले में हम ने यह किया है कि पब्लिक रीलेशन्ज़ की जो कोआर्डीनेशन कमेटियां थीं उन को पब्लिक ग्रीवैंसिज़ कमेटी का नाम दिया है। हम ने ऐसा करने का फैसला किया है। उस के अन्दर पहले यहां सिर्फ रूलिंग पार्टी के ही आदमी होते थे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, हैड्ज़ आफ दी डीपार्टमैन्ट्स हुआ करते थे, अब उसका दायरा वसीह कर दिया गया है। उन कमेटियों में जितने भी एम. एल. एज़ उस ज़िले के होंगे, जितने भी एम.एल.सीज़ होंगे वे सब मैम्बर होंगे। ज़िला कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन मैम्बर होगा। ब्लाक समितियों के चेयरमैन मैम्बर होंगे, सदाचार समिति का चेयरमैन इसका मैम्बर होगा। ज़िला परिषद् का चेयरमैन भी इस कमेटी का मैम्बर होगा। यही नहीं स्पीकर साहिब, लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिये और उन की शिकायात को दूर करने के लिये लोगों का वक्त ज़ाया न हो रैड टेपिज़म को दूर करने के लिये हम ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज़ कमिशन की टर्म्ज़ आफ रैफ्रेंस के अन्दर यह चीज़ खास रखी है कि कमिशन इस बात पर भी एक अच्छी सिफारिश करेगा। साथ ही साथ हमने यह फैसला किया है कि लोगों की तकालीफ को दूर करने के लिये सैक्रेटैरियेट का एक सीनियर आई. सी. एस. अफसर इस बात की तरफ तवज्जोह देगा ताकि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वारटर्ज़ पर भी पब्लिक ग्रीवैंसिज़ कमेटी के अफसर इन बातों की तरफ खास तवज्जोह दें। हम ने यह भी फैसला किया है कि हर तीन महीने के बाद पंजाब के कोई वज़ीर या चीफ मिनिस्टर ज़िला के हैडक्वारटर्ज़ पर जाया करेंगे। उस से एक महीना पहले इस बात की मुनादी करवा दी जाया करेगी ताकि लोगों को इस बात का ज्ञान हो जाये और जिन को कुछ मुशिकलात हों, तकालीफ हों वे लोग अपना अपना केस तैयार कर लिया करें। मिनिस्टरों के साथ ही साथ हमारे सीनियर अफसरान चाहे वह फिनानशल कमिश्नर रैवेन्यू हों, चाहे डिवीज़न के कमिश्नर हों चाहे फिनानशल कमिश्नर डिवैल्पमैन्ट हों, वे भी साथ होंगे। इस के साथ ही ज़िला के तमाम अफसर, बिजली के भी, ज़रायत के भी और दूसरे अफसरान भी उस वक्त ज़िला हैडक्वारटर्ज़ पर मौजूद होंगे। ताकि लोगों की अर्ज़ियों पर गौर हो सके। उन अफसरान के सामने ही सुन कर उन पर फैसला दिया जा सके। हम ने बैस्ट टेलैन्ट इस कमिशन में रखा है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मज़ कमेटी इस राज्य ने बनाई है, वह हिन्दुस्तान में अपनी किस्म की सब से पहली कमेटी है। अमरीका में जिस प्रकार होवर कमिशन बैठाई गई थी वह भी उसी लाइन्ज़ पर बनाई गई है। उस की 15 मीटिंग्ज़ हो चुकी हैं। उन्हों ने 115 मुख्तलिफ और 166 जैनरल कुएस्चनेयर तैयार करके तमाम मैम्बरान असेम्बली

तमाम मैम्बारान कौंसिल, तमाम मैम्बरान पार्लियामैन्ट, बार एसोसिएशन के प्रैज़िडैन्टस, म्यूनिसिपल कमेटी के प्रैज़ीडैन्ट्स, रिटायर्ड अफसरान को भेजा है। उन के साथ इंटरव्यू भी करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस मेहर चन्द महाजन, श्री त्रिलोक सिंह जी और श्री भीमसेन सच्चर से इन्टरव्यू कर के उन से पूरी जानकारी हासिल की है। इतना ही नहीं। स्पीकर साहिब इस सम्बन्ध में पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन इन्स्टीच्यूट, देहली और यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है। इस कमिशन की रिपोर्ट अगस्त के महीने में हमारे सामने आएगी। हम ने यकीन दिलाया है पंजाब के लोगों को कि जब वह रिपोर्ट आएगी तो सरकार उसको इम्पलीमैन्ट करने की पूरी तरह से कोशिश करेगी और जैसा कि उन की टर्म्ज़ आफ रैफ्रैंस में जिन बातों का ज़िक्र किया है सरकार उन सभी चीज़ों पर पूरी तरह से तवज्जोह देगी। स्पीकर साहिब हम पंजाब को डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर एक बहुत अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं जिसके अन्दर अच्छे से अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर हों जो कि जिस तरह से हम वैलफेयर स्टेट कायम करना चाहते हैं, पीपल्ज़ राज कायम करना चाहते हैं, वह उन सारे जज़बात को सारे विचारों और सभी भावनाओं को, स्पिरिट को और सारी बैकग्राऊंड को अपने सामने रखें। पंजाब राज्य के अन्दर जैसा कि आप को मालूम है मुख्तलिफ किस्म की प्राबलम्ज़ हैं। हमें उन सब को टैकल करना है और कामयाबी के साथ उन पर काबू पाना है। इस के लिये हम दिन और रात इस सारे सम्बन्ध में कोशिश कर रहे हैं। मैं आप के ज़रिये हाऊस को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक देश की इकानोमी को मज़बूत करने का सवाल है उसमें पंजाब एक इम्पार्टैंट पार्ट प्ले कर रहा है। मैं इस सम्बन्ध के ऊपर ज्यादा तफसील में तो नहीं जाना चाहता मगर आप को बताना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चर के सम्बन्ध में हम क्या करने जा रहे हैं। अगले साल हम ज़मींदारों को कम अज़ कम चार लाख मन बीज देने चले हैं। जहां तक काटन का ताल्लुक है उस के लिये कम्पलसरी सपरेइंग करने जा रहे हैं (प्रशंसा) इस के साथ साथ फिरोज़पुर, लुधियाना, हिसार ज़िलों के अन्दर जो कि हमारे सब से ज़्यादा ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ज़िले हैं ट्रैक्टर रिपेयर शाप्स बनाने जा रहे हैं। हमने फैसला किया है कि 500 के करीब आप सपरेयर्ज़ कास्ट प्राईस पर पंजाब के ज़मींदारों को देंगे। इस के इलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम पंजाब के ज़मींदारों की बाबत सोच रहे हैं। जहां तक ग्रीन मैन्योर का सम्बन्ध है उस सिलसिले में भी सहूलतें दे सकें, इस बारे में भी सोचा जा रहा है। हमने यह भी निश्चय किया है कि पंजाब राज के अन्दर हर उस भाई के खेत में जिस के पास पांच एकड़ या इस से ज़्यादा ज़मीन है, उसका मकान भी बनना चाहिये और पंजाब सरकार इस सम्बन्ध में पूरी हत्तलवसा कोशिश करेगी कि उन की मदद कर सकें। हमने जो हाऊसिंग बोर्ड बनाया है, उस के ज़रिये हम कोशिश करेंगे कि उन को जितनी ज़्यादा से ज्यादा मदद हो सकती हो, मदद मिल सके (विघ्न), (शोर)।

चौधरी नेत राम : एक ज़रूरी व्यवस्था प्रश्न। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कारखाने से पैदा होने वाली चीजों का राशन किया जाएगा या ज़मींदारों को भूखा मारा जाएगा और कारखानों को मुनाफा दिया जाएगा? (शोर)

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब मैं एक एक चीज़ पर आ रहा हूं । ज्ञानी करतार सिंह जी ने अपनी स्पीच के अन्दर ज़िक्र किया था कि सन् 1969 के अन्दर श्री गुरु नानक देव जी महाराज की 500 साला जन्म शताब्दी आ रही है । पंजाब राज अपना यह फर्ज समझता है कि पंजाब की उस आला हस्ती की, एपासल आफ पीस और नान-वायलैंस की हिन्दुस्तान के एक महापुरुष और महान गुरु की याद मनाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जाए । और मैं यह बात आज यहां पर बता देना चाहता हूं कि हम उस फर्ज़ को अदा करेंगे पूरी तरह से अदा करेंगे (प्रशंसा) हम उस से किसी तरह से गाफिल नहीं है ।

इस के अलावा कुछ ज़िक्र ज्ञानी करतार सिंह जी की तरफ से, सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरनाम सिंह जी की तरफ से कुछ रिजनल फार्मूले का, कुछ पंजाबी भाषा का ज़िक्र किया गया । मुझे इस बात का दुःख हुआ कि जिस टेस्ट में सरदार गुनाम सिंह जी ने बात कही वह कोई बहुत अच्छा नहीं था । उन को कुछ शोभा नहीं देता था । पर उन्होंने उस तरह से कह दिया । ठीक है । जो कुछ कहा अपनी तरफ से उन्होंने अच्छा ही कहा मगर उस का टेस्ट अच्छा नहीं था ।

सरदार गुरनाम सिंह : कौन सा टेस्ट मुख्य मन्त्री ।

मुख्य मन्त्री : जिस तरह से आप ने वह बात कही वह कोई अच्छे टेस्ट में नहीं थी । बहर हाल मैं आप के ज़रिए, स्पीकर साहिब उन को और हाउस को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिजनल फार्मूले को, जिसे पार्लियामेंट ने एप्रूव किया था, हम पूरी तरह से लागू करेंगे । हम उस की स्पिरिट पर पूरी तरह से कायम है, उस की एक एक धारा पर कायम हैं और जहां तक इस पंजाब राज की गवर्नमेंट का सम्बन्ध है वह पंजाबी भाषा को सिर्फ एक रिजनल लैंग्वेज के तौर पर ही नहीं बल्कि जैसा कि पंजाबी भाषा देश की 14 राज भाषाओं में से है, उस की राज भाषा के नाते पूरी तरह से कदर करती है और करेगी । हम इस बात को देखेंगे कि उस रिजन के अन्दर, जहां पंजाबी है इसमें अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई है, किसी जगह पर कोई खामी रह गई है तो उस खामी को दूर करें । यह हमारा सब से बड़ा फर्ज़ है कि उस खामी को, उस कमज़ोरी को दूर करें । हम रिजनल फार्मूले पर पूरी तरह से अमल करना चाहते हैं । पंजाब एक बाईलिंगुअल स्टेट है ।

ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ? ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ? ਫੇਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करता हूं कि हिन्दुस्तान के विधान की धारा 350 के मुताबिक यह बात करार दी गई है कि हिन्दुस्तान के किसी हिस्से के अन्दर कोई भाई या बहन जिसे किसी तरह की, किसी किस्म की कोई शिकायत हो, वह अपनी शिकायत को किसी भी लैंगुएज के अन्दर, किसी भी भाषा में यूनियन की सरकार को कर सकता है । अगर वह किसी स्टेट के अन्दर अपनी शिकायत देता है तो उसी धारा 350 के मुताबिक

उसे हक है कि जो उस सूबे की भाषा है उसमें अपनी दरखास्त दे सकता है। इस के साथ वजाहत यह कि फर्ज़ करो कि वह अगर किसी दूसरी भाषा में भी राज सरकार को दरखास्त देता है तो उस को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद इस बात पर काफी गौर हुआ। कमिश्नर फार लिंग्विस्टिक मैनारिटीज ने भी इस के ऊपर पूरी तरह से गौर किया और उस के बाद राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में लिखा कि जो भाई जिस लैन्गुएज में दरखास्त देता है उसे उसी भाषा में उस का जवाब दिया जाना चाहिए (विघ्न) मैं सभी बातों की तरफ आ रहा हूं। यही नहीं, बल्कि उस के बाद चीफ मनिस्टर्ज़ कांफ्रेंस हुई और उन्होंने भी उस धारा के मुताबिक उस पर अपनी मुहर लगा दी। उसके मुताबिक यह कहा कि जो भी पैटीशन या रिप्रिजैंटेशन करना चाहे वह उस अपनी जबान में दे सकता है। इस के मुताबिक सन् 1957 में एक सरकुलर जारी हुआ था और फिर सन् 1962 में एक सरकुलर निकला। मैं उस सारे सरकुलर को पढ़ सकता हूं, लेकिन टाइम बहुत कम है और बातें ज्यादा हैं इस लिये मैं उस को इस वक्त पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन मेरा निश्चय है कि सरदार गुरनाम सिंह जी को इस बात पर एतराज़ नहीं कि किसी जबान में भी चाहे वह दरखास्त दे। मेरे ख्याल में उन का एतराज़ इस बात पर है कि उस पैटीशन का, उस अर्जी का, उस दरखास्त का जवाब उसे किस भाषा में मिलता है।

सरदार गुरनाम सिंह : ठीक है, क्वाईट राईट।

मुख्य मन्त्री : इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो कारस्पांडेंस हुई, ज़ोनल कौंसिल में सवाल आया और उस के मुताबिक लीगल व्यूज़ भी वहां से लिये गये जिन के सम्बन्ध में मुख्तलिफ इन्टरपरेटेशंज़ आई कि जिस भाषा में वह आदमी दरखास्त देता है उस के मुताबिक उसे जवाब दिया जाए। लेकिन स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत सरदार गुरनाम सिंह और उन के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि यह कोई ऐसा प्वायंट नहीं है जिसे यहां फलोर आफ दी हाउस पर रेज़ किया जाए। आप ज़रा इतमीनान से काम लें और तेज़ी और तल्खी के साथ काम न लें क्योंकि हमारा यहां बोला गया एक-एक लफज़ बड़ी वुक्कत रखता है। यहां पर बोला गया एक लफज़ पंजाब के अन्दर एक अच्छी फिज़ा पैदा कर सकता है और यहां पर कहा गया एक भी गल्त लफज़ काफी नुकसान पहुंचा सकता है। आज हमारा मक्सद पंजाब को मज़बूत बनाना है और एक नया पंजाब बनाना है और हम चाहते हैं कि अपने वीर पंजाबी भाइयों को आगे तरक्की के राह पर आगे ले जाया जाए। इस लिये स्पीकर साहिब, मैं आप की मार्फत सरदार गुरनाम सिंह और इनके साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस मामले पर बैठेंगे और आपस में इस पर विचार करेंगे, हमारे साथ कमिश्नर आफ लैन्गुजिज़ बैठेगा। एल. आर बैठेगा और एडवोकेट जनरल बैठेगा और हम इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस को यहां फलोर आफ दी हाउस पर बोल कर हल किया जा सके।

सरदार गुरनाम सिंह : आप इस मामले को और कम्पलीकेट किए जा रहे हैं।

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं आप की मारफत इन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो रिजनल फारमूला है, उस के अन्दर जो धारायें हैं हम उन सब पर सौ फी सदी अमल करना चाहते हैं और अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस में कहीं पर कोई कमी या कमज़ोरी आजाती है तो यह हमारी उस तरफ तवज्जुह दिलाएं हम उस कमज़ोरी या कमी को दूर करने के लिये तैयार हैं।

सरदार लच्छमन सिंह गिल : आप इस को सिम्पलीफाई कर दें।

मुख्य मन्त्री : हम इस बारे में आपस में सोच लेंगे।

तो, स्पीकर साहिब, एक सवाल पंडित चिरंजी लाल ने उठाया है। मैं उस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारा जो एडवोकेट-जनरल का डिपार्टमेंट है हम उस को रिआरगेनाईज़ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में सेप्रेशन आफ ज्यूडीशरी एण्ड एग्ज़े-क्टिव के बारे में बोलते हुए कहा था कि जो प्रासीक्यूटिंग ब्रांच है इस को पुलिस डिपार्ट-मेंट से अलग कर दिया जाए। हम ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रपोज़लज़ बनाई हैं और उ स प्रपोज़ल पर इस बारे में पहली अपरैल से अमल शुरू हो जाएगा और अगर उस प्रपोज़ल पर पहली अप्रैल से अमल पूरी तरह से न भी हो सका तो भी मैं आप की मारफत हाउस से यह कहना चाहता हूं कि जो प्रासीक्यूटिंग एजेंसी है उस का कंट्रोल एल. आर. को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हम इस स्पिरिट के मुताबक काम कर रहे हैं ताकि एग्ज़ैक्टिव का ज्यूडीशरी के साथ ज़रा भी ताल्लुक न रहे।

इस के अलावा उन्होंने सेकशन 80 आफ दी सी.पी.सी. का भी ज़िक्र किया था। उस के लिये मैं स्पीकर साहब, आप की मारफत उन्हें बता देना चाहता हूं कि इस काम को देखने के लिये हम ने एक स्पेशल अफसर 6 महीने के लिये लगाया है जो इस डिपार्टमेंट के सारे काम को एग्ज़ामिन करेगा और फिर उस की रिपोर्ट के मुताबिक अमल करने की कोशिश की जाएगी। मैं पंडित चिरंजी लाल को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इन बातों के अन्दर जितनी भी शिकायतें हो सकती हैं उन को पूरी तरह से दूर करना चाहते हैं।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : हरियाणा के साथ जो डिसक्रिमिनेशन होती रही है उस के बारे में भी मैं ने अपनी स्पीच में ज़िक्र किया था उस को दूर करने के लिये आप क्या कर रहे हैं ज़रा उस बारे में भी बता दें।

मुख्य मंत्री : तो स्पीकर साहब, सरदार लच्छमन सिंह ने और पंडित चिरंजी लाल ने एक सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि हस्पतालों के अन्दर डाक्टरों की कमी है और उन्होंने कहा था पंजाब के अन्दर 600 हस्पतालों में डाक्टर कोई नहीं है और इस के अलावा और कई ऐसे हस्पताल हैं जिन में डाक्टरों की कमी है —

सरदार लच्छमन सिंह गिल : और वह सब हस्पताल देहात में हैं।

मुख्य मन्त्री : मैं अर्ज़ करता हूं कि सिर्फ सौ हस्पताल सारे पंजाब में ऐसे हैं जहां पर डाक्टर नहीं है और इन्होंने जो 600 हस्पताल कहे हैं यह गल्त कहा है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : पिछले साल डाक्टर भार्गो ने जो रिपोर्ट की थी उस में 600 हस्पताल ऐसे बताए गए थे जिन में कोई डाक्टर नहीं है।

मुख्य मन्त्री : पिछले साल में और इस साल में बड़ा फर्क पड़ गया है आप देखेंगे कि जितने भी प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं उन में जो डाक्टर हम मुकर्रर करते हैं उस की डिचटी होती है कि उस सेंटर के इर्दगिर्द जितने गांवों हों उन सब में वह जाए।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आप की रूलिंग पर यह पूछना चाहता हूं कि किसी एक स्पीच के दौरान क्या कोई दूसरा मैम्बर शार्ट स्पीच कर सकता है ?

Mr. Speaker : It is not allowed but somehow this convention is going on. I am trying to control it.

डा० बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहब, इन शार्ट स्पीचों का एक फायदा भी है कि इन से चीफ मिनिस्टर साहब का गीयर बदल जाता है। (हंसी)

मुख्य मन्त्री : तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर एक प्रायमरी हैल्थ सेंटर में हम एक डाक्टर मुकर्रर कर रहे हैं जो साथ के सारे गांव होंगे उन में जाएगा। हम सब इस बात की पूरी कोशिश में हैं कि थर्ड प्लान के अन्त तक या फोर्थ प्लान के शुरू में हर एक हस्पताल में डाक्टर मौजूद हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस अर्सा में डाक्टरों की कमी को पूरा कर सकेंगे। हम ने डाक्टरों को सरकारी नौकरी में खींचने के लिये तमाम असिस्टेंट सरजनों और दूसरे डाक्टरों की तन्खाहें और एलाऊंसिज़ बढ़ा दिए हैं उन की एक लिमिट भी बढ़ा दी है और इस के अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं दे दी हैं। लेकिन इन बातों के बावजूद में जानता हूं कि अभी डाक्टरों की पंजाब में कमी है। लकिन मैं अपने इन दोनों मित्रों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस तरफ पूरी तवज्जुह दे रहे हैं। इस के साथ नरसों की कमी का भी ज़िक्र किया गया है कि रोहतक के अन्दर नरसों की कमी है। मैं पंडित चिरंजी लाल जी को बताना चाहता हूं कि यह कमी सिर्फ रोहतक के अन्दर ही नहीं है बल्कि यह तो सारे पंजाब के अन्दर है और हम इस कमी को भी पूरा करने में पूरी तरह से कोशां हैं। जहां तक रोहतक मैडीकल कालेज का ताल्लुक है मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि उस कालेज को इम्परूव करने के लिये 30 लाख रुपए खर्च करने का हम ने अभी फैसला किया है। फिर एक मैम्बर की तरफ से यह कहा गया था कि यहां पी. जी. आई. में 226 स्टूडेंटस हैं लेकिन उन के लिए डाक्टर बहुत रखे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वहां इस वक्त 115 डाक्टर है against the sanctioned strength of 335 मैं स्पीकर साहब, आप की मारफत इन साहिबान को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इन तमाम चीजों की तरफ पूरी 2 तवज्जोह दे रहे हैं। आप ने इस बजट के अन्दर देखा होगा कि हम ने मैडीकल एण्ड हैल्थ की तरफ काफी तवज्जुह देने की कोशिश की है।

एक बात स्कूलों की अपग्रेडेशन के बारे में कही गई थी। मैं इस सिलसिले में बता देना चाहता हूं कि हम ने इस काम के लिये इस बजट में 56 लाख रुपए की रकम रखी है और इस रकम से हम जितने ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपग्रेड कर सकें, करेंगे और खासतौर पर बैकवर्ड इलाकों के जितने स्कूल हैं हम सब से पहले उन की तरफ तवज्जुह देना चाहते हैं।

सरदार लच्छमन सिंह गिल : आप गांव वालों को क्यों कहते हैं कि वह स्कूल की बिल्डिंग बना कर दें ?

मुख्य मंत्री: इस के बाद हरियाणा का भी जिक्र किया गया । जिस बात की तरफ पंडित चिरंजी लाल ने तवज्जुह दिलाई है मैं उस बारे में उन से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस साल हम ने वहां 120 जे. बी. टी. यूनिटस खोले हैं और हरेक जे. बी. टी. यूनिट में 40 स्टूडैंटस लिये जाएंगे तो इस तरह से यह कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। इस के इलावा हम ने यहां के लिये 8 सायंस बलाक दिए हैं जिन के लिये 40 लाख 46 हज़ार रुपया दिया गया है। इस के इलावा कैथल के अन्दर हम ने गर्लज़ होस्टल के लिये प्रोवीज़न किया है। फिर हम ने कुरूक्षेत्र यूनिवर्स्टी के लिये 1,750 हज़ार रुपए दिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के लिये जितने रुपए की जिस जिस चीज के लिये जरुरत होगी वह हम पूरी करने की कोशिश करेंगे और पूरी तवज्जुह उस इलाके की जरूरतों की तरफ हम दे रहे हैं और हम इन बातों को नज़र अन्दाज नहीं करते। जितनी जरूरत होगी हम उस को पूरी अहमीयत देंगे।

इस के बाद टियूबवेलज़ के लिये बिजली के कनैक्शन का सवाल उठाया गया है। इस बारे में मैं अर्ज़ कर देना चहता हूं कि 4564 टियूबवैलज़ को 31 जनवरी, 1965 तक कनैक्शन दिए जा चुके हैं और 31 मार्च तक जितनी तादाद हम ने निश्चित कर रखी है को कनैक्शन दे सकेंगे इस की मुझे पूरी आशा है। इरीगेशन प्रप्ज़िज़ के लिये जितनी भी बिजली के कनैक्शन चाहिये होंगे हम उन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम ने इन को टाप प्रायरटी देने का फैसला कर रखा है।

इस के बाद स्पीकर साहिब, फल्डज़ का सवाल उठाया गया है। इस बारे में मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि तीसरी प्लान के अन्दर फल्डज़ को रोकने की स्कीमज़ पर 15 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला कर रखा हुआ था लेकिन आप को जान कर खुशी होगी कि हम बजाए 15 करोड़ रुपये खर्च करने के इस प्लान पीरियड में 28 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं तांकि इस तरफ जल्दी से जल्दी तवज्जुह दी जा सके। क्योंकि हम समझते हैं कि यह हमारा फर्ज़ है कि हम इन सारी चीजों की तरफ तवज्जुह दें और मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन सारी चीजों की तरफ पूरी २ तवज्जुह दी जाएगी।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,

6.00 p. m.

ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੀ ਗਲਾਂ ਹਨ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਹੁਣ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ (The hon. Member should not raise discussion on the Budget now.)

मुख्य मंत्री: फिनांस मिनिस्टर साहिब ने यकीन दिलाया था कि वह टियूबवेलज़ आपरेटरों का केस सिम्पेथैटीकली कन्सिडर करेंगे। तो स्पीकर साहिब, सैनिक स्कूलों

के बारे बख्शी प्रताप सिंह जी ने सवाल उठाया था कि एक सैनिक स्कूल कांगड़ा में खोला जाए। अर्ज़ यह है कि एक सैनिक स्कूल कपूरथला में है और दूसरा कुंजपुरा में है। वहां पर जो इनटेक है वह 550 का है मगर आज भी वहां पर इतने लड़के नहीं पढ़ रहे। हम इन में से एक पर 60 लाख 85 हज़ार रुपया और दूसरे पर 55 लाख 43 हज़ार रुपया खर्च कर रहे हैं। झज्जर में एक सैनिक स्कूल खोलने के बारे में गौर हो रहा था मगर जब कि वहां पर इनटेक ही पूरी नहीं हो रही और माली हालत को देखते हुये हमें इस बात का अफसोस है कि हमें इस बात में अहिमियत नज़र नहीं आती। जब भी हमारे फिनांसिज़ ऐलाऊ करेंगे तो हिन्द सरकार से मिलकर झज्जर के अन्दर और कांगड़ा के अन्दर ऐसे स्कूल खोलने की तरफ ध्यान देंगे।

फिर यहां पर सवाल उठाया गया वाटर-सप्लाई का। यह हम ने करीब सात सो गांवों में प्रोवाइड की है जिन में से दो सौ गांव कांगड़ा में हैं और 12 ऐसी स्कीमें हैं जिन को कि हम कांगड़ा में लागू करने जा रहे हैं। जहां भी कांगड़ा जिला की हम से मदद हो सकेगी करेंगे। और बजट में आप ने देखा कि ऐसा किया भी गया है।

फिर स्पीकर साहिब, सरदार प्रताप सिंह के सफाकाना कत्ल का सवाल उठाया गया।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। क्या चीफ मिनिस्टर साहिब, ऐसा कर सकते हैं कि किसी की स्पीच का जवाब ही न दें। ऐजूकेशन मिनिस्टर साहिब, ने दो ही केसिज़ आफ डिसक्रिमीनेशन का जवाब दिया मगर मैं ने तो सारे हरियाणे के साथ डिस्क्रिमीनेशन की जाती बताई थी। क्या यह उस का जवाब देने के लिए पाबन्द हैं या नहीं ?

Mr. Speaker : please resume your seat.

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरदार प्रताप सिंह कैरों का जो सफाकाना कत्ल हुआ है उस का हर शहरी को खेद है......

सरदार लच्छमन सिंह गिल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। यह रैपीटीशन है। (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : आप औबस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ टेक युअर सीट। (The hon. Member is causing obstruction, he may please take his seat.)

सरदार लच्छमन सिंह गिल : मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि आया रैपीटीशन की जा सकती है। क्या कोई मेम्बर अपनी पहली कही बात को दोहरा सकता है ?

Mr. Speaker : It is for me to see whether it is a repetition or not.

सरदार लच्छमन सिंह गिल : आप रेसपैक्टफुली बोलें। ज़रा तहम्मल से काम लें और हमारी तसल्ली तो करा दें।

Mr. Speaker : The hon. Member may please take his seat. No hon. Member can say that it is a repetition.

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : स्पीकर साहिब टाईम ऐक्सटैंड कर दें, इन्टरप्शन्ज़ बहुत रही हैं।

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, श्री कैरों के कत्ल के बारे में यहां पर तकरीरें हुई। अच्छे २ मैम्बरों ने कहा कि जिस वक्त उन का कत्ल हुआ तो जो पुलिस वाले थे वह वक्त पर नहीं पहुंचे, रिपोर्ट लिखने वालों ने देर कर दी और तहकीकात के लिये जो फौरी कदम उठाये जाने ज़रूरी थे वह उन्होंने नहीं उठाए। इस के इलावा चौधरी देवी लाल जी ने जिस सरपंच हरकिशन लाल ने एफ. आई. आर. दर्ज कराई, उस की मौत का सवाल भी उठाया। आप की मार्फत मैं हाउस से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमें इस सफाकाना कत्ल का बहुत दुख है मगर इस सारी चीज़ को यहां पर गलत तरीके से पेश करना किसी को ज़ेब नहीं देता जहां तक सरपंच का सवाल है उन को 17 तारीख को सुबह ब्लड प्रैशर हुआ और हार्ट अटैक हुआ। डाक्टर्ज़ बुलाए गए, उन को दवाई दी गई और 24 घंटे के बाद उन की तबियत ठीक हो गई और 21 तारीख को जब वह सुबह रफा हाज़त के लिये गए तो उस वक्त हार्ट अटैक से उन की मौत हुई। यह बिल्कुल नेचुरल डैथ हुई। मैं खुद उन के गांव गया था और उनकी पत्नी से मिला, लड़के लड़की से मिला। लड़का सिंगापुरा के अन्दर जमादार है, उन के भतीजे से मिला, गांव के सरकरदा आदमियों से मिला, बात चीत की। उन सब ने कहा कि बिल्कुल नैचुरल डैथ थी। हमें किसी किस्म की शिकायत नहीं है। मैं हाउस से कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भी इस बारे में कोई शक है तो पंजाब राज इस बारे में उनको पूरी सहुलियत देने के लिये तैयार है। वह गांव में जाएं, लोगों से मिलें या और जो कुछ ज़रूरी हो करें। मगर मैं इस बारे में यह यकीन दिलाता हूं कि श्री हरकिश्न लाल जी की मौत अफसोसनाक ज़रूर है मगर इस का यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि इस से किसी तरह से ऐवीडैंस खराब हो गई है जैसा कि यहां पर कहा गया। श्री हरकिश्न लाल चश्मदीद गवाह नहीं था, चश्मदीद गवाह तो और ही है। जब एक रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो फिर उस में कोई कहीं नहीं रह जाता। मैं यकीन दिलाता हूं कि पुलिस के पास सारी ऐवीडैंस मौजूद है, उस को किसी तरह से खलत मलत नहीं किया गया। मैं अर्ज़ करता हूं कि यह 12—15 पर असैसीनेशन हुई रसोई गांव के अन्दर जो कि दिल्ली से सवा 18 मील के फासले पर है। रसोई के थाने में 12.45 पर रिपोर्ट पहुंची जो कि श्री हरकिश्न लाल और उस के साथियों ने की। उस वक्त उस थाने में सब-इन्स्पैक्टर और चार पांच सिपाही थे। वह सब-इन्स्पैक्टर 20 मिनट के अन्दर यानी एक बज कर पांच मिनट पर वहां मौके पर पहुंच जाता है। यही नहीं बल्कि फौरन टैलीफोन पर मुहर्रिर को इतलाह दी, बार्डर पुलिस को इतलाह दी, ऐस० पी० रोहतक और करनाल को इतलाह दी, सम्भालके थाने में इत्लाह की और चंडीगढ़ आई. जी. और डी. आई. जी. को इतलाह की। उस वक्त

थाने में दो तीन सिपाहीं रह गये थे।

इस के इलावा जो ए. एस. आई. और पुलिस कान्सटेबल तफतीश पर बाहर गये हुए थे उन्हें भी इतलाह दे दी गई कि वह मौका पर पहुंच जाएं। डेढ़ बजे के करीब अम्बाला के डी. आई. जी. को इतलाह दी गई। स्पीकर साहिब, इस से बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि यू. पी. के आई. जी. राजिस्थान के आई. जी., दिल्ली के आई. जी. और पंजाब के जितने एस. पी थे सब को वायरलैस के ज़रिए इतलाह दे दी गई थी। दिल्ली क डी. आई. जी. और एस. पी. क्राइम और तीन बजे एस. आई. करनाल और इस के ए. एस. आई और दूसरे सब अफसर मौके पर पहुंच गए। साढ़े तीन पौने चार बजे तक रोहतक की पुलिस के एस. आई. और सोनीपत के एस. आई. वहां पर पहुंच गए। जनरल हरभजन सिंह, जी. ओ. सी दिल्ली भी मौका पर पहुंच गए। स्पीकर साहिब, यही नहीं जब सारी पुलिस फोरस आई तो आस पास के सारे इलाके में 17 पुलिस पिक्टस बिठा दी गई। नहरों पर, पुलों पर, रास्तों पर और दुसरी जगहों पर पिक्ट बिठा दी गई। मेरे पास एक एक गांव के नाम हैं जहां पर कि पुलिस पिक्ट बिठाई गई। (विघ्न)

Pandit Chiranji Lal Sharma : Sir, since the matter is under investigation, will it not prejudice the investigation if the Chief Minister makes a detailed statement about all this ?

मुख्य मंत्री : मैं वही कह रहा हूं जो किसी भी शकल में तहकीकात पर असरअंदाज न होगी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि 4 बजे के करीब हमारे डी. आई. जी. श्री माथुर वहां पर पहुंच गए। मैं खुद 6 तारीख को रात के साढ़े नौ बजे पहुंचा था जनरल हरभजन सिंह 1 बज कर 10 मिन्ट पर दो एस, आइज़. को साथ लेकर मौका पर पहुंच गये थे। 7 मील के रकबा में जगह जगह पर ब्रिजों पर पिक्ट बिठा दी गई थी। इस के इलावा सैंट्रल फोरस की पिक्ट दूसरी जगह पर बिठा दी गई थी। ट्रेनिंग सैंटर की फोरस की 8 जगहों पर पिक्ट बिठा दी गई थी। इस के इलावा सर्च पार्टियां मुख्तलिफ गांवों में नारी ठेंरी, मनीपूर वैस्टर्न जुमना कैनाल, हलालपुर नैहरा वगैरा गांवों में भेज दी गई। दूसरे दिन अढ़ाई बजे तक दिन रात एक करके सब जगह को देख लिया लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि कातल किसी रास्ते से निकल गए। और हमारे काबू न आ सके। इसका यह मायना नहीं कि पुलिस ने अपने काम में कौताही की है और अपने फर्ज़ को निभाने से कासर रही है। इस के इलावा और भी डीटेलज़ मेरे पास हैं लेकिन शायद मेरे लिए इस स्टेज पर उनका बताना मुनासिब न हो लेकिन मैं आप की मार्फत हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस किसी क्लू पर शक हो सकता था हमारी पुलिस ने छानबीन की है। मैं इस बात को भी आप के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाब की पुलिस ही नहीं सैंटर की पुलिस और इन्टैलीजैंस ब्योरो और हिन्दुस्तान के टाप मोस्ट एक्सपर्टस हमारी पुलिस के साथ पूरी तरह से कोआर्डीनेट कर रहे हैं। मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी कोशिश सिर्फ स्टेट में ही नहीं बाहर भी जारी है। एस. पी. और एस. आईज. राजिस्थान जमशेदपुर टाटा कलकता और दूसरी जगहों पर भी तफतीश कर रहे हैं। और हमारा यकीन है और मैं आशा रखता हूं कि हम इस कत्ल

[मुख्य मन्त्री]

का सुराग लगाने में कामयाब होंगे। इस में हमारी पुलिस का या हमारा कोई कसूर नहीं है। जो सही वाक्यात थे मैं ने आपके सामने रखे हैं।

एक बात यह कही गई कि इस इन्कवायरी को स्काटलैंड यार्ड के हवाले कर दिया जाये यह ठीक बात नहीं। इस के सम्बन्ध में है आप की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि 2 वाक्यात हमारे नोटिस में हैं कि आस्ट्रेलिया में कत्ल हुए और उन्होंने सारी वर्ल्ड की सरकारों को लिखा। दुनिया के बैस्ट पुलिस एक्सपर्टस को कात्लों का हुलिया भी दिया गया। एक साल से ऊपर हो गया है लेकिन आज तक कात्ल पकड़े नहीं जा सके। दोनों कत्ल एक ही नोइयत के थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्गलैंड में एक गाड़ी लूटी गई वहां पर पुसिल मौजूद थी, सारे स्काटलैंड यार्ड की पुलिस भी पास थी लेकिन ट्रेस आऊट ना हो सका। यही नहीं हमारे अमृतसर में गुरू राम दास सराए के बाहर खुशबख्त राए को गोली मार दी गई हालांकि 500 पुलिस के आदमी वहां पर मौजूद थे। और आज तक उस कत्ल का सुराग न मिल सका। इन सब बातों को देखें तो हमारे सामने मुख्तलिफ वाक्यात आएंगे लेकिन यह बात ठीक है कि हम इस कत्ल का सुराग लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। हमारी नियत साफ है और कोशिश जारी है। इस लिये मैं हाउस को ठंडे दिल से इस बात को सोचने के लिये कहता हूं। जहां तक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है वह रात दिन मेहनत कर रही है। मैं आप सब से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपके पास कोई इनफारमेशन हो तो आप पुलिस को दें ताकि तहकीकात में मदद मिल सके और कोई तहरीर या तकरीर इस तरह की न करें जिस से इस तहकीकात पर ऊलटा असर पढ़े। हम ज़रूर सुराग लगाने में कामयाब होंगे। और हम ने कोशिश की है कि इस तरह के वाक्यात आगे के लिये हमेशा के लिये बंद हो जाएं। यह कत्ल इस स्टेट के नाम पर एक धब्बा है और हम इस धब्बे को धोना चाहते हैं। जो हमारा फर्ज़ है उस के मुताबिक छानबीन कर रहे हैं और दिल्ली और दूसरी जगहों की पुलिस का हम को कोआप्रेशन हासिल है। इस लिये हम जरूर कामयाब होंगे। इस इलफाज़ के साथ जो वोट आफ थैंक्स गवर्नर साहिब के एड्रेस पर मूव किया है को स्पोर्ट करता हूं और दरखास्त करता हूं कि इसको पास किया जाए।

WALK OUT

श्री जगननाथ : (खड़े होकर और चलते, चलते) चीफ मनिस्टर ने बैक वर्ड कलासिज़ का ज़िकर तक नहीं किया इस लिये मैं वाक आऊट करता हूं।

DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS (RESUMPTION) (CONCLD)

चौधरी नेत राम : जनाब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है ..

Mr. Speaker : No point of Order, please.

(Interruption by Ch. Net Ram)

Mr. Speaker : Please resume your seat.

I will now put the amendments one by one to the vote of the House. The first amendment stands in the name of Shri Babu Dayal Sharma.

Shri Babu Dayal Sharma : Sir, I beg to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Now, I will put amendment No. 2 to the vote of the House.

Question is —

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made —

(1) as to enforcement and implementation of prohibition in the State ;
(2) about the extension of co-operative farming in the State ;
(3) to nationalise the passenger bus service in the State ; and
(4) to fix ceiling on urban property."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made —

(1) regarding the appointment of Pay Commission as desired and demanded by the Government employees since long ;

(2) about the illegal and continued arrest of the Left Communist Party Members, including two members of this House ;

(3) for providing relief to be provided to the School Teachers who recently observed mass hunger-strikes and to the canal patwaris ;

(4) to tackle the problem of floods and water-logging in the State ;

(5) to concede the demands of the Republican Party put during its Satyagrah ;

(6) to provide relief to industrial workers and to link their daily wages with the cost of living ; and

(7) to adopt in *toto* State Trading in foodgrains and other essential commodities."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment (No. 8) stands in the name of Shri Roop Lal Mehta.

Shri Roop Lal Mehta : Sir, I beg to ask for leave to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that leave be granted to the hon. Member to withdraw his amendment.

Voices : No.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Since leave is not granted, I will put the amendment to the vote of the House.

Question is.—

[Mr. Speaker]
That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made —

(1) regarding attack and firing in dead dark night on village Gurbari (Palwal) by U.P. Police and villager of Kani Kheri of Bulland Shahr District resulting capturing in all U.P. Police Arms Horse police constable as well ;

(2) regarding construction of Zehar Nala Bandh a stream of Jamuna River dividing 14 villages of Gurgaon District likely to be diverted to U.P. side ;

(3) regarding medical facilities to backward area of Gurgaon District neither upgrading of Civil Hospital Palwal is considered ;

(4) regarding rural industrial State of Palwal and to check the un-employment of the backward area of Gurgaon District ;

(5) to provide roads in Gurgaon District as important villages are missing from the mind of Government to link with national highways such as Palwal to Chanda, Mohana to Sikri, Gatpuri to Jaindapur ;

(6) to provide upgrading of rural middle schools of Bhagola and Dhatir the backward part of the State ;

(7) to nationalise the private Bus Service which are causing harassment to its employees ; and

(8) to fix ceiling to the Urban property so that socialism problem may be effective."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That in the motion, the following be added at the end, namely ,—

"but regret that no mention has been made of opening a new Degree College at Gohana in District Rohtak which is backward and flood affected tehsil while there is a mention of opening a new College in Kangra District."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That in the motion, the following be added at the end, namely ,—

"but regret —

(1) that no mention has been made of the tenancy problem in the State. No security or relief has been given to the tenants by existing land legislation. There has been no implementation of laws relating to security to tenants ;

(2) that no mention has been made about rural electrification and minor irrigation schemes in tehsil Una ;

(3) that no mention has been made of tackling the floods in the choes and Swan Nadi in tehsil Una ; and

(4) that no mention has been made of Technical and College Education in tehsil Una ;

(5) that no mention has been made of anti-waterlogging measures in tehsil Una."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(a) of moving the Central Government and State Government for making due preparations for celebrating the 500th birthday of Shri Guru Nanak Dev Ji as was done in case of Lord Budha ;

(b) to restore and pay the arrears of pensions of those political sufferers who were arrested in the Punjabi Suba agitations of 1955 and 1960-61 ;

(c) about the steps taken to implement the assurances of late Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru regarding Punjabi language ;

(d) about the steps taken by the Government against the failure of several local bodies, market committtees and various district offices to switch over to Panjabi for their official work in the Punjabi region ;

(e) about the implementation of Sachar Formula and Pepsu Formula in regard to Punjabi language in the Punjabi region and no assurance has been given to stop its violation ;

(f) to secure all those concessions which are provided in the case of Hindu Harijans for those Harijans who have embraced Budhism ;

(g) for securing adequate funds for the welfare of Harijans and other backward classes in proportion to their needs in the Fourth Five-Year Plan ;

(h) about the steps for checking the growth of population indiscriminately nor promise has been made for securing adequate funds for family planning according to the dimensions of the problem ;

(i) that no mention has been made for securing decent treatment towards rural people in Government offices; and

(j) to publish the report of "Betterment Levy Committee" appointed by the Government some time back and of steps to suspend the collection of betterment levy in the meantime as has been done in the matter of Marla Tax."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(a) regarding rural industrial State of Ajnala and to check the un-employment of the backward area of Amritsar District ;

(b) to provide roads in Ajnala Tehsil in Amritsar District as important villages as Khatrai Kalan, Jagdev Kalan, Loharka Kalan, Loharka Khurd and Malu Nangal, are missing from the mind of the Government ;

(c) to provide upgrading of rural middle schools of village Bopa Rai and Dial Bharang ;

(d) to fix ceiling to the urban property so that socialism problem may be effective ;

(e) for securing adequate funds for the welfare of Harijans and other backward classes in proportion to their needs in the Fourth Five-Year Plan ; and

(f) the steps for checking the growth of population indiscriminately no promise has been made for securing adequate funds for family planning according to the dimensions of the problem."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment (No. 13) stands in the name of Shri Rup Singh Phul.

Shri Rup Singh Phul : Sir, I beg to ask for leave to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that leave be granted to the hon. Member to withdraw his amendment ?

Voices : No.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Since leave is not granted, I will put the amendment to the vote of the House.

Question is —

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made to —

(1) establish a Sainik School in district Kangra ;

(2) adopt speedy means for the road development in the Hill area so that communication and transport facilities be given to these areas ;

(3) develop the herbal wealth of hills by establishing Ayurvedic College-cum-Pharmacy in district Kangra ;

(4) establish medical, engineering and agricultural colleges in district Kangra ;

(5) establish a stadium in district Kangra ;

(6) construct high level bridges over the Beas at Sujanpur Tira and Nadaun ;

(7) give special attention to the upgrading of various categories of schools in the hilly areas in view of the educational backwardness prevailing there ;

(8) establish the cement and newsprint factories in the district of Kangra at an early date ;

(9) for the settlement of oustees of Bhakra and Pong Dams ;

(10) stop the ejectment of tenants in the State ;

(11) give proprietary rights to the classified tenants of Kangra District ;

(12) issue orders for the forest settlement of Kulu and Kangra Districts;

(13) set apart a substantial amount for the purpose of land for the Harijans of Kangra District where there is no surplus or evacuee land ;

(14) energise village in Hamirpur Sub-Division at top priority level on account of the meritorious military services of this martial area ;

(15) make industrial development of the hilly areas on top priority basis in order to do away with the unemployment and poverty prevailing there."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment (No. 14) stands in the name of Principal Rala Ram.

Principal Rala Ram : Sir, I beg to ask for leave to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that leave be granted to the hon. Member to withdraw his amendment ?

Voices : No.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Since leave is not granted, I will put the amendment to the vote of the House.

Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(1) about the steps taken by the Government to check adulteration of food-stuffs, etc. ;

(2) about the steps taken by the Government to improve standard of education in the State ; and

(3) about the steps taken by the Government to control the Cho menace in Hoshiarpur District."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment (No. 15) stands in the name of Shri Lal Chand Prarthi.

Shri Lal Chand Prarthi : Sir, I beg to ask for leave to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that leave be granted to the hon. Member to withdraw his amendment ?

Voices : No.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : Since leave is not granted, I will put the amendment to the vote of the House.

Question is—

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made—

(1) about the widening and remodelling of Kulu-Manali left Bank Road in Kulu District ;

(2) regarding the construction of bridges over Beas River at Raisan, Goshal and Bajaura ;

(3) about the steps taken by the Government to start a Degree College at Kulu ;

(4) about upgrading Primary School of Jagat Sukh to Middle Standard ;

(5) regarding setting up of a Fruit Preservation Factory at Kulu ;

(6) about establishment of Herbs Research Farm in Kulu District ;

(7) about the steps so far taken to construct a 100-bed hospital at Kulu to provide necessary medical aid to the poor people of farflunged and backward areas of Kulu, Lahaul and Spiti;

(8) about the withdrawal of Government order under which Nautors have been denied to the rightholders of Kulu District ;

(9) about the steps taken by the Government to re-build the small town of Manali, a beautiful tourist resort of the State ; which was reduced to ashes in October last ;

[Mr. Speakar]

(10) regarding the steps so far taken by the Government to develop the Tourist resort. beautiful spots and places of interest and pilgrimage in Kulu, the valley of gods."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Questionis —

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made —

(1) about the Government's intention to resort to State Trading in near future in spite of the soaring high and fluctuant prices of the necessities of life in the State ;

(2) about the uplift of lacs of petty landholders possessing less than ten acres of uneconomic land holdings throughout the State ;

(3) about the provision of industrial estate and technical training institute somewhere in the backward sub-division of Zira in the Ferozepore District ;

(4) for providing at least 50 per cent of the available electric energy for agricultural purposes as against only 12.99 per cent now proposed for this most essential purpose ;

(5) for providing an academic college in the backward area of Zira Sub-Division ;

(6) for installing a sugar mill somewhere in Zira Tehsil for the benefit of the agriculturists who are obliged to switch over to cane-growing due to the waterlogging of their lands ;

(7) for constructing a pucca road from Talwandi Bhai to Mallanwala in Ferozpore District linking thereby this vast area of agricultural production with the only market place at Talwandi Bhai and;

(8) for remodelling and harnessing the Zira and Talwandi Bhai Drains in such a way that they may not overflow and flood the area through which they flow."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made —

(1) regarding the issuing of instructions to all heads of departments in the State, for giving chances to the Scheduled Castes Government employees in the State, to officiate in higher posts even if the officiating period is less than a month ;

(2) regarding the reservation of 10 per cent posts, cadrewise, according to the total strength of posts in Government Departments for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in promotion cases, as the representation of the Scheduled Castes is inadequate in the Government services ; and

(3) regarding a High-Powered Commission to enquire into the discrimination done and is being done in cases of promotional cases for the Scheduled Castes Government employees in the State, by one or the other reasons."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That in the motion, the following be added at the end, namely ,—

"but regret that no mention has been made to —

(1) raise the standard of living of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(2) appoint High Power Commission to check up the real progress of Scheduled Castes and Scheduled Tribes after 1947 to date ;

(3) provide common land to Harijans for goats and sheep ;

(4) provide better methods to check up the water logging area of Hansi Tehsil ;

(5) provide work to the landless tenants in rural area ;

(6) stop the ejectment of Harijan tenants in the State ;

(7) develop the handloom and leather industries in the rural area ;

(8) provide lined water course from Rajthal to Hansi of Hissar Major and Petwar Distributary ;

(9) provide upgrading of schools in rural area of Hansi Tehsil ;

(10) provide industrial estate at Hansi ;

(11) provide pacca road from Hansi to Baroda and Bhiwani to Jind ;

(12) provide tube-well facilities in rural area of Hansi Tehsil ;

(13) provide electric facilities in big villages in Hissar District ;

(14) appoint enquiry officer at District Headquarter ; and

(15) provide and approach to the Union Government for permitting the Harijans for recruitment in all units of Army for which they are found fit without any discrimination whatsoever."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That in the motion, the following be added at the end, namely,—

"but regret that no mention has been made —

(1) to provide an industrial estate at Mansa or Sardulgarh in Bhatinda District ;

(2) to provide Pacca Road from Gurusar to Budhladha via Nangal and Baroh;

(3) to provide a link road from Bareh Kalan to the Budhladha-Ratia Road ;

(4) to provide electric facilities in villages of Mansa Sub-Division ;

(5) to provide for an academic college at Mansa ;

(6) of moving the Union Government to install a big Textile Mill in cotton-growing area of Mansa ;

(7) of remodelling the drains in such a way that they may not overflow and damage the crops of their respective catchments ; and

(8) of solving the linguistic problem of the State according to the spirit of commitments of the Union Government in spite of the changing political atmosphere of the State to the linguistic unrest in Southern India."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That an Address be presented to the Governor in the following terms :—

"That the members of the Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to both the Houses of the State Legi lature assembled together on the 22nd February, 1965."

After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it'. This opinion was challenged. The bells were sounded. Mr. Speaker after calling upon those members who were for "Aye" and those who were for "No" respectively to rise in their places, declared that the motion was carried.

The motion was declared carried
(Thumping from the Treasury Benches)

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

The Sabha then, adjourned till 9.30 *A.M. on Thursday, the* 4th *March,* 1965.

APPENDIX
to
P.V.S. Debates, Volume I, No. 8, dated the 3rd March, 1965
(*Afternoon Sitting*)

Copy of letter, dated the 1st October, 1964, from Shri Hardwari Lal M.L.A., to the Hon'ble Speaker, Punjab Vidhan, Sabha, Chandigarh.

Subject.—Regarding Question No. 6275 included in the list of Starred Questions for 18th September, 1964.

The question cited above as subject has been subject of Supplementaries on 18th and 21st September and of half an hour discussion on 28th September, I maintain, as I did in the House that E.M. has made certain wrong statements in the House for example :—

1. Pt. Chiranji Lal Sharma put the following Supplementary on the 18th :—

"May I ask the hon. Minister if he is in a position to state that the office of the D.P.I. is standing in the way of starting the Campus at Rohtak?" To this the E.M. replied "*There is absolutely no truth in the statement made by the Hon'ble Minister.*"

2. On the 21st I put the following Supplementary question :—

"Is it a fact that so far as Rohtak is concerned the Government has already asked the University to abandon the proposal, if so, what the reasons for that decision are ?" To this the E.M's reply was "*No such proposal or suggestion has been made to the University by the Government.*"

The leading article in the Tribune of 27th July, 1964 and the proceedings of the Senate meeting of the Punjab University, held on 25th July, 1964 (page 12) (*Both enclosed*), would indicate that the Minister's statements in the House on the 18th and 21st September, 1964 were wrong. It is only fair that the Minister should apologise to the House.

Copy of D.O. letter No. EDI-20(51)-65, dated the 6th January, 1965 from the Minister for Education and Local Government to the Hon'ble Speaker, Punjab Vidhan Sabha.

Please refer to your D.O. letter No. SQ/64/56357, dated 29th December, 1964 enclosing therewith a copy of the relevant extract from the proceedings of the Senate meeting as also a copy each of the Starred Question and Supplementaries thereon, together with the replies.

2. I have looked into the replies given to the Supplementary Questions put up by Sarvshri Chiranji Lal Sharma and Hardwari Lal. I find no contradiction in the replies given to these two Supplementaries mentioned in your letter under reply. I may point out that Government is not responsible for the recording of the proceedings of the University Bodies and, therefore, I am not bound to be guided by these. The D.P.I. has simply advised the Punjab University not to go ahead with the setting up of the proposed centre at Rohtak and this does not tantamount to "standing in the way of starting a campus at Rohtak". The University is quite free to start its centres and is not bound by the advice of the Education Department under the Punjab University Act. So far as Government is concerned, they have not written anything about it to the University because obviously the case has yet to be finalized by the Government, keeping in view the decision taken by the High Powered Committee, a meeting of which took place on 30th October, 1964. I hope I have made the position quite clear and there is no inconsistency of facts in what I have stated in my replies to the Supplementaries.

N.B.—Please *see* Page (8) (127) of this Debate for reference.

4251 PVS—366—26-6-65 C., P. and S., Pb., Chandigarh.